महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर



स्थापत्य वेद विभाग

विद्या वारिधि (पी.एच.डी.) हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध

वर्ष -2005

शीर्षक

इंदौर के विचाराधीन सिटीजन्स मास्टर प्लान - 2025 का स्थापत्यवेद से नियोजन

शोध निर्देशक

डॉ. श्री ए. एन. पटेल
से.नि.प्रो.(सिविल इंजि.) एवं सुविख्यात मृदा विशेषज्ञ
गो. से. इ. ऑफ टेक्ना. एण्ड साईंस, इंदौर म.प्र.

अनुसंधायक

कौशिक अशोक कुमार
स्तानक (सिविल इंजि.) व आचार्य स्थापत्यवेद

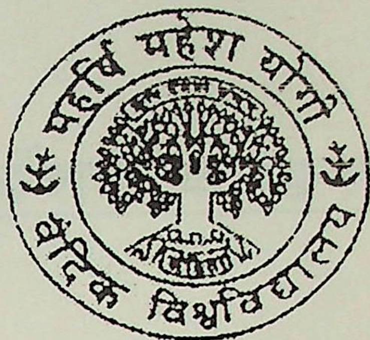
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय
इंदौर परिसर, इंदौर







महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर



स्थापत्य वेद विभाग

विद्या वारिधि (पी.एच.डी.) हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध

वर्ष -2005

शीर्षक

इंदौर के विचाराधीन
सिटीजन्स मास्टर प्लान - 2025
का स्थापत्यवेद से नियोजन

शोध निर्देशक

Anpatel

डॉ. श्री ए. एन. पटेल

से.नि.प्रो.(सिविल इंजि.) एवं सुविख्यात मृदा विशेषज्ञ

गो. से. इ. ऑफ टेक्ना. एण्ड साईंस, इंदौर म.प्र.

अनुसंधायक

कौशिक अशोक कुमार

स्तानक (सिविल इंजि.) व आचार्य स्थापत्यवेद

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय

इंदौर परिसर, इंदौर



महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर



स्थापत्य वेद विभाग

विद्या वारिधि (पी.एच.डी.) हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध
वर्ष -2005

शीर्षक

इंदौर के विचाराधीन
सिटीजन्स मास्टर प्लान - 2025
का स्थापत्यवेद से नियोजन

शोध निर्देशक

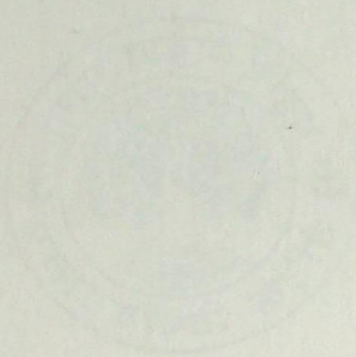
Anpatel

डॉ. श्री ए. एन. पटेल
से.नि.प्रो.(सिविल इंजि.) एवं सुविख्यात मृदा विशेषज्ञ
गो. से. इ. ऑफ टेक्ना. एण्ड साईंस, इंदौर म.प्र.

अनुसंधायक

कौशिक अशोक कुमार
स्नातक (सिविल इंजि.) व आचार्य स्थापत्यवेद

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय
इंदौर परिसर, इंदौर



शोध निर्देशक का प्रमाण–पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस शोध प्रबंध में नये तथ्यों का अविष्कार किया जाता है, तथ्यों अथवा सिद्वान्तों का पर्यालोचन नई दृष्टि से किया गया है, तथा इस शोध प्रबंध की भाषा शैली संतोषजनक और प्रकाशन के योग्य है।

A.N. Patel

डॉ ए. एन. पटेल

से.नि.प्रो.(सिविल इंजि.) एवं मृदा विशेषज्ञ

गौ.से.इ. आफ टेक्ना. एण्ड साईंस इंदौर

आभार

परम आदरणीय एवं पूजनीय महर्षि महेश योगीजी की दिव्य चेतना एवं पूजनीय गुरूदेव श्री अशोक पटेलजी व निकेतन आनंदजी गौड़जी के पुनीत आशीर्वाद और सद्प्रेरणा ,मेरे इस शोध प्रबंध की पूर्णता का आधार रहे। साथ ही मेरे परिवार के सभी पूजनीय, मेरी माता एवं पत्नि की निरंतर प्रेरणा और सहयोग एवं वि.वि. के सभी गुरूजन मेरी इस साधना की पूर्णता के साक्षी हैं।

अत: मैं इन सभी की आभारी हूँ। विगत तीन वर्षों से दैनिक अग्निहोत्र ने मेरी चिंतन शक्ति को ज्योतित किया है।

मैं अपने गुरूजनों व विश्वविद्यालय के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ एवं यह शोध प्रबंध उनके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ।

जय गुरू देव।

दिनांक: 10.03.2006

स्थान: इन्दौर /जबलपुर केन्द्र

अशोक कुमार कौशिक

शोधार्थी

महर्षि महेश योगी वैदिक वि.वि., इन्दौर

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय म.प्र.इन्दौर परिसर

घोषणा –पत्र

मैं अशोक कुमार कौशिक घोषणा करता हूं कि इन्दौर के विचाराधीन सिटीजन्स मास्टर प्लान–२०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन शीर्षक पर प्रस्तुत शोध विद्यावारिधि के लिये महर्षि स्थापत्यवेद विभाग के अन्तर्गत किया गया है।प्रस्तुत शोध प्रबंध में किये गये समस्त कार्य व सर्वेक्षण मौलिक हैं।मेरी जानकारी के अनुसार प्रस्तुत शोध प्रबंध का कोई भाग ऐसा नहीं है जो बिना उचित द्रष्टांत के प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक: 10.03.2006.

स्थान: इन्दौर / जबलपुर कैम्प

अशोक कुमार कौशिक

शोधार्थी

महर्षि महेश योगी वैदिक वि.वि., इन्दौर

जय गुरूदेव

शोध संक्षिप्तिका (Synopsis)

१. शोध का विषय

१.० इंदौर के विचाराधीन सिटीज़न्स मास्टर प्लान२०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन।

The Planning of citizen's master plan 2025 under consideration, as per sthapatya veda.

२. भूमिका

२.० आचार्य अंतिम वर्ष में इंदौर निवेश क्षेत्र के स्थापत्यवेद के सिद्धांतो से विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर लघुशोध प्रबंध करने के प्श्चात्, नगर पालिका निगम, सी.ईपी.आर.डी. संस्था, राज्य व केन्द्र शासन के सम्मिलित प्रयासों से बनायें जा रहें विचाराधीन सिटीज़न्स मास्टर प्लान को स्थापत्य से बनवाने के लियें एक नागरिक, स्थपति एवं अभियंता होने का कर्तव्य निभाने हेतु एक प्रयास करना ताकि समाज को ज्ञान का लाभ मिल सकें।

३. शोध का आधार

३.० इस शोध प्रबंध में स्थापत्यवेद व नगर नियोजन के मूल ग्रंथ एवं नगर विकास अधिनियम (सूची संलग्न), एवं महर्षि स्थापत्यवेद आचार्य अंतिम वर्ष (चतुर्थ प्रश्न पत्र) में किये गये, लघु शोध प्रबंध इंदौर निवेश क्षेत्र का स्थापत्यवेद से विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान एवं विकास केन्द्र इंदौर द्वारा एकत्रित सर्वेक्षण आंकड़े व जानकारी के माध्यम से बनाये जा रहे सिटीज़न्स मास्टर प्लान २०२५ व पर्यावरण विकास मासिक पत्रिका तथा म.प्र.विद्युत मंडल में सिविल इंजीनियरिंग के निर्माण क्षेत्र में २८ वर्ष का अनुभव।

३.११ मूल वैदिक ग्रंथ व साहित्य।
३.१२ अनुभव।
३.१३ सर्वेक्षण का आधार।
३.१४ आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान।
३.१५ विकास नियमन।
३.१६ सी.ई.पी. आर.डी.संस्था की संकल्पना।
३.१७ अनुभव।

४. विषय का वर्गीकरण:-

४.१ (अ) इंदौर नगर का ऐतिहासिक अध्ययन
४.११ इंदौर नगर का इतिहास का परिचय
४.१२ वर्तमान इन्दौर का नगर नियोजन

४.२ (ब) इंदौर विकास के क्रमिक चरण
४.२१ (क) मूल इंदौर शहर की सरंचना।
४.२२(ख) विदेशी राज्य में नगर नियोजन पर प्रभाव।
४.२३(ग) स्वतंत्रता पश्चात् इंदौर की विभिन्न चरणों में विकास योजनाएं (४.२३१ से ४.२३६)
४.२४(घ) सिटीज़न्स मास्टर प्लान २०२५ की संक्षिप्त रूपरेखा।

५. शोघ में प्रयुक्त सिद्धांत

५.० स्थापत्यवेद के अनुसार विभिन्न प्रयोजन हेतु सिद्धांत :-
५.१ नगरादि की संज्ञाओं व मान के सिद्धांत।(५.११ से ५.२३)
५.२ नगरादि के आकार व दिक निर्धारण का सिद्धांत।

५.३ नगरादि में भूमी परीक्षा का सिद्धांत ।

५.४ नगरादि में भूमी व भवनों के प्लव (Slope)

५.५ नगरादि में नदी झील ,तालाब के सामीप्य का सिद्धांत।

५.६ नगरादि में भूमी ,भवनों के मुख्य सामीप्य का सिद्धांत।

५.७ नगरादि में भवनों के आकार का सिद्धांत ।

५.८ नगरादि में भवनों के मुख्य द्वार व अवरोधों का सिद्धांत।

५.९ नगरादि में भवनों के अन्य प्रमुख लक्षणों के सिद्धांत।

५.१० नगरादि में भवनों के आयादी निर्णय का सिद्धांत।

५.११ नगरादि में भवनों के वप्र ,परिखा व नालियों का सिद्धांत।

५.१२ नगरादि में भवनों के वसति योजना के सिद्धांत।

५.१३ नगरादि में भवनों के वास्तुपद विन्यास विथी निर्णय व वास्तुपद विकल्पन का सिद्धांत।

५.१४ नगरादि में मंदिर पूजा स्थल के सिद्धांत।

५.१५ नगरादि मे पर्यावरण , वृक्षारोपण आदि के सिद्धांत।

५.१६ नगरादि में शिलान्यास,वास्तुशान्ति व बलिकर्म के सिद्धांत।

६.० विचाराधीन इन्दौर सिटीज़न्स मास्टर प्लान -२०२५ की अवधारणा :-

६.१ परिचय व संकल्प :-६ जून १९९६ से १९९६ से स्थापित पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान एवं विकास केन्द्र द्वारा संसाधनों के अनियंत्रित दोहन,मानव बसाहट व औद्योगिकरण के अनियोजित व अस्वास्थयकर नियोजन को ठीक कर, जनभागीदारी से अनुसंधान को बढावा देकर ,सही विकास योजना बनाना ।

६.२ उद्देशय :- इन्दौर व उसके आसपास के क्षेत्र का पर्यावरण उत्कृष्टता से नियोजन ,पर्यावरण व परिस्थिति का सहयोगी क्षेत्र सृजन कर वनस्पतियों के लिये आदर्श परिवेश पर्यावरण पोषक समाज का गठन ,जीवन स्तर के सुधार हेतु शुद्ध जल, स्वस्थ वायु,हरित क्षेत्र आदि बनाना,प्रकृति के पृति आदर भाव उत्पन्न कर पर्यावरण संरक्षण में उत्प्रेरक की भुमिका निभाकर स्वस्थ व स्वच्छ व स्वस्थ्य इन्दौर का नियोजन करना

६.३ साधन:-जन चेतना,क्षिक्षा ,ईको स्टेट,प्रदूषण,जल प्रबंधन, उर्जा, मानव बसाहट यातायात समस्याएवे परामर्श सेवा का लाभ मेदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों व वेज्ञानिकों का सहयोग लेकर नियोजित करना।(६.३१ से ६.३४)

७.० विचाराधीन इन्दौर सिटीज़न्स मास्टर प्लान -२०२५ का स्थापत्यवेद के सिद्धांतों से विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन हेतु विशलेष्णात्मक अध्ययन :-

७.१ अधोसंरचना विकास:-

(अ) मार्ग नियोजन

(ब)भवन निर्माण,मानव बसाहट, सार्वजनिक,औधौगिक व शासकीय भवन का नियोजन।

(स)प्रदुषण रहित वैकल्पिक उर्जा स्त्रोत का नियोजन।

७.२ पर्यावरण विकास व संतुलन :-उद्यान,उद्योग,यातायात से होने वाले प्रदूषण को रोकने व तदानुसार वृक्षारोपण आदि व कचरे का निपटान व स्वास्थ्य व्यवस्था प्रबंधन।

७.३ जल प्रबंधन:–जल स्त्रोतों की व्यवस्था,पृबंधा शुद्धिकरण एवं संरक्षण।

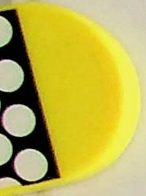
७.४ भूमी विकास नियमन का पुनर्गठन :–सामाजिक व सांस्कृतिकपरिवकशा के अनुसार मध्य प्रदेश विकास नियमन का स्थापत्यवेद से पुनर्गठन।

७.५ वित्तीय प्रबंधन:–शहर के निरंतर विकास ,रखरखाव को बनाये रखाने के हेतु वित्तीय प्रबंधन ।

८. निष्कर्ष :– ८.० विश्लेषणात्मक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष।

९. समाधान व सुझाव:– ९.० शोध से प्राप्त निष्कर्षो को द्रष्टिगत रखकर विचाराधीन सिटीज़न्स मास्टर प्लान –२०२५ के स्थापत्यवेद से नियोजन हेतु समाधान व सुझाव ।

.....



जय गुरूदेव

१. शोध का विषय:-

इन्दौर के विचाराधीन सिटीज़न्स मास्टर प्लान –२०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन।

The planning of citizen's master plan -2025 under consideration, as per sthapatya veda.

२. भूमिका:-

महर्षि महेश योगी वैदिक वि.वि. म.प्र.के महर्षि स्थापत्यवेद आचार्य पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में इन्दौर निवेश क्षेत्र के स्थापत्यवेद के सिद्धान्तों से विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर लघुशोध प्रबंध को वर्ष –२००० में प्रस्तुत करने में सफल होने के बाद ,नगर पालिका निगम, सी.ई.पी.आर.डी. संस्था, राज्य व केन्द्र शासन के सम्मिलित प्रयासों से बनाये जा रहे ,विचाराधीन सिटीज़न्स मास्टर प्लान –२०२५ को स्थापत्य से बनाने के लिये,एक नागरिक स्थपति एवं अभियंता होने का कर्तव्य निभाने हेतु एक प्रयास है, ताकि समाज को इस सनातन ज्ञान का लाभ मिल सकें।

इस 'इन्दौर के विचाराधीन सिटीज़न्स मास्टर प्लान –२०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन' करने के लिये संचालनालय नगर व ग्राम निवेश म.प्र. एवं अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र भारतीय अनुसंधान संगठन अहमदाबाद (इसरो- Indian space Research orgnisation) द्वारा बनाई गई ''इन्दौर विकास योजना २०११ (प्रारूप)'' (जिसे माह अप्रेल २००३ में प्रकाशित किया जाकर, म.प्र. शासन द्वारा वर्ष–२००४ में खारिज किया जा चुका है), में से आवश्यक आई.आर.एस .१ सी एवं १ डी सेटेलाईट से प्राप्त आंकडों व इमेज आदि का उपयोग किया गया है। इसे खारिज किये जाने के बाद, म.प्र. शासन द्वारा गठित विकास समिति व सी.ई.पी.आर.डी.संस्था के संयुक्त प्रयासों से नियत किये गये विकास योजना बिंदुओं का समन्वय करके, प्रमुख विकास संस्थाओं जैसे नगर पालिका निगम विकास प्राधिकरण आदि की भावी योजनाओं को भी दृष्टिगत रखा गया है। आधुनिक सिविल इंजिनियरिंग व स्थापत्यवेद के समन्वय कर ,इसे बनाने का प्रयास इस तरह किया गया है कि, जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके। इसके लिये अधिकांश विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशी का उपयोग कर ,शहर का सर्वांगीण विकास संभव हो सके।

इस शोध कार्य को करने की प्रेरणा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय म.प्र. से प्राप्त स्थापत्यवेद के ज्ञान से अपनी चेतना में उठें स्पन्दनों के फलस्वरूप गुरूदेव से मिली। अपने शहर इंदौर की निरन्तर होती प्रगति परन्तु बेतरतीब पर्यावरण विरोधी एवं समस्यामूलक विकास को देखकर, सी.ई.पी.आर.डी. संस्था के प्रबंध न्यायी एवं सचिव श्री सुधीर मिश्राजी व श्री गट्टानीजी से चर्चा कर, संस्था के उद्देश्य व साधनों को समाहित करते हुए सन–२०२५ तक के लिये इन्दौर के सिटीजन्स मास्टर प्लान को बनाने के लिये, *क्षेत्रीय विकास प्लान* बनाने का निश्चय किया गया। इस योजना में पूरे इंदौर एग्रोक्लाईड टेक क्षेत्र उज्जैन, देवास को सम्मिलित किया गया है। पूर्व में इसके लिएशासन ने एक अधिसूचना ,नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत २३ अक्टूबर १९७३ को राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, किंतु बाद में पता नहीं क्यूं रिजनल डेवलपमेंट की अवधारणा ही निरस्त कर दी गई ,शायद यह एक बड़ी गम्भीर त्रुटि ही थी।

इंन्दौर के मास्टर प्लान की शुरूआत सन् १९१८ में विख्यात फ्रेंच नगर नियोजन सर पेटीक गिड्डेस ने यहां की प्राकृतिक भू संरचना को देखा व इन्दौर शहर के खुबसूरत बनाने की योजना दो भागों में बनाई। जिसके अनुरूप शहर का व्यवस्थित एवं सुनियोजित विकास हुआ। मास्टर प्लान के प्रवर्तन की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास १९६२ में तभी शुरू हो गया था, जब नगर सुधार न्यास ने ''एन आउटलाईन ऑफ डेवलपमेंट प्लान ऑफ इंदौर बनाकर ,म.प्र. शासन को स्वीकृति के लिए भेजा, जिस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई। सन् १९६९ में म.प्र. टाउन प्लानिंग अमेन्डमेंट एक्ट १९६८ के तहत 'इंटीरिम डेवलपमेंट प्लान' भेजा उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। सन् १९७२ में '' इंदौर नगरीय क्षेत्र का एक भूमि उपयोग मानचित्र प्रकाशित हुआ, परन्तु कुछ समय में ही

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ प्रभावशील होकर, १५ मार्च १९७४ को अधिसूचना जारी कर 'इंदौर प्लानिंग एरिया' की घोषणा हो गई थी। जिसमें निवेश क्षेत्रफल २१,४१० वर्ग कि.मी. अर्थात् (३९०७६ एकड़) था, तब नगर निगम का क्षेत्रफल मात्र ५५.८ वर्ग किमी. अर्थात् १३७९७ एकड़ ही था। इसका प्रवर्तन नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ की धारा १७ के तहत ,इंदौर विकास योजना, २१ मार्च १९७५ से २० मार्च १९९१ तक जनसंख्या १२.५० हजार के लिये अनुमानित थी। इस मास्टर प्लान को अमली रूप देने के लिए नोडल एजेन्सी का अभाव व धनाभाव रहा उससे इंदौर वासियों का जीवन दिन प्रतिदिन दुष्प्रभावित होता रहा । इसके बाद १३ साल इस मास्टर प्लान की अवधि तक बढाने की अधिसूचना तक राज्यशासन ने जारी नहीं की ,या आवशयक नहीं होने से जारी नहीं की गई संभवत: इसी कारण विकास संस्थाओं के बीच कोई परस्पर समन्वय निगरानी व नियंत्रण नहीं रहा ।

संचालनालय नगर व ग्राम निवेश म.प्र. एवं इसरो अहमदाबाद द्वारा ''इन्दौर विकास योजना २०११ (प्रारूप)''दिनांक २६ ज २००३ को प्रकाशित किया गया था ,जिसमें मेरे द्वारा दि. २६.०७.०३ को आपत्ति एंव सुझाव प्रस्तुत कर कलेक्टर कार्यालय में उसकी सुनवाई के समय दिनांक ३०.०९.०३ को पुन: स्थापत्यवेद के ज्ञान को समाहित करने के लिये इसमें कुछ प्रमुख बिन्दु प्रस्तुत किये गए थे। दिनांक ३० जुलाई २००३ को इन्दौर में सम्पन्न ,दक्षिण एशिया महापौर सम्मेलन के दौरान अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष डॉ. सतीश चन्द्र राय को मेरे द्वारा, स्थापत्यवेद के अनुसार ग्रामीण एवं नगरीय निकायों की अवधारणा से अवगत कराते हुए, पुन: ७४ वें सविंधान संशोधन के अर्न्तगत देश भर के नगरीय निकायों को सशक्त बनाने के साथ , स्थापत्यवेद की मान्यताओं से भी उन्हें अनिवार्य रूप से अवगत कराना जाना चाहिये,क्योंकि सर्वागीण विकास का आधार स्थापत्यवेद है ,यह बताया गया ,जिसके बारे में नईदुनिया इन्दौर ने ,३१ जुलाई २००३ [१] को समाचार प्रकाशित किया था। इस ज्ञान को सिविल इन्जीनियरिंग के पाठ्यक्रम में समाहित करने का एक विस्तृत प्रस्ताव [२] भी दिया गया था। इंदौर विकास योजना २०११ (प्रारूप) को वर्ष –२००४ में राज्य शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया था व अब उसे नये सिरे से नगर एवं ग्राम निवेश के अधिनियम की धारा १९ (२) दि. के तहत *मास्टर प्लान* की समीक्षा करने हेतु एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था ,जिसे माह नवम्बर ०४ तक[२] अपनी रिपोर्ट देनी थी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग व राज्य शासन इसे जन सहयोग लेकर इसे तैयार करवा रहे है। दिसम्बर – २००५ तक इसके बन जाने की पूरी सम्भावना है। इन सभी संदर्भो को एकत्रित कर इंदौर के विचाराधीन सिटिजन्स मास्टर प्लान २००५ का स्थापत्य वेद से नियोजन का प्रयास इस शोध ग्रंथ में किया गया है ।स्थापत्यवेद (वास्तु) क्या है ? इसकी मान्यताऐं क्या हैं ? यह प्रमाणिक है या नही,अगर है तो उसका आधार क्या है ? इन सभी प्रश्नों को समाहित कर उनके प्रमाणिक उत्तर आगे प्रस्तुत है।

समस्त ज्ञान, शाश्वत ज्ञान और पूर्ण ज्ञान का स्त्रोत वेद है। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। वेदों को अपौरूपेय कहा गया है, अर्थात वेदों को किसी व्यक्ति को नहीं रचा है, बल्कि इन्हें हमारे ऋषियों ने अपनी चेतना व साधना के द्वारा देखा है, इसी कारण 'वेद' अक्षुष्ण एवं इनका ज्ञान शाश्वत है, इस शाश्वत ज्ञान को समस्त संसार मे कही भी देखा जा सकता है, आज हर तथ्य प्रयोगशाला मे प्रयोग करके सिद्ध किया जाता है, परन्तु वेदों की प्रयोगशाला समस्त संसार है, इन्हें कहीं भी प्रयोग करके देखा जा सकता है। वैदिक ज्ञान, वैदिक सूत्र, वैदिक नियम वे शाश्वत चिरन्तत सत्य है, जो जीवन के हर क्षेत्र में समान रूप से फलित होते है, यह ज्ञान हमें वैदिक वाङ्गमय पुराणों व अन्य प्राचीन ग्रंथों से मिलता है।

''ज्ञान का आभास मनुष्य को तथा संस्कार का आभाव मानवता को नष्ट करता है'' जो वर्तमान में स्थापत्य के ज्ञान के आभाव में समाज में दृष्टिगोचर हो रहा है।

<u>स्थापत्यवेद की परिभाषा एवं उसकी व्यापकता</u> – स्थापत्यवेद चार वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद है ।अथर्ववेद का उपवेद 'स्थापत्यवेद' है। ''तिष्ठति इति स्था: तेषान् पति: इति स्थपति ।'' याने जो बैठता है, त्रिआयामी है वह स्थापत्य वेद का क्षेत्र है। अव्यक्त को व्यक्त कर उसमें चेतना की स्थापना कर देने का नाम स्थापत्य वेद है। वैदिक वांङ्गमय के अनुसार उक्त क्षेत्र स्थापत्य के नाम से जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में जगह – जगह स्थापत्य व वास्तु के बारे में उल्लेख मिलता है। जिसमें धार के राजा भोज द्वारा रचित 11 वीं सदी का ग्रंथ ''समरांङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश)'' एवं श्री प्रसन्न कुमार आचार्य द्वारा अनुवादित ग्रंथ ''मानसार'' में 'वास्तु

१ समाचार पत्र कतरन/१,पत्रादि / ०५

विषयक विशेष उल्लेख मिलता है। वैसे मत्स्यपुराण, मयमत आदि अनेकों ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है।

स्थापत्य वेद एक विशुद्ध विज्ञान है। प्राचीन काल में इसे 'स्थापत्य वेद' के नाम से पुकारा जाता था। स्थापत्य वेद सिर्फ वास्तु विनियोजन ही नहीं, समस्त भू-मंडल ही नहीं वरन् समस्त विश्व ब्रह्माण्ड को लेकर चलता है। इस सौर मंडल में 'पृथ्वी' एक लघु इकाई है। ब्रह्माण्ड में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश-गंगा एक दूसरे पर प्रभाव डालते है, जिसका समस्त जीव जंतु प्राणी मात्र पर भी प्रभाव होता ही है। इस विद्या में सामुद्रिक विद्या, ज्योतिष विद्या, भूगर्भ विद्या, दकार्गल विद्या, वास्तु विद्या, शिल्पकला, चित्रकला, वनस्पति विज्ञान, प्राणिशास्त्र, प्रतिमा विज्ञान, शरीर विज्ञान आदि का समावेश है। जो ''सर्वशास्त्र'' क्रिया पटुः के सिद्धान्त पर पूर्ण ज्ञान देती है न कि पश्चिमी सिद्धांत पर अधूरा ज्ञान। वेद हमारी आत्मा में विहित है, वेद हमारे शरीर में है, वेद की ही हम अभिव्यक्ति है। वेद ऋषि, देवता, छंद की संहिता है।'ऋषि' याने देखने या जानने वाला ,'देवता' याने जानने की क्रिया अर्थात् माध्यम व 'छंद 'का अर्थ है जाना गया लक्ष्य या तथ्य। भारतीय संस्कृति का मूलाधार देव तत्व है। उसी देव तत्व में देव और असुर, आर्य और अनार्य आदि प्राचीन जातियों के भी संकेत है ''इस देश का कोई भी कार्य बिना देवकल्पना'' के प्रारम्भ नहीं किया गया। यहाँ का कोई भी शास्त्र व कला बिना ''देवी भावना'' के भोग्या नहीं बनी। यही भारतीय स्थापत्य की विशेषता है। यहाँ का भवन-कर्म सनातन से धार्मिक कृत्य अथवा यज्ञ के रूप में परिकल्पित किया गया।अतएव वास्तु कृत्य धार्मिक कत्य, के रूप में सदा ही प्रतिष्ठित रहा। दुर्भाग्यवश वास्तुकला का यह धार्मिक पक्ष आजकल एक मात्र पाखंड रूप में रह गया है और दार्शनिक व वैज्ञानिक पक्ष का लोप सा हो गया है।

वैदिक वाङ्मय आत्म चेतना के स्पंदन है। वैदिक वाङ्मय के प्रत्येक स्पंदन आत्मा का स्पंदन है ,चेतना का स्पंदन है ,आत्मा की अभिव्क्ति है।अव्यक्त,आम्मा का व्यक्त रूप है। वैदिक वाङ्मय के चालीस चैतन्य स्पंदनों मे स्थापत्यवेद एक है।स्थापत्यवेद स्पंदनों से शरीर के जिस भाग की रचना हुई है,उसे अंग्रजी में एनाटामी (Anatomy) कहतें हैं।

भवन निर्माण और शिल्प विज्ञान का नाम वारूतुकला या स्थापत्य है।वास्तुशास्त्र हमारी विरासत का पविष्ठित वृत्त चित्र है जो कि अथार्व वेद के प्रायोगिक पक्षो का अवलोकन कराता है। स्थापत्यवेद स्थापना का ज्ञान विज्ञान है,जो प्रकृति के नियमों में निहित सीपना के गंणो के अनुसार अनुशासन करता है। मनुष्यके जीवन को अनेक कारणा अथवा साधन प्रभावित करते हैं परन्तु वास्तु मीठे वातावरणा को और अधिक मीठा (अनुकूल)बना सकता है तथा कड़वे (नकारात्मकता) की कड़वाहट को कम कर सकता है।यदि मकानो का ,नगरों का ग्रामों का निमाणा स्थापत्य वेद के अनुसार नही हुआ हैतो वास्मु कुपित रहेगा और जो वहां रहते है,उनकी बुद्धि में एक ऐसा आवरणा रहेगा जो उन्हें सफलता नहीं देगा।यह अत्यंत आवश्यक है किभवन निर्माण कक शिल्पकार तथा स्थपति को साथ मिलकर कार्य करना चाहीये क्योंकि एक शिल्पी भवन की रचना तो कर सकता है,परन्तु उसमे रहने वालो को सुखद जीवन नहीं दे सकता ,पर स्थपति उनको शान्ति ,संपन्नता तथा प्रगति प्राप्त करवा सकता है।

स्थापत्यवेद को उसका वास्तविक स्तर महर्षि स्थापत्यवेद प्रदान करता है।

गृह निर्माण में आजकल भी 'शिलान्यास' किया जाता है, शिलान्यास का उत्सव मनाया जाता है। धार्मिक भारतीय आज भी अपने मकान के निर्माण का प्रारंभ करने से पूर्व पण्डित अथवा ज्योतिषी के पास जाते है। मुहुर्त पूछते है और शास्त्रानुकूल नानाविधान प्रयोग भी करते हैं, परन्तु इनका क्या अर्थ है, क्या फलाफल है। इन सब विषयों का ज्ञान का सर्वथा लोप सा हो गया है।

हमारे देश में भवन निर्माण कला अथवा स्थापत्य वेद कहे या वास्तुशास्त्र कहे अत्यन्त प्राचीन भी है। वास्तुशास्त्र में निर्माण के वे शाश्वत नियम है, जो व्यक्ति तथा समदिष्ट दोनों पर आधारित है।कहा है,

गृहस्थस्य क्रिया: सर्वान सिध्यन्ति गृहं बिना।
यतस्तस्माद् गृहारम्भ प्रवेश समर्या बुब ॥
परगेह कृता: सर्वा श्रीतस्मार्त क्रिया: शुभा।
निष्फला: स्युर्यतस्ता सां भूमीश: फलमुश्नुत ॥[१]

उपयुक्त श्लोक से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गृहस्थ को अपना घर अवश्य बनवाना चाहिये क्योंकि

यदि वह किसी दूसरे के घर में रहता है तो वह जो भी वैदिक यज्ञ, अनुष्ठान आदि पुण्य कर्म करता है या फिर इस लोक का लौकिक कर्म–दान, पुण्य आदि उस घर से करता है तो उन सब का फल उसकी अपेक्षा गृहस्वामी, जिसके घर से यह सब कार्य किया गया, को अधिक मिलता है तथा करने वाले को थोड़ा ही। अत: प्रत्येक गृहस्थ पुरूषार्थी व्यक्ति को स्वयं का ग्रहस्थ निर्माण वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार आवश्यक रूप से करवाना चाहिए।

वैसे तो मकान सभी बनाते है और बिना विचार किये ही उसका निवेश कर बैठते है। भवन का दिक् सामुख्य, किस देव पद पर कौन सा भवनाङ्ग निवेश हैं और कौन से देव–पद वर्ज्य है। यह ज्ञान और विज्ञानतभी सम्पन्न हो सकता है, जब हम भारतीय स्थापत्य के प्रमुख अंग एवं प्रथम अंग वास्तुपद विन्यास या वास्तु पुरूष मंडल के मर्म को पूरी तरह समझ लें। भारत की सबसे बड़ी विभूति यह है कि ऋषियों के ''स्थापत्य में भी निराकार ब्रह्म को साकार रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है।

''स्थापत्य वेद सनातन से चली आ रही एक अपौरूषेय एवं अटल सत्ता है। जिसका हम सनातन से अध्ययन करते और उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान करते आये है व करते रहेगे। स्थापत्य वेद, जब से सृष्टि बनी तभी से विद्यमान है जैसा कि धर्मशास्त्रों व शोध किये जा रहे ग्रंथ समराङ्गण सूत्रधार भवन निवेश में लिखा है कि ''अतीत में भूमि जलते गोले के समान थी, समवर्तक व आवर्तक मेघों ने घनघोर वृष्टि की। इसलिये कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व जल ही जल था। इसके बाद ''नारायण विष्णु'' ने इस चर–अचर सम्पूर्ण जगत ब्रह्माण्ड को अपने उदर में रख कर इस सघन 'जल राशि' में शयन कर लिया। विष्णुजी का यह ''क्षीराब्धी शयन सृष्टि'' का गर्भकाल निरूपित करना प्रासंगिक होगा। इनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से सुरेश्वर ब्रह्माजी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा ने 'कारक रूप' सर्वप्रथम 'महान' की रचना की जिसमें तीन प्रकार के अंहकार की सृष्टि हुई (सत, रज व तम) इन तन्मात्राओं से अपने – अपने गुणों से युक्त पंचमहाभूतों (भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश) का अर्विभाव हुआ। पृथ्वी (भूमि) के नीचे जल, जल के नीचे अग्नि, अग्नि के नीचे वायु, वायु के नीचे आकाश की स्थिति फिर सुरों व असुरों की मन से उत्पत्ति, ऑखों से सूर्य व चंद्र, गात्रों से नक्षत्र चक्र, पंचइंद्रियों से ''तारा'' गृह पंचक, केशों से मेघ, इच्छा से वायु को जन्म दिया तब वायु ने अपने प्रचंड प्रभंजन समीकरण से जल को उड़ाया। सूर्य व समुद्र के नीचे, अनन्त शेषनाग भगवान विष्णुजी की शैया बनकर पृथ्वी को अपने ऊपर धारित किये हैं, सूर्य द्वारा जल को सुखाने से सागर, पर्वत, झरने, नदियाँ, द्वीप आदि सृष्टि का निर्माण हुआ। तत्पश्चात् ब्रह्माजी ने मनुजों के अपने - अपने कर्मफल को भोगने हेतु पृथ्वी के नीचे रोरव आदि नरकों का स्थान बनाया, तत्पश्चात् ब्रह्माजी ने जरायुज (भूमि से उत्पन्न), अण्डज (अण्डों से उत्पन्न) व स्वेदज (पसीने से उत्पन्न) व उद्भिज्ज (पृथ्वी से उत्पन्न) चार विभागों से इस चराचर भूत ग्राम की चार प्रकार से सृष्टि की जिसे 'गायत्री' की संज्ञा देकर, इसको जानने वाले को स्वर्ग का भागी बनाया। अत: गायत्री उपासना से बढ़कर सृष्टि की स्तुति का कोई और महामंत्र नहीं है।

विश्व के 'प्रथम भवन' की रचना के बारे में पुराणों में सहदेवाधिकार नामक एक व्याख्यान है, जिसमे आधुनिक 'विकास सिंद्धातों' के प्रतिकूल यह कहा गया है कि पहले मानव व देव एक साथ रहते थे। देवों के समान मानवों की पूर्णश्लोकता, पवित्र कीर्ती थी। अजरता व अमरता थी, परन्तु कालान्तर में मानवों में देवों के प्रति 'अनादर' आभिरभूत हुई। इसके फलस्वरूप मानवों की वह पवित्र कीर्ती चली गयी। 'कल्पवृक्षों' के नीचे उनके आहार–विहार, क्रीड़ा, आमोद–प्रमोद आदि स्वत: समाप्त हो गये और वे मानव क्षुघा व तृष्णा से व्याकुल होकर व्याधियों से पीड़ित होकर शल्यादि (धान) आहार करने लगे, जिससे इनसे मल प्रवृत्ति हो गई और उससे उनकी प्रकृति 'राजस' हो गई एवं आधी (मन) व व्याधी (शरीर) के कष्टों के वशीभूत होने लगे उनमें 'द्वन्द्व' का प्रादुर्भाव हो गया। यह पुराना साम्यवाद समाप्त हुआ व व्यक्तिवाद ने अपना अड्डा बनाया, जो आज भी विश्व के साथ 'भारत को खाये जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैथुन आदि अभिगुप्ती (रक्षा) के लिये एवं शीत आदि बचने के लिये उन्हें घर आदि की आवश्यकता हुई एवं उन्होंने कल्पवृक्ष के आकार में सालगृहों अर्थात् शाखाओं के द्वार गृहों की सर्वप्रथम रचना की। भूतल पर प्रथम भवन की 'जन्मकथा' के अत्यन्त सूक्षम संकेत है।

सृष्टि निर्माण की उक्त कथा में आगे भारतीय स्थापत्य परम्परा में दो बड़े प्रख्यात स्थपति मिलते है जिनमें प्रथम ''विश्वकर्माजी'' ने देवों की सृष्टि में इंद्र की राजधानी–अमरावती आदि की रचना की व महाभारत के दूसरे 'मय–दानव' नाम एक महान् स्थपति के वास्तुकौशल की बड़ी प्रशंसा हमें प्रमाण रूप में मिलती है, जिसने महाभारत काल में 'खांडवप्रस्थ' की रचना की। इसी प्रकार अन्य ना – ना प्रकार के आख्यानों, उपाख्यानों, कथा, प्रसंगों अठारह पुराणों आदि में भी सृष्टि निर्माण की कथा मिलती है। पुराणों में दशावतारों का वर्णन है, जैसे

मत्स्य, भूमि, वराह, नृसिंह आदि। इन अवतारों का जो वर्णन पाया जाता है एक ही विष्णुजी के इन 'दशावतारों' के पीछे वैज्ञानिक तथ्य यह है कि विभिन्न रूपों में अस्त्र, शस्त्र, वाहन, आयुध,परिधान द्वारा उनके गुण, धर्म, प्रकृति व्यवहार की संज्ञाये ही अभिव्यंजन है। जैसे – विष्णु जीवन के देवता है उनका वाहन गुरूड़ है, गुरूड़ का वाहन सर्प, सर्प मृत्युकारक, सुदर्शनचक्र 'गतिज ऊर्जा' का व शंखनाद ब्रह्म व गदा (सङ्गन्ल्छन्सीङ्य न्छल्ङ्श्रए) 'पद्म' जीवन के विकास का द्योतक, यह बीज मंत्र है, इसमें छिपी वैज्ञानिकता को जानने हेतु यह संकेत मात्र है। प्रकृति – पुरूष कहे या 'शिव–शक्ति'। शिव के अर्द्धनारीश्वर रूप में शिव–पुरूष है व शक्ति प्रकृति, याने पार्वतीजी 'क्रिया शक्ति' की द्योतक है। एक प्रकार से विश्व विकास की एक कहानी है, जो स्थापत्यवेद का ही अंग है। अत: स्थापत्यवेद का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। कथित वास्तु शास्त्रियों द्वारा ईशान में पूजा व अग्नि में महानस (रसोई घर) व दस दिशाओं के आधार पर वास्तु का 'सामान्यीकरण' कर देना उचित नहीं है।

अथर्वेवेद के उपदेव स्थापत्यवेद की इस विद्या में सामुद्रिक विद्या, ज्योतिष, आयुर्वेद, भू–गर्भ, दर्कागल, वास्तु शिल्पकला, चित्रकला, पच्चीकारी, वनस्पति विज्ञान प्रणाली, व प्रतिमा विज्ञान आदि का समावेश है। Àñ₿₿€ ¥₵" सहस्त्र विमान शास्त्र" जैसे ग्रंथो के अलावा भारद्वाज ऋषि कृत " अंधुबोधिन "के २८ वें प्रकरण वैमानिक प्रकरण के यहाँ उद्धघृत किये जा रहे अंश उसी का प्रमाण है।

हशक्त्युदमों भूतवाद्ये द्युमयान: ष्यियोदगम: अयुवाहस्ता रामुखों
मणिवाद्ये मरूत्जख: इत्यष्टकाधिने वनोस्युतकानी .... शास्त्रत

अर्थात् आठ प्रकार के चलने वालें विमान आकाश मे चलतें थे।

१. शक्तयुदमों अर्थात् विद्युत से चलने वाले।
२. भूतवाद्ये अर्थात् जो अग्नि, वायु , जल आदि ईंधनों से चलने वाले।
३. द्युमयान अर्थात् भाप से चलने वाले।
४. ष्यिखोदगम: अर्थात् पंचशील तेल से चलने वाले।
५. आयुवाह अर्थात् तारामुखी या जो विभिन्न ताराओं में जाया करते थे व सुर्य की किरणों से संचालित होने वाले।
६. उस्कारज अर्थात् चुम्बक की शक्ति से चलने वाले।
७. मणिवाद्ये याने मणियों की शक्ति से चलने वाले, तथा
८. मरूत्जखं याने जो केवल वायु की शक्ति से चलते थे।

इन आठ प्रकरण में विमान को किस गति से उपर ले जाना चाहिये, आकाश के अवरोधक भारी बादल, बिजली उष्मा आदि से किस प्रकार इनके किन अंगों की इनसें कैसे रक्षा करना चाहिए। इन सबके साथ यह भी बताया गया है कि किसी भी ग्रह में उतरनें से पूवृ उसकी कितनी परिक्रमा की जायें फिर अमुख सावधानी बरतर जाये व किस ऊँचाई पर क्या खाना चाहिये। समरांङ्गण सूद्धधार के तृतीस भाग यन्त्र व चित्र में राजा भोजदेव ने बताया है कि यन्त्र (पंच) भूत स्वेच्छा से अपने मार्ग पर प्रवृत्त हैउन्हे नियंत्रित कर इसमें नियन्त्रितकर इसमें ले जातें हैं,यह यन्त्र कहलाता हैं इसमें यन्त्रों के बीज बताये गये हैं,यन्त्रों की निर्माण विधी नहीं।यह सब पढनें से लगता है कि आज जो जर्मनी, अमेरीका ओर रूसी वैज्ञानिक नई नई तकनिक उन्नत कर रहें हैं ,उन सबका आधार हमारें यहाँ से ले जाया गया वह अर्थर्ववेद ही है, विगज वर्षों में मंगल ग्रह पर उपग्रह ने पहुँचकर जो चित्र भिजे व जो पाया वह हमारे ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित जानकारी को हूबहू प्रमाणित करता है और इसे दुनिया मान रही है। हम अगर यह मान लें की पहले वैज्ञानिक उन्नति नहीं थी, जो ऋषि–मुनियों ने कैसे जाना कि मंगल ग्रह पर लाल मिट्टी व चट्टानें हैं। अगर द्दष्टा का यह ज्ञान, ध्यान व सिद्धि के आधार पर था, तो क्या यह भी कम था ? विमान ही नहीं वरन् ब्रम्हाण्ड विज्ञान की जानकारियाँ हमारे ग्रंथो में हैं जैसे प्रकाश की गति की जानकारी के बारें में सर्वप्रथम १६७५ में रोमी ने की इसके बाद १९२५ में माईकलजन ने गणितीय सूत्रों के आधार पर प्रकाश की गति का १,८६,८६४ मील प्रति सेकण्ड का सूत्र निकाला। यह जानकारी बहुत हाल ही की है। वहीं दूसरी ओर जब हम भारतीय शास्त्र ग्रंथों का अवलोकन करते हुये जब हम मुनि आत्रेय की भागवत् पढते हैं तो उसमें प्रकाश की गति का मान निकालने वाली इकाईयाँ मिलती हैं। उनमें प्रकाश की गति १,८७,६७० मील प्रति सेकण्ड मिलती है जो दोनों मे बहुत कम अंतर दर्शाती हैं, हो सकता है आधुनिक वैज्ञानिक भी गणना में गलती कर रहे हों। अत: अथर्ववेद पर शोध कर व्यवहार में उतारना श्रेयस्कर होगा व अर्थर्ववेद में वर्णित समस्त ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़कर पाठ्यक्रम बनायें

जाना उचित होगा।जनसाधारण की आर्थिक बदहाली, धन का दुरूपयोग, बिजली, सड़क, पानी जैसी मूल समस्याओं को प्रत्यक्ष देखकर प्राप्त अनुभवों को शोध प्रबंध में समाहित किया गया है।

आयुर्वेद :

आयु का वेद ही आयुर्वेद है। जो हमें स्वस्थ स्व में याने अपने मे स्थित रहने की पूर्ण विद्या देता है। पार्क डेविस कम्पनी की पाँच पीढियों ने न केवल चिकित्सा शास्त्र पर क्रमबद्ध अनुसंधान किये है बल्कि उसने भारतीय चिकित्सा पद्धति को आधुनिकतम बताते हुये लिखा है कि यहाँ शल्य चिकित्सा (सर्जरी) तक का अच्छा ज्ञान था। सुश्रुत को देश का महान सर्जन मानकर उनका कल्पना चित्र बनाकर इस कम्पनी ने प्रसारित भी किया था। उन्होंने आचार्य सुश्रुत को न केवल एक महान चिकित्सक (डॉक्टर) माना वरन् यह भी स्वीकार किया कि उनकी औषधियों और चिकित्सा पद्धति ने सारें विश्व को प्रभावित किया है। यह सुश्रुत ही हैं जिन्होंने सर्वप्रथम शरीर में ९०० ग्रंथियाँ, ७०० रक्त वाहिनियाँ, ५०० माँस पेशियाँ व ३०० हड्डियाँ व ३०० लिम्फग्रंथियाँ होना बताया जो आधुनिक चिकित्सा जगत में पूर्ण रूप से खोजी भी नहीं जा सकी थी, उनका ज्ञान सुश्रुत को था। उन्होने रस – कल्पना अर्थात रस स्त्रवित करेन वाली नाम दिया। सुश्रुत संहिता में १०१ औजारों, प्रमुख अस्त्रों का भी वर्णन है। और उन औषधियों आदि का भी वर्णन है जो किसी अंग को सुन्न करने व ऑपरेशन के बाद एन्टीसेप्टिक के रूप में दी जाने हेतु प्रयुक्त होती थी। ऐसे हीं वृक्षों, वृणों (बीमारियों) के उनचार हेतु वनोषधियों के पेस्ट का वर्णन भी मिलता है।पहलें चिकित्सा में चुम्बक का प्रयोग होता था जो ओत मेग्रेटिक रेजोनेन्स या लिथीटिक्सी में प्रयुक्त होता है।

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विश्व की मात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे प्रत्येक रोग का उपचार ही नहीं वरन् कैंसर व मधुमेह जैसे रोगों का समूल निदान भी संभव है। आयुर्वेद के सिद्धांत से वात, पित्त, कफ व भिन्न - भिन्न प्रकृति वाले जातकों हेतु भवनाङ्ग व वास्तु स्थल भी स्वत: अलग – अलग होंगे। शहरादि के नियोजन में पंच महाभूतों की प्रवृति के अनुसार ही संबंधित प्रयोजनों का स्थान तदानुरूप निश्चित होगा। जो प्रकृति से सामान्जस्य स्थापित कर हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा, इसलिए स्थपति को, आयुर्वेद के सिंद्धातों का ज्ञान होना आवश्यक है, जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थय कर रक्षा करने का सिद्धांत बताता है।

आयुर्वेद में औषधिय गुणों से युक्त कई ऐसी चमत्कारित ग्रामीण वनस्पतियाँ भी हैं जो कहीं भी खेत, खलिहान, बगीचों में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है जैसे – इन्दौर के निकट मांडव में ही औषधिय गुणो वाली सेकड़ों वनस्पतियाँ मांडव के उं चाई पर बसे होने का कारण प्राप्त हो सकती हैं ।मांडव के जंगल में वर्षाकाल में कई महत्वपूर्ण जड़ी - बूटियाँ फलती फूलती हैं जिनकी जानकारी आदिवासियों को है। वहाँ के जंगलों में प्रमुख रूप से सालम पाक, सफेद मूसली, हाथी पग्गा, ताल मरवाना, गवलन के बीज, पत्थर चट्टी, भू– कद्दू, सानापाली, काली मेंहदी, मारस की जड़ आदि प्रमुख है। जो औषधियों गुण लियें हूए है जैसे हाथि पग्गा कमर तथा जोड़ों के दर्द की दवा, गवलन के बीज पेट दर्द की अचूक दवा है। धावड़े के गोंद को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मोरस की जड़ से खाँसी का इलाज किया जाता है।मधुकीर्ण दूधि जो हर जगह उपलब्ध है, किसी भी प्रकार के ज्वर को जड़ मूल से नष्ट कर देती है। इसी प्रकार त्रिफला (हड़, बहेड़ा आँवला), तुलसी, काली मिर्च, लोंग, सौंफ, जीरा, अजवाईन, पीपल, अदरक, हींग, लहसुन, मुलेठी, सोंठ जायफल, नींबू आदि वह रामबाण औषधियाँ हैं। जो ऐलोपेथी चिकित्सा में किये जा रहें करोड़ो रूपयों का कम कर सकता है। हम अपने निवेश क्षेत्र को इस तरह विकसित करें की हमारी इस व, बौद्धिक सम्पदा का सम्पूर्ण दोहन कर अपने क्षेत्र को उसी की आय से विकसित करें, एक आय. एस.अधिकारीके अनुसार झाबुआ व मांडव क्षेत्र में कई विदेशी लोग भोले–भोले ग्रामीणों से कोड़ी के मोल उन्हें तुड़वाकर उपयोग करके करोड़ो रूपया कमा रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियों की ऐन्टीबायोटिक दवाओं में हल्दी जैसे गुणकारी तत्वों के को प्रचारित कर करोड़ो डालॅर अर्जित कर रहें है। चाहे वनस्पति से प्रेट्रोल बनाना हो या नीम से मच्छरों का सर्वनाश, या ध्यान, धारणा, सिद्धी योग इन पर प्रयोग कर अब तो वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि इन सभी में औषधिय गुण मौजूद है।

अत: मेरी राय में ऐलोपैथी चिकित्सा सहित समस्त अन्य कथित वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की अच्छाईयों व रोग परीक्षण की आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अगर समस्त चिकित्सा समाज अपनी अपनी डिग्री द्वारा प्राप्त की गई विद्याओं को सदुपयोग करके एंव अहम् भावना को परे रखकर शोध करें व समाज को एक स्वस्थ समाज में परिवर्तित करने का सस्ते से सस्ता यह रास्ता अपनाऐं। इसके लिए चाहें तो निति निर्धारक शिक्षा प्रणाली में इसका समावेश करें। निश्चित रूप से जन सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है और वह मिला भी है, अगर वाकई समाज को कुछ अच्छा दे रहें हैं तो। अरबों रूपयों का कर्ज "विश्व गुरू भारत" पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात

यहाँ की बौद्धिक कृषि, वन एंव सबसे प्रमुख मानव श्रम व मेधा का सही उपयोग नहीं होने के कारण बढता ही जा रहा है। कम्प्यूटर के क्षेत्र में विदेशों में भी ४० प्रतिशत से अधिक भारतीयों ने ही अपना परचम फहराया है जो ज्ञान उन्हें यहाँ सें सरकार के करोड़ों रूपये खर्च करने के बाद मिला उसे उन्होंने, वहाँ अधोसंरचना की कमी व अर्थ प्राप्ति हेतु उपयोग किया। आवश्यकता है देश से "प्रतिभा पलायने"को रोकने की। भारत में आयुर्वेद व अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की सबसे अधिक दुर्दशा स्वयं सरकार ने की है। सरकार द्वारा चिकित्सा बजट का कुल १.२७ प्रतिशत आयुर्वेद आदि चिकित्सा के लियें व शेष ऐलोपैथी के लिए प्रावधान वर्षो से होता रहा है, दूसरी ओर स्वंय बी. ए. एम. एस. चिकित्सा स्ंवय का भरण पोषण, ऐलोपैथी चिकित्सा अपना कर कर रहें हैं। पूरे देश में गिने हुए एम. डी. आयुर्वेद मिलेंगे। पिछलें वर्षो से निंरतर आयुर्वेद का चलन व उसके प्रति आस्था बढती जा रही है। अत: आयुर्वेद भी स्थापत्यवेद का प्रमुख अंग है।

सामवेद :

इसमें संगीत का ज्ञान मानव मन को मंत्र मुग्ध कर उसे आल्हादित करता है।ध्वनि की विभिन्न आवृत्तियों का प्रभाव भवनों के आकार आदि के अनुरूप प्रत्येक पर अलग अलग होता है। इसलिये स्थापत्यवेए में नांद ब्रम्हा की अवधारणा से इसका अपना विशेष महत्व है।सामवेद के इस नांद ब्रह्म रुपी उर्जा का ही चमत्कार है, कि भारतीय संगीत विश्व में बहुत लोकप्रिय है, शास्त्रीय सिंगीत द्वारा सा रे गा मा टी. वी. एस. सहित अनेकों कार्यक्रम स्वर साम्राज्ञनी सुश्री लता मंगेश्कर जी एवं स्वर्गीय श्री मुकेश जी की आवाज का जादू भारत में ही नहीं विश्व में सभी पर अपने अमिट प्रभाव रखात है व रखता रहेगा, अगर नीती निर्माता अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में असमर्थ रहे तो भी। क्योंकी यह प्रकृति के नियमों पर आधारित है।

वैदिक परम्परा में राग मल्हार से मेंघों की दिशा परिवर्तित कर इच्छित स्थल पर पानी बरसाने की विधि का वर्णन मिलता है ,यह मिथ्यक् नहीं है। संगीत न सिर्फ मन को मुग्ध करता है, बल्कि कई असाध्य रोगों का उपचार भी इससे संभव है ऐसा वैज्ञानिकों ने भी माना है। वेद रूपी ज्ञान की कुंजी से ही विज्ञान का जन्म हुआ है। गन्धर्व वेद मे संगीत के नियमों द्वारा, आत्मा मे प्रवाह का अनुभव स्वत: होता है।

शास्त्र सिद्धांतो के बारे में बताता है व विज्ञान उसकी पुष्टी कराता है

किसी भूमि /भवन के आकार में प्रतिध्वनि के परावर्तन के सिद्धांतो का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि, क्यों भूमि / भवन आदि के केाने आड़े – तिरछे, कटे होने पर प्रकृति का सहयोग नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है, कि सिर्फ आयातकार या वर्गाकार भुखंड/भवन आदि के बारें में वर्णन मिलता है, वरन् त्रिकोण या वृत्त वास्तु पद विन्यास का विवरण स्थापत्यवेए में प्रयोजनानुरूप मिलता है। संसद भवन, विधान सभा भवन हो या ग्राम पंचायत भवन ,इनके आकार व प्रमाण का प्रभाव व परिणाम तो पड़ेगा ही, चाहे किसी की भी सरकार हो या कोई इसे माने या नहीं माने ,प्रकृति के नियमों का परिणाम समाज में द्दष्टिगोचर हो ही रहा हैं।

इस ध्वनि तंरगों में इतनी शक्ति होती है कि यह धनीभूत होकर एक पूल को भी नुकसान पहुँचा सकती है, यही कारण है कि पुल पर बैण्ड बजाकर निकलना कहीं – कहीं निषेध होता है। पहाड़ों से टकराकर आती प्रतिध्वनि उस स्थान विशेष की गतिज व ध्वनि उर्जा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। निर्गुण निराकार नांद ब्रम्हा रूपी इस उर्जा का सगुण साकार स्वरूप की कल्पना स्थापत्यवेद में अद्भुद है।

वर्तमान मे ध्वनि प्रदुषण, आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप टी. वी., रेडीयो आदि ध्वनि विस्तारक यंत्रो, वाहनों, औद्योगिकरण के शोर से अत्यधिक रूप से बढ गया है। ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न इन आवृत्तियों से भवन/भुखंड पर पडने वाले प्रभावों को कम करने के लिये स्थापत्यवेद के सिंद्धातो पर शोध कर के उर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करके, उपाय खोजे जा सकते हैं।वर्तमान परिपेक्ष्य में भवनों आदि के रूपांकन में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये।

अगर यह सब सत्य है तो भवनादि में स्थापत्य के सिंद्धातों की स्वीकारने में व पालन करने में किसी कथित विकसित देश के प्रमाण पत्र या अनुकरण की बाट जोहने के बजाय सभी राजनैतिक,आथिर्क, धार्मिक, सामाजिक एंव स्वार्थो से उपर उठकर, विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति वैदिक संस्कृति केा अपनाने में हम क्यों देरी कर मानवता के प्रति अपराध कर रहें हैं । क्या सदी के परिवर्तन के साथ प्रकृति के सूखा सहित अन्य प्रकोपों से अब भी क्षिक्षा लेने

में, हम सोच रहे हैं ? ईश्वर नीति – निर्माताओं को सद्बुद्धि प्रदान कर धर्म (कर्तव्य) पर चलने का मार्ग दिखलाए एवं मानवता के प्रति अपराध करने से उन्हें बचाऐं, यही ईश्वर से प्रार्थता है।

ज्योतिष :

ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है जिसमें गणितीय सूत्रों के आधार पर सेकण्ड के १००वें हिस्से तक भी, सूर्योदय से कलेकर ग्रहण, भूकंप आदि का पूर्वानुमान लगाने की विद्या मिलती है। यह प्रत्यक्ष विज्ञान है जो समय के तीन आयाम याने सम्पूर्ण ब्रम्हाण्ड मे जो कुछ घटित हुआ है, हो रहा हैं व होगा बताया है। तो प्रशन यह उठता है कि यह सब जानकारी हमारें ऋषि – मुनियों ने कहाँ से प्राप्त की। निश्चित तौर पर द्रष्टा के इस ज्ञान को प्रमाणिकता प्रदान करने हेतु प्रायोगिक पक्ष पर शोध –कार्य हुऐ ही होंगे। अन्यथा हमें आज भी मंगल ग्रह पर वैज्ञानिक युग में सही प्रमाण कैसे मिलते । ज्योतिष विद्या के द्वारा कतिपय ज्योतिषाचार्यो द्वार ा गलत फलित आदि तो, अन्य विषयों की तरह पूर्ण ज्ञान के अभाव में स्वाभाविक है । जैसे – आर्कमिडिज के सिद्धांत में भी अब संशोधन सामने आये हैं। ज्योतिष शास्त्र में आकाश स्थितग्रह, नक्षत्र आदि की गति व परिणाम, दूरी आदि का निश्चय किया जाता है। सूर्य को केन्द्र मानक ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति देखते हुए चराचर पर उन ग्रह के प्रभाव के स्वरूप और उसकी गहनता को बताने वाली इस विद्या में सूर्य केा आत्मा व चन्द्रमा को मन का प्रतीक माना गया है। सूर्य और पृथवी के संबंधों का ही परिणाम है ऋतु चक्र और यह ऋतु चक्र की स्थिति में प्रमुख कारण है यदि यह परिवर्तन न हो, तो पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जायें। ऐसा ही चंन्द्रमा के पृथ्वी के पास आने पर समुद्र में उठने वाला ज्वार आदि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ।

वेद के मूल सिंद्धात *यतपिंडे तत्ब्रह्माण्डे से* समूचा ब्रह्मान्ड सम्पूर्ण शरीर है और इसमें जो कुछ भी घट रहा है वहीं अणु में घट रहा है, वह सापेक्षिक रूप से वयष्टि और समष्टि में भी घटित हो रहा है। जो मानव ने जान लिया है वह बहुत सुक्ष्म हैं, ब्लेक होल आदि ऐसे तथ्य है जिसकी जानकारी अभी ज्ञात होना शेष है। नये–नये ग्रहों आदि का पता शनै: शनै: लग रहा है।वेद के निर्मल चक्षु रूप ज्योतिष शास्त्र के तीन रूप है –सिंद्धात,संहिता और होरा। जिस भाग से ग्रहों की गति, उदय, अस्त, ग्रहण आदि का पता चलता है उसें सिंद्धात कहते हैं। जिस भाग से ग्रहों फल, उल्कापात संक्रांति, सृष्टि महार्घ – समर्थ (तेजी– मंदी) आदि निर्मित विषयक बातों का ज्ञान हो सकें, वह संहिता कहलता है। तथा जिसभाग से ग्रहों की तात्कालिक स्थिति के द्वारा स्थानवशात, प्राणियों के सुख – दुख, लाभ – हानि एवं कब क्या होगा ? आदि इनका सही निर्णय हो सकें, वह होरा कहालाता है। ये तीनों भाग भी गणित एंव फलित में ही लीन हो चुके हैं इनमें से सिंद्धात एंव संहिता का *गणित* में तथा होरा का *फलित ज्योतिष* में समावेश है।

स्थापत्यवेद में सृषिट निर्माण प्रारंभ सहित भूमि चयन करने के लिये, जाने के मुहुर्त से लेकर भूमि परिक्षा, शिलान्यास विधि, कीलक सूत्रपात, नगर व ग्राम नियोजन, एक से आरह बारह तलों व शालाओं का विवरण, लाखों संज्ञाओं सहित, द्वारा गुण दोष, गृह द्रव्य प्रमाण, काष्ठ कला, चय विधि (जुड़ाई) , गृह दोष एंव उनका निरूपण, गृहशांति,बलि कर्म विधान सहित वास्तु पुरूष विकल्पन व वास्तु पद विन्यास मिलता है, इसमें व्यक्ति विशेष व प्रयोजन विशेष हेतु किस, देश– प्रदेश, शहर – गाँव में उस संरचना को कहाँ प्रतिष्ठित करें बताया गया है।

वास्तु पुरूष मंडल या पद विन्यास एक बड़ा ही वैज्ञानिक शास्त्र है जो दर्शन तथा विज्ञान को एक स्थान में लाकर प्रतिष्ठित कर पल्लवित करता है यही भारत की अनुपम विभूति है। हरेक वस्तु या वास्तु का निर्माण पंच महाभूतों (जल, अग्नि, वायु, भूमि,आकाश) द्वारा ही संभव है। इन पंच तत्वों का संचालन प्रकृति में एक अदृश्य शक्ति के द्वारा निर्बाध रूप से हो रहा है। जिसे हम देवता कहते है, जो दिव याने प्रकाश जो उर्जा का एक प्रकार हैं।

हम देखते है कि स्थापत्य वेद, मानव शरीर, मन व आत्मा को प्रभावित करने वाले बिन्दु तत्व का फिर चाहे वह पृथ्वी का चुम्बकीय प्रभाव हो या सौरमण्डल, समीपस्त वस्तुओं, वनस्पति, जल, या पशु–पक्षी का प्रभाव हो, सम्पूर्णता के साथ ज्ञान का एकीकृत संहिता रूप है। यह हमारी जीवन पद्धति को संयत करने व उसे स्वस्थ्य व आनंदमय बनाने का संबल व आवश्यक माध्यम है। अत: एक सिविल इंजीनियर होने के नाते में आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग के ज्ञान को स्थापत्यवेद के समकक्ष सिर्फ ३० प्रतिशत से अधिक नहीं मानता हूँ। हजारों वर्ष पूर्व प्राचीनकाल में बने मंदिरो, किलों, भवनों का विद्यमान होना, उस समय की कला कौशल में प्राचीन स्थापत्यवेद के विलक्षण प्रमाण मिलतें हैं जो वर्तमान सिविल इंजीनियरिंग की कथित उपलब्धि आर. सी. सी., पी. सी. सी.

सिमेन्ट निर्माण एंव आधुनिक भवन निर्माण सामग्री को चुनौती देते प्रतीत होते हैं। अगर हम आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग को लें तो, उसमें यह तो बताया जाता है कि भवन की संरचना कैसे बनाई जावे, परन्तु यह नहीं बताया जाता कहाँ और क्यों बनाना चाहिये व इसके बनने पर क्या परिणाम होंगे ? इसी प्रकार वर्तमान में किये जा रहे दिक् विन्यास जो उत्तरी ध्रुव के आधार पर निर्धारित किया जाता है, को लें तो देखेगें कि अधिकांश पुरानी व नई सड़के, भवनादि न तो उत्तर – दक्षिण है और न ही पूर्व – पश्चिम हैं, उत्तर को नक्शों पर अंकित कर कथित वास्तुविद् अपने कर्त्तव्य की इति श्री मान लेतें हैं। इन दिक्मूढ़ भूखण्डों , संरचाओं का प्रभाव नितान्त घातक हैं। इन सबका ज्ञान प्रकृति के साथ सामन्जस्य स्थापित करने एंव निर्माण की विधि महर्षि स्थापत्यवेद में बताई जाती है। हमारे पूर्वजों ने इन नियमों का सदा ध्यान रखा जिसके कारण भारतवासियों का जीवन सुखमय व आनंदमय रहा व उनमें सद्भाव, सहानुभूति व भातृभाव जाग्रत हुआ, धार्मिक आस्थाएँ उनमें प्रबल हुई। विगत वर्षो में पाशचात्य के प्रभाव से हमारा जीवन कुंठित हो गया और इसी कारण सामाजिक मूल्यों का ह्रास हुआ।

प्राचीन, अर्वाचीन और आधुनिक विचारधाराओं के मिश्रण से *विश्व – बंधुत्व* के भाव को बल मिला और पुन: प्राचीन संस्कृति का प्रार्दुभाव हुआ। स्वाभावतया स्थापत्यवेद (वास्तु शास्त्र) के महत्व को देश –विदेश में लोगों ने समझा व उसके वैज्ञानिक आधार को नि: संकोच स्वीकार भी किया। संभवतया आंध्रप्रदेश राज्य में वास्तु अनुरूप नक्षे ही स्वीकृत करने का कानून बनाये जाने सहित भारत में कई शीर्ष राजनीतिज्ञों, विद्धानें व बुद्धिजनों ने इसे अंगीकार करना प्रारम्भ किया है। अब प्रश्न उठता है इसे व्यवहार में कैसे लाया जाय ? तो किसी भी राष्ट्र का विकास उसकी शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली बुनियादि रूप से निष्क्रिय, मिथ्या व निस्तेज है एवं यह मस्तिष्क विमुख व सृजन विरोधी शिक्षा प्रणाली हमें कहाँ ले जायेगी ,विचारणीय है ?अब तक मानवता ने शिक्षा की उत्तम से उत्तम प्रणाली, जो विकसित की है, चाहे आधुनिक हो या पुरातन उसमें वैदिक वाङ्मय को समाविष्ट करना चाहिये।

जैसा कि जनवरी १९९८ में मानव संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन व तकनिकी संचालनालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी २१वीं सदी में तकनिकी शिक्षा (चुनौतियां व तकनिकी व्यूह संरचना) में आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्थापत्यवेद (वास्तु) के अनुरूप निर्माण विषय पर मेरे द्वारा अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर तकनिकी शिक्षा में वैदिक ज्ञान का समावेश करने हेतु योजनागत सत्र में प्रस्ताव पंजीकृत कराया गया है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि इन्दौर की एक संस्था पर्यावरण संरक्षण अन्वेषण एंव विकास केन्द्र (सीईपीआरडी) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर मे जनहित याचिका क्र. ११५७/९८ प्रस्तुत की थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने इन्दौर विकास योजना २०११ (प्रारूप) एंव उसका ही अंग पीथमपुर, माँगल्या व सिमरोल उपनगर की विकास योजना पर स्थगन दिया है, जिससे दोंनो योजनायें विचाराधीन हैं।

एक कार्यरत सिविल इंजीनियर के रूप में विगत २० वर्षो से इन्दौर में निवासरत रहते हुए शहर की प्रतिदिन होती दुर्दशा, बेतरतीब अवैध निर्माण, शासकीय धन का दुरूपयोग, सड़कों की खस्ता हालत, बढता प्रदूषण, प्राचीन धरोहरों की उपेक्षा एंव गंभीर जल संकट के साथ नीचे गिरता भू – जल स्तर आदि भी वह कारण है जिसने राज्य में सर्वोच्च राजस्व देने वाले इन्दौर निवेश क्षेत्र का स्थापत्यवेद के सिद्धांतो से विश्लेषणात्मक अध्ययन करने को प्रेरित किया है। यह सत्य है कि किसी भी विकसित व बसे हुए क्षेत्र में परिर्वतन करना अत्यन्त ही कठिन व दुष्कर कार्य है एवं जो राजनैतिक इच्छा शक्ति, धन एंव जनता के सहयोग के बिना कतई संभव नहीं है। आवश्यकता है सिर्फ दृढ इच्छा शक्ति व संकल्प की।

अत: भारतीय सविंधान कि ७४ वें सशोंधन के अर्न्तगत देश भर में नगरीय निकायों को सशक्त बनाने के साथ स्थापत्यवेद की मान्यताओं से भी उन्हें अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाना चाहिए क्योंकि सर्वांगीण विकास का आधार स्थापत्यवेद है इसके अनुसार अधोसंरचना सहित भवन निर्माण के लिए विकास नियमों में संशोधन आवश्यक है। ताकि नगरीय व ग्रामीण निकायों के जन प्रतिनिध अपने अधिकारों और वित्तीय संसाधनों की सुद्दढता के साथ उनमें उसी अनुपात में आदर्श विकास की स्पष्ट सोच व जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके, इसी अवधाराणा को लेकर यह शोध प्रबंध प्रस्तुत है।

३. शोध का आधार:-

इस शोध प्रबंध में स्थापत्यवेद व नगर नियोजन के मूल ग्रंथों सहित ,अन्य आधार निम्नानुसार हैं :-

३.११ मूल वैदिक ग्रंथ व पुस्तकें:- समराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश), आर्किटेक्चर ऑफ मानसार, मयमत, वास्तु सौख्यम, मत्स्यपुराण, अग्निपुराण, विष्णुपुराण, विश्वकर्मा प्रकाश ,मनुष्यालय चंद्रिका, वृहत्संहिता व राजकमल पृकाशन की श्री भगवतीलाल राजपुरोहित द्वारा अनुवादित भोजदेव पुस्तक आदि तथा, गीता प्रेस गोरखपुर की भवन भास्कर व श्री निकेतन आनंद गौड़ द्वारा लिखित वैदिक वास्तु विद्या एवं रोग कारक वास्तु नामक पुस्तक ।

३.१२ लघु शोध प्रबंध:- इंदौर निवेश क्षेत्र का स्थापत्यवेद के सिद्धांत से विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर स्वयं द्वारा किया गया लघु शोध प्रबंध ,जो स्थापतयवेद आचार्य चतुर्थ प्रश्न-पत्र के अन्तर्गत वर्ष-२००० में किया गया था।

३.१३ सर्वेक्षण का आधार:-संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश तथा अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अहमदाबाद के द्वारा तैयार की गई इंदौर विकास योजना- २०११ (प्रारूप) जिसे जून २००३ में प्रकाशित किया था इस योजना को बनाने में रिमोट सेनसिंग एवं जी.एस.आय. टी.एस. जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर जो आंकड़े एकत्रित किये गये थे ,उनमें से आवश्यक आंकड़े संदर्भ व गणना हेतु इस शोध प्रबंध में लिये गये हैं । इसरो अहमदाबाद को इस योजना को बनवाने हेतु संभवत: २० लाख रूपए का भुगतान किया गया है। नईदुनिया व दैनिक भास्कर इन्दौर समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार.आदि ।

३.१४आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान:-आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा एवं स्नातक एवं पाठ्यक्रम के मूल ग्रंथों में प्रयुक्त सिद्धान्तों एवं प्राचीन से लेकर आधुनिक प्रचलित निर्माण प्रणाली ज्ञान का तथा क्षेत्र की उपलब्ध टोपो शीट व नक्शों का भी उपयोग किया गया है।

३. १५ विकास नियमन :-मध्प्रदेश नगर विकास विधि संहिता तृतीय संस्करण ९९, लेखक श्री सुरेश जैन एवं विमला जैन जिसे सुविधा लॉ हाउस भोपाल द्वारा प्रकाशित किया गया है।

३.१६ सी.ई.पी. आर.डी.संस्था की संकल्पना :-सी.ई.पी. आर.डी. संस्था से सहयोग पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (सी.ई.पी.आर.डी.) इन्दौर के द्वारा बनाये जा रहे विचाराधीन इंदौर सिटीज़न्स् मास्टर प्लान-२०२५ हेतु नियत संकल्प,उद्देश्य एवं साधनों के अनुरूप प्राप्त आंकड़ों व सर्वेक्षण आदि का उपयोग किया गया है।संस्था द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका पर्यावरण विकास का इस शोध प्रबंध में उपयोग किया गया है।

३.१७ अनुभव - वर्ष १९७६ में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त कर म.प्र. विद्युत मंडल में सिविल इंजीनियर रहते हुए ,वर्ष १९८६ में स्नातक सिविल इंजीनियरिंग कर मंडल में ,कई विद्युत उपकेन्द्रों अधोसंरचना विकास कालोनियों, भवनों के वृहद निर्माण व उनके रख रखाव की जिम्मेदारी तथा टोन्स जल विद्युत परियोजना पावर हाउस के निर्माण आदि का , विगत २८ वर्षो में अनुभवों का उपयोग किया गया है। सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में व्याप्त अपूर्णता व त्रुटियों कें समाधान हेतु स्थापत्य वेद के ज्ञान का उपयोग, सन् २००० में स्थापत्यवेद स्नातकोत्तर होने के पश्चात उसका उपयोग अपने कार्य क्षेत्र में किया। विगत तीस वर्षो से से मंडल में शहरीय एवं ग्रामीण कार्य क्षेत्र में बिजली बिल बकायादारों से तहसीलदार वसूली के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के क्षेत्र मे भ्रमण के दौरान ग्रामों, बस्तियों, कॉलोनियों आदि में व्याप्त गम्भीर वास्तु दोष से उत्पन्न समस्याओं, बिजली, सड़क, पानी जैसी मूल समस्याओं को प्रत्यक्ष देखकर प्राप्त अनुभवों को शोध प्रबंध में समाहित किया गया है ।



४.० विषय का वर्गीकरण :-

४.१ इंदौर नगर का ऐतिहासिक अध्ययन :-

इंदौर नगर का इतिहास व परिचय के साथ वर्तमान इन्दौर के नगर नियोजन के बारे में विवरण निम्नानुसार है।

४.११ इंदौर नगर का इतिहास का परिचय :-

पुरातत्व विभाग द्वारा वर्ष१९३६ - ३७ में किये गये उत्खनन में कसरावद व ईटवर्डी से बौद्ध स्तूपों व बौद्ध मठों के अवशेष मिलें जिनमें मृणपात्रों पर तीसरी शती ई. पू. की ब्राम्ही लिपि में लेख उत्कीर्ण है। जो १९७३ -७४ में आजाद नगर इन्दौर के उत्खनन से प्राप्त स्तूप निर्माण ई. पू. की पहली दूसरी शताब्दी से मेल खाते हैं । अनुश्रुतियों के अनुसार ८१० शती ई. में राष्ट्कूट, परिहार और पाल राज वंशो के त्रिकोणात्मक संघर्ष में मालवा का यह भू भाग राष्ट्कूट नरेशों के आधिपत्य में आया। राष्टकूट नरेश इन्द्र ने यहाँ एक मंदिए का निर्माण कराया जो इन्द्रेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ बसे ग्राम का नाम इन्द्रपुर रखा गया, जो वर्तमान में इन्दौर है। इस मंदिर का पुर्ननिर्माण १८ वीं शती में होलकर नरेश द्वारा किया गया । चूँकि मंदिर का गर्भगृह राष्ट्कूट शैली का है, इससें उपर्युक्त अनुश्रुति को आधार मिलता है इन्दौर एंव समीपवर्ती स्थानों से प्राप्त परमार युगीन मंदिर एंव मूर्तियाँ, शिलालेख एवं मुद्राऐं इस भू - भाग पर परमार वंश के आधिपत्य की पुष्टि करते हैं।

१२८३ ई. के लगभग इस क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो गए थे और सन् १३०५ ई. में यह भू-भाग सुल्तानों के अधीन हो गया । १३२५ से १४०१ तक यह तुगलक वंश के अधिपत्य में रहा। १४३६ में यह क्षेत्र मांडू के खिलजी सुल्तनों के अधीन हुआ। १५३१ में गुजरात के बहादुरशाह ने आक्रमण कर मालवा पर कब्जा किया और सन् १५३५ में हुमांयू के आक्रमण तक यह गुजरात सुल्तानों का अंग बना रहा।ग्राम इन्द्रपुर (इन्दौर) व उसके समीपवर्ती भाग का इस समय तक सैनिक पड़ावों के रूप में उपयोंग होता रहा है । १९५५ में शुजातखान की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र बाजबहादुर शासक बना। सन् १५६१ में अकबर ने मालवा पर मुगलों का प्रभुत्व स्थापित कर लिया। विजय के उपरान्त आदमखां ने घोर अत्याचार कियें। १५६२ ई. में अकबर को दंडित कर पीर मोहम्मद के मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। बाजबहादुर ने पुन: अपना अधिकार कर लिया व १५ वर्ष बाद अकबर की अधीनता स्वीकार की। इस तरह मालवा का यह भू - भाग मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। अकबर ने मालवा के प्रशासन को बारह (१२) सरकारों में विभक्त किया। इनमें इन्द्रपुर बस्ती, उज्जैन सरकार और *देपालपुर महाल* के अंतर्गत कम्पेल परगने के रूप में विद्यमान थी। उस पर कम्पेल के जागीरदार मण्डलोई परिवार का शासन था।इसके पश्चात् मुगल सेना का केंद्र रहते हुए सेनाओं से आक्रांत रहा व १६५८ ई. में औरंगजेब के राज्यारोहण के पश्चात् शांति की स्थापना हुई व शनै: शनै: ग्राम इन्द्रपुर का विकास व विस्तार प्रारंभ हुआ। १७ वीं व १८ वीं शती के मध्य मुगल सत्ता ने अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न कर १७०३ में नीमा सिंधिया के नेतृत्व में आक्रमण किया। पश्चात् १७१० में मराठे पुन: सक्रिय हुये परन्तु अधिक सफल नहीं हुए। १७१५ में मंडलोई परिवार कम्पेल से आ बसे।सन् १७३४ में मल्हारराव को उनके परिवार के नाम दौलत जागीर की खिलअत प्रदान कर दी गई। उन्हें इन्दौर के नौ (९)ग्राम सहित महेश्वर सूबा प्रदान किया गया।अहिल्यादेवी ने प्रशासनिक कार्यालय कम्पेल से इन्दौर कायम किया।१७१६ में श्री नंदलाल चौधारी ने नन्दलालपुरा बस्ति की स्थापना की।इन्दौर मुगल सम्राट ने निजाम को १७१९ में मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। पेशवा बाजीराव ने १७२४ में पुन: मालवा पर आक्रमण करने के लिये प्रस्थान किया जिसमें मल्हारराव होल्कर, उदाजी पंवार आदि उनके प्रमुख सहयोगी थे।

१८ मई १७२४ को धार के समीप नालछा में निजाम व पेशवा की भेंट हुई जिसमें मल्हारराव होल्कर को इन्दौर से वार्षिक अंशदान वसूलने के लिये व उदाजी पंवार की शक्ति को रोकने के लिये नियुक्त किया। पेशवा ने सूबेदार मल्हार की पत्नी गोतमाबाई को खाजगी के नाम पर देपालपुर और उसके आसपास के ७४ गाँव जागीर के रूप में ३ अक्टूबर १७३० में दियें। इस प्रकार इन्दौर होल्कर राजवंश की नींव पड़ी। २९ जुलाई १७३२ को पेशवा ने मालवा का बँटवारा करते हुये इन्दौर मल्हारराव होल्कर को व ग्वालियर सिंधिया को एवं धार व देवास उदाजी

पंवार को दिया।१७४१ में जमींदारों ने इन्द्रेश्वर मंदिर बनवाया।तब इस इस बस्ति का नाम संस्कृत मे इन्द्रेश्वर रखा ,जिसे प्राकृत भाषा या मराठी में इसी कारण इन्द्रपुर को तब इंदूर के नाम से जाना जाने लगा। १७४३ में होलकर ने जूना राजवडे का निर्माण करवाया। १७६१ में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठों की भयंकर पराजय हुई। सन् १७२८ से १७६६ तक मराठा सरदार बाजीराव पेशवा ने होलकर राज्य मल्हारराव के सुपुर्द कर दिया। १७६६ में मल्हारराव की मृत्यु के उपरांत होलकरों की प्रशासनिक व्यवस्था दोहरी हो गई। इनकी पुत्रवधु अहिल्याबाई ने जहाँ एक ओर खासगी की जागीर संभाली, वहीं दौलत का कार्य भी देखना प्रांरभ किया। तुकोजीराव होल्कर प्रथम (३० अगस्त १७९५ से १७९७) ने दौलत की जागीर के स्वामी होते हुए भी एक सेनापति के रूप में कार्यकर, इन्द्रपुर का विस्तार तेजी से किया ,जबकी राजधानी महेश्वर थी। अहिल्याबाई के जब सेनापति तुकोजीराव होलकर (प्रथम) से मतभेद थे तो अहिल्याबाई स्वयं ,इन्दौर २१ जून १७८४० से २१ जून १७८४ तक नगर में रहीं।इस संपूर्ण अवधि में पेश्वा के वकील भीखाजी राव उनके साथ रहे।इस प्रवास के दौरान ही उन्होने अपने ससुर स्व. मल्हारराव व पति खांडेकरराव की मूर्तियां लगवाई व १०-१२ हजार लोगों को भोजन वजमींदार कमविसदार एवं साहूकारों को शाल पगड़ियां व पर्दे उपहार में बांटे । अहिल्याबाई के ३० वर्ष के शासनकाल मे प्रशासनिक दक्षता व कुशल नीतियों का वर्चस्व रहा। सिंधिया ने भी उज्जैन की पराजय का बदला लिया व नगरवासियों पर अत्याचार किया, जिससे शहर के कुएं स्त्रियों की लाशों से भर गए। २५ अक्टूबर १८०२ में यशवंतराव होल्कर एक शक्ति के रूप में उभरा व मराठा साम्राज्य की नींव हिल गई। सन् १८०४ में इन्दौर स्थित प्रमुख किलों पर ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया। बाद में दोनों के मध्य हुई राजधाट संधि के पश्चात् १८०८ में विक्षिप्त होकर १८११ में मृत्यु को प्राप्त हुए। तत्पश्चात् ६ जनवरी १८१८ को महिदपुर युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ओर होल्करों के मध्य मंदसौर में संधि हुई व उसी के अनुरूप राजवाड़े से पूर्व का एक बड़ा भाग (रेसीडेन्सी व पारसी मोहल्ला) अंग्रेजो को कार्यालय व आवास हेतु दिया व इस क्षेत्र का सम्पूर्ण प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य की और से रेसीडेंसी के द्वारा **रेसिडेंसी एरिया अथॉरिटि** के रूप में १ अगस्त १९४७ तक किया जाता रहा व १९४७ तक यह पुन: होलकर राज्य का हिस्सा बना व यहां लैंड रेवेन्यू टेर्नेन्सियेट एक्ट १९३१ इन्दौर स्टेट प्रभावशील था। वर्ष १९५० में यहां भारतीय कानून लागू हुआ व मध्यभारत शासन को २५ अगस्त १९५५ के आदेशानुसार यह शहर नगर पालिका सीमा में है। इस रेसिडेंसी एरिया में रेसीडेंसी द्वारा शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक व वाणिज्यिक उपयोग के लिए भूमि पट्टे पर दी गई थी, जिसका शासकीय रिकॉर्ड आदि नहीं होने के कारण व अन्य कारणों से इस क्षेत्र में नगर निगम को ३९७.३७ करोड़ के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिस पर सन २००० में प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही प्रशंसनीय रही। १८१८ से १८२१ तक राजधानी इन्दौर में रेसीडेंसी क्षेत्र का विकास हुआ तब जनसंख्या (६३,५६०) थी। २७ अक्टूबर १८३३ को मल्हारराव की मृत्यु के पश्चात् पारिवारिक विवादों से राज्य धिरा रहा व १८४४ में उत्तराधिकारी के नामजदगी के अधिकार ब्रिटिश शासन के हाथों में आने पर २७ जून १८४४ को तुकोजीराव द्वितीय को रेसीडेंट ने गद्दी पर बिठा दिया। पुन: समृद्धि लौटी, अनेक मंदिर आदि बने स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी १३ मई १८५७ में मेरठ से प्रारंभ हुई व ९ नवम्बर १८५८ को ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय प्रशासन अपने हाथ में ले लिया व १८६४ में इंग्लेड से लाई सिक्के ढालने की मशीन से सिक्के ढलने लगे। १८६९ में तुकाजीराव ने ब्रिटिश शासन को खंडवा इन्दौर रेल लाईन के लिए एक करोड़ का ऋण दिया व इसी वर्ष नगर पालिका प्राथतिक शाला, पंचायत, नियमित न्यायालय, वस्त्र उद्योग, संगीत, नृत्यकला, चित्रकला प्रारंभ की। १८८१ में जनसंख्या ८३०९१ हो गई व इन्दौर प्रमुख नगर हो गया। तुकोजीराव के पश्चात् शिवाजीराव १८८६ में गद्दी पर बैठे व रेल, चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा की स्थापना की रेसिडेन्ट से परामर्श लेकर कार्य किये। नगर मे ६ मार्च १८९७ को पहला हेजा रोगी पाया गया,५२ व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।१९०३ में भी दो बार महामारी फेली ,तब इसे नगर पालिका अघयक्ष को सोंपा गया।१९०३ से १९११ के मध्य ९ बार महामारी अहिल्याबाई फेली,तब १९०१ में जो आबादी ८६८८६ थी ,वह कम होकर १९११ में ४४९४७ रह गई थी।अनेक लोग शहर छोड़कर चले गये थे।१८९९ से १९०३ में प्लेग की महामारी से बहुत लोग काल कलवित हुए। ३१ जनवरी १९०३ में तुकोजीराव तृतीय का शासन, फिर १९२ ६ में यशवंतराव द्वितीय का शासन रहा । २० वीं सदी के प्रारम्भ से ही राजनीतिक आंदोलन होते रहे व स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् २८ मई १९४८ को इन्दौर राज्य अंतत: तत्कालीन मध्यभारत राज्य में विलीन कर दिया गया। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का विभाजन हुआ।इनमें इन्दौर जिला एक थी।

इस प्रकार इन्द्रपुर गांव अपने विकास की कई मंजिलों को तय करता हुआ होलकर राज्य में एक प्रमुख नगर बन गया। जो अब इन्दौर कहलाता है व जल्दी ही महानगर कहलायेगा।

सन् १८२३ में ही नगर पालिका बनी। सन् १९२३ में होल्कर रियासत के समय सिटी इमप्रुवमें ट्रस्ट कायम हो चुके थे और शहर के सुनियोजित विकास पर ध्यान दिया जा रहा था। सन् १९११ में ४५ हजार से आबादी बढते–बढते २००१ में १६.५१ लाख व २००५ में २१ लाख २०२५ में ४० लाख होने का अनुमान है। यह श हर २५ वर्ग किमी. तक फैल गया व संपूर्ण महानगर परिक्षेत्र ७२२५ वर्ग कि.मी. तक २०२५ में विस्तारित होगा। इसी अवधारणा को शोध प्रबंध मे लिया गया हैं।

४.१२ *वर्तमान इन्दौर का नगर नियोजन :–*

इन्दौर जिलें के मध्य मे स्थित इन्दौर नगर निगम के क्षेत्र के उत्तर – पश्चिम में उज्जैन, दक्षिण –पश्चिम में धार व दक्षिण – पूर्व में पश्चिमी निमाड़ व उत्तर – पूर्व में देवास सहित चार जिलों से घिरा है। यह शहर आगरा – बॉम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, यहाँ से देश की राजधानी दिल्ली व भारत का मुख्य द्वार मुंबई समान ६००कि. मी. दूरी पर स्थित है। यहाँ की आबादी १९९१ में ११.१ लाख थी, जो अब बढकर लगभग १८ लाख हो गई है।

राज्य शासन के आवास एंव पर्यावरण विभाग के अधिसूचना क्रमाक / एफ १–२० भोपाल दि.१३–२–७४ द्वारा निधारित “इन्दौर निवेश क्षेत्र” का गठन किया गया ,जिसमें इन्दौर नगर निगम क्षेत्र की सीमा व उसके आसपास के पुराने इन्द्रपुर गांव सहित ३७ गांव शामिल हैं इसका कुल क्षेत्रफल २१४ वर्ग कि. मी. है जिसमें ४.१ वर्ग कि. मी. नदी, नाले, तालाब व अभिवर्तित नगर निगम इन्दौर का १३७.१७ वर्ग कि. मी. क्षेत्र भी शामिल है। जिसें म. प्र. राजपत्र दिनांक १२.८.८४ के अनुसार ११ झोन व ६९ वार्डो में विभक्त किया गया है। नगर सीमा में विरासत के क्षेत्र राजबाड़ा, लाल बाग, माणिक बाग, होलकर छतरियाँ, फूटी कोठी, हवा बंगला, घंटाघर आदि सम्मिलित थे।जिसमें इन्दौर में ५.५ औसत सदस्यों के मान से प्रति परिवार की दर से ३ लाख आवासी ईकाईयाँ है । इसके बाद इन्दौर का निवेश क्षेत्र ,म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ की धारा १३ के अन्तर्गत वर्ष २००० में अधिसुचित किया गया था, जिसमें पुराने ३७ ग्राम को सम्मिलित कर कुल १५२ ग्राम सम्मिलित थे । इस निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल ८९७.६०वर्ग कि.मी ८९७६० हेक्टेयर था। वर्ष–२००३ में प्रकाशित इन्दौर विकास योजना २०११ (प्रारूप) नामित,इस मास्टर प्लान में अब इंन्दौर के निवेश क्षेत्र की अधिसूचित सीमाओं में अधिनियम की धारा १३(२) के अन्तगर्त पुन: संशोधन कर ६२ ग्रामों को निवेश क्षेत्र से पृथक किया गया। उक्त संशोधित निवेश क्षेत्र दिनांक २८.६.२००२ से प्रभावशील है तथा इसमें कुल ९० ग्राम सम्मिलित है, तथा क्षेत्रफल ५०४.८७ वर्ग कि.मी ५०४८७ हेक्टेयर है। जिसे २००४ में मप्र शासन द्वारा रद्द कर दिया गया था।जिसे फिर नये सिरे से नगर व ग्राम निवेश विभाग द्वारा ,इन्दौर शहर विकास योजना २०२१ के नाम से बनाया जाकर नव–०५ में मप्र शासन को भेजा गया हैं। इसके बाद इन्दौर नगर पालिका निगम द्वारा केन्द्र सरकार की २७६० करोड़ की जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास योजना को राज्य स्तरीय स्टेरिंयग कमेटी द्वारा जन ०६ में अनुमोदित की जा चुकी है जिसे केन्द्र को भेजा जावेगा।यह सभी योजनायें विचाराधीन है।

४.२ इन्दौर विकास के प्रमुख चरण :–इन्द्रपुर से इन्दौर तक के विकास के प्रमुख चरण निम्नानुसार है। मानचित्र क्र.०१ में विभिन्न विकास सयोजनाओं का सीमा क्षेत्र का विवरण आदि बताया गया है।

४.२१ मूल इन्दौर की संरचना:–

इंदौर के विकास का सिलसिला मल्हारराव होल्कर के वशंज राजाओं के रूचि के कारण शुरू हुआ एवं बढता घटता रहा लेकिन इसके नियोजित विकास का सिलसिला तब शुरू हुआ था ,जब स्थानीय निकाय के बुलावे पर विख्यात नगर नियोजक श्री ए. बी. लंकेस्टर यहां आये थे, उन्होने शहर के भावी विकास तथा रिहाईशी क्षेत्रों में भी स्वच्छता बनाये रखने के बारे में कई सुझाव दिये गये थे। लंकेस्टर के बाद होल्कर नरेश तुकोजीराव (तृतीय) के आमत्रंण पर सन् १९१८ में विख्यात फैंच नगर नियोजक सर पैट्रिक गिड्डेस इंदौर आए थे। श्री लंकेस्टर ने यहां

की प्राकृतिक भू-संरचना के अनुरूप दो भागों में अपनी रिपोर्ट होल्कर शासन को प्रस्तुत की थी, जिसका शीर्षक था ''टाउन प्लानिंग टुवर्ड्स सिटी डेवलपमेंट''। इन पर काफी विलंब बाद मंद गति से अमल शुरू हुआ ,जिससे मूल शहर की संरचना स्थापत्यवेद के दृष्टिकोण से निम्नानुसार है –

प्राचीन इन्द्रपुर के मध्य में जूनी इन्दौर, पंढरीनाथ पुलिस थाने के पीछे इन्द्रपुर मंदिर व नगर के बीचों बीच ब्रह्मस्थान में राजवाड़ा ,इन्द्रपुर के मध्य से खान व उसकी सहायक नदी सरस्वती के बाएँ तट पर होलकर वंश का लालबाग स्थित है । राजबाड़े के समीप कृष्णपुरा के नजदीक १९ वीं सदी में बनी कृष्णाबाई, तुकोजीराव द्वितीय और शिवाजीराव की बोलिया सरकार की छतरी भी है। पंढरीनाथ मार्ग पर पंढरीनाथ मंदिर राजबाड़े से पूर्व की ओर एम. जी. रोड़ पर गाँधी हॉल स्थित है । शहर के दक्षिण – पश्चिमी छोर पर छत विहीन फूटी कोठी व उसके पास ही हवा बंगला स्थित है । गोपाल मंदिर, घंटाघर, शनि मंदिर, बड़ा रावला, मिशन स्कूल, मोती बंगला, माणिक बाग, शिव विलास पेलेस, ओल्ड मेडीकल कॉलेज आदि कई प्राचीन स्थापत्य की संरचनाऐं आज भी अपने गौरवशाली अतीत को दर्शाती है। अहिल्या देवी के समय वैसे तो राजधानी महेश्वर थी किंतु फौजों का केन्द्र इन्दौर था। राजबाड़े के नजदीक वर्तमान क्लॉथ मार्केट होलकरों की घुड़साल थी। मार्केट का फ्रींगज शाही सवारी की बग्गियों व चुनिंदा घोड़ों का रखने का स्थान था। राजवाड़े से पूर्व की और कृष्णापुरा पुल के पास का पुराना पुलिस थाना व स्कूल का पूरा क्षेत्र जूना तोपखाना था। वैष्णव हाईस्कूल व खालसा हाई स्कूल तीसरी पलटन थी। किले के पास पहली पलटन व शांतिनगर जैन कॉलोनी के पास चौथी पल्टन का स्थान था। राजबाड़े के उत्तर – पश्चिम की और वर्तमान जिन्सीघर में बारूद पीसी जाती थी, उसके पास शासकीय छापाखाना, कभी होलकरों की टकसाल थी ,उसके सामने के रोडवेज कारखाने में तोपें व गोले ढलते थे। पास के स्कूल की इमारत में तोप – गोलों का गोदाम था। पश्चिम की ओर मल्हारगंज सैनिकों का खाद्य बाजार था पास के कड़ाबीन मोहल्ले में चौड़े मुँह की बंदूक कड़ाबीन के चलाने वाले रहते थे टकसाल व चौथी पलटन के बीच मल्हार पल्टन, अर्जुन पल्टन थी। इसके बाद उत्तर की ओर जूना रिसाला, अहिल्या पलटन, सदर बाजार सैनिकों की गढी थी इसके होलकरों की राजपूत रिसाला केबलरी थी। इसके बाद सैनिक परिवारों के बच्चों का मल्हार आश्रम स्कूल ,वैष्णव अस्पताल के पास राज परिवार के अंगरक्षक की कतार, बिजासन रोड़पर होलकरों का नया तोपखाना था ,जो आज सीमा सुरक्षा बल का केन्द्र है। छत्री बाग के पास बारह भाई नदी के किनारें मराठा सैनिकों की बस्ती व दूसरें पार मोती तबेला में सेना के हाथी – घोड़े, ऊँट बांधे जाते थे। हाथियों के नहाने के लियें साउथ हाथीपाला में खान नदी पर एक पुल बाँधा गया जहाँ नहाते समय हाथी भाग नहीं सकते थे। इन्दौर १८६६ में प्रथम शासकीय कपड़ा मिल १८७५ में रेलवे का आवगमन, १८७६ में वेधशाला, १८७८ में किंग एडवर्ड मेडीकल स्कूल, १८८५ में डेली कॉलेज, १८९१ में होलकर कॉलेज, १९०७ में बिजलीघर, १९०९ मालवा यूनाइटेड मिल, १९११ में एम. वाय. चिकित्सालय, १९१८ में नगर विकास डॉ पेट्रिक गिडडेज़ की योजना, १९२२ में मल्हार आश्रम, १९२९ में ड्रेनेज व्यवस्था, १९३९ यंशवत सागर व फूटी कोठी आदि स्थापित हुए। इस प्रकार प्राचीन इन्द्रपुर की उक्त स्थापत्य कला की विभिन्न धरोहर इस शहर में आज भी स्थित है। मालवा के ताज इन्दौर का अतीत अत्यंत वैभवशाली रहा है।

४.२२ विदेशी राज्य में नगर नियोजन पर प्रभाव :-

इंदौर के अपने सतत विकसित अस्तित्व के,२७९ वर्षो के असातित्व के दौरान ,मराठा सैनिक छावनी से धीरे-धीरे इन्दूर कस्बे से "महानगर इंदौर "हो गया है। मल्हारराव होल्कर इंदौर ने सन् १७२४ के बाद शासनकाल के पश्चात ६ जनवरी १८१८ को महिदपुर युद्ध के उपरान्त अंग्रेजों और होल्करों के मध्य मंदसौर में संधि हुई व उसी के अनुरूप राजवाडे से पूर्व का एक भाग ''रेसीडेन्सी व पारसी मोहल्ला'' अंग्रजों को कार्यालय व आवास हेतु दिया गया था तब से इस क्षेत्र का सम्पूर्ण प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य की और से रेसीडेन्सी के द्वारा "रेसीडेन्सी एरिया एथर्टी" के रूप में १ अगस्त १९४७ तक किया जाता रहा और यहां "लेण्ड रेवेन्यू टेनेन्सि एक्ट १९३१ इंदौर स्टेट" प्रभावशील रहा। इस अवधि में १९१८ में विख्यात फैंच नगर नियोजक सर पेटीक गिड्डेस ने इंदौर आकर यहां की विकास योजनाओं को दो भागों में क्षेत्रीय प्राकृतिक भूसरंचना को देखा और यह पाया कि कुदरती बनावट (नेचरल कन्टूर्स) के आधार पर इंदौर शहर को सुंदर स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। शहर में मध्य बहती खान व सरस्वती

नदीं के तटों को शोभनीय पुष्पों से आच्छांदित कर अधिक खूबसूरत बनाया जा सकता है। उन्होनें इंदौर के विकास की सम्भाावनाओं का आंकलन कर दो भागों में अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की थी ,जिसका शीर्षक था "टाउन प्लानिंग टूवर्ड्स सिटी डेवलपमेंट"। सर पैट्रीक गिड्डेस द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर विकास के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों पर काफी विलंब के बाद मंदगति से अमल शुरू हुआ। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के ६ वर्ष बाद सन् १९२४ में नगर सुधार न्यास (टाउन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट) की स्थापना की गई जिसने इंदौर के नागरिकों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए विकास योजनाऐं तैयार की और उन्हें कार्यान्वित करना शुरू किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि, उस नगर सुधार न्यास को भूमि अर्जन (लेण्ड एक्वीजिशन) तथा अतिक्रमण हटानें के कानुनी अधिकार भी दिए थें। विकास योजनाओं के मुर्त रूप देने हेतु आवश्यक भूमि अर्जित करने के लिए नगर सुधार न्यास को कलेक्टर अथवा भू-राजस्व (लेण्ड रेवेन्यू) विभाग का मोहताज नहीं रहना पडता था जैसा कि अभी रहना पडता है। इस नगर सुधार की सार्थक भूमिका से इस अवधि मे जो विकास हुआ वह उल्लेखनीय है। हरसिद्बि, पागनीसपागा, स्मेहलता गंज, नार्थ एंव साउथ तुकोगंज, रेसकोर्स रोड़, न्यू पलासिया, मनोरमा गंज, सपना-संगीता सिनेमा मार्ग का क्षेत्र, खातीवाला टैंक, जबरन कॉलोनी (जुनी इन्दौर), चम्पा बाग आदि आवसीय क्षेत्र व तेजपुर गड़बड़ी क्षेत्र में फल एंव सब्जी मंडी का निर्माण आदि उल्लेखनीय विकास आशिंक ही नियोजित तरीके से होता रहा। सन १९१२ स्थानीय निकाय द्वारा नगर के भावी विस्तार एवं जल मल निकास सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार हेतु श्री एच.वी.लंकस्टर को बंलाया था।

महाराजा यशवंत राव होलकर (द्वितीय) के शासन काल (१९२६-१९४८ तक) में इन्दौर शहर की व्यवस्थित यातायात प्रणाली विकसित करने की दिशा की में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। महाराजा ने बम्बई प्रेसिडेंसी शासन के परामर्शदाता सर्वेयर श्री आर. एच. व्ही. स्टेम्पर इन्दौर आमत्रित कर उनसें सड़कों के निमार्ण एंव सुधार की योजनाऐं सन १९३८ में बनवाईं।श्री स्टेम्पर ने शहर की बसावट का विस्तृत अध्ययन कर ७ सडकों के निमार्ण की योजनां बनाई।

महाराजा ने नगर न्यास को सडकों के निमार्ण का दायित्व सौंपा गया।न्यास के ट्रेफिक रूट नं. १ सुभाष मार्ग तथा ट्रेफिक रूट न. २ जवाहर मार्ग का नव निर्माण किया। यह दोनों मुख्य मार्ग यातायात की द्दष्टि से कितनें उपयोगी हैं, यह आप और हम सभी अच्छी तरह जानतें है।

इसके बाद रूट न. ३ छत्री बाग ,कड़ाव घाट से राजमोहल्ले तक, रूट न. ४ जबरन कॉलोनी जूनी इन्दौर क्षेत्र रूट न. ५ बडा गणपति से गणेशगंज राजमोहल्ले तक का निर्माण भी नगर सुधार न्यास ने ही किया।

आगे चलकर रेलमार्ग के समानान्तर पत्थर गोदाम और माल गोदाम रोड़ बनें। रेल मार्ग की दूसरी ओर पार्क रोड़ बना जो बिस्कों पार्क (अब नेहरू पार्क) जाता था। प्रिन्स यशवन्त रोड और उसका पंढरीनाथ मंदिर तक विस्तार तथा हर सिद्धि पुल का निर्माण भी हुआ। सच कहें तो इन्दौर सुगम यातायात प्रणाली के विंकास में श्री स्टेम्पर की परिकल्पनायें ही साकार हुई । इस दृष्टि से उनका इन्दौर आना वरदायी सिद्ध हुआ। उपर वर्णित तथ्यों से यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि नगर सुधार न्यास ने इन्दौर के योजनाबद्ध विकास एंव व्यवस्थित शहरीकरण में बहुत ही सराहनीय भूमिका अदा की थी।

इस प्रकार विदेशी राज्य में नगर नियोजन पर प्रभाव रहा। स्थापत्यवेद के द्दष्टिकोण से भी उस समय इसे ""शबे मालवा" कहते थे जहाँ "मालव भूमि गहन गम्भीर, डग-डग रोटी, पग-पग नीर " की सम्भावनाऐं थी व इन्दौर में सड़कों को पानी को मशकों में भरकर धोया जाता था तथा आम आदमी सुकून महसूस करता था जो अब बहुत कम है।इन्दौर के बारे में यह कहा जाता है कि ,यहां जो भी आता है वह यहीं का बनकर रह जाता है और व्यक्ति सुबह भूखे भले ही उठे पर रात को कभी भूखा नहीं सोता। इंदौर की परम पूज्य पावन धरती यहां आने वाले हर एक व्यक्ति का पालन पोषण करती है। यहां का माहौल अपनत्व से परिपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मॉ अहिल्या का वात्सल्य परिपूर्ण मातृत्व यहां सबको अपनत्व देकर बांध लेता है।

४.२३ स्वतंत्रता पश्चात इन्दौर की विभिन्न चरणों में विकास योजनाएँ :- स्वतंत्रता पश्चात इन्दौर की विभिन्न चरणों में विकास योजनाएँ के बारे में विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

४.२३१ स्वतंत्रता पश्चात इन्दौर में विकास योजनाऍं:-

स्वतंत्रता के पश्चात् सन् १९६२ तक नगर सुधार न्यास ने इन्दौर का विकास किया। जहाँ तक इन्दौर नगर के नियोजन व विकास का प्रश्न है ,उसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने का सिलसिला यू तो सन १९६२ में तभी शुरू हो गया था, जब नगर सुधार न्यास ने, 'एन आउट लाइन आपॅ डेवलपमेंट प्लान आफॅ इन्दौर' बनाकर म. प्र. शासन को स्वीकृति के लिए भेजा था। उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद जब म. प्र. टाउन प्लानिंग (अमेन्डमेन्ट) एक्ट १९६८ लागू हुआ, तो इसके तहत सन १९६९ में इन्दौर की एक अंतरिम विकास योजना (इंटरिम डेवलपमेंट प्लान या प्रारंभिक विकास योजना) बनाकर शासन को भेजी गई वह प्रयास भी निष्फल गया। अलबत्ता नगर नियोजन विभाग ने सन १९७२ में इन्दौर नगरीय क्षेत्र का एक भूमि उपयोग मानचित्र (लेण्ड यूज मेप) अवश्य प्रकाशित किया। उसके कुछ समय बाद ही म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ प्रभावशाली हो गया इस अधिनियम की धारा १३ के प्रावधान के अन्तर्गत संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में १५ मार्च १९७४ को एक अधिक सुचना (नोटीफिकेशन) जारी करके इन्दौर निवेश क्षेत्र (प्लानिंग एरिया) की घोषणा की। उससे निवेश क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

उस समय इन्दौर निवेश क्षेत्र (प्लानिंग एरिया) का क्षेत्रफल २१४,१० वर्ग कि. मी. अर्थात ५२,८८३ एकड निर्धारित किया गया था जिसमें इन्दौर नगर की सीमा से जुड़े आस-पास के २७ ग्राम भी शामिल किए गए थे। उन ग्रामों का क्षेत्रफल १५८.२० वर्ग कि.मी. अर्थात ३९,०८६ एकड था। उल्लेखनीय तथ्य सह यह है कि उस समय तक इन्दौर नगर निगम का क्षेत्रफल ५५.८ वर्ग कि. मी. अर्थात १३,७९७ एकड ही था।

४.२३२ इन्दौर निवेश क्षेत्र के प्रथम मास्टर प्लान का प्रवर्तन (१९७५ से १९९१) तक :-

म. प्र. शासन के नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने वर्ष १९७५ में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ की धारा १७ के प्रावधान के अन्तर्गत इन्दौर विकास योजना (इन्दौर डेव्लपमेंट प्लान) का प्रकाशन कर उसे २१ मार्च १९७५ से २० मार्च १९९१ तक की अवधि में कार्यान्वित किए जाने वाले प्रथम मास्टर प्लान पर उस समय १०६ करोड़ रूपए का व्यय आंका गया था। वह सन १९९१ तक १२ लाख ५०हजार जनसख्या हो जाने के अनुमान पर आधारित था। प्रकाशित मास्टर प्लान में कुल १४ अध्याय थे, जिसमें से १से ७ तक के अध्याय में उस समय की स्थिति और समस्याओं के विश्लेषण का ब्यौरा दिया गया था। अध्याय ८से १४ तक नियोजित विकास के प्रस्तावों से संबधित थे। उसमें अध्याय १३ में भूमि उपयोग के नए प्रस्ताव दिए गए थे।

प्रथम मास्टर प्लान का कार्यान्वयन दो चरणों में अलग अलग १० सेक्टरों यथा आवासीय क्षेत्रों का विकास, वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, सार्वजनिक एंव अर्ध सार्वजनिक स्थलों का विकास, यातायात एंव परिवहन प्रणाली का विकास, खुलें स्थानों का विकास, कृषि उपयोंगी क्षेत्रों का विकास तथा जल स्त्रोंतो का विकास व भूमि उपयोग इन्हीं क्षेत्रों में किया जा सकता था।

मास्टर प्लान के कार्यान्वयन पर दो चरणों में १९७४-१९७५ से १९७९-१९८० तक प्रथम चरण १९८०-८१ से १९९०-९१ तक द्वितीय चरण १०६रू. का व्यय आंका गया।

इन्दौर के भावी विकास हेतु शहर के तीन नगर केन्द्रों (सिटी सेंटर्स) में विभाजित किया जाना था। पहला नगर केन्द्र, राजवाडा उसके आसपास की घनी आबादी का क्षेत्र।

दूसरा नगर केन्द्र आगरा - मुम्बई राजमार्ग के निकट विजय नगर क्षेत्र में, और तीसरा केन्द्र माणिक बाग के निकट वर्ती क्षेत्र में इन तीन नगरीय विकास केन्द्रों के अन्तर्गत ११ परिक्षेत्र (झोन्स) विकसित किये जाने थे इन्हें प्लानिंग यूनिट कहा जाता है।

हर परिक्षेत्र की अलग अलग विकास योजनाएँ बनाई जाती थी। ११ झोनल प्लालिंग यूनिट्स का आगे सेक्टर तथा उपसेक्टर के स्तर पर विभाजन करके डिटेल प्लानिंग करना चाहिए था। इसके अलावा, शहर में १९ बडी सड़कें(मेजर रोड्स)तथा आंतरिक व बाह्य रिंग रोडस बनाई जानी थी। इन्हें सब दिशाओं से लिंक रोड्स से सम्बद्ध किया जाना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

इन्दौर निवेश क्षेत्र में जहाँ तक भूमि उपयोग का संबध है वह ६३६० एकड़ से बढाकर (१९७५-१९९१ के दरम्यान) ३०,००० एकड प्रस्तावित था। यह खेदजनक तथ्य है कि इन्दौर निवेश क्षेत्र में सन १९९१ तक कुल निवेश क्षेत्र की ५२,८८३ एकड़ भूमि में से ३०,००० एकड़ भूमि का अलग अलग श्रेणीवत भूमि उपयोग के लिए विकास किया जाना प्रस्तावित था ,किन्तु विकास हुआ मात्र १०,००० एकड़ भुमि का। शहर में राजबाड़ा क्षेत्र के एकांकी नगर केन्द्र (सिटी सेंटर) के अलावा जो दो नये नगर केन्द्र विकसित किए जाने थे, वे नहीं किये गये। तीन नगर केन्द्रों के अन्तर्गत जो ११ परिक्षेत्र विकसित किये जाने थे, वे भी नहीं किए गऐ। सेक्टर और उपसेक्टर स्तरीय विकास तो कहीं अता-पता हीं नहीं।

इन्दौर विकास योजना १९७५-१९९१ की गति प्रगति का पुनर्वालोकन करने पर यह ज्ञात हुआ कि कई काम जो किए जाने चाहिए थे ,उन पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे शहरीय भू-प्रबंध एंव भू-प्रदाय हेतु कोई जिम्मेदार संस्थागत ढांचा नहीं बना। मास्टर प्लान को अमलीय रूप देने हेतु नोडल ऐजेन्सी का अभाव रहा। इसी कारण विभिन्न विकास और निर्माण कार्य घटकों में परस्पर समन्वय नहीं हो पाया। सब घटक अपनी-अपनी गति-मति से अलग-अलग दिशाओं में कार्य करतें रहें। पर्यवेक्षण मॉनीटरिंग की जिम्मेंदारी किसी कों नहीं सौपी गई। इसी कारण समय-समय पर विकास योजनाओं की गति-प्रगति पर निरन्तर निगरानी नहीं हो सकी।

पूरे मॅास्टर प्लान के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक धनराशी का प्रबंध कौन करेगा, कैसे करेगा यह कभी सोचा भी नहीं गया। **धनाभाव हर कदम पर बाधक बना रहा।** मास्टर प्लान को प्रस्तावित रूप में , निर्धारित अवधि में, कार्यान्वित करने की इच्छाशक्ति कहीं भी, किसी में भी नजर नहीं आई। जन - प्रतिनिधि और जन - संगठन भी बेखबर जैसे बने रहें ,अलबत्ता विशेष तौर पर नईदुनिया व दैनिक भास्कर आदि ,स्थानीय समाचार पत्र इस बाबद सदैव समय समय पर वस्तु:स्थिति को प्रकाशित कर ,कुछ खोज खबर अवश्य लेते रहें। उस प्रथम मॅास्टर प्लान की भारी अधोगति हो गई। आज इन्दौर शहर को उसके दुष्फल भोगने पड रहे हैं।

वांछित विकास न होने से बढती आबादी वाहन, भीड़ भरी सड़कें हर तरफ अतिक्रमण ओर धड़ल्ले से बढती जा रही अवैध बस्तियों ,जिन्हें वैद्य बनाकर अवैद्य निमार्ण को बढावा दिया जाता रहा है , से इन्दौर वासियों का जीवन दुष्प्रभावित हो रहा है। पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति और मल निकासी के साथ शहरी कचरें कें नितान्त ही व्यवस्था न होनें से इन्दौर नगर बदसूरत सा होता गया है। पर्यावरण सुरक्षा अब चुनौती बन गई है। अव्यवस्थित यातायात से पदाचारी दु:खी हैं। सड़कों पर आए दिन लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहें हैं।

४.२३३ इन्दौर निवेश क्षेत्र के द्वितीय मॉस्टर प्लान का प्रर्वतन (१९९१-२००५):-

संचालनालय नगर व ग्राम निवेश द्वारा मॉस्टर प्लान २००५ पर आपत्तियाँ एक माह में प्रस्तुत करने हेतु वर्ष १९९० में प्रकाशित किया गया था ,जिसमें ६० वार्डो पर आधारित योजना को नगर एंव ग्राम निवेश के अधिनियम १९७३ की धारा २३ और १८ के अन्तर्गत किया गया था। प्रकाशन में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं था कि यह नया मॉस्टर प्लान है या संशोधित मॉस्टर प्लान। इसमें आवास नीति १९९५ की धारा ७.८ के विपरीत खुले भूखडों, बगीचों और खेल के मैदानों को शहर से हटाकर शहर के बाहर बंजर और अनुपयोगी स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया गया था। उपजाउ कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि कार्यो के लिए प्रस्तावित किया गया था। शहर के आस पास की तालाबों की भूमि को रहवासी भूमी प्रस्तावित करने से तालाबों के स्वरूप को खत्म करने की आशंका थी। शहर के मध्य की कई अवैध कॉलोनियों को नये मॉस्टर प्लान में वैध कर दिया गया था। औधोगिक क्षेत्रों के मध्य में आवासीय उपयोग की भूमि निर्धारित की गई थी जो पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं था। चंदन नगर के आस-पास पश्चिम क्षेत्र से लिंक रोड हटाई गई थी जिसके कारण वाहनों को शहर में १२ कि. मी. अधिक चक्कर लगाना होता। मॉस्टर प्लान के अन्तर्गत प्रथम चरण में खर्च किए जाने वाले ७२० करोड़ रूपए को सिर्फ उन्हीं अवैध कॉलोनियों पर खर्च किया जाना प्रस्तावित था ,जो वैध की जा रही थी। योजना क्रमांक ७२,७४ के प्रकरण में जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहें थे उसमें भी परिवर्तन किया गया था।

इस प्रकार इस मॉस्टर प्लान- २००५ में अनेकों विसंगतियाँ होने के साथ विवादित होकर अंतत: लागू नहीं हो सका। पुराने मॉस्टर प्लान १९७५-१९९१ की अवधि में क्रियान्वित किये जाने वाले मॉस्टर प्लान की क्रियान्वयन

अवधि बढाने की एक अधिकसूचना जारी नहीं की गई जो कि बड़ी आसानी से की जा सकती थी क्योंकि नियमानुसार तो वह लागू है ही । वास्तव में मॉस्टर प्लान का अस्तित्व और उसकी प्रभावशीलता तो सतत् बनी रही । वह कभी समाप्त अथवा खंडित नहीं होती, किंतुं इसके क्रियान्वयन की अवधि अवश्य बढाई जा सकती है । वह शासन ने नहीं बढाई या जरूरी नहीं समझा गया ।इस बीच इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर नगर निगम, गृह निर्माण मंडल, कालोनाइजर्स अपनी-अपनी सूझ-बूझ से अलग-अलग कार्य करते रहें। उनमें कोई परस्पर समन्वय, निगरानी, नियंत्रण नहीं रहा ।

४.२३४ इन्दौर निवेश क्षेत्र के तृतीय मॉस्टर प्लान का प्रवर्तन :-

इन्दौर विकास योजना २०११-प्रारूप (वर्ष १९९१ से २०११) का प्रकाशन वर्ष - १९९७ में किया गया ,मॉस्टर प्लान में हुई त्रुटियों को ठीक करते हुए संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेंश म. प्र. द्वारा प्रकाशित किया गया व आपत्तियाँ आमंत्रित की गई व उन पर निराकरण कर अंतिम स्वरूप प्रदान कर अधिकसुचना जारी की गई । इस योजना की १९९७ तक की क्रियान्वयन स्थिति ६९.३० प्रतिशत हो सकी जिसका विवरण योजना की सारणी क्रंमाक ४.१ में बताया गया है ।

सारणी ४.१

क्रियान्वयन स्थिति

क्र.	उपयोग	भूमि आवंटन (विकास योजना)	विकसित क्षेत्र (१९९१-१९९७)	अंतर (-/+)	क्रियान्वयन का प्रतिशत
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१.	आवासीय	५०६०	४४४९	-६११	८७.९०
२.	वाणिज्यिक	६४८	५५०	-९८	८४.९०
३.	औद्योगिक	१४९८	७९३	-७०५	५२.९०
४.	सार्वजनिक एंव अर्ध सार्वजनिक	१४१७	१०७१	-३४६	७५.६०
५.	आमोद-प्रमोद	१४१७	२७९	-११३८	१९.७०
६.	यातायात एंव परिवहन	२१०५	१२७३	-८३२	६०.५०
योग =		१२१४५	८४१५	-३७३०	६९.३०

स्त्रोत: नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण एंव विकास योजना १९९१।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सभी श्रेणी के भू उपयोग में सबसे अधिक आवारसीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक भू उपयोगि में संतोष पद व अन्य श्रेणियों में इसका स्तर कम है । म. प्र. राजपत्र दि. १२.८.८९ के अनुसार निवेश क्षेत्र को ११ झोन व ६९ वार्डो तथा आस पास के ३७ गाँव को सम्मिलित किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल २१४ वर्ग कि.मी. जिसमें से ४.१ नदी नाले, तालाब व अभिवर्तित नगर निगम इन्दौर का १३७.१७ व. कि.मी. क्षेत्र शामिल किया गया था। इसमें ५.५ औसत सदस्यों के मान से प्रति परिवार की दर से ३ लाख आवास इकाईयाँ मानी गई है।

इस प्रकार विकास योजना १९९१ में जहाँ आबादी ११.१० लाख थी वं २०११ में ३० लाख अनुमानित थी जो वास्तव में १९९७ में बढकर लगभग १४ लाख हो चुकी थी। उक्त विकास योजनाओं में क्रियान्वयन की स्थिति यह प्रमाणित करती है कि विकास योजना ९१ के लक्ष्य अनुसार भी विकास नहीं हुआ और जों विकास हुआ है उसमें अधिकांश बेतरतीब ,अनियंत्रित , समस्याजनक, अवैध निर्माण,जल समस्या, खराब सड़कें आदिं को जन्म देने वाला हुआ जो सम्भवत: घटिया निर्माण, अदूरदर्शिता, वास्तु दोष एंव विकास नियमन के पालन न होनें से हुआ है।

अतएव इस तृतीय मॉस्टर प्लान इन्दौर विकास योजना २०११ प्रारूप वर्ष १९९१ से २०११ का वर्ष १९९७ में प्रकाशन के बाद विधिवत् लागू करने हेतु अधिसूचना जारी न होने के अभाव में निष्प्राय रहा । इन्दौर विकास योजना १९९१ ही नियमानुसार प्रभावशील रही।

४.२३५ इन्दौर निवेश क्षेत्र के चतुर्थ मॉस्टर प्लान ,इन्दौर विकास योजना २०११ (प्रारूप) का प्रर्वतन :-

इन्दौर विकास योजना २०११ (प्रारूप) संचालनालय नगर तथा ग्राम अन्तरित निवेश म. प्र. एंव अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र भारतीय अंतरीक्ष अनुसंधान संगठन अहमदाबाद के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार कर दि.२७.६.२००३ को प्रकाशित की गई थी व ३० दिन की अवधि में आपत्ति एंव सुझाव दिनांक २६.७.२००३ के पूर्व आमंत्रित किये गये थे।

कई संस्थाओं व जनता के साथ मेरे द्वारा भी विधिवत् उपान्तरित विकास योजना २०११ में स्थापत्य वेद के नियम, मान्यताओं व क्रियान्वयन योग्य सिद्धातों का समावेश करने हेतु बिंदुवार आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत किये गयें थे ,जिस पर सुनवाई दिनांक ३०.८.२००३ को संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश व इन्दौर विकास समिति के संयोजक पत्र क्रमांक ३३.२९/नग्रानि/२००३ इन्दौर दिनांक १४.८.०३ के अनुसार की गई ,परन्तु जिलाधीश महोदय को प्रधानमंत्री महोदय के ओंकारेश्वर आगमन पर अपने कर्तव्य पर जाना था ,इस कारण संयुक्त संचालक महोदय श्री व्ही. पी. कुलश्रेष्ठ ने आपत्ति पर समिति के निर्णय के बारें में बताया कि, आपके द्वारा दिये गये सुझावों में से क्रियान्वयन योग्य सभी सिद्धातों को मान लिया गया है व उन्हें समाहित किया जायेगा , उसी समय उन्हें अपनें पत्र के साथ ३३ पृष्ठीय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। इस विकास योजना को बनाने में इसरों अहमदाबाद को लगभग २० लाख रूपए का शुल्क चुकाया गया जिन्होने आय. आर. एस. १ सी एंव १बी सेटेलाईट से प्राप्त आंकडो एंव इमेज की सहायता से १:१२, १५०० के माप पर नगरीय भूमि उपयोंग तैयार किया गया एंव इस मास्टर प्लान में रिमोड सेनसिंग, जी. आय. एस. एंव जी. पी. एस. पद्धतियों का उपयोंग करते हुए तैयार किया गया था। इसको तैयार करने में भूमि की भौतिक विशेषताएँ जैसे ढलान, भूमि उपयोग संरचना, नगरीय फैलाव, प्राकृतिक आपदा संबंधी जानकारी एंव नगर की सामाजिक एंव आर्थिकदशा का विश्लेषण कर उन पर विचार किये जाने का दावा भी इसरो अहमदाबाद की और से अपने प्राक्कथन में किया गया है। इसकों तैयार करने में म. प्र. नगर निगम, इन्दौर विकास प्राधिकरण, म.प्र. प्रदुषण निवारण मंडल, रिमोड सेनसिंग एप्लीकेशन म.प्र. की भूमिका भी होने का उल्लेख किया गया।

इस विकास योजना में सेटेलाईट से प्राप्त जानकारी के आधार पर रंगीन मानचित्रों कें साथ ए -४ आकार में लेमीनेटेड पेपर पर प्रकाशित किया गया था। इसमें इन्दौर का निवेशक्षेत्र म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ की धारा १३ के अन्तर्गत वर्ष २०००में अधिसुचित किया गया था, जिसमें पुराने ३७ ग्राम को सम्मिलित कर कुल १५२ ग्राम सम्मिलित थे । इस निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल ८९७.६०वर्ग कि.मी ८९७६० हेक्टेयर था।

इस मास्टर प्लान में अब इंन्दौर के निवेश क्षेत्र की अधिसूचित सीमाओं में अधिनियम की धारा १३(२) के अन्तगर्त पुन: संशोधन कर ६२ ग्रामों को निवेश क्षेत्र से पृथक किया गया। उक्त संशोधित निवेश क्षेत्र दिनांक २८.६.२००२ से प्रभावशील है तथा इसमें कुल ९० ग्राम सम्मिलित है, तथा क्षेत्रफल ५०४.८७ वर्ग कि.मी ५०४८७ हेक्टेयर है। जिसे २००४ में मप्र शासन द्वारा रद्द कर दिया गया था ,इसका निवेश की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शायी गई है:-

अनुसूची

इंन्दौर निवेश क्षेत्र की संशोधित, सीमाएं-

१ उत्तर में - लिम्बोदागारी, खेती अलवासा, बरोली, जाख्या, भांग्या कैलादहाला, तलावली चांदा, मांगलिया सड़क, राहूखेड़ी, लसूड़िया परमार।

२ पश्चिम में - बदानिया, जम्बुड़ी हप्सी, रिंजलाय, बिसनावदा, कलारिया सिंदोड़ी सिंदोड़ा रंगवासा।

३ दक्षिण में - रंगवासा, पिगड़म्बर, उमनिया, नावदा, पालदा, माचला, मोरोद, उमरी, असरावदखुर्द, मिर्जापुर, रालामंड़ल, सनावरिया।

४ पूर्व में - सनावदिया, उमरीया खुर्द, मालीखेड़ी, कनाड़िया, निपानिया, मायाखेड़ी, अरन्ड़या।

निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम एवं उनका विवरण योजना की सारणी क्र.२.७ में दिया गया है।६९ वार्डो का क्षेत्रफल व जनसंख्या सारणी क्र.२.८ मे दी गई है। निवेश क्षेत्र का नगरीय फैलाव मानत्रित क्र. २९ में दर्शाया गया

है।

सारणी क्रमांक २.७

इन्दौर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम

क्रमांक	गाँव का नाम	क्रमांक	गाँव का नाम
१	२	१	२
पुराना निवेश क्षेत्र (३७ गाँव)			
१.	राव	२०.	सिरपुर
२.	सुखनिवास	२१.	सुलका खेड़ी
३.	हुल्माखेड़ी	२२.	गाडराखेड़ी
४.	अहिरखेड़ी	२३.	बानगंगा
५.	बांक	२४.	नखर
६.	कोडिया बर्डि	२५.	निंरजनपुर
७.	नेनोद	२६.	सुखलिया
८.	छोटा बागदरा	२७.	कबीर खेड़ी
९.	बड़ा बागदरा	२८.	भागीरथपुरा
१०.	टिगरिया बाद शाह	२९.	भमौरी
११.	बरदरी	३०.	खजराना
१२.	भौरासला	३१.	खजरानी
१३.	कुमरेडी	३२.	पलासिया हाना
१४.	लसुडिया मोरी	३३.	पिपलया हाना
१५.	भानगढ	३४.	कस्बा इन्दौर
१६.	पिपलया कुमार	३५.	मुसारखेडी
१७.	पालदा	३६.	चितावद
१८.	बिजलपुर	३७.	पिपल्याराव
१९.	तेजपुर गडबडी		
वर्धित निवेश क्षेत्र (५३ गाँव)			
१.	अलवासा	२८.	रालामण्डल
२.	रेवती	२९.	मिर्जापुर
३.	भांगया	३०.	असरावद खुर्द
४.	जाख्या	३१.	बिलाबली
५.	बारोली	३२.	फतन खेड़ी
६.	मांगलया सड़क	३३.	निहालपुर मुण्डी
७.	राहु खेड़ी	३४.	निपान्या
८.	लसुडिया परमार	३५.	कैलोद हाला
९.	जम्बूर्डि हप्सी	३६.	तलावली चान्दा
१०	लिम्बोदागारी	३७.	शक्कर खेड़ी
११.	बुढानिया	३८.	अंरडिया
१२.	पालाखेड़ी	३९.	माया खेड़ी
१३.	सिंहासा	४०.	कनाडिया
१४.	नावदा पंथ	४१	टिगारिया राव
१५.	सिंदोडा	४२.	बिचौली हप्सी

१६.	रिजलाय	४३.	बिचौली मर्दाना
१७.	बिसनावदा	४४	बड़िया किमा
१८.	श्री राम तलावली	४५.	माली खेड़ी
१९.	कलरिया	४६.	देवगुराड़िया
२०.	सिंदोडी	४७.	दुधिया
२१.	रंगवासा	४८.	सनावादिया
२२.	माचला	४९.	उमरीया खुर्द
२३.	कैलोद कर्ताल	५०.	उमरिया
२४.	मारोद	५१.	नावदा
२५.	उमरी खेड़ा	५२.	पानदा
२६.	लिम्बोदी	५३.	पिगडम्बर
२७.	मुलडला		

सारणी २.८ वार्डो का क्षेत्रफल और जनसंख्या

क्र.	वार्ड का नाम	जोन नं.	जनसंख्या २००१	क्षेत्रफल हेक्टयर में	जनसंख्या घनत्व
१.	सिरपुर	५	२९००८	३.४२	८४८२
२.	हुकूमचन्द कालोनी	३	१५५९४	१.०२	१५२८८
३.	शिसक नगर	१	३३९९४	४.७१	७२१७
४.	लक्ष्मीबाई नगर	१	१७८५१	१.४५	१२३११
५.	महाराणा प्रताप नगर	१	५२१३६	२.९३	१७७९४
६.	बानगंगा	१	२४६४३	०.७७	३२००४
७.	भगतसिंह नगर	१	२८८६२	९.५५	३०२२
८.	निरंजनपुर	१०	३२७३३	९.१२	३५८९
९.	खजराना	८	४७८४३	१०.७०	४४७१
१०	विजयनगर	१०	७१४२३	२.४७	२८९१६
११.	आई.टी.आई कालोनी	११	३४४७०	१.१३	३०५०४
१२.	भमौरी	१०	३४४७०	१.४५	२३७७२
१३.	नन्दा नगर	११	१५३९०	०.५३	२९०३८
१४.	सुभाष नगर	११	१५६२५	०.५८	२६९४०
१५.	परदेशी पुरा	११	११३९०	०.२९	३९२७६
१६.	शिलनाथ कैम्प	११	१६१६०	०.८८	१८३६४
१७.	भागीरथ पुरा	११	२३०१०	२.२२	१०३६५
१८.	सदर बाजार	२	१५७९५	०.०४९	३२२३५
१९.	जुना रिसाला	१	१२९६३	०.८९	१४५६५
२०.	गोकुल गंज	१	२०६८२	०.७३	२८३३२
२१.	पंचकुईया	३	२६७००	०.७६	३५१३२
२२.	प्रियदर्शनी कालोनी	३	२२८०१	१.९८	११५१६
२३.	देवी इन्दिरा नगर	३	२०४५३	०.६८	३००७८
२४.	मलहारगंज	३	९३३६	०.१७	५४९१८
२५.	छिपा बाखल	२	१७१९२	०.२२	७८१४५

२६. ईमली बाजार	२	१५५१७	०.२९	५३५०७
२७. राजवाडा	२	१२१६५	०.९९	१२२८८
२८. देवी अहिल्या नगर	२	१२९६८	०.९१	१४२५१
२९. महात्वा गॉधी नगर	२	१९९३४	१.१६	१७१८४
३०. शिवाजी नगर	९	१२७३७	०.५७	२२३४६
३१. रूस्तम का बगीचा	९	१८२३५	०.३१	५८८२३
३२. राम सिंह भाई नगर	११	१९६७१	०.४२	४६८३६
३३. पाटनीपुरा	९	१७४२८	०.३७	४७१०३
३४. एल आई.जी कालोनी	१०	१६९१३	१.०४	१६२६३
३५. जगजीवनराम	१०	१०९७८	१.८६	५९०२
३६. विवेकानंद नगर	८	२५५७९	३.६५	७००८
३७. पलासिया	८	२०५९९	१.३९	१४८१९
३८. नेहरू नगर	९	१३५४१	०.२२	६१५५०
३९. शास्त्री नगर	८	१४८६५	०.३५	४२४७१
४०. वल्लभ नगर	९	१७९६१	१.७०	१०५६५
४१. साउथ तुकोगंज	७	२००१८	३.३८	५९२२
४२. छोटी ग्वालटोली	४	१४४१४	०.८७	१६५६८
४३. दौलत गंज	४	८०७६	०.१४	५७६८६
४४. साउथ तौड़ा	४	१३८६४	०.१८	७७०२२
४५. जवाहर मार्ग	४	१०५३१	०.२९	३६३१४
४६. बड़ा सराफा	३	८३१९	०.३०	२७७३०
४७. मौलाना आजाद नगर	२	६९४०	०.११	६३०९१
४८. वैद्यख्यालीराम	३	९४११	०.२६	३६१९६
४९. मच्छी बाजार	३	११३०९	०.११	१०२८०९
५०. कैलाशनाथ काटजू का.	४	१६२५९	०.४०	४०६४८
५१. लक्ष्मणसिंह चौहान	५	१४३५३	०.९०	१५९४८
५२. द्वारकापुरी	५	५६७६०	५.२६	१०७९१
५३. सुदामा नगर	५	२३७६६	०.५५	४३२११
५४. लालाबहादुर शास्त्री नगर	५	११९९७	१.४६	८२१७
५५. राजमहल कालोनी	६	२६४३१	१.१५	२२९८३
५६. हेमु कालानी नगर	६	५५३५५	०.७५	७३८०७
५७. हरसिद्धि	४	२१२२३	०.३३	६४३१२
५८. मरी माता का बगीचा	४	१७३५०	०.२०	८६७५०
५९ होल्कर बाई	७	३८४२४	१.०२	३७६७१
६०. कटकटपुरा	४	१५३३६	०.६८	२२५५३
६१. नवलखा	७	२२०२५	३.६१	६१०१
६२. तिलक नगर	८	३७३३५	२.०५	१८२१२
६३. तिरूपति कालोनी	७	१६५३९	४.७९	३४५३
६४. रेंसीडेंसी	७	३११०४	५.९४	५२३६
६५. आजाद नगर	७	२६३३५	१.२२	२१५८६
६६. अंबेडकर नगर	७	२४४४४	१.२९	१८९४९
६७. विष्णुपुरी	६	३३५०९	४.३७	७६६८
६८. बिजलपुर	६	१२६५६	१०.०६	१२५८

६९. राजेंद्रप्रसाद नगर	६	३८९२०	३.७७	१०३२४
योग		१५४२६१८	१३०.१७	११८५१

इस विकास योजना के दिनांक २७.६.२००४ के प्रकाशित होने के पश्चात् दैनिक समाचार पत्र नई – दुनिया ने अधिक तथ्यात्मक विश्लेषण ,जो वरिष्ठ पत्रकार श्री जवाहर लाल राठौर व अन्य समाचार पत्रों एंव सी. ई. पी. आर. डी. संस्था द्वारा भी कई आपत्तियाँ व सुझाव इस बारें में लगातार समाचार पत्रों में छपते रहे व प्रस्तुत किये गयं, जैसे इसमें ठोस / व्यवहारिक पूण योजनाओं का कहीं अता पता नहीं है ।जन साधारण को पता लगा। इसमे पिछलें मास्टर प्लान के अमल में रही ,खामिया और दुष्परिणामेां के बारें में शाब्दिक स्वीकारोक्ति अवश्य दर्ज है परन्तु भूलों को सुधारने के लिए कोई ठोस येाजना नहीं, भू –माफिया व जमीनी खरीदी बिक्री का धंधा करने वाले के अलावा किसी का भला नहीं होगा । इस प्रकार की सख्त टिप्पणियों के अलावा ईसरों द्वारा इसें तकनिकी रिपोर्ट करार दिया गया था।

सबसे पहली आपत्ति तो यह बताई गई थी कि इन्दौर विकास योजना २०११ इसे कहा गया है ,जबकी नियमानुसार यह पुनरिक्षित विकास योजना है इसे मॉस्टर प्लान कहना कतई उचित नहीं । नाम के अनुरूप कोई योजना या कोई सर्वांग परिपूर्ण ,कोई कोर्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई। इसमें नगरीयकरण के मान्य सिद्धांत तथा भारत सरकार के शहरीय विकास मंत्रालय द्वारा अधिकृत तौर पर जारी मार्ग दर्शी रूप रेखा का अनुसरण करना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट् मानव बसाहट ऐजेन्डा २१ भी नगरीयकरण की जरूरतों के बारें मे दिशा निर्देशित करता है। नगरीकरण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि नगर के भीतर और उसके आस पास विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों भूमि, जल, वायु, वन, पर्वत, नदी–नाले, सरोवर, खनिज, खाद्यान्न उत्पादन आदि और सबसे बड़ा तो ,उपलब्ध मानवश्रम को पूरी तरह संरक्षण एंव संवर्धन किया जाना चाहिए था ,उसकी कहीं कोई ठोस योजना ,इस भारी भरकम इन्दौर विकास योजना –२०११ में दूर तक कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रही है।

पुरातत्विक एंवं ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, नगर की सांस्कृतिक परम्पराओं का पोषण, गरिमामय जीवन शैली के साथ जीवन यापन करने हेतु वैसा पर्यावरण भी उपल्बध होना चाहिए। इसलिए नागरिकों कि बुनियादि आवश्यकताओं की पूर्ति स्वच्छ जलवायु, प्रदुषण रहित पर्यावरण, शुद्ध पेयजल, मल निकासी, शिक्षा, स्वास्थ की सुरक्षा व सस्ती व्यवस्था चाहें उसमें कोई भी, चिकित्सा पद्धति अपनानी पडे। जैसे सुविख्यात योगाचार्य श्री रामदेव जी महाराज योग जनता को सिखा कर भारत में योग क्रांति ला रहें हैं।

सात जिलों से घिरें इन्दौर के क्षेत्रीय परिवेश के विकास की कोई भी ठोस योजना "या" माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर के दि० २१.०८.९८ के आदेश पर,आयुक्त इन्दौर संभाग द्वारा प्रस्तुत पीथमपुर, मांगल्या एंव सिमरोल उपनगर की वर्ष –२००० की विकास परियोजना को बनाने की पुरानी योजना का उल्लेख तक इस योजना में नहीं कहीं किया गया।

जन साधारण द्वारा पूछा गया कि महू, राउ, बेटमा, देपालपुर, हातौद, गौतमपुरा, सांवेर, धरमपुरी, मांगल्या, दूधिया की विकास योजना कौन कार्यान्वित करेगा ? "कहा जा रहा है कि यह सब बसाहटें निवेश क्षेत्र के बाहर है, तो फिर किसलिए इस विभाग का नाम नगर एवं ग्रामीण विकास रखा गया"? क्षेत्रीय विकास योजना का इसमें दूर तक पता नहीं है। धारा ४ के अन्तगर्त "रीजन" का परिक्षेत्र घोषित किया जाये और उसके विकास की योजना बनाकर अमल में लायी जानी चाहिऐं। समाचार–पत्रों में विकास योजना में लोग क्षेत्रफल विकास असंतुलन को भी एक बड़ा दोष इसलिए मान रहे है ,क्योंकि पूर्वोत्तर भाग से पश्चिम भाग में तुलनात्मक कम विकास की गतिविधियाँ योजना में अधिक दिखाई है। जबकि पूर्वोत्तर भाग पर्यावरणीय संवेदन, भू–जल गुणवत्ता, भू–तल जलय गुणवत्ता, भूमि की गुणवत्ता, भूमि की गुणवत्ता की कसोंटी पर विकास के लिये सर्वाधिक अनुकूलन माना गया है।

आगरा–बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग के नये बायपास के इसलिये बसाहटों से दूर किया गया था ,क्योंकि पूर्व आगरा बम्बई राष्ट्रमार्ग राजमार्ग क्र. ३ धनी बसाहटों से घिर गया था। यातायात बाधित होने प्रदूषण व दुर्घटनाओं के बढने से इस मार्ग को यमराज मार्ग कहा जाने लगा था ,इसी कारण केन्द्र सरकार के भू–तल परिवहन मंत्रालय ने चार लेन के इस ३१.५ कि.मी. बायपास पर कांकरीट रोड़ बनाने में ढाई सौ करोड़ रूपया खर्च किया गया था। योजनाकारों ने देवगुराड़िया से लेकर निपानिया पार्क तक ब्रायपास के दोनों तरफ आवासीय बसाहट के नये प्रस्ताव रख दिए है जबकि नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग बायपास रोड़ के दोनों तरफ किनारों से (बीच सड़क से नहीं) ७५/

७५ मीटर तक खुली जगह छोड़ना अनिवार्य है उसमें किसी भी प्रकार के निर्माण अनुमति नहीं दी जा सकती है अलबत्ता इस जगह में से ४५/४५ मीटर की जगह में सर्विस रोड़ का निर्माण किया जा सकता है इसे कंट्रोल एरिया कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग ऑर्थटी से अनुमति प्राप्त करके कन्ट्रोल एरिया में चिन्हित स्थल पर पेट्रोल पम्प, वाहन सर्विस सेंटर, भोजनालय कायम किए जा सकते है जिससे इस नियम की अवमानना भी नहीं होगी। देवगुराड़िया से निपानिया पार तक बायपास मार्ग के दोनों तरफ कोई खुली जगह नहीं छोड़ना, वहॉ आवासीय क्षेत्र चिन्हित करना व ३० मीटर करीबन १२ किलो मीटर लम्बी नई सड़क वहॉ प्रस्तावित की गई, यह सब क्यों की गई ? इसका उत्तर तो नियोजन करने वाले ही दे सकते है।एक बडी आवासीय योजना सहारा सिटी को सीधे बायपास से प्रवेश दिया जाकर कार्य प्रगतिपर है।क्या यह विधिमान्य है ?

इंदौर अपनी आवोहवा व सर्वत्र व्याप्त हरियाली से युक्त मनभाावन परिवेश, मानो किसी नगर में नहीं हम नगर उद्यान में हों, कहा जाता था। इंदौर एक विशाल वनस्थली जैसा लगता था। एक जमाना था जब ये तालाबों व बाग-बगीचों जैसा लाल-बाग, माणिक बाग, रामबाग, नारयण बाग, चिमनबाग, चम्पा बाग, कंचन बाग आदि सहित ,बीच शहर में नरहर गणेश कोठारी उद्यान था, वहाँ अब कोठारी मार्केट उभर आया है। मल्हार गंज पुलिस थाने के सामने एक तरफ भानुदासशाह उद्यान था व दूसरी तरफ रूक्मणी देवी वर्मा उद्यान था, यह गायब हो गए। इन स्थानों का भू उपयोंग कब ,किसने व क्यों बदला ?,विखारऐीय हैं।इस योजना में नगर केन्द्रों के पास तीन उद्यान,निवेश इकाई में एक उद्यान ग्राम बांक में व इसी तरह दो क्षेत्रीय उद्यान निवेश इकाई ८ में पिप्लया राव ग्राम के पास तथा दूसरा निवेश इकाई में सिरपुर तालाब के निकट, इनमें जरूर नये प्रजाति के वृक्ष लगाने का प्रस्ताव योजना में है। इसे कौन करेगा, कब करेगा, पता नहीं।इंदौर में जन सहयोग से, पितृ पर्वत का विकास सराहनीय है

तालाबों व जल संसाधनों की दुर्दशा व कमी इंदौर की बड़ी समस्याओं में से एक है । तलाबों के विकास व संरक्षण की कोई ठोस योजना व दिशा निर्देश विकास योजना में दिखाई नहीं दिये। सबसे प्रमुख तो खान व सरस्वती नदी को पुर्नजीवित कर उसके दोनों किनारों पर वृक्ष आच्छादन, कृष्ण पुरा के तटों पर हरियाली का विकास भी कहीं योजना में नजर नहीं आया। उल्टे उनकें तटों पर दुकानें बनाने व सड़कों को चौड़ा करने में हजारों वृक्षों की बलि स्पष्ट नज़र शहरवासियों को योजना में नजर आती है।

सी.ई.पी.आर.डी. ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की सहायता से नवलखा से भंवरकुआ तक सड़क के दोनों ओर ३०० पेड़ लगाकर उन्हें पनपाया, यह प्रयास अनुकरणीय है। इस तरह के कार्यो को प्रोत्साहन देने का विकास योजना में कोई प्रस्वाव दूर तक नज़र नहीं आता है।

शहर सक्षम परिवहन तंत्र एवं सुगम यातायात के विकास में पिछड़ गया। अच्छी सड़कों का अभाव सा १९७५-१९९१ के मास्टर प्लान में बेहतरीन परिवर्तन तंत्र की प्रस्तावना होते हुए भी उन पर क्रियान्वयन नहीं हुआ, जिससे रहवासियों की कार्यात्मक गतिशीनलता बहुत बाधित है। सिंहस्थ के दौरान ,आंशिक इस क्षेत्र में सुधार तथा जनसहयोग से निर्मित गलियों तक में कांकरीट सड़कें उल्लेखनीय प्रयास है ,परन्तु वहीं दूसरी ओर राज्य शासन सहित ,योजना नियोजन कर्ताओं ने लोक परिवहन की सस्ती, सुलभ , विश्वसनीय शासकीय व्यववस्था प्रदेशवासियों से शनैः शनेः छीन ली है व आगे भी यह प्रगति पर है। लोक-परिवहन का पूरी तरह निजीकरण जन साधारण के लिये अब मंहगा साबित न हो, इस हेतु शहर में ही नहीं प्रदेश स्तर पर भी जिम्मेदार विभाग हो , सुविधाओं के साथ न्यूनतम दर पर उन्हें प्रमाणिक व सुरक्षित लोक परिवहन उपलब्ध करायें या राज्य व स्थानीय शासन, प्रशासन, महापौर, जन-प्रतिनिधि व योजनाकारों की निजी जिम्मदारी भी होनी चाहिए। इस संबंध में इंदौर में एक ओर हास्यास्पद बात, वाहनों की बिना लेन में चलने की, बल्कि बायीं ओर से छोटे वाहनों को आगे निकलने (ओवरटेक) की प्रथा बिरलें शहरों में ही मिल सकती है ।हमने बहुत यातायात सप्ताह मनायें, लोगों से करोड़ों रूपए दण्ड भी वसूला गया पर इस महानगर होते ,शहर में किसी अन्य महानगर से आया व्यक्ति यह सब देखकर सहसा कह उठता है "यहाँ का ट्राफिक तो लगता है भगवान ही कंट्रोल करता है।"

प्रदेश में इंदौर से ही मैरिज गार्डनों की धुंआधार बढोतरी प्रांरम्भ हुई ,जो नियम कायदों के अभाव में अनाप-शनाप राशि, उनकें उपयोग कर्ताओं से वसूलते हैं। शहर में ऐसे कितने मैरिज गार्डन, धर्मशाला या सभा गृह है निजी क्षेत्र में आनंद मोहन माथुर सुखलिया चौराहे के पास व जी.एस.आई.टी में गोल्डन जुबली सभागृह आदि सराहनीय है ,परन्तु जो आम जन को अपने यहाँ खुशी एवं गम के अवसर पर न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध हो सके गिनती की है। इस दिशा में विकास योजना में हर क्षेत्र में सुविधा दी जानी चाहिए ,वर्ना लोग उद्यानों या सड़कों

ही शामियानों से घेरकर अपना काम करते रहें व रहेगें व जनता अव्यवस्था का शिकार होती रहेगी।

इंदौर में स्वास्थ्य शिक्षा एवं व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में अद्वितीय विकास निजी क्षेत्र में हुआ है जिन्हें बहुत कम मूलभूत सुविधाएँ शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। शासकीय स्कूल कॉलेजों की दुर्दशा के कारण ही वहाँ मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे प्रवेश नहीं लेते। जबकि वहाँ अधिक शिक्षित व अधिक शैक्षणीक योग्यता रखने वाले मौजूद है। उनकों व पढनें वालों को विश्वास में लेकर क्षेत्रीय उपलब्धता, रोजगार व समझ के स्तर अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार कर ,अगर गरीब से लेकर मध्यमवर्गीय तक के बच्चों को शिक्षा देकर संस्कारवान् नहीं बनाया *तो इसकें घातक परिणाम, अपराधियों की बढोत्तरी के साथ अन्य रुप में देखने को मिलेगें। यह एक ऐसा सत्य है जिसे हमें अब स्वीकार लेना चाहिए। इसका दीर्घकालिक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ेगा ही।* पीथमपुर में भी उद्योगों का मूलभूत सुविधाओं की कमी ,उच्चतर बिजली दरों, जलभाव, तैयार माल की खपत न होना, जैसे कई कारण हैं जिसकी वजह से वहाँ पर्याप्त विकास नहीं हुआ। यहाँ के लिए भी कोई ठोस विकास योजना उक्त उक्त विकास योजना में दिखाई नहीं दी।

इंदौर को महानगर घोषित करने के लिए राज्य सरकार को एक अलग कानून बनाना होगा व उसका उल्लेख विकास योजना में करना चाहिए।

इंदौर के मध्य क्षेत्र में जहाँ मिलों की भूमि रिक्त हो रही है वहाँ की भी कोई ठोस व्यवस्थित अधोसंरचना विकास की इसमें दिखाई नहीं दी, यह किया जाना चाहिए था।

अन्तर्राष्टीय हवाई अडड्ा, सी.एन.जी. गैस पाईप लााईन, पेर्ट्रोलीयम प्रोजेक्ट आदि से ,पूर्ण क्षमता तक लाभ लियें जायें ,परन्तु वहीं दूसरी ओर उनसे होने वाली अनहोनी ,दुर्घटनाओं के न होने या होने पर एक सुनियोजित, स्वचलित कार्ययोजना के साथ, इस पठारी भूकंप की सम्भावना वाले भू-भाग पर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के साथ, भूकंप विरोधी ,ठोस विकास योजना बनाना चाहिए था,जिसका इस योजना में अभाव है।

अन्तर्राष्टीय हवाई अडड्ा,ड्ाय पोर्ट तथा रेल सुविधा जैसी योजना हेतु भूमि उनके दीर्घकालिक मास्टर प्लान के अनुरूप अभी से सुरक्षित की जाँनी चाहिए।

इंदौर शहर में जल-मल निकास के लिए पूर्व में भी कई छोटी-बड़ी विकास योजनाएं बनी और उन पर आंशिक कार्य हुआ जैसे कृष्णपुरा पर झील बनाई गई थी, वह जनता की राशि भी खान नदी में बह गई। वर्तमान में भी जल-मल निकास की एक योजना स्वीकृति की प्रतीक्षा में है व कुछ कार्यान्वित भी की जा रही है।

"जल ही जीवन है", इसके बावजूद विकास योजना में नर्मदा तृतीय चरण योजना का प्रावधान कर उसकी ६४० करोड़ की स्वीकृति हो जाने से यहाँ की जल समस्या कभी समाप्त स्थाई रूप से नहीं हो सकती है,यह सर्वविदित सत्य है।इसलिए "अगर धरती माता का पेट भरा होगा तो स्वतः नदी-नाले बहने लगेगें" इस बात को हृद्यागम कर, व्यवस्थित भू-जल संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए व मालवा को मूल रूवरूप में लाना ही होगा।

शहर में व्यापार तथा वाणिज्य एवं औघोगिक गतिविधियों को पूरे विकास क्षेत्र में वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, सुविधाओं आदि की उपलब्धि के अनुरूप एक सुनिश्चित व्यवस्था में फलने-फूलने हेतु समयबद्ध विकास योजना का अभाव उक्त विकास योजना में कहीं दूर तक नहीं है।

सबसे अंत में इस उक्त विकास योजना में सबसे महत्वपूर्ण विकास के लिए धन कहाँ से उपलब्ध होगा यह कहीं स्पष्ट नहीं है व चिन्हित (नोटिफाईड) २९९ गंदी बस्तियों के पुर्नस्थापन और उससे हुई खाली भूमि का उपयोग या उनमें ही सुधार की कोई ठोस योजना का भी इसमें अभाव है। जो होना चाहिए था। इस विकास योजना में प्रथम चरण कार्यक्रम में सम्मिलित समस्त घटकों की अनुमानित लागत रूपए १९३० करोड़ व ५०० करोड़ रूपए, हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ७० प्रतिशत भाग का विकास करना, ८० कि.मी. नये मार्ग निर्माण व पुराने मार्गो का सुधार, खान व सरस्वती नदी के पर्यावरणीय विकास (३० कि.मी.), ५ नये ओवर ब्रिज, फ्लाय ओवर का निर्माण व १५ हजार आवासीय इकाईयाँ झुग्गीवासियों के लिए तथा टांसपोर्ट नगर का विकास हैं।

सर्वप्रथम तो यह राशि कहाँ से आएगी, अगर यह सब कर्ज से होगा तो कब और कैसे चुकाया जायेगा, यह स्पष्ट होना चाहिए था। इसके लिए अगर इंदौर विकास योजना २०११ के क्रियान्वयन हेतु एक नोडल ऐजेन्सी को पूर्णतः जिम्मेदारी देकर केन्द्र राज्य व नगरीय, ग्रामीण निकायों में विभिन्न योजनाओं के मद में स्वीकृत धनराशि का एक नगरीय विकास कोष में से व्यय करने के अधिकार व जिम्मेदारी उसी नोडल अधिकारी को दिया जाना चाहिए,

विकास प्राधिकरण, नगर निगम व गृह निर्माण मंडल जैसी निर्माण संस्थाओं को अलग–अलग एक निश्चित क्षेत्रफल की जिम्मेदारी रख रखाब सहित देकर उनकी कार्य प्रणाली व कार्य दक्षता का मूल्यांकन एवं तुलना कर अच्छे कार्य करने वाली संस्था को ,और विकास कार्य के लिए ,नई योजनायें नोडल अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए।

४.२३६ इन्दौर शहरी विकास योजना २०२१ (नवम्बर २००५ में सिंगापुर की तर्ज पर नगर व ग्राम निवेश विभाग द्वारा प्रारूप शासन को प्रस्तुत):-

इन्दौर का नया मास्टर प्लान सिंगापुर की तर्ज पर इन्दौर शहरी विकास योजना २०२१नाम से नवम्बर २००५ में शासन को नगर व ग्राम निवेश विभाग को प्रस्तु कर दिया गया है।जीपीएस पद्धति जैसी आधुनिक तकनिक का उपयोग कर डेढ वर्ष में बनाई गई, इस योजना में लोक परिवहन के लिये तीन कारीडोर तय किये गये है। मानचित्र क्र ४७ में बताई इस विकास योजना में प्रस्तावित मुख्य बिंदु निम्नानुसार है।

१.इस योजना में ३७ लाख अनुमानित जनसंख्या हेतु ,९०ग्रामों को सम्मलित कर ६०० स्क्वे.किमी क्षेत्रफल लिया गया है।

२.इस योजना में लोक परिवहन के लिये तीन सुरप कारीडोर तय किये गये।पहला १२.३ किमी लम्बा खजराना से पूर्व की ओर नैनोद तक पश्चिम में एम.जी. रोड तक ,दूसरा १५.२५ किमी लम्बा उत्तर की तरफ निरंजनपुर से शुरू होकर दक्षिण में राजेन्द्र नगर से एबीं रोड तक तथा तीसरा १७.२० किमी लम्बा निरंजनपुर से शुरू होकर राजेनद्रनगर राजेन्द्रनगर तक समाप्त व पश्चिमी रिंग रोड तक ।इन क्षेत्रों के दोनों किनारों पर प्रमुख संस्थानों क्षैक्षणिक ,गैर प्रदूषणकारी उच्च श्रेणी के उद्योग ,साफ्टवेअर टेक्नालाजी पार्क ,जेम्स आभूषण पार्क ,मेगा कमर्शियल सेंटर ट्रेड सेंटर ,पांच सितारा होटल ,मनोरेजन पार्क निर्यात सेवा उद्योग ,सभाग्रह,मेला व प्रदर्शनी स्थल आदी के परिसरों के लिये स्थल प्रस्तावित किये गये है ।

३.इस योजना में सैद्धांतिक के सथान पर व्यवहारिक स्वरूप देकर शहर स्तर पर कुछ विशेष गतिविधियों को छोडकर आवासीय वाणिज्यिक तथा पीएसपी के लिये भूमी उपयोग को चिन्हित नहीं कर,इन पर काई रोक नहीं रहेगी।परन्तु पूर्व से लागु जोनिंग व अन्य नियमों से नियंत्रित होंगी।

४.सामने की ओर २४ मीटर से कम चौडाई वाली सडकों पर,वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।३० मीटर से कम चौडाई वाली सडको पर मैरेज गार्डन,सामुदायिक भवन,क्लब,सभाग्रह या भीड युक्त गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी।

५.भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों व उद्योगों के उपयोग के लिये हवा की दिशाा,उनकी सघनता व अन्य पेरामीटरस को ध्यान में रखकर हानिकारक व गैरहानिकारक उद्योगों के लिये स्थान बताये गये है।

६.किसी भी आवासीय योजना में अंदर की सडके ९ मीटर से कम चोडी नहीं होंगी ।जबकी योजना में १८ से ७५ मीटर चौडी सड़के प्रस्तावित है।

७.किसी भी आवासीय योजना में आबंटित भूखंड पर मकान की उंचाई १०मीटर से अधिक नहीं होंगी।इसके उपर दो मंजिल ओर बनाने की अनुमति होगी ।

८.इस योजना में यातायात को सुगम बनाने के लिये २५ फ्लायओवर निर्माण व २५ से अधिक चौराहों का विकास प्रस्तावित है।

९.इस योजना में शहर का हरित क्षेत्र यथावत रख ,नदी के किनारे दोनो ओर ३० मीटर स्थान आरक्षित होगा।

१०.इस योजना में ट्रेंचिग ग्राउंड्स शहरी क्षेत्र से बाहर होगें ।तालाबों के आसपास की भूमी सुरक्षित चिन्हित होगी

११.५००हैक्टेअर का विशेष आर्थिक झोन प्रस्तावित है।शहर के मध्य क्षेत्र के लिये विशेष योजना ,एफ ए आर का करने का प्रस्ताव।

१२.विमानतल ,रेल्वे स्टेशन ,बस स्टेंड के विस्तार तथा विकास हेतु नियोजन का योजना में समावेश ।लैंड स्केपिंग दर्शाने व प्राकृतिक स्थालों के संरक्षण का प्रस्ताव ।

१३,सैद्धांतिक तौर पर भूमी उपयोग के संबंध मे प्रस्ताव ,भूमी पर विभिन्न क्षेत्रों का निर्धारण।राष्ट्रीय एवं प्रांतीय राजमार्ग का योजना क्षेत्र व अन्य क्षेत्र मे संयोजन,रिंग रोड ,बायपास व अन्य मुख्य सडकें ।

१४.सीएएस दिल्ली द्वारा प्रस्तावित इन्दौर लोक परिवहन प्रणाजी में यातायात की द्रष्टि से २७७ किमी सडकों के नेटवर्क पर रहेगा,जहां बसें चलेंगी ।४४.७५ किमी रेलवे नेट वर्क होगा।

१५.इस मास्टर प्लान में क्या होना चाहीये,इस बात के बजाय क्या नहीं हो सकता इस पर अधिक जोर दिया गया है।

अत: राज्य शासन द्वारा इंदौर विकास योजना २०११ प्रारूप को निरस्त किये जाने के बाद अब शासन के पास विचाराधीन,उक्त इन्दौर शहरी विकास योजना २०२१ को द्रष्टिगत रखकर ,इंदौर सिटीजन मास्टर प्लान – २०२५ जिसमें उक्त वर्णित विशेशताओं ,खामियों, त्रुटियों, असंतुलन, अदूरदर्शिता, धरातल विहीन सोच आदि में आवश्यक सुधार कर बनाना का प्रयास किया गया है।यह इस शहर की आवश्यकता ही नहीं वरन् बिना मास्टर प्लान के अनुसार विकसित होते भारी नुकसान ,शासन व जनता को भोगना पड़ सकता है। इसके लिए अगर भारतीय संविधान के ७४ वें संशोधन के अनुसार भी नये कानून बनाने की जरूरत हो तो बनवाये जाने चाहिए क्योंकि हमें ''भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय के संकल्प अनुरूप सन–२०२० तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है।

४.२४ इन्दौर के विचाराधीन सिटीज़न्स मास्टर प्लान –२०२५ का महर्षि स्थापत्यवेद से नियोजन की संक्षिप्त रूपरेखा :–

इस इन्दौर सिटीज़न्स मास्टर प्लान –२०२५ को ही स्थापत्य वेद से नियोजित करने के लिए ,इस शोध प्रबंध की संक्षिप्तिका के साथ मैंने अपना पंजीयन महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय म. प्र. में दिनांक११.५.२००१ को करवाया था। इस शोध प्रबंध में उक्त वर्णित समस्त दृष्टिकोण व वस्तुस्थिति को ध्यान में रखकर सनातन से चली आ रही स्थापत्यवेद की क्रियान्वयन योग्य मान्यताओं व नियमों के अनुरूप विकास योजना बनाने का प्रयास न्यूनतम खर्च व संसाधनों के होते हुए किया गया है।

इन्दौर के विचाराधीन सिटिजन्स मास्टर प्लान –२०२५ का महर्षि स्थापत्यवेद से नियोजन करने के लिए सर्वप्रथम नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा ४ में ,क्षेत्रीय विकास की अवधारणा के तहत ''रीजनल डेवलपमेन्ट प्लान'' के लिये रीजन का प्रस्तावित ''महानगर परिक्षेत्र'' (मानचित्र क्र.०२)मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित किया जावे।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन्दौर को महानगर की श्रेणी में ही रखा है लेकिन म. प्र. शासन ने इसे अभी तक संविधान के ७३ वें संशोधन के जरिए तीन स्तरीय ग्राम स्वराज (ग्राम पंचायत, जनपत पंचायत, जिला पंचायत) की संवैधानिक व्यवस्था की गई थी तथा ७४ वें संशोधन में तीन स्तरीय शहरीय स्वराज (महानगरीय क्षेत्र अथवा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत) की स्थापना की गई थी।

शहरीय स्वशासन (स्वराज) के अन्तर्गत महानगरीय क्षेत्र के संबंध में भारतीय संविधान (भाग १– क) के अनुच्छेद २४३ के तहत जो परिभाषाएँ दी गई है उसमें महानगर क्षेत्र (मेट्रोपोलिटिन एरिया) की परिभाषा इस प्रकार दी गई है–

''महानगर क्षेत्र से १० लाख या इससे अधिक जनसख्या वाला क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक जिलें समाविष्ट हैं और जो दो या अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप विनिर्दिष्ट करें।''

इसके लिए इन्दौर नगर के मध्य से उत्तर दिशा में ६० कि. मी. व पश्चिम दिशा के समान्तर २५ कि.मी. एवं पूर्व दिशा में २५ कि.मी. तथा पश्चिम दिशा के समान्तर ६०कि.मी. ''इन्दौर महानगर परिक्षेत्र'' घोषित करें। जिसका कुल आकार ८५ कि.मी.X८५ कि.मी. होकर कुल ७२२५ वर्ग क्रि मी. क्षेत्रफल होगा। इसमें शासकीय सर्वे ऑफ इंडिया के मानत्रित के अनुरूप ०४ नगर पालिका निगम, इन्दौर, देवास, उज्जैन व धार का क्षेत्र तथा ०७ नगर पंचायत राउ, हातोद, बेटमा, देपालपुर, गौमतपुरा, सांवेर और महू का क्षेत्र तथा ०२ नगर पंचायत (औद्यगिक नगर पीथमपुर व मांगल्या) का क्षेत्र सम्मिलित होगा। इस प्रकार इन्दौर महानगर परिक्षेत्र का पूर्ण सीमा क्षेत्र सहित १३ बड़े–छोटे शहरों का पूर्ण या आंशिक सीमा क्षेत्र, इसके अन्तर्गत रहेगा, क्योंकि रीजनल डेवलपमेंट का परिक्षेत्र का आकार दिशाओं के समानान्तर चौकोर है।यह प्रस्तावित आकार जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया जा सके,उसके

अनुरूप नियोजित हो ।

इस प्रकार इस इंदौर का सिटीजन्स मास्टर प्लान –२०२५ का महर्षि स्थापत्यवेद के अनुसार निवेश क्षेत्र का आकार चोकोर होकर ७२२५ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल युक्त उत्तर–दक्षिण व पूर्व–पश्चिम दिशाओं के समानान्तर होगा ,जिससे इस क्षेत्र की सम्पूर्ण भावी योजनाएं दिशा के समानान्तर याने कि दिशा अनुरूप होगी ।**इसकी लम्बाई चोडाई , जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन योग्य कम या ज्यादा आयादी निर्णय के सिद्धांतों के अनुसार रखी जा सकती है ।**

इस महानगर परिक्षेत्र के घोषित हो जाने पर संविधान के अनुच्छेद २४३य/ङ के अनुसार संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए अनिवार्यतः ,एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी । महानगर योजना समिति की संरचना के लिए ,राज्य विधानसभा अधिनियम बना सकेगी । उसमें वह रीति विनिर्दिष्ट की जाएगी, जिससे महानगरीय योजना समिति में स्थान भरे जाएगें । योजना समिति में कम से कम दो तिहाई सदस्य, महानगर क्षेत्र की नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा, अपने में से, नगर पालिकाओं एवं पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किए जाएगें । समिति में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा मनोनित सदस्य भी होंगे । समिति महानगर क्षेत्र में शामिल नगर पालिकाओं एवं पंचायतों द्वारा की गई विकास योजनाओं पर विचार करके स्वीकृति देगी । समिति में क्या–क्या दायित्व होगे, यह संविधान में दर्शाया गया है ।

महानगर परिक्षेत्र के लिए राज्य सरकार को एक अलग कानून बनाना होगा, जैसे कि नगर निगम अधिनियम बने हुए है । उसमें महानगर क्षेत्र शासन (शहर –शासन /CITY -GOVT.) के अधिकारों, कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निरूपण किया जाएगा । वर्तमान में जिस तरह इंदौर नगर निगम व अन्य परिषद बनी हुई है, वैसी ही वार्डो से निर्वाचित पार्षदों की महानगर क्षेत्र परिषद (मेटोपोलिटन एरिया कौंसिल) बनेगी ।

"महानगर क्षेत्र" शासन कायम होने पर इंदौर शहर एकांगी नहीं, संलग्न संपूर्ण एरिया के साथ–साथ विकास के पथ पर आगे बढेगा । उससे संपूर्ण क्षेत्रीय परिवेश तो सुधरेगा ही, साथ ही इन १३ नगर व इनके आस–पास के क्षेत्र की जनता ,इंदौर विस्थापित (माईग्रेटेड) नहीं होगी, क्योंकी उन्हें जब महानगर सीमा क्षेत्र में ले लिया गया है व उन्हें वे सभी शहरीय सुविधाएँ, सहज रूप से गाँव में ही मिलने लगेगी तो वे अपनी मातृभूमि क्यों छोड़ेगें । संविधान निर्माताओं की व उसके बाद उसतें ७३ वें व ७४ वें संशोधन के तहत नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को सशक्त बनाने की एक नीति का मसौदा तय करने में यह विकास योजना मील का पत्थर साबित होकर अग्रणीय भूमिका रखेगी ।

भारत के हृदय प्रदेश "ब्रह्म –स्थान" मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर से नगर व ग्राम नियोजन में, स्थापत्यवेद के ज्ञान को समाहित करते हुए विकसित होने वाली देश व मध्य प्रदेश की "प्रथम शहरीय विकास योजना होगी। "

राज्य शासन जितनी जल्दी उक्त वर्णित ७२२५ वर्ग कि.मी. परिक्षेत्र को "या " न्यूनाधिक क्षेत्र को इंदौर महानगर कानूनी रूप से घोषित करें ,ताकि आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होकर इसे जमीनी स्तर पर मूर्त रूप प्रदान किया जा सके ।

किसी भी शहर, गाँव को पुर्नजीवित करना अत्यन्त ही दुष्कर कार्य है । इसमें सबसे पहलें अद्यतन जानकारी युक्त मानचित्र व आंकड़े उपलब्ध ही नहीं हो पाते व उनमें आपसी मेल नहीं हो पाता है । योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वयन हेतु राशि मिलने के बाद भी वह मास्टर प्लान के अनुरूप, अब तक तो नहीं हो पाई है, परन्तु उक्त वर्णित "सिटीजन्स मास्टर प्लान २०२५ लागू होने की तारीख से ही भविष्य में क्रियान्वित होने वाली, प्रत्येक अधोसंरचना, भवन इत्यादि भी स्थापत्य वेद की मान्यताओं से हर संभव रूप से क्रियान्वित की जावेगीं ।"

इस योजना में स्थापत्य वेद की मान्यताओं जिनमें ग्राम या नगर के आकार के अनुसार उसके गुण–दोष तो बताये ही गये है साथ ही कर्म के अनुरूप वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैशय, शूद्र हेतु , उनके लिए बसने के स्थान विशेष तथा व्यवसाय के अनुरूप उनके लिए बसने के स्थान विशेष तथा ग्राम,नगर की जनसंख्या व वहाँ के प्रधान (राजा) के प्रकार भोगोलिक स्थिति व उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप या वहाँ की परम्पराओं को

निभाते हुए ग्राम या शहर की पुर्नयोजना बनाने के लिए राजधानी शहर तथा दण्डक, सर्वतोभद्र नन्द्यावर्त, पद्मक, स्वस्तिक, प्रस्तर, कामुर्क, चर्तुमुख इनके ओर कई प्रकार इनके माप के अनुरूप ग्रंथों में बताए गए है।इसी के अनुसार वार्ड पुनर्विभाजन करना सरल व संभव है।

इन्ही आदर्श ग्राम विकास में से संबंधित नगर, ग्राम पंचायते अपने नगर ग्राम की भौगोलिक व भौतिक संसाधनों का उपयोग पर्यावरण हितेषी योजनाएं ,अपने स्तर पर बनाकर शहर प्रशासन से स्वीकृति लेकर स्वयं ही क्रियान्वित करेगें। इससे अपरोक्ष रूप से कार्य व्यवसाय के कारण यातायात व आवागमन पर पड़ने वाले अत्यधिक बोझ में भारी कमी इसलिए आएगी चूँकि उनके कर्म के अनुरूप ही उन्हें कर्म स्थली भी निकट ही उपलब्ध होगी और वहाँ वे सुखी और समृद्व होगें। जिससे शासन का करोड़ों रूपये का व्यय भी बचेगा।जैसे हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास६३३.५ एकड जमीन प्राप्त हो चुकी है,तथा १३२ एकड के प्रयास जारी है,इसके अलावा २०० एकड खरीदने का प्रस्ताव प्राधिकरण ने अपने मुख्यालय भेजा है।इन सेवाओं हेतु १०० वर्ष की संभावनाओ को मद्देनजर रख ,स्थापत्य के अनुसार ,चयनित कर आरक्षित की जानी चाहीये।

मानव जीवन की समस्याओं का समाधान अथर्ववेद की ऋचाओं में दिए गए है। अथर्ववेद के उपवेद स्थापत्यवेद में इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ज्योतिष वास्तु, सामुद्रिक शास्त्र, दर्कागल विद्या, योग, ध्यान, तप, यज्ञ, सिद्धी व सबसे बड़ा "कर्म" के माध्यम से उपाय बताए गए हैं। इनकी सरलतम शब्दों में जानकारी जन-साधारण के लिए इस शोध ग्रंथ में दी जा रही है।इस संबंध में त्रैमासिक पत्रिका वेदिक वास्तु संदेश के द्वितीय अंक अप्रेल २००२ में मेरे द्वारा लिखित एक शोध परख लेख [1] "स्थापत्यवेद(वास्तुशास्त्र)से नगरों /ग्रामों का नियोजन व समस्याओं का समाधान" विषय पर प्रकाशित किया गया था।

महानगर क्षेत्र शासन सहित परिषद, पंचायतों के सदस्यों अधिकारी व कर्मचारियों व ग्राम वासियों आदि को समय-समय पर प्रशिक्षण देने व इस विद्या के नियमों की लिखित जानकारी भी देना ,देश हित में होगा ,इसीलिए प्रमुख नियम आदि इस शोध ग्रंथ में ससंदर्भ दिए गए है।ताकि वे भी अपने विवेक से ज्ञान का लाभ लेकर अपने अपने घरों ,खेतों ,ग्रामों ,पंचायतों ,वार्डो के दोष दूर कर ,भविष्य की शास्त्रोक्त प्रथक पृथक योजनायें बना कर क्रियान्वित भी कर सकें।

इन सुविचारों व स्थापत्यवेद की व्यापकता ,विश्वसनीयता व प्रमाणिकता को ध्यान में रखकर "इन्दौर की विचाराधीन सिटीजन्स मास्टर प्लान -२०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन" नाम से यह योजना शोध प्रबंध रूप में पूजनीय महर्षि जी को सादर समर्पित है।केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आबंटित व जन सहयोग की धनराशी से क्रियान्वयन योग्य बनाई गई है।

५.० शोध में प्रयुक्त सिद्धान्त :-

पंचतत्व: अवनि (भूमि), अम्बर (गगन), अम्बू (जल/नीर), अनल (अग्नि), अनिल (वायु) याने प्रकृति के अनुरूप निर्मित संरचनाएँ अपने आप में ही पर्यावरण हितेषी होती है।इन्ही संरचनाओं को स्थापत्यवेद के अनुरूप कहा जाता है।इसके सिद्धांतों को जानने से पहले इससे संबधित यह पहले जान लें कि:

आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग में यह तो बताया जाता है कि ,भवन की संरचना कैसे बनाई जाएं ?,परन्तु यह नहीं बताया जाता कि कहाँ और क्यों बनाना चाहिये ?व इसके कब-कब और किस तरह बनने पर ,क्या परिणाम होगें?**यह सब महर्षि स्थापत्यवेद** में बताया गया है। हमारे देश-प्रदेश में अधिकांश सड़कें दिक्मूड़ याने पूर्व-पश्चिम या उत्तर-दक्षिण दिशाओं के समानान्तर न जाने क्यों नहीं बनाई गई है व ना ही बनाई जा रही हैं। जैसे कि स्वर्णिम चर्तुभुज सड़क योजना ने चर्तुभुज की परिभाषा ही बदल दी। मेरी राय में इसीलिए आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान ,महर्षि स्थापत्यवेद के समकक्ष ३०% भी नही है, जो अधूरा है, समस्यामूलक है। जन-साधारण से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति व गरीब से लेकर अमीर व्यक्ति ,ज्योतिष वास्तु आदि के ज्ञान की, इन मान्यताओं को निजी प्रयोजनों हेतु निडर होकरउपयोग करते हैं,वैसे ही उन्हें इसे शासकीय प्रयोजनों हेतु भी निडर होकर बजट में प्रावधान कर ,उपयोग करना चाहिए।

भारतीय गणतंत्र प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र से लगाकर ग्राम-पंचायत के चुनाव में और अब तो काँलेजों के चुनावों में भी राजनैतिक पार्टियाँ अपने अपने घोषणा -पत्र द्वारा तय करती है कि वे देश-प्रदेश,नगर, ग्राम व

कालेज को क्या दिशा देगें ,जबकि माननीय महामहिम राष्ट्राध्यक्ष महोदय व राज्यपालों को देश व प्रदेश की परिस्थितियों, आवश्यक्ताओं, उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ,जनहित में एक एजेन्डा तैयार कर, जनता को उस एजेण्डे के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न पार्टियों में से अपने जन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, अपना अमूल्य वोट देने के लिए आव्हान करें , जिस प्रकार माननीय राष्ट्रपति महोदय ने देशवासियों से सन् -२०२० तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिया है। इसी का अनुकरण कर ,प्रदेश से लेकर ग्राम सभा तक के प्रमुख अपने-अपने क्षेत्र को विकसित करने की शास्त्रोक्त योजनाएं बनाकर स्वयं क्रियान्वित करें।

विकास हेतु सदेव धन की कमी बताकर देशी-विदेशी कर्ज लेकर या जन सहयोग से नगरीय व ग्रामीण निकाय करोड़ों रूपए का विकास कार्य करवा तो रहें है।कर्जा कहां से चुकाया जायेगा ?[1] विकास-योजनाएँ इस तरह बनाना चाहिए कि, वह स्थिर नीती वाली न होकर परिस्थिति अनुरूप शास्त्रोक्त हो, सिर्फ आवश्यकता होती है, कर्म करने वालों की इच्छाशक्ति पर। हम अगर एक जिले की समस्त विकास योजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का योग पिछलें १० वर्षो का करें, तो वह प्रदेश के एक भाग को विकसित करने में पर्याप्त लगेगी। २७८० करोड की प्रस्तावित शहरीकरण योजना सहित ,परीक्षेत्र के लिये स्वीकृत अनको योजनाओं की राशी जोडेगें तों इसकी पुष्टि हो जावेगी।समाज में शुचिता व नि:स्वार्थ भाव से कार्य करने की पद्धति का हास होना देश व देशवासियों के लिए अच्छा नहीं है।

वर्तमान गणतंत्र प्रणाली के तहत ही ,हमें अपने शहर इंदौर को एक पर्यावरण हितेषी मॉडल के रूप में बनाने के लिए ,यह शोधप्रबंध अपने शहर को राष्ट्रहित में समर्पित है।

स्थापत्यवेद के मूल प्रमाणिक ग्रंथों से अधिकतम संस्कृत या अंग्रेजी में ही उपलब्ध होने के कारण उसका अनुवाद हिन्दी में किया गया है जिसमें आंशिक त्रुटि होने की संभावना है ।

स्थापत्यवेद के मूल विभिन्न प्रामाणिक ग्रंथों में विभिन्न प्रयोजनों तथा नगर आदि के विकास के विभिन्न आयामों के प्रमुख सिद्धांत निम्नानुसार दिए गए हैं एवं वैदिक काल में ऋषियों ने समाज को उनके व्यवसाय(कर्म) के आधार पर चार वर्णो में बाँटा ,जो लोग वेद पढते थे, अच्छे आचार वाले, संयमी, विद्वान एवं सुचरित्र थे, **वे 3ब्राहाम्ण4 कहलाये**, उनके लिए यज्ञ करना और करवाना अध्ययन-अध्यापन, आदर(स्वीकार) यह छह 1धर्म2 निश्चित किये, इनमें प्रथम तीन धर्म भजन, अध्ययन व दान, ब्राहाम्ण क्षत्रिय तथा वैश्य के समान थे।

जो लोग वीर थे, बड़े उत्साही, शरणागत पालक थे, रक्षा करने योग्य, शरीर मजबूत (कद काठी)के **वे 3क्षत्रिय4 कहलाये**। पूर्वोक्त तीन धर्मो के अतिरिक्त विक्रय, लोक संरक्षक विभाग एवं अध्यवसाय ये शुभ फल देने वाले इनके धर्म निश्चित हुये।

स्वभाव से जिन लोगों में नेपुण्य पाया जाता था, धर्नाजन के प्रति सहज अनुराग देखा जाता था, जो श्रद्धालु, कुशल, उदार एवं दयालु थे उनकों "वैश्य" बताया गया। चिकित्सा, खेती, वाणिज्य, स्थापत्य, पशु पोषण यह "वैश्य" के धर्म कहे गये है।

अब वे लोग जिनका न बहुत आदर होता था और जो न अधिक पवित्र रहते थे और न अधिक धर्मरत ही थे, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले "शुद्र" कहलाये। उनकी आजीविका कारीगरी, पर निर्भर थी इसलिए कारीगरी, पशु-पोषण और तीनों वर्णो की सेवा करना उनका धर्म निश्चित हुआ।

इसी को आधार मानकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र के कर्म व विभिन्न प्रयोजनों अनुरूप वास्तु विनियोजन के नियम व सिद्धांन्त आदि निम्नानुसार बताये गये है।

५.१ नगरादि की संज्ञाओं व मान के सिद्धान्त :-

स्थापत्यवेद के अनुसार विभिन्न नगरों एवं ग्रामों को उनकें आकार, प्रकार, रहवासी, व्यवसाय, व लक्षण प्रमाण के आधार पर विभिन्न विशेष नामों (संज्ञाओं) युक्त बताए गए है, जिनके नाम में ही उनके गुण-दोषों का मर्म छिपा होकर ,वे प्लानिंग (योजना) बनाने के विभिन्न प्रकार हैं। इसे सिविल इंजीनियरिंग मे ले आउट प्लान कहेंगें ।माप को समझने की द्रष्टि से १हस्त = १.५ फिट ,४ हस्त=१ दण्ड =६ फिट लगभग मानकार ,माप की गणना की गई है।

मानसार ग्रंथ के अध्याय क्र. 9 'ग्राम लक्षणम्' व अध्याय क्र. 10 'नगर विधानम्' ग्रामों के प्रकार, आकार, लक्षण एवं नगर के प्रकार, मान का विवरण दिया गया है। ग्राम 8 प्रकार के होते है।

५.११ दण्डक ग्राम :-

यह सबसे छोटे प्रकार का ग्राम है (मानचित्र क्र.१४)। यह सेवा निवृत्त लोगों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यह ब्राह्मणों के घरों के लिए भी प्रशस्त है। इस ग्राम में ३०० से १२०० घर हो सकतें है या सिर्फ १२ घर सन्यासियों (संकल्पवान, वृतवान प्रतिशा) शांति के लिए लिया हो अगर यह सिर्फ आश्रय या कुटी के लिए है तो इसे घाटियों युक्त जंगल में या पहाड़ों के उपर,यह भी निर्भर करेगा कि ग्राम में किस प्रकार के व्यक्ति निवास करते है या विशेष नाम या परिभाषा से भिन्न होकर स्थित हो। अगर यहाँ तपस्वियों का निवास है तो इसे ग्राम कहते है। अगर यह नदी के तट पर स्थित है तो इसे पुर कहेंगे, जहाँ दीक्षा लिए हुए ब्राहाम्णों का समूह जो दीक्षित कहलाते है। अगर वह रहते है तो उसे नगर कहते है। जब ५० से ८० ब्राहाम्णों का समूह अपने साजो-सामान के साथ रहते है तो उसे मंगला व अगर इनकी संख्या १०० है तो यह 'कोष्ठ' कहलाते है (मानचित्र क्र.१४)में इसकी योजना का खाका(Layout) दिया गया है

वक्ष्यंऽहं आमविन्यासं शास्त्रे संक्षेपतः क्रमात्।
दण्डकं सर्वतोभद्रं नन्द्यावर्त तु पद्मकम् ॥१॥[1]
स्वस्तिकं प्रस्तरं चैव कार्मुकं च चतुर्मुखम्।
एवं चाष्टविधं ग्रामं तत्तदूपेण संज्ञितम् ॥२॥[2]

दण्डक, सर्वतोभद्र, नन्र्धावर्त, पद्मक, स्वस्तिक, प्रस्तर, कार्मुक एवं चतुर्मुख (एक दण्ड - 4 हस्त व 27 अंगुल = 1 हस्त होता है) 25 दंड से प्रारंभ कर दो - दो दण्ड बढ़ाते हुए ,101 दण्ड तक 39 प्रकार की चौड़ाई दण्डक ग्राम की होती है। इसकी लम्बाई, चौडाई के दुगने में दो दंड जोड़कर होती है। इस मान में एक दंड कम या अधिक शुभ आयादि के लिए कर सकते है। 125 दण्ड तक 45 प्रकार की चौड़ाई उत्तम दण्डक ग्राम की होती है।

दण्डक ग्राम में चारों ओर की दीवार चौकोर या आयातकार होनी चाहिये। ग्राम के मध्य में कोई मुख्य मार्ग एक अंत से दूसरे अंत तक, जिसकी चौड़ाई एक से पाँच दण्ड होती है, मालवाहक मुख्य सड़क के चारों ओर बनाई अन्य गलियाँ, मुख्य सड़क से बराबर हो सकती हैं।

ग्राम की मध्य जाने वाली (एक अंत से दूसरे अंत) दो मुख्य सड़कों में पथिकों के विश्राम व चलने के लिये फुटपाथ तथा मुख्य गली में दो फुटपाथ होने चाहिये। मुख्य सड़क या गली पर स्थित मकानों की चौड़ाई 3, 4 या 5 दण्ड होनी चाहिये व लंबाई चौड़ाई की दुगनी या तिगुनी होती है। ग्राम के चारों मुख्य दिशाओं में द्वारा व लघु द्वार भी होने चाहिये एवं आंतरिक मालवाहक सड़क के अंत में 'गुरू मठ' निर्मित करना चाहिये। **सभी प्रकार के मजदूर के घर मुख्य मार्ग पर एवं बाहरी स्थायी परिरवा बनाना चाहिये।** इसी प्रकार 'नन्द्यावर्त ग्राम', स्वस्तिक, कार्मुक, प्रस्तर, चर्तुमुख नामक ग्रामों के मार्ग वप्र, प्राकार आदि का विस्तृत विवरण ग्रंथ में दिया गया है। (मानचित्र क्र. 02 से 9 तक)

ग्रामों के माप के आधार पर इकसठ दंड से आरंभ कर दो-दो दंड बढ़ाते हुए तीन सौ तेरह दंड तक एक सौ सत्ताईस प्रकार की चौड़ाई युग्म (सम) व अयुग्म (विषम) दंड की 'सर्वतोभद्र ग्राम' की होती है। (मानचित्र क्र.१५) यह वर्गाकार होता है। इसमें मंडूक या स्थण्डिल पद विन्यास करते हैं। ग्राम के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु या शिव का हर्म्य बनवाएं। इसमें तपस्विन, यति, ब्रह्मचारी, योगिनी व अन्य संघ कितनी भी संख्या में रह सकते हैं। चारों दिशाओं में पूर्व कहे अनुसार द्वारा, उपद्वार बनवाएं। सभी कर्म से आजीविका के घर महारथ्या पर बनवाएं। पितृ व **वायु के मध्य लिपिक (क्लर्क) के घर बनवाएं।**

एक सौ सत्तावन दंड से आरंभ कर दो-दो दंड बढ़ाते हुए पांच सौ पैंसठ दंड तक दो सौ पांच प्रकार की चौड़ाई 'नन्द्यावर्त ग्राम' की होती है। नन्द्यावर्त ग्राम' का आकार आयताकार होना चाहिए। जब लंबाई के चौड़ाई बराबर हो तो चण्डित (64 पद) या मंडूक पद विन्यास करें, अधिक होने पर परमशायिका (81 पद) या बराबर होने पर स्थण्डिल (49 पद) पद विन्यास करें। नन्द्यावर्त की वीथियाँ (गलियाँ) का वर्णन विलक्षण है। मूल से अग्र तक

१-२ मा/अ.-९/१-२

दो अंतरवीथी जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। लंबाई व चौड़ाई में दीर्घ रथ्या (मार्ग) होना चाहिये। महामार्ग की चौड़ाई अन्य सभी वीथी की चौड़ाई के बराबर या उनकी तीन चौथाई होना चाहिये। स्थपतियों के घर वायु या नाग या मुख्य भाग में, नेत्र-रत्नकारों के घर होना चाहिए। उत्तर में शल्य शाला तथा अदित व उदित भागों में वैद्य, ईशान या जयंत में ग्राम रक्षक, महेन्द्र या सत्यक में कीर्णकारों, मृग या अंतरिक्ष में अतिथि गृह होना चाहिये। पश्चिम में मछुआरों तथा मांस व्यापारियों, दक्षिण में किरातों, आग्नेय में या वायण्य में धोबियों के घर तथा दक्षिण-पूर्व में नाचने वालों के घर, उत्तर या नैऋध्य में सूतिका या दर्जियों, उत्तर में चर्मकारों के घर होना चाहिये। चारों दिशाओं तथा चारों कोणों में महाद्वार बनवाना चाहिये।

एक सौ दंड से आरंभ कर दो-दो दंड बढ़ाते हुए एक हजार दंड तक चार सौ इक्यावन प्रकार की चौड़ाई 'पद्मक ग्राम' की होती है। पद्मक ग्राम-जिसकी लंबाई-चौड़ाई बराबर होती होती है। बाह्य प्राकार वृत्ताकार, वर्गाकार, षटकोणाकार या अष्ट-भुजाकार हो सकते हैं। इस ग्राम में चण्डित या स्थण्डिल पद विन्यास करें। नर आलय (चार कोनों) छह पद में, प्रत्येक शूल के द्वारा विभाजित में बनवाएं। ग्राम में चार, पाँच, छह, सात या आठ वीथी होना चाहिये। मध्य वीथी में बिना चार दिशाओं में द्वार का प्रकल्पन करें।

दो सौ एक दंड से बढ़ाकर बीस-बीस दंड बढ़ाते हुए दो हजार एक दंड तक चौड़ाई होती है व लंबाई-चौड़ाई के बराबर होती है वह '<u>स्वस्तिक ग्राम</u>' है (मानचित्र क्र.१०)जो राजा के योग्य है। स्वस्तिक ग्राम में लंबाई व चौड़ाई बराबर रखकर वर्गाकार होना चाहिये। ग्राम के मध्य से पूर्व से पश्चिम रथ्या (मार्ग) बनवाएं। मध्य में दो वीथी, अग्र में दो वीथी, मूल में दो वीथी, चारों दिशाओं व चारों को जोड़ने वाली, मध्य तक बढ़ी हुई व चारों कोण पर समाप्त होने वाली होना चाहिये।

तीन सौ दंड आरंभ कर सौ-सौ दंड बढ़ाते हुए दो हजार दंड तक चौड़ाई <u>'प्रस्तर ग्राम'</u> की होती है। (मानचित्र क्र.११)प्रस्तर ग्राम आताकार या वर्गाकार होते हैं। <u>'कार्मुक ग्राम'</u> की चौड़ाई पैंसठ दंड से आरंभ होकर दो-दो दंड बढ़ाते हुए सम व विषम में पांच सौ दंड तक होती है। यह वैश्यों के लिए शुभ है। 'कार्मुक ग्राम' समुद्र तट पर बनाया जाने वाला समान लंबाई व चौड़ाई से अधिक रखकर आयताकार या वर्गाकार बनाना चाहिये। यह ग्राम पत्तन, खेटक या खर्वर जैसा बनवाना चाहिये(मानचित्र क्र १२)। यदि इसमें वैश्य संघ निवास करे तो वह '<u>पत्तन</u>' कहलाता है। यदि शूद्र निवास करे तो वह <u>खेटक</u> कहलाता है। यदि क्षत्रिय निवास करे तो <u>खवर्ट</u> कहलाता है। क्षेत्र के अनुसार दक्षिण और पश्चिम के बीच भी एक रथ्या (मार्ग) होना चाहिये, दोनों वीथी बाहर से कार्मुक (धनुष) के आकार की होना चाहिये।

'चतुर्मुख ग्राम' की चौड़ाई तीस दंड से प्रारंभ होकर दो-दो दंड बढ़ाते हुए एक सौ दंड तक और लंबाई-चौड़ाई से दुगनी होती है। यह ग्राम 'शुद्रों' के लिए शुभ है या चतुर्भुजाकार या समबाहु आकार या आयताकार होना चाहिये।(मानचित्र क्र. १३) इसके चारों ओर महावीथी होना चाहिये। चतुर्मुखी भाग से चारों दिशाओं में वीथियाँ होना चाहिये। इन चार (गलियों) वीथियों के सिरे पर चार द्वार होना चाहिये। एक महाद्वार तथा अन्य उपद्वार होना चाहिये। यदि भीतर शुद्रों के संघ रहे तो 'आलय' और ब्राह्मणों के संघ हो तो उसे 'पद्म' कहते हैं। ब्राह्मणों के घर आग्नेय में, क्षत्रियों के नैऋत्य, वैश्यों के वायव्य, शुद्रों के संघ ईशान में होना चाहिये। पूर्व या उत्तर की दिशा में ग्राम की वृद्धि संपन्न करने वाली तथा दक्षिण व पश्चिम की ओर वृद्धि शुभ नहीं होती है। इस प्रकार स्थपति या कर्ता ऊपर कहे अनुसार कार्य करें तो ऐश्वर्य तथा कामना सिद्धि के लिए करें।

<u>मानसार के 'नगर विधानम्' में नगर के मान आदि का वर्णन - इन राजाओं के अनुरूप है -</u>

1. **अस्त्रग्राही :** राजा के लिए नगर एक सौ दंड (एक दंड=4 हस्त) से प्रारंभ होकर सौ-सौ दंड बढ़ाते हुए तीन सौ दंड तक होता है। दूसरा दो सौ दंड से प्रारंभ होकर सौ-सौ दंड बढ़ाते हुए चार सौ दंड व तीसरा तीन सौ दंड से प्रारंभ होकर सौ-सौ दंड बढ़ाते हुए पांच सौ दंड तक होता है। इनकी चौड़ाई एक हजार दंड तक होती है।
2. **प्रहारक :** राजा के लिए पहले नगर की चौड़ाई चार सौ दंड से प्रारंभ होकर सौ-सौ दंड बढ़ाते हुए सौ दूसरी पांच सौ, तीसरी छह सौ दंड से प्रारंभ होकर सौ-सौ दंड बढ़ाते हुए इक्कीस प्रकार की एक हजार दो सौ दंड तक होनी है।
3. **पट्टभाक :** राजा के लिए तिरसठ प्रकार की नगर की चौड़ाई सात सौ, आठ सौ, नौ सौ आदि दंड से प्रारंभ होकर सौ-सौ दंड बढ़ाते हुए तीन हजार दंड तक होती है।

4. **मण्डलेश :** राजा के लिए तिरसठ प्रकार की नगर की चौड़ाई एक हजार एक सौ, एक हजार दो सौ, एक हजार तीन सौ आदि दंड से प्रारंभ होकर सौ–सौ दंड बढ़ाते हुए तीन हजार एक सौ दंड तक होती है।
5. **पट्टधर :** राजा के लिए तिरसठ प्रकार की चौड़ाई दो हजार सौ दंड से प्रारंभ होकर सौ–सौ दंड बढ़ाते हुए चार हजार आठ सौ दंड तक करें।
6. **पार्ष्णिक :** के लिए चौड़ाई तीन हजार तीन सौ दंड में सौ–सौ दंड बढ़ते हुए पांच हजार पांच सौ दंड तक करें। सात देवताओं से समायुक्त हो वह पुर कहलाता है।
7. **नरेन्द्र :** राजा के लिए तिरसठ प्रकार की नगर की चौड़ाई चार हजार चार सौ दंड से होकर सौ–सौ दंड बढ़ाते हुए छह हजार छह सौ दंड तक करें।
8. **महाराजा :** के लिए तिरसठ प्रकार की नगर की चौड़ाई चार हजार सात सौ दंड से प्रारंभ कर सौ–सौ दंड बढ़ाते हुए छह हजार नौ सौ दंड तक करें।
9. **चक्रवर्ती :** राजा के लिए तिरसठ प्रकार की नगर चौड़ाई पांच हजार छह सौ दंड से प्रारंभ होकर सौ–सौ दंड बढ़ाते हुए सात हजार दो सौ दंड तक करें।

इस प्रकार से खेट, खर्वट व अन्य वर्णन किया है।

अब नगर के लक्षण का वर्णन हैं। राजधानी नगर, केवल नगर, पुर, नगरी, खेट, खर्वट, कुब्जक, पत्तन ये आठ नगर है। शिविर, वाहिनी मुख, स्थानीय, द्रोणक, संविद्ध, कोलक, निगम तथा स्कन्धवार ये आठ दुर्ग हैं।

श्लोक : राजधानीति तन्नाम विद्वद्भिर्विक्ष्यते सदा।
रक्षागृहैः समाकीर्ण विष्वक्सेनालयान्वितम् ॥1॥[1]

राष्ट्र के मध्य में, नदी किनारे जिसके मध्य में राजमहल हो, ऐसा नगर **'राजधानी'** है। इसके प्रवेश या मध्य विष्णु का मंदिर है। चारों दिशाओं में गोपुर से समन्वित चार द्वार, रक्षागृह से आकीर्ण, सेना से समन्वित, वनिजों से भरी, अंदर व बाहर ना–ना देवालयों से परिपूर्ण हो ऐसा नगर 'केवल' कहा गया है। उद्यान से संयुक्त, क्रय–विक्रय के लिए जाना जाता हो, सात देवताओं के मंदिर होने पर 'पुर' कहलाता है। यही इसके अंदर राज निलय होने पर नागरी कहलाता है। नदी या पर्वत के किनारे पर स्थित शुद्रों के गृह से समन्वित होने पर 'नागरी' कहलाता है। नदी या पर्वत के किनारे स्थित शुद्रों के गृह से समन्वित होने पर तथा ऊंची दीवार होने पर 'खेट' कहलाता है।इन्दौर के सीमा क्षेत्र को राजधानी की श्रेणी में इसके अनुसार माना व नियोजित किया जा सकता है।

चारों ओर पर्वत से युक्त, ना–ना जाति के गृह से समन्वित खेट व खर्वट के मध्य स्थित सभी प्रकार के आलय से समन्वित परन्तु वप्र से रहित होने पर 'कुब्जक' कहलाता है। रत्न, कर्पूर आदि के अंतर द्वीप आदान–प्रदान के क्रय–विक्रय का केन्द्र होने पर 'पत्तन' कहा गया है।

'शिविर दुर्ग' वह है–जहां दस हजार सैनिकों से समन्वित अन्य राजाओं की सीमांत पर युद्ध के आरंभ क्रिया संलग्न हो। जो बहुत सी रक्षा व राजमहलों तथा नाना जनों से समन्वित हो वह 'सेनामुख' या 'वाहिनी मुख' कहलाती है। पर्वत से संयुक्त, रक्षा व्यवस्था से युक्त व बहुत सुख देने वाला हो वह 'स्थानीय' दुर्ग है। जहां क्रय–विक्रय के लिए नगर के तट पर ग्राहक आते हो, वह द्रोण कहलाता है।

जिसमें उपजीवी ब्राह्मण रहते हो, वह संविद्ध कहलाता है। महाराजा में गृह से युक्त होने पर 'कोलक' कहलाता है। जो द्विज आदि चार वणों से युक्त हो 'निगम' कहलाता है। कानन तथा नदी किनारे बहुत से गृहों से युक्त हो वह 'स्कंधवार' कहलाता है। पार्श्व में अनय द्विज के गृह होने पर 'चेरी' कहलाता है।

पर्वत से घिरा 'गिरि दुर्ग', जल से युक्त 'जल दुर्ग', शत्रु प्रवेश के लिए दुष्कर हो 'पंक दुर्ग', वन व जल के अभाव से शून्य आदि दुषित हो, चारों का संकुल हो वह 'रेथ दुर्ग' ब्रह्म राक्षस, बैताल, भूत, प्रेतादि व भैरव का भय एवं तंत्र मंत्र आदि की सामर्थ्य को कर सके वह 'देवदुर्ग' पर्वतों से युक्त 'मिश्र दुर्ग' कहलाते है।

जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भवन – निवेश) के अध्याय क्रमांक 22 'नगरादि संज्ञा' व 23 'पुर निवेश' में नगरों की संज्ञा, शाखा नगर व पुर निवेशाङ्ग आदि के बारे में बताया गया है।

१-२ स.सू/२२/१-२

श्लोक :- नगरं मन्दिरं दुर्ग पुष्कर साम्परायिकम् ।
निवास: सदनं सद्रा क्षय: क्षितिलयस्यथा ॥1॥[१]
यत्रास्ते नगरे राजा राजधानीं तु तां विदुः ।
शाखा नगर संज्ञानि ततोऽन्यानि प्रचक्षते ॥2॥[२]

नगर, मन्दिर, दुर्ग, पुष्कर और साम्परायिक, निवास, सदन, सद्म, क्षय, क्षितिलय में नगर के पर्याय है, जिनसे नगर का विकास सूचित होता है। जिस नगर में राजा रहता है , उसे **'राजधानी'** कहते हैं (मानचित्र क्र. ०७) और अन्य नगर शाखा नगर की संज्ञाओं से कह जाते हैं। शाखा नगर को ही 'कर्वट' कहा जाता है। कुछ गुणों से कर्म कर्वट को 'निगम' कहते है। निगम से कम 'ग्राम' ग्राम से कम 'गृह' होता है।

गोकुलों के निवास 'गोष्ठ' और छोटे गोष्ट को 'गोष्ठक' कहते है। जहाँ राजाओं का उपस्थान हो उसको 'पत्तन' और जो पत्तन फैला हो और वैश्यों से युक्त हो उस 'पुटमेदन' कहते है। जहाँ पर पत्तों, शाखाओं, तृणों एवं उपलों से कुटिया बनाकर पुलिन्द लोग रहते है उसे 'पल्ली' और छोटी पल्ली को 'पल्लिका' कहते है।नगर को छोड़कर और सब 'जनपद' कहलाता है और नगर को मिलाकर सम्पूर्ण राष्ट्र को 'देश अथवा मंडल' कहते है।

''मानसार'' नामक ग्रंथ में नगर नियोजन में मंदिर निर्माण के बारे में विशेष उल्लेख नहीं दिया गया है परन्तु 'ग्राम लक्षणम् के अन्तर्गत 'दण्डक' आदि ग्रामों के अलावा 'नन्दूयार्वत' ग्राम में देव मंदिरों के बारे में विशेष विवरण दिया है जिसके अन्तर्गत 'मांडूक' पद विन्यास द्वारा ग्राम में पूर्व में विष्णुजी का एक प्रतिमायुक्त मंदिर में पूर्वादि के मध्य में या कोणीय दिशाओं में गणेशजी का मंदिर, गंधर्व या भृंगराज पर शिवमंदिर, भल्लाट पर सरस्वती का मंदिर, ग्राम के उत्तरी भाग में देवी काली का मंदिर, यम का पुष्पदंत पर देवी दुर्गा का मंदिर आदि बनाने के बारे में बताया गया है व इसी प्रकार अनेक प्रकार के ग्रामों में भी मंदिरों के बारे में बताया गया है।

एक बात विशेष तौर पर लिखी गई है कि यदि कोई अज्ञानतावश किसी प्राचीन मंदिर को तोड़ता है तो मुखिया का नाश अवश्यम्भावी है। अत: प्राचीन मंदिरों को वैसे ही रहने देना चाहिये।

आवास, सदन, सद्म, निकेत, मंदिर, संस्थान, निधन, भवन, वसति, क्षय आगार या अगार, संश्रय, नीड़, गेह, शरण, आल, निलय, लयन, वेश्म, गृह, ओक, पतिश्रय ये भवन के पर्याय है। पुर अर्थात् नगर के तीन प्रकार होते है , ज्येष्ट, मध्य एवं कनिष्ठा। ज्येष्ठ पुर चार हजार चाप, मध्यम दो हजार व कनिष्ठ अक्षम एक हजार चाप के व्यास का होता है।

श्लोक :- आवास: सदनं सद्य निकेतो मंदिर भवम्।
संस्थानं निधनं घिष्पयं यवनं वसति: क्षय: ॥[१]
अगारं संश्रयों नीड़ गेंह शरणालय:।
तिलयो लयम वेश्म गृहमोल: प्रतिन्मय: ॥[२]

गृह के ऊपर की भूमि को 'हर्म्य' कहते है, इसके ऊपर चढ़ने के मार्ग को 'सोपान' कहते है। दो खम्बों पर लकड़ियों के द्वारा बनाए गए (सीढ़ी) को 'नि:श्रेणी' कहते है।

लकड़ियों के घर को 'काष्ट–विटंक' कहते है। चूने से पुता तल वाला हर्म्य 'सौध' कहलाता है। वर्षा के भय से जो ताल और पलाश के पत्तो से छायी जाती है, उसको 'अभिगुप्ति' कहते है। दीवालों के वातायन को 'अवलोकनक' कहते है। हर्म्य के बीच में जो छेद होता है, उसको 'उलूक' छेद से निकले हुए काष्ट को 'वलीक' कहते है। घर के चारों और आँगन के चारों और शालाएँ हो, वह 'चतु:शाल', तीन शालाएँ हो 'त्रिशाल' और एक पार्श्व से छन्न 'एकशाल' गृह कहलाता है। शालाओं के मध्य भाग में जहाँ आँगन हो वही पर 'वापी या पुष्कारिणी' होती है।

व १-२ स.सू./२३/१६-१७-१८-१९ व १- २ स.सू/२२/८-९

इसी प्रकार इस अध्याय में शाल भवनों व उनकी शालाओं, आँगन, आलिन्द, प्रतोली, आदि के स्थान के आधार पर भवनों व उनके अङ्गों के नाम (संज्ञाएँ) जैसे – जल के मध्य स्थित वेश्म को 'जल वेश्म' कहते हैं। बगीचे में क्रिड़ा गृह को 'उद्यान' कहते है, आदि विस्तृत रूप में बताए गए है।

एक हस्त में 24 अंगुल, 98, अंगुल का, 1 दण्ड, 1000 चाप का, 1 कोस व 2000 चाप (धनुष) का, 1 गव्यूती, 4 गव्यूती का 1 योजन होता है।

हस्त में ज्येष्ठा, मध्यम, कनिष्ठ तीन प्रकार का जो क्रमशः प्राशय, साधारण व मात्राशय संज्ञाओं से जाने जाते है, जिसके परिणाम क्रमशः 8 यवों, 7 यवों या 6 यवों से युक्त होते है प्राशय हस्त का प्रयोग नगर, खेट, साधारण हस्त तलों की ऊँचाई, भूमिगत, जलोद्देश्य, तल पगडंडी आदि मे व मात्राशय हस्त आयुध, कूप, वापि, मानव आदि के लिए किया जाता है।

समरांङ्गण सूत्रधार (भवन – निवेश) के ही अध्याय क्रमांक 23 'पुर निवेश' में ग्रामों की संख्या के आधार पर यह बताया गया है कि –

श्लोक :- चतुःधष्टिमपि ग्रामान् ज्यायो राष्ट्रं विदुर्बुधाः ॥[3]
दशार्ध च सहस्त्राणि ग्रामाणां त्रिशती तथा।
ग्रामाश्चतुरशीतिश्च मध्यम राष्ट्रमीरितम् ॥[4]
सहस्त्रमेक ग्रामाणां तद्वच्च शतपञ्चकम्।

बड़े राष्ट्र में नो हजार नब्बे ग्राम होते है। विद्वान लोग कही – 9064 ग्रामें से भी (ज्येष्ठ) ''बड़ा राष्ट्र'' मानते है। 5384 ग्रामों से 'मध्यम राष्ट्र' कहा जाता है, 1548 ग्रामों से 'छोटा राष्ट्र' कहा जाता है। इन सब उत्तम, मध्यम, लघु ग्रामों की डेढ़ गुनी संख्या से नौ प्रकार में विभाग कर, एक – एक का विधिपूर्वक विद्वान विभाजन करें, इस प्रकार के राष्ट्रों के यथा भाग नियुक्त होने पर, विधान विज्ञ स्थपति इनमें सात – सात नगरों का यथा शास्त्र निवेशन करें।

इस प्रकार से समरांङ्गण सूत्रधार (भवन – निवेश) ग्रंथ के अनुसार नगर का यथावत् बताया गया है। नगर से आधे विस्तार का 'खेट' खेट से आधे विस्तार का 'ग्राम' कहा गया है। नगर से खेट एक योजन पर, खेट से ग्राम एक योजन व एक गाँव से दूसरा गाँव दो कोश पर कहा गया है। जनपद की दो कोश की सीमा होनी चाहिए और उसके आधे से नगर की ओर, नगर से खेटक की और खेटक की सीमा से आधे गाँव की सीमा कही गई है।

25 दंड से प्रारंभ कर दो – दो दण्ड बढ़ाते हुए 101 दण्ड तक 39 प्रकार की चौड़ाई ,दण्डक ग्राम की होती है। इसकी लम्बाई, चौडाई के दुगने में दो दंड जोड़कर होती है। इस मान में एक दंड कम या अधिक शुभ आयादि के लिए कर सकते है। 125 दण्ड तक 45 प्रकार की चौड़ाई उत्तम **दण्डक ग्राम** की होती है।

दण्डक ग्राम में चारों ओर की दीवार चौकोर या आयातकार होनी चाहिये। ग्राम के मध्य में कोई मुख्य मार्ग एक अंत से दूसरे अंत तक, जिसकी चौड़ाई एक से पाँच दण्ड होती है, मालवाहक मुख्य सड़क के चारों ओर बनाई अन्य गलियाँ, मुख्य सड़क से बराबर हो सकती हैं।

ग्राम की मध्य जाने वाली (एक अंत से दूसरे अंत) दो मुख्य सड़कों में पथिकों के विश्राम व चलने के लिये फुटपाथ तथा मुख्य गली में दो फुटपाथ होने चाहिये। मुख्य सड़क या गली पर स्थित मकानों की चौड़ाई 3, 4 या 5 दण्ड होनी चाहिये व लंबाई चौड़ाई की दुगनी या तिगुनी होती है। ग्राम के चारों मुख्य दिशाओं में द्वारा व लघु द्वार भी होने चाहिये एवं आंतरिक मालवाहक सड़क के अंत में 'गुरू मठ' निर्मित करना चाहिये।

३-४ स.सू./२३/८३-८४

सभी प्रकार के मजदूर के घर मुख्य मार्ग पर एवं बाहरी स्थायी परिखा बनाना चाहिये।

५.१२ सर्वतोभद्र ग्राम :-

यह दूसरें प्रकार का ग्राम १५७ तरह के डिजाइन्स (योजना) युक्त होता है जिसकी चौडाई ६१ दण्ड से प्रारम्भ कर ११३ दण्ड तक होती है जिसके दो प्रकार होते है पहला 'मण्डूक' जो उनके खाका(Layout) के नाम हैं उन्हें (मानत्रित क्र.१५) में दर्शाया गया है यह चौकोर आकार में होंते हैं। इस ग्राम के मध्य (ब्रह्म स्थान) में ब्रह्मा का मंदिर, विष्णु या शिवा का मंदिर होना चाहिए। यहाँ पर तपस्वी, यति, ब्रह्मचारी, योगी, बोद्ध, जैन या गृहस्थ के घर भी हो सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से गांव के चारों और चार दिवारी व उसकें बाहर चारों और खाई बनाना चाहिए। चारों दिशाओं में मुख्य नगर व छोटे द्वार बनाना चाहिए। इसमें एक, दो, तीन या चार, पाँच या छः, मालवाहक सड़के गली बनाना चाहिए। इन सड़कों के अलावा आंतरीक सड़कों में से एक और एक पैदल मार्ग (फुटपाथ) व दुसरी और छोर पर दो पैदल मार्ग बनाने चाहिए। पिशाच विथी में एक छोटी गली सभी भूखण्ड़ों से होते हुए बनाना चाहिए। ईशान की और संरक्षक देवता के स्थान को विशाच विथी के बाहर बनानी चाहिए। इस क्षेत्र में मेढक के आकायुक्त गलियों में दोंनों और पेदल मार्ग के साथ बनाना चाहिए। उत्तर - पूर्व , दक्षिण- पूर्व , दक्षिण -पश्चिम व उत्तर पश्चिम चारों कोनों में विश्राम गृह, प्याउ, मंदिर, मठ क्रमश: बनानी चाहिए। जन भवन किसी भी पद पर बनाया जा सकता है।

आंतरिक मालवाहक संड़कों के अन्त में एक मठ / सन्यसिनियों का आश्रम या उपदेश, धर्मशासक या गुरू के लिए बनाना चाहिए। सभी प्रकार के मजदुर के घर मुख्य मार्ग पर एंव बाहरी स्थायी परिखा पर बनानी चाहिए।

५.१३ नन्द्य्यावर्त ग्राम :-

इस प्रकार के २०५ प्रकार होतें हैं जिनकी लंबाई व चोड़ाई बराबर या लंबाई अधिक भी हो सकती है (मानचित्र क्र. ८)। इसमें न्युनतम १५७ दण्ड चौड़ाई से लेकर ५६५ दण्ड तक दो दण्ड की वृद्धि दर से हो सकती है। ये ग्राम ब्राम्हणों के निवास हेतु अच्छे कहें गयें है । अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो उसकी भूमि की योजना पद विन्यास छंदिता या मण्डूका ६४ से करना चाहिए। अगर लंबाई चौड़ाई से अधिक है तो परमशाचिक पद विन्यास ८१ पद से नियोजित करना चाहिए। अगर लंबाई व चौड़ाई बराबर हो तो स्थण्डिल पर विन्यास ४९ पद से नियोजित करना चाहिए। इन ग्रामों के चारों और चारदिवारी व उसके बाहर चारों और खाई (Ditch) खोदनी चाहीए। इसकें चारों और फेरिंग की जानी चाहिए। चारों उन दिशाओं के मध्य में ८ द्वार बनाने चाहिए। यह चौकोर या वृत्ताकार हो सकतें है। सभी दरवाजें एक दूसरें के समान्तर होने चाहिए। अगर आवश्यक नहीं हो तो २ द्वार ही बहुत है और वह पूर्वि व पश्चिमी दिशा में बनाए जाने चाहिए। तथापि चारों कोनों में द्वार रखना ही चाहिए। मुख्य दरवाजें के बाजु में छोंटे द्वारों को नाग, मृग, अदिति, उदिता, पर्जन्य, अंतरिक्ष, पूषान, वितथ,गंधर्व, भृंगराज, सुग्रीव या असुर भागों में बनाना चाहिए । इसी प्रकार जल - मल निकास (ड्रेन गेट्स) मुख्य, भल्लाट, मृग, उदिता, जंयत, महेन्द्र, सत्यक, या मृष पदों पर बनाना चाहिए।

५.१४ पद्मक ग्राम :-

इस प्रकार के ग्रामों में आवासीय भवन चारों कोंनो के प्रत्येक छह पदों को कर्ण रेखा (Oblique line)जिसे 'सुला' कहते हैं, से विभाजित करना चाहिए (मानचित्र क्र.०९)। यह आवश्यक है कि सार्वजनिक सभा - गृह एंव मंदिर उक्त पदों पर बनाए जाएँ, इस प्रकार के ग्रामों को छंदिता ६४ स्थण्डित ४९ पद विन्यास द्वारा नियोजित करना चाहिए। इस ग्राम में ४ से ८ गलिंया, सड़कें होना चाहिए । मध्य में कोई कर्ण सड़क नहीं होना चाहिए। सभी मालवाहक सड़कें बाहर व अंदर चारों और फुटपाथ युक्त होना चाहिए।

इस प्रकार के ग्रामों में अन्य अभिकल्पन नन्द्यावर्त ग्राम की तरह ही किया जाना चाहिए।

५.१५ स्वस्तिक ग्राम :-

इस प्रकार के ग्राम का आंतरिक नियोजन स्वस्तिक ( ) चिन्ह की तरह होता हैं (मानचित्र क्र.१०)। यह ग्राम राजाओं के लिए होतें हैं। इसका माप २०० दण्ड से लेकर २००० दण्ड तक चौड़ाई २० दण्ड की वृद्धि दर से तथा लंबाई चौड़ाई के बराबर होना चाहिए। ग्राम के मध्य में पूर्व से पश्चिम तक "रथयामार्ग" बनाना चाहिए। इसके मध्य में दो विधी, अग्र में दो विधी, मूल में दो विथि, चारों दिशाओं व चारों को जोड़नें वाली, मध्य तक बढी हुई व चारों कोण पर समाप्त होने वाली होनी चाहिए। इसके चारों और खाई बनाना चाहिए । इसकी दिवारों पर निगरानी कक्ष(Watch Towers) बनाने चाहिए। यह ग्राम यक्ष, रूद्र, नट व अन्य द्वार सुरक्षित होना चाहिए।इस ग्राम के आठों द्वार चारों दिशाओं में स्वस्तिक ग्राम के बिंदुओं पर लना चाहीये।प्रत्येक ओर दो द्वार होना चाहीये।इस ग्राम सहित द्वारों की विस्तृत विवरण व्याख्या बिंदु क्र.५.८में की गई है।

यह स्वस्तिक आकार में सड़कों , गली युक्त ग्राम होता है। सड़कों के दोंनो और फुटपाथ होने चाहिए। जिसकी चौड़ाई छोर पर कम होनी चाहिए। इस ग्राम में मंदिरो के चारों और आवासीय भवन बनाने चाहिए। मध्य सड़क के ओर स्थित आवासीय भवन के लिए एक फुटपाथ बनाना चाहिए व बाहर के मार्ग पर दो फुटपाथ पदयात्रियों की सुविधा के लिए बनाना चाहिए। ग्राम के बाहर इच्छानुरूप मंदिर बनाया जा सकता है । ग्राम के बाहर पूर्व व पश्चिम या उत्तर - पश्चिम की और पथ पेवेलियन बनाना चाहिए। इस ग्राम के बाहर उत्तर पूर्व में चामुण्डा देवी का मंदिर उत्तर मुखी कुछ दूरी पर बनाना चाहिए। इसें स्थानीय १२१ या परमशायिका ८१ पद द्वारा नियोजित किया जाना चाहिए।

५.१६ प्रस्तर ग्राम:-

यह ग्राम क्षत्रिय व वैश्य वर्ण के निवास हेतु उपयुक्त है(मानचित्र क्र.११।)इसें परमशायिका ८१ या छंदिता ६४ या स्थण्डित ४९ पद विन्यास या अन्य पद विन्यास द्वारा नियोजित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के ग्रामों को (वप्र)चार दिवारी व बाहर खाई बनाकर सुरक्षित कराना चाहिए। इसमें ४ या ८ या १२ दरवाजें बड़ी सड़कों के अंत में बनाना चाहिए। एक बड़ी सड़क को पिशाच विथी में बनाना चाहिए। जिसकें दोनों और फुटपाथ पूरे ग्राम के चारों और बनाना चाहिए। पीचक ४ पीठ ९ पद विन्यास में सड़क पिशाच विथी से निंरतर होना चाहिए । इसें सभी विस्तारित सड़कों से जोड़ना चाहिए। महापिठ २१ का पर समूह सड़कों से जुड़ा होना चाहिए। पीठ समुह में एक सड़क बनाना चाहिए। उसको काटतें हुए ग्राम व्यापारियों हेतु स्टाल्स (Stalls)नाने चाहिए।इन सड़कों में राजमहल को जोड़ते हुए पद मार्ग (फुटपाथ)बनाना चाहिए।

इस ग्राम की चौड़ाई २०० दण्ड से प्रारम्भ कर २०००दण्ड तक, १०० दण्ड की वृद्धि दर से बनानी चाहिए।

५.१७ कार्मुक ग्राम :-

इस प्रकार के ग्राम वर्गाकार या आयताकार होते है (मानचित्र क्र.१२) ।इसकें भी तीन सह प्रकार पत्तन, खेटक व खर्वट होते है। पत्तन प्रकार में वैश्यों की संख्या सबसे अधिक जबकि खेटक में शूद्रों की व खर्वट में क्षत्रियों की संख्या अधिक होती है। एक कुशल स्थापति भूमि के आकार व प्रकार को देखकर ग्राम नियोजित करना चाहिए कार्मुक ग्राम को नदी या समुद्र के तट पर बनाना चाहिए। मार्गों के सिरों पर संधि मार्ग (Junctions)बनाने चाहिए। मार्ग के प्रत्येक चौथाई याने पश्चिम व उत्तर तथा दूसरा मार्ग दक्षिण व पश्चिम उपयुक्तता अनुसार जोड़ते हुए बनाना चाहिए। बाहर की ओर मार्ग विथी धनुषाकार होना चाहिए। इसमें १ या २, ३ या ४ या ५ जोड़ें मार्ग बनाना चाहिए। मालवाहक मार्ग बड़ा बनाना चाहिए जिसमें दोनों ओर पैदल मार्ग फुटपाथ होना चाहिए। आड़ी सड़कों में एक ओर पैदल मार्ग बनाना चाहिए। इस ग्राम में आवश्यकता अनुसार कई दरवाजे बनाना चाहिए। जिसमें सुरक्षा हेतु पैदल मार्ग बनाए या नहीं भी बनाए जा सकते हैं। पुर्व उपरोक्त वर्णित ग्रामों में बताए अनुसार देवताओं के मंदिर बनाने चाहिए। भगवान विष्णु व शिव के मंदिर दो मार्गो की संधि पर बनाना चाहिए अगर नहीं तो इन्हें जहाँ कोई मार्ग

नहीं हो, वहाँ बनाना चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर का पृष्ट भाग ग्राम की ओर बनाना ,अति उत्तम बताया गया है। कार्मुक ग्राम की चौड़ाई ६५ दण्ड की वृद्धि दर से बनाना चाहिए। यह ग्राम वैश्यों के लिए सर्वाधिक शुभ कहा गया है।

५.१८ चतुर्मुख : -

इस प्रकार के ग्राम आयताकार या वर्गाकार खाका युक्त होते है (मानचित्र क्र.१३)। इसकें चारों ओर चार दीवारी होना चाहिए। ग्राम के मध्य ब्रहम पद से ४ मार्ग चारों दिशाओं पूर्व,पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में बनाना चाहिए। एक बड़ा मार्ग ग्राम के चारों ओर दो पैदल मार्ग युक्त बनाना चाहिए। मध्य से चार मार्ग केअंत में चार द्वार बनाने चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक ओर एक दरवाजा बनाना चाहिए। उपरोक्त प्रकार के ग्रामों में बताए अनुसार छोटे द्वार भी बनाना चाहिए। बड़ें मार्गो पर सभी वर्ण हेतु मार्ग बनाना चाहिए। यह ग्राम शूद्रों के लिए शुभ हैं। एक महा द्वार तथा अन्य उपद्वार होने चाहिए।

इस प्रकार के ग्राम के भीतर यदि शूद्रों के संघ अधिक हो तो आलय , ब्राहम्णों के संग अधिक हो तो पद्म और वैश्यों के संग अधिक हो तो कोलक तथा ब्राहम्ण, क्षत्रिय व वैश्यों के घर सभी ग्राम के चार भागों में बनाना चाहिए फिर भी यदि दक्षिण-पूर्व में अगर ब्राहम्णों के घर है तो क्षत्रियों (राजाओं) के घर दक्षिण-पूर्व में बनाना चाहिए।

इसी प्रकार यदि वैश्यों के घर उत्तर - पश्चिम में हो, तो शुद्रों के घर उत्तर- पूर्व में बनाना चाहिये। अंतिम पिशाच विथी में कामगारों के निवास बनाने चाहिए। भगवान विष्णु, शिव रूद्र या अन्य देवताओं के मंदिर पहले बताए ग्रामों के अनुसार ही बनाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि कुशल स्थपति को सभी ग्रामों का पुनर्नियोजन या ग्राम का विस्तार करना हो तो ,पूर्व या उत्तर दिशा में करना शुभ व वैभवदायक होता है। यदि विस्तार दक्षिण-पश्चिम में होतो है तो कम शुभदायी होता है। वैसे विस्तार चारों दिशाओं में करना चाहिए ,परन्तु केवल तभी जब वास्तविक क्षेत्र का लोकाचार यथावत् रहे। यह नियम प्राचीन ग्राम हेतु बताया गया है।

'मयमत' नामक स्थापत्य केअनुसार नगरों को ३०० से ८०० चाप से प्रारंभ कर १० चाप की वृद्धि दर से ८ हजार चाप तक ७८ चाप चौड़ाई युक्त ग्राम के भेद कहे गए है नृप के उत्कृष्ट पुर की परिधि के पाँच-पाँच मान १६ हजार दण्ड तक कहे गए है। इसी प्रकार शुद्र, खेट,खर्वट,निर्गम, कोरम, लालक,विदम्ब नामक ग्रामों के कई भेद बताए गए हैं। इन नगरों की लंबाई २,१ सही१/४ गुजा चौडाई से या लंबाई १/६ या १/८ गुना चौडाई से अधिक भी हो सकती है।

इस प्रकार एक कुशल स्थपति उपर बताए अनुसार एश्वर्य व कार्य सिद्धि के लिए नगरों,उपनगरों व ग्रामों को नियोजित या पुर्ननियोजित करें।

इस प्रकार आंशिक ग्रंथ भेद के अनुरूप नगरादि के मान व संज्ञाओं के सिंद्वात बताए गए है।

५.२ नगरादि के आकार व दिक् निर्धारण का सिद्वांत :-

आकार का सिद्वांत देश-प्रदेश, जिला, ब्लॉक, तहसील, ग्राम की सीमाओं पर तथा यहाँ तक की खसरा मानचित्र पर एक विहंगम द्दष्टि डालने पर यदा-कदा ही इनमें किसी का आकार शत-प्रतिशत चौकार या आयताकार या त्रिभुजाकार या बहुभुजाकार देखने में आता है। ब्रिटिश शासनकाल के समय से ही संभवत: सर्वे ऑफ इंडिया सहित सभी ने इसको उत्तर दिशा के संदभं में इनके माप आदि उपलब्ध प्रमाणिक नक्शों में दिए गए हैं।

देश से लेकर खसरे तक भूखण्ड के आकार जैसे-चौकोर, आयताकार, त्रिभुजाकार, छिन्नकर्ण व वज्राकार आदि के अनुरूप ही इनके गुण-दोष महर्षि स्थापत्य वेद के संदर्भित ग्रंथों में सामान्य ग्रंथ भेद के अनुरूप विस्तृत विवरण दिया गया है।

५.२१ आकार का सिद्धांत:-

आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे व इनवेस्टीगेशन विषय में प्रिजमेटिक कम्पास से दिशा निर्धारण करना सबसे पहले सिखाया जाता है ,परन्तु मात्र उसकी अनदेखी ने ही देश-प्रदेश की सड़कों सहित अधिकांश संरचनाओं को दिक्मूड़ बनाया जिसकें कारण जनता व शासन दोनों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा

हैं। अगन हम सर्वप्रम खसरा प्लान ही उठाकर देखें तो उसमें भूमि का आकार यदा-कदा ही दिशा अनुरूप आयाताकर या वर्गाकार या वृत्ताकार या त्रिभुजाकार ज्यामिति के सिद्धांतों के अनुरूप नक्षे में दिखाई नहीं देता। इसी तरह वार्डो,ग्रामों, तहसील,जिला प्रदेश की सीमाओं के अनुरूप आकार भी शायदही कोई शास्त्रोक्त हो।इस दोष के निरूपण के लिए इनके सीमा क्षेत्रों को एक निश्चित आकार ग्रंथों में बताए गए अनुसार देकर विकास योजनाएँ एक-दूसरे से सम्बद्ध कर बनाई जा सकती हैं क्योंकि सिर्फ वार्डो का ही पुर्नसीमांकन करने का कार्य राजनीति एवं स्वार्थ तथा कानूनी दाव पेचों के रहते नहीं होने से अधिनियम बनकर संशोधित होना एक लंबी प्रकिया है।

देश प्रदेश जिला ,ब्लाक, तहसील,ग्राम आदि की सीमांओं पर यहां तक की खसरा मानचित्र पर एक विहंगम द्दष्टि डालने पर यदा कदा ही इनमें किसी का भी आकार शत-प्रतिशत चौकोर या आयताकार या त्रिभुजाकार देखने में नहीं आता है।ब्रिटिश शासन काल के समय से ही संभवत: सर्वे आफ इंडिया सहित सभी ने इनको उत्तर दिशा (संदर्भ में चिन्ह **N**)का अंकन कर ,इनके नाप आदि के साथ प्रमाणिक नक्क्षों मे दिये जाते रहें हैं।

देश प्रदेश से लेकर एक भूखंड के आकार शत-प्रतिशत चौकोर या आयताकार या त्रिभुजाकार या छिन्नकर्णया वज्राकार आदि के अनुरूप ही इनके गुण दोष महर्षि स्थापत्यवेद के संदर्भित ग्रंथों में आंशिक ग्रंथ भेद के साथ विस्तृत विवरण दिया गया है।

५.२२ नगरादि के विन्यास में भूमि का विशेष आकार व उनके परिणाम निम्नानुसार बताये गये है :-

1. छिन्नकर्णपुर :- (जिसके कोने कटे हों) इसमें बसने वाले लोगों को चेारों (तस्करों)से, व्याधियों से तथा शत्रुओं से भय रहता है।
2. विकर्णपुर :- (तिरछे आड़े कोने हो) इसमें रहने वाले भद्र मनुष्यों को दुष्ट राजा, सर्वलोक-निन्दित ,असंतानता और कम आयु ये दोष प्राप्त होते हैं।
3. वज्राकृतिपुर :- इस पुर में बसने वालों को स्त्री से पराजय, विष रोग और अनेक प्रकार के भेदों (फूट)का भय रहता है।
4. सूची - मुखाकारपुर (सुपड़ा) :- इस पुर में रहने वाले व्यक्ति क्षुधा एवं व्याधि से परिपीड़ित रहते हुए हमेशा नाश को प्राप्त होते हैं।
5. वर्तुलपुर (वृत्ताकार) :- इस पुर में रहने वाले मनुष्य अपने राजा के साथ नष्ट होते हैं और उनका सारा संचय नष्ट हो जाता है। उनकी अवस्थाएँ भी छोटी होती हैं।
6. व्यंजनाकारपुर (पंखा) :- इसमें रहने वाले मनुष्य असत्यवादी, स्वल्पायु, वात रोग से आक्रान्त तथा आँधी तूफानों से सताए हुए और चलचित होते हैं।
7. चापाकारपुर (धनुष की चाप का आकार) :- इस पुर में रहने वाले मनुष्य दुष्चरित्र स्त्रियों से युक्त होते है और उनमें से बहुत नपुंसक होते हैं, यह ध्रुव है।
8. शकटद्विसमाकार (दो गाड़ियों के आकार) :- इस पुर का यदि निवेश होता है तो वहाँ पर रोग, शोक, अग्नि और चोर का भय होता है।यह कार्यरम्भ में ही असफलता ,विप्र को भय ,भाई बन्धुओं में फूट डालता है।
9. द्विगुणायत संस्थान :- नगर की लंबाई से दुगनी से अधिक होती है तो आरम्भ से ही असिद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मणों के लिये यह नगर भय-दायक होता है तथा लोगों में स्ववर्गीयों एवं कुटुम्बियों से झगड़ा रहता है और यहाँ पर पुर वासियों तथा राजा के घोड़ों और हाथियों का नाश भी हो जाता है। ऐसे नगर को बलशाली शत्रु हमला करके उपभोग करते है।
10. भुजंग कुटिलपुर (सर्पचक्र) :- इस पुर में लोग शस्त्र, अनिल, पिशाच, अग्नि, भूत, यथादि के भय से दुखित रहते है और रोगों से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते है।

इस प्रकार नगरों के इन अप्रशस्त संस्थानों का वर्णन किया गया है। तथा इस प्रकार के किसी एक भी आकार में नगर का निर्माण नहीं करना चाहिये। इन निन्दित नगरों में से यदि किसी एक का भी संस्थान अज्ञानवश अथवा प्रमादवश हो जाता है तो सारे का सारा राष्ट्र क्षुधा, शत्रु-भय और मृत्यु से निपीड़ित होता है इसलिए शास्त्रज्ञ स्थपति को प्रयत्नपूर्वक बुद्धि से सुंदर नगर जैसा कि पूर्व में प्रतिपादित किया

गया है, स्थापना करनी चाहिये।

''कुदिशा''(दिक्मूड़) याने कि पूर्व – पश्चिम या उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त अन्य दिशा (कोणीय) वाले नगरादि में आदमियों का नाश, अग्निदाह और स्त्रीकृत भय से दुखित रहते है तथा यहाँ क्षेम नही रहता है।

भूमि चयन व परीक्षा से संबंधित संमराङ्गण सूत्रधार (भवन – निवेश) के ही अध्याय क्रमांक 19 ''वास्तु संस्थान मातृका'' अध्याय में भूमि 40 प्रकार के आकार/क्षेत्र बताए गए हैं जिसमें चौकोर भूमि राजा हेतु, शाऽयाकार पुरोहित हेतु, दीर्घ में छोटे राजकुमार, वृत्तायत में सेनापति, शंबुक में गज, अश्व आदि, शटकाकृति में बनिया लोग, भग संस्थान में वेश्याएं, दर्पणाभ में सुनार, वज्र सदृश में नगर गोष्ठिक, शंख संस्थान में पुत्राभिलाषी, छिन्नकर्ण में महामात्र, विकर्ण में बहेलिए, शंखाभ में काने, क्षुरोपम में गणाचार्य, शक्तिमुख में वज्राध्यक्ष तथा कूर्मपृष्ठ में ''माली'' लोगों को बसना चाहिए।

इसी प्रकार संदश में ''दर्जी'' लोग, व्यजनोपम में वाजि पोषक या साइस लोग, शखाकृति में बडई और स्वस्तिकाकृति में ''बंदी'' लोग व नरपद में 'चोर' प्रलम्ब (युगल) में नाई लोग का निवास आदि बताए गए हैं। समराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) विशेषतौर पर विभिन्न कर्म के उपजीवियों, के निवास संबंधी क्षेत्रों का विचार पूर्वक विस्तृत विवरण दिया गया है

५.२३ श्री निकेतन आनन्द गौड़ द्वारा लिखित पुस्तक ,वैदिक वास्तु विद्या एवं रोगकारक वास्तु में बताया गया है कि :–

वर्गाकार या आयताकार जिसके चारों कोण ९० डिग्री हो ,वह भूमी क्रमश: विशेष धन प्रदायक व सर्व सिद्बीदायक होती हैं। पूर्ण वृत्ताकार ३६० डिग्री भूमि को भी शुभ व विद्ववत्ता देने वाली शुभ माना गया है। मृदंगाकार या अर्धवत्ताकार भूमि को अशुभ बताया गया हैं। इसी प्रकार त्रिकोणाकार भूमि पर निवास करने से भूमि की हानि होती है, तथा शंकटाकार भूमि पर निवास से पुत्र हानि, सूपाकार, भूमि से सुख की हानि, कुल्हाड़ी आकार की भूमि त्याज्य, मूसलाकार भूमि वंश नाशक पुत्रों को जन्म देने वाली, चिपिटाकार भूमि पुरूषों से हीन तथा मुगदर, गदा आकार भूमि पुरूषों से हीन होने का विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार बताई गई है।

५.२४ गीता प्रेस गौरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक भवन भास्कर में :–

वास्तु–शास्त्र की मुख्य बातें के ११वें अध्याय में गृहों के आकार के बारें में बताया गया हैं कि वास्तु शास्त्र में चौकोर, आयताकार, भद्रासन और वृत्ताकार – इन चार घरों को श्रेष्ठ बताया गया है। यद्यपि चौकोर घर को सभी ग्रंथो में उत्तम बताया गया है। तथापि ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान् श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा के प्रति कहा है –

दीर्घे प्रस्थे समान्श्च न कुर्य्यान्मन्दिर बुध:।
चतुरस्त्रे गृहे कारों गृहिणा धननाशनम्॥

बुद्धिमान पुरूष को चाहिये कि जिसकी लम्बाई–चौड़ाई समान हो, ऐसा घर न बनाये, क्योंकि चौकोर घर में वास करना गृहस्थों के धन का नाश होता है।

आयताकार मकान में चौडाई से दुगनी से अधिक लंबाई नही होनी चाहिये। चौड़ाई से दुगनी या उससे अधिक लंबाई गृहस्वामी के लिये विनाशकारक होती है –

विस्ताराद् द्विगुण गेहं गृहस्वामिविनाशनम्। विश्वकर्माप्रकाश २/१०९ ।

चक्र के समान घर में दरिद्रता आती है विषमबाहु घर में शोक होता है। शकट के समान घर में सुख और धन की हानि होती है। दण्ड के समान घर में पशुओं की हानि तथा वंश का नाश होता है।

मृंदग के समान घर में स्त्री की मृत्यु, वंश की हानि बन्धुं नाश होता है। पंखी के समान घर होने से धन का नाश होता हधे। कछुए के समान घर में बन्धन और पीड़ा होती है। ऐसे घर में मूर्ख एवं पापी पुत्र पैदा होते है। कुम्भ के समान घर में कुषठ रोग होता है। मुद्गर के समान घर में पुरूषार्थ की हानि होती है। कुल्हाड़ी के समान घर में मूर्ख

एवं पापी पुत्र उत्पन्न होते है। तीन कोने वाले घर में राभय, पुत्र की हानि, दुःख, वैधण्य एवं मुत्यु होती है। पाँच कोने वाले घर में संतान को कष्ट एवं धर विनाशकारक होता है। छः कोने वाले धर में मृत्यु एवं क्लेश होता है। सात कोने वाले घर अशुभ फल देने वाल होता है। आठ कोने वाले घर में रोग तथा शोक होता है। छाज के समान घर में धन एवं गायों का नाश होता है। चौड़े मुख वाले घर में बन्धुओं का नाश होतो है।

५.२५ :-स्थापत्यवेद के मयमत नामक गृथ में :-

वृत्ताकार त्रिभुजाकार, वज्रकार याआड़े टेडे आकार, कुर्माकार, अवतलाकार, मृदंगाकार, खगाकार, मुर्जाकार, वानर, सूर्य, टोंकनी ,ओंखली या मत्स्याकार भूमी भी त्याज्य कही गई है।इसमे नगर नियोजन संबंधि सिद्धांतों मे बमाया गया हे कि नगरों की वप्र प्राकार चतुरष आयताकार,वृत्तायत,द्धम्स्स्प्च्ज्प्बास्त्र एवं ग्राम विन्यास के अर्न्तगतग ग्रामों का वर्गीकरण उनकी लंबाई ,चौड़ाई ,आयादी,निर्णय विधी के अनुसार ८ प्रकार के बतायें गयें हैं ।इसी प्रकार ग्रामों को उनकी बसाहट एवं मार्ग आदि के आधार पर भी वगाृकृत किया गयया हैं।

इस प्रकार हमने देखा कि उपर्युक्त वर्णित तीनों ही मूल ग्रंथो एवं प्रमाणिक पुस्तकों में नगर व ग्राम नियोजन में इनके आकार के सिद्धांत ,आंशिक भेद के साथ विभिन्न द्रिष्टकोणाों से दिया गया है।एक शास्त्रज्ञ स्थपति को देश ,काल ,परिस्थिाति के अनुरूप नगरादि का नियोजन सुनिश्चित करना चाहिये।

५.२६ दिक निर्धारण के सिद्धान्तः-(मानचित्र क्र.२४अ)

स्थापत्यवेद में दिक (दिशा) निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखाता है। इसके बारे में मानसार ग्रंथ के अध्याय क्रमांक 6 ''शङ्कस्थापन लक्षणम्'' में दिशा ज्ञात कर खूंटी (शंङ्क) लगाने का विवरण दिया गया है।

अथातः संप्रवक्ष्यामि शङ्कस्थापनलक्षणम्।
आदित्योदयकाले तु शङ्कस्थापनमारभेत् ॥[1]
उत्तरायणमासे तु दक्षिणायनमे (न ए)व वा।
शुक्लपक्षे तथा (ऽथवा) कृष्णापक्षे शुभतमे दिने ॥[2]

पूर्णिमा व अमावस्या को छोडकर उत्तरायण अथवा दक्षिणायन के शुक्लपक्ष अथवा कृष्ण पक्ष में शुभ दिन, शुभ मुहुर्त में सूर्योदय के समय शङ्क(खूंटी) का स्थापन करें तथा अपराहन तक स्थित रखें। शङ्क (खूंटी) स्थापना के एक दिन पूर्व स्थान को शुद्ध कर, चयनित भूमि के मध्य में चार हस्त प्रमाण का चौकोर (वर्गाकार) बनाएं व समतल कर शंङ्क स्थापना करना चाहिए शङ्क स्थापना के लिए खदिर, शमी वृक्ष, चंदन, तिंदुका, दुग्ध, अमलतास, दन्त आदि वृक्षों की लकड़ियां ले।

सबसे बडे शङ्क की लंबाई एक हस्त तथा उसका मूल छः अंगूल होना चाहिए, उसका अग्र भाग दो अंगुल होना चाहिए एवं उसके मूल भाग से अग्र भाग तक, क्रम से कम होना चाहिए। उसका अग्र भाग वृत्ताकार छिद्र रहित तथा छत्राकार होना चाहिए ये उत्तक शङ्क के लक्षण है।

मध्यम शङ्क की लंबाई अठारह अंगुल, मूल पांच अंगुल तथा शीर्ष (अग्रभाग) एक अंगुल शेष पूर्वानुसार होना चाहिए। सबसे छोटे शङ्क की लंबाई बारह अंगुल, मूल चार अंगुल तथा अग्रभाग 1/3 अंगुल होना चाहिए।

मध्य में निर्दिष्ट स्थल पर कुशल सूत्रग्राही द्वारा शङ्क की लंबाई से दुगना अर्धव्यास लेकर उसके चारो ओर घूमकर गोल बनाना चाहिए और गोले के मध्यमें शंङ्क गाड़ना चाहिए। सुबह स्थपति का पश्चिम गोले पर जहाँ शंकु की नोक का प्रतिबिम्ब धूप से पड़ रहा हो वहाँ एक बिन्दु लगाएं। इसी प्रकार दोपहर पश्चात् भी एक बिन्दु लगाएँ। सुबह की परछाई व शाम की परछाई गोले की परिधी पर दोपहर के बिंदु से बराबर दूरी (Interval) पर मिलती है। इसके बाद शङ्क को वही लगे रहने देना चाहिए।

शंकु की लम्बाई को 96 भाग में कर और ''अपछाया'' इन भागों में छोड़ देना चाहिये, वांछित पूर्व दिशा को फिर ज्ञात करना चाहिये। 'कन्या' के माह (अगस्त व सितम्बर) व 'वृष' (अप्रेल – मई) में कोई अपछाया नहीं होती। अपछाया शेष बची वह 2 अंगुल, 4 माह में, 'मेष'(मार्च व अप्रैल) 'मिथुन' (मई व जून) 'तुला'(सितम्बर व अक्टूबर) व 'सिंह' (जुलाई व अगस्त) में, 4 अंगुल 'वृश्चिक' माह में (अक्टूबर व नवम्बर), 'कर्क' (जून व जुलाई) एवं 'मीन' (फरवरी व मार्च) 6 अंगुल धनुष माह में (नवम्बर व दिसम्बर) एवं 'कुंश' (जनवरी व फरवरी)

एवं विशेषतौर पर 8 अंगुल बताई गई है। 'मकर' माह में (दिसम्बर व जनवरी) परछाई से दायीं व बायी ओर मध्य बिंदु से उक्त अंगुल को अंकित कर (साथ में) बाद में शेष बचा इन अंगुल के घटाने के बाद, वांछित पूर्व रेखा बनाना चाहिये।

उत्तरी छः मास में, मकर से प्रारंभ कर (दिसम्बर 21/22) परछाई **दक्षिण** की ओर झुकेगी व **दक्षिणी** छः मास, (जून 21 – 22), में परछाई उत्तर की ओर झुकेगी।

पूर्व में बायीं और मुँह लिये परछाई – बायीं ओर बिंदु अंकित करना चाहिये। फिर पूर्व की ओर चलना व पश्चिमी बायीं ओर के दायें बिंदु को अंकित करना चाहिये। त्रिज्या (Cord) को उत्तर से होते हुये लेकर, पूर्वी क्षेत्र, पहले का विस्तारकर, अंगुल 3 को अंकित सामने करना चाहिये (Fish) में प्रवेश का दरवाजा, रेखा के उत्तर की और दक्षिण में, रेखा बनाये इसके (Fish) के ऊपर और नीचे। त्रिज्या को लेकर बिंदु गोले पर घुमाकर अंकित करना चाहिये।

मेषे च मिथुने चैव तुलासिंहचतुष्टये ॥[1]
एवं हि द्वपङ्गुलं न्यस्तं वृश्चिकाषाढमीनयों : ॥
चतुरङ्गलं प्रकर्त्तव्यं धनुःकुम्भौ (म्भयोः) षडुलम् ॥[2]

मेष (मार्च – अप्रेल) के माह में अपछाया 2 अंगुल, प्रथम दस दिनों में शेष रहना चाहिये। एक अंगुल भाग, मध्य के दस दिनों में व अंतिम दस दिनों में कुछ नहीं होगी।

वृष (अप्रेल – मई) में प्रथम दस दिनों को छोड़ना चाहिये, एक अंगुल भाग को छोड़ दें, मध्य के दस दिनों में, दो अंगुल भाग अंतिम दस दिनों में छोड़ना चाहिये।

मिथुन (मई – जून) में 3 अंगुल भाग को छोड़ देना चाहिये प्रथम दस दिनों में, 3 अंगुल भाग मध्य के दस दिनों में और अंतिम दस दिनों में 4 अंगुल भाग छोड़ना चाहिये।

कर्क (जून – जुलाई) माह में 2 अंगुल भाग प्रथम दस दिनों में, 3 अंगुल भाग मध्य दस दिनों में व 2 अंगुल भाग अंतिम दस दिनों में छोड़ना चाहिये।

सिंह (जुलाई – अगस्त) में 2 अंगुल प्रथम दस दिन, एक भाग मध्य दस दिन व अंतिम दस दिनों में कुछ नहीं छोड़े।

युवती (अगस्त – सितम्बर) प्रथम दस दिनों में कुछ नहीं छोड़े, मध्य दस दिनों में एक अंगुल भाग व अंतिम दस दिनों में 2 अंगुल भाग छोड़ना चाहिये।

तुला (सितम्बर – अक्टूबर) प्रथम दस दिन में 2 अंगुल, मध्य में 3 अंगुल, व चार अंगुल अंतिम दस दिनों में छोड़े।

वृश्चिक (अक्टूबर–नवम्बर) में 10 अंगुल प्रथम दस दिनो में, पाँच भाग मध्य दस दिनों में व अंतिम में 6 अंगुल छोड़ना चाहिये।

धनुष (नवम्बर – दिसम्बर) 6 अंगुल प्रथम दस दिन, 7 अंगुल मध्य में, 8 अंगुल अंतिम दस दिनों में छोड़ना चाहिये।

मकर (दिसम्बर – जनवरी) एक कुशल स्थपति को 8 अंगुल प्रथम दस दिनों 7 अंगुल मध्य व 6 अंगुल अंतिम दस दिनों में छोड़ना चाहिये।

कुंभ (जनवरी – फरवरी) में स्थपति को प्रथम दस दिनों में 6 अंगुल, मध्य दस दिनों में 5 अंगुल व अंतिम दस दिनों में 4 अंगुल छोड़ना चाहिये।

मीन (फरवरी – मार्च) में प्रथम में 4 अंगुल भाग मध्य में 10 अंगुल व अंतिम दिनों में 2 अंगुल छोड़ना चाहिए।

कन्या व वृषभ में बीस दिन अपछाया नहीं रहती है। इस प्रकार इन अपाक्षय सूत्र एवं अपछाया सूत्रों में बताए गए सिंद्धातों से सही गणना कर ही सही शंकु स्थापन किया जा सकता है। स्थपति व जातक को पूर्व या उत्तर की

१–२ मानसार/अ.०६/१–२

और मुख करके, बाएँ हाथ से खात शंकु पकड़े दाहिने हाथ में हथौड़ा पकड़कर प्रत्येक शंकु पर आठ प्रहार करें। शंकु स्थापन काल में ब्राह्मण 'स्वस्तिवाचन' करे व उपस्थित समूह भी स्वस्तिवाचन करें।

जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भवन – निवेश) के अध्याय क्रमांक 21 'कीलक सूत्रपात' में बताया गया है कि किसी भी भवन का निर्माण में ''कीलक सूत्रपात'' से हो तो है कीलक सूत्रपात में कीलकों की स्थापना पूजन किया जाकर भूखण्ड का दिशा निर्धारण किया जाता है। यह विधि पूर्णत: प्राकृतिक है, सूर्य की किरणों और शंकु की छाया पर आधारित यह विधि पूर्णत: वैज्ञानिक और किसी भी तरह की त्रुटि से रहित है। यह इसलिये क्योंकि जब हम दिशा निर्धारण की आधुनिक विधि तथा चुम्बकीय सुई का उपयोग करते हैं तो क्षेत्रीय आकर्षण (णद्रत्तीड्य – श्ञ्ड्रीत्तञ्रूद्धछ) से (विद्युत लाइन, टेलीफोन लाइन, लोह की वस्तुओं आदि से) त्रुटि की बहुत अधिक संभावना रहती है। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि हमारे इस स्थापत्य वेद के वास्तुशास्त्र की प्रत्येक क्रिया, पूजन आदि में एक कार्य के साथ दूसरी अनेक परीक्षायें (Test) भी उस पूजन के विधान के साथ सम्पन्न कर ली जाती हैं ताकि यदि एक बार कुछ गलती हो जावे तो वह दूसरी, तीसरी, चौथी बार ध्यान में आ जाये और उसका उस समस्यानुसार निदान किया जा सके। यह एक बहुत बड़ी विशेषता है और शास्त्र की पूर्णता को दर्शाता है।

आज जैसे कीलक सूत्रपात के साथ दिशा निर्धारक, भूखण्ड का पद विन्यास और एक बार फिर भूमि परीक्षा आदि भी कर ली जाती है जिसका विवरण अग्रलिखित है।

शास्त्र में कीलक के उपयोग हेतु विशेष लकड़ियों का चयन किया जाना आवश्यक है और भू-स्वामी के वर्णानुसार भी इनमें भेद होता है, जिसे निम्न तालिका से स्पष्ट किया गया है :-

क्र.	वर्ष एवं अन्य वर्ग	वृक्ष विशेष संज्ञा वाली कीलक	आकार	लंबाई	परिधि
01.	ब्राह्मण	पीपल, खैर यह दो मुख्य हैं अन्य लाल चंदन, बेणु (बांस), शाक, शाल, शीशम, तिनिश, घव अर्जुन, अशोक, बड़ हैं।	चौकोर	32 अंगुल	6 अंगुल
02.	क्षत्रिय	लाल चंदन, बांस यह मुख्य एवं कल्याणकारी हैं परन्तु वैश्य एवं शुद्र वर्ण के लिये प्रशस्त वृक्षों से निर्मित कीलक का उपयोग भी किया जा सकता है।	अष्ठकोण	28 अंगुल	6 अंगुल
03.	वैश्य	शाल और शिरीज या शीशम एवं अशोक	षटकोण	24 अंगुल	6 अंगुल
04.	शूद्र	तिशि, धन और अर्जुन	षटकोण तथा सामान्य प्रकृति का इच्छानुसार	20 अंगुल	6 अंगुल
05.	जमींदार	शाक और खेर	अष्टकोण	28 अंगुल	62 अंगुल
06.	बनिया	बड़ और उदुंबर	षटकोण	24 अंगुल	6 अंगुल
07.	मंत्रियों एवं पशु चिकित्सक	सर्ज और अर्जुन	अष्टकोण या षटकोण	28 अंगुल 24 अंगुज	6 अंगुल 6 अंगुल

वृक्षों की संज्ञा :- खैर, उमर (उदुम्बर), पीपल, साल, शाक, अर्जुन, प्रंजन, अशोक, तिनिश, अरूण, शीशम, सर्ज, बड़ बांस।

१-२ मानसार/अ.०६/१६-१७

अपने वर्ण के विपरीत कीलक का निर्माण करना कल्याणकारी नहीं होता है।

षडश्रयस्तु शूद्रस्य प्रकृतेस्तु यदृच्छया।
दार्भमौऔरर्णकार्पासं विप्रादीनां यथाक्रमम्॥[1]
अर्धपर्वतपरीणाहं दृढं सूत्रं तु वर्तितम्।
श्रलाभे स्वस्य सूत्रस्य प्रोक्तादन्यतमं बुधः॥[2]

<u>सूत्र</u>:– दृढ़ सूत्र का निर्माण, ब्राह्मणों के लिये कुश का, क्षत्रियों के लिये मूँज का, वैश्यों के लिये ऊन का एवं शुद्रों के लिये कपास का, आधे पर्व की परिधी वाला होना चाहिये। अपने वर्ण के लिये उपयुक्त सूत्र के अलावा उपरोक्त वर्णित सूत्र का उपयोग भी किया जा सकता है।

इस प्रकार सारी सामग्रियों को एकत्रित करके गृह – स्वामी शुभ दिन में, शुक्ल पक्ष में, शुद्ध होकर और स्नान करके एवं स्थपति भी शुद्ध होकर मंदिर आदि से देवदर्शन पश्चात् भूखण्ड पर जाकर, चारों तरफ शंकुओं की स्थानों की परीक्षा कर गृह के मध्य भाग में ब्रह्मा का पद निरूपण कर, जल छिड़ककर गोबर से लेप कर, चौकोर चार द्वार वाली चावल से वेदी का निर्माण कर मध्य भाग से सोने – चांदी, ताम्बे या मिट्टी का कलश स्थापित करना चाहिये। कलश जल पूर्ण, मणियो, रत्नों, मोतियों, सोने चांदी के पुष्प, फल बीज से पूर्ण होना चाहिये।

इस कलश के उत्तर भाग में कीलकों की स्थापना की जाती है। फिर आठ कीलों की आठों दिशाओं में स्थापना की जाती है। पश्चात विधि विधान से सबकी प्रार्थना मंत्रों की स्थपति की मजदूरों की पूजा करें।

कीलको को सुस्थीर 8 प्रहार लोहे की हथौडी से, उसके मस्तक पर किये जाते है, जिनके निमित्तानुसार उस स्थल का फल एवं भूमि परीक्षा की स्थिति ज्ञात की जाती है। <u>**जो निम्नानुसार है :–**</u>

क्र.	कील पर चोट करने पर उपस्थित लक्षण	फल	विशेष
01.	यदि 'जो', ब्राह्मण, रथ, उत्तम हाथी, कन्यायें, रानियों, शंख, दुंदुभि, बांसुरी, गीत की ध्वनि – अभिर्मूत हो	स्वामी सतत् सुख को प्राप्त प्राप्त कर शांति और एश्वर्य से बढ़ता है।	
02.	यदि छींक आ जाये या कील फूट जाये।	सूत्र और कील दोनों का निषेध समझना चाहिये।	शुभ निमित्त देख पुनः अन्य शंकु का उपयोग करना चाहिये
03.	यदि शंकु भूमि पर धीरे से प्रवेश करें।	कर्मों की सिद्धि होती है और 'घर रत्नों' से भर जाता है।	भूमि उपयुक्त है उसकी घनता (Density) अच्छी है और नींव खुदाई आसानी से हो सकती है।
04.	यदि पृथ्वी में कील प्रविष्ट नहीं होता है।	वहाँ कर्म सिद्ध नहीं होता है। है।	वहाँ की भूमि उत्तम नहीं अर्थात इसकी Density कम है।

यही है हमारे स्थापत्य की सूक्ष्मता का प्रमाण की खूंटी (कील) का वर्णानुरूप लक्षण का विवरण तक शास्त्र में दिया है वहीं दूसरी ओर सृष्टि को प्रारंभ का वर्णन भी व्यापकता हेतु दिया गया है।

	<u>कील का झुकाव</u>	<u>फल</u>	<u>विशेष</u>
01.	यदि कील ईशान दिशा की ओर झुक जावें।	धन और सम्मान कारक	
02.	आग्नेय दिशा की ओर झुक जावें	बड़ा भारी अग्निमय होता है।	
03.	दक्षिण दिशा	राजाओं का मरण और राक्षसों से भय	
04.	उत्तर दिशा	धन – नाश	
05.	वायव्य	शत्रु से भय	
06.	कीलक के कुचीले जाने पर	धन–धान्य, पुत्र–पौत्र के	वहाँ की भूमि की Density अच्छी है

		साथ बढ़ता है और वह घर परम् सिद्धी को प्राप्त करता है	(Compacted Sait Structure) होकर Beautiful Capacity of Soil is Good भार वहन क्षमता अच्छी है

।

07.	यदि ठोकने पर कील फट जाता है	अपशकुन, गृह स्वामिनी या ज्येष्ठ पुत्र का नाश	
08.	यदि कील अपने आप फट जाये या पड़ जाये	गृह स्वामी का वध होता है।	

माला, गंध और धूप से कीलों का परिषेचन कर 'महापुराण साम' का संक्षेप में परिशीलन करके तक त्रैशोक (साम) का जाप करना चाहिये।

क्र.	शंकु निवेशन	मंत्र का जाप	अभिषेक	तंत्र साम के साथ विधान	विशेष
01.	नैऋत्य	त्रैशोक मंत्र	–	लाल चावल	
02.	वायव्य	ऊर्णायत मंत्र	महारत्न साम से	काले चावल	
03.	ईशान		'आग्र – साम' से	पीला चावल	

इसके बाद दो डोरी से लपेटे हुये सूत्र को दक्षिण की ओर से बांधकर ,प्रदक्षिण में फैलाया जाता है। यदि सूत्र भिन्न हो जावें तो स्वामी की मृत्यु का कारण और यदि सूत्र ढ़ीला हो जावे तो पुत्र वध होता है।

शंकु से दिशा निर्धारण :– दिशा ज्ञात करने के लिये गृह के मध्य भाग में केन्द्र बिन्दु पर शंकु की ऊँचाई से दुगनी त्रिज्या का वृत्त बनाया जाता है। तथा केन्द्र पर शंकु को स्थापित कर दिया जाता है। पूर्वान्ह् में जब शंकु की छाया वृत्त को जहाँ पर छूती है। वहाँ तक निशान लगा दिया जाता है। इसी तरह मध्यान्ह में एक समय पुन: शंकु की छायावृत्त को दूसरी तरफ छूती है, उस बिन्दु पर भी निशान लगा लिया जाता है और शंकु को हटा कर दो बिन्दुओं को मिलकार सीधी रेखा खीची जाती है। जो कि पूर्व और पश्चिम को दर्शाती है। तत्पश्चात पूर्व वाले वृत्त वाले वृत्त बिन्दु से वृत्त के व्यास को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाता है इसी तरह से पश्चिम वाले बिंदु से भी, इन दोनो वृत्तों के कटन बिंदुओं को मिला देने पर उत्तर दक्षिण रेखा प्राप्त होती है। अब इन कीलों का समद्विभाग करने वाली रेखाएँ क्रमश: उपदिशायें दर्शाती हैं।

''अपछाया सूत्र'' द्वारा अज इस प्राप्त दिशा चक्र में ''अयन संबंधी'' शोधन किया जाकर सही दिशायें प्राप्त कर ली जाती है।

यह विधि सर्वदोषों से मुक्त होती है जैसे चुम्बकीय सुई में क्षेत्रीय आकर्षण (Local Attraction) के कारण त्रुटि की संभावना रहती है, जिससे सही दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता है। परन्तु इस विधि में ऐसी किसी त्रुटि की संभावना नहीं रहती है।

सूर्य के उत्तरायन एवं दक्षिणायन के बारे में एवं आप क्या समझते हैं एवं शंकु से दिशा ज्ञात करते समय किन बात का ध्यान रखना चाहिये। इस संबंध में बताया गया हैं कि – हमारे सौर मण्डल में पृथ्वी व अन्य गृह सूर्य के चारों और परिक्रमा करते हैं। जिसमें पृथ्वी, सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 365 दिन या एक वर्ष का समय लेती है।साथ ही हम यह भी जानते है कि हमारी पृथ्वी अपने अंश से 22° 23° झुकी हुई है एवं 24 घंटे में अपने अक्ष पर घुर्णन पूर्ण करती है।

इन परिस्थितियों में छ: माह पृथ्वी की स्थिति ऐसी रहती है कि सूर्य कुछ (अधिकतम 23½)की तरफ से उदय एवं अस्त होता प्रतीक होता है, इसे उत्तरायण कहते हैं उत्तरायण को देवों का दिन कहा जाता है। इसी के ठीक विपरीत दूसरे छ: माह में पृथ्वी की स्थिति एवं दैनिक घूर्णन से सूर्य कुछ (अधिकतम 23½)दक्षिण की ओर से उदय एवं अस्त होता है इसे दक्षिणायन कहते हैं। इसे देवों की रात भी कहते है। इन दो अयनों का योग

एक वर्ष कहलाता है।

शंकु से दिशा ज्ञात करते समय जिस विशेष बात का ध्यान रखा जाता है, वह है :-

शंकु से दिशा ज्ञात करने का माह एवं दिवस एवं तदनुसार अशांति परिक्षण के माह एवं दिन के आधार पर सूर्य के अयन (उत्तरायण या दक्षिणायन) के अनुसार ''अपच्छाया सूत्र'' के आधार पर शोधन किया जाकर यथार्थ पूर्व (Exact East & West) एवं पश्चिम दिशा ज्ञात कर ली जाती है।

उपरोक्तानुसार शोधन पश्चात् प्राप्त पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएँ वास्तविक एवं यथार्थ या शुद्ध होती है, जिससे भूमि अथवा भवन का पद - विन्यास करने में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होती है।

इस प्रकार हमने दोनों ग्रंथों में यह देखा कि शंकु स्थापन के दिए गए सिद्धांत, ज्योतिषी गणना व गणितीय सूत्रो पर आधारित है जो पूर्णत: वैज्ञानिक भी है। वैदिक स्थापान्य के इस शंकु स्थापन सिद्धांत में निश्चित रूप से इस त्रुटि का समाधान है। वर्तमान में दिशा सूचक (Presmatic Compass) द्वार उत्तर दिशा का निर्धारण जो किया जाता है,वह निश्चित ही त्रुटि युक्त होता ही है।इसमें भी Local attraction हेतु गणना में सुधार कर सही उत्तर दिशा ज्ञात करना चाहीये। वैदिक स्थापान्य के इस शंकु स्थापन सिद्धांत में निश्चित रूप से ,इस त्रुटि का समाधानहै।

५.३ नगरादि में भूमि-परीक्षा का सिंद्वात :-

स्थापत्य वेद के संदर्भ ग्रंथों में भूमि परीक्षा के सिंद्वात से गुण - दोषो को निम्नानुसार बताया गया है :-

1. **गंधानुरूप** :- कमल के बीजों, फूलो की सुगंध, साक, दुंदुभि, गाय, हाथी, अश्व आदि की गंधयुक्त भूमि तथा उपजाऊ भूमि शुभ कही गई है। मधु, तेल, घी, जले के समान गंध, दुर्गंध युक्त, अण्डो से उत्पन्न प्राणीयुक्त, मछली, शव के गंध वाली भूमि त्याज्य है।
2. **स्पर्शानुकूल** :- जो भूमि बहुत कोमल, स्निग्ध व स्पर्श में सुख देने वाली शुभ कही गई है। जिसकी मिट्‌टी चिकनी व खुरचने योग्य हो वह भूमि शुभ है।
3. **वर्णानुरूप** :- एक वर्णीय, श्वेत, लाल, पीली (सुनहरी), काली या कबूतर के रंग वाली भूमि शुभ कही गई है।

प्रशस्त भूमि वह है जो श्री वृक्ष, नीम, अशोक, सप्तवर्णिक, विष वृक्ष, आम युक्त समतल भूमि तथा कृमि, दीमक, चूहे, कपाल, अस्थि, छिलके, रेत से 'रहित' भूमि शुभ है। तुषा रहित, राख रहित, शर्करा रहित भूमि ब्राह्मण आदि वर्गो के लिए शुभ कहीं गई है। अप्रशास्त भूमि वह है जो सफेद कीड़ो, जंतुओं, चूहो, खोपड़ी, हड्डी, खाल युक्त, गोल, त्रिकोण, राजा के महल में लगी, चैत्य के समीप, कांटेदार वृक्षों से युक्त, शाल वृक्षों से घिरी, कूर्म के समान, धुएं से आच्छादित, कर्म शाला से घिरी, दोराहे-तिराहे-चौराहे पर, मृदंग समान, गड्ढे में, पक्षी के मुख के समान, मछली के आकार युक्त, सर्प के आश्रय वाली, वराह, बंदर, गीदड जहां विचरण करते हो, जिसमें उल्लू, सर्प, मछली आदि जीव पक्षी विशेष बिल्ली, बडे जानवर, शुद्र जन्तु युक्त भूमि त्याजने योग्य है।

यदि कोई स्थपति ऐसी त्याज्य भूमि का चयन कर निर्माण करता है वह दुःखो का कारण बनती है।

जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) के अध्याय क्र 10 'भूमि परीक्षा' में बताया गया है कि -

देशाश्च देशभूम्यश्च समासात् तव सन्यति।
तत्संख्या तद्विभाश्च प्रोच्यन्तेऽवहित: श्रृणु ॥[१]
देश: स्याज्जाङ्गलानूपसाधारणतया विधा।
त्रिविधस्याप्यथैतस्य यथावल्लक्ष्म कथ्यते ॥[२]

देशानुरूप भूमि को तीन श्रेणियों जांगल, अनूप व साधारण भूमि में विभक्त किया गया है। जांगल भूमि वह जो शुष्क, गर्म और तीव्र गति से प्रवाहित वायु से अनुप्राणित क्षेत्र जिसमें काली मिट्टी का भण्डार हो, कांटेदार झुरमुट, दूरस्थ जल स्त्रोत हो, उसे कहते हैं। जिस भूमि पर समीप ही जल हो, मछलियां अधिक हो, शीतल जल, स्निग्ध और अनुपम एवं मनोरम पेड़ो से युक्त भूमि को अनूप देश कहते हैं। जिस भूमि में उक्त दोनो प्रकार के देशों

१-२ स.सू/अ-१०/६७-६८

के लक्षण हो तथा समशीतोष्ण जलवायु हो उसे साधारण कोटि की भूमि कहते हैं। भूमि को लक्षणों के आधार पर 16 प्रकार की बताई गई है :-

1. बालिश स्वामिनी :- भद्र पुरूषों की बसावट वाली भूमि को बालिश राजा के नाम पर ''बालिश स्वामिनी'' के रूप में निम्नांकित किया गया है।
2. भोग्या :- कोटियुक्त, छवियुक्त, मनोरम पुरूष अपनी उपज का भाग योगादि कार्य में देते हैं, वह भोग्या भूमि है।
3. सीतागोचर रक्षणी :- जिस भूमि पर पर्वत के मध्य नदियाँ और नद पाये जाते हैं और जिसके क्षेत्रादि विभक्त हैं वह सीता गोचर रक्षणी भूमि है।
4. अपाश्रयवती :- मनुष्य के आश्रम के रूप में जिस भूमि का उपयोग न हो एवं पर्वत, नदी, नाले वाली भूमि को अपाश्रयवती भूमि की श्रेणी में रखा गया है।
5. कांता भूमि :- सुरम्य नदीयुक्त, सुंदर पर्वतों से आच्छादित क्षेत्र में जिसमें बसना आनंदयुक्त एवं गरिमामय हो, उसे कांता भूमि की अवधारणा दी गई है।
6. खनिमति :- लवण युक्त भूमि में जिसमें स्वर्ण, चांदी जैसे खनिज उत्पन्न हो उस भू–भाग को खनिमति भूमि कहते हैं।
7. आत्मधारिणी :- जहां दरबार और दंडकोष स्थापित किया जा सके, साधारणतः इंसान के निवास योग्य भूमि यह नहीं होती।
8. वणिक प्रसाधिता :- जो भूमि हाट–बाजार के योग्य हो तथा व्यवसायी वर्ग ''वैश्य'' आदि की बसाहट, दुकानदारी हेतु उपयुक्त हो, वह वणिक प्रसाधिता भूमि कहलाती है।
9. द्रव्यवती :- विभिन्न प्रकार की विक्रय योग्य, मूल्यवान लकड़ी, बांस आदि उपजाने वाली भूमि कों 'द्रव्यवती' भूमि की संज्ञा दी गई है।
10. अमित्र धातिनी :- मैत्री भाव एवं सहयोग पूर्ण वातावरण में मेल मिलाप से जिस प्रदेश में लोग रहते हो उसे *अमित्र धातिनी* भूमि कहते हैं।
11. आश्रेणी पुरूषा :- विनम्र स्वभाव के लोग जहां आवास करते हैं उस क्षेत्र को आश्रेणी पुरूषा भूमि कहते हैं।
12. शक्त सामंता :- उत्साह विमुख व्यक्ति एवं सामंत जिस भू–भाग में उनके आवास बनाये हो, वह वैसा आचरण करते हैं उस भूमि को शक्त सामंता कहते हैं।
13. देव मात्रका :- नदी नालों से जिस भूमि का सिंचन हो और जहां वर्षा की प्रतीक्षा न करते हुए खेतिहर लोग निर्वाह करते हैं उसे 'देव मात्रका' भूमि कहते हैं।
14. धान्यशालिनी :- जहां बोए गए बीज बिना प्रयास के ही अधिक पैदा होते हैं तथा जहां पर जुते हुए खेत कभी बाढ आदि से नष्ट नहीं होते हैं उसे धान्यशालिनी भूमि कहा जाता है।
15. हस्तिवनोपेता :- जिस भूमि के पर्यन्त पर्वतों में हाथियों के वन पाये जाते हैं, और जो राजा की सैन्य वर्धनक्षम है उसे हस्तिवनोपेता भूमि कहते हैं।
16. सुरक्षा :- जो भूमि नित्य विषम होने के कारण शत्रुओं के द्वारा काबू में न की जा सके और जो विषम पहाड़ों और नदियों के द्वारा रक्षित हो उसे सुरक्षा भूमि कहते हैं।

इसी प्रकार ''भूमि के गुणों'' के आधार पर निम्नानुसार वर्णन दिया है :-

1. गंधानुरूप :- सुगंध युक्त, सुंदर, शीतल, अभंगुर व धान्य उत्पादित भूमि।
2. स्पर्शानुकूल :- ग्रीष्म में ठंडी, जाड़े में गर्म और वर्षा में गर्म व ठंडी दोनो हो।
3. वर्णानुरूप :- सफेद, लाल, पीली, काली भूमि क्रम से विप्रादी वर्णो हेतु हितकारक।
4. शब्दानुरुप :- मृदंग, वीणा, सितार, वेणु, दुदुम्भि के समान ध्वनि व हाथी, घोड़े, समुद्र के

समान ध्वनि वाली भूमि प्रशस्त है।

5. स्वादानुरूप :- मीठी, कसैली, तीखी, कड़वी, ब्राह्मणों, कषाया, क्षत्रियों, नितिक्ता वैश्य, कटुका शुद्रों के लिये भूमि विहित है।

प्रशस्त भूमि वह है जो धातुओं के स्पन्दन से शोभित कुंजों, गुलमों, वृक्ष, लता से ढकी, शिलावाले पर्वतों से चारो ओर घिरी, जहां तीर्थो के अवतार के नहाने योग्य नदियां हो, वनो में कोयल का मधुर आलाप और गुंजार करे व चित्र-विचित्र फल पुष्प से बिना कांटे वाले वृक्ष हो, भय व व्याकुलता का नाम न हो, मीठे व शीतल जल की वसुंधराएं हो वह भूमि प्रशस्त कही गई है।

अप्रशस्त भूमि वह है जो भस्म अंगार, कपाल, हड्डी, तुष, बाल, पत्थर, चूहे के बिल, बांबियों से युक्त भूमि (त्याज्य) है। सूखी कटी-फटी, उसर, उल्टी ओर जल बहाने वाली, हिंसक पक्षियों से युक्त, कीड़े-मकोड़े वाली हो। जिस भूमि पर सरिताएं पूर्व की ओर बहें, पक्षियों की चर्बी, खून, मज्रा, पुरीष, मूल, मलकोश के समान गंधवाली अप्रशस्त भूमि कहलाती है। सियार, ऊंट, कुत्ता, गधे की आवाज की सदृश्य वाली, टूटे बर्तन के समान ध्वनि वाली भूमि त्याज्य है। जिस भूमि पर हड्डी निकले तो कुल नाश व सर्प निकले तो चोर भय होता है। इन सभी अप्रशस्त भूमियों को त्याग कर स्थपति द्वारा अच्छे गुणों से युक्त भूमि का शोधन करवाना चाहिए।

इस प्रकार दोनों ग्रंथो में भूमि के देशानुरूप, गुणानुरूप व अन्य लक्षणों के आधार पर विभक्त कर प्रशस्त व अप्रशस्त भूमियों का वर्णन दिया गया है।

मानसार के अध्याय क्रमांक ५ "भू-परीक्षा विधानम्" में भी भूमि परीक्षा की विधियों व भूमि शुद्धि के बारे में बताया गया है। भू-परीक्षा की विधियाँ निम्नानुसार है :-

भूमिसंग्रहणं सर्वे (भूपरीक्षाविधानं च) शास्त्रे संक्षिप्यतेऽधुना।

तदुक्ताकारनादादिवर्णेर्युक्तं महीतलम् ॥[1]

1. आकृति, रंग, ध्वनि युक्त चयनित भूमि पर शुभ मुहूर्त में कुशल स्थपति द्वारा संगीतज्ञ ध्वनियों द्वारा पूजा की जाती है। मंत्रोच्चारण करते हुए एक गड्ढे में बीज व खाद दें व बीजों के अंकुरण का निरीक्षण करें। वहां गाय, बैल तथा नया बछड़ा भी लाएं। इस प्रकार गो के पैर से दबी, कुचली हुई तथा गंध से, बैलो की आवाज से संघुष्ट, धवल भूमि, यव से भरी हुई, गोबर से आच्छादित होती है।

2. किसी शुभ दिन, शुभ मुहुर्त में विद्वान ब्राम्हण सर्व मंगल के लिए पुण्याहवाचन करें। स्थान चयनित कर भूमि पर वर्गाकार गड्ढा एक हस्त प्रमाण का (१फीट X १फीट) खोदे और उसे पूरा जल से भर दें। शास्त्रानुसार रूपवती अंविका (देवी) की पूजन करें, सर्वाभूषण, जल, गंध, पुष्प, अक्षत, भेंट चढाएँ। फिर सुबह विद्वान ब्राम्हण चांवल की खीर का भोग लगाए। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके, कुशासन पर बैठकर श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें व सुबह जल से भरे गड्ढे का परीक्षण करें। यदि भूमि में कुछ जल शेष रहता है तो वह भूमि मंगलमय है। यदि जल सूख जाता है तो धन धान्य का क्षय करने वाली भूमि होती है। कुछ गीली हो तो विनाशकारी होती है। यदि गड्ढे से निकाली हुई मिट्टी से गड्ढा बराबर भर जाता है तो भूमि-मध्यम, यदि मिट्टी कम पड़ जाती है तो अधम तथा यदि मिट्टी शेष रह जाती है तो उत्तम भूमि मानी जाती है।

३. भूमि शोधन के लिए हल में जोतने के लिए बैलों के लक्षणों में बताया गया है कि सफेद, भूरे, लाल, पीले रंग के बैल समृद्धिदायक है। चितकबरे बैलों, छड़ी के निशान वाले, नीचे झुके सींग वाले या एक दूसरे को काटते हुए हो, अधिक बड़े बैल, अंधे बैल, छोटी पूंछ, तश्तरी का आकार व शक्ति रहित बैल, टूटे दांत, मुड़े कान, लंगडे बैलों को जुताई के लिए त्याज्य करना चाहिए।

सफेद रंग वाले बैल व चारो पांवो के नीचे धब्बे वाले व सींगो की जड़, सिर के मध्य में, फूलों के गुच्छे समान, आंखे, लाल व अच्छे कोटर (Socketed) चिन्हों से युक्त बैल शुभ कहलाते हैं।

बबूल, खदिर, निंब, सरल (Pine) दूध वाले तथा रक्त (रस) वाले इन वृक्षों की लकड़ी से हल बनवाएं। हल की लंबाई एक, सवा या डेढ हस्त होनी चाहिए। हल की लंबाई, चौड़ाई एवं उसका दण्ड के माप इत्यादि का अत्यंत विस्तारित रूप में विवरण गंथा में दिया गया है।

१-२ मानसार/अ.-०५/

जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) में अध्याय क्रमांक 10 में ''भूमि परीक्षण'' की विधियाँ बताई गई है।ये भूमि परीक्षा की विधियाँ निम्नानुसार है :–

स्वस्ति विप्रान वाचयित्वा वास्तुदवान् सुमर्च्य च।
करप्रमाणं कुर्वीत खातं तद्भूमिमध्यगम् ॥[१]
ततस्तन्मृदमाकृष्य तत् तयैवानुपूरयेत्।
खाताधिकमृदुक्ता भू: श्रेष्ठा मध्या च तत्समा ॥[२]

1. भूमि परीक्षा करने कें लिये शुभ दिन उपवास रख, स्नान कर पवित्र होकर सफेद माला व वस्त्र धारण कर मंत्रोच्चारण कर वास्तु देवों का पूजन कर भूमि के मध्य में एक हस्त प्रमाण हाथ का गड्ढा कर सारी मिट्टी बाहर निकाल कर फिर इसी मिट्टी को उसी गड्ढे में भर दें। यह मिट्टी गड्ढे में भरने से अधिक हो तो ,भूमि उत्तम है, यदि मिट्टी बराबर है तो भूमि **मध्यम** और मिट्टी गड्ढे से कम है तो भूमि **अधम** है।
2. दूसरी विधि – गड्ढे खोदने पर मिट्टी में से मणि, शंख, प्रवाल आदि दिखे तो ,पृथ्वी अत्यंत प्रशस्त मानी है। खोदने पर भूसी, बाल, कंकड, अंगार, भस्म, हड्डियाँ नहीं होना चाहिए।यह शुभ नहीं मानी गई है।
3. खुदे हुए गड्ढे को पानी से भरकर सौ पग चलते चले और लौटकर आने पर यदि उस गड्ढे में उतना ही पानी रहे तो भूमि **सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली**, यदि पानी कम हो जाए तो वह **मध्यम** श्रेणी की और यदि गड्ढे में पानी बहुत कम हो या सूख जाए तो वह **अधम** भूमि होती है।
4. खुदे हुए गड्ढे में ब्राह्मणादि वर्णानुरूप क्रमश: सफेद, लाल, पीली, काली मालाएं रखी जाएं और जिस वर्ण की माला न मुर्झाए तो वह भूमि या मिट्टी उस वर्ण के लिए प्रशस्त मानी गई है।
5. गड्ढे की उत्तरादि दिशाओं में दीपों को जलाकर रखना चाहिए। जिस दिशा के दीपक चिर समय (अधिक देर) तक जलता रहे, उस दिशा के वर्ण के लिए वह भूमि तदानुरूप सुखप्रद मानी है।

भूमि चयन व परीक्षा से संबंधित समराङ्गण सूत्रधार (भवन – निवेश) के ही अध्याय क्रमांक 19 ''वास्तु संस्थान मातृका'' अध्याय में भूमि 40 प्रकार के आकार/क्षेत्र बताए गए हैं जिसमें चौकोर भूमि राजा हेतु, शैय्याकार पुरोहित हेतु, दीर्घ में छोटे राजकुमार, वृत्तायत में सेनापति, शंबुक में गज, अश्व आदि, शटकाकृति में बनिया लोग, भग संस्थान में वेश्याएं, दर्पणाभ में सुनार, बज्र सदृश में नगर गोष्ठिक, शंख संस्थान में पुत्राभिलाषी, छिन्नकर्ण में महामात्र, विकर्ण में बहेलिए, शंखाभ में काने, क्षुरोपम में गणाचार्य, शक्तिमुख में वज्राध्यक्ष तथा कूर्मपृष्ठ में ''माली'' लोगों को बसना चाहिए।

इसी प्रकार संदश में ''दर्जी'' लोग, व्यजनोपम में वाजि पोषक या साइस लोग, शंखाकृति में बढई और **स्वस्तिकाकृति में ''बंदी'' लोग** व नरपद में 'चोर' ,प्रलम्ब (युगल) में नाई लोग का निवास आदि बताए गए हैं। समराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) विशेष तौर पर विभिन्न कर्म के उपजीवियों, के निवास संबंधी क्षेत्रों का विचार पूर्वक विस्तृत विवरण दिया गया है।

समराङ्गण सूत्रधारा भवन निवेश ग्रंथ में भूमि परीक्षा के सिंद्वात में बताया गया है कि सर्वप्रथम जातक या प्रयोजन विशेष हेतु भूमि की परीक्षा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व शुभ मुहूर्त देख लेना चाहिए ताकि प्रकृति का सहयोग कार्य में मिले। इसमें बताया गया है कि कौन सी भूमि किस व्यवसाय प्रयोजन या प्रकृति वाले जातक हेतु क्या परिणाम देगी, जैसे उपर बताये हैं।

आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग में भूमि परीक्षा हेतु, भौतिक रासायनिक परीक्षणों की तुलना में स्थापत्यवेद में बतायी गई भूमि परीक्षा की विधियाँ मितव्ययी एवं उपयोगी है,इसी प्रकार कौन–सी भूमि क्या परिणाम देगी, यह भी आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग में नहीं बताया जाता है।

५.४ नगरादि मे भूमि व भवनों के प्लव के सिद्वांत :–

स्थापत्यवेद में भूमि व भवनों के प्लव के बारे में कहा गया है कि भूमि व भवन का प्लव पूर्व, उत्तर या

१ –२ मानसार/अ.–१०/

उत्तर–पूर्व दिशा की ओर अत्यन्त शुभ होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक अवधारणा यह है कि जब उक्त दिशाओं में प्लव होगा तो सूर्य की प्रात: कालीन पोषक किरणें व उससे उत्सर्जित उर्जा उस भूमि, भूखण्ड को प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं ।प्रकाश, उष्मा व भूखण्ड पर पड़ने वाले विकिरण का प्रमुख स्त्रौत सूर्य ही है । चिकित्सक अपने उपचार में नवजात शिशुओं को प्रात: कालीन सूर्य में अनावरित करने की सलाह देते हे । जिस स्थान पर सूर्य की उष्मा व किरणें नहीं पहुंचती वहाँ उत्पादकता, क्रियाशीलता व उत्साह में कमी वैज्ञानिक भी स्वीकारते है ।

इसी प्रकार दक्षिण–पूर्व दिशा में युक्त भूमि व भवनों का बाहरी प्लव होने पर अग्नि से भय विनाश व मृत्युप्रदायक बताया गया है , दक्षिण की और वित्तीय हानि, अस्वस्थता, गरीबी, मृत्युप्रदायक व दक्षिण–पश्चिम में धन का विनाश व पुराने रोग का प्रभाव, पश्चिम की ओर प्लव, गरीबी और दु:ख–दायक एवं उत्तर–पश्चिम की और ढलान, शत्रुओं से भय पैदा करने वाला, संतान विनाश व अजीर्ण प्रदायक कहा गया है । जिस भूमि/भवन का मध्य से चारों और कछुए की पीठ के आकार से युक्त प्लव हो व चारों ओर मध्य में ढलान हो वह अशुभ होती है । यह प्रमुखता से मनुष्यालय चंन्द्रिका नामक ग्रंथ में बताया गया है ।

इसी तारतम्य में भवनों की आन्तरिक सतह के प्लव, पूर्व की ओर मित्रों से झगड़ा प्रदान करने वाला, दक्षिण की ओर मृत्यु का भय–कारक पश्चिम की ओर सम्पत्ति की हानि देने वाल, उत्तर की ओर मानसिक पीड़ा पहुंचाने वाल, विशेष तौर पर(Sink Floor) हेतु बताये गये है । अत: कार्यरत आधुनिक वास्तुविदों द्वारा बनाया जा रहे इस तरह के आवासों मे उक्त परिणामों का अध्ययन किया जा सकता है । शास्त्रोक्त तो भवन का फर्श समतल ही सभी दृष्टि से श्रेष्ठ है ।

स्थापत्यवेद के मयमत ग्रंथ में दक्षिण व पश्चिम में उन्नत प्लव वाली भूमि शुभ बताई गई है। मध्य में उंची कूर्माकार भूमि त्याज्य कही गई है। मध्य में प्लव युक्त भूमि त्याज्य कही गई है। ब्राहम्ण,क्षत्रिय वैश्य व शुद्र वर्ण हेतु क्रमश: उत्तर–पूर्व , पूर्व दिशा में प्वल युक्त भूमि भाग्योदयकारी, सफलता , लाभकारी व अपार धन–धान्य फल दायक बताई गई है।

स्थापत्यवेद के 'विश्वकर्म प्रकाश' नामक ग्रंथ में बताया गया है कि –

पूर्वप्लवे भवे लक्ष्मीराग्नेय्यां शोकम दिशेत्
याम्यां याति यम द्वार नैर्ऋते च महाभयम् ॥
पश्चिमे कलहं कुर्याद्वायव्यां मुत्युमादिशेत्।
उत्तरे वंश वद्विः स्यादीशाने रत्न स...चयः
दिङ्मूढे कुल नाशः स्याद्वके दारिद्यमादिशेत् ॥

उपयुक्त श्लोक से स्पष्ट है कि भूमि का ढाल निम्न प्रकार से होता है –

पूर्व में ढाल होने से लक्ष्मी आती है। अग्नि में ढलान होने से शोक, उत्तर दिशा में ढलान हो तो वंश की वृद्वि, दक्षिण में ढलान होने से मृत्यु, नैऋत्य में ढाल होने से कलह, वायुकोण में ढाल हो तो मुत्यु एवं ईशान कोण में ढलान से रत्नों का संचय होता होता है।

इसी प्रकार भूमि की दिशा या उपदिशा में ढाल के अनुरूप २६ प्रकार के उनके विशेष नाम विशेष (संज्ञाए) बताए गए है :–

१. पश्चिम में उँची व पूर्व में ढाल युक्त भूमि "गौ वीथी" कहलाती है।
२. पूर्व की ओर उँची और पश्चिम में ढलान युक्त भूमि को "जल वीथी" कहते है।
३. उत्तर में उँची व दक्षिण में ढलान युक्त भूमि को "यम वीथी" कहते है।
४. दक्षिण की तरफ उँची व दक्षिण की तरफ नीची ढलान वाली भूमि को "गजवीथी" कहा कहते है।
५. ईशान कोण में उँची और नैऋत्य कोण में नीची ढलान युक्त भूमि को "भूतवीथी" कहते है।
६. अग्निकोण में उँची तथा वायु कोण की तरफ नीची ढलान युक्त भूमि को "नागवीथी" कहते है।
७. वायु कोण की तरफ उँची व अग्निकोण की तरफ नीची ढलान युक्त भूमि को "वैशवानरी" कहते है।
८. ईशान कोण की तरफ उँची व नैऋत्य कोण की तरफ नीची अधिक ढलानं वाली भूमि को "धनवीथी"

कहते है।

९. अग्निकोण के मध्य उँची व पश्चिम व वायुकोण के मध्य नीची भूमि को "पितामह वास्तु" कहते है यहाँ निवास करना सुखद बताया है।

१०.जो भूमि अग्निकोण व पश्चिम के बीच में उँची हो और वायण्य कोण और उत्तर के बीच नीची होती है उसे "सुपथ वास्तु" कहते है।

११.जो भूमि दक्षिण दिशा के मध्य में उँची और तथा ईशान कोण के मध्य नीची हो उसे "दीर्घायु वास्तु" कहते है। यह अच्छी व वंश वुद्वि करने वाली होती है।

१२.जो भूमि नेऋत्य व पश्चिम के मध्य उँची तथा ईशान कोण व पूर्व के बीच नीची हो उसे "पुण्यक वास्तु" कहते है। यह शुद्रो को छोड़कर शेष तीन वर्णो के लिये शुभ होती है।

१३. जो भूमि वायुकोण आौर पश्चिम के बीच उँची व पूर्व व अग्निकोण के बीच नीची हो उसे "अपथ वास्तु" कहते है यह रोगकारक होती है।

१४. जो भूमि वायुकोण और उत्तर के बीच उँची व अग्निकोण और दक्षिण के बीच नीची हो तो उसे "रोग वास्तु" कहते है यह रोग कारक होती है।

१५.जो भूमि ईशान और उत्तर के बीच उँची व नैऋत्यकोण और दक्षिण के बीच नीची हो तो उसे "अर्गल वास्तु" कहते है यह महापापों का नाश करती है।

१६.जो भूमि ईशान कोण और पूर्व के बीच उँची व पश्चिम व नैऋत्य कोण और दक्षिण कोण के बीच नीची होती है उसे "शमशान वास्तु" कहते है। इसमें कुल का नाश होता है।

१७.जो भूमि नैऋत्य, वायव्य तथा ईशान कोण में उँची व अग्नि कोण में नीची हो तो उसे "शोक वास्तु" कहते है यह सम्पत्ति नाशक, मृत्युकारक होती है।

१८.जो भूमि ईशान, अग्निकोण तथा पश्चिम में उँची व नैऋत्य कोण में नीची होती है उसे "श्वमुख वास्तु" कहते है यह दरिद्रता देती है।

१९. जो भूमि नैऋत्व, आग्नेय व ईशान कोण में उँची व पूर्व तथा वायुकोण में नीची होती है उसें "श्वमुख वास्तु" कहतें है यह दरिद्रता देती है।

२०. जो भूमि अग्निकोण में उँची व नैऋत्व, ईशान तथा वायव्य कोण में नीची होती है उसें "स्थावर वास्तु" कहते है। यह हर तरह से शुभ होती है।

२१. जो भूमि नैऋत्व कोण में उँची व आग्नेय, वायव्य और ईशान कोण में नीची होती हैं। उसें "स्थण्डित वास्तु" कहतें है इसमें स्थिरता आती है व यह शुभ है।

२२. जो भूमि ईशान कोण में उँची व आग्नेय, नैऋत्व तथा वायव्य कोण में नीची होती है उसें "शाण्डुल वास्तु" कहतें है। यह निवास के लिए आयोग्य बताई गई है।

२३. जो भूमि वायुकोण में नीची तथा आग्नेय, नैऋत्व व ईशान कोण में उँची होती है। उसें "सुस्थान वास्तु" कहतें है। यह ब्राम्हणों के लिए शुभ होती है।

२४. जो भूमि नैऋत्व, वायु कोण और पश्चिम में उँची व पूर्व में नीची होती है उसें "सुतल वास्तु" कहते है। यह क्षत्रियों के लिए शुभ है।

२५. जो भूमि उत्तर एवं ईशान तथा वायुकोण में उँची व दक्षिण में ढलान युक्त नीची उसें "चर वास्तु" कहते हैं, यह वैश्यों के लिए लाभप्रद बताई गई है।

२६. जो भूमि ईशान, आग्नेय कोण, तथा पूर्व में उँची व पश्चिम में ढलान युक्त होती है उसें "स्वमुख वास्तु" कहते है, यह शुद्रों के लिए लाभ प्रद बताई गई है।

गीता प्रेस गौरखपुर द्वारा प्रकाशित "भवन भास्कर" लघु पुस्तक के अध्याय ६ में नारद पुराण पूर्व ५६/५४२ के अनुरूप बताया गया है कि पूर्व, उत्तर और ईशान में नीची भूमि सब मनुष्यों के लियें वृद्धिकारक होती है। अन्य दिशाओं में नीची भूमि सबके लिए हानिकारक होती हैं। जैसा कि वाल्मिकि रामायण के किश्कींधा कांड २७/१२ में सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद भगवान श्री राम ने प्रस्त्रवणगिरी के शिखर पर अपने रहनें के लिए गुफा चुनकर लक्षमण से कहतें हैं –

प्रागुदक्प्रवणे देशे गुहा साधु भविष्यति ।
पश्चाच्चैवोन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति ॥

"सौम्य यहाँ का स्थान ईशानकोण की ओर से नीचा है, अत: यह गुफा हमारे निवास के लिये बहुत अच्छी रहेगी। नैऋत्व कोण की ओर से उँची यह गुफा हवा ओर वर्षा से बचाने के लिए अच्छी होगी।"

पुस्तक में बताया गया है कि किस दिशा में उँची या नीची भूमि होनें पर उसके क्या परिणाम हैं जो निम्नानुसार हैं –

अनु क्र.	दिशा/उपदिशा में	प्लव	परिणाम
१	पूर्व	उँची	धन का नाश करने वाली
२	दक्षिण	उँची	निरोग व सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली
३	पश्चिम	उँची	पुत्र प्रदायक तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाली
४	उत्तर	उँची	पुत्र और धन का नाश करने वाली
५	ईशान उ.पू.	उँची	महाक्लेश कारक
६	आग्नेय द.पू.	नीची	धन नाशक, मृत्युकारक, शोकप्रदायक व अग्नि भय करने वाली है।
७	नैऋत्य द.प.	उँची	धन दायक
८	वायव्य उ.प.	उँची	धन दायक
९	दक्षिण	नीची	मृत्युदायक, रोगदायक, पुत्र-पौत्रविनाशक, क्षय कारक और अनेक दोष करने वाली।
१०	नेऋत्य	नीची	धन हानि करने वाली, महानभय दायक, रोग दायक और चोर भय करने वाली।
११	पश्चिम	नीची	धन धान्य व कीर्ती नाशक,शोकदायक, पुत्रक्षय कारक, कलह कारक
१२	वायव्य	नीची	धन धान्य व पुत्र प्रदायक व वंश वृद्धि कारक।
१३	ईशान	नीची	विद्या, धन व सुख प्रदायक और रत्न संचय करने वाली।
१४	मध्य में	नीची	रोग प्रद व सर्व नाश करने वाली।

उपर बताए गए१४ प्रकार के प्लवों में आंशिक ग्रंथ भेद, त्रुटि सहित १९ प्रकार की भूमि का उल्लेख भी पुस्तक 'भवन भास्कर' में किया गया है। जो निम्नानुसार है :-

अनुक्र. दिशा/उपदिशा दिशायें/उपदिशायें	प्लव/ ढलान	दिशा/उपदिशा दिशायें/उपदिशायें	प्लव ढलान	नाम संज्ञा	परिणाम फल	चित्र
१ पूर्व व आग्नेय के मध्य	उँची	पश्चिम व वायव्य के मध्य	नीची	"पितामह वास्तु"	सुख देनेवाली	
२ दक्षिण व आग्नेय के मध्य	उँची	उत्तर व वायव्य के मध्य	नीची	"सुपथ वास्तु"	सर्व कार्यो में शुभ	
३ नैऋत्य व दक्षिण के मध्य	उँची	उत्तर व ईशान के मध्य	नीची	"दीर्घायु वास्तु"	कुल की वृद्धि करने वाली	
४ पश्चिम व नैऋत्य के मध्य	उँची	पूर्व व ईशान के मध्य	नीची	"पुण्यक वास्तु"	द्विजों ब्रा. क्ष. वै. के लिए शुभ	
५ वायव्य व पश्चिम के मध्य	उँची	पूर्व व आग्नेय के मध्य	नीची	"अपथ वास्तु"	बैर तथा कलह करने वाली	
६ उत्तर व वायव्य के मध्य	उँची	दक्षिण व आग्नेय के मध्य	नीची	"रोगकर वास्तु"	रोग पैदा करने वाली	

७ उत्तर व ईशान के मध्य	उँची	दक्षिण व नैऋत्य के मध्य	नीची	"अर्गल वास्तु"	पापों का नाश करने वाली
८ पूर्व व ईशान के मध्य	उँची	पश्चिम व नैऋत्य के मध्य	नीची	"शमशान वास्तु"	कुल का नाश करने वाली
९ ईशान वायव्य व नैऋत्य में	उँची	आग्नेय में	नीची	"शोक वास्तु"	मृत्युकारक
१० ईशान, आग्नेय व पश्चिम में	उँची	नैऋत्य में	नीची	"श्वमुख वास्तु"	दरिद्र करने वाली निवास करने
११ नैऋत्य, आग्नेय व ईशान में	उँची	पूर्व व वायव्य में	नीची	"ब्रह्मध्न वास्तु"	निवास करने योग्य नहीं
१२ आग्नेय में	उँची	नैऋत्य, ईशान, वायव्य में	नीची	"स्थावर वास्तु"	शुभ
१३ नैऋत्य में	उँची	आग्नेय, वायव्य, ईशान में	नीची	"स्थण्डिल वास्तु"	शुभ
१४ ईशान में	उँची	वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य में	नीची	"शाण्डुल वास्तु"	अशुभ
१५ दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य ओर वायव्य की ओर	उँची	------------	---	"गज पृष्ठ वास्तु"	धन आयु और वंश वृद्धि करनें वाली
१६ मध्य में	उँची	चारों ओर	नीची	"कूर्मपृष्ठ भूमि"	उत्साह, धन-धान्य तथा सुख देने वाली
१७ पूर्व, आग्नेय व ईशान में	उँची	पश्चिम में	नीची	"दैत्य पृष्ठ भूमि"	धन, पुत्र, पशु की हानि करने वाली तथा प्रेत उपद्रव करने वाली
१८ पूर्व और पश्चिम में	लंबी	उत्तर व दक्षिण में	उँची	"नाग पृष्ठ" भूमि	उच्चाटन, भूमि, स्त्री, पुत्रादि की हानि, शत्रु हानि तथा धन हानि

इस प्रकार स्थापत्यवेद के विभिन्न ग्रंथों में भूमि एवं भवनों के प्लव के सिद्धांत आंशिक ग्रंथ भेद युक्त बताए गए हैं। वर्तमान समय में बढते तलघरों, सिंक फ्लोर, रॉक गार्डन्स, रेज्ड लॉन, वर्षा जल सहित जल - मल निकासी, फर्श के ढाल, छतों का ढाल आदि बनाने के लिए उपरोक्त सिद्धतों को दृष्टिगत रखा जावे तथा नगर तथा ग्रामों की विकास योजनाओं को बनाने के लिए सेटेलाईट द्वारा लिए आंकड़ों पर आधारित कंटूर मानचित्रों का अध्ययन कर उक्त प्लवों के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाने से कई गम्भीर समस्याओं का समाधान तो होगा ही, साथ ही शासन का व्यर्थ खर्च भी बचेगा। भारत में नदियों को जोंड़ने की जो एक विंहगम योजना पर कार्य हो रहा हैं जिसे प्रकृति से सामन्जस्य स्थापित करते हुए याने स्थापत्यवेद के अनुरूप बनावें तो प्रकृति का सहयोग मिलेगा ही।

५.५ नगरादि में नदी, झील, तालाब के सामीप्य का सिद्धांत :-

जल ही जीवन है। पंचमहाभूतों में नीर (जल) का अपना महत्व है सम्पूर्ण भूमण्डल पर ७१ प्रतिशत जल व २९ प्रतिशत भूमि है फिर भी हमारा दुर्भाग्य ही कहे कि जल समस्या दिन-प्रतिदिन म.प्र में तो विकराल रूप ले रही है। भूमिगत जल निरंतर नीचे की ओर बढ रहा है व कई स्थानों पर इससे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्राचीन समय के लबालब रहने वाले तालाब, बारह ही मास बहने वाली नदियां अंब श्रावण में भी कल-कल नहीं

बहतीं। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर ,विकास व मानव मात्र की आवश्यकता की पूर्ति, प्राकृतिक स्त्रौतों के दोहन में नहीं किये जाने का ही यह परिणाम है।

शासकीय जल संग्रहण कार्यक्रम उ"ंट के मुंह में जीरे का कार्य कर रहे है। उद्वहन विधि योजना द्वारा म.प्र.वि.मंडल या शासन के उपर निरंतर अनावश्यक आर्थिक क्षति थोपते हुए सफेद हाथी रूपी ,नर्मदा परियोजना के तीसरे चरण की स्वीकृती के बाद क्रियान्वयन की भी चर्चा है। यह सब राजनैतिक व तकनिकी कार्यकुशलता में कमी व अदूरदर्शिता का परिणाम है। साथ ही जल के सदुपयोग करने मे ,ज्ञान का अभाव है। वर्तमान में कहीं कहीं तालाबों,नदी, कुओं के पुनर्रोत्थान गहरीकरण व जीर्णोद्धार के लियें की जा रही कार्यवाही कार्यवाही सराहनीय है ,पर संतोषजनक नहीं हैं।

नगरादि में भूमि/भूखंड में जल स्त्रोत कुआँ, बावड़ी, ट्यूबवेल, भूमिगत जल संग्रहण टंकी के स्थान का महत्व स्थापत्यवेद में बहुत प्रमाणिकता से मिलता है। स्थापत्यवेद के नियमों से एकाशिती वास्तु विन्यास(मानचित्र क्र.२२)(९x९=८१) पदों में से क्रमश: **पर्जन्य (आकाशीय जल)** व **आप** एवं **आप वत्स** पद पर जल स्त्रोत शुभ माना गया है , जो जातक या उसके उपभोगकर्ता को सुख-समृद्धि व ऐश्वर्य प्रदान करता है।

इसके विपरीत जल स्त्रोत की स्थिति भूमि/भूखंड के दक्षिण-पूर्व में, पुत्र की मृत्यु या भय-कारक एवं दक्षिण में पत्नी की मृत्यु व विनाशकर्ता एवं दक्षिण-पश्चिम में गरीबी, मृत्यु, व्याधि, बीमारी, शारीरिक कष्टप्रदायक एवं मध्य भाग में विनाशकारी कहा गया हे। यह परिणाम प्रमुखत: **मयमत** नामक ग्रथं का सार है।

मात्र मानसार ग्रथं में ही नगर की दक्षिण दिशा में ,जल स्थान शुभ बताया है , लगभग सभी ग्रंथों में मुख्य द्वार के सामने कुंआँ होने पर मिर्गी, अतिसार व भयावह बताया गया है। किन्हीं ग्रंथों में वरूण पद, पश्चिम में जलस्थान हेतु शुभ बताया गया है।

अत: इन उक्त वर्णित नियमों से जल स्त्रोत बनाना अत्यन्त लाभकारी, मानवजाति व प्रकृति के संतुलन को बनाये रखने में सहायक होता है।

इसी प्रकार भूमि, देश-प्रदेश, शहर, गाँव, कॉलोनी के समीप नदी, झील, तालाब पास होने के शुभ-अशुभ परिणाम शास्त्रों में बताए गये हे। पूर्व व उत्तर दिशा में ये स्थान पूर्व या उत्तर की ओर बहाव लिये शुभ बताये गये हे। एक विराट दृष्टि प्रदेश की प्रमुख नदियों, उसके तटों पर बसे शहरों पर डालने से उक्त व आगे वर्णित परिणामों की स्वत: पुष्टि होती हे ।इन्दौर की खान नदी इसके पश्चिम तट पर रहने वालों के लिये शुद्ध रूप मे बहने पर अधिक शुभ कही गई है।

"मयमत" नामक ग्रंथ के अनुसार दक्षिण-पूर्व में नदी आदि का परिणाम पुत्रों की मृत्यु व अग्निभय कहा गया है। दक्षिण में होने पर तबाही तथा पत्नी की मृत्यु व शत्रुओं से भय, दक्षिण पश्चिम में मृत्यु, शिशुओं का विनाश व चंचल पत्नी बताया गया है। पश्चिम में होने पर पत्नी के साथ कलह, उत्तर-पश्चिम होने पर आघात, हथियारों से भय व हथियारों से खतरा प्रदायक एवं **शहर आदि के मध्य में होने पर विनाशकारी** व शहर आदि के बायीं ओर होने पर अमंगलकारी कही गई है।

स्थापत्यवेद के अन्य ०३ ग्रंथों के अनुसार नदी,झ़ील,कुँआ, तालाब या अन्य जल स्त्रोत समीप होने के निम्न परिणाम बताए है :-

क्र. जल स्त्रोत	शिल्प रत्न व बृहसंहिता	भवनभास्कर	वैदिक वास्तु विद्या एवं रो.का.वा
१. दक्षिण-पूर्व में	पुत्रों की मुत्यु,अग्नि भय	भय दुख तथा पुत्र का विनाश	पुत्र का नाश
२. दक्षिण में	तबाही, पत्नी की मृत्यु तथा शत्रुओं से भय।	स्त्री का विनाश, संतानहानि,भूमि,विनाश तथा अद्भुद रोग	स्त्री का नाश
३.दक्षिण पश्चिम में	मृत्यु,शिशुओं का विनाश, चंचल पत्नी।	मृत्यु तथा बालकों को भय,स्त्री कलह	मरण

४.पश्चिम में	पत्नी के साथ कलह	सम्पत्ति दायक	---
५. उत्तर पश्चिम में	आघात्, हथियारों से भय, स्त्रियों से खतरा	शत्रु से पीड़ा स्त्रियों का नाश	शत्रु से भय
६. मध्य में	विनाश ।	---	धन का नाश
७. बायी ओर नदी होने पर	अमंगलकारी।	---	---

भवन भास्कर पुस्तक में जलाशलय होने व जल प्रवाह गिरने के स्थान के परिणाम निम्नानुसार बतायें है :-

क्र.	दिशा/उपस्थित में	जल प्रवाह	जलाशय
१.	पूर्व	धन की प्राप्ति	पुत्र की हानि
२.	दक्षिण-पूर्व (आग्नेयकोण)	धन का नाश तथा मृत्यु	अग्निभय
३.	दक्षिण	निर्धनता, रोग तथा प्राण संकट उत्तपन्न हो।	शत्रुभय तथा विनाश
४.	दक्षिण-पश्चिम (नैर्ऋत्यकोण)	प्राणघातक, कलह तथा क्षय	स्त्री कलह
५.	पश्चिम	पुत्र की मृत्यु	स्त्रियों में दुष्टता
६.	उत्तर-पश्चिम (वायण्यकोण)	सुख की प्राप्ति	निर्धनता
७.	उत्तर	राज्य-सम्पत्ति तथा सर्वसिद्धि प्राप्ति	धन की वृद्धि
८.	उत्तर-पूर्व(ईशान)	सुख- सम्पत्ति की प्रप्ति	धन की वृद्धि पुत्र वृद्धि

'भवन भास्कर' में लिखा है कि जलाशय के अन्तर्गत उर्ध्व टंकी को भी मान लेना चाहिए जिससे मैं निजी तौर पर सहमत नही हूँ। कुए के अन्तर्गत भूमि टंकी, बोरिंग, ट्यूबबेल आदि को ही मानना चाहिए।

यह भी लिखा है कि दूसरे या तीसरे पहर किसी घर या मंदिर की छाया किसी कुएं पर पड़े तो वह घर शुभकारक एवं निवास करने योग्य नहीं होता।

वैदिक वास्तु विद्या एवं रोगकारक वास्तु पुस्तक में गुरूदेव ने लिखा है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नानागार ईशान और पूर्व मध्य में होना चाहिए।

वास्तु के अनुसार यदि कूप आदि खुदवाना हो तो वह भी ठीक ईशान में न करके ईशान व पूर्व के मध्य स्थान पर करना चाहिए। जल भंडारण के लिए यदि टंकी आदि का भूमि के नीचे निर्माण करना हो तो, वह भी ईशान खण्ड के पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए अर्थ(त ईशान खण्ड के केन्द्र की रेखा के दोनों ओर पानी की टंकी बनवा सकते हैं यह टंकी ईशान के केन्द्र रेखा पर न बने ,अन्यथा अशुभ होता है।

जल भरने के लिए पानी की टंकी का भूमिगत निर्माण उत्तर दिशा में भी शुभ होता है।

छत के उपर रखी जाने वाली पानी की टंकी को वरूण के स्थान पर (पश्चिम का केन्द्र स्थान पर)रखना चाहिए। इससे सम्पत्ति की प्राप्ति होती है।जिससे मैं निजी तौर पर सहमत हूँ।

जल का बहाव उत्तर तथा पूर्व की ओर होना शुभ होता है ,पूर्व में जल होने से धन की प्राप्ति होती है।

बृहज्योतिषसार के अनुसार ,स्थापत्यवेद के विभिन्न ग्रंथों में जलाशयों, कूप आदि कहाँ बनाए, कब बनाएँ, क्यों बनाएँ बनाने के बाद क्या परिणाम होगें ? इनमें कई उपविद्याओं को जैसे चेतना विज्ञान, दकार्गल, स्वर-शास्त्र, प्रतिमा विज्ञान, देश-काल, परिस्थिति, ग्रह, नक्षत्र,तारे,अंश,राशि, वार , पल व घटी इकाई आदि में

१-५/बृहत्संहिता एवं वास्तु सारणी

विशेष गणितीय सूत्रों के साथ बताए गए है।

इन गूढ विद्याओं पर चिंतन, मनन् व साधन के माधयम से एक कुशल स्थपति का निजी शास्त्रोक्त निर्णय इन समस्त विद्याओं का *सार* होता है। जिसमें कई मापदण्ड (parameters) पर आधारित निर्णय भौतिक दृष्टि से स्थान-स्थान पर प्रमाणित होता ही है क्योंकि उसमें प्रकृति स्वयं सहयोग करती है। इन वैदिक सिद्धांतों का प्रायोगिक जमीनी स्तर परिणाम शास्त्रों में बताए अनुसार होता है।

इन उक्त गूढ विद्याओं के अध्ययन का सार, शोध निष्कर्षो के अनुरूप निम्नानुसार है :-

१. दकार्गल विद्या:-

धर्म्य यशस्यं च वदाम्यतोऽहं दकार्गलं येन जलापलब्धिः।
पुंसां यथाङ्गेषु शिरास्तथैव क्षितावपि प्रोन्नतनिम्नसंस्थाः ॥१॥
एकेन वर्णेन रसेन चाम्भरच्युतं नभस्तो वसुधाविशेषात्।
ननारसत्वं बहुवर्णतां च गतं परीक्षयं क्षितितुल्यमेव ॥२।

बृहत्संहिता एवं वास्तु सारणी में लिखा है कि, जिस ज्ञान से भूमिगत जल का ज्ञान होता है उस धर्म और यश को देने वाले ज्ञान को **दकार्गल** कहते है। जिस तरह मनुष्यों के अंगों में नाड़ियाँ है उसी तरह भूमि में उ.ची-नीची शिराएँ हैं।आकाश से केवल एक स्वाद वाला जल पृथ्वी पर गिरता है किन्तु वही जल पृथ्वी की विशेषता से तत्स्थान में अनेक प्रकार से रस और स्वाद वाला हो जाता है। इस तरह भूमि के वर्ण तथा रस के समान जल के रस और वर्ण सिद्ध होते हैं। अत: भूमि, वर्ण और इस का पूर्वक जल के रस और स्वाद का परिक्षण करना चाहिए। ॥१-२॥

ग्रंथ में पूर्व आदि शिराओं (water Chanels) के नामों के बारे में बताया है कि -

पुरूहूतानलय मनिर्ऋतिवरूण पवेनेन्दुशङ्करा देवाः।
विज्ञातवयाः क्रमशः प्राच्याद्यानां दिशां पतयः ॥३॥
दिक्पतिसंज्ञा च शिरा नवमी मध्ये महाशिरानान्मी।
एताभयोडन्याः शतशों विनिःसृता नामभिः प्रथिताः ॥४॥
पातालादूर्ध्वशिरा शुभा चतुर्दिक्षु संस्थिता याश्च।
कोणदिगुत्था न शुभाः शिरानिमित्तान्यतो वक्ष्ये ॥५॥

पूर्व आदि आठ दिशाओं के क्रम से इन्द्र, अग्नि,यम, राक्षस, वरूण, वायु,चन्द्र और शिव स्वामी है। इन आठ दिक्पतियों के नाम से आठ (ऐन्द्री, आग्रेयी,याम्बा इत्यादि) शिरायें प्रसिद्ध है। इन आठ शिराओं के मध्य में महाशिरा नाम वाली नवमी शिरा है। इन नव शिराओं के अतिरिक्त सैकड़ों शिरायें निकली हैं जो अपने-अपने नाम से प्रसिद्ध है। पाताल से उपर की तरफ जो शिरा निकली है वह और पूर्व आदि चारों दिशाओं में स्थित शिरायें शुभ तथा अग्नि कोण आदि विदि्शाओं में स्थित शिरायें अशुभ हैं। अत: इसके बाद शिराओं के लक्षण कहते है ।

विभिन्न प्रकार के वृक्षों व उसके समीप्य से भूमिगत जल-शिराओं का ज्ञान दोनों ही ग्रंथों में लगभग समान रूप से निम्नानुसार बताया गया है :-जैसे वृहत्संहिता नामक ग्रंथ में बताया गया है कि

जामुन के वृक्ष से जल शिरा का ज्ञान:-

जम्ब्वाश्रोदगघस्तैस्त्रिभिः शिराघो नरद्वये पूर्वा।
मृल्लेहगन्धिका पाण्डुरा च पुरूषेऽत्र मण्डूक : ॥८॥

यदि जल रहित देश में जामुन का वृक्ष हो तो ,उससे तीन हाथ उत्तर दिशा में दो पुरूष तुल्य नीचे पूर्व शिरा होती है। यहाँ पर भी खोदने के समय में कुछ चिन्ह निकलते हैं-जैसे एक पुरूष प्रमाण तुल्य नीचे लोहे के समान गन्ध वाली मिट्टी, उसके नीचे कुछ सफेद मिट्टी और उसकें नीचे मेढक निकलता है ॥८॥

जम्बूवृक्ष से पूर्व वल्मीक होने से जलोत्पत्ति ज्ञान–

जम्बूवृक्षस्य प्राग्वल्मीको यदि भवेत् समीपस्थ:।
तस्मादक्षिणपार्श्वे सलिलं पुरूरूद्वये स्वादु ॥९॥
अर्धपुरूषे च मत्स्य: पारावतसन्निभश्च पाषाण:।
मृद्भवति चात्र नीला दीर्घ कालं च बहु तोयम्॥१०॥

जामुन के वृक्ष से पूर्व तरफ समीप में ही बाँबी हो तो उस से तीन हाथ दक्षिण दिशा में दो पुरूष नीचे मधुर जल मिलता है। आधा पुरूष प्रमाण नीचे मछली उस के नीचे कबूतर के समान रंग वाला पत्थर निकलता है। तथा इस खात में नील वर्ण की मिट्टी होती है और चिर काल तक अधिक जल होता है॥९–१०॥

गूलर के वृक्ष से जल का ज्ञान–

पश्चादुदुम्बरस्य त्रिभिरेव करैर्नरद्वये सार्धे।
पुरूषे सितोऽहरिश्मांजनोपमोऽध: शिरा सुजला ॥११॥

जल रहित देश में गूलर का वृक्ष हो तो उससे तीन हाथ पश्चिम दिशा में ढाई पुरूष नीचे सुन्दर जल वाली शिरा होती है। यहाँ पर भी खोदने के समय कुछ चिह्न मिलते है – जैसे आधा पुरूष खोदने पर सफेद सर्प, उसके नीचे काला पत्थर, उसके नीचे सुन्दर जल वाली शिरा निकलती है॥११॥

अर्जुन वृक्ष से जल का ज्ञान–

उदगर्जुनस्य दृश्यो बल्मीको यदि ततोऽर्जुनाद्धस्तै:।
त्रिभिरम्बु भवति पुरूषैस्त्रिभिरर्घसमन्वितै: पश्चात् ॥१२॥
श्वेता गोधार्धनरे पुरूषे मृद्धूसरा तत: कृष्णा।
पीता सिता ससिकता ततो जलं निर्दिशेदमितम्॥१३॥

अर्जुन वृक्ष से तीन हाथ उत्तर दिशा में बाँबी हो तो ,उससे तीन हाथ पश्चिम दिशा में साढे तीन पुरूष नीचे जल होता है। यहाँ पर भी खोदने पर कुछ चिह्न मिलते हैं – जैसे आधा पुरूष नीचे गोधा,एक पुरूष तुल्य नीचे काली सफेद मिट्टी, उसके नीचे काली मिट्टी,उसके नीचे पीली मिट्टी, उसके नीचे सफेद रेत और उसके नीचे अधिक जल निकलता हैं ॥१२–१३॥

सिन्दुवार वृक्ष से जल का ज्ञान–

बल्मीकोपचितायां निर्गुण्डयां दक्षिणेन कथितकरै:।
पुरूषद्वये सपादे स्वादु जलं भवति चाशोष्यम् ॥१४॥
रोहितमत्स्योऽर्धनरे मृत्कपिला पाण्डुरा तत: परत:।
सिकता सशर्कराऽथ क्रमेण परतो भवत्यम्भ: ॥१५॥

बल्मीक युक्त निर्गुण्डी (सिन्दुवार वृक्ष सिन्दुवारेन्द्रसुरसौ निर्गुण्डीन्द्राणिकेत्यपीत्यअर:) हो तो उससे तीन हाथ दक्षिण दिशा में सवा दो पुरूष नीचे कभी नहीं सूखने वाला जल होता है। यहाँ पर खोदने के समय वक्ष्यमाण चिह्न मिलते हैं– आधा पुरूष नीचे लाल मछली, उसके नीचे पीली मिट्टी उसके नीचे सफेद मिट्टी उसके नीचे पत्थर के सूक्ष्म कणों से युक्त रेत और उसके नीच जल मिलता है ॥१४–१५॥

बेर के वृक्ष से जल का ज्ञान–

पूर्वेण यदि बदर्या वल्मीको दृश्यते जलं पश्चात्।
पुरूषैस्त्रिभिरादेश्यं श्वेता गृहगोधिकार्द्धनरे ॥१६॥

यदि बेर के वृक्ष से पूर्व वल्मीक हो तो उससे तीन हाथ पश्चिम दिशा में तीन पुरुष नीचे जल कहना चाहिए। यहाँ पर आधा पुरुष नीचे सफेद छिपकिली निकलती है।

यहाँ परं सारस्वत–

पूर्वभागं वदर्याश्चेद्वल्मीको दृश्यते जलम्। पश्चाद्धस्तत्रयेबाच्यं खाते तु पुरूषत्रये ॥
अध: खातेऽर्धपुरूषे दृश्यते गृहगोधिका। श्वेतवर्णा ततोऽध:स्र्थ जलं भवति निर्मलम् ॥

ढाक और बेर के वृक्ष के संयोग से जल ज्ञान–

सपलाशा बदरी चेद्दिश्यपरस्यां ततो जलं भवति।
पुरूषत्रये सपादे पुरूषेऽत्र च दुण्डुमश्चिह्नम् ॥१७॥

जल रहित देश में पलाश (ढाक) के वृक्ष से युक्त बेर का वृक्ष हो तो उससे तीन हाथ पश्चिम दिशा में सवा तिन पुरूष नीचे जल होता है। यहाँ पर एक पुरूष नीचे विष रहित सर्प मिलता है।

यहा पर सारस्वत–

पलाशयुक्ता बदरी यत्र दृश्या ततोऽपरे। हस्तत्रयादधस्तोयं सपादे पुरूषत्रये॥

नरे तु दुण्डभ: सर्पो निर्विषश्चिह्मेव च। अधस्तोयं च सुस्वादु दीर्घका प्रवाहितम्॥

बेल के वृक्ष से युक्त गूलर के वृक्ष से जल ज्ञान–

बिल्बोदुम्बरयोगे विहाय हस्तत्रयं तु याम्येन।

पुरूषैस्त्रिभिरम्बु भवेत् कृष्णोऽर्द्धनरे च मण्डूक:॥१८॥

जहाँ बेल के वृक्ष से युक्त गूलर का वृक्ष हो तो उससे तीन हाथ दक्षिण दिशा में तीन पुरूष नीचे जल होता है। यहाँ पर आधा पुरूष नीचे काला मेढक निकलता है॥१८॥

फल्गु के वृक्ष से जल ज्ञान–

काकोदुम्बरिकायां वल्मीको दृश्यते शिरा तस्मिन्।

पुरूषत्रये सपादे पश्चिमदिक्स्था वहति सा च॥१९॥

आपाण्डुपीतिका मृद्गोरसवर्णश्च भवति पाषाण:।

पुरूषार्धे कुमुदनिभो दृष्टिपथं मूषको याति॥२०॥

यदि काकोदुम्बरिका वृक्ष (कठुम्बरि=काकोदुम्बरिका फल्गुर्मल पूर्जघने फलेत्यमर:) के सममीप वल्मीक हो तो उस वल्मीक के सवा तीन पुरूष नीचे पश्चिम दिशा में बहने वाली शिरा निकलती हैं। यहाँ पर खोदने के समय सफेद और पीली मिट्टी निकलती है। उसके नीचे सफेद पत्थर और आधा पुरूष नीचे सफेद चूहा दिखाई देता है॥१९-२०॥

कपिल वृक्ष से जलज्ञान–

जलपरिहीने देशे वृक्ष: कम्पिल्लको यदा दृश्य:।

प्राच्यां हस्तत्रितये वहति शिरा दक्षिणा प्रथमम्॥२१॥

मृन्नीलोत्पलवर्णा कापोता दृश्यते ततस्तस्मिन्।

हस्तेऽजगन्धको मत्स्यक: पयोऽल्पं च सक्षारम्॥२२॥

जल रहित देश में कम्पिल्ल वृक्ष (कपिल=कवीला)दिखाई दे तो उससे तीन हाथ पूर्व दिशा में सवा तीन पुरूष नीचे दक्षिण शिरा बहती है। यहाँ पर खोदने के समय पहले नील कमल के समान रंग वाली मिट्टी और इसके नीचे कबूतर के रंग की मिट्टी दिखाई देती है। तथा एक हाथ नीचे बकरे के समान गन्ध वाली मछली और इस के नीचे खारा जल निकलता है।

यहाँ पर सारस्वत:–

निर्मले यत्र कम्पिल्लो दृश्यस्तस्मात् करत्रये। प्रच्यांन्निभिर्नरै र्वारिसा भवेद् दक्षिणा शिरा॥

अधो नीलोत्पलाभासा मृत् कापोतप्रभा कृमात्।

हस्तेऽजगन्धको मत्स्यो जलमल्पमशोभनम्॥२१-२२॥

कुमुदा नाम की शिरा का ज्ञान –

शोणाकतरोरपरोत्तरे शिरा द्वौ करावतिक्रभ्य।

कुमुदा नाम शिरा सा पुरुषत्रयवाहिनी भवति॥२३।

जल रहित देश में शोणाक (सरिवन) वृक्ष दिखाई दे तो उससे दो हाथ वायव्य कोण में ,तीन पुरुष नीचे कुमुदा नाम की शिरा होती है॥२३॥

बहेड़े के वृक्ष से जल का ज्ञान

आसन्नो वल्मीको दक्षिणपार्श्वे विभीतकस्प यदि।

अध्यर्धे भवति शिरा पुरूषे ज्ञेया दिशि प्राच्याम्॥२४॥

यदि विभीतक (बहेड़ा) वृक्ष के समीप दक्षिण दिशा में वल्मीक दिखाई दे ,तो उस वृक्ष से दो हाथ पूर्व डेढ पुरुष नीचे शिरा होती है।

यहाँ पर सारस्वत–

विभीतकस्य याग्यायां वल्मीको यदि दृश्यते। करद्वयानतरे पूर्वे सार्धे च पुरुषे जलम् ॥२४॥

फिर बहेड़े के वृक्ष से शिराज्ञान :-

तस्यैव पश्चिमायां दिशि वल्मीको यदा भवेद्धस्ते।
तत्रोदग्भवति शिरा चतुर्भिरर्घाधिकैः पुरूषैः ॥२५॥
श्वेतो विश्वम्भरकः प्रथमे पुरूषे तु कुङ्कुमाभोऽश्मा।
अपरस्यां दिशि च शिरा नश्यति वर्षत्रयेऽतीते ॥२६॥

यदि बहेढे के वृक्ष से पश्चिम दिशा में वल्मीक हो तो उस वृक्ष से उत्तर दिशा में साढे चार पुरूष नीचे शिरा होती है। यहाँ पर खोदने के समय एक पुरूष नीचे श्वेत रंग का विश्वम्भरक (प्राणिविशेष) दिखाई देता है, उसके नीचे केशर के रंग का पत्थर और उसके नीचे पश्चिम दिशा को बहने वाली शिरा निकलती है। परन्तु यह शिरा तीन वर्ष बाद नष्ट हो जाती है, अर्थात् जल नष्ट हो जाता है ॥२५-२६॥

सप्तपर्ण वृक्ष से जल का ज्ञान-

सकुशासित ऐशान्यां वल्मीको यत्र कोविदारस्य।
मध्ये तयोर्नरैरर्धपश्चमैस्तोयमक्षोम्यम् ॥२७॥
प्रथमे पुरूषे भुजगः कमलोदरसन्निभो मही रक्ता।
कुरूविन्दः पाषाणश्चिह्नान्येतानि वाच्यानि ॥२८॥

जहॉ पर कोविदारक (छितिवन=सप्तपर्ण) वृक्ष के ईशान कोण में ,कुशायुक्त श्वेत वल्मीक हो तो सप्तपर्ण वृक्ष और वल्मीक के मध्य में साढे पाँच पुरूष नीचे अधिक जल होता हैं। यहाँ पर खोदने के समय एक पुरूष नीचे कमल पुष्प के मध्य के समान रंग का सर्प ,उसके नीचे लाल वर्ण की भूमि और उसके नीचे कुरूविन्द नामक पत्थर निकलता है।ये सब चिन्ह यहाँ पर कहने चाहिये ॥२७-२८॥

वल्मीक से युक्त सप्तपर्ण वृक्ष से जल का ज्ञान-

यदि भवति सप्तपर्णा वल्मीकवृतस्तदुत्तरे तोयम्।
वाच्यं पुरूषैः पञ्चिभरत्रापि भवन्ति चिह्नानि॥२९॥
पुरूषार्धे मण्डूको हरितो हरितालसन्निभा भूश्च।
पाषाणोऽभ्रनिकाशः सौम्या च शिरा शुभाम्बुवहा ॥३०॥

यदि वल्मीक से युक्त सप्तपर्ण वृक्ष हो तो उससे एक हाथ उत्तर पाँच पुरूष नीचे जल कहना चाहिये। यहाँ पर भी वक्ष्यमाण चिन्ह मिलते हैं- जैसे आधा पुरूष नीचे हरा मेढक, उसके बाद हरताल के समान पीली भूमि, उसके नीचे मेघ के समान माला पत्थर और उसके नीचे मधुर जल वाली उत्तरवाहिनी शिरा निकलती है।

यहा पर सारस्वत-

भुजङ्गगृहसंयुक्तो यत्र स्थात् सप्तपर्णकः। ततः सौम्ये हस्तमात्रात् पश्चभिः पुषषैरधः॥
वाच्यं जलं नरार्धे तु मण्डूको हरितो भवेत्। हरितालनिभा भूश्च मेघाभोऽश्मा ततः शिरा॥
उत्तरा सुजला ज्ञेया दीर्घा मृष्टाम्बुवाहिनी ॥२९-३०॥

किसी वृक्ष के नीचे मेढक द्वारा जल ज्ञान-

सर्वेषां वृक्षाणामधःस्थितो दर्दुरो यदा दृश्यः।
तस्माद्धस्ते तोयं चतुर्भिरर्धाधिकैः पुरूषैः ॥३१॥
पुरूषे तु भवति नकुलो नीला मृत्पीतिका ततः श्वेता।
दर्दुरसमानरूपः पाषाणो दृश्यते चात्र ॥३२॥

जिस किसी वृक्ष के मूल में मेढक दिखाई दे ,उस वृक्ष से एक हाथ पर उत्तर दिशा में साढे चार पुरूष नीचे जल होता है। यहाँ पर खोदने के समय एक पुरूष नीचे नेवला, उसके नीचे क्रम से नीली, पीली तथा सफेद मिट्टी, उसके नीचे मेढक के सदृश पत्थर और उसके नीचे जल निकलता है।

यहाँ पर सारस्वत-

तरूणां यत्र सर्वेषामधःस्थो दर्दुरो भवेत्। वृक्षादुदग्दिशि जलं हस्तात् साधैंर्नरैरधः॥
चतुर्भिः पुरूषे खाते नकुलो नीलमृत्तिका। पीतश्वेता ततो भेकसदृशोऽश्मा प्रदृश्यते॥
कञ्जक वृक्ष से जल का ज्ञान-

यद्यहिनिलयो दृश्यो दक्षिणतः संस्थितः करञ्जस्य ।
हस्तद्वये तु याम्ये पुरूषत्रितये शिरा सार्धे ॥३३॥
कच्छपकः पुरूषार्धे प्रथमं चोद्भिद्यते शिरा पूर्वा ।
उदगन्या स्वादुजला हरितोऽश्माधस्ततस्तोयम् ।

यदि करंजक वृक्ष के दक्षिण दिशा में वल्मीक दिखाई दे ,तो उस वृक्ष से दो हाथ दक्षिण तीन पुरूष नीचे शिरा होती है। यहाँ पर आधा पुरूष नीचे कछुआ, उसके नीचे पूर्ववाहिनी शिरा, उसके नीचे उत्तरवाहिनी शिरा, उसके नीचे हरे रंग का पत्थर और उसके नीचे जल निकलता है ॥३३-३४॥

महुए के वृक्ष से जल ज्ञान–

उत्तरतश्च मधूकादहिनिलयः पश्चिमे तरोस्तोयम् ।
परिहृत्यपश्च हस्तानर्धाष्टमपौरूषान् प्रथमम् ॥३५॥
अहिराजः पुरूषेऽस्मिन् धूम्रा धात्री कुलुत्थवर्णोऽश्मा ।
माहेन्द्री भवति शिरा वहति सफेनं सदा तोयम् ॥३६॥

महुए के वृक्ष से उत्तर वल्मीक हो तो उस वृक्ष से पॉच हाथ पर पश्चिम दिया में साढे आठ पुरूष नीचे जल होता है। यहाँ पर एक पुरूष नीचे प्रधान सर्प, उसके नीचे धूम्र वर्ण की पृथ्वी, उसके नीचे कुल्थी के रंग का पत्थर, उसके नीचे सदा फेन युक्त जल देने वाली पूर्ववाहिनी शिरा निकलती है ॥३५-३६॥

तालमखाना के वृक्ष से जल ज्ञान–

वल्मीकः स्त्रिग्धो दक्षिणेन तिलकस्य सकुशदूर्वश्चेत् ।
पुरूषैः पश्चभिरम्भो दिशि वारूण्यां शिरा पूर्वा ॥३७॥

तिलक (तालमखाना) के वृक्ष से दक्षिण कुशा और दूब से युक्त स्त्रिग्ध वल्मीक हो तो उस वृक्ष से पाँच हाथ पश्चिम, पाँच पुरूष नीचे जल और पूर्ववाहिनी शिरा होती है।

यहाँ पर सारस्वत–

तिलकादक्षिणे स्निग्धः कुशदूर्वासमायुतः ।
वल्मीकाञ्चत्तरे पञ्चहस्तान्सन्त्यज्य पश्चिमे॥
नरैः पश्चभिरम्भोऽधः शिरा पूर्वात्र विघाते ॥३७॥

कदम्ब वृक्ष के पश्चिमस्थ वल्मीक से जल ज्ञान–

सर्पावासः पश्चवाद्यदा कदम्बस्य दक्षिणेन जलम् ।
परतो हस्तत्रितयात् षड्भिः पुरूषैस्तुरीयोनैः ॥
कौबेरी चात्र शिरा वहति जलं लोहगन्धि चाक्षोभ्यम् ।
कनकनिभो मण्डूको नरमात्रे मृत्तिका पीता ॥३९॥

कदम्ब वृक्ष से पश्चिम में वल्मीक हो तो उस वृक्ष से तीन हाथ दक्षिण पौने छै पुरूष नीचे जल होता हे। वहाँ लोहे की गन्ध से युक्त अधिक जल वाली उत्तर वाहिनी शिरा निकलती है। एक पुरूष नीचे सुवर्ण के रंग का मेढक और उसके नीचे पीली मिट्टी निकलती है ॥३८-३९॥

ताड़ या नारियल के वृक्ष से शिरा ज्ञान–

वल्मीकसंवृत्तो यदि तालो वा भवति नालिकेरो वा
पश्चात् षड्भिर्हस्तैर्नरैश्चतुर्भिः शिरा याम्या ॥४०॥

यदि वल्मीक से युक्त ताड (ताल) या नारियल का वृक्ष हो तो उस वृक्ष से छै हाथ पश्चिम दिशा में चार पुरूष नीचे दक्षिण वाहिनी शिरा होती है ॥४०॥

कपित्थ के वृक्ष से जल ज्ञान–

याम्येन कपित्थस्याहिस्श्रयश्चेदुदग्जलं वाच्यम् ।
सप्तपरित्यज्य करान् खात्वा पुरूषान् जलंपञ्च ॥४१॥
कर्बुरकोऽहिः पुरूषे कृष्णा मृत्पुटभिदपि च पाषाणः ।
श्वेता मृत्पश्चिमतः शिरा ततश्चोतरा भवति ॥४२॥

कपित्थ (कैथ) के वृक्ष से दखिण वल्मीक हो तो उस वृक्ष से सात हाथ उत्तर दिशा में पाँच पुरूष नीचे जल

होता है। यहाँ पर एक पुरूष तुल्य नीचे चितकबरा सर्प और काली मिट्टी होती है। उसके नीचे परतदार पत्थर, उसके नीचे सफेद मिट्टी तथा एक पश्चिम वाहिनी शिरा और उसके नीचे उत्तर वाहिनी शिरा होती है।

अश्मंतक वृक्ष से जल ज्ञान–

अशमन्तकस्य वामे बदरी वा दृश्यतेऽहिनिलयो वा।
षड्भिरूदक् तस्य करैः सार्धे पुयषत्रये तोयम् ॥४३॥
कूर्मः प्रथमे पुरूषे पाषाणों धूसरः ससिकता मृत्।
आदौ च शिरा याम्या पूर्वोत्तरतो द्वितीया च ॥४४॥

अशमन्तक वृक्ष के बाँई तरफ बेर का वृक्ष या वल्मीक हो तो उस वृक्ष से छै हाथ पर उत्तर दिशा में साढे तीन पुरूष नीचे जल होता है। यहाँ पर एक पुरूष नीचे कछुआ, उसके नीचे धूसर वर्ण का पत्थर, उसके नीचे रेतीली मिट्टी, उसके नीचे दक्षिण शिरा और उसके नीचे ईशान कोण की शिरा निकलती है ॥४३–४४॥

हरिद्द वृक्ष से जल ज्ञान –

वामेन हरिद्दतरोर्वल्मीकश्चेञ्चलं भवति पूर्वे।
हस्तत्रितये सञ्यंशैः पुम्भिः पश्चभिर्भवति ॥४५॥
नीलो भुजगः पुरूषे मृत् पीता मरकतोपमश्चाश्मा।
कृष्णा भूः प्रथमं वारूणी शिरा दक्षिणेनान्या ॥४६॥

हरिद्र (हलदुआ) वृक्ष की बाँई तरफ वल्मीक हो तो उस वृक्ष से तीन हाथ पूर्व दिया में एक तिहाई युत पाँच पुरूष नीचे जल होता है। यहाँ पर एक पुरूष नीचे नील वर्ण का सर्प, उसके नीचे पीली मिट्टी, उसके नीचे हरे रंग का पत्थर उसके नीचे काली भूमि, उसके नीचे पश्चिम शिरा और दक्षिण शिरा निकलती है ॥

जल रहित देश में जलय चिह्न देख कर जल का ज्ञान–

जल परिहीने देशे दृश्यन्तेऽनूजानि चिह्नानि।
वीरणदूर्वा मृदवश्च यत्र तस्मिन् जलं पुरूषे ॥४७॥
भार्ङ्गी त्रिवृता दन्ती सूकरपादी च लक्ष्मणा चैव।
नवमालिका च हस्तद्वयेऽम्बु याम्ये त्रिभिः पुरूषैः ॥४८॥

जिस जल रहित देश में बहुत जल वाले देश के चिन्ह दिखाई दें तथा जहाँ पर वीरण(गाँडर)और दूब अधिक कोमल हो वहाँ एक पुरूष नीचे जल होता है। तथा जहाँ पर भंगरैया, निसोत, इन्द्रदन्ती (दंतिया=जयपाल), सूकरपादी, लक्ष्मणा ये औषधियाँ हो वहाँ से दो हाथ पर दक्षिण दिशा में तीन पुरुष नीचे जल मिलता है ॥४७–४८॥

जल सहित और जल रहित देश का ज्ञान –

स्निग्धाः प्रलम्बशाखा वामनविकटद्रुमाः समीपजलाः।
सुषिरा जर्जरपत्रा रूक्षाश्च जलेन सन्त्यक्ताः ॥४९॥

जहाँ निर्म लम्बी डालियों से युक्त छोटे–छोटे विस्तृत वृक्ष हों वहाँ जल निकट में होताहै। और जहाँ अन्तःसार वाले, विवर्ण पत्ते वाले रूखे वृक्ष हो, वहाँ जलाभाव होता है ॥

वल्मीक युक्त तिलक आदि वृक्षों से जल ज्ञान–

तिलकाम्रातकवरूणकभल्लातकबिल्वतिन्दुकाङ्कोलाः।
पिण्डारशिरीषाञ्जनपरूषका वञ्जुलोऽतिवला।
एते यदि सुस्निग्धा वल्मीकैः परिवृतास्ततस्तोयम्।
हस्तैस्त्रिभिरूत्तरतश्चतुर्भिरर्धेन च नरेण ॥५१॥

जहाँ पर निर्मल वल्मीक से युत तिलक, आम्रातक (अंबाड़ा),वरूणक (वरण), भिलावा, बेल, तेन्दु (तेन्दुआ), अंकोल, पिण्डार, शिरीष, अंजन, परूषक (फालसा), अशोक, अतिवला ये वृक्ष हो वहाँ इन वृक्षों से तीन हाथ पर उत्तर दिशा में साढे चार पुरूष नीचे जल होता है ॥५०–५१॥

तृण रहित और तृण सहित प्रदेश से धन ज्ञान–

अतृणे सतृणा यस्मिन् सतृणे तृणवर्जिता मही यत्र।

तस्मिन् शिरा प्रदिष्टा वक्तव्यं वा धनं चास्मिन् ॥५२॥

तृण रहित प्रदेश में कोई एक स्थान तृण युत दिखाई दे अथवा तृण युत प्रदेश में कोई एक स्थान तृण रहित दिखाई दे तो उस स्थान में साढे चार पुरुष नीचे शिरा या धन होता है ॥५२॥

काँटे वाले और बिना काँटे वाले वृक्षों से धन का ज्ञान–

कण्टक्यकण्टकानां व्यत्यासेऽभस्त्रिभि: करै: पश्चात् ।

खात्वा पुयषत्रितयं त्रिभागयुक्तं धनं वा स्यात् ॥५३॥

जहाँ काँटे वाले वृक्षों में, एक बिना काँटे वाला अथवा बिना काँटे वाले वृक्षों में ,एक काँटे वाला वृक्ष हो वहाँ उस वृक्ष से तीन हाथ पर पश्चिम दिशा में एक तिहाई युत तीन पुरूष नीचे जल या धन होता है ॥५३

भूमि को पाँव से ताड़न करके जल ज्ञान–

नदति मही गम्भीरं यस्मिश्चरणाहता जलं तस्मिन् ।

साद्धैस्त्रिभिर्मनुष्यै: कौबेरी तत्र च शिरा स्यात् ॥५४॥

जहाँ पाँव से ताड़न करने से गम्भीर शब्द हो ,वहाँ साढे तीन पुरूष नीचे जल और उत्तर शिरा होती है ॥५४॥

वृक्ष की शाखा से जल ज्ञान–

वृक्षस्यैका शाखा यदि विनता भवति पाण्डुरा वा स्यात् ।

विज्ञातव्यं शाखातले जलं त्रिपुरुषं खात्वा ॥५५॥

वृक्ष की एक शाखा नीचे की ओर झुकी हो या पीली पड़ गई हो तो उस शाखा के नीचे तीन पुरूष समान खोदने से जल मिलता है ॥५५॥

फल पुष्पों से जल शिरा ज्ञान–

फलकुसुमविकारो यस्य तस्य पूर्वे शिरा त्रिभिर्हस्तै: ।

भवति पुरूषैश्चतुर्भि: पाषाणोंऽध: क्षिति: पीता ॥५६॥

जिस वृक्ष के फल पुष्पों में विकार पैदा हो उस वृक्ष से तीन हाथ पर पूर्व दिशा में चार पुरूष नीचे शिरा होती है। तथा नीचे पत्थर और पीली भूमि मिलती है ॥५६॥

कटेरी के वृक्ष से जल ज्ञान –

यदि कण्टकारिका कण्टकैर्विना द्दश्यते सितै: कुसुमै: ।

तस्यास्तलेऽम्बु वाच्यं त्रिभिर्नरैरर्धपुरुषे च ॥५७॥

जहाँ काटों से रहित और सफेद पुष्पों से युत कटेरी का वृक्ष दिखाई दे ,तो उस वृक्ष के नीचे साढे तीन पुरूष खोदने से जल निकलता है।

खजूर के वृक्ष से जल ज्ञान–

खर्जूरी द्विशिरस्का यत्र भवेञ्जलविवर्जिते देशे ।

तस्या: पश्चिमभागे निर्देश्यं त्रिपुरूषैर्वारि ॥५८॥

जिस जल रहित देश में दो शिरा वाला खजूर का पेड़ हो वहाँ उस वृक्ष से दो हाथ पश्चिम दिशा में तीन पुरूष नीचे जल कहना चाहिये।

यहाँ पर सारस्वत–

खर्जूरी द्विशिरस्का स्यान्निर्जले चेत् करद्वये। निर्देश्यं पश्चिमे वारि खात्वाऽध: पुरुषत्रयम ॥५८॥

कर्णिकार और ढाक के वृक्ष से जल ज्ञान –

यदि सफेद पुष्प वाला कर्णिकर (कठचम्पा) या ढाक का वृक्ष हो तो उस वृक्ष से दो हाथ दक्षिण दिशा में दो पुरूष नीचे जल होता है। –॥५९॥

वाष्प और धूम से जल ज्ञान –

जिस स्थान से भाप या धूँआ निकालता हुआ दिखाई दे ,वहाँ दो पुरूष नीचे बहुत जल बहने वाली शिरा कहनी चाहियें ॥६०॥

धान्यों से जल का ज्ञान –

जिस खेत में धान्य उत्पन्न होकर नष्ट हो जाय, बहुत निर्मल धान्य हों या उत्पन्न होकर पीला पड़ जाए वहाँ दो पुरूष नीचे बहुत बहने वाली शिरा होती है ॥६१॥

मरूदेश में शिरा का ज्ञान –

मरू देश में जिस तरह शिरा होती है उसको कहतें हैं, जैसे – उँ ट की गर्दन की तरह भूमि में उँ ची नीची शिरा होती है ॥६२॥

पीलुवृक्ष से शिरा का ज्ञान –

यदि पीलु(पिलुआ – पीलौ गुड़ फल: स्त्रंसीत्यमर:) वृक्ष के ईशान कोण में वाल्मीकी हो तो उस वृक्ष से साढे चार हाथ पश्चिम दिशा में पाँच पुरूष नीचे उत्तर बहने वाली शिरा होती है। यहाँ खोदने के समय एक पुरूष नीचे मेढक, उसके नीचे पीली तथा हरी मिट्टी उसके नीचे पत्थर और उसके नीचे जल कहना चाहिये।

यहाँ पर सारस्त्रत –

ऐशान्या पीलुवृक्षस्य वल्मीकश्रेज्ञलं वदेत्। चतुर्भि: सरलैर्हस्तै: पश्चिमें नरपञ्चमें।

प्रथमें पुरूषे भेक: कपिला हरिता च मृत्। पाषाणस्य तले सौम्यां शिरां वहुजलां वदेत् ॥

पीलु वृक्ष से जल ज्ञान –

पीलु वृक्ष के पूर्व दिशा में वल्मीक हो तो उस वृक्ष से साढे चार हाथ दक्षिण दिशा में सात पुरूष नीचे जल रहना कहना चाहिये। यहाँ पर एक पुरूष नीचे एक हाथ लम्बा चितकबरा सर्प और उसके नीचे बहुत खारा जल बहने वाली दक्षिण शिरा निकलती है।

करीर वृक्ष से जल का ज्ञान –

करीर (करील) वृक्ष के उत्तर दिशा में वल्मीक हो तो उस वृक्ष से साढे चार हाथ पर दक्षिण दिशा में दस पुरूष नीचे मधुर जल जानना चाहयें। यहाँ पर एक पुरूष नीचे पीला मेंढक दिखाई देता है

यहाँ पर सारस्वत –

उदक्करीराद्वलमीको द्दश्यते चेज्ञलं वदेत्। चतुर्भिर्द क्षिणैर्हस्ते: सार्धैर्दशनरादत:। नरे भेक: पीतवर्णो द्दश्यन्तें चिह्नमत्र हि ॥६७॥

रोहितक वृक्ष से जल ज्ञान –

रोहितक (लाल करञ्ज) वृक्ष के पश्चिम में वल्मीक हो तो उस वृक्ष से तीन हाथ पर दक्षिण दिशा में बारह पुरूष नीचे खारे जल वाली पश्चिम वाहिनी शिरा निकलती है।

अर्जुन वृक्ष से जल का ज्ञान –

यदि अर्जुन वृक्ष के पूर्व में वल्मीक दिखाई दे, जो उस वृक्ष से एक हाथ पर पश्चिम दिशा में चौदह पुरूष नीचे शिरा निकलती है। और एक पुरूष नीचे पीला गोह दिखाई देता है ॥

धतुरे के वृक्ष से जल का ज्ञान –

धतुरा वृक्ष के उत्तर वल्मीक हो तो उस वृक्ष से दो हाथ दक्षिण पन्द्रह पुरूष नीचे जल होता है। इस खात में खारा जल होता है। तथा आधा पुरूष नीचे नेवला, ताम्रवर्ण का पत्थर और लाल रंग की मिट्टी निकलती है।यहाँ दक्षिण शिरा बहती है ॥७०–७१॥

बेर और लाल करञ्ज के संयोग से जल का ज्ञान –

वल्मिक बिना कभी बेर, लाल करञ्ज ये दोंनो वृक्ष इकट्ठें दिशाई दें तो उन वृक्षों से तीन हाथ पर पश्चिम दिशा में सोलह पुरूष नीचे जल होता है। यहाँ पर मधुर जल होता है, पहले दक्षिण शिरा बाद में उत्तर शिरा बहती है, आटे के समान सफेए पत्थर तथा सफेद मिट्टी निकलती है और आधा पुरूष नीचे बिच्छू दिखाई देता है ॥७२–७३॥

करील और बेर के वृखों के संयोग से जल का ज्ञान –

करीर वृक्ष के साथ बेर का वृक्ष दिखाई दे तो उन वृक्षों से तीन हाथ पर पश्चिम दिशा में अठारह पुरूष नीचे ईशान कोण में बहने वाली और बहुत जल वाली शिरा होती है ॥७४॥

पीलु वृक्ष से युत बेर के वृक्ष से जल ज्ञान –

यदि पीलु वृक्ष से युत बेर का वृक्ष हो तो उनसे तीन हाथ पर पूर्व दिशा में बीस पुरूष नीचे कभी न सूखने वाला खारा जल होता है ॥७५॥

अर्जुन और करीर या अर्जुन और बेल वृक्ष के संयोग से जल ज्ञान –

जिस जगह अर्जुन ओर करीर या अर्जुन और बेल के वृक्ष का संयोग होतो उन वृक्षों से दो हाथ पर पश्चिम दिशा में पच्चीस पुरूष नीचे जल होता है ।।७६।।

वल्मीक के उपर दूबा, कुशा आदि से जल का ज्ञान यदि वल्मीक के उपर दूब या सफेद कुशा हो तो वल्मीक के नीचे कूप खोदने से ईक्कीस पुरूष नीचे जल मिलता है।।७७।।

कदम्ब और दूर्वा युत वल्मीक से जल ज्ञान

जिस भूमि में कदम्ब और वल्मीक के उपर दूब दिखाई दे वहाँ कदम्ब वृक्ष से दक्षिण दो हाथ पर पच्चीस पुरूष नीचे जल होता है ।।७८।।

तीन वल्मीक के मध्य में स्थित रोहीतक वृक्ष से जल ज्ञान –

तीन वल्मीक के मध्य में विजातिय तीन तरह के वृक्षों से युत लाल करंज का वृक्ष हो तो उस लाल करंज के वृक्ष से उत्तर चार हाथ सोलह अङ्गुल पर चालीस पुरूस नीचे खोदने से पत्थर और उसके नीचे शिरा होती है ।।७९-८०।।

शमी वृक्ष से जल का ज्ञान

जहाँ पर अनेक गाँठों से युत शमी वृक्ष हो और उसके उत्तर वल्मीक हो तो शमी वृक्ष के पश्चिम पाँच हाथ पर पच्चास पुरूष नीचे जल होता है ।।७९-८०।।

पाँच वल्मीक वश जल ज्ञान –

एक स्थान में पाँच वल्मीक हो उनमें बीच का वल्मीक सफेद हो तो उस सफेद वल्मीक में खोदने से पचपन पुरूष नीचे शिरा निकलती है ।।८२।।

पलाश युत शमी वृक्ष से जल ज्ञान –

जहाँ पर पलाश के वृक्ष से युत शमी वृक्ष हो वहाँ उन वृक्षों से पश्चिम पाँच हाथ पर साठ पुरूष नीचे जल होता है। यहाँ पर आधा पुरूष नीचे सर्प और उसके नीचे रेत मिली हुई मिट्टी हुई पीली मिलती है ।

यहाँ पर सारस्वत –

शमी पलाशसंयुक्ता यत्र स्यात्तत्र पश्चिमे । पञ्चहस्तज्वलं वाच्य षष्ठयात्र पुरूषैरधः।।
अत्रार्धपुरूषे सर्पः पीता मृत्स्यात्सवालुका । तद्धोंऽम्भों विनिर्देश्यं दीर्धकालं प्रवाहितम् ।।

वल्मीक से युत रोहीतक वृक्ष से जल ज्ञान –

जहाँ वल्मीक से घिरा हुआ सफेद रोहीतक का वृक्ष हो वहाँ उस पृक्ष से पूर्व दिशा में एक हाथ पर सत्तर पुरूष नीचे जल होता है ।।८४।।

श्वेत कण्टक युत शमी वृत्त से जल का ज्ञान

जहाँ सफेद काँटों से युत शमी वृक्ष से दक्षिण एक हाथ पर पचहत्तर पुरुष नीचे जल होता है । यहाँ पर खोदने से आधा पुरूष नीचे सर्प होता है।

यहाँ पर सारस्वत –

श्वेतातिकण्टका यत्र शमी स्यात्तत्र दक्षिणे । हस्तेन पश्चसप्तत्या नरांणा निर्दिशेज्रलम् ।।
खातेऽर्धपुरूषे सर्पो दृश्यतेऽञ्जनसप्रभः । सुररसं च जलं ज्ञेयं चिरकानप्रवाहितम् ।।८५।।

जल ज्ञान में तारतम्य –

जिन चिन्हों से मरूस्थल में जल ज्ञान कहा गया है उन चिन्हों से जाङ्गल (स्वल्प जल वाले) देश में जल ज्ञान नहीं कहना चाहिये। पहले जामुन, बेंत आदि के द्वारा जल ज्ञान के समय जो पुरूष प्रमाण कहा गया है कि उसको द्विगुणित करके मरू देश में ग्रहण करना चाहिये ।।८६।।

वाल्मीक के उपर जामुन आदि वृक्ष से जल ज्ञान –

यदि वल्मीक के उपर जामुन, निसोत, मौर्वी, शिशुमारी, सारिवा, शिवा (शमी), श्यामा, वाराही, ज्यौतिष्मती (मालकाकणी), गरूडवेगा, सूकरिका, माषपर्णी(मुड़), ब्याघ्रापदा ये औषधियाँ हों तो वल्मीक से उत्तर तीन हाथ पर तीन पुरुष नीचे जल होता है।

पूर्व कथित जल के योग में तारतम्य –

पूर्व कथित तीन पुरुष प्रमाण अनूप (जलप्राय) देश के लिये है। स्वल्प जल वाले देश में इन्हीं पूर्वोक्त

लक्षणों से पाँच पुरूषे नीचे और मरूदेश में सात पुरूष नीचे जल कहना चाहिये ॥८९॥

विकार युत भूमि से जल ज्ञान –

जहाँ तृण, वृक्ष, वल्मीक और गुल्मों से रहित एक पूर्ण की भूमि हो तथा उस भुमि में कही एक जगह विकार दिखाई दे तो उस विकार युत भूमि के पाँच पुरूष नीचे जल कहना चाहिये।

भूमि के लक्षण से जल का ज्ञान –

जहाँ स्निग्ध, नीची, रेतदार और पाँव रखने से शब्द युत भूमि हो वहाँ साढे चार या पाँच पुरूष नीचे जल कहना चाहियें ॥९१॥

स्निग्ध वृक्षों से जल का ज्ञान –

जहाँ स्निग्ध वृक्ष हो वहाँ उन वृक्षों से चार पुरूष नीचे जल होता है, तथा जहाँ बहुत वृक्षों के मध्य में एक वृक्ष विकार युत दिखाई दे वहाँ उस विकार युत वृक्ष से दक्षिण चार पुरूष नीचे जल होता है ॥९२॥

नीचे दबने वाली भूमि दो देख कर जल का ज्ञान –

जिस बहुत जल वाले या स्वल्प जल वाले देश में पाँव रखने से दब जाय और वहाँ बिना रहने के स्थान के बहुत कीड़े हों वहाँ डेढ पुरूष नीचे चल कहना चाहियें ॥९३॥

गरम और ठंढी भूमि को देख कर जल का ज्ञान –

जहाँ सब जगह गरम और एक जगह में ठण्डी या यब जगह गरम भूमि हो वहाँ साढे तीन पुरूष नीचे जल होता है। जिस स्वल्प जल वाले या अधिक जल वाले प्रदेश में इन्द्रधनुष, मछली या वल्मीक हो उस भूमि में चार हाथ नीचे जल होता है॥

वल्मीक आदि के दर्शन से जल का ज्ञान –

जहाँ बहुत वल्मीकों में एक वल्मीक सबसे उँ चा हो तो उस वल्मीक के नीचे चार पुरूष खोदने से जल मिलता है। अथवा जिस खेत में धान्य जम कर सूख जाय या जमे ही नहीं वहाँ चार पुरूष नीचे जल कहना चाहिये। ॥९५॥

बड़, पीपल और गुलर के संयोग से जल ज्ञान –

जहाँ बड़, पीपल, गुलर ये तीनों वृक्ष इकट्ठे हों तथा जहाँ बड़, पीपल ये दोंनो वृक्ष इकट्ठे हों वहाँ इन वृक्षों के नीचे तीन हाथ खोदने पर जल उत्तर शिरा मिलती है।

आग्नेय कोण स्थित कूप का फल–

यदि गाँव या नगर के आग्नेय कोण में कूप हो तो उस गाँव या नगर मे नित्य अनेक प्रकार का भय होता है। अधिकतर आग लगती है और मनुष्य भी जल कर मरते है।

नैर्ऋत्य केाण में कूप हो तो बालकों के क्षय और वायव्य कोण में स्त्रियों को भय होता है।

शेष पाँच दिशाओं में शुभ होता है ॥९७–९८॥

यहाँ आचार्य का विशेष वक्तव्य –

सारस्वत मुनि ने जो उद्कार्गल कहें हैं उनको देख कर मैने आर्या छन्द से यह उदकार्गल कहा है। अब मनु से प्रतिपादित उद्कार्गल को वृत्तों से कहता हूँ॥९९॥

वृक्षों के द्वारा जल का ज्ञान –

जहाँ पर स्निग्ध, छिद्र रहित पत्तों से युत वृक्ष गुल्म या लता हो वहाँ तीन पुरूषे नीचे जल होता है। अथवा स्थल कमल, गोखरू, उशीर, कुल के द्रव्य विशेष। गुण्ड, काश, कुशा, नलिका, नल ये पूर्ण विशेष। खजुर, जामुन, अर्जुन, वैंत ये वृक्ष विशेष। दूध वाले विशेष। दूध वाले वृक्ष, गुल्म और लता, छत्री, हस्तीकरर्णी, नागकेशर, कमल, कदम्ब, करञ्ज ये सब सिन्दुवार वृक्ष के साथ। बहेड़ा वृक्ष विशेष, मदयन्तिका द्रव्य विशेष ये सब जहाँ हों वहाँ पर तीन पुरूष नीचे जल होता है। तथा जहाँ पर एक पर्वत के उपर दूसरा पर्वत हो वहाँ पर भी तीन पुरूष नीचे जल होता है।

मंजु आदि से युत भूमि में जल का ज्ञान –

मंजु, काश और से कुश से युत भूमि में, पत्थर की कणाओं से मिली हुई नीली वाली भूमि में और काली या लाल मिट्टि वाली भूमि में बहुत तथा मधुर जल होता है॥

भूमि के वर्ण से जल ज्ञान

पत्थर के कर्णों से मिली हुई ताम्र वर्ण की भूमि में कसैला, पीली भूमि में खारा, पाण्डुरंग की भूमि में नमकीन और नीली भूमि में मीठा जल होता है ॥।१०४॥

शाक आदि के लक्षण से जल का ज्ञान –

जहाँ पर छिद्र वाले पत्तों से युत शाक (तरकारी=सब्जी), अश्वकर्ण, अर्जुन, बेल, सर्ज, श्री पर्णी, अरिष्ट, धव शीशम ये वृक्ष हों तथा जहाँ पर छिद्र वाले रूखे पत्तों से युत वृक्ष, गुल्म, लता हों वहाँ बहुत दूर पर जल होता है।

भूमि के वर्ण से जल का ज्ञान–

जहाँ सूर्य, अग्नि, भस्म, उँ ट या गदहे के रंग की या लाल रंग की भूमि में लाल अंकुर वाला, दूध वाला करीर वृक्ष हो या लाल वर्ण की भूमि हो ,तो पत्थर के निचे जल होता है॥१०६॥

काली आदि पत्थर को देख कर जल का ज्ञान –

वैदूर्य मणि, मुंग या मेघ के समान काला, पकने वाले गूलर के फल के समान, फोढने से अञ्जन के समान का या पीला पत्थर जहाँ हो वहाँ पर समीप में ही बहुत जल होता है॥१०७॥

कबुतर आदि के रंग समान पत्थर को देख कर जल का ज्ञान –

कबूतर, शहद,धृत या सोमलता के समान रंग वाला पत्थर जहाँ पर हो ,वहाँ भी कभी नहीं नष्ट होने वाला जल शीघ्र निकलता है ॥१०८॥

विचित्र आदि बिंदुओ से युत शिला से जलाभावज्ञान –

ताम्र वर्ण के बिन्दुओं से युत विचित्र बिन्दुओं से युत, पाण्डु वर्ण वाला, भस्म, उँ ट या गदहे के समान वर्ण वाला, अङ्कुष्ठिका वृक्ष के समान निला, सुर्य अग्नि के समान वर्ण वाला पत्थर जहाँ पर हो वहाँ पर जल नहीं होता है ॥१०९ ॥

चन्द्र किरण आदि के समान रंग वाले पत्थर से जल का ज्ञान –

चन्द्र किरण, स्फटिक, मोती, सोना, इन्द्रनील मणि, सिंगरफ, अंजन, उदय कालिक सूर्य किरण और हरिताल के समान रंग वाला पत्थर शुभ होता है। अब यहाँ इसके बाद ये वक्ष्यमाण वृतान्त मुनि कथित है ॥११०॥

पूर्व कथित शुभ शिलाओं का फल –

पूर्व कथित सब शुभ शिलायें के कल्याण करने वाली हैं सदा यक्ष और नागों से सेवित है, जिनके राज्य में ये शिलायें होती हैं, उनके यहाँ कभी भी अवृष्टि नहीं होती ॥१११॥

शिला विदारण प्रकार (तोड़ने की विधी)

यदि कूप आदि खोदने के समय पत्थर निकल आवे और वह आसानी से न फूट सके तो ,उस के उपर ढाक और तेन्दु की लकड़ी जला कर आग के समान लाल बना क द्योफिर उपर चूने की कली से मिश्रित जल छिड़के ,तो शिला फूट जाती है ॥११२॥

मोक्षक वृक्ष की लकड़ी का भस्म मिला कर जल को औटावे फिर उसमें शर के वृक्ष का भस्म मिलावें , बाद अग्नि में तपाई हुई शिला पर उसे सात वार छिड़कने से शिला फूट जाती है ॥११३॥

छाछ, काँजी, मद्य, कुलथी इन सब को मिला कर एक बरतन में सात रात तक छोड़ दे, बाद अग्नि से तपाई हुई शिला पर उसे बार–बार छिड़कने से शिला फूट जाती है ॥

नींब के पत्ते, नींव की छाल, तिलों का नाल, अपामार्ग,तेन्दू का फल, गिलोथ इन सबों की भस्म को गोमूत्र में मिला कर उसे तपाई हुई शिला पर छः बार छिड़कने से शिला फूट जाती है ॥११५॥

शस्त्र को तीक्ष्ण बनाने का उपाय

शस्त्र पर पहले तिल का तेल मलें, फिर मेष के सींग की भस्म तथा कबूतर और चूहे की बीट से युक्त आक के वृक्ष के दूध का लेप करे, फिर उसको आग में तपा कर पूर्वोत्क पान देवे, पश्चात् तेज करके पत्थर पर मारने से भी उसकी धार नहीं टूटती है। ॥११६॥

एक अहोरात्र तक तक्र से युत कदली वृक्ष की भस्म में स्थापित लोहे में पूर्वोक्त पान देकर तीक्षण करके पत्थर पर मारने से भी उसकी धार नहीं टूटती है, तथा अन्य लोहे पर मारने से भी कुण्ठता को नहीं प्राप्त होता है ॥११७॥

वापी का लक्षण

पूर्वात्तरायत वापी में अधिक समय तक जल ठहरता है। दक्षिणोत्तरायत वापी में जल नहीं ठहरता है, क्योंकि वायु के तरङ्गों से वह वापी नष्ट हो जाती है। यदि दक्षिणोत्तरायत वापी बनाना चाहे तो तरङ्गो से बचाने के लिये किनारों को मजबूत लकड़ी या पत्थर आदि से चुनवा दें तथा बनाने के समय मिट्टी की हरेक तह को हाथी घोड़े आदि से रूँदवायी जाय ,जिससे कि मिटट्री दब कर विशेष मजबूत हो जाय ॥११८॥

वापी के तट पर लगाने वाले वृक्ष –

निचुल, जामुन, वेत, नीप(एक तरह का कदम्ब)इन वृक्षों के साथ अर्जुन, बड़, आम, पिलखन, कदम्ब और बकुल के साथ कुरवक, तार, अशोक, महुआ, मौलसरी इन वृक्षों को वापी के तट पर लगावे ॥११९॥

जल निर्गमन मार्ग का लक्षण–

वापी की एक तरफ जल निकलने के लिये पत्थरों से बंधवाया हुआ मार्ग बनावे ।उस मार्ग को छिद्र रहित लकड़ी के तख्ते से ढक कर मिट्टी से दृढ कर दे ॥१२०॥

कूप में डालने का द्रव्य विशेष (जल शोधन के लिये)–

अञ्जन, मोथा, खस, राजकोशातक, आवँला, कतक का फल इन सबका चूर्ण कूप में डाले ॥१२१॥

पूर्वोक्त द्रव्य डालने का गुण–

जो जल गन्दला, कडुआ, खारा, बेस्वाद या दुर्गन्ध वाला हो वह इन पूर्वोक्त औषधियों से निर्मल, मधुर, सुन्दर गन्ध वाला और अनेक गुणों से युक्त होता है ॥१२२॥

कूपारम्भ के नक्षत्र–

हस्त, मघा, अनुराधा, पुष्य, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, रोहणी शतभिषा इन नक्षत्रों में कूप का आरम्भ करना शुभ है ॥१२३॥

प्रतिष्ठा का विधान–

वरूण को बलि देकर गन्ध, पुष्प, धूप आदि से बड़ या वेतस की लकड़ी की कील की पूजा करके, पहले शिरा स्थान में उसको गाड़े ॥१२४॥

उपसंहार पद्य–

ज्येष्ठ की पूर्णिमा के बाद में जिस तरह जल ज्ञान होता है, उसको मैंने पहले ही कह दिया है ।यहाँ बलदेव आदि आर्यो का मत देख कर मुनियों की कृपा से मैंने जलज्ञान के लिये यह दूसरा दकार्गल नामक अध्याय कहा है ॥१२५॥

स्थापत्यवेद में जल प्राप्ति हेतु जल संरचनाओं जसे तड़ाग,कूप, आदि बनाने के प्रारम्भ हेतु शुभ नक्षत्र मुहुर्त व पूजा विधि आदि के बारे में भी विस्तार से विभिन्न ग्रंथों में निम्नानुसार बताया गया है –

वास्तु सारणी में बताया गया है कि –

हस्तो मघानुराधापुष्यनिष्ठोत्तराणि रोहिण्य: ।
शतभिषगित्यारम्भे कूपानां शस्यते भगण: ॥१२३॥
हस्त मघा अनुराधा पुष्य धनिष्ठा तीनो उत्तरा राहिणी और शतभिषा नक्षत कूपारम्भ में शुभप्रद है।
कृत्वा वरूणस्य वलिं वटवेतसकीलकं शिरास्थाने।
कुसुमैर्गन्धैधूपैः सम्पूज्य निधापयेत् प्रथमम् ॥१२४॥
वरूण को बलि देकर वट तथा बेल का कील गंध पुष्प और धूप से पूजन करके प्रथम स्थापना करें।
मघोद्भवं प्रथममेव मया प्रदिष्टं
ज्येष्ठामतीत्य बलदेवमतादिदृष्ठ्या ।
भौमं दकार्गलमिदं कथितं द्वितीयं
सम्यग्वराहमिहिरेण मुनिप्रसादात् ॥१२५॥

मेघोद्भव जल को जेठ मास की पूर्णिमा ज्येष्ठा नक्षत से युक्त हो उसे देख बलदेव के मन से पहले हमने २३ वें अध्याय में कहा है भूमि सम्बन्धी दूसरा दकार्गल (जल देखना) हमने बरामिहिर मुनि की कृपा से कहा है ॥

कूपचक्रं प्रवक्ष्यामि यथोक्तं ब्रह्मयामले ।
रोहिणयादि लिखेच्चकं यावत्तिष्ठति चन्द्रमा: ॥१२६॥
एकमध्ये द्वयं पूर्वे ह्याग्नेय्यां च त्रयं तथा ।
याम्ये बाणास्थितं चैव नैऋत्ये रसमेव च ॥१२७॥
पश्चिमे युग्मवायव्यां चात्तरे त्रीणि दापयेत् ।
ईशान च त्रयं दधात् ब्रह्मात्रक्षादनुकमात् ॥१२८॥
मध्ये शीघ्रजलं स्वादु पूर्वे भूमिश्च खणिडता ।
आग्नेय्यां स जलं प्रोक्तं याम्ये च निर्जलं भवेत् ॥१२९॥
नैर्ऋत्ये सुजलं प्रोक्तं पश्चिमें शोभनं जलम् ।
वायव्ये चैव पाषाणां उत्तरे च समुद्रवत् ॥१३०॥
ईशाने मनसा सिद्धिर्वापीकूपस्य लक्षणाम् ।

कूप का चक्र ब्रम्हाबालम में जैसा कहा है वैसा कहता है। रोहिणी से लेकर चन्द्र नक्षत्र तक गिन, चक्र में इस प्रकार स्थापित करें। मध्य में १, पूर्व में २, अग्निकोण में ३, दक्षिण दिशा में ५, नैर्ऋत्य में ६, पश्चिम में २ वायव्य में२, उत्तर में ३ और ईशान में ३ रोहिणी नक्षत से क्रम से देवें। मध्य में शीघ्र स्वादुजल, पूर्व में खण्डित भूमि, अग्निकोणमें जल , दक्षिण में निर्जल, नैर्ऋत्य में सुन्दर जल, पश्चिम में शोभन जल, वायव्य में पाषाण, उत्तर में समुद्रवत् अथाह जल, ईशान में मनसा सिद्धि बावली कूप के जलके लक्षण को जाने ॥ १२६-१३०॥

श्रुतिस्मृतिपुराणादौ तीक्ष्णां श्रुश्चाम्बुक: स्मृत: ।
तस्मात्सूर्यर्क्षतो मुख्यं कूपचक्रं विचारयेत् ॥१३१॥

वेद स्मृति पुराण आदि में सूर्य को जलदाता बताया है। इससे सूर्य के नक्षत्र से इस कूपचक्र को अवश्य विचारे सूर्य का विचार मुख्य विचार गौणा हैं ॥१३१॥

सूर्यभुक्ताच्च नक्षत्राद् गणायेद्दिनभावधि ।
चतुर्भिश्च हरेद्भागं शेषं फलविचिन्तनम् ॥१३२॥
जलकृन्मृत्युकृच्चैव क्षयकृत्कलहस्तथा ॥
एते योगा: समाख्याता: कूपे चैव विचारयेत् ॥१३३॥

सूर्य के नक्षत से चन्द्र नक्षत्र तक गिने उसमें ४ का भाग देवै शेष के अनुसार फल जाने। यदि १ शेष बचे तो जल करनेवाला २ बचे तो मृत्यु करनेवाल, ३ बचे तो क्षय करने वाला ४ बचे तो कलह करने वाला होता है॥१३२॥१३३॥

कूपेऽर्कभान्मध्यगतैस्त्रिभिर्भै:
स्वादुदकं पूर्वदिशि त्रिभिस्त्रिभि: ।
स्वल्पं जलं स्वादु जलं जलक्षयं
स्वादूदकं क्षीरजलं च मिश्रितम् ॥१३४॥
मिष्टं जलं क्षार जलं क्रमेणा वै
पुरातनैरूक्तमिति प्रवीणौ: ।

सूर्य के नक्षत्र से कूपचक्र को कहते है – सूर्य के नक्षत्र से यदि कूपारम्भ करने का नक्षत्र ३ नक्षत्र पर्यन्त मध्य के नक्षत हैं तो इसमें कूप करने से स्वादिष्ठ जल होता है फिर पूर्वादिदिशा के तीन २ नक्षत्र हैं, मध्यगत नक्षत्र के बाद ३ नक्षत्र पूर्व के स्वल्प जल करने वाले है , फिर ३ नक्षत्र अग्निकोण के स्वाद जल करनेवाले , फिर ३ नक्षत्र दक्षिण के जलनाशक है, फिर ३ नक्षत्र नैर्ऋत्य कोण को स्वादिष्ठ जलप्रद है, फिर ३ नक्षत्र पश्चिम के दुग्ध सदृश जल करने वाले हैं, फिर ३ नक्षत्र वायव्य के अनेक प्रकार के जल देनेवाले है, फिर ३ नक्षत्र उत्तर मीठे जल को करनेवाले हैं , फिर ३ नक्षत्र ईशान कोण के क्षार जलकारक है ॥१३४॥

भोम्नक्षत्रात् कूपचक्रम् ।
रात्रीशाब्धिगुणान्गिवेददहनं रामाग्नि रामस्तथा
ताराभौमभतो जलाजलमथो स्वादुःसुखणडं तथा

पीयूषो जलशोषणं शुभजलं क्षारं सुपूणाजलम्
गर्गाचार्यपराशरप्रभृतय:प्राप्ताम्बुचक्र कमात् ॥१३५॥

मंगल के नक्षत्र से जिस कूपारम्भ का मुहूर्त हो उसको गिने यदि १ हो तो जल ,फिर ४ तक अजल, फिर ३ नक्षत्र तक स्वादु जल, फिर ३ खंड जल ,फिर ४ तक नक्षत्र तक अमृत जल, फिर नक्षत्र ३ नक्षत्र तक शुद्ध जल, फिर ३ नक्षत्र तक शुष्क जल, फिर ३ नक्षत्र तक क्षार जल, फिर ३ नक्षत्र तक सुपूर्णा जल होता है।

जीवभात्कूपचक्रम ।
पञ्चवाणाशरसतपञ्चभम्
जीवभादभुभशोभनं स्मृतम् ।
कूपचक्रमिति मैत्रावासवे
तोयपार्कध्रुवपित्र्यभे शुभम् ।। १३९।।

कूपचक्र में वृहस्पति के नक्षत्र से ४ नक्षत्र से ५ नक्षत्र में कूपारम्भ करने से अशुभ फिर ५ में शुभ, फिर ५ में अशुभ, वाद ७ में शोभन, फिर ५ में अशुभ है और अनुराधा धनिष्ठा शतभिषा हस्त ध्रुव (तीनों उत्तरा रोहिण) और मघा कूपराम्भ शुभ है ॥१३६॥

राहुभाधददकार्गलचक्रम ।
पञ्चाग्निरामाग्नियुगाब्धिद्वयग्निभं
शुभाशुभं राहुभत: कमणा वै ।
ध्रुवाम्बुपार्कात्यभमित्र वासवे
मित्रे शंभं स्यत्तु सदाम्बुचके ॥१३७॥

राहु के नक्षत्र कसे कूपचक्र को कहता है, राहु के नक्षत्र से ५ नक्षत्र में कूपारम्भ करने से शुभ फल , फिर ३ नक्षत्र में अशुभ, फिर ३ में शुभ, फिर ३ में अशुभ, फिर ४ में शुभ, फिर ४ में शुभ, फिर ४ में अशुभ, फिर २ में शुभ, फिर ३ नक्षत्र में अशुभ फल होता है ॥१३७॥

कूपारम्भे मासा: ।
मार्गे माघे च वैशाखे ज्येष्टेऽत्येऽपि च कार्तिके।
कूपावाप्यादिकारम्भे मासा: स्युश्चोत्तमा:शुभा: ॥१३८॥

कूप वापी तड़ाग को अगहन माघ वैशाख ज्येष्ठ फाल्गुन कार्तिक मास में आरंभ करना उत्तम शुभ है ॥१३८॥

कूपारम्भेतित्यादिनिर्णय: ।
तृतीया पञ्चमी चैव सप्तमी दशमी तथा।
अष्टम्येकादशी चैव कूपारम्भे सुशोभना ॥१३९॥
रिक्तामाप्रतिपत्कृष्णों वर्जितान्ये च मध्यमा: ।
रविवारे जलं नास्ति चन्द्रे पूर्णाजलं शुभम् ॥१४०॥
भूसुते बालुका चैव चन्द्रपुत्रे जलं बहु।
वाक्पतौ मिष्ठतोयं च क्षारं चैवं भृगोर्दिने ॥१४१॥
शनौ च जलहानि३ स्याद् वाजं फलमीद्दशम्।
हस्तपुष्ये ध्रुवे तोयेऽनुराधावासवेम्बुपे ॥१४२॥
मघायां च मृगे चान्त्ये शुभे कूपादिकर्मसु।

कूपारमी करना ३।५।७।८।१०।११। तिथि में उत्तम है, रिक्ता ४।९१४ तथस कृष्णा पक्ष में अमावस तथा प्रतिपदा निषेध है , शेष तिथि मध्यम है ॥१३९॥१४२॥

सूर्य वार में कूपारम्भ करने से जल नहीं होता है, चन्द्रवार में पूर्णा जल होता है, मंगलवार में बालू होता है, बुधवार में बहुत जल है, गुरूवार को मीठा जल होता है, शुक्रवार में क्षार जल होता है शनिवार में कूपारम्भ करने से हानि होती हे। इस प्रकार वार से जलमान फल है।

हस्त पुष्य ध्रुव (रोहिणी तीनों उत्तरा) पूर्वाषाढ अनुराधा धनिष्ठा शतभिषा मघा मृगशिरा और रेवती नक्षत्र में कूपारमी करना शुभ है ॥१४२॥

लग्नेशशांकोऽथ जलोदये वा पर्णा: शशी केन्द्गतो व्यये वा ॥
लग्नेऽजीवोभृगुजेऽथसौम्ये जलं चिरस्थं सुरसं सुगंधम ॥१४३॥

लग्न में चन्द्रमा हो वा जलचर राशि में हो अथवा पूर्णा चन्द्रमा केन्द्र में वा व्यय में होय, लग्न में गुरू शुक्र बुध होय तो बहुत काल तक रहने वाला सुरस सुगंध जल होता है ॥१४३॥

कुजे तृतीये भृगुजेऽस्तगे च षष्ठे रवौ लाभगतेऽर्कपुत्रे ।
चन्द्रेऽष्टषष्ठे व्ययवर्जिते च प्रियं जलं तद्भवतीह चित्रम् ॥१४४॥

मंगल तीसरे शुक्र सातवें सूर्य छठें शनि ग्याहरवें होय चंद्रमा अष्टम षष्ठम व्ययस्थान को छोड़कर होय तो प्रिय उत्तम जल होता है ॥१४४॥

सौर तृतीये मदने च चंद्रे षष्ठे रवौ लाभगते च भौमो ॥
केन्द्रे शुभैश्चाष्टमावर्जितैश्च जलं स्थिरं स्याद्धन पुत्रदञ्च ॥१४५॥

शनि तीसरे चनद्रमा सातवें सूर्य छठें मंगल लाभ में होय केन्द्र में शुभ यह अष्टम ग्रह से रहित हो तो धन पुत्र का देनेवाला स्थिर जल होता है ॥१४५॥

केन्द्रे त्रिकोणोऽष्टशुभस्थितेषु पापेषु केन्द्रायविवर्जितेषु ।
सर्वेषु कार्येषु शुभं वदन्ति प्रसादकूपादितड़ागवाप्याम् ॥१४६॥

केन्द्र ।१।४।७।१० में त्रिकोण ५।९ में और अष्टम में शुभ यह स्थित होय और पापग्रह से केन्द्र अष्टम वर्जित होय तो प्रसाद (राजगृह, देवालय, अटारी)कूप तड़ाग वापी आदि कार्य में शुभ होता है ॥१४६॥

चन्द्रोदये तदिदवसे सुरेज्ये केन्द्रस्थिते चोपचयै: खलैश्च ।
उद्यानकूपादितडागवापिजलाशयानां करणां अशस्तम् ॥१४७॥

चन्द्रमा लग्न में होय चन्द्रवार होय बृहस्पत्ति केन्द्र में होय और उप चय स्थान में पाप ग्रह होय तो बगीचा कूप तड़ाग वापी आदि जलाशय का आरम्भ करना शुभप्रद है ॥१४७॥

सिंह वृश्चिक धन लग्न को छोड़ कर सब लग्न को शुभ ग्रह देखते होय योगाधियोग होय जलचर राशि जलचर राशि का वर्ग होय तप जलाशया रंभ करना शुभ है ॥१४८॥

चतुर्थाष्टमगै:पापैर्जललग्ने वा खलग्रहे ।
चन्द्रेऽष्टमे तदा कर्ताश्रीपतेर्मासमध्यत: ॥१४९॥

यदि चौथे आठवें पाप ग्रह होय जल लग्न में पापग्रह होय चन्द्रमा अष्टम होय तो कूपादि जलाशय का बनानेवाला एक मास के बीच में मरै ॥१४९॥

केन्द्रे पापग्रहैयुक्ते अष्टमे च व्ययेपि वा ।
धर्मस्थानगतैर्वापि तज्जंक्षीयते चिरात् ॥१५०॥
केन्द्रगे: सौरिभौमार्कैरष्टमस्थे निशाकरे ।
तज्जलं वर्षमध्ये तु न तिष्ठति जलाशये ॥१५१॥

केन्द्र में पापग्रह से युक्त हो अष्टम तथा व्यय भी पापग्रह युक्त होय धर्म स्थान में भी प्राप्त होय यह जल चिरकाल में क्षीण होय, केन्द्र में शनि मंगल सूर्य होय अष्टम चन्द्रमा होय वह जल जलाशय में एक वर्ष भी नही रहता है ॥१५०॥१५१॥

सर्वासु दिक्षु सलिलं प्रकुरूर्याद्विहाय नैऋत्ययमाग्निवायून् ॥
पूर्वोत्तरेशानजलेशदिक्षु कृतं जलं सौख्यसुतप्रद स्यात् ॥१५२॥
तडाग पुष्करोद्यानमणडपानां यथा क्रमम् ।

नैर्ऋत्य दक्षिण अग्नि वायव्य इन दिशा विदेशों को छोड़ कर सब दिशाओं में कूप बावली तड़ाग बनावे, पूर्व उत्तर ईशान और पश्चिम दिशा में जलाशय करने से वह जलाशय सुख पुत्र का देनेवाला होगा। और तड़ाग के पूर्व पुष्फरिणी के उत्तर बाग के ईशान और मंडप के पश्चिम में यदि कूप हो तो सूत सुख देता है ॥१५२॥

ज्योतिविृदाभरणे –

पुराद्धुताशानिलराक्षसाशामुक्तान्यकाष्ठासु सुवारिदोऽधुः ॥
वानीरदुर्वाकुशवामलूरक्षोणवां भवेतस्वादुजलं च शीघ्रम ॥१५३॥

पुर से अग्निकोण वायुकोण नैर्ऋत्यकोण को त्याग करके अन्य दिशा में भी कूप हो तो सुन्दर फल देनेवाला होता है ॥१५३॥

अघार्जुनोदुम्वरसिन्धुवाराः पर्णप्रवालातिविशालशाखाः ॥
वल्मीकपार्श्वाः स्फुरमाहिपत्रतत्राम्बु निर्देश्यमलं समासु ॥१५४॥

चन्द्रवासज्ञानम् ।

तिथिःञ्चगुणा कायावारक्षेंण समन्विता ।
बह्निभिस्तु हरेद्भागं शेषाङ्केन फलं वदेत् ॥१५५॥
एकशेषे वसेत् स्वर्गे द्विशेषे तु रसातले ।
विशेषे मृत्युलोके च चन्द्रवासः प्रजायते ॥१५६॥
रसातले यदा चन्द्रः प−−च कर्माणि वर्जयेत् ।
कूपवाप्यादिकारम्भे जलं नैव च जायते ॥१५७॥
वीजोप्तौ वीजनाशः स्याद्यात्रयां कायूनाशकृत् ।
विद्यारम्भे भवेन्मर्खस्तस्माच्चन्द्र विचारयेत् ॥१५८॥

कूपारम्भ की तिथि को ५ से गुणा कर उसमें वार और नक्षत्र मिलावें, फिर उसमें ३ का भाग देवे ,शेष के अनुसार फल कहे, १ शेष में चन्द्रवास स्वर्ग में ,२ शेष में पाताल में तथा शून्य शेष प्राप्त होने पर मृत्युलोक म', चन्द्रमा का वास रहता है। पाताल में चन्द्रमा रहने से पांच कार्य वर्जित करें, कूप वापी तड़ाग का आरंभ नहीं होता है, बीज बोने से बीज का नाश होता है, यात्रा करने से कार्य की हानि होती है विद्यारम्भ करने से मूर्ख होता है, ॥१५५॥१५६॥१५७॥१५८॥

उदाहरण− माद्य शुदी ५ गुरू वार रेवती नक्षत्र है। तिथि ५ को ५ से गुणे तो गुणफल २५ हुआ इसमें बार २ नक्षत्र २७ मिलाया तो ५४ हुआ इसमें ३ का भाग देने से शेष ० मिला ।अतः मृत्युलोक मे चन्द्रमा है यह निश्चय हुआ ॥

जलविचारः ।

वर्तमाने च नक्षत्रे तिथिश्चैव समन्विता ।
चतुर्भिश्च हरेद्भागं शेषांकेन फलं वदेत् ॥१५९॥

वास्तुसारणयाम्−

एकशेषे जलं नास्ति द्विशेषे बहुलं जलम् ।
तृतीये तु जलं पूर्ण शून्ये शून्यजलं भवेत् ॥१६०॥

वर्तमान नक्षत्र में तिथि को मिलाये फिर उस में ४ का भाग देय शेष के अनुसार फल कहे। १ शेष में जल नहीं होता होगा २ में बहुत जल होगा, ३ में पूर्ण जल होगा ॥१५९॥१६०॥

प्रकारान्तरेणाजलज्ञानम् ।

तिथि बार और नक्षत्र जो कूपारम्भ के दिन का होय उसमें ४ मिलावे फिर उसमें ८ का भाग देने से जो शेष बचे, उसके अनुसार पूर्वादि दिशा में निर्झर (सोती) कूप के कार्य में जाने ॥१६१॥

पुनः जलज्ञानं ।

नृग्रामदिक्स्वरं चैक्यं सूर्यर्क्षेणसमन्वितम् ।
नागैश्च विभजेद् विद्वान पूर्वादौ जलदिग्भवेत् ॥१६२॥

कूप बनानेवाले का नाम ग्राम दिशा के स्वर को एकत्र करे और उसमें सूर्य नक्षत्र से युत करे फिर विद्वान् उसमें आठ का भाग देवे, एक आदि शेष के अनुसार पूर्वादि दिशा में जल होगा ॥१६२॥

उदाहरण− नाम स्वर उदतिनारायाण का ८ है ग्रामस्वर सहावाबाद का २ है दिक्स्वर ईशान का २ है इसको एकत्र किया तो १२ हुआ इसमें घनिष्ठा से सूर्य में कूप बनाना है वह अश्विनी से २३ है। इसको पूर्व सम्मिलित संख्या १२ में युक्त किया तो ३५ हुआ इसमें ८ का भाग देने से शेष ३ मिले अतः दक्षिण में जल की सोती मिलैगी ॥

राशितो जलज्ञानम्–

नृचतुष्पदकीटाप्याज्जलहस्तप्रमाणकम् ।
नृराशौ तु चतुर्विंशे द्वाविंशे च चतुष्पदे ॥१६३॥
कीटे तथोनविंशाख्ये अष्टाविंशे च वारिभे ।
कूपवाप्यादिकार्येषु जलयोगं विनिर्दिशेत् ॥१६४॥

कृपारम्भ के समय मनुष्य चतुष्पद कीट जलचर राशि के अनुसार जल का हस्त प्रमाण कहते है, मनुष्य राशि में २४ हाथ पर जल, चतुष्पद राशि में २२ हाथ के नीचें, कीटराशि में १९ हाथ के नीचे और जलचर राशि में २८ हाथ के नीचे कूप वापी आदि में जल जाने ॥१६३॥१६४॥

तिथिवारं च नक्षत्रं नामाक्षरसमन्वितम् ।
अष्टभिर्गुणितं चैव षट्त्रिंशेन विभाजितम् ॥१६५॥
हस्तशेषप्रमाणेन जलं प्रोक्तं पुरातनैः ।

कूपाराम्भ के दिन की तिथि वार नक्षत्र और कूप बनाने वाले के नामाक्षर संख्या को एकत्र कर जोड़ें फिर उसको ८ से गुणा कर,उसमें ३६ का भाग दें, शेष के अनुसार हस्त पर जल कहें ॥१६५॥

उदाहरण – तिथि ५,वार गूरू ५ नक्षत्र रेवती २७ नामाक्षर राधारमण का ५ सब एकत्र जोड़ा तो ४२ हुआ, इस को ८ से गुणा तो ३३६ हुआ इस में ३६ का भाग दिया तो शेष १२ बचे, अतः १२ हाथ नीचे जल जानें ॥

कूपादिमृत्तकाज्ञानम्–

द्विगुणं दिक्स्वरं कृत्वा ग्रामस्वरसमन्वितम् ।
वसुभिश्च हरेद्भागं शेषङ्केन फलं वदेत् ॥१६६॥
कृष्णा पीतारूणा शुभ्राकङ्करंघोर्लिं तथा ।
बालुका निर्मलौं चैव इत्युक्तं ब्रम्हयामले ॥१६७॥

कूप की दिशा की संख्या को दो से गुणै, उसमें ग्राम के स्वर को मिलावे फिर ८ का भाग देने से जो एकादि शेष बचे उसके अनुसार क्रम से १ .कृष्णा २ .काली पीली, ३. लाल,४ .सफेद ५. कंकड़ ६ .घोंधि, ७ .बालू, तथा ८ .साफ मिट्टी जाने ऐसा रूद्रयामल में कहा है ॥१६६॥१६७॥

प्रकारान्तरेण कृत्तिकाज्ञानम्–

नक्षत्रं तिथिवारं च कर्तुर्नामाक्षरैर्युतम् ।
वेदैश्च विभजेद्धीमान् शेषाङ्केन फलं वदेत् ॥१६८॥
एकशेषे जलं पूर्णा द्विशेषे कर्करा भवेत् ।
बालुका वह्निशेषे स्याच्छून्ये शून्यफलं भवेत्॥१६९॥

कूपादि जलाशयारंभ तिथि वार नक्षत्र और बनाने वाले के नाम के अक्षर की संख्या को एकत्र कर जोड़े उसमें ४ का भाग दें, शेष अंक के अनुसार फल जाने १ शेष में पूर्ण जल,२ शेष में कर्करा, ३ शेष में बालू और शून्य में शून्य जल जाने ॥१६८॥१६९॥

दीप द्वारा जलशस्थाननिर्णय:

ईशानादिचतुर्दिक्षु दीपं प्रज्वालयेद्बुधः ।
दीपः कर्दम संलग्नसतत्राम्बु प्रजायते ॥१७०॥

जहाँ २ पर जलाशय बनवाने का विचार हो ,उस २ जगह पर ईशानादि चारो कोणों में दीप रात्रि में जलावें , सबेरे देखे जिस दीप के नीचे कर्दम लग गया हो, उस जगह जल है ऐसा जाने ॥१७०॥

तडागचक्रम् ।

तडागस्य तु चक्रं व प्रवक्ष्यामि यथादितम् ।
रविभादिदनभं गणयं नयासं कृत्वा वदेत्फलम् ॥१७१॥
प्राच्यादिषु द्वयं न्यस्य प--च मध्ये नियोजयेत् ।
षड्ददद्याद् वारिवाहे तु प्रविचारूर्यं फलं वदेत् ॥१७२॥
बहुशोकं भवेत्प्राच्यामाग्नेरूयां सुजलं बहु ।

जलनाशं दक्षिणस्यां रक्षस्यां चमृतं जलम् ॥१७३॥
स्वादूदकं च वारूणयां वायव्यां निर्मलं भवेत ।
स्थिर तोयं चोत्तरे स्याच्छैवे च कुत्सितं जलम् ॥१७४॥
पूर्ण जलं भवेन्मध्ये वारिवाहे तु पूर्णता ।
शुभं जलं विचार्य्यैवं तडागारम्भमाचरेत् ॥१७५॥

तड़ाग चक्र को कहते है कि सूर्य के नक्षत्र से तड़ागारम्भ के नक्षत्र तक गिने ,उस का न्यास करके फल को कहै, पूर्वादि ८ दिशाओं में दो नक्षत्र तक गिने उस का न्यास करके फलको कहें, पूर्वादि ८ दिशाओं में दो नक्षत्र धरे, ५ नक्षत्र मध्य में ६नक्षत्र वारिवाह में घर के विचार कर फल कहे, पूर्व में बहुत शोक, अग्नि कोण में सुजल, दक्षिण में जलनाश, नैर्ऋत्य में अगृत जल, पश्चिम में स्वादिष्ट फल, वायव्य में निर्मल फल, उत्तर में *स्थिर जल*, ईशान में *कुत्सित* ,मध्य में तथा वारिवाह में *पूर्ण जल* होता है ।शुभ जल को इस प्रकार विचार करके तालाब बनावै ॥१७१-१७५॥

तडागमुहूर्तः-
ध्रुवे श्रोत्रेन्दुपौष्णे च पुष्ये आप्येऽम्बुपे तथा ।
कवीन्दुवारे लग्नेशे तडागारमीणं शुभम् ॥१७६॥

ध्रुव (३ उत्तरा रोहिणी)पुष्य मृगशिरा रेवती पूर्वाषाढ और शतभिषा नक्षत्र में चन्द्र शुक्रवार और शुभ लग्न में तड़ाग (तालाब) का आरंभ करना शुभ है ॥

स्वात्याषिवहस्तुष्येषु मैत्रे चैव पुनर्वसौ ।
रेवत्यां वारूणे चैव वापीकार्य प्रशस्यते ॥१७७॥

स्वाती अश्विनी हस्त पुष्य अनुराधा पुनर्वस रेवती और शतभिषा नक्षत्र में वापी (बावड़ी) बनाना शुभ है। ॥१७७॥

नेवारे पूर्वतस्त्रीणि त्रीणि त्रीणि च सर्वतः ।
मध्ये चत्वारि देयानि राहुभाच्चन्द्रभं बुधैः ॥१७८॥

नेवार (नीचकख जमुअट) देने के लिये राहु के नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक गिने पूर्वादि दिशा में तीन २ नक्षत्र सब जगह दें। मध्यमें ४ नक्षत्र दें ॥१७८॥

फलम्-
मध्ये पूर्वे जलं सौख्यं चोत्तरे धनवर्धनम् ।
याम्यनैर्ऋतयोर्दुःखं भयं बहुपरेऽन्यदिक ॥१७९॥

यदि राहु के नक्षत्र से चन्द्रमा का नक्षत्र मध्य में तथा पूर्व में पड़े तो जल सुख होता है , उत्तर में धन बढता है, दक्षिण नैर्ऋत्य कोण में दुख होता है शेष दिशा में भय होता है ॥१७९॥

नेवारस्थापनमुहूर्तः -
ध्रुवर्क्षे क्षिप्रभेचैव शुभयोगे शुभेक्षणे ।
शुभवारे शुभतिथियौ नेवारस्थापनं शुभम् ॥१८०॥

ध्रुव संज्ञक (तीनों उत्तरा रोहिणी)क्षिप्रसंज्ञक(हस्त अश्विनीपुष्य अभिजित्)नक्षत्र में शुभ वार शुभ तिथि में नेवार (नीचक)स्थापित करना शुभ है ॥१८०॥

कूपवाप्यादीनां जीर्णोद्धारकरणे भादीनि-
ध्रुवे पि--ये धनिष्टयां रेवत्यां चाम्बुभेषु च ।
पुष्ये मित्रे तथा चान्द्रे चन्द्रे च जलराशिगे ॥१८१॥
तंत्रावांशगते चन्द्रे शुभद्दग्योगसंयते ।
जीर्णोद्धारं प्रकर्तव्यं शुभे वारे च सत्तिथौ ॥१८२॥

ध्रुव संज्ञक(उत्तरा ३ रोहिणी) मघा धनिष्ठा रेवती पूर्वाषाढ पुष्य अनुराधा और मृगशिरा नक्षत्र में जलचर राशि के चन्द्रमा में या जलचर राशि के नवांश में चन्द्रमा के प्राप्त होने पर शुभवार शुभतिथि में जीर्णोद्धार करे ॥१८१॥१८२॥

जलाशपानां संस्कारकृत्वा जलपानं कर्तव्यंमसंस्कृतजलपानेतु महान्दोष :-

संस्कारं प्रथमं कृत्वा जलं पेयं मनीषिभिः।
असंस्कृतं जलं पीत्वा पश्चाच्चान्द्रायणं चरेत् ॥१८३॥
तोयं सदा पवित्रं स्यादपवित्रमसंस्कृतम्।
कणमात्रकपि त्याज्यं संस्काररहितं बुधैः ॥१८४॥
तडागवापीकूपादौ संस्काररहितंजलम्।
तदपेयं भवेत्सर्व पीत्वा चांन्द्रयणं चरेत् ॥१८५॥

विद्वान गण पहले जलाशय का संस्कार करर‍े जल पीवें। कहा है कि बिना संस्कार वाले जल पीकर पीछे चान्द्रायण व्रत को करे। जल सदा पवित्र है परन्तु संस्कार रहित जल अपवित्र है, संस्कार से रहित जल कणमात्र भी त्यागने योग्य है तड़ाग वापी कूप आदि का संस्कार (जो उसके हवन आदि का विधान जलाशय प्रतिष्ठा जलाशयोत्सर्ग आदि अन्य में लिखा है) रहित जल पीकर चान्द्रायण व्रत करने पर पवित्र होगा। ॥१८३॥१८४॥१८५॥

जलाशयकरणे महात्म्यं मुनिभिः कथितम्–
उदकेन विना तृप्तिर्नास्ति चेह परत्र च।
तस्माज्जलाशयाः कार्याः जनैस्तु फलका क्षिभिः ॥१८६॥
कूपारामप्रपाकरारी तथा कन्याप्रदश्च यः।
सेतुकारी नरः स्वर्गं प्राप्नोत्यत्र न संशयः ॥१८७॥
यावज्जलाशये तोयं सततं खलु तिष्ठति।
स्वर्गलोकेऽक्षयं तावद् वासो भवति निष्चितम् ॥१८८॥
वापी कूप तडागं वा निर्जलेयः करोति वैं ।
तस्य पुणयस्य स––ख्यां च को वा वणृयितुंक्षमः ॥१८९॥
जायशेषु जीर्णोषु देवतायतने च।
पुनः संस्कार कर्ताच लभते चाधिकं फलम् ॥१९०॥

जल के बिना इस लोक में तथा परलोक में तृप्ति नहीं होती है, उससे फल के इच्छा करने वाले मनुष्य जलाशय को बनबाये। कूप आदि जलाश बाग बनाने वाला पौसरा देने व दिलाने वा कन्यादान करने वाला तथा सेतु (पुल) बाँधने वाला मनुष्य स्वर्ग को जाता है इसमें संशय नहीं है, जब तक जलाशय में जल रहता है तब तक उसका स्वर्ग लोक से क्षय नही होता है। किन्तु निरंतर स्वर्गलोक में बाम होता है, जल रहित भूमि में वापी कूप तड़ाग जो बनवाता है जिसके पुण्य को संख्या को कौन गिन सकता है जीर्ण जलाशय तथा देवालय का जो पुर्नद्धार करता है उसको अधिक फल प्राप्त होता है ॥१८९॥१९०॥

तत्रादौ तत्प्रयोजनमाह–
प्रान्तच्डछायाविनिर्मुक्ता न मनीज्ञा जलाशयाः।
यस्मातदो जलप्रान्तेष्वारामान् विनिवेशयेत् ॥ १॥

जलाशय(कूप वापी तडाग) समीपवर्ती छाया के बिना चित्त प्रसन्न कारक तथा सुशोभित नहीं होता है उसी कारण जल के समीप में वाटिका लगाना चाहिये ॥१॥

अथ तत्र भूलक्षणमाह–
मृद्वी भूः सर्ववृक्षाणां हिता तस्यां तिलान् वपेत्।
पुष्पिताँस्ताँश्च मृद्नीयात् कर्मैतत्प्रथमं भुवः ॥२॥

कोमल भूमि सभी वृक्षों के लिये हितकर होती है इससे वृक्ष लगाने के लिए भूमि में पहले तिल बोवै, तिल जब पुष्प से युक्त हो तो उसको वहां ही मर्दन कर देवै इतना कर्म वाटिका लगाने के पूर्व में करै ॥२॥

अधुना प्रथमारोष्यान् वृक्षानाह–
अरिष्टाशोकपुन्नागशिरीषाःसप्रियङ्गवः।
मांगल्या पूर्वमारामे रोपणीया गृहेषु वा ॥३॥

वाटिका अथवा गृह में अरिष्ट अशोक पुत्राग शिरीष तथा प्रियंगु पहले रोपने से शुभकारक होता है ॥३॥

ग्रंथों के वृक्षायुर्वेद अध्याय में जलाशयों के किनारे वाटिका लगाने हेतु बतायागया है कि –

प्रान्तच्छायाविनिर्मुक्ता न मनाज्ञा जलाशया: ।

यस्मादतो जल प्रान्तेष्वारामान् विनिवेशयेत् ॥१॥

वापी, कूप, तालाब आदि जलाशयों के प्रान्त ,छायारहित हों तो सुंदर नही होता है अत: जलाशयों के किनारे पर बगीचा लगावें।

वास्तु माणिक्य रत्नाकार पुस्तक में बताया गया है कि ---

गृहाद्वारि नि:सारणार्थ प्रकुर्य्यात्

विलं पूर्वकाष्ठादिके तत्फलञ्च ।

शुभं चाशुभं दु:खदं पुत्रहानि:

समं शोभनमं वृद्धिदं पुत्रदं च ॥१६५॥

गृह से बाहर पानी निकालने के वास्ते बिल (रास्ता)बनावे। उसके पूर्वादि दिशा में रहने का कामद्म क्रम से इस प्रकार फल है कि शुभ, अशुभ, दु:ख देनेवाला, पुत्रहानि सम, शुभ और वृद्धि करने वाला और पुत्र देनेवाला ॥१६५॥

पू.	अ.	द.	नै.	प.	वा.	उ.	ईशान	दिशा
शुभ	अशुभ	दु:ख	पुत्र हानि	सम	शुभ	वृद्धि करने वाले	पुत्र देने वाला	फल

गृहाभयन्तरे गृहबाह्यं च कूपफलम –

कूपे गेहस्य मध्ये सकलधनहर: ईशकोणादितस्तु

पुष्टिं कोशस्य वृद्धिस्त्वतनुधनहर: स्त्रीविनाशी मृतिश्च ।

सम्पत्पीडारिवर्गादमितसुखकरश्चथ बाहो विचार:

वायव्ये स्त्रीविनाशोस्त्रपदिशि सुतहा विह्निभीतिस्तु बह्वै ॥१६६॥

यदि कूप मध्य गृह में हो तो सम्पूर्ण धन को हरे ,और ईशानादि कोण में रहने से क्रमश: पुष्टि, धनवृद्धि, पुत्रनाश, स्त्रीविनाश, मृत्यु संम्यक शत्रु से पीड़ा और विशेष सुख हो यह मकान के भीतर का विचार है। अब बाहर के विचार को कहता हूँ वायव्य में कूप रहने से स्त्री की मृत्यु नैर्ऋत्य दिशा में पुत्र की हानि और अग्नि कोण में रहने से अग्नि का भय होता है ॥१६६॥

मध्य	ई.	पू.	अ.	द.	नै.	प.	वा.	उ.	दिशा
धननाश	पुष्टि	धनवृद्धि	पुत्रनाश	पत्नि का नाश	मृत्यु	स्त्री धन	शत्रु पीड़ा	सौख्य	गृहाभ्यन्तरे फलम्
	शु.	शु.	अग्नि भय	शु.	पुत्र नाश	शु.	स्त्री नाश	शु.	गृहवाह्य फलम्

इस प्रकार उक्त वर्णित स्थापत्यवेद में जल संरचनाओं को कब, क्यों , कहाँ कैसें बनाने के क्या परिणाम होगें तथा नियमों के विरूद्ध जल संरचनाओं के निर्माण करने पर जन हानि जैसे प्रतिकूल परिणाम बताए गए हैं। साथ ही जल–शोधन व भूमिगत जल को खोजने का ज्ञान वृक्षादि के संदर्भ से होगा।इसी प्रकार बरसात हेतु सम्भावनाओं का पता प्रकृति व पशु–पक्षियों के व्यवहार में हो रहे परिवर्तनों को देखकर ज्ञात किया जा सकता है,जैसे सुनामी के समय देखा गया कि,उन्हें उसका ज्ञान होने से बच गये।

बृहत्संहिता आषाढ योग अध्याय में बताया गया है कि रोहिणी योग काल में–
विचार कर इस विशेष गोपनीय तुला को शास्त्रोंक्त बनाए व बताए अनुसार लक्षणों के अनुरूप परिणामों की भविष्यवाणी करें तथा इसमें वायु प्रवाह से वर्षा आदि के बारे में बताया गया है कि

निष्पत्तिरग्निकोपो वृष्टिर्मन्दाथ मध्यमा श्रेष्टा ।
बहुजलपवना पुष्टा शुभा च पूर्वादिभि: पवनै: ॥१३॥

उक्त तीनों यागों के समय यदि पूर्व दिशा की हवा चले तो धान्यों की उत्तम निष्पत्ति, अग्नेय कोण की हवा चले तो अग्निकोप, दक्षिण दिशा की हवा चले तो थोड़ी वृष्टि, नैर्ऋत्य कोण की हवा चले तो मध्यम वृष्टि, पश्चिम दिशा की हवा चले तो उत्तम वृष्टि, वायव्य कोण की हवा चले तो अधिक वृष्टि, उत्तर दिशा की हवा चले तो सुन्दर वृष्टि और ईशान कोण की हवा चले तो उत्तम वृष्टि होती है ॥१३॥

आषाढ कृष्ण चतुर्थी का फल–
वृत्तयामाषढयां कृष्णचतुर्थ्यामजैकपादर्क्षे ।
यदि वर्षति पर्जन्य: प्रावृट् शस्ता न चेत्र तत: ॥१४॥

यदि आषाढ कृष्ण चतुर्थी के दिन पूर्वाषाढा नक्षत्र में मेघ वृष्टि करे तो उस वर्ष में वर्षा अच्छी होती है। यदि वृष्टि नहीं करे तो अवृष्टि होती है ॥१४॥

आषाढ की पूर्णिमा में ईशान की हवा का फल–
आषाढयां पौर्णमास्यां तु यद्यैशानाऽनिलो भवेत् ।
अस्तं गच्छति तीख्णांशौ सस्पसम्पत्तिरूत्तमा ॥१५॥

यदि आषाढ की पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त काल में ईशान कोण की हवा चले तो ,पृथ्वी पर धान्य उत्तम रूप से होता है ॥१५॥

पूर्व: पूर्वसमुद्रवीचिशिखर प्रस्फलनाघूर्णित
श्रन्द्रार्काशुसटाकलापकलितो वायुर्यदाकाशत: ।
नैकान्तस्थितनीलमेघपटला शारद्यसंवर्धिता
वासन्तोत्कटसस्यमण्डिततला सर्वा मही शोभते ॥१॥

जिस आषाढ शुक्र पूर्णिमा के दिन पूर्वी समुद्र के तरङ्गाग्र भाग से चालित होने के कारण घूमती हुई तथा सूर्य और चन्द्र के किरण रूप जटा से शोभित वायु आकाश से चलती है उस वर्ष में सब जगह नील वर्ण वाले मेघों से युत शारदीप धान्यों की समृद्धि से मण्डित और बसन्त ऋतु के अति समृद्धि युत धान्यों से भूषित सारी पृत्वी शोभित होती है ॥१॥

आग्नेय दिशा की वायु का फल –
यदाग्नेय वायुर्मलयशिखरास्फालनपटु:
पलवत्यस्मिन् योगे भगवति पतङ्गे प्रवसति ।
तदा नित्योदीप्ता ज्वलनशिखरालिर्तितला
स्वागात्रोष्मोच्छासैर्वमति वसुधा भस्मनिकरम् ॥२॥

यदि आषाए शुक्र पूर्णिमा के दिन अस्त समय में अप्रतिहत गति वाली आग्नये कोण की वायु चले तो उस वर्ष में सर्वत्र अग्नि की ज्वाला से व्यास पृष्ठ वाली प्रज्वलित पृथ्वी अपने शारीरिक उष्ण उच्छास के द्वारा भस्मों को वमन करनी है। अर्थात पृथ्वी पर वृष्टि का अभाव, अग्नि का भय, प्रजाओं का नाश आदि उपद्रव होते है ॥२॥

दक्षिण दिशा के वायु का फल–
तालीपत्रलतावितानतरूभि: शाखामृगत्र्तयन्

योगेऽस्मिन पल्लवति ध्वनिः सपरूषो वायुर्यदा दक्षिणः।
तद्वद्योगसमुत्थितस्तु गजवत्तालाङ्कशैर्धटिटताः
कीनाशा इव मन्दवारिकणिका मु---- मेघास्तदा ॥३॥

इस योग में आषाढ शुक्र पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त समय में तालपत्र लताओं की विस्तृति और वृक्षों से वानरों को नाचते हुये, कठोर शब्द वाले दक्षिण तरफ की हवा चले तो ताल रूप अङ्कश से ताड़ित हस्ती की तरह मेघ कृपण करें ,तो मनुष्य की तरह थोड़ी जल बिन्दु छोडता है, अर्थात उस वर्ष में थोड़ी वृष्टि होती है ॥३॥

पश्चिम दिशा की हवा का फल –

सूक्ष्मैलालवलीलवङ्गनिचयान् व्याघूर्णयन् सागरे
भानोररस्तमये पलवत्यविरतो वायुर्यदा नैर्ऋतः।
क्षुत्तृष्णावृतमानुषास्थिशकलग्रस्तारभारच्छदा
मत्ता प्रेतवधूरिवोग्रचपला भूमिस्तदा लक्ष्यते ॥४॥

इस योग में आषाढ शुक्ल पूर्णिका के दिन सूर्यास्त के समय में समुद्र के समीप छोटी इलायची, लावली और लांग के वृक्षों को घुमाते हुये यदि नैर्ऋत्य तरफ की हवा चले तो भूख, प्यास से मरे हुये मनुष्यों की हडिडयों के टुकड़े की विस्तृति के भार से व्याप्त पृथ्वी उन्मत्त और अति चचल प्रत वधू की तरह दिखाई देती है ॥४।

पश्चिम दिशा की हवा का फल –

यदा रेणूत्पातैः प्रविचलसटाटोपचपलः
प्रवातः पश्चाच्चेछिदनकरकंरापातसमये ।
तदा सस्योपेता गृवरनिकरावद्धसमरा
क्षितिः स्थानस्थानेष्वविरतवसामांसरुधिरा ॥५॥

इस योग में (आषाढ शक्ल पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय में)धूलि को उड़ाने से चलित केशर के आक्षेप से चचल और भयंकर हवा चले तो उस वर्ष में धान्यों से युत प्रधानों (राजाओं)के युद्धों के व्याप्त, जगह-जगह पर निरन्तर वसा, मांस और रक्त से व्याप्त पृथ्वी होती है ॥५॥

वायव्य कोण की हवा का फल –

आषाढीपर्वकाले यदि किरणपतेरस्तकालोपपत्तौ
वारूव्यो वृद्धवेगः पवनघनवपुः पत्रगार्द्धानुकारी।
जानीयाद्वारिधाराग्रमुदितमुदितामुक्तमण्डूककण्ठा
सस्योद्रासैकचिह्नां सुखबहुलतया भाग्यसेनामिवोर्वीम् ॥६॥

इस योग में (आषाढ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय में)सघन शरीर वाला (धूली के संयोग और सार्वदिक होने के कारण), सर्पो के टुकड़ों का अनुकरण करने वाला यदि वायव्य कोण की हवा चले तो उस वर्ष में जल की धारा से आनन्दित, अति शब्द करने वाले मेढकों से युत, धान्यों की बीजोत्पत्ति रूप चिह्रों से मण्डित पृथ्वी पर सुखों की अधिकता होने के कारण भाग्य सेना की तरह पृथ्वी को जानना चाहिये ॥६॥

उत्तर दिशा की हवा का फल–

मेरूग्रस्तमरीचिमण्डलतले ग्रीष्मावसाने रवौ
वात्यामोदिकदम्बगन्धसुरभिर्वायुर्यदा चोत्तरः।
विद्युतद्भ्रान्तिसमस्तकान्तिकलनामत्तास्तदा तोयदा
उन्मत्त इव चन्द्रकिरणां गां पूरयन्त्यम्बुभिः ॥७॥

ग्रीष्म के अन्त में (आषाढ शुल्क पूर्णिमा के दिन) मेरू से आच्छादित सूर्य के किरण होने पर (सूर्यास्त समय में) अति सुगन्ध वाले कदम्ब पुष्पों के गन्ध के सुगन्धित उत्तर तरफकी वि चले तो उस वर्ष मे बिजली से उत्पन्न सम्पूर्ण कान्तियों का स्वरूप ज्ञान होने के कारण उद्यम युत तथा उनमत्त की तरह मेघ मेघों से नष्ट चन्द्र किरण वाली पृथ्वी को जल से पूर्ण करता है ॥७॥

ईशान कोण की हवा का फल –

ऐशानो यदि शीतलोऽमरगणैः संसेव्यमानो भवेत्
पुत्रागागरूपारिजातसुरभिर्वायुः प्रचण्डध्वनिः।

आपूर्णोदकयौवना वसुमती सम्पन्नसस्याकुला
धर्मिष्ठा: प्राणतारयो नृपतयो रक्षन्ति वर्णास्तदा ॥८॥

आषाण शुक्ल पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त समय में देवताओं के सेवन योग्य, शीतल, भयंकर शब्द वाले, पुन्नाग, अगुरू और पारिजात के फलों से सुगन्धित ईशान कोण की हवा चले तो ,उस वर्ष में पूर्ण जल रूप, यौवन से युत और पके हुये धान्यों से व्याप्त पृथ्वी होती है तथा धर्मात्म और शत्रुओं को अपने वश में करने वाले राजा लोग ब्राहम्ण आदि वर्णो की सुचारू रूप से रक्षा करते है ॥८॥

तड़ाग चक्र को कहते है कि सूर्य के नक्षत्र से तड़ागारम्भ के नक्षत्र तक गिने उस का न्यास करके फलको कहै, पूर्वादि ८ दिशाओं में दो नक्षत्र तक गिने उस का न्यास करके फलको कहै, पूर्वादि ८ दिशाओं में दो नक्षत्र धरे ५ नक्षत्रमध्य में ६नक्षत्र वारिवाह में घर के विचार कर फल कहे, पूर्व में बहुत शोक, अग्नि कोण में सुजल, दक्षिण में जलनाश, नैर्ऋत्य में अगृत जल, पश्चिम में स्वादिष्ट फल, वायव्य में निर्मल फल, उत्तर में स्त्रि जल, ईशान में कुत्सित मध्य में तथा वारिवाह में पूर्ण जल होता है शुभ जल को इस प्रकार विचार करके तालाब बनावै ॥१७१-१७५॥

तडागमुहूर्त:-

ध्रुवे श्रोत्रेन्दुपौष्णे च पुष्ये आप्येऽम्बुपे तथा।
कवीन्दुवारे लग्नेशे तडागारमीणं शुभम् ॥१७६॥

ध्रुव (३ उत्तरा रोहिणी)पुष्य मृगशिरा रेवती पूर्वाषाढ और शतभिषा नक्षत्र में चन्द्र शुक्रवार और शुभ लग्न में तड़ाग (तालाब) का आरंभ करना शुभ है॥

स्वात्याषिवहस्तुष्येषु मैत्रे चैव पुनर्वसौ।
रेवत्यां वारूणे चैव वापीकार्य प्रशस्यते ॥१७७॥

स्वाती अश्विनी हस्त पुष्य अनुराधा पुनर्वस रेवती और शतभिषा नक्षत्र में वापी (बावड़ी) बनाना शुभ है ॥१७७॥

नेवारे पूर्वतस्त्रीणि त्रीणि त्रीणि च सर्वत:।
मध्ये चत्वारि देयानि राहुभाच्चन्द्रभं बुधै: ॥१७८॥

नेवार (नीचक जमुअट) देने के लिये राहु के नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक गिने पूर्वादि दिशा में तीन २ नक्षत्र सब जगह देय। मध्यमें ४ नक्षत्र देय ॥१७८॥

फलम्-

मध्ये पूर्वे जलं सौख्यं चोत्तरे धनवर्धनम्।
याम्यनैर्ऋतयोर्दु:खं भयं बहुपरेऽन्यदिक ॥१७९॥

यदि राहु के नक्षत्र से चन्द्रमा का नक्षत्र मध्य में तथा पूर्व में पड़े तो जल सुख होता है , उत्तर में धन बढता है, दक्षिण नैर्ऋत्य कोण में दुख होता है शेष दिशा में भय होता है ॥१७९॥

नेवारस्थापनमुहूर्त: -

ध्रुवर्क्षे क्षिप्रभेचैव शुभयोगे शुभेक्षणे।
शुभवारे शुभतिथयौ नेवारस्थापनं शुभम् ॥१८०॥

ध्रुव संज्ञक (तीनों उत्तरा रोहिणी) क्षिप्रसंज्ञक(हस्त अश्विनीपुष्य अभिजित्) नक्षत्र में शुभ वार शुभ तिथि में नेवार (नीचक)स्थापित करना शुभ है ॥१८०॥

कूपवाप्यादीनां जीर्णोद्धारकरणे भादीनि-

ध्रुवे पि--ये धनिष्टयां रेवत्यां चाम्बुभेषु च।
पुष्ये मित्रे तथा चान्द्रे चन्द्रे च जलराशिगे ॥१८१॥
तंत्रावांशगते चन्द्रे शुभदृग्योगसंयते।
जीर्णोद्धारं प्रकर्तव्यं शुभे वारे च सत्तिथौ ॥१८२॥

ध्रुव संज्ञक(उत्तरा ३ रोहिणी) मघा धनिष्ठा रेवती पूर्वाषाढ पुष्य अनुराधा और मृगशिरा नक्षत्र में जलचर राशि के चन्द्रमा में या जलचर राशि के नवांश में चन्द्रमा के प्राप्त होने पर शुभवार शुभतिथि में जीर्णोद्धार करें। ॥१८१॥१८२॥

जलाशपानां संस्कारकृत्वा जलपानं कर्तव्यंमसंस्कृतजलपानेतु महान्दोष :-
संस्कारं प्रथमं कृत्वा जलं पेयं मनीषिभि: ।
असंस्कृतं जलं पीत्वा पश्चाच्चान्द्रायणं चरेत् ॥१८३॥
तोयं सदा पवित्रं स्यादपवित्रमसंस्कृतम् ।
कणमात्रकपि त्याज्यं संस्काररहितं बुधै: ॥१८४॥
तडागवापीकूपादौ संस्काररहितंजलम् ।
तदपेयं भवेत्सर्व पीत्वा चान्द्रयणं चरेत् ॥१८५॥

विद्वान गण पहले जलाशय का संस्कार करें , जल पीवें। कहा है कि बिना संस्कार वाले जल पीकर पीछे चान्द्रायण व्रत को करे। जल सदा पवित्र है परन्तु संस्कार रहित जल अपवित्र है,संस्कार से रहित जल कणमात्र भी त्यागने योग्य है। तड़ाग वापी कूप आदि का संस्कार (जो उसके हवन आदि का विधान जलाशय प्रतिष्ठा जलाशयोत्सर्ग आदि अन्य में लिखा है) रहित जल पीकर चान्द्रायण व्रत करने पर पवित्र होगा ॥१८३॥१८४॥१८५॥

जलाशयकरणे महात्म्यं मुनिभि: कथितम्-
उदकेन विना तृप्तिर्नास्ति चेह परत्र च ।
तस्माज्जलाशया: कार्या: जनैस्तु फलका---क्षिभि: ॥१८६॥
कूपारामप्रपाकरारी तथा कन्याप्रदश्च य: ।
सेतुकारी नर: स्वर्गं प्राप्नोत्यत्र न संशय: ॥१८७॥
यावज्जलाशये तोयं सततं खलु तिष्ठति ।
स्वर्गलोकेऽक्षयं तावद् वासो भवति निष्चितम् ॥१८८॥
वापी कूप तडांगं वा निर्जलेय: करोति वैं ।
तस्य पुणयस्य स--ख्यां च को वा वणृयितुंक्षम: ॥१८९॥
जायशेषु जीर्णोषु देवतायतने च ।
पुन: संस्कार कर्ताच लभते चाधिकं फलम् ॥१९०॥

जल के बिना इस लोक में तथा परलोक में तृप्ति नहीं होती है, उससे फल के इच्छा करने वाले मनुष्य जलाशय को बनबाये। कूप आदि जलाशय ,बाग बनाने वाला पौसरा देने व दिलाने वा कन्यादान करने वाला तथा सेतू (पुल) बाँधने वाला मनुष्य स्वर्ग को जाता है इसमें संशय नहीं है, जब तक जलाशय में जल रहता है तब तक उसका स्वर्ग लोक से क्षय नही होता है। किन्तु निरंतर स्वर्गलोक में बाम होता है, जल रहित भूमि में वापी कूप तड़ाग जो बनवाता है जिसके पुण्य को संख्या को कौन गिन सकता है जीर्ण जलाशय तथा देवालय का जो पुर्नउद्धार करता है; उसको अधिक फल प्राप्त होता है ॥१८९॥१९०॥

तत्रादौ तत्प्रयोजनमाह-
प्रान्तच्छछायाविनिर्मुक्ता न मनीज्ञा जलाशया: ।
यस्मातदो जलप्रान्तेष्वारामान् विनिवेशयेत् ॥ १॥

जलाशय(कूप वापी तडाग) समीपवर्ती छाया के बिना चित्त प्रसन्न कारक तथा सुशोभित नहीं होता है। उसी कारण जल के समीप में वाटिका लगाना चाहिये ॥१॥

अथ तत्र भूलक्षणमाह-
मृद्वी भू: सर्ववृक्षाणां हिता तस्यां तिलान् वपेत् ।
पुष्पिताँस्ताँश्च मृद्नीयात् कर्मैतत्प्रथमं भुव: ॥२॥

कोमल भूमि सभी वृक्षों के लिये हितकर होती है इससे वृक्ष लगाने के लिए भूमि में पहले तिल बोवै, तिल जब पुष्प से युक्त हो तो उसको वहां ही मर्दन कर देवै इतना कर्म वाटिका लगाने के पूर्व में करें ॥२॥

अधुना प्रथमारोष्यान् वृक्षानाह-
अरिष्टाशोकपुन्नागशिरीषा:सप्रियङ्गव: ।
मांगल्या पूर्वमारामे रोपणीया गृहेषु वा ॥३॥

वाटिका अथवा गृह में अरिष्ट अशोक पुत्राग शिरीष तथा प्रियंगु पहले रोपने से शुभकारक होता है ॥३॥

ग्रंथों के वृक्षायुर्वेद अध्याय में जलाशयों के किनारे वाटिका लगाने हेतु बतायागया है कि –

प्रान्तच्छायाविनिर्मुक्ता न मनाज्ञा जलाशया: ।

यस्मादतो जल प्रान्तेष्वारामान् विनिवेशयेत् ॥१॥

वापी, कूप, तालाब आदि जलाशयों के प्रान्त छायारहित हों तो सुंदर नहीं होता है अत: जलाशयों के किनारे पर बगीचा लगावें।

वास्तु माणिक्य रत्नाकार पुस्तक में बताया गया है कि –

गृहाद्वारि नि:सारणार्थ प्रकुर्य्यात्

विलं पूर्वकाष्ठादिके तत्फलञ्च ।

शुभं चाशुभं दु:खदं पुत्रहानि:

समं शोभनमं वृद्धिदं पुत्रदं च ॥१६५॥

गृह से बाहर पानी निकालने के वास्ते बिल (रास्ता बनावे), उसके पूर्वादि दिशा में रखने का क्रम से इस प्रकार फल है कि शुभ, अशुभ, दु:ख देनेवाला, पुत्रहानि ,सम, शुभ और वृद्धि करने वाला और पुत्र देनेवाला ॥१६५॥

पू.	अ.	द.	नै.	प.	वा.	उ.	ईशान	दिशा
शुभ	अशुभ	दु:ख	पुत्र हानि	सम	शुभ	वृद्धि करने वाले	पुत्र देने वाला	फल

गृहाभयन्तरे गृहबाह्यं च कूपफलम –

कूपे गेहस्य मध्ये सकलधनहर: ईशकोणादितस्तु

पुष्टिं कोशस्य वृद्धिस्त्वतनुधनहर: स्त्रीविनाशी मृतिश्च ।

सम्पत्पीडारिवर्गादमितसुखकरश्चथ बाहो विचार:

वायव्ये स्त्रीविनाशोस्त्रपदिशि सुतहा विह्विभीतिस्तु बह्यौ ॥१६६॥

यदि कूप मध्य गृह में हो तो सम्पूर्ण धन को हरे और ईशानादि कोण में रहने से क्रमश: पुष्टि, धनवृद्धि, पुत्रनाश, स्त्रीविनाश, मृत्यु संपत् शत्रु से पीड़ा और विशेष सुख हो यह मकान के भीतर का विचार है। अब बाहर के विचार को कहता हूँ ।वायव्य में कूप रहने से स्त्री की मृत्यु ,नैर्ऋत्य दिशा में पुत्र की हानि और अग्नि कोण में रहने से अग्नि का भय होता है ॥१६६॥

मध्य	ई.	पू.	अ.	द.	नै.	प.	वा.	उ.	दिशा
धननाश	पुष्टि	धनवृद्धि	पुत्रनाश	पत्नि का नाश	मृत्यु	श्री धन	शत्रु पीड़ा	सौख्य	गृहाभ्यन्तरे फलम्
	शु.	शु.	अग्नि भय	शु.	पुत्र नाश	शु.	स्त्री नाश	शु.	गृहवाह्य फलम्

इस प्रकार उक्त वर्णित स्थापत्यवेद में जल संरचनाओं को कब, क्यों , कहाँ व कैसें बनाने के क्या परिणाम

होगें तथा नियमों के विरूद्ध जल संरचनाओं के निर्माण करने पर जन हानि जैसे प्रतिकूल परिणाम बताए गए हैं। साथ ही जल-शोधन व भूमिगत जल को खोजने का ज्ञान वृक्षादि के संदर्भ से होगा।इसी प्रकार बरसात हेतु सम्भावनाओं का पता प्रकृति व पशु-पक्षियों के व्यवहार में हो रहे परिवर्तनों को देखकर ज्ञात किया जा सकता है।

बृहत्संहिता के आषाढ योग अध्याय-२६ में बताया गया है कि रोहिणी योग काल में विचार कर ,इस विशेष गोपनीय तुला को शास्त्रोंक्त बनाए व बताए अनुसार लक्षणों के अनुरूप परिणामों की भविष्यवाणी करें तथा इसमें वायु प्रवाह से वर्षा आदि के बारे में बताया गया है कि

निष्पत्तिरग्निकोपो वृष्टिर्मन्दाथ मध्यमा श्रेष्टा।
बहुजलपवना पुष्टा शुभा च पूर्वादिभिः पवनैः ॥१३॥

उक्त तीनों योगों के समय यदि पूर्व दिशा की हवा चले तो धान्यों की उत्तम निष्पत्ति, आग्नेय कोण की हवा चले तो अग्निकोप, दक्षिण दिशा की हवा चले तो थोड़ी वृष्टि, नैर्ऋत्य कोण की हवा चले तो मध्यम वृष्टि, पश्चिम दिशा की हवा चले तो उत्तम वृष्टि, वायव्य कोण की हवा चले तो अधिक वृष्टि, उत्तर दिशा की हवा चले तो सुन्दर वृष्टि और ईशान कोण की हवा चले तो उत्तम वृष्टि होती है ॥१३॥

आषाढ कृष्ण चतुर्थी का फल-
वृत्तयामाषढयां कृष्णचतुर्थ्यामजैकपादर्क्षे।
यदि वर्षति पर्जन्यः प्रावृट् शस्ता न चेत्र ततः ॥१४॥

यदि आषाढ कृष्ण चतुर्थी के दिन पूर्वाषाढा नक्षत्र में मेघ वृष्टि करे तो उस वर्ष में वर्षा अच्छी होती है। यदि वृष्टि नहीं करे तो अवृष्टि होती है ॥१४॥

आषाढ की पूर्णिमा में ईशान की हवा का फल-
आषाढयां पौर्णमास्यां तु यद्यैशानाऽनिलो भवेत्।
अस्तं गच्छति तीख्णांशौ सस्पसम्पत्तिरूत्तमा ॥१५॥

यदि आषाढ की पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त काल में ईशान कोण की हवा चले तो पृथ्वी पर धान्य उत्तम रूप से होता है ॥१५॥

पूर्वः पूर्वसमुद्रवीचिशिखर प्रस्फलनाघूर्णित
श्रन्द्रार्काशुसटाकलापकलितो वायुर्यदाकाशतः।
नैकान्तस्थितनीलमेघपटला शारद्यसंवर्धिता
वासन्तोत्कटसस्यमण्डिततला सर्वा मही शोभते ॥१॥

जिस आषाढ शुक्र पूर्णिमा के दिन पूर्वी समुद्र के तरङ्गाग्र भाग से चालित होने के कारण घूमती हुई तथा सूर्य और चन्द्र के किरण रूप जटा से शोभित वायु आकाश से चलती है उस वर्ष में सब जगह नील वर्ण वाले मेघों से युत, शारदीप धान्यों की समृद्धि से मण्डित और बसन्त ऋतु के अति समृद्धि युत धान्यों से भूषित सारी पृत्वी शोभित होती है ॥१॥

आग्नेय दिशा की वायु का फल -
यदाग्नेय वायुर्मलयशिखरास्फालनपटुः
पलवत्यस्मिन् योगे भगवति पतङ्गे प्रवसति।
तदा नित्योदीप्ता ज्वलनशिखरालिर्तितला
स्वागात्रोष्मोच्छासैर्वमति वसुधा भस्मनिकरम् ॥२॥

यदि आषाए शुक्र पूर्णिमा के दिन अस्त समय में अप्रतिहत गति वाली आग्नये कोण की वायु चले तो उस वर्ष में सर्वत्र अग्नि की ज्वाला से व्यास पृष्ठ वाली प्रज्वलित पृथ्वी अपने शारीरिक उष्ण उच्छास के द्वारा भस्मों को वमन करनी है। अर्थात पृथ्वी पर वृष्टि का अभाव, अग्नि का भय, प्रजाओं का नाश आदि उपद्रव होते है ॥२॥

दक्षिण दिशा के वायु का फल-
तालीपत्रलतावितानतरूभिः शाखामृगत्रर्तयन्
योगेऽस्मिन पल्लवति ध्वनिः सपरूषो वायुर्यदा दक्षिणः।
तद्वद्योगसमुत्थितस्तु गजवत्तालाङ्कशैर्धटिटताः
कीनाशा इव मन्दवारिकणिकां मु---- मेघास्तदा ॥३॥

इस योग में आषाढ शुक्र पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त समय में तालपत्र लताओं की विस्तृति और वृक्षों से वानरों को नाचते हुये, कठोर शब्द वाले दक्षिण तरफ की हवा चले तो ताल रूप अङ्कश से ताड़ित हस्ती की तरह मेघ कृपण मनुष्य की तरह थोड़ी जल बिन्दु छोडता है, अर्थात उस वर्ष में थोड़ी वृष्टि होती है ॥३॥

पश्चिम दिशा की हवा का फल –

सूक्ष्मैलालवलीलवङ्गनिचयान् व्याघूर्णयन् सागरे
भानोरस्तमये पलवत्यविरतो वायुर्यदा नैर्ऋतः ।
क्षुत्तृष्णावृतमानुषास्थिशकलग्रस्तारभारच्छदा
मत्ता प्रेतवधूरिवोग्रचपला भूमिस्तदा लक्ष्यते ॥४ ॥

इस योग में आषाढ शुक्ल पूर्णिका के दिन सूर्यास्त के समय में समुद्र के समीप छोटी इलायची, लावली और लौंग के वृक्षों को घुमाते हुये ,यदि नैर्ऋत्य तरफ की हवा चले तो भूख, प्यास से मरे हुये मनुष्यों की हडिडयों के टुकड़े की विस्तृति के भार से व्याप्त पृथ्वी उन्मत्त और अति चंचल प्रेत वधू की तरह दिखाई देती है ॥४।

पश्चिम दिशा की हवा का फल –

यदा रेणूत्पातैः प्रविचलसटाटोपचपलः
प्रवातः पश्चाच्चेच्छिदनकरकरापातसमये ।
तदा सस्योपेता गृवरनिकरावद्धसमरा
क्षितिः स्थानस्थानेष्वविरतवसामांसरूधिरा ॥५॥

इस योग में (आषाढ शक्ल पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय में)धूलि को उड़ाने से चलित केशर के आक्षेप से चंचल और भयंकर हवा चले तो उस वर्ष में धान्यों से युत प्रधानों (राजाओं)के युद्धों के व्याप्त, जगह–जगह पर निरन्तर वसा, मांस और रक्त से व्याप्त पृथ्वी होती है ॥५॥

वायव्य कोण की हवा का फल –

आषाढीपर्वकाले यदि किरणपतेरस्तकालोपपत्तौ
वारूव्यो वृद्धवेगः पवनघनंवपुः पत्रगार्द्धानुकारी ।
जानीयाद्वारिधाराग्रमुदितमुदितामुक्तमण्डूककण्ठा
सस्योद्रासैकचिह्वां सुखबहुलतया भाग्यसेनामिवोर्वीम् ॥६॥

इस योग में (आषाढ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय में)सघन शरीर वाला (धूली के संयोग और सार्वदिक होने के कारण), सर्पो के टुकड़ों का अनुकरण करने वाला यदि वायव्य कोण की हवा चले तो उस वर्ष में जल की धारा से आनन्दित, अति शब्द करने वाले मेढकों से युत, धान्यों की बीजोत्पत्ति रूप चिह्नों से मण्डित पृथ्वी पर सुखों की अधिकता होने के कारण भाग्य सेना की तरह ,पृथ्वी को जानना चाहिये ॥६॥

उत्तर दिशा की हवा का फल–

मेरूग्रस्तमरीचिमण्डलतले ग्रीष्मावसाने रवौ
वात्यामोदिकदम्बगन्धसुरभिर्वायुर्यदा चोत्तरः ।
विद्युतद्भ्रान्तिसमस्तकान्तिकलनामत्तास्तदा तोयदा
उन्मत्त इव चन्द्रकिरणां गां पूरयन्त्यम्बुभिः ॥७॥

ग्रीष्म के अन्त में (आषाढ शुल्क पूर्णिमा के दिन) मेरू से आच्छादित सूर्य के किरण होने पर (सूर्यास्त समय में) अति सुगन्ध वाले कदम्ब पुष्पों के गन्ध के सुगन्धित उत्तर तरफ की हवा चले तो उस वर्ष मे बिजली से उत्पन्न सम्पूर्ण कान्तियों का स्वरूप ज्ञान होने के कारण उद्यम युत तथा उनमत्त की तरह मेघ मेघों से नष्ट चन्द्र किरण वाली पृथ्वी को जल से पूर्ण करता है ॥७॥

ईशान कोण की हवा का फल –

ऐशानो यदि शीतलोऽमरगणैः संसेव्यमानो भवेत्
पुत्रागागरूपारिजातसुरभिर्वायुः प्रचण्डध्वनिः ।
आपूर्णोदकयौवना वसुमती सम्पत्रसस्याकुला
धर्मिष्ठाः प्राणतारयो नृपतयो रक्षन्ति वर्णास्तदा ॥८॥

आषाण शुक्ल पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त समय में देवताओं के सेवन योग्य, शीतल, भयंकर शब्द वाले,

पुन्नाग, अगुरू और पारिजात के फलों से सुगन्धित ईशान कोण की हवा चले तो उस वर्ष में पूर्ण जल रूप यौवन से युत और पके हुये धान्यों से व्याप्त पृथ्वी होती है तथा धर्मात्म और शत्रुओं को अपने वश में करने वाले राजा लोग ब्राहम्ण आदि वर्णो की सुचारू रूप से रक्षा करते है ।।८।।

आनार्ष पद्य –

नष्टचन्द्रार्ककिरणं नष्टतारं न चेत्रम: ।
न तां भद्रपदां मन्ये यत्र देवो न वर्षति ।।९।।

यदि चन्द्र और सूर्य के किरणों से तथा ताराओं से रहित आकाश नहीं हुआ तो उसको भाद्रपद नहीं कहना चाहिये। क्योंकि उसमें मेघ वृष्टि नहीं करता है ।।९।।

इस ग्रंथ में प्राकृतिक वर्षा व चंद्रमा की स्थिति एवं प्रश्न कुंडली आधारित ज्योतिष के ज्ञान तथा अन्य प्राकृतिक लक्षणों व पशु–पक्षियों तथा अन्नफलादि के उत्पादन के अनुरूप वृष्टि के लिए भविष्यवाणियाँ बताई गई है जिसका आंशिक ज्ञान प्राय: गांवों में यदा–कदा लोगों को आज भी है।

वर्षा प्रश्न में चन्द्र की स्थिति वश वर्षा का ज्ञान–

वर्षाप्रश्ने सलिलनिलयं् राशिमाश्रित्य चन्द्रो
लग्नं यातो भवति यदि वा केन्द्रग: शुक्लपक्षे ।
सौम्पैर्दृष्ट: प्रचुरमुदकं पापदृष्टोऽल्पमम्भ:
प्रावृट्काले सृजति न चिराच्चनद्रवद्रार्गवोऽपि ।।१।।

कृष्ण पक्ष में वर्षा प्रश्न करने पर यदि जलचर राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा लग्न में बैठा हो या शुक्ल पक्ष में जलचर राशि में स्थित हो कर केन्द्र (चतुर्थ, सप्तम या दशम) में बैठा हो और इन दोनों योगों में यदि चन्द्रमा शुभग्रह से दृष्ट हो ,तो बहुत जल्दी अधिक वृष्टि और पापगृह से दृष्ट हो तो थोड़ी वृष्टि होती है ।।१।।

प्रश्न कर्ता चेष्टावश वर्षा का ज्ञान –

आर्द्र द्रव्यं स्पृशति यदि वा वारि तत्सण्ज्ञकं वा
तोयासत्रो भवति यदि वा तोयकार्योन्मुखो वा।
प्रष्टा वाच्य: सलिलमचिरादस्ति नि:संशयेन
पृच्छाकाले सलिलमिति वा श्रूयते यत्र शब्द: ।।२।।

यदि वर्षा प्रश्न में प्रश्न कर्ता कीली वस्तु, जल , जल संज्ञक वस्तु (क्षीर, अब्ज इत्यादि) का स्पर्श करे, जल के समीप में स्थित हो, जल सम्बन्धी किसी कार्य में लगा हो या किसी अन्य के द्वारा जल शब्द सुनने में आवे तो शीघ्र नि:सन्देहं वृष्टि होती है ।।२।।

सूर्य की किरण से वर्षा ज्ञान –

उदयशिखरिसंस्थो दुर्निरीक्षयोऽतिदीप्त्या
द्रुतकनकनिकाश: स्त्रिग्धवैडूर्यकान्ति: ।
तदहनि कुरूतेऽम्भस्तोयकाले विवस्वान्
प्रतपति यदि चौच्चै: खं गतोऽतीव तीक्ष्णम् ।।३।।

वर्षा समय में उदयाचल पर्वत पर स्थित, अत्यन्त तीक्षण किरण होने के कारण बड़ी कठिनता से देखने के लायक, गलित सुवर्ण के समान और निर्मल वैदूर्य मणि की तरह कान्ति वाला सूर्य जिस दिन दिखाई दक उस दिन भी वर्षा करता है ।।३।।

और वर्षा का योग –

विरसमुदकं गोनेत्राभं वियद्विमला दिशो
लवणविकृति: काकाण्डाभं यदा च भवेत्रभ:
पवनविगमम: पोप्लूयन्ते झषां: स्थलगामिनो
रसनमसकृन्मण्डूकानां जलागमहेतव: ।।४।।

स्वाद रहित जल, गौ के नेत्र के समान या काक के अण्डे के समान आकाश, निर्मल दिशा, नमक में गिर वायु का निरोध, अतिशय उछल–उछल कर जल से सूखे में मछलियों का आना, मेढकों का बार–बार शब्द करना थे

सब वृष्टि के कारण है ॥४॥

और भी वर्षा का योग –

मार्जारा भृशमवनिं नखैर्लिखन्तो लोहानां मलनिचयः सविस्त्रगन्धः ।
रथयायां शिशुरचिताश्च सेतुबन्धाः सम्प्राप्तं जलमचिरात्रिवेदयन्ति ॥५॥

यदि बिल्ली बार-बार अपने नाखून से भूमि को खोदे, लोहों में विस्त्र की गन्ध से युत मल हो जाय या मार्ग में बालकों से रचित पुल दिखाई दे ,तो शीघ्र वृष्टि होगी ऐसा कहना चाहिये ॥५॥

और भी वर्षा का योग –

गिरयोऽज्जनचूर्णसत्रिभा यदि वा वाष्पानिरूद्धकन्दराः ।
कृकवाकुविलोचनोपमाः परिवेषाः शशिनश्च वृष्टिताः ॥६॥

यदि अज्जन चूर्ण के समान पर्वत, वाष्प से भरी हुई गुफा, जल में रहने वाले मुर्गे के नेत्र के समान (अति लोति) चन्द्र किरण हो तो शीघ्र वृष्टि होती है ॥६॥

विनोपघातेन पिपीलिकानामण्डोपसङ्कान्तिरहिव्यवायः ।

और भी वर्षा का योग –

द्रुमावरोहश्च भुजङ्गमानां वृष्टेर्निमित्तानि गवां पलुतं च ॥७॥

यदि बिना कारण चीटियाँ अपने अण्डों को एक जगह से दूसरी जगह ले जायँ, सर्पो का मैथुन हो, सर्प वृक्ष पर चढे या गौ बिना कारण उछले हो तो शीघृ वृष्टि होगी ॥७॥

गिरगिट आदि के वश वर्षा –

तरूशिखरोपगताः कृकलासा गगनतलस्थितदृष्टिनिपाताः ।
यदि च गवां रविवीक्षणमूर्ध्व निपतति वारि तदा न चिरेण ॥८॥

यदि वृक्ष के शिखर पर स्थित हो कर कृकलास (गिरगिट)आकाश की तरफ देखता हो और गायें उपर को दृष्टि करके सूर्य को देखती हो तो शीघ्र वृष्टि होती है ॥८॥

पशुओं की चेष्टा से दृष्टिज्ञान–

नेच्छन्ति विनिर्गमं गृहाद्धुन्वन्ति श्रवणान् खुरानपि ।
पशवः पशुवच्च कुक्कुरा यद्यम्भः पततीति निर्दिशेत् ॥९॥

यदि पशु घर से बाहर होने की इच्छा न करें और कान तथा पाँव हिलावें तो वर्षा कहनी चाहिये । अथवा पशु की तरह कुत्ता चेष्टा करे तो भी वृष्टि कहनी चाहिये ॥९॥

कुत्ते की चेष्ठा से वृष्टि ज्ञान–

यदा स्थिता गृपटलेषु कुक्कुरा रूदन्ति वा यदि विततं वियन्मुखाः ।
दिवा तडिद्यदि च पिनाकिदिग्भवा तदा क्षमा भवति समैव वारिणा ॥१०॥

जब घर के आच्छादन (छत्तों पर) में स्थित हो कर आकाश की तरफ देखता हुआ कुत्ता भूंके तथा ईशान कोण में बिजली दिखाई दे तब जल से पृथ्वी समान हो जाती है अर्थात् अधिक वृष्टि होती है ॥१०॥

चन्द्र से वृष्टि ज्ञान –

शुककपोतविलोचनसत्रिभो मधुनिभश्र यदा हिदीधितिः ।
प्रतिशशी च यदा दिवि राजते पतति वारि तदा नचिरेण च ॥११॥

जिस समय तोता या कबूतर के नेत्र समान या शहद की तरह चन्द्र हो या आकाश में दूसरा चन्द्र दिखाई दे तो शीघ्र वृष्टि होती है ॥११॥

मेघ के गर्जन आदि से वृष्टि ज्ञान –

स्तनितं निशि विद्युतो दिवा रूधिरनिभा यदि दण्डवत् स्थिताः ।
पवनः पुरतश्च शीतलो यदि सलिलस्य तदाऽऽगमो भवेत् ॥१२॥

यदि रात में मेघ का गर्जन हो, दिन में रूधिर के समान दण्डकार बिजली दिखाई दे तथा पूर्व दिशा की ठंडी हवा चले तो वर्षा का आगम होता है ॥१२॥

लता आदियों से वृष्टि ज्ञान–

वल्लीनां गगनतलोन्मुखाः प्रवलाः स्त्रायन्ते यदि जलपांसुभिर्विहङ्गाः ।

सेवन्ते यदि च सरीसृपास्तृणाग्राण्यासत्रो भवति तदा जलस्य पात: ॥१३॥

यदि लताओं के नये पत्ते उर्ध्व मुख के हों, जल या धूलि से पक्षी स्नान करें या सरीसृप(कृमिजाति= सांप आदि) तृण के प्रान्त भाग पर स्थित हों तो शीघ्र वर्षा होती है ॥१३॥

संध्या कालिक मेघ के वर्ण से वृष्टि ज्ञान –

मयूरशुकचाषचातकसमानवर्णा यदा
जपाकुसुमपङ्कजद्युतिमुषश्च सन्धयाघना: ।
जलोर्मिनगनक्रकच्छपवराहमीनोपमा:
प्रभूतपुटस--या न तु चिरेण यच्छन्त्यप: ॥१४॥

मयूर, तोता, चाय(नीलकंठ), चातक, जपापुष्प या कमल के समान कान्ति वाले तथा जल के आवर्त्त(भंवर), पर्वत, नक्र (नाक),कछुआ, सूअर या मछली के समान आकृति वाले मेघ हों तो शीघ्र वृष्टि करते हैं ॥१४॥

मेघ से वृष्टि का ज्ञान–

पर्यन्तेषु सुधाशशाङ्कधवलाा मध्येऽ-- नालित्विष:
स्त्रिग्धा नैकपुटा: क्षरज्जलकणा: सोपानविच्छेदिन ।
माहेन्द्रीप्रभवा: प्रयान्त्यपरत: प्राग्वाम्बुपाशोद्रव
ये ते वारिमुचस्त्यजन्ति नचिरादम्भ: प्रभूतं भूवि ॥१५॥

यदि चारों तरफ चूना या चन्द्र के समान श्वेत, मध्य में कज्जल या भ्रमर के समान कान्ति वाले, निर्मल, उपर २ स्थित, जल बिन्दु छोड़ते हुये और सीढी की तरह स्थित मेघ पूर्व दिशा में उत्पन्न हो कर पश्चिम की तरफ या पश्चिम में उत्पन्न हो कर पूर्व दिशा की तरफ गमन करे तो पृथ्वी पर शीघ्र अधिक वृष्टि करता है ॥१५॥

उदयास्त समय में इन्द्रधनु आदि के दशेन से वृष्टि ज्ञान–

शक्रचापपरिघप्रतिसूर्या रोहितोऽथ तडित: परिवेष: ।
उद्रमास्तसमये यदि भानोरादिशेत्प्रचुरमम्बु तदाशु ॥१६॥

यदि सूर्य के उदय या अस्त समय में इन्द्रधन, परिघ(४७ वें अध्याय के १९ वें श्लोक में), दूसरा सूर्, रोहि(४७ अ.२० श्लोक में), या सूर्य, चन्द्र का परिवेष दिखाई दे तो शीघ्र अधिक वृष्टि होती है ॥१६॥

आकाश के वर्ण आदि से वृष्टि ज्ञान–

यदि तित्तिरपत्रनिभं गगनं मुदिता: प्रवदन्ति च पक्षिगणा: ।
उदयास्तमये सवितुर्द्युनिशं विसृजन्ति घना नचिरेण जलम् ॥१७॥

यदि उदय या अस्त समय तित्तिर के पंख के समान आकाश हो और आनन्दित हो कर पक्षी गण शब्द दही के समान अग्रभाग वाले, नील वर्ण के भाग से सूर्य को आच्छादित करने वाले, आकाश के मध्य में स्थित, पीले रङ्ग से रंगे और मूल की तरफ सघन मेघवृक्ष हों तो अधिक वृष्टि करता है ॥१८॥

फिर सन्ध्या का लक्षण और फल–

कुवलयवैदूर्याम्बुजकिञ्जल्काभा प्रभञ्जनोन्मुक्ता ।
सन्ध्या करोति वृष्टि रविकिरणोद्रासिताा सद्य: ॥२०॥

नील कमल, वैदूर्य मणि या कमल के केशर की तरह कान्ति वाली, वायु से रहित और सूर्य के किरणों से प्रकाशित सन्ध्या हो तो उसी रोज वृष्टि करती है ॥२०॥

मेघ के वर्णो से फल–

सितसितान्तघनवारणं रवेर्भवति वृष्टिकरं यदि सव्यत: ।
यदि च वीरणगुल्मनिभैर्धनैर्दिवसभत्तरदीप्तदिगुद्रवै: ॥२४॥

शुक्ल और शुभ्र (स्वच्छ) किरण वाले या वीरण (गांड़र) के समान कान्ति वाले शान्त दिशा में उत्पन्न मेघ सूर् के दक्षिण भाग को आच्छादित करे तो वृष्टि करता है ॥२४॥

परिधि के वश शुभाशुभ फल–

यदि सूर्य के दोनों तरफ परिधि दिखाई दे तो अधिक वृष्टि होती है। तथा यदि परिधि सब दिशाओं को व्याप्त कररके स्थित हो तो जल का एक कण भी नहीं गिरता है अर्थात् अवृष्टि होती है ॥२६॥

जल संवर्धन एवं अन्य सिद्धांतों को परिस्थिति अनुरूप अपनाकर जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन करना जनहित में होगा। इसके लिए छोटे–छोटे कस्बों कॉलोनियों,ग्रामों वार्डो, उपनगरों का विकास योजना हेतु अन्य पहलुओं पर भी विचार करते हुए पुर्नसीमांकन , इस तरह किया जावे कि वर्तमान में उपलब्ध प्रत्येक जल स्त्रोंत नदी, झील ,तालाब,कुआ, बावडी, स्टापडैम एवं ट्यूब वेल, सार्वजनिक जल संयत्र भूमिगत टैंक की स्थिति ईशान की ओर उपर बातए अनुसार स्थित हों। तथा इसी प्रकार पश्चिम में उस ग्रामादि का जीर्णोद्धार करके उससे संबधित विकास के क्षेत्र में जहाँ तकशुभ है क्षैत्रीय जल प्रदाय व्यवस्था लागू की जाये। क्योंकि जल परिवहन अत्यधिक रख-रखाव, जटिल एवं खर्च प्रद होता है।

इसी प्रकार भू-जल संवर्धन हेतू गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में ,इस सिद्धांत को अपनाते हुए उक्त कस्बों ग्रामों आदि की विकास योजनाओं में क्षेत्र के भूमिगत ढाल को ध्यान में रखकर स्थापत्यवेद से भू-जल संवर्धन हेतु स्थायी संरचनाओं का निर्माण करना चाहिए।

इन उपलब्ध जल स्त्रोतों का पूर्णक्षमता तक गहरीकरण करके यह व्यवस्था की जावे कि ,उसमें वर्षा जल संग्रहित होकर व्यर्थ बरबाद न हो एवं प्रदूषित न हो तथा ऐसी क्षेत्रीय जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की जावे ताकि जनता स्वयं उसका घ्यान रखे। अगर धरती माता का पेट जल से भरा रहेगा तो नदियाँ स्वतः बहने लगेगी। यह एक ऐसा सरल सिद्धांत है लिसे आमजन समझकर, जल समस्या से निजात पा सकते है।

भारत में नदियों को जोड़ने की योजनाएं में स्थापत्यवेद के उक्त सिद्धांतों को अपनाकर प्राकृतिक भूमि का ढाल एवं भूमिगत शिराओं के ज्ञान को दृष्टिगत रखकर बनाना अधिक लाभकारी होगा।इसमें निसंदेह प्रकृति की बनूकुलता मिलेगी ही।

५.६ नगरादि में भूमि-भवनों के मुख्य सामीप्य का सिद्धांत :-

स्थापत्यवेद के विभिन्न ग्रंथों में भूमि व भवनों के आस-पास स्थित विभिन्न संरचनाओं, वनस्पति, विद्युत स्तम्भ् व बिजली तारों की स्थिति आदि के बारे में बताया गया है। यह सामीप्य घर की उँचाई से दो गुना दूरी तक होने पर प्रभावकारी माने गए हैं। इन सामिप्य के शुभाशुभ परिणाम निम्नानुसार है।

क्र. नगरादि में भूमि भवनों के मुख्य सामीप्य	वैदिक वास्तु विद्या एवं रोगकारक वास्तुदोष	भवन भास्कर	अन्य ग्रंथों में
१. विद्युत तार / समूह	मानसिक स्थित ठीक नहीं	----	शारीरिक कमजोरी, अस्वस्थतता
२. धूर्त /जुआरी का घर	पुत्र की हानि	दुखः,शोक	पुत्र की मुत्यु तथा भय
३. चौराहे पर घर	कीर्ति नाश व अपयश	अपयश	बदनामी
४. विकृत वृक्ष/चैत्य वृक्ष पवित्र वृक्ष	विपत्तियाँ	भय	प्रेतात्मा का भय
५. मंदिर/देवालय/सचिव का आवास/ मंत्री आवास	उच्चाटन, उदास	दुखः, शोक तथा भय	मानसिक कष्ट, धन की हानि
६ . कीचड़	अशुभ	–	विपत्ति, अंसयमित व्यय, मिर्गी
७. कांटेदार पृक्ष	अशुभ	–	–
८ .गड्ढा	तृष्णा वृद्धि	–	–
९ . गुफा	पिपासा		प्यास

१०. सचिवालय	–	धन की हानि	–
११. बांबी /दीमक	–	विपत्ति	विपत्ति
१२. शमशान	–	–	अमंगलकारी
१३. व्यस्त शोरगुलपूर्ण मार्ग	–	–	संमपन्नता का विनाश
१४. प्रदुषित औद्योगिक प्रतिष्ठान	–	–	स्वास्थ के लिए भयावह
१५. कूर्माकार जमीन	–	धन का नाश	अशुभ

भविष्य पुराण में बताया गया हैं कि नगर के द्वार, चौक, यज्ञशाला के रहने के स्थान, जुआ खेलने तथा मद्य मांसादि बेचने के स्थान, पाखण्डियों के रहनें के स्थान, राजा के नौकरों के रहने के स्थान, देव मंदिर के मार्ग, राजमार्ग और राजा के महल – इन स्थानों से दूर ,घर बनाना चाहिए। स्वच्छ, मुख्य मार्गवाला, उत्तम व्यवहार वालें लोंगो से आवृत तथा दुष्टों के निवास से दूर स्थान पर ,गृह का निमार्ण करना चाहिए। घर के पूर्व में विवर या गड्ढा, दक्षिण में मठ – मंदिर, पश्चिम में कमलयुक्त ज़ल और खाई हो तो शत्रु से भय होता है।

"भवन – भास्कर" पुस्मक में बताया है कि घर से पूर्व, उत्तर, पश्चिम या ईशान दिशा में जो वाटिका बनाता है व सदा गायत्री से युक्त, दान देने वाला होता है । परन्तु जो आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य या वायव्य में वाटिका बनाता है उसें धन और पुत्र की हानि तथा परलोक में अपकीर्ति प्राप्त होती है। वह जाति भ्रष्ट और दुराचारी होकर मृत्यु को प्राप्त होता है । यदि पीपल का वृक्ष धर के पास हो तो ,उसकी सेवा पूजा करते रहना चाहिए। यदि घर के समीप अशुभ वृक्ष लगे हों और उनकों काटनें में कठिनाई हो तो ,अशुभ वृक्ष व घर के बीच में शुभ फल देनें वाले वृक्ष लगा देना चाहिए । दिन के दूसरे व तीसरे पहर यदि किसी वृक्ष, मंदिर आदि की छाया मकान पर पड़े तो ,वह सदा दुःख व रोग देने वाली होती है । **अपने घर से दक्षिण की ओर तुलसी वृक्ष का रोपण नहीं करना चाहिए।** अन्यथा यम यातना भोगनी पड़ती है। मालती, मल्लिका, मोचा यानें कपास, इमली, श्वेता (विष्णुक्रांता)और अपराजिता को जो भूमि पर लगता है ,वह शस्त्र से मारा जाता है। यह वास्तु सौख्यम् में भी लिखा है ।

वैदिक वास्तु विद्या एवं रोगकाकर वास्तु दोष पुस्तक में उद्यान बनानें व गृह के आस पास लगानें वाले उपयोगी व अनुउपयोगी वृक्षों के बारें में बताया गया है कि ,

उद्यान बनाने या गृह के आसपास लगाने वाले वृक्ष –

पाकड, वअ, गूलर, पीपल, नाग केशर, अशोक, कटहल, शमी, मौलश्री, शाल, पुत्राग, शिरीष आदि शुभ वृक्षों को गृह के समीप लगाना चाहिये। परन्तु गृह में लगाने वाले बड़े वृक्षों को उतनी दूरी पर लगाना चाहिये कि उनकी छाया घर पर दूसरे, तीसरे प्रहर नहीं पड़े अन्यथा वास्तु अनुसार वेध अर्थात अशुभ होता है।

गृह के उत्तर में पाकड़, पूर्व मे वट, दक्षिण में गूलर तथा पश्चिम में पीपल लगाना शुभदायी होता है।

गृह के लिये अनुपयोगी वृक्ष –

काँटे वाले वृक्षों का गृह के आसपास या गृह के भीतर आन्तरिक सज्जा में कदापि उपयोग नहीं करना चाहिये । यद्यपि आजकल कैक्टस लगाने का जो चलन तो है, परन्तु घर की सीमा में यह अत्यन्त दोषकारक है।

उन वृक्षों को भी घर में नहीं लगाना चाहिये जो दूध वाले हो (जिनकी शाखा या पत्तों को तोड़ने पर दूध निकलता हो)

फलदार वृक्षों का भी गृह के आसपास नजदीक में लगाना शुभ नहीं होता है उन्हें शास्त्रोक्त निश्चित दूरी पर ही लगाना चाहिये। ये वृक्ष बच्चों के लिये दोषकारक होते है।

अश्वत्थश्च कदम्बश्च कदली बीज पूरकः।
गृहे यस्य पुरोहन्ति स ग्रही न पुरोहित॥

जिस घर पर पीपल, कदम्ब, नींबू और केला ये वृक्ष बढते है उसमें गृहस्वामी का विकास नहीं होता

है, परन्तु पश्चिम दिशा में खास दूरी पर यदि पीपल का वृक्ष लगाया जाय तो वह शुभ होता है।

पीपल पूर्व में, पाकड़ दक्षिण में, वट पश्चिम में तथा गूलर उत्तर में लगाना अशुभ होता है।

सर्पो से युक्त वृक्ष जैसे चन्दन आदि को गृह के समीप नहीं लगाना चाहिये।

मालती,मल्लिका, अपराजिता ये सब वृक्ष भी गृह में शुभ नहीं कहे गये है। अत: वृक्षों का चयन भी वास्तु के नियमों के आधार पर व ज्ञाता से परामर्श लेकर ही गृह की आन्तरिक या बाह्य सज्जा हेतु करना चाहिये।

"भवन-भास्कर" में गृह के समीपस्थ वृक्षो के बारे में निम्नानुसार विभिन्न ग्रंथों के संदर्भो सहित बताया गया है कि -

गृह के समीपस्थ वृक्ष-

१. अशोक, पुत्राग, मौलसिरी, शमी, चम्पा, अर्जुन, कटहल, केतकी, चमेली, पाटल, नारियल, नागकेशर, अड़हुल, महुआ, वट, सेमल, बकुल, शाल, आदि वृक्ष घर के पास शुभ है। पाकर, गूलर, आम, नीम, बहेड़ा, पीपल, कपित्थ, अगस्त्य, बेर, निर्गुण्डी, इमली, कदम्ब, केल, नींबू, अनार, खजूर, बेल, आदि वृक्ष घर के पास अशुभ है।

२. कई वृक्ष ऐसे है, जो दिशा विशेष में स्थित होने पर शुभ अथवा अशुभ फल देनेवाले हो जाते है : जैसे-

पूर्व में पीपल भय तथा निर्धनता देता है। परन्तु बरगद कामना -पूर्ति करता है।आग्नेय में वट, पीपल, सेमल, पाकड़, तथा गूलर पीड़ा और मृत्यु देने वाले हैं। परन्तु अनार शुभ है।दक्षिण में पाकर रोग तथा पराजय देनेवाला है, और आम, कैथ अगस्त्य तथा निर्गुण्ड धननाशक हैं। परन्तु पीपल शुभदायक है।वायव्य में बेल शुभ दायक है।उत्तर में गूलर नेत्ररोग तथा ह्रास करने वाला है। परन्तु पाकर शुभ है।ईशान में आँवला शुभदायक है। ईशान व पूर्व में कटहल एवं आम शुभदायक है।

३. घर के पास काँटेवाले, दूधवाले तथा फलवाले वृक्ष स्त्री और सन्तानकी हानि करनेवाले है। यदि इन्हें काटा न जा सके तो इनके पास शुभ वृक्ष लगा दें।काँटेवाले वृक्ष शत्रु से भय देनेवाले, दूधवाले वृक्ष धनका नाश करनेवाले और फल वाले वृक्ष सन्तान का नाश करने वाले है। इनकी लकड़ी भी घर में नहीं लगानी चाहिये -

आसत्रा: कण्टकिनो रिपुभयदा: क्षीरिणोऽर्थनाशाय।
फलिन: प्रजाक्षयकरा दारूण्यपि वर्जयेदेषाम्॥

४. बदरी कदली चैव दाडिमी बीजपूरिका।
प्ररोहन्ति गृहे यत्र तद्गहं न प्ररोहति॥
बेर, केला, अनार, तथा नींबू जिस घर में उगते है , उस घर की वृद्धि नहीं होती।
अश्वत्थं च कदम्बं च कदलीबीजपूरकम्।
गृहे यस्य प्ररोहन्ति स गृही न प्ररोहति॥
पीपल , कदम्ब, केला, बीजू नींबू- ये जिस घर में होते है , उसमें रहने वाले की वंशवृद्धि नहीं होती है।

५. घर के भीतर लगायी हुई तुलसी मनुष्यों के लिये कल्याणकारिणी, धन-पुत्र प्रदान करने वाली, पुण्यदायिनी तथा हरिभक्ति देने वाली होती हे। प्रात:काल तुलसी का दर्शन करने से सुवर्ण -दान का फल प्राप्त होता है।

स्थात्यवेद के उपरोक्त भूमि - भवन के सामीप्य व स्थान के सिद्धांतो को दृष्टिगत रखकर बनाना चाहिए। संरचनाओं का निर्माण इस प्रकार हो कि प्रात: काल की पोषण उर्जा किरणें नगर भवन आदि में स्वत: मिलें तथा दूसरे व तीसरे पहर में सूर्य से निकली इन्फ्रारेड़ किरणें न्यूनतम प्रवेश कर सकें। एक कुशल स्थपति को सभी दृष्टिकोण से विचार कर निर्णय करना चाहिए।

गृह के आकार में परिवर्तन -

१. घर के किसी अंशको आगे नहीं बढाना चाहिये। यदि बढाना हो तो सभी दिशाओं में समान रूप से बढाना

चाहिये ।विभिन्न दिशा में बढाने पर निम्नानुसार बतायें गये हैं ।

घर को पूर्व दिशा में बढाने पर ,मित्रों से वैर होता है ।

दक्षिण दिशा में बढाने पर, मृत्यु का तथा शत्रु का भय होता है ।

पश्चिम दिशा में बढाने पर, धन का नाश होता है ।

उत्तर दिशा में बढाने पर,मानसिक सन्ताप की वृद्धि होती है ।

आग्नेय दिशा में बढाने पर, अग्नि से भय होता है ।

नैर्ऋत्य दिशा में बढाने पर,शिशुओं का नाश होता है ।

वायव्य दिशा में बढाने पर ,वात–व्याधि उत्पन्न होती है ।

ईशान दिशा में बढाने पर, अन्न की हानि होती है ।

२. यदि घर के किसी अंश को आगे बढाना अनिवार्य हो तो पूर्व या उत्तर की तरफ बढा सकते है क्योंकि इसमें थोड़ा दोष है ।

स्थापत्यवेद में भूमी व भवनों के मुख्य सामिप्य के संबंध में उपर बताया गए सिद्धांतों को दृष्टिगत रखकर संरचनाएँ बनाना चाहिए तथा दोष पूर्ण संरचनाओं को शास्त्रोक्त तरीके से वास्तु दोष निरूपण करना चाहिए । आजकल बहुमंजिला भवनों व भूतल पर बन रहें भवनों में कई कोने वाला,आड़ा – तिरछा मकान, फ्लेट बने हुए की परम्परा "अधिक निर्मित क्षेत्रफल" विक्रय की दृष्टि से बनाया जा रहा है क्योंकी प्रत्येक के वास्तु स्थल का आकार ,जातक को प्रभावित करता ही है । संयुक्त परिवारों के विखण्डन के कारण सम्पत्तियों के बंटवारें में भी ,भूमी ,भवनों के आकार का ध्यान रखना चाहिए । शासकीय भवनों के नव – निर्माण व फेरबदल में उक्त सिद्धांतों का पालन कर वास्तु संबंधी आकार के दोष का निरूपण सम्भव है ।

५.७ :– नगरादि में भवनों के आकार का सिद्धांत :–

स्थापत्यवेद में भवनों के आकार व उनसे होने वाले परिणामों के बारें शोध आधारित ग्रंथों में बताया गया है । एक से दस शाल भवनों का आकार समकोण होकर न्यूनमत कर्णयुक्त होना चाहिए । एक से चार शालाओं के भवनों के आकार व उनके परिणाम निम्नानुसार है :–

क्रं.	आकार	दिशा	परिणाम
(अ)	एक शाल भवन		
१.	पूर्व ↑	पश्चिम मुखी	मानव आवास हेतु अनुपयुक्त
२.		दक्षिण मुखी	मानव आवास हेतु अनुपयुक्त
३.		उत्तर मुखी	शुभ
४.		पूर्व मुखी	शुभ

(ब) द्विशाल भवन :–

१.	पूर्व ↑	उत्तरी व पश्चिमी शाला के साथ एल आकार	सदैव मृत्यु से भय कारक
२.		उत्तरी व पूर्वी शाला के साथ एल आकार(यमशाला)	सजा व मृत्यु
३.		पूर्व व पश्चिम में विपरीत दो शाला	विशेष वित्तीय हानि
४.		उत्तर व दक्षिण विपरीत दो शाला	रिश्तेदारों से शत्रुता
५.		दक्षिण व पूर्व में शाला के साथ एल आकार	क्लेशमय जीवन
६.		दक्षिण व पश्चिम शाला के साथ एल आकार	शुभ

(स) त्रिशाल भवन :-

१.	पूर्व ↑	दक्षिण मुखी (यू) आकार	सम्पत्ति की हानि, मृत्युकारक
२.		पश्चिम मुखी(यू) आकार	सन्तान विनाशक, विद्वेष, वित्तीय हानि
३.		उत्तर मुखी(यू) आकार	शुभ
४.		पूर्व मुखी(यू) आकर	शुभ

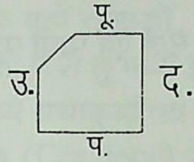
(द) चतु:शाल भवन १.

१.	पूर्व ↑		पश्चिम में प्रवेश अनुपयुक्त
२.		दक्षिण में प्रवेश द्वार	अमंगलकारी
३.		पूर्व-मुखी प्रवेश द्वार	शुभ
४.		उत्तर मुखी प्रवेश द्वार	शुभ

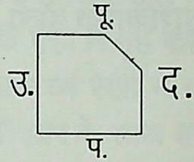
इसी प्रकार भवनों के कोई कोण न विस्तारित हो व न कटे होना चाहिये। सिर्फ उत्तर-पूर्व कोणों में भवन या भूखण्ड का बड़ा होना शुभ कहा गया है। पश्चिम व दक्षिण दिशा में एवं बायी ओर एवं पृष्ठ भाग में भी बालकनी या बरामदा नहीं बनाना चाहिए व भवन के उपरी तलों को नीचे के तल से अधिक निर्गम (प्रोजेक्शन) युक्त नहीं बनाना चाहिये। यह 'अशुभ' परिणाम दायक है। जो वर्तमान में प्राय: उपर क्षेत्रफल बढाने की 'दृष्टि' से

बहुमंजिला भवनों में किया जाता रहा है।

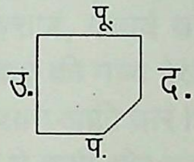
" वैदिक वास्तु विद्या एवं रोगकारक वास्तु दोष" पुस्तक में बताया गया है कि भूखण्ड यदि ईशान, आग्नेय, नैऋत्य या वायव्य किसी भी कोण में कटा हुआ है ,तो वह अशुभ होता है उसे या तो समान करके गृह का निमार्ण करना चाहिए या फिर उस पर निमार्ण नहीं करना चाहिए। कटे हुए भूखण्ड को निम्न चित्रानुसार स्पष्ट किया जा सकता है –



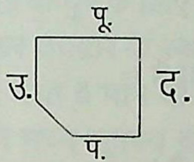
१. ईशान कटा हुआ अशुभ भुखण्ड



२. आग्नेय कटा हुआ अशुभ भूखण्ड



३ .नैऋत्य कटा हुआ अशुभ भूखण्ड



४ .वायव्य कटा हुआ अशुभ भूखण्ड

भवन भास्कर पुस्तक में गृहों के आकार के बारें में बताया गया है कि –

गृह का आकार–

१. वास्तुशास्त्रामें चौकोर, आयताकार, भद्रासन और वृत्ताकर– इन चार घरों को श्रेष्ठ बताया गया है, यद्यपि चौकोर घर को सभी ग्रथों में उत्तम बताया गया है, तथापि ब्रह्मवैवर्तपुराण में भगवान् श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा के प्रति कहा है –

दीर्घे प्रस्थे समानच्च न कुरूर्यान्मन्दिरं बुध: ।
चतुरस्त्रे गृहे कारो गृहिणां धननाशनम् ।

बुद्धिमान् पुरूष को चाहिये कि जिसकी लम्बाई–चौड़ाई समान हो, ऐसा घर न बनाये क्योंकि चौकोर घर में वास करना गृहस्थों के धनका नाश होता है।

२. घर की परिमित लम्बाई–चौड़ाई में पृथक्–पृथक् दो का भाग देने पर यदि ,शून्य शेष न आये तो वह घर मनुष्यों के लिये शुन्यप्रद होता है। यदि शून्य शेष न आये तो वह घर शुभ होता है।

आयातकार मकान में ,चौड़ाई से दुगुनी से अधिक लम्बाई नहीं होनी चाहिये। चौड़ाई से दुगुनी या उससे अधिक लम्बाई गृहस्वामी के लिये विनाशकारक होती है । (जैसे 20X60, 20X50,15X50,15X35 आदि)

विस्ताराद् द्विगुणं गेहं गृहस्वामिविनाशनम् ।

४. चक्र समान घर में दरिद्रता आती है।

विषम बाहु घर में शोक होता हे।

शककट के समान घर में सुख और धनकी हानि होती है।

दण्डक के समान घर में, पशुओं की हानि तथा वंश का नाश होता है।तथा बन्धुनाश होता है।

पंखी के समान घर होने से धन का नाश होता है।

कछुए के समान घर में बन्धन और पीड़ा होती है।

धनुष के समान घर में चोर आदि का भय होता है। ऐसे घर में मूर्ख एवं पापी पुत्र होता है। कुम्भ के समान घर में कुष्ठ रोग होता है।

मुद्गर के समान घर में पुरूषार्थ की हानि होती है।

कुल्हाड़ी के समान घर में मूर्ख एवं पापी पुत्र उत्पन्न होते हे।

तीन कोने वाले घर में राजभय, पुत्र की हानि, दुःख वैधव्य एवं मृत्यु होती है।

पाँच कोने वाले धर में सन्तान को कष्ट होता है। यह घर विनाशकारक होता है।

छः कोने वाले घर में मृत्यु एवं क्लेश होता है।

सात कोने वाले घर अशुभ फल देने वाला होता है।

आठ कोने वाले घर में रोग तथा शोक होता है।

छाज के समान घर में धन एवं गायों का नाश होता है।

चौड़े मुख वाले घर में बन्धुओं का नाश होता है।

गृह के आकार में परिवर्तन –

१. घर के किसी अंशको आगे नहीं बढाना चाहिये। यदि बढाना हो तो सभी दिशाओं में समान रूप से बढानाचाहिये।विभिन्न दिशा में बढाने पर निम्नानुसार बतायें गये हैं।

घर को पूर्व दिशा में बढाने पर ,मित्रों से वैर होता है।

दक्षिण दिशा में बढाने पर, मृत्यु का तथा शत्रु का भय होता है।

पश्चिम दिशा में बढाने पर, धन का नाश होता है।

उत्तर दिशा में बढाने पर,मानसिक सन्ताप की वृद्धि होती है।

आग्नेय दिशा में बढाने पर, अग्नि से भय होता है।

नैर्ऋत्य दिशा में बढाने पर,शिशुओं का नाश होता है।

वायव्य दिशा में बढाने पर ,वात-व्याधि उत्पन्न होती है।

ईशान दिशा में बढाने पर, अन्न की हानि होती है।

२. यदि घर के किसी अंश को आगे बढाना अनिवार्य हो तो पूर्व या उत्तर की तरफ बढा सकते है क्योंकि इसमें थोड़ा दोष है।

स्थापत्यवेद में भवनों के आकार के संबंध में उपर बताया गए सिद्धांतों को दृष्टिगत रखकर संरचनाएँ बनाना चाहिए तथा दोष पूर्ण संरचनाओं को शास्त्रोक्त तरीके से वास्तु दोष निरूपण करना चाहिए। आजकल बहुंमंजिला भवनों व भूतल पर बन रहें भवनों में कई कोने वाला,आड़ा - तिरछा मकान, फ्लेट बने हुए की परम्परा "अधिक निर्मित क्षेत्रफल" विक्रय की दृष्टि से बनाया जा रहा है क्योंकी प्रत्येक के वास्तु स्थल का आकार ,जातक को प्रभावित करता ही है। संयुक्त परिवारों के विखण्डन के कारण सम्पत्तियों के बंटवारें में भी ,भूमी ,भवनों के आकार का ध्यान रखना चाहिए। शासकीय भवनों के नव - निर्माण व फेरबदल में उक्त सिद्धांतों का पालन कर वास्तु संबंधी आकार के दोष का निरूपण सम्भव है।

५.८ नगरादि में भवनों के मुख्य द्वार व अवरोधों का सिद्धांत :-

१-२/मा /अ-३८/व १ सं.सू./अ.३८/३

मानसार ग्रंथ के ग्राम लक्षणम् व नगर विद्यानम् अध्याय में आठों प्रकार के ग्रामों, दण्डक और सर्वतोभद्र में चारों मुख्य दिशाओं में नगर के द्वार बनाने का बताया गया है। नन्द्यावर्त में चारों दिशाओं व उपदिशाओं, पद्मक में मध्य वीथी की चारों दिशाओं में द्वार बनाने का, स्वस्तिक में चारों दिशाओं में दो दो द्वार, प्रस्तर में चारों दिशाओं में, कार्तुक में दक्षिण दिशा में एक , चतुर्मुख चारों दिशाओं में, राजधानी में भी चारों दिशाओं में द्वार बनाने के बारे में बताया गया है।

मानसार के अध्याय क्र. 38 ''द्वार स्थान विधानम्'' में बताया है कि चारों दिशाओं में चार द्वार देवताओं ब्राह्मणादि वर्णो के गृहों राजाओं, सभी प्रकार के प्राकार (Courts) मंडप में बनाना चाहिए।

यथान्तरालवेशे तु मध्ये द्वारं प्रकल्पयेत्।
भित्तिमध्ये यथाकुर्यात्तत्र दोषो न विद्यते ॥[1]

अन्तराल (Coridoor) या दीवार के मध्य में द्वार बनाने से दोष नहीं होता। महल या बड़े भवन में द्वार प्रच्छादन का ईशान में खुलना चाहिए। मुख्य भवन में प्रवेश द्वार दो पल्ले वाला दक्षिण में बनाना चाहिए। एक सीधी रेखा बीचों बीच लेकर उसके अंत में द्वार बनाएँ। देवता व मनुष्य के महाद्वार दो पल्ले युक्त व सीढ़ियों से संयुक्त होना चाहिए। मनुष्यों के गृहों में गृह की लंबाई व चौड़ाई को 9-9 भाग में विभाजित कर भवन का महाद्वार पूर्व दिशा में 'महेन्द्र पद' में या मध्य रेखा में बायीं और बनाएँ। उपद्वार, खिड़की या झरोखा, ईश, पर्जन्य, अदिति, उदिति, जयंत, मृग पद में द्वार के साथ बनाएँ। दक्षिण में 'गृहक्षत' या मध्य रेखा से बाएं महाद्वार बनवाएँ। वितथ, पूषान, अग्नि, अंतरिक्ष, मृग, सत्य में पूर्ववत् - उपद्वार बनाएँ। पश्चिम में 'पुषपदंत' पर महाद्वार बनाएँ। सुग्रीव, दौवारिक, नैऋत्य, मृग, भंङ्गराज, गन्धर्व या वायु में उपद्वार, वातायन (Ventilator)या खिड़की बनाएँ। उत्तर दिशा में 'भल्लाट' या लंबाई की मध्य रेखा के बायीं और ,प्रधान द्वार बनाएँ। मुख्य, नाग, अनिल, रोग, शेष, असुर में उपद्वार बनाएँ। ईशान आदि चार दिशाओं में सुविधापूर्वक चार द्वार बनाएँ। सभी प्रकार के पचनालय के द्वार ,सामने के मठ में या मध्य से बायीं ओर बनाएँ। 2, 4, 6, 8, 10 रोशनदान सहित उत्तर के नीचे, रसोई के धुएँ को उर्धगमन (ऊपर) हेतु स्थान बनाएँ। मध्य जालक (Lattice Door) मध्य में या मध्य रेखा से बाएं होना चाहिए। देवताओं के पचनालय में रसोई के धुएँ के लिए मार्ग नैऋत्य या वायु में बनाएँ या जातक के सभी गृह के पीछे रंग में खुले। जालक मध्य में न बनवाकर उपद्वार के स्थान पर बनवाएँ। मनुष्यों के निवास के लिए द्वार भवन की लंबाई के व भाग से 1, 4 भाग बायीं ओर तथा 5 भाग दाहिनी ओर बनवाएँ।

हर्म्यायामे मध्य सूत्रस्य वामे
कुर्याद् द्वारं भुसूराणां नृपाणाम्[1]
एवं द्वारं शेषकाणां तु कुर्यात्
कुर्याद् द्वारं हर्म्यमध्य सुराणाम् ॥[2]

ब्राह्मणों व राजाओं के लिए भवन की लंबाई के मध्य रेखा के बाई ओर द्वार बनवाए, इसी प्रकार अन्य मनुष्यों के लिए भी करें। लेकिन देवताओं के लिए मध्य में द्वार बनवाए। जलभ्रम (नाली) निम्न देश भूमि में (दीवार के नीचले हिस्से में) बनाना चाहिए। जलभ्रम या द्वार कतार में रखें। यह विवरण मानसार के 'द्वार स्थान विधानम्' में दिया गया है।

जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भवन - निवेश) के अध्याय 38 ''गृह दोष निरूपण'' में बताया गया है।

गृहस्य सम्मुखं यत्र द्वारं भवति वास्तुत:।
उत्सङ्ग इति से प्रोक्त: पूर्वबाहु: प्रदक्षिण: ॥[3]
वामैतो हीनबाहु: स्यात् प्रत्य (क्षो वा ? क्षाय) स्तु पृष्ठत:।
चतुर्थोऽयं सतुद्दिष्ट: प्रवेशों वास्तुनों बुधै: ॥[4]

जहाँ भवन का द्वार गृह के सम्मुख होता है उसको 'उत्संग' कहते हैं। प्रदक्षिण (गृह के दक्षिण भाग में) प्रवेश से 'पूर्णबाहु', बायें से 'हीनबाहु' और पीछे से प्रवेश को विद्वानों ने 'प्रत्यक्षाय' नाम दिया है। उत्संग नामक प्रवेश में कुटुम्बी से संतान हानि, धन-धान्य का नाश या उसकी निश्चित मृत्यु कही है। पूर्णबाहु वास्तु में रहने वाले स्वामी को पुत्र - पौत्र व धन - धान्य सुख प्राप्त होता है। हीनबाहु प्रवेश में गृह स्वामी अल्पमित्र, अल्पवित्त व अत्यंत बंधन वाला होता है और स्त्रियों से जित व रोग से पीड़ित होता हैं। प्रत्यक्षाय में रहने वाले मनुष्यों को निश्चित

१-२/मा /अ-३८/व १-२-३-४ सं.सू/अ.३८/२६,२७

धन लाभ होता है।

समरांङ्गण सूत्रधार (भवन – निवेश) के ही अध्याय क्रमांक 35 ''द्वार गुण दोष'' में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र गृहस्थों के घरों का वर्णन करते हुए बताया है कि भल्लाट, धनद, चरक तथा पृथ्वीधर – पदों पर महेन्द्र द्वार ब्राह्मणों के लिये उत्तम है। माहेन्द्र, अर्क (सूर्य) अथवा सत्य या आर्यक पदों पर गृहक्षत – द्वार क्षत्रियों के लिये शुभ निकेतन है। याम्य, वैवस्वत, गान्धर्व या गृहक्षत – इन पदों पर पुष्पद्वार वैश्यों के लिये शुभ बताये हैं। वारूण, पौष्पदन्त, मित्र अथवा आसुर पदों पर भल्लाट – द्वार शुद्रों के लिए शुभ है। ब्राह्मणों का वास्तु – प्राङ्मुख और घर दक्षिणाभिमुख हो तो धन – धान्य तथा पुत्र – पोत्रों में वृद्धि होती है।

क्षत्रियों का वास्तु, दक्षिणाभिमुख तथा भवन पश्चिममाभिमुख हो तो धन–धान्य व पराक्रम बढ़ता है। वैश्यों के वास्तु का द्वार पश्चिम और भवन द्वार उत्तर में हो तो वहाँ धन – धान्य, पुत्र और पशु वृद्धि होती है। शुद्रों के वास्तु उत्तर द्वार और गृह पूर्वाभिमुख हो तो उसकी कर्मवृत्ति धन – धान्य के साथ बढ़ती है।

चार शुभ तथा अशुभ निवेश्य द्वार – उत्संग, हीनबाहु, पूर्णबाहु और प्रत्यक्षाय समरांङ्गण सूत्रधार के अध्याय 38 में दिये गये है।

द्वार–वेध, गली, चबूतरे, श्रृङ्गार, वापी, कूप, कुम्भकों, कोणों, वृक्षों भवन–स्यन्दन आदि से जो दरवाजा वेध को प्राप्त होता है, वह शुभ नहीं होता। मकान के एक द्वार के भीतर दूसरे द्वार का प्रवेश नहीं करना चाहिए। और सीढ़ी और खिड़की इन दोनों की पेद्या में द्वार का प्रवेश न करें। यदि ऐसा किया जाता है तो बड़ा दोष होता है। लोगों के घर में तोरण, गोपुर द्वार, अट्ट (अटारी) हो और उन घरों मे मौलिक द्वार तथा इन सबों को श्रोत्र में प्रवेश करावें। जिस द्वार पर पहले दरवाजा बनाया गया हो उसी दीवाल पर ऊपर भी बनाना चाहिए तथा दूसरी दीवाल पर यह दरवाजा दायीं ओर बनाना चाहिए।

घर के मध्य भाग में और पद के मध्य भाग में द्वार नहीं बनाए। भवन की अटारी की छाया और पुर के देवकुल की छाया, सोम और सूर्य की रश्मियाँ गृह द्वार पर प्रवेश नहीं करना चाहिए।

'द्वार दोष' द्वार के बहुत उच्च होने पर राजा से भय, नीचा होने पर चोरों से भय, टेढ़े होने पर कुल को पीड़ा और बाहर निकल जाने पर पराभव, आत्मघात होने पर रोग, चबूतरे से वेध पर मरण, श्रङ्गारक से विद्ध होने पर पुत्रियों का वैधव्य, वाणी, कूप से विद्ध हो तो अतिसार रोग से भय, कोने से विद्ध हो तो मृत्यु भय, वृक्षों से वेध से रोग भय, खम्भे से स्वामी का मरण, भ्रम से विद्ध हो तो धन हानि से सब वेध – दोष उपस्थित होते है। इसलिए सब प्रयत्न करके द्वार – वेध नहीं होने देना चाहिए।

जिस घर के आगें और पीछे से दोनों दीवालों के दरवाजे आपस में विद्ध होते है उस वास्तु को भिन्न देह कहा जाता है।

गृहकुक्षौ कृतं द्वारं सर्वरोगभयङ्करम्।
पूर्व द्वारं तु माहेन्द्र प्रशस्तं सर्वकामद्रम्॥[1]
गृहक्षतं तु विहितं दक्षिणेन शुभावहम्।
गन्धर्व अथवा तत्र कर्तव्यं श्रेयसे (त ? स) दा॥[2]

गृह की कुक्षि में निमित्त द्वार सर्वरोग – भयंकर कहा गया है। <u>माहेन्द्र – संज्ञक,</u> सब मनोरथों को देने वाला पुर्वाभिमुख प्रशस्त कहा गया है। दक्षिण द्वार <u>गृहक्षत शुभ</u> है व <u>गन्धर्व द्वार</u> कल्याण के लिए सदा बनाना चाहिए। जयावह <u>पुष्पदंत</u> द्वार पश्चिम में व <u>भल्लाट द्वार</u> उत्तराभिमुख प्रशस्त कहे गये हैं।

एकाशीति पद वाले उस चौकोर वास्तु में जो अपदक द्वार है। यदि पूर्व से विपरित दिशा तथा दक्षिण में विपरित दिशा में हो तो सुत और पराक्रम का नाश होता है। ईशान में कृतध्न और अवश, दक्षिण मे पुत्र व बल की हानि, अपरोन्मुखों में सुत पीड़ा, अर्थनाश होता है। शिल्पज्ञ स्थपति द्वार के गुण – दोषों को जानकर कार्य करता है। वह संसार में पूजा को प्राप्त होता है।

<u>मानसार के अध्याय क्रमांक 39 ''द्वार–मान स्थान विधानम्''</u> में बताया गया है कि देवता, ब्राह्मणादि वर्ण के लिए सभी प्रकार की दीवार, गोमुर, मंडप के लिए सभी प्रकार के दरवाजे व खिड़की आदि के मान में स्तम्भ से युक्त होने पर उनका मान बाहर से होता है। 23 प्रकार के द्वार की ऊँचाई १ १/२ से प्रारंभ होकर 6–6 अंगुल बढ़ाते हुए 7 हस्त तक होती है। उपद्वार की ऊँचाई 17 प्रकार की, एक से प्रारंभ होकर 3 अंगुल बढ़ाते हुए 3 हस्त तक होती

१-२ /सं.सु/अ.३५/५९,६० व

है। वातायन की ऊँचाई 13 प्रकार की 12 अंगुल से प्रारंभ कर 3–3 अंगुल बढ़रते हुए दो हस्त तक होती है।

चौड्ड़ाई इन सभी द्वारों की उक्त द्वार ऊँचाई की आधी अथवा मुख्य द्वार चौड़ाई इन सभी द्वारों की उक्त द्वार ऊँचाई की आधी अथवा मुख्य द्वार का मान, भवन के मुख्य पाद (Colum) के अनुपात में होता है। इस द्वार की ऊँचाई उससे एक भाग कम होना चाहिए।

इसी प्रकार जाति, छंद, विकल्प व अभास मान के लिये दी गई है। जैसे – जाति के 27 प्रकार की द्वार की ऊँचाई होती है व चौड़ाई की आधी होती है। द्वार मान के बारे में लिखा है कि –

मुख्यं मुख्यं तु मानं स्यात्कुर्याद् द्वारं शुभावहम्।
हीनाधिकमानं चेत् श्रे (च्छ्रे) ष्ट कन्यसमानकम् ।।[३]

यदि द्वार का मान बहुत अधिक या बहुत कम हो तो अर्थात् सबसे छोटा द्वार सबसे बड़े भवन में या सबसे बड़ा द्वार सबसे छोटे भवन में या इन दोनों में मध्यम या बड़े व छोटे द्वार, मध्यम भवन में प्रयुक्त करने पर सभी वर्णों के लिए सम्पत्ति का विनाशक कहा गया है। शान्तिक आदि भवनों में शान्तिक आदि द्वार को प्रयुक्त करने पर वह अरोग्य, आयु, भुक्ति व मुक्तिदायक होता है। प्रत्येक द्वार की संधि (Joint) के मूल व अग्र पर दो छिद्र बनाएँ। द्वार की पट्टिकाऐं व कम पट्ट, कम्प, कवाट आदि के बारे में विवरण दिया गया है। इन द्वारों को आभूषणों, पत्र, वल्य, तोरण, छत्र, चामर (आदि) से भूषित करना चाहिए। द्वार लकड़ी या पत्थर के बनाने चाहिए। दाहिना कवाट अधिक चौड़ा तथा बायां कवाट 1, 2 या 3 अंगुल कम होना चाहिए। द्वार बनाने में उसकी संधि, भाजन (Socket) कील, शूल आदि का विवरण भी सूक्ष्मता से दिया गया है। द्वार की ऊँचाई को 8 बराबर भागों में विभाजित करें। मसूरक एक भाग, उससे दुगनी पाद की ऊँचाई, उससे आधा प्रस्तर की ऊँचाई, उसी के बराबर ग्रीवा शिखा की ऊँचाई दो भाग, उससे आधी स्तूपि (Dome) की ऊॅचाई तथा शीर्ष शाला के आकार का या नासिका के आकार का भित्ति (Wall) के साथ होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त चार वर्ग का वर्णन ,शिखा शीर्ष आदि के भाग सहित दिये गये है। इन बताए नियमों के विपरीत करने पर. सम्पत्ति विनाशक कहा गया है।

जबकि समरांङ्गण सूत्रधार (भवन – निवेश) के अध्याय क्र. 32 'गृह द्रव्य प्रमाण' में द्वार मान व स्थान के बारे में बताया है कि –

द्वारस्य गृहविस्तारै र्हस्तुल्यङ्गलैर्भवेत्।
उच्छ्राय: सप्तभिर्युक्तै र्विस्तृतिस्तु तदर्धत: ।।[१]
प्रकल्पयेद् गृहद्वारं क्रमेणैव कनीयसा (म्)।
त्रैराशिकेन मध्यानां द्वादशाशं परित्यजैत् ।।[२]

गृह द्वार दरवाजे की ऊँचाई गृह–विस्तार के हस्त तुल्य अंगुलों में सात जोड़ने से होती है और उसका विस्तार उसके आधे परिणाम से विहित है। यदि घर का विस्तार 24 हाथ है तो दरवाजे की ऊँचाई 24+7 अंगुल होगी। छोटे भवनों का गृह–द्वार इसी क्रम से प्रकल्पन करे और मध्यों का त्रैराशिक से बारहवाँ अंश छोड़कर करनी चाहिए। उत्तमों (गृह) की ऊँचाई आठवें अंश से वर्जित कही गई है। बहुत छोटों का विस्तार अंगुलों से युक्त करना चाहिए। 64 अंगुल की गृह द्वार की ऊँचाई और उसका आधा विस्तार विहित है। विस्तार के हस्तों के तुल्य 60 अथवा 50 से संयुक्त ऊँचाई होती है और उसके आधे से विस्तार कहा है। दूसरी विधि तीन अंश से हीनगृह की ऊँचाई से दरवाजे की ऊँचाई और उसके आधे से विस्तार कहा गया है।

इस प्रकार दोनों की ग्रंथों में 'द्वार–स्थान' संबंधी विवरण दिया गया है।

जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भवन – निवेश) अध्याय क्रमांक 38 ''गृह दोष निरूपण'' में –

बताया गया है कि –

मध्ये द्वारं न कर्त्तव्य मनुजानां कथञ्चन।

मध्ये द्वारे कृते तत्र कुलनाश: प्रजायते ।।[३]

द्वारं द्वारेण वा विद्धमशुभायोपपद्यते।

अनिष्ट द्रव्य संयुक्त मन्यं धनधान्य विनाशनम् ।।[४]

३/मा/अ.३९/२२ व १-२./संसू/अ.३८/५८,५९/३.४.५.६.

तथा उत्तराभिमुख द्वारा शुभ माना जाता है परन्तु जिस प्रकार से दीवार बना लेना ही काफी नहीं होता बल्कि वह दीवार चयन विधि के अनुसार शास्त्रोक्त ढंग से बनी होनी चाहिये, उसी प्रकार ही भवन के द्वार की शरीर के मुखाकृति से तुलना की गई है। अत: द्वार सुन्दर सुविधाजनक होने के साथ ही साथ नियमानुसार बनाना चाहिये।

सामान्य रूप से यह समझा जाता है कि पश्चिम तथा दक्षिण मुखी द्वार अशुभ होता है ,परन्तु ऐसा नहीं है। द्वार दक्षिण एवं पश्चिम में भी हो सकता है परन्तु उसके लिये उपयुक्त स्थान का चयन करना आवश्यक होता है साथ ही साथ व्यक्ति विशेष, वर्ण, व्यवसाय विशेष या फिर प्रयोजन विशेष के सापेक्ष में भी यह निर्णय किया जाता है कि द्वारा कहाँ बनाना चाहिये।

द्वार सम्बन्धी गुण दोषों, उनके प्रभाव एवं द्वारा से सम्बन्धित अन्य जानकारियाँ इस प्रकार से है –

१. जब किसी बड़े भूखंड पर भल्लाट, चरक पद पर गृह निर्माण हुआ हो वहाँ पर यदि ब्राहाम्ण का घर हो तो इन्द्र नामक पद पर द्वार का निर्माण करना चाहिये।

२. इस प्रकार से यदि किसी भूखंड के इन्द्र, रवि या सत्य या अर्यमा पद पर क्षत्रिय का घर बना हो तो उसमें द्वार गृहक्षत नामक पद पर दक्षिण मुखी बनानी चाहिये।

३. यदि किसी भूखंड के यम, विवस्वान या गन्धर्व या फिर गृहक्षत नामक पद पर वैश्य का भवन बना हो तो द्वार पुष्पदन्त नामक पद पर बनाना चाहिये।

४. यदि किसी भूखण्ड में भवन वरूण, पुष्पदन्त या मित्र अथवा असुर पदों पर बना हुआ हो, शूद्र के गृह का द्वार भल्लाट पद पर बनाना चाहिये।

यह निर्णय किसी बहुत बड़े प्लाट या फिर वास्तु के अनुकूल बनी कालोनियों में हो सकता है।

<u>चार प्रकार के प्रवेश द्वार –</u>

१. *जिस गृह में एक ही दिशा में प्रवेश द्वार और घर का द्वार होता है वह द्वार सुख, सौभाग्य, समृद्धि, जय तथा सन्तान वृद्धि देने वाला शुभ होता है।*

२. जिस घर में प्रवेश करने के वक्त प्रवेश द्वार से बाँये ओर जाकर गृह का प्रवेश द्वार होता है उसे शुभ नहीं कहते है ,उसमें रहने वाला व्यक्ति अल्प धन वाला, स्त्रीजित, अल्प मित्र तथा बाँधव वाला होता है तथा विविध व्याधियों से पीड़ित होता रहता है। अत: प्रवेश द्वार से बाँयी ओर मुड़कर घर का द्वार नहीं बनवाना चाहिये।

३. इसी प्रकार से मुख्य द्वार से घर के प्रवेश द्वार की ओर जब दाहिनी ओर मुड़कर जाते है तो उसे शास्त्र में अत्यन्त शुभ कहा है अर्थात् वास्तु में प्रवेश करने से यदि घर दायीं ओर होता है तो उस घर में रहने वाला पुत्र, पोत्र, धान्य और सुख से पूर्ण होता है।

४. जब घर के पीछे की ओर प्रवेश द्वार होता है तो उसे प्रत्यक्षाय नाम द्वार कहा है इस घर में रहना अशुभ होता है अर्थात् घर के पीछे से द्वार नहीं बनवाना चाहिये।

यह द्वार बनाने के तरीके है जिनमें दिशा के अनुसार वर्णन नहीं हे परन्तु ये द्वार भी बनाते समय दिशा का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिये।

वर्णानुसार दिशाओं में द्वार–

इसमें प्लाट और गृह के द्वार की अलग–अलग– दिशा के साथ–साथ किस वर्ण का प्लाट का मुख और द्वार का मुख किस दिशा में शुभ होता है वह वर्णन है – यह वर्ण व्यक्ति की प्रवृत्ति, प्रकृति, व्यवससाय के अलावा जन्म राशि के अनुसार भी निर्धारित किया जाता है। जो इस प्रकार है –

ब्राहाम्ण राशियाँ – कर्क, वृश्चिक, मीन
क्षत्रिय राशियाँ – मेष, सिंह, धनु
वैश्य राशियाँ – वृष, मकर, कन्या
शूद्र राशियाँ – मिथुन, तुला, कुंभ

ब्राहाम्ण :– ब्राहाम्णों का भूखण्ड यदि पूर्वाभिमुख तथा घर दक्षिणाभिमुख हो तो धन–धान्य,पुत्र पौत्र, सबकी वृद्धि होती हे। यह ऊपर वर्णित चार प्रकार के प्रवेश में से दाहिनी और मुड़ने वाला शुभ प्रवेश होगा।

क्षत्रिय :–क्षत्रियों का भूखण्ड यदि दक्षिणाभिमुख हो और प्रवेश पशिचमाभिमुख हो तो उनका धन, धान्य के साथ–साथ पराक्रम भी बढता है।

वैश्य :–

वैश्यों के भूखण्ड का द्वार पश्चिममुखी तथा घर का द्वार उत्तरमुखी हो तो हर तरह से शुभ होता है

शूद्र –

शूद्र वर्ण वालों का भूखण्ड का द्वार यदि उत्तरमुखी तथा घर का द्वार पूर्वाभिमुख हो तो उसकी कर्म वृत्ति, धन–धान्य सब बढाता है।

ये चारों द्वार दाहिनी ओर मुड़ कर प्रवेश कराते है अत: दिशानुसार तथा वर्णानुसार अपने अपने वर्ण के लिये शुभ होते है।

द्वार सम्बन्धी यह निर्णय इसलिये बताना आवश्यक था क्योंकि सामान्य नियम केअनुसार यदि किसी का दक्षिण या पश्चिम में द्वार होता है तो वह यह सोचकर चिन्तित रहता है कि उसका द्वार गलत दिशा में है। परन्तु ऐस न करके यदि किसी योग्य वास्स्तुशास्त्री से इसका निर्णय कर लें कि, वह द्वार उसके लिये उपयुक्त है या नहीं तो ज्यादा उचित होगा क्योंकि उपर्युक्त सारे तरीकों के अतिरिक्त भी अन्य अनेक प्रकार से द्वार का निर्णय किया जाता है जैसे– राशि, ग्रह, नक्षत्र, मास, व्यक्ति का व्यवसाय और अन्य अनेक तथ्य है जिनको ध्यान में रखकर एक व्यक्ति के गृह का द्वार निर्धारित होता है अत: इन समस्त तथ्यों में से अधिक से अधिक यदि आपके अनुकूल होंगे वह आपकों ज्यादा से ज्यादा फल देंगे। अत: द्वार का निर्णय किसी भ्रम में न पड़ कर योग्य वास्तुशास्त्री से मार्गदर्शन लेकर ही करना चाहिये।

द्वार हर दिशा में शुभ हो सकता है –

यद्यपि यह देखकर आश्चर्य हो सकता है परन्तु यह सत्य हे कि, हर दिशा में द्वार शुभ हो सकता है किन्तु आवश्यकता है उसके स्थान विशेष में निर्माण कराने की।

पूर्व द्वारं तु माहेन्द्रं प्रशस्तं सर्वकामदम्।
गृहक्षतं तु विहितं दक्षिणेन शुभावहम्॥
गान्धर्वमथवा तत्र कर्तव्यं श्रेयसे (त ?स) दा।
पश्चिमेन प्रशस्तं स्यात् पुषपदन्तं जयावहम्।
भल्लाटमुत्तरे द्वारं प्रशस्तं स्याद् गृहेशितु:॥

वैदिक वास्त विद्या एवं रीग कारक वास्तु पुस्तक के पृ–६५ पर दिये उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट है कि द्वार हर दिशा में बनाया जा सकता है परन्तु पद विशेष में।

पूर्व का द्वार इन्द्र नामक वास्तु पुरूष के पद स्थान पर बनाने से वह सब मनोरथों को देने वाला होता है। यह प्रशस्त कहा गया है।

दक्षिण का द्वार वास्तु पुरूष के गृहक्षत नामक पद स्थान पर बनाने से शुभ होता है।

पश्चिम का द्वार वास्तु पुरूष के पुष्पदन्त नामक पद स्थान पर बनाने से वह प्रशस्त होता है तथा शुभ होता है।

उत्तर का द्वार वास्तु पुरूष के भल्लाट नामक पद स्थान पर बनाने में शुभ कहा गया है।

इन सब के अतिरिक्त भी व्यक्ति विशेष के लिये द्वार निर्णय के अनेकों प्रकार वास्तुशास्त्र में हैं अत: केवल यह मान कर ही पूर्व व उत्तर का ही द्वार शुभ होता है। वास्तु की महत्ता को कम नहीं किया जा सकता। अत: द्वार निर्णय विभिन्न प्रकारों को देख कर ही किया जाना चाहिये।

द्वार सम्बन्धी कुछ प्रमुख दोष एवं वेध –

द्वार से सम्बन्धित कुछ प्रमुख दोष ऐसे है जिन्में बिना तोड़फोड़ किये व्यक्ति अपने गृह से दूर कर सकता है इन छोटी–छोटी बातों को घर बनवाते समय ध्यान में रखना चाहिये। साथ–साथ ही गृह निर्माण के बाद भी इन वेधों को हाटाया जा सकता है। द्वार सम्बन्धी कुछ साधारण दोष जो जीवन पर अपना बुरा प्रभाव दिखाते है जो इस प्रकार है–

१. द्वार का किसी प्रकार से जलाशय, बाँबी, कुँये आदि से वेध नही होना चाहिये। वेध से तात्पर्य होता है कि कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के सामने या उपर न हो या दबी न हो। अत: द्वार के ठीक सामने यदि कुआँ आदि होता है तो उसे वेध कहते हैं वह अशुभ है।

२. द्वार के भीतर, द्वार नहीं बनवाना चाहिये अर्थात जैसे एक बड़े दरवाजे में छोटा दरवाजा भी गृहस्थ के घर में शुभ नहीं कहा है। यह किले आदि में बनाया जा सकता है।

३. घर के आगे और पीछे का द्वार कभी एक सीध में नहीं होना चाहिये अर्थात ओगे के द्वार की दृष्टि पीछे के द्वार पर नहीं पड़नी चाहिये। ऐसे में वहाँ पर किसी भी वस्तु की वृद्धि नहीं होती है।

४. गृह की कुक्षि(नाभि) में द्वार कभी नहीं बनवाना चाहिये। यह द्वार सर्वरोग-भयंकर कहा गया है।

५. द्वार के सामने वृक्ष होने से बच्चों के लिये अशुभ होता है।

६. द्वार के सम्मुख स्तम्भ (खम्भा) नहीं होना चाहिये। इससे स्त्रियों का दूषण होता हे।

७. गृह के द्वार के ठीक सामने किसी दूसरे के घर का कोई कोण नहीं आना चाहिए।

८. मुख्य द्वार यदि किसी दूसरे घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने होता है तो वह क्षय करता है।

९. द्वार टेढा नहीं बनाया जाना चाहिये उससे कुल का विनाश होता है।

१०. द्वार किसी भी दिशा में झुका नहीं होना चाहिये।

११. गृह के द्वार के सामने यदि किसी प्रकार की ध्वजा लगह हो तो द्रव्य का नाश होता है

१२.घर के द्वार के सामने कीचड़ होने से शोक होता है।

१३. द्वार के सामने शिला होना अशुभ होता है।

१४. गृह के द्वार के सामने देवमन्दिर होने से विनाश होता है।

१५. घर का द्वार मध्य भाग में कभी नहीं बनाना चाहिये अर्थात किसी भी दिशा के केन्द्र में।

क्योंकि-देवागारे विहारे च पूजायां मण्डपेषु च।
प्रतोल्यायां मखं चैव मध्ये द्वारं निवेशयेत् ॥

देवगृह विहार(जनसमूह निवास), पूजन गृह, मण्डप प्रतोली तथा यज्ञ भवन का द्वार मध्य भाग में होना चाहिये।

गृह मध्ये कृतं द्वारं द्रव्य धान्यविनाशतम्।

गृह के मध्य द्वार बनाने से द्रव्य, धान्य का विनाश होता है।

१६. द्वार की चौड़ाई से दुगनी द्वार की लम्बाई बनवानी चाहिये।

१७. गृह का द्वार यदि प्रतिमा (देवता) से विद्ध होता है तो स्वामी का विनाश होता है।

१८. द्वार का कपाट यदि स्वयं खुल जाय तो चित्त में उन्माद होता है।

१९. यदि कपाट स्वत: बन्द हो जाय तो कुल विनाशक होता है।

२०. भीतर की ओर झुका द्वार मृत्यु का कारण होता है।

२१. बाहर की ओर झुका द्वार प्रवास कराता है।

२२. दिग्भ्रमित द्वार होने पर दस्युओं से पीड़ा होती है -
वाध्यविनते प्रवासो दिग्भ्रान्ते पीड़ा ॥

२३. द्वार यदि उचित प्रमाण (लम्बाई -चौड़ाई) से अधिक होता है तो राजभय होता है।

२४. द्वार यदि उचित प्रमाण से कम होता है तो चोरों से भय होता है तथा दु:ख होता है।

द्वार को वास्तुशास्त्र में अत्यन्त महत्व दिया गया है। अत: द्वार निर्माण में काफी सतर्कता रखनी चाहिये। यद्यपि किसी योग्य वास्तु शास्त्री की इसमें आवश्यकता होती है परन्तु कभी-कभी अज्ञानतावश हमारे पास कोई चीज होते हुये भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। कुछ बातें तो उपर्युक्त नियमों में ऐसी हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अभी से लागू कर सकते है जैसे-

यदि आपके घर में कई दरवाजे हैं तो अपने अनुकूल शुभ द्वार को खोलकर अन्य को बन्द कर दें।

यदि द्वार के समक्ष किसी वेध, स्तम्भ, शिला, प्रतिमा आदि हो तो उसे हटाने की कोशिश करे।

यदि आपने अपने मुख्य द्वार में छोटा दरवाजा बनवाया हौ तो उसे तुरन्त बन्द करके मुख्य द्वार ही इस्तेमाल करें।

यदि आपके घर में चारों दिशा में दरवाजे हैं तो उन्हें बन्द कर अपने अनुकूल एक प्रवेश द्वार कर लें।

उपरोक्त कुछ ऐसे बिन्दु है जिन पर आप तत्काल क्रियान्वयन कर सकते हैं यदि आपकों पूर्णत: फल चाहिये तो निश्चय ही योग्य वास्तुशास्त्री की सलाह लेनी चाहिये क्योंकि द्वार निर्माण से भी जीवन में काफी प्रभाव पड़ता है।

मुख्य द्वार सौन्दर्यपूर्ण होना चाहिये –

मुख्य द्वार के सम्बन्ध में यह भी कहा कया है कि उसे नाना प्रकार के भूषणों आदि से अलंकृत करना चाहिये क्योकि यही वह मार्ग है जहाँ से लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हे –

मूल द्वारं नान्यैर्द्धरिरभिसन्दधीत रूपर्द्धर्या।
घट–फल–पत्र प्रमथादिभिश्च तनमग्डलैधिनुपात ॥

उपर्युक्त श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि मुख्य (प्रधान) द्वार की सौन्दर्य रचना के बराबर और सब द्वारों की रूप सौन्दर्य–समृद्धि की रचना आवश्यक नहीं होती हे। प्रधान द्वार पर मंगलमय कलश, नारियल (श्रीफल), लतर, प्रहरी, हंस या घोड़े आदि से सम्बन्धित वाहन, कन्या, नन्दीगण आदि की मूर्ति, चित्र आदि रूपों में प्रयोज्य किया जाना चाहिये।ये सभी वास्तु के अनुरूप मांगलिक चिन्ह है।

द्वार बनाने हेतु अनुपयुक्त लकड़ी –

१. जिस वृक्ष पर अनेक पक्षियों के घोसले हो उसकी लकड़ी का घर के द्वार में उपयोग नहीं करना चाहिये।
२. जो वृक्ष श्मशान में लगा हो उसे भी द्वार बनाने में प्रयोग नहीं करना चाहिये।
३. दूध वाले वृक्षों का उपयोग गृह के द्वार बनाने में नहीं करना चाहिये।
४. पीपल, नीम, अरणि, हर्रा, बहेरा आदि वृक्षों का भी द्वार बनाने में उपयोग नहीं करना चाहिये।
५. जो वृक्ष अपने आप टूट कर गिर जाय या अग्नि से जला एवं सूखा हो उसे भी द्वार बनाने में उपयोग नहीं करना चाहिये।
६. पुराने गृह में लगी लकड़ी का नये गृह में उपयोग शास्त्रों में निषेध बताया है।
७. पुराने घर में नयी लकड़ी का उपयोग करना शुभ होता है।

काष्ठ सम्बन्धी इन बातों का भी गृह के द्वार निर्माण में अवश्य ध्यान रखना चाहिये।

भवन भास्कर पुस्तक में बनाया गया है कि ,वास्तुचक्र की चारों दिशाओं में –

मुख्य द्वार:–

१. वास्तुचक्र की चारों दिशाओं कुल बत्तीस देवता स्थित हैं। किस देवता के स्थान में मुख्य द्वार बनाने से क्या शुभाशुभ फल होता है, जो

पूर्व दिशा में –

१. शिरी– इस स्थानपर द्वारा बनाने से दुःख हानि और अग्नि से भय होता है।
२. पर्जन्य–इस स्थान पर द्वार बनाने से परिवार में कन्याओं की वृद्धि, निर्धनता तथा शोक होता है।
३. जयन्त–इस स्थान पर द्वार बनाने से धनकी प्राप्ति होती है।
४. इन्द्र – इस स्थान पर द्वार बनाने से राज–सम्मान प्राप्त होता है।
५. सूर्य – इस स्थान पर द्वार बनाने से धन प्राप्त होता है।
(मतान्तर से इस स्थान पर द्वार बनाने से क्रोध की अधिकता होती है।)
६. सत्य – इस स्थान पर द्वार बनाने से चोरी, कन्याओं का जन्म तथा असत्यभाषण की अधिकता होती है।
७. भृश इस स्थान पर द्वार बनाने से चोरीका भय तथा हानि होती हे।
८. अन्तरिक्ष– इस स्थान पर द्वार बनाने से क्रूरता, आति क्रोध तथा अपुत्रता होती है।

<u>दक्षिण दिशा में –</u>

९. अनिल– इस स्थान पर द्वार बनाने से सन्तान की कमी तथा मृत्यु होती है।
१०. पूषा– इस स्थान पर द्वार बनाने से दासतव तथा बन्धन की प्राप्ति होती है।
११. वितथ– इस स्थान पर द्वार बनाने से नीचता तथा भय की प्राप्ति होती है।
१२. बृहत्क्षत– इस स्थान पर द्वार बनाने से धन तथा पुत्र की प्राप्ति होती है।
१३. यम– इस स्थान पर द्वार बनाने से धन की वृद्धि होती है।
(मतान्तर से इस स्थान पंर द्वार बनाने से निर्भयता भंयकर होती है।)
१४. गन्धर्व– इस स्थान पर द्वार बनाने से निर्भयता तथा यश की प्राप्ति होती है।

(मतान्तर से इस स्थान पर द्वार बनाने से कृतघ्नता होती है।)

१५. भृंगराज– इस स्थान पर द्वार बनाने से निर्धनता, चोरभय तथा व्याधिभय प्राप्त होता है।

१६. मृग– इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र के बलका नाश, निर्बलता तथा रोगभय होता है।

१७. पिता– इस स्थान पर द्वारा बनाने से पुत्रहानि, निर्धनता तथा शत्रुओं की वृद्धि होती है।

१८. दौवारिक– इस स्थान पर द्वार बनाने से स्त्री दुःख तथा शत्रु वृद्धि होती है।

१९. सुग्रीव– इस स्थान पर द्वार बनाने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है।

२०. पुष्पदन्त– इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र तथा धन की प्राप्ति होती है।

२१. वरूण– इस स्थान पर द्वार बनाने से धन तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

२२. असुर– इस स्थान पर द्वार बनाने से राजभय तथा दुर्भाग्य प्राप्त होता है।
(मतान्तर से इस स्थान पर द्वार बनाने से धन लाभ होता है।)

२३. शोष– इस स्थान पर द्वार बनाने से धन का नाश एवं दुःखों की प्राप्ति होती हे।

२४. पापयक्ष्मा– इस स्थान पर द्वार बनाने से रोग तथा शोक की प्राप्ति होती हे।

उत्तर दिशा में –

२५. रोग– इस स्थान पर द्वार बनाने से मृत्यु, बन्धन, स्त्रीहानि शत्रुवृद्धि तथा निर्धनता होती है।

२६. नाग– इस स्थान पर द्वार बनाने से शत्रुवृद्धि, निर्बलता दुःख तथा स्त्रीदोष होता है।

२७. मुख्य– इस स्थान पर द्वार बनाने से हानि होती है।
(मतान्तर से इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र–धन–लाभ होता है।)

२८. भल्लाट– इस स्थान पर द्वार बनाने से धन–धान्य तथा सम्पत्ति की प्राप्ति होती है।

२९. सोम– इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र, धन तथा सुख की प्राप्ति होती है।

३०. भुजग– इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्रों से शत्रुता तथा दुःखों की प्राप्ति होती है।
(मतान्तर से इस स्थान पर द्वार बनाने से सुख–सम्पत्ति की वृद्धि होती है।)

३१. अदिति– इस स्थान पर द्वार बनाने से स्त्रियों में दोष, शत्रुओं से बाधा तथा भय एवं शोक की प्राप्ति होती है।

३२. दिति– इस स्थान पर द्वारा बनाने से निर्धनता, रोग, दुःख तथा विघ्न–बाधा होती है।

भवन भास्कर पुस्तक के अनुसार मानचित्र क्र. २४ द. में मुख्य द्वार के स्थान बताये गये हैं।

मुख्य द्वार का स्थानः–मुख्य द्वार की ठीक स्थिति जानने की अन्य विधियाँ इस प्रकार है –

(क) जिस दिशा में द्वार बनाना हो, उस ओर मकान की लम्बाई को बराबर नौ भागों में बाँटकर पाँच भाग दायें और तीन भाग बायें छोड़कर शेष (बायीं ओर से चौथे) भाग द्वार बनाना चाहिये।

दायाँ और बायाँ भाग उसको मानना चाहिये, जो घर से बाहर निकलते समय हो।

(ख) शुक्र नीति में आया है किं मकान की लम्बाई के आठ भाग करके बीच के दो भागों में द्वार बनाना चाहिये। ऐसा द्वार धन तथा पुत्र देने वाला होता है (शुक्र नीति १।२३१)।

(ग) घर की लम्बाई के नौ भाग करके पूर्व दिशा में घर की बायीं ओर से तीसरे भाग में, दक्षिण दिशा में छठे भाग में, पश्चिम दिशा में पाँचवें भाग में और उत्तर दिशा में पाँचवे भाग में द्वार बनाना चाहिये। (मुहूर्त्तमार्त्तण्ड६।१७)।

(घ) उत्संग द्वार– यदि बाहरी और भीतरी द्वार एक ही दिशा में हों अर्थात् घर का द्वार बाहरी प्रवेश द्वार के सम्मुख हो तो उसे उत्संग द्वार कहते है। **उत्संग द्वार से सौभाग्य की वृद्धि सन्तान की वृद्धि, विजय तथा धन–धान्य की प्राप्ति होती है।**

सव्य द्वार– यदि बाहरी द्वार से प्रवेश करने के बाद भीतरी (दूसरा)द्वार दायीं तरफ पड़े तो उसे सव्य द्वार कहते है। सव्य द्वार से सुख, धन–धान्य तथा पुत्र–पौत्र की वृद्धि होती है।

अपसव्य द्वार– यदि बाहरी द्वार से प्रवेश करने के बाद भीतरी द्वार बायीं तरफ पड़े तो उसे अपसव्य द्वार

कहते हैं। अपसव्य द्वार से धनकी कमी, बन्धु–बान्धवों की कमी, स्त्री की दासता तथा अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है।

वास्तुशास्त्र की दृष्टि से अपसव्य(वामावर्त) सदा विनाशकारक और सव्य (दक्षिणावर्त या प्रदक्षिण–क्रम) सदा कल्याणकारक होता है –

विनाशहेतु: कथितोऽपसव्य: सव्य: प्रशस्तो भवनेऽखिलेऽसौ ॥(वास्तु राज. १।३१)

सव्यवर्त: प्रशस्यते, अपसव्यो विनाशाय (मत्स्यपुराण २५६।३–४)

पृष्टभंग द्वार– यदि भीतरी द्वार, बाहरी द्वार से विपरीत दिशा में हो अर्थात् घर के पीछे से प्रवेश हो तो उसे पृष्टभंग द्वार कहतें है। इसका वही अशुभ फल होता है, जो अपसव्य द्वार का होता है।

(३) मुख्य द्वार की चौखट पचंमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को लगानी चाहिये। पृतिपदा को लगाने से दु:ख की प्राप्ति, द्वितिया को लगाने से धन, पशु व पुत्र का विनाश, तृतीया को लगाने से रोग, चतुर्थी को लगाने से कुलनाश, सप्तमी और नवमी को लगाने से को लगाने से शुभ फल की प्राप्ति, दशमी को लगाने से धन नाश और पूर्णिमा व अमावस्या को लगाने से बैर उत्पन्न होता है।

(४) कुम्भ राशि का सूर्य रहने फाल्गुनमास में घर बनाये, कर्क व सिंह राशि का सूर्य रहते श्रावणमास में घर बनाये और मकर राशि का सूर्य रहते पौष मास में घर बनाये – ऐसे समय पूर्व या पश्चिम में द्वार शुभ होता है।

मेष व वृष राशि का सूर्य रहते वैशाख मास में घर बनाये, और तुला व वृश्चिक राशि का सूर्य रहते मार्गशीर्ष मास में घर बनाये– ऐसे समय उत्तर या दक्षिण में द्वार शुभ होता है। उपर्युक्त विधि के अनुसार न करने से रोग, शोक और धननाश होता है।

(५) पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर्यन्त पूर्व में द्वार नहीं बनाना चाहिये। कृष्ण पक्ष की नवमी से चतुद्दशीपर्यन्त उत्तर में द्वार नहीं बनाना चाहिये। अमावस्या से शुक्लपक्ष की अष्टमीपर्यन्त पश्चिम में द्वार नहीं बनाना चाहिये। शुक्लपक्ष की नवमी से शुक्लपक्ष की चतुर्दशीपर्यन्त दक्षिण में द्वार नहीं बनाना चाहिये।

तात्पर्य है कि कृष्ण ९ से शुक्ल १४ पर्यन्त पूर्व में द्वार बनाये, अमावस्या से कृष्ण ८ पर्यन्त दक्षिण में द्वार बनाये, शुक्ल ९ से कृष्ण १४ पर्यन्त पश्चिम में द्वार बनाये, और पूर्णिमा शुक्ल ८ पर्यन्त उत्तर में द्वार बनाये।

(६) भाद्र पद आदि तीन–तीन मासों में क्रमश: पूर्व आदि दिशाओं की और मस्तक करके बायी करवट से सोया हुआ महासर्प स्वरूप ,चर नामक पुरूष प्रदक्षिण–क्रम से विचरण करता रहता है । जिस समय जिस दिशा में उस पुरूष का मस्तक हो, उस समयउसी दिशा में घर का दरवाजा बनाना चाहिये । मुख से विपरीत समय उसी दिशा में घर का दरवाजा बनाने से दु:ख, रोग, शोक तथा भय होता है चाहिये । यदि घर की चारों दिशाओं में दरवाजा हो तो, यह दोष नहीं लगता ।

(७) ब्राहाम्ण राशि (कर्क, वृश्चिक, मीन)– वालों केलिये पूर्व में द्वार बनाना उत्तम है । क्षतित्रय राशि (मेष, सिंह, धनु)– वालों के लिये उत्तर में द्वार बनाना उत्तम है । वैश्य राशि (वृष, कन्या, मकर)– वालों के लिये दक्षिण में द्वार बनाना उत्तम है शुद्र राशि(मिथुन, तुला, कुंभ)– वालों के लिये पश्चिम में द्वार बनाना उत्तम है ।

(८) सामान्य रूप से पूर्वादि दिशाओं में स्थापित मुख्य द्वार का फल इस प्रकार है–

पूर्व में स्थित द्वार *विजयद्वार* कहलाता है जो सर्वत्र विजय करने वाला, सुखदायक एवं शुभ फल देनेवाला है । दक्षिण स्थित द्वार *यमद्वार* कहलाता है जो संघर्ष करने वाला तथा विशेषरूप से स्त्रियों के लिये दु:खदायी है। पश्चिम में स्थित द्वार *मकरद्वार* कहलाता है, जो आलस्यप्रद तथा विशेष प्रयत्न करने पर सिद्धी देनेवाला है ।उत्तर में स्थित द्वार *कुबेरद्वार* कहलाता है , जो सुख–समृद्धि देनेवाला तथा शुभ फल देने वाला है ।

(९) मुख्य द्वार का अन्य द्वारों से निकृष्ट होना बहुत बड़ा दोष है। मुख्य द्वार की अपेक्षा अन्य द्वारों का बड़ा होना अशुभ है।

(१०) द्वार की चौड़ाई से दुगुनी द्वार की ऊँचाई होनी चाहिये।

(११) *त्रिकोण* द्वार होने से स्त्री को पीड़ा होती है। *शकटाकार* द्वार होने से गृहस्वामी को भय होता है। *धनुषाकार* द्वार होने से कलह होती है। *मृदङ्गाकार* द्वार होने से धन का नाश होता है। *वृत्ताकार(गोल)*द्वार होने से कन्या–जन्म होता है।

(१२) यदि द्वार घर के भीतर झुका हो तो गृहस्वामी की मृत्यु होती है। यदि द्वार घर के बाहर झुका हो तो

गृहस्वामी का विदेश वास होता है। यदि द्वार उपर के भाग में आगे झुका हो तो वह सन्ताननाशक होता है। द्वार (किवाड़) – में छिद्र होने से क्षय होता है।

द्वार के टेढे होने पर कुल को पीड़ा, बाहर निकल जाने पर पराभव, आध्मात(फूला हुआ) होने पर अत्यन्त दरिद्रता और मध्यभाग में कृश होने पर रोग होता है।

द्वार फूले हुए होने पर क्षुधा का भय तथा टेढे होने पर कुलनाश होता है। टूटा हुआ द्वार पीड़ा करने वाला, झुका हुआ द्वार क्षय करने वाला, बाहर झुका हुआ द्वार प्रवासकारक और दिग्भ्रान्त द्वार डाकुओं से भय देनेवाला होता है।

निम्न द्वार से गृहस्वामी स्त्रीजित् होता है। उन्नत द्वार से दुर्जन की स्थिति होती है। सम्मुख द्वार से सुत पीड़ा होती है। पृष्ठभिमुख द्वार से स्त्रियों की चपलता होती है। वामावर्त द्वार से धननाश होता है। अग्रतर द्वार से प्रभुता का नाश होता है।

(१३) द्वार अपने–आप खुलना या बन्द होना भयदायक है। द्वार के अपने–आप खुलने से उन्माद (पागलपन) होता है और अपने–आप बन्द होने से कुल का विनाश होता है।

अपने –आप खुलने वाला द्वारा उच्चाटनकारी होता है। वह धनक्षय बन्धुओं से वैर या कलह करने वाला होता है। बड़ा दुःखदायी होता है। आवाज के साथ बन्द होने वाला द्वार भयकारक और गर्भपात करने वाला होता है।

(१४) दूसरे घर के पिछले भाग पर स्थित द्वार वाला घर दोनों गृहस्वामीयों में परस्पर विरोध उत्पन्न करता है।

(१५) मुख्य द्वार ईशान में होने से धन की प्राप्ति होती है, पर सन्तान के लिये यह शुभ नहीं है। पिता–पुत्र में तनाव, खटपट भी रहती है।

(१६)अधिकतर दक्षिण दिशा वाले मकान ही बेचे जाते है।

(१७) वायव्य दिशावाले मकान में गृहस्वामी बहुत कम रह पाता है।

गृह के विविध उपकरणों के बारे में गताया है कि,

दरवाजे –।

१. घर के द्वार परिणाम से अधिक ऊँचे होने पर राजभय तथा रोग होता है, और अधिक नीचे होन पर चोरभय, दुःख तथा धन की हानि होती है।द्वार के ऊपर द्वार यमराज का मुख कहलाता है।

२. एक दरवाजे के ऊपर यदि दूसरा दरवाजा बनाना हो तो, नीचे के दरवाजे की अपेक्षा छोटा बनाना चाहिये।

३. नीचे के द्वार से ऊपर का द्वार द्वादशांश छोटा होना चाहिये। नीचे महल से उपर के महल की उचाई द्वादशांक कम होनी चाहिये।

४. जिस घर के आगे और पीछे की दोनों दीवारों के दरवाजे आपस में विद्ध होते है, वह गृहस्वामी के लिये अशुभ फल देने वाला होता है। वहाँ पर स्थापित किसी भी वस्तु की वृद्धि नहीं होती।

५. घर के मध्य भाग में द्वार नहीं बनाना चाहिये। द्वार बनाने से कुलनाश, धन–धान्य का नाश, स्त्री के लिये दोष तथा लड़ाई–झगड़ा होता हे।

६. द्वार के उपर द्वार औोर द्वार के सामने (आमने–सामने)– का द्वार व्यय करने वाला दरिद्रताकारक होता है।

वास्तु माणिक्य रत्नाकर पुस्तक में द्वारों के बारे में बताया गया है कि–

ध्वजाये दिक्षु सर्वासु हरौ पूर्वे यमोत्तरे।
गजाये पूर्वयमयोर्वृषे द्वारं तु पश्चिमम्

ध्वज आय हो तो पूर्वादि जिस दिशा में चाहे उस दिशा में गृह में द्वार बनावे। सिंह आय में पूर्व, दक्षिण और उत्तर इन दिशाओं में द्वार बनावे। गज आय हो तो पूर्व दक्षिण दिशा में द्वार करे। वृष आय में पश्चिम मुख द्वार बनावे (जिस आय में कई दिशा में द्वार बनाना लिखा है उनमें से चाहे जिस दिशा में द्वार बनावें या सब दिशा में बनावें)।

मासपरत्वेन गृहद्वारमाह–

कर्क, हिंह, मकर, कुम्भ के सूर्य में यदि मनुष्य गृह बनावे तो पूर्वमुख का द्वार बनावे या पश्चिम मुख का द्वार बनावे। मंगल शुक्र के गृह में सूर्य के रहने पर अर्थात मेश वृष के सूर्य में तथस तुला वृश्चिक के सूर्य (वैशाख अगहन)

में गृहारंभ करे और उत्तर दक्षिण मुख का गृह बनावे।

तिथिपरत्वेन गृहद्वारमाह–

यदि गृहारंभ पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक करे तो पूर्वमुख का द्वार बनावे। कृष्ण पक्ष की नवमी से चतुर्दशी तक गृहारंभ करे तो उत्तर मुख का घर न बनावे। अमावस्य से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक गृहारंभ करे तो पश्चिम मुख का द्वार न बनवायें और शुक्ल पक्ष की नवमी से चतुर्दशीपर्यन्त गृहारंभ किया हो तो दक्षिण मुख गृह का द्वार न बनावे ॥

नक्षत्रपरत्वेन गृहद्वारमाह–

कृत्तिकादि सात २ नक्षत्रों को क्रम से पूर्वादि चारों दिशाओं में स्थापित करें और उसके विचार में वास्तु (गृह) का नक्षत्र चन्द्रमा का नक्षत्र पार्श्व का रहै तो द्वार बनावें। गृह का नक्षत्र और चन्द्रमा का नक्षत्र पृष्ठ का हो तो गृह खोद के गिरा दिया जाय और आगे का हो तो गृह के स्वामी का नाश हो ॥

वर्णपरत्वेन द्वारमाह–

ब्राहाम्ण राशिवालों का पूर्व मुख, क्षत्रिय राशिवालों का उत्तर मुख, वैश्य राशि वालों का दक्षिण मुख और शूद्रराशिवालाों का पश्चिममुखद्वार बनावे ॥

द्वारमाह–(उपजातौ कीर्तिः)

द्वार के विषय में एक वावयता–मकर कुम्भ के सूर्य में तथा कर्क सिंह के सूर्य में कृष्ण पक्ष की नवमीं से शुक्लपक्ष की चतुर्दशी तक तथा ध्वज सिंह गज आय,कर्क वृश्चिम मीन राशि के मनुष्य का यदि मघा से विशाखा तक और धनिष्टा से भरणी तक के नक्षत्रों का पिड हो और उ.फ.ह.चि.स्वा.ध.श.उ.भा.रे. इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में गृहारंभ किया हो तो पूर्व मुख के द्वार बनावे। मेष वृष के सूर्य में तथा तुला वृश्चिक के सूर्य में पूर्णिमा से लेकर पूरा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मेंअष्टमी तक, ध्वज सिंह गज आयका वृष, कन्या मकर राशि के मनुष्य को यदि कृत्तिका से आश्लेशा तक और अनुराधा से श्रवण नक्षत्र तक का पिण्ड हो ओर रो.मृ.पुष्य.अनु.उ.षा. इन नक्षत्रों में से गृहारंभ हो तो दक्षिण मुख कौं गृह बनावे।

मकर कुम्भ से सूर्य में तथा वर्क सिंह के सूर्य में, शुक्लपक्ष की नवमी से कृष्णपक्ष की १४ चतुर्दशी तक तथा ध्वज वृष आय का, मिथुन, तुला, कुम्भ राशि के मनुष्य का यदि मघा से विशाखा तक और धनिष्टा से भरणी तक के नक्षत्रों के पिण्ड का हो और उ.फा.ह. चि.स्वा.ध.श.उ.भा.रे. इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में गृहारंभ किया हो तो पश्चिम मुख का द्वार बनावे। मेष वृष के सूर्य में तथा तुला वृश्चिक के सूर्य में, अमावस से पूरा शुक्ल पक्ष और कृष्णपक्ष में अष्टमी तक, तथा ध्वज, सिंह, आयका मेष, सिंह धन, राशि के मनुष्य का यदि कृत्तिकासे आश्लेषा तक अनु से श्रवण तक के नक्षत्रों में पिंड हो और रो.मृ.पुष्य. अनु. उ.षा. इन नक्षत्रों मे से किसी में गृहारंभ किया हो तो उळर मुख का द्वार बनावे। इन सब की एकता न हो तो जितनी बातों की एकता हो सके करे। परन्तु ध्यान रहे गृहनक्षत्र और चन्द्रनक्षत्र पृष्टक्ग्र का न रहे यदि ऐसी संभावना हो तो अन्य दिशा में भी अंश का विचार करते हुए, खिड़की या गवाक्ष बनावे।

गृह के दीर्घ या विस्तार को नौ भाग करके उस दिशा में द्वार बनावे कि जिससे अपने वर्ग का शत्रु वर्ग पीछे पड़े। उन नौ भागों में कुछ आचार्यो का मत है कि गृह के वाम भाग से गृह का द्वार चारों दिशाओं का पृदिक्षाणा क्रम में ,चौथे भाग में बनावै और कुछ आचार्यो का मत है कि पूर्व में तीसरे भाग में, दक्षिण में ६ वें भाग में पश्चिम में ५ वें भाग में और उत्तर में भी पंचम भाग में द्वार बनावे।

दारचक्रम्

	१	२	३	४	५	६	७	८	९
पूर्व में:–	अग्निभय	कन्या वद्धि	धनवृद्धि	यश	सत्यता	सामान्य सुख	कष्ट	चोरी	वायुभय
दक्षिण में :–	वायुभय	कष्ट	शुभ	यश	महादुःख	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम
पश्चिम में:–	पुत्रपीड़ा	पुत्रवृद्धि	पुत्रधनहानि	पुत्रवृद्धि	धनसंपत्ति	वृद्धिनाश	धननाश	रोग	वधबंधन

उत्तर दिशा में :-वधबंधन शत्रुवृद्धि पुत्रधनलाभ संपत्ति सुतनधनं सुत बैर कन्यावृद्धि निर्धनता अग्निभय

वैध:-स्तंभ (खंभा) भाग, घुमाव, कोण, द्वार पंक, वृक्ष, कूप और देवता का गृह यदि द्वार के समुख पड़े तो वेध होता है।

जिस गृह के पहले खंड में सूर्य की किरण तथा वायु न आवे वह शुभ नहीं होता, जिस गृह की दूसरे तथा ३ रे पहर की छाया कूप (कुआँ)के उपर पड़े, वह गृह उत्तम नहीं है।

नगरादि में वास्तु सौख्यम नामक ग्रंथ के अनुसार प्रत्येक दिशा में प्रत्येक पद देवता से मुख्य प्रवेश द्वार स्थित होने पर उनके परिणाम बताये गये हैं। जो ईशान से प्रदिक्षणा क्रम से निम्नानुसार हैं –

१. पूर्व में – अग्नि भय, स्त्री जन्म, धनवृद्धि, नृपोपलब्धि, क्रोधाधिकता, असत्यता, क्रूरता, चोरभय।

२. दक्षिण में – अपुत्रता, प्रेशंत्पदासता, नीचत्व, भ्रक्षपान, सुतवृद्धि, रोद्र (क्रूरता), कृत्घ्नता, अधनता, पुत्रबल नाश।

३. पश्चिम में – सुत पीड़ा, शत्रु वृद्धि, पुत्र, अर्थ लाभ, महाऐश्वर्य, धनलाभ, राजभय, धनक्षय, रोगवृद्धि।

४. उत्तर मे – वधबंधन, शत्रुवृद्धि, धन-पुत्र लाभ, सर्वगुणोंपलब्धि, पुत्र-धन प्राप्ति, बैर, पुत्र-कष्ट दोष, स्त्री-धन हानि।

स्थापत्यवेद ग्रंथों में भवनों के मुख्य द्वार स्थापना के स्थान, मुहुर्त, उनके आकार, माप आदि के बारे में विस्तार से वर्णन दिया है। भवन मुख्य द्वार पूर्व में अथवा उत्तरदिशा में शुभ माना गया है। पूर्व में 'महेन्द्र' पद पर व उत्तर में 'भल्लाट' पद पर मुख्य द्वार बनाना चाहिये, जो सर्वसुखदायक बताये गये हैं।

मुख्य द्वार दक्षिण मुखी विनाशकारी, पश्चिममुखी गरीबी प्रदायक, उत्तर-पूर्व मुखी, न विवाह न सन्तति परिणाम वाले, दक्षिण-पूर्वमुखी सदैव भयकारक, दक्षिण-पश्चिम मुखी सतत् कलहदायक व उत्तर-पश्चिममुखी मुख्य द्वार विसंगति व मानसिक तनाव देने वाले एवं ब्रह्मस्थान मुखी परिवार के विनाश व बिल्कुल केन्द्र मुखी 'परिवार का विनाश' व धन की हानि करने वाले कहे गये है।

इसी प्रकार मुख्य द्वार के सामने वेध या अवरोध भी बताये गये हैं मुख्य द्वार के सामने वृक्ष होने पर बच्चों को हानि देने वाला, खम्बा (स्तम्भ) महिलाओं में दुर्बलतादायक, प्रतिमा(मूर्ती होने पर गृहस्वामी का विनाश व पगडंडी होने पर गृहस्वामी की मृत्यु, सदैव कीचड़ रहने पर विपत्तिदायक व नाला होने पर असंयमित व्यय कराने वाल, कुंआ होने पर मिर्गी, अतिसार व रोगभय देने वाला व प्रवेश द्वार पर छाया होने पर खादात्र (अन्न)की कमी, बीमारी व झगड़ा कराने वाला 'व' कोने में होने पर खतरा, पुत्र के लिये समस्याएं, पत्नी को अपमानित कराने वाला बताया गया है। भवनों के मुख्य द्वार अगर दक्षिण दिशा में बनाना ही हो तो 'गृहक्षत' पद पर व पश्चिम में 'पुष्पदंत' पद पर बनाना शुभ होता है।

भूखंड (वास्तु) भवन (वेश्म) में प्रवेश की दिशा के आधार पर चार प्रकार के द्वार प्रवेश व उनके परिणाम बतलाये गये हैं। पहला "उत्संग" नाम द्वार-निवेश वह कहलाता है, जहॉ पर भूखंड व भवन प्रवेश एक ही दिशा में हो तो वह सौभाग्य, संतान वृद्धि धनधान्य और जय का देने वाला होता है। 'हीन बाहुक' द्वार निवेश वह कहलाता है, जहाँ प्रवेश करने पर भूखंड से भवन बांयी और होता है, उसमें रहने वाला व्यक्ति अल्पवित्त, अल्पमित्र, अल्पबांधव तथा स्त्रीजित रहते हुए, नित्य 'व्याधियों' से पीड़ित होता है व भवन में प्रवेश करते समय जहां द्वार दांयी और होता है "पूर्ण बाहुक" प्रवेश कहलाता है व उसमें रहनेवाला निश्चित पुत्र-पौत्र, धन्य-धान्य व सुख प्राप्त करता है। घर के पीछे के भाग का आश्रय लेकर यदि वास्तु द्वारा होता है, इसका बायें भाग से प्रवेश होने के कारण यह "प्रत्यक्षाय" नामक निंदित वास्तु कहा गया है।

स्थापत्य वेद के बासे में वैदिक वास्तु संदेश जनवरी-०२ कें अंक में द्वार दोष के बारे में बताया गया है कि –

द्वार दोष:-वास्तु दोषों में सबसे प्रमुख दोष द्वार दोष होता है। द्वार अर्थात् जहाँ से आप अपने घर में प्रवेश करते है। यदि वही दूषित होता है, दोषपूर्ण होता है या फिर किसी वस्तु से बंधित होता है तो उसके अनेकों दुष्परिणामों का वर्णन वास्तुशास्त्र में प्राप्त होता है एवं सामान्य जीवन में बहुलता से देखने को मिलता है। द्वार दोषों के कुछ तो ऐसे सामान्य दोष हैं जिन्हें अत्यन्त आसानी से दूर किया जा सकता है परन्तु ज्ञान के अभाव में उसके दुष्परिणामों को झेलना पड़ता है अत: वास्तु शास्त्र सम्बन्धी दोष को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राय: यह सुनने में आता है कि हमारा द्वार पश्चिम या दक्षिण मुखी है ,अत: हम दुखी है या फिर हमारा घर पूर्वमुखी है, तो हमें वास्तु की कोई आवश्यकता नहीं है यह दोनों ही बातें भ्रमपूर्ण है एवं गलत है। यही सही है कि वास्तु में दिशाओं को ही मुख्य बिन्दुमान कर कार्य किया जाता है, परन्तु किसी दिशा में सुख और किसी दिशा विशेष में दु:ख ही प्राप्त होगा। ऐसा निश्चित नहीं है अपितु उस व्यक्ति, परिवार, स्थान विशेष के सन्दर्भ में वह दिशा कैसी है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। उदाहरण स्वरूप आपके घर का मुख्य द्वार पूर्वाभिमुख तो है, परन्तु वह वास्तु अनुसार निषेध बताये गये स्थान पर बना है या फिर किसी ऐसी वस्तु से बंधित हो रहा है जो अत्यन्त दोषपूर्ण है, तो उस पूर्वमुखी द्वार से आपको लाभ के स्थान पर हानि ज्यादा होगी। इसी प्रकार से यदि किसी का द्वार दक्षिण या पश्चिम मुखी है और वह वास्तुशास्त्र में बताये गये उस नियत स्थान पर है जो शुभ होती है तथा उस व्यक्ति या परिवार की राशियों, व्यवसाय या प्रकृति विशेष के अनुकूल हो तो वह दक्षिण या पश्चिम मुखी द्वार भी लाभदायक होता है, अत: द्वार क निर्माण में वास्तु शास्त्र के महत्व को समझने हेतु हम यहाँ पर कुछ खास द्वार दोषों को स्पष्ट कर रहे है :-

१. घर के एक द्वार के भीतर द्वार का प्रवेश कभी नहीं कराना चाहिये। अर्थात् जैसे लोग एक बड़ा फाटक बनवाते हैं, परन्तु प्राय: उसमें एक छोटा सा दरवाजा निकलवा कर हर वक्त आने-जाने की व्यवस्था करते है, वह वास्तु शास्त्र में उचित नहीं मानते हैं।

२. जिस दिवाल पर नीचे की मंजिल में दरवाजा हो उसी पर उपर भी दरवाजा बनाना चाहिए, यदि ऐसा न हो सके तो प्रदिक्षण क्रम से अर्थात् दायीं और से करवाना चाहिये।

३. घर के मध्य में अर्थात् ब्रम्ह स्थान में और वास्तु पुरूष के पदों के मध्य में द्वार का निर्माण करवाना दोषपूर्ण होता है, अत: इन स्थानों पर द्वार नहीं बनवाना चाहिए।

४. घर का द्वार घर के अनुपात में अत्यधिक बड़ा होने से दोषपूर्ण होता है एवं ऐसा द्वार निर्माण करवाने से राजा से भय बताया गया है ।

५. घर का द्वार यदि अत्यधिक नीचा होता है तब भी दोषपूर्ण होता है एवं ऐसे द्वार के निर्माण से घर में चोरों का भय होता है। साथ ही द्वार यदि टेढा हो तो कुल को पीड़ा होती है।

६. द्वार यदि मध्य भाग में अर्थात् बीच से पतला है तो ऐसा द्वार बनवाने पर रोग होता है।

७. द्वार का रथ्या से वैध नहीं होना चाहिए अर्थात् जहाँ पर घर का द्वार खुलता हो उसके ठीक सामने मार्ग नहीं होना चाहिये, ऐसा द्वार भी दोषपूर्ण है।

८. घर के द्वार का वापी या कूप से वेध नहीं होना चाहिए अर्थात् द्वार के सामने कुआँ या वापी नहीं होना चाहिए ऐसा होने से भी घर में रोग होता है।

९. यदि घर का द्वार खम्भे से बंधित हो अर्थात् द्वार के ठी सामने खम्भा हो तब उस घर के स्वामी का मरण बताया गया है।

१०. घर के द्वार के सामने यदि पनाला होगा अर्थात् पनाले से बंधित होगा तो वह बहुत दुखद होता है तथा इससे अत्यधिक भय भी होता है।

११. यदि घर की दीवालों के दरवाजे आपस में विद्ध हो अर्थात् यदि प्रवेश द्वार और घर का द्वार ठीक एक-दूसरे के सामने सिधाई में पड़ता है तब वह गृह के स्वामी के लिय अच्छा नहीं होता है , वहाँ पर स्थापित किसी भी वस्तु में वृद्धि नहीं होती है।

१२. यदि प्रवेश करते वक्त घर का द्वार बाये हाथ की तरफ होता है तो वह शुभ नहीं है। ऐसे घर में मित्र, भाई-बन्धु , धन आदि कम पाया जाता है तथा हमेंशा अनेकों प्रकार की व्याधियाँ आती रहती है।

१३. यदि घर का द्वार घर के पीछे की ओर जाकर पड़ता हो तब उसे भी निन्दित कहा गया है, ऐसे घर में रहने वालों को निश्चित रूप में धन की हानि बताई गई है।

१४. घर के द्वार के उपर गोल मूरज (तिकोण जैसे) होने पर भी दोष होता है।

१५. यदि द्वार के ठी सामने देव मन्दिर हो तो वह बच्चों के लिए अशुभ होता है।

१६. यद्वार यदि स्वयं ही बंद या खुल जाय तो उस घर में सन्तानोत्पत्ति नहीं होती है।

शुभ द्वार दिशा

१. यदि प्रवेश करने पर वास्तु द्वार ठीक सामने हो अर्थात् प्रवेश द्वार और वास्तु द्वार (घर का द्वार) दोनों सामने सामने हों तथा एक ही दिशा में हों, तो वह द्वार शुभ माना जाता है । यह द्वारा सौभाग्य, यश, धन-धान्य तथा सन्तान वृद्धि देने वाला होता है।

२. प्रवेश करने पर यदि (मुख्य द्वार से) दाहिने हाथ की ओर घर का द्वार हो तो उसे अत्यन्त शुभ मानते हैं तथा यह द्वार भी सर्वसुखकारी माना गया है।

इस प्रकार से सावधानीपूर्वक घर के द्वारों का निर्माण कराना चाहिये या पूर्व निर्मित भवन लेने से पहले सावधानीपूर्वक चयन किसी विद्वान स्थपति ,इन सभी तथ्यों के मर्म को समझ कर और फिर गृह स्वामी की विभिन्न स्थितियों को देखतें हुए विभिन्न उपचारों की व्यवस्था करता है। द्वार दोष में जिन दोषों का वर्णन किया गया है उनके अतिरिक्त भी कुछ गूढ दोष होते हैं जो निर्माण की प्रकिया के अन्तर्ग आते हैं यथा- द्वार का पाट उचा, नीचा, टेढा, मेढा लगा होना। इन सब के अपने-अपने फल भी होते हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। इसीलिये द्वार निर्माण के समय अत्यधिक सावधानी रखना आवश्यक होता है।

एक कुशल स्थपति को स्थापत्थवेद में बताए उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार नगर, ग्राम व भवनों आदि के द्वार स्थापन को अन्य पहलुओं से भी देखकर बनाना चाहिए।

५.९ नगरादि में अन्य प्रमुख लक्षणों के सिद्धांत :-

भवन निर्माण कला में प्राचीन ग्रंथों मे जो निर्धारित मापदण्ड विभिन्न भवनांगों के दिये गये है , उसमें अत्यधिक बड़ा या छोटा मण्डप, बराण्डा, बुनियादी, भवन के उपरी तल सभी प्रकार से कष्टप्रद होते हैं। इसी प्रकार भवनों में सीढीयाँ दायीं ओर मुड़ी हुई ही बनाना चाहिये, बांयी ओर मुड़ी सीढीया उपर जाने की स्थिति में व सीढीयों की संख्या सम अंकों मे होने पर वह गृह स्वामी का विनाश करती है। जो भवन दुर्गन्धमय होते हे, वहां पुत्र की मृत्यु का योग, जो अनुपयुक्त दिशा स्थिति मे, वे नि:संतान परिणाम वाले, असमान आकार के भवन संबंधियों की मृत्यु कराने वाले, ब्रह्म स्थान में खम्बा या दीवार होने पर परिवार पर विपत्ति दायक, ब्रह्म स्थान रहित भवनों में प्रकृति के नियमो के सहयोग का अभाव कहा गया है। लघु आधार पर कुर्सी विहीन भवन सभी प्रकार से हानि पहुंचाते है। नई-पुरानी निर्माण सामग्री से निर्मित भवन परिवार में कलह कारक कहे गये है व अत्यधिक उंची या नीची बड़ी छोटी सीढीयां गृहस्वाममी के लिये क्रमश: सफलता की सभी संभवनाओं को समाप्त व गृहस्वामी को विकलांग करती है।अधिक नीची सतह प्रतिष्ठा व धन की हानि देती है ,अत्यधिक छोटा चबूतरा गृहस्वामी में दूरदर्शिता की हान करने वाला होता है। इसी तरह भवन की आन्तिरक सज्जा में शयन कक्ष में पलंग की स्थिति ऐसी हो कि पूर्व या दक्षिण में सिर रहे अन्यथा उत्तर की ओर सिर रखकर शयन करने से मृत्यु या मानसिक असंतुलन दायक व पश्चिम-दिशा में सिद होने पर विपत्तिदायक होता है भवनों में हिसंक पशुओं आदि के चित्र प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए

भवनों के विभिन्न भागों की रचना करते समय प्राय: प्रयोजन व व्यक्ति विशेष एवं सबके लिये श्रेष्ठ परिणाम के लिये ईशान (उत्तर-पूर्व) में देवता ग्रह(ध्यान,साधना,पूजा आदि), पूर्व में स्नानगृह व अग्निकोण (दक्षिण-पूर्व) में, रसोई घर (महानस) या अग्नितत्व संबंधित कार्य हेतु, दक्षिण-दिशा में धृत व चिकनाईयुक्त सामग्री के स्थान व दक्षिण एवं नैर्ऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) के मध्य शौचालय (मल त्याग) व पश्चिम व नैर्ऋत्य के बीच विद्याभ्यास का स्थान, पश्चिम व वायु (उत्तर-पश्चिम) के मध्य कोप (क्रोध), वायुव्यव उत्तर के मध्य भाग पर रति स्थान एवं उत्तर व ईशान के मध्य औषधी का स्थान, प्रसूति हेतु नैऋत्य में स्थान श्रेष्ठ कहा गया है। यह स्थानों के संकेत मात्र है। उक्त प्रयोजनों के अनुरूप ही संबंधित कार्यो के स्थान बनाये जाने चाहिये। सौन्दर्य प्रसाधन आदि हेतु स्थान दक्षिण-पश्चिम में होना चाहिये। इसी प्रकार दक्षिण व पूर्व की ओर का स्थान "नियंत्रक" (प्रबंधकों) हेतु श्रेष्ठ है। अग्निजीवीयों हेतु दक्षिण-पूर्व का स्थान मोक्ष की इच्छा वाले व सन्त प्रवृति वाले के लिये ईशान व गतिमान एवं भ्रमण करने वालों हेतु वायुव्य दिशा एवं धन से सीधे सम्बन्धित कार्यो हेतु उत्तर-दिशा, सर्वोतक है। भूमि व भवन

से सम्बन्धित किन्ही कार्यो को करने के पहले शुभ मुहुर्त का विचार कर, भवनों के उक्त व शास्त्रोक्त साधनो के आधार पर भवन आदि निर्माण करना चाहिये।

वैदिक वास्तु संदेश पत्रिका के जनवरी –०२ अंक में बताया गया है कि,

स्थापत्यवेद के अनुसार कुछ सामान्य गृह दोष :–वास्तु शास्त्र में क्षिति, जल, पावक, गगन,समीरा ये जो पाँच तत्व है,इनका एक ऐसा संयोजन है जिसे व्यक्त रूप में मानव के लिये ,भवन के निर्माण का ज्ञान प्राप्त करते हैं।पंचतत्वों का उचित संयोजन हमारें जीवन के लिए पर आवश्यक है, इसी संयोजन की कला का नाम ही वास्तु है। उदाहरण के लिए वायु का जितने गुण व परिणाम शरीर के लिए आवश्यक है , यदि वह नहीं मिलेगें तो निश्चय ही रोग होगा इसका अर्थ है कि ऐसा निर्माण करें जहाँ वायु का उचित गुण व परिणाम में आवागमन हो सकें।

इसी प्रकार शरीर के जो मुख्य तीन दोष हैं वह वात, पित्त, कफ उनके अनुसार भी निर्माण होने चाहिये, इसीलिए वास्तुशास्त्र में निर्माण से पूर्व कुण्डली देखना भी आवश्यक माना गया है। उदाहरण के लिए यदि किसी में पित्त की प्रधानता है तो उसका वास्तु इस प्रकार होना चाहिये कि वह पित्त उद्दीपक न हो अर्थात् उसे पित्त उद्दीपक परिवेश नहीं दिशा जाना चाहिये। वरना उसके लिए हितकर नहीं होगा।

इसी प्रकार से अनेक भवनागों का अचित अनुपात दिशा आदि ना होने से वास्तुदोष एवं उसके वेध होते हैं– फलस्वरूप शरीर रोगी होता है।उदाहरण के लिए यदि भूमि दक्षिण–पश्चिम अर्थात् नैर्ऋत्य कोण में झुकी होगी तो रोग कारक मानी गई है। इसका वेज्ञानिक आधारा सीधा सा है कि सूर्य की ताि अन्य सभी प्रकार की उर्जायें जो पूर्व दिशा से आती है वह दक्षिण–पश्चिम झुका होन के कारण उचित रूप से शरीर व वास्तु दोनों को ही नहीं मिल पाती हैं। परिणामतः शरीर रोगी होना संभव है। इसी प्रकार से अनेक ऐसे वास्तु दोष हैं जिनसे शरीर रोगी होता है या जो कारक होते है, उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है:–

१. रक्षप्लवा भूमि रोग का कारण होती है।
२. मरूप्लवा भूमि रोग का कारक होती है।
३. विकर्णा भूमि कणृ रोग पैदा करती हे।
४. वास्तु क्षेत्र के लिस अंग में जिसका रास्ता प्रर्वर्तीत होता है उस वास्तु का उस भाग से वह अंग छिन निर्दिष्ट किया गया है। इस छित्रांग भवन को विकल कहते हैं यह भवन गृहस्वामी के उसी अंग को भंग करता है जिसमें वह स्वयं छित्र अथवा विकल है (मार्ग वैधजनित)
५. जिस घर में प्रवेश हीनबाहू अर्थात् वास्तु के बायें होता है उस घर का मालिक भी रोगों से पीड़ित बताया गया है।
६. मूषाओं (खिड़की) की अस्थान योजनाओं से होने वाले शालागत दोष से मनुष्य रूग्णता प्राप्त करता है
७. जहाँ पर कटे पिटे गवाक्ष (खिड़की) और अवलोकन बनाये जाते हैं वहाँ पर प्रसूति नहीं होती है ओर यदि होती भी है तो नष्ट हो जाती है, ऐसा बताया गया है।
८. जिस घर का द्वार आवाज के साथ बन्द होता है, उसमें गर्भ–पात होता है।
९. अति पीड़ित द्वार पीड़ा देने वाला होता है।
१०. कूप से विद्ध द्वार से अपस्मार (मिरगी) रोग होना बताया गया है।
११. वापी द्वारा यदि द्वार विद्ध होता है तो अतिसार एवं सन्निपाल रोग बताया गया है।
१२. कोलाल चक्र से हृदय रोग होता है।
१३. कचशट से विद्ध रोग और व्याधियाँ होती है।
१४. शिला के द्वार विद्ध होने पर मिर्गी बताई गई है।
१५. दरवाजे पर तुला अथवा उपतुला यदि टेड़ी हो जाती है तो व्याधि हो जाती है।
१६. द्वार यदि रथ्या (मार्ग) से विद्ध होता है तो भी रोग होता है।
१७. यदि भवन में जयन्तीयाँ अनुवंश को प्राप्त होती है तो आयु की अल्पता एवं अनारोग्य बताया गया है।
१८. अनुवंश में सोने वालों को महरोग होना बताया गया है।
१९. विभागहीन, पदहीन, ऐसे रूपस्थान वास्तुओं में तथा यक्षों मातृकाओं आदि क्रियाओं में रोग से मृत्यु तक

बताई गई है।

२०. स्तम्भांगों, दीवालों, पट्टों, शीर्षकों तथा भवनों, अवलोकनों, शालाओं एवं तुलाओं, वेदिकाओं आदि के दोषों से भी रोग होते हैं।

२१. चुना हुआ जो वेश्म मध्य से विस्तृत होता है (मृदंगाकृति) उसमें भी रोग होते हैं।

२२. दक्षिण की तरफ जब दिवाल बार्हिमुखी चुनी जाती है तो वह व्याधि, भय कारक होती है।

२३. कीलक सूत्रपात में भी वायव्य दिशा में जब कीलनत हो जाता है तो दोष का भय बताया गया है।

इस प्रकार अनेक रोगों का वर्णन हमें वास्तुजनित दोषों के कारण मिलता है तथा इनका वैज्ञानिक आधार भी पाया जाता, परन्तु ऐसा नहीं है कि ऐसे दोष निरूपचार हैं बल्कि इनका निवारण भी वास्तु शास्त्र में ही पाया जाता है।

१. मुख्य घर या गर्भगृह से बरामदा उँचा नहीं होना चाहिए अर्थात् बरामदे से *उतर कर* घर में प्रवेश करना शुभ नहीं होता है।

२. यदि गृह के आस-पास की भूमि उँची हो और गृह की भूमि नीची हो अर्थात् घर गड्ढे में हो तब भी गृह दोषपूर्ण होता है। अत: हमेशा समतल भूमि पर ही बनवाना चाहिए।

३. जिस गृह की खिड़कियाँ, द्वार आदि के उपर के तल एक ही सूत्र में न हो तब वह दोषयुक्त होता है।

४. मूल घर के सामने के भाग का द्वार बहुत नीचा हो ,तब दोषपूर्ण होता है।

५. जिस घर को देखने में भय या घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वह घर वास्तु शास्त्र के अनुसार दोषपूर्ण है।

६. यदि घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने दूसरे के घर का मुख्या द्वार यदि पड़ता है तो वह दोषपूर्ण होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार दोषपूर्ण है।

७. घर के प्रवेश द्वार से यदि घर का मुख्य द्वार दो गुना बड़ा हो तो वास्तु शास्त्र के अनुसार दोषपूर्ण होता है।

८. यदि एक घर की चेष्टायें दूसरे घर से दिखती हो तो (एक घर के क्रियाकलाप दूसरे घर से नहीं दिखनी चाहिए) दोषपूर्ण होता है।

९. यदि एक धरन (बीम) के उपर दूसरी बीम आती हो और वहां पर खम्भा (स्तम्भ) न लगा हो तो अत्यन्त दोषपूर्ण है।

१०. घर में बीम यदि उची-नीची लगी हो तो वह अशुभ है।

११. एक ही लाइन में बनें खम्भों में उनकी मोटाई यदि कम-ज्यादा हो अर्थात् एक जैसी न हो तो वह शुभ नहीं होता है, साथ ही यदि कई खम्भे हों और एक पंक्ति में न हो तो भी वास्तु के अनुसार शुभ नहीं है।

१२. घर के मध्य भाग में जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, यदि बीम हो तो दोषपूर्ण होता है।

१३. यदि घर या घर के किसी भी भाग से होकर किसी अन्य का रास्ता निकलता हो तो दोषपूर्ण होता है।

१४. यदि दो घरों के बीच में एक ही रास्ता हो तो शुभ नहीं होता है।

१५. घर के सामने या चारों और वास्तुशास्त्रानुसार निषेध वृक्ष लगे हो तो अशुभ होता है यथा आम, केला, गुलमोहर आदि।

१६. घर के समीप भूत-प्रेत के वास वाला वृक्ष हो तो भी दोषपूर्ण होता है।

१७. घर पर वृक्ष की छाया प्रथम या दूसरे प्रहर में पड़ती हो तो शुभ नहीं माना जाता है।

१८. यदि घर की छाया दूसरे या तीसरे प्रहर में कुएँ पर पड़ती है तो उसे भी प्रशस्त नहीं कहते है।

१९. यदि घर के दरवाजे के सामने कील या खूँटा गड़ा हो तो दोषपूर्ण् होता है।

२०. घर के सामने देवस्थान या मंदिर हो तो भी दोष होता है।

२१. जिस घर के बगल में जल प्रपात हो वह अशुभ होता है।

२२. जो घर पाषाण युक्त गुफा की तरह बना हो वह प्रशस्त नहीं होता है।

२३. जो घर पर्वत के मध्य में होता है, वह दूषित होता है।

२४. जिस घर में रात में खरगोश शब्द करते हों, घर अशुभ होता है।

२५. जिस घर में साँप, अजगर, उल्लू, कबूतर, कौये आदि बसते हों वह घर भी अशुभ होता है।

२६. जिस घर पर बिजली गिरी हो या अग्नि से जल गया हो, वह भी अशुभ होता है।

२७. जिस घर के समीप श्मशान हो वह अशुभ होता है।

२८. जिस घर में मंदिर या समाधि हो वह अशुभ होता है।

इस प्रकार से यह कुछ सामान्य वास्तु दोषों का वर्णन है जिन्हें जातक यह पढकर स्वयं दूर कर सकते है एवं उनका लाभ ले सकते हैं।

वैदिक वास्तु विद्या एवं रोगकारक वास्तु दोश में नवीन गृह निर्माण के समय उत्तपन्न वास्तु दोष व उनका शोधन संबंधी कुछ बिंदु निम्नानुसार है :-

१. दोष: यदि गृह निर्माण करते वक्त लकड़ी टूट जाय तो दोषकारक है।
शोधन: उस घर में शान्ति हवन अवश्य करायें।

२. दोष: यदि घर का द्वार केन्द्र में बना रहे हैं तो वह दोषकारक है।
शोधन:यदि पूर्व का द्वार है तो उसे केन्द्र से हटा कर (माहेन्द्र) नामक पद पर बना दें। यदि दक्षिण का है तो उसे गृहक्षत नाम पद पर कर दें। यदि पश्चिम में है तो पुष्पदनत नामक पद पर बना दें। यदि उत्तर में हो तो भल्लाट नाम के पद पर बना दें।

३. दोष: नये घर के निर्माण में यदि पूर्व का द्वार बना रहे है आत्तैर वह नष्ट हो जाय तो दोषकारक होता है।
शोधन:इन्द्र देव की पूजा के साथ प्रायश्चित करना चाहिये।

४. दोष: नवीन निर्माण में यदि दक्षिण का द्वार नष्ट हो तो वह भी दोशकारक है।
शोधन: गृह स्वामी को यम देवता की पूजा करनी चाहिये।

५. दोष: यदि नये निर्माण के वक्त पश्चिम का पुष्पदन्त नाम द्वार नष्ट हो जाय तो भी दोषकारक होता है।
शोधन: गृह स्वामी को वरूण देव की पूजा करनी चाहिये।

६. दोष: नये निर्माण में जिसका उत्तर का (भल्लाट) द्वार टूट जाय या बिगड़ जाए ,
तो वह भी दोषकारक होता है।
शोधन: गृह स्वामी को चन्द्रमा की पूजा करके उस दोष का प्रायश्चित करना चाहिये। ऐसा करने से परिवार सुखी रहता है।

७. दोष: गृह निर्माण के समय यदि गिद्ध आरोहण करे तो दोषकारक होता है।
शोधन:ऐसी स्थिति में पहले उस भूमि को ब्राहाम्ण को बुला कर आदरपूर्वक उसके चरणों का स्पर्श भूमि को करायें । उसके बाद वहाँ हलों से जुतवाकर बीज बो दें। वहाँ पर गायों को ले जाकर दूध दूहना चाहिये। साथ-साथ शान्तिकर्म भी करवाना चाहिये तथा इन सब के बाद जब वर्षा हो जाय उसके बाद ही ,वहाँ पर निर्माण पुन: शुरू करना चाहिये।

८. दोष: कर्णिका (स्तम्भ के उपर निकले हुये भाग का उपरी स्थान या प्रस्तर का उपरी भाग) को लगाकर फिर उखाड़ कर उसका जिस भी घर में पुन: आरोपण किया जाता हे वह दोषकारक होता है। ऐसा घर पूरा नहीं बन पाता तथा गृह स्वामी का विनाश हो जाता है।
शोधन: कर्णिका का एक ही बार आरोपण करना चाहिये।

९. दोष: जिस घर की स्थूलिका (एक प्रकार की बीम) टूट जाती है वह दोषकारक होता है वहाँ पर कीर्ति क ा नाश हो जाता है।
शोधन:सूर्य और चन्द्रमा दोनों की पूजा करनी चाहिये। और उसी तरह पेड़ लाकर उसकी प्रतिकृति बनाने से गृह स्वामी सुख से रहता है तथा उसकी आयु और यश दोनों अटल होते हैं।

१०. दोष: जिस घर का पृष्ठवंश अर्थात् वास्तु की मुख्य्य बीम (रीढ) भंग होता वह दोषकारक होता है। ऐसे में गृह स्वामी को बन्धन प्राप्त होता है।
शोधन:गृह स्वामी को प्रायश्चित करके ,कुबेर की पूजा करनी चाहिये तथा ब्राहाम्णों से स्वस्तिवाचन आदि दक्षिणा देकर करवाना चाहिये।

११. दोष: जिस घर का संग्रह (स्तम्भ के नीचे के भाग का आकार मोल्डिंग टूट जाता है वहाँ पर भी घर के सबसे बड़े व्यक्ति को बाधा पहुँचती है)
शोधन: वहाँ पर पितृों की पूजा करनी चाहिए इससे वह प्रसन्न होते है तथा सुख होता है। साथ में प्रायश्चित

भी करना चाहिए।

१२. दोष: जिस घर का मल्लक अर्थात दीप मल्लक टूट जाता है वहाँ पर पौरूषता का नाश हो जाता है।

शोधन: शुभ नक्षत्र में इसी तरह के वृक्ष का दूसरा मल्लक बनाना चाहिये। यह सुखदायक तथा बलदायक होगा।

१३. दोष: जिस घर का वारण (तोरण का अलंकरण) टूट जाता है वहाँ पर बड़े पुत्र के लिये बाधा उत्पन्न होती है।

शोधन: पृथ्वी धर की पूजा और प्रायश्चित करने से यह दोष दूर होता है।साथ ही उसी प्रकार के वृक्ष से उस वारण की प्रतिकृति बना देने से सुख और समूह की वृद्धि होती है।

१४. दोष: जिस जगह पर युग (जोड़ा या किन्हीं दो वास्तुओं की सन्धि) पीड़ित होता है वहाँ पर पशुओं को पीड़ा होती है।

शोधन: इस प्रकार का दोष उत्पन्न होने पर ईशान देवता की पूजा करनी चाहिये तथा प्रायश्चित भी करना चाहिये तथा उसी वृक्ष को लाकर उस युग की प्रतिकृति बनवाने से सुख होता है और पशुधन बढता है।

५.१० नगरादि में आयादि निर्णय का सिद्धांत :-

स्थापत्यवेद के प्रमुख ग्रंथों में आयादि निर्णय के सिद्धांत निम्नानुसार है।यहां आय आदि से तात्पर्य लम्बाई ,चौडाई ..आदि से भी है।

''मानसार ग्रंथ में आयादि निर्णय'' मानसार ग्रंथ के अध्याय क्र. 30 'द्वादश तल विधानम्' में जातिहर्म्यादि लक्षण के वर्णन में आयादि निर्णय बताया गया है कि –

आय (यं) व्ययं च योनि (निश्) च नक्षत्रं वारमंशकम्।

तिथिर्वाथ षडेतानि तथा यादिविदो विदु: ।।[१]

सञ्चितासभितानां च अं (त्वं) शैरायादिमिर्युतम्।

अपश्चितहर्म्यानां तिथ्यन्तं षड्ग्रहीष्यते ।।[२]

जाति आदि भवनों के आयादि निर्णय के अनुसार भवन की चौड़ाई आदि को आय, व्यय, योनि, नक्षत्र, वार, अंश या तिथी के ''आयादि षड़सूत्र'' के अनुसार ज्ञात करना चाहिए। सञ्चिता तथा असञ्चिता प्रकार के भवन में आय, व्यय, योनि, नक्षत्र, वार, अंश तथा अपसञ्चिता में आय से तिथि तक छह को प्रयोग करें। 1, 3/4, 1/2 तथा 1/4 हस्त से जाति, छंद, विकल्प और आभास माप को नापते है। इस प्रकार से संयुक्त कर भवन का माप निकाले। आयादि निर्णय हेतु बताए गए सूत्र (Formula's) तालिका क्र. 03 में बताए गये हैं। इस षड्वर्ग सूत्र से देवताओं के मंदिर, राजाओं के महल, सामान्य-जन के निवास, ग्राम के निर्माण में व्यय से अधिक आय शुभ मानी गई है।

मानसार ग्रंथ में ही अध्याय क्र. 9 'ग्राम लक्षणम्' में आयादि सूत्र आदि का विवरण दिया गया है। आयादि हेतु दिये गये सूत्र तालिका क्र.03 में दिये गये हैं।

मानसार ग्रंथ के ही अध्याय क्र. 64 'प्रतिमा विधानम्' में आयादि निर्णय दिया गया है जिसके सूत्र तालिका क्र. 03 में दिये गये हैं।

मानसार के अध्याय क्र. 30 में बताया है कि सिद्धि आदि बारह आय होती है, शिखर आदि दस व्यय, ध्वज आदि आठ योनि, तस्करादि नौ अंश तथा प्रथमादि तिथी होती है। इसी तरह अध्याय क्र. 9 में बताया है कि जब

१-२ मानसार/३०/८५-८६

तालिका-2 भवनों के तल, माप के प्रकार, माप वृद्धि दर, ऊँचाई व उनके शास्त्रोक्त नाम

क्र.	तल संख्या	प्रकार (भवन)	माप के प्रकार की संख्या	माप (चौ. लं.) सीमा हस्त में	वृद्धि दर (घत्र)	ऊँचाई	विकल्प	ऊँचाई के माप का नामकरण	भवन का नाम
(1)	एक तलीय	लघु (छोटे)	पांच	2-3 से 10-11 तक	2	2 X चौड़ाई	2 चौ.+2 चौ.	अदभुद, सार्वभौमिक (घनद)	जती द्वंद जती
		मध्यम	पांच	4-5 से 12-13 तक	2	1¾ चौड़ाई (1.75)	-	जयद	जती
		दीर्घ	पांच	6-7 से 14-15 तक	2	1½ चौड़ाई (1.50)	1¼गुना (1.25)	संतिका, पोस्टिक	
(2)	द्वितलीय	लघु	पांच	5-6 से 13-14 तक	2	2 X चौड़ाई	2 चौ.+2 चौ.	अदभुद, सार्वभौमिक (घनद)	जती (3/4)
		मध्यम	पांच	6-7 से 14-15 तक	2	1¾ चौड़ाई (1.75)	-	जयद	जती (1/2)
		दीर्घ	पांच	7-8 से 15-16 तक	2	1½ चौड़ाई (1.50)	1¼गुना (1.25)	संतिका, पोस्टिक	जती (1/4)
(3)	तीन तलीय	लघु	पांच	8-9 से 16-17 तक	2	-"-	-"-	-"-	जती
		मध्यम	पांच	9-10 से 17-18 तक	2				जती
		दीर्घ	पांच	10-11 से 18-19 तक	2				जती
(4)	चार तलीय	लघु	पांच	9-11 से 17-18 तक	2	-"-	-"-	-"-	जती
		मध्यम	पांच	11-12 से 19-20 तक	2				जती
		दीर्घ	पांच	12-13 से 20-21 तक	2				जती
(5)	पांच तलीय	लघु	पांच	11-12 से 15-16 तक	1	2 X चौड़ाई	2 चौ.X2 चौ.	अदभुद,, सर्वभोमिका	जती
		मध्यम	पांच	12-13 से 16-17 तक	1	1.75 X चौड़ाई	-	जयद	जती
		दीर्घ	पांच	13-14 से 17-18 तक	1	1.50 X चौड़ाई	1.25	संतिका, पोस्टिक	जती

नोट : जती प्रकार में 13+3/4   1¼ +3/4   3/8 व 2/3
2 X13   1¼   1½
अरयुद   जयद   संतिका

निरंतर..2.

तालिका क्रमांक 03

आय - व्यय, योनि, नक्षत्र, वार, अथ तिथि ज्ञात करने हेतु सूत्र

क्र.	षडवर्ग आदि/ भवन प्रकार	मानसार/30/89-93			मानसार/9/63-73	मानसार/9/64-69	समरांङ्गण सूत्रधार/ 12/37
		संचिता	असंचिता	अपसंचिता			
01.	आय =	ल X 6 / 12	ल X 7 / 12	ल X 8 / 12	ल X 8 / 12	ल X 8 / 12	पृथुत्व परिधि X 8 / 8
02.	व्यय =	चौं. X 7 / 10	चौं. X 8 / 10	चौं. X 9 / 10	चौं. X 9 / 10	चौं. X 9 / 10	प X 3 / 14 या प X 9 / 10
03.	योनि =	चौं. X 1 / 8	चौं. X 2 / 8	चौं. X 3 / 8	चौं. X 3 / 8	चौं. X 3 / 8	पृथुत्व (परिधि) X 3 / 8
04.	नक्षत्र =	ल X 6 / 27	ल X 7 / 27	ल X 8 / 27	ल X 8 / 27	ल X 8 / 27	परिधि X 8 / 27
05.	वार =	परिं./ऊँ. X 6 / 7	परि. ऊँ. X 7 / 7	परि. ऊँ. X 8 / 7	प/मो./ऊँ. X 9 / 7	प/मो/ऊँ. X 9 / 7	परिधि X 8 / 7
06.	अथ =	परि ऊँ X 4 / 9	प X 3 या4 / 9	प/मो/ऊँ X 4 / 9	प/मो/ऊँ X 4 / 9	प/मो/ऊँ X 4 / 9	-
07.	तिथि =	प X 9 / 30	प X 9 / 30	प X 9 / 30	प/मो/ऊँ X 9 / 30	-	परिधि X 8 / 30
08.	व्यस = (ऋक्ष)						परिधि X 8 / 29
09.	लम्बाई =						7 X 3 + नक्षत्रा / 7

नोट :- क्षेत्रफल = परीणाम है (क्र. 01 से 09 तक)

ल=लम्बाई, चौं.=चौड़ाई, परि.= परिधि, ऊँ=ऊँचाई, मो. = मोटाई

आय–व्यय में कुछ न बचे तो शुभ है, जब आय–व्यय से अधिक हो तो सर्व समृद्धि व आये अधिक व्यय होने पर दोषकारक है। पूर्ण नक्षत्र (विषम संख्या) शुभ है, कर्णश्रिख ('नक्षत्र')('सम संख्या') अशुभ है। द्वितीय पर्याय (Series) में योनि गणानुसार शुभ है। वार में शुक्र, गुरू, सोम, बुध शुभ है। रविवार आदि चार वारों में यदि गण विशाखा से आरंभ होकर स्वाति तक हो तो क्रमशः दण्ड योग, मृत्यु योग, तथा सिद्ध योग कहलाते हैं। यदि शुभ योग हो तो वार दोष नहीं लगता। तिथी में अमावस्या, अष्टमी, नवमी को छोड़कर शेष सभी तिथी शुभ है। अष्टम राशि वृश्चिक को छोड़कर अन्य सभी शुभ है। अयन जानने के लिये रवि से शनि तक सात को तीन से गुणा कर उसमें अध्विनी आदि (दिन) का नक्षत्र जोड़कर, कुल संख्या को सात से भाग देने पर शेष 'अयन' कहलाता है। ऋषियों ने इन छह से नौ अयनों को एक नेत्र, द्वि नेत्र, त्रिनेत्र कहा है।

मानसार के अध्याय क्र. 64 में बताया गया है कि –

''आयं सर्वहरं पुण्यं व्ययं सर्वहरं सुखम्।
आयाधिक्यं व्ययं हीनं सर्वसंपत्क सद॥'[१]'
''यत फलं शुभयुक्तं चेदायहीनं त(द्) दूषणम्
पूज्यं व्ययं सममेवं तत्र दोषो नति द्यतं॥'[२]

आय–व्यय का शेषांक नहीं होने पर सुखकारी होता है। सदैव आय अधिक व व्यय कम होता है। आय के व्यय से कम होने पर शुभ फल भी दूषित हो जाता है। आय–व्यय बराबर हो तो दोष नहीं होता। दरिद्रता, पत्नी की मृत्यु, श्री वृद्धि, विजय, अद्भूद, फल प्राप्ति (भक्ति), भोग, अर्थलाभ, यश–कीर्ति, अपार सुख यह शेषांक क्रमशः एक से बारह होने पर आय के फल कहे गये हैं। सिद्धि, विजय, श्री करम, अर्थ हानि, भोग, शत्रु–नाश, नेत्र–रोग, अर्थ–लाभ, प्रसन्नता, सौरव्यकम् में दस व्यय फल कहे गये हैं। ध्वज, सिंह, वृष व गज आठ में से शुभ योनियाँ है। सत्ताईस नक्षत्रों में जन्म–नक्षत्र, दूसरा, चौथा, आठवां, नवां शुभ है। गणना में नाम, जन्म व नवां ग्रह लेना चाहिए। राशि गणना में स्वामी की राशि सहित मीन और वृष या मीन के रहित व तीसरी (मिथुन) सहित लेना चाहिए। छठी व आठवीं राशि छोड़ सब राशि शुभ है। वार में गुरू, शुक्र, बुध व सोम शुभ है। अंश में तस्कर, धन व षण्ड, प्रेष्य को छोड़कर अन्य अंश शुभ है। एक या दो अंश की संयुक्तता वर्जित है। एक या दो अंश की संयुक्तता वर्जित है। योनियों में गज सर्वशुभ है परंतु मानुष व असुर योनि वर्जित है। 'शुभ योग' समृद्धिकारक, 'अशुभ योग' मृत्युकारक है व मृत्यु योग, विनाशकारी होती है। जब गुण दोष से अधिक होते हैं तो कोई दोष नहीं लगता अतः कुशल स्थपति गणना त्रुटि से बचे व लोक परम्परा का पालन करें।

इस प्रकार मानसार के उक्त तीन अध्याय में दिये गये आयादी – निर्णय के अंशों में विवरण दिया गया है।

<u>जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भवन–निवेश) के अध्याय क्र. 12 ''आयादि निर्णय''</u> में दिये गये सूत्र <u>तालिका क्रमांक. 03 में</u> दृष्टदव्य हैं। इन सूत्रों के अलावा अन्य विवरण में शुभाशुभ मास ज्ञात करने हेतु सूत्रपात विधि में बताया गया है कि शुक्लपक्ष के शुभ दिन की जानकारी हेतु यह जानना जरूरी है कि –

'चैत्र' मास में भवनारंभ से स्वामी शोकाकुल होता है।

'बैशाख' में भवनारंभ से धन से युक्त होता है।

१–२/मा/अ.६४/३५,३६

'ज्येष्ठ' में भवनारंभ से गृहस्वामी विपत्ति को प्राप्त होता है।

'आषाढ़' में भवनारंभ से पशुधन नष्ट हो जाते हैं।

'श्रावण' में भवनारंभ से धन वृद्धि होती है।

'भाद्रपक्ष' में भवनारंभ से घर में रहने को नहीं मिलता है।

'अश्विन' में भवनारंभ से लड़ाई की संभावनायें रहती है।

'कार्तिक' में भवनारंभ से नौकर नष्ट हो जाते हैं।

'मार्गशीर्ष' में भवनारंभ से धन प्राप्ति होती है।

'पौष में ' भवनारंभ से अभिलक्षित सम्पदायें प्राप्त होती है।

'माघ' में भवनारंभ से अग्निभय होता है।

'फाल्गुन' में भवनारंभ से अनुत्तम श्री प्राप्त होती है।

सूर्य की स्थिति के अनुसार भवनारंभ हेतु ,उनकी दिशा के अनुरूप बताया गया है कि :-

'पश्चिम मुख' घर - शुक्ल पक्ष, शुभ लग्न और कन्या, तुला और वृश्चिक में सूर्य स्थित होने से शुभ होता है। इसका पालन नहीं करने पर घर शून्य होकर स्वामी की वृद्धि नहीं होती है।

'दक्षिण मुख' कुम्भ, मृग, धनु से सूर्य की स्थिति में भवन का निर्माण आरंभ नहीं करना चाहिये। पालन नहीं करने पर राजा से दण्ड और बाधादिक कारण होता है।

'पूर्व मुख' मीन, वृष और मेष में सूर्य स्थित होने पर भवन का निर्माण आंरभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह धन का नाश, झगड़ा और शुद्रो, नृपों और चोरों के द्वारा पीड़ा पहुँचाने वाला होता है।

'उत्तर मुख' मिथुन, सिंह तथा कर्क में सूर्य स्थित होने पर भवनारंभ नहीं करें ,क्योंकि वह दरिद्रता एवं चरणदासता देने वाला होता है।

आय-व्यय, योनि, नक्षत्र भवनांशक और गृहनाम यह घर के छह 'करण' जानने चाहिए। तीन शुभ करणों से शुभ वेश्म, दो ओर से अशुभ व चार करणों से अतिशुभ होता है। द्वितीयांश, असमान योनि व असमान नक्षत्र वाला घर नहीं बनाना चाहिए। छह कोष्ठ (कमरे) वाला, तीन कोने वाला साथ ही दूसरी ओर बाहर कोने वाले भवन वर्जित है। छह कोने वाले में मृत्यु, दैन्य तथा वियोग, त्रिकोण में दुख व वैधन्य, व बारह कोने वाले में पुत्र, पौत्र, गुरू, बंधु व धन का नाश होता है। आठ कोने से हृत क्षेत्रफल के ख (0) नेत्र (2) शशि (1) (अर्थात् 120) इनसे विभाजित होने पर जो शेष बचे उसमें 'जीवन' और पांच से विभाजित करने पर मृत्यु बताई गई है। ठीक से माप कर शोधित गृह स्वामी के लिये धन्य व स्थपति के लिये कीर्ति कारक होता है। स्त्रियों, पशुओं, मनुष्यों, कीर्ति, आयु, धन-धान्यों से प्रमोद एवं महोत्सवों से उचित वास्तु वृद्धि को प्राप्त करता है।

मेरू, खण्ड मेरू, पताका, सूचिका, उदिष्ठ और नष्ट से छह छंद कहे गये हैं। मेरू एक से एक उत्तर कोष्ठों को दोनों पार्श्वों तक एक सा सम्पादन होने तक बढ़ाना चाहिए। यह एक से अधिक शराब आकृति युक्त होता है। खण्ड मेरू में एक पार्श्व से कोष्ठों को दूसरी पंक्ति में छोर तक पहले शून्य व बाद में पूर्वानुसार करें। पताका छंद एक संख्या कम कर पुन: नीचें बांयी ओर झुके एक से आरंभ कर एक ही से अंत करें और यही क्रिया क्रमश: आगे करें, इसी प्रकार सूची, छंद, उदिष्ठ तथा नष्ट छंद में बताई गई संख्या व नियम, कोष्ठों आदि की वृद्धि करना चाहिये। इन रचनाओं में अलिन्द मूषादि के स्थान भी ज्ञात होते हैं।

स्थापत्य वेद में उपरोक्त आयादि निर्णय गणित व ज्योतिषशास्त्र से संबंधित है तथा इन दोनों के माध्यम से वास्तु का, जो कि भवन, ग्राम, नगर या मंदिर या आंतरिक सज्जा की वस्तुएँ आदि हो सकती है, वह अनुपात ज्ञात किया जाता है, जो हर दृष्टि से शुभफलदायी हो।

आयादि से तात्पर्य आय, व्यय, नक्षत्र, अंश ,वार तिथि, राशि आदि से है। ये वे आयाम हैं जो नियोजित अनुपात विशेष वास्तु के निर्माण वे चेतना के स्पन्दनों की स्थापना के पश्चात वहाँ ब्रह्माण्डीय, सौर–मण्डलीय, भू–चुम्बकीय आदि की ऊर्जाओं के समन्वित प्रतिफल को दर्शाते है। इन ऊर्जाओं का समन्वित प्रतिफल, उस वास्तु के निवासी अथवा अधिपति की चेतना पर कितना शुभ अथवा अशुभ प्रभाव डालता है, जिससे वह व्यक्ति पुरुषार्थी होता है या पुरुषार्थाच्युत होता है, **क्योंकि कर्मभूमि में पूर्वार्जित कर्म, प्रारब्ध के अतिरिक्त पुरुषार्थ का अपना विशेष महत्व है।** पुरुषार्थ के अभाव में मौलिक सुख अथवा अध्यात्मिक चिरस्थायी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि हमारे अंतर में पुरुषार्थी करने हेतु ऊर्जा है, लेकिन आसपास से अथवा वास स्थान से इससे अधिक **ऋणात्मक ऊर्जाएं उत्सर्जित हो रही हैं,** तो हमारी पुरुषार्थी ऊर्जा निर्बल हो जावेगी और हम उस प्रयत्न को पूर्ण नहीं कर पायेंगे।

आय से तात्पर्य धनागम या धनात्मक ऊर्जा से, व्यय से तात्पर्य धनक्षय खर्च या ऋणात्मक ऊर्जा से ले सकते हैं। नक्षत्र, राशि आदि से उस वास्तु स्वामी की चेतना व मानसिक क्षमता के ऊपर उस वास्तु के प्रभाव के रूप में लिया जा सकता है। योनि से मुख्यतः दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। जिस तरह विवाह के पूर्व वर–वधू के ग्रह, नक्षत्र, कुण्डली आदि का मिलान किया जाता है, उसी तरह वास्तु के आय, व्यय, नक्षत्र, वार, तिथि, तारा आदि से वास्तु स्वामी के नक्षत्र ग्रह, तारा, गण आदि का मिलान किया जाकर, शुभाशुभ फल ज्ञात किया जाता है।

समराङ्गण सूत्रधार (भवन–निवेश) में ही आधारित आयादि निर्णय में – राजा भोज रचित समराङ्गण सूत्रधार के अंतर्गत आयादि निर्णय एक पृथक अध्याय है। इसमें आय, नक्षत्र, व्यय, राशि, तारा, अंश व गण का वर्णन किया गया है।

आय, व्यय आदि क्रमशः दण्डाश्रित, हस्ताश्रित, अंगुलाश्रित, यवाश्रित अथवा कर्महस्ताश्रित हो सकती है।समराङ्गण सूत्रधार में आयादि ज्ञात करने की विधिनुसार भवन के क्षेत्रफल (नींव के चारों ओर दीवाल को छोड़कर मध्य की भूमि को भवनस्वामी के हाथ से लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कर, इनके गुणनफल के रूप में क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं) के अनुसार भवन की आय, व्यय, अंश, नक्षत्र, तारा, गण, राशि ज्ञात करते हैं। पश्चात इनका भवन स्वामी की राशि, नक्षत्र, गण, तारा आदि से मिलान कर शुभाशुभ फल का विचार करते हैं। यदि परिणाम प्रशस्त नहीं होते हैं तो वास्तु का शोधन किया जाता है जब तक कि श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होता है। इन तीनों ही अध्यायों आयादि सूत्रों के शेष फल में प्राप्त अंक से क्या अभिप्राय है व उसके दिये गये परिणाम निम्नानुसार है।

आय :– समरांगण सूत्रधार में आय, भवन के क्षेत्रफल को आठ से विभाजित करने पर शेष बची संख्या होती है। यह क्रमशः एक से आठ तक होती है। इनकी संज्ञाएँ क्रमशः ध्वज, धूम, सिंह, श्वान, वृष, खर, गज व ध्वांक्ष कही गई है।

1. **ध्वज आय :–** जब शेष एक रहता है तो वह ध्वजाय अर्थलाभदायी कही जाती है। ध्वजाय शूद्र अथवा चारों वर्णों के भवनों के लिए प्रशस्त होती है। भवनों के अतिरिक्त इसे राजछत्र, प्रासाद, मूर्ति, लिंग, पीठ, मण्डप, वेदी,

कुण्ड व देवोपकरण आदि हेतु शुभ कहा गया है।

2. **धूम्राय :–** जब शेष दो रहता है तब धूम्र आय होती है। इसकी दिशा आग्नेय व फल संतापकारक कहा गया है। इसे अग्नि से आजीविका चलाने वालों के लिए श्रेष्ठ कहा गया है।

3. **सिंह आय :–** शेष तीन होने पर सिंह आय होती है। इसकी दिशा दक्षिण व फल भोग कहा गया है। यह ब्राह्मण वर्ण के भवनों हेतु प्रशस्त होती है। भवनों के अतिरिक्त राजासन, चाभर, राजचिह्न, शस्त्र, रथ व कवच आदि के निर्माण में सिंह आय लिये जाने का उल्लेख है।

4. **श्वान आय :–** शेष चार बचने पर श्वान (कुत्ता) कलिकारक होती है। इसकी दिशा नैऋत्य व फल झगड़ा कारक कहा गया है। श्वान आय अधमायों के भवनों में प्रशस्त होती है।

5. **वृषाय :–** शेष पांच रहने पर वृषाय कही गई है। इसकी दिशा पश्चिम व फल धन–धान्य प्रदाता कहा गया है। यह वैश्य वर्ण के भवनों व घोड़ा, गजकाठी, रसोई, जलाशय, गजशाला, अश्वशाला आदि में प्रशस्त होती है।

6. **खर आय :–** शेष छः बचने पर खराय होती है। इसकी दिशा वायव्य व फल 'स्त्री दूषण' कारक कहा गया है। यह नट, नर्तकी, वेश्या, कुम्हार, धोबी आदि के भवनों हेतु उपयुक्त होती है।

7. **गज आय :–** शेष सात बचनें पर गजाय की संज्ञा दी गई है। इसकी दिशा उत्तर व फल 'मंगलकारी' कहा गया है। यह क्षत्रिय वर्ण के भवनों व धामा, राजचिह्न, शस्त्र, रथ, कवच, घोड़ा, गजकाठी, यान, वाहन आदि से शुभ कही गई है।

8. **ध्वांक्ष आय :–** शेष आठ रहने पर ध्वांक्ष आय की संज्ञा दी गई है। इसकी दिशा ईशान व फल 'मरण' या मोक्षकारक कहा गया है। यह सन्यासियों के लिये उत्तम कही गई है।

नक्षत्र :–भवन का नक्षत्र ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल में आठ का गुणा कर उसे सत्ताईस से विभाजित करते हैं शेष बची संख्या, नक्षत्र की संख्या बताती है। नक्षत्र के सत्ताईस भेद कह गये हैं, जिनकी संज्ञाएँ क्रम निम्नानुसार हैं :– (1) अश्वनी (2) भरणी (3) कृतिका (4) रोहणी (5) मृगशीर्ष (6) आद्रा (7) पुनर्वसु (8) पुष्य (9) आश्लेषा (10) मघा (11) पूर्वाफाल्गुनी (12) उत्तरा (13) हस्त (14) चित्रा (15) स्वाति (16) विशाखा (17) अनुराधा (18) ज्येष्ठा (19) मूल (20) पूर्वाषाढ़ा (21) उत्तराषाढ़ा (22) अभिजित (23) श्रवण (24) घनिष्ठा (25) शतभिषा (26) पूर्वाभाद्रपद (27) उत्तराभाद्रपद। जो नक्षत्र भवन स्वामी का होता है, वहीं नक्षत्र घर का होना चाहिये। समान सप्तल, 1, 3, 4, 10, 11वें नक्षत्र में घर बनाना चाहिये।

व्यय :– व्यय को भवन के नक्षत्र की संख्या में आठ का विभाजन कर शेष बची संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। इस व्यय की संख्या को आय की संख्या से तुलना करते हैं। यदि वह न्यून होती है तो 'यक्ष' अधिक होने पर राक्षस व सम होने पर पिशाच नामक व्यय कहलाता है। इनका फल संज्ञानुरूप ही होता है। भवन समान आय और व्यय या बिना व्यय या अधिक व्यय का नहीं होना चाहिये।

राशि :–भवन की राशि को नक्षत्र की संख्या में चार का गुणन कर नौ के विभाजन से प्राप्त शेष बची संख्या के आधार पर ज्ञात करते हैं। राशियों के बारह भेद होते हैं – (1) मेष (2) वृष (3) मिथुन (4) कर्क (5) सिंह (6

) कन्या (7) तुलना (8) वृश्चिक (9) धनु (10) मकर (11) कुंभ (12) मीन।

तारा :–गृहस्वामी के नक्षत्र से गणना करें और जब तक भरणी नक्षत्र न आ जावे गणना करें फिर उसको 9 का भाग देने पर जो संख्या शेष बचती है वह तारा कही जाती है। चौथी, छटवीं व नवमी तारा शुभ, पहली, दूसरी व आठवीं माध्यम तथा तीसरी, पांचवीं व सातवी अधम तारा कही गई है। जन्म, सम्पत, विपत, क्षेम, पाप, साधक, नैद्यनी, मैत्री, परम मैत्री ये 9 तारायें संज्ञाएं होती हैं।

अंश :–अंश को गृह क्षेत्रफल की संख्या में गृह नामाक्षर संख्या व व्यय संख्या जोड़कर तीन से विभाजित कर शेष बची संख्या के रूप में ज्ञात किया जाता है। यदि शून्य शेष रहने पर अंश संज्ञा राजा होती है। इसी तरह के शेष रहने पर 'यम' व दो शेष रहने पर 'इन्द्र' की संज्ञा होती है।

गण :–भवन का गण नक्षत्र के अनुसार निर्धारित होता है। गण के तीन भेद क्रमशः देवगण, राक्षसगण व मनुष्यगण कहे गये हैं।

देवगण : मृगशिर (5) अश्विनी (1) रेवती (22) स्वाती (15) अनुराधा (17) पुष्य (8) पुनर्वसु (7) हस्त (13) व श्रवण (23)

नक्षत्र में कहा गया है।

राक्षसगण : विशाखा (16) कृतिका (3) आश्लेषा (9) मूल (19) शतभिषा (25) मघा (10) चित्रा (14) ज्येष्टा (18) व घनिष्ठा (24)

में निर्दिष्ट हैं।

मनुष्यगण : आद्रा (6) भरणी (2) रोहिणी (4) पूर्वा फाल्गुनी (11) उत्तरा फाल्गुनी (12) अनुराधा (20) मूल (21) पूर्वाषाढ़ा (20) उत्तराषाढ़ा (21) व पूर्वाभाद्रप्रद (26)

में कहा गया है जिस गण का स्वामी होता है उसी गण का भवन शुभ या प्रशस्त होता है।

समराङ्गण सूत्रधार (भ.नि.) के आयादी – निर्णय नामण अध्याय में उपरोक्त विवरण बताये गये हैं।

वास्तु माणिक्य रत्नाकर ग्रंथ में आयादी के बारे में बताया गया है कि –

आयादिचिन्तनविधि:–

रूद्रसंख्या यवादूर्ध्व यवादूर्ध्व त्रिशिद्धस्तावधि यदा।
तदा त्वायादिकं चिन्त्यमग्र चिन्त्यमग्रऽपि चिन्ततं शुभम ॥९१॥

ग्यारह यव के उपर जब तक ३० हाथ की आय न आवे ,तब तक आयादि का चिन्तन अवश्य करें। आगे भी आयादिक का चिन्तन करना ही श्रेष्ठ है, परन्तु न भी किया जाय तो विशेष हानिकर नहीं है ॥९१॥

तृणा दकगृहे चैव न चायादिकचिन्तनम् ।
गृहारम्भं प्रवेशं च कुर्य्याच्छुभदिने गृही ॥९२॥

तृण आदि में आयादि का चिंतन न करे । उसका गृह बनाने वाला शुभ दिन में गृहारम्भ और प्रवेश करे ॥९२॥

गृहायुः मदोयपद्यम् वास्तुय जवल्लभमतानुसारेण
नागैर्विगुसिणं पिंडं व्योमशास्त्र विभाजितम् ।
लब्धं व्योमेन्द्र गुणितंमायुश्चैव भवेद्वम् ॥
धन व्यय समानस्तु पिशाचस्तु व्ययाधिकम् ।
पक्षसं वयय न्यूनेतु ज्ञेयं यक्षाभिधं गृहम् ।

आयादिकानयनम्–

नवाङ्कङ्गना गाग्निनागाष्टवेदाऽ
ष्टभिः पिण्डके संगुणेद्वै क्रमेण ।
विभागोऽत्र नागागरत्नार्कनागो.
डुतिथ्यर्ज्ञव्योमार्ककैः शिष्यवृन्दा ॥९३॥
तथा भ तिथिवै र्युतिश्चैव त्वायुः ।
ऋणाद् द्रव्यसंख्याधिकं ओजीपिण्डं
प्रकुर्याद विशंषायुरत्यन्तश्रेष्ठम् ॥९४॥

सिद्धिपिंड में ९ । ९ । ६ । ८ । ८ । ४ । ८ से गुणाकर क्रम से ८ । ७ । ९ । १ २ । ८ २ ७ । १ ५ । २ ७ । १ २ ० । का भाग देने से आय, वार, अंश, धन, ऋण नक्षत्र, तिथि योग और आयु होती है अर्थात् सिद्धिपिंड में ९ से गुणा कर ८ का भाग देने से शेष आय होता है इसी प्रकार आगे भी जाने। पिण्ड में ही ८ का भाग लेने से भी आय शेष होता है और पिण्ड को २ से गुणा कर ७ के भाग से जो शेष बचे वह वार निकल आता हे । पिण्ड में १५ का भाग देकर शेष को ८ से गुणा करने से स्थूल प्रकार की आयु होती अर्थात् कभी २ कुछ आयु का अंतर पड़ जाता है । अतः आयु पूर्वोक्त प्रकार से ही स्पष्ट करने से ठीक करे। हॉ एक आदि तिथि जो हो उसे १६ से गुणने पर भी आयु होती है परन्तु यदि १२० से अधिक हो तो १२० से शेषित कर ले। ऋण से धन अधिक रहे ओर विषम पिन्ड रहे और विशेष आयु रहै ऐसे पिन्ड आदि से कायृ करे ॥९३॥९४॥

उदाहरण– सिद्धिपिन्ड ५२५ है इसको ९ से गुणा तो ४७२५ हुआ इसमें ८ का भाग लेने से ५ बचा पाँचवाँ आय गो आया। सिद्धिपिन्ड ५२५ में भी ८ का भाग देने से शेष ५ बचा। इसी प्रकार सब स्पष्ट करे। इस पिन्ड को ८ से गुणा कर १५ के भाग से १५ वीं तिथि प्राप्त हुई है। इसको १६ से गुणने से २४० हुआ। यह १२० से अधिक है। इससे १२० का भाग दे ,शेष १२० आयु हुई ॥९३॥९४॥

आय	वार	अं	ध.	ऋ.	न.	ति.	यो	आयु
९	९	६	८	३	८	८	४	८
८	७	९	१२	८	२७	१४	२७	१२०

व्ययानयनं पूर्वादिदिक्षु शालांककथन च–

गृहभं वसुभिर्भक्तं व्ययं शेषं प्रकोर्तितम् ।
पूर्वादितः दिक्षु शाला चन्द्रो बहुः कृता वसुः ॥९५॥

गृह के नक्षत्र में ८ का भाग देने से शेष व्यय होता है, पूर्वादि दिशा का शालांक १ । २ । ४ । ८ । क्रम से होता है ॥९५॥

उदाहरण– गृह का नक्षत्र १५ है, इसमें ८ का भाग देने से शेष व्यय ७ हुआ ॥९५॥

ध्रु वादिषोशगेहानि–

ध्रुवं धान्यं जयं चैव खरं कान्तं मनोरमम्।
सुमुखाख्यं दुर्मुखं च क्रूरसंज्ञं विपक्षकम् ॥९६॥
धनदं हि क्षयं प्रोक्तमाक्रन्दं विपुलाह्वयम्।
षोडशं विजयं प्रोक्तं सर्वतोभद्रसंज्ञकम् ॥९७॥
त्रयोदशं च दशममाषष्ठं द्व्यक्षरं स्मृतम्।
वेदाक्षरं सप्तमं च शेषं हिं त्र्यक्षरं स्मृतम् ॥९८॥

ध्रुव १, धान्य २ , जय ३, नन्द ४, खर ५, कान्त ६, मनोरम ७, सुमुख८, दुर्मुख९, क्रूर१०, विपक्ष ११, धनद १२, क्षय१३, आक्रंद १४,विपुल १५, विजय १६, षोडश गृहों के नाम हैं। १६ वें की सर्वतोभद्र संज्ञा भी हे। इनका नाम के सदृश फल है इन षोडश गृहों में १३ वां १० वां और १ से लेकर ६ वें तक के गृह दो अक्षर के हैं सातवां ४ अक्षर का है। शेष ८-९-११-१२-१४-१५-१६ वां , ये ३ अक्षर के है ॥९६॥९७॥९८॥

टीप: धान्यादि सम ग्रह के द्वार के सामने रम्य १,श्रीधर २,मोदित३, बधमान४,कराल५,सुनाम६, ध्वांश७ और सर्मद्ध ये आठ प्रकार के ग्रह होते है अर्थात धान्य से रम्य व नन्द से श्रीधर इत्यादिक्रम से जानें।

ध्रुवादिषोडशगृहार्थ प्रस्तारमाह-

गुरोरधों लघुं न्यसेत् ततो हि पूर्ववल्लिखेत्।
प्रपूर्ज्य दीर्घवर्णकैर्निरन्तरं हि पश्चिमम् ॥९९॥
गुरोर्न दृष्टिगोचरे भवेल्लघुनिरन्तरम्।
इमा: क्रिया भुजङ्गराजपिङ्गलैवृनिर्मिता: ॥१००॥

गुरू नीचे लधु लिखे,आगे उपर क सदृश लिखे और वायें तरफ गुरू वर्ण से पूर्ण करे। जब गुरू न देख पड़े निरन्तर(केवल) लघु रह जाय तो जाने कि प्रस्तार ठीक हो गया क्रिया को शेष जो पिंगल में कहे हैं ॥९९॥

ध्रुवादिग्रहाणां प्रस्तार:				**त्रिशेषितपिण्ड:-**			
				१	२	३	शेष
१ ध्रुव	ऽऽऽ	९ दुर्मुख	ऽऽऽऽ।	भ	अ	कृ	
२ धान्य	।ऽऽऽ	१० क्रूर	।ऽऽ।	मृ	रो	आ	न
				पुष्य	पु	श्ले	क्ष
३ जय	ऽ।ऽ।	११ विपक्ष	ऽ।ऽ।	पू.फा	भ	उ.फा	त्र
४ नंद	।।ऽऽ	१२ धनद	।।ऽऽ	चि	ह.	स्वा	
५ खर	ऽऽ।ऽ	१३ क्षय	ऽऽ।।	अनु	वि.	ज्ये	
६ कान्त	ऽऽ।ऽ	१४ आक्रान्त	।ऽ।।	पुं.षा.	मू.	उ.षा	
७ मनोरम	ऽ।।ऽ	१५ विपुल	७।।।	घ	श्र.	श.	
८ सुमुख	।।।ऽ	१६ विजय	।।।।	उ.भा	पु.भा	रे	

अंद्राज्ञानम्-(अनु.)

ब्ययो ध्रुवाद्यक्षग्युक सर्पाराडश्चैव वह्निभि:।
भाजितांऽशा: क्रमेऐन्द्रयमभूपा: प्रकोर्तिता: ॥१०१॥

व्यय में ध्रु वादि गृह की अक्षरसंख्या जोड़े फिर उसमें पिंड मिलावें। तब उसमो का भाग दे १ शेष बचे जो इन्द्र, २ शेष बचे तो यम, ३ शेष बचे तो राजा का अंश होता है। इन्द्र अंश तॊ राज अंश शुभ है। यम अंश हानि मृत्यु को करने वाला है ॥१०१॥

टीप:-पूर्वास्य पश्चिमहारं यमास्यं ममुंख गृहम्। पूर्वोत्तिरमुर्खं पूर्वदक्षिणास्यं गृहं तु यत् ॥१॥ पश्चिमोदङ्मुर्खं पूर्व पश्चिमास्यं हिहाक्षरम्। चतुरक्षरकं गेंह यम पश्चिमयों यमात्तरमुखं गेंह मुत्तरास्यं गूहं तथा। त्रिदिक्षुद्वारं यद्गेंह चर्तुद्वारं त्र्यक्षरम् ॥३॥ दस्नादारभ्ययुष्यान्त पर्वभाद्रपदात्रियम। गृहक्षं द्वयक्षर गृहे यमांश: परिकरर्तित ॥४॥ नयांश: त्र्यक्षरे प्रोक्त इन्द्रांश: चतुरक्षरं। सर्पाद्वि देवपर्यन्तं गृहक्षं प्रभवेदयदि ॥५॥ नृपाशों द्वयक्षरगृहे शत्रांशत्र्यक्षरतया।

चतुरक्षर गेहेतु मंयाश। कीर्तितोबुधः मित्रभाद् वारूण यावद् गृहर्हक्षं परिकीर्तितम्। इन्द्राशं: द्वयक्षरे गेहे यग्योश: त्र्यक्षरें स्मृत: ॥६॥ चतुरक्षर गेहेतु सूपांश कीर्तितरे बुधैः। मित्रादि श्रवणान्वेक्ष गृहर्क्षेषु विनिर्मितं ॥७॥ पूर्वास्यं पश्चिम मुखं पूर्व पश्चिमयो मुर्खं रूपक्षरेऽपि मुकरेन्द्रांश न शुभंकष्ठदंगृहं। न सापर्क्षे पुर्व मुखं पश्चिमास्यं न शोभनम् ॥८॥ पूर्व पश्चिमयोर्द्वारं भुपांये हाक्षरे नसम्। मित्रादि श्रवणान्तेषु गृहर्क्षेषु विनिर्मिता॥९॥ पूर्वास्यं पश्चिममुखं पूर्वपश्चिमयोमुखम्। द्वयक्षरेऽपि सुरेप्द्रांशे न शुभं कष्टदं गृहम् ॥१०॥ वासुवारूणभे गेहे यमांशस्त्रक्षरे तथकास। उत्तरास्ये दक्षिणास्ये यमचोत्तरदिड् मुखे ॥११॥ न कर्तृवायश्च खनिद्वौं योगी हि क्रमेण च पुर्वभाद्र पदारश्य भरएयान्तेषु पश्चासु॥१२॥यमोन्तरमुखें ह मुत्तरास्यं न शोभनम् ॥ अन्य त्रिमुसगेहे च शोभनं धन पुत्रदम्॥१३॥

उदाहरण –

व्यय ७ आया है, इ समें ध्रुव गृह की अक्षर संख्या में २ जोड़ा तो ९ हुआ। पिंड इसमें ५२५ जोड़ा तो ५५४ हुआ। इसमें ३ का भाग देने से क१ शेष बचा। अत: राज अंश हुआ॥१०१॥

दात्रदिमडलज्ञानम्––

दीर्घविस्तारसंख्यैक्यं नवभिर्भागमाहतम।
शेंष तु मराडलं ज्ञेयं क्रमेण धग्गीसुराः ॥१०२॥
दाता महीपतिः षणढस्तस्करश्च विल्क्षणाः।
तथा कामी धनाढयश्चनिर्धनलों धनवान् विलक्षण ततः॥१०३॥

दीर्घ विस्तार की संख्या को एक में जोड़कर उसमें ९ का भाग देने से जो शेष बचे वह है पृथिबी के देव ब्राह्मण मण्डल होता है। एक शेष में दाता, २ में महीपति, ३ में नपुंसक, ४ में चोरि, ५ में विचक्षण, ६ में कामी, ७ में धनी, ८ में निर्धन और ९ में धनी होता है। (दीर्घ विस्तार की संख्या में एक जोड़कर दो से गुणा कर ८ का भाग लेने से एकादि शेष बचने पर ,इन्द्र विष्णु यम वायु कुकवेर शिव ब्रह्मा गणेश मंडलेश होते हैं यम भी पक्ष है। परन्तु इसमें वायु गणेश ही प्राय: मंडलेश होते है।)

उदाहरण –

दीर्घ २५ विस्तार २१ िके एकत्र जोड़ा तो ४६ हुआ। इसमें ९ का भाग देने से १ शेष बचा अत: दाता मण्डलाधिप हुआ ॥१०२॥१०३॥

सुर्यचन्द्रवेधनिर्णयः ––

दक्षिणोत्तगयोर्दीर्घं वेंधः चन्द्रमसम्तथा ॥
पूर्व श्मियोकदीर्घ पेधः कमल नीपते: ॥१०४॥

दक्षिणा उत्तर दीर्घ हो तो चन्द्रमा का वेध और पूर्व पश्चिम दीर्घ हो तो कमलिनीपति (सुर्य) का बैध होता है ॥१०४॥

कुत्र कस्य वेधः––

ग्रामें क्षेत्रे गृहे वाप्यां तडागे वाटिकासु च।
शुभ दश्चन्द्रवेधस्तु रवेः कोष्ठोऽग्निजीविनाम् ॥१०५॥
जलाशये रवेर्वेधंगृहे चन्द्रमसः शुभम्।
वाटिकायां द्वयोर्वेधमिति विज्ञा वदान्त च ॥१०६॥

ग्राम में, क्षेत्र में गृह में, वापों में, तालाब में ओरे बगीचे में चन्द्रवेध शुभ है। काष्ठाकार्य, अग्निकार्य बा अग्निजीवियों के कार्य में सूर्यवेध अच्छा है। किसी का मत है कि जलाशंय में सूर्यवैध, गृह में चन्द्रवेगध और बाग में दोंनो का वैध श्रेष्ट है ॥१०५॥१०६॥

भवन भास्कर पुस्तक के १२ वें अध्याय में धन ऋण, आय आदि ज्ञान के सूत्र के बारें में निम्नानुसार बताया गया है कि,

धन, ऋण, आय, आदि के ज्ञान का उपाय

१ घर की चौड़ाई लम्बाई से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है, उसे पद कहते हैं। उस पद के (छः स्थानों में रखकर) क्रमशः ,८३,९,८,९,६, से गुणा करें और गुकणनफल में क्रमशः १२,८,८,२७,७,९, से भाग

दें। फिर तो शेष बचे, वह क्रमशः धन, ऋण, आदि इस प्रकार निकाले जायेंगे।

धन	=	३७५X८/१२ =		० अर्थात् १२
ऋण	=	३७५X३/८	=	५
आय	=	३७५X९/८	=	७
नक्षत्र	=	३७५X८/२७	=	९
वार	=	३७५X९/७	=	१
अशं	=	३७५X६/९	=	० अर्थात् ९

अब उनका फल इस प्रकार समझना चाहिये –

धन –

यदि ऋण की अपेक्षा धन अधिक हो तो ,वह घर शुभ होता है।

ऋण–

यदि धन की अपेक्षा ऋण अधिक हो तो ,वह घर अशुभ होता है।

आय –

यह आठ प्रकार की होती है –

१.ध्वज	२. धूम	३.सिंह
४.श्वान	५. वृष	६.खर
७. गज	८. उष्ट्र(काक)	

यदि आय विषम (१,३,५,७) हो तो शुभ होता है और सम (२,४,६,८) हो तो अशुभ होता है।

नक्षत्र – घर का जो नक्षत्र हो, वहाँ से अपने नामके नक्षत्र तक गिनकर जो संख्या हो उसमें ९ से भाग दें। यदि शेष बचे तो गृहकर्ता की मृत्यु होती है। घर की राशी और अपनी गिनने पर परस्पर २, १२ हो तो धन की हानि; ९,५ हो तो पुत्र की हानि और ६,८ हो तो अनिष्ट होता है। अन्य संख्या हो तो शुभ समझना चाहिये।

वार तथा अंकश –सूर्य (१) और मंगल (३) के वार तथा अं श हो तो उस घर में अग्निभय होता है। अन्य वार तथा अंश होने सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ प्राप्त होती हैं।

उपर्युक्त उदाहरण में सब वस्तुएँ शुभ हैं, केवल वार १ (रविं) अशुभ है, जिससे घर में अग्निभय रहेगा।

(२) घर की लम्बाई – चौड़ाई के गुणनफल (पद) को आठ से गुणा करें, फिर १२० से भाग दे तो घर की आयु का ज्ञान होता है।

(३) घर और गृहस्वामीका एक नक्षत्र हो तो गृहस्वामीकी मृत्यु होती है।

(४) ध्वज आय में गृहारम्भ करने पर अधिक धल तथा किर्ति मिलती है।

धुम्र आय में गृहारम्भ करने पर भ्रम तथा शोक होता है।

सिंह आय मे गृहारम्भ करने पर विशेष लक्ष्मी तथा विजय प्राप्त होती है।

श्वान आय में गृहारम्भ करने पर कहल व वैर होता है।

वृष आय में गृहारम्भ करने पर धन धान्य का लाभ होता है।

खर आय में गृहारम्भ करने पर स्त्रीनाश तथा निर्धनता होती है।

गज आय में गृहारम्भ करेन पर पुत्रलाभ तथा सुकख होता है।

उष्ट्र आय में गृहारम्भ करेन पर शुन्यता तथा रोग होता है।

(५) ध्वल आय हो तो सब दिशाओं में, सिंह आय हो तो पूर्व, दक्षिण, उत्तर दिशाओं में, वृष आय हो तो पश्चिम दिशा में और गल आय हो तो पूर्व ओर दक्षिण दिशामें मुख्य द्वार बनाना उत्तम होता है।

(६) ब्राह्मण के लिये ध्वज आय और पश्चिम में द्वार बनाना उत्तम है। क्षत्रियके लिये सिंह आय और उत्तर में द्वार बनाना उत्तम है। वैश्यके लिये वृष आयं ओर पूवृ में द्वार बनाना उाम है शूद्र के लिये गज आय और दक्षिण में द्वार

बनाना उत्तम होता है।

(७) जिस मकान की लम्बाई बत्तीस हाथ से अधिक हो, उस में आय आदि का विचार नहीं करना चाहिये।

न्यूएज बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्थापत्यवेद वास्तु शास्त्र नगर नियोजन में सर्वप्रथम चयनित भूमि को नापते हैं।

इसके बाद उस पर विन्यास बनातें है तथा पर देवताओं को बलि (पूजा समर्पित) करतें देतें है इसके पश्चात् नगर नियोजन करतें हैं। आवासीय और अन्य भवनों का विन्यास करतें हैं पश्चात् भवनों की नींव रखतें हैं तथा अंत में प्रथम गृह प्रवेश करतें हैं ।

ग्राम विन्यास में माप की मात्रा दण्ड है जिसें धनुग्रह कहा जाकर २७ अंगुल का होता है।

इसके पश्चात् ज्योतिष के आधार पर आयादि का निर्णय करतें हैं जिसें षट्वर्ग कहतें है जो निम्नानुसार है।

१	आय		शेष बचें	= लंबाई X ८/१२
२	व्यय	=	शेष बचें	= चौड़ाई X ९ / १०
३	ऋक्ष २७ नक्षत्रों का समूह	=		लंबाई X ८ / २७
४	योनी आठों दिशाएँ	=	चौड़ाई X ३ / ८ =	परिधि ९/७
		या	मोटाई X९ / ७	या उंचााई हाईट ९/७
५	तिथी चंद्रमा की परिक्रमा कलाएँ	=	परिधि X ९/३०	
६	अमस	=	परिधि X४/९	

७ गण असुर और मनुष्य को छोड़कर शेष सभी गण शुभ हैं।

८ नयन इसकों ज्ञात करनें के लिए रविवार से शनिवार ७ दिनों को ३ से गुणा कर जिसें अश्विनी या अन्य दिन का नक्षत्र और इस सभी को कुल दिनों से भाग (Divide) देने पर प्राप्त कल नयन होगा। ६ प्रथम, ७ दुसरा, ८ तीसरा, ९ चौथा एंव आगे इसी प्रकार नयन होंगे ।

९ आय, व्यय, वार आदि विभिन्न श्रेणी के सूत्र भली भांति ज्ञात लक्ष्यों का समुह जो सदैव एक निश्चित क्रम संख्या का पालन करतें हैं जैसे आय का समुह, सिद्धि से प्रकार कर १२ का समुह है। इसी प्रकार व्यय करतें शिखर से प्रारम्भ कर १० का समूह है, १२ राशियों को, योनी ८ प्रकार की, ध्वज धूम, सिंह, स्व, वृष, खर, कुंजर व कार्क को दर्शाती है। वार सत्ता के ७ दिनों के समूह को दर्शाता है तिथी ३०चन्द्र दिवसों जिसमें १५ दिन कृष्ण पक्ष को दर्शाता है। अम्स ९ तस्कर के समूह को दर्शाता है।

यह देखा गया है कि लंबाई के माप को आय व ऋक्ष में या चौड़ाई व्यय व योनि में तथा परिधी व उचाई को वार व तिथी के सूत्र से परिक्षण किया गया है। यह भी देखा गया है कि प्रत्येक प्रकरण में सूत्रो दो माप के गुणा को किसी संख्या द्वारा जो उसके सम्मुख की संख्या के द्वारा विभाजित किया गया है। वह भी उसी मूल क्रम में।

प्रत्येक प्रकरण में सूत्र को हल करने के बाद शेष रही संख्या, उस श्रृंखला का एक निश्चित नाम है। जब यह संख्या अशुभ स्वीकर नहीं हो तो इसे रदद् कर अन्य माप दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए चौडाई X ३/८ योनि ज्ञात करने हेतु सूत्र में शेष रही संख्या २ हो तो वह धूम योनि कहलाती है। अगर यह योनि अशुभ है तब वह चौड़ाई स्वीकार नहीं की जा सकती है। इसी तरह वार के सूत्र परिधि X ९/७ में शेष ४ रहे तो वह सप्ताह का चौथा दिन बुधवार होगा जो अगर शुभ है ,तो चयनित परिधि परिक्षण में ठीक है। शेष रही संख्या शुभ या अशुभ होती है

। जब कोई शेष न रहे आय के सूत्र ममें तो यह धर्मवृद्धि तथा व्यय के फार्मूले में अगर कोई शेष न रहे तो वह शुभ है । अगर आय और व्यय बराबर है तो कोई दोष नहीं है इसके अतिरिक्त आय आय और व्यय की गणना के बारे में देखना चाहिए कि यदि वार में शेष अंक शुक्र, सोम या बुध जो शुभ है । वैसे भी वार के दुष्प्रभाव अगर शुभ ग्रहों का योग है तो नहीं होता । रविवार से कोई भ ४ दिन गण या नक्षत्रों का समूह विशाखा से प्रारंभ होकर स्वाति तक गण्ड योग मृत्यु योग और सिद्वि योग कहलाता है । तिथियों के बारे में नव चंद्रमा के दिन अष्टमी या ८वां दिन नये के बाद यह पूर्ण चंद्रमा व नवमी को त्याजना चाहिए इसके अतिरिक्त शेष सभी तिथियों शुभ है । इसी प्रकार वृश्चिक राशि को छोड़कर शेष सभी राशियाँ शुभ मानी गई हैं ।

वास्तु सारणी ग्रंथ मे आयादि निर्णय के बारें में बताया गया है कि –

गेहस्याय:–

अष्टावशेषिते पिराडे क्रमादाया ध्वजादिकाघ: ।

केतुर्घूम्रो हरि: श्वा गौर्गर्दभो गजवायसौ ॥१०४॥

पिराड में ८ का भाग लेने से शेष ध्वजादि आय होता है । १ शेष बचे जो ध्वज, २शेष बचे तो धूम, ३शेष बचें तो सिंह, ४ शेष बचे तों कुत्ता, ५ शेष बचे तों गौ, ६ शेष बचे तों गदहा, ७ शेष बचें तो ह्स्ती, ८ शेष बचे तों काक आय जानना ॥१४०॥

उदा. ९५७ पिराड है इसमें ८ का भाग दिया तो शेष ८ बचे यही पाँचवा गौ आय है ।

आयपरत्वेन् गेहद्वारम् –ध्वज आय में सब दिशा में द्वार बनाना शुभ होता है । सिंह आय में पूर्व दक्षिण उत्तर में द्वार बनाना श्रेष्ट है । गज आय में पूर्व पश्चिम मुख द्वार श्रेष्ट है वृष आय में पश्चिम मुख द्वार बनाना श्रेष्ट है ॥१०५॥

आयफलम् : ध्वाजादि आयों का क्रम से किर्ति, शोक, जय वैर, धन, दरिद्रता, सुख, और रोग फल है । अर्थात् ध्वज का किर्ति, धूम का शोक, सिंह का जय कुत्ता का वर्र, गो का धन, गर्दभ का दरिद्रता,गज का सुख और ध्वांक्ष का रोग फल है ॥१०६॥

पिण्डानयनम् । घोड़ा के घर में ध्वज आय श्रेष्ठ है । गज सिंह वृष ध्वज ये सब जगह उत्तम है, तथा वृष के आय के सिंह गज अश्व के गृह में न देश और पुट कर्कट करिके कीट के गृह में वृष सिंह गज आयकों देय, बावली कुआँ पोखरा गज आय का बनावै, आसन में सिंह देय, शयन के वस्तु में गज, भोजनपात्र में वृष, छाता आदि में ध्वज, अग्नि के घर में और अग्नि से जीवीका करने वाले के घर में धूम, म्लेच्छादि के घर में श्वान, वेश्या के घर में खर आय का अच्छा है, कूटी में ध्वांक्ष प्रासाद पुर गृह में वृष सिंह गज आय श्रेष्ब है अत: उक्त आयों से ही पिराड् बनाना श्रेष्ठ होगा ॥१०७–१११॥

गज आय तथा ध्वज आयें में हस्ती का गृह शुभ है, ध्वज खर वृक्ष में घोंड़ा का घर बनाना शुभ है, गज वृष ध्वज आय में ऊँट का घर बनावे अन्य पशुओं के घर बनानें में वृष और ध्वज की आश शुभ है, शय्या में वृष, पीठ में सिंह, छाता वस्त्रादि में वृप, ध्वज, खड़ाउं, जूता, सिंह आय में, या ध्वज आय में उक्त अनुक्त सब मन्दिरों में ध्वज आय शुभ है ॥११२॥११३॥११४॥११५॥

यंत्र, शस्त्र, रथे में सिंह आय और भणडार के घर में गज आय, धान्यगृह, जलगृह वृष, अश्व, गजशाला में वृष आ शुभ है । ॥११६॥

यद्यपि ब्राह्मण के ध्वज, क्षत्री के सिंह, वैश्य के वृष, शूद्र के गज, चर्मकार के धूम्र, धोवी के श्वान, वेश्या के खर और ज़ातियों को ध्वांक्ष आय देना शुभ लिखा है तथापि ब्राह्मणादि चारों वर्णो के लिये ''भूमित्रिपञ्चसप्ताख्या आया: शस्ता सदा गृहे '' अर्थात् प्रथम तृतीया पंचम सप्तम ब्राह्मणादि के गृह में शुभ है ॥११७॥११८

रामोक्तमायादिकालयनम् –

पिंड का ९ । ९ । ६ । ८ । ३ । ८८ । ४ । ८ । से गुणा करने पर क्रम से ८।७,९।१२ ।८२७ ।१५ ।१२० का भाग लेने से आय, वार, अंश धन, ऋृगा, नक्षत्र, तिथि, योग और आयु होती है, अर्थात् पिंड ९ से गुणा कर ८ का भाग लेने से शेष बाय हुआ इसी प्रकार आगे भी जाने ।

उदा:–सिद्ध पिराड ९५७ को ९ से गुणा तो ८६१३ हुए इससें ८ का भाग देनें से शेष ८ बचे पांचवां आय हुआ ऐसे ही वारादि भी निकालें ॥११९॥१२०॥

अयादिनिर्णयः-

पिराड को २ से गुणा देने से शेष बार होता है, नक्षत्र की संख्या को तीनसे भाग लेने से जो शेष बचे उसको ३ से गुणा करने पर अंश होता है अश्विनी आदि नक्षत्रों का ४ । ८ । १२ धन होता है (अश्विनी का ४ भरणी का ८ कृत्तिक का १२ फिर रोहिणीका ४ इसी प्रकार आगे भी जानैं) ध्वजादि विषम आय का ३ । १ । ७ । ५ ऋणा है, अश्विनी आदि विषम नक्षत्रों में एक से एक २ योग अधिक होता है। पिण्ड का ८ से गुणा करके दो जगह धरें, एक जगह १४ का भाग देने से तिथि और दूसरें जगह १२० का भाग देने से आयु होती है ॥१२१से१२४॥

वार का उदा.

पिराड ९५७ को २ से गुणा तो १९१४ हुआ इसमें ७ का भाग देनें से शेष ३ बचा यह वार हुआ।

अंश का उदा.

इष्ठ नक्षत्र स्वातीकी संख्या १५ हैं इसमें ३ का भाग देने से शेष ३ बचा अस शेष को ३ से गुणा किया तो ९ अंश हुआ।

धन का उदा.

४ । ८ । १२ यह वार २ अश्विनी आदिका क्रम से धन है इससे स्वातीका १२ धन है।

इस चक्र से अंश

इन नक्षत्रों का ३अंश ४ धन है	अ.	रो.	पु.	म.	ह.	वि.	मू.	श्र.	पू.
इन नक्षत्रों का ६ अंश ८ धन है	भ.	मृ.	पु.	पू.	चि.	अ.	पू.	ध.	उ.
इन नक्षत्रों का ९अंश १२ धन है	कृ.	आ.	श्ले.	उ.	स्वा.	ज्ये.	उ.	श.	रे.

ऋण का उदाहरणाचक्र से जाने

इन आयों का	१	३	५	७
ये ऋण है	३	१	७	५

योग का उदाहरण-

अश्विनी से विषम नक्षत्र १४ से एक २ वृद्धि है। अत: अश्विनी का १४ वां कृतिका का १५ वां इत्यादि और भरणी से सम नक्षत्र १ से एक २ वृद्धि है अतएव भरणी का पहला रोहिणी का २ रा, आदर्द्र का ३ रा इत्यादि सभी प्रकार से योग जाने।

तिथि तथा आयु का उदाहरण -

पिंड ९५७ को ८ से गुणा तो ७६५३ हुआ इसको दो जगह धरा, एक जगह १५ का भाग दिया तो शेष तिथि ६ मिला, दूसरी जगह शेष तिथि निम्नलिखित चक्र के अनुसार प्रतिपदादी तिथियों के प्राप्त होने पर जो आयु आती है उसको लिखतें है।

इन तिथी की	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
आयु है	१६	३२	४८	६४	८०	९६	११२	८	२४	४०	५६

इन तिथी की	१२	१३	१४	१५
आयु है	७२ ५	८८	१०४	१२०

वशिष्ठोक्तआयादिचिन्तनावधि:-

एकादश यव से ३२ हाथ तक आयादिक का विचार करें ,इसके बाद आयादिक का विचार न करें (इस पर सब ॠषियों की समति नहीं है)॥१२५॥

इस प्रकार स्थापत्यवेद के विभिन्न ग्रंथों में उपर बताए अनुसार आयादि निर्णय से तात्पर्य आय, व्यय, नक्षत्र, योनि,वार,तिथी, अंश,गण,तारा,राशि के ज्ञात करने के लिए समरङ्गण सूत्रधार व मानसार ग्रंथों में कुछ आंशिक भेद के साथ गणितीय सूत्र दिए गए है जिसमें नगर, ग्राम,भवन, घर, मंदिर आदि के माप के आधार पर उनकी संज्ञाओं के साथ परिणाम भी बताए गए हैं। समराङ्गण सूत्रधार में आयादि का निर्णय क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। मानसार में लंबई,चौड़ाई,उचाई या परिधि को आधार माना गया है। समराङ्गण सूत्रधार में आय,व्यय की संज्ञाओं के ८ भेद है जबकि मानसार में १२ भेद हैं।

५.११:-नगरादि में मार्ग,वप्र,परिखा व नालियों का सिद्धांत :-

स्थापत्यवेद के विभिन्न ग्रंथों व पुस्तकों में नगरादि में मार्ग ,चार दिवारी ,परिखा,व नालीयों को बनाने के बारें मे अति विस्तार से क्हां , कब , कैसे बनाना चाहीये यह सब गणीतीय सूत्रों के साथ बताये गये हैं।

स्थापत्यवेद के प्रमुख ग्रंथ समराङ्गण सूत्रधार भवन निवेश में मार्ग आदि संबंधी सिद्धांतों का वर्णन निम्नानुसार है :-

मार्ग (सड़कों):- वास्तु क्षेत्र के चौकोर होने पर पूर्व तथा उत्तर तक चार-चार भाग के तीन-तीन वंश स्थापित करने चाहिये। इन छ: वंशो में 'पुर-पद' के विभक्त हो जाने पर सोलह पदों अर्थात् कोष्ठों से युक्त होने पर 'मध्यम वंश' का अवलम्बन कर शुभ ''राजमार्ग'' का निर्माण करना चाहियें। २४ हस्तों के प्रमाण से ''सोलह पुर'' में यह राज मार्ग श्रेष्ठ है। इसी प्रकार मध्यम पुर में २० हस्तों से राजमार्ग महल मार्ग कहलाता है व अधमपुर में १६ हस्तों से ''अधम राजमार्ग'' कहलाता हैं । राजा, प्रजा ताी चतुरंगिणी सेना के लिये यह मार्ग पक्का, पूर्ण सुविधा युक्त बनाना चाहिये। उस मार्ग के पास दोनों वंशो पर दो महारथ्याओं का निर्माण करना चाहियें। ये दोनों महारथ्यायें तीनों ज्येष्ठादि पुरों में क्रमश: १२,१०,८ हस्त के प्रमाण से बनाना चाहिये।

पद के मध्य भाग में चार यान मार्गो का निमार्ण करना चाहिये इन ज्येष्ठादि पुरों में यान मार्ग ४ हस्त का होता है, महामार्ग की आधी 'या' आधी से २ करों से अधिक उपरथ्या का प्रमाण और शेष रथ्यायें उसकें १/२ प्रमाण से बनाना चाहिये । चार, यान मार्ग के दोंनो तरफ, पदाष्टक पदान्तस्थ, दो दो जंघा पथ (फुटपाथ) बनाना चाहिये। ज्येष्ट पुर में ये जंघा पथ ३ हाथ के, मध्यम में २-१/२ हाथ व अघम में २ हाथ के होने चाहिये, पुर के बीच में दूसरे दो और मार्ग अर्थात् ''घंटा मार्गो'' का निर्माण करना चाहियें। गुण और प्रमाण में राजमार्ग के समान होते है इस प्रकार पूर्व में पश्चिम तक १७ मार्गो का वर्णन किया, उसी प्रकार से दक्षिण से उत्तर तक उसी प्रमाण से उतने ही मार्ग बनाने चाहियें।

'भूगर्भीय जल संवर्धन' की द्दष्टि से ''वप्र व परिखा'' निर्माण संभवत : पर्यावरण, सुरक्षा व तत्कालीन

परिस्थिति अनुरूप पहले नगर व ग्रामों में चारों और बनायी जाता थी जिसके सिंद्धात निम्नानुसार है।

मानसार ग्रंथ में ग्रामों, नगरों के आकार अनुसार दण्डक आदि आठों प्रकार के ग्रामों में मार्ग के बारे में बताया गया है कि ३ या ५ रथया (रथ के लिए) या मूल से अग्र भाग तक (विथि) गली बनाना चाहिए। सड़क की चौड़ाई १,२,३,४,या ५ दण्ड हो सकती है। अन्य मध्य विथी के चारों ओर की विथी एक-दूसरे के बराबर, आंतरिक रथ्या (रथ) बराबर या अन्य माप की बनाएं। मूल से अग्र तक रथ्या मार्ग में एक ओर पैदल मार्ग आश्रय हेतु बनाना चाहिए परंतु मुख्य विथी में दोनों ओर पैदल मार्ग बनाना चाहिए।

श्लोक :- घण्टामार्ग प्रमाणेन घण्टामार्गस्य बह्यत:।
समन्ततों वप्रभुवं स्थापयेत् तद्विधानवित्॥[1]
महारथ्या प्रमाणेन तद्भूमेर्बाह्य तस्तत:।
व्यासखातान्तरैः सार्ध विधेय परिखात्रयम्॥[2]

खातोत्पादोंज्झितं कार्य सज्यंशेनार्धतोऽपि वा।
व्यासत: स्यादशेषेण मूलतस्यद्वदेव तत्॥[3]
कुर्याद् वप्रं स्व भू-भागे परिखोत्खातया मृदा।
सोत्सङ्गं गजपृष्ठं वा गोत्रीय पदताडितम्॥[4]

घंटा मार्ग में प्रमाण से, घंटा मार्ग के चारो तरफ वप्र भू विशेषज्ञों द्वारा वप्र भू की स्थापना करनी चाहिये, उसके बाद उस भूमि के बाहर महारथ्या के प्रमाण से व्यास खातान्तरों के साथ तीन परिखाओं का निर्माण करना चाहिये। खोदी मिट्टी बाहर कर, व्यास और मूल के प्रमाण से आधा व्यास के प्रमाण से वप्र निर्मित करें, अपनी भूमि के भाग पर खाई की खुदी मिट्टी से उत्संग के साथ 'हाथी व गायों' से भूमि को बराबर (समतल) कर निर्माण करना चाहिये।

खाई की खोदी हुई मिट्टी से वप्र निर्माण सम्पन्न होने पर बची मिट्टी से पहले निम्न भू स्थलों को पूरित कर बराबर करना चाहिये। इस प्रकार तीनों परिखाओं के चारों तरफ संशोधन करके पत्थरों अथवा ईंटों से उसके तल को दृढ़ करना चाहिये फिर उसको पानी से भरना चाहिये, जिससे वहाँ चित्र - विचित्र कमलों, पेड़ों से शोभा हो, साथ ही संग्रहित जल के निकालने का मार्ग भी हो। अब इन परिखाओं के सब तरफ फूल पौधों और पेड़ों से सुन्दर बगीचों का निर्माण कर, सभी दिशाओं को पेड़ों, लताओं से ढ़कना चाहिये। चारों ओर 2 या 1 हस्त चौड़ाई में पत्थरों आदि से 'जल भ्रम'(नालियाँ) बनाना चाहिये। इन परिखाओं के मध्य में पकी हुई ईंटों से प्राकार (दीवार) चारों पक्ष द्वार सहित अलंकरण, कंगूरा युक्त उसमें विस्तार के बराबर ''आकाश पथ'' ''पुर'' और ''प्रतोली'' आदि पहले बनाई जाती है।

ग्राम की परिधि पर परिखा व बाहरी दीवार बनानी चाहिए। जिसमें चारों दिशाओं में चार द्वार व चार उप द्वार होने चाहिए। इसी प्रकार सर्वतोभद्र ग्राम में १,२,३,४,या ५ सड़क साथ में परिधी पर एक साथ चारों ओर एक आंतरिक व बाह्य सड़क में पैदल मार्ग बनाना चाहिए। मुख्य सड़क या गली पर स्थित मकानों की चौड़ाई ३,४ या ५ दण्ड व लम्बाई,चौड़ाई की दुगनी या तिगनी बनाना चाहिए। पिशाच विथी में सर्वत्र सड़क व ईशान में गली में दोनो ओर एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ते हुए पैदल मार्ग सहिए सड़क बनाना चाहिए। इसी तरह अन्य प्रकार के ग्रामों मे भी मार्ग,वप्र,परिखा आदि के बारे में बताया गया है।

इसी प्रकार "मयमत" ग्रंथ में भी मार्ग, वप्र, प्रकार, आदि का वर्णन निम्नानुसार बताया गया है। नगर में पूर्व व उत्तर के अग्र भाग, मार्ग का यथेष्टा पूर्वक बताये गये विधानानुसार विन्यास करना चाहियें। एक दण्ड, १/२ उण्ड की वृद्धि दर से, १३ भेद मार्ग की चौड़ाई के कहे गये है।

नगर विन्यास के क्रमश: सभी प्रकार के विन्यास को संक्षेप्त में कहते है।पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले मार्गो की संख्या १२,१०.८,६,४ या २ और इसी तरह इतनी ही संख्या उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली मार्गो की होती है।

१-२ मानसार/अ.१०/१-२ व १-४ संस/२३/१६ -१९

विषम संख्या में ११,९,७,५,३ या १ मार्ग (प्रत्येक दिशा में) होना चाहिए। सम या विषम पद् विन्यास में२,३ या १पद अज ब्रहम के होते हैं। सर्व नगरीदि के लिए एक मार्ग दण्डक सदृश्य हो, वहाँ दण्क विन्यास अभिष्ट है। इसके मध्य में उत्तर दिशा से आता एक मार्ग काटता है, तो यह कर्तरी दण्डक कहा गया है। यदि वहाँ से कुट्टिम(Pavel street) मार्ग से प्रारंभ होती हो तो वह 'बाहु दण्डक' विन्यास कहलाती है। यदि वहाँ चारों दिशाओं में चार द्वार हो और मध्य में विथी हो, जिसकें दोनों पार्श्व बहुत सी कुट्टियों से संयुक्त हो तथा शेष पूर्वानुसार हो तो इसे 'कुटिकामुख' दण्डक कहा गया है।

जहाँ तीन मार्ग पूर्व की ओर तथा तीन मार्ग उत्तर की ओर से संयुक्त हो उसे ज्ञानियों ने 'कलिका बंध' कहा है। यदि तीन मार्ग पूर्वामुख और तीन मार्ग उत्तराभिमुख प्रत्येक एक दूसरे से अन्र्तयुक्त हो और अनेक कुट्टिम मार्ग हो तो वह 'वेदीभद्र' कहलाता है जो कि नगरादि के लिए प्रशस्त कहा गया है। नगर में भी स्वस्तिक ग्राम के समान स्वस्तिक मार्ग विन्यास होते है लिसमें ८-८ प्रग उत्तर मार्ग होते है तथा जब ४ मार्ग पूर्वामुख व ४ मार्ग उत्तराभिमुख, एक ब्रहम के चारों ओर वृत्त पथ से एवं तीन कुट्टिम मार्ग पूर्व की और से हो तो उसे "भद्रक" नाम का नगर विन्यास कहते है।

जब पाँच मार्ग पराङ्मुख एवं उत्तरामुख हो तथा बहुत सी कुट्टियों से संयुक्त हो तो उस वास्तु का नाम "भद्र मुख" होता है। ज़ब छह मार्ग पूर्व की ओर एवं उतने ही उत्तर में तथा कुट्टी युक्त होतो वह 'भद्रकल्याणक' विन्यास कहलाता है। जब पूर्व से पश्चिम की ओर सात मार्ग तथा उत्तराभिमुख से कई मार्ग तथा शेष पूर्वोक्तानुसार हो तो यह "महाभद्र विन्यास" कहलाता है।

जहाँ आठ पूर्वाभिमुख एवं आठ उत्तराभिमुख मार्ग व अनेक गलियाँ तथा कुट्टिम हो तो उसे "वस्तु सुभद्र" विन्यास कहतें है। नौ - नौ मार्ग पूर्व की ओर एंव उत्तर की ओर द्वार उपद्वार, कुट्टिम मार्ग, गलियों से युक्त हो उसे "जयनाङ्ग" कहते है। दस मार्ग पूर्व से दस मार्ग उत्त्र से, नृप मंदिर व अनेक गलियाँ बहु कुट्मि से संयुक्त हो उसे विद्वानों ने "विजय" विन्यास कहा है।

सर्वतोभद्र विन्यास में पूर्व से ग्यारह मार्ग व उत्तर से ग्यारह मार्ग, ब्रह्म स्थान के पश्चिम में नृप वास, जिसके सामने बड़ा खाली महा आंगन, रनिवास वांछित स्थान पर हो तथा अन्य का योग्य नियोजन हो ,वह मार्ग ब्रह्म स्थान से उत्तर व पूर्व को जाते हो उन्हें "राजमार्ग या राजविथी" कहतें हैं। इन दोनों के पार्श्व में मालिका गृह पंक्ति जो राज्य कर्मचारियों व परिजनों के लिए होती है इनकें बाहर दूर या पाशर्व में वणिकों के निवास व इसकें दक्षिण ममें जुलाहों कुम्हारों के आवास तथा उत्तर की ओर उसके समीप अन्य शुद्र वर्ण वालों के आवास हो तथा शेष पूर्वोक्तानुसार हो तो इसे "सर्वताभद्र" बसाहट या विन्यास कहते है।

इस प्रकार विद्वानों द्वारा नगर के १६ भेद जिसमें न तो मार्गच्छेद (nor to be interrupred) न ही मध्य में काटती सड़क युक्त बताए गए हैं। शेष नियोजन सम्यक रूप से युक्ति युक्त, पूर्वक नृप इच्छा से बनाना चाहिए।

स्थापत्यवेद के विभिन्न ग्रंथों में उपर बताए अनुसार मार्ग, वप्र, परिखा, विथी आदि के बारे में जो सिद्धांत बताए गए हैं वह नगॅर व ग्राम की सुरक्षा, प्रभावी भू-जल संवर्धन व प्रकृति के जल चक्र सहित अन्य नियमों का पालन करते हुए नगर व ग्राम नियोजन के लिए बताए गए है। इनका उपयोग ग्राम के आकार, प्रकार, माप आदि के आधार पर एक कुशल स्थपति को ग्राम या नगर नियोजन में करना चाहिए।

५.१२ नगरादि में वसति योजना के सिद्धांत :-

स्थापम्य वेद में विभिन्न प्रयोजनों आवासीय, वाणिज्य, औद्योगिक आदि प्रयोजनों हेतु रहने व व्यवसाय का स्थान वर्णानुरूप बताये गये है "समरांङ्गण सूत्रधार" के अनुसार आग्नेय दिशा (दक्षिण-पूर्व)में बहि(अग्नि) से जीविका प्राप्त करने वाले सुवर्णकारों, लोहरों आदि को बसाना चाहियें। दक्षिण दिशा में वैश्यों के, जुवारियों के, चक्रिकों अर्थात् गाड़ी चलाने के, नटों व नाचने वालों के घर स्थापित करने चाहिये, सोकारिक (सूकरोपजीवी/सुअर पालने वाले), मेषीकार (गडरीया), बहेलिया, केवट तथा दमनाधिकारी इन सबकें नेॠत्य में बसाना चाहियें / रथों, शस्त्रों

आदि के बनाने की कारीगरी जिनको मालूम है, उनको नगर की (पश्चिम) वारूणी दिशा में बसाना चाहियें। काम में लगे हुये जो नोकर आदि है और जो शराब बेचने वालें हैं, उन सबको (उत्तर-पश्चिम) वायुव्य दिशा में बसाना चाहिये। सन्यासियों की कुटियों को "ब्रहाज्ञानियों की सभा" ,प्याउ तथा धर्मशाला को कुबेर (उत्तर)दिशा में स्थापित करना चाहिये। नगर की ईशान दिशा में घी और फल बेचने वालों को बसाना उत्तम कहा गया है, बुद्धिमान स्थपति को आग्रेय (दक्षिण-पूर्व), में सेनाध्यक्षों और राजा के मुखियों तथा ना-ना सैन्य को बसाना चाहियें। श्रेष्ठियां तथा अच्छे लोंगो (देश महत्तरों) को दक्षिण में बसाना चाहिये तथा नेऋत्य दिशा (दक्षिण-पश्चिम) में याम्हेकारों कों बसाना चाहिये। कोषाध्यक्ष, महामात्र और आदेशकों तथा कलाकारों (शिल्पियाँ) एंव नियामकों को वरूण (उत्तर) दिशा में निवशित करना चाहिये। वायुव्य दिशा में नायकों के सहित दंडनाभों (दंडाधिकारी) को एंव पुरोहितों, ज्योतिषियें, ब्राम्हाणों का उत्तर दिशा में, पूर्व (इन्द्र) की दिशा में क्षत्रियों को, वैश्यों को दक्षिण में व शुद्रों को पश्चिम में बसाना चाहिये। वनिजों, वैश्यें तथा विशेषकर सेनाओं को चारों दिशाओं से ही स्थान देना चाहिये।

बुद्धिमान स्थपति को दक्षिण दिशा में "शमशानों" का निवेश करना चाहिये। 'वास्तु संस्थान मातृका' के अनुसार भूमि की आकृति के अनुसार भिन्न-भिन्न क्षेत्रवासियों के निवास जैसे - 'चतुरश्र' में राजा, 'शैयाकार' में पुरोहित, 'शकट' में वैश्य 'भग' में वैश्याऐं, "कूर्मपृष्ठ" में माली, 'स्वस्तिक' में बंदीजन, 'उत्संग' में जैन साधु आदि के स्थान बताये गये हैं। इस संबंध में 'मानसार' में जैन साधु आदि के स्थान भी बताये गये हैं।

भवन भास्कर में बताया गया है कि मनुष्यों को किस गाँव, किस नगर तथा किस तथा किस दिशा में निवास करना चाहिए जो नारद पुराण पर आधारित निम्नानुसार बताई गई है :-

8.ईशान		1.पूर्व		2.आग्नेय
	शवर्ग (शशाक)	अवर्ग (गरूड़)	कवर्ग (मार्जार)	
7.उत्तर	यवर्ग (गज)		चवर्ग (सिंह)	3.दक्षिण
	पवर्ग (मूषक)	तवर्ग (सर्प)	टवर्ग (श्वान)	
6.वायव्य		5.पश्चिम		4.नैर्ऋत्य

अपने से पाँचवे वर्ग में अर्थात् सम्मुख दिशामें निवास नहीं करना चाहिये। अपने नामके आदि अक्षरसे अपना वर्ग तथा गाँवके नामके आदि अक्षरसे गाँव का वर्ग समझना चाहिये। उदाहरणार्थ, 'नारायण' नामक व्यक्तिकों 'गोरखपुर' में निवास करना है। 'नारायण' का वर्ग तवर्ग तथा दिशा पश्चिम है और 'गोरखपुर' का वर्ग क तथा दिशा आग्रेय है। 'नारायण' के वर्ग से 'गोरखपुर' का वर्ग छठा पड़ता है; अत: गोरखपुर निवास के लिये योग्य स्थान हुआ।

अब यह विचार करना है कि 'नारायण' नामक व्यक्तिको 'गोरखपुर' में रहने तथा व्यापार करने से कितना लाभ होगा ? साधक (नरायण) की वर्ग संख्या ५ है और साध्य गोरखपुर की वर्ग संख्या २ है।

साधक . साध्य /८ = धन (लाभ)

साध्य . साधक /८ = ऋण (खर्च)

पहले साधक की वर्ग संख्या और फिर सिध्य की वर्गसंख्या रखने से ५२ संख्या हुई। इसमें ८ का भाग देने से ४ बचा। यह साधक का 'धन' हुआ। इससे विपरित वर्ग संख्या २५ को ८ भाग देने से १ बचा यह साधक का 'ऋण' हुआ। इससे सिद्व हुआ कि साधक 'नारायण' को साध्य गोरखपुर में निवास करने तथा व्यापार करने से ४ लाभ तथा १ खर्च होता रहेगा।

(यदि ८ का भाग देनेसे शून्य बचे तो उसे ८ ही मानना चाहिये।)

२. अपनी राशिसे जिस गाँव की राशि दूसरी, पाँचवी, नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं हो, वह गाँव निवास के लिये शुभ होता है। यदि अपनी राशिसे गाँव की राशि एक अथवा सातवीं हो तो शत्रुता, तीसरी अथवा छठी हो तो हानि, चौथी, आठवीं अथवा बाहरवीं हो तो रोग होता है।

३. ईशान में चरकी, आग्नेय में विदारी, नैर्ऋत्यमें पूतना और वायव्यमें पापराक्षसी निवास करती है इसलिये गाँवके कोनों में निवास करने से दोष जगता है। परन्तु अन्त्यज, श्वपच आदि जातियों के लिये कोनों में निवास करना शुभ एंव उन्नतिकारक है।

भविष्य पुराण मध्य. १/९ में बताया गया है कि जल के उपर तथा मंदिर के उपर, रहने के लिए घर नहीं बनाना चाहिए। इसी प्रकार चारों वर्णियों हेतु भूमि के वर्ण,गंध व स्वाद के आधार पर शुभाशुभ बताई गई है। ब्राहम्ण के लिए श्वेतवर्णा भूमि, क्षत्रिय के लिए रक्तवर्णा भूमि वैश्य के लिए पीतवर्णा भूमि और शुद्र के लिए कृष्णवर्णा भूमि शुभ होती है ब्राहम्णों के लिए घृत के समान गंध वाली, क्षत्रिय के लिए रक्त समान गंधवाली, वैश्य के लिए अन्न के समान गन्धवाली और शुद्र के लिए मद्य के समान गंधवाली भूमि शुभ होती है सब ब्राहम्ण के लिए मीठे स्वादवाली , क्षत्रिय के लिए कषैले स्वादवाली ,वैश्य के लिए खटटे स्वादवाली और शुद्र के लिए कड़वे स्वाद वाली मिटटी शुभ होती है। मीठे स्वाद वाली भूमि सब वर्णो के लिए शुभ हैं।

वास्तु सारणी में उपरोक्त का ,किसी विचार द्वारा किस मनुष्य को किस ग्राम, शहर में कहाँ निवास करना चाहिए उसके बारे में आंशिक ग्रंथ भेद के साथ बताई गई है। जो वास्तु सारणी में दर्शाया जाकर, सिद्धांत में उपयुक्त अ आदि वर्ग का विवरण भी दिया गया है।

तत्रादौ नारायणोक्त ग्रामनिर्णयः-नाम राशि से ग्राम राशि संख्या २,५,९,१०,११ हो तो वह ग्राम बसने में शुभ होता है, इससे भिन्न अशुभ है, और ग्राम के कोण में अन्त्यज के बसने से शुभ है, तथा ब्राह्मणादिक का कोण में बसना-अशुभ होता है, ग्राम के दक्षिण भाग में कन्या राशि वालें, नैर्ऋत्य कोण में कर्क राशि, पश्चिम में धनुराशि, वायव्य कोण में तुला राशि, उत्तर में मेष राशि, ईशान कोण में कुम्भ राशि, पूर्व में वृश्चिक राशि, और अग्नि कोण में मीन राशि, तथा शेष (वृष, मिभुन, सिंह, मकर) राशि वालें ग्राम के मध्य में वास न करें। और अपने वर्ग से पाँचवे वर्ग में परस्पर शत्रुता है, स्वर्ग आदि आठों वर्ग क्रम से पूर्वादि दिशा में वली होतें हैं जिस दिशा में जो बली है ,उस दिशा में उसको वास करना चाहिये। शत्रु वर्ग की दिशा में वास करने से कल्याण नहीं होता है ॥२॥

उदा.

पूर्व दिशा के अवर्ग वाली है इससे अवर्ग वालें मनुष्य को पूर्व दिशा में वास करने से शुभ होता है और अवर्ग से पाँचवा वर्ग है उसका शत्रु है पश्चिम दिशा में चली है, अत: अवर्ग वालें को पश्चिम दिशा शत्रु दिशा होने से अशुभ है, इसी प्रकार सब प्रकार सब में जानें।

नारायणोक्त काकिणीविचार :-

गृह के बनाने वाले का जो वर्ग संख्या हो उसको दो से गुणा कर ग्राम के वर्ग संख्या को उसमें उक्त करके ८ का भाग देवें जो शेष बचे वह गृह बनाने वाले की काकिणी (धन) है, इस प्रकार ग्राम के वर्ग संख्या को दो से गुणा करके उसमें नाम के वर्ग संख्या को युक्त करके ८ का भाग दे शेष ग्राम की काकिणी होगी दोंनो में जिसकी काकिणी अधिक हो वह धन देने वाला होता है। इसमें ग्राम की काकिणी अधिक होना शुभ होता है। यथा किसी ग्राम में मकान बनाना हो या उस ग्राम में व्यापार करना हो तो काकिणी का विचार अवश्य कर लेना, इस चक्र में जहाँ "अ" लिखा है उससे अवर्ग "क" से कवर्ग, इत्यादि जाने जहाँ चक्र में ग्राम लिखा है उससे ग्राम के प्रथम अक्षर से प्रयोजन है जहाँ गृहेश नाम लिखा है वहा गृहेश के नाम के आदि वर्ण से प्रयोजन है। जहाँ "अ" कार आदि वर्ग लिखा है वहाँ ग्राम तथा गृहेश नाम दोनों के सामने "स्ववर्ग द्विगुणां कृत्वा" के अनुसार शेष लिखा है "यस्याधिक:सोर्थद" इसके अनुसार ग्राम का अधिक शेष देखकर शुभ और जहाँ गृहेश के नाम में अधिक शेष आया है वहाँ अशुभ लिखा है ॥३॥

उदा.

'गमनन्दन' गृहेश का नाम है, यह 'सेयरी' ग्राम में बसना चाहता है श वर्ग ग्राम का है और य वर्ग बसने वाले का है, चक्र में श वर्ग और य वर्ग के सामने शुभ लिखा है इसमें बसना शुभ है।

वसिष्ठोक्त दशाविचार :-

पूर्वादि दिशा का क्रम से ८।५।६।४।७.१।३।२। स्वराङ्क है अर्थात् पूर्व का ८ अग्निकोण का ५ दक्षिण दिशा का ९ नैर्ऋत्य कोण का पश्चिम दिशा का ७ वायव्य कोण का १ उत्तर दिशा का ३ और ईशान कोण का २ है। गृहेश का स्वरांक और गाँव का स्वरांक तथा दिशा का स्वरांक एकत्र जोड़कर ९ का भाग देते शेष मकान की दिशा होगी, गृहेश का तथा ग्राम का स्वरांक श्लोक ४ से जाने और अकारादि वर्ग का क्रम से ८।५।६।४।७।१।३।२। स्वरांक है। अर्थात् अ वर्ग का ८ वर्ग का ५ इत्यादि सब जाने ॥५॥

"गजशरर्तु" इस श्लोक के अनुसार यदि भाग देनें से १ शेष बचें तो सूर्य की, २ बचें तो चन्द्रमा की, ३ बचें तो मंगल की, ४ बचें तो राहु की, ५ बचें तो गुरू की, ६ बचें तो शनि की ७ बचें तो बुध की, ८ बचें तो केतु की, और ९ बचें तो शुक्र की दिशा होती है। इस दशा में शुभ ग्रह की दशा शुभ फल देने वाली होती है ॥६॥

मातृप्रसोक्तदशाफलप्रकार :-

चन्द्र बुध गुरू शुक्र की दशा शुभ देने वाली होती है, मंगल सूर्य, शनि, राहु तथा केतु की दशा शुभ फल देने वाली नहीं है, इससे अच्छी नहीं है ॥७॥

बहुत से पणिडत जहाँ नव का भाग लिखा है वहाँ ८ का भाग देतें हैं यह उन लोंगो का भाम है, अष्ट का परिभाग लें तो एकादि शेष में क्रम से सुर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, शनि, गुरू, राहु, शुक्र की दशा होती है इस प्रकार को बाराहादि स्वीकार नहीं करतें हैं इससे मानने योग्य नहीं है ॥४॥

तथा वास्तुप्रदीपे:-

सूर्य की दशा चित्त में उद्वेग करने वाली, चन्द्र की धन पूर्णा कर्त्री, मंगल की अग्निभयदा, राहु की ज्वर से पीड़ीत शरीर करने वाली, बृहस्पति की सुखदा, शनि की रोगदा, बुध की सुखदा, केतु की दु:खदा, औबर शुक्र की दशा सम्पूर्ण सुख देती है॥८॥

मातृप्रसादोक्त कस्मद्दशाविचारप्रकार :-

कूप से, पुराने गृह से, तड़ाग से, ग्राम से दशा विचारै, सर्व स्थानों से शुभ होने पर गृह से शुभ होने से सर्व स्थानों से वह जगह शुभ होता है ॥९॥

इस प्रकार भवन भास्कर पुस्तक में वसति योजना के बारे में विवरण दिया गया है।

मानसार ग्रंथ में ग्राम लक्षणम् अध्याय में वसति योजना के बारे में बताया गया है कि – दण्डक ग्राम में १२,२४,५०,१०८या ३०० ब्राम्हाणों का संघ या १२ मौनियों का समूह रहता है। यह यदि वन या पर्वत पर स्थित हो तो आश्रम कहते है। यदि चौबिस यति (सन्यासी) का संघ हो तो ,ग्राम कहते है। यदि नदी के किनारे हो तो पुर कहते है। यदि पचास दीक्षित हो तो नगर कहतें है। यदि अठावन गृह स्थान (ब्राह्मण)हो तो मंगल कहते है। जब एक सौ का संघ हो तो कोष्ठ कहते है। अन्य संघ में यथेष्ट नाम दें। अन्यत्र नहीं कहे गए को ,शास्त्र के अनुसार बनवाएँ।

अब सर्वतोभ्रद विन्यास के लक्षण का वर्णन करते है। यह वर्गाकार होता है। इसमें मंडूक या स्थण्डिल पर विन्यास करतें है। (ग्राम के) मध्य में ब्रह्मा, विष्णु या शिव का हर्म्य बनवाएँ। इस ग्राम में तपस्विन, यति, ब्रह्मचारी, योगीनी व अन्य संघ कितनी भी संख्या मे रह सकते है। ग्राम के ईशानादि चारों कोणों में मठ, मंडप अथवा सत्रशाला तथा आग्नेय में जल, अन्य धर्मालय सबकी इच्छा के अनुसार बनवाएँ।अंतर रथ्या के चारो कोणों में गुरू का मठ बनवाएँ। रक्षा के लिए दीवार सहित परित: तथा खाई बनवाएँ।दक्षिण में वैश्य व शूद्र के लिए घर बनवाएँ। इंद्र व अग्नि के मध्य गोपाल, गायों को पालने वालों के लिए घर बनवाएँ।

गौशाला की सुरक्षा के लिए दीवार बनवाएँ। पितृ व वरूण के मध्य में वस्त्र कर्मकारों के लिए घर बनवाएँ। उसके बाहर सूचक(Tailor),चर्मकार के लिए घर बनवाएँ। वायु व वरूण के मध्य लोहार लिए घर बनवाएँ। उसके बाहर मांसाहारी के लिए घर बनवाएँ। सौम्य व वायु के मध्य क्लर्क (Clerical) के लिए घर बनवाएँ। वहाँ वैद्यालय होना चाहिए, अम्बष्ठ के (People of mixed blood) घर बनाए। उसके (ग्राम में) बाहरी प्रदेश में वल्कल यानी छाल का काम करने वालों के लिए घर बनवाएँ।वही पर तेल से आजीविका करने वालों के लिए घर बनवाएँ। ग्राम के थोड़ा बाहर उत्तर में विद्वान ,वैष्णवी व चामुंडा के लिए मंदिर बनवाएँ।उसके बाहरी प्रदेश में दूरी

पर चांडाल की कुटी बनवाएँ।

इस प्रकार ग्राम के बाहर के प्रदेश के जन आवास का वर्णन किया। दक्षिण, पश्चिम या नैऋत्य में स्नान व पान के लिए तड़ाक (सरोवर) बनावाएँ।

नन्द्यावर्त ग्राम में –जब उसके भाग नृप, वैश्य आदि के द्वारा पूर्ण हो तो पुर कहलाता है। जब कुछ भाग वैश्य शूद्र आदि से पूर्ण हो तो अग्रहार कहलाता है।

इस ग्राम में मानुष पद तक ब्राहाम्णों के गृह, राज गृह दैव, मानुष, व पैशाच पद में एवं वैश्य शूद्र आदि के गृह पैशाच पद में बनवाएँ । पैशाच पद में दो, तीन , चार, पाँच, छह अथवा सात रथ्या होना चाहिए, तथा उनकी चौड़ाई पूर्व कहे अनुसार होना चाहिए ।वैश्यों के वेश्म दक्षिण की प्रथम रथ्या पर होने चाहिए ।चक्रवर्ती राजा का निवास वरूण में, राजगृह मित्र, जयंत या रूद्रजय में होना चाहिए ।योद्धाओं के निवास भी वही होना चाहिए । क्लर्कों के घर नैर्ऋत्य में होना चाहिए ।सामंतो (Chief) व अन्य आमुखों के घर असुर या शोष भाग में, वहीं पर अमात्यों व स्वामी भक्तों के घर होना चाहिए ।सुग्रीव व पुष्पदंत में पुरोहितों के घर तथा दौवारिक व सुग्रीव में रक्षकों के घर होना चाहिए ।गन्धर्व, रोग वे शोष में वादक के धर, तथा वहीं पर गणिकाओं आदि के नृत्य आदि के लिए घर होना चाहिए ।स्थपतियों के घर वायु या नाग में तथा नाग या मुख्य भाग में नेत्र–रत्नकारों के घर होना चाहिए ।उत्तर में शल्य शाला तथा कंचुककारों के घर तथा **अदित व उदित भागों में वैद्य** आदि के घर होना चाहिए ।ईशान या जयंत में ग्राम रक्षक के घर तथा महेंद्र या सत्यक में कीर्णकारो के घर होना चाहिए ।भृंग या अंतरिक्ष में अतिथि गृह होना चाहिए । यह प्रथम आवरण का वर्णन हुआ । अब दूसरे आवरण का वर्ण करते है ।उत्तरी वीथी पर तेलियों के गृहों की श्रेणी होना चाहिए । वहाँ और भी बहुत से हर्म्य(घर) तथा ब्राह्मणों के घर होना चाहिए ।पश्चिम में मछुआरों तथा मांस व्यापारियों के घर तथा दक्षिण में किरातों के घर होना चाहिए ।आग्नेय में या वायव्य में धोबियों के घर तथा दक्षिण या पूर्व में नाचने वालों के घर होना चाहिए ।उत्तर या नैर्ऋत्य में सूतिका (या दर्जियों) के घर होना चाहिए । यह दूसरे आवरण का वर्णन हुआ । अब तीसरे आवरण का वर्णन करते है ।दक्षिण में कर्मकारों के घरों की पंक्ति होना चाहिए तथा उत्तर या दक्षिण में टोकरी बनाने वालों के घर होना चाहिए ।पश्चिम या पूर्व में हथियार बनाने वाले के घर होना चाहिए तथा उत्तर में चर्मकारों के घरों की पक्ति होना चाहिए ।शेष आवरणों में अन्य जीविका वालों के घर होना चाहिए । यह मनुष्यों के घरों का वर्णन हुआ अब देवताओं के आलयों का वर्णन करते है ।

प्रस्तर ग्राम में –भीतर के प्रदेश में वैश्य संघों के घर होना चाहिए । कर्मोपजीवियों के घर पैशाच पद में होना चाहिए ।क्रय व विक्रय की दुकानें रथ्या के दोनों और होना चाहिए तथा वहाँ पक्ष भी होना चाहिए और सड़क राजा के महल से जुड़ी होना चाहिए ।

चतुर्मुख ग्राम में –यदि भीतर शूद्रों के संघ रहे तो उसे आलय कहते है । यदि भीतर ब्राह्मणों के संघ हो तो उसे पद्म कहते हो ।यदि भीतर वैश्यों के संघ रहे तो उसे कोलक कहते है । कुछ के मत के अनुसार सभी द्विज के धर चारों पदों में होना चाहिए ।ब्राह्मणों के धर आग्नेय में होना चाहिए । क्षत्रियों के घर नैर्ऋत्य में होना चाहिए । वैश्यों के संघ वायव्य में होना चाहिए । शूद्रों के संघ ईशान में होना चाहिए ।पैशाच में सभी कर्मोपजीवियों के घर होना चाहिए । विष्णु, रून्द्र आदि देवताओं के मंदिर पूर्व कहे अनुसार होना चाहिए ।कही या न कही को तथा अन्य सभी को पूर्व के अनुसार करे । पुरातन ने इस प्रकार चतुर्मुख ग्राम का वर्णन किया है ।नरों का निवास स्थान रथ्या से रहित बनवाना चाहिए । यदि रथ्या के स्थान पर नर का आलय हो तो वह सभी संपत्ति का विनाश करता है ।इसलिए शिल्पी सभी नगर तथा ग्रामों मे इसको छोड़े । इसलिए जब संदेह हो तो पुराने ग्राम की रीति के अनुसार वास्तु का निर्णय करे । गृह की लंबाई व चौड़ाई में परम शायिका (८१) पद का विन्यास करें ।

ब्रह्म स्थान छोड़कर सब स्थान रहने लिए शुभ है । आर्य, विवस्वत, मित्र, भूधर इन पर ब्राह्मण के लिए घर श्रेष्ट है । राजाओं के मुख्य गृह विवस्वत, मित्र ओर भूधर पदों में बनवाना चाहिए । यह पद अनय जातियों के लिए उपयुक्त नहीं है ।आपावत्स आदि आठ पद पर अन्य वर्णो के लिए योग्य है ।इन्द्रादि (चार दिशाओं में) ब्राह्मणों के वास के योग्य है । यम व वरूण में क्षत्रिय के वास के योग्य है ।वरूण व शश (सोम) वैश्य के वास के योग्य है । नैऋत्य, सोम, ईश शूद्र के वास के योग्य है वायव्य व अग्नि सबके वास के योग्य है । उत्तर , ईशान पर्जन्य में सबके

पचनालय (रसोई)के योग्य है ।अन्तरिक्ष, अग्नि, पूषाण में सबके लिए कूप के योग्य है । यम व नैऋत्व में सबके लिए भोजनालय के योग्य है ।वायव्य ब्राह्मणों के देवताओं के लिए भोजन का स्थान है । अदित, ईश तथा (पितृ) देवता अर्चन का स्थान है ।भल्लाट, मृग ब्राह्मण की गृहणी के गृह का स्थान है । गन्धवृ, भृंगराज, मृग, अन्तरिक्ष इन सबमें राजाओं की महिषी (रानी) के वास का स्थान है ।पुष्पदन्त व उसके कोण में आयुध व मण्डप का स्थान है वरूण, असुर, नाग, मुख्य, पर्जन्य, सोम वैश्य व अन्य वर्ण की पत्नी का स्थान है ।सत्य, अन्तरिक्ष सबके लिए शयन का स्थान है । शेषे (शोष) असुर, वरूण सबके लिए वासनालय का स्थान है ।सोम, मृग सोना तथा रत्न रखने का स्थान है । नाग ब्राह्मणों के लिए हवन का स्थान है ।अदिति सबके लिए स्नान का स्थान है । वही सन्धि का स्थान है, तथा उसके बाहर चरणालय का स्थान है ।यम व नैऋत्य सूतकार(कोचवान, गाडी वाले) के घर का स्थान है । इन्द्र, महेन्द्र दास (नौकर) के आलय (घर) का स्थान है ।ईशान के बाहर अनुचर के आलय(घर) का स्थान है । पूषण व वितथ में गाय का स्थान है ।द्वार के बाई और वाहन का स्थान है । आप-अपवत्स में बाललोकन मण्डप का स्थान है ।ब्रह्म स्थान के समीप विवाह के लिए मण्डप स्थान है । इन्द्र व इन्द्रराज में वस्त्राच्छादन के मण्डप का स्थान है ।रूद्र, रूद्रजय लड़कियों के घर का स्थान है । सवित्र, सावित्र पुत्रों के घर का स्थान है ।मृग सबके लिए विद्या के अभ्यास का स्थान है । मृग के बाहर तैलाभ्यांग के लिए स्थान है ।ईश के बाहरी स्थान पर स्थान मण्डप (Audience hall) का स्थान है। सोम में विलास के मण्डप का स्थान है ।मृग, मुख्य में विलासियों के गृह का स्थान है। अग्नि, पूष, सत्य, महेन्द्र सखी व गृह के अनुचर का स्थान है ।द्वार के दक्षिण में रक्षक(Police) के आलय का स्थान है ।वही पर उनके परिवार का स्थान है। गन्धर्व व यम में रानियों व वेसे ही अन्य का स्थान है ।वरूण, पुष्पदन्त में युवराज के गृह का स्थान है। महेन्द्र, पुष्पदन्त, मुख्य, गृहक्षत में सबके लिए द्वार शुभ है ।मुख्य में द्वार राजा के लिए पुरातन ने निषेध किया है ।पावक, अनिल में धान्यकर्णमण्डप का स्थान है। नाग, मुख्य धान्य का स्थान है ।शोष या असुर में पुष्प के मण्डप का स्थान है। चारो दिशाओं और चारों कोण में सोपान का स्थान(चढाव) है ।वायव्य, भल्लाट, नाग में नृत्य के लिए मण्डप का स्थान है। रोग में कुक्कुट के वास का स्थान हे ।दौवारिक, सृग्रीव मेष के वास का स्थान है ।राजा (महल) के लिए एक दो तीन या चार दीवार होना चाहिए। पाँच (Compound or partition) दीवार हो ।अन्त:शाल (Boundary - Wall) में रोग पद में नित्य अर्चना के लिए मण्डप हो। इस प्रकार से विद्वान कुख्य भवन सबके लिए बनवाए ।सभी वर्णो के लिए(ब्राह्मणादि) उपरोक्त प्रकार से स्नानादि (स्थान आदि) स्थान बनवाए। मुख्य में सबके लिए मंदिर का स्थान है।

इस संबंध में 'मानसार' ग्रंथ में भी ग्राम लक्षणों के अनुसार 'दण्डक ग्राम' में ब्राह्मणों के आवास उपयुक्त है इसमें १२,२४,५०,१०८ या ३०० आवास ब्राह्मणों के या १२ भवन 'मौनव्रतधारी' विद्वानों के होते है, 'मंगल ग्राम' ५८ ब्राहामण गृहस्थ, 'कोष्ठ ग्राम' में १००० ब्राह्मण होते है। 'सर्वतोभद्र' में इच्छानुरूप संतों, तपस्वियों, यति, ब्रह्मचारी योगी व गृहस्थों आदि के घर एवं ग्राम के अंदर चारों कोनो में मठ मंदिर होते है। 'अतिथि गृह या प्याउ' दक्षिण-पूर्व में , सभी प्रकार के मजदूरों के घर मुख्य मार्ग पर, दक्षिण में वैश्य व शूद्रों के घर, पूर्व व आग्नेय के बीच दूधवालों के घरो की कतार इसके बाद परिखा से लगी 'गोशाला' व इसके आगे 'दर्जियों वे चर्मकारों' के घर, पश्चिम व उत्तर-पश्चिम के मध्य लुहारों के घर, इससे आगे मछुवारों, कसाईयों के एवं उत्तर-पश्चिम के मध्य 'श्रीकर' अथवा 'कायस्थ लिपिकिय समुदाय' साथ ही वैश्यों के वर्ण संकरों के घर, इसके बाहर पेड़ की छाल का उपयोग करने वाले बुनकर साथ ही तेल कर्मियों के घर की कतार में होने चाहिए। इससे आगे दाह संस्कर कराने वाले, दक्षिण, पश्चिम में जल प्रदाय टंकीयों को खोदना चाहिए।

इसी प्रकार "नन्द्यार्व ग्राम" में ब्राह्मणों के आवास समूह देव, मानुष, पिशाच तीनों विथियों में हो तो उसे 'मंगल-ग्राम', क्षत्रियों, वैश्यों व अन्य वर्णो के घर हों तो 'पुर ग्राम', यदि समस्त विथियों में वैश्य व शुद्र हों तो 'अग्रधर ग्राम' कहते है। इसी तरह विथि निर्णय के अनुसार विभिन्न कर्म के अनुरूप लोगों के स्थान बताये गये हैं।

'मयमत' ग्रंथ के अनुसार नगर व ग्राम नियोजन में 'सर्वतोभद्र' नगर में ब्रह्म स्थान के पश्चिम में 'नृपवास' जिसके सामन महाआँगन, अन्त:पुर वांछित स्थान में , उत्तर व पूर्व में जाते राज मार्ग के दोनों पार्श्वों में "मालिका" (Row house), राज कर्मचारियों के लिये इसके बाहर, दूर पार्श्व में 'वणिंकों के घर' दक्षिण में जुलाहों के व उत्तर की ओर कुम्हारों के उसके समीप अन्य शुद्रवर्णियों के घर बनाना चाहिये। इसी प्रकार अनय १६ प्रकार के नगर बसहाट का वर्णन विभिन्न संज्ञाओं के साथ बताया गया है।

मयमत ग्रंथ के अनुसार विप्र ब्राह्मणों की संख्या के आधार पर बताया है 'उत्मोत्तम' ग्राम में १२ हजार, 'मध्यकोटि' ग्राम में १० हजार व 'अधम' ग्राम में ८ हजार ब्राह्मण अधिष्ठित होते है। मध्यम कोटि के उत्तम ग्राम ७ हजार मध्य में ६ हजार व अधम में ५ हजार ब्राह्मणों के घर बताए गए है।अधम कोटि के उत्तम ग्राम १ हजार मध्यम में ७०० एवं अधम में ५०० ब्राह्मणों के घर कहे गए है। आचार्यो द्वारा नीचोत्तम ग्राम में एक हजार ब्राह्मण मध्यम में ७०० व अधम ५०० ब्राह्मणों के घर कहे गए हैं। 'शूद्र' ग्राम में १० भेद होते है जिसमें क्रमश: ब्राह्मणों की संख्या १०८, २१६,३२४,८४,६४,५०,३२,१२, व १६ होती है। अगर अन्य विकल्प नहीं हो तो इन शुद्र ग्रामों में ब्राह्मणों को भूमि दान करनी चाहिए।

'मयमत' में जहाँ से ब्राह्मणों के घर हो उसे "मंगला" कहा गया है जो राजकुमारों व व्यापारियों से बसा हो उसे 'पुर' तपस्वियों के निवास हो तो 'मठ' वे अन्य लोगों से बसा हो तो 'ग्राम' कहा है।

'मयमत' के नगर विधानम् अध्याय में भी बसाहट के आधार पर बताया गया है कि ३०० से प्रारम्भ कर १०० धनुष की वृद्धि दर से ८०० धनुष तक, चोड़ाई के ७८ भेद कहे गये है। नगर के पूर्वोस्तमान कहे गये है। १०० दण्ड से प्रारंभ १० दण्ड की वृद्धि दर से ३०० दण्ड तक २१ भेद, सुद्र नगरों एंव सभी नगरों से कहे गये है। नृप के उत्कृष्ट पुर की परिधि के पाँच मान १६००० दझ्ड दो ५०० दण्ड की दर से कम होते हुयें ४००० दण्ड तक पांच २ मान कहें गये है। ३०० से ४०० दण्ड तक २० दण्ड की वृद्धि दर के साथ खेर की ६ प्रकार की चोड़ाईयाँ दो श्रेष्ठ, दो माध्यम, दो निम्न होती है। उसमें ४०० दण्ड से २४ दण्ड की वृद्धि दर के साथ द्रोण मुख प्रकार के मान अर्थात् ४०० दण्ड तक विस्तार या चौ. के मान होते है। २००दण्ड से ४०० दण्ड तक ५०दण्ड की वृद्धि दर के साथ खर्वट की चौ. के ५ प्रमाण कहे गये है, २०० दण्ड से ४०० दण्ड तक ५० दण्ड की वृद्धि दर के साथ खर्वट की चौ. के ५ प्रमान कहे गये है। २०० दण्ड से १० दण्ड की वृद्धि दर के साथ निर्गम ३४० दण्ड तक हो निर्गम की चौ. के १५ भेद कहे गये है। १०० दण्ड से १०० दण्ड की वृद्धि दर से ५०० दण्ड तक की ५ प्रकार की चौ. हो। विदम्ब की चौ. के मकान कहे गये है। यहाँ बतायें गये मान अनुपात है ल. चौ. की दुगनी या ५/४ गुना या ल. चौ. की १/६ या १/८ अधिक होती है।

वप्र विधानम् चार दीवारी :-

चतुरम, आयताकार, वृत्ताकार, वृत्रायत एंव गोल वृत्ताकार, वप्र के पाँच आकार हो, उनकी ल. ७/१०,६/८,५/७,४/५,या ३/४ परिधि से नगर की कहीं गई है। वप्र की दीवार की चौड़ाई के नीचे २,३या ४ हस्त एंव इसकी ऊँचाई ७,१०या १६ हस्त, उसके उपर चौड़ाई,२/३ नीचे की चौड़ाई की होती है। इसके चारों और बाहर परिखा एवं अन्दर की तरफ देवानमआदि होना चाहिये।

वर्ज्यस्यानानि :- ४ पदीय या आसन १०० पदीय या इनके मध्य के पर विन्यासों को उपयोग करने को कहा गया है। बुद्धिमान सूत्रादि एंव विषम स्थान को वर्जित करना चाहिये है भवन हेतु वर्जित रहेगा।

मार्णा:-वहाँ पूर्णाक एंव उत्तराग मार्ग का यथेस्यपूर्वक बताये गये विधानानुसार, नियमानुसार न्यास करना चाहिये। एक ३०५ से ७३०५ तक, १/२ दण्ड की वृद्धि दर से, १३२ भेद मार्ग चौड़ाई के कहे गयें है।

इसी ग्रंथ में चर्तुगृह विधानम अध्याय में बताया गया है कि राजाओं के लिए महानस (कीचन) महेन्द्र अर्क,आर्यक, सत्य, भृष पदों पर बनाना चाहिए तथा इसका जल निष्कासन जयंत में होना चाहिए। तथा धान्यालय वैश्यों के लिए गृहक्षत अर्कित, गंधर्व, भृंगराग, विवस्वत पद में व द्वार पुष्पदंत में तथा जल निष्कासन वितथ में होना चाहिए। इसी प्रकार धनालय पुष्पदंत, असुर, शोष, वरूण या मित्र पद पर तथा जल निष्कासन सुग्रीव पद पर बनाना चाहिए। इसी प्रकार अन्नप्राशन आर्य या महेन्द्र या सवित्र के पद पर ,अध्ययन हेतु विवस्वत पर तथा विवाह आदि कर्म मित्र पद पर, केश कर्मनालय इन्द्रजय, वायु या सोम पद पर एक लेखा व जल संबंधी कार्य ,पितृ, दौवारिक पद पर महिलाओं के लिए प्रसूतिगृह पुष्पदंत पर, जल कोषं आपवत्स पर, कुंड आप पद पर व सिलबटटा महेंद्र पर चक्की को महीधर पद पर बनाना चाहिए।

'मयमत' ग्रंथ के नगर विधानम अघयाय के अनुसार नगर व ग्राम नियोजन में 'सर्वतोभद्र' नगर में ब्रह्म स्थान के पश्चिम में 'नृपवास' जिसके सामन महाआँगन, अन्त:पुर वांछित स्थान में , उत्तर व पूर्व में जाते राज मार्ग के दोनों पार्श्वो में "मालिका" (Row house), राज कर्मचारियों के लिये इसके बाहर, दूर पार्श्व में 'वणिकों के घर' दक्षिण में जुलाहों के व उत्तर की ओर कुम्हारों के उसके समीप अन्य शुद्रवर्णियों के घर बनाना चाहिये। इसी

प्रकार अनय १६ प्रकार के नगर बसाहट का वर्णन विभिन्न संज्ञाओं के साथ बताया गया है।

इस ग्रंथ में विशेष रूप से आपणम् व कुटुम्बियों की पंक्ति आदि संलग्न मानचित्र क्र. १६ में दर्शाये अनुसार बतायें गये हैं। परकिधि रथ पथ से युक्त व मध्य में वणिको के घर, उसके दक्षिण पार्शव में जुलाहों के घर, उत्तर में कुम्हारों के घर, रथ मार्ग पर अनेक "कर्मोपजीनियों" के अनेक आवास हैं। ब्रह्म स्थान के आवृत एक मार्ग एंव वहाँ तम्बूलादि फल व इसी तरह के एंव सार द्रव्यों (Valuable articles) हेतु बाजार का स्थान हो। 'ईश पद' व 'महेन्द्र द्वार' के अंत के मध्य मत्स्य, मांस व सब्जी बाजार हो, 'अग्नि' से 'गृहक्षत' पर्यन्त बर्तन बाजार "गृहक्षत से नेर्ऋत्य" पदान्त तक तक 'काँसादिका' (Copper Smith), "पितृ व पुष्पदंत" पद के मध्य 'वस्त्र बाजार' व वहाँ से समीरकान्त तक ताण्डुक धान्य व पशुचारें का बाजार, 'वायुपद से भल्लाट' पदान्त तक वस्त्रादि व इसी प्रकार ,९ प्रकार के बाजार मध्य एंव परिधि में बतायें गये है।

इसी प्रकर अभयान्तरगत मार्ग में रत्न, स्वर्ण, वस्त्र, मंजीठ, मिर्च, पीपल, हल्दी, मधु, घी, तेल, औषधि आदि सर्व बाजार, आर्य पद, विवस्वत, मित्र व पृथ्वीधर पद में शस्त्र का दुर्ग, गजमुख, गणपति, लक्ष्मीजी को स्थापित करना चाहिये। चारों और देवालयों के बाद "सर्वजनावास" चारों और होना चाहिये नगर से २०० दण्ड दूर पूर्व या आग्नेय में "चाण्डाल व कोलियों" के कुटिर हो। नगर में एक सीधे मार्ग पर कोई बाजार न हो, शेष योग्य बाजार स्थापित से परामर्श लेकर बनाना चाहिये।

वास्तु सौख्यम् एंव विश्वकर्म प्रकाश पुस्तक में बताया गया है कि :-

ईशान्यां देवता गेंह पूर्वस्यां स्नानमंदिरम्।
आग्नेय्यां पाक सदनं भण्डारागारमुत्तर ॥
आग्नेयपूर्वयोर्मधये दधिमन्थन मंदरम्।
अग्निप्रेतेशयोर्मध्ये आज्यगेंह प्रशस्यतें ॥
याम्य नैऋत्ययोर्मध्ये पुरीषत्याग मन्दिरम्।
नैर्ऋत्याम्बुपयोर्मध्ये विद्याभ्यासस्यं मंदिरम् ॥
पश्चिमानितयोर्मध्ये रोदनाथृ गृहं स्मृतम् ॥
वायव्योत्तरयोर्मध्ये रतिगेंह प्रशस्यते ॥
उत्तरेशानयोर्मध्ये औषधार्थ तु कारयेत्।
नैऋत्यां सूतिका गेंह नृपाणां भूतिनिच्छताम् ॥

उपर्युक्त श्लोक में भी वहीं बातें स्पष्ट हैं जो कि पूर्व में बताई गई हैं अत: उन्हीं बातों को संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं।

दिशाओं में -		कक्ष या स्थान
पूर्व मे	-	स्नानागृह
दक्षिण में	-	शयन कक्ष
पश्चिम में	-	भोजन गृह
उत्तर में	-	भंडार गृह

कोंणों में -		कक्ष या स्थान
उत्तर पूर्व कोण में	-	देवता गृह
दक्षिण पूर्व कोण में	-	रसोई घर
दक्षिण पश्चिम कोण में	-	शास्त्रागार शा सूतिकागृह
उत्तर पश्चिम कोण में	-	पशु आदि रखने का स्थात

दिशाओं और कोणों के मध्य में — कक्ष या स्थान

ईशान और पूर्व के मध्य में	–	सर्ववस्तु संग्रह
पूर्व और अग्नि के मध्य में	–	दधि मथने आदि का स्थान
अग्नि और दक्षिण के मध्य में	–	घृत आदि रखने का स्थान
नैऋत्य और दक्षिण के मध्य मे	–	शौचालय
पश्चिम और नैऋत्य के मध्य में	–	विद्याभ्यास का स्थान
वायु और पश्चिम के मध्य में	–	रोदन गृह
उत्तर और वायु के मध्य में	–	रति गृह (विवाहितों के शयन कक्ष)
उत्तर और ईशान के मध्य में	–	औषधि रखने का स्थान

सूतिका गृह(नैऋत्य कोण) में महिला के प्रसव के नौवे महीने में ले जाना चाहिये। पहले आठ महीने वहाँ पर नहीं रखना चाहिये।

पूर्वोक्त चित्र एंव निम्नांकित श्लोक में कुछ स्थान ऐंसे हैं जो आज के समय में आवश्यकता नहीं रखते यद्यपि पूर्ण रूप से सम्पन्न गृहों मूं आज भी उन स्थानों का उपयोग होता है। परन्तु छोटे घरों में चूँकि उन स्थानों का उपयोग किसी दूसरे काम के लिये किया जा सकता है। अत: यह जरूरी है कि उन स्थानों का उपयोग किस काम के लिये किया जाय यह स्पष्ट हो अन्यथा उसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है।

यह मानचित्र क्र. २४ स ,वैदिक वास्तु विद्या एंव रोगकारक वास्तु दोष अनुसार विभिन्न प्रयोजन हेतु कक्ष के स्थान बताये गये है।

पाठको के लियें आसानी हो इसलिये हम इसे यहाँ स्पष्ट कर रहें हैं –

रसोई घर के दोंनो और पूर्व और दक्षिण में जो दधि मथने और घृत रखने का स्थान है उसे रसोई से सम्बन्धित ही हल्के – फुलके कामों में उपयोग में लाया जा सकता है।

सुतिका गृह के लिये जो कमरा बनाया गया है, उसे जब घर में प्रसुति हो, तब उस प्रयोजन के लिये इस्तमाल करें अन्यथा उस कमरे मे घर की भारी वस्तुएँ मशीनरी या इससे सम्बन्धित जो भी ऐसी वस्तुएँ हैं उन्हे रखना चाहिये क्योंकि वह नैऋतय कोण में आता है ,अत: उसमें ज्यादा से ज्यादा भारी या लोहे आदि का सामान रखने से दोष नहीं होता है।

विवाह के योग्य लड़कियों का शयनकक्ष वायु व ब्रह्म स्थान के मध्य में होना चाहिये। यदि घर में नौकर रहतें हों तो उनका कक्ष वायव्य में बना सकते हैं। धान्य संग्रह में प्राय: गलत अर्थ लगाकर उसमें गृह में उपयोग किया जाने वाला धन्य आदि रखनें के बारें में बताया जाता है परन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि वायु कोण होने के कारण वहाँ के कारण रखी वस्तुओं में गति होगी। अत: कोई भी यह नहीं चाहेगा कि उसमें घर का धन धान्य शीघ्र गतिशील हो। तात्पर्य यह है कि वह स्थान यदि घर में खेती वगैरह होती हो या अन्य किसी भी ऐसी वस्तु का व्यापार होतो हो जो बाजार में बेची जाती है तो गति होने के कारण वह वस्तु या बेचा जाने वाला धान्य –पशु आदि शीघ्र गतिशील होगा (बिकेगा) ।अत: उस सथान को कभी भंडार गृह के लिये उपयोग में नहीं लाना चाहिये। भंडार उत्तर में ही बनाना चाहिये। इस प्रकार से दिशाओं के अनुसार, कक्षों का प्रयोजन हेतु विभाजन करना चाहिये तथा ब्रह्म स्थान को शुद्धि के साथ खुला छोड़ना चाहिये।

स्थापत्यवेद में 'वसति योजना' संबंधी उक्त सिद्धांतों में एक मनुष्य विशेष व मानव के समीप रहने वाले पशुपक्षियों को कहाँ बसाना चाहिए , यह आंशिक ग्रंथ भेद के साथ बताया गया है। आम जन को उनके कार्य स्थल के समीप ही नगर, ग्राम की परिखा पर बसाने से आवागमन, परिवहन में बचत के साथ पर्यावरण हितेषी विन्यास होगा। विभिन्न कर्म करने वालों को जब उनकें कुंडली राशि आदि के अनुरूप कार्य व्यवसाय व निवास उसके अनुकूल शास्त्रोक्त बनाया गया तो वे सुखी व समृद्ध होगें जिससे ग्राम, नगर, देश, प्रदेश भी समृद्ध होगा। प्रकृति के नियमों पर आधारित बसाहट निश्चित रूप से हर दृष्टि से सर्वोत्तम होकर समस्याविहिन समाज की स्थापना करेगी। सिर्फ आवश्यकता है आपसी सामन्जस्य व दृढ संकल्प की।

५.१३ नगरादि में वास्तु पद विन्यास, विथी निर्णय, वास्तुपद विकल्पन का सिद्धांन्त :-

वास्तु पुरूष मंडल एक बड़ा ही वैज्ञानिक सिंद्धात है जो दर्शन तथा विज्ञान को एक स्थान पर लाकर प्रतिष्ठित करके पल्लवित करता है।वास्तु पद विन्यास में निर्दिष्ट भूखंड, भवन, राष्ट्र, देश प्रदेश, शहर-गाँव को ३२ प्रकार के पद विन्यास सकल (एक पद) से लेकर (इन्द्रकान्त) एक हजार चौबीस पदीय (३२x३२) समवर्ग टुकड़ो में विभक्त कर चार से पैंतालीस देवताओं के विभिन्न पद भोग स्थान आंशिक ग्रंथ भेद के साथ दिये गये हैं जिनमें प्रमुख 'एकाशिती' (९x९=८१पद) भवन निर्माण योजना हेतु "छंदिता" या 'मंडूक' 8x8=64 (पद) नगर ग्राम नियोजन हेतु, "स्थंडित" (7x7=49 पद) जीर्णोद्वार के लिये एवं 'आसान पद विन्यास'(10x10=100 पद) मंदिर निर्माण नियोजन हेतू मानचित्र क.१८ से २१ में बतायें गये है। सूर्य को आधार मानकर "पद विन्यास" में भूखंड या भवन वास्तु को विभिन्न पद विन्यासों द्वार समवर्ग टुकड़ो में विभक्त कर "सूर्य रश्मि जाल" की इन्ही पारिभाषिक संज्ञाओं को विभिन्न देवताओं के पदनाम, स्थान व उसके द्वार पद भोग करने का विवरण दिया है। याने कि विभिन्न आवृत्तियों (Frequancy) ही देवताओ के नाम है। पद विंन्यास में इन पर देवता रूपी उर्जा के स्थान पर चाहे राष्ट्र, राज्य, शहर, गाँव, घर, भवन,कुछ भी बनाना हो या ईशान में पूजा व अग्नि में ही (कीचन) क्यों बनाना चाहिये ? इनका सबका उत्तर इन उर्जा स्त्रातों, देवताओं के नाम, आभूषण, भोज्य पदार्थ, शस्त्र, श्रृंगार, गुण, प्रकृति व्यवहार के गूढ रहस्य मे विहित है। इसके पीछे क्या रहस्य है ? क्या बीज मंत्र है ? यह जानने के लिये हम बहुत साधारण सी बात लेते हैं, कई स्थानो पर हमें इच्छा लगता है व कई स्थानों पर बुरा, सुबह उठते ही 'उर्जावान' होते हैं। सूर्यास्त के समय 'थकावट' महसूस करते हैं, कई बार सभी कुछ अनुकुल होते हुए भी कार्य सम्पन्न नहीं होते, कई देशी-विदेशी चिकित्सक स्वीकार करते हैं कि अच्छी "दवाई व उपचार" के बाद किसी विशेष स्थिति में रोगी ठीक नहीं हो पातें, व इसके विपरित कम उपचार साधनों, औषधियेां के होने पर विशेष स्थान पर आशा से अधिक सफलता मिलती है, जिसका कारण "अज्ञात" रहता है। इसी के वैज्ञानिक पहलू पर विचार करेंगे व सिर्फ "द्वादश आदित्य" सूर्य के बारह नामों/संज्ञाओ को देखेंगे तो पता चलता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक विभिन्न स्थानों में ,विभिन्न भूखंडो पर ये सूर्यदेवता के नाम, याने उर्जा के स्त्रोत अलग अलग समय पर भिन्न - भिन्न प्रभाव डालते है। अत: प्रयोजन विशेष हेतु शहर, गाँव आदि मे तदानुरूप निवेश होगा एवं २७ नक्षत्रों, १२ राशियों आदि के आधार पर वेद के नेत्र "ज्योतिष" से जातक की 'जन्म कुण्डली' के आधार पर या प्रयोजन विशेष हेतु निश्चित होगा कि कीचन, पूजा स्थान आदि कहाँ बनेंगे व क्यों बनेंगे ? आयुर्वेद का ज्ञान रखते हुए बात, पित्त, कफ भिन्न - भिन्न प्रवृति वालें जातकों हेतु भवनांग भी स्वत: अलग होंगे। जैसा कि हम जानते है कि अग्नि पित्त प्रधान है, पित्त प्रकृति है, पित्त प्रकृति वाले या अग्नि से संबधित प्रयोजनों का स्थान तदानुरूप सुनिश्चत होगा।

पूर्व दिशा में निर्दिष्ट स्थान (भू - भाग आदि) के समकोण में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर सूर्य किरणों की विरलता (Deviation)के फलस्वरूप उर्जा के समवितरण को बाधित करेगा। यही कारण है कि दिक् निर्धारण सिंद्धात के अनुरूप संरचनाओं के विन्यास के दिशानुरूप रखने का "मानसार" में "ग्राम लक्षण" के सिंद्धातों में बताया गया है कि "नंद्यावर्त" गाँव की लम्बाई, चौडाई बराबर हो तो 'छंदिता' ,लंबाई चौड़ाई से अधिक से अधिक हो तो 'एकाशिती' व यदि लंबाई व चौड़ाई बराबर हो तो 'स्थंडिल' पद विन्यास से नियोजन से किया जा सकता है। विथि निर्णय के अनुसार कुल चार विथियों में सम्पूर्ण भू भाग को बाटाँ जाता है। मध्य में 'ब्रह्म विथि' इसके बाद 'देवक' फिर 'मानुष' और परिधि पर 'पिशाच विथि' कहलाती है। इसके अर्न्तगत छंदिता प्रकार के पद विन्यास में मध्य चार पद ब्रह्मा के विथि इसके चारों ओर बारह देवताओं के 'देवक तिथि' के स्थान होते हैं। इसके चारों ओर बीस पद (मानुष विथि) व इसके बाहर अट्ठाईस पद पिशाच (राक्षस विथि) कहलाते हैं।

यदि एकाशिती पद विन्यास से नियोजित है तो मध्य में नौ पद 'ब्रह्मा' के इसके बाहर सोलह पद देवक व इसके बाहर चौबीस पद 'मानुष' व इसके बाहर बत्तीस पद 'पिशाच' के होते है।

यदि स्थण्डिल पद विन्यास से नियोजन है तो मध्य मे एक पद ब्रह्मा इसके बाद आठ पद देवक इसके बाद सोलह पद मानुष इसके बाहर सोलह पद पिशाच के कहे गये है। कुशल स्थपति को पिशाच विथिका नियोजन 'नन्द्यार्वत' प्रकार से करना चाहिये।

मानसार ग्रंथ के पद विन्यास लक्षणम् अध्याय७ मे बताया गया है कि -

अधुना पदविन्यासलक्षणां वक्ष्यते क्रमात्।
प्रथमं चैकपदं स्यात्सकलं नाममेव (एव) च ॥१॥

एक (सकलपद) से लेकर चन्द्रकांत (32X32 =1024)तक 32 प्रकार के पद विनियोजना 45 देवताओं के पद योग का वर्णन ही अभिव्यंजन है –

1. **सकल पद (01)** – इस पद विन्यास की अनुशंसा की जाती है, देवताओं की पूजा, अग्नि के होम, बैठक का कमरा, योजना कक्ष साधुओं व पूर्वजों की पूजा के लिये 'भवन' या 'स्थान' हेतु।(मानचित्र क्र. - १७अ)

2. **पीचक पद विन्यास (01X4)** – इस योजना की अनुशंसा सार्वजनिक आवासीय भवनों, पूजन, सार्वजनिक स्नान गृह (वर्तमान में सुलभ शौचालय का एक भाग) जैसे भवनों के लिये की जाती है (मानचित्र क्र. - १७ब)।

3. **पीठ पद विन्यास (3X3) 9 पदीय** – इस विन्यास में भूखण्डों को नौ समवर्ग टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। (मानचित्र क्र. - १७स)

4. **महापीठ पद विन्यास (4X4) 16 पद** – इस विन्यास में, भूखण्ड को 16 समवर्ग टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। (मानचित्र क्र. -१७द)

5. **उपपीठ विन्यास (5X5) 25 पद** – इस विन्यास में पच्चीस समवर्ग टुकड़ों में बॉटा जाता है। (मानचित्र क्र. - १८अ)

6. **उग्रपीठ पद विन्यास (6X6) 36 पद** – इस विन्यास में ब्रह्म के मध्य में चार पद, फिर पूर्व से चारों दिशाओं में दो - दो पद आर्यक, यम, मित्र व भूघर के बाहर आदित्य, यम, वरूण, सोम, के पदस्थान, ईशान से एक - एक पद ईश, यमन्त, भृग, अग्नि, पितृ, सुग्रीव, शोष व वरूण व अंदर की ओर कोणीय दिशाओं में ईशान से अदिति, अणवत्स, सावित्र, वितय, भृंगराज, इंद्र, रूद्र, मुख्य के 36 पदों पर 25 देवता के स्थान बताये गये है। (मानचित्र क्र. - १८ब)

7. **स्थन्डिल पद विन्यास (7X7) 49 पद** – इस विन्यास में उन्चास समवर्ग टुकड़ों में बॉटा जाता है। (मानचित्र क्र. - १९अ)

8. **छंदिता पद विन्यास (मन्डूकार) (8X8) 64 पद** – इस विन्यास का उपयोग शहर, गाँव की योजना बनाने हेतु किया जाता है।(मानचित्र क्र. - १९ब) ।मतस्यपुराण के अनुसार ६४ पदीय विन्यास भी बताया गया है।

इन 32 प्रकार के वास्तु पद विन्यास में से सिर्फ सात प्रकार के पद विन्यास का ही विस्तृत वर्णन मिलता है। बाकी पद संख्या व उनके नाम बताये गये हैं।

अब इन 45 देवताओं के रूप, वेशभूषा, अस्त्र-शस्त्र, वाहन, भोजन, पूजा आदि का वर्णन करते हैं।

<u>**1. ब्रह्माजी :-**</u> सिंहासन – कमल, स्वर्णिम वर्ण के चार हस्तों, चार मुखों, आठ नेत्रों से युक्त, श्वेत

१ मानसार/अ-७/०१

वस्त्र व जयधारी, मोलि से युक्त, जनेऊ या यज्ञ सूत्र से उत्तरीय विहित, आठ कर्णो में कुण्डलधारी चार गलों से युक्त कमंडल व रूद्राक्ष माला बायीं, कमल दो हाथों में लिये व वरद मुद्रा में, सर्वाभूषणो से युक्त, तिलक को मध्य पद में सृष्टिरचना एवं सभी विन्यासों में युक्त वर्णित है।

2. आर्यमान :- वे धेनू की तरह रक्तवर्णी, चार हस्त, एक मुख, दो नेत्र करण्ड (मुकुट का प्रकार), उत्तरीय धारण किये, सर्वाभूषणों से युक्त, दाहिने हाथों में कमल लिये, बायें हस्त अयय व वरद मुद्रा में।

3. विवस्वत :- श्वेतवर्णी, चार हस्तों से युक्त, दाहिने हाथों में पाथ व अंकुश धारण किए व शेष आर्यमान के अनुरूप।

4. मित्र :- श्यामवर्णी (Dark Blue) व शेष लक्षण पूर्वोक्त देवों के अनुरूप।

5. भूधर :- भूधर वास्तुदेवों में श्रेष्ठ हैं। स्वर्णवर्णी, दाहिने हस्त में पाथ व कमल लिये व शेष लक्षण पूर्वोक्त देवों के अनुरूप।

6. अपवत्स :- दो हस्तों, दो नेत्रों से युक्त, करण्ड (मुकुट) सुशोभित, श्वेतवर्णी व तीसरे अतिरिक्त नेत्र से युक्त, स्वर्णिम अंकुश, स्वर्णिम वस्त्र धारित, सर्वाभूषणों से सुसज्जित व हस्त वरद मुद्रा में बताये गये है।

7. आपवत्स :- रक्तवर्णी, शेष लक्षण पूर्वोक्त देवों के अनुरूप।

8. सवित्र :- रक्तवर्णी, दो भुजाओं से युक्त, हाथों को ऊपर की ओर किये हुवे एव शेष लक्षण पूर्वोक्त।

9. सावित्र :- श्यामवर्णी, रक्तवर्णी वस्त्र व उत्तरीय धारण, शेष लक्षण पूर्वोक्त देवों के अनुरूप।

10, 11. इन्द्र व इन्द्रजय :- ये दोनो स्वर्णवर्णी, सभी आभूषणों से सुसज्जित, सुंदर रूप व सुंदर नेत्रों वाले व शेष लक्षण पूर्वोक्त देवों की भांति।

12, 13. रूद्र व रूद्रजय :- दोनों देव स्वर्णवर्णी, दो हस्त व त्रिनेत्र से युक्त, एक हस्त में त्रिशूल व एक हस्त वरद मुद्रा में, चर्म के वस्त्र, उत्तरीय धारण किये, जय व मुकुट से युक्त, सर्वाभूषणों से सुसज्जित।

14. ईश (शिव) :- शिव वृषभ पर देवी सहित विराजित हैं व व्याग्रचर्म के वस्त्र धारित, श्वेतवर्णी व समस्त आभूषणों से सुसज्जित, दक्षिण हस्त में डमरू व वाम हस्त में हरिण, ऊपरी दाहिनी अयय मुद्रा में व बायें ऊपरी हस्त 'वरद' मुद्रा में कहा गया है।

15. शचीपति (आदित्य) :- ये रक्तवर्णी, दो हस्त, दो नेत्रों से युक्त, रथ एवं ऐरावत इनके वाहन, हस्त वरद मुद्रा में व एक हस्त में अंकुशधारित, सर्वाभूषणों से युक्त, नीलवर्ण, जनेऊ(यज्ञ सूत्र) व उत्तरीय धारण किये।

16. अग्निदेव :- ये अग्निवर्णी व मेष वाहन, दो भुजाओं व तीन नेत्रों व ज्वाला सदृश्य केशों से युक्त, दोनों हस्तों में एक में छोटा व एक में बड़ा श्रुवा (यज्ञ में घी डालने की यंत्र) लिये हुये व देवी स्वाहा के साथ सर्वाभूषणों से सुसज्जित व शेष लक्षणं पूर्वोक्त देवों के अनुरूप।

17. यमदेव :- ये भैंसे पर विराजमान है, तीन नेत्र, ज्वाला सदृश्य केश, दाहिने हस्त में त्रिशूल, बायें हस्त में पाथ, धूम्रवर्णी (Grey), रक्त वर्ण वस्त्र धारण किये, साथ में ''यम्या'' देवी व सर्वाभूषणों से सुसज्जित।

18. नैऋत्य (नेऋति) :- (गगन व पितृ का ध्यान) वे एक मनुष्य पर विराजमान हैं, दो हस्त, दो नेत्र, दाहिने हाथ में गदा व बायें हाथ वरदान प्रदान करने की मुद्रा में व श्यामवर्णी साथ में देवी इन्द्राणी (मुख्य पत्नी इन्द्र की, इन्द्र की पत्नी के अलावा) रक्तवर्ण के वस्त्र धारण और करण्ड (मुकुट) से सुशोभित व शेष लक्षण पूर्वोक्त देवों के अनुरूप।

19. वरूण :- ये मकर (मगर) पर विराजित, साथ में देवी भरणी वरूणानि हैं, उनके दो हस्त, दो

नेत्र व कर्ण कुण्डल व करण्ड, पाथ व अंकुश धारण किये व श्वेतवर्णी, रक्तवर्ण के वस्त्र धारण, यज्ञ सूत्र व उत्तरीय धारण किये हुए सर्वाभूषणों से सुसज्जित हैं।

20. वायुदेव :- ये हरिण पर विराजित, साथ में देवी मारूति, दो हस्त, तीन नेत्र से युक्त, पाथ लिये, अभय मुद्रा में व शेष लक्षण पूर्वोक्त।

21. राशि (सोम) :- दो हस्त, दो नेत्र, दो कमल, पुष्प लिये, अश्व पर विराजित, साथ में देवी चंद्रिका, श्वेतवर्णी, श्वेत वस्त्र, यज्ञ सूत्र व करण्ड धारण किये हुए सर्वाभूषणों से सुसज्जित।

22. पर्जन्य :- पर्जन्य रक्तवर्णी, जयन्त श्यामवर्णी, महेन्द्र।

23. जयन्त :- पीतवर्णी, प्रत्येक के दो हस्त, दो नेत्र, कर्ण।

24. महेन्द्र :- कुण्डल, करण्ड व सर्वाभूषणों से सुसज्जित, हस्तों में पाथ Snore व पुष्प कमल व रक्तवर्णी वस्त्र व उत्तरीय धारण किये हुये है।

25. सत्य :- सत्यदेव श्वेतवर्णी, भृगेश धूम्र (Grey) वर्णी।

26. भृगेश :- और आंतरिक श्यामवर्णी, प्रत्येक के दो हस्त, दो नेत्र।

27. धूम्र :- धूम्र तथा वरद मुद्रा में तथा क्रमशः अंकुश व पाथ धारण किये हुये और त्रिशूल लिय हुये, सर्वाभूषणों से सुसज्जित तथा शेष लक्षण पूर्वोक्त देवों के अनुरूप।

28. पूषान :- पूषान रक्तवर्णी, वितथ पीत वर्णो और गृहक्षत।

29. वितथ :- कृषक वर्णीय, रक्तवर्णी वस्त्र पूषान।

30. गृहक्षत :- पीतवर्णी वस्त्र, वितथ व गृहक्षत या पीतवर्णामि वस्त्र, रक्तवर्णामि रेखाओं या पट्टिकाओं से युक्त गदा, क्रमशः लिये हुए, दो पाथ लिये, कर्ण कुण्डल व करण्ड धारण किये (शेष लक्षण पूर्वोक्त देवों के अनुरूप)

37. असुर :- असुर कृष्ण वर्णी, शोध धूम्रवर्णी व

38. शोध :- रोग कृष्ण काम दुर्बल, लाल नेत्र; पीत वस्त्र

39. धूम्र :- वर्णी और Plice व खोपड़ी छत में लिये, शेष लक्षण पूर्वोक्त देवताओं के अनुरूप।

40. नाग :- नाग या सर्पमुखाकृति, दो हस्त, पीत वर्णी व Plice व सर्वाभूषणों से सुसज्जित है।

41. मुख्य :- मुख्य का ध्यान करें कि गजमुख, दो हस्त, करण्ड, रक्तवर्णी वस्त्र जो नीलवर्णीय किनार से युक्त वस्त्र धारण किये, दो हस्तों में पाथ व अंकुश लिये व सर्वाभूषणों से युक्त होना चाहिये।

42. भल्लाट :- इनका मेढ़े (Roms) का मुख लिये व शेष लक्षण पूर्वोक्त।

43. मृग :- हरिण सदृश मुख, हरिण सदृशवर्ण, करण्ड, तलवार, ढाल लिये हुए।

44. अदिति :- ये देव नील वर्णी, खड्ग व खोपड़ी लिये, करण्ड व अन्य आभूषणों से सुसज्जित, शेष लक्षण पूर्वोक्त।

45. उदित :- ये देव (लाल) रक्त वर्णी, सिंह मुखाकृति व गदा लिये, शेष लक्षण पूर्वोक्त। अतः 'अविनाशी' देवताओं के अतिरिक्त पराधीश देवताओं का वर्णन किया गया। अब चार यक्षणियों का वर्णन :-

चरकी, विदारी, पूतना, पाप राक्षसी :- यक्षणियों में चरकी श्वेत वर्णी, विदारी रक्त वर्णी, पूतना श्याम (गहरा नीला) वर्णी, पाप राक्षसी नील वर्णी। उनके दोनों हस्तों में Pike व खोपड़ी धारण किये, रक्त वर्णी वस्त्र धारण, बड़े (Fange) व दो नेत्र डरावने या भयानक रूप में, उनके केश रक्त वर्ण (Dishevelled) केश लिये इन्हें क्रमशः उत्तर पूर्व के बाह्य भाग से कहा गया है।

वास्तु पुरूष विकल्पन :- वास्तु पुरूष के विभिन्न अंगों को विभिन्न पदों पर बनाया गया है। शरीर का मध्यभाग ब्रह्मा पद पर, सिर आर्यमन पद पर व अधोमुख होकर उत्तर-पूर्व दिशा में बताया गया है व उसका वाम (बांया) हस्त 3 पूर्व की किनारे की रेखा से सटा होता है बांया पैर, दक्षिण पूर्व पद के किनारे की रेखा

से, दांया हाथ दक्षिण पूर्व की किनारे की रेखा से सटा होता है बांया पैर द.प. के किनारे की रेखा से, दायां हाथ द.पू. की किनारे की रेखा से व दांया पैर उ.प. की किनारे की रेखा से सटा हुआ व उसका लिंग मित्र पद में कहा है। उसके दो कान, अनेक नाड़ियाँ और शिरा, 6 रीड़ की हड्डी (Back Bone) व एक हृदय अलग पद पर कहे गये हैं। एक मेरू दण्ड रीड़ पश्चिम से दक्षिण तक बढ़ती है। परन्तु मुख्य नाड़ी पूर्व से उत्तर को बढ़ती है। (मानचित्र क्र. - 10)

स्थापत्य के इस 'उद्देश्य या लक्ष्य' को, 'देव एवं मानव' भवनों में विशेष ध्यान रखना चाहिये क्योंकि यह शुभ-अशुभ का मूल है। इसके किसी भी भागों को त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिये। यदि कोई भी भाग त्रुटिपूर्ण हो जाता है तो गृहपति सुख-समृद्धि से हीन हो जाता है अत: कुशल स्थपति को शास्त्रोक्त के अतिरिक्त कुछ भी कम या ज्यादा नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार परम्परानुसार मान्यता प्राप्त बलि (गृहारंभरो), ब्राह्मणों (वास्तुदेवता) और सभी देवताओं को समर्पित करना चाहिये जो कि उन देवों के पदों में होनी चाहिये।

इस प्रकार 'पद विन्यास लक्षणम्' नामक अध्याय में 32 प्रकार के पद विन्यासों के नाम व उनमें से सिर्फ 7 प्रकार के विस्तृत पद विन्यास का वर्णन कर देवताओं (ऊर्जा के प्रकारों) के नामों द्वारा बताये, जो संज्ञाएं ही अभिव्यंजन है। इन्हीं में इनका मर्म छिपा है। साथ ही देवताओं के गुण, धर्म, प्रकृति, व्यवहार, आभूषण आदि के बारे में भी बताया गया है एवं वास्तु पुरूष विकल्पन में ईशान में सिर व नेऋत्य में पैर किये औंधे लेटे हुए मनुष्याकृति की कल्पना कर उसके विभिन्न अंगों को विभिन्न पदों पर बताया गया है, जिसमें वेध दोष होने पर ''मर्म वेध'' होता है जो भवन के स्वामी/उपयोगकर्ता को सुख-समृद्धिहीन कर देता है। संक्षेप में कहे तो जिस प्रकार मानव अंगों पर विशेष बिंदुओं पर प्रभाव पड़ता है ठीक उसी प्रकार भवन पर भी प्रभाव पड़ता है। वास्तु पुरूष का जो अंग पीड़ित होगा उसी अंग पर भवन स्वामी/उपयोगकर्ता के भी पीड़ा संभावित है।स्थापत्यवेद में बताये उक्त नियमों का सख्ती से पालन करने से सुख-समृद्धि व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।

जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भवन - निवेश) में अध्याय क्र. 14, 15, 16, 17 में वास्तु पद विन्यास में क्रमश:निम्नानुसार बताया गया है :-

वास्तुत्रय विभाग (वास्तु पद)

नाड्यादि-सिरादि-विकल्प मर्म वैध :- पुरूषांग देवता - निघंटवादि निर्णय :- इन चारों अध्यायों में सोलह, 16, 64, 81, 100, 1089 पद वास्तु विन्यास का विवरण एवं वृत्त वास्तु 64 एवं 100 पदीय व 6, 8, 16 कोणीय, अर्धचंद्राकार पद विन्यास को वृत्त वास्तु के अनुसार करने के बारे में मात्र लिखा गया है। एवं 64, 81, एवं 100 पदीय वास्तु विन्यास का उपयोग एवं वास्तु पुरूष विकल्पन व उसके अंगों पर देवताओं के स्थान मर्मवैध तथा वास्तुदेवता निघंटु (45 देवताओं का विवरण) दिया गया है तथा वास्तव वयवविदित-कर्ण (अक्षर और शरीर अंशों का संबंध) दिया गया है।

समरांङ्गण में सकल पद का वर्णन नहीं है।

(1) **षोडश-पद वास्तु** - (4x4=16) मध्य में स्थित होकर मुख्य देव ब्रह्मा चार-चार (4x4=16) विभक्त पद वास्तु में एक पद का उपयोग करते हैं। अर्यमा, विवस्वान, मित्र और शेषनाग ये चारों सुरोत्तम पद के आधे भाग के भोक्ता कहे गयें है। जो सवितृ आदि आपवत्सान्त सूर्य समान कान्तिवाले आठ देवता ब्रह्मा के कोणों में है वे आधे-आधे चार भागों के भोक्ता कहे गये हैं। क्रम से ईशानादिचारों कोनों में आठों देवता एक-एक पद वाले हैं। इसी प्रकार पर्जन्य आदि अदिति पर्यन्त जो आठ देवता है वे चार भागों के भोक्ता अर्थात् प्रत्येक देवता आधे-आधे भाग का भोक्ता है। जयंत आदि चरकी पर्यन्त जो बाहर रहने वाले सोलह (16) देवता हैं उनका भोग आधे-आधे पद का कहा गया है।

इस ग्रंथ में 6x6=36 पदीय वास्तुपद का वर्णन नहीं है।

इस ग्रंथ में 7x7=49 पदीय वास्तु का वर्णन नहीं है।

(2) **चतु:षष्टि पद वास्तु** (8x8=64) क्षेत्र को चौकोर बनाकर आठ-आठ विभाग करने पर (8x8=64) 64 पदों से चतु:षष्टि पर वास्तु सम्पन्न होता है। इसमें मध्य में ब्रह्मा चार पदों का भोग करते हैं और अर्यमा आदि

१-२ स.सू/अ-१४/१४-१५

देवता यही मध्य में स्थित होकर दो-दो पदों का उपभोग करते हैं। आठों कोणों पर स्थित बीच और बाहर जो आठ देवता हैं वे यहाँ पर आधे-आधें पदों का उपभोग करते हैं। पर्जन्य, भृंश, पूषान, भृंङ्ग, दौवारिक, शोष, नाग, अदिति ये डेढ़ पद का उपभोग करते हैं। बाहर के जयन्तादि तथा चरकान्त जो 16 देवता कहे गये हैं वे सब दो-दो पद की स्थिति कही गयी है। 64 पद वास्तु प्रयोग में राजशिविरों, ग्रामों, खेटों तथा नगरों का विभाजन करना चाहिये।

(3) चतुष्षष्टि वृत्त वास्तु – वृत्त विष्कम्भ को आठ-आठ (8x8=64) भागों में विभक्त करने पर चार भागों के बीच चार परिधियाँ करनी चाहिए। बीच का वृत्त दो भागों वाला कहा गया है बाहर का वृत्त वलय 28 भाग वाला कहा है और भीतर का वलय कम से आठ-आठ अंशों से छोड़ दिया जाता है ऐसा कर लेने पर मध्य में ब्रह्मा का पद चतुष्पद कहलाता है इस प्रकार चौसंठ पद वाला वृत्त वास्तु उदाहृस किया जाता है।

(4) एकाशीति-पद वास्तु (9x9=81) क्षेत्र को चौकोर बनाने पर उसका नौ-नौ हिस्सों में (9x9=81) विभाग करना चाहिये।

एभ्य: शेषत्त बहिर्ये तु ते स्यु: पदभुज: सुरा: ।
एकाशीतिपदे प्रोक्तो देवतानां पदक्रम: ।।[1]।।
चतुरश्रीकृते क्षेत्रे दशधा प्रतिभाजिते।
भवेच्छतपदो वास्तुर्बूमोऽत्राप्यमर स्थितिम्।[2]।।

मध्य में नौ पदों में ब्रह्मा की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उसके बाद पूर्व दिशा में छ: पदों से अर्यमा का निवेश विहित है। आग्नेय कोण (पूर्व-दक्षिण) में सवित और सवित्र देवों को दो-दो पदों पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। दक्षिण दिशा में छ: पदों पर विवस्वान् का निवेश अभीष्ट है। पुन: नैऋत्य कोण (दक्षिण-पश्चिम) में जया तथा इन्द्र को दो-दो से प्रतिष्ठा देनी चाहिए। पश्चिम दिशा में छ: पदें से मित्र की स्थापना और पश्चिमोंत्तर वायव्य कोण में, दो - दो पदों से, यक्ष्मा और रूद्र की स्थापना। अब उत्तर में दिशा में छ: पदों से पृथ्वी घर, शेष नाग एवं ईशान कोण में दो - दो पदों से आप तथा आपवृत्स की प्रतिष्ठा विहित है। अब बाहर के देवों का पूर्व से उत्तरादि तक उन का प्रदक्षिण स्थान समझना चाहिये - गंधर्व, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, भृश, नभ, अनिल, पूषान्, वितथ, गृहक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग, पितृ गण, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, जलेश्वर, असुर, शोष, पाप यक्ष्मा, रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, चरक, अदित्ति, दैत्यमाता में पद देवता कहे गये है।

अग्नि, वायु, पितृ गण तथा व्याधि इनके क्रमश: बाहर की ओर चरकी, बिदारी, पाप राक्षसी और पूतना भी पद देवता है। इनका केवल स्थान कहा गया है, इन पद का भोग नहीं है

बाहर स्थित देवों का वास्तु क्षेत्र में दो - दो पदों का है वे हैं जयन्त भृश, वितथ, भृंग, सुग्रीव, शोष मुख्य व अदिति इनमें बचे जो बाहर देवता रह जाते है, वे केवल एक पद भोगी है। कुशल स्थपति द्वारा ब्राह्मणों के घर राज प्रासादों के निवेश, इंद्र स्थान 81 पद वास्तु से विभाजित करना चाहिए।

(5) शत-पद वास्तु (10x10=100) क्षेत्र को चौकोर बना देने पर उसमें दस - दस भाग (10x10=100) करने पर सौ पदों वाला वास्तु बनता है। इसमें मध्य में 16 पदों में ब्रह्मा का स्थान है और वहीं पर उन्हीं के पास आठ पद का अर्यमा भोग करते हैं। अर्यमा की तरह विवस्वान, मित्र और शेष का यही भोग कहा है, अर्थात् ये चारों देव आठ - आठ पद वाले देवता हैं। सवित्रादि आपव्रत्सान्त जिन देवताओं का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। उन देवों का 81 पद वाले वास्तु के समान यहाँ पर भी एक - एक पद का भोग कहा गया है, अग्नि, अन्तरिक्ष, पदम, मृग, क्षय, पितर, रोग, अदिति में आठ देवता डेढ़ डेढ़ पद के भागी है। पर्जन्यादि अदिति - पर्जन्य, जो चौबीस देवताओं का कथन किया गया है। वे दो - दो पद वाले होते हैं और बाकी पहले ही प्रसाधिक है।

(6) शत पद - वृत्त वास्तु – वृत्त विष्कम्भ के दस 2 भाग (10x10=1000) विभाजित कर लेने पर समभाग के उत्तर वाली पाँच परिधियाँ बनानी चाहिए और बीच में दो भाग वाला वृत्त होता है। इनकी बाहरी वलय 36 पदों का होता है। शेष विभिन्न 64 पद वाले वास्तु की स्थिति से शत पद वाले वास्तु में भी वैसा ही होता है।

(7) सहस्त्र पद वास्तु :- (33x33=1089) क्षेत्र को चौकोर बना देने पर तथा उसके तैंतीस - तैंतीस भाग करने पर चरकी आदि के लिए, अंत की ढ़ाई पंक्तियाँ छोड़ देनी चाहिए। बीच में उसके बाद अर्धपति का वीथिक

छोड़ देनी चाहिए फिर उसके बाद सताईस - सताईस (27x27=729) भागों से वास्तु का विभाजन करना चाहिए। उनतीस पद से युक्त पदों का शत सप्तक अर्थात् सात सौ उनतीस यदि वहाँ होता है तो गर्भ में इक्यासी पद का स्थान बह्मा के लिए होता है। चाप, प्रभृति आठ जो अलग - अलग देवता है वे अठारह पद वाले, अर्यमा आदि चारों चौवन पद वाले होते हैं, अदिति पर्जन्य ईशादि जो बाहर के देवता है उनके 11 पद के भोग होते हैं। देशों के सन्निवेश में यह सहस्त्र पद वास्तु विहित है।

(8) श्यश्रादि - वास्तु पद - त्रिकोण और छः कोण, अष्टकोण, सोलह कोण, वृत्तायत, अर्धचंद्राकार वास्तु में भी वृत्तवास्तु के समान पद विभाजन करना चाहिये।

<u>वास्तु - पुरूषाङ्ग - देवता</u> - देवताओं के पृथक - पृथक प्रकारों से सम्विभक्त पदों के द्वारा स्थपति निम्नलिखित इस प्रकार की पुरूषाकृति वास्तु का निर्माण करें। इसके सिर को अग्नि, दोनों आँखों (दृष्टि) को दिति और मेघों का अधिपति (वरूण) कहा गया है। और इनके दोनों कानों को जयन्त और अदिति कहा है। मुख में वायु स्थित है। दक्षिण बाहु में सूर्य और वामबाहु में प्रतिष्ठित कहे गये है और इनके वक्ष स्थल पर आपवत्स सहित महेन्द्र और चरक स्थित है । दक्षिण स्तन पर अर्यमा ,वाम स्तन पर पृथ्वीधर बताये गये है। यक्ष्मा, रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट ये पाँचों देवता बाई बाहु में कहे है। सत्य, भृश, नभ, वायु, पूषा ये पाँचों देवता वास्तु पुरूष की दक्षिण बाहु स्थित कहे है। सावित्र, सविता, रूद्र, शक्तिधर ये चारों देवता दोनों हाथों में स्थित है और हृदय में ब्रह्माविरजमान है। वितथ और गृहक्षत ये दोनों देव दक्षिण बगल में स्थित है और बाई बंगल में शोष है असुर, स्थित है। मित्र और विवस्वान पेट में, इंद्र और जय लिंग के मध्य भाग में स्थित है। यम और वरूण क्रमशः दाई और बाई अरू में स्थित हैं । मृग, गंधर्व और भृङ्ग दक्षिण जंघा में, द्वास्थ, सुग्रीव और पुष्प देवता बाई जंघा में स्थित है। पितृगण चरणों मे स्थित है।

<u>वास्तु पुरूष शिर दिशा</u> :- 81 पद वाले वास्तु पद में वास्तु पुरूष का शिर - ईश - दिग्विभाग में आश्रित है और चौसठ पद वाले में उसका शिर माहेन्द्री दिशा में है। इक्यासी पद वास्तु से सौ पद वाला वास्तु उत्पन्न होता है ,और सोलह पद वाला वास्तु है। वह चौसठ पद वाले वास्तु से उत्पन्न होता है।

<u>वास्तु - देवता - निघण्टु</u> :-वास्तु पद विन्यास में निहित देवताओं के बारे में निम्नानुसार विवरण दिया गया है।

1. **ब्रह्मा** - देवों के मध्य में जो कमल - भू - ब्रह्मा स्थित हैं वे हजार मुख वाले बह्मा अचिन्त्य विभव है सारे जगतों के मालिक है।
2. **अग्नि** - वह सर्वभूत हर भगवान शंकर है।
3. **पर्यन्य** - ये देव वृष्टिमान अंबुदाधिप (बादलों के राजा)है।
4. **जयन्त** - ये भगवान कश्यप ऋषि है जो महेन्द्र है, वे देव पति और राक्षसों के संहारक कहे गये है।
5. **विवस्वान** - इनको आदित्य कहते है।
6. **सत्य** - सत्य से अभिप्राय प्राणियों के हितैषी धर्म से है।
7. **भृष** - भृष का अर्थ है भगवान काम देव जो अंतरिक्ष देव है वे नभोदेव कहे जाते है।
8. **वायु** - मारूत से वायु का उद्देश्य है।
9. **पूषा** - पूजा से मातृगण का तात्पर्य है।
10. **वितथ** - वितथ नाम के देव है वह कलियुग के अप्रतिम सुत अधर्म है।
11. **गृहक्षत** - वे चंद्रमा के पुत्र वधु है।
12. **यम** - प्रेतों के मालिक श्रीमान् यम वेवस्वत है।
13. **गंधर्व** - भगवान गंधर्व देव नारद परिकीर्तित है।
14. **भृङ्गराज** - निर्ऋति के लड़के राक्षस से अभिप्राय यहाँ पर भृङ्गराज से है जो यहाँ पर मृग कहे गये है।
15. **पितृगण** - से पितृलोक के निवासी देव वर्णित है।
16. **दौवारिक** - से प्रथमों के अधीश्वर नंदी का अभिप्राय है।

17. सुग्रीव – से आदि प्रजापति सृष्टिकर्त्ता म मनुव्यधदिष्ट है।
18. पुष्पदंत – विनता के लड़के महाजवशाली वायु है ।
19. वरूण – वह समुद्रों (जलों) के मालिक व लोकपाल है।
20. असुर – असुर से अभिप्राय सूर्य एवं चंद्र के ग्रासक सिंही का राक्षसी के लड़के राहु से है।
21. शोष – शोष से सूर्य पुत्र भगवान शनिश्चर का अभिप्रांय है।

22. पापयक्ष्मा – से क्षय को बोध होता है जो रोग से ज्वर प्रतिपादित है।
23. नाग – नाग से सर्पो के मालिक वासुकि शेषनाग कहे गए।
24. मुख्य – मुख्य की संज्ञावाले देव से विश्वकर्मा और त्वष्टा से अभिप्राय है।
25. भल्लाट – भल्लाट को चंद्र कहा है।
26. सोम – संज्ञावाले देव से कुबेर का ज्ञान होता है।
27. चरक – व्यवसाय नाम वाले चरक कहे गये है।
28. अदिति – अदिति नाम से लक्ष्मी का अभिप्राय है।
29. दिति – दिति से त्रिशूल धारण करने वाले वृषभध्वज शंकर कहे गये है।
30. आप – आप हिमालय कहे गये है।
31. आपवत्स – आपवत्स से क्षमा स्मृत की गई है।
32. अर्यमा – से आदित्य से समझाना चाहिए।
33. सावित्र – से वेद माता समझना चाहिये।
34. साविता – से गंगा देवी प्रख्यात है।
35. विवस्वान – से शरीर को हरण करने वाला मृत्यु कहा गया है।
36. जय – जय नामक देव वज्र धारण करने वाले बलवान हरिइन्द्र कहे गये है।
37. मित्र – मित्र से माली हलघर कहे गये है।
38. राजयक्ष्मा – स्वामी कार्तिकेय कहे गये है।
39. पृथ्वीघर (क्षितिन्घ) – से भगवान अनंत शेषनाग कहे गये है।

चरकी, बिदारी, पूतना, पायराक्षसी इनको राक्षस योनि से उत्पन्न होने वाली देवताओं की अनुचरी कहा गया है।

<u>**वास्तु पुरूष :-**</u> वास्तु पुरूष एक ही है इसे इन – ना – ना प्रकारों से परिकल्पित किया गया है। शिराएँ, वंश तथा अनुवंश, संधियाँ और अनुसंधियाँ, मर्म तथा महावंश वास्तु शरीर में लक्षित किये गये है। कान तक जो शिराएँ फैलती है वे नाडी कहलाती है। पद को 16वां भाग उसी प्रभाव से लक्षित किया गया है। पूर्व तथा पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण में मध्य में दो – दो महावंशों का प्रमाण पद का पंचम भाग कहा गया है। इसमें फैली रेखाएँ वंश है और जो टेढ़ी रेखाएँ है उनको अनुवंश कहा है। इनके सम्पातों को मर्म कहा जाता है। जो पद के मध्य में है उनको उपमर्म कहा है और उनका भाग आठवां, दसवाँ, बारहवाँ, सोलहवाँ कहा गया है। आठों वंशों के संधिया है। उनको संधि और जो वंशों के अंगों की संधियाँ है, उनको अनुसंधि कहा गया है।

<u>**महवंशादि पीड़न – फल :-**</u> किसी भी द्रव्य से महावंश का अतिक्रमण न करे। अन्य मध्यवंशों से द्रव्य को छोड़ दे। महावंश के अतिक्रमण से स्वामिवध निश्चित है। वंशों के पीड़न से वर्षा की भीति और तपन भीति प्राप्त होती है। उपमर्मो के पीड़न से रोग प्राप्त होता है। मर्मो के पीड़न से कुल हानि आपतित होती है। शिराओं के पीड़न से उद्वेग और अनर्थ उपस्थित होता है । संधियों और अनुसंधियों के पीड़ित होने से कलि उपस्थित है। इसलिए इन सबकों पीड़ित होने से बचावें।

<u>**मर्मवेध :-**</u> चारों विभागों में, चारों दिशाओं में जो शिराएँ होती है, जो द्वार के मध्य भाग पर स्थान होते

है, उनको मर्म कहते है।

<u>वेध :-</u> दीवाल से विस्तृत मध्य के द्वारा अथवा लकड़ी के मध्य लकड़ी द्वारा जो मर्म जिस घर में पीड़ित होता है उसका फल :-द्वारों से अथवा दीवालों से मर्मो का परिपीड़न होने पर घर के स्वामी की दुर्गति, कुल हानि। स्तम्भों द्वारा वेद्य-स्वामी नाश, तुलाओं द्वारा वेद्य-स्त्री नाश, जयन्तियों द्वारा वेद्य-बहु का नाश, संग्रहों द्वारा-भाई नाश। वट दारू, अनुशिराएं, गवाक्ष, आलोकन यदि मर्म-मध्य में होते है तो धन क्षय करवाते हैं। द्वार, द्रव्य, तुला, स्तम्भ, नागदन्त, गवाक्षों के द्वारा यदि द्वार का मध्य पीड़ित होता है तो रोग, कुल पीड़ा व धन-क्षय होता है। शय्या यदि अनुवंश से विहित है तो घरवालों का कुलनाश करने वाली कही गई है। गृह के मध्य भाग में द्वार-विनिवेश स्त्री-दूषण के लिए होता है। अन्य द्रव्य से भी यदि महामर्म नि पीड़ित होता है तो गृहों का सर्वनाश और मरण उपस्थित होता है। इस प्रकार देवों, राजाओं और ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों के घरों को आश्रित करने वाला यह मर्मवेध कहा गया है।

स्थापत्य वेद के इन दोनों ग्रंथों में वास्तु पद विन्यास संबंधी अध्यायों में नगर, ग्राम, भवन या अन्य कोई भी संरचना के नियोजन (Planning) करने के लिए विस्तृत विवरण दिया गया है।

मानसार में उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार द्विजों के मुख्य घर आर्य, विवस्वत, मित्र, भूघर पर बनाना समृद्धिदायक है। आपवत्स से प्रारंभ कर आठ पदों पर 'शुद्र वर्ण' हेतु उपयुक्त है, पूर्व में इन्द्रादी चार पदों पर - द्विजों के निवास, यम व वरूण पद पर क्षत्रियों के मुख्य भवन, वरूण व सोम पद पर "वैश्यों" के निवास, पर्जन्य पद पर सभी के लिए महानस (रसोई) ,अंतरिक्ष अग्नि व पूषान पद में सभी जातियों के लिये कुआँ, अदिति या ईश पद पर देवताओं के पूजाघर, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के लिये, गंधर्व, भृंगराज व ब्रह्माणों के वायु पर, मृग अंतरीक्ष पर नौ प्रकार के राजाओं की रानीयों के लिये आवास, पुष्पंदत पर 'बैरक' सैनिकों के लिये ,सत्यक या अंतरिक्ष पर सभी के लिये शयन कक्ष, शोष, असुर, वरूण पद पर अमोद प्रमोद हेतु स्थान, सोम व मृग पर सोने व आभूषण के भंडार, नाग पद द्विजों के बलिकर्म स्थल, अदिति पर सभी वर्णो के स्नानागार व सेना के शांति संधि कर्म स्थल व इसके आगे बाहर राजदूतों के कार्यालय, इन्द्र या महेन्द्र पद र सेवकों के घर, यम या पितृ पद पर सूत्रकार के निवास, पर्जन्य पर रक्षकों के निवास, पूषान या वितथ पर गौशाला, वाहन या अश्वशाला द्वार के बायीं और फर्शयुक्त आप–आपवत्स पर नवजात शिशुओं की देख–रेख के लिये स्थान एंव पर्दाशीन महिलाओं के लिये दर्शक दीर्घा, फर्शयुक्त ब्रह्मा स्थान पर विवाह व अन्य आयोजन, इन्द्र–इन्द्रजय पर नव वर–वधु का प्रथम नयन मिलन हेतु मंडप, रूद्र या रूद्र जय पर कन्या, महिलाओं आदि के लियें, पुत्र (लड़कों) के कक्ष सवित या सावित्र पर तृग पद पर सभी के लिये अध्ययन मंडप व इसके व बाहर नहाने से पूर्व तेल स्नान मंडप, सोम पद पर भोग विलास कक्ष, मृग या मुख्य पद पर विलासिता पंसद लोंगो के गृह, अग्नि ,पूषा सत्यक, महेन्द्र पर सखी सहेलियों व सेवकों के गृह गृह द्वार के दायीं और पुलिस रक्षकों व उनके परिवारों के घर, गंधर्व या भृंगराज पर राजकुमारों के ताकि चंद्र देख सके, सूर्य नहीं, यम पर रानियों के ,मृष पर सुंदरियों के, वरूण या पुष्पदंत पर शिखर राजकुमारों के सभी वर्णियों के गृह आदि ,मुख्य द्वार महेन्द्र, पुष्पदन्त, मुख्य या गृहक्षत पर बनाना चाहिये। नगरादि में 'वास्तु सौख्यम' नामक ग्रंथ के अनुसार प्रत्येक दिशा में मुख्य प्रवेश द्वार स्थित होने पर उनके परिणाम बताये गये हैं।

(अ) पूर्व में – अग्नि भय, स्त्री जन्म, धनवृद्धि, नृपोपलब्धि, क्रोधाधिकता, असत्यता, क्रूरता व चोरभय।

(ब) दक्षिण में – अमुत्रता ,प्रेशत्वदासता, नीचत्व, भ्रक्षपान, सुतवृद्धि, रोद्र (क्रूरता), कृत्घ्नता, अधानता (गरिबी) पुत्रबल नाश।

(स) पश्चिम में – सुत पीड़ा, शत्रु वृद्धि, पुत्र अर्थ लाभ, महाऐश्वर्य, धनलाभ, राजभय, रोगवृद्धि।

(द) उत्तर में – वधबंधन, शत्रुवृद्धि ,पुत्र अर्थ लाभ सर्वगुणोंपलब्धि, पुत्र धन–प्राप्ति, बैर, पुत्र–कष्ट दोष, स्त्री – धन हानी।

एक अन्य ग्रंथ "वास्तु माणिक रत्नाकर" में भी परिणाम इस आशय के साथ ग्रंथ भेद लिये बताये गये हैं। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान में आधुनिक आर्किटेक्ट द्वारा लगभग ९०% भू खंडों पर मुख्य

द्वार, पोर्च या गेरेज को कोने में ही रखा जाता है। जिसके परिणाम उपरोक्तानुसार दृष्ट–दव्य हैं, जिसकी 'परछाई समाज' में देखी जा सकती है। नाग या मुख्य पद पर बैलों का घर, शोष, असुर पर पुष्प मंडप, चारों कोनों में सोपा (सीढियाँ) ,भल्लाट या नाग पद पर महिलाओं के नृत्य मंडप, रोग पद पर वन्य प्राणियों या मुर्गे आदि के शेड, दौवारिक या सुग्रीव पर भेडों के शेड, सबसे बाहर चाहर दीवार या रोग पद पर प्रतिदिन पूजा हेतु मंदिर बनाना उपयुक्त कहा गया है।

इस प्रकार चारों वर्णियों हेतु विन्यास बताया गया है। वास्तु पुरुष विकल्पन में एक मानव आकृति–युक्त विशाल दानव जो देवताओं द्वारा अधोमुख ईशान में सिर व नैऋत्य में पैर किये, सम्पूर्ण भू–भाग पर (पाताल) में औंधा लिटाया गया परिकल्पित किया गया है (मानचित्र क्र. ४९) व उसे देवताओं द्वारा वरदान दिया गया है कि, भूमि पर कुद भी वास्तु कर्म करने से पूर्व वह पूजित होगा व यह पृथ्वी के प्रत्येक खंड–खंड पर सदैव अपना प्रभाव रखेगा। इसके नियमों का पालन नहीं करने वाले इसके कोप से पीड़ित होगें। इसके पीछे वैज्ञानिक अवधारणा यह है कि पृथ्वी के किसी भू–भाग पर जब ईशान में मुख किये, इसे अधोमुख लेटा हुआ परिकल्पित करते हैं तब इसके जिस अंग पर उस भू–भाग में जो निर्माण आदि होगा, तद्नुसार मानव के मर्म बिंदुओं (शिरा, वंश, नाड़ी, सम्पात आदि)के समान ही भवन व उसमें रहने वाले पीड़ित होंगे। याने उस निर्दिष्ट स्थान पर उर्जा का वितरण बाधित होगा। स्थंडिल, छंदिता, एकाशिति व आसन आदि वास्तु पद विन्यास क़ो क्रमशः मानचित्र मानचित्र क्र १८ से २३ में दर्शाया गया है।

वास्तु पुरुष विकल्पन में परिकल्पित मानव आकृति के सातों मुख्य चक्रों के लक्षणों व प्रभाव का विवेचन मानचित्र क्र. २५ के अनुसार भी विश्लेषण करें तो पता चलता है कि वास्तु पुरूष के जिस चक्र पर दोष होगा उसके लक्षणों को वह प्रभावित तो करेगा ही जैसे चक्र क्र. ७ मानसिक केन्द्र बिंदु से सम्पूर्ण व्यक्तित्व का व जीवन के आध्यात्मिक स्तर और मस्तिष्क से समन्वय, ईशान में दोष होने पर बाधित होगा।

भवन भास्कर पुस्तक में बताया गया है कि –

१. वास्तुशास्त्र में विधान आया है कि सूत्र– स्थापन करने में, भूमि–शोधन करने में, द्वार बनाने में, शिलान्यास करने में और गृहप्रवेश के समय– इन पाँच कर्मो में वास्तुपूजन करना चाहिये।

२. गाँव, नगर और राजगृह के निर्माण में ६४(चौसठ) पदवाले वास्तुपुरूष का पूजन करना चाहिये।गृहनिर्माण में ८१(इक्यासी) पदवाले वास्तु पुरुष का पूजन करना चाहिये।देव मन्दिर के निर्माण में १०० (सौ)पदवाले वास्तु पुरूष का पूजन करना चाहिए।जीर्णोद्धार में ४९(उन्चास) पदवाले और कूप, वापी, तड़ाग तथा व उनके निर्माण में १९६ (एक सौ छियानवे) पदवाले वास्तुपुरूष का पूजन करना चाहिए।

३. मत्स्यपुराण में आया है कि सुवर्ण की सलाई द्वारा रेखा खींचकर इक्यासी कोष्ठ बनाये। पिष्ट से चुपड़े हुए सूत से दस रेखाएँ पूर्व से पश्चिम तथा दस रेखाएँ उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे। फिर उन कोष्ठों में स्थित पैंतालीस देवताओं की पूजा करें। उनमें बत्तीस की बाहर से तथा तेरह की भीतर से पूजा करे। यह मानचित्र क्र.१९ स(मत्स्यपुराण के अनुसार वास्तुपद विन्यास ६४ पदीय तथा मानचित्र क्र.२१ ब.८१ पदीय)में बताया गया है।

भवन भास्कर इसके साथ ही वास्तुपुरूष तथा उसके मर्म स्थल के बारे में बताया है कि –

१. वास्तुपुरूष ईशान कोण में सिर करके अधोमुख होकर स्थित है। उसका सिर 'शिखी' में है। बायाँ नेत्र 'दिति' में तथा दायाँ नेत्र 'पर्जन्य' में है। मुख 'आप' में है। बायाँ कान 'अदिति' में तथा दायाँ कान 'जयन्त' में है। बायाँ कन्धा 'भुजग' में तथा दायाँ कन्धा 'इन्द्र' में है। बायीं भुजा 'सोम', 'भल्लाट', 'मुख्य', 'नाग', और 'रोग' में तथा दायीं भुजा 'सूर्य', 'सत्य', 'भृश', 'अन्तरिक्ष' और 'अनिल' में है। बायाँ मणिबंध 'पापयक्ष्मा' में तथा दायाँ मणिबंध 'पूषा' में है। बायाँ हाथ 'रूद्र' और 'राजयक्ष्मा' में तथा दायाँ हाथ 'सावित्र' और 'सविता' में है। छाती 'आपवत्स' में है। बायाँ स्तन 'पृथ्वीधर' में और दायाँ स्थन 'अर्यमा' में है। हृदय 'ब्रह्मा' में है। पेट 'मित्र' तथा 'विवस्वान्' में है। बायीं बगल 'शोष' तथा 'असुर' में और दायीं बगल 'वितथ' तथा 'बृहत्क्षत' में है बायाँ उरू (घुटने से उपर का भाग) 'वरूण' में तथा दायाँ उरू 'यम' में है। बायाँ घुटना 'पुष्पदन्त' में तथा दायाँ घुटना 'गन्धर्व' में है। बायीं जंघा (घुटने से नीचं का भाग) 'सुग्रीव' में तथा दायीं जंघा 'भंगराज' में है। लिंग 'इन्द्र' तथा 'जय' में है। बायाँ नितम्ब 'दौवारिक' तथा दायाँ नितम्ब 'मृग' में है। पैर 'पिता' में है

२. सिर, मुख, हृदय, दोनों स्तर और लिंग- ये वास्तुपुरूष के मर्म-स्थान हैं।

३. रोग से अनिल तक, पिता से शिखी तक, वितथ से शोषक तक, मुख्य से भृशतक, जयन्त से भंगराज तक और अदिति से सुग्रीव तक विस्तृत सूत्रों का जो नौ स्थानों में स्पर्श होता है, वे वास्तुपुरूष के अतिमर्म-स्थान हैं। ये नौ अतिमर्म स्थान ब्रह्मस्थान में आते है। (मानचित्र क्र.२१ इ)

४. वास्तुपुरूष के जिस मर्म-स्थान (अंग)- में कोई शल्य हो अथवा वहाँ कील, खम्भा आदि गाड़ा जाय तो गृहस्वामी के उसी अंग में पीड़ा या रोग उत्पन्न हो जायगा।

५. यदि मर्म-स्थान में लकड़ी का शल्य हो तो धन की हानि होगी। हड्डी का शल्य हो तो रोग का भय होगा। लोहे का शल्य हो तो शस्त्र का भय होगा। कपाल या केश हो तो मृत्यु होगी। कोयला हो तो चोर से भय होगा। भस्म हो तो अग्नि भय होगा। भूसा हो तो धन का आना बन्द होगा।

६. यदि वास्तुपुरूष दायीं भुजा से रहित हो तो धन का नाश एवं स्त्रीकृत दोष होता है। बायीं भुजा से रहित हो तो धन-धान्य का नाश होता है। सिर से रहित हो तो धन, आरोग्य आदि सब गुणों का नाश होता है। पैर से रहित हो तो स्त्री-दोष, पुत्रनाश एवं दासत्व की प्राप्ति होती है।

७. घर के मध्य में स्थित ब्रह्मस्थान (ब्रह्मा के नौ पद) की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये। उस जगह कोई निर्माण (दीवार,खम्भा) नहीं करना चाहिय। वहाँ जूठे बर्तन, अपवित्र पदार्थ भी नहीं रखने चाहिये। यदि ब्रह्मस्थान में दीवार, खम्भा, दरवाजा आदि बनाया जाय अथवा जूठे बर्तन, अपवित्र वस्तु, हड्डी, भस्म आदि रखे जायँ या कील गाड़ी जाय तो धन-धान्य का नाश होता हैं और अनेक प्रकार के रोग तथा शोक उत्पन्न होते है।

ब्रह्मस्थान निकालने के लिये गृहभूमिका लम्बाई और चौड़ाई के तीन-तीन बराबर भाग करें। बीच का भाग ब्रह्मस्थान होगा जैसे-

यह विवरण मानचित्र क्र.४९ ब.(भवन भास्कर के अनुसार वास्तुपुरूष व उसके अंगस्थान ८१ पदीय विन्यास)में बताया है।

मानचित्र क्र. ४९इ. में भवन भास्कर के अनुसार अति मर्म स्थल दशाये गये हैं।

वैदिक वास्तु विद्या एवं रोगकारक वास्तु दोष पुस्तक में पद विन्यास के बारे में बताया गया है -

वास्तु पद विन्यास वास्तु शास्त्र का मूल है। इसे हम एक प्रकार से जो भी निर्माण कार्य हो रहा है, उसका नक्शा कह सकते हैं परन्तु वास्तु पद विन्यास में प्रत्येक पद में जो देवता विशेष की कल्पना है व उसे कला के क्षेत्र के साथ-साथ आध्यात्मिकता या दर्शन से जोड़ देती है। जैसी की भारत में हर कला का देव विशेष से सम्बन्ध है उसी प्रकार वास्तु पुरूष की कल्पना सम्पूर्ण भूखण्ड पर की जाती है तथा उस पर अनेकों देवताओं की पद विशेष में स्थापना है जो कि विभिन्न प्रकार की उर्जाओं के प्रतीक के रूप में है। जो जीवन की समस्त शक्तियों तथा उर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते है।

समराङ्गण सूत्रधार के अनुसार वास्तु पुरूष की विकल्पना में कला और दर्शन दोनों छिपे है। कला की दृष्टि से वास्तु पद विन्यास भवन का नक्शा है। दर्शन की दृष्टि से भवन की रक्षा और भवन-निवासियों के कल्याण के लिये एक जीवन दर्शन है। यह अत्यन्त सार-गर्भित विचार है जो वास्तु पुरूष की आवश्यकता या महत्व को सिद्ध करता है।

वास्तु शास्त्र में अनेकों प्रकार के वास्तु पुरूष का विवरण मिलता है। मानसार नामक स्थापत्य के प्रामाणिक ग्रन्थ में विभिन्न प्रयोजनों हेतु १ पदीय सकल पद वास्तु पुरुष से लेकर १०२४ पद तक के ३२ प्रकार के वास्तु पद विन्यासों का वर्णन मिलता है जिनका अपना अपना -अलग-अलग महत्व है।

इसी पुस्तक में वास्तु पुरूष के बारें में बताया गया है कि -

यह विशेष कर गृह निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। जब भूखण्ड का आकार बड़ा हो तब पद नियोजन से अन्यथा दिशाओं के अनुसार भूखण्ड का आकार बड़ा हो तब ,पद नियोजन से अन्यथा दिशाओं के अनुसार भूखण्ड का विभाजन कर उसमें वास्तु नियमों के अनुसार निर्माण होता है। राजमहल आदि में एक अलग प्रकार से निर्माण के लिये निर्णय करते है जिसे वीथि निर्माण कहते हैं । ८१ पद के वास्तु पुरुष एवं उसके देवताओं के तथा साथ ही साथ दिशाओं के अनुसार किस प्रकार निर्माण किया जाता है इसका भी वर्णन यहाँ किया जा रहा है ।

८१ पदीय वास्तु पद विन्यास में सम्पूर्ण भूमि जिस पर निर्माण करना है तथा जिसकी एक योग्य वास्तु शास्त्री के द्वारा परीक्षा करायी जा चुकी है, उसे ९x९ बराबर भागों में बांट देते हैं । इसी प्रकार जब पूर्व से पश्चिम पर्यन्त तथा उत्तर से दक्षिण पर्यन्त दस-दस रेखाएँ खीचेंगे तो वह ८१ भागों में विभक्त हो जायेगा । उसके बाद देवताओं की निर्धारित स्थान पर योजना होगी अर्थात् कितने पद का कौन सा देवता होगा यह निश्चय होने के पश्चात् ही हम यह निर्णय कर सकते है ,कि कहाँ पर क्या बनाया जाता है ।

८१ पद वास्तु पुरूष में ४५ देवता तथा उनके पद होते है । कुछ देवता एक पदीय हैं कुछ दो पदीय साथ ही साथ ब्रह्मा ९ पदों पर विराजित हैं । कुछ देवता छः पदों पर हैं। अतः उनका क्रमिक विवरण एवं पद अलग अलग बताया गया हैं।

देवता	स्थान	पद
ब्रह्मा	केन्द्र में	९ पद
अर्यमा	मध्य में (पूर्व)	६ पद
विवस्वान	मध्य में (दक्षिण में)	६ पद
मित्र	मध्य में (पश्चिम)	६ पद
पृथ्वीधर	मध्य में (उत्तर में)	६ पद
सविता	मध्यस्थ कोण में (द.पू.में)	१ पद
सावित्र	मध्यस्थ कोण में (द.पू.में)	१ पद
जय	मध्यस्थ कोण में (द.प.में)	१ पद
इन्द्र	मध्यस्थ कोण में (द.प.में)	१ पद
राजयक्ष्मा	मध्यस्थ कोण में (उ.प.में)	१ पद
रूद्र	मध्यस्थ कोण में (उ.प.में)	१ पद
आप	मध्यस्थ कोण में (उ.पू.में)	१ पद
आप वत्स	मध्यस्थ कोण में (उ.पू.में)	१ पद
शिखि	पूर्व दिशा में उ.पू.कोण का पद	१ पद
पर्जन्य	पूर्व दिशा में पहला पद	१ पद
जयन्त	पूर्व दिशा में दूसरा पद	२ पद
इन्द्र	पूर्व दिशा में तीसरा पद	१ पद
रवि	पूर्व दिशा में चौथा पद	१ पद
सत्य	पूर्व दिशा में पाँचवा पद	१ पद
भृश	पूर्व दिशा में छठवाँ पद	२ पद
नभ	पूर्व दिशा में सातवाँ पद	१ पद
अनिल	द.पू. कोण का पद	१ पद
पूषा	दक्षिण दिशा में पहला पद	१ पद
वितथ	दक्षिण दिशा में दूसरा पद	२ पद
गृह क्षत	दक्षिण दिशा में तीसरा पद	१ पद
यम	दक्षिण दिशा में चौथा पद	१ पद
गन्धर्व	दक्षिण दिशा में पाचवाँ पद	१ पद
भृग्डराज	दक्षिण दिशा में छठवाँ पद	२ पद
मृग	दक्षिण दिशा में सातवाँ पद	१ पद
पितृगण	दक्षिण पश्चिम के कोण का पद	१ पद
दौवारिक	पश्चिम में पहला पद	१ पद
सुग्रीव पद	पश्चिम दिशा में दूसरा पद	२ पद
पुष्पदन्त	पश्चिम दिशा में तीसरा पद	१ पद
वरूण	पश्चिम दिशा में चौथा पद	१ पद

असुर	पश्चिम दिशा में पॉचवाँ पद	१ पद
शोष	पश्चिम दिशा में छठवाँ पद	२ पद
पाप याक्ष्मा	पश्चिम दिशा में सातवाँ पद	१ पद
रोग	उत्तर पश्चिम कोण का पद	१ पद
नाग	उत्तर दिशा में पहला पद	१ पद
मुख्य	उत्तर दिशा में दूसरा पद	२ पद
भल्लाट	उत्तर दिशा में तीसरा पद	१ पद
सोम	उत्तर दिशा में चौथा पद	१ पद
चरक	उत्तर दिशा में पॉचवाँ पद	१ पद
अदिति	उत्तर दिशा में छठवाँ पद	२ पद
दिति	उत्तर दिशा में सातवाँ पद	१ पद

इस प्रकार से वास्तु पद विन्यास में ४५ देवताओं की स्थिति होती है जिसे मानचित्र क्र ४९ अ के द्वारा समझा जा सकता है।

वास्तुपुरूष की कल्पना, कथा भूतकाल में घटी या अन्य तथ्यों पर आधारित एक काल्पनिक ''मानव आकृति'' है। जब हम मानव आकृति की बात करते है तो मानव अङ्ग-प्रत्यङ्ग, उनके मर्म स्थान, चक्र स्थान तथा शरीर के विभिन्न दृश्य-अदृश्य अङ्गों में महर्षिजी द्वारा वेद के ४० क्षेत्रों का अध्ययन व वैज्ञानिक रूप में प्रमाणीकरण डॉ. टोनी नेडर एम.डी. के हाथों टी. व्ही. चैनल पर किया गया है।

नगर, ग्राम,वार्ड, कॉलोनी, पंचायत, निवास भवन आदि की योजना बनाते समय अगर हम वास्तुपुरूष को शास्त्रानुकूल ग्राम के नक्षे पर रखकर परिणाम देखने का प्रयास करें तो गुण-दोष स्वत: प्रदर्शित होने लगेंगे।

इस शोध में HANDS OF LIGHT(A Guide to healing through the Human Energy Field पुस्तक जो Barbara Ann brennan द्वारा लिखित व dBantam Age Book USA द्वारा प्रकाशित की गई है, के अध्ययन में मानव शरीर के भीतर स्थित सात चक्रों के बारें में पढा एवं विगत नौ वर्षो में शोध निषकर्षो में यह पाया कि सात चक्रों पर स्थित यह मर्म बिन्दु वास्तु से किस प्रकार प्रभावित होकर सम्पूर्ण मानव जीवन संस्कृति, जीवन मूल्यों तथा आदमी की जिंदगी से सुकून को दूर ले जा रही हैं। देश-प्रदेश, नगर व ग्राम आदि का वास्तु स्थापत्यवेद के नियमों से करने से माननीय भारत के राष्ट्रपति महोदय का ''भारत को सन २०२० तक एक विकसित राष्ट्र'' बनाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। जो समय बीत गया है उसमें हमनें देखा कि देश -प्रदेश की कोई एक भी प्रमुख सड़क पूर्व-पश्चिम या उत्तर-दक्षिण दिशाओं के समानानन्तर नहीं बनाई ,जो आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए थी।

अत: इसे अविलम्ब लागू किया जाना चाहिए।

वास्तु पुरूष की परिकल्पना के बारे में उक्त वर्णित शोध निष्कर्षो का सार ,मानव शरीर स्थित सातों चक्र का स्थापत्य वेद से संबंध निम्नानुसार है - इन निष्कर्षो को (मानचित्र क्रं २५) के साथ समझा जा सकता है।

१. चक्र क्र. ०१ एक मेरूदण्ड केंद्र (Coccyged centre) :-

यह चक्र बिंदू शारीरिक उर्जा क़ी मात्रा , जीने की आकांक्षा, रीढ की हड्डी , मेरूदण्ड गुर्दे संबंधी मर्म बिंदू है इन चक्र बिंदूओं को अगर हम छंदिता (मण्डूका) पद विन्यास (8x8=64 पदीय) पर ईशान में सिर व नैऋत्य में दोनों पैर किए औंधे लेटे हुए कल्पित कर मानचित्र पर बनाएं। इस प्रकार बताया है कि वह सम्पूर्ण पद विन्यास को अपने अङ्गों के अधीन घेर लेता दिखाई दें। इस वास्तुपुरूष का छंदिता पर विन्यास पद पर चित्रांकन करके उक्त सात चक्र के सात मर्म बिदूओं का अध्ययन करते हैं तो जिस पदों पर स्थित वास्तुपुरूष के संबंधित अङ्ग पर वास्तुदोष का प्रभाव पड़ता है उस भूखण्ड के उपयोग कर्ताओं की शारीरिक उर्जा, जीने की आकांक्षा, मेरूदण्ड, गुर्दे आदि पर हो रहे परिणाम को प्रदर्शित करता है। वास्तुपुरूष का जो अङ्ग पीड़ित होता है तदानुरूप उस पद पर वास्तु दोष होता

है।

चक्र क्र. २ महर्षिजी द्वारा वैदिक वाङ्गमय में ४० क्षेत्रों की खोज मानव शरीर में बताई गई है जिसमें स्थापत्यवेद का संबंध एनाटॉमी से बताया जाकर इसे चेतना का स्वस्थापित गुण कहा गया है।

चक्र क्र. २ अ तारूपम्पकेन्द्र (A Pubic centre):-

यह क्षेत्र बिंदू विपरित लिङ्ग से स्नेह की गुणवत्ता शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक आनंद की प्राप्ति और प्रदाय तथा पूर्ण उत्पादन पद्धति एवं प्रकिया क्षेत्र पाया गया है ।

चक्र क्र. २अ :- सेक्रल केन्द्र (Sacral Center):-

इस चक्र बिंदू क्षेत्र में "कामा वासना रूपी उर्जा की मात्रा" संबंधी उर्जा का केन्द्र पाया गया है। निश्चित रूप से इस चक्र बिंदू के क्षेत्र में दोषपूर्ण निर्माण उस भूखण्ड के उपयोगकर्ताओं पर इस उर्जा भण्डार को प्रभावित करेगा ।

चक्र क्र. ३अ – सौर तंतुभव केन्द्र (solar Plexus):-

इस चक्र बिंदू में मानव में असीम आनंद, अध्यात्मिक बौद्धिक जागरूकता और विशबंधुत्व का अभ्यूदय ,ब्रह्माण्ड में आप कहाँ है। इसकी अनुभूति पेट, जिगर, गाल ब्लेडर शरीर क्रिया को प्रभावित करने संबंधी तत्व पाए गए है जो दूषित होने पर विपरित प्रभाव वास्तु स्थल पर तदानुसार देखे गए है।

चक्र क्र ३ ब– डायफ्रीगमेटिक केन्द्र (Diaphragmatic centre):-

इस चक्र बिंदू में मानव की स्वास्थय के प्रति जानबूझकर भरपाई की सदैव कामाना की इच्छाशक्ति को प्रभावित करने वाला पाया गया है।

चक्र क्र. ४ अ –हृदय केन्द्र (Heart Centre):-

यह चक्र बिंदू मानव में पारस्परिक मानवीय संवेदनाएं, प्यार की अनुभूति व जीवन में खुलापन, रक्त संचरण केन्द्र संबंधी क्रियाओं के लिए पाया गया है। इस बिंदु क्षेत्र में वास्तु दोष होने से वहाँ के निवास कर्ताओं पर इन मानवीय गतिविधियों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।

चक्र क्र. ४ ब– थाईमस केन्द्र (Thymus Gland) :-

इस चक्र बिंदु के क्षेत्र का मानव कंधों की वहन क्षमता, ब्लेडर, आत्म सम्मान शक्ति एवं इच्छा शक्ति या बाहरी दुनियां से संबंधि गतिविधियों का केन्द्र अनुभव किया गया है। इस क्षेत्र में वास्तु दोष होने पर वहाँ निवासरत व्यक्तियों की उक्त गतिविधियों पर विपरित प्रभाव डालेगा।

चक्र क्र. ५ अ – ग्रीवा केन्द्र (Throat Centre):-

इस चक्र बिंदू के क्षेत्र में फेफड़े व गले तथा अन्य नलिकाएँ, खाद्य पदार्थ ग्रहण करना और उसे शरीर के अंदर भेजने की क्रियाओं का स्थान अनुभव किया गया है। जिसमें वास्तु दोष होने पर जातक को उक्त क्रियाएं प्रभावित होती है।

चक्र क्र. ५ ब – मानसिक कार्यपालन (Mental Executive) :-

इस चक्र बिंदू के क्षेत्र ग्रीवा का आधार, स्वयं अनुभूति तथा समाज में व अपने व्यवसाय में योग्यता के गुणों को प्रभावित करने वाला अनुभव किया गया है। इस बिंदू क्षेत्र में वास्तु दोष होने पर जातक की उक्त वर्णित क्रियाओं पर विपरित प्रभाव डालता है।

चक्र क्र.. ६ अ – ललाट केन्द्र (Fourhead Centre):-

इस चक्र बिन्दु के क्षेत्र में मानव की सोच, विचार व निर्णय क्षमता, मस्तिष्क, बांया चक्षु, नासिका, कान और नाड़ी तंत्र क्रिया प्रभावित करने वाला अनुभव किया गया है। यह बिंदू क्षेत्र किसी भी भूखण्ड ईशान की ओर स्थित होता है जहाँ पर वास्तु दोष होने से मानव के उक्त सभी क्रियाओं पर विपरित प्रभाव डालता है।

चक्र क्र. ६ ब –पीनियल केन्द्र (Pineal Gland) :-

इस चक्र बिंदू में विचारों को व्यवहारिक पृष्ट भूमि पर क्रियान्वयन की क्षमता व बौद्धिक क्रियान्वयन की क्षमता को प्रभावित करने वाला अनुभव किया गया है। यह भी भूखण्ड के ईशान में दांयी और होता है। वास्तु दोष से पीड़ित होने पर इन मानवीय गुणों पर विपरित प्रभाव डालता है।

चक्र क्र. ७ – पीट्यूटटी केन्द्र (Pituitary Gland):-

इस चक बिंदू के क्षेत्र में सम्पूर्ण व्यक्तित्व व जीवन के आध्यात्मिक स्तर और मस्तिष्क से समन्वय का केन्द्र अनुभव किया गया है। जो सिर के ठीक उपर स्थित होकर भूखण्ड में ईशान पद पर स्थित होता है। जो वास्तु दोष में पीड़ित होने पर उस वास्तु स्थल के उपयोगकर्ताओं के सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर विपरित प्रभाव डालता है।

स्थापत्यवेद के विभिन्न ग्रंथों उक्त वर्णित सिद्धांतों एवं शोध निषकर्षो को दृष्टिगत रखकर एक कुशल स्थपति द्वारा किसी भी नगर, ग्राम, निवास या भवन का विन्यास करते समय ,वास्तु पद विन्यास व वास्तु पुरूष विक्ल्पन के सिद्धांतों पर ध्यानपूर्वक विचार कर समग्र व्यापक दृष्टि से निर्णय करना चाहिए।

५.१४ नगरादि में मंदिर, पूजा स्थल के सिद्धांत :-

नगरादि में मंदिर, पूजा स्थल के सिद्धांत :- स्थापत्य वेद के प्रमुख गंथों में ''समरांङ्गण सूत्रधार प्रासाद निवेश'' एक सम्पूर्ण ग्रंथ मंदिर निर्माण आदि के बारे में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त व इसी के भवन निवेश ग्रंथ में भी नगरादि अध्याय में मंदिर निर्माण के नियम सविस्तार बताये गये है।

सर्वतो दिशमुद्दिष्टो विभागो नगरे यथा।
तथा ग्रामेषु खेटेषु सेनायाश्च निवेशने ।।[1]।।
नगराभिमुखो कार्यो संपूर्णाङ्गमहोदयौ।
द्वारे द्वारे सौम्युमुखौ लक्ष्मीवैश्रवणौ तथा ।।[2]।।
राष्ट्रं खेटमथ ग्रांम पश्यतस्तौ पुरं च यत्।
तत्रारोग्यार्थसंसिद्धी प्रजाविजयमादिशेत् ।। [3] ।।

नगर के अभिमुख सम्पूर्ण अंगों से सुशोभित, कल्याणकारी, लक्ष्मी और कुबेर की प्रत्येक द्वार पर पूर्वाभिमुख स्थापना करना चाहिये क्योंकि राष्ट्र, नगर, खेट, ग्राम, पुर आदि को जब वे दोनों देखते रहते हैं तो वहाँ पर आरोग्य, अर्थसिद्धि और प्रजा की विजय होती है व वहाँ अगर ये दोनों नहीं देखते हैं तो बड़े अनर्थ पैदा होते हैं व क्लेश, बंधन वध आदि के अनर्थों से लोग हमेशा आक्रांत होते हैं। नगर के बाहर व अंदर सभी दिशाओं में जिन - जिन देवताओं की स्थापना करनी चाहिये उन्हें चारों दिशाओं से लेकर प्राकार व पारिखा तक बाहर सौ - सौ, डेढ़ सौ, दो सौ चापों के परिमाण से शुद्ध एवं अनिन्द्य धरणीतल वाले अपने - अपने विभिन्न मंदिरों के साथ क्रमशः देवताओं के अपने - अपने प्रासादों तथा अपने - अपने परिवार देवताओं के देवता- यतनों से युक्त नगराभिमुख निवेशों का निर्माण करना चाहिए। देवतायतनों के अपने - अपने चित्र - विचित्र बनोद्यान भी होने चाहिए। निवेश्यपुर के मध्य में स्थित दक्षिण व उत्तर में फैले हुए वंश पर बाहर भीतर देवताओं का निवेशन करना विहित है। पूर्व में पश्चिमाभिमुख, पश्चिम में पूर्व की ओर मुख, दक्षिण और उत्तर में क्रमशः एक दूसरे के विपरीत प्रदक्षिण वंश होने चाहिए। उत्तर मुख वाले भी देवों को दक्षिण - दिशोन्मुख नहीं करना चाहिए तथा चैत्य, शान्ति-सभाएँ और यक्षों, माताओं तथा प्रमथों के मंदिर तथा प्रथमाधीश्वर के निकेतन भी उधर नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से यह यथादिङ्·मुख देवताओं का वर्णन किया गया। प्रत्येक दिशा में बाहर जो देवगण निवेश्य है उनके विषय में अब

१-३ स.सू./२३/१०४,१०५,१०६

वर्णन करता हूँ।

विष्णु, सूर्य, इन्द्र तथा धर्मराज के मन्दिर पूर्व दिशा में स्थापित करने चाहिए।

सनत्कुमार सावित्री, मरूतों एवं मारूत के मंदिर पूर्व दक्षिण दिग्भाग में बनाने चाहिए।

गणेश, माताओं तथा भूतों एवं प्रेतपति यमराज के मंदिर दक्षिण दिशा में और भद्रकाली का मन्दिर तथा पितरों के चैत्य दक्षिण-पश्चिम में बनने चाहिए।

सागर, नदियों, शिल्पिराज विश्वकर्मा, प्रजापति बह्मा तथा वरूण के पश्चिम दिशा में मंदिर बनने चाहिए

नागों, शनैश्चर, कात्यायनी के मन्दिर पश्चिमोत्तर दिशा में करने चाहिए।

विशाख और कार्तिकेय, चन्द्रमा तथा कुबेर के प्रासाद अलग-अलग सौम्य दिशा में बनाने चाहिए।

जगद्‌गुरू महेश, लक्ष्मी और अग्नि देवता के सुन्दर मन्दिर पूर्वोत्तर दिशा में बनाने चाहिए।

नगर के चारों ओर नदियों तथा सागरों के मन्दिर निवेश्य है और जंगलों और पहाड़ों के साथ - साथ सभी जगह उमापति भगवान् शंकर का स्थान इष्ट है।

जिस नगर में अपनी - अपंनी दिशाओं में इन सुरोत्तमों के स्थानों का निवेशन होता है वह नगर सभी प्रकार की समृद्धि एवं ऐश्वर्य को पाकर बहुत काल तक सुखी रहता है।

नगर से विदूर भी सभी दिशाओं में बाहर से अभिमुख देवगण कल्याणकारी होते है, परांङ्मुख के नहीं।

यदि कोई देव किसी भू- भाग परांङ्मुख स्थापित हो जावें, तो शास्त्रज्ञ स्थपति को उसमें इस शास्त्रोक्त विधि का पालन करना चाहिए - उस देवता का अपने वेश, वर्ण, अलंकार, वस्त्र और वाहन से युक्त चित्र बनाकर मन्दिर की दीवाल पर नगर के सम्मुख चित्रित कर दे। वैकंकत, शमी, बिल्व, दूध और कॉटे वाले वृक्षों के भीतर स्थित होने पर वरूण और अग्नि में मंदिरों में ये दोष नहीं कहा गया है। पूजाश्रितों में यह विधान कहा गया है और चित्रों में चित्रितों के लिए नहीं। इसलिए चित्र में चित्रित देवताओं के मुख सभी तरफ बनाये जा सकते हैं।

अभ्यन्तर मन्दिर - नगर के बाहर देवालयों का जिस प्रकार से विधान कहा गया है, वैसा ही नगर के भीतर भी अपनी - अपनी दशाओं में उनका विधान करना चाहिये।

नगर के मध्य भाग में ब्रह्मा, इन्द्र, बलराम तथा कृष्ण के मंदिर बनाने चाहिए।

नगर के भीतर माताओं, यक्षों, गणाधीश, रूद्रों, भूतसंघों, को बिना उनके मन्दिर बनवाये ही, चबूतरों तथा मार्गो आदि पर भी निवेशित किया जा सकता है।

कल्याण चाहने वाले राजा को चाहिए कि वर्ण, आश्रम, कला, पुण्य शिल्प के उपजीवी देवों को अपनी - अपनी दिशाओं में स्थित्यनुरूप निवेशन करावें।

एक विशेष संकेत है कि भक्ति की इच्छा रखने वाला एवं सामार्थ्य से युक्त बुद्धिमान व्यक्ति देव - विशेषों के प्रासाद होने पर भी दूसरे प्रासादों को पूर्व दिशा में ही बनवाता है तो दुःख नहीं पाता है।

प्रत्येक घर में, प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक नगर में व प्रत्येक मन्दिर में पूर्व में प्रथम से ही स्थित प्रासाद के प्रमाण से एवं गुण से अधिक दूसरे मन्दिर का निर्माण नहीं करना चाहिए। रूद्र, चन्द्रमा अथवा ब्रह्मा के मन्दिरों के होने पर भी यदि और उनका दूसरा प्रासाद बनवाया जाय तो ब्रह्मणों के लिए पीड़ाकारक होता है।

इसी प्रकार अग्नि और बृहस्पति के मन्दिरों में एक से अधिक बनवाने पर पुरोहितों तथा ज्यातिषियों को अवश्य भय होता है। कुबेर, इन्द्र, यम और वरूण के एक से अधिक मन्दिर बनाने पर राजा के लिए भय कहा गया है।

स्वामी - कार्तिकेय के एक मन्दिर से अधिक मन्दिर बनवाने पर तो यह निश्चित ही सेनाध्यक्ष और सेनाओं के लिए पीड़ाकारक होता है।

ब्रह्मा और विष्णु के यदि दूसरे मन्दिर बनाये जाते हैं तो बनाने वाले या बनवाने वाले दोनों के विनाश और बन्धन के कारण होते हैं।

गणेश, यक्ष और नागों के एक से अधिक प्रासाद बनाये जाते हैं तो सेना के अंगों के लिए नित्य ही बड़ा भय उपस्थित होता है।

स्त्री नाम वाली देवताओं के मन्दिर यदि घरों से पीड़ित होतें हैं तो मुख्य पुर - नारियों के लिए उपद्रव करते हैं। पहले के सब देवताओं के अपने - अपने मन्दिरों से दूसरे मन्दिरों से पीड़ित होने पर अथवा उनके चिन्हों से चिन्हित चैत्यों से अथवा दूसरे चैत्यों से पीड़ित होने पर पीड़ा पहुँचती है। कम अथवा ज्यादा प्रमाण से विनिर्मित एवं

दुर्निविष्ट मन्दिरों से बनाने वाले तथा बनवाने वाले दोनों को पीड़ा पहुँचती है और उनकी पूजा भी नहीं है। न तो बहुत ही अधिक अमरालयों का संभार करना चाहिए औरन अमरालयों से बिलकुल पुर को अनाथ ही कर देना चाहिए और न ब्रह्मा के मन्दिर से विहीन ही पुर होना चाहिए।

ज्येष्ठ, मध्य कनिष्ठ देवतायन नौ, छै तथा तीन पदों के अन्तर में क्रमशः करने चाहिए। इसके विपरित दोष होता है।

देवताओं के अपने निवेशन में यह विधि कही गई है। बाहरी निवेश में अपनी इच्छा के अनुसार देव - मन्दिर की स्थापना करनी चाहिए।

सब नगरों में, सब ग्रामों में, सब खेटकों में यह सामान्य विधि कही गई है।

इस प्रकार मानसार व समरांङ्गण सूत्रधार (भवन - निवेश) ग्रंथ के ग्राम व नगर निवेश संबंधी अध्यायों में ग्राम व नगर नियोजन के सिद्धांत आदि का विवरण दिया गया है।

मानसार ग्रंथ के ग्राम नियोजन अध्याय में बतायेनुसार दण्डक एवं प्रस्तर ग्राम में भगवान विष्णु का मंदिर ग्राम के बाहरी छोर में पश्चिम की ओर वरूण पद या मित्र पद, उसमें जो विष्णु की अभीष्ट मूर्ति हो उसे स्थापित करें। इसी प्रकार शंकर का मंदिर ग्राम की दीवार बाहर ईश में या अंदर पर्जन्य व उदिति में बनाए तथा शिव अभीष्ट मूर्ति की स्थापना करें।

मानसार ग्रंथ में बताया गया है कि –

पेचक पद में इसी प्रकार से सर्वत्र गली बनवाना चाहिए। पैशाच के बाहर की और ईशान में महा दिक्पाल का मंदिर बनवाना चाहिए। इस भाग की गली में दोनों और पक्ष, या नन्द्यावर्त या आवश्यकतानुसार एक कोने को दूसरे से जोड़ते हुए बनवाना चाहिए।

वही पर तेल से आजीविका करने वालों के लिए घर बनवाएँ। ग्राम के थोड़ा बाहर उत्तर में विद्वान वैष्णवी व चामुंडा के लिए मंदिर बनवाएँ।

ग्राम की आर्य आदि चार दिशाओं में और भी यथेष्ट भाग व दिशा में विष्णु का मंदिर होना चाहिए।

या विष्णु का मंदिर ग्राम के बाहर के भाग में इच्छित दिशा में बनवाना चाहिए। विष्णु स्थान इन्द्रादि चारों दिशाओं या राक्षस के भाग में बनवाना चाहिए।

पूर्व में श्री घर का, दक्षिण में वामन का, पश्चिम में वासुदेव, आदि विष्णु या जनार्दन, उत्तर में केशव या नारायण, अंतर में यानी अंदर पूर्व–उत्तर में विष्णु की मूर्ति इच्छा अनुसार लगवाएँ।

पितृ या ईश कोण में नृसिंह का, अग्नि कोण में राम या गोपाल का मंदिर बनवाएँ।

विष्णु के मंदिर मित्र में तीन तल वाला यानी मंजिल बनवाएँ। प्रथम तल पर उनका स्थान बनवाएँ द्वितीय पर बैठी अवस्था में यानी आसन, तृतीय पर शयन बनवाएँ।

अथवा स्थान उपरी तल पर व शयन निचले तल पर बनवाएँ। विचक्षण इष्ट दिशा में विष्णु के मंदिर का द्वार बनवाएँ।

विष्णु का मुख ग्राम की ओर, नरसिंह का पराग मुख तथा लक्ष्मी नृसिंह के साथ हो तो ग्राम की औंर मुख होना चाहिए।

ईश आलय यानी शिव का मंदिर रूद्र, रूद्रजय, इंद्र, जय, आपवत्स, सवित्र, ईश, जयंत या पर्जन्य में परांङ्गमुख बनवाएँ।

पूर्व या पश्चिम में होने पर अभिमुख बनवाएँ। अन्य रूप यानी मूर्ति के मंदिर का द्वार यथेष्ट हो।

स्वकर्ण या दौवारिक में सुब्रह्मण्य का मंदिर बनवाएँ अथवा जिनालय या सुगतालय बनवाएँ।

विनायक यानी गणेश का मंदिर चारों दिशाओं के मध्य या विदिशा में बनवाएँ। गन्धर्व या भृंगराज में भार्गक, शिव का एक रूप का मंदिर बनवाएँ।

मुख्य या भल्लाट में सरस्वति का तथा अदिति या मृग में लक्ष्मी का मंदिर बनवाएँ।

वही भुवन देवी अर्थात् पृथ्वी का हर्म्य बनवाएँ। ग्राम के बाहर ग्राम की रक्षा के लिए भैरव का मंदिर बनवाएँ।

राक्षस या पुष्पदंत में दुर्गा का मंदिर बनवाएँ। ग्राम के बाहर उत्तर में काली का कोष्ठ बनवाएँ।

ग्राम के पूर्व या उत्तर में एक कोश दूर चंडाल का आवास तथा उसके उत्तर में श्मशान होना चाहिए।

ग्राम के बाहर उत्तर में प्रेत, भूत, अंश व दण्डक का है। ग्राम की रक्षा के लिए परिधि पर दीवार बनवाएँ। वह दीवार वेदी सहित खाई से युक्त होना चाहिए। चारों दिशाओं तथा चारों कोणों में महाद्वार बनवाना चाहिए।

विष्णु का मंदिर स्थानीय आदि चारों विन्यास में मित्र,वरूण,विवस्वत,इंद्र, तथा महेन्द्र के पद में बनवाएँ। इंद्र,इंद्रजय, रूद्र,रूद्रजय,आप,आपवत्स व जयंत के पद में बाहर की ओर मुख करके शिव का मंदिर बनवाएँ।

बौद्ध मंदिर वायु के पद में, जैन मंदिर नैर्ऋत्य में या भृंगराज, वितथ या नागर के पद में बनवाएँ। भैरव का मंदिर चारों दिशाओं में बाहर के द्वार के एक पार्श्व में बनवाएँ।

दुर्गा व गणेश का मंदिर चारों दिशाओं या विदिशाओं में बनवाएँ। षण्मुख का मंदिर सृग्रीव के पद में बनवाएँ। ज्वर देव का मंदिर अग्नि के पद या पूषाण के पद में होना चाहिए। भास्कर का मंदिर आदित्य के पद में होना चाहिए।

भुवनेश का मंदिर सोम या मुख्य के पद में होना चाहिए। विष्णु या रूद्र का मंदिर इन सब पदों में या मध्य के पद में होना चाहिए।

इन स्थानों के चारों ओर नरों के भवन होना चाहिए। भीतर की वीथी(गली) पर एक पक्ष तथा बाहर की वीथी (गली)पर दो पक्ष होना चाहिए।

क्योंकि वह निवास स्थान है, बाहर की वीथियों की रक्षा के लिए पक्ष आवश्यक है। यह नगर के भीतर देवताओं के मंदिर हुए। बाहर भी इच्छानुसार बनवाएँ। यदि पशुपति के लिंग की स्थापना करना हो तो उसका मंदिर नगर के भीतर बनवाना चाहिए। अन्य लिंग के मंदिर बाहर बनवाना चाहिए। यदि ब्रह्मा का मंदिर बनवाना हो तो उसकी प्रतिष्ठा नगर के भीतर करना चाहिए। विष्णु का मंदिर भी ऐसे ही बनवाना चाहिए। किन्तु पांचरात्र का मंदिर बाहर हो। दुर्गा, गणेश, बौद्ध, जैन और कार्तिकेय के मंदिर बाहर बनवाएँ। किंतु इनके मंदिर अंदर बनवाने में भी दोष नहीं लगता है। नगर के बाहर ईशांन में और भी दूर चामुंडा का मंदिर उत्तराभिमुख बनवाएँ। इस मंदिर के पूर्व में चंडालों की कुटिया होना चाहिए। पूर्व, वायव्य या नैर्ऋत्य में नगर के बाहर सेना के अवलोकन के लिए उची वेदिका के उपर मंडप का निर्माण करवाएँ। उत्तम शिल्पी शेष कार्य पूर्व कहे अनुसार करे।

कार्मुक या चतुर्मुख ग्राम में :-

दो रथ्याओं (मार्ग) के मध्य में विष्णु का स्थान बनवाना चाहिए। शंकर का मंदिर भी रथ्या की संधि पर बनवाना चाहिए, यदि वह ग्राम में हो तो।अन्यथा विष्णु या शंकर का मंदिर रथ्या (मार्ग) विहीन स्थान पर बनवाना चाहिए। ग्राम के द्वार से विष्णु का मंदिर दिखाई देना शुभ होता है। इसलिए मंदिर की पीठ ग्राम की ओर होना चाहिए।शास्त्र में विशेष रूप से ग्राम के विन्यास की रक्षा करे। पुराने ग्राम में देवता विशेष उत्सव पर ही स्थापित किए जाते है। जिस-जिस स्थान वास्तु स्थल छोड़े जाते है, वहाँ वास्तु निर्णय इच्छानुसार किया जाता है। पुराने ग्राम में सर्वथा देवता का मंदिर बनाया भी नहीं जाता है।

इसलिए उसी के अनुसार अब वास्तु का निर्णय किया जाएगा। ग्राम की प्रदक्षिणा के काल में आठों दिक्पाल के पदों में भूधर, इंद्र और अन्य देवताओं से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा की जाए। यदि प्रदक्षिण मार्ग न बना हो तो दिक्पालों के पदों के प्रदेश से ले जाया जाए।

ग्राम के ब्रह्म प्रदेश के बने मंदिर में दिक्पालों को पूर्ण रूप से बलि देना चाहिए।उनके दर्शन के पश्चात ही लौटे। यदि प्रदक्षिणा का कुछ भाग छोड़ दिया जाए तो दोष नहीं लगता है। प्रदक्षिणा बलि स्थान या रथ्या में न बनवाना चाहिए।

देवता का मंदिर उपर कहे स्थानों के अतिरिक्त रथ्या के मूल, मध्य, सिरे पर या दो रथ्या के बीच की जगह पर बनवाना चाहिए। या नरालय के चारों ओर की भूमि में बनवाना चाहिए यदि अज्ञान से कोई पुराने हर्म्य को गिराता है, तो कर्ता का नाश होता है।

इसलिए पुराने देव मंदिर की रक्षा करना चाहिए। पार्श्व सहित सभी रथ्या क्षेत्र के आकार के अनुसार बनवाना चाहिए।

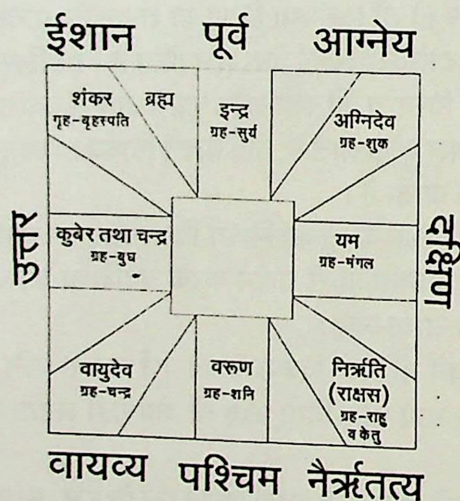
मानसार ग्रंथ में मंदिर पीठ व मूर्ति निर्माण संबंधी सिंद्धांत आदि अध्याय ४८ से अध्याय ७० तक (जैन

लक्षणम्, शक्ति लक्षणम्, पेृतिमा विद्यानम्) आदि में विस्तृत विवरण दिया है।

"मयमत" ग्रंथ में नगर में ग्राम के आभ्यान्तर में विप्र, ब्राह्मण व देवता की स्थापना होती है औकार शिवर्हम्य ग्राम के अन्दर या बाहर भी होते है। 'भृंगराज' एंव पावि 'अग्नि' पद में विनायक मंदिर ईश पद में, 'शिव मंदिर' या सोम पद होता है, इसके बाहर बाह्य में गृह श्रेणी बतायें माननुसार करना चाहिये। "शिव" परिवार के स्थान को कहता हूँ। सूर्यपद में सौर एंव अग्नि पद में 'कालिका वेश्म' होता है। भृश भाग में 'विष्णु गृह' एंव याम्य में 'षठमुख' स्थान होता है। 'भृश', मृग या नैऋत्य पद में केशकर्तनालय 'सुग्रीव' या पुष्पंदत पद में 'गणाध्यक्ष' मंदिर कहा गया है। नेऋत्य में 'आर्यक भवन' एंव 'वरूण पद' में 'विष्णुविमान' होता है। उर्ध्वतल से क्रम से उसकी स्थानक, आसन या शयन मुद्रा में प्रतिमा होनी चाहिये। अथवा मूल तल "घनमा" एंव उपरी तल में विष्णु जी की स्थानक प्रतिमा कही गई है। 'सुगल पद' सुगतालम एंव भृंगराजल पद में जिनधाम होना चाहिये। 'वायुपद' में मदिरालय (मदिरा एक देवी जो दुर्ग में देवियों ने पूजित मुख्य पद में कत्यायनी देवी) का वास होना चाहिये। सोम पद में 'धनदगृह' या 'मातृणामालय' बनायें। ईश, पर्जन्य या पद जयन्त पद में 'शंकर भवन' एंव सोम पद में या 'शेष' में 'धनदगृह' या विधातव्यम। वहाँ गजानन भवन एंव अदिति में 'मातृकोष्ठ' होता है। मध्य में विष्णु मंदिर एंव वहाँ सभामण्डप कहा गया है। ब्रह्म स्थान में, ईशान में, आग्नेश में, "सभा स्थान" एंव उसके उत्तर पश्चिम भाग में या दक्षिण भाग में हरि सदन।

(शेष पाँच पदों में) पाँच में किया गया कार्य निर्माण 'पुर' समेत कहा गया है। 'सम' अथवा 'विषम' पदीय विन्यास में ब्रह्म स्थान ८ या ९ पद भाग में होता है। 'अज' को छोड़कर पूर्वादि दिशा भागों में क्रम से (१.) नक्तिनक भवन, (२.) स्वस्तिक (३.) नन्द्यार्वत (४.) प्रलीवक और (५.) श्री प्रतिष्ठित (६.) चर्मुभुज (७.) पद्म सदन (८.) पद्मासन प्रकार के हर्म्य या भवन बनाना चाहिये। वहाँ पर विष्णुच्छान्द विमान त्रिजल से द्वादश तल तक होना चाहिये। इसे ग्रामादि के बाहर वहाँ कहा गया है जिसमें स्थानीय, आसन शा शयन मुद्रा में प्रतिमा, यहाँ जैसा बताया गया है, वैसी वहाँ स्थापना करना चाहिये। उत्कृष्ट, मध्यम, अधम एंव नीच आदि को क्रम से जानना चाहिये एवं उत्तम प्रकार के ग्रामे में नीच भवन को नहीं बनाना चाहिये। शूद्र प्रकार में यदि उचित हो तो 'शूद्र विमान मंदिर' का विधान करना चाहिये। हीन में और सामान्य ग्राम में ३, ४, ५ तल का मंदिर बनाना चाहिये। उत्कृष्ट ग्राम या नगर में नीच देवालय का निर्माण किया जाता है तो पुरूष "नीच" होते है और स्त्रियाँ भी दुःशीला होती है। उसके बराबर या उस संख्या में जैसा कहा गया है। हरिहर सदन या अन्य भवन सर्व यथेष्ट होते हैं।

<u>दिशाओं के देवता एंव ग्रह</u>



बृहत्संहिता ग्रंथ में निर्माण सामग्री जोड हेतु लेप आदि (सीमेंट का विकल्प) के बारे में बताया गया है कि: -

आमं तिन्दुकमामं कपित्थकं पुषपमति च शाल्मल्या:।
बीजानि शल्लकीनां धन्वनवल्को वचा चेति ॥१॥
एतै: सलिल द्रोण: क्काथयितव्योऽष्टभागशेषश्च।

अवतार्योऽस्य च कल्को द्रव्यैरेतैः समनुयोल्यः ॥२॥
श्रीवासकरसगुग्गुलुभल्लातककुन्दुरूकसर्लकरसैः ।
अतसीबिल्वैश्च युतः कल्कोऽयं वज्रलेपाख्यः ॥३॥

तेन्दु के कच्चे फल, कैथ के कच्चे फल सेमल के फूल, शल्लकी वृक्ष के बीज, धन्वन वृख की छाल, वच इन सब को एक द्रोण तुल्य जल में देकर काढा बनावे। जब अष्टमांश रह जाय तब उसको उतार लेंवे। बाद उसमें श्रीवासक वृक्ष का गोंद, बो, गूगल,भिलावा, कून्दरूक, सर्ज का गोंद, असली, बेल की गिरी इन सबको पीस कर डालें तो यह वज्रलेप नामक काढा बन जायगा ॥१-३॥

वज्रलेप का गुण –

प्रासादहर्म्यवलभीलिङ्गप्रतिमासु कुड्यकूपेषु ।
सन्तप्तो दातव्यो वर्षसहस्त्रायुतस्थायी ॥४॥

गरम किया हुआ वज्रलेपेक के देवप्रसाद, हवेली, वलभी, शिवलिङ्ग देव प्रतिमा, भीत और कूप में लगावे तो यह एक करोंड़ वर्ष तक नहीं छूटता है ॥४॥

वज्रलेप बनाने का दूसरा प्रकार –

लाक्षाकुन्दुरुगुग्गुलुगृहधूमकपित्थबिल्वमध्यानि ।
नागफलनिम्बतिन्दुकमदनफलमधूकमञ्जिष्ठाः ॥५॥
सर्जरसरसामलकानि चेति कल्कःकृतो द्वितीयोऽयम् ।
वज्राख्यः प्रथमगुणैरयमपि तेष्वेवकार्येषु ॥६॥

पूर्व सिद्ध किये हुये क्वाथ में लाख, कुन्दरूक, गूगल, घर के धुएँ का जाला, कैथ का फल, बेल की गिरी, नागबला का फल, महुए का फल, मजीङ, राल, बोल, आँवला इन सब को परस कर डालें तो प्रथम वज्रलेप के गुणों से युत पूर्वोक्त कामों के लिये ही दूसरा वज्रलेप तैयार हो जायेगा ॥५-६॥

गोमहिषाजविषाणैः खररोम्णा महिषचर्मगव्यैश्च ।
निम्ब कपित्थरसैः सह वज्रतलों नाम कल्कोऽन्यः ॥७॥

पूर्व सिद्ध किये हुये काढे में गौ,भैंस, बकरा इनका सींग, गदहे का बाल, भैंस का चमड़ा, गोबर नीम का फल, कैथ का फल, बोल इन सबको पीस कर मिलावें। यह कथित गुणों से युत उक्त काम के लिये तीसरा लेप सिद्ध हो जाएगा, इस का नाम वज्रतल है ॥७॥

अष्टौ सीसकभागाः कांसस्य द्वौ तु रीतिकाभागः ।
मयकथितो योगोऽयं विज्ञेयो वज्रसंघात ॥८॥

आट भाग सीसा, दो कभाग कासा, एक भाग पीतल इन सबको एक जगह गलाने में मय कथित वज्रसङ्गात नामक चौथा लेप सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर मय –

सङ्गृह्याष्टों सासभागान् कासंस्य द्वौ तथांशकम्।
रीतिकायास्तु सन्तप्तों वज्राख्य परिकीर्त्तित : ॥८॥

इति विमला हिन्दी टीकायां वज्रलेपाध्यायः सप्तपञ्चाशत्तमः॥५७॥

वास्तु सारणी ग्रंथ में मंदिरों के बारे में बताया गया है कि :-

विशेष जलाशय (कूप पुष्कर तड़ाग आदि) बनवा कर बाग लगा कर उस स्थान पर यश तथा धर्म वृद्धि के लिये देवता का गृह (देवालय) बनवायै, इष्टापूर्त (यज्ञ) तथा जलाशयादि से जो लोक (स्वर्ग आदि) मिलतें हैं। उन लोंको की प्राप्ति के निमित्त देवालय (मंदिर) बनवाना चाहिये। वहाँ पर दोंनो फल देखे जातें हैं ॥१॥२॥

किद्दशेषु स्थानेषु सुरा रज्यन्त इत्याह –

जलाशय तथा बगीचा बनवाया हो वा स्वाभाविक हो तो ऐसे स्थानों में देवता वास करने को जातें हैं ॥३॥

अन्यच्च कीद्दशेष्वित्याह –

जिस सरोवर में सूर्य के किरण के रोकने के लियें कमल छाता का काम दे रहा है और हंस अपने कन्धे से कमल पुष्प कों फेंक दिया है। इस से जो जल में वीथी बनी है हंस कांग्डव क्रौंच च कई चकवा इन पक्षियों का जहाँ

शब्द होता है तथा जल में नियुक्त नामक वृक्ष की छाया होय जहाँ जल चारी विश्राम करत हों वहाँ देवता वास करतें हैं॥४॥५॥

अन्यत्कीदृशेष्वित्याह –

कौंच पक्षी के क्रौञ्चीकलाप (बोलने के समय जीभ का विस्तार) तथा राजहंस का मधुर स्वर जिस जलाशय में होय जिस नदी में जल वस्त्र है। मछली मेखला (किनारी) हैं ऐसी नदी में देवता रमण करतें हैं, प्रफुल्लित जो तीरस्थ वृक्ष ये ही है कर्णा भूषणा जिन के, ऐसे दो नदी का संगम वही है श्रोणिमंड़ल जिसका ऐसे तीर में जो उन्नत भाग, वही है स्तन जिस का और हंस पक्षी जिस के वस्त्र हैं ऐसी नदी जहां हो वहां देवता वास करतें है ॥६॥७॥

अन्यत्कीदृशेषु स्थानेषु रमन्त इत्य ह–

वन के समीप नदी और पहाड़ के भरने के पास की भूमि में देवता नित्य रमण करतें हैं तथा नगर उद्यान (बाग) में भी नित्य देवता रमण करतें हैं ॥८॥

अधुना प्रतिष्ठाकरणे भूमिगुणनाह –

ब्राह्मणादि चार वर्णो के लिये वास्तुकर्म में जिस प्रकार की भूमि कही है, उस प्रकार की भूमि देवता के प्रासाद में शुभ होती है ॥९॥

अधुना देवतागृहे वास्तुपुरूषलक्षणं द्वारविभागं चाह–

देवता का गृह ६४ पद का बनाना चाहिये। उस देवालय का मध्यम सम दिशा में द्वार प्रशस्त होता है ॥१०॥

अथ प्रासादानां विधानमाह –

प्रासाद (देवमन्दिर) का जो विस्तार है, उस से दूनी उस की ऊँचाई होती है, ऊँचाई का तीसरा भाग उस देवगृह की कटि होगी देवगृह के विस्तार का आधा उसका गर्भ होता है, गर्भ के चारों दिशा में भित्ति होती है, गर्भ का जो विस्तार मान है उसके चतुर्थांश के तुल्य द्वार का विस्तार करें और विस्तार से दूनी उस द्वार की ऊँचाई करें। द्वार की ऊँचाई का जो चतुर्थाशंहो उसके विस्तार तुल्य शाखा बनावे उसी प्रकार उदुम्बर भी रक्खै (शाखा के उपर नीचे काष्ठ को उदुम्बर कहतें हैं) शाखा का जो विस्तार है, उसके चतुर्थांश के तुल्य शाखाओं की मोटाई करै। यह द्वार ३, ५, ७, ९ शाखाओं से प्रशस्त होता है, दोनों शाखा के नीचे का जो भाग है, उस के चतुर्थांश से प्रतीहार शेष तीन भाग में हंस आदि मंगलपक्षी, और श्री वृक्ष मांगलिक घट मिथुन लता पत्रादि कों से तथा गणों से शोभा का प्रादुर्भाव करें, द्वार की ऊँचाई का जोड़ा अष्टमांश वह द्वार की ऊँचाई में घटा कर सपिण्ड की प्रतिमा करै, उस में दो भाग प्रतिमा और तीसरा भाग पिंड का प्रमाण करै॥११॥१६॥

अथ प्रासादानां नामान्याह –

प्रसाद २० प्रकार के होतें है, १ मेंरू, २ मन्दर, ३ कैलाश, ४ विमानछन्द, ५ नन्दन, ६ समुद्र, ७ पद्य, ८ गरूड़, ९ नन्दिवर्धन, १० कुञ्जर, ११ गुहराज, १२ वृष, १३ हंस, १४ सर्वतोभद्र, १५ घट, १६ सिंह, १७ वृत, १८ चतुष्कोण, १९ षोड़शाश्रय ओर २० अष्टाश्रय, इस प्रकार मैंने २० प्रकार का देव मंदिर कहा, इसके बाद यथा क्रम से मैं इन प्रासादों का लक्षण बताये गये है॥१७॥१८॥१९॥

तत्रादौ मेरूप्रासादस्य लक्षणमाह –

उन प्रासादों में मेरू नामक जो प्रासाद है, उसमें छः कोण द्वादश उचा एक मंजिला बनाना चाहिये, एवं वृत प्रासाद, चतुष्काण प्प्रसाद, षोडशाश्रय प्रासाद, आश्रय प्रासाद ये चारों नाम के तुल्य हैं। यह अन्धकार और एक शिखर युक्त होना चाहिये। जिसमें चतुष्कोण मात्र ५ शिखर से युक्त होय और शेष तीन १ शिखर युक्त बनावें ॥२८॥

अथ मयविश्वकर्मणोर्मतेन भूमिकाप्रमाणमपरमतेनैकवाक्यताञ्चाह –

भूमि का मान मय के मत से १०८ अंगुल है, विश्वकर्मा के मत से ३॥ हाथ भूमि का मान है। इन दोंनो मतों में २४ अंगुल का अन्तर पड़ता है। इन दोनों के मतों को पण्डित लोग तथा स्थपति लोग एक तो इस प्रकार कहते हैं कि विश्वकर्मा के मत से प्रासाद भूमि का मान लेकर २४ अंगुल में न्यून है। उसको कपोत और पालिका से युक्त करके मय के मत से तुल्यता कर देते हैं ॥२९॥३०॥

यह प्रासाद लक्षण हमने संक्षेपतः कहा है, परन्तु जो गर्ग मुनि ने प्रासाद लक्षण बनाया है, वह सब इसमें आ गया है और मनु वसिष्ठ मय नग्नजित् आदि आचार्यो ने जो बड़े २ प्रासाद लक्षण रचे हैं, उनकी स्मृति के ग्रंथ के निमित हमने अधिकार किया है ॥३१॥

स्थापत्यवेद के विभिन्न ग्रंथों में उक्त वर्णित नगरादि मंदिर व पूजा स्थल बनाने के सिद्धांत बताए गए है। वर्तमान में मंदिर, पूजा स्थल व अन्य धर्मो के धार्मिक स्थल का निर्माण तेजी से हो रहा है जिसके पीछे एक ओर जन मानस की श्रद्धा आस्था तो है ही वहीं दूसरी ओर कहीं-कहीं अतिक्रमंण की दृष्टि से पहले मंदिर का अस्थायी चबूतरा व शनै: शनै: उसे बढाते हुए अति क्रमण किया जाता है। नगरीय एवं ग्रामीण निकायों द्वारा मंदिरों आदि के नव निर्माण या जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृति देने हेतु विशेष नियम आदि नहीं होने के कारण अशास्त्रोक्त स्थानों पर मंदिर निर्माण हो रहें हैं। उक्त वर्णित नियमों के अनुसार तो ग्राम,नगर विशेष की संख्या के आधार पर, कहाँ,किस स्थान व दिशा में किस देवता या देवी का मंदिर कब व कितने बनाना है इसका आंशिक ग्रंथ भेद के साथ उल्लेख किया गया है।

नगरों,ग्रामों,वार्ड, कॉलोनी आदि के लिए विकास योजना बनाने में इनका एक निश्चित आकार तय करने में वर्तमान स्थापित मंदिरों की स्थिति के निर्दिष्ट स्थान पर रखते हुए विकास विन्यास की योजना बनाना चाहिए, ताकि यही मंदिर शुभ फल देने लगें। मंदिरों के रख रखाव व प्रबंधन के लिए पुख्ता कानून के साथ उनकी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। नगर ग्रामादि में प्राचीन मंदिरों,मठों,स्मारकों के मूल स्वरूप को बिना परिवर्तित किए उनके संरक्षण हेतू जीर्णोद्धार करना चाहिए।

५.१५ नगरादि में पर्यावरण, वृक्षारोपरण आदि के सिद्धांत :-

स्थापत्यवेद के ग्रंथों में पर्यावरण माने प्रकृति संबंधि नियमों का ही सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है। किसी भी संरचना का स्थापत्यवेद के नियमों से नियोजित पर्यावरण हितेषी होता ही है। प्रकृति के नियमों पर आधारित नियोजन को ही स्थापत्यवेद से नियोजन कहलाता है। इसमें धार्मिक सार्वजनिक धर्मस्थलों, भवनों, जलाशयों कूप व वन प्रदेश आदि के किनारों पर वृक्ष, बाग-बगीचे लगाने के नियमों से लेकर मानवी हेतु वनस्पतियों, औषधियों फलों और फूलों व इमारती तथा जलाउ लकड़ी आदि की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कब किस मुहूर्त में जाएँ तथा वृक्षों आदि में कीड़ों इत्यादि का दोष लगने पर ,औषधियाँ भी उपलब्ध प्रकृति तत्वों में से ही लेकर बनाने की विधियाँ बताई गई है। मानव उपयोग में किस कार्य के लिए कौन-से वृक्ष उपयोगी है या अनुपयोगी हैं ,बताया गया है इन्हीं प्रकृति के प्रतीकों के संदर्भ में विभिन्न अध्यायों में एक स्थपति के लिए स्वर शास्त्र व अन्य प्राकृतिक परिवर्तनों से वर्षा ज्ञान आदि भी बताए गए है जिनका पहले वर्णन किया गया है।

स्थापत्यवेद के नियमों से नगरादि में पर्यावरण एवं वृक्षारोपण से संबंधित विभिन्न गंथों में निम्नानुसार वर्णित किया गया है।

वास्तु सारणी ग्रंथ में आंशिक अर्थ भेद के साथ बताया गया है कि,

जलाशय (कूप, वापी, तड़ाग) समीपवर्ती छाया के बिना चित्त प्रसन्न कारक तथा सुशोभित नहीं होता है। उसी कारण जल समीप में वाटिका लगाना चाहिये ॥१॥

अथ तत्र भूलक्षणमाह-

कोमल भूमि सभी वृक्षों के लिये हितकर होती है, इससे वृक्ष लगाने के लिये भूमि में पहले तिल बोवै, तिल जव पुष्प से युक्त हो तो उसको वहाँ ही मर्दन कर देंवे। इतना कर्म वाटिका लगाने के पूर्व में करें ॥२॥

अधुना प्रथमारोप्यान् वृक्षानाह -

वाटिका अथवा गृह में अरिष्ट अशोंक पुन्नाग शिरिश तथा प्रियंगु पहले रोकने से शुभ कारक होता है।

धुना काण्डरोप्याणां विधानमाह-

कटहर अशोक केला लकुच अनार द्राक्षा (मुनक्का),पालीवत (चौक), बीजपुर अतिमुक्तक इन वृक्षों की

शाखा को गोमय से लीप करके रोपण करना चाहिये। अन्य वृक्ष का मूल काटकर अन्य विजातिय वृक्ष के साथ लगाना चाहिये तथा अन्य वृक्षों की शाखा को काटकर विजातिय वृक्ष के मूल में बाँधना इसकों सब कलमी वृक्ष के नाम से पुकारते है। गोमय के साथ मिट्टि अवश्य मिला देंवे ॥४॥५॥

अथ वृक्षाणां कालनियमार्थमाह –

जिस वृक्ष में लता अंकुर न होए उसको शिशर ऋतु (माघ–फाल्गुन) में लगाना चाहिये। जिसमें शाखा हो उनको हेमन्त (मार्गशिर्ष पौष) में लगावें। महा शाखा वालें वृक्षों को वर्षा ऋतु (श्रावण–भाद्रपद) में लगावें इन वृक्षों को प्रथम वृक्ष लगाने से पूर्व दो दिशा में दूसरें वृक्ष को लगावें ॥६॥

अन्यदप्याह –

घी खश तिखि, मधु, विडंग ,गौ का दुध गोमय इन सब वस्तुओ को वृक्षों में मूल से प्रति शाखा पर्यन्त लेपन करके संक्रामण विरोपण (एक जगह से दूसरी जगह लगाना) चाहियें॥७॥

अथ रोपणप्रकारमाह –

पवित्र होकर स्नान कर चंदन से वृक्ष की पूजा करके वृक्ष को लगाना चाहियें। उसमें जो पत्र वगैरह रहते है उसके साथ ही उसको वृद्धि होती है ॥८॥

अथ रोपिताणाम् सेचनविधानमहा –

लगाये हुए वृक्षों को इस प्रकार पानी दें कि सायंकाल और पूर्व में ग्रीष्म ऋतु में, दोपहर के समय जाड़े में और वर्षा ऋतु में भुमि सुखने पर किसी भी समय वृक्षो में जल देंवे॥९॥

अथानूपजान् वृक्षानाह –

जामुन बेंत वानीर कदम्ब गुलर अर्जुन बील पुरक मृद्वीक (द्राक्षा) लकुच अनार वन्जुल नक्तमाल तिलक कटहर तिमिर अम्रातक यह सोलह वृक्ष बहुत जल से होते है इनको विशेष जल देना चाहिये ॥१०–११॥

अथ रोपीतानां वृक्षाणां किं प्रमाणन्तरं कार्यमित्याह –

एक वृक्ष से दुसरा वृक्ष बीस हाथ दूर पर लग्नना उत्तम है, सौलह हाथ पर मध्यम है, बारह हाथ के दूर पर लगाने निकृष्ट है ॥१२॥

अथ तदर्थमाह–

जो वृक्ष समीप होते हैं उनकी शाखाएँ परस्पर स्पर्श कर भिड़जाने के कारण तथा मूल के भी मिलने के कारण पीड़ित रहते है। यानी फल को नहीं देते ॥१३॥

अथ तेषां रोगज्ञानमहा –

शीतवात (वायु), आतप (धूप) से वृक्षों रोग उत्तपन्न होता है इसका पहचान यह है कि पत्रों पर पाणडुता (पीलापन) आ जाना प्रवाल तथा अंकुर का हास और रस का स्त्राव होना इन चिन्हों से वृक्षों को रोगी जाना ॥१४॥

अथै तेषां चिकित्सिमाह–

वृक्ष के जिन २ अंगों मे ब्रण (छिद्र वा चिन्ह)हो गया हो, पहले हो गया हो, पहले उसको शस्त्र (कुल्हाड़ी आदि हथियार) से काटै बाद बिडंग को मिलाकर अच्छे प्रकार से लेप करें और दूध में जल मिलाकर उसकों सीचें ,ऐसा करने से रोग दूर होता है॥१५॥

अथ फलनाशचिकित्सितमाह–

जब वृक्षों को फल नाश होय तो कूलत्थ (कुलथी) उर्द मुद्र (मूंग) तिल और यव सबको मिलाकर जल के साथ क्वाथ (काढा) बनाकर काढा को ठंढा होने पर उसमें दूध मिलाकर सेचने से फल फूल की वृद्धि होती है ॥१६॥

अथ वृद्धयर्थप्रयोगमाहा–

भेड़ बकरी का मल एक २ आढक, तिल १ आढक, सक्तु १ प्रस्थ जल एक द्रोण, गोमांस १ तुला ये सब मिल कर सात रात्रि पर्यन्त एकत्र रक्खे बाद सेंक करे तो वल्ली लता और फल की विशेष वृद्धि होती है। यह प्रमाण एक वृक्ष के वास्ते है, अत: इतना २ प्रत्येक वृक्षों के लिये सामान होना चाहिये ॥१७–१८॥

अथ वीजनां वापनविधानमाह–

जब जिस किसी वृक्ष का बीज लगाना होय तब हाथ में घी लगाकर उस हाथ से बीज को दुग्ध में भिगोय देवै। ऐसे ही १० दिन बराबर करै। इसके बाद उसको गोमय के साथ मर्दन करें ,फिर सूकर और मृग के मांस का धूप देय,

फिर उसमें सूकर और मृग के मांस को मिलाय लेय फिर भूमि पर रोपण करे बाद दूध और जल से अच्छे प्रकार से सींचे ऐसा करने से फूल लग जाता है। यह ध्यान रहे कि श्लो. २ के अनुसार बीज बोने वाली भूमि होनी चाहिए ॥१९-२०॥

अथ तिन्तिडीविधानमाह-

इमली के बीज को ध्यान उर्द तिल उनका चूर्ण पिलाओं सत्तू और दुर्गन्ध मांस में भिगोय कर हल्दी का धूप देवे तो बल्लरी (शाखा) आदि करती है। इसमें आदि शब्द है उससे अन्य वृक्ष भी बल्लरीकारक हो सकते है ॥२१॥

अथ कपित्थबीजारोपणमाह-

कपित्थ (कैथ) बीज में बल्ली पैदा करने के निमित्त ये उपाय है कि आस्फोतक (सारिवा) धात्री(अँवरा) धव वासिका इन चारों वृक्षों का मूल, और वेंत वृक्ष का मूल पत्र ,सूर्यवल्ली श्यामा अतिमूक्त वृक्ष का मूल, इन सवों को मिलाने से अष्ट मूली होती है, अष्टमूली को दूध के साथ काढा बनाये, फिर उस को ठंढा कर के उस में कैथका बीज छोड़े उसको क्वाथ में सौ बार ताली बजाने में जितना समय बीते उतने, समय तक रक्खे, बाद उसके निकाल कर घाम में सुखावे इसी प्रकार १ मास तक करता जाय फिर रोपे।

रोपने के लिये १ हाथ लंबा चौड़ा, दो हाथ गहिरा खात(गड़हा) खने उस में जल भर दे। जब सूख जाय तब अग्नि से उसको जलाय देय फिर उस गर्त में मधु ,घी से मिला भस्म से लेप करे, फिर उस में चार अंगुल मिट्टी देय उस पर उर्द तिल जब का चूर्ण छोड़े ऐसा बार २ करता जाय जब गर्त पूरा हो जाय तब उस में मछली के मांस से युक्त जल देके उसको पीटै जब वह कड़ा होय जाय तो उसके ४ अंगुल नीचे बीज बोये फिर मछली के मांस सहित जल से सीचे तो शीघ्र ही उत्तम बल्ली तथा अंकुर पैदा होता है ॥२२-२६॥

अथान्येषां रोपणमाह-

यदि किसी वृक्ष का बीज लगाना होय तो उस बीज को अंकोल (पिस्ता) वृक्ष के कल्क से सौ बार भावना देकर वा उसके तेल से १०० बार भावना देकर अथवा श्लेष्मातक (लिसोरा) केरस से वा तेल से १०० बार भावना देय फिर उस बीज को पत्थर के पानी से मिश्रित कोमल भूमि में लगाने से उसी काल में उस बीज से अंकुर निकल आते और फल के भार से शाखा युक्त होती हे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है ॥२७-२८॥

अथ श्लेष्मातकरोपणमाह-

बुद्धिमान् मनुष्य लिसोरा के बीज का कृत्रिम तुप उतार कर अंकोल युक्तजल से भिगोवे छाया में सुखावे ऐसा सात दिन करके फिर उस बीज को महिष के गोबर से घिसै। फिर विशेष गोमये (गोबर) गाड़ देय जब पोला(बनैली) गिरे तो उसके जल में गोबर से युक्त बीज के लगाने से एक दिन वह फलने लगता है ॥२९-३०॥

अथ वृक्षणां रोपणनक्षत्रमाह-

ध्रुव (तीन उत्तरा, रोहिणी) मृदु(मृगशिरा चित्रा रेवती अनुराधा) मूल विशाखा पुष्य श्रवण अश्विनी हस्त ये १४ नक्षत्र दृष्टिवाले ऋषियों ने पादप रोपण के लिए कहा है ॥३१॥

समराङ्गण सूत्रधार भवन-निवेश ग्रंथ के अध्याय ३१ वन प्रवेश दारू आहरण में बताया गया है कि-

घर बनाने के लिए यथाविधि, पूर्व से अथवा उत्तर से द्रव्य अर्थात् भवन-निर्माण में आवश्यक दारू लाना चाहिए और उस द्रव्य को लाने के लिए शुभ नक्षत्रों में (मृदु, क्षिप्र एवं चर नक्षत्रों में) जाना चाहिए ॥१॥

स्थिर चर लग्न में वन-प्रवेश तो विहित है ही: वन में जाकर वहाँ वृक्षों के निकट रहना अथवा उपवास रखना भी इन्हीं नक्षत्रों में विहित है। परन्तु लकड़ी का छेदन तथा भेदन आदि कार्यारम्भ दारूण नक्षत्र अथवा लग्न में विहित है ॥२॥

शुभ एवं पवित्र देश में जाकर वहां पर निवेश करना चाहिए ओर निवेशन करने के बाद कर्म के अन्त तक अन्न ओर जल से तर्पण करना चाहिए। सर्वविध पुष्ट एवं तुष्ट परिवार वाला व्यक्ति रात्रि में समुपोषित रह कर पुन: उसे वृक्ष की परीक्षा करनी चाहिए। अत: शस्त्र को त्याग कर घर के योग्य वृक्ष की परीक्षा करनी चाहिए ॥३-४॥

पूर के श्मशान, ग्राम के मार्ग, तालाब, चेत्य और आश्रम- इन स्थानों में उत्पन्न होने वाले, खेत तथा उपवन की सीमा के भीतर वाले तथा विषमस्थल और निम्नस्थल में उत्पन्न होने वाले, कटु, अम्ल, तिक्त तथा लवण भूमियों में उगे हुए, गड्ढों से ढके हुए तथा स्थिर भूमि में उगे हुए पेड़ों को छोड़ देना चाहिए। ऐसे वृक्ष-योग्य नहीं होते ॥५-६॥

वृक्षों का रंग,तेल, बल्कल (छाल) आदि का अच्छी तरह से परीक्षण करके फिर उनकी अवस्था मालूम करनी चाहिए और उन में से बाल और वृद्ध वृक्षों को छोड़ देना चाहिए ॥७॥

सारद्रुम (शीशम) की अवस्था तीन सौ वर्ष मानी गई है और सोलह वर्ष से उपर डेढ सौ वर्ष के पुराने तक वृक्ष को चुने। जिस प्रकार से मनुष्यों में अवस्था के परिपाक से निबंलता देखी जाती है तथा बाल झड़ने लगते है उसी प्रकार से वृक्षो की निर्बलता भी उनकी अवस्था से मानी गयी हे और उनकी छिद्र-पात्रता भी यही सूचना देती हे ॥८-९॥

जो कटे,पिटे, पोले, सकोसाक्ष एवे तीक्ष्ण बल्कल बाहों, जो उपर से सूख रहे हों उन वृक्षों को छोड़ देना चाहिए ॥१०॥

टेढे मेढे, सूखे, जले, बुरी जगह पर खड़े वृक्षों को ओर भग्न शाखा वाले तथा एक ही दो शाखा वाले, वृक्षों को भी छोड़ देना चाहिए ॥११॥

दूसरों से अधिष्ठित, विद्युत्पात से, आंधी से और नदियों से क्षत, गांठों वाले, रस बहाने वाले तथा भम्रर और सर्पो से आश्रित, एक दूसरे से सटे, एक ओर भ्रष्ट, मीठी बलियों से अर्थात् चीटियों से आच्छादित, मांसाहारी पक्षियों से दूषित, मकड़ी के जालों से ढके हुए, जंगली जानवरों से उद्धृष्ट, हाथियों से क्षत, मूलत: बहुत बड़े तना वाले, मार्ग के चिन्ह-भूत, अकाल के पुष्प तथा फल देने वाले, रोगों से पीड़ित, उल्लुओं के वास से युक्त- इसी तरह के अन्य वर्ज्य वृक्षों को भी छोड़ देना चाहिए ॥१२-१५॥

खदिर (खैर), बीजक, शीशम, मोह, शाक, शिशपा, सर्ज, अर्जुन, अज्जन, अशोक,कअर, रोहिणी, विकङ्कत, देवदारू, श्रीपर्णी ये वृक्ष कुटुम्बियों के लिए पुष्टिकारक और जीवन दायक कहे जाते है। जिन वृक्षों की जल-सहिष्णुता एवं भार-सहिष्णुता लखित होती हहो, वे गृह-कर्म में अच्छे कहे गये है ॥१६-१८॥

कड़ेल, धव, प्लक्ष, कपित्य, विषमच्छद, शिरीष, गूलर, अश्वत्थख शेलू, बरगद, चम्पक, नीम, आम, कोविदार, अक्ष, व्याधिघात- ये वृक्ष निन्दित कहे गये है और ये गृह-कर्म में दृष्ट नहीं है, क्योंकि इन से अनिष्ट उत्पन्न होता है ॥१९-२०॥

कांटे वाले, स्वादु फल वाले और दूध वाले और सुगन्ध वाले जो वृक्ष है वे इष्ट नहीं है, क्योंकि उनमें पशुओं का नाश निश्चित हे ॥२१॥

जिस प्रकार से प्राणियों की छाया नियत ही दिखाई पड़ती है उसी प्रकार से वृक्ष की छाया भी दिखलाई पड़ती है तो उसकी छाया ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि उसी के प्रमाण का वह पेड़ होता है ॥२२॥

वृक्ष में, उसकी पृथ्वी की पूर्व दिशा में नक्षत्र का विचार करना चाहिए। उसके नक्षत्र के आदि अक्षर से उस वृक्ष की उत्पत्ति समझनी चाहिए अर्थात् उस पृथ्वी की पूर्व दिशा में वृक्ष पर जो नक्षत्र दिखलाई पड़े वही वृक्ष का नक्षत्र समझना चाहिए ॥२३॥

उस वृक्ष को स्वामी क्षेमकारक और साधक समझ कर बिना गाठी ओर कोटर वाले, स्निग्ध और सीधे सारयुक्त, मोटे तने वाले, हरे पत्ते वाले तथा गोल ऐसे वृक्ष की पूजा करके ब्रह्मणों को खिला-पिला कर उसके बाद उनसे स्थपति, स्वस्तिवाचन करावे॥२४-२५॥

रात्रि के आने पर कच्चे-पक्के मांसों से भूतों के निमित्त भात व अराव और आसवों से तथा गन्धों, धूपों एवं मालाओं से बलि देनी चाहिए ॥२६॥

"वृक्षों पर आश्रय लेने वाले जो जीव हों, वे चले जायें! अपना अड्डा हटाओ, में इसको काटूँगा!" यह वचन उच्चारण करना चाहिए। पुन: वृक्ष को सम्बोधित कर - है वृक्ष!-तुम धन्य, शुभ, पुष्टिकर और प्रजाओं की वृद्धि को करने वाले बनो। इन्द्र, पवन,यम,सूर्य, रूद,अग्नि कल्याण करें। दिशाएँ, सरिताएँ और पर्वत ऋषियों सहित तुम्हारी रक्षा करें ॥२७-२९॥

जो वृक्ष मनुष्य-वाणी से बोलने लगे अथवा अभिमन्त्रित होने पर कापने लगे, अथवा जिसके नूतन पल्लव और कुसुम म्लान होने लगें उसको छोड़ देना चाहिए ॥२९ १/२-३० १/२॥

तदनन्तर सूर्य का दर्शन कर वृक्ष की प्रदक्षिण करके ब्रह्मणों के स्वस्ति-वाचन के साथ काटने वाला उत्तर अथवा पूर्ण मुख होकर पेने शस्त्रों से पेड़ को काटे। पेड़ के काटने पर यदि खून बहने लगे अथवा कम्पन होने लगे या ध्वनि सुनाई पड़े तो घर बनाने वाले की मृत्यु होती हे। अथवा वृक्ष काटने पर यदि दही, शहद, दुग्ध या घृत बहने लगे

तो कुटुम्बी के लिये बन्धन तथा व्याधियां उपस्थित होती है ॥३० १/२-३३॥

जिस वृक्ष से तैल-युक्त, सुगन्धित, कुछ मीठा और कसैला बड़ा काला-सा रस बहता है वह वृक्ष अच्छा माना जाता है ॥३४॥

पूर्व दिशा में यदि पेड़ गिरे तो वह कार्य-साधक होता है। यदि दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में गिरे तो शान्ति-समारोह करके उस पेड़ को त्याग देना चाहिए ॥३५॥

यदि दूसरे वृक्ष को मद्दन करते हुए वृक्ष का पात होता है तो ज्ञानियों से भय उपस्थित होता है। जड़ से कटा हुआ वृक्ष दूर तक दलन करता है तथा वायु के झोंकों से अधिक शब्द करता है वह पेड़ शुभ होता है ॥३६-३७ १/२॥

गधे, उँट, गीदड़ या सर्प का दशृन यदि वृक्ष को काटते समय होता है तो कार्य में विध्न अथवा हथकड़ियों का बन्धन उपस्थित होता है ॥३७ १/२-३८ १/२॥

हल, चक्र, पताका, कमल, ध्वजा, छत्र आदि का दर्शन यदि होता है अथवा श्री वृक्ष एवं वर्धमान आदि का यदि दर्शन होता है तो ये दर्शन शुभ प्रद होते है ॥३८ १/२-३९ १/२॥

यदि काटने पर वृक्ष उछल कर गिरता है तो कुटुम्बो को ऋद्धि प्राप्त होती है। इसके विपरीत यदि काटने पर चरमरा कर बीच में ही रह जाता है तो सब तरफ से क्षति की आशंका समझनी चाहिए ॥३९ १/२-४० १/२॥

एक वृक्ष में पूर्वोक्त प्रकार से उत्क्षेप आदि के दर्शन से जो निमित्त बताये गये है उसी प्रकार दोष-रहित श्रेष्ठ वृक्षों को देख कर धीर स्थपति ठीक तरह से अनुलोम अर्थात् शास्त्र-विहित तथा प्रशस्त एवं कोमल तथा सीधे वृक्षों का संग्रह करे ॥४० १/२ -४१॥

वृक्ष-मण्डल-वृक्ष के काटने पर आधे भाग पर अथवा दश भागों से कुछ अधिक काटने पर वृक्ष के भीतर स्थित जन्तु आदि की परीक्षा करे। इन्हीं को "वृक्ष-मण्डल "कहा गया है। इस प्रकार इसके मण्डलों को जानना चाहिए। मंजिष्ठ काान्ति वाले मण्डल में मेढक, कपिल कान्ति वाले मण्ड में चूहा, पीली कान्ति वाले मण्डल में गोधा, अधिक धवल कान्ति वाले मण्डल में सर्प , गुड़की कान्ति-सद्दश मण्डल में मधु,लाल में कृकलास(गिरगिट)कपोत कान्ति में गृह-गोषा (घरेलू गोह) घृतमण्ड की सी कान्ति वाले मण्डल में गोधरे, रसांजन- सद्दश, शास्त्र की आभा के सद्दश, कमल तथा उत्पल (नले कलम) की आभा के सद्दश, धोई हुई धवल तलवार की कान्ति वाले- इन मण्डलों में जल समझना चाहिए ॥४२-४६ १/२॥

जिस वृक्ष का सर्प का-सा आकार अथवा वर्ण दिखालाई पड़े उस सर्प गर्भित वृक्ष को बिना विचारे ही छोड़ देना चाहिए ॥४६ १/२-४७ १/२॥

क्षोद्र अर्थात् शहद चोरों से भय, सलिल में सलिल से भय, सर्प में विष से भय, पाषाण में अग्नि से भय समझना चाहिए ॥४७ १/२ - ४८ १/२॥

बकरों, बैलों, भैंसों ऊँटों, गायों आदि से निष्पीड़ित, गोधा, गोधेर, मंडूक तथा कृकलास से गर्भित, भूषकों से दूषित वृक्ष वास्तु-विश स्थपति का मरण बताता है॥४८ १/२-४९॥

इसी तरह विद्वान लोग अन्य गृह-पीड़ा बताते है। कुशलतापूर्वक दारू आहरण यदि निष्पन्न होता है तथा बिना बाधा यदि सामग्री प्राप्त हो जाती हे तो दूसरे वनों में सब प्रकार की कुशलता तथा सुभिक्ष समझना चाहिये ॥५०-५१ १/२॥

विधान को जानने वाला गृह-पति अर्ध-दान आदि विधि से आये हुए द्रव्य की अर्चना करे और लौटे हुए काटने वाले कुलिश, आयुष एवं ध्वजा आदि द्रव्य की राजा पूजा करें ॥५२॥

भवन भास्कर पुस्तक में बताया है कि घर के समीप कौन से वृक्ष लगाना चाहिए तथा वाटिका कहाँ और क्यों बनानी चाहिए आदि भी बताए गए है -

१. अशोक, पुत्राग, मौलसिरी, शमी, चम्पा, अर्जुन, मटहल, मेतकी, चमेल, पाटल, नारियल, नागकेशर, अड़हुल, महुआ, वट, सेमल, बकुल, शाल आदि वृक्ष घर के पास शुभ है।

पाकर, गूलर, आम, नीम, बहेड़ा, पीपल, कपित्थ, अगस्त्य बेर, निर्गुण्ड, इमली, कदम्ब, केला, नीबू, अनार, खजूर, बेल आदि वृक्ष घर के पास अशुभ हैं।

२. कई वृक्ष ऐसे हैं, जो दिशाविशेष में स्थित होने पर शुभ अथवा अशुभ फल देनेवाले हो जाते हैं . जैसे - पूर्व में पीपल भय तथा निर्धनता देता है। परन्तु बरगद कामना-पूर्ति करता है।

आग्नेय में वट, पीपल, सेमल, पाकर तथा गूलर पीड़ा और मृत्यु देने वाले हैं। परन्तु अनार शुभ है।

दक्षिण में पाकर रोग तथा पराजय देने वाला है, और आम, कैथ, आगस्त्य तथा निर्गुण्डी धननाश करने वाले हैं। परन्तु गूलर शुभ हे। नैर्ऋत्य में इमली शुभ है।

दक्षिण- नैर्ऋत्य में जामुन और कदम्ब शुभ हैं।

पश्चिम में वट होने से राजपीड़ा, स्त्रीनाश व कुलनाश होता है, और आम, कैथ अगस्त्य तथा निर्गुण्डी धननाशक हैं। परन्तु पीपल शुभदायक है।

वायव्य में बेल शुभदायक है।

उत्तर में गूलर नेत्ररोग तथा ह्रास करने वाला है। परन्तु पाकर शुभ है।

ईशान में आँवला शुभदायक है ।

ईशान-पूर्व में कटहल एवं आम शुभदायक है।

३. घर के पास कॉटेवाले, दूधवाले तथा फलवाले वृक्ष स्त्री और सन्तान की हानि करनेवाले हैं। यदि इन्हे काटा न जा सकें तो ,इनके पास शुभ वृक्ष लगा दे।

काँटेवाले वृक्ष शत्रु से भय देने वाला , दूधवाले वृक्ष धन का नाश करने वाले और फल वाले वृक्ष सन्तान का नाश करने वाले हे। इनकी लकड़ी भी घर में नहीं लगानी चाहिए

आसत्रा: कण्टकिनो रिपुभयदा: क्षीरिणोऽर्थनाशाय।
फलिन: प्रजाक्षयकरा दारूण्यपि वर्जयेदेषाम् ॥

४. बदरी कदली चैव दाडिमी बीजपूरिका।
प्ररोहन्ति गृहे यत्र तद्गृहं न प्ररोहति ॥

बेर, केल, अनार तथा नीबू जिस घर में उगते है, उस घर की वृद्धि नहीं होती।

अश्वत्थं च कदम्बं च कदलीबीजपूरकम्।
गृहे यस्य प्ररोहन्ति स गृही न प्ररोहति ॥

पीपल, कदम्ब, केला, बीजू नींबू- ये जिस घर में होते हैं, उसमें रहने वाले की वंशवृद्धि नहीं होती हे।

५. घर के भीतर लगायी हुई तुलसी मनुष्यों के लिये कल्याणकारिणी धन-पुत्र प्रदान करने वाली, पुण्यदायिनी तथा हरिभक्ति देनेवाली होती है। प्रात:काल तुलसी का दर्शन करने से सूवर्ण-दान का फल प्राप्त होता है।

अपने घर से दक्षिण की ओर तुलसीवृक्ष का रोपण नहीं करना चाहिये, अन्यथा यम-यातना भोगना पड़ती है।

६. मालतीं मल्लिकां मोचां चिचां श्वेतां पराजिताम्।
वास्तुन्यां रोपयेद्यस्तु स शस्त्वेण निहन्यते ॥

मालती, मल्लिका, मोचा, इमली, श्वेता और अपराजिता को जो वास्तुभूमि पर लगाता है, वह शस्त्र से मारा जाता है।

७. वाटिका (बगीचा)- जो घर से पूर्व, उत्तर, पश्चिम या ईशान दिशा में वाटिका बनाता है, वह सदा गायत्री से युक्त दान देनेवाला और यज्ञ करने वाला होता है। परन्तु जो आग्नेय, दक्षिण, नैर्ऋत्य या वायव्य में वाटिका बनाता है। वह मृत्यु को प्राप्त होता है। वह जातिभ्रष्ट व दुराचारी होता है।

यदि घर के समीप अशुभ वृक्ष लगे हों और उनकों काटनें में कठिनाई हो तो अशुभ वृक्ष और घर के बीच में शुभ फल देने वाले वृक्ष लगा देने चाहिये। यदि पीपल का वृक्ष घर के पास हो तो ,उसकी सेवा-पूजा करते रहना चाहिये।

९. दिन के दूसरे और तीसरे पहर यदि किसी वृक्ष, मन्दिर आदि की छाया मकान पर पड़े तो वह सदा दु:ख व रोग देनेवाली होती है।

(सुर्योदय से लेकर तीन तीन घण्टे का एक पहर होता है।)

इसी पुस्तक में गृह निर्माण के लिए कौन सी लकड़ी गाह्य या त्याज्य है तथा इसके गुण दोषों के बारें में बताया है कि

(१) ईंट, लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी – ये नये मकान में नये ही लगाने चाहिये।

(२) नये मकान में पुरानी लकड़ी नहीं लगानी चाहिये। एक मकान में उपयोग की गया लकड़ी दूसरें मकान में लगाने से सम्पत्तिका नाश एंव अशान्तिकी प्राप्ति होती है।ऐसे मकान में गृहस्वामी रह नहीं पाता, यदि रहता है तो उसकी मृत्यु होती है।

(३) मकान में एक, दो या तीन जाति की लकड़ी लगानी चाहिये। एक जाति की लकड़ी उत्तम, दो जाति की मध्यम और तीन जाति की अधम होती है।

(४) एक, दो या तीन प्रकार के काष्ठों से बनाया घर शुभ होता है। इससें अधिक प्रकार के काष्ठों से बनाया घर अनेक भय देने वाला होता है।

(५) नया द्वार पुराने द्वार से संयुक्त होने पर दूसरें स्वामी की इच्छा करता है। नया द्रव्य से संयुक्त होने पर कलिकारक होता है। मिश्र जाति के द्रव्य से निर्मित द्वार या घर अशुभ होता है।

एक वास्तु से निकाला गया द्रव्य दूसरें वास्तु में प्रयुक्त नहीं करना चाहिये। ऐसा करने पर देव मंदिर में पूजा नहीं होती और गृह में गृहस्वामी नहीं बस पाता।

देव-दग्ध द्रव्य से जो भवन बनाया जाता है, उसमें गृहस्वामी निवास नहीं कर पाता और यदि निवास करता है तो नाश को प्राप्त होता है। (समरांगणसूत्रधार ३८। ६०-६४)

(६) त्याज्य वृक्ष-

दूध वालें, काँटेवाले, पुष्पोंवाले, रस बहाने वालें, पक्षियों के घोंसले वालें, उल्लुओं के वास, मांसाहारी पक्षियों से दूषित, मधुमक्खियों के छत्ते से युक्त, सर्प के वास, चींटियों से आच्छादित, मकड़ी के जालों से ढके, भूत-प्रेतों के वास, दीमक लगे हुए, गाँठों से युक्त, कोटरवालें, गड्ढे से ढके हुए, रोगो से युक्त, जिनका आधार भाग सूख गया हो या टूट गया हो, एक-दो शाखावालें, बिजली और आँधी से गिरे हुए, जले हुए, हाथी आदि जानवरोंसे रौंदे हुए, समाधि - स्थल में लगे हुए, देवमंदिर में लगे हुए, आश्रम में लगे हुए, नदियों के संगम पर स्थित, शमशान भूमि में लगे हुएं, जलाशय पर लगे हुए, खेत में लगे हुए चौराहे, तिराहे या मार्गपर लगे हुए – इन वृक्षों की लकड़ी गृहनिर्माण के काम में नहीं लेनी चाहिये।इस सिद्धान्त में पर्यारण संरक्षण का मर्म छिपा है ,भारत जैसे विशाल देशा में जहाँ साक्षरता आज भी ५० प्रतिशत से कम है,इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता था।

(७) पीपल, कदम्ब, नीम, बहेड़ा, आम, पाकर, गूलर, सेहुड़, वट, रीठा, लिसोड़ा, कैथ, इमली, सहिजन, ताल, शिरीष, कोविदार, बबूल और सेमल – इन वृक्षों की लकड़ी अशुभ फल देने वाली हैं।

(८) ग्राह्य वृक्ष – अशोक, महुआ, साखू, असना, चन्दन, देवदारू, शीशम, श्रीपर्णी, तिन्दुकी, कटहल, खदिर, अर्जुन, शाल और शमी इन वृक्षों की लकड़ी शुभ फल देने वाली हैं।

(९) धनदायक शीशम, श्रीपर्णी तथा तिन्दुकी के काष्ठ को अकेले ही लगायें। अन्य किसी काष्ठ के साथ सम्मिलित करने पर ये मंगलकारी नहीं होते।इसी तरह धव, कटहल, चीड़, अर्जुन, पद्य वृक्ष भी अन्य काष्ठों के साथ सम्मिलित होने पर गृहकार्य के लिये शुभदायक नहीं होते।

(१०) यह तीर, चौखट, दरवाजे – खिड़कियाँ, खूँटी, फर्नीचर आदि के निर्माण में निषिद्ध (त्यात्य) वृक्षों की लकड़ी काम में नहीं लेनी चाहिये।

(११) शय्या (पंलग) के निर्माण में श्री पर्णी धनदायक, आसन रोगनाशक, शीशम वृद्धिकारक, सागवान कल्याणकारक, पद्मक आयुप्रद, चन्दन शत्रुनाशक एव सुखदायक और शिरीष श्रेष्ठ है।

(१२) काष्ठ को कृष्ण पक्ष में काटना चाहिये। शुक्लपक्ष में नहीं काटना चाहिये।

(१३) जिस वृक्ष को काटना हो, उसके निमित्त रात में पूजा और बलि (नैवेद्य) देकर प्रात: ईशान कोण से प्रदक्षिण क्रम से उसको काटें। यदि वृक्ष कटकर पूर्व, उत्तर या ईशान में गिरे तो शुभ है, अन्य दिशा में गिरे तो अशुभ है।

(१४) वृक्ष कटने पर यदि पूर्व दिशा में गिरे तो धन-धान्यकी वृद्धि होती है। आग्नेय में गिरें तो अग्निभय, दक्षिण में गिरे तो मृत्यु नैर्ऋत्य में गिरे तो कलह, पश्चिम में गिरे तो पशु वृद्धि, वायव्य में गिरे तो चोर – भय, उत्तर में गिरे तो धन की प्राप्ति और ईशान में गिरें तो अति श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है।

(१५) पत्थर का प्रयोग –

वर्तमान में घरों मे पत्थर का प्रयोग अधिक किया जाने लगा है: परन्तु वास्तुशास्त्र में इसका प्रयोग निषिद्ध है

। उदाहरणार्थ –

पाषाणत: सौख्यकरा नृपाणां धनक्षयं सोऽपि करोति गेहे ॥

पाषाण पट्ट राजाओ के महल में सुखदायी होते हैं, पर दूसरें के घर में धन का नाश करते हैं।

प्रासादे च मठे नरेन्द्रभवने शैल: शुभो नो गृहे।

तस्मिन् भित्तिषु बाह्यकासु शुभद:प्राग्भूमिकुम्भयां तथा ॥

मन्दिर, राजमहल और मठ में पत्थर शुभदायक है, पर साधारण घर में पत्थर शुभ नहीं है। परन्तुदीवार से बाहर लगानें में हानि नहीं।

ब्रह्मवैवर्तपुराण में भगवान् श्रीकृष्ण के वचन हैं –

वृहञ्च वज्रहस्तञ्च भूधरो वर्जयेद् बुध: ॥

पुत्रदारधनं हन्यादित्याह कमलोद्भव: ।

बुद्धिमान् पुरूष को लकड़ी, वज्रहस्त तथा शिला का उपयोग न करना ही उचित है; क्योंकी ये स्त्री, पुत्र और धन का नाश करने वाले होते हैं – ऐसा कमलजन्मा ब्रह्मा का कथन है।

भवन भास्कर में दंत धावन (साफ करनें) के बारे में बताया है कि पूर्व की ओर मुख करके करने से धैर्य,सुख व निरोगी शरीर, उत्तर की ओर गो, स्त्री व परिजनों का नाश, दक्षिण की ओर कष्ट व पश्चिम की ओर पराजय तथा ईशान की ओर मुख में कामनाओं की सिद्धि बताई गई है।

वैदिक वास्तु विद्या एवं रोग कारक वास्तु दोष में वास्तु के अनुसार उपयोगी एवं अनुपयोगी वृक्ष के बारें में बताया है कि–

वास्तु शास्त्र के अनुसार वृक्ष का उपयोग दो प्रयोजन के हेतु किया जाता है–प्रथम गृह निर्माण में उपयोग में लाये जाने वाले काष्ठों हेतु। द्वितीय घर के आसपास या उद्यान बनाने हेतु वृक्षारोपण। इन दोनों ही प्रयोजनों के लिये कुछ शुभ तथा कुछ अशुभ वृक्षों का उल्लेख शास्त्रों में प्राप्त होता है। अत: पहले गृह कर्म में उपयोग में लाये जाने वाले वृक्षों को स्पष्ट कर,फिर उद्यान हेतु या गृह के समीप लगाने वाले वृक्षों को स्पष्ट करेंगे।

गृह निर्माण के उपयोग में लाये जाने वाले वृक्ष–

१. देवदार, चन्दन, शमी, महुआ, खदिर, अर्जुन, शिरस, साल, बेल, आम, कंटक, अशोक, शीशम, यह सभी वृक्ष घर के कामों के लिये जीवन दायक तथा शक्ति दायक शुभ कहे गये है।

२. जो वृक्ष जल से ज्यादा खराब होने वाले न हो उनका चयन करना चाहिये।

३. जो भारी काष्ठों वाले अर्थात् भार सहन कर सकने में ज्यादा सक्षम हों उन उपयोगी वृक्षों के काष्ठ का उपयोग करना चाहिये।

४. गृह निर्माण में एक या दो प्रकार के काष्ठो का प्रयोग ही उचित होता है अधिक से अधिक तीन काष्ठ का प्रयोग कर सकते है इससे अधिक काष्ठो का प्रयोग वास्तु शास्त्र के अनुसार निषेध है।

५. बिना गांठ वाले, बिना कोटर वाले, मोटे तने, हरे पत्ते वाले स्निग्ध तथा सीधे वृक्ष को ही गृह के उपयोग हेतु चयन करना चाहिये।

६. जिस वृक्ष को काटने पर काले रंग का मीठा, कसैला सा सुगन्धित कुछ तैलीय रस बहता है वह शुभ वृक्ष होता है।

इस प्रकार गृह कर्मो के लिये उपयोगी वृक्षों का चयन करना चाहिये।

अनुपयोगी वृक्ष–

१. बरगद, नीम, शिरीष, कडेल, कैथा, गूलर, चम्पक, शेलू, ये सब वृक्ष गृहोपयोगी है ।

२. जो वृक्ष दूसरे वृक्ष पर आश्रित हों, जो टेढे मेढे हों तथा कटे–पिटे उपर से सूख रहे हों, किसी प्रकार से जले हों, जिन पर बिजली गिरी हो, या फिर आँधी से टूट कर गिरे हो उन वृक्षों का भी गृह कर्म में उपयोग नहीं करना चाहिये।

३. जिस वृक्ष पर माँसाहारी पक्षियों का वास हो, मकड़ी के जाले हो, सर्पो का वास हो, चीटियों का वास हों, उल्लू रहते हों, उन वृक्षों को भी गृह कर्म में त्याग देना चाहिए।

४. काँटे वाले, सुगन्धित स्वादिष्ट फल से युक्त तथा दूध वाले वृक्षों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिये।
५. आश्रय, श्मशान, तालाब इन स्थानों पर लगे वृक्षों को भी गृह कर्म में उपयोग नहीं करना चाहिए।
इस प्रकार से शास्त्रोक्त त्याज्य वृक्षों को गृह कर्म में उपयोग में नहीं लाना चाहिये।

विशेष –

वृक्षों को काटने के पूर्व उन पर आश्रित सभी जीव जन्तुओं एवं शक्तियों आदि का आव्हान् करके उनसे क्षमा याचना कर उनसे वृक्ष छोड़ने की प्रार्थना करना चाहिए।उसके पश्चात भली प्रकार पूजा करके शास्त्रोक्त विधि से ही उन्हें काटना चाहिये।

यदि बाजार से खरीदे काष्ठों का घर में उपयोग करते हें तो भी शुभाशुभ वृक्ष के नियमों के अनुसार देख समझ कर ही काष्ठों का चयन करना चाहिये।

उद्यान बनाने या गृह के आसपास लगाने वाले वृक्ष –

पाकड, वट, गूलर, पीपल , नागकेशर, अशोक, कटहल, शमी, मौलश्री, शाल, पूत्राग, शिरीष आदि शुभ वृक्षों को गृह के समीप लगाना चाहिये।

परन्तु गृह के लगाने वाले बड़े वृक्षों को उतनी दूरी पर लगाना चाहिए कि उनकी छाया घर पर दूसरे, तीसरे प्रहर नहीं पड़े ,अन्यथा वास्तु के अनुसार वेध अर्थात अशुभ होता है।

गृह के उत्तर में पाकड़, पूर्व में वट, दक्षिण में गूलर तथा पश्चिम में पीपल लगना शुभदायी होता है।

गृह के लिये अनुपयोगी वृक्ष –

१. काँटे वाले वृक्षों का गृह के आसपास या गृह के भीतर आन्तरिक सज्जा में मदापि उपयोग नहीं करना चाहिये। यद्यपि आजकल कैक्टस लगाने का फेशन हे परन्तु घर की सीमा में यह अत्यन्त दोषकारक है।
२. उन वृक्षों को भी घर में नहीं लगाना चाहिये जो दूध वाले हों (जिनकी शाखा या पत्तों को तोड़ने पर दूध निकलता हो)
३. फलदार वृक्षों का भी गृह के आसपास नजदीक में लगाना शुभ नहीं होता है उन्हें शास्त्रोक्त निश्चित दूरी पर ही लगाना चाहिय। ये वृक्ष बच्चो के लिये दोषकारक होते है।

अश्वत्थश्च कदम्बश्च कदली बीज पूरक:।
गृहे यस्य पुरोहन्ति स ग्रही न पुरोहित॥

जिस घर पर पीपल, कदम्ब, नींबू और केला ये वृक्ष बढते है उसमें गृह स्वाममी का विकास नहीं होता है परन्तु पश्चिम दिशा में खास दूरी पर यदि पीपल का वृक्ष लगाया जाय तो वह शुभ होता है।

१. पीपल पूर्व में, पाकड़ दक्षिण में, वट पश्चिम में तथा गूलर उत्तर में लगाना अशुभ होता है।
२. सर्पो से युक्त वृक्ष से चन्दन आदि को गृह के समीप नहीं लगाना चाहिए।
३. मालती, मल्लिा, अपराजिता ये सब वृक्ष भी गृह में शुभ नहीं कहे गये हैं।

अत: वृक्षों का चयन भी वास्तु के नियमों के आधार पर व ज्ञाता से परामर्श लेकर ही गृह की आन्तरिक व बाह्य सज्जा हेतु करना चाहिऐ।

गुरूदेव श्री निकेतन आनन्द जी गौड द्वारा सम्पादित व न्यू एज़ बुक्स् नई दिल्ली द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक sthapatya ved-vastu sastra (Ideal Homes,Colonyand Town Planning) 'स्थापत्यवेद वास्तुशास्त्र' में वृक्षायुर्वेद अध्याय में पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी–बूटियों आदि के बारें में उनके बॉटनिकल नाम व उनके उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया है जो निम्नानुसार है :–

इन पेड़–पौधों आदि के बारे में ,परम्परा से अध्ययन कर इनका मानव शरीर पर प्रभाव के बारे मे बताया है। इसका प्रभावी उपयोग बगीचे घर की योजना बनाने, ग्राम के चारो ओर लगाने तथा शहर में सार्वजनिक उद्यान बनाने व पेड़ लगाने में भी इसका उपयोग किया जा सकाता है । इन पेड़ –पौधों का वर्गीकरण, इनके उपयोग के स्थान के अनुसार किया गया है घरों में बगीचा अंदर या बायीं ओर होना चाहिए। इसमें गृहों के अंदय सा बाहर

उपयोगी पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है।

आंतरिक (Indoor plants) पौधे –

चम्पा, कंद, चमेली, बेला, निरवालिका, जति, केतकी, सफेदी गुलाब, कर्णी, वेजुअल लता, जम्बीर, बदरी, पूज, मंडप और जम्बू।

बाह्य पौधे (Outdoor Plants) –

चम्पक, अशोक, पुन्नाग, आम, तिलक, शतपतिका, बकूल धतूरा ,कमदल , साल , ताल, तवल, मम्वास, मंदार, पन्द्रुम, महुआ, चंदन, वट, अश्वत, पथ्य, शमी, ईमली, अलोक, कदम्ब , नीम , पदिम, करपुर, अगरू, कमशुक, हयासिप, नागलता, बिजूर, तिनतुकी, जलपीपल।

निवास स्थान के पास शुभ–अशुभ पड़ों के बारे में नीचे तालिका में बताया गया है कि –

पेड़–पौधे के नाम	शुभ	अशुभ	प्रभाव/स्थान
कांटेदार पेड़(Thorhy)	--	अशुभ	----- --
चम्पा,गुलाब,केला चमेली और केतकी	शुभ	---	-------
दूधिया वृक्ष, बरगद, पीपल,लालफूल युक्त पेड़,कांटेदार वृक्षा,सेमर पांकड़ व गूलर	--	अशुभ	दक्षिण पूर्व में मृत्युकारक
पुन्नाग,फालिनी,नीम धादिम,अशोक,मालती नागकेसर,जवाकुसुम,केसर जयंती,चंदन,बचा अपराति, मधुक,नागर और नारियल	शुभ	---	कहीं भी किसी भी कोने
पीपल,कदम्ब,केला सिटरस	--	---	सुख–समृद्धि का नाश
कटहल	शुभ	---	कहीं भी
सभी वृक्ष	--	---	दक्षिण
कांटेदार वृक्ष	--	---	विरोधी बनाने वाला
दूधवाले वृक्ष	---	---	स्वास्थय का भय
फूलदार वृक्ष	---	---	संतति पर प्रभाव
पीले फूलदार वृक्ष	---	---	निवास के पास अशुभ
पाकड़	---	---	उत्तर दक्षिण
बरगद	---	---	पूर्व पश्चिम
गूलर	---	---	दक्षिण उत्तर
पीपल	---	---	पश्चिम पूर्व

किसी भी प्रकार से अगर यह वृक्ष जेसे पुन्नाग, अशोक, बरगद, कटहल शमी, या साल के मध्य साथ में हो तो अशुभ नहीं है।

खाद :–

इन पेड़–पौधों को अच्छी बढत के लिए खाद एवं पानी देने के बारे में बताया है कि केलथी, उड़द, मूंग या जौ में से कोई एक के दाने पानी में उबालकर इस पानी को टड़ा करके इन पेड़–पौधों की जड़ों में देने से प्रचुर मात्रा में फल–फूल का उत्पादन होता है।

ग्राम के चारों ओर लगाए जाने वाले वृक्ष :–

गूलर,पीपलवृक्ष,बांस, ईमली, चंदन, जम्बूफल,
कदम्ब, अशोक, वकुल,बिल्व, आंवला, केत, राजदान, आम, पुन्नाग, टुड काष्ट (Tood Kastha), अनार, अखरोट, भीस्ट, शीशम, खिरनी, रक्जूर, देवकरन, अंजीर, टमल(Tamal), सिम्बल, खुड्डल (Khuldal), लवेली (Louvely), धात्री(Dhatri) कार्मुक (Karmuk)बिसोरानीबूं, बघल (Badhal), नारियल, केला आदि ।

दांतों को साफ करने के लिए उपयोगी पेड़ पौधे की टहनियाँ :-

पेड़ -पौधों के हिन्दी नाम	बॉटनिकल नाम	फायदा /लाभ/प्रभाव
विकनकटा	Gymrasporia spinosa	आध्यात्मिक प्रभाव
बिल्व	Aegalmarmalos	आध्यात्मिक प्रभाव
कश्मीरी	Gmelinaarborea	आध्यात्मिक प्रभाव
कसेमा	--"--	अच्छी पत्नी
अर्क	Calortopisgig nata	महान चतुरता/अधिकार
मधुक	Gynometra ramiftora	सदाचारीपुत्र व समृद्धि
शिरिष	Albizzialebbeck	भाग्यशाली
करंज	Pangamia Pinnata	भाग्यशाली
प्लक्सा	Ficusarnottiana	प्रचुर धन
जति	Jasminum Officinale	आदर व सम्मान
अश्वत्था	Ficus Religious	श्रेष्टता या उन्नति
बदरी	Lizybhus Jujaba	अच्छा स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु
ब्रहती	Solanum Xanthicaspum	अच्छा स्वास्थ्य एवं दर्घ आयु
खदिर	Acacia Catechu	धन व शक्ति
अति मुक्तका	Ovgeinia dalbergioides	वांछित लक्ष्य
निपा	Anthocephalus indicum	धन
काराविरा	Nerium indicus	अतिशुभ
शमी	Prospis Spicigara	अतिशुभ
अर्जुन	Terminalia arjuna	धान्य, शत्रुओं का दमन
स्यामा	Echinochola frumentacea	धान्य, शत्रुओं का दमन
साल	Shora robusta	प्रतिष्ठा
अश्वकरन	Vatica robusta	प्रतिष्ठा
देवदारू	Cedrus devadaru	प्रतिष्ठा
अतखसाका	Adhatoda Vasica	प्रतिष्ठा
प्रियंगु	Agliaia Roxburghiana	सर्वप्रिय बनाने वाला

अपमारगा	Achyranthes aspera	सर्वप्रिय बनाने वाला
जम्बू	Syzygium jambos	सर्वप्रिय बनाने वाला

अत: दातौन के लिए अच्छे पेड़ की टहनी आने वाले समय अच्छी अवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना चाहिए। आराम से बैठकर उत्तर या पूर्व में मुख कर शांत मन से दातौन कर टहनी को धोकर साफ जगह रखना चाहिए।

स्तम्भ, बीम, सिंहासन, यान, कार, रथ व दातौन के लिए उपयोगी लकड़ी

हिन्दी में नाम	बॉटनीकल नाम	उपयोगिता
खदिरा	Acacia Catechu	स्तम्भ
पुती पदापा	______________	स्तम्भ
हेम पदापा	______________	स्तम्भ
खिरनी	______________	स्तम्भ
कार्मुक	______________	उपरी बीम
वेनूरीड	______________	सीधे व लंबे बांस के साथ छप्पर
बकुला	______________	बोर्ड,फ्रेम, रथ आदि का सांचा फ्रेम्स बनाने में
अस्विनी पेन्ट्रा	______________	बोर्ड,फ्रेम,रथ आदि का सांचा फ्रेम्स बनाने में
द्राक्षा	______________	बोर्ड,फ्रेम,रथ आदि का सांचा फ्रेम्स बनाने में
रेड सेंडल	______________	बोर्ड,फ्रेम,रथआदि का सांचा फ्रेम्स बनाने में
नीम	______________	,,
चंदन	Santalum Album	,,
चापा	______________	,,
साकू	______________	,
शमी	______________	,,
दण्ड	______________	पंलग के पैरों हेतु उपयुक्त लकड़ी
क्षिरनी दूधिया वृक्ष	______________	,,
तिन्दु	______________	,,
विराला	______________	,,
साका	______________	,,
चंदन	Santalum Album	पंलग एंव शयनिक
असाना	Bridelia moutane	पंलग एंव शयनिक
स्पन्दना	______________	,,
हरिदा	Coscin Femnstratum	,,
देवदारू	Pinus devadaru	,,
तिन्दुकी	Diospyros paniculata	,,
शाला	Shora robusta	,,

कसमारी	Gmelina arborea	,,
अंजना	Moringa deifera	,,
पद्मक	Prunus cerasoides	,,
शाका	Tectona Grandis	,,
सिमसपा	Dalbergia sissoo	,,
श्री परनी	Gamalino arobarea	इसमें निर्मित पंलग से बीमारीयों का नाश
असाना	Terminalia Tomentosa	उन से बुना पंलग धन धान्य को बढानें वाला
पित्त ऑफ तिन्तूका	Diospyros paniculala	इससें निर्मित पंलग से धन धान्य बढना।
चंदन	Santalum Album	विरोधियों का नाश सुखी समृद्ध वैवाहिक जीवन दीर्घायु तक प्रसिद्धि
पद्मक	Prunus cerasoides	दीर्घ समृद्ध जीवन
साल	Shorea robusta	खुशहाली एंव समृद्धि
शाका	Tectona grandls	,,

एक राजा द्वारा चंदन की लकड़ी से स्वर्ण जड़ित पट्टियों, रत्नों से युक्त देवताओं से पूजित सिंहासन पर विश्राम पाता है। तिन्दु या सिम्सपा दूसरी लकड़ी के साथ बनी हुई शैया अच्छे परिणाम नहीं देती। देवदार व श्री वर्ण के साथ आसन बना सकतें हैं। साल, साफ व हरिद्रिका व कदम्ब अलग–अलग या साथ में उपयोंग करना शुभ है। सिर्फ आम की लकड़ी से निर्मित शैया शुभ नहीं होती क्योंकी वह जीवन का नाश करती है। एक लकड़ी के साथ दूसरी लकड़ी से बना आसन कई परेशानियाँ देता है। स्पन्दन पेड़ की लकड़ी से पैर बनाना फायदेमंद है। शयन कुर्सी फलदार वृक्षों की लकड़ी से निर्मित फायदेंमंद होती है।

स्थापत्यवेद के विभिन्न ग्रंथों नगरादि में पर्यावरण और वृक्षारोपण संबंधी उक्त वर्णित सिंद्धात बताए गए है जिसका पालन करने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता व नियोजन भी पर्यावरण हितेषी होता है।

५.१६ नगरादि में शिलान्यास, वास्तु शातिं व बलिकर्म कें सिद्धांत :-

स्थापत्यवेद के विभिन्न ग्रंथों में नगरादि में शिलान्यास वास्तुशांति व बलिकर्म के सिंद्धात बताए गए हैं जो निम्नानुसार हैं :-

मानसार के अध्याय क्र-8 बलि कर्म विधानम में बताया गया है कि भारत में भवन निर्माण ही नहीं वरन् प्रत्येक कार्य बिना देव कल्पना के प्रारंभ नहीं किया गया। भारतीय संस्कृति का मूलाधार देव-तत्व है। उस देव तत्व में देव और असुर, आर्य और अनार्य आदि प्राचीन जातियों के भी संकेत हैं। यहां का कोई भी शास्त्र बिना देव कल्पना के पढ़ने योग्य नहीं बना। यहाँ की कोई भी कला बिना 'देवी भावना' के भोग्या नहीं बनी। क्या नृत्य में (नटराज शिव), संगीत में 'नाद ब्रह्म', आलेख में जगन्नाथ के पट चित्र, वास्तु में वास्तु ब्रह्म, सर्वत्र ही देव भावना अनुभूत है। 'यही भारतीय स्थापत्य की विशेषता है।' यहाँ का भवन कर्म सनातन से धार्मिक कृत्य अथवा यज्ञ के रूप में परिकल्पित किया गया। अतएव वास्तु कर्म धार्मिक कर्म के रूप में सदैव से प्रतिष्ठित रहा है। दुर्भाग्यवश वास्तुकला का यह धार्मिक पक्ष आजकल मात्र एक पाखंड के रूप में शेष रह गया है और उसके दार्शनिक और वैज्ञानिक पक्ष का लोप सा हो गया है। गृह निर्माण में आज भी शिलान्यास किया जाता है, 'धर्म प्राण भारतीय' आज भी, मकान निर्माण से पूर्व, पण्डित, ज्योतिष के पास 'मुहुर्त' पूछते हैं। परन्तु इनके अर्थ, विधान, देन, रहस्य और उनके फलाफल, इन सब विषयों का ज्ञान भी एक प्रकार से लोप सा हो गया है। मानसार के अध्याय 8 से, हम

इसी 'विधान' का नियम (विवरण) दे रहे हैं, जिसे प्रत्येक भवन निर्माण से जुड़े व्यक्ति को जानना आवश्यक है।

<u>पदविन्यास का उपयोग गांवों/शहरों/भवनों की स्थापना पूजा में :-</u> गांवों की योजना बनाते समय, यज्ञ और आहुतियों को दिया जाना चाहिये। सर्वप्रथम भूमि को पोंछकर (साफ करके), फिर देवताओं के भूखंडों को मान्डुका (छंदिता) (8 x 8 = 64 पद) पर विन्यास 'या' परमशायिका (9X9), 81 पद विन्यास के अनुरूप करना चाहिये। ब्रह्मा एवं दूसरे देवताओं, राक्षसों को भी भेंट आदि चढ़ाना चाहिए।

उत्कृष्टवेषो बल्यर्थ रात्रौ द्रव्यान् (णि) समाहरेत्।
प्रभात दिवसे द्रव्याने (ण्ये) कैकाने (न्ये) ककन्यकः ।।[१]

अथवा गणिकाहस्ते पात्रे स्वर्णादिकान्धृता (न्)।
स्थपतिश्चैकपात्रेण धारयेद्वामके करे।।[२]

स्थपति को रात्रि से ही उपवास करना चाहिये, ओर प्रसन्न मन से अच्छे वस्त्र पहनकर पवित्र शरीर व रीति से हवन सामग्री आदि एकत्रित करना चाहिये। दूसरे दिन प्रातःकाल एक कन्या द्वारा रात्रि को एकत्रित हवन (पूजा) सामग्री, एक आरती में रखकर, सर्वाभूषणधारी गणिका से हाथ में वह थाली थामे हुए स्थपति को वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए, उन वस्तु की भेंट चढ़ाई जानी चाहिये। ये सभी दाहिने (सीधे) हाथ से समर्पित करना चाहिये। पश्चात सकल सामग्री का संमयुक्त कल्याणकारी गायत्रीवचन बोलते हुए करना चाहिये। शुभ मांगलिक वचनों के बीच ब्रह्मा और अन्य विभिन्न देवताओं को सिलसिलेवार उनका नाम लेकर प्रारम्भ में 'ओम' व अंत में 'नमः' बोलते हुए आहुतियां दी जाना चाहिये। मंदिर निर्माण के अवसर पर साधारण आहुतियां एवं ग्राम स्थापना के अवसर पर विशिष्ट आहुतियां दी जाना चाहिये। दही मिला दूध और चावल (उबले) की आहुतियां साधारण मानी जाती है। पवित्र धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण और देवताओं को भेंट की जाने वाली, अक्षत धूप धान्य आदि सामग्री युक्त आहुतियां 'विशिष्ट' की श्रेणी में आती है।

धर्म कार्य में प्रशिक्षित (वैदिक पण्डित) द्वारा 'ब्रह्मा' को पुष्पमाला, सुगंधित धूप, नैवेद्य, में, मधु, दूध, दही, मक्खन, तिल, अक्षत, अश्रुटिता अनाज, पंजीरी आदि भेंट की जाती है। उसके उपरांत 'आर्यमन' को स्वादिष्ट ऋतुफल, चंदनामृत (दूध, दही, मधु), व तिल आदि व 'विवस्वत' और 'मित्र' को भी यही भेंट चढ़ाये जाते हैं। 'महीधर (भूधर' को क्षीरादि से खीरा (गायदूध) चढ़ाना चाहिये। ये अन्दर के देवताओं की भेंट हुई। 'पर्जन्य' को महीधर (भूधर) की भांति पुष्पहार, मक्खन व पुष्पमाला व 'महेन्द्र' को शहद ओर सुगंधित द्रव्य, 'भास्कर'(आदित्य) को मधु (शहद) व इत्र व 'सत्य' को मधु भेंट करना चाहिये। 'मृष' को ताजा मक्खन, फिर 'गगन' को (अंतरिक्ष) को दूध, शुद्ध मक्खन, सेम (Bean), हल्दी पीसी हुई (टेरेमेटिक पावडर) चढ़ाना चाहिये।

इसके बाद 'अग्नि' देव को शुद्ध कच्चा दूध चढ़ाना चाहिये। 'पूषान' को पका चावल, 'वितथ' को उबला चावल, राक्षस (गृहक्षत) को साबुत (बिना पके) चावल व मक्खन 'यक्ष' (अंतका) को भेंट चढ़ता है। 'गंधर्व' को अगरू व सुगंधि (इत्र) व 'भृगराज' को समुद्री मछली, 'मृश (mrisa)' को उबले चावल और दही मिला दूध भेंट होगा। 'पितृ' को उबले चावल का निवास ओर 'दौवारिक' को तिल, 'सुग्रीव' को मिष्ठान, पुष्पदन्त को जल ओर पुष्प माला, तथा पके चावल 'वरुण' को भेंट करना चाहिये। 'असुर' की भेंट रक्त है, ओर 'शोष' को तिल चावल, 'रोग' को सुखी मछली और 'मरुत' को चावल का पिंड, काली तिल के साथ समर्पित होता है। 'नाग' की भेंट सूखा धान्य 'मुख्य 'के लिये चावल का धान्य और 'भल्लाट' के लिये उबला चावल खांड (मांड) युक्त एवं 'सोम' के लिये दूध में उबला चावल 'मृग' के लिये सूखा मांस और अदिति को मिष्ठान भेंट करना चाहिये। 'उदित' को तिलहन, पुष्पांजली, गौर, पुष्प आदि भेंट होती है। 'सवित' को उबले चावल, मक्खन, दूध, मछली एवं 'सावित्र' को गुड़, जल आदि व यही भेंट होगी 'इंद्र' को हिन्द्रज 'इन्द्रराज' को दुगा (खांड/यूसी) (सेमBean) (किडनी समान बीज) व 'रुद्र' को भेंट होगी सेमफली और 'रुद्रजय' को मांसादि। 'अपवत्स' को शुद्ध (निरमालय) चावल व आपवत्स को कमल के बीज 'या' कुमुद भेंट करना चाहिये।

१-२ मानसार/अ.-०८/४-५

पश्चात बाहरी देवताओं की भेंट चढ़ेगी, उसका विवरण इस प्रकार है :– 'पाप राक्षसी' को रक्तरंजित बकरे, घोड़े, हिरन का मांस भेंट चढ़ेगा। ओर 'बिदारी' को नमकीन भोजन और 'चरकी' को 'मुदगा' अनाज चढ़ता है।

'सुरक्षा पूजा' :– गांव आदि की सुरक्षा के लिये देवताओं की इस प्रकार पूजा की जाना चाहिये, ब्रह्मा प्रारंभ कर आप वत्स तक खंडों पर देवताओं आंतरिक याम में वे शेष देवता सदैव बाहर रहेंगे।

'गांव की सुरक्षा के लिये आपकी कृपा रहे' ऐसी प्रार्थना 'स्थपति' को बलि के इन देवताओं की करनी है। यज्ञ की प्रार्थना में 'स्थपति' को 'शिवजी' की विशेष आराधना करनी चाहिये। ताकि दुरात्माओं से बचा जा सके। यदि इस प्रकार यज्ञ संपन्न किये बगैर भूमि की योजना की जाती है तो भूमि नष्ट हो जावेगी तथा दुरात्माओं द्वारा अनेक परेशानी का उपस्थित की जावेगी। अतः उनसे बचने के लिये उपरोक्त प्रकार के हवन यज्ञ किये जाने चाहिये।

नगर, ग्राम, वास्तु, भवन निर्माता द्वारा यदि इस प्रकार शिव व अन्य देवताओं की पूजा प्रार्थना की जावेगी तो हमेशा समृद्धि, शांति, संतोष और मंगल हो सकेगा।

इसी ग्रंथ में 'गृह प्रवेश विधानम्' अध्याय में वास्तु शांति कब व कैसे करें ? यह निम्नानुसार बताया गया :–

अब नरों के लिए गृहप्रवेश लक्षण का वर्णन करते है। सभी जाति के हर्म्य (भवन) उक्त कहे अनुसार करना चाहिये। उत्तरायण व दक्षिणायण में मिथुन, धनु, कन्या व मीन के मास ये वर्जित है। प्रशस्त पक्ष, नक्षत्र व सुमुहूर्त व शुभ लग्न में जब चन्द्रमा स्थिर राशी व शुक्ल पक्ष में हो तो तब प्रवेश करें। स्थपति व स्थापक गृहप्रवेश का नेतृत्व करें। गृह के अग्र भाग में मंडप, प्रपा (Shed) या कूट (Pinnacled Structure) बनवाए। वह गृह के अग्र भाग के सामने तथा पाँच, सात, नौ हस्त लम्बा होना चाहिये तथा सोलह अथवा बारह स्तम्भ से युक्त होना चाहिये।

नाना प्रकार के वस्त्र व आभूषणों से गृह भूषित होना चाहिये। उसे गोबर से लेपित करना चाहिये। गृह के मध्यरंग का पार्श्व या ईश कोप में अंकुरार्पण स्थपति द्वारा पूर्वोक्त कहे अनुसार करें। वास्तु के मध्य में शिल्पी साधारण बलि दें। स्थपति आप (वत्स) आदि आठ प्रभु का पूजन करें। आर्यमा आदि चार देवता को स्थापक बलि दें। ब्रह्मा आदि अन्य देवता की भी विधिवत पूजा करें।

वास्तु देवता की तृप्ति के लिए वास्तु होम करें। गृह में सभी और अग्नि प्रज्ज्वलित कर शुद्ध करें पश्चात जल से संप्रोक्षण कर (छींटे देकर अभिमंत्रित करना) पुण्याह वाचन करें। पंचगव्य से स्थपति स्थापक के साथ संप्रोक्षण करें। पंचगव्य से अलग से पाद प्रक्षालन करें। विधिवत आचमन कर मण्डप में प्रेवश करें।

भूमि (पस्तर) पर शुद्ध शाली से स्थण्डिल मण्डल बनांए। (Circular mark on Square plot) नव कुंभ शुद्ध जल से भर सूत्र तथा नवीन वस्त्र से परिवेष्ट करें। वे नारियल व अन्य फल से युक्त तथा कुर्चे व पल्लव से युक्त हो। पच्चीस पद में शुद्ध तण्डुल (चावल) का न्यास करें (भरें) तण्डुल पर कुश पूर्व कहे अनुसार बिखेरें। ब्रह्मा से आरंभ कर तण्डुल कर वे नौ कलश रखे। देवताओं की प्रतिमा (विशेषतः) स्वर्ण की बनवाये, वे भिन्न भिन्न वस्त्रों से भूषित हो तथा उनकी मन्त्रों से पूजा करें। कर्ता स्वयं की पत्नि सहित उपवास रखे, शुद्ध दूध रात्रि में पिए पुनः अगले दिन उपवास रखे।

भर्ता गृहिणी सहित हाथ में हाथ लेंकर स्वंय (मुख्य) गृह स्तंभ के स्पर्श करें। उसके पश्चात देंवताओं के वाहन सहित रक्षांबधन करे। अधिवासन (Purification) दिन या रात्रि के समय करें। अंकुर स्थण्डिल पर सर्व विन्यास करें। ब्रह्मादि देवताओं का पूजन स्थपति उनके नाम के मन्त्र के पहले ॐ का तथा अन्त में नमः लगाकर करें। विद्वान मध्य कुम्भ में हृल्लेखा (The deity of one's heart), का विधि वद पूजन करें। उनको गन्ध, पुष्प, अर्ध्य, धूप, दीप अर्पण करें। उन्हें खीर, औदन, ताम्बूल आदि भी निवेदन करें। नृत्य, गीत आदि, वाद्यादि, जयजयकार, मंगल शब्दादि, गाने बजाने के मध्य अग्नि कार्य स्थण्डिल में पूर्व दिशा में करें। समिद, अज्य, (Clarified butter) चरू (Boiled rice), तिल, लाज कैश (Fried rice), इन पाँचो द्रव्यों से प्रत्येक की अट्ठाईस आहुति दें। शक्ति बीज के आरंभ में ॐ तथा अंत में स्वाहा लगाकार उच्चारण करें। पूर्णाहुति शक्ति मंत्र गायत्री से करें। अधिवासत कुम्भ के जल से अभिषेक करें।

स्थपति प स्थापक वेशमद्वार, गृह व प्रत्येक गृह, वाहन (देवताओं के) आदि पर सर्व मंगल घोष व स्वस्तिवाचन

के मध्य संप्रोक्ष्य करें। उसके पश्चात अन्य गृह मंगल विधाना नाना वस्त्र, वितान, ध्वज से संयुक्त तथा पुष्पमाला से अंलकृत करें। स्थपति उत्तम वेश में पंचांग भूषण से युक्त, सफेद चंदन से लेपित, स्वर्ण,यज्ञोपवीत धारण किए हुए, नए श्वेत वस्त्र पहिने तथा सफेंद उत्तरीय वस्त्र को धारण किए होना चाहिये।

फिर स्थपति प्रक्षालय कर सकलीकरण सब चींजो को इकट्ठा करें। धूप, दीप गन्ध, पुष्प व अक्षित सहित देवताओं को अपर्ण करें। ब्राह्मण यथाशक्ति स्वस्ति वाचन करें। यजमान अपने अनुचरो सहित जय जयकार मंगलं घोष शब्द के मध्य गृह की प्रदक्षिणा करें। गृहद्वार क़े सामने खड़े होकर अथवा प्रदक्षिणा के समय वह हाथ जोड़कर लक्ष्मी व उनके स्वामी से वर की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें।

मंत्र

हे लक्ष्मी गृहकर्तारं पुत्रपौत्रधनादिभि: ।
संपूर्ण कुरूचायुष्यं प्रार्थयामि नमोस्तुते ॥

उसके पश्चात स्थपति व स्थापक यजमान को नैवेद्य का शेष का भाग (बचा हुआ) दें। गृहप्रवेश के अवसर पर ताम्बूल सहित स्थपति, स्थापक व विशेषत: ब्राह्मण को दक्षिणा दें। स्थपति तथा अपनी पत्नी सहित चावल, दूध, पानी, नाना दिव्य भूषण, गन्ध माला वस्त्र सहित द्विज द्वारा किए जा रहें वेद घोष, गीत, नृत्य, संगीत के मध्य, छत्र, चामर, जल से भरें कलश व दक्षिणा आदि सहित अपने बन्धु सहित घोड़े, हाथी आदि पर आरूढ होकर अन्य अनुचर सहित ग्राम की प्रदक्षिणा करें। सर्व मंगल घोष के मध्य गृह में प्रवेश। बन्धु व मित्र जन सहित ब्राह्मणों को भोजन करवायें। गृह में प्रवेश के पश्चात कर्ता स्वंय अपने हाथों से वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि स्थापक अन्य को दें।

फिर स्थपति स्थापक सहित कर्ता से कहे कि :-
'युष्मभ्य: प्राप्तवान गृहम्'
इतना कहकर प्रस्थान करें।

यदि गृहस्वामी ब्रह्मा वाहन पर चढ कर शिल्पि, हाथी, घोडे, ऊँट आदि और अन्य अनुचर योद्धा , रथ चामर पक्ष आदि के साथ ढोल और अन्य वाद्य बजाते हुए गृह में प्रवेश क़रें तो बहुत शुभदायक होता है।

इसी ग्रंथ में नगरादि में 'गर्भ विन्यास' नींव भरतें समय नींव भरनें के नियमों में बताया गया है कि नींव की गहराई कम से कम अधिष्ठान (Planth) की ऊँचाई बराबर रखते हुए सात प्रकार की मिट्टी, नदी,पर्वत, वल्मीक, समुद्र किनारें, पहाड़ी के शीर्ष से तथा गाय के खुर की मिट्टी से नींव के तल को भरें तथा इसकें उपर मध्य स्थान में कमल की पूर्व में नील कमल, दक्षिण कौमुद की, पश्चिम में सौंगधी व उत्तर में कांकड़े की जड़ रखें, इसकें उपर एक आठों में धान्य, ईशान में शाली, पूर्व में बीही ,अग्नि में कोद्रव, दक्षिण में कंगु, नैऋत्य में मुदक, पश्चिम में मांश वायु में कुलुत्थ व उत्तर में तिल रखना चाहिए। इसके उपर इन्य निर्माण पदार्थ रखना चाहिए।

इसी प्रकार भवन कें अन्य अङ्गों का भी विधान बताया गया है। इसकें पश्चात् सतलीकरण मंत्रोच्चारण से देवताओं का आह्वान् व कुंभ को पंच गव्य से धोकर गंद्य, जल से भरकर सूत्र लपेटकर रखें तथा उसकें आस - पास चारों और २४ कलश भरकर सूत्र वस्त्र, पत्तियों के गुच्छों से ढंककर रखें। स्थपति स्वंय श्रेष्ठ वस्त्र व उत्तरी से अंल्कृत हो, भवन गृहस्वामी का गंध व पुष्प से पुजन करें। उपपीठ के दायीं और स्थण्डिल पद विन्यास को बनाए व सभी पद देवताओं को बताए विधान के अनुसार बलि अर्पित करें।

इसी प्रकार ग्रंथ में मनुष्यों के गृहो की नींव भरनें के नियम बताए हैं कि -

पूर्व द्रव्य तथा सभी चिह्नों से संयुक्त कर (विनिक्षेप करें)। स्वर्ण से बने हुए चक्र, कमंडल, दंड, यज्ञसूत्र (पूर्वादि से) चार दिशा में विनिक्षेप करें । स्वर्ण से बने ओम को मध्य में विनिक्षेप करें। यह ब्राह्मणों के लिए गर्भ का वर्णन किया।

क्षत्रिय के लिए स्वर्ण से बने हुए गज़, खड्ग, छात्र व चामर का चार दिशा में विनिक्षेप करें। वैश्य के लिए गर्भ में स्वर्ण से बनी तुला मध्य में तथा न कहें गए को शास्त्र के बतलाए अनुसार करें।

शूद्र के लिए गर्भ में स्वर्ण से बने हल व युग को मध्य कोष्ठ में न्यास करें। ब्राह्मण के लिए ब्रह्म की , क्षत्रिय

के लिए इन्द्रं की वैश्य के लिए कुबेर की तथा शूद्र के लिए नर की प्रतिमा गर्भ पर न्यास करें।

इसी तरह ग्राम, नगर, पुर, पत्तन आदि के गर्भ विन्यास के बारें में बताया गया है कि स्थिर वास्तु की कुक्षि में या चर वास्तु के या ग्राम के द्वार पर विन्यास के लिए गड्ढा करें।

विवर का व्यास (चौड़ाई) पुरूष के अंजलि के बराबर, जिसमें मिट्टी, जड़, जल व धान्य आदि के पूर्व के अनुसार विन्यास विन्यास करें।

यह भाजन (आधा, ग्रहण करने वाला) पाँच अंगुल से प्रारम्भ कर दो-दो अंगुल बढाते हुए तेरह अंगुल तक पाँच प्रकार का होता है।

उस पर पच्चीस या इक्यासी पद बनवाएँ। शेष पूर्वानुसार बनवाएँ तथा द्रव्यादि भी पूर्ववत रखे।

पूर्व में चाँदि का बना राज हाथी, अग्नि कोण में लोहे का बना मेष, दक्षिण में मिट्टी का बना भैंसा, नैऋत्य में रेत का बना नर, पश्चिम में चाँदी का बना ग्राह, वायव्य में लोहे का बना मृग, उार मे चाँदि का बना ऐरावत, ईशान में चाँदि का बना वृषभ एंव पूर्व कहे गए द्रव्य के साथ इनको प्रक्षिप्य करें।

यह ग्रामगर्भ का वर्णन किया। अब जलगर्भ को कहते है।

जलगर्भम्

वापी,कूप तटाक के लिए गर्भ (की चौड़ाई) को मध्य में नर अंजलि के बराबर करें।

इसी प्रकार जल संरचनाओं, तालाब, वायी, कूप आदि के लिए 'गर्भ विन्यास' के बारें में बताया है कि गर्भ की चौड़ाई को मध्य में नर अंजली के बराबर करें। इसकें पश्चात् इसमें पूर्यादि दिशा में क्रम से चांदी के बने मण्डूक, पाँच जन्य (शंख), मछली तथा कूर्म को क्रम से रखें तथा मध्य में स्वर्ण से बना हुआ कुलीर (केंकड़ा) रखें। शेष विधि उपरोक्तानुसार करें।

इसी ग्रंथ में मानसार नयनोन्मिलन (Chiselling fo the eyes) में प्रतिमा की स्थापना करने का विस्तृत विधान बताया गया है।

<u>''जबकि'' समराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) के अध्याय क्रमांक 18 में 'बलिदान विधि' में पूजा</u> की विधि और महेश्वर शिवजी के सहित सब देवताओं की भेंट और बलि का वर्णन है।

इदानीमभिधास्यामी बलिरूपविधे: क्रमम्।
येन येनार्चिता देवास्तुष्यन्ति समहेश्धरा: ॥[1]
मण्डलं वास्तुनो मध्ये गोमयेन प्रकल्पयेत्।
कलशं तत्र विन्यस्येत् सप्रसूनं सकाञ्चनम् ॥[2]

1. निर्मित भवन के मध्य में गोबर का मंडल बनाना चाहिये और पुष्प सुवर्ण सहित कलश स्थापना इसके बाद यथास्थान वास्तुदेवों की कल्पना करें व धूप पुष्पमालाओं से उनके लिये अर्ध्य-निवेदन करें।
2. मालाओं, धूपों, चंदनादि विलेपों, फलों और भोगों से 'विश्वकर्मा' का पूजन करें।
3. घी, दूध, दही से 'शिखी' भगवान स्वामी-कार्तिकेय की आराधना करें, चावल, गेहूं, उड़द आदि धान्य से 'पर्जन्य' की अर्चना करें।
4. आम, द्राक्षा और खजूर आदि से 'जयन्त' की पूजा करें। मालती, मल्लिका पुष्पों से त्रिदशाधिय 'इन्द्र' की पूजा करें। फिर संसार के नेत्र जगन्नाथ भगवान 'सूर्य' की लाल पुष्पों, लाल चंदन विलेपन धूप से पूजा करें।
5. जम्बीर, निम्बुओं, नारंगी व पीले फलों से <u>'सत्यनारायण देव'</u> की पूजा करें। इस पूजा से वे संतुष्ट होते हैं।
6. मछली, मांस से सारे प्रधान 'राक्षस' तुष्ट होते हैं और सफेद फलों व नारियलों से 'भृश' तुष्ट होते हैं। गंध, धूप से 'नभ' देव पूजा व सुगंधित पुष्पों से 'मारुत' परितुष्ट होता है।

१-२ स.स./१८/१-२

7. शहदयुक्त खीर भगवान 'पूषा' के लिये निवेदन करें और 'वितय' को मद्य-मांसयुक्त पदार्थों से निवेदन करें। महामुनि 'विवस्वत' पूजित होने पर तुष्ट होते हैं और 'गृहक्षत' छोटे-छोटे पुष्पों से पूजित होते हैं।

8. 'यम' की तुष्टि मछली-मांसयुक्त पदार्थों से होती है। विद्वान स्थपिति पुन्नाग, अगरु, धूप से 'गंधर्वों' की पूजा करें। मृगमांस से युक्त भोजनों से 'भृंगराज' और 'मृगदेव' की राज जम्बू फलों और बेलों से पूजा करें। शहद मिश्रित खीरों, मांसों व सुन्दर भातों से जिसमें कर्पूर तथा अन्य सुगंधित द्रव्य मिले हों 'पितरों' की पूजा करें। पुष्पसहित लड्डुओं, लावों से मिश्रित मांसों से विघ्नकारक 'दौवारिक' की पूजा करें।

9. गंधों, धूपों व अनुत्तम मालाओं व कंटक जाति के पुष्पों से सुग्रीव पूजा करें। यश और वीर से युक्त 'पुष्पदन्त' की सपुष्प लावों और दधियुक्त अन्न और पायसों आराधना करें। 'वैनतेय' (गरुड़) की पूजा सूकर आदि के मांसों से व महासत्व 'वरुण' की पूजा धूप और चंदन से करें। 'राहू' को मांस-युक्त भोजनों और खून से 'श्नैश्चर' तुष्ट होते हैं। माँस से तो रोगों का राजा 'क्षय' तुष्ट होता तथा 'सर्वलोक भयंकर रोग' की चर्बी से पूजा करें। सतत् दुग्ध-दान से मनुष्य वासुकि की पूजा करें और 'विश्वकर्मा' की पूजा जैसे पहले बनाई है, उसी तरह करें।

10. बुद्धिमान सफेद पुष्पों से 'भल्लाट' व दीधयुक्त अन्न से सर्वत्र 'चन्द्र' की पूजा करें। धूप-दान से 'कुबेर' और 'अदिति' की सुवर्ण तथा कमलों से पूजा करें। अर्क (अकौड़ा) और मन्दार पुष्पमाला से 'वृषभ' व अन्य देवताओं की धूप आदि से पूजा करें। इस प्रकार सब प्रकार से बलि (पूजा) विधान शांति के लिये बताया गया है।

<u>वास्तु-कृत्य :-</u> भूमि के शोधन में कर्षण (जोतने) में, साधन में, रूप-कल्पन में, गृह के प्रवेश में, अभ्युदयों में, स्कन्धाओं (छावनियों) के निवेशों में, पुर तथा ग्राम के निवेशन में तथा मंदिर 'राजप्रासाद' के निवेशनों में इन पूर्वोक्त बलियों को देवताओं को बुद्धिमान वितरण करें।

इसी समराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) ग्रंथ में 'शिलायन्स विधि' नामक अध्याय में कब, किस मुहुर्त में, किस दिन, किस प्रकार शिलायन्स करना चाहिए ,के बारें में बताया है कि –

पुण्प उत्तरायण में, मास के शुल्क पक्ष में, शुभ दिन स्थिर ग्रह वाले गुण से युक्त दिवस और करण में तिप्त अश्विनी रोहीणी में, और तीनों उत्तराओं में भी रेवती, श्रवण और हस्त में शिनान्यास का आचरण करें। स्थिर राशि के उद्य होने पर और सौम्यग्रहों और मित्र ग्रहों से अवलोकित लग्न में ठीक तरह से निमित्त शकुन होने पर और स्वस्ति तथा मंगल पाठ करते हुए हर्षित मन होकर वास्तु का निवेशन करें ।।२-४।।

प्रकृति से भद्र आकृति, शास्त्रज्ञ, पवित्र, स्नात एंव सुसमाहित स्थपति देवार्चन की क्रिया सम्पादन करके सम्पादन कर्म का आरम्भ करें ।।५।।

पूर्ण बराबर, अविकल, चौकोर, साध्वी, पहली शिला की चय विधि में विचक्षण स्थपति परीक्षा करें ।।६।।

कुम्भ, अंकुश, ध्वज, छत्र, मत्स्य, चामर, तोरण, दूर्वा, नागफल, उष्णीप पुष्प और स्वस्तिक तथा वेंदियों से वज्र के समान प्रशस्त प्रकारों से भूषित शिलाएँ कर्म हितकारक़ कही गई हैं ।।७-८।।

जो शिला दीर्घ, छोटी, विषम, आध्मात, अपैरीक्षित, दिङ्मूढ अंगहीन, हड्डी श्रगांर अथवा कंकड़ो से युक्त, खंडित, बुरी पकी हुई, फटी हुई और काली हो वह दोप भय आदि कही गई हैं ।।९-१० १/२।।

मनुष्यों के और पशुओं में घोंड़े के पद चिन्हों से चिह्नित शिला मंगल की वृद्धि करने वाली कही गई। मांसाहरी मृग और विहंगो के पादों से स्पर्श की गई शिलाओं को छोड़ दें।।१० १/२ -११ १/२।।

१. नन्दा
२. भद्रा
३. जया
४. पूर्णा

ये चारों शिलाएँ कही गई है और उन्हीं के समान

१. वाशिष्ठी
२. काश्यपी
३. भार्गवी
४. अग्नि रसी

ये क्रमश: उनकी संज्ञाए समझनी चाहिये ॥११ १/२ - १२ १/२॥

वहाँ पर प्रागुत्तर देश में वास्तु-सन्निवेश की नैर्ऋत्य दिशा में पुष्प संहित बराबर, गोचर्म- सम्मित, गंध और कलशों सहित चौकोर वेदी बनाए। आग्नेय दिशा में क्रमश: पहिले नन्दा नामक शिला का स्थापना करें और उसका अकाल मुल वाले अविकल अंग वाले, पद्य, उत्तपल एंव पल्लवों सहित सर्वोपधियों एंव हिरण्य आदि से, सुवर्ण, चांदी अथवा तांबे से बने हुए घड़ों में मन्त्रोंचारण करते हुए अभिपेचन करें। तीर्थ के बहते हुए जलों से रत्न, अक्षत और कमलों के साथ सुंगधित मांगलिक अभिषेक का प्रमाण करें ॥१२ १/२ -१६॥

गंगा, यमुना, रेवा, सरस्वती आदि से लाया गया अथवा महानदी का जल अथवा शुभ तीर्थो से लाया जल प्रशस्त कहा गया है। उसी प्रकार पर्वत वन, वेशन्त, दिवायतन जल से यथालाभ अभिषेक के लिए जल लाना चाहिये ।१७-१८॥

पुन: इस मन्त्र से इनका अभिषेक करें। "हिरण्य वर्ण, पवित्र करने वाले सुचि, और पाप का स्थान करने वाले शान्ति, श्रीयुत, मधुच्युत से जल तुम लोंगो की रक्षा करें।" इस मंत्र के द्वारा पवित्र किये हुए जल से शिला को स्नान करा कर, स्थपति गध युक्त मांगलिक पदार्थ से उस पर लेप करें। शीतल चन्दन से पूर्ण सुगन्धि को उसमें मिला कर लेप करें ॥१९-२१॥

फिर इसको लावों सहित पुष्प मालाओं के द्वारा ढक दे और धूप, मालाओं, उपहारों, दधि मांस और अक्षत आदि से तथा पुष्कन वस्त्र के जोड़ों से इष्टिका देवी की पूजा करें। शिला निवेशन के बाद तब बैठे हुए ब्राह्मणों की दक्षिणा फलों से पूजा करें। फिर कर्ता ओंकार, स्वस्ति, मांगलिक गीत और बाजा आदि से रोंमाचित होकर उन लोंगो को प्रणाम करें ॥२२-२४॥

उसके बाद वास्तोष्पति तथा भूतों के लिए बलि चढा कर उन चारों शिलाओं की अन्य चार उपशिला निवेशित करें। उनमें प्राकार तथा स्वस्तिक से अंकित दो शिलाओं की और तिसरी श्री वत्स लक्षणा और चौथी नन्द्यावतो बतायी गयी है। पूर्व और दक्षिण के कारण में, वास्तु के अंध्र प्रदेश में नन्दा को स्थापित करे और भद्रा आदि शिलाओं को दूसरें तीनों कोनों पर स्थापित करें। उन चारों के प्रतिष्ठा-मन्त्र शाश्वत एंव आरम्भ दर्शन कराने वाले इन चार मन्त्रों को ऋषियों ने गाया है। "आदिवराह के वीर्य से वेदार्थी ने अभिमंत्रित वसिष्ठ नंदीनी नन्दा को मैं पूर्व में स्थापित करता हूँ। सुमुहूर्त दिवस में निवेशित तुम हे नन्दे ! स्वामी की दीर्घ आयु और श्री वृद्धि करो। हे सर्वतो भद्रे ! तुम कल्याणदायिनी हो अत: कल्याण करो। काश्यप की प्रिय सुते ! गृह को बनाने वाले की लक्ष्मी वृद्धि करो ऐ जये! इस महात्मा गृस्वामी की विजय करेा। ऐ सम्पूर्ण चन्द्रकायन्ति वाली ! वास्तु के इस प्रदेश में तुम्हारी जय हो एवं इस यजामन का भूमि पर इन्द्र और सूर्य पर्यन्त यश बढें। ऐ पूर्णे ! यह गृस्वामी पूर्ण मनोरथ होवें।" इस प्रकार से स्वस्तिवाचक मन्त्रों से उन हिरण्यवणं वाली शिलाओं का शिलायन्स करें ॥२५-३४॥

उन हिरण्यवर्ण शिलाओं से समुद्गत पूर्व और उत्तर में प्लवन शुभ माना गया है, पश्चिम और दक्षिण में नहीं ॥३५॥

चैत्य में, भवन में, प्रकार में और पुर कर्म मे, वितान में चिति विन्यास अर्थात यज्ञवेदियों में ब्रह्मा के मन्दिर में, प्रतिमा के स्थापन में, शान्तिवेदिशों में , और मूर्ति को स्थापनाओं में याज्ञिक विधान से क्रमश: इन नन्दादि शिलाओं की तथा इष्टिकाओं की पुरोहित स्थापना करें ॥३६-३७॥

अशोक, ओर्ण, आसभ नामक महावृत साम मन्त्रों से तथा गायत्री उष्णिक, अनुष्टुप् बृहती - इन चार छन्दों से क्रमश: चारों शिलाओ का शयन करना चाहिये। फिर चतुर स्थपति रूक जाए और भित्ति का प्रमाण जान कर चारों चयों का चयन करें ॥३८-३९॥

आदिकर्म को इस प्रकार से समाप्त करना चाहिये और उसके बाद उन शिलाओ को भूतल सुस्थित और बराबर प्रतिष्ठित चलाना चाहिए, क्योंकि चलन से गृस्वामी के लिए बड़ा भय होता है और इनके कम्पन में भी बहुत बड़ा भय समझना चाहिए और इनकी स्थिरता मे स्थपति और गृह स्वामी दोंनो का बड़ा भारी मंगल

कहा गया है॥४०-४२१/२॥

पूर्व और दक्षिण में चालन से गृहस्वामी को बड़ा भय होता है, नैर्ऋत्य मे भार्या का विनाश और वायव्य में भीति, ईशान कोण में गुरू का भय, बारूण में भी वैसा ही ॥४२१/२-४३॥

इसी प्रकार स्थपित खंभो को भी नहीं चलाना चाहियें और न उनको उठावे और न हिलावे क्योंकि इन दोनों की विधि समान कही गई है। इसलिए पहिले समाहित चित्त स्थपति को शिलाओं के समान स्तम्भों का भी विन्यास करना चाहिये ॥४४-४५॥

द्वार प्राकार शाखााओं, नगरों और घरों का भी बहीं प्रभाव विहित इसलिए उसमें पूर्ण मनोभिनिवेष से कार्य करना चाहिये ॥४६॥

इस प्रकार यह शिला विन्यास विधान का यथात् हमने उपदेश किया गया। इस प्रकार के विघान करने पर वेश्म और मंदिर आदि की निप्पत्ति बिना विघ्न के पूर्ण होती है ॥४७॥

इसी ग्रंथ में 'गृहदोष निरूपण' अध्याय में विभिन्न गृहदोंषो के बारें में बताया है तथा 'गृह शांति कर्म विधि' में बताया हैं कि ठीक तरह से दिक्पालों की पूजा करके और क्रमश: शान्ति मन्त्रों के द्वारा आहुति देकर विचक्षण स्थपति स्वर्णिम घटों से कणिका का स्नान करावे। उसे सब गन्धों से अनुलिप्त कर, माला आदि से विभूषित तथा विवासित कर और मूल से मधु से लेप कर दोष- प्रशमनार्थ शान्ति के लिए उसको मूल में ही निखातन करना चाहिए ॥१-३॥

मधु, कुम्भ और अरिष्ट तथा शैवाल के साथ-साथ विधिज्ञ स्थपति श्रेष्ठ ब्रह्मणों से मांगलिक पाठ कराता हुआ पवित्र एवं प्रयतात्मा होकर उसे कणिकाओं की स्थापना करनी चाहिए। इस विधि से चारों वर्णो का कर्म विहित हैं ॥४-५॥

कर्णिका को आरोपित कर उसे फिर उखाड़ कर उसका जिस भवन में आरोप किया जाता है वह भवन पूर्णता को प्राप्त नहीं होता और वहाँ पर गृह-स्वामी विनाश को प्राप्त होता है। जिस भवन में उखाड़ कर जो लकड़ी काटी जाती है अथवा वह फिर ताड़ित की जाती है, ऐसे भवन में सब प्रकार से गृह-स्वामी का धन, धान्य नाश को प्राप्त होता है ॥६-७॥

बल्ली से निपीड़ित लकड़ी यदि प्रवेश में गाड़ी जाती है तो घोर सर्प-भय का उत्पात प्रादुर्भूत होता है। उठाने पर कणिका की सब प्राणियों के अभिघर्षण से रक्षा करनी चाहिए। नवीन कर्म में मृग तथा व्याल अशकुल कहे गए है और यदि कर्णिका का अपीड़न अथवा उसके लाये जाने के अवसर पर यदि कौवे उस पर बैठते है तो गृह-स्वामी का प्रवास कहा गया है। उसका अन्न और पान नष्ट हो जाता है। मयूर के अधिरोहण करने पर राजा उस घर को पाँच वर्ष के बाद छीन लेता है। कोकिलों के चढने पर वरांगों में दो वर्षो के बाद बड़ा भारी भय उपस्थित होता है। काकोलों के अधिरोहण से तीन वर्ष तक बड़ा भय कहा गया है। तोते के चढने में कलह आदि होते है और वह घर निष्पन्न नहीं होता। मुर्गे के अधिरोहण से अग्निभय जानना चाहिए अथवा राजा से बड़ा भय समझना चाहिए। सारिका के अधिरोहण में गृह-स्वामी की स्त्रियों का दुराचरण कहा गया है और सर्प के आरोहण में घर निष्ठा को प्राप्त नहीं होता है। कुलिङ्ग के अधिरोहण में स्त्री - पुरूष में पापाचरण आपतित होता है। कबूतर के अधिरोहण में स्त्री-पुरूष अपने से बुजुर्गो के साथ शय्यागमन करते है। विडाल के अधिरोहण में दासों का पूरा कुल निपीडित होता है और इस घर को अग्नि अथवा जल या फिर हाथी नाश करता हे ॥८-१६॥

वन के पक्षियों के द्वारा घर्षण होने पर यह फल है कि एक वर्ष के अन्दर युवकों की मृत्यु हो जाती है। मधु के आसंग में धनक्षय, उल्लू के घर्षण अथवा दर्शन में दु:स्वप्न-दर्शन तथा बालकों का मरण महा गया है। डरे हुए किसी पशु-पक्षी के निलीन होने पर उस घर को राजा छीन लेता है ॥१७-१८॥

जब अग्रभाग में कर्णगत धूम्र दिखाई पड़े तो उस घर को शीघ्र या तो अग्नि जला डालती है अथवा बिजली नष्ट कर देती है ॥१९॥

जहॉ पर गीध आरोहण करता है उसको ब्रह्मण के चरण से स्पर्श करावे और उसको सब हलों से जुतवा कर बीज बुआवे। वहाँ पर गोओं को दुहावें, शान्ति-कर्म को करावे और मेघ के बरसने पर फिर वहॉ पर गृह-निर्माण करवाना चाहिए ॥२०-२१॥

जिन-जिन घरों के अंगों में मधु संचय होता है , तदनुरूप उस अंग का वध कहा जाता है। प्रेषणी में उपद्रव समझना चाहिए। इसलिए शिखा के अग्रभाग में मुकुटों का रोपण विहित है और जब तक वह अच्छा न लगने लगे तब

तक चारों तरफ से रक्षा करनी चाहिए ॥२२-२३॥

पक्षियों के लीन होने पर कोई भी चीज प्रशस्त नहीं कही गई है। इसलिए पूर्व-प्रतिपादित उत्पाद प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए ॥२४॥

गृहों की लकड़ियों के भंग होने पर अब शान्ति-हवन कहा जाता है। इन्द्रकील, महाकूट, पृष्ठवंशोत्तर दो घर (बडहरा), रस्सी, दोनों अलिन्दपाद- इनके भंग होने पर ये उपद्रव गृह-स्वामी को मारते है। इसी प्रका तुलास्थपत्य ? कूट अथवा वेदिका, कर्णपालिका, नेत्र, कपोतपाली आदि- ये उपद्रव कुटुम्बिनी को सताते अन्वग्र, पक्षवंश, मल्लक, कूमारक, छज्जे, मृगालियॉ, परिघा, द्वार-पक्ष- ये उपद्रव भाई को मारते है। साथ संयुक्त को मारता है तथा नीचे का खम्भा नीचों को मारता है। खूंटे (स्थौण्य) अथवा प्रतिमोक- ये उपद्रव परिच्छदों (सेवक-वर्ग) का नाश करते हे। उपधी भगिनी को मारती है या परिचारकों को खतम करता है। मनुष्य का मनुष्य नाम वाले द्रव्यों से, स्त्रियों का स्त्रीनाम वाले द्रव्यों से भंग होने पर उपघात होता है और नपुंसक द्रव्यों का उपघात नपुंसक लिग वाले द्रव्यों से विहित है ॥२५-३१/१/२॥

भूलिका स्त्री-विनाश के लिए और वेधन गृह-नाश के लिए होता है। कीलें और सन्धिपालियाँ मित्रनाश के लिए कही गयी है ॥

नये घर में नई लकड़ी निर्माण को प्राप्त होती हुई अथवा निर्माणावस्था में होती है अथवा आयोज्यमान युक्त हो वह एक साल में यदि भंग होती है तो शरीर-नाश उपस्थित होता है और टूट-फुट जाता है। ऐसी अवस्था में उस घर को ब्रह्मण के आधीन करके और रत्नों से दूसरे का नक्शा खींचकर नवीन वस्त्रों से ढक कर फिर उसका भेदन प्रारम्भ करना चाहिए ॥

दग्ध, भिन्न, प्रचलित, विनत, विद्युत्-हत विंरूढ, दलित तथा सत्र आदि में सब जगह की औषधियों के स्मरण कर शान्तियाँ करानी चाहिएँ और विंधिवत हवन करके ब्रह्मणों से स्वस्त्-िपाठ कराना चाहिए ॥

जिसकी स्थूणि का टूट जाती हे उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। चन्द्रमा तथा सूर्य इन दोनों की पूजा करनी चाहिए , तब वह दोष नष्ट हो जाता है और इसी प्रकार वृक्ष लाकर उसकी प्रतिकृति बनवानी चाहिए। ऐसा करने पर गृह-स्वामी सुखी होता है। उसकी कीर्ति और आयु ध्रुव होती हे ॥

जिसका मल्लक टूट जाता है उसका पौरूष नष्ट हो जाता है। अत: इष्ट नक्षत्र में उसका प्रायश्चित करना चाहिए और उसी प्रकार का वृक्ष लाकर मल्लक की दूसरी प्रतिकृति बनानी चाहिए। ऐसा करने से वह सुखी होता है ॥

पृष्टवंश के भंग से गृहस्वामी बन्धन को प्राप्त होता है। ऐसे अवसर पर उसे कुबेर की पूजा करनी चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा करने से वह सुखी होता है और उसकी सब प्रकार समृद्धि होती हे। इन सब में ब्राह्मण के द्वारा दक्षिणा और अक्षतों से स्वस्ति-वाचन कराना चाहिए ॥

जिसका वारण टूट जाता है इस उपद्रव से ज्येष्ठ पुत्र वाधित होता है। तब पृथ्वीधर की पूजा करनी चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। उसी प्रकार का वृक्ष लाकर उसकी प्रतिकृति बनवानी चाहिए। ऐसा करने पर वह सुखी होता है और पुत्रों से बढता है ॥

यदि संग्रह टूट जाता है तो उससे कुल का ज्येष्ठ व्यक्ति वाधित होता है। अत: पितृदेवों की पूजा करनी चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा करने पर वह सुखी होता है और पितृ लोग प्रसन्न होते है ॥

जिसका खूटां टूट जाता है उसका पुत्र वाधित होता है, उसे प्रायश्चित करना चाहिए और उसी प्रकार का वृक्ष लाकर उस स्थोण्य (खूंटे) की प्रतिकृति बनवानी चाहिए। ऐसा करनें पर वह सुखी होता है और पुत्र-पौत्रों से बढता है ॥

जहाँ पर उपधी टूटती है वहाँ पर अमात्य (मन्त्री), का विनाश कहा गया है। अत: वहाँ पर इन्द्र की पूजा करनी चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए और उसी प्रकार का वृक्ष लाकर दूसरी उपधी बनानी चाहिए। ऐसा करने पर सौख्य होता है और मन्त्रियों से वह बढता है ॥

जिसका काय व्यथित होता है उसका प्रेरक (नौकर) नाश को प्राप्त होता है। अत: यक्षदेव की पूजा करके प्रायश्चित करना चाहिए और उसी प्रकार लकड़ी लाकर काय की प्रतिकृति बनवानी चाहिए। ऐसा करने पर वह सुखी होता है ओर नौकरों से बढ्ता है ॥

जिसकी तुला व्यथित होती है उसकी कुटुम्बिनी व्यथित होती है। अत: मेदिनी की पूजा करके प्रायश्चित करना चाहिए और उसी प्रकार का वृक्ष लाकर उसको सजाकर स्थापना करनी चाहिए। तदनन्तर बुद्धिमान व्यक्ति निरीक्षण करता हुआ और क्रियाओं को करावे, उसे सजाकर फिर नवीन वस्त्रों से ढक्कर ब्रह्मणों से स्वस्ति-वाचन करवाने के बाद उसकी प्रतिकृति बनवानी चाहिए। ऐसा करने पर वह सुखी होता हे और धनों से वृद्धि पाता हे ॥

कर्णिकाओं में खूंटा अथवा मालापाद के टूटने पर भवनपति इस भंग उत्पात से दु:खी होता है अत: प्रज्ञावान् शास्त्र के जानकार स्थपति को बुलाकर वास्तु-विभाग में जो देव निश्चित किया जावे, उसको आहुति देकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा करने से वह सुखी होता हे और सब प्रकार से बढता है ॥

जहाँ पर युग व्यथित होता है वहाँ पर पशु-पीड़न कहा गया है। अत: ईशानदेव की पूजा करके प्रायश्चित करना चाहिए और उसी प्रकार का वृक्ष लाकर युग की प्रतिकृति बनवानी चाहिए। ऐसा करने पर उसको सुख और पशु-वृद्धि प्राप्त होती हे ॥

तुला अथवा...(?) पाद जिसका टूट जाता है उसका फल आयु-हानि कही गयी है। ऐसी दशा में बलदाउ जी की पूजा करनी चाहिए और प्रायश्चित करने के बाद उसकी प्रतिकृति का निर्माण करना चाहिए । इस शान्ति-कर्म से वह कुटुम्बी सुखी होता है ॥

नवीन कर्म में जिसका माहेन्द्र नामक द्वार नष्ट हो जाता है उसे इन्द्रदेव की पूजा करके प्रायश्चित करना चाहिए। गृहक्षत नामक द्वार के नष्ट होने पर यम की पूजा करनी चाहिए। पुष्पदन्त नाम के द्वार के बिगड़ जाने पर वरूण की पूजा करनी चाहिए। नवीन कर्म में जिकस भल्लाट नामक द्वार बिगड़ जाता है, वहाँ चन्द्रमा की पूजा करके प्रायश्चित करना चाहिए। अत: इस शान्ति को करने से कुटुम्बी सुखी होता हे ॥

जिस स्थूणाराज का अग्रभाग दाहिनी तरफ टेढा हो जाता है, वहाँ पर शरीर निश्चय प्रतिवर्ष व्यथा को प्राप्त होता है। पीछे से दीर्घशोक, उत्तर से धन-क्षय , पूर्व से राज-दण्ड अत: उसको सीधा बनाना ही प्रशस्त कहा गया है।

जिस वेश्म के चार अंग-तुला, पृष्ठवंश, धारणी अथवा उत्तराम्बर बिगड़ते है तो वहाँ पर पहले कहे गये पूजा-विधान के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा करने से उसे धन्य, मांगलिक, षुष्टिदायक सन्तान वृद्धि करने वाला कहा गया है।

इस प्रकार से गृह-सम्बन्धी निंमित्तों को जानकर और पूर्वोदिष्ट सब शकुनों को जानकर अलग-अलग पूर्व-प्रतिपादित शान्ति-विधान करता हुआ गृहपति कीर्ति, सुख, धन और आयु को प्राप्त करता है ।

वास्तु सारणी ग्रंथ में बताया गया है कि –

वशिष्ठोक्तत्रिविध प्रवेशमाह-
अपूर्वसंज्ञ: प्रथम: प्रवेशो यात्रावसाने च सपूर्वसंज्ञ:।
द्वन्द्वह्वायश्चाग्निभयादिजातस्त्वेव प्रवेशस्त्रिविध: प्रदिष्ट: ॥

नवीन गृह में प्रथम प्रवेश को अपूर्वसंज्ञक प्रवेश कहते है और यात्रा के अन्त्य सपूर्वसंज्ञक प्रवेश कहते हैं, अग्नि के भय से जो गृह भस्म भया हो उसके छादनादि करने के बाद जो प्रवेश करे उसका द्वंद्व नाम है। इस प्रकार से प्रवेश तीन प्रकार के होते है ॥१॥

तथा वास्तशास्त्रे-

वधूप्रवेश दिन में प्रशस्त नहीं है, रात्रि में राजप्रवेश प्रशस्त नहीं है, और गृह प्रवेश दिन रात्रि दोनो में सुन्दर कीर्ति देने वाला हे इस प्रकार त्रिविध प्रवेश है ॥२॥

रामोक्तगृहप्रवेशशुद्ध्यादिकम् –

राजा की यात्रानिवृति में और नूतन गृह में प्रवेश का मुहूर्त गुरू शुक्र के अस्तादि दोषरहित उत्तरायण सूर्य में ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन और वैशाख मास में शुभ है (कार्तिक मार्गशीर्ष मध्यम है और किसी के मत से श्रावण भी मध्यम है) गृहद्वार जिस दिशा में हो उस दिशा के नक्षत्रों में से मृदु (मृ.चि.अनु.रे) ध्रुव (तीनों उत्तरा रोहिणी) संज्ञक इन ८ नक्षत्रों में स्थिर राशि में गृहप्रवेश शुभ है। वह स्थिर राशि गृहकर्ता के जन्मराशि से उपचय ३।६।१०।११। वीं राशि होना ही अपूर्व सपूर्व गृह प्रवेश करना शुभप्रद है ॥३॥

वशिष्ठोक्तमासफलम्–

माघ में प्रथम गृहप्रवेश करने से धन का लाभ, फाल्गुन में पुत्र का तथा अर्थ का लाभ, चैत्र में अथ की हानि वैशाख में धन धान्य का लाभ और ज्येष्ठ में पशु पुत्र का लाभ होता है ॥४॥

गृहरम्भ के कहे हुए मास नक्षत्र बार में सौम्यायन में (पत्थर व मट्टी के) गृह में प्रवेश करना शुभ है, तृण के गृह में सर्वदा प्रवेश करना शुभ है ॥५॥

त्रिविधप्रवेशे विशेष:–

त्रिविध प्रवेश में जिस नक्षत्र पर पापग्रह हो वह और जो नक्षत्र पाग्रह से विद्ध हो वह त्याज्य है, शुक्लपक्ष में प्रवेश करना निरन्तर वृद्धि के हेतु है परन्तु कृष्णपक्ष में दशमी तिथि तक प्रवेश करना शुभ है ॥६॥

पुष्य धनिष्ठ मृदुसंज्ञक स्वाती मूल स्थिर संज्ञक अश्विनी श्रवण शत भिषा हस्त इन नक्षत्रों में गृह प्रवेश करने से विशेष सम्पूर्ण वस्तुओं से युत पुत्र–पौत्र से समन्वित चिरकाल तक रहता है ॥७॥

तीनों उत्तरा रोहिणी मृगशिरा रेवती धनिष्ठा शतभिषा पुण्य चित्रा स्वाती अनुराधा और हस्त नक्षत्र में गृहप्रवेश करना शुभप्रद है ॥८॥

लग्नफलम्–

मेष लग्न में प्रवेश करने से यात्रा, कुम्भ में रोग, मकर में धान्यहानि, कर्क में नाश, शेष लग्न में शुभ होता है ॥९॥

लग्न:–

जन्मलग्न से द्वादश राशिगत गृहप्रवेश लग्न का फल यो है यदि जन्म की राशि प्रवेश लग्न का हो तो रागनाश, द्वितिय होय तो धननाश, तृतीय हो तो वित्त, चतुर्थ हो तो बन्धुनाश, पंचम हो तो पुत्रहानि, षष्ठ हो तो शत्रुनाश, सप्तम हो तो स्त्रीनाश, अष्टम हो तो प्राणनाश, नवम हो तो पिटक रोग, दशम हो तो कार्यसिद्धि, एकादश हो तो धनलाभ और द्वादश हो तो नाश होता है ॥१०–११॥

वास्तुपूजासु राम:–

गृहप्रवेश के पहिले मृदु (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा) ध्रुव (तीनो उत्तरा रोहिणी) क्षिप्र (हस्त अश्विनी पुष्य अभिजित्)चर(स्वाती पुनर्वसु श्रवण धनिष्ठा शतभिषा) तथा मूल नक्षत्र में वास्तुपूजा और बलि करना शुभ है ॥

पृवेशे लग्नशुद्धिस्तत्र राम:–

गृहप्रवेश में लग्नशुद्धि कहते है कि त्रिकोण ५।९ केन्द्र १।४।७।१०। धन २ आय ११ त्रि ३ रे भाव में शुभ ग्रह होय, और ३।६।११ वें पापग्रह होय, चतुर्थ अष्टमभाव ग्रह से रहित हो जन्मलग्न तथा जन्म राशि से अष्टम लग्न न हो तथा सूर्य मंगलवार रिक्ता ४।९।१४ तिथि चर १।४।७।१० लग्न तथा अंश, अमावसतिथि और चैत्र का महीना न होय भकूट शुद्ध होय तब कलश में जल भर कर ब्रह्मण को आगे करके गृह में प्रवेश करे ॥१२–१३॥

वामगतरविज्ञानं तिथिपरत्वेन पूर्वाभिमुखं गृहप्रवेशमाह–

वामसूर्यविचार– प्रवेश लग्न से जो अष्टम स्थान है उससे ५ स्थान पर्यन्त पूर्व मुख द्वारवाले गृह को वाम सूर्य होता है , पंचम स्थान से पाँच स्थान नवपर्यन्त दक्षिण मुख द्वार गृह में प्रवेश को वामसूर्य होता है, द्वितीय स्थान से ५ स्थानों में सूर्य हो तो पश्चिम मुख गृह में, एवं एकादश स्थान से ५ स्थानों में सूर्य हो तो उत्तर मुख में प्रवेश को वाम रवि होता है। चक्र से केवल ४ संक्रान्ति के सूर्य का उदाहरण दिया है ज्येष्ठ में मिथुनार्क होने पर तथा श्रावण कार्तिक मार्गशीर्ष में विचार ले । पूर्ण तिथि (५।१०।१५) में पूर्ण मुखकेगृह में । नन्दा तिथि (१।६।११) में दक्षिणा गृह में, भद्रातिथि (२।७।१२) में पश्चिम गृह में और जया तिथि (३।८।१३) में उत्तर मुख के गृह में प्रवेश शुभ है ॥१४॥

दिशा	पूर्वमुख के गृह में	दक्षिणमुख के गृह में	पश्चिममुख के गृह में	उत्तरमुख के गृहमें
मेष के सूर्य में	२।३।४।५।६	५।६।७।८।९	८।९।१०।११।१२	११।१२।१।२।३
वृष के सूर्य में	३।४।५।६।७	६।७।८।९।१०	९।१०।११।१२।१	१२।१।२।३।४
मकर के सूर्य में	११।१२।१।२।३	२।३।४।५।६	५।६।७।८।९	८।९।१०।११।१२
कुंभ के सूर्य में	१२।१।२।३।४	३।४।५।६।७	६।७।८।९।१०	९।१०।११।१२।१

रामोक्तगृहप्रवेशे कुम्भचक्रम:-

कलश चक्र इस प्रकार है कि सूर्य नक्षत्र से १ कलश के मुख का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करने से अग्निदाह होता है, बाद ४ नक्षत्र कलश के पूर्व में देय उसमें प्रवेश करने से उद्वास, वाद ४ नक्षत्र कलश के दक्षिण में देय उसमें प्रवेश करने से लाभ, फिर ४ नक्षत्र कलश के पश्चिम में देय उसमें प्रवेश करने से लक्ष्मी प्राप्ति, फिर ४ उत्तर में देय उसमें प्रवेश करने से कलह होता है , फिर ४ नक्षत्र कलश के गर्भदेय उसमें प्रवेश करने से उसका फल विनाश है, फिर ३ नक्षत्र गुदा में देय उसमें प्रवेश करने से स्थिरता, इसके बाद ३ नक्षत्र कंठ में देय उसमें प्रवेश करने से सर्वदा स्थिरता प्राप्त होती है ॥१५॥

सूर्य के नक्षत्र	अ.	भ.	कृ.	रो.	मृ.	उ.षा.	श्र.	ध.	श.	पू.
गृहप्रवेश नक्षत्र	उ.फा उ.भा. रे.	उ.फा चि. उ.भा. रे.	उ.फा चि. उ.भा. रे.	उ.फा चि. उ.भा. रे.	उ.फा चि. उ.भा. रे.	उ.भा. रे. रो. मृ. अनु.	रे. रो. मृ. अनु.	रो. मृ. अनु. उ.षा.	रो. मृ. उ.षा.	रो. मृ. उ.षा.

अन्य किसी के बनाये वा स्वनिर्मित पुराने गृह में तथा स्वनिर्मित नूतन गृह में अग्नि बिजुली राजभय आदि से नष्ट हो गया उसको अच्छी तरह छाय कर उसमें गृह प्रवेशोक्त मास नक्षत्रों में और किसी के मत से मार्गशीर्ष कार्तिक श्रावण मास में तथा शतभिषा पुष्य स्वाती धनिष्ठा नक्षत्र में भी प्रवेश करना श्रेष्ठ है इसमें अस्तादिक का विचार नहीं है १॥६॥

नारद:-

बिना किवाड़ का बिना छाया हुआ और जिसमें हवन दिक्पालादि का बलि ब्राह्मण भोजन न भया हो ऐसे गृह में प्रवेश न करे, क्योंकि वह गह विपत्ति की खान है॥१७॥

बहुत पुष्प तोरण से जल से पूर्ण कलश शोभित करके गंध पुष्प नैवेद्य से देवता को पूजित कर "आनोभद्रा:" इत्यादि वेदध्वनि से युत गृह में प्रवेश करे ॥१८॥

गृहकर्ता स्त्री के सहित गृह प्रवेश के समय गणेशादि के पूजा के बाद गों ब्राह्मण कुमारी कन्या की प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण के साथ कलश हाथ में लिये गृह में प्रवेश करे ॥१९॥

श्रीपतिभाषितगृहप्रवेशान्यकृत्यानि-

गृहप्रवेश करने के बाद राजा (यजमान) ब्राह्मण मित्र पुरोहित कारीगर मकान के पिण्ड दिक्साधन आदि करने वाले ज्योतिषी कर्मकाण्डी सन्त को और पुरवासियों को भी धन रत्न पशु (हाथी घोड़ा गाय बैल भैंस) देकर प्रसन्न करें शिल्पज्ञदैवज्ञविधिज्ञपौरान् राजार्चयेद्भूमिहिरण्यवस्त्रैः इससे भूमिदान वस्त्रदान से भी प्रसन्न करना उचित है ॥२०॥

तथा कश्यप :-

इस प्रकार ज्यौतिषी के कहे हुए योग में शास्त्रोक्त विधि से जो गृह में प्रवेश करे वह शरीर सुख को भोगता है ॥२१॥

वृहत्संहिता ग्रंथ में प्रेतिमा प्रतिष्ठान के बारे में बताया गया है कि :अधिवासन मण्डप का विधान-

चार तोरणों से युत, प्रशस्त वृक्ष के पत्रों से आच्छादित अधिवासन (संस्कारविशेष)का मण्डप बनावे। मण्डप के पूर्व भाग में अनेक वर्ण की पुष्पमाला और पताका लगावे। तथा अग्निकोण में लाला, दक्षिण और नैर्ऋत्य कोण में काली, पश्चिम में सफेद, वायव्य कोण में पाण्डुर (कुछ सफेद), उत्तर में अनेक वर्णवाली और ईशान कोण में पीली पुष्पमाला और पताका लगावे ॥१-३॥

काष्ठ आदि की प्रतिमा का फल-

लकड़ी और मिट्टी की प्रतिमा आयु, श्री, बल और विजय देती हे। मणि की प्रतिभा लोगों के हित के लिये होती है। सोने की प्रतिमा पुष्टि को देती हे। चाँदी की प्रतिमा यश को करती है। ताँबे की प्रतिमा सन्तान की वृद्धि करती हे। पत्थर की प्रतिमा या शिवलिङ्ग अत्यधिक भूमि का लाभ कराते हैं। यहाँ पर काश्यप-

यार्चा मृदारूसम्भूता सायु:श्रीबलदा मता। सौवर्णी पूष्टिदा ज्ञेया रत्रजा हितकारिणी।
राजती कीर्तिदा ज्ञेय ताम्रजा जनवर्धिनी। महत्करोति भूनलाभं यार्चा पाषाणनिर्मिता ॥

किसी प्रकार की कील से पीड़ित प्रतिमा ,प्रधान पुरूष और सन्तान का नाश करती है। तथा किसी प्रकार के गड्डे से युत प्रतिमा रोग, उपद्रव और मृत्यु को करती है।

यहाँ पर काश्यप-

यार्चा शंकूपहता सा तु प्रधानकुलनाशिनी। छिद्रेणोपहता या तु बहुदोषकरी मता ॥६॥

प्रतिमापूजन प्रकार-

अधिवासन मण्डप के मध्य में बनाये हुये स्थण्डिल को लीप कर उस पर रेत और रेत के उपर कुशा बिछा कर उसके उपर प्रतिमा को सुला दें। प्रतिमा का शिर राजा के आसन पर और पाँव को तकिये पर रक्खे ॥७॥

पाकर, पीपल, सिरस और बढ के पत्तो के काढे से। मङ्गल संज्ञक (जया, जयन्ती, जीवन्ती, जीवपुत्री, पुनर्नवा, विष्णुक्रान्ता और लक्ष्मणा) सर्वौषधियों से। हाथी और घोड़े से उखाड़ी हुई, पर्वत की, वल्मीक की, नदियों के सङ्गम स्थान की और कमल युत सरोवर की मिट्टियों से। पंचगव्य युत तीर्थ के जल से तथा सुवर्ण और रत्रों के जल से पूर्व दिशा में शिर है जिसका ऐसी प्रतिमा को स्नान करा कर सुगन्ध द्रव्य, अनेक प्रकार के तुरही आदि वाद्य पुष्याहवाचन और वेद्ध्वनियों से पूजा करें ॥८-१०॥

मुख्य ब्राह्मणों के द्वारा पूर्व दिशा में इन्द्र के और अग्नि कोण में अग्नि के मन्त्र जाप करावे। बाद यजमान उन ब्राह्मणों का दक्षिणा आदि से पूजन करे ॥११॥

जिस देवता की प्रतिष्ठा होती हो उस देवता के मन्त्रों से ब्राह्मण के द्वारा हवन करावे। इन्द्रध्वजाध्याय में अग्नि के शुभाशुभ लक्षण हमने कहे हैं। यदि हवन के समय अग्नि धूमयुत हो, उसकी ज्वाला वामावर्त क्रम से घूमती हो, बार-बार शब्द करती हो या उसमें चिन्गारी उड़ती हो तो शुभ नहीं होता है। तथा यदि हवन करने वाले की स्मृति का लोप हो जाय या प्रसर्पण हो जाय(जहाँ पहले बैठा हो वहाँ से सरक जाय) तो शुभ नहीं होता है ॥१२-१३॥

प्रतिष्ठता करने वाला पुरूष स्नान कराई हुई, वस्त्र पहनाई हुई, भूषण पहनाई हुई, पुष्प और सुगन्ध द्रव्यों से पूजी हुई प्रतिमा को सुन्दर बिछी हुई शय्या पर स्थापित करें ॥१४॥

सोई हुई प्रतिमा को गीत, नृत्य और जागरण के द्वारा अधिवासन करके दैवज्ञों के द्वारा प्रतिपादित मूहूर्त में उसकी प्रतिष्ठा करें ॥१५॥

उस प्रतिमा का पुष्प, वस्त्र , चन्दन और सुगन्ध द्रव्यों से पूजन करके शंख और तुरही के शब्दों के साथ अधिवासन मण्डप से प्रदक्षिण क्रम से प्रसाद के अन्दर प्रवेश करायें। बाद वहाँ पर अनेक प्रकार की बलि देकर

वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्यजनों का पूजन करकें, सोने का टुकड़ा देकर पिण्डिका के गड्ढे में प्रतिमा का स्थापन करें। प्रतिष्ठा करने वाला मनुष्य ज्यौतिषी, सम्य मनुष्य, कारीगर इन सवों का विशेष रूप से पूजन करें। इस तरह करने वाला मनुष्य इस लोक में कल्याणों का भागी होता है और परलोक में स्वर्ग पाता है ॥१६-१७॥

प्रतिमा प्रतिष्ठापन के अधिकारी –

विष्णु की प्रतिष्ठा वैष्णव, सूर्य की प्रतिष्ठा मगब्राह्मण, शिव की प्रतिष्ठा भस्म लगाने वाले ब्राह्मण, मातृकाओं की प्रतिष्ठा मण्डल क्रम जानने वाले ब्राह्मण, ब्रह्मा की प्रतिष्ठा ब्राह्मण, जितेन्द्रिय बुद्ध की प्रतिष्ठा रक्तपटधारी और जिन की प्रतिष्ठता दिगम्बर क्रिया करें ॥१९॥

प्रतिष्ठा का समय –

उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष मे, चन्द्र और गुरू के षड्वर्ग में, स्थित लग्न में, स्थिर नवांश में, शुभग्रह पंचम, नवम, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान में हों, पापग्रह तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश में हो, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, श्रवण, पुष्प और स्वाती नक्षत्रों में मंगल को छोड़कर शेष दिन में और प्रतिष्ठा करने वाले के शुभ करने वाले समय में देवता का स्थापन शुभ हे ॥२१-२१॥

उपसंहार में आचार्य का वक्तव्य–

यह संक्षेप में सामान्य रूप से प्रतिमा का प्रतिष्ठान विधान मैंने कहा है। सूर्य की प्रतिमा का अधिवासन और प्रतिष्ठान विधान सौर शास्त्र में अलग ही कहा है ॥२२॥

'वास्तु माणिक्य रत्नाकर' में 'वास्तुकर्म सर्वस्वम्' अध्याय में ग्रहों की स्थिति के अनुसार कब, कैसे व किन मंत्रों के साथ शिलायन्स किस प्रकार करें यह सविस्तार बताया गया है। इसी प्रकार 'देहली न्यास' व 'गृह प्रवेश' अध्याय में देहली पूजन व गृह के पूजन के मंत्र आदि बताए गए है।

'वास्तु राजवल्लभ' ग्रंथ में वास्तु पूजा के बारें में बताया है कि–

प्रसाद में, घर में, तालाब में, कुंआ बाबड़ी बनवाते समय, बाग में वृक्ष रोपते समय, जीर्णोद्वार नगर, यज्ञ आदि कार्य के आरंभ में तथा समाप्ति पर वास्तु पूजन करे तो सुख हो, न करे तो हानि होती है। यह वास्तु पुरूष औंधा है, दोनो पैर, नैर्ऋत्य कोण में एक साथ जुड़े, मस्तक ईशान कोण में हाथ व पैर की संधिया अग्नि व वायव्य कोण में हैं ॥२॥

इंद्रवजा–

उपर कहें समय, क्षेत्र के आकर में वास्तु पूजन करे। एक हजार पद तथा साधारण कर्म में चौंसठ या इक्यासी पद में वास्तु पूजन करें ॥३॥

शार्दूलविक्रीडित–

ग्राम, नगर, राजमंदिर में चौंसठ पद, घर में इक्यासी पद, जीर्णोद्वार में उनपचास पद, सब प्रकार के प्रसाद, मंडप में सौ पद, कुंआ, तालाब, बाबड़ी, वन में १६९ पद का वास्तु पूजे ॥४॥

वास्तु पुरूष के मस्तक पर 'महादेव' की दोनों कानों पर 'पर्जन्य' तथा 'दिति' की, गले पर 'आपदेव' की, दोनों कंधों पर 'जय' व 'अदिति' की दोनों स्तन पर 'अर्यमा' तथा 'पृथ्वीघर' , हृदय पर 'आपवत्स' की, दाहिनी बाहु पर 'इन्द्र', 'सूर्य', 'सत्य', 'भृश', व 'आकाश' की, बाई बाहु पर 'नाग', 'मुख्य', 'भल्लाट', 'कुबेर' व शैल की दाहिने हाथ पर 'सवित्र' व 'सविता' की तथा बांये हाथ पर 'रूद्र' व 'रूद्रदास' की, साथल पर मृत्यु व मैत्र की, नाभि के पीछे 'ब्रह्मा' की, उपस्थ पर 'इन्द्र' और 'जय' की, घुटनों पर 'अग्नि' व 'रोग' की, तथा पग में पूषा आदि (पूषा, वितथ, गृहक्षत, यम, गंधर्व, भृंग, मृग) तथा नंदीगण आदि (नंदी, सुग्रीव, पुष्य, वरूण, असुर, शेष, पापयक्ष्मा)तथा दोनों पैर की एड़ी पर पितृ देवता की स्थापना करे ॥५-६॥

इंद्रवजा व उपजाति –

ईशान कोण में 'महादेव' की तथा पूर्व दिशा में तथा बचे हुये सात भागों में 'पर्जन्य', 'जय', 'इन्द्र', 'सूर्य', 'सत्य', 'भृश' व आकाश अग्निकोण में अग्नि तथा दक्षिण दिशा में पूशा, वितथ, गृहक्षत, यम, गंधर्व, भृंग व मृग, नैर्ऋत्य कोण पितृदेव देव की तथा पश्चिम में नदी, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरूण, असुर, शेष व पापयक्ष्मा, वायु कोण में रोग की तथा उत्तर दिशा में नाग मुख्य, भल्लाट, कुबेर, शैल, अदिति व दिति की स्थापना करे। इसी

अनुक्रम से बाहर के बत्तीस पदों में देवताओं की पूजा करें। तथा मध्य के पदों में तेरह देवताओं का पूजन करें ॥७-८-९॥

इंद्रवजा–

उपर के पदों से नीचे पूर्व दिशा में आर्यमा, दक्षिण में विवस्स्वान, पश्चिम में मैत्र तथा उत्तर में पृथ्वीघर तथा मध्य के सब पदों में ब्रह्मा का पूजन करना ॥१०॥

ईशान कोण में आप व आपवत्स तथा अग्निकोण में सवित्र व सविता, नैर्ऋत्य कोण में इंद्र व जय, वायु के रूद्र व रूद्रदास को पूजना चाहीये॥११॥

उपजाति–

मंडल के बाहर ईशान कोण में चरकी की, अग्निकोण में विदारिका की, नैर्ऋत्य कोण में पूतना की तथा वायव्य कोण में पाप की पूजा शास्त्रोक्ति विधि से करें ॥१२॥

शार्दूलविक्रीडित–

चौसंठ पद वास्तु में ब्रह्मा के चार पद आर्यमा आदि चार देवताओं के चार–चार पद, कोणों के आठ देवताओं के दो–दो पद तथा बाहर कोणों में आठ देवताओं के आधा–आधा पद एवं बाकी देवताओं का एक–एक पद कहा है। इक्यासी पद वास्तु में नौ पद ब्रह्मा के, आर्यमा आदि देवताओं के छः–छः पद कोण में, आठ देवताओं के दो–दो पद तथा बाहर, कोण में आठ देवताओं के आधा–आधा पद एवं बाकी देवताओं का एक–एक पद कहा है॥१३॥

उपजाति

सौ पद वास्तु में, सोलह पद ब्रह्मा में, आर्यमा आदि देवताओं में आठ–आठ पद, ब्रह्मा में बाहर के कोण आठ देवताओं के दो–दो पद तथा बाहर कोण के आठ देवताओं में डेढ–डेढ पद एवं बाकी देवताओं का एक–एक पद होता है॥१४॥

इंद्रवजा–

१४४ पद वास्तु में २४ पद का ब्रह्मा, आर्यमा आदि चार देवताओं के ग्यारह–ग्यारह पद तथा कोण के आठ देवताओं के डेढ–डेढ पद बाकी देवताओं के दो–दो पद हैं। इस वास्तु को रथशाला, अश्वशाला, गजशाला, यानशाला, (पालकीशाला) और जलयंत्र में पूजें ॥१५॥

इंद्रवजा–

१६९ पद के वास्तु में २५ पद कें ब्रह्मा, आर्यमा आदि चार देवताओं के दस–दस पद तथा बाहर के देवताओं के (ईश, अग्नि, पितृ, रोग) चार–चार पद भद्र के चार (सूर्य, यम, वरूण, सोम) देवताओं के छः–छः पद तथा बाकी देवताओं के दो–दो पद कहे हैं ॥१६॥

१९६ पद के वास्तु में ३२ पद के ब्रह्मा, आर्यमा आदि चार देवताओं में बारह–बारह पद, कोण में आठ देवताओं के दो–दो पद, बाहर में आठ कोण में देवताओं के डेढ–डेढ पद, आठ देवताओं के तीन–तीन पद, आठ देवताओं के दो–दो पद, और आठ देवताओं के छः–छः पद कहे हैं ॥१७॥

४९ पद वास्तु में चार पद ब्रह्मा में, आर्यमा आदि के चार देवताओं के तीन–तीन पद आठ देवताओं के नौ पद में, कोण में आठ देवताओं के आधे–आधे पद तथा बाकी चौबीस देवताओं को बीस पद में स्थापित करें। एक देव के लिए एक पद के छः भाग करे, पांच भाग में एक देवता की स्थापना कंरे तथा चौबीस देव के लिय बीस पद के १२० भाग करें, और पांच–पांच अंश में देवताओं की स्थापना करें।

घर की भूमि में चौसंठ भाग करके उस पर वास्तु पुरुष की कल्पना करे, वास्तु पुरूष की संधि भाग पर बुद्धिमान पुरूष भित्ती (दीवार), तुला (बीम) स्तंभ नहीं बनवाना ॥१८॥

उपजाति–

घर के चौसठ भाग करके चार कोनों में दो रेखा करे, इनके अंशों में ब्रह्मा के चार पद आठ सूत्र जहां इकट्ठे होते हे वहां कमल होता हैं। उस कमल को पीड़ित न करे, उस पर दीवार, तुला, स्तंभ बनवायें तो घर के मालिक तथा धन का नाश होता है ॥१९॥

घर की भूमि के चौबीस भाग करे, षट्कोण बनावें। षट्कोण के आधे पद के उपर स्तंभ हो तो बालक का नाश तथा वज्र आकृति के उपर दीवार या स्तंभ हो तो मरण एवं त्रिशूल उपर स्तंभ के भित्त हो तो शत्रु का भय उत्पन्न

होता है ॥२०॥

उपजाति–

पहले भूमि का परीक्षण करे फिर भूमि पर पंचगव्य (गाय का घी, दूध, दही, मूत्र, गोबर) छिड़के फिर सुवर्ण, मणि, प्रवाल या आटे से चौकोर से रेखा बनावे ॥२१॥

इंद्रवज्रा–

३२ खड़ी तथा आड़ी रेखाओं से एक हजार चौबीस पद बनावें, क़ोने के छ:–छ: पद छोड़ने से एक हजार पद का वास्तु होता है, जो सर्वोत्तम हैं ॥२२॥

शालिनी–

एक हजार पद में वास्तु में मध्य में सौ पद में ब्रह्मा पूजे, इस ब्रह्मा में चारों ओर में दस–दस पद का मार्ग रखें अर्थात् चारों तरफ के चालीस पद खाली रखें, आर्यमा आदि चार देवताओं को अस्सी–अस्सी पद में पूजें, मध्य कोण में आठ देवताओं को इक्कीस–इक्कीस पद में पूजें ॥२३॥

उपजाति–

बाहर के कोणों के चार देवताओं को नौ–नौ पद में पूजे। बाकी देवताओं को आठ–आठ पद में पूजे, बाहर का मार्ग चारों तरफ छब्बीस–छब्बीस पदों का, और चारों दिशाओं के कोण में दो–दो पद खाली रहें, ऐसे ११२ पद होते हैं ॥२४॥

एक हजार पद का वास्तु, किले की प्रतिष्ठा में, नगर बसाने में, बड़ी पूजा में, करोड़ आहुति देते समय, मेरू प्रसाद, देश, बसाहट के समय तथा बड़ें लिंग की स्थापना के समय पूजें ॥२५॥

घर का ईशान कोण में एक हाथ का चतुरस्त्र कुण्ड बनवावें, कुंड तीन मेखलाओं वाला बनवावें। उस कुंड में प्रत्येक देवता को १०८ अथवा २८ आहुति देवें ॥२६॥

मधु, घी, दूध, दही, शक्कर, काला तिल, ब्रीही तथा जौ इन नौ पदार्थो से हवन करें। पलाश दूर्वा के अंकुर, दूध वाला वृक्ष, पीफ्ल, गूलर इत्यादि समिधा से होम कर देवताओं का पजून करें ॥२७॥

वसंततिलका, इंद्रवज्रा, शार्दूलविक्रीडित व उपजाति–

ईशान कोण में घी और खिचड़ी (अन्न), पर्जन्य में चावल और घी, जय में हरा रंग का वस्त्र और आटे का कछुआ, इन्द्र को आटे का वज्र व पांच रत्न, सूर्य को धूम्र वस्त्र का चंद्र, सत्य को गेहूं व घी, भृश को मछली, अंतरिक्ष को तिल व गुड़ की मिठाई, अग्नि को चावल, पूषा को मक्के की धाणी, अधर्म (वितथ) को चने का वाकला और चावल, गृहक्षत को मधु व अन्न, यम को मांस और चावल, गंधर्व को चावल और शेवंत्र का फूल (गुलदावदी) भृंगराज को बकरे की जीभ, मृग को हरा जौ, पितृ को लड्डू, दौवारिक (नंदी)उड़द का बड़ा, सुग्रीव को पुआ, पुष्पदंत को दूध और सफेद फूल, वरूण को कमल, असुर को मद्य, शेष को तिल और तिल का तेल, पाप को मांस, रोग को मंदिरा और औषधि, सर्प को गाय का दूध , मुख्य को श्रीखंड और चावल, भल्लाट को सुवर्ण, कुबेर को माण्डा और बकरी का दुध, पर्वत को साधवों, अदिति को लपसी, दिति को पूड़ी, आप को दूध, आपवत्स को दही, आर्यमा को रतान्दली, दूध और खीर, सवित्र को लड्डू, सविता को पुआ, गुड़ तथा घी, विवस्वान को घी, दूध, लड्डू, इंद्र को फूल की माला इंद्रजय को चंपा का फूल, मित्र को घी और दूध , रूद्र को गूगल की धूप तथा कपूर आदि सुंगधित पदार्थ, रूद्रदास को उबला हुआ अन्न, पृथ्वीधर को रत्न की माला, ब्रह्मा को दूध वाली गाय तथा अमृत का घड़ा (दूध से भरा घड़ा) इस तरह सब देवताओं को बलि दें तथा सुवर्ण भी दें। चरकी को मदिरा, मांस व हड्डी की, विदारिका को हल्दी से पीला भात, पूतना को रक्त व चावल, पाप को मदिरा व मछली, पीलीपिच्छक को पका हुआ मांस, जृंभा को ताजा मांस स्कंधा को मदिरा व मांस तथा आर्यमा को बघारा हुआ मांस वाली हड्डी दें। इस रीति से पूर्वादि चार दिशाओं के बाहर भाग के चार देवतओं को पूजें ॥२८–३६॥

जो पुरूष आसाधारण भक्ति से वास्तु देव का पूजन करता है, उसको इस लोक में किसी भी प्रकार का कोई भी दु:ख नहीं होता हे। इतना ही नहीं बल्कि वह सौ वर्ष तक सुख भोगकर एक कल्प तक स्वर्ग में रहता है ॥३७॥

भवन भास्कर में भूमि प्राप्ति के लिए अनुष्ठान बताया है कि –

किसी व्यक्ति को प्रयत्न करने पर भी निवास के लिये भूमि अथवा मकान न मिल रहा हो, उसे भगवान् वराह की उपासना करनी चाहिये। वराहकी उपसना करने से, उनके मन्त्रका जप करने से, उनकी स्तुति प्रार्थना करने से अवश्य ही निवासके योग्य भूमि या मकान मिल जाता है।

स्कन्दपुराणके वैष्णवखण्डमें आया है कि भूमि प्राप्त करने से इच्छुक मनुष्यको सदा ही इस मन्त्र का ज करना चाहिये।

ॐ नम: श्रीवराहाय धरण्युद्धारणाय स्वाहा।

ध्यान – भगवान् वराह के अंगो की कान्ति शुद्ध स्फटिक गिरि के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल द `के समान उनके सुन्दर नेत्र हैं। उनका मुख वराह के समान है, पर स्वरूप सौम्य है। उनकी चार भुजाएँ हैं। उन मस्तकपर किरीट शोभा पाता है और वक्ष: स्थलपर श्रीवत्सका चिह्न है। उनके चार हाथों में चक्र, शङ्ख, अभय मु और कमन सुशोभित है। उनकीं बायीं जाँघपर सागराम्बरा पृथ्वीदेवी विराजमान हैं। भगवान् वराह लाल, पीले वस्त्र पहने तथा लाल रंगके ही आभूषणोंसे विभूषित हैं। श्रीकच्छपके पृष्ठके मध्य भाग में शेष नाग की मूर्ति है। उसके उप सहस्त्रदल कमल का आसान है और उस पर भगवान् वराह विराजमान हैं।

उपर्युक्त मन्त्रके सङ्कर्षण ऋषि, वाराह देवता, पंक्ति छन्द और श्री बीज है। इसके चार लाख जप करें औ घी व मूधुमिश्रित खीर का हवन करें।

इसी पुस्तक में विभिन्न वास्तु दोष तथा उनकें निवारण एंवं गृहप्रवेश के नियमों में बताया है कि:-

अकपाटमनाच्छत्रदत्तबलिभोनम्।
गृंह न प्रविशेदेंव विपदामाकरं हि तत्। (नारदपुराण, पूर्व ५६/६१९)

'बिना दरवाजा लगा , बिना छतवाला, बिना देवताओं को बलि (नैवेद्य) तथा ब्राह्मण भोजन बिना करा हुए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिये; क्योंहि ऐसा घर विपत्तियों का घर होता है।

गृहप्रवेश माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठमासमें करना चाहिये। कार्तिक और मार्गशीर्ष में गृहप्रवे मध्यम है। चैत्र, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और पौष में गृहप्रवेश करने से हानि तथा शत्रुभय होता है।

माघ मास में गृहप्रवेश करने से धन का लाभ होता है।

फाल्गुन मास में गृहप्रवेश करने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है।

वैशाख मास में गृहप्रवेश करने से धन-धान्य की वृंद्धि होती है।

ज्येष्ठ मास में गृहप्रवेश करने से पशु और पुत्र का लाभ होता है।

जिस घरका द्वार पूर्व की और मुखवाला हो, उस घर में पश्चमी, दशमी और पूर्णिमा में प्रवेश करना चाहिये

जिस घर का द्वार पश्चिम की और मुखवाला हो, उस घर में द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियों में प्रवे करना चाहिये।

जिस घर में द्वार उत्तर की और मुखवाला हो, उस घर में तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियों में प्रवे करना चाहिये।

जिस घर में द्वार दक्षिण की और मुखवाला हो, उस घर में प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में प्रवे करना चाहिये।

चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या – इन तिथियों में गृह प्रवेश करना शुभ नहीं है।

रविवार और मंगलवार के दिन गृहप्रवेश नहीं करना चाहिये। शनिवार में गृहप्रवेश करने से चोर का भ होता रहता है।

<u>वास्तुदोष निवारण के उपाय</u>

घर में वास्मु दोष होने पर उचित यहीं कहै कि उसे यथासम्भव वास्तुशास्त्रके अनुसार ठीक कर लें अथव उसें बेचकर दूसरा मकान अथवा जमीन खरीद लें।

जहाँ तक हो सके, निर्मित मकान में तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिये। तोड़ फोड़ करने से वास्तुभङ्गका दो लगता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में आया है कि –

जीर्णं गेंह भित्तिभग्रं विशार्णं तत्पातव्शं स्वर्णनागस्य दन्तै:।
गोश्रृङ्गैर्वा शिल्पिना निश्चयेन पूजां कृत्वा वास्तुदोषों न तस्य॥

घर के पुराना होने पर दीवार के गिर जाने अथवा छिन्न -भिन्न होने पर सोने से बने हुए नागदन्त अथवा गोश्रृङ्ग अर्थात् गाय के सिंग से वास्तुपूजनपूर्वक गिरवाने से वास्तुभङ्गका दोष नहीं लगता।

घर में अखण्डरूप से श्रीरामचरितमानस के नौ पाठ करने से वास्तुजनित दोष दूर हो ज़ाता है।

घर में नो दिन तक अखण्ड भगवान्नाम कीर्तन करने से वास्तुजनित दोष का निवारण हो जाता है।

स्कन्दपुराणमें आया है कि कात्यायन ऋषि ने हाटकेश्वर क्षेत्र में **वास्तुपद नामक तीर्थ** का निर्माण किया और विश्वकर्माके साथे वहाँ वास्तुपूजन किया। उस तीर्थ में अड़तालीस देवताओं की पूजा होती है। घर में जो शिला, कुत्सित पद और कुवास्तुजनित दोष होते हैं, वे उस तीर्थ के दर्शन से मिट जाते हैं। शिल्प आदि की दृष्टि से दोष युक्त और उपद्रपवूर्ण घर को पाकर भी यदि मनुष्य उस तीर्थ का संयोग प्राप्त कर ले तो उसी दिन से उसके घर में अभ्युदय होने लगता है ।(स्कन्द०, नागर० १३२)।

(वर्तमान में इस 'वास्तुपद' तीर्थ की स्थिति के विषय में हमें जानकारी नहीं मिल सकी है।)

मुख्य द्वार के उपर सिन्दूर से स्वस्तिक का चिह्न बनायें। यह चिह्न नौ अंगुल लम्बा तथा नौ अंगुल चौड़ा होना चाहिये। घर में जहाँ जहाँ वास्तुदोष हो, वहाँ वहाँ यह चिह्न बनाया जा सकता है।

स्वस्तिकका चिह्न – 卐

स्थापत्यवेद के मयमत ग्रंथ में बलिकर्म अध्याय ८ में बताया है कि , प्रत्येक देवता को अपने पद स्थान में बलिकर्म का विधान है , सामान्य एंव अलग –अलग या विशेष बलि का ब्रह्मादि का क्रम से विद्या कहा गया है ।

मध्व्म बलि :–

ब्रह्म स्थान की गंध, माला, धूप, शहद, घी, चाँवल की खीर एंव लाई से अर्चना करना चाहिये आर्यक की फल, उड़द एंव तिल से बलि देना चाहिये विलम्भन की दूधि से गिगक कह दूवी से एंव महीधर की दूध से आंतरीक बलि देवताओं की कहीं गई हैं। पर्जन्य की घी इन्द्र की मक्ख्खन से व पुष्पों से बलि कही गई है। इन्द्र को कोष्ट एवं पुष्प से भास्कर को मधु एंव कंद सत्य को मधु एंव मृथ को नवनीत देना चाहिये। गगन को माष, सेम व हरताल एवं रजनी चूर्ण देना चाहिये।

वर्म्हि की दुग्ध, आष्म व नागर से पूषान की, शिम्बालं एवं पायस दुग्ध से बलि देना चाहिये। वितथ की कड़क्वंत्र राक्षस की शीधु शिम्बालं कृसरं – खिचड़ी, एवं यम के लिए एंव गंधर्व को अखिल गंधकर्म धूपादि की बलि कही गई है। भृंगराज की अब्धि मत्स्य (समुद्री मछली) मृष की (मस्यौदनंम), मछली भात, नैऋत्य की तेल पिन्जाक तिल का पिण्ड, द्वोवारिक कि बीज की बलि देना चाहिये।

सुग्रीव की मोदक, पुष्पदंत को पुष्प एवं जल, धान्य एंव पायस(खीर) , वरूण की शोषीलें Rice water(मांड), रक्त से ,असुर की बलि कही गई है। शोष की सातिलं तण्डुलं, तिल सहित, चावल, रोग की शुष्क मत्स्य, वायु की स्चिन्नं चर्बी, एवं हरीद्दंक, नाग की मद्य एवं लाज बलि कही गई है। मुख्य की घस्मपुर्ण, दही एवं घी से सम्मती व भल्लाट को गुलोटनं से ,सोम को दुग्धोदनं, दूध एवं यात देना चाहिये। 'मृग' को शुष्क मांस देवमाता २० अदिति को मोदक देना चाहिये। उचित को तिलयात, इसे को सान एवं घी देना चाहिये। साविन्द की लाज एवं घात्म से साविन्द को सुगन्धित साविन्द्र को सुगन्धित जल इन्द्र एवं इन्द्रराज को बस्तमेद बकरे की चर्बी एवं मुगदचुर्ण देना चाहिये। रूद्र एवं रूद्र जल को मांस एवं स्तिन्न मेड़ या चर्बी आपवत्स को कमल, मछली, शंख एवं कछुयें का मांस देना चाहिये। चटकी को मद्यमाकं, मंघ घी व बिदारी को लवण की बलि, पूतना को (पूतनायास्तिलं पिष्टम), तिल का आय या पिष्ट (पिष्ट का आम, किसा हुआ नारियल या शक्कर का का मिश्रण। अन्य को अर्थात, पाप राक्षसी को (मृदगसारकम) चंवले का सार या पानी। समस्त देवताओं को क्रम से घृतयुक्त शुद्ध भोजन, दही, गंधादि, साधारण बलि के रूप में देना चाहिये।

कन्या (सुन्दर बालिका) या वेश्या बलि धारण योग्य है जिसका क्रम से अगन्यास व कस्माक्ष से चित्र पवित्र करना चाहिये। प्रत्येक देवता के नाम से ओम... नमों. नाम. नम:, मंत्रोचारण कर जल चढाने के पश्चात साधारण बलि देना चाहिये। प्रत्येक देवता को उसके योग्य बलि देनें के पश्चात बुद्धिमान को जल अर्पित करें या देनी चाहिये । यह ग्रामादि मे, मण्ड्रूक या परमयायिका, परविन्यास में देना चाहियें।

क्रम से पूर्वास्त विधि विद्यानुसार देवताओं को सतृत्व करके, फिर मंत्रोच्चारण के साथ विन्यास हेतु निर्माण उन, देवताओं का विर्सजन करना चाहिये। देवालय के विधान में एवं द्वार हेतु ब्रह्मा व ब्राह्म देवताओं का उनकें २ पदन्यास करना चाहिये। ऐसा कहा गया है कि शेष अन्य देवताओं का भी सर्वरक्षा या सुरक्षा हेतु निवेश करना चाहिये । ग्रामादि का रहस्य, इस तरह उद्घाटित किया गया है।

स्थपति को उपवास करके, प्रभात काल (प्रात: काल) में विशुद्ध देह एंव यात, अविकल होकर यशोक्त, नीती से विशेष, साधारण या सामान्य बलि, सम्यकरूप से जानें।

इसी ग्रंथ में ग्रहप्रवेश अध्याय में बताया है कि :-

अपूर्ण भवन में प्रवेश करने की जल्दी नहीं करनी चाहिये। यदि बने हुये ग्रह के प्रवेश करने में देरी की जावे तब सुर व युत आदि वहाँ अपना स्थान बना लेते हैं। इसलिये कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात भवन में शुभ प्रकार शुभ मुहुर्त में, तिथि वार नक्ष्य जव शुभ हो व जव शुभ करने लान आदि का विचार करके, जो कि अपनी जन्म के अनरूप हो, तव ग्रह प्रवेश करना चाहियें।

उक्त वर्णित बलि कर्म विघान में जहां कहीं भी ,किसी जीव जन्तु की बली हेतु हत्या करना अपराध माना गया हैं जिस प्रकार यम बलि हेतु प्रतीक स्वरूप कच्चे कद्दू (कोला)चढाकर उस पर रक्त के स्थान पर लाल कंकु गुलाल लेप किया जाना प्राय: समाज में देखा जाता हैं ,किये जाने की परंपरा है ,उसी का निर्वहन कर हिंसा करते न की जावे ,यह मेरा मत हैं।

अधिवास :-

एक दिन पहले संध्याकाल में ब्राह्मण, पशु तथा वृक्ष आदि को भवन के अन्दर रखना चाहिये। और वेद के मन्त्रोचारण करके व बलिकर्म, होम, शाति कर्म आदि करके ब्राह्मण करे वहाँ रखते हुये, उन्हें संतुष्ट कर स्वात्विोच करके फिर भवन को साफ करके व इसकी दीवार पर हरताल हरिका, अंगु, सरसों, पुष्ठ, वचा का दीवार पर ले करना चहियें। फिर युमि पर चंदन की लकड़ी का जल छिड़काव चाहियें। यह जो होम आदि है, इसे सायंकाल करते हैं , घर के ईशान में स्थित मंडप तेा , विभिन्न प्रकार के प्रदार्थो व पतओ से युक्त होता है। उसमें होम आदि आरंभ करते है। स्थपति इस अवसर पद श्वेत वस्त्र, स्वर्ण का जनेउ , सफेद पुष्पों से, सफेद लेप लगाकर प्रसन्नचित्त सुमन से, र्स्वण, रत्न व अनेक आयुषनों से सुस्ज्ञित होना चाहिये।

कलश स्थापन :-

विद्वान व्यक्ति पहले उप पीठ २५ पद विन्यास पर २५ जलों से भरें कलशों, जो स्वर्ण भवि होम से युक्त हों व नये वस्त्रों से ढके हों, यह धान के उपर उप पीठ विन्यास में इन कलथों का न्यास करें। इन कलथों के में बलि अन्न को व्यवस्थित किया जाता है। चावल, सफेद, लाल, पीला, माला, मुदगा व पयक्ष व यव, कृथरा, शुद्ध चाँवल को कलथ के उत्तर में रखे, फिर स्थपति एक सुंदर आसान पर, जो सुंदर विस्तर अलंकृत पर आसीन होता है जिसके कोने में दीप व वाद्य यंत्र रखे होते है, तब मंत्रोचारण करता है, फिर उसके बाद एक स्वर्ण के पात्र में, इन समस्त साद्य पदार्थो को स्वर्ण पात्र में, स्वर्ण सहित व दही, गुल , मधु-घी, चाँवल, धान्य, पक्के चाँवल नगरू व कु हड़थाल आदि में साथ रखें।

उसके बाद स्थपति वियिन्त देवताओं को उनकों पदों पर न्यास करता है, इन कलशों को निर्रोव रूप में छ पर पश्चिम में लगाना चाहीये ।, कुछ विद्वानेां के अनुसार तक्षक या स्थपति समस्त देवताओ को पुष्प,धुप दीप, सुंगध आदि उस देवता के मंत्र जिसके आरम्भ में ॐ व अन्त में नम: होता है। उसके सायं उपरोक्त देवताओं को अर्पित करता है।

बलिकर्म :-

उसके बाद उनका पूजन करके, जो पहली पंक्ति को देता हे, उनका पूजन करके उनका भाग समर्पित करता है, इसके बाद, वह चारों दिशा के देवताओं को उनका भाग अर्पित करता है। फिर इन्द्र के लिये अलग भाग पूर्व में उनके स्थान पर आमित्र देवता के लिये दक्षिण पूर्व में, यम के लिये दक्षिण में नैऋति के लिये दक्षिण पश्चिम में वरूण के लिये पश्चिम में, अनिल के लिये उत्तर पश्चिम में सोम के लिये सोम परस्पर उत्तर में, भिन्न के लियें उत्तर पूर्व में, इस प्रकार इन बलि तत्वों को दिशा व उपदिशाओं में रखना चाहियें। चरकी के लिये ईशा पद के बाहर, पूतना पितृ पद के बाह, पाप राक्षसी के लिये मारूत के बाहद् वृक्ष व घास की बलि स्तम्भ को देते है। अलग २ स्थानों की तरह यह जो बलि है,उसकों जो दिन में वहाँ में वैद्य से जातें है और विदिशाओं में उन्हें बलि ही जाती है, जो वहाँ से रात में जाते है, उन्हे रात में बलि देते है। सर्पो व युमि के अन्दर रहने वाले देवताओ के लिये भूमि पर डाल देते है, धर्म व अखिल देवता के लियें आकाश में अर्पित करते है। मनु तथा अन्य के लिये बीन द्वार के बाँये, द्वार के स्तम्भ पर, तथा अंत में भी के लियें, शयन के उपर देना चाहिये। इसको बाद भवन के उन्दर क्या करना है। उसका वर्णन करते है। यह मध्यागन में जहाँ पर घर मण्डप, शाला या मालिक हो, या फिर मंडप जो मंदिर के सामने हो वहाँ पर

६४ पद विन्यास से देवताओं का न्यास करते है। उनका सुगंधी पुष्प आदि से पूजन करते है, उसके बाद उनको जल चढाते व सुन्दर बलिकर्म बतायेनुसार करते है यह स्थपति होता है जो उन्हें जल सुंगधि आदि देता है व वृक्ष से मिलें तुलसी, सरक्षा, अर्जुन, मंजदी, वचाक, गुग्गारम तप्रथ, छिगु, महाओषधी सासों आदि से युक्त होता है।

धूप दीप का मंग :-

(ददति धान्यछनानि महून्तयो हरित ,यूत पिशाचज राक्षसान
दहिर्ति कींट युजंगमसिकान मशकमृषिकलूनि कल्लणकान्ता।)

यह हमें बहुत धन्यधान्य को दें। यह आत्माओं , भूत पिशाच, राक्षस को हर लें और यह कीट भुजंगो, मक्खियों अथवा मकड़ियों व चीटों के विरूद्ध जल उठे या उन्हें नष्ट करें।

इसके पश्चात ग्रह निर्माण कर्ता जो कलश के आसपास पश्चिम मे बिखरें हुये धान्य को व्यवस्थित करता है, तब उसके केन्द्र से यह बलि देते है और मंत्रोचारण करने है। स्थायित्व, प्रसन्नता,यज्ञ और समान उपलर्वधनो से पूर्व, और यज्ञों का चिर स्थल, अशुभ न हो ऐसी भूमि धर्म से युक्त बनी रहे। तथा यह भवन निरूपद्रव रहे, द्रय से बचानें, वर्षा से अति से गजों से वायु के झपेड़ो से अग्नि भय चोरो से बचावे तथा यह मेरे लिये शुभ शांति प्रदायक हो।

स्थपति निर्गमन :-

उसके बाद स्थपति खड़े होकर सारें औजारों को करबद्ध होकर सिर नवाकर प्रणाम करता है। उसके बाद अपने जब औजारों को इकट्ठा करता है। फिर उन्हे अपने परिवार व सेवको की सहायता से अपने हाथ मे लेकर, तृत्व होकर अपने परिवार, सेवकों के साथ घर लोटता है, एस समय जो व्यक्ति कर्म के लिये, जो भोजन बना हो या उसे एक स्थान पर लाकर जल से प्रवाहित करना चाहिये। उसके बाद घर पूर्वता से स्वच्छ कर भूमि पर कुआँ का जल छिड़कना चाहिये पुष्प, चन्दन का जल छिड़का जाता है। साथ ही कलश का जल, सुंगन्धित जल, स्वर्ण व रत्न का जल। इसके सायं स्वच्छ जल को छिड़ में फिर उसके बाद पके चावल के दाने बिखेरे जातें है। समृद्धि की निश्चिता के लिये तत्पश्चात अष्टधान्म धन आदि के सायं व्यवस्थित्त करते है।

ब्रहस्पति व ग्रहणी का प्रवेश :-

इस प्रकार ग्रहपति प ग्रहपत्नि आदि के साथ जाकर, अपने परिवार के पुत्र, पुत्रियों से युक्त युग्म उद्घाटन कर प्रवेश करे। मोजुद ग्रह वस्तुओं का निरिक्षण कर दोनों को शयन कर बैठना चाहिये। सही समय ग्रहणी के द्वारा बनाये व्यंजन आदि से ग्रह को बलिदेकर व शेष भोजन बचता है, उसे दास/दासी को देकर, जो कि अपने परिवार के साथ आतें है, देवता, ब्राह्मण, स्थपति व अन्यों को हम, रत्न, पशु, धान्य व वस्त्रतथा अन्य उपघटों से संतुष्ट करना चाहिये इस प्रकार या जो पहला भोजन है वह अपने परिवार के वृद्धों, मित्रों, दासों सम्बधियों के साथ गुरू को प्रणाम करके ही करना चाहिये। ग्रह स्वामी को पुत्रों व पोंत्रों को इस प्रकार भोजन करना चाहिये। सारे भरें पात्रों के साथ फल भरे कलश वृक्षों के छाल, दीपक, पिपल के साथ, अकुरापर्ण, मंगलचुर्ण को कन्याओं , युवतियों द्वारा लान चाहीयें।ब्राह्मणों से युक्त घर जिसके प्रवेश द्वार पर तारण आदि के साथ स्थापित होना चाहिये।

यह जो घर है वह दीपों से फूलों से, जल से, वस्त्रों से युक्त हो, ग्रह स्वामी को श्वेत वस्त्रों में फुलों से शोभित होना चाहिये। ग्रहप्रवेश के समय हाथ हाथ में लेकर विवाह कर्म के अनुसार ही प्रवेश करें।

ऐसे घर में असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलाता ,जहाँ बिना बलिकर्म व प्रथम भोजन के व छत पूर्व न हो या जहाँ गर्भ न्याय न हो या फिर ब्राह्मण स्थापति को प्रसन्न न किया गया हो, ऐसा प्लान जहाँ विस्तार न हो वहाँ असफलता व दुर्गाग्यके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। ग्रह स्वामी को अपने पुत्रों, पत्नी, परिवार, मित्रों के साथ प्रसन्नचित होकर घर में प्रवेश करना चाहिये। प्रवेश के समश सन्नष्ट वाक्यों में ध्वनि से, परिपुर्ण हो। गांवो में नगर, अग्रघर, पन्नल देवता के लियें बलिघट ब्रह्म पद पर तथा ६४ पद पर तथा देवताओं के मन्दिर में मुख्य दिशा व विदिशा में होना चाहिये। इसके साथ देवता के मन्दिर में व सरस्वति के सुन्दर मन्दिर में यही बली देना चाहिये।

स्थापत्यवेद के विभिन्न ग्रंथों में नगरादि में शिलायन्स वास्तु शांति व बलिकर्म में उक्त वर्णित सिंद्धातों के अनुसार नगर, ग्राम, गृहों तथा जल संरचनाओं आदि के निर्माण में एक कुशल स्थपति को इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए। यह कर्म कांड प्राय: सभी जन मानस द्वारा निजि व सार्वजनिक स्तर पर तो किया जा सकता है परन्तु शासकिय स्तर पर नगर व ग्राम हेतु नहीं किया जा सकता हैं, जिस प्रकार पहलें राजा अपनी प्रजा के लिए

करते थे। इसलिए नगर, ग्रामों के प्रमुख व भवन आदि बनाने वाले स्वामी यदि इस प्रकार देवी – देवताओं की पूजा – प्रार्थना आदि उपर बताए गए विधानों से करतें है तो वहाँ हमेशा सुख:, समृद्धि, शांति, और मंगल हो करेगा।

स्थापत्यवेद के नगरादि में प्रयुक्त उक्त सिंद्धातों के अलावा भी स्थपति के लक्षण ,चय विधि उप पीठ, स्तम्भ लक्षणम् तथा से १२ तलों के भवनों एक शाल भवन से दस शाल भवन एंव भूकम्प लक्षणम् आदि के बारें में सं.सू.ग्रंथ में विस्तृत विवरण दिया गया है जो संक्षेप्त में निम्नानुसार है :-

१ स्थपति लक्षण :-

शिल्पी लक्षण मानोपरकरणम् में शिल्पियों के लक्षण व माप के उपकरणों के बारे में बताया ह कि

शिल्पिनां लक्षणां वक्ष्ये मनोपकरण (ण) कमात् ।
पर: शिवसकाशाद्वि ब्रह्मा इ (चे)न्द्रोडपि लोककृत् ॥ १ ॥
स महाविश्वकर्मेति ई (त्वी) श्वरेणैव कीर्तित: ।
स एवायं विश्वकर्मा बृह्माण्डं सृजते मुहु: ॥ २ ॥

ब्रह्माण्ड के सृजनकर्ता विश्वकर्माजी को चार मुख वाले बताया गया है। इनका प्रथम पूर्वाभिमुख विश्व-भू (विश्व को जानने वाला) उत्तर मुख विश्वस्त (विश्व में रहने वाला) तथा पश्चिम मुख विश्व सृष्टा (विश्व का सृजन करने वाला), दक्षिण मुख – विश्व विद् (विश्व को जानने वाला) कहलाता है। इन्हीं चारों मुखों में से पूर्वी मुख से विश्वकर्मा, दक्षिणी मुख से मय, उत्तर मुख से त्वष्टा, पश्चिमी मुख से मनु हुए। विश्वकर्मा का विवाह इन्द्र की पुत्री से, मय का विवाह सुरेन्द्र की पुत्री से, त्वष्टा का विवाह वैश्रवण की पुत्री से, मनु का विवाह 'नल' की पुत्री से हुआ। इसके पश्चात् विश्वकर्मा के पुत्र स्थपति (मास्टर बिल्डर), मय के पुत्र सूत्रगाही (Draft's man), त्वष्टा के पुत्र वर्धकी (Designer), मनु के पुत्र तक्षक (Carpenter) कहलाए। इनमें स्थपति तीनों का गुरू होता है। सूत्रगाही अन्य दोनों का गुरू होता है तथा वर्धकी तक्षक का गुरू कहलाता है। स्थपति वेदज्ञ एवं सर्वशाँस्त्र का ज्ञाता होता है, सूत्रग्राही सूत्र को धारण करने वाला, वर्धकी मान (Yard Stick) का ज्ञाता, तक्षक, तक्षण याने लकड़ी के काम करने वाला (सुतार) होता है। ''स्थपति चूँकि स्थापना करता है इसलिए वह स्थपति कहलाता है।'' उसके आदेश पर रेखांकन एवं 'वेद' का ज्ञाता सूत्रग्राही कार्य करता है। इसी प्रकार वेद का ज्ञाता तथा चित्रकर्म में तथा निर्णय लेने में कुशल वर्धकी कार्य करता है व इसी तरह तक्षक सहयोगी, मित्रवत, दयावान, वेदज्ञ होकर अपने कार्य में निपुण होता है। इस जगत के कार्य बिना शिल्पी तथा बिना गुरू के सफल नही होते। इस प्रकार मानसार ग्रंथ में 'चर्तुधा स्थापत्य' के अंतर्गत स्थपति लक्षण बताए गए हैं। मानसार ग्रंथ के इसी अध्याय में 'माप के उपकरण' भी बतलाए गए हैं। ऋषि की आँखों के दृश्य कण को परमाणु कहते हैं। एक रथ धूलि आठ परमाणु के बराबर, आठ रथ धूलि एक बालाग्र के बराबर होती है। आठ बालाग्र के बराबर एक लिक्षा, आठ लिक्षा बराबर एक युग व आठ युग बराबर एक यव तथा आठ यव के बराबर एक अंगुल होता है। (6 यव का एक कनिष्ठ अंगुल, 7 यव का एक मध्यम अंगुल तथा 9 यव का एक उत्तम अंगुल होता है) 12 अंगुल का एक वितस्थि, 2 वितस्थि का एक किषकु, एक हस्त में एक अंगुल अधिक होने पर एक प्राजापत्य हस्त होता है। 26 अंगुल का एक धर्नुमुष्टि, 27 अंगुल का एक धर्नुगृह होता है। चार हस्त का एक दंड, आठ दंड की एक रज्जू होता है। किषकु हस्त का प्रयोग यान, वाहन, शयन तथा अन्य सभी कार्यों में करते हैं। सभी प्रकार के गृहों में प्राजापत्य हस्त का प्रयोग करते है। सभी प्रकार के गृहों में प्राजापत्य हस्त का प्रयोग करते हैं। ग्राम व अन्य मान में धर्नुग्रह हस्त का तथा अन्य वास्तु कार्य में धुर्नमुष्ठी हस्त का उपयोग करते हैं।

माप हेतु (Yard stick) हस्त लकड़ी बनाने के लिए शमी, शाक, खदिर, तमालक, खिरनी और इमली के वृक्षों की लकड़ी उपयुक्त है। तक्षक (Carpenter) लकड़ी संग्रह कर तीन माह जल में भीगों कर रखे, पश्चात् चीरकर चार भुजाओं वाला बनाए, यंह एक हस्तलंबा तथा एक अंगुल चौड़ा होना चाहिए। यह तिरछी, दूरी छिद्र युक्त न होकर चिकनी होनी चाहिए।

''जबकि''समराङ्गण सूत्रधार (भवन-निवेश) के प्रथम अध्याय महासभागमन में विश्वकर्माजी को प्रभास वसु के पुत्र, वृहस्पति के भानजे बताया गया है व पृथ्वी को 'गो' (गाय) रूप में बताया गया हैं।

१-२ मा/अ-२/१-२

इसके पश्चात् विश्वकर्मा ने अपने चार पुत्र जय, विजय, सिद्धार्थ एवं अपराजिता को सम्बोधित होकर कहा कि ''पुरातन काल में'' ब्रह्मा ने इस विश्व की सृष्टि के पूर्व वास्तु की सृष्टि की'' यहाँ वास्तु का अर्थ (Planning) योजना से है क्योंकि वास्तु एक कला रूप में प्रचलित थी। ब्रह्मा ने केवल मानसी सृष्टि की उनकी इच्छा मात्र से सकल जगत प्रार्दुभूत हो गया परन्तु जगत का वास्तविक रूप स्थानादि विनिवेशन तो विश्वकर्मा कारीगर की एक मूर्ति है तथा वास्तु मानसी सृष्टि यही हुई। ब्रह्मा मानसी सृष्टि के कर्ता है परन्तु विश्वकर्मा उस सृष्टिको नियोजन के द्वारा निर्मित में अवतरित करते हैं अत: ब्रह्मा व विश्वकर्मा इसके प्रति निधि शिल्प है। यही वास्तु प्रतिष्ठा और वास्तु पुरूष विकल्पना का इसकी ''वास्तु ब्रह्मा ससर्जादो विश्वमप्य खिल तथा विश्व सृष्टि के प्रथम वास्तु की रचना''का मर्म है। विश्वकर्माजी आगे अपने पुत्रों से कहते हैं कि धर्म, कर्म और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए एंव लोक रक्षण के लिए व्यवस्था करके लोकपालों की कल्पना की **(अर्थात बिना सुनियोजित समाज के देश में शुभ कार्य नहीं हो सकते, और समाज एवं देश का सुनियोजन राजा अथवा राज्य के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता हैं।)** अब मैं भूतल पर जाकर वन ग्राम, खेत, नगर आदि बनाऊंगा। आप सभी पुत्रों के द्वारा जिस प्रकार ''भुवन-भास्कर, कमलिनी वल्लभ सूर्य की, अंधकार पनयन से मरीचियाँ सहायता करती है। उसी प्रकार तुम लोग भी मेरी सहायता करो।''

नारियल, कुशा, वट वृक्ष की छाल, कपास, किशंकु धागा, ताल वृक्ष की छाल तथा केतक वृक्ष की छाल की रस्सी बनी हो, पार्ध में रस्सी एक अंगुल चौड़ी हो व बिना गाँठ वाली होना चाहिए। देवता, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के लिए तीन 'वट' की, वणिज तथा शुद्रजाति के लिए दो वट तथा एक वट की रस्सी लेना चाहिए। कृस्य, रज्जु तथा मानदंड एवं उनके देवताओं को ध्यान में रखकर वर्धकी (Designer) मान (माप) का कार्य करे तभी वह सफल होगा। अत: शिल्पी इनके परिहार (दोष दूर करने) के लिए विधि अनुसार कार्य करें।

वैदिक वास्तु विद्या एंव रोगकारक वास्तु दोष पुस्तक में वास्मुशास्त्री के लक्षण के बारें में बताया गया है कि :-

जन सामान्य मे वास्तुशास्त्र के प्रति उत्पन्न अत्यधिक उत्सुकता एंव इसके प्रयोग के विषय में स्पष्ट ज्ञान के लिये यह भी जानना परम आवश्यक होता है कि वस्तुत: वास्तुशास्त्री किसे मानें एवं एक योग्य वास्तुशास्त्री का चयन किस प्रकार करें जिससे कि इस सार्वभौमिक ज्ञान का लाभ उठाया जा सकें। अत: प्राय : लोंगो में व्याप्त इस शंका के समाधान हेतु हम शास्त्रों में ही वर्णित एक कुशल वास्तुशास्त्री के गुणों का वर्णन यहाँ कर रहें हैं –

एक वास्तुशास्त्री में चार गुणों का होना आवश्यक बताया गया है जो इस प्रकार हैं –

स्थापत्य मुच्यतेऽस्मा भिरिदानीं प्रक्रमागतम्।
ज्ञातेन येन ज्ञायन्ते स्थपतीनां गुणागुणा: ॥१॥
शास्त्रं कर्म तथा प्रज्ञा शीलं च क्रिययान्तिम्।
लक्ष्य लक्षणयुक्तार्थ शास्त्र निष्ठों नरो भवेत् ॥२॥

जैसा कि उपर्युक्त श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि एक कुशल वास्तुशास्त्री होने के लिये शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील अर्थात् आचरण का होना अत्यन्त आवश्यक है। यद्यपि यह प्रशन उठ सकता है कि वार्स्तु शास्त्री के लक्षण का एक सामान्य व्यक्ति को कैसे पता चलेगा, तो उसके लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक वास्तु कर्म करवाने वाले को इन चार गुणों के बारें में विस्तार से ज्ञान हो अत: एक वास्तुशास्त्री के गुणों को सरलं एवं स्पष्ट शब्दो में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है –

शास्त्र

–प्रत्येक वास्तुशास्त्री को शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है तभी वह हर प्रकार के व्यक्ति के लिये भिन्न – भिन्न वास्तु का निर्माण कराने में सफल हो सकेगा। इसके लिये उसे स्थापत्यवेद के साथ साथ गणित, ज्योतिष, सामुद्रिक– शास्त्र आदि में सम्बन्धित विषयों का ज्ञान होना जरूरी होता है। वास्तुशास्त्र में इन विषयों का सामंजस्येक करके ही एक पूर्ण वास्तु का निर्माण हो सकता है। ज्योतिषयास्त्र का ज्ञान एक वास्तुशास्त्री के लिये उतना ही आवश्यक है जितना वास्तुशास्त्र जानना। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस वास्तु शास्त्री ने शास्त्रों में परिश्रम नहीं किया वह संसार के लोंगो की अकारण मृत्यु के समान विचरण करता है –

मिथ्याज्ञानादहङ्कारी शास्त्रे चैवाकृतश्रम: ॥

अकाल मृत्युर्लोकस्य विचरेद् वसुधातल ।

इसलिये वास्तुशास्त्री के चयन करते समय विशेष ध्यान देना चाहिये कि वह पूर्ण शास्त्र ज्ञान रखते हैं या नहीं ।

कर्म –

किसी भी वास्तुशास्त्री को शास्त्रों में बताये गये विशिष्ट कर्मों का ज्ञान है या नहीं यह जानना भी और आवश्यक है। जिस प्रकार यदि एक इन्जीनियर को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वह कार्य नहीं कर सकेगा या फिर एक चिकित्सक के लिये केवल चिकित्सा की पुस्तकें पढ लेना ही पर्याप्त नहीं होता अपितु उसे चिकित्सा पद्धति का प्रायोगिक ज्ञान भी होना चाहिये क्योंकि एक चिकित्सक केवल पुस्तक के ज्ञान मात्र से किसी अस्वस्थ व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं कर सकता उसके लिये प्रायोगिक ज्ञान एंव उतने ही अभ्यास की आवश्यकता होती है उसी प्रकार एक वास्तुशास्त्री को कर्म के क्षेत्र में ज्ञान को किस प्रकार प्रयोग करना है यह भी आना जरूरी होता है। शास्त्र के ज्ञान के अतिरिक्त वास्तुशास्त्री केा कर्म के क्षेत्र में क्या क्या आना चाहिये । यह जानना भी सामान्य जन के लिये आवश्यक है ।

प्रज्ञा–

प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्दि । यहाँ यह विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यद्यपि एक वास्तुशास्त्री को शास्त्र का ज्ञान हो परन्तु उस शास्त्र कर्म के ज्ञान को किसी स्थान विशुष, प्रयोजन विशेष तथा व्यक्ति विशेष के लियें किस प्रकार से प्रयोग करना है यह वास्तुशास्त्री की प्रज्ञा पर ही निर्भर करता है। उदाहरणार्थ – एक ही परिवार के चार सदस्यों में प्रत्येक की राशि, प्रकृति, व्यवसाय आदि भिन्न भिन्न होने से सबके लिये अलग – अलग तरह का आन्तरीक नियोजन वास्तुशास्त्री की प्रज्ञा पर ही निर्भर करता है अत: शास्त्रों में बतायें ज्ञान एंव कर्म को प्रत्येक व्यक्ति, समूह, प्रयोजन एवं व्यवसाय हेतु किस प्रकार से उपयोग करना है जो कि ज्यादा व्यक्ति के अनुकूल हो यह वास्तुशास्त्री की प्रज्ञा का कार्य है इसे ही विषय की सिद्धी भी कह सकतें हैं। सिद्धी से तात्पर्य विषय की पकड़ से होता है जो वास्तुशास्त्री के गुणों में से एक विशेष गुण है ।समराङ्गण सूत्रधार कहता है कि –

शास्त्र कर्मसमर्थोऽपि स्थपति: प्रज्ञया विना ।

फलेयु: कर्माभिरन्याभि: स्यान्निर्मद इव द्विप: ॥३॥

अर्थात् शास्त्र तथा कर्म दोंनो में समर्थ होता हुआ भी बिना प्रज्ञा के वास्तुशास्त्री मदहीन हाथी के समान होता है ।

अत: वास्तु सम्बन्धी कर्म करवाने से पहले वास्तुशास्त्री में प्रज्ञा का गुण अवश्य देखना चाहिये ।

शील (आचरण) – एक वास्तु शास्त्री के गुणों में शील अर्थात् उसके आचरण का अत्यधिक महत्व हमारे शास्त्रों में मिलता है – शील से तात्पर्य व्यवहार कुशलता से तो है ही साथ साथ नैतिकता व ईमानदारी से भी है। यदि कोई वास्तुशास्त्री ज्ञानवान, कर्मवान तथा प्रज्ञावान है परन्तु व ईमानदार तथा व्यवहारिक नहीं है तो वह श्रेष्ठ वास्तुशास्त्री नहीं है । एक वास्तुशास्त्री का चयन करते समय उसके आचरण को भी देखना आवश्यक होता है । शास्त्रों में शीलवान वास्तु शास्त्री के दर्शन को भी शुभ बताया गया है –

शीलवान पूजितो लोके शीलवान साधुसम्मत: ।

शीलवान सर्वकर्मार्हः शीलवान् प्रियदर्शन: ॥

इस प्रकार से स्पष्ट है कि एक आचरण मे शुद्ध वास्तुशास्त्री समस्त समाज में पूजा के योग्य होता है क्योंकि वह अपनी ईमानदारी से जिसके लिये जो उपयुक्त होता है वह नियोजन करता है तथा परामर्श देता है। अतः एक योग्य एंव आचरण में शुद्ध वास्तुशास्त्री का ही चयन करना चाहिये । कुशल वास्तुशास्त्री द्वारा किया वास्तु कर्म ही कल्याण एंव सुख देता है।

इन सब के अतिरिक्त एक कुशल वास्तुशास्त्री का चित्रकारी, पच्चकारी, चुनाई की कला, पत्थर, पारा, धातु आदि की कारीगरी और शिल्पशास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिये ।

इस प्रकार जब वास्तु के अनुसार गृह आदि का र्निमाण करना हो तो सर्वप्रथम एक योग्य, कुशल वास्तुशास्त्री का चयन करना चाहिये जो अपने शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा, शील के द्वारा सिद्ध किये हुये ज्ञान से लाभान्वित करा सकें। एक वास्तुशास्त्री के इन गुणों से पूर्ण होने पर जब वह किसी कार्य को करेगा तो वह देश, समाज, व्यक्ति सबके लिये

१-सं.सू./अ-८/३-४

उपकारी होगा।

मुहूर्त –

एक कुशल वास्तुशास्त्री के चयन के पश्चात जो सबसे पहला कार्य हेाता है वह है निर्माण की प्रकिया आरम्भ करने से लिये शुभ महुर्त का चयन ।इसके लिये हमारे शास्त्रों में वर्णन है। एक कुशल ज्योतिषी द्वारा इस कार्य को कराया गया जा सकता है। यदि वास्तुशास्त्री को स्वयं ज्योतिषी शास्त्र का ज्ञान है तो उसें स्वयं ही जयोतिषीय गणना के अनुसार गृहस्वामी की कुण्डली के आधार पर मास, तिथि, वार, नक्षत्र आदि का निर्णय करके कार्यारम्भ करवाने का परामर्श देना चाहिये।

समराङ्गणसूत्रधार भवन निवेश में स्थापत्यवेद के आठ लक्षण बताए गए है पहला वास्तु पुरूष विकल्पना के तात्पर्य साईट प्लानिंग से हैं।

तेष्वङ्गं प्रथमं प्रोक्तं वास्तुपुंसो विकल्पना।

पुरस्य विनिवेशस्तु द्वितीयं द्वारकर्म च ॥1॥

रथ्याविभाग: प्राकारनिवेशोऽट्टालकस्य च।

विनिवेश: प्रतोलीनां विभागस्थानकानि च ॥2॥

यह नगर निवेश, भवन निवेश या प्रासाद निवेश की प्रथम इकाई है। दूसरा अङ्ग पुर निवेश तथा द्वार कर्म प्राचीन काल के टाऊन प्लानिंग में सबसे पहले रक्षा, यातायात एवं स्थानादि विभाग के लिए चारो उप दिशाओ में महाद्वारों एवं पक्षद्वारों का विधान परमावश्यक था। गोपुर–द्वार, प्रतोली आदि आज भी प्राचीन स्मारकों में देखने को मिलते हैं। इस साईट प्लानिंग में राज मार्ग, रथ मार्ग, यान मार्ग, घण्टा मार्ग आदि प्रतोली (गलियाँ) बनाई जाती थी। तीसरा अङ्ग प्रासाद निर्माण से तात्पर्य देव मंदिर निर्माण से है। समराङ्गण ग्रंथ में प्रासाद शब्द का उपयोग केवल मंदिरो के लिए किया गया है। राज प्रसाद को राज वेश्म कहा गया है। समराङ्गण सूत्रधार के दूँसरे भाग में प्रासाद निवेश पर विस्तृत विवरण दिया गया है। **मंदिर निर्माण भारतीय वास्तु कला की मूर्घन्य विभूति है।** चौथा अङ्ग शक्रध्वजोत्वाथान किया जाता था, जिसमें इन्द्र महोत्सव स्थपति अपने इष्टदेव की आराधना करते थे। पांचवा अङ्ग 'राजवेश्म' निवेश था जिसमें राजोचित ना–ना हर्म्यो, भवनो, सोंधो के साथ पांच–छह, सात कक्षाएं, मंडप, क्रीड़ा स्थान, पड़ाव, दूतावास के साथ बाजार सड़के व चित्र–शालाएं भी बनाई जाती थी,उसका विवरण दिया हैं। छठा अङ्ग चातुर्य वर्ण्य विभाग से तात्पर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रो के साथ ही अन्य व्यवसायियों के घर निवेश्य थे। सातवें अङ्ग के रूप में 'यज्ञवेदी प्रमाण' जिसमें गजभान की शाला तथा यज्ञवेदी (चिती) बनाई जाती थी। आग्नेय दिया में चौकोर स्थान लेकर 18 हस्त विस्तार से उसका नियोजन किया जाता था। पूर्व द्वार आदित्य पद में तथा पश्चिम में गजभान की कुटी बनाए जाने का बताया गया है। आठवें अङ्ग में 'शिविर निवेश' राजाओं हेतु चौकोर, गोल, दोनो ओर महारथ्याओं व चार दरवाजों से युक्त शिविर निवेश किया जाता था। शिविर स्थापना में राजा का स्थान मित्र, पृथ्वीधर, अर्यमा या वैवस्वत। मंत्रियों का पश्चिम में, पुरोहित का उत्तर में, सेनापति का पूर्व में तथा अन्त:पुर व भण्डार गृह दक्षिण में बनाया जाता था। दक्षिण में घोड़ो का और बायी ओर हाथियों का न्यास होना चाहिए। इसके बाहर तीन, चार या पांच हाथ प्रमाण से, परिखा बनाई जाती थी। इसे 64 पद वास्तु से नियोजित किया जाता था। विजय की इच्छा रखने वाले राजाओ हेतु छह प्रकार के दुर्ग जल दुर्ग, पंक दुर्ग, वन दुर्ग, ईरिण, पर्वतीय, महा–दुर्ग स्थपति द्वारा बनाए जाते हैं, जिसे 16 पद वास्तु से बनाया जाता था। इस प्रकार समराङ्गण सूत्रधार में स्थापत्य के आठ लक्षण (अङ्ग)बताए गए हैं।

२. चय विधि:–

'चय विधि' याने जुड़ाई कार्य जो भवन रचना का एक अभिन्न अंग है, के बारे में बहुत अधिक विवरण तो नहीं दिया गया है, सिर्फ बताया गया है कि,

मध्य सुवर्ण कुलीरं शेषं प्रागुक्तवन्नयेत्।
एक द्वादश भूम्यन्तं चेष्टके द्वादशान्ततः ॥[1]

१-२:सं.सू./अ-३३/५ व

हर्म्य निर्माणतो वक्ष्ये प्रथमे (ममि) ष्टकलक्षणम् ।
सप्ताङ्गल्यं समारभ्य द्विद्वयङ्गुल विवर्धनात् ।।[१]

एक से बारह तलों के भवनों में ईंट की चौड़ाई, सात अंगुल (5½") व अंतिम छोर 29 अंगुल या 30 अंगुल (22½"), 2 अंगुल की वृद्धि दर से, ईंट की लम्बाई 1/4, 1/2, 3/4 या स्वयं के माप से ज्यादा याने (दुगना) ईंट की चौड़ाई को आधी या चौड़ाई के बराबर एवं आकार में समकोण होना चाहिये। ईंट, पत्थर से बनी पत्थरी ईंट व मिट्टी से बनी ईंट को साधारण ईंट कहते हैं। सर्वप्रथम खुदाई के पूर्वी या पाँच दिशाओं में किसी भी यथा पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर, पश्चिम या दक्षिण में 'प्रथम ईंट' शुभ मुहुर्त में रखना चाहिये। क्रमानुसार निम्न शब्दों को ड़ (श), पूर्वी ईंट में, 'ष' दक्षिण ईंट पर, 'स' पश्चिमी ईंट पर, 'ह' उत्तरी ईंट पर 'व' पवित्र भोग मध्य की 'ईंट' पर अंकित करना चाहिये। पूर्वी ईंट को दक्षिण तरफ, दक्षिणी ईंट को पश्चिम की ओर ; पश्चिमी ईंट को उत्तर की ओर, उत्तरी ईंट को पूर्व की ओर अग्रेषित (External) रखना चाहिये। स्थापक को क्रम से मध्य में औषधि व जड़ को विन्यास करना चाहिये, जबकि कुशल स्थपति को पाषाण ईंट (शिला या एरन) व ईंट में अंतर रखकर उनके लिंग की ओर उन देवताओं के मंदिरों में पुल्लिंग ईंटों को स्थापित करना चाहिये। गर्भ विन्यास रात्रि में व ईंटों की चुनाई दिन में करना चाहिये। गृहों की नींव या गर्भ अंतर्मुखी तथा ग्राम की नींव बाहर की ओर होना चाहिये।

ईंट की माप पूर्व कहे अनुसार होना चाहिये। स्त्री व पुरुष (लिंग) ईंट की पहचान करना चाहिये। उस ईंट को पुरुष कहते हैं, जो नीचे से ऊपर तक एक ही चौड़ाई की हो तथा स्त्री ईंट में नीचे से ऊपर तक चौड़ाई कम होती है। पत्थर के हर्म्यो (भवन) में (कील) पत्थर की होना चाहिये। ईंट के हर्म्यो में ईंट की होना चाहिये। पुरुष हर्म्य (भवन) में ईंट पुरुष होना चाहिये। स्त्री हर्म्यो में ईंट स्त्री होना चाहिये। जब पत्थर इकट्ठा किये जाये तो उसमें पुरुष व स्त्री को चुनना चाहिये।

जबकि समराङ्गण सूत्रधार (य.नि.) के अध्याय 33 'चय विधि' में बताया कि स्थापत्य वेद में भवन निर्माण में चुनाई (चय) को जन सामान्य जुड़ाई कहते हैं, का वर्णन, ईष्टिकाओं (ईंटों) से दीवार के प्रमाण व बनाने की विधि सहित इस अध्याय में किया गया है।

चय–गुण :

असंभ्रान्तमसन्दिग्यम विनाश्यन्य बर्हितम् ।
अनुत्तम मनुद्वृत्तमकुब्जं न च पीड़ितम् ।।[२]
समानुखण्ड मृज्वन्तमन्तरङ्ग तथैव च ।
सुपार्श्व सन्धि सुश्लिष्टं सुप्रतिष्ठं सुसन्धि च ।।[३]
अजिनं चेति चेयस्य गुणा विंशतिरित्यमी ।
एतेषां वैपरीत्येन दोषाणामपि विंशतिः ।।[४]

असंभ्रांत, असंदिग्ध, अविनाशि, अन्यवर्हित, अनुत्तम, अनुद्वृत्त, अकुब्ज, अपीड़ित, समानखंड, ऋजु अन्त, अन्तरंग, सुपार्श्व, सन्धि–सुश्लिस्ट, सुप्रतिष्ठ, सुसन्धि तथा अजिह्य, ये बीस गुण चय के कहे गये हैं। वैपरीत्य से अर्थात इनके उल्टे बीस दोष भी हैं।

'सुवियक्त, बराबर, सुन्दर और चौकोर चुनाई शुभ कही गई है'। दक्षिण की तरफ जब दीवाल बहिर्मुख चुनी जाती है तो वह व्याधिभय की उत्पादक 'या' मृत्युदंड' की निर्देशक होती है। पश्चिमी दीवार जब बर्हिमुख चुनी जाती है तब 'धन हानि तथा दस्युओं से भय' प्राप्त होता है तो 'बनाने वाले तथा गृह स्वामी दोनों को व्यसन प्राप्त होता है' और जब स्थपति प्राची (पूर्व) दिया में कुड्य (दीवाल) क़ा बहिर्मुख निवेशन करता है तो विशेषज्ञों ने राजदंड के भय का निर्देश दिया है। यही फल कुडय के गिर जाने पर या फट जाने पर कहा गया है।

जिस दीवाल का (पूर्व–दक्षिण) प्राग्दक्षिण कर्ण (कोना) बहिर्मुख होता है वहां पर घोर अग्नियम और गृह स्वामी का संयम (जीवन–संयम) आपातीत होता है। दक्षिण–पश्चिमाभिमुख कर्ण जब बहिर्मुख होता है तो वहां पर लड़ाई के उपद्रव और हानि का संशय उपस्थित होते हैं। पश्चिमोत्तर कर्ण जब बहिर्मुख हो जाते हैं तो वहां पर पशु, वाहन और कुत्तों का संशय होता है। जब प्रागुत्तर (पूर्व तथा उत्तराभिमुख) कर्ण जब बहिर्मुख हो जाता है तो वहां पर गुरुओं का संशय और गाय बेलों का संशय पैदा होता है।

चय (चुनाई) के कुछ पारिभाषिक शब्द :– जब चुनाई का आकार निम्नानुसार होता है तो उसे अलग–

१–४/सं.सू./अ–३/२–४

अलग संज्ञाओं 'परिभाषित शब्दों' से अलग बताया गया है।

1. <u>मल्लिकाकृति</u> :-पहले बतायेनुसार चारों दीवालों के क्षेत्रों में चुनाई करते हुए यदि विशाल हो जाये तो वह कर्णिका के समान सहमत मल्लिकाकृति नामक चुनाई कही जाती है, वहाँ पर जितना व्यय होता है उतनी आय नहीं होती। चय के उस क्षेत्र से गृह स्वामी क्षीण होकर, घर छोड़कर भाग जाता है।

2. <u>ब्रह्म</u> :- यदि चुनाई करते हुए दीवाल बहुत ही संक्षिप्त हो जाए तो उस चय की ब्रह्म संज्ञा कही गई है, वहाँ पर राज-मय अवश्यम्भावी है। (याने चौड़ाई ऊपर जाते-जाते कम हो जाये)।

3. <u>तनुमध्य</u> :- यदि चुनाई करते हुए बाहर दो विस्तार और बीच में संक्षिप्त आपतित हो जाता है तो उसका नाम तनुमध्य ऊद्दिष्ट (बताया) गया है और वहाँ क्षुधा (प्यास) का भय समझना चाहिये। (अर्थात बाहर की ओर बढ़ जावे व बीच में कम हो जावे)।

4. <u>निर्णत</u> :- यदि कर्णो में (कोनों में) यदि उच्छ्त और मध्य से 'परीहीन' जो दीवाल चुनने से बनती है तो उसे निर्णत नाम दिया गया है और वहाँपर चोर का भय कहा गया है।

5. <u>कूर्मोन्नत</u> :- यदि कर्णो में (निर्णत के विपरीत) परीहीन और मध्य से उच्छ्त भरी चुनाई होती है तो उसे कूर्मोन्नत (अर्थात कछुवे की पीठ के समान उठी हुई) नाम की चुनाई समझना चाहिये ,ओर उसको सर्व दोषमयी भयावह कहा गया है। विषमोन्नत कर्णो में दैविक क्षय (धन नाश) का निर्देश किया गया है। ओर जहां पर कर्ण बराबर-2 चुने जाते हैं वहाँ पर खूब 'भक्ष्य और पान' उपस्थित होते हैं।

इस प्रकार से ये चयमान के गुण-दोष बताये गये हैं। इसलिए पूर्व प्रयत्न करके चय-कर्म अर्थात् चुनाई का निर्वाह करना चाहिये।

<u>चय प्रकार या विधि</u> :- अर्थात चय चुनाई को कैसे करना चाहिये ? पानी के साथ ही चुनाई का सामान निश्चय करण हो सकता है, क्योंकि बिना पानी की चुनाई के निश्चर्याथ और कोई साधन नहीं। इसलिए जल को वलय कंकड (मिट्टी आदि) को आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिये। फिर क्षेत्रमान के दुगने प्रभाव से डोरी बनाकर दोनों अन्त के भागों पर दो खूटियाँ गाड़ देनी चाहिये। फिर उन क्षेत्रों प्रान्त (भागों) सचित्र खूटियों पर सूत्र को बांध देना चाहिये। (दीवाल के छोर पर) पुनः उस पर इष्टानुमान (ईंट की मान से) चिह्न लगाना चाहिये। इससे दीवाल का कर्ण ठीक-ठीक चुना जा सकेगा। और इस प्रकार से दोषों का प्रसाधन करें।

चुनाई की दूसरी विशेषता यह है कि गारा (वर्तमान में मसाला) बहुत नहीं देना चाहिये। और न ही ईंटों का अधिक तोड़ना चाहिये। विषम ईंटों को वसूली से काटकर सम कर देना चाहिये। इस प्रकार दो दीवाल की चुनाई की जानी चाहिये। दीवाल की चुनाई हेतु बांधी गई डोरी (सूत) को स्पर्श न करें। पुनः दीवाल पर आदि, मध्य और अन्त पर एक दृष्टि डालनी चाहिये। सूत्राष्टक में दृष्टि का स्थान देखें।

जब चारों ओर का तल उद्घाटित हो गया अर्थात कुछ ऊंचा हो गया हो तो ,फिर बारी-बारी से चारों ओर चुनाई करनी चाहिये। एक ही स्थान पर पूरी चुनाई नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से स्तरों का उद्घाटन नहीं होगा। इसलिए चुनाई सब ओर थोड़ी-थोड़ी करके उठानी चाहिये, क्योंकि चारों ओर पाटना (मचान) बांधकर चुनाई करना ठीक होगा। समझदार योग्य स्थपति ऊपर से बगल पर बराबर कर चुनाई करता है और चारों और दीवालों का दाढ़ा छोड़ देता है। इसलिए यत्न से चय की विधि इस भूतल पर 'यशकारक' होती है और गृह स्वामी के लिये प्रचुर 'विभवकारक' होती है। यदि उक्त बताये स्थापत्यवेद के नियमों से चय कर्म किया जाये।

मानसार ग्रंथ अध्याय क्र. 11 'गर्भ विन्यास' में ही <u>भवनों की नींव</u>, उनके माप, आकार, पूजा एवं बलिकर्म विधान, ब्रह्माणादि, ग्रामों, जलाशय, वापी, कूप एवं मंदिरों की नींव के बारे में विवरण दिया गया है।

नींव :– नींव किसी भी रचना की जैसी होगी, उसका 'परिणाम' भी वैसा ही होगा। समस्त देव मंदिरों, द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के आवास, अन्य भवनों व ग्रामों की नींव, निम्नानुसार, तब ही शुभ होती है, जब वह वर्णित वस्तुओं से पूरी भरी जाकर, शास्त्रोक्त वर्णानुसार ही बनाना चाहिये। मानसार में नींव को मुख्यतः तीन विभागों में बांटा गया है – (1) भवन की नींव (2) ग्राम, नगर आदि की नींव (3) जलाशय या वापी कूप आदि की नींव।

1. भवन की नींव :– भवन की नींव को मंदिरों एवं आवासीय भवनों हेतु पृथक–पृथक बनाया गया है। मंदिरों से भी विष्णु, ब्रह्मा, शिव आदि के मंदिरों के लिये नींव का विधान पृथक से वर्णित है :–

माप एवं आकार :– नींव की गहराई तहखाने के बराबर होना चाहिये। चारों बाहु कोण या दीवाल, जो ईंट या पत्थर से बनी होती है, बराबर होनी चाहिये। माप एवं आकार, एक से बारह तल के भवनों के अनुरूप होना चाहिये। लम्बाई व चौड़ाई के बारह प्रकार के माप क्रमशः तीन और चार भाग से प्रारंभ होकर 25 और 26 भाग तक दो की वृद्धि दर से होना चाहिये। ये माप दण्ड द्वारा लिये जाने चाहिये। खुदाई की 'गहराई' चौके बराबर और 1/ या 1/5 रूम 'या' इसी तरह 1/4 कम होनी चाहिये। खुदाई की 'चौड़ाई' भवन के स्तर की चौड़ाई के बराबर 'या' 1/8 या 3/4 चौड़ाई के बराबर रखा जा सकता है। दीवाल की चौड़ाई (सभी चार दीवारें) एक, दो या तीन भाग खुदाई की गहराई के तीन भागों में से होना चाहिये। खुदाई की गहराई को चार भागों में विभाजित करके एक भाग आधार, दो भाग स्तम्भ व एक भाग प्रस्तर होना चाहिये। इसका (खुदाई) का आकार प्रवेत्र पर तीन स्तरीय (त्रिवर्ग) वर्गाकार मण्डल की तरह होना चाहिये।

३. उप पीठ :–मानसार के अध्याय क्र. 13, 14 व 15 में क्रमशः 'उपपीठ विधानम्' अधिष्ठान विधानम् तथा 'स्तम्भ लक्षणम्' में उनके विभिन्न प्रकारों की संज्ञाएं, अंगों–उपअंगों के नाम आदि विवरण दिए गये हैं।

'उपपीठ विधानम्' अध्याय में उपपीठ याने स्तम्भ का सबसे निचला भाग के बारे में बताया है। इस उपपीठ की कई प्रकार की ऊँचाइयों, चार प्रकार के वेदीभद्र, चार प्रकार के प्रति भद्र को उपपीठ की ऊँचाई को अधिष्ठान की ऊँचाई के अनुपात में बताए गये हैं। शिव, विष्णु देवताओं व चक्रवर्ती राजाओं के भवन में सभी निर्गण तंत्र अनुसार बताए हैं, जैसे पाद से उपान का निर्गण, उपान की ऊँचाई के बराबर या उससे सवा, डेढ़, पौने दो या दो गुना होना चाहिये। इसी प्रकार नय माप भी विभिन्न अंगों के अनुपात में दिये गये हैं।

'अधिष्ठान विधानम्' अध्याय में अधिष्ठान का अर्थ स्तम्भ का आधार है। एक से बारह तल वाले भवनों में बारह प्रकार से इसके माप तीस अंगुल से प्रारंभ होकर छह–छह अंगुल की वृद्धि दर से, चार हस्त तक होते हैं। ब्राह्मणों के भवनों में अधिका–अधिष्ठान की ऊँचाई चार हस्त, राजाओं हेतु तीन हस्त तक होना चाहिये।

अधिष्ठान को चौबीस या सत्ताईस भागों में विभाजित कर उसके विभिन्न उपांगों, वषृक, कुमुद, क्रम्प, पट्टी, जन्म, पद्म आदि के अनुपात बताए गए हैं। इसी प्रकार चार प्रकार के 'उरगबँध' चार प्रकार के प्रतिबंध, कुमुद बँध, श्री बँध, चार प्रकार के मंच बँध, श्रेणी बँध, पट्ट बँध, चार प्रकार का कुक्षी बँध, चार प्रकार का कम्प बँध, श्रीकांत अधिष्ठान के निर्गम व उनके दंड माप बताये गये हैं।

मानसार के ही अध्याय क्र. 15 'स्तम्भ लक्षणम्' में क्रम से उसके प्रकार, लम्बाई, चौड़ाई, आयादि सूत्र, अलंकार, पाद स्थापना एवं इसके निर्माण हेतु काष्ठ का संग्रह आदि के बारे में बताया गया है। ऋषियों ने स्तम्भ के बारह नाम जंघा, चरण, स्तलीव स्तम्भ, अंडध्रिकम्, स्थाणु, पाद, अरणि, भारक व धारण कहे हैं। स्तम्भ की ऊँचाई अधिष्ठान के ऊपर से उत्तर या उपपीठ के ऊपर जन्म और उत्तर के बीच नापी जाती है। स्तम्भ की लंबाई अधिष्ठान की ऊँचाई से सवा, डेढ़ या पौने दो गुना होती है। स्तम्भ के माप आदि उनके आकार अनुरूप दिये गये हैं। स्तम्भों के आकार जब चतुर्थ हो तो ब्रह्मकांत, आठ भुजवाला विष्णुकांत, सोलह भुजा वाला रूद्रकांत, पाँच भुजा वाला शिवकांत, छह भुजा वाला स्कन्धकांत कहलाता है। यह सभी मूल से अग्र (चोटी) तक एक–आकार के होते हैं। इनके पीठ, उपपीठ आदि के आधार पर इनके कई प्रकार दिये गये हैं।

स्तम्भ के विभिन्न अंगों का माप स्तम्भ माप के अनुपातिक भागों में दिये गये हैं। स्तम्भों के लक्षणों में दो स्तम्भों की जोड़ी का व्यास मुख्य स्तम्भ की 3/4 या 1/2 जो सुन्दर दिखे, वह होना चाहिये। फलक तक बोधिका मुख्य स्तम्भ के समान होना चाहिये। पालिका आदि अन्य अंग स्तम्भ के समान होना चाहिये। इसी प्रकार अन्य स्तम्भ ब्रह्मकांत, पाँच उप स्तम्भ वाला शिवकांत, छह स्तम्भ वाला स्कन्धकांत, आठ उपस्तम्भ वाला विष्णुकांत

कहलाता है।

काष्ठ स्तम्भों को बनाने के लिए लकड़ी के संग्रह हेतु मुहुर्त, शकुन–अपशकुन, मंत्र, वृक्षों के लिंग एवं अन्य काष्ठ संग्रह संबंधी विवरण दिया गया है। लकड़ी संग्रह हेतु माघ आदि चार मासों में, कृष्ण पक्ष में, शुभ दिन, शुभ मुहुर्त में लकड़ी संग्रह करना चाहिये। लकड़ी संग्रह हेतु 'शुभ शकुन' मद्यपात्र, बैल, भरा घड़ा, हाथी, वैश्यों, द्विजों का संघ, दर्पण, पुष्पमाला, राजा का छत्र, झूला, भरा लोटा, शिविर, कपड़े ले जाता धोबी, अग्रज तथा कामधेनू दिखना शुभ कहे गये है। 'अपशकुन' तब माना जाता है, जब दाहिनी ओर से बायीं कौआ, मोर, दीर्घ पूँछ पक्षी, काले पंख वाला, सफेद आंखवाला, छिपकली, जोंक, साँप, सारंग, चीता, गीदड़ आदि निकलते हैं। यही जब बायीं ओर दाहिनी और जातें हैं तो शुभ होते हैं। उल्लू, गिद्ध, जंगली, सफेद आँख वाला पक्षी, हिरन, खरगोश, मार्ग कीट, बहुरंगी गिद्ध, रक्त श्वान, शूकर, बाये से दायें जाना अशुभ है तथा दायें से बायें शुभ है। स्थपति को शास्त्रोक्त बलि, मंत्रोच्चार सहित देकर वन देवता की पूजा करनी चाहिये। वृक्षों के लिंग के बारे में बताया गया है कि जिस वृक्ष का मूल, स्थूल तथा अग्र भाग पतला होता है वह स्त्रीलिंग, जिस वृक्ष का मूल मध्य व अग्र समान व बिना शाखा चिकना स्वरूप हो वह पुल्लिंग तथा जो वृक्ष मूल में पतला, अग्र में स्थूल, बहुशाखा, अतिभारी जो खड़ा न रह सके, शीर्ष–फटा, गर्म, फैली शाखाओं, मनुजा समान दिखने वाला, नपुंसक कहलाता है। इसी प्रकार वृक्ष काटने के बाद उसके गिरने की दिशा आवाज, शकुन–अपशकुन आदि बताए गए हैं। काष्ठ स्तम्भ हेतु धूमक, खिरनी, खदिर, शाक, नीम, शमी, साल तथा मृग उपयोग में लाई जाती है। चीरे जाने वाले वृक्ष खदिर, कृतमाला, व्याघ्रका, द्राक्षा, साल, रूद्र तथा जामुनलेटी (आड़ी) अवस्था में काम आते हैं, जबकि खड़ी अवस्था में मंदिरों, गृहों के लिए नारियल, बाँस, किशंकु, पुश्कल, आँवला, सप्तपर्ण आदि उपयोग किये जाते हैं। स्तम्भ स्थापन के बारे में बताया गया है कि इन्हें एक–दूसरे से समान दूरी पर होना चाहिये। यह एक सीध में स्तम्भ से स्तम्भ के बाहरी अंत तक यदि अंतर व्यास का आधा हो तो दोष नहीं होता है। इसका स्थापन शुभ–मुहुर्त, मास, दिन आदि में कर अंकुरार्पण, जल से धोने, रत्न स्थापन, बलि कर्म व अन्य अनुष्ठान शास्त्रोक्त तरीके से कर स्थपति तक्षकों के हाथों वास्तु की परिक्रमा कर पश्चिम की ओर उतारकर गड्ढे में रखें, पश्चात् रत्नादि अर्पण कर निम्न मंत्र से पूजा करें।

(ओ) स्तम्भ महामेरो वास्तु दद्याथश् (ध्यात्यावच) चंद्रदिवाकरम् (दौ)।
अनयैः (न्यान) स्तम्भं (म्मां) श्च मूर्ध्ना ते धृत्या रक्षतु, घोन्नतम् ॥[१]

हे। स्तम्भ तू महा मेरू पर्वत है, इस वास्तु के लिये सूर्य, चन्द्रमा और अन्य सब देवता इसकी चोटी की रक्षा करें।

४. तल :–मानसार के अध्याय क्र. 14 विमान लक्षणम व क्र. 19 से 30 एक से बारह तलीय भवन :–

मानसार ग्रंथ में तल–भवनों के बारे में अतिरिक्त विवरण– 1 से 12 तलों वाले यवनों का दिया गया है अध्ययन–18 ''विमान लक्षन'' में बताया गया है कि देवता व ब्राम्हणों के लिये 1 से 12 तल यमन होते हैं।

विमानलक्षणां चैव संक्षेपाद्वक्ष्यतेऽधुना।
तैतिलानां द्विजातीनां वर्णीनां वासयोग्यकम ॥[१]
एकभूमिविमानादिरविभूम्यवसानकम्।
भक्तिसंख्या (ख्यां) तदाकारं स्थू (स्तू) पिकाद्यैश (दि) च लक्षणम ॥[२]

इन भवनों की संख्या उनके आकार स्तूपि, लुपमान, स्तुपियां के आधार पर होकर स्थापना का विवरण दिया हुआ है। सबसे छोटे, माध्यम (उत्तम) श्रेष्ठ आधार की विभिन्न चौड़ाई के ''याग'' का अनुपात लेकर कई भेद बताये गये हैं। इन तलीय यवनों को स्त्प, हर्म्य, ग्रीवा, शिखर आदि – के विभिन्न अनुपात में कई ओर प्रकार बताये गये है।

भवनों के द्रव्यों के मिलन की संख्या के आधार पर तीन प्रकार के शुद्ध, मिश्र व संकीर्ण बताये है एक ही द्रव्य से बने शुद्ध, दो से बने मिश्र, तीन से बने सकीर्ण कहलाते है।

इन भवनों मे स्त्प की लम्बाई चौड़ाई को अनुपात के साथ लकड़ी या लोहे की कीलो को लगाना यही भी बताया गया है। ईटों के लिंग स्त्री, पुरूष, नपुसंक लिंग भी बताये गये है।

इसी प्रकार अंवर, वियत, ज्योति, गगन, विहाय, अनंत, अंतरिक्ष तथा पुष्कल आठ यांत्रिकी ल्पा (८०००) देवमंदिरों हेतु बताई गई तथा मही, ज्या, काश्यपी, क्षोणी, उर्वी, गोत्रा तथा वसुंध, ये आठ प्रकार की ल्पा मनुष्य के ग्रंथों में बनाने का बताया गया है जो लूपा व शिखर की ऊंचाई पर आधारित है प्राचर, कस्प, चंद्र कुक्षि,

१-२/मा/अ-१५/२१३-१४

नीड़ के अनुपात माप भी दिये गये है।

ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के मंदिरों में स्तूपि की प्रतिष्ठा करना चाहिये ऐसा करने से यजमान के घर में तथा राजा के घर में मुक्ति तथा मुक्ति होती है ऐसा नही करने से नर नारी को कष्ट होता है।

मानसार के अध्याय 19 से 30 में एक से 12 तक के भवनों के बारे में अति विस्तार रूप से वर्णन दिया गया है। भवनों को माप के आधार पर 4 प्रकार का बताया है।

पूर्वहस्तेन संयुक्तं हर्म्य जातिरिति स्मृतम्।
छन्दं त्रिपादहस्तेन विकल्पं स्यात्तदर्धकम् ।।[३]
आभासं चार्धहस्तेन धर्म्यादीनां तु मानयेत्।
एतदायासदिशुद्धार्थं स्थानकादि त्रिधा भवेत् ।।[४]

पूर्व हस्त से युक्त हर्म्य (यवन) को जाति कहते हैं, छंद पौन हस्त (माप ईकाई) का बताया गया है। विकल्प 1/2 हस्त का, आभास 1/4 हस्त माप इकाई का होना बताया गया है।

इसी प्रकार मान के ऊँचाई, लम्बाई में (स्थिति) के अनुसार मान प्रकार बताये गये हैं। ऊँचाई के मान से ग्रह के मान को करने पर स्थानक कहलाता है। जब मान लम्बाई से करते हैं तो आसन कहलाता है। जब मान चौड़ाई से करते हैं तो यमन कहलाता है। इसी प्रकार हर्म्य पर मंदिर में इन्हीं स्थिति में क्रमशः माप को, आसन को संचित, स्थानक को असंचित, तथा शयन को अपसंचित कहा गया है।

इसी प्रकार भवनों के लिंग भी बताये गये हैं समाज व समवृत्त होने पर भवन पुरूष कहलाता है। आयताकार होने पर हर्म्य स्त्रीलिंग कहलाता है, पुरूष प्रासाद में पुरूष प्रतिमा व स्त्री प्रासाद में स्त्री प्रतिमा समर्पित करना चाहिए।

इन भवनों को शिखा, ग्रीथ, यद्र, केन्द, स्तरपी, शिखर, वेदी, मंच, अन्तःपुर, अनुशाला, रंगशाला आदि के आकार व आधार पर विभिन्न भेद व प्रभेद 1 से 12 तलों वाले भवनों के बताये गये हैं।

एक तलीय में – वैजयन्तिक, श्रीविचार, स्वस्तिबंध, हस्तिपृष्ठ, स्कन्धतार, केसर, आदि संज्ञायुक्त होते हैं।

द्वितीय – श्रीकर, विजय, सिद्ध, पोष्टिक, कांतक, प्रभूतक स्वस्तिक, तथा पुष्कल आदि बताये गये हैं।

त्रितीय तलीय – श्रीकांत, सुखालय, केसर, कमलांग, ब्रह्मकांत, मेरूकांत, कैलास कहे गये हैं। चतुर्थ तलीय – विष्णु कांत, चतुर्मुख, ईश्वरकांत, श्रीकांत, मंचकांत, वेदीकांत, कहे गये हैं। पंचतलीय – प्रस्तुर, स्कंध में प्रभेद से, भूतकांत, विश्वकांत, मूर्तिकांत, ग्रहकांत, यमकान्त, महाकांत कल्याण, यज्ञकान्त, ब्रह्मकांत।

षठ तलीय :- इसके अधिष्ठान, प्रास्तर, शिखर, स्तूपी में प्रभेद, पद्मकांत, कांतार, सुंदर, उपभाव, कमलाक्ष, रत्नकांत, ज्योतिकांत आदि।

सप्ततल :- अधिष्ठान अंतराल, कूट शाला, कर्णकूट, मंचक अलिन्द से प्रभेद। पुण्डरिक, श्रीकांत, श्रीभोग धारण, आश्रमागार, हिमकांत।

अष्टतल :- कर्णकूट, अंतर, अंतराल, कोष्ठ से प्रभेद। भूकांत, भूपकांत, स्वर्गकांत, तपसकांत, सत्यकांत, देवकांत।

नव तल :- चौड़ाई, ऊँचाई, शाला भद्र, कोष्ठ, कर्णकूट से भेद। सौरकांत, रौरव, चंडित, भूषण, विवृत, सुप्रतिकांत।

दस तल :- चौड़ाई, कूट, शाला, हारा भद्र, अनुशाला से भेद – भूकांत, चंद्रकांत, अंतरिक्ष, मेघकांत, अब्जकांत।

एकादश तल :- तलों के भाग कूट, भद्र, मध्य भद्र आदि से प्रभेद, शंभुकांत, ईशकांत, चंद्रकांत, बज्रकांत, अर्ककांत।

३-४/मा/अ-१९/२-३

द्वादश :- तलों के भागों महाशाल, भद्र, कूट आदि से प्रभेद। पांचाल, द्रविड़, मध्यकांत, कलिंग, विराट, केरल, वंशक, मागध, जनक व गुर्जक कांत, विभिन्न जाति भवन आयादि लक्षण जाति छंद, विकल्प, आभास से।

जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भ.नि.) - में विशेष तौर पर तलीय भवनों का कोई अध्याय या कहीं कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। सा.सु.(भ.नि.) के अध्याय क्र. 32 ग्रह द्रव्य प्रमाण में बताया है कि -

वेदिकाजालसम्पन्नं तलं कार्य मनोरमेम्।
भूमौ भूमौ भवेत् तच्च द्वादशांशविवर्जितम्॥[१]
प्रणाल्य: सर्वत: कार्या मूलग्राहाग्रनिर्गमा:।
दण्डच्छाद्यं गृहेषु स्याज्ज्ञेयं तच्च चतुर्विधन्॥[२]

तल विन्यास में वेदिका (जाली) से समपन्न मनोरम तल बनाना चाहिये। एवं भूमि (तल) से दूसरी भूमि पर वह द्वादश (12) अंशों से विदर्जित होना चाहिये। अर्थात कम होना चाहिये। सब तरफ से मूल ग्राह्म निर्णय अर्थात मकरों के मुख से जिनसे पानी बह रहा हो, ऐसी प्रणालियाँ बनाना चाहिये।

सं.सू. (भ.नि.) के ही अध्याय क्र. 45 द्वार गुण दोष फल में तलों के बारे में बताया गया है कि -

सार्धत्रिभूमि शुद्राणां वेश्म कुयाद् विभूतये।
अतोऽधिकतरं यत् स्यात् तत् करोति कुलक्षयम्॥[२]
वेश्यस्य वर्धयेतद् गेहमर्धपश्चमभूमिकम्।
अतिप्रमाणे तत्रास्प धनबन्धुपरिक्षय:॥[३]
क्षत्रियस्य गृहं कुर्यादर्धष्ठतलं परम्।
- सम्पद्बलसमृद्धचै तदतिरिक्तं तु तच्छिदे॥[४]
परं विप्रस्य भवनमर्धसप्तमभूमिकम्।
स्वाध्यायाचारभोगार्थ मत्युच्चं तु भयावहम्॥[५]

शुद्रों का ३½ तल (भूमि) वाला भवन कल्याण के लिये होता है इसमें बढ़कर जो छोटा है व कुल का क्षय करता है।

वैश्यों का घर ५ तल (भूमि) वाला होता है व इस प्रभात को अतिक्रमण करने पर धन व बन्धु का मान्य कहा गया है।

क्षत्रिय का श्रेष्ठ घर ६½ तल वाला सम्पत्ति, बल और समृद्धि का करने वाला होता है और इस प्रभात के अतिरिक्त बनाया गया मकान उस सम्पत्ति व बल का नाश करने वाला होता है।

ब्राह्मण (विप्र) का भवन ४½ तलों वाला होता है घर स्वाध्याय, आचार व योग के लिये अच्छा माना गया है और अधिक ऊँचा अधिक यथावर माना गया है।

इस प्रकार समराङ्गण सूत्रघार ग्रंथ में तलों से सम्बन्धी उर्पयुक्त विवरण उपलब्ध है।

५. शाल विधानम् :- मानसार के अध्याय क्र. 35 'शालविधानम' में बताया गया है कि शालाऐं (Rooms) छह प्रकार की होती है - दण्डक, स्वस्तिक, मौलिक, चर्तुमुख, सर्वतोभद्र, वर्धमान। एक शाला में कोई संधि नहीं होती, द्विशाला में एक संधि, त्रिशाला में दो, चर्तु:शाला में तीन संध व इसी तरह नौ शाल में आठ संधि व दस शाल में अनेक संधि होती है। देवताओं, ब्राह्मणों और द्वि जातियों के घर एक या अधिक तल वाले, चूली हर्म्य (Top Tower) युक्त होना चाहिए। देवताओं, ब्राह्मणों, राजाओं, वैश्यों, शुद्रों, तपस्वियों, आश्रमियों, हाथी-घोड़े तथा रथ पर युद्ध करने वाले पुरोहित, शिल्पी मणिकाओं के गृह, चर्तुमुख प्रकार के एक-दो या तीन शाला वाले होना चाहिए। स्वास्तिक शालाएँ सब गणिकाओं के लिए योग्य होती है। दण्डक शालाओं में जब शाला पूर्व व पश्चिम में हो तो घर पश्चिम से पूर्व तक होना चाहिएं। अर्थात् शालाएँ चारों दिशा में होना चाहिए। पूर्व में बनी एक शाला का

१-२/मा/अ-३२/४७-४८ व २,३,४,५/ स.सू/अ.-३५/२१-२४

द्वार पश्चिम में, दक्षिण शाला का द्वार उत्तर, पश्चिम शाला का द्वार पूर्व में व उत्तर शाला का द्वार दक्षिण में होना चाहिए। इसकी चौड़ाई एक भाग व लंबाई इच्छित, एक शाला में अलिन्द भी इच्छित दिशा में होना चाहिए। इस प्रकार से संयुक्त होने पर दण्डक कहलाता है। इसमें जब मध्य में द्वार तथा मुख में एक मंजिल हो तो यह दण्डकांत कहलाता है व देवताओं के योग्य होता है। इसमें वंश के अग्र में रंगशाला हो व आगे अलिन्द हो या ऊपर दो वास शाला के मध्य हो आदि को भी दण्डक कहते है। जब चारों ओर बरामदा ,एक भाग हो तो उसे भी दण्डक कहते हैं। इसके विभिन्न वंश, भीत, भद्र, निर्गम, तल, कर्ण, हर्म्य, कूट। अलिन्द के विभिन्न अनुपात आदि के आधार पर कई प्रकार की दण्डक शालाओं का विवरण दिया है।

स्वस्तिक शाला में ग्यारह प्रकार की चौड़ाई, तीन हस्त से प्रारंभ होकर दो-दो हस्त बढ़ाते हुए चौबीस हस्त तक तथा सात प्रकार की चौड़ाई दो-दो हस्त बढ़ाते हुए उन्नीस तक व आठ से प्रारंभ कर बीस तक होती है। यही माप मौलिक शालाओं के लिए भी होती है। देवताओं व तपस्वियों की शाला आवास की चौड़ाई से दुगनी दो-दो हस्त बढ़ाते हुए होना चाहिए। ब्राह्मणादि चार वर्णों की शाला की लंबाई, चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए।

चर्तुमुख शाला चारों दिशाओं में जब चार शालाएँ संयुक्त होती है वह चर्तुमुख शाला कहलाती है। इसे चतुशालय भी कहते हैं। इसकी चौड़ाई दस भाग, लंबाई बारह भाग तथा मध्य में आँगन की चौड़ाई दो भाग व लंबाई चार भाग होना चाहिए। उसके बाहर चारों ओर एक भाग नन्द्यावर्त आकार का अलिन्द हो तथा उसके बाद पूर्व से प्रारंभ करके चारों दिशाओं में शालाएँ हो। इन शालाओं में दो नेत्र (eye and face) तथा बाहर नेत्र का निर्गम एक भाग हो तथा चारों नेत्र बाहर की ओर देखें। इसमें चारों शालाएँ इस प्रकार हुई, कि यह दण्डक की आकृति आपस में जुड़ी हो।

सर्वतोभद्र शाला जब चारों दिशाओं में चार शाला हो व उसके सामने अन्तराल (Coridoor) हो वह साथ ही भद्र हो सर्वतोभद्र कहलाता है। सर्वतोभद्र विशेष रूप से सप्तशाला कहलाता है। सर्वतोभद्र शाला वर्गाकार हो। इसमें आठ भागकर मध्य आंगन चार भाग, चारों ओर एक भाग अलिन्द शाला दो भाग चारों ओर हो व उसमें चार वास हो। इसी प्रकार अन्य भद्र, निर्गम, अलिन्द के साथ विकल्प बताए गए हैं जिसमें आंगन छत या बिना छत युक्त व एक या अनेक तल होना चाहिए। उसके बाहर एक भाग चारों ओर कंकड़ की कुटाई से युक्त हो।

वर्धमान शाला में नौ या दस हस्त से प्रारंभ होकर दो-दो हस्त की वृद्धि दर से उनतीस या तीस हस्त तक होकर लंबाई, चौड़ाई से दुगनी होना चाहिए। तथा ऊँचाई पूर्ववत् होना चाहिए। चौड़ाई दस भाग लंबाई बारह भाग, मध्य आँगन की चौड़ाई दो भाग व लंबाई चार भाग व उसके बाहर चारों ओर अलिन्द चार भाग युक्त होना चाहिए। ईशान में एक तल, आग्नेय में दो तल, वायु में तीन तथा नेऋत्य में पाँच तल बनाने चाहिए। इसी प्रकार भद्र प्रस्तर, उप पीठ, अलिन्द, कोष्ठ, पंजर, कूट आदि के विभिन्न अनुपातों के साथ विवरण दिया गया है। वर्धमान शाला सब प्रकार की पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए। पार्श्व में यह दण्डक के आकार की हो किंतु, तल मंजिल में भूमि हो।

इन शालाओं में कर्ता की राशि के अनुसार होना चाहिए। दण्डक शाला गृहणी के अनुकूल पूर्व व पश्चिम में बनी शाला मेष, मीन या कुंभ राशि वालों के लिये तथा दक्षिण व पश्चिम की शाला कुलीर, वृष, मिथुन राशि के लिए शुभ है एवं पश्चिम व उत्तर शाला सिंह, कन्या राशि के लिए, पूर्व व उत्तर की शाला मकर, वृश्चिक या धनु राशि के लिए शुभ होती है। पूर्व दिशा में कुंभ व मकर में, दक्षिण में मेष व वृषभ में, पश्चिम में सिंह व कर्क में तथा उत्तर में वृश्चिक व तुला में गृहारम्भ का शुभ मुहुर्त व लग्न होता है। चारों दिशा में चार भाग का वास्तु पुरूष बनाना चाहिए उसके माप के अनुसार सब भवनों को बनवाना शुभ होता है। वास्तु-पुरूष के विपरीत दिशा में कार्य नहीं करना चाहिए, यह विपत्तिदायक होता है। वास्तुपुरुष की ठीक शयन की रीति है, कि चरण नैऋति की ओर होना चाहिए। गृह की लंबाई -चौड़ाई, पुरूष की लंबाई-चौड़ाई के साथ होना चाहिए। गृह की लंबाई के साथ उसके पैर ऊपर की ओर चार भाग में, पेट एक भाग में चार मध्य पादों के अंत में होना चाहिए। लिंग से तलवे तक लंबाई चार भाग में, लिंग

से ऊपर सिर की लंबाई चार पाद के अंत में एक भाग होना चाहिए। हृदय की स्थिति सिर के नीचे एक भाग होना चाहिए। इसमें चौड़ाई का मध्य-सूत्र इसका मुख द्वार कहलाता है। इन सभी में अलंकारों से युक्त होना चाहिए। इसमें लंबाई के लिए आय व्यय तथा ऋक्ष के सूत्र, चौड़ाई के लिए योनि का सूत्र तथा परिधि के लिए तिथि व वार का सूत्र तथा भवन विधान के अनुसार क्षय तथा वृद्धि का उपयोग करना चाहिए। भूमि व तल के अतिरिक्त सब शालाओं में नासिका, तोरण आदि बनाना चाहिए तथा लताओं व मकरी के मुख से, अलंकृत करना चाहिए तो वह लक्ष्मी सौभाग्य, आरोग्य व सुख देने वाले होते हैं।

जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) के अध्याय क्र. 24, 26, 27, 28 में एक से चार शाल भवनों के भेद, अलिन्दों, तीर्थक, षटदारूक के निवेश से, उनके सम्मुख, आंतरिक विन्यास आदि के आधार पर इनके शाल प्रभेद, सैंकड़ो संज्ञाओं के साथ एक से दस तल भवनों का विवरण दिया गया है।

स्थापत्य वेद में शाल भवन से अर्थ मकान या भवन के कमरों हॉल आदि से है। आलिंद (चबूतरा) या बरांडे को कहा जाता है। एक शाल से लेकर 10 शाल भवनों तक का वर्णन समरांगङ्गण में विहित है। जिसमें आलिंद, शाला, मूषा, चुल्लीभेद आदि से लाखों प्रकार के घर, उनके अलग-अलग नाम सहित वर्णन किये गये हैं एवं उनके नाम के अनुसार ही उन भवनों के गुण-दोष आदि वर्णित है। जिस प्रकार कम्प्यूटर टेक्नालॉजी में बायनरी सिस्टम (01-01) द्वारा संकेत वाली भाषा प्रयोग में लायी जाती है, उसी प्रकार स्थापत्य वेद में भी शाल भवन एवं आलिंद को रेखांकित करने हेतु - लघु, गुरू क्रमश: आलिंद व शाला हेतु संकेत प्रयोग में लाया जाता है। जिनका विभिन प्रकार से संयोग व स्थापना करने पर कई हजार प्रकार के घरों का निर्माण संभव है, जिन्हें उनके गुण-दोष के आधार पर अलग-अलग नामकरण किया जाकर उनके तथ्य प्रमुख रूप से निम्नानुसार वर्णित है :-

1. <u>एक शाल भवन :</u>- एक शाल भवन में कमरा या हाल आदि लगातार एक होता है, पर लघु स्थानों में आलिंद के सहयोग से अलग-अलग नाम गुण-दोष होते हैं। प्रमुख तौर पर एक शाल भवन 16 प्रकार के होते हैं। इनके नाम है - ध्रुव, धन्य, जय, नंद, खर, कांत, मनोरम, सुमुख, दुर्मुख, क्रूर, सुपक्ष, धनद, क्षय, आक्रंद, विपुल और विजय। स्थापत्य के अनुसार एक शाल भवन के 50 भेद हैं व मनीषी पंडितों के अनुसार 108 भेद कहे गये हैं। यह 16 प्रकार के भवन उनके नाम के अनुरूप ही गुण वाले होते हैं।

2. <u>द्विशाल भवन :-</u> द्विशाल भवनों की संख्या करीब 52 है। इसमें लगातार दो कमरे व विभिन्न प्रकार के आलिंदों की रचना से 5 भेद प्रमुख रूप से कहे गये हैं। यह है सिद्धार्थ, यमसूर्य, दंड, वात, चुल्ली, और काँच। जैसे सिद्धार्थ नामक ग्रह वह है जिसमें घर में हस्तीनी और महिषी में दो शालायें हो, यमसूर्य में महिषी व भावीशालाओं से युक्त मृत्युकारक घर होता है व दंड नामक ग्रह दंड भय देता है। इसमें गावी और छागली नामक दो शालायें होती है। उद्वेगकारक वात, नामक गृह हस्तिनी और छागली शालाओं से युक्त होता है। धन का अपहरण उपस्थित करने वाली और उद्वेग करने वाली चुल्ली नाम वेश्म महिषी और अजा इन दो शालाओं से युक्त होता है। 'मित्र की प्रीति' का नाश करने वाला <u>काँच नामक</u> गृह और गावी नामक शालाओं से युक्त होता है। इसी प्रकार अन्य 52 प्रकार के भेद कहे गये हैं।

3. <u>त्रिशाल भवन :-</u> इसमें लगातार विभिन्न आलिंदों के साथ विभिन्न स्थिति में दिशाओं के आधार पर 72 प्रकार के भवन बताये गये हैं। जिसमें 4 प्रमुख भेद मुख्य रूप से निहित है। 1. हिरण्यनाभ 2. सुक्षेत्र 3. चुल्ली तथा पक्षन्ध। हिरण्यानाभ उत्तर शाला से हीन यदि हो तो उत्कृष्ट कहा गया है व घर मालिक के लिये धन देने वाला होता है। शुक्षेत्र पूर्व शाला से हीन होने पर मालिक के लिये ऋदिध एवं वृद्धि लायक होता है। चुल्ली दक्षिण शाला से हीन, धन का नाश करता है। पश्चिम शाला से हीन, पक्ष, धन, बैर कराने वाला होता है एवं कुल का विनाश करने वाला कहा गया है। इन चारों प्रकार के भेंदों में आलिंदों लघुप्रस्त एवं मूषाओं के योग से प्रत्येक के 18-18 प्रकार के भेद होते हैं। जिन्हें अलग-अलग नाम से जाना जाकर उनके गुण-धर्म के आधार पर 72 प्रकार के त्रिशाल भवनों के रूप में बताया गया है।

4. <u>चतु:शाल भवन :-</u> चतु:शाल में मूषाओं के भेद से 256 प्रकार के घर बताये गये हैं। यह गृह भेद आलिंद विभी (गली), प्राग्रीव (आधार), नीरयुहक (कंगूरा) तथा गवाक्षों (खिड़की) से अग्र भद्र विन्यास रचनाओं से अनेक प्रकार के परस्पर संवाद न होने के कारण संवृत्त और विकृतों से उत्पन्न होते हैं। जिनकी संख्या नहीं होती है। अर्थात संख्यातीत भेद बनते हैं। प्रमुखत: एक भद्र चतु:शाल के 8 भेद, द्विभद्र के 28 त्रिभद्र के 56 चतु:भद्र के 70, पंचभद्र चतु:शाल के 55 व छ:चतु:शाल के 28 भेद हैं। एवं सात चतु: शाल के 8 भेद होते हैं। इस प्रकार चतु:शाल भवन के 256 भेद होते हैं।

5. <u>पंचशाल भवन :-</u> इसी प्रकार कमरें एवं आलिंद के आधार पर द्विशाल व त्रिशाल भवनों के योग से पंचशाल भवन बनते हैं। जिनके 1024 प्रकार बताये गये हैं। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र चारों ही वर्णों के लिये प्रशस्त कहे गये हैं। चारों वैश्मों में हिरण्यनाभ, प्रभुपी, सिद्धार्थ आदि के समायोग से 8 तरह के घर बनते हैं। हिरण्यनाभ व सिद्धार्थ के योग होने पर हेम कूट नामक घर होता है व वात के साथ इसी का योग होने पर स्वर्णशेखर होता है। सुक्षेत्र का सिद्धार्थ के साथ संयोग शिर्यावह नाम घर निर्माण करता है। और उसी यमसूर्य के साथ संयोग होने पर मधविधि नामक वैश्म बनाया जाता है। चुल्ली का यमसूर्य के साथ सहयोग होने पर सदादीप्त उत्पन्न होता है व उसका दंड से संयोग चित्रभानु नामक घर बनाता है। इसी प्रकार अन्य 1024 प्रकार के घर शास्त्रों में विहित है।

6. <u>षंटशाल भवन :-</u> एक शाल, दोशाल, त्रिशाल तथा चतु:शाल इन भवनों के पारस्परिक योजनाओं से षटशाल भवनों के लक्षण और उनकी संख्या बताई गई है। इनके 16 भेद होते हैं। पक्षधन और वात इन दोनों का एक शाल भवन से संयोग होने पर ''पंकजाकूर'' नामक षटशाल भवन होता है। और एक शाल भवन के साथ हिरण्यांभ और सिद्धार्थ जब संयुक्त होते हैं तो ''श्रीगृह'' नामक शुभ गृह बनता है। एक शाल गृह इन दोनों के संयोग से ''धनेश्वर'' नाम का घर धनवृद्धि के लिये होता है। एक शाल गृह जब दंड और चुल्ली के साथ सहयोग करता है तो प्रभुत कांचनप्रभु नामवाला घर होता है इस प्रकार विभिन्न संयोगों से 44 प्रकार के भेद दिये गये हैं एवं इनके मूषाओं के संयोजन से 924 प्रकार के घर होते हैं।

7. <u>सप्तशाल भवन :-</u> त्रिशाल व एक शाल के संयोग से बनकर 12 भेद लिये होते हैं। प्रमुख है - श्रीप्रदायक, श्रीपद, श्रीमाल, आदि के साथ मूषाओं के संयोग से कुल 792 प्रकार के घर बनते हैं। उन्हीं नामों में ही उनके गुणों का रहस्य छिपा है।

8. <u>अष्टशाल भवन :-</u> बाहर व भीतर के दो चतु:शाल भवनों के संयोग से एक भेद होता है। सर्वभद्रादिकों के दो-दो संयोग से दूसरे और 10 भेद हुये। 19 पद वास्तु से चौकोर क्षेत्र विभाग का विभाजन करना चाहिये। दो त्रिशाल व द्विशाल मिलने से अष्टशाल भवन निर्दिष्ट है। इस प्रकार एक, दो, तीन भद्र से 10 भद्र तक विभिन्न मूषाओं आदि के विलय से 65,536 प्रकार के अष्टशाल भवनों को शास्त्रों में उल्लेख मिलता है।

9. <u>नौ शाल भवन :-</u> चतु:शालों के संयोग से संक्षेप में एक-एक शाल के योग से 4-4 नौशाल बनते हैं। सर्वतोभद्र आदि मुख्य वेश्मों के जोड़ों के साथ एक और एक, एक शाल के योग से 40 भेद होते हैं व इस प्रकार विभिन्न मूषाओं के संयोग होने पर 2, 62, 144 प्रकार के भवनों का नामकरण किया गया है।

10. <u>दस साल भवन :-</u> एक द्विशाल के साथ समान दो चतु:शाल के योग से संक्षेप में 4 प्रकार के 10 शाल वेश्म होते हैं और प्रधान वेश्म और सर्वतोभद्र के दो-दो के परस्पर योग से और एक द्विशाल के योग दूसरी संख्या 40 हुई है। इस प्रकार दस शाल भवन के कुल, <u>10, 48, 576</u> मकान <u>भारतीय स्थापत्य वेद में वर्णित है।</u> अत: हमने यह पाया कि आलिंद, मूषा व शाला जो हवा (वायु) और प्रकाश एवं उष्मा के लिये घर में प्रमुख

प्राकृतिक स्त्रोत है, उन्हें अपने उद्देश्य के अनुरूप ही इस तरह से व्यवस्थित किया जावे, ताकि प्रकृति से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त की जाकर प्रकृति के सहयोग से सर्वसुख संपन्न रह सके। इनके नामकरण भी आकस्मिक या ''वर्तमान में प्रचलित'' नाम जैसे नहीं है। इनके नाम में ही इनके गुण छिपे हैं, अत: आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग में विधा देने में इनका समावेश किया जाना नितांत आवश्यक है 'भवन निर्माण की इजाजत देने वाले प्रतिष्ठान' भी इसकी जानकारी रखे तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा।

समराङ्गण सूत्रधार (भवन-निवेश) के ही अध्याय क्र. 30 समस्त गृह संख्या में भी चतु:शाल से दस शाल भवनों के बारे में विवरण मिलता है।

पञ्चशालं भवेद् योगाद गृहयोद्वित्रिशालयो :।
यद्वा योगाद् भवेदेतच्चतु: शालै कशालयो: ॥[1]

द्विशाल और त्रिशाल गृहों के योग से ,पञ्च शाल गृह बनता है अथवा चतु:शाल व एक शाल गृहों के योग से पञ्चशाल गृह बनता है। यह चारों वर्णो के लिये प्रशस्त होता है। चारों वेश्मों के हिरण्यनाभ, प्रभृति, सिद्धार्थ आदि के समायोग से आठ प्रकार के गृह होते है। जब हिरण्यनाभ के साथ सिद्धार्थ का योग हो तो हेमकूट तथा इसका वात् के साथ सहयोग होने पर स्वर्ण शेखर, सुक्षेत्र, सिद्धार्थ से सहयोग होने पर श्रियावह व इसी का यम, सूर्य के साथ सहयोग होने पर महानिधि वेश्म होता है। चुल्ली का यम के साथ सहयोग से सदादीप्त उत्पन्न होता है और उसका दण्ड से सहयोग हो तो इसे चित्रभानु कहते हैं। चतु:शाल में एक शालों के हस्तिनी आदि चार शालाओं के योग से पञ्चशाल के बीस भेद होते हैं। जब सर्वतोभद्र वेश्म की शाला अजा होती है तो उस गृह को सुदर्शन कहते है। व इसका करणी से योग होने पर सुरूप कहलाता है। पुन: इन चारों के हस्तिनी आदि शालाओं के योग से क्रमश: सुनाभ, सुप्रभ, योग्य, विनोद नामक गृह होते हैं। इसी प्रकार महिषी, रूचक, स्वस्तिक आदि शालाओं तथा मूषा भेद से 1024 भेद पञ्चशाल भवनों के होते हैं। छह शाल भवन एक, द्वि, त्रि, चतु:शाल इन भवनों के संयोग से षटशाल भवन सोलह भेद लिए होते हैं। पक्षध्न और वात इन दोनों का एक शाल से संयोग होने पर ''पंकजांकुर नामक उत्तम षट्शाल'' भवन होता है।

एक शाल के साथ हिरण्यनाभ और सिद्धार्थ संयुक्त हो तो 'श्रीगृह' तथा सुक्षेत्र और यम, सूर्य के संयोग से धनेश्वार नामक गृह धन वृद्धि के लिए होता है। इसी प्रकार अन्य शालाओं के योग से एवं मूषा की संयोजनाओं से 4096 प्रकार के षट्शाल भवनों के भेद होते हैं।

सप्तशाल भवन त्रिशाल के जोड़े व एक शाल के योग से बनता है। उसके 12 भेद होते हैं। एक शाल और द्विशाल जब चतु:शाल से संयुक्त होता है तब सप्तशाल का दूसरा प्रकार होता है। यम, सूर्य से एक शाल व चतु:शाल का जब संयोग श्रीप्रदायक नामक गृह होता है। इसी तरह सिद्धार्थ के साथ श्री माल निषपंद होता है। सर्वतोभद्र का यम-सूर्य और एक शाल से संयोग होने पर श्रीफल नामक गृह होता है। इसी प्रकार नन्द्यावर्त, हिरण्यनाभ, स्वस्तिक आदि ग्रहों के साथ अलिन्द, मूषा आदि के संयोग से 16, 384 सप्तशाल वेश्म होते हैं।

अष्टशाल भवनों में दो चर्तु:शाल भवनों से एक भेद तथा सर्वभद्रदिको के दो-दो के संयोग से दूसरे दस भेद होते हैं। इनमें उनतीस पद वास्तु से चौकोर क्षेत्र विभाग का विभाजन कर दो भागों से मूषा का, चार भागों से शाला का, पाँच भागों से मध्य आंगन में वापी का न्यूास तथा उस वास्तु में प्रत्येक दिशा में चार मूषाएँ होनी चाहिए। एक शाल व सप्तशाल के संयोग से दो त्रिशाल व एक द्विशाल भवन के संयोग से भी अष्टशाल भवन बनते हैं जिनके मूषाओं आदि के आधार पर 65, 526 ग्रहों की संख्या होती है।

नव शाल भवनों में दो चतु:शाल के साथ एक शाल के संयोग से नव शाल भवन बनते हैं। सर्वतोभद्र आदि मुख्य वेश्मों के साथ एक शाल के योग से 40 भेद तथा त्रिशाल के तिगुने के योग से चार अन्य भेद होते हैं। इन नव शाल भवनों में मूषाओं के भेद से एक भद्र में 18, द्विभद्र में 153 त्रिभद्र में 816 व इसी प्रकार अठारह भद्र तक कुल

१-२ सं.सू/अ.-३०/३-१०

2, 62, 144 नव शाल भवन के भेद होते हैं।

दस शाल भवनों एक द्विशाल के साथ समान दो चतु:शाल के योग से चार दस शाल वेश्म होते हैं और प्रधान वेश्म व सर्वतोभद्र आदि के दो-दो के परस्पर योग से 40 प्रकार होते हैं। समान त्रिशालों के तीन और एक शाल के संयुक्त होने पर साधारण दस शाल होते हैं। सर्वतोभद्रादिकों से जब-जब दो तुल्य त्रिशालयुक्त होते हैं तब दस शालों के बीस भेद और होते हैं। तथा मूषाओं के संयोग से एक से बीस भद्र होने पर 10, 48, 576 प्रकार के दस शाल भवन होते हैं।

इन चतु:शाल से दस शाल तक के भवनों की जो संख्या ऊपर बताई गई है उसकी चौगुनी संख्या ,प्रतिदिशि अलिन्द दिशा से होते हैं। इनकी मूषा भेद से कुल संख्या 13, 98, 016 होती है। तथा मूषाओं के अलग-अलग संस्थान भेद से तो अनगिनत भेद निष्पन्न होते हैं।

समरांङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) ग्रंथ में इन उपरोक्त पांच अध्यायों में एक से दस शाल भवनों के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है।

इस प्रकार दोनों ग्रंथों में प्रमुख रूप से एक से चार शाल भवनों जिनसे एक से दस शाल तक के शाल बनते हैं का विवरण दिया गया है।

भूकम्प लक्षणम् :-

स्थापत्यवेद के वृहत्संहिता ग्रंथ में बताया गया है कि-

भूकम्पलक्षण में मतभेद-

क्षितिकम्पमाहुरेके वृहदन्तर्जलनिवासित्त्वकृतम्।

भूभ: रखिन्नदिग्गजविश्रामसमुद्भमं चान्ये ॥

किसी(काश्यप आदि) का मत है कि जल में रहने वाले बढे प्राणियों के धक्के से भूकम्प होता है। तथा अन्य(गर्ग आदि) का मत है कि पृथ्वी के भार से थके हुये दिग्गजों के विश्राम से भूकम्प होता है।

यहाँ पर काश्यप -

वारूणस्थोपरि पृथ्वी सशेलवनकानना। स्थिता जलजसत्वाश्व सक्षोभाश्चालयन्ति ताम्॥

यहाँ पर गर्ग-

यत्वार: पृथिवीं नागा धारयन्ति चतुर्दिशम्। वर्धमान: सुवृद्धश्चानिवृद्धश्च पृथुश्रवा: ॥

वर्धमानो दिशं पूर्वा सुवृद्धो दक्षिणां दिशम्। पश्चिमामतिवृद्धस्तु सौम्याशां तु पृथुश्रवा: ॥

नियोगाद्ब्रह्मणों होते धारयन्ति वशुन्धराम्। ये श्वसन्ति यदा शान्ता स वायु: श्वसितो महान्॥

वेगान्महीं चालयन्ति भावाभावाय देहिनाम्॥१॥

भूकम्पलक्षणा में मतान्तर-

अनिलोऽनिलेन निहत: क्षितौ पतन् सस्वनं करोत्यन्ये।

केचित्वद्दष्टकारितमिदमन्ये ग्राहुराचार्या: ॥

किसी (वसिष्ठ आदि) का मत है कि वायु एक दूसरे टकराकर पृथ्वी पर गिरते हुए शब्द के साथ भूकम्प करता है। दूसरे (वृद्ध गर्ग आदि) का मत है कि प्रजाओं के अद्दष्ट (धर्माधर्म के) द्वारा भूकम्प होता है।

यहाँ पर वसिष्ठ -

यदा तु बलवान्वायुरन्रिक्षानिलाहत:। पतत्याशु स निर्धातो भवेदनिलसम्भव: ॥

तस्य योगात्रिपततश्चलत्यन्याहता चिति:। सोऽभिघातसमुत्थ: स्यात्सनिर्धतमहीखल: ॥

यहाँ पर वृद्धगर्ग-

प्रजा धर्मरता यत्र तत्र कम्पं शुभं वदेत्। जनानां श्रेयसे नित्यं विससृजन्ति सुरोत्तमा: ॥

विपरीतस्यित: यत्र जनास्तत्राशुभं तथा। विसृजन्ति प्रजानां तु दु:खशोकाभिवृद्धये ॥

पराशर आदि मुनियों का मत –

गिरिभिः पुरा सपक्षैर्वसुधा प्रपतद्भिरुत्पतद्भिश्च ।
आकम्पिता पितामहमाहामरसदसि सव्रीडम् ॥३॥
भगवन्नाम ममैतत्त्वया कृतं यदचलेति तत्र तथा ।
क्रियेतेऽचलैश्चलद्भिः शक्ताहं नास्य खेदस्य ॥४॥
तस्याः सगद्गदगिरं किञ्चित्स्फुरिताधरं विनतमीषत् ॥
साश्रुविलोचनमाननमालोक्य पितामहः ग्राह ॥५॥
मन्युं हरेन्द्र धात्र्याः क्षिप कुलिशं शैलपक्षभङ्गाय ॥
शुक्रः कृतमित्युक्त्वा मा भैरिति वसुमतीमाह ॥६॥
किन्त्वनिलदहनसुरपतिवरूणाः सदसत्फलावबोधार्थम् ॥
प्राग्द्वित्रिचतुर्भागेषु दिनिशोः कम्पयिष्यन्ति ॥७॥

पूर्वकाल में आकाश से गिरते हुए और पृथ्वी से उड़ते हुए, पंख वाले पर्वतों के द्वारा कम्पित पृथ्वी देवताओं की सभा में लज्जा के साथ ब्राह्माजी से वोली-(है भगवान् !)आपने मेरा नाम अचला रक्खा है, पर चलायमान, भ्रमण करते हुए पर्वतों के द्वारा वह (नाम) वैसा नहीं रहा अर्थात् में चलायमान हूँ, इसलिये इस दुःख को सहन करने के लिये मैं सर्मथ नहीं हूँ। उस (पृथ्वी) का गद्गद वाली वाला, कुछ-कुछ फड़कते हुए अधरवाला, नम्र और अश्रुयुत नेत्र वाला मुख देख कर ब्रह्माजी ने कहा- हे इन्द्र ! पृथ्वी की आपत्ति को हरण करो और पर्वतों के पंख को नाश करने के लिये वज्र का प्रहार करो। इन्द्र ने स्वीकार करके पृथ्वी से कहा भय मत करो। किन्तु शुभाशुभ फल जानने के लिये वायु, अग्नि, इन्द्र और वरूण दिन और रात के क्रम से प्रथम, द्वितीय, और तृतीय और चतुर्थ भाग में तुझे कम्पित करेंगे। जैसे दिन के पूर्वाद्ध में वायु, उत्तरार्द्ध में अग्नि, रात्रि के पूर्वाद्ध में इन्द्र और उत्तरार्द्ध में वरूण तुझे कम्पित करेंगे।

कहा भी है-

रात्रौ दिवा च पूर्वाह्ने वायव्यः कम्प उच्चते । मध्याह्ने चार्द्धरात्रे च हौताशः कम्प उच्यते ॥
दिवारात्रौ तृतीयेंऽशे माहेन्द्रश्चाभिगीयते । चतुर्थे वर्तमानेंऽशे वारूणं निर्दिशेदबुधः ॥

यहाँ पर गर्ग-

कृत्वा चतुर्धाहोरात्रे द्विधाहोऽथ द्रिधा निशत् । देवताश्रययोगाच्च चतुर्धा भगणं तथा ॥
पूर्वे दिनार्द्धे वायव्य आग्नेयोऽर्द्धे तु पश्चिमें । ऐन्द्रः पूर्वे च राज्यर्द्धे पश्चिमार्द्धे तु वारूणः ॥
चतवार एवमेते स्युरहोरात्रविकल्पजाः । निमित्तभूता लोकानामुल्कानिर्घातभूचलाः ॥३७॥

वायव्य कम्प के लक्षण-

चत्वार्यार्यम्णाद्यान्यादित्यं मृगशिरोऽश्चयुक् चेति ।
मण्डलेतद्वायव्यमस्य रूपाणि सप्ताहात् ॥८॥
धूमाकुलीकृताशे नभसि नभस्वान् रजः क्षिपन् भोमम् ।
विरूजनद्रुमांश्च विचरति रविरपटुकरावभासी च ॥९॥
श्चयुश्चसोन्मादज्वरकासभवो वाणिक्पीडा ॥१०॥
रूपायुधभृद्वैद्यास्त्रीकविगान्धर्वपण्यशिल्पिजनाः ।
पीडयन्ते सौराष्ट्रककुरूमगधदशार्णमत्स्याश्च ॥११॥

उत्तरफल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुनर्वसु, मृगशिरा, अश्विनी, से ये सात नक्षत्र वायव्य मण्डल के हैं। यदि इनमें से किसी नक्षत्र में भूकम्प हो तो इसके सात दिन पूर्व आगे कथित लक्षण होते हैं। धूम से व्याप्त दिशा वाला आकाश होता है, पृथ्वीसे धूलि उड़ाती हुई ओर वृक्षों को तोड़ती हुई हवा चलती है और सूर्य के किरण मन्द हो जाते है। वायव्य भूकम्प होने से धान्य, जल और वनौषधियों का नाश होता है। तथा वनियों को शोथ, दमा, उन्माद, ज्वर और खॉसी से उत्पन्न पीड़ा होती है वेश्या, शस्त्रजीवी, वैद्य, स्त्री, कवि, गान, विद्या जानने वाले, व्यापारी, शिल्पी तथा सौराष्ट्र, कुरू, मगध, दशार्ण और मत्स्यदेशवासी मनुष्यों को पीड़ित करता है।

यहाँ पर गर्ग –

प्रथमेऽहि चतुर्भागे निर्घातोल्कामहीचला:। सौभयादित्यार्यम्णहस्तचित्रास्वात्यश्विनीषु च॥
भवन्त्यनिलजा: सर्वे लक्षणान्यवधारय। धूमव्याप्ता दिश: सर्व नभस्वान् प्रक्षिपन् राज: ॥
द्रुमाश्व भज्जंश्वरति रविस्तपपति शीतल: । सप्तमेऽहनि कम्प: स्याद्रूमेरनिलसम्भव: ॥

आग्नेय मण्डल के लक्षण–

पुष्पाग्नेयविशाखाभरणीपित्र्याभाग्यसञ्ज्ञानि ।
वर्गो हौतभुजोऽयं करोति रूपाण्यथैतानि ॥१२॥
तारोल्कापातावृतमादीप्तमिवाम्बरं सदिग्दाहम् ।
विचरति मरूत्सहाय: सप्तार्चि: सप्तदिवसान्त ॥१३॥
आग्नेयेऽम्बुदनाश: सलिलाशड्यसङ्क्षयो नृपतिवैरम् ।
दर्दविचचिृकाज्वरविसर्पिका: पाण्डुरोग्श्व ॥१४॥
दीप्तौजस: प्रजण्डा: पीडयन्ते चाश्मकाङ्गवाह्नीका: ।
तणकलिङ्गवङ्गद्रविडा: शबरा अनेकविधा: ।

पुष्य, कृत्तिका, विशाखा, भरणी, मघा, पूर्वभाद्रपदा, पूर्वफाल्गुनी ये सात नक्षत्र आग्नेय मण्डल के है। यदि इनमें से किसी नक्षत्र में भूकम्प हो तो इसके सात दिन पूर्व आगे कथित लक्षण होते है। सात दिन के मध्य में दिग्दाह के साथ तारा तथा उल्का के गिरने से व्याप्त अत: प्रज्वलित की तरह आकाश होता है। तथा वायु की सहायता से अग्नि विचरण करती है। आग्नेय भूकम्प मं मेघ और जलाशयों (वापी कूप और तालाब) का नाश, राजाओं में परस्पर द्वेष, दाह, विचर्चिका, ज्वर, विसर्पिका और पाण्डु रोग होता है। तेजस्वी, क्रोधी मनुष्य, अश्मक, अङ्ग, बाह्लीक, तङ्गण, कलिङ्ग, वङ्ग, द्रविण और शबर देश वासियों को अनेक प्रकार से पीड़ित करता है।

यहाँ पर गर्ग –

द्वितीयेऽह्नि चतुर्भागे निर्घातल्कामहीचला: । पिञ्यभाग्याजपुष्याग्निविशाखायमदैवनै: ॥
भवन्त्यनिलाजास्ते च लक्षणानि निबोध मे। तारोल्कापातदिग्दाहैरादीप्तं लक्ष्यते नम: ॥
मरूत्सहाय: सप्तार्चि: सप्ताहान्तश्वरत्यपि। सप्तमेऽहनि विज्ञेय: कम्पश्वानलसम्भव: ॥

इन्द्रमण्डल के लक्षण–

अभिजिच्छ्रवणधनिष्ठाग्राजापत्यैन्द्रवैश्वमैत्राणि ।
सुरपतिमण्डलमेतद्भवन्ति चाप्यस्य रूपाणि ॥१६॥
चलिताचलवर्ष्माणो गम्भीरविराविणस्तडिद्वन्त: ।
गवलालिकुलाहिनिभा विसृजन्ति पय: पयोवाहा:॥१७॥
ऐन्द्रं स्तुतकुलजातिख्यातावनिपालगणपविध्वंसि ।
असिारगलग्रहवदनरोगकृच्छर्दिकोपाय ॥१८॥
क शियुगन्धर पौरवकिरातकीराभिसारहलमद्रा: ।
अर्बुदसुराष्ट्रमालवपीडाकरमिष्टवृष्टिकरम् ॥१९॥

अभिजित्, श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, उत्तराषाढा, अनुराधा ये सात नक्षत्र इन्द्रमण्डल के हैं। यदि इनमें से किसी नक्षत्र में भूकम्प हो तो उसके सात दिन पूर्व आगे कथित लक्षण होते हे। जैस पर्वत के समाान शरीर वाले, गम्भीर शब्द करने वाले, बिजली वाले, महषश्रृङ्ग, भ्रमरकुल और सर्पो के समान कान्ति वाले मेघ वर्षा करते हैं। ऐन्द्र कम्प में प्रधान कुल में उत्पन्न मनुष्य, यशस्वी, राजा और सत्रियों में प्रधान का नाश करता है। तथा अतिसार, कण्ठरोग, मुखरोग और कफ रोग होते है। काशी, युगन्धर, पौरव,किरात, कीर, अभिसार, हल, मद्र,अर्बुद, सुराष्ट्र और मालवदेशवासी मनुष्यों को पीड़ित करता है। प्रयोजन के अनुसार वृष्टि करता है।

यहाँ पर गर्ग –

निशार्द्धे तु यदा पूर्वे उल्कानिर्घातभूचला: । मैत्रेन्द्रवैश्वश्रवणाभिजिद्रोहिणिवासवै: ॥
स्यादिनद्रसम्भव: कम्पो लक्षणानि च मे श्रृणु । वर्षन्ति बहवो मेघा वराहमहिषोपमा: ॥
धुन्वतो मधुरान् रावानु विद्युद्भासितभूतला: । सप्तमेऽहनि सम्प्राप्ते कम्प: स्यादिन्द्रसभव:॥

वरुणमण्डल के लक्षण–

पौष्णाप्यार्द्राश्लेषामूलाहिर्बुध्न्यवरूण देवानि ।

मण्डलमेतद्वारूणमस्यापि भवन्ति रूपाणि ॥२०॥
नीलोत्पलालिभिन्नाञ्जनत्विषो मधुररराविणो बहुला: ।
तडिदुद्भासितदेहा धाराङ्कुरवर्षिणो जलदा: ॥२१॥
वारूणमणृव सरिदाश्रितघ्नमतिवृष्टिदं विगतवैरम् ।
गोनर्दचेदिकुकुरान् किरातवेदेहकान् हन्ति ॥२२॥

रेवती, पूर्वाषाढा, आर्द्रा, आश्लेषा, मूल, उत्तरभाद्रप्रभा, शतभिषा ये सात नक्षत्र वरूणमंडल के हैं। यदि इनमें से किसी नक्षत्र में भूकम्प हो तो इसक सात दिन पूर्व आगे कथित लक्षण होते हैं। जैसे वारूण कम्प में समुद्र और नदी के तट में रहने वालों का नाश, अतिवृष्टि, परस्पर द्वेष रहित मनुष्य तथा गोनर्द, चेदी, कुकुर किरातऔर वैदेह देश में रहने वाले मनुष्यों का नाश करता है।

यहाँ पर गर्ग–

निशायां पश्चिमे भागे निर्घातोल्का महीज्वला: । पौष्णाप्याद्रोरंगा मूलाहिर्बुध्न्यं वरूणं तथा
कम्पो वारूण एभि: स्याच्छृणु तस्यैव लक्षणम् । वर्षन्ति जलदास्तत्र नीलज्जनचयोपमा: ॥
विद्युद्भासितदेहाश्व मधुरस्वरभूषिता: । सप्तमेऽहनि सन्प्राप्ते कम्प: स्याद्वारूणस्तत: ॥२०–२१॥

फलप्रदान काल का नियम–

षड्भिर्मासै: कम्पो द्वाभयां पाकं च याति निर्घात: ।
अन्यानप्युत्पातान् जगुरन्ये मण्डलैरेतै: ॥२३॥

भूकम्प का फल छ महिने मं और निर्घात का फल दो महिने में होता है। गर्ग आदि मुनियों का मत है कि अन्य (निर्घा, उल्कापात आदि) उत्पातों का फल मण्डल के साथ ही होता है।

यहाँ पर गर्ग–

निर्घातोल्कामहीकम्पा: स्निग्धगम्भीरनि:स्वना: । मेघा स्तनितशब्दाश्व सूर्येन्दुग्रहणे तथा
परिवेषेन्द्रचापं च गन्धर्वनगरं तथा । मण्डलैरेव बोद्धव्या: शुभाशुभफलप्रदा: ॥

यहॉ पर समास संहिता में आचार्य–

आर्यम्णपर्व भचतुष्टयं च शशाङ्कादित्यमथाश्विनी च ।
वायव्यमेतत्पवनोऽत्र चण्डो भाग्यं विशाखा गुरूभं मघा च ॥
अजैकपादं बहलाभरण्योा भागयं विशाखा गुरूभं मघा च ।
क्षुदग्निशस्त्रामयकोपकारि पषैस्त्रिभिर्मण्डलमग्निसञ्जम् ॥
प्राजापत्यं वैष्णवं मैवमैन्द्रं विश्वेशं स्याद्वासददं चाभिजिच्च ।
ऐन्द्रं होतन्मण्डलं सप्तरात्रात् कुयाृत्तोयं हष्टलोकं प्रशान्तम् ॥
आहिर्बुध्न्यं वारूणं मूलमाप्यं पौष्णं सार्प मन्मथारीश्वरं च ।
सद्यत पाकं वारूणं नाम शस्तं तोयप्रायं हष्टलोकंप्रशान्तम् ॥३२॥

उल्का आदि उत्पातों के फल का नियम–

उल्का हरिशचन्द्रपुरं रजष्च निर्घात भूकम्पककुप्प्रदाहाा: ।
वातोऽतिचण्डो ग्रहणं रवीन्द्वोर्नक्षत्रतारागणवैकृतानि ॥२४॥
व्यभ्रे वृष्टिर्वैकृतं वातवृष्टिर्धुमोऽनग्रिर्विस्फुलिङ्गार्चिषो वा ।
वन्यं सत्त्वं ग्राममध्ये विशेद्वा रात्रावैन्द्रं कार्मुकं दृश्यते वा ॥२५॥
सन्ध्याविकार: परिवेषखण्डा नद्य: प्रतीपा दिवि तूर्यनाद: ।
अन्यच्च यत्स्यात्प्रकृते: प्रतीपं तन्मण्डलैरेव फलं निगाद्यम् ॥ २६॥

उल्का, गन्धर्वपर, धूलि, निर्घात, भूकम्प, दिग्हाह, भंयकर वायु, सूर्य–चन्द्र का ग्रहण, विकारयुक्त नक्षत्र और तारागण, बिना बादल की वर्षा, विकार युत वायु के साथ वृष्टि, अग्नि की चिनगारीदार लपट, वन में रहने वाले पशुओं का गाँव में आना, रात्रि में इन्द्रधनुष दिखाई देना, सन्ध्या में विकार, परिवेषखण्ड, नदियों की गति में वैपरीत्य, आकाश में तुरही का बजना, और भी प्रकृति के विरूद्ध लक्षण होना, इन सबों का फल उसके मण्डल से ही कहना चाहिये ॥२४–२६॥

वेला मण्डल के वश के कम्पों का निष्फलत्व–

हन्त्यैन्द्रो वायव्यं वायुश्चाप्यैन्द्रमेवमन्योन्यम् ।
वारूणहौतभुजावि वेलानक्षत्रजा: कम्पा: ॥२७॥

इन्द्र के मण्डल के उत्पन्न कम्प वायव्य का, वायव्य मण्डल में उत्पन्न कम्प इन्द्र कम्प का, वारूण मण्डल में उत्पन्न कम्प अग्नि कम्प का, अग्नि मण्डल में उत्पन्न कम्प वारूण कम्प का, वेलजात कम्प नक्षत्र कम्प का और नक्षत्र कम्प वेलजात कम्प का नाश करता हे। यदि वायव्य मण्डलान्तर्गत वायव्य वेला में कम्प हो तो अपने फल को पुष्ट करता है, इसी प्रकार मण्डल का अन्य भी फल जानना चाहिये , अन्यथा नहीं ॥२७॥

वेला मण्डल के वश कम्पोक्त फल में विशेषता–
प्रथितनरेश्वरमरणव्यसनान्याग्नेयवायुमण्डलयो: ।
क्षुद्भयमरकावृष्टिभिरूपताप्यन्ते जनाश्वापि ॥२८॥

यदि आग्नये मण्डल और वायव्य वेला में या वायव्य मण्डल और आग्नेय वेला में भूकम्प हो तो विख्यात राजाओं का मरण या मरण तुल्य कष्ट होता है। तथा मनुष्यगण दुर्भिक्ष, मृत्यु और अवृष्टि से पीड़ित होते हैं ॥२८॥

वेला मण्डल के भेद से कम्पोक्त फल में विशेषता–
वारूणपौरन्दरयो: सुभिक्षशिववृष्टिहार्दयो लोके ।
गावोऽतिभूरिपयसो निवृत्तवैराश्च भूपाला: ॥२९॥

यदि वरूण मण्डल और ऐन्द्र वेला में या ऐन्द्र वेला और वारूण मण्डल में भूकम्प हो तो लोगों में सुभिक्ष, कुशल, वृष्टि और चित्त में शान्ति होती हे। तथा गौर अधिक दूध देती है और राजा लोग परस्पर द्वेष रहित होते है।

यहाँ पर काश्यप–
ऐन्द्रश्वानिलजं हन्ति वायव्यश्वापि शक्रजम्। आप्यो होतभुजं हन्ति चाग्निर्वारूणसमभवम्
वाय्वग्निमिश्रितो यश्ववेलामण्डलसम्भव: । दुर्भिक्षव्याधिरोगैस्तु पीडयन्ते तत्र अन्तव: ॥
माहेन्द्रवारूणे यत्र वेलामण्डलसम्भव: । सुभिक्षक्षेमधर्माणां तत्र वृष्टि: प्रतिष्ठिता ॥

एवमुक्तपरिशोषाणां विशेषफलं नास्ति पराशरे तन्त्रे विशेषतरं पठयते–

योऽन्यस्मित्रक्षत्रे भागे चान्यत्र भूचलो भवति ।
स भवेद्व्यामिश्रफलस्तन्मे गदितो निबोध त्वम् ॥
ऐचवाकवाऽश्मरथ्यान् पटद्धराभीरचीन मरूकुत्सान् ।
ऐन्द्राग्नेय: कम्पा हिनस्ति राज्ञश्व समुदीर्णान् ॥
सरित: सर: समुद्राश्रितांश्व गोनर्दभङ्गनाराज्यम् ।
क्षत्रियगणांश्र हन्यात्मक्पो वरूणाग्निदैवत्य:॥
काशयाभिसारकाच्युतकच्छद्वीपार्यदेशजा: पुरूषा: ।
गणपूजिता: कुलाप्रथा कुलाग्रथा नृपाश्व वरूणेन्द्रवध्य: स्यु: ॥२९॥

अनुक्त फल काल का निर्णय –
एक्षैश्चतुर्भिरनिलस्त्रिभिरग्निर्देवराट् च सप्ताहात् ।
सहा: फलति च वरूणो तेषु न कालोऽद्भूतेषूक्त: ॥३०॥

अङ्गस्फुरण आदि उपद्रवों में जिसका फलकाल नहीं कहा गया है वह यदि वायव्य मण्डल में हो तो दो मास में, आग्नेय मण्डल में हो ताो तीन पक्ष(डेढ मोस) में, इन्द्र मण्डल में हो तो सात दिन में और वारूण मण्डल में हो तो उसी रोज फल देता है ॥३०॥

मण्डल के वश भूकम्प का प्रदेश–
चलयति पवन: शतद्वयं शतमनलो दशयोजनानिवतम् ।
सलिलपतिरशीतिसंयुतं कुलिशधरोऽयधिकं च पष्टित: ॥३१॥

यदि वायु मण्डल में भूकम्प हो तो दो सौ योजन तक, अग्नि मण्डल में हो तो एक योजन तक, वारूण मण्डल में हो तो एक सौ अस्सी योजन तक ओर ऐन्द्र मण्डल में भूकम्प हो तो साठ से अधिक योजन तक पृथ्वी को कम्पित करता है।

यहाँ पर काश्यप–

वयव्ये मण्डले नित्यं योजनानां शतद्वयम् । दशाधिकमथाग्नेय ऐन्द्रे षष्ट्याधिकं शतम् ॥

शतं चाशीतिसंयुक्तं वारूणे मण्डले चलेत् ॥३१॥

भूकम्प होने के बाद फिर आसत्र काल में भूकम्प का फल प्रदर्शन –

त्रिचतुर्थसप्तमदिने मासे पक्षे तथा त्रिपक्षे च ।

यदि भवति भूमिकम्प: प्रधाननृपनाशनो भवति ॥३२॥

यदि भूकम्प होने के बाद तीसरे, चौथे सातवें, तीसवें, पन्द्रहवें या पैंतालीसवें दिन में फिर भूकम्प हो तो प्रधान राजा का नाश करता है ॥

यहाँ पर गर्ग–

अर्द्धमासे चतुर्थेऽह्नि तृतीये वाथ सप्तमे ।

कस्मात्पुनर्यदा कम्पो मासे सार्द्धे यदापि वा ॥

उत्पद्यते जने यत्र तत्र विन्द्यान्महद्भम् ॥३२॥

इस प्रकार स्थापत्यवेद के विभिन्न ग्रंथों में उक्त वर्णित अनुसार विभिन्न सिद्धांत बताये गये हैं, जिनका उपयोग देश, काल व परिस्थिति के अनुरूप, प्रत्येक नियोजन में यथासंभव किया जाना चाहीये ।

६.० विचाराधीन इन्दौर सिटिज़न्स मॉस्टर प्लान–२०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन की अवधारणा :–

इन्दौर शहर उत्तर दिशा में २२° ४३ अक्षान्तर व पूर्व में ७५°५२ देशान्तर पर स्थित हैं । भारत में यह केन्द्र स्थान व पश्चिम के मध्य तथा म.प्र. में केन्द्र व पश्चिम दिशा के मध्य पश्चिम भाग में स्थित है । यह क्षेत्र सात जिलों इन्दौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, धार तथा झाबुआ को मिलाकर बना है । प्राकृतिक संसाधनों, भूमिकीय परिवेश व शहरी करण के कारण नगर तथा ग्राम निवेश अधिवेशन १९७३ की धारा ४ तहत १० प्रक्षेत्रों में विभक्त किया गया है । मालवा अंचल नियोजन परिक्षेत्र क्र. ०२ के अंतर्गत रखा गया है इसकें अंतर्गत इन्दौर, उज्जैन, धार, देवास, नागदा, महु, मंदसौर, नीमच प्रथम श्रेणी के नाम सम्मिलित है । ७ जिलों में से तीन प्रथम श्रेणी शहर इन्दौर, देवास और उज्जैन जो कि त्रिभुजीय रूप में एक – दूसरें के काफी समीप हैं जहाँ अपेक्षाकृत ज्यादा शहरीकरण व औद्यागिकरण हुआ है व होने की अधिक संभावना रखता है । यह समुद्रतल से दूर होकर १७३८ फीट ऊँचाई पर स्थित है । यहाँ सामान्य जलवायु से युक्त शीत ऋतु में ५ से १३° सेंटी ग्रेट व ग्रीष्म ऋतु में ४० से ४७° सेंटी ग्रेट तापमान रहता है । यहाँ मालवा पठार पर स्थित होने से दिन में गर्मी व रात में ठंडक रहती है । वर्षाऋतु में दक्षिणी – पश्चिमी मानसून के कारण जून से सितम्बर के मध्य यहाँ ३० से ५० इंच के मध्य वर्षा होती है । यह क्षैत्र म. प्र. की व्यवसायिक राजधानी होकर आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशिष्ट स्थान रखता है । इन्दौर सड्क मार्ग द्वारा देवास से ३५ कि. मी., उज्जैन ५५ कि. मी. तथा देवास से उज्जैन ३७ कि. मी. की दूरी पर स्थित है ।मानचित्र क्र.२४ उ में महर्षि वास्तु प्रभाव (अजेय नगर की रचना) के बारें में महर्षि जी कहतें हैं कि , स्थापत्यवेद के नियम वैदिक गणित के वे अत्यंत प्रभावशाली , दूर्रगामी प्रभाव उत्पन्न कपने वाले विधान हैं जो सूर्य चन्द्र , नक्षादि का भूतल पर प्रत्येक वस्तु से संबंध जोडते हैं,जो इसको जो आचरण में लातें हैं वे सुखी रहतें हैं ।दिकमूढ नगरों को साघारण नगर व दिशानुरूप बसे नगर में सडकें व भवन भी दिशानुरूप होने वे आदर्श नगर होते हैं।यहां सुख समृद्धि ,व शांति मिलती है क्योंकि वहां प्रकृति का सहयोग मिलता है । इस कथन को मन मे उतारकार नगर नियोजन मे कार्य करने का संकल्प लिया था ।

मालवा अंचल में इन्दौर नगर का विकास विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के वितरण तथा संग्रह केन्द्र के रूप में हुआ व निरंतर हो रहा है ।

इन्दौर शहर की पहली विकास योजना १९७५ – १९९१ जिसमें ३७ ग्राम सम्मिलित होकर २१४ वर्ग कि. मी. निवेश क्षेत्र था । इसके पश्चात् दिसम्बर १९९५ में पुर्नरक्षित इन्दौर विकास योजना २०११ प्रकाशित हुई ,परन्तु लागु नहीं हो सकी । वर्ष २००० में इन्दौर विकास योजना २०११ प्रारूप प्रकाशित की गई जिसमें पूराने ४७

ग्रामों सहित कुल १५२ ग्राम सम्मिलित होकर ८९७.६ वर्ग कि. मी. निवेश क्षेत्र हेतु प्रकाशित कर आपत्तियाँ बुलाई गई। यह योजना भी लागू नहीं हो सकी।

यहाँ उल्लेखनीय है कि म. प्र. शासन की आवास नीति १९९५ के बिंदु क्र. ७.१० के अनुसार ,ज्ञापन क्र. एफ २३ (९४)/(९५)/३२.१, दिनांक १४.१२.९५ के माध्यम से संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पीथमपुर, मांगलिया एंव सिमरोल उपनगर विकास योजना प्रकाशित की गई थी ,जिस पर इन्दौर की एक संस्था "पर्यावरण संरक्षण अन्वेषण एंव विकास केन्द्र " (सी. ई. पी. आर. डी.) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर खंड पीठ में जनहीत याचिका क्र. ११५७/९८ प्रस्तुत की गई थी, जिसमें इन्दौर नगर के प्रस्तावित मॉस्टर प्लान २०११ चुनौती दी गई थी व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दि. २१.८.९८ को अंतरिम आदेश द्वारा स्थगन दिया ,जिसके अनुसार दोंनो योजनाएँ विचाराधीन हैं। जून २००३ में तथा ग्राम निवेश विभाग व ईसरों के संयुक्त प्रयासो में सुदुर संवेदन (रिमोड सेनसिंग) व जी. आय. एस तकनीक का उपयोग कर नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ की धारा १३ (२) के तहत इन्दौर निवेश क्षेत्र की अधिसूचित सीमाओं में पुन:संशोधन कर ६२ ग्राम पृथक कर कुल १० ग्राम सम्मिलित रखें गए तथा निवेश क्षेत्र ५०४.८७ वर्ग कि.मी . नियत कर प्रकाशित की गई। यह योजना भी म. प्र. शासन द्वारा वर्ष २००४ में गंभीर विसंगतियों व राजनैतिक विरोधाभास के चलते निरस्त किए जाने से लागु नही हो सकी है। इस योजना को पुन: बनाने की प्रक्रिया विकास समिति का गठन कर प्रारंभ की गई।

नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर के संयुक्त संचालक श्री वी.पी.कुलश्रेष्ठ ने ,सिंगापुर के मास्टर प्लान को माडल रखकर बनाई गई , **इन्दौर विकास योजना २०२१ का प्रारूप** शासन को नवम्बर-०५ के पहले सप्ताह में प्रस्तुत कर दिया है।डेढ वर्ष में तैयार हुई इस योजना को ,जी.पी.एस.पद्धति से बनाया गया है।पहली बार विभागीय स्तर पर तैयार इस योजना में भूमी उपयोग की सख्त नीती के स्थान पर नरम नीती को आदर्श माना गया है ।इस योजना में लोक परिवहन के लिये तीन कोरिडोर तय किये गये है ।शासन ने हाल ही में अधिनियम संशोधन करते हुए मास्टर प्लान के मामले में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को सीमित कर दिया था ,जिसके तहत ६०सदस्यीय समिति विकास प्रारूप तय करने में अपनी भूमिका नही रख पाई ।अलबत्ता प्रारूप का लेकर आपत्तियों की सुनवाई जरूर समिति के पास है ।समाचार पत्र में प्रकाशित खबरो के अनुसार शासन एडीबी की भारी -भरकम ऋण योजना को लागू करने से पहले मास्टर पलान को प्लान को लागू करना चाहता है।एडीबी योजना का लाभ उन्ही शहरों को होगा,जहँ मास्टर पलान के माध्यम प्लान से शहर का विकास प्रस्तावित है।इसके मद्देनजर शासन ने प्रारूप निर्धारण की प्रक्रिया को आसान कर व निश्चित समय सीमा में प्रारूप को पेश करने के निर्देश दिये ।सैद्धांतिक स्वरूप देने से से ज्यादा व्यवहारिक रूप युक्त इस योजना मे क्या होना चाहीये इसके बजाय क्या नही हो सकता है, इस पर जोर दिया गया है ।यह योजना भी नवम्बर-०५ से फ्लिहाल शासन के पास विचाराधीन है। इस कारण विकास योजना १९९१ ही वर्तमान में प्रभावशील है ,जिसके अनुरूप भी अब तक विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि मॉस्टर प्लान को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी नोडल एंजेसी के रूप में किसी को सीधे नहीं सौंपी गई। परिणामत: मॉस्टर प्लान पर अमल कम, उसका उल्लंघन ज्यादा हुआ। विकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण मंडल आदि विकास संस्थाओं के बीच कार्यात्मक समन्वय के अभाव में इन्दौर महानगर शहर का विकास सुनियोजित / अनियंत्रित हुआ निजी विकास संस्थाओं का योगदान अधिक रहा, इसकें कारण जो विकास हुआ उसमें अधिकांश वह बेतरतीब , अनियंत्रित , समस्याजनक , अवैध व घटिया स्तर का हुआ। वहीं दूसरी ओर जनभागीदारी व बांड योजना के तहत कांक्रीट सडकों का कार्य नपानि इंदौर द्वारा सराहनीय कार्य किया गया ।इसमें वृक्षों की कटाई की तुलना में वृक्षारोपण नगण्य हुआ।

महानगर का विकास न सिर्फ आस - पास के शहरीय क्षेत्र को बल्कि वृह्द रूप से क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय गतिविधियों तथा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। क्षेत्रीय उत्पादकता से ,महानगर की अर्थव्यवस्था सुद्दढ होकर परिणाम स्वरूव शहरीय केन्द्र में विकास, रोजगार, सुख - सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। क्षेत्र या उपक्षेत्र में एवं गतिशील शहरी विकास में समानता नहीं होने पर ग्रामीण से शहरीय क्षेत्र में भारी जनपलायन हो रहा है। इन्दौर क्षेत्र की तेजी से हो रहे विकास को नियंत्रित, सुनियोजित, सुव्यवस्थित, निवास योग्य तथा स्थिर विकास कर एक योजना बनाना आवश्यक है। इसे हेतु दीर्घ परिद्दश्य एवं वृहद् संदर्भ में द्वितीयक नगर व उपनगरों के क्षेत्रीय आर्थिक विकास में तथा सही दिशा व नीति माननीय जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

इन्दौर का अगर इतिहास उठा कर देंखे तो यहाँ के श्री शिव नारायण यादव ने १९७१ में इन्दौर के पूर्वीय क्षेत्र आजाद नगर के समीप कुछ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, हाथी दाँत की बनी चूड़ियाँ, ताम्र मुद्राएँ खोज निकाली थी। जिसके पश्चात् वहाँ कराए गए उत्खनन् में प्राप्त अवशेषों का सिलसिलेवार विशद् एवं तुलनात्मक अध्ययन किया गया जिससे हड़प्पा के समान लिपि से उत्कीर्ण मिलें पात्रों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि यहाँ की संस्कृति ४००० वर्ष पुरानी है ,इसके पश्चात् होलकर रियासत द्वारा इन्दौर में "कस्टम फ्री जोन" स्थापित किया गया था जिसकें कारण आसपास की रियासतों (ग्वालियर, देवास, आदि) से इसका आर्थिक संबंध स्थापित रहा। इन्दौर की मंडियों में आवक , आस-पास की सभी मंडियों एवं यहाँ तक कि क्षेत्र के बाहर की मंडियों से भी होती है। निर्मित वस्तुओं में दालें एवं तिलहन शामिल हैं ,जो कि क्रमशः चैन्नई एवं मुम्बई तथा दिल्ली को निर्यात किए जातें हैं। कपड़ा, मशीनरी पार्टस, साइकल, दवाईयाँ इत्यादि आसपास के ग्रामीण इलाकों में एवं नगरीय क्षेत्रों को निर्यात किया जाता है। यह नगर शीतल पेय, किराना, दवाइयाँ एंव विलासित्ता की वस्तुओं के वितरण केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है। इन्दौर शहर वाणिज्य केन्द्र के रूप अलावा प्रशासनिक, चिकित्सा एंव उच्च शिक्षा , सेवाएँ भी आसपास के कस्बों एवं नगरों को उपलब्ध कराता है।

इन्दौर के क्षेत्रीय संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों एवं वर्तमान अघोसंरचना के अध्ययन को सम्मिलित करते हुए इन्दौर रीज़न का निर्धारण किया गया है। इन्दौर की क्षेत्रीय विकास योजना हेतु किए गए अध्ययन के आधार पर क्षेत्रीय आवश्यकताओं का हरसंभव ध्यान **,इन्दौर के विचाराधीन सिटीज़न्स मॉस्टर प्लान २०२५** का **स्थापत्यवेद से नियोजन** करने का प्रस्ताव तैयार करते समय रखा गया हैं।

६.१ परिचय व संकल्प :-

विश्व के २१ वीं शताब्दी की ओर अग्रसर की होने के साथ-साथ यह धरती माँ दिन - प्रतिदिन तेजी से क्षति एंव सर्वनाश के गर्त में गिरती जा रही है। बढती हुई आबादि, गरीबी और स्वस्थ, संतुलित एवं समन्वित पर्यावरण के लिए आवश्यक संसाधनों के अनावश्यक एवं अनियंत्रित दोहन तथा संदूषण व प्रदूषण ने न केवल परिस्थिति की संतुलन को अप्रतिवर्ती क्षति पहुँचाई है ,बल्कि स्वयं मानव अस्तित्व भी खतरें में पड़ गया है।

सुंदर, स्वस्थ पर्यावरण वाले मालवा के पठार में ,जो उर्वरा भुमि, अथाह संपदा, जीवनदायी नदीयों तथा प्रकृति के अनगिनत अलंकरणों का बाहूल्य लिए हुए है, शनैः शनैः सभी कुछ उजड़ता जा रहा है। यहाँ के वनों की निर्दयतापूर्वक कटाई, मानव बसाहट व अंधाधुंध भूमि का उपयोग, जल तथा बेशकीमती प्राकतिक संसाधनों का संकट दिनों दिन बढता ही जा रहा है।

इस गम्भीर समस्या से उद्वेलित एवं भावी पीढी की सुरक्षा केा लेकर चिंतित इन्दौर के प्रगतिशील नागरिक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाओं व स्थानीय प्रशासन की कटिबद्धता ने ६ जून १९९६ को पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान एंव विकास केन्द्र (सी.ई.पी.आर.डी.) की स्थापना की जिससे पर्यावरण अभियान कर्मी आधुनिक शोध व तकनिकी का उपयोग प्रतिबद्ध जनभागीदारी के साथ कर सकें। इसी कड़ी में स्वयं संस्था से जुड़कर इस शोध प्रबंध हेतु अनुसंधानरत हूँ।

सी. ई. पी. आर. डी. संस्था द्वारा एक संकल्प कि निम्न बिंदुओं के अनुरूप पारित किया गया था :-

§ ऐसे "आज" का सृजन करना जो संपूर्ण पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ एंव प्रदुषण मुक्त तथा सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से अनुकूल हो।

§ ऐसा 'कल' जो भावी पीढी के लिए अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और अधिक खुशिहाल हो।

§ पर्यावरण तथा परिस्थिति की क्षैत्र में विकास एंव सुधार हेतु अनुसंधान को बढावा देना।

§ आम जनता को हर स्तर पर शिक्षित करना तथा प्रदुषण के खतरों व आवश्यक प्राकतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जन - जागृति विकसित करना।

इन्दौर के विचाराधीन सिटिज़न्स मॉस्टर प्लान २०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन बिंदु क्र. ४.२४ में बताई संक्षिप्त रूपरेखा के अनुरूप क्षेत्रीय विकास योजना की अवधारणा के तहत ,परिक्षेत्र इन्दौर नगर के मध्य से उत्तर

दिशा में ६०कि. मी. व दक्षिण दिशा के समान्तर २५ कि. मी. एवं पूर्व दिशा में २५ कि. मी. तथा पश्चिम दिशा के समान्तर ६०कि. मी. तक "इन्दौर महानगर परिक्षैत्र" लिया गया है, जिसें शासन द्वारा नियमानुसार घोषित किया जावें। इस संपूर्ण महानगर परिक्षेत्र के सर्वाङ्गीण विकास हेतु स्थात्यवेद के सिद्धातों के अनुरूप अधोसंरचना विकास में परिवहन, यातायात, मानव बसाहट, जल प्रबंधन, उर्जा प्रंबधन, शिक्षा, स्वास्थय व इसके लिए वित्तीय प्रबंधन की समग्र योजना बनाई जायेगी ,जिसमें ४ नगर पालिका निगम इन्दौर, देवास, उज्जैन, धार का पृथक निवेश क्षेत्र तथा ७ नगर पंचायत राऊँ, हातौद, बेटमा, देपालपुर, गौतमपुरा, सांवेर, महू का निवेश क्षेत्र एवं २ नगर पालिका पीथमपुर और मांगलिया (औद्योगिक नगर) का निवेश क्षेत्र पृथक – पृथक चौकोर या आयताकार होगा। इस प्रकार इन्दौर महानगर परिक्षेत्र की सीमा में इन १३ छोटे – बड़े शहरों तथा ग्रामों का क्षेत्र भी विकास योजना में रहेगा। योजना क्षेत्र के इन ग्रामों के आकार, प्रकार, माप तथा क्षेत्रीय उत्पादकता के अनुरुप, स्थापत्यवेद मे वर्णित कई प्रकार के ग्रामों जैसे दण्डक, सर्वतोभद्र, नन्द्यावर्त, स्वस्तिक आदि में से तदानुरूप चयनित कर उनकी पृथक विकास योजनाएँ बनेगी।

संविधान के अनुसार इस सम्पूर्ण महानगर परिक्षैत्र के लिए अनिवार्यत: एक महानगर योजना समिति गठित होगी ,जिसकी संरचना के नियम ,राज्य विधानसभा अधिनियम बना कर ,निर्मित कर सकेगी। यह समिति इस परिक्षेत्र के लिए विकास योजना का विस्तृत प्रारूप तैयार करेगी तथा नगर पालिका एवं पंचायतों द्वारा अपनें – अपनें क्षेत्र की तैयार की गई विकास योजनाओं पर विचार करके स्वीकृती देगी व क्रियान्वयन करेगी।

राज्य सरकार को इस परिक्षेत्र के लिए महानगर क्षेत्र शासन जिसें महानगर क्षेत्र परिषद् कहा जाएगा, के गठन के लिए कानून बनाएगी। इस महानगर क्षेत्र शासन के कायम होने पर पुरे क्षेत्र का समग्र विकास साथ – साथ होगा तथा गाँव से पलायन रूकने के साथ ग्राम में भी शहरी सुविधाएँ उपलब्ध होने से वहाँ का परिवेश भी सुधरेगा।

६.२ उद्देश्य :–

सी. ई. पी. आर. डी. संस्था का गठन निम्नलिखित उद्देशयों के लिए किया गया था :–

§ इन्दौर नगर तथा उसके आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण उत्कृष्टता के अद्वितीय उदाहरण के रूप में विकसित करना।

§ पर्यावरण एंव परिस्थिति की सहयोगी क्षेत्र का सृजन करना जो स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव विविधता के लिए आदर्श परिवेश उपलब्ध कराएँ

§ जीवन स्तर के सुधार हेतु शुद्ध जल,स्वच्छ वायु,स्वास्थयप्रद परिवेश एवं हरित क्षेत्र को उपलब्ध करना।

§ प्रकृति के प्रति आदरभाव उत्पन्न करना तथा प्राकृतिक बाहुल्यता के प्रति सामाजिक दायित्व निर्धारित करना।

§ पर्यावरण के संरक्षण एवं स्थाई विकास की गतिविधियों में समन्वयक एवं उत्प्रेरक की भूमिका निभाना।

इन उद्देश्यों को सफल बनानें में अपनी ओर से सहयोग करने के लिए बिंदु क्र. ५ में वर्णित स्थापत्यवेद के सिंद्धातों का उपयोग पूर्व में इन्दौर निवेश क्षेत्र के स्थापत्यवेद के सिंद्धातों से विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर आचार्य अंतिम वर्ष में किए लघु शोध प्रबंध तथा ईसरो व नगर व ग्राम निवेश विभाग द्वारा जून २००३ में प्रकाशित विकास योजना से आवश्यक सेटेलाईट सर्वे व जी. आय. एस. पद्धति से बनाए मानचित्र आंकड़ों का भी उपयोग कर इन्दौर के विचाराधीन सिटिजन्स मॉस्टर प्लान २०२५ को स्थापत्यवेद से नियोजित किया गया है। इसके पीछे मेरा उद्देश्य एक नागरिक, स्थपति एंव अभियंता होने का कर्तव्य निभाते हुए एक प्रयास करना ताकि समाज को इस सनातन ज्ञान का भरपूर लाभ मिल सके।

६.३ साधन :-

इन्दौर के विचाराधीन सिटिज़न्स मॉस्टर प्लान २०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन करने के लिये सी.ई.पी.आर.डी.संस्था ने इंदौर के विकास में अपने संकल्प व उद्देशयों को पूर्ण करने के लिए निम्नानुसार साधन नियत किए थे। इन साधनों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वर्णित स्थापत्य वेद के सिद्धांतो के अनुरूप हर दृष्टि से विचार कर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन योग्य विकास योजना, इस शोध प्रबंध के तहत बनाने का प्रयास किया गया है।

§ जनचेतना – (जनसंचार,प्रकाशन,संगोष्ठी,कार्यशालाएं आदि)

§ शिक्षा – अध्ययन शोध विश्लेषण, ग्रंथालय, दस्तावेजी करण व संबंधित गतिविधियाँ।

§ इको–एस्टेट – हरित क्षेत्र, उद्यान, मनोरंजन स्थल जलाशयों,वन्य जीवन, सामाजिक वानिकी आदि।

§ प्रदूषण – ध्वनि वायु, तरल एवं ठोस प्रदूषण कारणों का अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण, कार्यक्रमों की निगरानी, कचरे का निपटान (ठोस, गैसी एवं द्रवीय)शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था आदि।

§ जल प्रबंधन – शुद्धिकरण, संरक्षण, पेयजल व्यवस्था एवं प्रबंध।

§ उर्जा – वैकल्पिक उर्जा के प्रदूषण रहित, गैर परम्परागत स्त्रोत।

§ मानव बसाहट – शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सही नियोजन, यातायात समस्या आदि।

§ "परामर्श सेवा" –सर्वेक्षण,अध्ययन, पर्यावरण नियोजन एवं विकास संबंधी समस्याओं का विशलेषण तथा परामर्श।

§ इन सेवा संकायों के कार्यो का मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को इन संकायों में सक्रिय सदस्यता प्रदान करना। सभी वरिष्ठ तकनीकि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों एवं व्यवसायिक विशेषज्ञों को विषयानुसार संबंधित संकाॅय में सलाहकार के रूप में मनोनीत करना, ये सभी ट्रस्टियों एवं संरक्षक गणों के साथ पर्यावरण परिषद का गठन जो ,केन्द्रीय निकाय के रूप में सी.ई.पी.आर.डी. के उददे्श्यों की प्राप्ति को सुनिश्चत करेगी।

इन साधनों से समय समय पर प्राप्त निष्कर्षों को योजना बननाने में उपयोग किया गया है।इस मास्टर प्लान के नियोजन का दृष्टिकोण स्थापत्यवेद के मापदण्डों के अन्तर्गत प्रकृति के साथ सहयोग पर आधारित है। प्रस्तावित शहरी गतिविधियाँ निवेश क्षेत्र की गाह्य क्षमता पर आधारित हैं जो कि क्षेत्र में बगैर परिस्थितिकीय असंतुलन के, इंदौर सहित मालवा क्षेत्र के सर्वाङ्गींण प्रमाणित विकास को सुनिश्चित करेगा।

६.३१ जन चेतना –

अथर्ववेद में बताया है कि –

"त्वं महते सौभाग्य अदब्धेभि: अक्तुभि: परिपाहि"

तुम अपना सौभाग्य बढाने के लिए बिना थके, बिना संकोच के दिन–प्रतिदिन सुरक्षापूर्वक प्रयत्न करों।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने तेज से तेजस्वी बनाना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने ज्ञान से विवेक करना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने धन का भोग करना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने विद्वान बनकर सत्य के अनुकूल होना चाहिए।

इन सुविचारों को आम आदमी तक पहुँचाने से उसकी मूलभूत आवश्यकताएँ रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ही बिजली स्वच्छ जल, स्वस्थ पर्यावरण, तथा स्वास्थ्य आदि भी उपलब्ध कराना होगा। कोरी योजनाओं, घोषणाओं व ज्ञान की बातें कर अब जनता को अधिक दिन नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। न्याय व अधिकार नहीं मिलने पर उसे बलात् प्राप्त करने की घटनाएँ समाज में बढ रहीं है। वही दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से वर्तमान परिवेश में युवा पीढी सहित मानसिक अस्वस्थता व शनै: शनै: संस्कृति से दूर आम जन होता जा रहा है

गलाकाट स्पर्धा ने व्यवसायी से लेकर नौकरी पेशा एवं गरीब से लेकर अमीर तक जिसे जहाँ, जैसे भी एक दूसरे से धन कमाने का अवसर मिलता है , उक्त वर्णित मानवीय आवश्यकताओं के लिए सबसे अधिक उसका शोषण करने में कोई कसर नहीं रखता है।

आजादी से पूर्व जहाँ कुए,बावड़ी,तालाब बनवाना नदियों, सागरों के प्रति अगाध श्रद्धा के साथ उसके धार्मिक महत्व के कारण पुण्य माना जाता था।वर्तमान में मंदिर, धार्मिक स्थलों का निर्माण तो तेजी से बढ रहा है, परन्तु आम आदमी के जीवन में सुकून की अत्यधिक कमी है।

जनचेतना को जगाने के लिए टी.व्ही. , समाचार-पत्र व समाज कल्याण में लगे लोग ,इसमें अपनी भूमिका समय समय पर बखूबी निभाते है। मास्टर प्लान के संबंध में सी.ई.आर.डी संस्था ने जून २००० में स्वच्छ एवं स्वस्थ इंदौर, नवम्बर २००० में नगरीय समस्याएँ एवं सतत विकास योजना विषय आदि पर विशेष कार्यशालाएँ आयोजित कर नगर निगम के साथ पितृ पर्वत पर वृक्षारोपण, मेराथन दौड़ आयोजित किए। इसके अतिरिक्त अपनी आपत्तियों को प्रभावी ढंग से नगर व ग्राम निवेश विभाग को प्रस्तुत की तथा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मास्टर प्लान की विसंगतियों को शासन के समक्ष रखा। अन्ततः इन सभी के सामुहिक प्रयासों से इंदौर विकास योजना २०११ प्रारूप को रद्द करवाया। नई दुनिया व दैनिक भास्कर समाचार-पत्रों द्वारा भी निरन्तर मास्टर प्लान की समीक्षा कर उसकी एक श्रंखला नित्य प्रस्तुत की व वर्तमान में भी चाहे जल, धूल की समस्या से लेकर निराश्रितों को पेंशन बंटवारे के मामले पर विस्तार से जन चेतना को जाग्रत करने का काम किया है व कर रहे है। आम जनता भी कुएं, तालाब, बावड़ियों की जीर्णोद्वार क्षेत्रों में *शिव गंगा अभियान* के माध्यम से जल प्रबंधन हेतु की जा रही कार्यवाही सराहनीय है। निजी स्तर पर कई ग्रामीणों ने जनहित में कई सराहनीय कार्य स्वप्रेरणा से किए है।

केन्द्र शासन व राज्य शासन की ओर से हर वर्ष करोड़ों रूपया नदियों को जीवित करने में, भू-जल संवर्धन व जल संसाधनों की जीर्णोद्धार व रख रखाव के लिए स्वीकृत कर खर्च भी कर रही है। माननीय राष्ट्रीपति महोदय ने हाल ही में भू-जल सवर्धन एक अभियान के रूप में लेकर समन्वित प्रयास करने का अह्वान किया है। प्रधानमंत्री महोदय ने भी भू-जल संवर्धन के लिए अपनी प्रतिबद्धता हाल ही में दर्शाई है।मप्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चोहान ने भी विकास को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लेकर जल संरक्षण,बिजली,पानी ,स्वास्थ्य,क्षिक्षा व ग्रामीण विकास को अपना लक्ष्य बनाया है।नदियों को जोड़ने की योजना भी विचारधीन है।

इस सबके पश्चात् भी ग्रामीण जन की सक्रीय सहभागिता जन चेतना व अर्थ के अभाव की वजह से ग्राम विकास से अपने को सीधे जोड़ नहीं पाए हैं। इतने प्रयासों व धन खर्च होने के बाद भी समस्याएँ विकराल रूप ले रही हैं, लोग परेशान हैं। वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली में एक आम आदमी सारी जिम्मदारी शासन की ही समझता है। जिसके हाथ में स्वीकृत धन को योज़नाओं पर खर्च करने की जिम्मेदारी है उसमें परोक्ष व अपरोक्ष रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप या भूमिका रहती ही है। यह सत्य भी है कि जिसके पास योजनाओं हेतु धन है, वही जिम्मदार होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कोई कार्य जनहित में न हो तो उसे जनता द्वारा रोका भी जाना चाहिए। परन्तु वर्तमान में संगोष्ठियों , कार्यशालाओं आदि के सुझावों तक सुनने-समझने को कोई तैयार नहीं है, यही कारण है कि पंचायत राज्य व्यवस्था भी चरमरा गई है।

इस असमन्जस पूर्ण वातावरण में जनचेतना को जाग्रत कर विकास् योजनाओं को स्थापत्यवेद के सिद्धांतों से बनाकर प्रस्तुत करना, स्वीकृत करवाकर क्रियान्वित करना अत्यन्त ही जटिल कार्य है। परन्तु अगर हमनें वास्तव में समस्याविहिन, स्वअनुशासित एवं सुकून भरे जीवन युक्त समाज की स्थापना करना है ,तो इसे करने के लिए दृढ संकल्पित होना होगा।नहीं तो कष्ट भोगते रहना होगा।

स्थापत्य वेद के सिद्धांतों को अत्यंत सरल भाषा में टी.व्ही., इंटरनेट, समाचार-पत्रों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से नीति निर्माताओं सहित आम जनों को बताना होगा। इस ज्ञान का उपयोग भारत सहित पूरे विश्व में तेजी से बढ रहा है ,चूँकि यह शाश्वत ज्ञान पूर्णतः वैज्ञानिक व प्रमाणिक है। संयोगवश जो संरचनाएँ आदि स्थापत्यवेद के सिद्धांतों के अनुरूप बनी है उनके लाभ तथा जो विपरित बनी है उनके दुष्परिणाम आम जन को बताने होगें। सबसे पहले इस बात के लिए संकल्प लेना होगा कि अब भविष्य में तो कोई भी संरचना स्थापत्यवेद के सिद्धांतों के विपरित न बने।

विगत वर्ष जनचेतना के अभाव व संवादहीनता सहित अन्य कारणों से नर्मदा-सागर बाँध से छोड़े गए पानीसे धाराजी हादसे में बहुत जनहानि हुई, इसकी पुनरावृत्ति न हो ऐसे पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

अब प्रश्न यह उठता है कि स्थापत्यवेद के ज्ञान को व्यवहारिक धरातल पर कैसे लाया जाए। किसी भी राष्ट्र का विकास उसकी शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली बुनियादी रूप से निष्क्रीय, मिथ्या व निस्तेज है। अब तक मानवता ने शिक्षा की उत्तम से उत्तम प्रणाली, जो विकसित की है, चाहे आधुनिक हो या पुरातन उसमें वैदिक वाङ्गमय को हम सभी को समाविष्ट करना चाहिए। जैसा कि जनवरी ९८ में मानव संसाधन विभाग म.प्र शासन व तकनिकी संचालनालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी २१ वीं सदी में तकनिकी शिक्षा (चुनौतिया व तकनिकी ब्यूह संरचना) आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग के यंत्र में स्थापत्य वेद (वास्तु) के अनुरूप निर्माण विषय पर, मेरे द्वारा अपना शोध-पत्र प्रस्तुत कर तकनिकी शिक्षा में वैदिक ज्ञान का समावेश करने हेतु योजनागत सत्र में प्रस्ताव पंजीकृत कराया गया है। इसी लेख को Proceedings में भी लिया गया है तथा वैदिक वास्तु संदेश वास्तु शास्त्र के वैज्ञानिक, आध्यात्मिक व व्यवहारिक ज्ञान शोध पर त्रैमासिक पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ है। मेरे द्वारा इसी कड़ी में जन चेतना को जाग्रत करने के लिए ,जुलाई २००३ में इंदौर में आयोजित दक्षिण एशिया महापौर सम्मेलन के दौरान तत्कालीन अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष डॉ. सतीशचंद्र राय को स्थापत्यवेद के अनुसार ग्रामीण व नगरीय विकास की अवधारणा से अवगत कराया गया, उनसे चर्चा कर ७४ वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत देश भर में नगरीय निकायों को सशक्त बनाने के साथ स्थापत्यवेद की मान्यताओं से भी उन्हें अनिवार्य रूप से अवगत कराना चाहिए, क्योंकि सर्वांगीण विकास का आधार स्थापत्यवेद है। श्री राय को एक विस्तृत लिखित प्रस्ताव भी दिया व इंदौर मास्टर प्लान के संबंध में स्थापत्यवेद के दृष्टि कोंण से अवगत कराया। इस बारे में नई दुनिया[१] इंदौर ने दि. ३१.७.२००३ को अपने समाचार-पत्र में समाचार प्रकाशित किया थों। "कभी एक नगर या उपनगर तो स्थापत्यवेद की मान्यताओं के अनुसार भी बसाएँ"। से जन चेतना के उद्देश्य से वैदिक वास्तु संदेश पत्रिका अप्रेल २००२ में स्थापत्यवेद (वास्तु शास्त्र) से नगरों/ग्रामों का नियोजन व समस्याओं का समाधान (शोध लेख क्र.०२इस शीर्षक से लेख प्रकाशित हुआ था। इस संबंध में श्री व्ही.पी. कुलश्रेष्ठ संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इंदौर, जिन्होंने जून २००३ में प्रकाशित मास्टर प्लान की प्रोजेक्ट टीम का नेतृत्व किया था व मास्टर प्लान प्रकाशन से पूर्व ही अपनी ओर से विकास योजना २०११ का स्थापत्यवेद से विशलेषणात्मक अध्ययन का लघु शोध प्रबंध दर्शाकर इससे संबंधित साहित्य भी प्रस्तुत किया , परन्तु इस मास्टर प्लान में कहीं भी स्थापत्यवेद या वास्तु का उपयोग सुझाव करना करना तो दूर एक शब्द भी नहीं लिखा गया। इसके प्रकाशन के पश्चात् अपनी ओर से विधिवत् आपत्ति स्थापत्यवेद के ज्ञान को समाहित करने हेतु कुछ बिंदु मय दस्तावेज के प्रस्तुत किए, जिसकी दि.३०.७.२००३ को कलेक्टर कार्यालय में सुनवाई के दौरान श्री कुलश्रेष्ठ ने मौखिक रूप से बताया था कि ,आपके द्वारा दिए आपत्ति व सुझाव से क्रियान्वयन योग्य सभी सिद्धांतों को मान लिया गया हैं।

ज्ञान चेतना में निहित है (Knowledge is structured in the conciousness) ,सिर्फ स्वयं में व समाज में चेतना को जाग्रत करने की आवश्यकता है, वो चाहे व्यक्तिगत चेतना हो या सामाजिक चेतना। व्यक्तिगत चेतना के विकास से व्यक्तिगत विकास तथा सामाजिक चेतना के विकास से ,सुदृढ, सुसंगठित व जाग्रत समाज की स्थापना की जा सकती है।

६.३२ शिक्षा:-

इंदौर के विचारधीन सिटिजन्स मास्टर, प्लान २०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन करने की अवधारणा में शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन शोध, विश्लेषण, ग्रंथालय, दस्तावेजीकरण व इससे संबंधित वे समस्त गतिविधियाँ नियोजित करने में उपयोग की गई है। महाभारत में आया है कि -

येषां त्रीण्यवदातानि विद्या योन्श्चि कर्म च।
ते सेव्यास्तै समास्या हि शास्त्रेभ्याऽपि गरीयसी ॥

अर्थात् - जिन लोगों की विद्या, कर्म और कुल तीनों ही शुद्ध व सात्विक हो उन श्रेष्ठ साधुओं की अर्थात् सज्जन मनुष्यों की सेवा में या सन्सर्ग में रहना व उनके साथ उठना-बैठना उच्च शास्त्रों के अध्ययन से भी श्रेष्ठ

१/समा.पत्र कत./०१

होता है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार म.प्र. में शिक्षा का प्रतिशत ५०.२८ तथा इंदौर जिले में ६३.९६ प्रतिशत एवं इंदौर नगर में ८१.८१ प्रतिशत है ,जो ओर बढाया जा सकता है।

अध्ययन शोध व विश्लेषण हेतु शिक्षा के क्षेत्र में इंदौर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्दौर में प्राथमिक शिक्षा से लेकर आय.आय.एम. आदि तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सी.बी.एस.एवं म.प्र. बोर्ड देनों ही प्रणाली के कुल विद्यालयों की अनुमानित संख्या सारणी क्र. ६.१ में बताई गई है।

सारणी क्र. ६.१

क्र.		प्रायमरी शिक्षण	प्रायमरी वर्ग	कक्षा १० तक	कक्षा १२ तक	कुल
१.	केन्द्रीय शासन	१	–	–	१	२
२.	राज्य शासन	२८०	१२०	१०	१८	४२८
३.	निजी अनुशासित	४९	१६	५	१६	८६
४.	निजी स्वशासित	५३२	४७६	१४९	१३५	१२९२
	योग	८६२	६१२	१६४	१७०	१८०८

इंदौर के डेली कॉलेज, सत्यसाईं विद्या बिहार, चौईथराम स्कूल, एमरॉल हाईट्स, सेन्ट्रफल्स, सेंटपाल, गुजराती समाज ,देहली पब्लिक स्कूल व भवन्स प्रामीनेंट इत्यादि सुविख्यात नीजी विद्यालयों सहित बाल विनय मंदिर जैसे पुराने शासकीय आदर्श विद्यालय व केन्द्रीय विद्यालय शहर में अपनी पूर्ण क्षमता तक चल रहे है।उच्चशिक्षा के क्षेत्र में भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख जमा रहा है। देवी अहिल्या विश्व विद्यालय का देश में नाम है। कई अन्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध व स्वतंत्र विश्व विद्यालय भी कार्यरत है। तकनिकी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के श्री जी.एस.आय.टी.एस. संस्थान का देश में एक अपना एक स्थान है। अभियांत्रिकी शिक्षा के इस संस्थान को लेकर हम सभी अभियंता अपने को गौरवान्वित एवं भाग्यशाली मानते हैं। यह संस्थान नई उपलब्धियों को पातें हुए एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने जा रहा है जो अभी वर्तमान में राजीव गॉधी प्रोद्योगिकी तकनिकी विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध है। इस सहित आय.आय.पी.एस. ,मेडीकेप्स ,देवी अहिल्या व वैष्णव आदी इंजीनियरिंग कालेज,आयुर्वेद, होम्योपेथी कॉलेज,आदि जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थान पूर्ण क्षमता से कार्यरत हैं। कृषि महाविद्यालय, बी.एड.कॉलेज, महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इनकी प्रसिद्धि सर्वविदित है। म.प्र. का प्रमुख डेन्टल कॉलेज महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध है। निजी क्षेत्र में चिकित्सा व डेन्टल कॉलेज भी कार्यरत है।

महर्षि महेश योगी वैदिक वि. वि. मध्यप्रदेश के प्रथम परिसर का शुभारम्भ भी इंदौर से ही वर्ष १९९६ में हुआ ,जिसमें देश में प्रथम बार स्थापत्यवेद की उच्च शिक्षा देना प्रारंभ हुई एवं मुझे प्रथम विद्यार्थी बनने का सौभाग्य मिला। इस वि.वि. में ज्यातिष एवं वेद विज्ञान के क्षेत्र में प्रमाणपत्र पाठ्यकृम शास्त्री एवं आयार्य तथा विद्यावारिघी तक की शिक्षा प्रदान की गई। इसके पश्चात स्थापत्यवेद का इंदौर म.प्र. देश एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ।वि.वि. प्रबंधन द्वारा वर्ष २००१ में मेरे इस शोध प्रबंध हेतु अंतिम पंजीयन किया गया।

इंदौर शहर में शिक्षा क्षेत्र के उपयोग हेतु शासकीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्व विद्यालय स्तर तक बहुत कीमती भूमि आवंटित है व उपयोग की जा रही है। जिसका व्यवसायिक उपयोग कर शासकीय स्कूलों के विकास हेतु कुछ प्रयत्न किए गए थे। पटवारी व नर्सिंग आदि प्रशिक्षण केन्द्र भी यहाँ कार्यरत है। इंदौर का संस्कृत महाविद्यालय संस्कृत की शिक्षा देने का एक महत्वपूर्ण संस्थान भी यहॉ कार्यरत है।

इन उक्त शिक्षा संस्थानों में प्रदेश–देश व विदेश के भी विद्यार्थी यहाँ शिक्षारत हैं। बाहर से आए विद्यार्थी छात्रावासों, फ्लेट्स तथा निजी मकानों में निवासरत हैं। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने वाला इंदौर शहर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदेश में रखता है। स्थापत्यवेद में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार विद्याभ्यास के लिए दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य का स्थान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। नगर नियोजन में शिक्षा हेतु सर्वाधिक उर्जा युक्त स्थल को अगर हम छंदिता पद विन्यास (मानचित्र क्र.१९ ब) के दृष्टिकोण से देखें तो पुष्पदंत, गोधा व

इंद्र जय पद पर इसके लिए उपयुक्त स्थल है।

स्थापत्यवेद में अध्ययन या विद्याभ्यास करने के लिए स्थान विशेष व पद बताए है यह इंदौर महानगर परिक्षेत्र के लिए बदनावर के आसपास कहीं होगा तथा इसी प्रकार इंदौर सहित १३ नगर व उपनगर में उनकी निश्चित चौकोर या आयताकार सीमा क्षेत्र में ,पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम के मध्य होगा।सही स्थल तो प्रत्येक वार्ड या ग्राम में भी उसकी चतु:ष सीमा तय करने के बाद ही निकलेगा। Trial and error method पद्धति द्वारा वर्तमान स्थित विद्यालय व शिक्षण संस्थानों को ,उस स्थल पर अन्य दृष्टिकोणों से भी जमीनी परिस्थितियों के अनुरूप जाँच कर चतुष सीमा निर्धारित की जा सकती है। यह शिक्षा परिसर उस विशेष विन्यास क्षेत्र (चतुष सीमा) के लिए स्थापत्य वेद के अनुरूप कहलाएगा व शुभ होगा। वैदिक वाङ्मय में कभी भी किसी एक सिद्धांत व दृष्टिकोण से निर्णय नहीं करते हुए, समस्त वेद के ४० क्षेत्रों पर समग्र द्रष्टि से विचार कर निर्णय किया जाता है। इन विद्याभ्यास के परिसरों में भवन आदि का अध्ययन कर उसे हर संभव स्थापत्यवेद के अनुरूप बनाया जा सकता है जैसे उसमें जल स्थान, शौचालय, संस्था प्रमुख का स्थान, विद्यार्थियों के बैठनें का स्थान व दिशा इस प्रकार हो कि ब्लेक बोर्ड पर लिखा हुआ उन्हें पूर्व दिशा में दिखाई दे। इस तरह के छोटे-छोटे वास्तु दोष निरूपण से विद्यालय उन्नति की ओर अग्रसर होगें ,जैसा कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय ढक्कन वाला कुआ इंदौर के उत्तरमुखी परिसर में पूर्व व दक्षिण में तथा दूसरा दक्षिण पश्चिम में एक-एक द्विशाल भवन थे जिन्हें विगत समय में दक्षिण दिशा की शालाओं के मध्य पड़ी भूमि जिये अतिक्रमण से बचाकर भवन बना दिया गया इससे दक्षिण में एक पूर्ण शाला होकर उत्तरमुखी यू (U) आकार का त्रिशाल भवन हो गया है, जो अत्यन्त शुभ शास्त्रों में बताया गया है जो पूर्व में आंशिक शुभ व क्लेशमय वातावरण वाले परिणाम युक्त था। इंदौर के अति व्यवस्त एवं मंहगी भूमि वाले इस विद्यालय परिसर में अब कई सुधार कर ,किसी बड़े पब्लिक स्कुल के समान विकास करने की संभावनाऐं मौजूद हैं। इसी तर्ज पर महानगर क्षेत्र के सभी शासकीय शिक्षक संस्थानों का स्थापत्यवेद से पुर्ननियोजन कर इन परिसरों को अतिक्रमण से बचाकर इनका जीर्णोद्धार किया जा सकता है। अगर इसके लिये शासकीय स्तर पर धनाभाव हो तो B.O.T.(Built operate and teansfer) पद्धति के तहत शिक्षा के लिये ,गरीब बच्चों के हित संरक्षित कर इसका व्यवसायिक उपयोग कर आर्थिक संसाधन जुटाए जा सकते हैं।

"ग्रंथालय व दस्तावेजी करण" का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्व हैं। इंदौर शहर में भी कई ग्रंथालय शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा भी हैं जैसे देवी अहिल्या लायब्रेरी, १०० वर्ष पुरानी संयोगितागंज हाईस्कूल परिसर से लगी हुई विक्टोरिया लाईब्रेरी ,जो अब महादेवी वर्मा ग्रंथालय कहलाता है ,आदि हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया के आगमन से ग्रंथालयों में आमजन की रूचि अवश्य कम हुई है ,परन्तु इसके महत्व कभी समाप्त नहीं होगा। ग्रंथालायों में स्थापत्यवेद संबंधी वैदिक ज्ञान व संदर्भित ग्रंथ उपलब्ध कराएँ जाने चाहिए,जैसा कि बताया गया है यह अंग्रेजी व संस्कृत में अधिक व हिन्दी में कम उपलब्ध है। वैदिक भाषाशैली को संस्कृत व अंग्रेजी में समझना आमजन के लिए ही नहीं वरन् शिक्षित लोगों के लिए भी, शिक्षा प्रणाली में दोष के कारण अत्यंत क्लीष्ट है। अत: इसे सामान्य,सरल,क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित कर चार्ट,पोस्टर,बेनर, पत्र-पत्रिकाओं,समाचार-पत्रों,सार्वजनिक भवनों, परिवहन के साधनों, रेल्वें, बस स्टैण्ड पर पुस्तकों की दूकान में तथा स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में व संस्कृति की शिक्षा के अन्तर्गत समाहित करते हुए, ग्रंथालय में उपलब्ध करानी चाहिए। नई पीढी भी प्राचीन विद्याओं में रूचि व विश्वास प्राय: रखते हैं, सिर्फ उन्हें सही दिशा देकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने की आवश्यकता है। इस कार्य को शासन सहित सभी को मिलकर एक अभियान के रूप में हाथ में लेना होगा।

स्थापत्यवेद के अनुसार ग्रंथालय हेतु उपयुक्त स्थान, किसी परिसर,वार्ड, ग्राम , नगर आदि में पश्चिम और नैऋत्य खण्ड के मध्य में जो विद्याभयास के लिए बताया गया है उसी परिसर मे या उसके समीप बनाया जा सकता है।

शिक्षा से संबंधित अन्य गतिविधियों में ,इन्टरनेट सहित प्राचीन लोकोक्तियों,मुहावरों व संदेश वाक्यों के माध्यम से भी स्थापत्यवेद के ज्ञान को प्रचारित, प्रसारित किया जाना चाहिए। सबसे अधिक आवश्यकता इस ज्ञान का, सिविल इंजीनियरिंग निर्माण से जुड़ें क्षेत्र जो प्रत्येक निर्माण की नीवं बनाते हैं ,उन्हें दिया जाना चाहिए साथ ही उन सभी नीती निर्माताओं को भी जो शहरों, गॉवों वार्डो, मोहल्लों आदि के विकास हेतु सीधे जिम्मेदार हैं। विकास हेतु निजी सार्वजनिक, शासकीय, अर्धशासकीय दान, जनसहयोग, देशी-विदेशी सहयोग व ऋण,सांसदों व

विधायकों द्वारा जो भी धनराशि नगर या ग्राम से संबंधित होती है उसकी एक जिम्मेदार महानगर प्रशासन के अधिकारी के पास एक ही कोष में विभिन्न मदों व कार्यो के लिए एकत्रित कर व्यय की जानी चाहिए ,जिसका संपूर्ण लेखा,जोखा सार्वजनिक स्थल पर तथा सूचनातंत्र को पारदर्शिता हेतु उपलब्ध कराना चाहिए इससे आम जन में जागरूकता बढेगी, विकास के अपने धन को व्यर्थ बहते देख जन-चेतना जाग्रत होगी। इससे प्रभावी तौर पर भ्रष्टचार पर कुछ तो अंकुश लगेगा। वर्तमान में विभिन्न मदों, योजनाओं की राशि भिन्न-भिन्न विभागों संस्थाओं आदि द्वारा निज विवेक से बेतरतीब तो ,कहीं सुव्यवस्थित रूप से व्यय की जा रही है। सिर्फ जल व सड़कों हेतु संपूर्ण स्वीकृत धनराशि का योग को ज्ञात करना बहुत जटिल है। यही कारण है कि कागजों में ही कई योजनाओं का शिलान्यास होकर बनाने व उसे जनहित में तोड़ दिए जाने रूपी कागजी विकास व इसी तरह की रोचक परन्तु चिन्तनीय प्रकरण प्राय: देखने में आते हैं। इससे जनचेतना की कमी से पूर्णत: जोड़ना न्यायोचित नहीं होगा। जहाँ एक आम आदमी को अपना जीवन ईमानदारी से न्यूनतम आवश्यकताओं में अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा जीने के लिए अपनों तक से संघर्ष करना पड़ रहा है ,वहाँ ग्राम, नगरादि के विकास की बात सोचना या उसमें हस्तक्षेप करना दूर की बात है तथा वह यह भी जानता है कि उसकी सुनवाई नहीं होगी। न्याय में देरी तथा आजादी के ५८ साल बाद भी गरीब से लेकर एक उच्च शिक्षित व्यक्ति तक को न्यायालयों में अपनी बात रखने के लिए ,जटिल न्यायालयीन प्रणाली व भाषा के कारण एक अधिवक्ता (वकील) की आज भी आवश्यकता पड़ती है। एक निरअपराध व्यक्ति को कोई भी, कही भी किसी भी झूठे प्रकरण में शिकायत कर परेशान कर सकता है। न्यायालयों में भी भ्रष्टाचार की खबरों ने एक चिंतन के लिए देशवासियों को मजबूर कर दिया है। इस तरह के लगातार हो रहे मूल्यों में आ रही गिरावट से आने वाली पीढी भी बेखबर नहीं है।

देश के विकास व हित हेतु मेरा सुझाव है कि, वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली में जहाँ कई राजनैतिक दलों या एक दल की सरकार का समय आ गया है, सिर्फ एक परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है कि पंचायत से लेकर सांसद के चुनाव तक में किसी राजनीतिक दल का एजेण्डा न होकर देश के विकास का एजेण्डा राष्ट्रपति महोदय व प्रदेश का राज्यपालों द्वारा नियत किया जाना चाहिए व राजनीतिक दलों द्वारा उस एजेण्डा को पूरा करने के लिए अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए मतदाताओं के बीच खुला छोड़ा जाना चाहिए ,ताकि वे सत्ता पाकर अपनी नीतियों के माध्यम से जनता का शोषण कर व व्यर्थ पैसा न बहा सकें।इससे चुनाव कोई राजनैतिक दल जीते ,विकास का लक्ष्य व उद्देश्य एक ही होगा।सी.ई.पी.आर.डी. संस्था के अन्तर्गत तैयार की जा रही योजनाओं में हरबेरियन तथा वनस्पति उद्यान की स्थापना एवं ईको क्लब के गठन के माघयम से स्कूलों में शिक्षा की जाने वाली योजनाओं में है व प्रगति पर है। सी.पी.ई.आर.डी.संस्था द्वारा विगत पाँच वर्षो से पर्यावरण विकास (पर्यावरण एवं विकास पर राष्ट्रीय मासिक पत्रिका) निरन्तर प्रकाशित कर रही है जो पर्यावरण विकास की दिशा में विलक्षण पत्रिका होकर मील का पत्थर साबित होगी। इस तरह की पत्र-पत्रिकाओं को गीता प्रेस गौरखपुर की तरह अत्यन्त सस्ती व सुलभ आम जनता को व जिसके लिए शासन व अन्य संस्थाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

६.३३ ईको स्टेट (Echo Estate):-

इंदौर की इस विकास योजना २०२५ को बनाने कें साधन के रूप में ईकों स्टेट का उपयोग किया ग्रया है,जिसके अन्तर्गत हरित क्षैत्र, उद्यान, मनोंरंजन स्थल, जलाशयों, वन्य जीवन तथा सामाजिक वानिकी क्षेत्र को को लिया है।

प्रदुषित पानी, बेहाल पंछी, बिगड़ती धूप।
लील ना जाए कहीं हमें, प्रकति का यह रूप॥

प्रकृति के बचाना मानवता का कर्तव्य है। वहीं दूसरी ओर वनों पर खर्च २०२ करोड़ से ३५०.५७ करोड़ हो गया है। वनों का घटना उनसें प्राप्त आय ओर व्यय को देखतें हुए प्रकृति के अनुकूल नहीं है। इन्दौर के आसपास सिर्फ महू व महेश्वर के मध्य तथा बागली व बड़वाह कें मध्य कि क्षेत्र में दक्षिण दिशा की ओर पहाड़ी इलाके में वन शेष बचें है। राला मंड़ल को छोड़ वन क्षेत्र नहीं के बराबर है।

वन सम्पदा की दृष्टि से म.प्र. अन्य राज्यों की तुलना में एक सम्पन्न राज्य है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ३०८.३ हजार वर्ग कि. मी. है जिसमें से ८,५९३.७ हजार हेक्टेयर वन भूमि है। जो राज्य के पूरे भूमि क्षेत्र

का लगभग ३५ प्रतिशत है। मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद ४५ वर्षों में राज्य के कृषि क्षेत्र में जहाँ लगभग ४६ लाख हेक्टेयर कर वृद्धि हुई वहीं दूसरी ओर वन भूमि में १७ लाख हेक्टेयर की कमी आई है। हालाकिं राज्य के वन क्षेत्र के फैलाव में एक रूपता नहीं है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलें जैसे बालाघाट और मंडला में अच्छे घने वन है जबकी पश्चिमी व उत्तरी अंचलों के जिलें वन आवरण की दृष्टि से कमजोर हैं। राज्य के वनों में आर्थिक महत्व के कई वृक्ष हैं जिनमें सागौन,साल, बाँस व तेंदूपत्ता के वृक्ष सम्मिलित हैं।

स्थापत्यवेद की दृष्टि से म.प्र. में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में वन होना चाहिए तथा कम घनें वृक्ष उत्तर पूर्व या पूर्वी क्षेत्र में होने चाहिऐं जो अभी नहीं है।

औसत वर्षा के आधार पर वनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है।

(क) सूखे एवं आर्दमिश्रित वन :-

ऐसे वन अधिक वर्षा वालें क्षेत्रों में पाए जातें हैं। राज्य के इन्दौर, होशंगाबाद, बालाघाट, जबलपुर रीवा, दतिया व शिवपुरी में सूखे मिश्रित वन पाए जातें हैं जिनमें प्रमुख रूप से सागौन के वृक्ष हैं।

(ख) कंटीलें वन :-

राज्य के पश्चिमी भाग में ये वन पाए जातें हैं जहाँ ३० इंच से कम औसत वर्षा होती है। ग्वालियर, उत्तरी शिवपुरी, शौपुर व मंडला आदि जिलों में ऐसे वन पाए जाते हैं।

राज्य को इन वनों से निम्न वनस्पति प्राप्त होती है :-

१. ईधन योग्य लकड़ी :-

यह लकड़ी बबूल, महूआ, छावड़ा आदि वृक्षों की होती है जो इन्दौर, खंडवा, होशंगाबाद जिलों में अधिक मिलती है। परन्तु हाल ही में इन्दौर क्षेत्र में श्मशानों में लकडी की कमी के समाचार प्रकाशित हुऐ थे।

२. ईमारती लकड़ी :-

यह लकड़ी साल, सागौन, शीशम, हल्दू आदि से मिलती है तथा इनके मिलने के प्रमुख स्थान है - बैतूल, खरगोन, मंडला, सिवनी व छिंदवाड़ा जिले।

३. बाँस :-

यहां म. प्र. में बाँस भी पाया जाता है। इसके मिलने के जिलें हैं - बालाघाट ,बैतूल, सागर, सिवनी, मण्डला, जबलपुर, भोपाल व झाबुआ आदि।

४. कागज बनाने की लकड़ी :-

कागज बनाने की लकड़ी के लिए बाँस बनाने के लिए बाँस व अन्य प्रकार की लकड़ी भी यहाँ पायी जाती है।

५. बीडी बनाने के लिए पत्ते :-

म. प्र. बीड़ी बनाने के लिए प्रख्यात है। बीड़ी में तेंदू के वृक्ष के पत्ते काम में आते है। जो जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल आदि जिलों में पाए जातें हैं। देश के बीड़ी उद्योग के लिए अंधिकाश पत्ता म.प्र. ही उपलब्ध कराता है।

६. गौंद :-

गौंद, बबूल, खेर, साज, सेनियल व छावड़ा आदि वृक्षों से मिलती है। यह वृक्ष शहडोल व सीधी जिलों में अधिक पाए जातें है।

७. लाख :-

लाख मुख्यत: बेर, बरहर, घोंट व पलाश के वृक्षों से मिलता है यह वृक्ष जबलपुर, होशंगाबाद, शहडोल व सिवनी आदि जिलों में पाए जातें हैं। गहनों के व्यवसाय में बहुत उपयोग होता है।

देश की कुल लकड़ी उत्पादन में म. प्र. २० प्रतिशत का योगदान करता है।वनों की प्रजातियों की दृष्टि से राज्य के वनों को पीक, साल एवं विशिष्ट श्रेणियों मे बांटा गया हैं। राज्य का ४० प्रतिशत क्षेत्र वन विहिन है जबकि खंडवा,बैतूल, होशंगाबाद, बालाघाट में ५० प्रतिशत से अधिक भूमि वनों के अर्न्तगत है।

राज्य के जिन जिलों में वन्य क्षेत्र ३३ प्रतिशत से कम है वहाँ वनारोपड़ हेतु पंच वन योजना प्रारम्भ की है म.प्र. में वन वृत्त हैं जिनमे सबसे आरक्षित खंडवा वन वृत्त, उससे कम उज्जैन, सबसे कम होशंगाबाद मे है।

सितम्बर ९५ से म.प्र. में विश्व बैंक की ८०० करेड़ रूपए की आथिर्क सहायता से म.प्र. वानिकी परियोजना आरंभ की गई जिसका प्रथम चरण १९९१ में पूर्ण हो चुका है। तेंदूपत्ता उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय स्थान है जिससे देश का ६० प्रतिशत से अधिक बीडी उत्पादन होता है।

राज्य में वनो से प्राप्त भिलावा से स्याही एवं पेंट बनाने का उद्योग छिंदवाड़ा में स्थापित है जबकि हर्रा से चमड़ा साफ करने का लोशन बनता है। म. प्र. में "इण्ड्रोकैलम स्ट्रिक्टस" प्रकार का बाँस पाया जाता है । इनका उपयोग कागज एव लुग्दी बनाने में किया जाता है। अमलाई एवं नेपानगर के कागज के कारखाने बाँस का उपयोग करते है । राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र साल वृक्षों का है ,ये वन क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत १२० से. मी. से अधिक तथा लाल व पीली मिट्टी है ,वहां है।यह रेलवे स्लीपर बनाने में काम आता है। म. प्र. में उष्ण कटिबन्धीय अर्द्धपर्णपाती वन पाए जातें हैं। राज्य में उष्णकटिबन्धीय पर्णपाती वन सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतुल, सिवनी ओर होंगाबाद जिलों में विद्यामान है। सागौन, शीशम, नीम पीपल आदि के वृक्ष इन वनों मे पाए जाते हैं।

उष्णकिटबन्धीय अर्द्ध पर्णपाती वन मंडला, बालाघाट, बोरी, सीधी, उमरिया, शहडोल आदि जिलों में पाए जातें हैं। उष्णकटिबन्धीय शुष्क पर्णपाती वन शिवपुरी, रतलाम, मंदसोर, टीकमगढ, दतिया, ग्वालियर तथा निमाड जिलों में पाए जातें हैं।

म. प्र. में जुलाई १९७५ को म. प्र. राज्य वन विकास निगम स्थापित किया गया जिसनें जबलपुर व इटारसी में एकीकृत वुडवर्क यूनिट की स्थापना की हैं।वानिकी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिको के हितार्थ प्रत्येक मजदूर परिवार के एक सदस्य को प्रतिकार्य दिवस २ कि. ग्रा. गेहूँ या चावल, २०० ग्राम दाल, २०० ग्राम खाद्य तेल दिया जाता है। शत- प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से प्रदेश के चार जिलों सिवनी, जबलपुर एंव रायपुर व बैतुल में लघु वनोपज रोपड़ योजना, बालाघाट व बैतुल जिले में वनराजिक महा विद्यालयों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त वन पालो एवं वन संरक्षको के प्रशिक्षण हेतु वन विद्यालयों की स्थापना शिवपुरी, गोविन्द गढ ओर लखनादौन में की गई है। वन का शतप्रतिशत राष्ट्रीयकरण करने वाला म. प्र. देश का पहला राज्य है। वन अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण महाविद्यालय देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। इसका प्रशासनिक संचालन केन्द्रीय कृषि एंव सिंचाई मंत्रालय द्वारा किया जाता है। म. प्र. राज्य लघु वनोपज व्यापार एंव विकास सहकारी संघ का गठन, १९८४ में म. प्र. सहकारी समिति अधिनियम, १९६० के अर्न्तगत शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में किया गया है।

प्रदेश में सामाजिक वानिकि योजना भी लागू है। म. प्र. में वनोंपजो के व्यापार राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसके अर्न्तगत तेंदूपत्ता, गोंद, हर्रा, टिम्बर, खेर साल बीज वनो पजें सम्मिलित जिसका वन उपज व क्षेत्र इस प्रकार है :-

वन उपज	उपयोग	क्षेत्र
तेंदूपत्ता	बीड़ी निर्माण	जबलपुर, रीवा, सागर, दमोह, शहडोल।
बाँस	कागज, बाँस, भवन निर्माण	सीधी, शहडोल, बैतूल, होशंगाबाद
खैर	कत्था, पेंट, औषाधि व चर्म शोधन	जबलपुर, सागर, दमोह, उमरीया, होशंगाबाद
हर्रा	खाद्य सामग्री, पेंट व दवाई उद्योग	शहडोल, मण्डला,बालाघाट ,छिंदवाडा
गोंद	प्रिंटिग, सौंदर्य प्रसाधन	पश्चिम म. प्र. के क्षेत्र (शहडोल, सीधी)
लाख	चूड़ी, औषधि व सौंदर्य प्रसाधन उद्योग	जबलपुर, सिवनी, शहडोल, होशंगाबाद।

इन वन उपज को इन्दौर महानगर परिक्षेत्र में पैदा करने की योजना स्थापत्यवेद के अनुसार की चाहीये।

भारतीय संस्कृति न शहरी है , न ग्रामीण है ,बल्कि यह आरण्य संस्कृति है। हमारा धर्म, दर्शन ,अध्यात्म, जमीन, साहित्य, वांग्मय शिल्प, आयुर्वेद, ज्ञान विज्ञान, चिंतन, मनन् अर्थात हमारा सर्वस्व आरण्यक रहा है। जीवन के समस्त सार तत्वों की खोज जंगलों में ही हुई है। सच कहा जाए तो हमारे समस्त गुण ,कर्म, सृजन, धर्म

और आचार विचार ,जल, जंगल, जमीन और पहाड़ के चतुष्टय से उत्पन्न हुए ओर जो पर्यावरण का मूल आधार यदि उनमें से किसी एक को भी क्षति पहुँचेगी जो अन्य दूसरे भी साथ – साथ प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेंगे।

वनवास तपश्चर्या के लिए हमारें यहाँ नितान्त आवश्यक माना गया था। नदीयों के किनारें हमारे प्रायः सभी तीर्थ या धाम स्थित है। जिन उपासना स्थलों से कोई नदी नहीं गुजरती, वहाँ विशाल कूपों, जलाशयों या पवित्र कुण्डों की पूजा – प्रदक्षिणा या उनमें स्नान – ध्यान की प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है।पहाड़ों को हमारे यहाँ देवता माना गया है। वे दिव्य वनोषधियों, संजीवनी जड़ी – बूटियों, फल – फूल देनें वालें पेड़ पौधों, अन्य वनस्पतियों, हरी – भरी घाटियों, नैसर्गिक दृश्यों के आश्रम रहें है। जल, जंगम, जमीन और पहाड़ में से किसी एक को क्षति पहुँचती, तो अन्य दूसरे भी साथ–साथ प्रभावित हुए बगैर नहीं रहते ,यह हमें दिख भी रहा हैं।

इन सबके प्रभावित होने पर धरती की समूची सृष्टि सरंचना, जलवायु और प्रकृति प्रभावित होगी। ये सब एक–दूसरे से जीवन्तता के साथ अभिन्न रूप में अन्योन्याश्रित ढंग से जुड़े हुए है। कहा जा सकता है कि जल, जंगल, जमीन ओर पहाड़ एक विराट सजीव संरचना के मूलभूत अंग है। एक के अस्तित्व पर दूसरे का अस्तित्व निर्भर है। ये सब आपस में एक–दूसरे नियमन या संचालन,संरक्षण और पोषण करतें हैं। एक का निर्मूलन होने पर दूसरे का स्वत: सफाया हो जाएगा और आखिरकार समूची सृष्टि में प्रलय आ जाएगा।

अवैध कटावों के कारण वन विनाश की दर पर लगभग २ लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष रही है। भारत पिछले ५० वर्षो के दौरान लगभग ४० लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले चमरंग या कच्छ वनों को खो चुका है। कमजोर किस्म की जमीन, बंजर धरती, पानी के मजाव, खारे इलाके भयंकर आँधी–तूफान जिन वृक्षों को नहीं उखाड़ सके थे उन्हें औपनिवेशीकरण, शहरीकरण और व्यावसायीकरण की शक्तियों ने नेस्तनाबूद कर दिया है। वन विनाश की प्रकिया जितनी तेजी से चल रही है, उतनी ही मंथर गति से वृक्षारोपण या वनीकरण का स्वांग हो रहा है। तमाम उद्योगों के लिए वनोपज की खपत् कच्चे माल के तौर पर बहुतायत में हो रही है। विकास के नाम पर जो बड़ी–बड़ी परियोजनाएँ बनी हैं ,उनके लिए जंगल के जंगल होम हुए है। वनों का विनाश पर्यावरण की द्दष्टि से बेहद चिंता का विषय है। अवैध कटान सचमुच अभिशाप है। बृहदाकार विकास परियोजनाएँ बेशुमार वन सम्पदा को निगलती जा रही हैं। सदा हरे–भरे रहने वाले वन क्षेत्र निरन्तर घटते जा रहे हैं। सदाबहार वन हमारी धरती माँ के श्रृंगार रहे

जमीन उजड़ रही है :

हमारे देश में भूक्षरण से अबाध रूप से जारी है। देश भर के मकान बनाने में जितनी मिट्टी ईंटों के काम आएगी, उससे कहीं ज्यादा मिट्टी की उर्वर सतह हर छह माही में बह जाती है। जिस जमीन में आज खेती हो रही है, उसमें भूक्षरण अगर इसी रफ्तार से बेरोकटोक होता रहा तो २१ वीं सदी के चौथाई भाग तक पहुँचते-पहुँचते लगभग उतनी ही जमीन हम गँवा बैठेगे। एक अध्ययन में कहा गया है –शहरीकरण के कारण भी उत्तम कृषि की भूमि बर्बाद हो रही है। भवनों और डामर की सड़कों के नीचे जमीन जा रही हैं । मकानों के लिए ईंट बनाने में काफी कृषि भूमि उजड़ रही है। एक मोटे अनुमान के अनुसार शहर में ५ लोगो के लिए एक अच्छा मकान बनाने में लगने वाली ईंटों के लिए लगभग १२० टन मिट्टी की जरूरत पड़ती है।

रासायनिक खेती के चलते हमारी भूमि की उर्वरा–शक्ति के लोप होने का खतरा आसन्न है। आज जितनी कीमत के खाद्यान्नों का उत्पादन हो रहा है, उससे की ज्यादा कीमत के पोषक तत्वों का धरती से निचोड़ लिया जा रहा है। बेहिसाब चराई के चलते हर बरसात के दौरान शिवालिक पर्वत श्रेणी में ६ से.ममी. मिट्टी की उपरी सतह प्रतिवर्ष गायब हो रही हैं। इसे रचने में प्रकृति को लगभग २५०० वर्ष लगे थे। पर्याप्त पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित रहे और मौसम की अनुकूलता अनवरत बनी रहे तो ६ से.मी. मिट्टी की उपरी सतह की तैयारी में कम से कम ५०० से १००० वर्ष लग जाते है। बड़े पैमाने पर भूक्षरण से मानव सभयता, जीव जगत, वनस्पति सम्पदा, गिरिकानन पर सौंदर्य के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो सकता हैं।

पहाड़ों की ध्वंसलीला चल रही है :–

पहाड़ों पर हो रहे निर्मम मानवीय हमलों के कारण और पारिस्थितिक असन्तुलन उत्तरोत्तर गहराता जा रहा है। बनों का कटान बेहिसाब जारी है। वनों के कटने से पहाड़ हिल उठते हैं और धरती की आत्मा काँप उठती है। हमारे मूल्यवान पहाड़ों को नंगा किया जा रहा है। वनाच्छादित, हरीतिमामय और प्राकृतिक ढंग से सजे-धजे पहाड़ हमारी धरती माँ का आभूषण हैं। प्राकृतिक व्यवस्था में मानवीय हस्तक्षेप के चलते लगभग १५ हजार जीव

जन्तुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। भारत की वनस्पति सम्पदा का १५ प्रतिशत भाग लुप्त होने की स्थिति में आ पहुँचा है। जिस रफ्तार से जंगलों की हजामत हो रही है, अगर वह जारी रही तो २१ वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक हमारी विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ उसर बन जाएँगी। पहाड़ों में दोहरी ध्वंसलीला चल रही है।इन्दौर के आसपास भी पत्थर,गिट्टी,मोरम आदी के लिये ,पहाडीयों को तेजी से खोदा जा रहा है,जिससे पर्यावरण संतुलन बिगडेगा।

वैकल्पिक विकास की अवधारणा है कि मनुष्य द्वारा पर्यावरण को नष्ट करने की प्रक्रिया में वह खुद नष्ट हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का उसका सपना आत्मघाती कदम यानी भस्मासुरी वृत्ति के सिवा कुछ नहीं है। अपने अस्तित्व के लिए उसे ऐसी जीवनशैली अपनानी पड़ेगी, जो पर्यावरण के साथ समरस हो। उसे पर्यावरण के प्रति मृदु सौम्य, सुशील एवं विनीत बनना पड़ेगा। उर्जा के ऐसे स्त्रोत और संयंत्र हमें अपनाने और विकसित करने पड़ेंगे, जो मुख्यत: नवीकरणीय संसाधनों पर आधारित पर्यावरण मित्र और विकेन्द्रीकृत हों। वह प्रौद्यागिकी या प्रविधि हमारे लिए सर्वथा चुनौती देती हो। विकास का यह मूलमंत्र होगा कि जितना हम धरती से लेते हैं कम से कम उतना तो हमम उसे हर पल में लौटाते ही रहेंगे, ताकि वह हमारा लालन-पालन भरण-पोषण और संरक्षण-सम्वर्द्धन हमेशा करती रहे। हमें इस बात का भी सतत ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रकृति सिर्फ मनुष्य जाति के लिए नहीं है, बल्कि यह समूची जीव सृष्टि के लिए है। अत: उस पर एकाधिकार की बात सोचना पहले दर्जे की मूर्खता होगी। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है - धरती मॉ पर जो कुछ बीतती है, उसकी संतान के साथ भी वही बीतती है। जीवन का ताना-बाना मनुष्य नहीं बुन सकता, क्योंकि वह तो खुद ही इसमें एक धागा है। आदमी द्वारा इस ताने-बाने में कोई परिवर्तन, उसे स्वयं ही प्रभावित करता है।

इंदौर में एक मात्र रालामंडल अभयारण दक्षिण-पूर्व की ओर बाएपास रोड़ से ४ कि.मी. पर तिल्लोर मार्ग पर समुद्दतल से ७८२ मीटर उँची (७०० फीट ऊँचे पहाड़ पर) स्थित है।यहाँ सबसे उपर एक पुराना किला व देवी का स्थान है।यहां वन विभाग द्वारा पर्यअन स्थल विकसित कर काटेज व केफेटेरिया बनाने का प्रस्ताव है।किले के पीछे हिरण, खरगोश,और जंगली जानवर आदि विचरण करते है।विगत वर्ष नई दुनिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार इस वर्ष वर्षाकाल में वन विभाग द्वारा डेढ लाख पौधे रोपे जाने की योजना है क्योंकि विगत वर्ष सिर्फ १६ हजार पौधे ही रोपे गए थे। चोरल के विभागीय क्षेत्र में जो वनाच्छादित क्षेत्र है, में ५० प्रतिशत पौधे सागौन के और इसके अलावा आँवला, बांस, नीम और बबूल रोपे जाएँगें। यह वन अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र में विकसित किए उच्च गुणवक्ता वाले पौधे होंगे। शेष पौधे देपालपुर के क्षेत्र में रोपे जाएंगे। वन विभाग ने इस वर्ष ११ लाख पौधे तैयार किए हैं जिनमें से ढाई लाख वन विभाग को व विभिन्न प्रजातियों के ८ लाख पौधे विक्रय के लिए शासकीय दर पर उपलब्ध होंगे। ये सभी उच्च गुणवक्ता युक्त बीज वाले ये विकसित पौधे सागौन ,बांस, इमली, आंवला, ग्राफेटेड आंवला आदि के शामिल हैं। स्थापत्यवेद के उक्त वर्णित सिद्धांतों के अनुसार स्थानों पर रोपे जाते हैं तो अधिक लाभकारी होंगें क्योंकि इन्हें वैसे ही दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर नियमानुकूल रोपे जाने का प्रस्ताव हैं।इन्दौर के आसपास अन्य पहाडियों में, उत्तर पश्चिम में बिजासन टेकरी ,गोमटगिंरी ,उससे आगे पितृ पर्वत तथा पूर्व दिशा की ओर देवगुराडिया पहाड स्थित है,जहां वृक्षारोपण जरूरी है।

उद्यान:- ब्रहमाण्ड में सृष्टि संचालन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारा म.प्र. टाईगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, परन्तु आज हम उद्यानों की उपेक्षा और उन पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण टाइगरों की गिनती कर रहे हैं कि ,वह कहाँ गए। म.प्र. के अतिप्रमुख तीन राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में ही जाने तो यह पता लगता है कि हम उद्यानों के क्षेत्र में कहाँ खड़े हैं।

§ माधव राष्ट्रीय उद्यान :- यह आगरा - मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवपुरी के पास स्थित है। इसका क्षेत्रफल ३३७ वर्ग कि .मी . है तथा १९५८ से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कार्यरत है।

§ काहना राष्ट्रीय उद्यान (काह्ना-किसली):-१९३३ में काह्ना क्षेत्र अभ्यावन बनाया गया जिसे १९५५ में राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसमें साल के सदाबहार वन की अधिकता है हालो घाटी और बंजर घाटी काहना-किसली राष्ट्रीय उद्यान का एक अंग है। प्रोजेक्ट टाइगर के अन्तर्गत इस क्षेत्र को ९ आरक्षित क्षेत्रों में से १ के लिए चुना गया और पार्क इण्टरप्रिटेशन योजना इस उद्यान में लागू की गई है।

§ बान्धवगढ राष्ट्रीय उद्यान :-३२ पहाड़ियों से घिरे इस क्षेत्र को १९६८ में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इस उद्यान में शेर की आबादी का सर्वोच्च धनत्व पाया जाता है।

पचमड़ी में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोरी पचमढी अभ्यारणों और आस-पास का क्षेत्र शामिल किया गया है इसे देश का प्रथम Biosphere Reserve व केन्द्रीय वन मंत्रालय द्वारा देश का दसवां Biosphere Reserve घोषित किया है पचमढी के इस क्षेत्र में जैव सम्पदा और सूक्ष्म जीवन का समर्थन किया जाएगा इसका क्षेत्रफल ४.९२६ वर्ग कि .मी. है, इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का ५२४ वर्ग कि .मी. मुख्य क्षेत्र है। म.प्र. के अन्य राष्ट्रीय उद्यान का विवरण निम्नानुसार है :-

अनु क्र.	नाम	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी)	जिला
१.	बांधवगढ	४३७	शहडोल
२.	फॉसिल	२७	मण्डला
३.	काहना	९४०	मण्डल ा
४.	माधव	३३७	शिवपुरी
५.	पन्ना	५४३	पन्ना/छतरपुर
६.	पेंच	२९३	सिवनी/छिंदवाड़ा
७.	संजय	१,९३८	सीधी
८.	सतपुड़ा	५४५	होशंगाबाद
९.	वन विहार	४४५	भोपाल

इन्दौर परीक्षेत्र में भी राला मण्डल को राष्ट्रीय उद्यान के रूप मे विकसित किया जाना चाहीये।इन्दौर शहर में वर्तमान में चार नगरीय उद्यान -नेहरू पार्क, मेघदूत पार्क माणिक बाग तथा लाल बाग है इस क्षेत्र में ।इसके अतिरिक्त तीन अन्य नगर उद्यान नगर केन्द्रों में प्रस्तावित हैं -एक नगर उद्यान बांक में निवेश इकाई क्र. ११ में प्रस्तावित है। लालबाग परिसर में ध्वनि एवं प्रकाश पर आधारित मनोरंजन पार्क की योजना प्रस्तावित है। अन्य क्षेत्रीय पार्क के लिए पीपल्या पाला एवं सिरपुर तालाब के पास (निवेश इकाई क्र. ८ व ११) में प्रस्तावित हैं।

मनोरंजन हेतु आमोद-प्रमोंद स्थल पीपल्या कुमार, सिरपुर एवं बिलावली में नौकायान सुविधा का विकास तथा तालाबों के चारों ओर किनारे से संलग्न भूमि पर ३० मीटर चौड़ी हरित पटटी भी प्रस्तावित है। शहर में एकमात्र प्राणि उद्यान निवेश इकाई क्र. ६ नवलखा चौराहे के पास स्थित है। इन उद्यानों को क्षेत्री आधार पर इनके आकार व इनमें लगाए जाने वाले पेड़-पौधों आदि को स्थापतयवेद के सिद्धांतों के अनुरूप नियोजित करना प्रस्तावित है। स्थापत्यवेद के नियमों से उद्यान पूर्व या उत्तर-पूर्व की ओर उपयुक्त बताए गए हैं उद्यान परिसर में खेलखूद हेतु उत्तर-पश्चिम का स्थान सर्वोत्तम है।

इंदौर शहर में सार्वजनिक मनोरंजन स्थल के लिए रवीन्द्र नाट्य गृह, (रीगल चौराहा),नवनिर्मित आनंद मोहन माथुर सभा गृह (स्कीम न. ५४), जालसभा गृह (साउथ तुकागंज), चंद्र नगर स्थित सोपा का सार्वजनिक भवन, जी.एस.आय.टी.एस.परिसर में गोल्डन जुबली सभा गृह तथा कई अन्य सामाजिक व निजी संस्थाओं द्वारा संचालित सभागृह उपलब्ध है। जिनमें मनोरंजन की विभिन्न गतिविधियों के साथ सेमीनार आदि आयोजित होते है।

मनोरंजन के लिए नेहरू स्टेडियम, खालसा स्टेडियम, यशवंत क्लब, अभय खेल प्रशाल व टेबल टेनिस स्टेडियम व उषाराजे स्टेडियम सक्रीय है।*स्थापत्यवेद के नियमों से खेलकूद व स्टेडियम के लिए उत्तर-पश्चिम दिशा सर्वोत्तम मानी जाती है।* इसके अनुसार इन स्टेडियम आदि को क्षेत्रावार स्थापत्य वेद के नियमों से आंशिक सुधार किया जाना प्रस्तावित है। इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा विगत ५ वर्षो में इन उद्यानों एवं विजयनगर, सुखलिया, रीगल, कलेक्टोरेट, तरूण पुष्कर स्थित प्रमुख चौराहों व हाल ही में रिंग रोड पर स्व.माधवराव सिधिंया चौराहा आदि को बड़ा कर इनकें सौदंर्यीकरण व जीर्णोद्धार पर काफी धन राशि व्यय की गई है, जो सराहनीय है तो है,परन्तु इससे अधिक प्राथमिकता पेय जल प्रदायआदी की हैं ।

इंदौर शहर में अधिकांश छबिगृह व मल्टी प्लेक्स पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, मध्य व पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्रीय सुविधा की दृष्टि से उत्तर-पश्चिम व पश्चिम क्षेत्र के रहवासियों के लिए स्थापत्यवेद के नियमानुरुप छबिगृह व मल्टी प्लेक्स हेतु भूमि आरक्षित कर इनका नियोजन प्रस्तावित है ।

जलाशयों का ईको स्टेट के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । इंदौर शहर में प्रमुख तालाब (बिलावली की क्षमता ८२५ घन मीटर से घटकर ३२४ घ.मी.रह गई) यशवंत सागर बांध१९३६ में निर्मित गंभीर नदी पर था इसी

क्षमता ८०० लाख घन फुट थी व क्षेत्रफल १८७.४ वर्ग किलो मीटर।

यशवंत सागर उत्तर-पश्चिम की ओर बिलावली व पीपल्यापाला तालाब शहर के केन्द्र व दक्षिण पूर्व के बीच स्थित है। सिरपुर तालाब शहर के मध्य व पश्चिम दिशा के बीच में स्थित हैं । सुख निवास तालाब नैऋत्य दिशा व शहर के मध्य में स्थित है । टिगरिया बादशाह तालाब उत्तर व उत्तर पश्चिम के मध्य, उत्तर-पूर्व की ओर पुराना तलावली चांदा तालाब दक्षिण पूर्व की ओर रालामंडल के पास एक छोटा तालाब छक्षिण-पश्चिम ग्राम रंगवासा के समीप छोटे-छौटे तालाब स्थित है बिलावली तालाब के निकट ही लिम्बोदी तालाब शहर से ७ कि.मी. दूर खंडवा रोड़ पर स्थित है इसकी क्षमता १५ घन मीटर से घटकर ८.८८ रह गई है ।

इन जलाशयों में अत्यधिक मात्रा में गाद जमा होकर उथले हो चुके है जिसमें जल कुंभी ,घास आदि उग चुके है जिनकी सफाई का इनका पूर्ण क्षमता एक गहरीकरण करना आवश्यक हो गया है तथा इनमें से हो रही पानी की रिसन व चोरी को रोकना तथा इसकी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण से इन्हे बचाने की आवश्यकता है । विगत समय में इनके गहरीकरण के तहत लिम्बोदी तालाब की १२४० लाख लीटर तथा बिलावली तालाब की ४८० लाख लीटर क्षमता वृद्धि की गई एवं यशवंत सागर से ८० घन मीटर मिटटी भी निकाली गई ।इनके संरक्षण व आवश्यकतानुसार उपलब्ध भूमि, क्षेत्रीय आधार पर उत्तर-पूर्व में स्थापत्यवेद के नियमों से चयनित कर उस पर नये तालाब भी बनाने चाहिए ताकि इंदौर शहरी क्षेत्र को इको स्टेट के रूप विकसित किया जा सके ।

इस हेतु सी.ई.पी.आर.डी. संस्था ,द्वारा अपने लक्ष्यानुरूप तैयार की जाने वाली कार्य योजनाओं में हरित उद्यान एवं नर्सरी तथा सी.ई.पी.आर.डी. प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, पुरातन महत्व के ५० वर्ष या अधिक पुराने वृक्षों की सुरक्षा के लिए हेरीटेज ट्री योजना तथा जैव विविधता के संरक्षण व संवर्धन के अन्तर्गत जलक्षेत्र के आस-पास रालामंडल जीव अभयारण से लाल बाग पेलेस तक एक झोन बनाना एवं सिरपुर लाताब के पास पक्षी अभयारण की स्थापना हेतु क्षमतानुरूप किया है । इसके अतिक्ति औषधि तथा पुरातन महत्व के पौधों के संरक्षण के लिए जैव विविधता के आधार पर देवगुराडिया पहाड़ी पर पितृ पर्वत का विकास सबके सहयोग से किया है । खाद के उत्पादन तथा ग्रामीण क्षेत्र में कचरे के प्रबंधन हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए गए । सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उपेक्षित उद्यानों का विकास कराने का प्रयास किया गया हैं ।हाल ही में १०० उद्यानों के जीर्णोद्धार का संकल्प नगर निगम ने लिया है,जो सराहनीय है।

६.३४ प्रदूषण:-

प्रदूषण से पर्यावरण संरक्षण की एक सुदीर्घ एवं प्राचीन परम्परा को आधुनिकता की आग ने भारी नुकसान पहुँचाया है। सामाजिक दोहन एवं शोषण, वैभव एवं विलासिता की रीति-नीति ने पर्यावरण को संकट मे डाल दिया है। फलत: जीवन भी संकट ग्रस्त है। सब ओर विपन्नता है, प्राकृतिक आपदाओं का क्रूर तांडव है चाहे वह सुनामी हो या भूकम्प। मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन, पेड़-पौधों में असमय फल, पशु-पक्षियों अप्राकृतिक व्यवहार, ये सब प्रदूषण की ही देन है। वैज्ञानिक राजनेता हो या आमजन सभी प्रकृति के क्रोधावेश से भरें सहमे है।

आज जिस तेज गति से कारखाने लगते जा रहे हैं उतनी तेजी से वायु और जल भी प्रदूषित होता जा रहा है तथा ध्वनि प्रदूषण भी तेजी से बढ रहा है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएँ मे तरह-तरह की विषाक्त गैसें होती है जो रात-तदन साफ हवा को दूषित करती जा रही हैं दूसरी ओर कारखानों से निरंतर बाहर आने वाला कचरा जिसमें तरह-तरह के घातक रसायनों और खनिजों आदि के अंश होते हैं, जल जो जल स्त्रोतों में स्वत: ही, भूमिगत जल स्त्रोतों में मिलकर उसे गंदा करते रहते है। इस समय दुनियां में पर्यावरणीय प्रदूषण समस्याओं के जाल से घिरा है। नित नये अनुसंधानों और औद्योगिकरण के जरिये अपनी भौतिक सुविधाओं को जुटाने में मनुष्य इतना मग्न हो गया है कि पर्यावरण पर हो रहे अत्याचार की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। प्राकृतिक साधनों का उसने असीमित शोषण किया व नतीजा हुआ पर्यावरण का विकृत और संहारक रूप, जो हमें सुनामी, भूकम्प, अतिवृष्टि, सूखा व धरती पर बढता तापमान तथा नयी-नयी व्याधियाँ के रूप में देखने को मिल रहा है।

पृथ्वी पर्यावरण स्वयं के एक सम्पूर्ण निकाय है। जिसमें न कुछ बाहर से आकर जुडता है और न कोई पदार्थ बाहर छूट कर जाता है। भूमि के विभिन्न अवयवों जैसे वन, दलदल,जलस्त्रोत आदि के बीच एक जटिल अंत: संबंध होता है जो पर्यावरण में संतुलन को कायम रखते हैं। मनुष्य इन अंत: संबंधों को जाने-समझे बिना किसी एक

अवयव का शोषण शुरू कर देता है और परिणाम होता है पर्यावरण में असंतुलन।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले और गरीब देश के विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत विकास के साथ–साथ औद्योगिक विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई, जिससे कृषि का विकास, सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि, उद्योग और उर्जा यातायात एवं संचार साधनों का विस्तार आवास व्यवस्था और इसी के साथ–साथ संसाधनों का अधिकाधिक दोहन प्रारंभ हुआ। इसके कारण जहाँ देश ने अतिशय तरक्की की है, वहीं इन सबकी प्रगति के लिए हमने बहुत कुछ खोया भी है। जहाँ बड़े–बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, वहाँ दम घोंटू और जानलेवा धुआं ही धुआं दिखाई देता है। इतना ही नहीं नदियों में भी अब जहां गंदा और विषैला जल प्रवाहित होता है, वहाँ मछलियों व अन्य जीव–जन्तुओंका जीना दूभर हो गया है पृथ्वी वास्तव में स्वच्छ जलवायु, निर्मल पानी और खुला आकाश प्रकृति ने मनुष्य को नि:शुल्क उपहार प्रदान किए हैं, किंतु ये तीनों प्रकृति के अखण्ड स्त्रोत आधुनिक औद्यागिक सभ्यता के साथ–साथ समाप्त होते जा रहे है।नगरीय क्षेत्रों में डीजल,पेट्रोल वाहनों की बढती हुई संख्या से निकलते हुए धुएँ और शोर के कारण रोग तेजी से फैर रहे हैं।

सी.ई.पी.आ.डी. संस्था द्वारा अपने लक्ष्यानुरूप तैयार की जाने वाली कार्य योजनाओं में प्रदूषण के निवारणार्थ इंदौर शहर के वायु एवं ध्वनि प्रदूषणों पर रिपोर्ट तेयार कर उपचार के तरीकों का अध्ययन करना तथा शहर के घरेलू, नगर निगम तथा अन्य प्रकार के कचरे का उपयोगी खाद में परिवर्तन की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं, जिसे पर्यावरण विकास मासिक पत्रिका में समय–समय पर प्रकाशित किया गया।

वायु प्रदूषण पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार अगस्त २००० के अंतिक सप्ताह में शहर के तीन क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वायु प्रदूषण का स्तर निम्नानुसार है–

क्षेत्र	प्रदूषक	मानक	औसत	न्यूनतम	अधिकतम
कोठारी	----	२००	४२१.७५	२२०.७९	५९५.२३
मार्केट	----	१००	३६९.७१	१९१.३२	५२६.२४
(व्यवसायिक)	----	८०	२७.००	३२.००	३०.०३
	----	८०	२१.००	१९.००	२४.००
पोलोग्राउड	----	५००	४२४.५१	३२०.७१	६०९.००
(औद्यागिक)	----	१५०	३५८.०३	२३७.५२	५२७.३२
	----	१२०	२९.००	२५.००	३१.००
	----	१२०	२२.००	१९.००	२५.००
टेलीफोन	----	२००	२२३.६२	१८५.८१	२६२.४८
नगर	---	१००	१९१.०४	१५७.५६	२२७.२१
(आवासीय)	---	८०	२२.००	१९.००	२६.००
	--	८०	१८.००	१४.००	२०.००

वाहन प्रदूषण के कुप्रभाव बढ रहे हैं। वाहनों का धुआँ मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कार्बन डाइ आक्साइड जो कि वाहनों के उत्सर्जन में लगभग १४ प्रतिशत होती है, इसकी वृद्धि मनुष्य के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक होती है।धरती का तापमान बढाने वाली यह गैस खनिज तेलों के जलने से उत्पन्न होती है। कार्बन मोनो आक्साइड दिल के मरीजों के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकती है इस धुऐं मे आजोन गेस भी होती है, जो हवा के साथ मिलकर फेफड़ों को नुकसान पहँचाती है। इससे ऑखों में जलन, खासी व छाती में घुटन महसूस होती है और श्वास रोगों को बढावा मिलता है। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। नाइट्रोजन के आक्साइड श्वास की नलियाँ में अवरोध पैदा करते है। इसके अतिरिक्त उत्सर्जन में उड़नशील हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, जो नाइट्रोजन आक्साइड के साथ चलकर फोटोकेमिकल कुटरा बनाते है। इसके फलस्वरूप

आंखों में जलन,सांस लेने में दिक्कत और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियाँ पैदा हो सकती है ।

वाहनों के उत्सर्जन में सबसे खतरनाक तत्व होता है-लेड । इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव बच्चों व गर्भस्थ शिशु के लिए बेहद खतरनाक है । अध्ययनों से पता चलता है कि शहरी इलाकों में गाडियों के इस धुएं से सर्वाधिक प्रभाव सिपाही पर होता है जो धुएं भरे चौरहो पर बीचों -बीच खड़ा रहता है । यह धुआं उसके प्रजनन अंगो को प्रभावित कर सकता है ।

ईंधन के रूप में कोयले,लकडी आदि के उपयोग से घनी बस्तियों के उपर धुआं छा जाता है । पूर्व व दक्षिण-पूर्व के मध्य बायपास से इंदौर नेमावर रोड पर ही कचरे हेतु एक मात्र ट्रेन्चिंग कम्पाउन्ड से वर्तमान में सुबह शाम क्या कचरा जलने से अत्यधिक धुआं से पूरे क्षेत्र में धुंधलापन छा जाता है, जिससे सड़क पर यातायात में बाधा तो उत्पन्न होती है साथ ही वहाँ से निकलने वालों को बदबू का सामना करना पड़ता है ।

वायु प्रदूषण से प्राणवायु(आक्सीजन) की कमी से दम घुटने लगता है । वायु प्रदूषण के जनक के रूप में शहर के मध्य से गुजरती खान व सरस्वती नदी जो अब गंदे व विषैले जल व सीवेज की संवाहक है, जिससे उठने वाली दुर्गन्ध इसके पास से गुजरने वालों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है । यह नदी इंदौर से ६० कि.मी. चलकर उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी में जाकर मिलती है, जो कि शिप्रा नदी में प्रदूषण का एक प्रमुख स्त्रोत है इसमें सतही क्षेत्रों पर इसके जल से सिंचाई कर कई सब्जियाँ आदि पैदा कर इंदौर शहर में बेची जा रही है जिसके बारे में विस्तृत समाचार दैनिक समाचार-पत्र नई दुनिया इंदौर ने अपने नये संस्करण इंदौर सिटी में सविस्तार प्रकाशित किया गया था ।

इंदौर शहर में वर्तमान में लगभग ९०० टन कचरा प्रतिदिन उत्पन्न होता है जिसमें से मात्र ४०० टन कचरा उठाकर देवगुराड़िया ट्रेन्चिंग कम्पाउन्ड पर फैफा जाता है शेष बचा ५०० टन कचरा या तो जला दिया जाता है या खुले स्थानों या नदी-नालों में पड़ा रहता है। इससे भी गंभीर रूप से वायु प्रदूषण शहर में हो रहा है। ईसरो एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभा द्यारा सेटेलाईट एवं जी.पी.एस पद्धति से प्रप्त् मानचित्रों, आंकड़ों को इंदौर विकास योजना २०११ (प्रारूप) अप्रेल २००३ में बताए गए विवरण के अनुसार हवा,सतही जल, तथा पर्यावरणीय संवेदनशीलता को मानचित्र क्र. ३७ से ४०तक में दर्शाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

पर्यावरणीय अध्ययन (एनवायरमेंट सेंसिटीविटी) इंदौर निवेश क्षेत्र के लिए वायु के प्रदुषण संबंधी आंकड़े, पानी के प्रदुषण संबंधी आंकड़े एकत्रित कर अध्ययन किये गए है। उक्त आंक्ड़े निवेश क्षेत्र में स्थित विभिन्न ३१ स्थानों से एकत्रित किए गए हैं। उसके बाद परीक्षण किया जाकर उनको क्रम प्रदान किए गए हैं ।यह मास्टर प्लान के पर्यायवरणीय अध्ययन हेतु प्रयुक्त मानत्रित २.३१ में दर्शाइ गए हैं। उक्त अध्ययन के द्वारा विभिन्न अध्ययन मानत्रित तैयार किये गए है जो मानत्रित क्र. २.३२ से २.३४ पर प्रदर्शित है।शोध प्रबंध के मानचित्र क्र.४० में पयार्यवरणीय संवेदनशीलता प्रदर्शित की गई है।

नगरीय उपयोग हेतु अनुकूलता एवं पर्यावरणीय अध्ययनों का एकीकृत परीक्षण नगरीय उपयोग हेतु अनुकूलता एवं पर्यावरणीय अध्ययनों का एकीकृत परीक्षण कर जो चार विकल्प तैयार किए गए हैं, उनके आधार पर चारों विकल्पों में नगरीय विकास हेतु अनुकूल भूमि का आंकलन कर तत्संबंधी आंकड़े मास्अर प्लान की सारणी २.३२ में प्रस्तुत किए गए हैं।

नगरीय विकास हेतु अनुकूल भूमि वर्ष २०११ में आंकलित २५.३ लाख जनसंख्या हेतु लगभग २५,३०० हेक्टर भूमि की आवश्यकता होगी। वर्तमान में उपलब्ध विकसित भूमि लगभग १०७२५ हेक्टर है एवं २००१ में यू.डी.पी.एफ.आय. गाईड लाईन के अनुसार कुल जनसंख्या २५.३ लाख हेतु १० हेक्टर प्रति एक हजार के मान से भूमि का आंकलन करने पर लगभग १४५७५ हेक्टर अतिरिक्त भूमि आवश्यक होगी। नगरीय विकास हेतु अनुकूल भूमि संबंधी किए गये आंकड़ों से विदित होता है कि, सबसे अधिक अनुकूल भूमि जो कि नगरीय विकास हेतु उपयुक्त है, का क्षेत्रफल ४८४२ हेक्टर तथा औसत रूप से अनुकूल भूमि का क्षेत्रफल १६३५० हेक्टर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि, वर्ष २०११ में नगरी विकास के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलतम भूमि निवेश क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। नगरी विकास मे ऐसी भूमि को सम्मिलित करना होगा जो कि औसत रूप से अनुकूल है।

शहरों में व्यस्ततम चौराहें के आस-पास तथा राजमार्गो के किनारे लगे पेड़-पौधों को अगर ध्यान से देखने का समय यदि आपके पास है तो आप जान सकते हैं कि हमारी करतूतों से उनका मुंह यानी पत्तियां काली हो चली है प्रदूषित वातावरण में उगने वाले पौधों की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें पीलिया हो गया हो

।बिजली तारों के समीप वृक्षों की टहनियाँ व पत्तियां भी सूख जाती हैं, यह प्राय: देखा गया है।

वायु प्रदूषण के प्रभावों का वनस्पतियों पर अध्ययन लगभग १९३० से अब तक होता आ रहा हैं जो उक्त विवरण से स्पष्ट है कि इंदौर में वायु-प्रदूषण दिनो दिन बढ रहा है जिसका स्थायी व न्यूनतम खर्च पर प्रकृति से सामन्जस्य स्थापित करते हुए समाधान निकालना नितान्त आवश्यक हैं।

"कचरें का निपटान":-

विकासशील देशों की एक बहुत बड़ी समस्या कचरे का निपटानहैं। शहरी क्षेत्रों में कचरे की मात्रा जहाँ औसतन ५०० ग्राम प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन है वहीं दूसरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह मात्रा औसतन ३०० ग्राम होती है जिसमें ४० से ५० प्रतिशत तक ठोस, जैव, विघटनशील पदार्थ होते हैं। इसके अलावा राख, बारीक मिट्टी, कागज, प्लास्टिक, धातुऐं, काँच बगैरह होते हैं। ठोस कचरे को आमतौर पर गड्ढा भराव स्थलों पर फेंक दिया जाता हैं। शहरों में कहीं कहीं अपर्याप्त कचरा पेटियों में तो कचरा डाला जाता है परन्तु साथ ही उसके पास भी कचरा फेंक दिया जाता है अथवा आवारा पशुओं द्वारा उसे खाया फैलाया जाता है। कॉलोनियों में जहाँ भी बेकलेन स्थित है, वहाँ कचरा फेंका जाता है जिसे सूअर आदि खाते है व शेष बचा कचरा वहीं पड़ा रहता है जो प्रदूषण फैलाता रहता है। इन कचरा भराव गड्ढों व कचरा स्थलों में पड़े कचरे से कई टन मीथेन गैस पैदा होकर पर्यावरण को तो प्रदूषित करती ही है साथ ही ईंधन युक्त यह मीथेन गैस नष्ट हो जाती है। इन स्थलों पर एवं चिकित्सालयों से निकला कचरा, प्लास्टिक सीरिज, ट्यूब मानवीय अंगों के अवशेष अत्यादि तथा उद्यागों से निकलने वाले अपशिष्ट व जहरीले पदार्थ तथा जानवरों के कत्ल गृहों से निकला अनुपयोगी अपशिष्ट, रक्त आदि व छोटे-छोटे मांस व मछली विक्रेताओं के द्वारा फेंका गया कचरा आदि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में वातावरण को प्रदूषित करता है।

प्लास्टिक का उपयोग प्राय: जीवन के हर क्षेत्र में गाँव से लेकर महानगरों तक बढ गया है । पॉलीथिन की थैलियों का उपयोग ठोस या तरल पदार्थो की पेकिंग व परिवहन हेतु चाहे अस्त्र शस्त्र, मशीनरी, सब्जी, फल, खाद्य सामग्री आदि क्यों न हों, के लिए किया जा रहा है । यहाँ तक की चिकित्सा क्षेत्र में डिसपोजल सीरिंज, बॉटल तथा डिस्टिल वाटर आदि भी प्लास्टिक से बन रहे है । यही नहीं समस्त पिकनिक स्थलों, रेस्तरां, आवगमन के साधनों विवाह पार्टी आदि अवसरों पर दोने-पत्तल, मिनरल वाटर की बॉटल, का निर्माण व उपयोग अत्यधिक बढता जा रहा है जिसे कचरा स्थलों खुले मैदान आदि में फेंक दिया जाता है । जिसमें लगे खाद्य पदार्थ को खाने के लालच में पशु खा लेते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती हैं ।

प्लास्टिक का जैविक विघटन नहीं होता है इस कारण इसका मिट्टी में मिलना कठिन होता है और मिट्टी में वर्षो पड़े रहने वाला प्लास्टिक जमीन को बंजर बना देता है तथा वातावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । प्लास्टिक बनाने वाली कम्पनियां कहती है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है अर्थात खराब पड़ गए प्लास्टिक को गलाकर पुन: नया प्लास्टिक बनया जा सकता है । यह रिसायकिल किया हुआ प्लास्टिक खिलौने बनाने, जूते का तला बनाने एवं अन्य घर-गृहस्थी की वस्तुओं को बनाने के काम आता है । लेकिन प्लास्टिक गर्म की जाती है तो उसकी संरचना बदल जाती है एवं इस रिसाइकिल्ड प्लास्टिक की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रह पाती, जितनी पहली बार थी । प्लास्टिक की रिसाइकिल भी कुछ बार तक किया जाता है, उसका कुछ भाग ही रिसाईकिल के लिए आता है । ऐसा नहीं है कि अमेरिका में इस प्लास्टिक के कचरें को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, लेकिन अमेरिका में प्लास्टिक की रिसाइकिल करना एवं प्लास्टिक के साथ-साथ उसमें लगे अन्य हानिकारक पदार्थों को सही स्थान में फेंकना एक मँहगा सौदा है । वहां के मजदूर प्लास्टिक कचरे को साफ करने के लिए ज्यादा मजदूरी लेते हैं एवं इस वात का ध्यान रखा जाता है कि मजदूरो को कचरा साफ करते समय कोई बीमारी न हो अमेरिका के लिए इसे विकासशील देशों में भिजवा देना सस्ता पड़ता है। इस अमेरिकी प्लास्टिक कचरे का लगभग ४० प्रतिशत ही ऐसा प्लास्टिक होता है जिसकों रिसाइकिल किया जा सके। बाकी कचरा आस-पास के ताल-तलैया में भर दिया जाता है,जिससे पानी प्रदूषित होता है। इस प्रदूषित पानी को पीने से जानवरों में कई बीमारियां पनपती हैं।

विकासशील देशों में प्लास्टिक रिसाइकलिंग की प्रकिया एक बंद कमरे में होती है, जिसमें जहरीले धुएं को कमरे से बाहर निकालने के लिए रोशनदान की सुविधा तक नहीं होती,जबकि अमेरिका में जहरीले धुएं को तुरंत

कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है और ध्यान रखा जाता है कि मजदूर इस प्रकिया में प्रभावित न हों। इसलिए यह प्रकिया अमेरिका में मंहगी है । अमेरिका एवं यूरोप की बडी कम्पनियां विकासशील देशों को आर्थिक प्रलोभन देती हैं ताकि अमेरिका एवं यूरोपीय देश प्लास्टिक कचरे से किसी तरह छुटकारा पा जाएं। विकासशील देश भी कुछ विदेशी मुद्रा के लालच में इस हानिकारक प्लास्टिक कचरे को अपने देश में आयानित होने देते हैं, इससे मानव स्वास्थ्य एवं स्थानीय वातावरण को होने वाले नुकासान की इन देशों को कोई चिंता नहीं होती।

भारत में भी प्लास्टिक के रिसाइकलिंग व प्लास्टिक उद्योगों की भरमार सी आ गई है इनमें किन परिस्थितियों व वातावरण में यह कार्य हो रहा है, यह हम सभी जानते हैं। प्रदूषण निवारण मंडल विभाग अपना दृष्टिकाणए एवं शासन की रीति-नीति के अनुरूप कार्यरत है। खतरनाक प्रदूषित स्थलों से प्लास्टिक बीनकर लाने वाले बच्चे. बूढे, औरतें सभी प्रदूषण खतरे का सामना करते हैं और मजबूरीवश अनजाने में गरीबी के अभिशाप स्वरूप कालकलवित हो जाते हैं जिनकी ओर शासन, प्रशासन, मानव अधिकार आयोग, महिला एवं बाल विकास संबंधी संस्थाएं आदि का ध्यान संभवत: इस ओर है परंतु ये कुछ क्यों नहीं कर पाते समझ से परे है। अरबों रूपया विकास एवं मानव जाति को बचाने में व्यय किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हम प्रदूषण से प्रकृति को बचाने में असफल हो रहे हें।

'ई प्रदूषण' सायबर युग की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में ई वेस्ट के कारण प्रतीत हो रही है। दक्षिणी चीन के एक शहर गुड्यू में जमा कम्प्यूटर कचरे के हानिकारक ढेरों के बारे में एक अध्ययन में बताया गया है कि इस जहरीले कचरे के कारण वहाँ का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि क़रीब १८ मील दूर से पेयजल ट्रकों से लादकर लाना पड़ रहा है। इस कचरे में बच्चे, महिलाएं, तांबे के तार ढूंढकर बेचने का कार्य खतरे से बेखबर हो कर रहे हैं। इन टूटे और खराब कम्प्यूटरों में जहरीली धातुऐं व रसायन मौजूद रहते है जो धीमे जहर काम कर रहे हैं। इनके अवशेषों को जलाने से कैंसर फैलाने वाला धुआं हवा में फैलाते है। इस शहर में नन्हीं पोर्ट से राज सैंकड़ों ट्रको से लदा ऐसा ही कम्प्यूटर कचरा डाला जा रहा था। बिजिंग ने इलेक्ट्रानिक कचरे के आयात पर तभी जाकर रोक लगाई जब पश्चिमी पर्यावरण वादी दलों और चीनी प्रेस ने इसे अन्तराष्ट्रीय सुर्खियों में उभारा। यह कचरा वातावरण में इतनी बुरी तरह जहर घोलता है कि बच्चों को जन्मजात विकलांग बना देता है तथा गर्भपात और कैंसर का कारण पैदा करता है। कम्प्यूटरों में आम तौर पर तांबा,इस्पात,एल्यूमिनियम तथा चांदी के अलावा बेट्री, कांच व प्लास्टिक आदि का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उत्पन्न कचरे को हम ई वेस्ट/इ जंक/ई गारबेज कुछ भी कहें, इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस कचरे में क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त पदार्थ, विषैली गैसे, विषैले फोटो एक्टिव और जैविक पदार्थ,अम्ल और प्लास्टिक पाए जाते है , जो रिसाईकलिंग कामगारों के खून में एक अध्ययन के अनुसार मौजूद पाए गए। अकेले अमेरिका में लगभग ५०० मिलियन कम्प्यूटर बेकार पड़े है जिसमें से सिर्फ १० प्रतिशत की ही रिसाइकलिंग हो सकती है जबकि सारा माल गोदामों,गैरजों में पड़ा रहेगा या विकसित या गरीब देशों में सस्ते दामों में बेच दिया जाएगा। इस कचरे ने वहां की नदियों तक को प्रदूषित कर दिया। अमेरिका का यह कचरा हो सकता है भारत, पाकिस्तान या अन्य देशों में भेज दिया गया है इसे समुद्र में फेंकना भी एक अपराध होगा । यूरोपीय संसद अपने तरीके से नियंत्रण कायम करने की पहल में लगा हुआ है । भारत में भी इसके व मोबाईल फोन के कचरे के आयात व रिसाइकलिंग के लिए एक पर्यावरण हितेषी नीति बनाकर, उस पर सख्ती से अमल किया जाना समय की मांग है ।

हमारे देश में शासन द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में खराबी जा जाने के बाद निशुल्क वापिस ले लिया जाए तथा निर्माण व रिसाइकलिंग की तकनिकों में सुधार लाते हुए बंद परिसरों में इसे रिसाइकलिंग किया जावे ताकि पहले ही से प्लास्टिक कचरे की समस्या से जुझते हुए इस पर नियंत्रण करना चाहिए।

जमीन, समुद्र, पर्वत चोटियों और वायु मंडल के बाद प्रदूषण खतरे के दायरे में, यह भले थोड़ी अटपटी बात लगे लेकिन हकीकत यही है कि आदमी अपनी तमाम विकासपरक गतिविधियों से भी अपने विनाश को आमंत्रित करता लग रहा है।अतंरिक्ष में प्रदूषण आदमी की ऐसी ही गतिविधियों का नतीजा है ।इस समय धरती के उपर कोई पाँच सौ के आसपास उपग्रह चक्कर लगा रहें हैं। दर असल आधुनिक संचार क्रांति इन्हीं कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रहों की ही देन है।

इस 'ई प्रदूषण' से फिलहाल इंदौर महानगर परिक्षेत्र को इतना खतरा तो नहीं है परंतु भविष्य में इस दिशा

में नियंत्रण व प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था अभी से की जानी चाहिए। इस परिक्षेत्र को भविष्य में ई झोन बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

इस प्रकार ठोस, गैसीय एवं द्रवीय को प्रभावित ढंग उस पर नियंत्रण के लिए कचरें को वर्गीकृत कर उसके निपटान हेतु पर्यावरण हितैषी योजिनायें बनाकर, उस पर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

इन योजनाओं को क्षैत्रिय आधार पर, स्थापत्यवेद के सिद्धांतों के अनुसार बनाना संभव है।प्रदूषणकारी कचरे को वार्ड ,ग्राम या शहर की दक्षिण पश्चिम दिशा में फेंकने व निपटाने कार्य करना चाहीये।

जल मल निकास :-

इंदौर नगर में १९३६ मे होलकर शासकों के समय की पहली मल निकास योजना के तहत, ६१० कि.मी. लंबी भूमिगत सीवर लाईन अस्तित्व में है जिसमें से ३१० कि.मी. नगर निगम नगर द्वारा तथा ३०० किमी. विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्यत: गंदी बस्तियों मे यह बिछाई गई है। पूरे शहर के मात्र ३५ % हिस्से में सीवर लाईन है ,शेष ६५% क्षेत्र में स्तही नालियों या सेप्टी टेंक द्वारा मल का निकास होता है। नगर निगम , पी.एच.ई. प्राधिकरण विभागों में आपसी समन्वय के अभाव में कोई सार्थक प्रयास मल निकास योजना हेतु नहीं हुए जिससे वर्तमान सीवर लाईन पर अधिक दाबव पड़ने के कारण व्यवस्था चरमराई व सीवर लाईन चोक होना या ओवर फ्लों होना एक आम बात है। १९८२-८३ से इंदौर नगर निगम मल निकास की जिम्मेदारी को निभानें मे असमर्थ रहा। एक निजी कन्सलटेंट द्वारा बनवाई गई एक प्रस्तावित नवीन योजना में १६८ वर्ग कि.मी. क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नई भूमिगत सीवरलाईन प्रस्तावित है जिसमें तीन अतिरिक्त पम्पिंग स्टेशन स्टेशन तथा एक नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित है। यह योजना वर्ष २०११ में आंकलित जनसंख्या २३ लाख तथा वर्ष २०२५ में ४१ लाख को आधार मानकर तैयार की गई है। इस योजना को केंद्र शासन से तकनिकि अनुमोदन प्राप्त हो चुका है राज्य शासन से प्रशासकीय स्वीकृत मिलतें ही इस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाएगा। स्थापत्यवेद के सिद्धांतों के अनुसार दक्षिण-पश्चिम में प्रदूषणकारी संरचनाओं केा बनाने का बताया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक निवेश इकाई में एक नगरीय सेवा क्षेत्र प्रस्तावित कर उसमें सीवेज ट्रीटमेटं प्लांट बनाकर शोधित जल का प्रयोग बागवानी तथा कृषि कार्य में किया जाए क वर्तमान मे नगर का सम्पूर्ण सीवेज खान एवं इसकी सहायक नदियों में प्रवाहित हेाता है। खान नदी के समानान्तर बिछाई गई सीवेज लाईन मे प्रवाहित मल व दूषित जल के कारण, ये नदियाँ नालें मे परिवर्तित हो चुकी है। जो आगे जाकर क्षिप्रा में मिलकर उसे पदुषित कर रही हैं। इसलिए यह आवश्यक है खान नदी के उपरी सिरें पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत स्थापत्यवेद के अनुसार चयनित स्थानपत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करें जिससे क्षिप्रा नदी को प्रदुषण से बचाया जा सके। खान नदी के प्रारंभिक बिन्दु से लेकर क्षिप्रा में मिलने के स्थल तक इसके अवरोंधो, अतिक्रमण आदि का हटाकर तथा इसमें जमा गाद आदि को निकालकर जल प्रवाह को सुगम बनाना चाहिए, ताकि बाढ की स्थिति उत्पन्न न हो। नदी के दोनों तटों पर १५-१५ मीटर दोनों ओर किसी भी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध लगाकर वहाँ पेड़-पौधे लगाए जाने चाहिए।

ठोस कचरा प्रबंधन का निकास -

नगरीय क्षेत्र में ठोस एवं घरेलू अपशिष्ट का संकलन एवं निकास एक गम्भीर समस्या है इससे निपटने के लिए सक्षम प्रबंध तंत्र तथा अपशिष्ट पुर्नचक्रीकरण तंत्र की स्थापना करना चाहिए। ठोस कचरें में से काँच, टीन, प्लास्टिक, पीतल, एल्यूमिनियम आदि को गलाकर पुन: उपयोग हेतु संबंधित उद्योगों को दिया जाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसी प्रकार अस्पतालों, फल एवं सब्जी बाजार से डेरी फॉर्म, उद्योगों, घरों आदि से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के कचरें का स्त्रोत पर पृथक-पृथक कर उसके निपटान हेतु कचरे से खाद बनाने, बिजली बनाने आदि की योजनाऐं बनाना चाहिए। भवन निर्माण तथा तोड़-फोड़ के मलवे आदि को कचरें के साथ बेकलेन, सड़कों के किनारें व आस-पास फेंक दिया जाता है जिस पर रोक लगाई जाकर उसे भराव स्थलों पर भेजा जाना चाहिए।

औद्योगिक इकाईयो ने निकले कचरें व गैस आदि के शुद्धिकरण एवं निपटान का दायित्व उद्योगपतियों पर ही डाला जाना चाहिए। उद्योगों से तथा वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैसों से उत्पन्न वायुप्रदुषण को रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट के साथ वृक्षारोपण एवं डीजल के स्थान पर सी.एन.जी. का उपयोग एवं सामुहिक यातायात

प्रणाली को बढावा देकर किया जा सकता है। ठोस कचरें के निपटान भी इसी प्रकार किया जाना चाहिए।

स्थापत्यवेद के अनुसार कचरा प्रबंधन हेतु काम्पोस्टिंग, जैव-मैथेनीकरण, उर्जा उत्पादन, जलाना, ईधन टिकिया, खाद बनाने की योजनाओं को दक्षिण पश्चिम दिशा में फेंकने व निपटाने कार्य करना चाहीये।जबकी समाचार पत्र मे प्रकाशित [1] खबर के अनुसार एक वर्ष मे सोजना का क्रियान्वयन के लक्षय को लेकर देवगुराड़िया स्थित ट्रेन्चिंग ग्राउंड के स्थान मशीनो से संचालित स्लॉट्र हाउस बनाया जावेगा। जो स्थापत्यवेद के अनुरूप नहीं होगा।वर्तमान में सदर बाजार ,जूनी इन्दौर व खजराना में स्लॉट्र हाउस चल रहे हैं,यह भी वास्तुनुरूप नहीं है।

जल प्रबंधन :-

विश्व में जल संसाधन स्त्रोतों मे पानी की निरंतर कमी व जल संकट ने सभी को चिंता मे डाल दिया है। वर्षा के पानी को सरंक्षण का उचित प्रबंधन नहीं होने से यह व्यर्थ बह जाता है जिससे भू-जल स्त्रोंतो में निरंतर कमी होती जा रही है। दुनिया में सबसे अधिक पानी का उपयोग लगभग ९०% कृषि कार्यो में किया जाता है। सन् १९५० की तुलना में अब दो सौ गुना अधिक भू-जल का उपयोग कृषी में बिजली व डीजल इंजिनों के कारण किया जा रहा है। कृषि कार्य मे रासायनिक खादों का उपयोग होने से भू-जल स्त्रोत भी प्रदूषित होते जा रहें हैं। शेष जल का उपयोग उद्योग में ३ % तथा ५% घरेलू उपयोग तथा शेष २% विभिन्न कार्यो में प्रायः किया जाता है। नगरों में कुल जल प्रदाय ९०% घरेलू उपयोग मे तथा शेष अन्य कार्यो के लिए उपयोग किया जाता है।

इंदौर नगर में विभिन्न जल स्त्रोत की क्षमता एवं उनसे आपूर्ति का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	जल स्त्रोत	पूर्ण क्षमता(पहले)	वर्तमान क्षमता/आपूर्ति
१.	नर्मदा प्रथम व द्वितीय चरण	१९०(MLD)२४२७ MCFT	१५८(32.00 MGD)
२.	यशंवत सागर	८०००लाख घन फुट	२५ (05.00 MGD)
३.	बिलावली तालाब	४२५ घन मीटर	०५ (01.00 MGD)
४.	सरकारी ट्युबवेल व कुँए	२२४६ नग	(01.25 MGD)
५.	ट्युबवेल व कुँए निजी	१३०००नग	
६.	लिम्बोदी तालाब	१५ घन मीटर	
७.	चम्बल		(81.00 MLD)

इन जल स्त्रोंतो में नर्मदा प्रथम एवं द्वितीय चरण से वर्तमान में ६०० मीटर उपर चढाकर महेश्वर से ७० किमी. दूर इन्दौर मे लानें का सिर्फ बिजली पर खर्च ही ४.७५ लाख प्रतिमाह आ रहा है अर्थात् एक वर्ष मे ५७ करोड़ रूपए की बिजली जलाकर ३१ उच्चस्तरीय टंकियों के माध्यम से एक दिन के अन्तराल से १२००किमी. बिछी पाईप लाईन द्वारा किया जा रहा है। लगभग १ लाख ५१ हजार ६१७ नल संयोजनों में से १ लाख४९ हजार ०४२ घरेलू, ११.९८ व्यवसायिक व १३२० औद्योगिक संयोजन व ६७ बड़े नल कनेक्शन हैं। प्रतिवर्ष लगभग ढाई सौ टेकरों द्वारा ४ करोड़ रूपए खर्च कर जल वितरण किया जाता है। अब नर्मदा तृतीय चरण योजना में १५०लीटर एल.पी.सी. डी की दर से वर्ष २०१३ में ३८२.५ एम.एल.डी. पानी हेतु ६०० करोड़ रूपए की योजना विचाराधीन है जिसका रखरखाव एवं बिजली खर्च न्यूनतम ८० करोड़ रूपए प्रतिवर्ष होगा। इसके अतिरिक्त सिरपुर तालाब पर एक कुँआ बनाकर ४५ लाख रूपए खर्च कर एक एमएलडी पानी करने के प्रयास हुए हैं। इस वर्ष वर्षा की खेंच ने भीषण जल संकट इंदौर में उत्पन्न कर दिया था। जल संकट के स्थायी एवं सबसे सरल उपाय भू-जल पुर्नभरण हेतु घरों में एवं शासकीय व सामाजिक स्तर पर छुटपुट प्रयास हुए हैं। भू-जल संवर्धन की दिशा में व्यापक योजनाऐं एवं उनका क्रियान्वयन करने के स्थान पर दीर्घकालिक योजलाऐं बनाई जा रही हैं। नर्मदा योजना में साढे बावीस एमएलडी अतिरिक्त जल प्रदाय क्षमता बढानें पर दो सौ करोड़ रूपए की योजना का कार्य प्रगति पर है। यंशवत सागर के लिए खड्गवासला पूना की एक ऐजेंसी बेप्कॉस की एक योजना रिपोर्ट के अनुसार लगभग २६ करोड़ रूपया खर्च कर जलाश्य की क्षमता। मीटर बनाये की कार्य योजना जिसमें वर्तमान सायफन प्रणाली को बंद कर आस-पास ही

१/समाचार पत्र कतरन/२६

दूसरा बांध बनाया जाएगा। यह २६ करोड़ रूपया भी नर्मदा तृतीय चरण योजना की स्वीकृत राशि मे से ही खर्च किया जाएगा। इस योजना पर कार्य जारी है।

इंदौर नगर क्षेत्र के आसपास अधिकांश कृषि क्षेत्र है जिसमें सिंचाई हेतु भूमिगत जल स्त्रोत का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल संवर्धन के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य या बड़ी योजना पर कार्य नहीं हुआ है, जिससे भू-जल स्तर निरन्तर नीचे की ओर जा रहा है। खण्डवा जिलें में तथा देवास जिले के मात्र २५०० आादी वाले दांगी सेमल्या (रायमल)ग्राम में तो बिना शासन की मदद के गामीणों ने ३५ तालाब खुदवाये [1] , जिससे ८ कि.मी. क्षेत्र के बंद पडे ट्यूबवेल १२ माह चल रहें है,इसी प्रकार ग्राम लोटिया जुनार्दा तहसील मदिपुर जिला उज्जैन में सरपंच ने निज प्रायासों से ६२ तालाब [2] बना दिये है ,जो अनुकरणीय है।

जलप्रबंधन को इंदौर महानगर परिक्षेत्र में प्रभावी रूप से एवं परिणाम्म मूलक बनाने के लिए, स्थापत्यवेद के सिद्धांतो का उपयोग किया जा सकता है। इसके अनुसार प्रत्येक ग्राम, वार्ड व नगर के क्षेत्र मे उत्तर पूर्व की ओर पृथक-पृथक जल स्त्रोत एवं भू-जल पुर्नभरण की इकाईयों का निर्माण करना समृद्धिदायक बताया गया है। इसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्र मे प्रत्येक ग्राम की सीमा पर परिखाऐं बनाकर एवं हर खेत में गड्ढे तैयार कर भूजल संवर्धन किया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम से लगी नदी, नालों पर स्टॉप डैम का निर्माण किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रीय जल स्त्रोतों से कृषि एवं घरेलू कार्य हेतु जल वितरण करना स्थापत्यवेद के अनुसार शुभ माना गया है। इसी प्रकार शहरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड, कॉलोनी आदि मे क्षेत्रीय जल स्त्रोत उत्तर-पूर्व दिशा मे बनाकर, उसी क्षेत्र में जल वितरण किया जाना है। स्थापत्यवेद में शुभ माना गया है। नर्मदा तृतीय चरण जैसी मंहगी योजनाओं या नर्मदा-चंबल-गंभीर को जोडने या नर्मदा से क्षिप्रा मे देवास के पास छापरा तालाब में डालने की बडी योजनाओं के स्थान पर इंदौर नगर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र लसूड़लिया के आस पास एक बड़ा तालाब बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही पुराने यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर, लिम्बोदी, चम्बल आदि तालाबों एवं शहर में स्थित समस्त कुए, बावड़ियों का जीर्णोद्धार कर उनका पूर्ण क्षमता तक गहरीकरण कर उनके जल का उपयोग उसी क्षेत्र में विकेन्द्रित जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था(मानचित्र क्र.३९) केआधार पर किया जाना चाहिए। इन्दौर मे नर्मदा योजना की बजाय वर्ष २००६ में नये ट्यूबवेल से टेकरों को भरकर जलप्रदाय करना,फिलहाल उचित है,परन्तु पहले भूजलसंवर्धन व्यवस्था की जाना चाहीये। इस कार्य मे जन भागीदारी व प्रबंधन एवं रखरखाव हेतु जनता का पूर्ण सहयोग लिया जाना चाहिए। भू-जल सवंर्धन हेतु शासकीय, स्तर पर समस्त उद्यानों, खाली पड़ी भूमि एवं शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों की रिक्त पड़ी भूमि पर भू-जल संवर्धन की संरचनाऐं तुरंत बनानी चाहिए। नए नलकूप खोदने पर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोक लगाना चाहिए। विख्यात जलविद् श्री राजेन्द्र सिंह के अनुसार जब धरती माता का पेट जल से भरा होगा तो नदियाँ स्वत: बारह मास बहनें लगेंगी का यह कथन जल प्रबंधन की दिशा मे महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

हमारें माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दिये उद्‌बोधन में "नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना" पर तुरंत अमल करने की आवश्यकता जताई है। यह योजना देश के जल प्रबंधन में मील का पत्थर साबित होकर जल समस्या का स्थायी समाधान बन सकती है। उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय को सुझाव देते हुए जल भंडारण के लिए भूमिगत जल कोष्ठों के निर्माण सहित वर्षा से एकत्रित जल की विकास प्रणाली, बुनियादि ढाँचे का पुर्नर्निमाण और आधुनिकीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करें। जल संकट के समय इस जल का शोधन कर उसे उपयोग मे लाया जा सकता है। हाल ही की प्रलयकारी वर्षा ने कई राज्यो में जल प्लावन भोगने को मजबूर किया है वहीं दूसरी ओर भीषणजल संकट को भी भोगा है। व्यवहारिक धरातल पर शीघ्रता से इस योजना पर अध्ययन, मनन कर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।स्थापत्यवेद के सिद्धांतो को इस योजना में इस तरह समाहित किया जा सकता है कि इन नदी-नालों का स्थान उत्तर या पूर्व की ओर बहाव लिये उसी दिशा में स्थित हो ,ताकि यह उसके उपयोगकर्ताओं हेतु कल्याणकारी हो। एक सीमा तक सिद्धांतों का पालन कर व्यवहारिक धरातल पर जल प्रबंधन की इन प्राचीनतम उक्त प्रणालियों का अपनाकर जल संकट का स्थायी, न्यूनतम व्यय एवं पर्यावरण हितैषी समाधान निकाला जा सकता है।

जल संवर्धन व जल स्त्रोत निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना तथा २४०० वर्ग फुट से अधिक एवं बहुमंजिला भवनों मे वर्षा जल संवर्धन अनिवार्य करने हेतु सख्त नियम बनाने चाहिए

१,२/समा.पत्र कत./३,४

जल प्रबंधन की उपरोक्त अवधारणा को स्थापत्य वेद के अनुसार क्रियान्वयन करके कम लागत पर जल संकट का स्थायी समाधान सम्भव है।

उर्जा :-

उर्जा प्रबंधन वर्तमान समय में अति आवश्यक हो गया है। विद्युत उर्जा के पारम्परिक स्त्रोत कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज एवं जल तथा उर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोत सौर उर्जा, पवन उर्जा, बायो गैस, बायोमास उर्जा, ज्वारी उर्जा, भूतापीय उर्जा, कचरें से उत्पन्न उर्जा आदि मानें जातें है। जबकि वास्तव में उर्जा का सर्वोच्च अक्षय स्त्रोत सौर उर्जा है ,यह सभी जगह उपलब्ध, प्रदुषण मुक्त तथा निःशुल्क शक्ति स्त्रोत है। वैज्ञानिक आंकड़ो के मुताबित पृथ्वी पर आने वाली सूर्य किरणों से मात्र तीस सेंकड में पूरे आवश्यकता की बिजली उत्पन्न की जा सकती है। हमारें देश की दैनिक बिजली की आवश्यकता लगभग १० लाख मेगावाट है जो मात्र २ कि.मी. क्षेत्र पर सोलर सेल लगाकर प्राप्त की जा सकती है। हमारें देश को प्रतिवर्ष सूर्य से ६लाय खरब किलावाट घंटे के बराबर उर्जा प्राप्त होती है। सूर्य पृथ्वी से ९ करोड़ ४० लाख मील दूर है। इतनी दूरी पर भी सूर्य किरणों से जो उर्जा मिलती है वह समूचे संसार की कुल बिजली उत्पादन क्षमता की १ लाख गुना है महाराष्ट्र के ठाणे नगर निगम ने एक साहसी कदम उठातें हुए वहाँ बनने वाली हर इमारत में पानी गरम करने के लिए सौर उर्जा संयंत्र लगाना अनिवार्य कर टैक्स में कटौती के रूप में प्रोत्साहन दिया है। होटलों, सार्वजनिक भवनों व कोल्ड स्टोरेज में सौर उर्जा का उपयोग कर उर्जा की बचत होती है।

मंध्यप्रदेश में उर्जा की माँग व उत्पादन में न्यूनतम २००० मेगावाट की कमी है जिसे जल विद्युत या सौर उर्जा के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। केन्द्र सरकार की फरवरी०६ में घोषित मेघा परमाणु पावर पृोजेक्ट के तहत मप्र में ४००० मेघावाट की खंडवा के पास स्वीकृत योजना का स्थान पृदेश के दक्षिण पूर्व में होने से स्थापत्यवेद के अनुरूप है।सौर उर्जा को तापीय उर्जा में बदलकर पानी गर्म करने के संयंत्र पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहे है। इनके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन संयंत्रो का प्रयोग भी बड़े पैमाने पर प्रारम्भ हो चुका है। ओ.एन.जी.सी.ने तमिलनाडु एवं गुजरात में पवन उर्जा संयंत्रो से ढाई सौ मेगावाट बिजली अगलें डेढ सालों में उत्पादन शुरू करना घोषित किया है। भारत सरकार का अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत मंत्रालय ने हाल ही में राजीव गाँधी अक्षय उर्जा दिवस २० अगस्त २००५ को मनाकर ,माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने आधुनिक समाज की जीवन रेखा उर्जा के क्षेत्र में उर्जा सुरक्षा का पूर्ण, उर्जा स्वतंत्रता में परिवर्तन का आवहान किया है तथा अक्षय उर्जा की आपूर्ति हेतु प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की आवश्यकता बतलाई है। उर्जा प्रबंधन मैं उत्पादन के साथ उसकी हानि रहित सुद्दढ वितरण व्यवस्था भी आवश्यक है। बिजली चोरी की प्रवृति पर, विगत दस वर्षो की आदतों के फलस्वरूप रोक लगाना अत्यन्त दुष्कर कार्य हैं। इसका प्रमुख कारण वितरण हेतु ड़ाली ली गई अव्यवस्थित, अनियंत्रित बिजली लाईनें जिनसे कहीं कोई भी कोई भी किसी भी समय बेरोकटोक आंकड़ी लगाकर बिजली चोरी कर सकता है जिसे कई गाँव हेतु नियुक्त एक लाईन स्टाफ की जिम्मेदारी पर वर्तमान व्यवस्था में छोड़ा गया है इसके बावजूद पूर्व में विद्युत मंडल व अब वितरण कंपनियाँ ए.डी.बी. व ए.पी.डी.आर.पी. योजनाओं के तहत करोंड़ो का कर्ज लेकर सुधारने का प्रयास कर रही हैं। बिजली उत्पादन योजनाओं का ठेका देने से लेकर ग्राम में लगाई जाने वाली ट्रांसफार्मर की डी.पी. लगाने मे राजनैतिक हस्तक्षेप भी प्रदेश में बिजली संकट का प्रमुख कारण है। सामूहिक बिजली चोरी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण और प्रभावी कार्यवाही नहीं किए जानें से एक आम उपभोक्ता से लेकर उद्योगपति तक अपने आप को ठगा महसूस करता है ,साथ ही आक्रोशित व द्रवित है भी है ,क्योंकि अपरोक्ष रूप से उसका मूल्य उसे स्वयं द्वारा चुकाना पढ रहा है। सामुहिक बिजली चोरी का स्थाई समाधान एल.टी लाईन रहित वितरण व्यवस्था है।उर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में स्थापत्यवेद के सिद्धांतो का अनुशीलन कर, उर्जा संकट का समाधान सम्भव है। विभिन्न देश - विदेश, नगर, ग्राम, वार्ड, बस्ती स्तर की विद्युत उत्पादन एवं वितरण से संबंधित योजनाओं की निर्मित व प्रस्तावित संरचनाओ को उनके क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थापित किया जा सकता है। जिससे उनकी स्थापना, संचालन, संधारण व उपयोग में प्रकृति का सहयोग सहज ही प्राप्त होगा जिससे अंततः न्यूनतम खर्च पर उर्जा प्रबंधन करना सम्भव है।

मानव बसाहट :-

सृष्टि में मानव की उत्पत्ति के पश्चात् से ही सालगृहों (पेड़ पर) से लेकर आज तक बनाई जा रही बड़ी अट्टालिकाओं के समय के अनुसार परिवर्तन होते जा रहे हैं। प्राचीनकाल में प्राय: नदियों, तालाबों व झीलों के किनारे तत्कालीन प्रशासकों या राजा-महाराजाओं द्वारा मानव बसाहट की जाती थी।

पूरे विश्व में जनसंख्या विस्फोट से जहाँ एक ओर अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित मानव बसाहट ने कई समस्याओं को जन्म दिया है साथ ही पर्यावरण को गम्भीर नुकसान पहुँचाना है। मानव बसाहट मे सबसे चिंतनीय पहलू बढती झुग्गी बस्तियाँ है।एक सर्वेक्षण के अनुसार मई ९९ तक इंदौर मे २२९ झुग्गी बस्तियों में ६० हजार ५७२ परिवारों की बसाहट है। इन बस्तियों में विश्व बैंक की परियोजनाओं से लेकर प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा उनकी पुर्न बसाहट यदा-कदा की गई एवं करी जा री है परंतु इनके कार्य व्यवसाय स्थल के समीप ही इन्हें इन्हें सुव्यवस्थित एवं नियोजित बसाहट से समस्या का स्थायी समाधान सम्भव है। किसी भी मानव बसाहट में एक सुदृढ, सुनियोजित अधोसंरचना का विकास करने के पश्चात् ही बसाहट की जानी चाहिए। न की कोई एक वैकल्पिक स्थल पर स्थान देकर उन्हें मनमाने ढंग से निर्माण की छूट दी जानी चाहिए।

इंदौर शहर में झुग्गियों के अतिरिक्त ४२१ अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं जहाँ समस्याओ का अम्बार है। निरस्त की गई विकास योजना २०११ में गंदी बस्तियों के पुर्न स्थापना हेतु केंट के किनारे दक्षिण में ग्राम रंगवासा, धार रोड़ के उत्तर में ग्राम नावदापंथ, एयरपोर्ट के उत्तर में ग्राम बांगड़दा तथा उत्तर पश्चिम में ग्राम भाग्या तथा एम.आर. ११ के उत्तर में ग्राम शकरखेड़ी में एवं बायपास के मध्य मुंडलानायता ग्राम में प्रस्तावित है।

खतरनाक यातायात क्षेत्रों का निर्धारण कर विस्तृत यातायात सर्वे के पश्चात् एक सुनियोजित कार्ययोजना स्थापत्यवेद के सिद्धांतों के अनुरूप बनाई जा सकती है। स्थापत्यवेद में झुग्गियों के संबंध में विशेष तौर पर तो नहीं बताया गया है परन्तु "माला गृह" (Row Houses) को ग्राम, नगर आदि की सीमा पर बनाने एवं उसमें जातकों को उनके कार्य व्यवसाय के अनुकूल किस दिशा में कहाँ बसाया जाना चाहिए यह विस्तृत रूप से बताया गया है - जैसे ग्राम या शहर की दक्षिण-पूर्व (आग्नेय दिशा) में अग्नि जीवी अर्थात् अग्नि से संबंधित व्यवसाय वाले जातकों के लिए समृद्धि दायक बताया गया है। किस कार्य व्यवसाय हेतु किस दिशा में बसाया जाए ,इसका विस्तृत विवरण इस शोध ग्रंथ के पेज क्र.....में बताया गया है।

इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा झुग्गी मुक्ति इंदौर योजना के तहत वाल्मिकी आम्बेड़कर योजना के तहत ६ हजार मकानों के निर्माण की प्रक्रिया १ माह में प्रारंभ करने जा रहा है। जिसके तहत शेखर नगर, स्कीम न. १०३, स्कीम न. १४० पिप्लियाहाना, स्कीम न. ९७ द्वितीय तथा ११४ में मकान बनाये जा रहे है।४४ करोड़ की इस योजना में २५% सबसिडी है हुड्कों से भी ऋण लिया जावेगा २२० वर्ग फिट के मकान की कीमत ८०,००० रूपए होगी। झुग्यिों से मुक्त जमीन को विकास प्राधिकरण के द्वारा विक्रय किया जायगा। इन योजनाओं को भी स्थापत्यवेद से पुनर्नियोजित किया जाना चाहिए।

किसी भी रहवासी क्षेत्र के विकास में कम से कम १० से १५ वर्ष का समय लगता है। इंदौर शहरी क्षेत्र में १९९१ की जनगणना के अनुसार १.९७ लाख परिवार हैं जिसमें २००१ की जनगणना के अनुसार ४.७३ औसत परिवार का आकार हैं जो सामाजिक एवं आर्थिक कार्यो से निरंतर घट रहा है। वर्तमान में २.७१ लाख आवास हैं जबकि ३.२३ लाख की आवश्यकता है एवं २०११ में ५.२५ लाख आवासों की आवश्यकता होगी। अत: अब हम आगे स्थापत्यवेद के सिद्धांतों के अनुसार भवनों, ग्राम एवं नगरों का निर्माण करने के लिए कानून में संशोधन कर बनाया जाना चाहिए जिससे प्रकृति के अनुरूप भवन आदि मे प्राकृतिक हवा, प्रकाश एवं तापमान रहें व उर्जा का उपयोग कम से कम करना पड़े। अगर प्रत्येक भूखण्ड पर ब्रह्म स्थान खुला रखने का प्रावधान हो तो वह स्थान ऑक्सीजन सिलेण्डर का कार्य उस वास्तु भूमि हेतु करेगा। यह सोच लेने से कि अब तक तो वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर ध्यान कठिन होगा जब इन सिद्धांतों को संसद से लेकर प्रधानमंत्री के आवास एवं घरों में उपयोग किया जा रहा है तो शासकीय स्तर पर इसका उपयोग कर इसका लाभ व्यापक स्तर पर क्यों नहीं दिया जा सकता। सिर्फ आवश्यकता है दृढ संकल्प की।

यातायात समस्या :-

परिवहन सरंचना शहर की मूल आवश्यकताओं में से एक है। यातायात प्रणाली की कार्य कुशलता का आंकलन निम्न घटकों के आधार पर किया जाता है।

अ. अर्न्तनगरीय यातायात

ब. नगरीय यातायात

"अर्न्तनगरीय यातायात" के अर्न्तगत इंदौर शहर, खण्डवा तथा रतलाम से मीटर गेज लाईन द्वारा तथा उज्जैन, रतलाम बम्बई जैसे नगर व महानगर से जुड़ा है। क्षेत्रीय मार्ग संरचना द्वारा भी यह शहर राज्य एवं देश के कई महानगरों से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. ३ (आगरा-बम्बई राजमार्ग) इस शहर की मुख्य यातायात संरचना का साधन है। इस मार्ग से जन सामान्य एवं माल यातायात के अवसर उपलब्ध हुए हैं अन्य मुख्य मार्ग इंदौर-अहमदाबाद(राष्ट्रीय राज्यमार्ग क्र. ५९), इंदौर-भोपाल राजमार्ग, इंदौर-उज्जैन(राजमार्ग क्र.२९), इंदौर-खण्डवा(राजमार्ग क्र. २७), इंदौर-नेमावर(राजमार्ग क्र. २२) उपरोक्त समस्त अर्न्तनगरीय मार्ग इंदौर शहर को प्रदेश एवं देश के मुख्य नगरों से जोड़ते हैं जिनसें शहर की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में योगदान मिला है एवं शहर के विकास हेतु द्वार खुले हैं। इंदौर नगर भारत के हवाई मानत्रित पर अंकित है। यह नगर देश के कई महानगरों से हवाई मार्ग से जुड़ा है। अर्न्तनगरीय हवाई यातायात की कार्य क्षमता बढानें हेतु यातायात सुविधाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा देश के ५ हवाई अड्डों इन्दौर ,नागपुर ,विशााखापट्ट औरन त्रिचि के विकास के अध्यन हेतु , न्युयार्क के लुईस बर्गर ग्रुप कार्य सोंपा गया है।

"नगरीय यातायात" नगर का जीवन स्तर व उसकी कार्य प्रणाली की दक्षता इस पर निर्भर करती है वह कितनी अच्छी तरह से शहर के कार्य कलापों यातायात संरचना में परस्पर सम्बंध स्थापित है। निरस्त की गई विकास योजना २०११ मे यातायात संरचना हेतु अपनाई गई नियोजन नीती निम्न बिंदुओं पर आधारित थी :-

१. नगर के आबादी क्षेत्रों एवं मुख्य गतिविधि पुंजको तथा सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात प्रणाली का विकास।

२. विभिन्न योजना इकाईयों के मध्य परस्पर प्रभावी परिवहन प्रणाली विकसित करना।

३. मुख्य कार्य केन्द्रों एवं गतिविधि क्षेत्रों जैसे यातायात केन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र शैक्षणिक केन्द्रों एवं अन्य कार्य केन्द्रों में पदाचारी मार्गों का विकास।

४. समस्याग्रस्त क्षेत्रों के समाधान हेतु सक्षम यातायात प्रबंधन की तकनीक हेतु पहलु।

५. विश्वसनीय योग्य, दक्ष एवं सुद्दढ जन-परविहन प्रणाली की व्यवस्था।

६. मुख्य मार्गों पर सतत् यातायात गतिशीलता बनाये रखने हेतु इन मार्गो पर पहुँच मार्ग के मार्ग संगम को यथा सम्भव प्रतिबंधित करना।

नगर में १०.४ प्रतिशत ओसत वार्षिक वृद्धि की दर से सन् २००० में वाहनों की संख्या ४.८४ लाख हो चुकी है। हर वर्ष सडक दुर्घटनाएँ बढती जा रही हैं। विगत ६ वर्षो में साढे चौदह हजार पाँच सौ दुर्घटनाएँ हुई इसके फलस्वरूप तेरह सौ व्यक्तियों की मृत्यु तथा बारह हजार व्यक्ति घायल हुए हैं।

इंदौर निवेश क्षेत्र में यातायात संबंधी आंकलन हेतु विभिन्न प्रकार के यातायात सर्वेक्षण जैसे कि यातायात आयतन, ओरीजीन डेस्टीनेशन सर्वेक्षण इत्यादि ।सी.ई.एस. दिल्ली द्वारा दिसम्बर २०० में किए गए हैं, जिसकी जानकारी निम्नानुसार है।

बाह्य परिधि मार्गों के विभिन्न स्थलों पर यातायात संबंधी आंकड़े में दिए गए हैं जिसमें पीक अवर ट्रॉफिक एवरेज डेली ट्रॉफिक तथा पी.सी.यू का प्रतिशत बताया गया है। जिससे स्पष्ट हैं कि नगर में व्यस्ततम समय में ९ हजार ५६१ पसी.यू. नगर के अंदर एवं बाहर जातें हैं जिनमें से ए.बी. रोड एवं धार रोड पर प्रवेश करने व बाहर निकलने वाले यातायात का प्रतिशत ४८ हैं। राजमार्गों में उज्जैन रोड पर सबसे अधिक १०.३ प्रतिशत घनत्व है। आंतरिक परिधि मार्गों पर यातायात संबंधी आंकड़े सारणी क्र. ४-४ में दिए गए हैं।

स्क्रीन लाईन मार्ग ,नगर के यातायात संबंधी अध्ययनों की दृष्टि से नगर के मध्य से दक्षिण दिशा में गुजरने वाली रेल्वे लाईन को उत्तर दक्षिण स्क्रीन लाईन माना गया है। उपरोक्त अध्ययनों से यह पाया गया है कि औसत रूप से प्रति दिन लगभग ३४०३१९पीसीयू वाहन रेलवे लाइन को पार करते हैं जिसमें से शास्त्री पुल को पार करने वालें वाहनों का प्रतिशत २६.६ है।

पूर्व-पश्चिम दिशा में सुभाष मार्ग के समानान्तर खान नदी एवं रेल्वे लाइन को स्क्रीन लाइन माना गया है। उपरोक्त स्क्रीन लाइन को १८ स्थानों पर यातायात आयतन संबंधी अध्ययन किए गए एंव यह पाया गया कि औसत रूप से पूर्व-पश्चिम स्क्रीन लाइन को पार करने वालें वाहनों की संख्या लगभग २२५७७३ पीसीयू है।नग्रानि की योजना २०११ की सारणी ४.५ एवं ४.६ में उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम स्क्रीन लाइन पर यातायात संबंधी आंकड़े दर्शाए गए हैं।

सारणी ४.५

उत्तर-दक्षिण स्क्रीन लाइन पर अधिकतम यातायात (पीक अवर)

क्र.	स्थान पीसीयू	अधिकतम यातायात प्रात: (पीसीयू में)	अधिकतम यातयात सायं (पीसीयू में)
१.	उज्जैन रोड़ पर बाणगंगा के समीप रेल्वे क्रासिंग	२३०९	२४२६
२.	भंडारी मिल के समीप रेल्वे क्रासिंग	३९३७	३०४४
३.	शास्त्री ब्रिज	६९६५	८९८८
४.	पटेल ब्रिज	३४७४	३४३२
५.	हाथीपाला मुख्य मार्ग	३११९	३७४९
६.	नवलखा मुख्य मार्ग रेल्वे क्रासिंग	८०३	११४५
७.	जूनी इंदौर रेल्वे क्रासिंग	३९००	३८९९
८.	माणिकबाग रोड़ रेल्वे क्रासिंग	२९३१	२०६४
९.	केशरबाग रोड़ रेल्वे क्रासिंग	५७६	४७६
१०.	अन्नपूर्णा रोड़ रेल्वे क्रासिंग	८७७	९०३

स्त्रोत : सी. ई. एस. रिपोर्ट, सित. २००१

सारणी ४.६

पूर्व-पश्चिम स्क्रीन लाइन पर अधिकतम यातायात (पीक अवर)

क्र.	स्थान पीसीयू	अधिकतम यातायात प्रात: (पीसीयू में)	अधिकतम यातयात सायं (पीसीयू में)
१.	रिंग रोड़(खान नदी पर पुल के समीप)	१०६०	१०७३
२.	रिंग रोड़(खान नदी पर पुल कें समीप)	१८२	१२७
३.	रिंग रोड़(खान नदी पर पुल के समीप)	१०९	१७२
४.	मदीना नगर मुख्य मार्ग	७५८	७०८
१.	उज्जैन रोड़ पर बाणगंगा के समीप रेल्वे क्रासिंग	२३०९	२४२६

२.	भंडारी मिल के समीप रेल्वे क्रासिंग	३९३७	३०४४
३.	शास्त्री ब्रिज	६९६५	८९८८
४.	पटेल ब्रिज	३४७४	३४३२
५.	हाथीपाला मुख्य मार्ग	३११९	३७४९
६.	नवलखा मुख्य मार्ग रेल्वे क्रासिंग	८०३	११४५
७.	जूनी इंदौर रेल्वे क्रासिंग	३९००	३८९९
८.	माणिकबाग रोड़ रेल्वे क्रासिंग	२९३१	२०६४
९.	केशरबाग रोड़ रेल्वे क्रासिंग	५७६	४७६
१०.	अन्नपूर्णा रोड़ रेल्वे क्रासिंग	८७७	९०३

स्त्रोत : सी. ई. एस. रिपोर्ट, सित. २००१

उपरोक्त अध्ययनों से यह पाया गया है कि औसत रूप से प्रति दिन लगभग ३४०३१९पीसीयू वाहन रेल्वे लाइन को पार करते हैं जिसमें से शास्त्री पुल को पार करने वालें वाहनों का प्रतिशत २६.६ हैं।

पूर्व-पश्चिम दिशा में सुभाष मार्ग के समानान्तर खान नदी एवं रेल्वे लाइन को स्क्रीन लाइन माना गया है। उपरोक्त स्क्रीन लाइन को १८ स्थानों पर यातायात आयतन संबंधी अध्ययन किए गए एंव यह पाया गया कि औसत रूप से पूर्व-पश्चिम स्क्रीन लाइन को पार करने वालें वाहनों की संख्या लगभग २२५७७३ पीसीयू है। सारणी ४.५ एवं ४.६ में उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम सक्रीन लाइन पर यातायात संबंधी आंकड़े दर्शाए गए हैं।

५.	आजाद नगर	८७९	६९८
६.	ए.बी. रोड़	३२८१	२७३४
७.	नवलखा लिंक मार्ग	१६१४	१९७१
८.	रवीन्द्रनगर मुख्य मार्ग	२५०९	३२१६
९.	सरवटे बस स्टेन्ड के नजदीक	१२७९	१४६८
१०.	अनाज मंडी रोड़ के समीप	१०८५	७६२
११.	पत्थर गोडाउन रोड़	१९०३	१६२६
१२.	जेल रोड़	२३५८	२३१३
१३.	नगर निगम चौराहे के नजदीक	९४१	७३८
१४.	तिलक पथ	१३६७	१२९७
१५.	इमली बाजार	१६१०	१४७५
१६.	जिंसी मार्ग	१४८२	१०१०
१७.	संगम नगर मुख्य मार्ग	७५९	६१३
१८.	वायरलेस रोड़	७९९	८४१

मुख्य मार्गों पर यातायात सर्वेक्षण :-

ऐसे मार्ग जो कि स्क्रीन लाइन अथवा आंतरिक बाह्य परिधि मार्गों के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है, उन मार्गों पर यातायात संबंधी आंकनल हेतु सारणी ४.७ में उल्लिखित दो स्थानों पर यातायात संबंधी आंकड़े सीईएस, दिल्ली द्वारा एकत्रित किए गए हैं।

सारणी ४.७

मार्गो पर अधिकतम यातायात (पीक अवर)

क्रमांक	नाम	अधिकतम यातायात आयतन(पीक अबर)
१	सपना संगीता मार्ग	३३८८ पी.सी.यु.
२	सुभाष मार्ग	२४५२ पी.सी.यु.

४.५.२ ओरजिन –डेस्टीनेशन सर्वेक्षण

यात्रियों के ओरीजिन–डेस्टीनेशन सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि लगभग ८% यातायात ऐसा है जिसका कि शहर से कोई लेना देना नहीं है। जबकि माल वाहनों के संबंध में यह प्रतिशत लगभग ४२ है।

४.५.३ चौराहों पर यातायात संबंधी अध्ययन

नगर के विभिन्न चौराहों पिर यातायात संबंधी अध्ययन से यह पता चलता है कि लगभग सभी चौराहों पर उनकी क्षमता से अधिक यातायात प्रवाहित हो रहा है। इन चौराहों पर यातायात समस्याओं के निराकरण हेतु सभी चौराहों का विस्तार/विकास किया जाना आवश्यक है। विभिन्न चौराहों पर किए गए अध्ययनों का विवरण सारणी ४.८ में दिया गया है।

सारणी ४.८

नगर के मुख्य चौराहों पर यातायात घनत्व (पीक अबर)

क्र.	स्थान	प्रातः (पीक अबर)				प्रातः (पीक अबर)	
		वाहन	पीसीयू	पीसीयू	वाहन		
१.	शास्त्री चौराहा	९४४१	६४०३	७९९०	७१८६		
२.	बड़ा गणपति चौराहा	४६७५	३८१०	४०४४	३४१२		
३.	राजवाड़ा	९५०३	७५६१	९६५९	८०२९		
४.	नगर निगम जंकशन	१०६८१		८५५८	१०२१६		८६१८
५.	सब्जी मंडी तिराहा	४१२२	३४४३	४३०९	३६६५		
६.	जेल रोड़ जंकशन	६८८३	६३९५	५४०७	४९३४		
७.	गुरूद्वारा चौराहा	६४६१	६०५७	७२५८	६७९५		
८.	गंगवाल बस स्टैंड	५७७८	४७९८	४६६१	४४३२		
९.	भगतसिंह चौराहा	४९२९	४४०६	४७२६	४१०६		
१०.	न्यू पलासिया	८७२२	७३५१	८९२९	७६९३		
११.	पलासिया	९३३२	७७१४	१०५३०		९१२८	
१२.	रीगल चौराहा	१२४१४		१०७२०		१५९५७	१३९५४
१३.	हाईकोर्ट तिराहा	९७८३	८१३१	१२९६२		१११३३	
१४.	एम वाय हास्पिटल रोड़ एवं ए.बी. रोड़ जंकशन	३४०९	२८८३	२८७७	२४९९		
१५.	नवलखा चौराहा	२९१४	२३८३	२०५२	१९३२		
१६.	भँवरकुँआ चौराहा	५८४५	५०६४	५०१६	४५०९		
१७.	टावर चौराहा	७११६	६२३०	७९८०	६६७१		
१८.	प्रताप प्रतिमा चौराहा	३४९३	३१८२	६१५८	४८२५		
१९.	मरी माता चौराहा	५९५३	४८७१	६५२२	५१९३		

पार्किंग संबंधी अध्ययन

सामान्य

पार्किंग आवश्यकताओं का आंकलन करने हेतु पार्किंग सर्वेक्षण किए जातें हैं। सीईएस, दिल्ली द्वारा किए गए यातायात संबंधी अध्ययनों में मुख्य पार्किंग स्थलों के संबंध में मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आवश्यक आंकड़े एकत्रित किए गए थे। ऐसे मुख्य मार्ग जिन पर पार्किंग संबंधी आंकड़ें एकत्रित किए गए थे वे निम्नानुसार है :

१	महात्मा गांधी मार्ग	१५ स्थान
२	जवाहर मार्ग	१३ स्थान

३	सियागंज क्षेत्र	१४ स्थान
४	रिवर साइड रोड़	२ स्थान

मार्गो से हटकर ऐसे स्थान जहाँ पार्किंग सर्वेक्षण किए गए थे वे राजवाड़ा, कोठारी मार्केट, सुभाष चौक रेल्वे स्टेशन के समीप थे। पार्किंग संबंधी अध्ययनों का विवरण निम्नलिखित बिन्दुओं में दिशा गया है:

४.६.२ मार्गो के किनारें पार्किंग संबंधी अध्ययन

मुख्य मार्गो के किनारें पार्किंग संबंधी अध्ययन के आंकड़े सारणी ४.९ में दिए गए हैं जिनके अध्ययन से य परिलक्षित होता है कि सायं ४ से ५ के बीच अधिकतम वाहन पार्किंग क्षेत्रों में खड़े रहतें हैं केवल सियांगज ऐसा क्षे है जहाँ दोपहर ३ से ३.३० बजे के मध्य पार्किंग में अधिकतम वाहन पाये गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि य पर विशिष्ट प्रकार की गतिविधियां सम्पन्न होती है।

सारणी ४.९

मुख्य मार्गों के किनारे यातायात संबंधी अध्ययन

क्र.	यातायात कोरीड़ोर	स्थान	पीक अवर	वाहनों की संख्या	
				वाहन	ई.सी.एस.
१.	महात्मा गांधी मार्ग	१ शास्त्री पुल से कोठारी मार्केट	१४३३से १४३०घंटे	२४५	६८
		२ कोठारी मार्कट से कृष्णपुरा पुल	१३३० से १४००घंटे	३८७	८०.५
		३ कृष्णपुरा पुल से सुभाष चौक	१६००से१६३०घंटे	८७३	१२६.८
		४ सुभाष चौक से गौरा कुंड	१३३० से १४०० घंटे	५०४	१०९.५
		५ गोरा कुंड से बड़ा गणपति	१४००से १४३० घंटे	३३८	७६.२
२.	जवाहर मार्ग	१ पटेलब्रिज से नंदलाल पुरा	१६३० से १७००घंटे	१२५०	३२६
		२ नंदलाला पुरा से नर्सिंग बाजार	१४००से१४३०घंटे	८७२	२२६
३.	रिवर साइड रोड़		१७००से १७३०घंटे	६५.६	
४	सियागंज क्षेत्र	१ महारानी रोड़	१६००से१६३०घंटे	८६४	१९०
		२ महारानी मुख्य मार्ग	१५००से१५३०घंटे	९०८	१५७
		३ जवाहर मार्ग के समानान्तर	११३०से१२००घंटे	८७५	१९१
		४ वीआईपी रोड़	१६३०से १७००घंटे	३४३	१६०
५	पी.वाय. रोंड़		१८००से१८३०घंटे	२८२	६३

स्त्रोत: सीईएस रिर्पोट (सितम्बर, २००१)

४.६.३ मार्गो से हटकर पार्किंग

मार्गों के किनारें पार्किंग संबंधी अध्ययनों के अतिरिक्त मार्गो से हटकर तीन स्थानों पर पार्किंग संबंधी अध्ययन किए गए हैं ये स्थान हैं १. सुभाष चौक (१२४० वर्ग मीटर), २.राजवाड़ा कार पार्किंग (३८० वर्ग मीटर), ३.कोठारी मार्केट (६२०वर्ग मीटर)।

अ. अधिकतम वाहनों की संख्या

उपरोक्त स्थानों में से रेल्वे स्टेशन स्थित पार्किंग क्षेत्र में अधिकतम वाहन १६३ तथा सुभाष चौक में १२५,

राजवाड़ा में ३५ एवं कोठारी मार्केट में ४७ वाहन पाए गए थे । उपरोक्त वाहन सायं ५ से ७ के मध्य पीक अवर की अवधि में पाए गए हैं।

सारणी ४.१०

पीक अवर की अवधि में पाए गए वाहन

क्र.	स्थान	पीक अवर	अधिकतम वाहनों की संख्या	
			वाहन	ई.सी.एस.
१.	सुभाष चौक	१७०० से १८००	१२५	६७
२.	राजवाड़ा	१८०० से १९००	३५	२८
३.	कोठारी मार्केट	१७३० से १८००	४७	३६
४.	रेल्वे स्टेशन			
	पूर्व दिशा में		१०४	५७
	पश्चिम दिशा में		५७	३२

स्त्रोत : सीईएस रिपोर्ट (सितम्बर, २००१)

ब. पार्किंग क्षेत्रों में वाहनों के प्रकार

सुभाष चौक एवं राजवाड़ा क्षेत्रों मे दुपहियां वाहनों का प्रतिशत क्रमश: ६४% एवं ४०% पाया गया है जबकि राजवाड़ा एवं कोठारी मार्केट स्थित पार्किंग क्षेत्रों में कारों का प्रतिशत क्रमश: ७४ एवं ६६ % पाया गया है। रेल्वे स्टेशन स्थित पार्किंग क्षेत्र में कुल वाहनों में से लगभग एक तिहाई आटोरिक्शा पाए गए हैं ।

स. औसत पार्किंग का समय

दुपहिया वाहनों हेतु पार्किंग का समय ९० से २६४ मिनिट तथा कारों हेतु यह समय ४४ मिनिट तथा कारों हेतु यह समय ४४ मिनिट से २८३ मिनिट पाया गया हैं।

द. पार्किंग टर्न ओवर

पार्किंग टर्न ओवर की दर पार्किंग स्थलों की उपयोगिता को प्रदशित करती है। यह दर राजवाड़ा एवं कोठारी मार्केट स्थित पार्किंग क्षेत्रों मे अपेक्षाकृत रूप से सुभाष चौक की तुलना में अधिक पायी गई है।

४.७ पैदल चलने वाले व्यक्तियों के संबंध में अध्ययन

पैदल चलने वालें व्यक्तियों की आवश्यकताओं का आंकलन करने हेतु सीईइस, दिल्ली द्वारा ११ स्थानों पर अध्ययन किए गए हैं जिनका विवरण सारणी ४.११ में दिया गया है।

सारणी ४.११

पैदल चलने वाले व्यक्तियो के संबंध में अध्ययन

क्र.	स्थान	पीक अवर	पैदल चलने वाले व्यक्तियों की संख्या
१.	मालवा मिल चौराहा	१७ से १८	१६४५
२.	राजवाड़ा क्षेत्र	१६ से १७	३३६९
३.	भँवर कुँआ	१७ से १८	१२२४
४.	गंगवाल बस स्टेन्ड	११ से १२	१२०५
५.	रिगल चौराहा	१२ से १३	५३९
६.	एम.वाय. रोड़	११ से १२	१४१२
७.	पाटनीपुरा चौराहा	१७ से १८	२७५०
८.	प्रताप प्रतिमा चौराहा	१८ से १९	१०३५
९.	पलासिया चौराहा	१८ से १९	१२७७
१०.	टावर चौराहा	१२ से १३	८२२
११.	नगर निगम चौराहा	१७ से १८	२४४७

स्त्रोत: सी.ई.एस. रिपोर्ट, सित. २००१

उपरोक्त सारणी से यह परिलक्षित होता है कि अधिकतम पैदल चलने वाले यात्रियों की संख्या राजवाड़ा [illegible] सबसे अधिक(३३६९) है।

उपरोक्त ११ स्थानों में से ९ स्थानों के आंकड़े सीईएस, दिल्ली द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण उपरांत एकत्रित [illegible] पैदल चलने वालें यात्रियों के आवागमन संबंधी तथा उनको नियंत्रित करने हेतु उपाय दिए गए हैं जिनका विवरण सारणी ४.१२ में दिए गए हैं।

सारणी ४.१२

पैदल चलने वाले यात्रियों को नियंत्रित करने के उपाय

क्र.	स्थान	पीवी स्कवेर	वर्तमान उपाय	टीप
१.	राजवाड़ा क्षेत्र	२३४.०	अनियंत्रित	पैदल चलने वालों का % वाहनों से अधिक होने के कारण पैदल चलने वालों को प्राथमिकता देना अनिवार्य है
२.	भँवरकुँआ चौक	४४.१	अनियंत्रित	चौराहों पर सिग्नल व्यवस्था में पदचारियों हेतु प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
३.	गंगवाल बस स्टैन्ड चौराहा	५२.२	अनियंत्रित	नियंत्रण आवश्यक है।
४.	रिगल चौराहा	१४२.९	अनियंत्रित	चौराहों पर सिग्नल व्यवस्था में पदचारियों हेतु प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
५.	एम.वाय.रोड़	११.६	चौराहे पर स्थित सिग्नल में पदचारियों हेतु प्रावधान उपलब्ध है	चौराहे का विकास किया जाना आवश्यक है जिससे पदचारियों को आसानी हो सकें।
६.	प्रताप सिंह चौराहा	५६.९	अनियंत्रित	चौराहों पर सिग्नल व्यवस्था में पदचारियों हेतु प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
७.	पलासिया चौराहा	२४९.९	अनियंत्रित	चौराहों पर सिग्नल व्यवस्था में पदचारियों हेतु प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस चौराहे पर फ्लाय आवर निर्मित किया जाना आवश्यक है।
८.	टावर चौराहा	५२.७	अनियंत्रित	चौराहों पर सिग्नल व्यवस्था में पदचारियों हेतु प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
९.	नगर निगम चौराहा	३०३.२	अनियंत्रित	चौराहों पर सिग्नल व्यवस्था में पदचारियों हेतु प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

सी.ई.पी. आर.डी. के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री आय.एस.गजरा ने इंदौर नगर की मानव बसाहट की विकराल समस्या का समाधान कर कल्पना की थी कि इंदौर नगर के सभी नागरिकों के जीवन स्तर और गुणवत्ता में सुधार करना हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिये, और पर्यावरण के संदर्भ में इंदौर नगर को उत्कृष्ट पर्यावरणीय क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहिए। संस्था द्वारा समय-समय पर परामर्श सेवा का लाभ मैदानी स्तर पर प्रभावी

क्रियान्वयन हेतु विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों व वैज्ञानिकों का सहयोग लेकर प्रयास किए हैं। इन प्रयासों में जैव विविधता के संरक्षण व संवर्धन के अर्न्तगत जल क्षेत्रों के आस-पास राला मंडल जीव अभ्यारण्य से लालबाग पैलेस तक एक झोन बनाना तथा सिरपुर तालाब के पास पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना करना। औषधि, पौधे तथा पुरातन महत्व के पौधें के संरक्षण के लिए देवगुराड़िया पहाड़ी पर विकास करना। जैविक खाद के उत्पादन तथा ग्रामीण क्षेत्र में कचरें के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना। करबेरियम तथा वनस्पति उद्यान की स्थापना करना। ईको क्लब के गठन के माध्यम से स्कूलों में शिक्षा देना। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उपेक्षित उद्यानों का विकास करना। सी.ई.पी.आर.डी. संस्था ग्लोबर वॉटर पार्टनरशिप स्टाक होम में सदस्य है, यह संस्था विश्वस्तरीय, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र मे सक्रीय है, साथ ही संस्था विश्व प्रकृतिनिधि, केन्द्रीय भू-जल आयोग, केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडल एंव पर्यावरण नियोजन व समन्वय संगठन का सक्रीय सदस्य है। संस्था को दसवीं स्टॉक होम वॉटर सिम्पोजियम तथा सलाहकार समूह की पाँचवी वार्षिक बैठक में वर्ष २००० में आपंत्रित किया गया जिसमें मालवा, निमाड़ इन्टीग्रेटेड वॉटर पार्टनरशिप कान्सेप्ट एवं प्लान प्रस्तुत किया गया है। संस्था द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन कर परामर्श सेवा का लाभ इंदौर के विकास हेतु किया है। संस्था ने विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के अर्न्तगत डॉ. अफरोज अहमद-परामर्श, डॉ. आर. एल. सहानी-उर्जा, श्री आर.एस. गट्टानी-मानव बसाहट, डॉ. राकेश त्रिवेदी-ईको स्टेट, डॉ. टी. एस. सिहोरवाला - प्रदूषण, डॉ. आर. के. श्रीवास्तव-जलप्रबंधन, डॉ.ओ.पी.जोशी-शिक्षा एवं प्रोफेसर रमेश मंगल जनचेतना विभाग के संचालक नियुक्त किए गए। इसी प्रकार संयोजक योजना/फोरम के अर्न्तगत डॉ. कल्पना गांगुली-महिला, श्री अनिल भंड़ारी-उद्योग, श्री नीलमाधव भुसारी बालक(शालेय), डॉ. महेन्द्र नागर-नवयुवक (उच्चशिक्षा), श्री महेन्द्र महाजन-स्वच्छ इंदौर, श्री एम.एच.गोगटे - हरित इंदौर, श्री शिशिर के पण्डित - जैव विविधता, श्री व्ही. के. गुप्ता-ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, श्री जगत नारायण जोशी -यातायात प्रबंधन, डॉ. बैहजाद अहमद-वन्य प्राणी, डॉ. संतोष पाटीदार पर्यावरण प्रभाव आकंलन नियुक्त किए गए। संस्था द्वारा पर्यावरण विकास (पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, इंदौर का मासिक प्रकाशन) सितम्बर २००१ से प्रकाशन निरंतर उत्कृष्टता एवं संस्थागत उद्देश्यों के अनुरूप किया जा रहा है। संस्था द्वारा सीमित आर्थिक संसाधनों के होते हुए भी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

७ .विचाराधीन सिटीजन्स मास्टर प्लान का स्थापत्यवेद के सिद्धांतो से विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन हेतु विशलेष्णात्मक अध्ययन :-

महानगर परिक्षेत्र इंदौर के लिए विकास के बारे में एक दीर्घकालिक, सुनियोजित कार्य योजना बनाकर उसे जमीनी स्त्र पर करवानें संबंधी एक नीतिगत कानून बनानें की आवश्यकता इसलिए होगी कि दिल्ली, मुम्बई आदि अन्य महानगरों की भी स्थिति समस्यविहिन नहीं है। किसी भी शहर यां ग्राम के नागरिक जब तक स्वयं द्दढ इच्छा शक्ति से न चाहें जब जक वहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारना अत्यन्त दुष्कर व लड़ाई करने जैसा प्रतीत होता है जिसके फलस्वरूप न सिर्फ मानव श्रम अपितु जनता की गाढी कमाई रूपी सरकारी धन का अपव्यय, जनता द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारने में खर्च होता है। जैसे-शराब व अन्य नशीली वस्तुओं के साथ सिगरेट, गुटका आदि के विक्रय से होने वाली करोंड़ो रूपये की सरकारी आय की तुलना में इन वस्तुओं से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए आर्थिक, सामाजिक अपराधों का खामियाजा तथा स्वास्थ सेवाओं पर खर्च आदि के रूप में बहुत ज्यादा है व समाज के लिए घातक भी है परंतु जनता व शासन दोनों ही इसका उपभोग कर रहें हैं।

स्थापत्यवेद के ज्ञान को नगरों, ग्रामों आदि के नियोजन में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस शोध ग्रंथ में स्थापत्यवेद के बताए गए मान्य सिद्धातों के अनुसार विकास के प्रमुख बिंदुओं जैसे नगर व ग्रामों का स्थल चयन, आकार, माप दण्ड, कार्य विशेष हेतु स्थल के अनुरूप संरचना का निर्माण, जातक विशेष हेतु स्थल चयन से लेकर विशेष माप व प्रकार के भवनों के बारें में आयादि गणितीय सूत्रों आदि का समायोजन कर आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में हुई नई तकनीक तथा निर्माण साम्रगी के उपयोग में, समन्वय स्थापित कर, विचाराधीन इंदौर सिटीज़न्स मास्टर प्लान-२०२५ का स्थापत्यवेद के सिद्धांतों से नियोजन हेतु विश्लेषणात्मक अध्ययन मे विशेष बिंदुओं पर जैसे अधोसंरचना विकास,पर्यावरण विकास व संतुलन, जल प्रबंधन, भूमि विकास नियमन का पुर्नगठन

तथा वित्तीय प्रबंधन पर लिया गया है।

७.१ अधोसंरचना विकास :-

मालवा की माटी पर लोकाक्ति मालवा धरती गहन गम्भीर, पग–पग रोटी डग–डग नीर4 स्वत: ही अधोसंरच विकास की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने का मूल साधन प्रमाणित करता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकत रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्मि की व्यवस्था करना सबसे पहला मानव धर्म है। यह दायित्व घर के मुखिया से लेकर समाज, सरकार व अंतत: राष्ट्राध्यक्ष का होता है। आजादी से पूर्व राजा–महाराजाओं के काल में अधोसंरचन का विकास उल्लेखनिय रूप से अधिक व्यवस्थित व दीर्घकालिक हुआ जिसका प्रमाण हमें पुरानें किलों, स्मारकों निर्माण आदि के पीछे, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काम तो देना होता ही था साथ ही विभिन्नकला के विकास हेतु भी इन्हें बनवाया गया। ताजमहल जैसी कृतियाँ बार–बार नहीं बनती हैं। अन संरचनाओं के कला के विकास हेतु भी इन्हें बनवाया गया। ताजमहल जैसी कृतियाँ बार–बार नहीं बनती हैं। अन संरचनाओं के विका में स्थापत्यवेद के ज्ञान को सम्भवत: सबसे अधिक समाहित किया गया यह इससे भी प्रमाणित होता है कि स्थापत्यवे के मूलग्रंथो का प्रकाशन व उनका अनुवाद हुआ है जिसमें राजा को प्रधान माना गया है व उसी संदर्भ में ग्रंथो में मा आदि का वर्ण मिलता है यहाँ तक की राजाओ के प्रकार के अनुरूप उनके राज्य की बसाहट आदि के माप दण्डों साथ विशेष संज्ञाओं युक्त नगर, ग्राम व गृह बताए गए हैं। कहा जाता है कि उस समय आम जनता सुकून महसू करती थी। राजा को अपना पालक मानकर अपने कर्तव्य में रत होती थी। राज आज्ञा का उल्लघंन गंभीर अपरा माना जाकर सामाजिक द्दष्टि से भी अच्छा नहीं कहा जाता था। वहीं दूसरी और राजा की न्यायप्रियता पर लोंगो पूर्ण विश्वास था। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि उस समय किया गया विकास पूर्णत: स्थापत्यवेद के अनुसार कि गया था ,अन्यथा आपसी युद्ध ना होते व अंतत: उनका राज–पाट न जाता यह अलग शोध का विषय हो सकता। परंतु यह महत्व पूर्ण है कि उस समय जीवन शैली के कारण हो या अन्य कारण से लोगों की जीवन में जो सुकून थ उसकी आज हम कमी महसूस करते हैं चाहें वह बचपन ही क्यों न हो।

(अ) मार्ग नियोजन :-

भारतवर्ष का अगर हम सड़क मानचित्र उठाकर देखें तो पहली ही नजर में दिखता है कि न जाने क्यूं देश सभी राष्ट्रीयव राज्य मार्ग आदि दिशा अनुरूप अर्थात् न तो उत्तर–दक्षिण दिशा के समान समानान्तर है, न ही पूर्व पश्चिम दिशा के यहॉ तक कि विगत वर्षो में निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में भी इसका आकार चतुर्भुज की परिभाषा के अनुरूप नहीं है जबकि सिविल इंजीनियरिंग में दिशा सूचक के बारें में भलीभाँती बताया गया है। देश की इन दिशा विहिन सड़को के निर्माण के फलस्वरूप विभिन्न संरचनाऐं भी इनके समानान्तर व निर्मित होती चली ग जिसक अंतत: परिणाम दिया विहिन समाज के रूप में प्राया: द्दष्टिगोचर होता है। पहुँच मार्गो को छोड़कर शेष सड़क का ले आउट दिशा अनुरूप होने पर निर्मित होने वाली सरंचनाओं में उर्जा का समवितरण होने से अधिक समृ प्रदान करने वाली होगीं।

नगर एवं ग्राम निवेश विभाग तथा ईसरो द्वारा मार्ग नियोजन संबंधी कराए गए संरक्षणव अध्ययन संबं आंकड़े व प्रस्ताव पर स्थापत्यवेद के सिद्धांतों से विचार कर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

मार्ग संरचना की विशिष्टताएँ :–इंदौर शहर में विगत पाँच वर्षो में सड़क व चौराहों के पुर्ननिर्माण का उल्लेखनिय कार्य किया गया है जिसके कारण आगे बताए गए आंकड़ो में परिवर्तन हो चुका है, जिसकी अद्यत जानकारी के अभाव में उपलब्ध आंकड़े ही बताए गए हैं।

मार्गो का विवरण मार्ग संरचना की विशिष्टताओं के संबंध में अध्ययनों से मार्गों की वर्तमान क्षमता तथ वर्तमान समस्याओं का आंकलन किया जा सकता है तथा मार्ग संरचना में सुधार संधी आंकलन किए जाने में मदद मिलती है।

मुख्य मार्गों की विशिष्टताओं के विशिष्टताओं के संबंध में सर्वेक्षण की जानकारी से यह ज्ञात होता है कि क्षेत्रिय मार्गों की चौड़ाई २७ मीटर से ६४ मीटर तथा नगरीय मार्गों की चौड़ाई १६ मीटर से ३४ मीटर तक उपलब्ध है। अधिकांश मार्गों पर मार्ग विभाजक नहीं है। मध्य क्षेत्र में स्थित मार्गों जैसे, एम. जी. रोड़, सुभाष मार्ग इत्यादि पर मार्गों की चौड़ाई में अतिक्रमण पाए गए हैं।

मार्गों की गुणवत्ता :-(Level of scrvice) सीईएस दिल्ली द्वारा किये सर्वेक्षण के आंकड़ो से पता चलता है कि सबसे ज्यादा यातायात का भारी दबाव धार रोड़, हाथी पाला, माणिक बाग, सुखनिवास, बांणगंगा, रविन्द्रनगर, भँवरकुँआ, कल्याण मिल रोड पर है। अन्य क्षेत्रिय नगरीय व मध्य क्षेत्रिय की सड़को पर सबसे अधिक क्षमता (पीसीयू प्रति घण्टा) एम.जी.रोड़ पर ४९०० है।

वाहनों की गति एवं रूकावट संबंधी विशिष्टताएं :- वाहनों की गति यातायात का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मार्ग संरचना के आंकलन हेतु वाहनों की गति ज्ञात होना आवश्यक है। सीईएस, दिल्ली द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि मध्य क्षेत्र में ७१ प्रतिशत मार्गों पर वाहन की गति २० कि.मी. प्रति घण्टा से भी कम हैं। मध्य क्षेत्र के बाहर स्थित मार्गों में से ७७ प्रतिशत मार्गों पर वाहनों की गति २० कि.मी. प्रति घण्टा से अधिक है। रिंग रोड़ पर यह गति ४० कि.मी. प्रति घण्टा तथा ए.बी. रोड पर ३२ कि.मी.प्रति घण्टा पाई गई है। क्षेत्रीय मार्गो की तुलना में नगरीय मार्गो पर वाहन की गति कम है। नगरीय मार्गों में अन्नपूर्णा मार्ग पर अधिकतम (३१.६ कि.मी प्रति घण्टा) तथा एम.जी रोड पर न्यूनतम गति (१६.९ कि.मी. प्रति घण्टा) पायी गयी है। एम. जी. रोड पर अधिकतम रूकावट (Delay)(१०८ सैकन्ड) पाई गई है।

उपरोक्त मुख्य क्षेत्रीय शहरीय व नगरीय मार्गों की लंबाई, चौड़ाई व उसकी गुणवत्ता एवं वाहनों की गति एवं रूकावट संबंधी विशिष्टताएं आंकड़ो से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि अधिकांश मार्गो पर यातायात के भारी दबाव तथा विभाजित व अविभाजित दानों ही मार्गो पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए मध्य में चार पहिया वाहन चलतें हैं तथा बायीं और से वाहन ओवर टेक करते हैं तथा दुर्घटनाओं की अधिक संख्या के साथ वाहनों की गति भी अपेक्षाकृत कम हैं। यातायात नियमों के तहत, सायकल, ठेला आदि के चालकों के लेन में चलेंने का मात्र प्रतिशत देकर ही नहीं वरन् सख्ती से पालन कराए बगैर उनकी आदत में सुधार करने तक यातायात समस्या का स्थायी समाधान सम्भव नहीं है। इन मार्गो पर न्यूनतम पहुँच मार्गो का संगम होना चाहिए।

मिनी बसों के संचालन कि विशिषताएँ :- सीईएस दिल्ली द्वारा किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि इंदौर में नगर सेवा के नाम पर मिनी बसें १९ मार्गों पर संचालित हो रही हैं। जिन पर २६३ बस संचालक विभिन्न मार्गों पर से बसें संचालित करते हैं इसकेअतिरिक्त टेम्पों व आटो भी प्रयुक्त होतें है। अध्ययन से पता चलता है कि टेम्पों व आटो की तुलना में मिनी बसों का महत्पुर्ण योगदान है

जन यातायात पद्धति की उक्त वर्णित स्थिति व हाल ही में शहर में टेम्पो संचालन बंद किए जाने संबंधी आदेशों के परिपेक्ष्य में सार्वजनिक यातायात प्रणाली की एक सुलभ, सस्ती व द्रुतगति युक्त सामुहिक यातायात योजना बनाना होगी जिसमें पर्यावरण हितैषी बायोडीज़ल या अन्श वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करना श्रेयस्कर होगा। सबसे पहले तो भविष्य मे जाने वाली मानव बसाहट तो कम से कम इस प्रकार हो कि नागरिकों को अपने कर्त्तव्य स्थल के निकट ही रहें व उन्हें न्यूनतम मात्रा करनी पड़े एवं यातायात हेतु वे निजी वाहनों का न्यूनतम प्रयोग करें जिससे कम से कम प्रदूषण हों।

बस स्थानक :- वर्तमान में चार बस स्थानक सरवटे, गंगवाल, जिन्सी, नवलखा विद्यमान है जिनसे प्रतिदिन २४६९ लोग यात्रा करते है, सबसे अधिकतम ६५% यात्रि सरवटे बस स्टेन्ड पर आते है।

स्थापत्यवेद के सिंद्धातों से बस स्थानक हेतु शहर के उत्तर-पश्चिम में बनाना बताया गया है। प्रत्येक वार्ड, क्षेत्र विशेष के उत्तर-पश्चिम दिशा में वर्तमान में कार्यरत चारों बस स्टेण्ड के अतिरिक्त मुख्य मार्ग क्र.२ व १० के संगम पर तथा दूसरा रयोमा लेबोरेटरी के समीप ए.बी. रोड़ (विजय नगर) पर व तीसरा चौईथराम अस्पताल के समीप रिंगरोड़ पर नए बस स्थानक प्रस्तावित है जो अर्न्तराष्ट्रीय/क्षेत्रीय बस स्टेण्ड के रूप में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त नगरीय सेवा हेतु पिकअप स्टेशन के रूप में आवश्यक सुविधाऐं भी यहाँ पर विकसित की जा सकेगी। नगरीय सेवा हेतु निम्नलिखित स्थानों पर पाँच पिकअप स्टेशन भी प्रस्तावित किए गए हैं। जिन्हें अर्न्तराष्ट्रीय पिकअप स्टेशन के रूप में विकसित किया जा सकेगा। ये लसूड़लिया मोरी के समीप ए.बी.रोड़ पर, राउ के समीप ए.बी.रोड़ पर. देवगुराड़िया रोड़ पर, धार रोड़ पर व उज्जैन रोड़ पर प्रस्तावित हैं। इन सभी प्रस्तावित योजिनाओं को

स्थापत्यवेए के सिंद्धातों से बनाया जाना चाहिए।

रेलस्थानक :- महारानी रोड़ स्थित नगर का रेल्वे स्थानक शहर के मध्य क्षेत्र में होने से जहाँ यात्रियों को सुविधाजनक है वहीं दूसरी ओर समस्या देने वाली भी है। अत: इस पर भार कम करने की आवश्यकता है। इस स्टेशन के दो द्वार है एक महारानी रोड की ओर तथा दुसरा सरवटे बस स्टेण्ड की ओर है। इस पर ६११९२ यात्री प्रतिदिन अनुमानित आते हैं तथा एक्सप्रेस व सवारी गाड़ियों को मिलाकर ४९ रेल गाड़ी प्रतिदिन यहाँ से गुजरती है।

माल आवागमन के स्थानक :- मालआवागमन से संबंधित गतिविधियाँ भँवरकुँआ के नजदीक मुख्य ट्रांसपोर्ट नगर स्थित है। इस १५ हेक्टर क्षेत्र में फेले स्थानक २०० ट्रक व स्थानीय विक्रण में तिपहिया वाहन आते है ए.बी. रोड में भी माल आवागमन अनियंत्रित रूप से संचालित होती है जिन्हें नियंत्रित व नियोजित कर व्यवस्थित किया जाना आवश्यकहै। ट्रांसपोर्ट नगर की सड़के व ड्रेनेज व्यवस्था अत्यन्त खराब स्थिति में है जिसे अब जन भागीदारी से बनाने का प्रस्ताव है। भविष्य में निर्मित होने वाली समस्त सड़कों के निर्माण से पूर्व ही ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक करना तथा पाईप लाईन व विभिन्न प्रकार के केबल डालने के लिए पाईप डालने तथा पुलिया बनाने का काम किया जाना चाहिए ताकि जल जमाव न हो।

प्रस्तावित यातायात पद्धति :- किसी भी नगर की मार्ग संरचना के भावी स्वरूप एवं नगरीय संरचना का निर्धाण करती है। वाहनों की संख्या, जन परिवहन व्यवस्था एवं दुर्घटनाओं के आंकड़े यह दर्शातक हैं कि भावी यातायात संरचना सुरक्षित, विश्वसनीय एवं नगर की संरचना को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए। व्यवस्थित जन परिवहन व्यवस्था शीघ्र प्रारंभ की जानी चाहिए जिससे कि निजी वाहनों की संख्या में कमी आ सके।

नगर की भावी यातायात संरचना क्षेत्रीय, अंर्तनगरीय एवं स्थानीय यातायात को दृष्टिगत रखते हुए नियोजित की गयी है। विभिन्न कार्यकेन्द्रों एवं निवेश इकाईयों को प्रभावी यातायात पद्धतिसे जोड़ा गया है। इंदौर निवेश क्षेत्र हेतु प्रस्तापित यातायात संरचना मानचित्र ४.१ से दर्शाई गई है। प्रस्तावित यातायात संरचना में मुख्यत: निम्न बिंदुओं का समावेश किया गया है। प्रस्तावित रोड़ क्र. आर.ई. २ व आर. ई ३ को जो लगभग उत्तर दिशा के समानान्तर है, को पूर्णत: को समानान्तर करने एवं इंदौर शहर के आयताकार आकार में मानत्रित में बताए अनुसार इन प्रस्तावित सड़कों को हर सम्भव पूर्व-पश्चिम दिशा के भी समानान्तर बनाया जाना चाहिए। राजमार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के साथ अंधे मोड़ एवं दुर्घटना स्थलों पर सड़कों को ठीक किया जाना चाहिए। मुख्य नगर मार्ग वृत्त खण्ड व अन्य सभी प्रकार के मार्गो की चौड़ाई तथा उनके क्राँस सेक्शन के अनुरूप निर्माण में इनकी गुणवत्ता एवं जल मल निकास व केबल आदि डालने की व्यवस्था पूर्व से ही करने से इसे पुन: नहीं खोदना पड़े, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

रेल्वे लाईन नगर के मध्य से गुजरती है जो कि स्थानीय यातायात में बाधक है। सुचारू रूप से यातायात संचालन हेतु यह आवश्यक है कि मुख्य रेल्वे क्रांसिंगो पर पुलों का निर्माण किया जावें। प्रस्तावित रेल पुल निम्नानुसार है:

१. राउ-पीथमपुर मार्ग एवं इंदौर-महू के क्रासिंग पर
२. रिंग रोड एवं इंदौर-महू रेल्वे क्रासिंग
३. पश्चिम रिंग रोड एवं इंदौर-महू रेल्वे क्रासिंग (तेजपुर गडबड़ी गाँव में)
४. माणिकबाग रोड़ एवं इंदौर-महू रेल्वे क्रासिंगसमानान्तर रखते हुए सन् २०५० तक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ड़िजाईन करना चाहिए।

रेल्वे लाईन :- इंदौर नगर से दो रेल्वे लाईन गुजरती है। इंदौर से उज्जैन एवं देवास रेल्वे लाईन बड़ी लाईन है जबकि इंदौर-अजमेर-महू रेल्वे लाईन मीटरगेज है। वर्तमान में उक्त रेल्वे कारिडोर अन्तरनगरी यातायात सेवाओं हेतु प्रयुक्त होते है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तिावित है कि इन रेल्वे लाइनों की क्षमता बढाई जाना चाहिए तथा इंदौर-उज्जैन, इंदौर-देवास एवं इंदौर-महू के बीच उपनगरीय रेल्वे सेवा चलाई जावे।

इंदौर महानगर परिक्षेत्र में चार नगर पालिकाओं इन्दौर, उज्जैन, देवास वि धार तथा दो औद्योगिक नगर पीथमपुर व मांगलिया तथा सात उपनगरीय पंचायत स्थल महू, राउ, बेटमा, हातौद, देपालपुर, गौतमपुरा और सांवेर के मध्य रेल सेवा हेतु हर सम्भव प्रयास किए जाने चाहिए।

इंदौर जन परिवहन पद्धति (आइएमटीएस) :- इंदौर की प्रस्तावित जन यातायात पद्धति में विभिन्न मार्गों पर बसें तथा रेल आधारित जन परिवहन सुविधा सीईएस, दिल्ली द्वारा किए गए अध्ययन में दिए गए प्रस्तावों के

अनुसार प्रावधानित की जायेगी। जन परिवहन पद्धति आधारित मध्यम क्षमता वाली एकीकृत रेल या बस सुविधा महानगर परिक्षेत्र हेतु की जानी चाहिए।

बस आधारित पद्धति :- सीईएस, दिल्ली द्वारा किए गए अध्ययनों अनुसार वर्ष २०२५ में प्रतिदिन की आवश्यकता लगभग १२ लाख यात्रियों कक आवागमन की होगी। जिनके व्यवस्थित आवागमन हेतु लगभग ४७८ बसें आवश्यक होंगी। इन बसों के रखरखाव हेतु पाँच बस डिपो तथा एक वर्कशाप की आवश्यकता होगी। एक केन्द्रीय टर्मिनल भी आवश्यक होगा जो कि विकास योजना में प्रस्तावित नगरीय केन्द्र का भाग होगा। इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे टर्मिनल केन्द्र भी आवश्यक होंगे। इन टर्मिनलों के आकार एवं स्थल का निर्धारण विस्तृत अध्ययन किया जायेगा। विकास योजना में प्रस्तावित टर्मिनलों के अतिरिक्त यदि भविष्य में अन्य टर्मिनल आवश्यक होंगे तो वे नगरीय केन्द्र/निवेश इकाई केन्द्र अथवा अन्य उपयोगों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे। रिंग रोड एवं अन्य मुख्य नगरीय मार्ग, जो कि विभिन्न कार्य केन्द्रों को आपस में जोड़ते है, मुख्य जन यातायात मार्ग होंगे।फ्लिहाल फरवरी ०६ से नगर निगम द्वारा नियंत्रित ,इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट आथरटी द्वारा शहर में ५ अत्याधुनिक सिटी बसें, .. मार्गो पर प्रारंभ कर दी गई है।२० ओर सिटी बसें, १५ मार्गो पर शीघ्र चलाने की योजना है।नगनि व प्रशाासन का यह संयुक्त प्रयास सराहनीय है।

रेल पद्धति :- रेल आधारित जन परिवहन पद्धति भी नागरिकों के लिए विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगी। शासन द्वारा निर्धारित संस्था से रेल आधारित जन परिवहन पद्धति विकसित करने तथा जन परिवहन मार्गों का निर्धारण करने हेतु विस्तृत अध्ययन कराया जाना प्रस्तावित है। विस्तृत अध्ययनों उपरांत पद्धति नगर में विकसित किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि इस पद्धति में आधारभूत अधोसरंचना तथा स्थान की आवश्यकता अपेक्षाकृत रूप से कम है। अन्य पद्धजियों से इस पद्धति का तुलनात्मक विवरण सारणी ४.१९ दिया गया है सारणी ४.१९ जन परिवहन पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन

क्र.	विवरण	बस	एलआरटी	लोकल ट्रेन
१.	क्षमता (व्यक्ति प्रतिघंटा)	३०००	२१६००	४००००
२.	चौड़ाई (मीटर)	३.५	३.२	४.७
३.	गति (कि.मी. प्रति घंटा)	१२-१८	२४-३०	३६-४५
४.	हेड-वे (सेकण्ड में)	४०	६०	१२०

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि एलआरटी हेतु न्यूनतम चौड़ाई आवश्यक है जबकि इसकी क्षमता अन्य पद्धजियों से अधिक है। यह भी प्रस्तावित है कि विकास योजना में प्रस्तावित ६० मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गो पर भविष्य में एलआरटी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इस सुविधा को समाहित करने हेतु एलआरटी संचालकों से विचार-विमर्श उपरांत मार्गों का क्रास सेक्शन पुर्ननिर्धारित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित है कि इंदौर से देवास, महू एवं पिथमपुर के मध्य रेल शटल सेवा प्रारंभ की जाय। महानगर परिक्षेत्र के नगरों व उपनगरों में बीच शटल सेवा आवश्यकतानुसार दी जानी चाहिए।

टर्मिनल केन्द्र :- किसी भी महानगर में यत्र-तत्र विभिन्न प्रकार के कई ट्रांसपोर्ट नगर एवं बस स्टेण्ड विकसित हो जातें हैं। विकास योजना में यह प्रयास किया गया है कि इन टर्मिनल केन्द्रों को व्यवस्थित रूप से क्षेणीक्रम मे उचित स्थानों पर विकसित किया जाय।

माल आवागमन :- मालों के आवागमन हेतु नगर में निम्नलिखित स्टेशन टर्मिनल केन्द्र के रूप में भविष्य में भी कार्यरत रहेंगे।

१. मुख्य रेल्वे स्टेशन
२. राजेन्द्र नगर
३. लक्ष्मीबाई नगर
४. राउ

उपरोक्त के अतिरिक्त मार्गों से माल आवागमन हेतु निम्नलिखित ट्रांसपोर्ट नगर / ट्रक टर्मिनल विकास योजना में प्रस्तावित है।

१. लसुडिया मोरी (ट्रांसपोर्ट नगर)
२. ग्राम मुंडला नयता में बायपास पर (ट्रांसपोर्ट नगर)
३. पश्चिम रिंग रोड एवं धार रोड क्रासिंग (ट्रक टर्मिनल)
४. सावर रोड पर पश्चिम रिंग रोड क्र. ३ के मार्ग संगम पर (ट्रक टर्मिनल)
५. ए.बी. रोड के उत्तर में बाय पास के मार्ग संगम पर (ट्रक टर्मिनल)
६. ग्राम राउ में ए.बीए रोड पर (ट्रक टर्मिनल)

ट्रांसपोर्ट नगर में विभिन्न सुविधाएं जैसे यातायात अभिकरण, कार्यालय, पेट्रोल पंप, सेवा केन्द्र, दुकानें गोडाउन, तोल कांट, स्पेयर पार्ट की दुकानें एवं स्वल्पाहार गृह इत्यादिरहेंगे।

मुंडला नयता में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। प्रथम चरण में ८० हेक्टर भूमि पर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करना आवश्यक है जिसका कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार और विकास किया जा सकेगा। यहाँ पर कुल भूमि लगभग २५० हेक्टर ट्रांसपोर्ट नगर के विकास हेतु प्रस्तावित है।

यात्री अवसान केन्द्र

रेल :- रेल आधारित यात्री अवसान केन्द्रों में इंदौर नगर स्थित रेल्वे स्टेशन मुख्य अवसान केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। अन्य रेल्वे स्टेशन इसके सहायक के रूप में कार्य करेंगे।

बस :- नगर में वर्तमान बस स्टेन्ड निम्नलिखित स्थलों पर कार्यरत है:

१. धार रोड पर गंगवाल बस स्टेन्ड
२. ए.बी. पर नवलखा बस स्टेन्ड
३. रेल्वे स्टेशन के समीप सरवटे बस स्टेन्ड

उपरोक्त तीन बस स्थानकों में से सरवटे बस स्टेन्ड स्थानीय यातायात हेतु केन्द्रीय टर्मिनल के रूप में कार्य करेगा तथा अन्य दो बस स्थानिक भविष्य में पार्किंग सह वाणिज्यिक गतिविधियों में परिवर्तित किए जा सकेंगे। अंतर्राज्यीय बस स्टेन्ड निम्नलिखित तीन स्थानों पर प्रस्तावित है :

१. मुख्य मार्ग क्रमांक २ एवं मुख्य मार्ग क्रमांक १० के संगम पर
२. रसोमा लेबोरेटरी के समीप ए.बी. रोड पर
३. चोइथराम अस्पताल के समीप रिंग रोड पर उपरोक्त बस स्टेन्ड क्षेत्रीय/अंतर्राज्यीय बस स्टेन्ड के रूप में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त नगरीय सेवा हेतु पीक अप स्टेशन के रूप में आवश्यक सुविधाएं भी यहाँ पर विकसित की जा सकेगी। नगरीय सेवा हेतु निम्नलिखित स्थानों पर पाँच पीक अप स्टेशन भी प्रस्तावित किए गए जिन्हें अंर्तराज्यीय बसों हेतु पिक अप स्टेशन के रूप में भी विकसित किया जा सकेगा।

१. लसुडिया मोरी के समीप ए.बी.रोड़ पर
२. राउ के समीप ए.बी. रोड पर
३. देवगुराडिया रोड
४. धार रोड
५. उज्ञैन रोड

हवाई अड्डा-

नगर के पश्चिम दिशा में स्थित वर्तमान हवाई अड्डा केवल घरेलू हवाई यात्रा हेतु प्रयुक्त हो रहा है। दिल्ली एवं बम्बई तथा वापसी की यात्राएं इस हवाई अड्डे से की जा सकती है। हालांकि वर्तमान में इस हवाई अड्डे पर हवाई यातायात ज्यादा नहीं है फिर भी भविष्य की हवाई आवश्यकाओं को द्दष्टिगत रखतें हुए आवश्यक भूमि वर्तमान हवाई अड्डा परिसर के आसपास इसके विकास एवं विस्तार योजना में आरक्षित की गयी है। इस हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण तथा अन्य अधोसंरचना का विकास निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

महानगर मे यत्र-तत्र बस स्टेण्ड व ट्रांसपार्ट नगर के स्थान पर बताए अनुसार टर्मिनल रेल व बस यात्री अवसान केन्द्र बनाए जाने चाहिए।

इंदौर महानगर परिक्षेत्र हेतु एक सर्वसुविधा युक्त अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विस्तार कर बनाने की स्वीकृति लगभग हो चुकी है इसे भी स्थापत्यवेद के अनुसार बनाया जाना अधिक श्रेयस्कर होगा। दिनांक २६.७.०५ को

दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित म.प्र. निवेश बैठक में भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने संबंधी इकरार नामा किया, इस हेतु १३५ एकड़ भूमि अधिग्रहित कि जावेगी। विमान तल के समीप कोर्डिया बर्डी, सिंहासा तथा नैनोद ग्राम की भूमि अधिग्रहित होगी, जिससे १३३किसान प्रभावित हेांगे। ५ करोड़ की मुआवजा राशि प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है। भू अर्जन अधिनियम की धारा ५ के तहत सरकार कार्यवाही करती हैं।

पार्किंग नीति :- वर्तमान में पार्किंग की समस्या नगर के मध्य क्षेत्र एवं अन्य कार्य केन्द्रों के समीप बहुत अधिक है। आने वाले समय में यह समस्या और भी विकराल स्वरूप धारण करेगी जिसका एकमात्र यही हल होगा कि प्रभाजी जन परिवहन व्यवस्था विकसित की चायें एवं यातायात के प्रबंन्धन हेतु योजना तैयार की जायें। नगर की पार्किंग समस्याओं के निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि पार्किंग की एक विस्तृत योजना बनाई जाय और उसका चरणवार क्रियान्वयन किया जाय। इन तरह की योजना में मुख्य घटक निम्नानुसार होंगे :

अ. पार्किंग के नियमन/मानक निर्धारित किए जाकर उनको पारिक्षेत्रिक नियमनों का भाग मानकर लागू किया जाये।

ब. सड़को के किनारें पार्किंग हेतु स्थली का चयन कर उनका उचित रखरखाव किया जावें।

स. सड़को से हटकर भी पार्किंग हेतु स्थलों का चयन कर उनका विकास किया जावें।

द. पार्किंग सुविधाओं के नियोंजन एवं विकास तथा उनके रखरखाव हेतु संस्थागत प्रयास किए जायें।

पार्किंग सुविधाएं (सड़ाकों से दूर) :- नगर में बढती हुई पार्किंग की आवश्यकताआकि नगर में स्थित सभी प्रमुख मार्ग संगमो पर यातायात सिग्नल लगाए जाकर उन्हें सिन्क्रोनाइज किया जावे तथा इन सिग्नलों के प्रबंधन हेतु केन्द्रीय यातायात नियंत्रण योजना तैयार की जाये। भविष्य की आवंश्यकताओं एवं यातायात दबाव तथा स्थल विशेष की वर्तमान परिस्थितियों को मद्दे नजर रखतें हुए प्रमुख मार्ग संगमों पर फ्लाय ओवर निर्मित किया जाना भी प्रस्तावित है। ऐसे प्रमुख मार्ग संगमो का प्राथमिकता क्रंम में विवरण निम्नानुसार है:

१. रीगल चौराहा
२. चोइथरामअस्पताल चौराहा (रिंग रोड की ओर)
३. नवलखा चौराहा
४. उज्जैन रोड एवं पश्चिमी रिंग रोड के संगम पर
५. भँवरकुँआ चौराहा
६. धार रोड एवं पश्चिमी रिंग रोड क संगम पर
७. प्रताप प्रतिमा चौराहा
८. भँवरकुँआ मार्ग एवं बाह्य परिधि मार्ग के संगम पर
९. पूर्वी रिंग रोड एवं देवगुराडिया रोड के संगम पर
१०. देपालपुर एवं पश्चिम रिंग रोड के संगम पर
११. पूर्वी रिंग रोड एवं खंडवा रोड के संगम पर
१२. मालवा मिल चौराहा
१३. पूर्वी रिंग रोड एवं कनाडिया रोड के संगम पर
१४. विजयनगर चौराहा
१५. मरीमाता चौराहा
१६. पलसीकर चौराहा
१७. पूर्वी रिंग रोड एवं केशरबाग के संगम पर

इंदौर नगर में विगत पाँच वर्षो मे विभिन्न चौराहों विजयनगर, सायाजी, सूखलिया, स्टारलिट, कलेक्टर कार्यालय, महाराणा प्रताप चौराहा आदि का सराहनीय विकास किया गया है तथा रीगल चौराहा पर ग्रेड सेपरेटर तथा अन्य मार्ग संगमो पर फ्लायओवर ब्रिज बनाना प्रस्तावित है राजकुमार ओवरब्रिज योजना एक वर्ष पहले ही पूर्ण हो चुकी है व माणिक बाग रेल्वे ओवर ब्रिज का कार्य प्रगति पर है व अन्य स्थानों हेतु योजनाएँ विचाराधीन हैं जिन्हें स्थापत्यवेद के नियमों से बनाना अधिक श्रेयस्कर होगा।

पदचारियों हेतु सब–वे :– महाराज यशवन्तराव अस्पताल मार्ग पर तथा ए.बी. रोड पर निम्नलिखि स्थानों पर पैदल चलने वालों की सुविधा हेतु मार्ग को पार करेन हेतु सब वे निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

१. भँवरकुँआ चौराहा
२. नवलखा चौराहा
३. गीता भवन चौराहा
४. न्यू पलासिया चौरहा

पदाचारियों हेतु सबवे (पैदल पूल या पैदल मार्ग) मार्ग आवश्यकतानुसार बनाना चाहिए। ६५ दुकान के समीप एम.जी. रोड़ मार्ग पार करने हेतु लोहे का पुल बनाया गया है।

नदियों के उपर पुल :– नगर से गुजरने वाली नदियो के उपर विद्यमान पुलों का चौड़ीकरण में लालबाग के समीप खान नदी पर व भमौरी (रसोमा लेबोरेट्री) निर्मित पुल का कार्य हो चुका है कु तथा कुछ स्थानों पर नये पुलों का निर्माण प्रस्तावित है जिनका विवरण निम्नानुसार है:

विद्यमान पुलों का चौड़ीकरण

१. छावनी के सामीप रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग पर खान नदी पर निर्मित पुल
२. अहिल्याश्रम मार्ग पर खान नदी पर निर्मित पुल
३. मरीमाता चौराहा पर खान नदी पर निर्मित पुल

ग्राम कबीर खेड़ी के समीप पश्चिमी रिंग रोड पर खान नदी के उपर व ग्राम पालदा के समीप रिंग रोड पर खान नदी के उपर प्रस्तावित नये पुलों को निर्मा भी आवश्यक है।

संस्थागत प्रयास :– यातायात प्रबंधन योजना के विकास करने तथा उसके समन्वय हेतु यह आवश्यक है कि एक पृथक एजेंसी का गठन किया जाय। इसके अतिरिक्त संबंधित क्रियान्वयन संस्थाओं को भी प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं आवश्यक सुविधाओ की दृष्टि से और सुदृढ किया जाय व यातायात प्रबंधन योजना हेतु महानगर शहरीकरण प्रशासन के अधीन होना चाहिए।

संसाधन गतिशीलता:–यातायात सुविधाओं का विकास एवं क्रियान्वयन बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे संसाधनों का पता लगाया जायें जहाँ से कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें एवं यातायात सुविधाओं का निरंतर रूप से चरणवार विकास सुनिश्चित हों सकें। इस हेतु इंदौर यातायात विकास नीधि स्थापित की जा सकती है। यातायात सुविधाओं के विकास व क्रियान्वयन हेतु आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए दिल्ली की तर्ज पर इंदौर में भी प्रमुख मार्गो पर विज्ञापन बोर्ड लगाएं जिसमें मार्गो की जानकारी भी दी गई है, जो सराहनीय है इसी प्रकार अन्य आर्थिक संसाधन जुटाए जाने चाहिए।

स्थापत्यवेद के अनुसार मार्ग नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे सार्वजनिक, औद्योगिक व शासकीय भवन का नियोजन व्यवस्थित हो।

(ब)भवन निर्माण मानव बसाहट ,सार्वजनिक ,औद्योगिक व शासकीय भवनों का नियोजन:–

महानगर परिक्षेत्र में प्रत्येक नगर, ग्राम, वार्ड, कॉलोनी के लिए क्षेत्रीय व महानगर के अनुसार सार्वजनिक भवनों का निर्माण स्थापत्यवेद के सिद्धांतों से बनाना चाहिए। वर्तमान में भंडारी मिल के समीप बनी केन्द्रीय जेल को स्थानान्तरित कर नगर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सावेंर रोड़ पर ग्राम रेवती रेंज के समीप पहाड़ी पर नवीन केन्द्रीय जेल बनाने हेतु असीमित आकार स्थल चयनकर भूमि के आकार के अनुरूप ही आर.सी.सी. की उँची चार दिवारी का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। इस सार्वजनिक भवन व स्थल का स्थापत्यवेद के सिद्धांतों से विश्लेषणात्मक अध्ययन से पता चलता है कि इसके निर्माण के प्रारंभ से ही इंदौर में गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों में अधिक वृद्धि हुई है। **इस जेल के बन जाने व चालू होने पर प्रारंभिक अध्ययन के अनुसार शहर में अपराधियों की संख्या बढेगी, वे इस जेल में कुछ समय रहेंगे व जमानत कराकर या अन्य कारणों से अभियान से मुक्त होकर पुन: अपराध करेंगे।** इस जेल परिसर की भूमि का आकार भी असीमित समस्या प्रधान हैं। सार्वजनिक भवनों में हमें केट के विश्लेषणात्मक अध्ययन से पता चलता है कि इंदौर शहर के पश्चिम व दक्षिण–पश्चिम दिशा के मध्य स्थित है जो शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य हेतु स्थापत्यवेद में श्रेष्ठ स्थान माना गया है। इस परिसर की भूमि का एल

आकार कतिपय आंशिक वास्तु दोष युक्त है जिसका शोधन किया जा सकता है। इंदौर शहर मे चिकित्सा सुविधा के तहत आयुर्वेदिक पद्धति से ईलाजं हेतु पश्चिम क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक़ महाविद्यालय व चिकित्सालय कार्यरत है जिसके जीर्णोद्धार व विस्तार हेतु हाल ही में शासन द्वारा ५० लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। स्थापत्यवेद के सिंद्धातों के अनुसार उत्तर दिशा की ओर एक विशाल सर्वसुविधा युक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

स्थापत्य के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व इसके जिए भवनों का निर्माण, उद्योगों के प्रकार के अनुरूप किस स्थल पर बनाएं जाएं, बताया गया है। उत्तर दिशा में जल आधारित प्रदूषण रहित उद्योग, प्रदुषण फैलाने वाले उद्योग नैऋत्य दिशा में, दक्षिण- पूर्व दिशा में अग्निजीवी अर्थात् स्वर्णका, फाउण्ड्री व स्टील प्लान्ट दक्षिण दिशा में आदि में बनाने के बारें में बताया गया हैं। पीथमपुर, मांगलिया, देवा , घाटा बिल्लोद (धार), सांवेर, उज्जैन, पालदा, पोलो ग्राउन्ड आदि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान में कार्यरत हैं। इन क्षेत्रों का नियोजन, सुख-सुविधाएं आदि संतोषजनक नहीं हैं । इन्हें स्थापत्यवेद के सिद्धांतों से पुर्ननियोजित जा सकता है।

नवीन शासकीय भवनों का नियोजन व पुरानें भवनों में फेर-बदल व विस्तार करते समय यह सोच लेने की शासकीय भवनों को स्थापत्यवेद के अनुसार नहीं बनाया जा सकता, गलत है। शासकीय भवनों को भी स्थापत्यवेद के अनुसार नियोजित किया जानचाहिए।जनवरी २००६ में एक खबर के अनुसार ५ *तहसील कार्यालय व प्रशासनिक भवन निमार्ण* [१]शुरू किया जावेगा।इन्हें पूर्णतया स्थापत्यवेद से बनाया जा सकता है। विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से बनाए गए महिला पोलीटेकनिक एवं वैष्णव पोलीटेकनिक के विस्तार का कार्य लगभग ५०% स्थापत्यवेद के सिद्धांतों से संयोगवश किया गया है जिनकी निरंतर प्रगति इसे स्वत: प्रमाणित करती है। एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंजीनियरिंग कॉलेज के विस्तार एवं प्रवेश द्वार आदि में आंशिक फेर बदल के साथ नवीनीकरण वास्तु के अनुसार किए जानें के पश्चात् संस्था ने उल्लेखनीय प्रगति की है। अत: शासकीय भवनों के नियोजन में भी स्थापत्यवेद के सिद्धांतों समावेश किया जाना चाहिए।

(स) प्रदूषण रहित वैकल्पिक उर्जा स्त्रोत का नियोजन :-

उर्जा के पारम्परिक स्त्रोत कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज एवं जल विद्युत हैं तथा गैर पारम्परागत स्त्रोत सौर उर्जा, पवन उर्जा, बायो गैस, बायोमास मास उर्जा, ज्वारी उर्जा, भू-तापीय उर्जा व कचरें से उत्पन्न उर्जा हैं। केन्द्र व राज्य सरकारें उर्जा संकट के समाधान हेतु सतत प्रयत्नशील हैं इसके बावजूद सभी उर्जा स्त्रोत दिन-प्रतिदिन मँहगें होते जा रहे हैं साथ ही करोड़ो रूपए सब सीडी के रूप में देना पड़ रहे हैं। म.प्र. में स्थापित क्षमता एवं उर्जा परियोजना का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	विद्युत गृहों के नाम	इकाइयां (मेगावाट)	स्थापित क्षमता (मेगावाट)
		१ x ३०	
१.	अमरकण्टक ताप विद्युत् गृह चचाई	१ x ३०	२९०
		१ x २०	
		२ x १२०	
२.	सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह, सारनी	५ x ६२.५	१,०१७.५(+)
		१ x २००	
		३ x २१०	
३.	संजय गांधी ताप विद्युत् गृह, बीरसिंहपुर	२ x २१०	४२०
	कुल ताप विद्युत् क्षमता (म.प्र. का अंश)		२,९६७.५
४.	बाणसागर ओंस जल विद्युत् गृह, सिरमौर	३ x १०५	३१५
५.	रानी अविन्तबाई सागर जल विद्युत्	२ x ४५	९०

१समा.पत्र कत./२२)

	गृह, बरगी		
६.	बीरसिंहपुर जल विद्युत् गृह, बीरसिंपुर	१ x २०	२०
७.	लघुकृत जल विद्युत् गृह, रूद्री एवं मुरंद	१ x १.२	१.२
८.	गांधीसागर जल विद्युत गृह, गांधीसागर	५ x २३(+)	५७.५
९.	जवाहर सागर जल विद्युत् गृह, कोटा	४ x ४३(+)	८६
१०.	राणाप्रताप सागर जल विद्युत् गृह, कोटा	३ x ३३(+)	४९.५
११.	पेंच जल विद्युत् गृह, तोतलाडोह	२ x ८०(+)	१०७
	कुल जल विद्युत् गृह (म.प्र. का अंश)		८४६.२
	कुल ताप + जल (म.प्र. का अंश)		३,८१३.७

टीप: (+) चिह्नित विद्युत् गृहों के केवल म.प्र.वि.म. के अंश को दर्शाया गया है।

स्त्रोत : म.प्र.वि.मं., जबलपुर

राज्य में निजी क्षेत्र की उर्जा परियोजना का विवरण निम्नलिखित है:

विद्युत् परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	कम्पनी/एजेन्सी
क. ताप विद्युत् परियोजिना		
बीना ताप विद्युत् परियोजना, सागर	४ x २५० = १,०००	मै. बीना पॉवर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, भोपाल
ख. द्वि ईधन नेफ्था/गैस आधारित परियोजना		
ग्वालियर गैस (भाण्डेर) द्विईधन नेफ्था आधारित परियोजना, ग्वालियर	३३०	मै. एस्सार पॉवर (ग्वालियर) लिमिटेड मुम्बई
राजगढ द्विईधन नेफ्था आधारित परियोजना राजगढ	३३०	मै. अल्पाइन पॉवर सिस्टम लिमिटेड, इंदौर
गुना द्विईधन गैस/नेफ्था आधारित, गुना	३३०	मै. एस.टी.आई. पॉवर लिमिटेड, देवास
झाबुआ गैस द्विईधन नेफ्था आधारित विद्युत् परियोजना, झाबुआ	३३०	मै. केडिया पॉवर लिमिटेड, इंदौर
खण्डवा संयुक्त चक्र नेफ्था आधारित विद्युत् परियोजना, खण्डवा	१५०	मै. मध्य भारत इनर्जी कार्पो., नई दिल्ली
नरसिंहपुर संयुक्त चक्र आधारित विद्युत् परियोजना, नरसिंहपुर	१५०	मै. जी.बी. एल. पॉवर लिमिटेड, मुम्बई

जिसके अनुसार कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता ८४२ मेगावाट व ताप विद्युत उत्पादन क्षमता २९६[illegible] मेगावाट है। इसके अतिरिक्त १२५ मेगावाट बिजली इंदिरा सागर परियोजना पुनासा से प्रदेश को मिलना प्रारंभ हो गया है एवं यहाँ शीघ्र ही पूर्ण क्षमता १००० मेगावाट विद्युत उत्पादन होने लगेगा। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना से ६०० मेगावाट बिजली वर्ष २००७ तक मिलना सम्भावित है। म.प्र. की अन्य अनुबंधित योजनाओं में करार के अनुसार निजी क्षेत्र की ओर से कोई प्रगति नहीं हुई वहीं दूसरी और अनुबंध के अनुसार करोड़ो रूपए के दावे इन कम्पनियों ने विद्युत मंडल व शासन को प्रस्तुत किए हैं। अभी प्रदेश में मात्र २००० मेगावाट बिजली की कमी है। प्रस्तावित २००० मेगावाट के ताप विद्युत गृह जिसे म.प्र. व गुजरात सरकार मिलकर स्थापित करने हेतु अनुबंध कर चुकें हैं। इसके अतिरिक्त ३६० मेगावाट गैस आधारित विद्युत संयत्र

झाबुआ में स्थापित करे के लिए भी प्रस्ताव विचाराधीन है। इसी प्रकार खंडवा जिले की निमाड़खेड़ी या आसपास में २००० मेघावाट करोड़ की ताप विद्युत परियोजना का प्रस्ताव २००३ मे था,जो स्थापत्य के अनुरूप पृदेश के लिये हो सकता है। शहडोल जिलें में केन्द्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में मिथेन गैस मिले विशाल भंडार से ३००० मेगावाट बिजली उत्पादन की सम्भावना कर केन्द्र सरकार विचार कर रही है।

प्रदूषण रहित उर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों से उर्जा प्राप्त करने की एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर उस पर क्रियान्वयन करना होगा। इन वैकल्पिक स्त्रोतों में सौर उर्जा सभी जगह उपलब्ध है। मात्र २ वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर सोलर सेल लगाकर देश की आवश्यकता के अनुरूप १० लाख मेगावाट बिजली, अपरम्परागत उर्जा विभाग के आंकड़ों के मुताबित प्राप्त की जा सकती है। ठाणे महाराष्ट्र में सौर उर्जा संयंत्र सोलर फोटो बोल्टिक सेल भवनों में लगााना अनिवार्य कर दिया है जिससे होटलों आदि मे गरम पानी व ए.सी. आदि चलाने के लिए तथा एक सामान्य परिवार के लिए। २५ ली. पानी गर्म करने वाल सौर उर्जा संयत्र लगाने पर लगभग २० हजार खर्च कर संयत्र लगाए हैं। ठाणें की तरह इंदौर महानगर परिक्षेत्र मे भी सौर उर्जा आधारित गरम पानी के संयत्र तथा बिजली उत्पादन संयत्र लगाए जाने चाहिए। नगरीय व ग्रामीण निकाय, स्ट्रीट लाईट व्यवस्था के लिए सौर उर्जा संयत्रों को शहरों व ग्रामों में लगाएं जिससे बिजली संकट का स्थायी समाधान हो सके प्रदेश का सबसे बड़ा सौर उर्जा से पानी गमर करने का संयत्र भोपाल डेरी में स्थापित है।

पवन उर्जा रूपी वैकल्पिक स्त्रोत से एक अनुमान के अनुसार देश में २० हजार मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। देश मे सबसे बड़ा पवन टरबाइन तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास मुपाडल पेरूनगड़ी क्षेत्र में स्थापित है। इसकी सम्पूर्ण क्षमता४२५ मेगावाट है। महाराष्ट्र में कुल २४० मेगावाट की वृहत्तम पवन शक्ति परियोजना २०० मेगावाट की सितारा जिलें में है। टाटा, बजाज और भारत फोर्ज जैसी निजी क्षेत्र की कम्पनियों से भी महाराष्ट्र मे १० मेगावाट क्षमता वाली पवन शक्ति परियोजना की स्थापना की हैं। लेकन उर्जा संकट को देखते हुए राज्यों को इस दिशा में विशेष ध्यान देना होगा।

राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ इंदौर जिलें में हैं एवं पवन उर्जा की अपार सम्भावनाएं हैं।

"बायोगैस व बायोमास उर्जा" रूपी वैकल्पिक उर्जा स्त्रोत का उपयोगि मालवा परिक्षेत्र में किए जाने की अपार सम्भावनाएं हैं। प्रदेश में बायोमास से विद्युत उत्पादन की अब तक १३.५० मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की गईं हैं तथा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के तहत वर्ष २००१ तक कुल ६ हजार ३०० संयत्रों की स्थापना की जा चुकी है बायोगैस व बायोमास से विद्युत उत्पादन के संयत्र ग्रामीण व शहरीय क्षेत्रों मे स्थापत्यवेद के अनुसार स्थल चयन कर लगाए जाने चाहिए जिससे उर्जा उत्पादन के साथ जैविक खाद प्राप्त होगी तथा प्रदूषण नहीं फैलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उर्जा का प्रमुख स्त्रोत बायोगैस है। सन् १९८२ से कार्यरत म.प्र. उर्जा विकास निगम अपने स्तर पर प्रयासरत है परंतु इसे व्यापक स्तर पर राजकीय सहायता से बढानें की आवश्यकता है।

शहरीय व ग्रामीण कचरें से उत्पन्न बिजली संयत्र रूपी वैकल्पिक उर्जा के साथ कचरें से ईधन व खाद में इसे तब्दील करने के कई तरीके हैं जैसे–वगीकल्चर तथा अन्य तरीकों से ऑक्सीजन कह उपस्थिति में खाद बनाना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मे कचरे को सड़ाकर मीथेन उत्पादन जलाना, जलने योग्य पदार्थों की ईंटे बनाकर ईंधन के रूप में उपयोग करना व ईधन गुटके और खाद बनाना आदि। इनमें से कुछ तकनिकों से कम्पोज़्ड खाद बनता है। जो रासायनिक उर्वरकों का स्थान ले सकता है। कचरें से जैव मैथलीकरण जो बायोगैंस टेक्नालॉजी के नाम से जानी जाती है, इसमें कुछ खास प्रकार का कचरा जैसे–गोबर, मानव–मल, फल, सब्जियां, आसवानी व डेरी का कचरा, कूचड़ खानों का कचरा उपयोग कर ऑक्सीजन की उपस्थिति में मीथेन उत्पन्न की जाती है। कार्बनिक कचरे के गाढे घोल को एक डाइजेस्टर में सड़ा कर बनी गैसे कों टंकियों में भरा जाता है जिससे ६५%होती मिथेन गेस है। अस्पताल के कचरे को जलाकर उष्मा उत्पन्न कर उसका उपयोग किया जा सकता है। स्त्रोत पर ही कचरें की छटाई क्रर कार्बनिक पदार्थो, ईंधन टीकिया बनाई जा सकती है। कचरें से उर्जा प्राप्ति के साथ इससे होने वालें निरंतर बढते प्रदूषण से भी बचा जा सकेगा।

जबलपुर के श्री श्यामसिंह ठाकुर ने ४ वर्षों के अनुसंधान के बाद अपनी खोज[१] " वेदों की शून्य बाधारित गणना प्रणाली से उर्जा समस्या का हल संभव " से निष्कर्ष रूप में " भविष्य में लोग घरों मे इन्वर्टर के स्थान पर स्वस्तिक रखेंगें " कल्पना की है।उनकी खोज का परीक्षण कर ,उर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत में उपयोग किया जा सकता है।

१/समा.पत्र.कत./२५

इस प्रकार वैकल्पिक उर्जा के तहत विद्युत उर्जा काउत्पादन कर एक हद तक बिजली की कमी को चरण बद्ध तरीके से कम किया जा सकता है।

बिजली उत्पादन के पश्चात् भी बिजली संकट का एक प्रमुख कारण त्रुटि पूर्ण बिजली वितरण व्यवस्था है। वर्तमान में इंदौर महानगर परिक्षेत्र में बिजली व्यवस्था म.प्र. शासन के. एक उपक्रम म. प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कपंनी लिमीटेड,जिसका मुख्यालय इंदौर में है व इसका कार्य क्षेत्र इंदौर, उज्जैन एक संभाग है। यह कंपनी म.प्र. राज्य विद्युत मंडल के विघटन के पश्चात् बनाई गई, एक उत्पादन कंपनी, दूसरी पारेषण व तीन वितरण कंपनियों मे से एक हैं। जिसका मासिक औसत राजस्व संग्रहण ११० करोड़ है। बिजली वितरण व्यवस्था हेतु उपकेन्द्रों का विवरण सारणी क्र. ५.७ में दिया गया है सितम्बर २००१ की स्थिति मे विद्युत संयोजनों का वर्गीकरण ५.८ में दिया गया है।

सारणी ५.७

वर्तमान विद्युत उपकेन्द्र

सब स्टेशन	संख्या	स्थान
४४०KV	१	खंडवा रोड
२२०/१३२/३३KV	१	खंडवा रोड, दक्षिण झोन
१३२/३३KV	२	पोलो ग्राउण्ड, उज्जैन रोड
३३/११KV	२५	मनोरमागंज, तुकोगंज, एमपीएसआरटीसी, ओपीएच, विजयनगर, महालक्ष्मी नगर, वंदना नगर, इलेक्ट्रानिक काम्पलेक्य, केइएच, सत्यसाई, राज मोहल्ला, पागनीस पागा, संगम नगर, साँवेर रोड़, गुमास्ता नगर, जिंसी हाट मैदान, बजाजखाना, सेक्टर ई, सिटी सब स्टेशन, डेली कालेज, नवलखा, सब्जी मंडी, इंदिरा काम्पलेक्स, युनिवर्सिटी, महिला पालिटेकनीक
११/०.४KV(LTलाइन)	२९००	पूरे शहर में फैला हुआ

स्त्रोत: इंदौर शहर सर्कल कार्यालय, एमपीईबी /विकास योजना २०११

वार्षिक विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता सारणी क्र. ५.९ मं बताई है

सारणी ५.९

वार्षिक आवश्यक विद्युत आपूर्ति (मेगावाट में)

क्रमांक	वर्ष	आवश्यकता मे.वा. में
१	२०००-२००१	२४०
२	२००१-२००२	२७३
३	२००२-२००३	३००
४	२००३-२००४	३३०
५	२००४-२००५	३६३
६	२००५-२००६	४००
७	२००६-२००७	४४०
८	२००७-२००८	४८०
९	२००८-२००९	५२५
१०	२००९-२०१०	५७५
११	२०१०-२०११	६२५

स्त्रोत: इंदौर शहर सर्कल कार्यालय, एमपीईबी /विकास योजना २०११

प्रस्तावित विद्युत सब स्टेशनों का विवरण सारणी क्र. ५.१० में बताई गई है।

सारणी ५.१०

प्रस्तावित विद्युत सबस्टेशनो का विवरण

सबस्टेशन	संख्या	स्थान	२०११ तक आवश्यक क्षेत्रफल
४४० KV	१	जवाहर टेकरी (केट)	१x५००x५००मी. =२५ हेक्टर
२२०/१३२ KV	२	बड़ा बांगरदा	१०x२००x२००मी.= ४ हेक्टर
१३२/३३ KV	५	धार रोड़, पीपल्या कुम्हारा बड़ा बांगरदा, पीपल्याहाना, अहिर खेड़ी	५x१००x१००मी.=५हेक्टर
३३/११KV	१६	कबीर खेड़ी, प्रेस कॉम्पलेक्स, खजराना, सुखलिया, गाँवनिमानिया, पिपलियाहाना, फूटी कोठी, विश्वकर्मा नगर, मुसाखेड़ी, देवगुराड़िया, साँवेर रोड, सेक्टर एफ, राजनगर, सेक्टर डी नं. ७१, छोटा बांगरदा, टिगरिया बादशाह, बड़ा बांगरदा	१०x३०x३० मी.x=१.४ हेक्टर
कुल	२३		३५.४ है

स्त्रोत: इंदौर शहर सर्कल कार्यालय, एमपीईबी।

इस वितरण कंपनी द्वारा इंदौर व उज्जैन क्षेत्र के दो मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी जिसके अधीनस्थ ग्रामीण व शहरी वृत्त के अधिक्षण यंत्री व इनके अधीनस्थ संभाग के कार्यपालन यंत्री तथा इनके अधीनस्थ झोन या शहरीय झोन या ग्रामीण उपसंभाग के सहायक अभियंत्रा तथा इनके अधीनस्थ विभिन्न शहरी फीडर तथा ग्रामीण वितरण केन्द्र के प्रभारी कनिष्ठ संत्री स्तर के अधिकारी अपने लाईन व लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की सहायता से विद्युत वितरण व्यवस्था का संचालन कर रहें हैं। शहरीय क्षेत्र में कॉल सेंटर, मीटर रीडिंग, बिल वितरण, चेक से भुगतान संग्रहण, लाईन मैन्टेनेन्स का आंधिक कार्य ठेके पर दिया है शेष कार्य उपने कर्मचारियों से सम्पादित करवाया जा रहा है। विद्युत वितरण व्यवस्था के सुधार हेतु केन्द्र सरकार की योजना ए.पी.डी.आर.पी.व ए.डी.बी. योजना के तहत कर्ज लेकर वितरण व्यवस्था को सुधारा जा रहा है जिसमें आशिंक सफलता कंपनी को प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी समस्या सामुहिक बिजली चोरी की प्रभावी रोकथाम नहीं होनें से विद्युत वितरण हानि कंपनी को उठाना पड़ रही है। वर्ष २००३ के पहलें १० साल से मुक्त बिजली के कारण जहाँ झुग्गीवासियों एवं ग्रामीण क्षेत्र मे नागरिकों की अत्यधिक बिजली दोहन की अनियंत्रित आदत हो गई है, वहीं दूसरी ओर स्थापित लाईनों पर क्षमता से अधिक भार आ जाने से ट्रांसफार्मर सहित उनकी क्षति हुई है जिसे अब कर्ज लेकर सुधारना पड़ रहा है। विद्युत की मांग से कम आपूर्ति होने की स्थिति मे प्राय: ग्रामीण क्षेत्र विद्युत प्रदाय काटकर ही विद्युत पारेषण हानि में आंशिक कमी आई है। नर्मदा नदी पर सीधे स्वचलित मोटरे लगाकर ही पानी खींचने हेतु व्यापक स्तर पर हो रही चोरी में कुछ नियंत्रण हो पाया है।कर्मचारीयों की कमी की सम्स्या में इन्दौर क्षेत्र में ही मात्र ६६८३ टेकनिकल पदो के विरूद्ध ५४६९ व नानटेकनीकल ३१८९ के विरूद्ध २१४४ कर्मचारी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय की लागत गुणवत्ता एवं सतत विद्युत प्रदाय में मुख्य मुद्दा पारेषण एवं विद्युत वितरण हानियाँ हैं।२८०० मेघावाट बिजली १४ लाख सिचांई पंपों को प्रदेश में तथा इन्दौर संभाग के७ जिलो में १९००००स्थाई व ७२५०० अस्थाई कनेक्शनों से २५० मेघावाट बिजली रबी फसल हेतु दी गई। अर्थशास्त्री व पर्यावरण के विशेषज्ञ यह सोचतें हैं कि बड़े विद्युत गृहों की जगह छोटे विद्युत गृह आर्थिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। अनेक विकसित देशों में विद्युत भार के निकट छोटे विद्युत आर्थिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से अधिक उपयुक्त हैं। अनेक विकसित देशों में विद्युत भार के निकट छोटे विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। अब समय

आ गया है कि हमें भी विद्युत उत्पादन का विकेन्द्रीकरण करना चाहिए। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शासन द्वारा पृथक विद्युत व्यवस्था की जाना अति-आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत सुधार तभी सम्भव होगा जब हम उत्पादन गृहों को तहसील या ब्लॉक स्तर या और नीचे पंचायत स्तर तक लें जाए। प्रदेश मे ग्रामीण क्षेत्रों में १८०० मेगावाट विद्युत की मांग है। विद्युत उत्पादन कि विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत १०००कि.वाट (१ मेगावाट) के हैवी फ्यूल आइल द्वारा संचालित ६०० उत्पादन संयंत्र तहसील, ब्लॉक एवं इससे नीचे पंचायत स्तर पर स्थापित किए जाएं, जो तीन पालियों में चलकर १८०० मेगावाट विद्युत उत्पादन कर सकेंगे। प्रत्येक तहसील ब्लॉक पंचायत में प्रति २००० पुम्पों के लिए एक विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया जाए। जहाँ पम्पों की क्षमता अधिक है, वहां एक तहसील, ब्लॉक या पंचायत में दो संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। इस मापदण्ड से एक जिलें में १० से १५ विद्युत गृह स्थापित किए जान कुल ६०० मेगावाट के संयंत्र लगाए गए तो योजना की लागत १८०० करोड़ रू. बैठेगी जो प्रति मेगावाट ३ करोड़ रूपए होती है। इस योजना से जो लाभ प्राप्त होंगे वे हैं – विद्युत प्रदाय की प्रति यूनिट कीमत ३.५० रू. से कम होंगी। विद्युत मंडल प्रदाय लागत वर्ष २००० में ३ रू. प्रति यूनिट थी जो वर्ष २००३ में बढकर ४ तथा २००४ मे ४.१५रू. हो गई। विद्युत पारेषण हानियां वर्तमान से ३० प्रतिशत कम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पम्पों को निरंतर विद्युत प्रदाय ८ घंटे तक एवं घरेलू बत्ती दिनभर निर्बाध रूप से प्राप्त हो सकेगी। उक्त सभी विद्युत गृह विद्युत मंडल के ग्रिड के समानान्तर चलेंगे और उन्हीं की लाइनों से ग्रामीण मांग की आपूर्ति करेगें। विद्युत गृह मांग के अनुसार २ या ३ पालियों में चलते रहेंगे। सभी ६०० विद्युत गृह एक से दो साल के बीच स्थापित हो जाए। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था सदाङ्गसदा के लिए हल हो जाएगी। विद्युत मंडल ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय की जिम्मेदारी से बच सकेगा तथा राज्य शासन को सब सिडी भार भी २ से३ रू. प्रति यूनिट कम हो जाएगा। वर्तमान में विद्युत मंडल को कृषि क्षेत्र में विद्युत प्रदाय पर प्रति यूनिट २ से ४ रू. का घाटा उठाना पड़ रहा हैं, जो नई व्यवस्था के अन्तर्गत घटकर सिर्फ १ से १.५० रू के बीच रह जाएगा एक अन्य मुख्य पहलु जिस पर विचार करना आवश्यक है, वह है उपरोक्त विद्युत गृहों का रख रखाव यह उचित होगा कि रख रखाव ठेके पर दे दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के लघु उद्योगों के परिसर में भी ये विद्युत गृह लगाए जा सकते हैं व रख रखाव की जिम्मेंदारी इन्हीं उद्योगों को दी जा सकती है। उपरोक्त योजना में छोटी विद्युत परियोजना बायोंमास व गैस योजना को भी सम्मिलित किया जा सकेगा। इन योजनाओं को प्रारंभ करने के पूर्व सर्वेक्षण कर विद्युत गृहों को स्थापित करने की जगह तय करना महत्वपूर्ण है । इसके लिए जिला, ब्लॉक, समितियों, पंचायतों से विचार विमर्श किया जाना अनिवार्य है। यह योजना ३ या ४ चरण में क्रियान्वित की जाए ताकि प्रभाव चरण के अनुभवों के आधार पर योजना में सुधार किए जा सकें। यथा संभव इन्हें सहकारिता के आधार पर चलाया जाए या इसके लिए ग्रामीण सहकारी समिति अथवा ग्रामीण सिंचाई समिति के सहयोग से एक स्पेशल परपज कंपनी निर्मित की जाए। निजी क्षेत्र को भी इस तरह के छोटे विद्युत गृह लगाने की छूट दी जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत गृह लगाने की १८०० करोड़ रू. की लागत की पूर्ति हेतु एशियाई विकास बैंक, पॉवर फायनेंस कॉर्पोरेशन, लीजिंगकंपनियाँ तथा इक्विटी पार्टनर पूर्णत: तत्पर हैं।

विद्युत उत्पादन हेतु उक्त योजना में फरनेस ऑइल के स्थान पर बायोगैस, बायोमास उर्जा का भी प्रयोग किया जा सकता है। विद्युत उत्पादन का यह विकेन्द्रीकरण समय की मांग है क्योंकि बिजली की दरें उत्पादन पारेषण लागत के अनुसार तय होंगी, इस कारण मालवा को सबसे अधिक मंहगी बिजली मिल रही है क्योंकि उत्पादन केन्द्र देर होने से पारेषण लागत अधिक आ रही है।

अत: शासन जनता एवं विद्युत उत्पादन वितरण कंपनी, आपसी सामन्जस्य के माध्यम से पूर्व में अनुबंधित बिजली उत्पादक कंपनियों को अव्यवहारिक बिजली उत्पादन की योजनाओं को निरस्त कर सभी अनुबंधित कंपनियों पूंजीपतियों को मिलकर आवश्यकतानुसार शहरों, गावों में सौर उर्जा आधारित उर्जा संयंत्र स्थापत्यवेद के अनुरूप दक्षिण पूर्व आग्रेय दिशा में शासन के साथ सहयोग कर लगाना चाहिए। बिजली वितरण व्यवस्था हेतु एक मास्टर प्लान तैयार कर ३३ के. वी. के तीन पृथक-पृथक फीडर कृषि उद्योग तथा अन्य कार्य हेतु बनाने चाहिए एवं ११ के.वी. के पृथक-पृथक सब फीडर द्वारा विभिन्न ग्रामों, कॉलोनियों, बस्तियों, व बहुमंजिला भवनों में एक बिंदु पर विद्युत प्रदाय मीटर लगाकर देने व ठेके पर देकर अथवा केबल द्वारा ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाकर दिया जाना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में ही बिजली चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में एक माह का समय देकर सूचना प्रकाशन व डोंडी पिटवाकर

सरकार व कंपनी की ओर से जनता को अंतिम चेतावनी दी जानी चाहिए कि ,उर्जा अधिनियम २००३ के प्रावधानों के तहत बिजली चौरों को हिदायत दी जाती है कि वर्तमान में म.प्र. शासन द्वारा सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे आनेवाने अनुसूचित जाति-जनजाति के लोंगो को मीटर लगाकर २५ यूनिट फ्री बिजली दी जावेगी ,अन्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी योजना के तहत, किसी भी कार्य हेतु मुक्त बिजली लेने का अधिकार नहीं है। अत: एक माह में सभी सीधे तार डालकर विद्युत चोरी कर रहे व्यक्ति विधिवत् कनेक्शन ले लें। इस पर्याप्त अवधि के पश्चात् कभी भी कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस की टीम एक साथ चोरी बाहुल्य क्षेत्र में, वीडियों केमरों सहित अचानक पहुँचकर पहले विद्युत चोरी वीडियो ग्राफी करवाएँ, साथ ही चोरी प्रकरण तैयार कर, विद्युत चोरों को उसी समय गिरफ्तार करवाया जाए व बिजली चोरी के मामलों हेतु नियुक्त विशेष अदालत में दूसरें ही दिन वीडियोंग्राफी सहित इन न्यायालयों में प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएं ताकि त्वरित निर्णय होकर उन्हें सजा हो सके। विगत दिनों विशेष न्यायालय में चोरी प्रकरण दर्ज होनें व कुछ में सजा हो जाने तथा गिरफ्तारी के पश्चात् जमानत नहीं होने का संदेश जनता में गया। इस प्रकार की प्रभावी कार्यवाही निरंतर चलते रहने से लोगों की एक दशक से बिगड़ी आदत में सुधार निश्चित होगा ही। वैकल्पिक उर्जा स्त्रोतों की श्रृंखला में रतन जोत पौधे से बायोड़ीजल बनाने का कार्य म.प्र. में भी किया जा रहा है, इसे बढावा देने की आवश्यकता है। म.प्र. के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने वाहन को डीजल से चलाने का निर्णय लेकर इसकी जिम्मेदारी म.प्र. उर्जा विकास निगम को दी है। पीथमपुर के कुछ उद्योगपतियों ने भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रस्तावित मांगलिया में गैस डिपो की योजना में रूचि दिखाई है, यह योजना विचाराधीन है।

७.२ पर्यावरण विकास व संतुलन :-

पर्यावरण विकास व संतुलन के के लिए उद्यान, यातायात आदि से होने वाले प्रदूषण को रोकने व तदानुसार वृक्षारोंपण आदि करके तथा कचरें का निपटान करना व स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रबंधन करना जरूरी है। उद्यान हेतु छोड़ी गई भुमि पर प्रारम्भ में तो उसकी देख-रेख होती है, परन्तु शनै:शनै: उसमें अवैध निर्माण, अतिक्रमण कचरा स्थल या जल जमाव का स्थान बन जाता है जिससे प्रदूषण फैलता है। अत: उद्यान हेतु आरक्षित समस्त परिसरों की प्राथमिकता स्थापत्यवेद के अनुसार फेनसिंग करवाने के बाद सुव्यवस्थित उद्यान जन सहयोग से बनाकर जनता द्वारा ही देख-रेख की जाने संबंधी कानूनी प्रावधानों के साथ बनाना चाहिए। जन चेतना व कड़े दण्ड द्वारा नागरिकों की आदतों में सुधार लाया जाना चाहिए कि वे पर्यावरण की रक्षा करें। स्थापत्यवेद में उद्यानें आदि में लगाने योग्य पेड़-पौधों व वृक्षों की जानकारी शोध ग्रंथ के पृष्ठ क्र. १५७ से १६९ पर दी गई है। इसके अनुसार वृक्षारोंपण किया जाना चाहिए। कुछ उद्यानों को तुलसी उद्यान, आवँला उद्यान, नीम उद्यान, आम उद्यान, पीपल उद्यान आदि के रूप में विकसित किया जा सकता है जहाँ अत्यधिक प्रदूषण की सम्भावना हो। इस प्रकार उद्यान हेतु छोड़ी गई यही भूमि प्रदूषण फैलाने के स्थान पर ,पर्यावरण का विकास करेगी।

इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा १०० उद्यानों की विकास कार्य की श्रंखला में दिनांक २५.८.०५ को वार्ड क्र. २३ के महेशनगर स्थित उद्यान का विकास का शुभांरभ किया।यह सराहनीय है। जिसमें २.५० लाख की लागत से उद्यान का विकास व सड़कों के दोनों और इन्टर लाकिंग टाईटल लगाने हेतु ९.५० रू. व्यय किये जायेंगे यह सराहनीय है इसमें स्थापत्यवेद के ज्ञान को समाहित कियें जाने के अधिक लाभकारी हो सकता है।

उद्योगों से प्रदूषण :-

आज जिस तेजी से औद्योगिक कारखानें लगते जा रहें हैं, उतनी ही तेजी से वायु और जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं में तरह-तरह की विषाक्त गैसें होती हैं, जो रात-दिन साफ हवा को दूषित करती जा रही हैं। दूसरी ओर कारखानों में निरंतर बाहर आने वाला कचरा जिसमें तरह तरह के घातक रसायनों और खनिजों आदि के अंश होते हैं, जल स्त्रोतों में मिलकर उसे गंदा करते रहते है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले और गरीब देश के विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत कृषि

विकास के साथ-साथ औद्योगिक विकास को भी प्राथमिकता प्रदान की गई जिससे कृषि विकास कें साथ-साथ औद्योगिक विकास को भी प्राथमिकता प्रदान की गई जिससे कृषि का विकास सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि, उद्योग और उर्जा, यातायात एवं संचार साधनों का विस्तार आवास व्यवस्था और इसी के साथ-साथ संसाधनों का अधिकाधिक दोहन प्रारंभ हुआ। इसके कारण जहाँ देश ने अतिशय तरक्की की है वहीं इन सबकी प्रगति के लिए हमनें बहुत कुछ खोया भी है जहाँ बड़ें उद्योगों की स्थापना हुई वहाँ दम घोंटू और जानलेवा धुआँ दिखाई देता हे। इतनर ही नहीं नदियों में भी अब गंदा, विषैला जल प्रवाहित होता है। वहाँ मछलियाँ व अन्य जीव-जन्तुओं का जीना दूभर हो गया है। वास्तव में स्वच्छ जलवायु, निर्मल पानी और खुला आकाश प्रकृति ने मनुष्य को निःशुल्क उपहार प्रदान किए हैं किंतु ये तीनों प्रकृति के अखण्ड स्त्रोत औद्योगिक सभ्यता के साथ समाप्त होते जा रहें हैं।

भारत में अस्सी फीसदी रोग दूषित जल के कारण ही होते हैं। दूषित जल से टायफाईड, डायरिया, पेचिश और पीलिया जैसे गम्भीर रोग होने का हमेशा खतरा रहता है। वायुप्रदूषण से न केवल फेफड़े से संबंधित बिमारियों का खतरा रहता है बल्कि इससे इंसानका खून भी गाढा हो जाता है एडीनबर्ग यूनिर्वसिटी के वैज्ञानिक अल्ट्रा फाइन फाल्यूटेनट्स पर केन्द्रित अध्ययन के बाद इस नतीजें पर पहूँचे हैं। यही वजह है कि प्रदुषित वायु के सम्पर्क में रहने वालों को दिल के दौरे और मस्तिष्क आघात की आंशका बढ जाती है। उद्योंगों से होने वाले प्रदूषण शहरीय व औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में फैलाया जा रहा है । यह प्रदूषण भूमि,जल व वायु में किया जा रहा है। इंदौर नगर की खान नदी को नालें में परिवर्तित करने में नाले की भी भूमिका है। रद्द किए मास्टर प्लान के मानत्रित क्र. २.३५ में पर्यावरण संवेदनशीलता पर किए गए अध्ययन में दर्शाया है कि मिनीसिपल एरिया के मध्य में उच्च संवेदनशीलता तथा पूर्वी क्षेत्र में निम्न पर्यावरण सवेंदनशीलता तथा बाकी निवेश क्षेत्र मध्यम संवेदनशीलता बताई गई है। इसी प्रकार भूमिगत जल की गुणवत्ता के सर्वेक्षण आंकड़े नगरीय क्षेत्र के मध्य में अत्यन्त कम तथा दक्षिण-पश्चिम व मध्य के बीच में दो स्थानों पर उच्च स्तरीय गुणवत्ता तथा शेष निवेश क्षेत्र में मध्यम गुणपत्ता बताई है। इसी प्रकार हवा की गुणवत्ता संबंधी सर्वेक्षण आंकड़ो में बताया गया है कि निवेश क्षेत्र का लगभग आधे भाग से अधिक उत्तर-पश्चिम से उत्तर-पूर्व तक हवा की गुणवत्ता कम तथा दक्षिण-पश्चिम में आंशिक क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता तथा शेष निवेश क्षेत्र मे मध्यम हवा की गुणवत्ता बताया गया है। उत्तरी क्षेत्र मे सांवेर रोड़ पर उद्योगों की संख्या अधिक है। इस क्षेत्र की जल-मल निकास व्यवस्थित नहीं है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल अपने दायित्व को कानूनी व अन्य कारणों से निर्वहन नहीं कर रहा है, यह स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। इसका व्यवहारिक सर्वानुमति से हल निकालकर उन्हें भस्मक यंत्र शोधन मंत्र आदि लगाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए नहीं करने पर भारी दण्ड लगाया जाना चाहिए क्योंकि पर्यावरण से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर, किसी को भी करने की स्वीकृति नहीं दी सकती।

प्रदूषण पर्यावरण से मानव-जीवन को बचाने के लिए पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूकता से ही आने वाले समय में हम और अधिक अच्छा स्वास्थ्यप्रद जीवन जी सकेंगे, अब समय आ गया है कि हम सचेत हों और प्रकृति पर विजय का स्वपन छोड़कर उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखतें हुए जीना सीख सकें। उसके लिए हमें प्रकृति का साथ देना होगा।

दिनांक २६ अगस्त २००५ को फिक्की (FICCI) द्वारा आयोजित म.प्र. निवेश बैठक में केन्द्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ व म.प्र. के मुख्यमंत्री श्री बाबुलाल गौर ने सम्मिलित होकर म.प्र. में १३७ करोड़ के निवेश करारनामा किया, जिसमें इंदौर के विकास को आयाम प्रदान करने वाली चार परियोजनाओं, इंदौर विमानतल को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी, पीथमपुर में ऑटो टेस्टिंग परियोजना[1] तथा इंदौर में क्रिस्टल आइटी पार्क जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं सम्मिलित हैं। नई दिल्ली में हुई इस घोषणा से इंदौर का भारत के उद्योग जगत में एक विशिष्ट स्थान बनेगा।

"ऑटो क्लस्टर" भारत सरकार की आई आई यू एस (इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम) के तहत पीथमपुर भाग-२ में ऑगे क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। इसके लिए ६० एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इसमें से ४५ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। १५ एकड़ भूमि एकेवीएन ने उपलब्ध कराई है। अधिगृहित भूमि का मुआवजा वितरण संभवत: २७ अगस्त से आरंभ होगा। ७३.२९ करोड़ रू. की इस योजना के लिए केन्द्र से ५० करोड़ रू. अनुदान मिलेगा। जबकि १५ प्रतिशत राशि अद्योगों से अंशधारिता के रूप में प्राप्त होगी तथा शेष राशि ऋण के जरिए जुटाई जाएगी। ऑटो क्लस्टर परियोजना के तहत टूल रूम, हेजार्ड वेस्ट

१/समा.पत्र कत/२७

यूनिट, आई टी आई, एम एस ई स्थापित होंगे। हेजार्ड वेस्ट परियोजना हैदराबाद की रेमके एन्वायरमेंट इंडस्ट्रीज को बी ओ टी आधार पर सौंपी गई है। इस परियोजना के तहत तरल व ठोस अपशिष्ट (सालिड वेस्ट) पदार्थों का निस्तारण होगा कंपनी पूरे प्रदेश में अपने कंटेनर भेजकर संबंधित इकाईयों का वेस्ट एकत्रित करेगी और उसे नष्ट करेगी। प्रदेश में इस तरह की यह पहली इकाई होगी। अब तक औद्योगिक अपशिष्टों का निस्तारण के लिए अन्य प्रदेशों में भेजा जाता था लेकिन वहाँ अब अन्य प्रदेशों के वेस्ट के निस्तारण पर पांबदी लगा दी गई है। ऑटो कलस्टर परियोजना की अन्य इकाईयों के लिए उद्योगपतियों की समिति बनाई गई है। उनके सुझावों व सलाह पर अन्य इकाईयों का क्रियान्वयन होगा।

"क्रिस्टल आईटी पार्क" खंडवा रोड़ पर आसाराम बापू चौराहे के निकट यूनिवर्सिटी परिसर के सामने २१ एकड़ भूमि पर ८५.५७ करोड़ रू. की लागत से स्थापित करने की योजना म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ने बनाई है। इसमें सूचना प्रोद्योगिक तथा जेम्स ज्वेलरी उद्योगों की जगह दी जाएगी। इसलिए इसका नाम क्रिस्टल आईटी पार्क रखा गया है। इस योजना में ९४० करोड़ रू. निवेश होने और करीब ढाई हजार लोंगो को रोजगार मिलने का अनुमान है। परियोजना दिसंबर २००५ तक आरंभ होने की संभावना है। इसके तहत दो विशाल इमारतों का निमार्ण हो रहा है। ३१,७८३ वर्ग मीटर के इस निर्मित भवन में १७ हजार ४०० वर्ग मीटर ऑफिस के लिए और १४,३२७ वर्ग मीटर कॉमन एरिया होगा। भवन में शत-प्रतिशत निर्बाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था होगी। जेम्स ज्वेलरी पार्क के लिए १८,१४४ वर्गमीटर का पाँच मंजिला भवन होगा। इसमें से १०,४३० वर्गमीटर क्षेत्र ऑफिस के लिए और ७,७१४ वर्गमीटर क्षेत्र कॉमन उपयोग के लिए होगा। दोनों भवनों में दो मंजिलों तक ढाँचा तैयार हो चुका है। इस पर जुलाई तक १६ करोड़ रू. खर्च हो चुके हैं तथा निर्माण कार्य प्रगति कर है। देश के प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन को निर्माण कार्य सौंपा गया है। प्रदेश के इस पहलें साफ्टवेयर व जेम्स ज्वेलरी पार्क के लिए अब तक ७ उद्योगों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उल्लेखनीय है कि आई टी पार्क के लिए अब तक बंगरोल, हैदराबाद, मुंबई, पूना व दिल्ली तथा जेम्स ज्वलरी के मामलें में जयपुर, अहमदबाद, सूरत के नाम ही सामने आतें रहे हैं, लेकिन अब इंदौर भी इस सूची में शामिल हो जाएगा।

क्रिस्टल वार्क के समीप ८ एकड़ भूमि पर पाँच सितारा होटल क निर्माण का भी प्रस्ताव है इसके लिए इच्छुक पार्टियों से २९ अगस्त तक प्रस्ताव मँगाए गए हैं। अब तक ५ प्रस्ताव मिल चुकें हैं। होटल के लिए भूमि एकेवीएन उपलब्ध कराएगा। इंदौर की यह पहली पाँच सितारा होटल होगी।

पीथमपुर में ही आधुनिकतमऑटो टेस्टिंग ऑटो टेस्टिंग परियोजना के लिए भारत सरकार से रू.६०० करोड की योजना [1]की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। इसके आने से ऑटों मोबाइल उद्योग व क्षेत्र का तीव्र विकास हो सकेगा। यह एशिया का पहला व सबसे बड़ा टेस्टिंग ट्रेक सेंटर होगा। यहाँ यभी प्रकारें क वाहनों के सड़कों पर आने के पहले सभी तरह के परीक्षण होंगे। आस-पास के देशों के वाहन भी वहाँ परीक्षण के लिए लाए जा सकेंगे। इस परियोजना के निर्माण से कई नई वाहन कंपनियां भी यहाँ स्थापित होंगी। इसके तहत ४ हजार एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। पीथमपुर क्षेत्र मे खेड़ा के पीछे भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना की लागत १८०० करोड़ रू. होगी। आटोमोबाईल टेस्टिंग ट्रैक भी जून ०५ तक रूप रेखा पूर्ण हो जावेगी।

यातायात से प्रदूषण महानगरों व नगरों में एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है नगरीय क्षेत्रों में डीजल-पेट्रोल, वाहनों से बढती हुई संख्या से निकले हुए धुएं व शोर के कारण भी रोग तेजी से फैल रहें है। शहरों में व्यततम चौराहे के आस-पास तथा राजमार्गो के किनारें लगे पेड़-पौधों को अगर ध्यान से देंखे तो वे काली होती या पीली पड़ती दिखाई देती हैं। देवगुराड़िया क्षेत्र में ट्रेनचिंग कंपाउन्ड़ के आप-पास के क्षेत्र में पेड़-पौधों पर प्रतिकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है साथ ही ए.बी. रोड़ बास पास तथा नैमावर रोड़ पर आने जाने वालों को भारी परेशानी होती है, कभी-कभी तो धुएँ के कारण दृष्टि बाधित होती है। सड़कों के किनारें पेड़-पौधों की पत्तियों पर एक परत सी प्रदूषण के कारण जम जाती है। पेड़ पौधे अपना भोजन हवा से ही बनाते है, प्रदूषण से उनका दम घुटता है। हरे पेड़-पौधे अपनी पूर्ण हरिम द्वारा कार्बनडाय-ऑक्साईड और जल की सहायता, सूर्य के प्रकाश से प्राथमिकता उर्जा ग्रहण कर भोजन बनातें हैं, यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है और हरे-भरें पेड़-पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ये परपोषी जीव, उत्पादक को को खातें हैं जिससे उनके द्वारा संचित भोजन इन्हें प्राप्त हैं। एक अध्ययन के अनुसार वाहनों से निकलने वाले धुएं से वातावरण में ओजोन का उत्सर्जन होता है खासकर शहरी इलाकों में इसका सूर्य की रोशनी से सम्पर्क होने पर प्रदूषणकारी तत्व उत्पन्न होते हैं।

१,२/समा.पद्ध कत./२७,२२

यातायात प्रदूषण को रोकने के लिए स्थापत्यवेद के अनुसार पर्यावरण हितैषी ईधंन जैसे- बायोडीज़ल अन्य बेट्री युक्त अथवा सी एन जी एल पी जी गैस द्वारा वाहनों में उपयोग करने, यातायात नियमों का सख्ती पालन करने से प्रभावी नियंत्रण सम्भव हैं। अस्त २००५ मे में योजना आयोग ने १८०० करोड़ की प्रदेश बायोडीजल बनाने योजना [२] की स्वीकृती दी है। राज्य योजना मंडल ने ४९.०२ करोड़ की स्वीकृती अगले वित्ती वर्ष हेतु दी है। वैज्ञानिकों द्वारा प्रदूषण कम करने हेतु वृक्षारोवण पर किए गए अध्ययनों से पता चलाता है कि वनस्पति समुदाय में वायुप्रदूषण के प्रति कुछ पेड़-पौधे संवेदी है, तो कुछ प्रतिरोधी। संवेदी पौधों पर प्रदूषण का असर ज्यादा होता है और प्रतिरोधी पर कम। बस फिर क्या था, प्रदूषण कम करने के बजाए प्रदूषण को घटाने का जिम्मा ऐसे पेड़-पौधों को सौंपने का आसान काम लिया जाने लगा। नाम मिला ग्रीन बेल्ट डिजाइनिंग यानि हरित पट्टिका नियोजन। शहरों और उद्योगों के आस-पास यह काम खूब हो रहा है। यह महज सड़क किनारें वृक्षारोपण नहीं है। इसके निर्माण में प्रदूषकों की मात्रा एवं प्रकार का ध्यान रखा जाता है। प्रदूषकों की मात्रा के आधार पर ऐसे प्रदूषण रोधी पौधों का चुनाव किया जाता है, जो प्रदूषित वायु में भी जाने की हिम्मत रखतें है। आजकल सड़क के बीच की जगह में ऐसे पौधे बहुत लगाए जा रहें हैं। पीली व लाल कनेर तथा वोगनवेलियां ऐसी ही वनस्पतियां हैं। कम पानी, बिना देख-देख के आसानी से फैल जाते हैं। और तों और इन्हें गाय-बकरी भी नहीं खाती। अत: सुरक्षा की भी जरूरत नहीं रहती।

शहर नियोजकों को और क्या चाहिए ? उन्हें तो जैसे अलादीन का चिराग हाथ लग गया हो।, न सुरक्षा गार्ड की जरूरत, न पानी, न खाद प्रदूषण से मरने का खतरा भी नहीं और हरियाली मुक्त में। असल में ये बलि के पेड़ हैं। बलि के बकरे की तरह यें भी जमीन के खूंटे से बंधे हैं, गर्म और प्रदूषित वायु का जहर पीने को अभिशाप। प्रदूषण प्रतिरोधी होने का यह गुण ही इनके लिए अभिशाप बन गया है। सड़क विभाजकों के बीच लगें ये पौधे अपनी दुर्दशा की कहानी अपने बौनेपन, संकरी, कालिख पुती पत्तियों और यहाँ-वहाँ मृत शाखाओं के जरिए बता रहे हैं।

इंदौर महानगर में वायु प्रदूषण और वन्स्पतियों पर उसके प्रभावों का अध्ययन कर रहे जोशी, पंवार, दुबे एवं वागेला का कहना है किं हवा से धूल-धूएं और कालिख हटाने की क्षमता नीम और कचनार की तुलना में शीशम व जामुन जैसे पेड़ों में ज्यादा है। अत: इन पेड़ों को सड़क के किनारे बहुतायत से लगाना चाहिए। अन्य प्रदूषण प्रतिरोधी पेड़ जैसे-बांस, बेर, जंगली जलेबी, खिरंगी, बरगद और बबूल भी इस काम मे माहिर हैं। परन्तु खेद का विषय है कि इनमें से एक भी पेड़ आजकल नहीं लगाए जाते क्योंकि ये यूकेलिप्टस, सुबवूल, पापलर और ऑस्ट्रेलिया की तरह तेजी से नहीं बढते। कुछ भी हों, प्रदूषण प्रतिरोधी वनस्पतियाँ रणछोड़ नहीं हैं। हमारी काली करतूतों का बदला वे हवा में जहर पीकर चुका रही हैं। चाहे आप इन्हें सहानुभूति के जल से सींचे या न सींचे स्थापत्यवेद के अनुसार कौन से पेड़ कहाँ लगाए व काटे जाए,इसके बारें में विवरण शोध ग्रंथ के पृष्ठ क्र.१५७ से १६९ पर बताया गया हैं। सड़कों के किनारें व मध्य, पहाड़ियों, बगीचों, ग्राम की सीमाओं, नदियों तालाबों के तटों से कुछ देर, उद्योगों के आस-पास आदि स्थानों पर वृक्षारोपण का एक वृहद् कार्यक्रम बनाना चाहिए तथा उस पर क्रियान्वयन कर इंदौर महा नगर परिक्षेत्र को दिल्ली की तर्ज पर हरा-भरा बनाया जाना चाहिए।

कचरे का निपटान महानगरों की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है जिसमें प्लास्टिक ने तो कहर ढा दिया हाल हि में हुई भारी बतसात से नदी-नालों में आई बाढ के के कारण कई शहरों व ग्रामों में पानी भर गया व करोड़ों रूपए की धन-हानि के साथ जन हानि हुई, जिसका प्रमुख कारण प्लास्टिक की थैलियों के ड्रेनेज लाइनों व नदी-नालों में फंसना है। मुंबई महानगर पालिका द्वारा तुरंत प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण व उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है यह अनुकरणीय कदम है। इंदौर की खान नदी मे भी आई बाढ के बाद नदी के मार्ग में, झाड़ियों व किनारों पर अटकी सैंकड़ो प्लास्टिक की थैलियाँ देखकर लोक निर्माण मंत्री नें भी आश्चर्य व्यक्त किया है। खाली पड़े प्लाटों व भूमि उद्यानों, बेकलेन, कचरा पेटियों के आस-पास व ट्रेनचिंग कम्पाउन्ड के आस-पास प्लास्टिक की थैलियों का अम्बार दिखाई देता है। इन्हीं स्थानों पर हर प्रकार का कचरा यत्र-पत्र डाला जा रहा है जिसके उठाने के लिए नगर निगम के पास व्यवस्था नहीं है।

स्थापत्यवेद के अनुसार प्रदूषण कारी तत्वों के दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर स्थान देने के बारें में बताया गया है। अत: हर ग्राम, वार्ड, कॉलोनियों के दक्षिण-पश्चिम मे स्थान सुरक्षित कर कचरें के निपटान हेतु पर्यावरण हितैषी विधि अपनाई जानी चाहिए। इसमें कचरें के स्त्रोत पर ही कचरें की छटाई करना उपयोगी होगा। रिहाईशी इलाकों में रिसायक्लिंग योग्य, जैवविघटन शीलता और खतरानाक कचरों के लिए अलग-अलग रंगे के डिब्बे रखे जा

सकते हैं। झुग्गी बस्तियों, होंटलों और दफतरों से कचरा इक्ट्ठा करने के उपयुक्त तरीके बनाने होंगे। फल सब्जी मंडियों, बुचड़खानें, डेयरियों, पोल्ट्री वगैरह का कार्बनिक समृद्ध कचरा अलग से इकट्ठा करके ईंधन टिकिया बनाई जा सकती हैं।

निर्माण व तोड़ – फोड़ के मलबे को अन्य कचरें के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। इसका उपयोग निचले इलाकों के भराव या सड़क निर्माण मे किया जा सकता है। स्थानीय अधिकारियों को इस बात की अनुमति नही देनी चाहिए कि लोक निर्माण के दौरान पैवा मलबे को सड़कों पर फेंकते रहें। स्वच्छ पर्यावरण का तकाज़ा है कि कचरे को जलाने पर प्रतिबंध हो और गड्डा भराव विधि का उपयोग मात्र अकार्बनिक कचरे के लिए ही किया जाए। कचरें से बिजली बनाने तथा प्लास्टिक कचरे के रिसायकलिंग द्वारा कचरें के निपटान के अतिरिक्त कचरे निपटान के अन्य तरीके हैं उसमें वर्मिकल्चर या अन्य विधि से ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद बनाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति मे कचरें को सड़ाकर मीथेन उत्पादन, कचरें को जलाकर उष्मा का उपयोग, जलने योग्य पदार्थो की ईंटे बनाकर ईधंन के रूप में उपयोग करना, ईधंन गुटके और खाद बनाना, काम्पोस्टिंग व जैन मैथेनीकरण विधियों को स्थापत्यवेद के अनुरूप स्थल आदि चयन कर बनाने से कचरे के निपटान से पर्यावरण विकास व संतुलन बनाए रखना संभव है।

स्वास्थ व्यवस्था प्रबंधन महानगर परिक्षेत्र इंदौर में स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रबंधन का क्षेत्र सिर्फ नगर नहीं होकर सम्पूर्ण परिक्षेत्र से है। अध्यमनों से यह पता चलता है कि नगर में कई स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम स्थित हैं जो कि सम्पूर्ण नगर में यत्र–तत्र फैले हुए हैं। इनसे ऐसे व्यक्तियों की स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति हो जाती है जो कि इनका शुल्क देने के लिए सक्षम है लेकिन नगर में एक ऐसा वर्ग भी है जो कि शासकीय स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर रहता है परंतु उनकी आपूर्ति हेतु पर्याप्त शासकीय अस्पताल उपलब्ध नहीं है। सारणी क्र. ५.१२ एवं ५.१३ में नगर में स्थित स्वास्थ्य केन्द्र एवं नर्सिंग होम की जानकारी दी गई है।

सारणी ५.१२ इंदौर शहर केअस्पतालों का विवरण

अस्पतालों का विवरण	निजी	शासकीय	कुल
५० बेड की क्षमता वाले अस्पताल	१३	६	१९
११–४९ बेड की क्षमता वाले अस्पताल	६३	१	६४
१० बेड की क्षमता वाले अस्पताल	७३	०	७३
कुल	१४९	७	१५६

स्त्रोत: स्वास्थ्य विभाग, इंदौर नगर निगम, २०००

सारणी ५.१३ अस्पताल एवं नर्सिंग होम की सूची के अनुसार

अस्पताल एवं नर्सिंग होम की सूची , महाराजा यशवंत राव अस्पताल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, मनोरमा राजे टी.बी. अस्पताल, नोबल अस्पताल, गोकुलदास अस्पताल, टी. चौथराम अस्पताल एवं रिचर्स केन्द्र, लाइफ लाईन अस्पताल, सुयश अस्पताल, ग्रेटर कैलाश नर्सिंग होम, आनन्द अस्पताल, सुयोग अस्पताल, क्योर वेल अस्पताल, अपोलो अस्पताल, भंडारी अस्पताल, सुंदरम अस्पताल, के.डी केयर अस्पताल, गीता भवनअस्पताल, बोम्बे अस्पताल, रोबर्ट नर्सिंग होम, मेन्टल अस्पताल, पंडित गोविन्द वल्लभ पंत जिला अस्पताल, शेख हतिम नर्सिंग होम, शासकीय दंत चिकित्सालय, प्रेम कुमारी देवी अस्पताल, इंदौर क्लाथ मार्केट अस्पताल, इंदौर नैत्र चिकित्सालय, यूनिक सुपर स्पेश्यालिटी अस्पताल, चरक अस्पताल, बीमा अस्पताल, लेडी हलिमा नर्सिंग होम, वर्मा यूनियन होस्पिटल, बापट होस्पिटल, अर्पण नर्सिंग होम, गुरू तेग बहादुर चेरिटेबल होस्पिटल, कल्याणमल नर्सिंग होम, मेडीकेयर, पुष्पकुंज होस्प्टिल, अल–नमर चेरिटेबल होस्पिटल, संजीवनी नर्सिंग होम, रूकमणि बेन दीप चंद गर्दी केन्सर होस्पिटल।

नगर की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकास योजना ५ स्तर की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है तथा उनके मानक एवं नियमन नग्रानि के मास्टर प्लान में अध्याय ६ में वर्णित परिक्षेत्रिक नियमनों मे दिए गए है। स्वास्थ्य विभाव द्वारा नागरिकों हेतु कई डिस्पेन्सरी एवं अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में एक जिला अस्पताल, प्रसूति ग्रह, दो पाली क्लिनिक, २३ डिस्पेन्सरी एवं ४ छोटे अस्पताल स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित

किए जा रहें हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर में एम.वाय.अस्पताल भी संचालित हो रहा हैं जो नगर की ही नहीं क संपूर्ण क्षेत्र की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की आपूर्ति में सहायक है। नगर में लगभग २० पंजीकृत शासकीय रक्त बैं भी स्थित है।

अत: पर्यावरण विकास व संतुलन में पर्यावरण विज्ञान का एक पहलू है, पर्यावरण का संतुलन। उसक दूसरा पहलू है पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण हिंसा है। पर्यावरण पोषण अहिंसा है, हम यह जानतें हैं कि पर्यावरण प्रदूषण हिंसा है। पर्यावरण पोषण अहिंसा है, हम यह जानते हैं कि पर्यावरण का संतुलन रहेगा तो मनु भी जीएगा, पशु-पक्षी जीएगें और भौतिक वाता वरण भी शुद्ध रहेगा। प्रदूषण का खतरा मनुष्य के अंसयम के कार उत्पन्न हुआ है। आज प्रत्येक बात में असंयम है। प्रदूषण को पैदा करने वालें अनेक कारण हैं जिसमें भावानात्म मानसिक प्रदूषण भी एक है। इसलिए पर्यावरण के विकास के साथ उसका संतुलन बनाए रखना भी मानव मात्र क कर्त्तव्य है।

७.३ जल प्रबंधन :-

जल प्रबंधन व सरंक्षण में देश के पाँच इंजनियरिंग कॉलेज जलसंरक्षण व प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्र में डिग्री प्रदान कर रहे है। यह कॉलेज दिल्ली, रूड़की रायपुर, हैदराबाद व बड़ौदा में स्थित हैं यह विषय की मह प्रदर्शित करता है कि युवा इस क्षेत्र मे केरिखर के अवसर तलाश रहे हैं। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति अप स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के उद्‌बोधन में नदियों को जोड़ने की योजनाओं, जल प्रबंधन, भू-संवर्धन, ज संरक्षण की चर्चा करते हैं व इन क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर शीघ्र क्रियान्वयन का आवहान कर रहे हैं। देश की प्रथ केन व बेसवा नदी को जोड़ने की ऐतिहासिक समझौते में उ.प्र. व म.प्र. के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की की मौजूद में किया जिसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने राजनीति से हटकर इसकी सराहनीय करते हुए कहाँ कि यह कदम देश का ज प्रबंधन परिद्रश्य बदल देगा तथा बुंदेलखंड़ क्षेत्र की जल समस्या के समाधान के निदान के बारें में बतातें हुए राज सरकारों को सलाह दी ऐसी योजना तैयार करें जिसमें कम से कम लोग विस्थापित हों। स्थापत्यवेद के अनुसार ज प्रबंधन के तहत जल स्त्रोतों की व्यवस्था, प्रबंध, शुद्धिकरण एवं संरक्षण करना आवश्यक है। सर्वप्रथम जल स्त्रोत की व्यवस्था के तहत वर्तमान में स्थित समस्त जल स्त्रोतों जैसे **यशंवत सागर, सिरपुर, बिलावली ,बुढानिय** आदि तालबों व प्राचीन कुएं, बावड़ियों को उनकी पूर्ण क्षमता तक गहरीकरण सुद्दढीकरण करने का कार्य बरसात पूर्व सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।यशवंत सागर में कड्ड मिट्टी के टीले उभर आयें हैं।[1] इसका गहरीकरण बरसात के पूर्व करना जरूरी है।

नर्मदा योजना प्रथम व द्वितीय चरण से प्राप्त जल को ओवर हेड़ टंकियो के माध्यम से वितरण व्यवस्था क लीकेज व दुरूपयोग रहित बनाना चाहिए। इंदौर महानगर परिक्षेत्र में स्थित पाँचो नदियों क्षिप्रा, खान, गम्भीर चम्बल एवं कनाड़ सहित अन्य इसमें छोटी नदियों को भी पुर्नजीवित करने के लिए इनमें जमा गाद परियोजना क तहत पार्वती, कालीसिंघ चंबल नदी जोड़ने संबंधी परियोजना को मूर्त रूप देने से पूर्व हर द्दष्टि से सर्वेक्षण किय जाना चाहिए। नदियों को पुर्नजीवित करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि अगर धरती का पेट जल से भरा होग तो नदियॉ बहने लगेंगी जो भू-जल पुर्नभरण को व्यापक रूप अपनामा जाने से संभव है।

इन जल स्त्रोतों की व्यवस्था के अतिरिक्त इंदौर के आस-पास १८ तालाबों का निर्माण कर उन्हें आपस म जोड़कर उससे शहर में पानी लाने की भी एक योजना [1]सी.ई.पी.आर.डी. तथा तत्कालीन सरकार द्वारा विचार म लाई गई थी।

स्थापत्यवेद के अनुसार जल प्रबंधन के विकन्द्रीकरण के तहत इंदौर महानगर परिक्षेत्र के उत्तर-पूर्व में ग्राम टोंक खुर्द (देवास)के समीप एक विशाल जल स्त्रोत तथा इंदौर नगर के निवेश क्षेत्र के उत्तर-पूर्व में लसूड़लिया मोरी तथा निपानिया के मध्य समुचित स्थल चयन कर एक विशाल जल स्त्रोत बनाया जाना चाहिए।देवास की ८० करोड़ लागत की इन्डसट्रीयल वाटर सप्लाय योजना[2] निर्माणाधीन ठ अत: इसी प्रकार प्रत्येक नगर पंचायत व औद्योगिक

१,२/समा.पत्र कत./१०,१९)

नगर तथा ग्राम पंचायतो की सीमा स्थापत्यवेद के अनुसर विकास हेतु एक निश्चित आकार में करके उसमें उत्तर-पूर्व दिशा में निर्दिष्ट स्थल पर, जहाँ भी सम्भव हो जल स्त्रोत बनाना या विद्यमान जल स्त्रोंतो केा ठीक करना चाहिए। इन जल स्त्रोतों के जल का वितरण उपयोग भी विकेन्द्रीत जल प्रबंधन क्षेत्र में ही क्षेष्ठ माना गया है ।

अतिवृष्टि, वर्षा में खेंच, सूखा आदि प्रकृति के साथ किए गए खिलवाड़ के कारण होता है। पर्यावरण के सही विकास व संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रकृति के नियमों का पालन करने से एवं समय-समय पर शास्त्रों में बताए अनुसार यज्ञ व घर-घर में नित्य अग्निहोत्र शासकीय स्तर पर भी किया जाना चाहिए जिससे आसमान में छाएँ रहने वाले बादल बरस सकें। हर कीमत पर गौ हत्या को नहीं रोका गया तो वहाँ जल नहीं बरसेगा। यह ध्रुव है ।

नदियों को जोड़ने से लेकर अन्य जल स्त्रोतों के लिए भूमि अधिग्रहण से पूर्व, विस्थापितों को उनकी सम्पत्ति बाजार मूल्य के बराबर हुए नुकसान की भरपाई हेतु स्थापत्यवेद के अनुसार उनकी पुर्नबसाहट की समुचित व्यवस्था उत्कृष्ट क्षेणी की, जानी चाहिए। नदीयों को जोड़ने की वृहद योजना [१]पर पुनर्विचार की जरूरत है। इन सभी जल स्त्रोतों का प्रबंधन शहरी प्रशासन के नियंत्रण में जन सहयोग के साथ किया जाना चाहिए। जनता अपने जल स्त्रोतों का प्रबंधन स्वयं करे। समस्त प्रदूषित पेय जल को पुर्नउपयोग के उद्देश्य अनुरूप शुद्धीकरण किया जाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से भूगर्भीय जल हेतु भूमि रूपी फिल्टर श्रेष्ठ माना गया है परंतु रासायनिक व गंदे नदी, नालों का जल सीधे भूमि में रिसने हेतु छोड़ना खतरनाक सिद्ध होकर भू-जल को भी प्रदूषित कर रहा है। नर्मदा का पानी मालवा में जलाकर क्षिप्रा नदी मे लाने की योजना [२]भी विचाराधीन है।इसी प्रकार०५ नदीयों क्षिप्रा,चंबल ,खान गंभीर एवं कनाड सहित अन्य नदीयों को पुनर्जीवित करने की योजना [३]मांग उठी थी।इन सभी योजनाओं गेभीर मंथन शास्त्रोक्त बनाना समय की मांग है। जल संरक्षण राजीव गांधी जलगृहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के तहत १५ जून ०५ तक करोड़ खर्च हो चुके हैं[४]।

प्रदूषण स्त्रोत पर इसका शुद्धीकरण करके ही छोड़ा जाना चाहिए। जल शुद्धीकरण के लिए रासायनिक द्रव्य, क्लोरिन, फिटकरी, एलम , ब्लीचिंग पाउडर आदि का उपयोग पानी की जाँच करने के पश्चात् एक निश्चिम मात्रा समय व अंतराल पर जल स्त्रोतों में जल शुद्धिकरण के लिए उपयोग करना चाहिए। किसी भी तत्व का कम या अधिक होना प्रदुषित जल मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है। जल स्त्रोतों, जलाशयों, नदियों समुद्रों को धार्मिक दृष्टि से देव तुल्य माना गया वंहीं इन्हें कहाँ, कब, कैसे बनाना व नियमों के विपरीत बनाने पर उसके दुष्परिणाम क्या होंगे, आदि विस्तृत रूप में बताया गया है। इसके साथ ही इसे कुंभ, सिंहस्थ आदि पर्वो के रूप में जनमानस को इनके तटों पर आकर स्नान से मोझ की प्राप्ति जैसी अवधारणाएँ,इनके सरंक्षण की व्यवस्था को परिलक्षित करती है। इन्हें बनवाने वालों को पुण्य की प्राप्ति होगी ऐसा माना गया है। आज के इस भौतिक युग में भी प्याउ लगाने की प्रथा चलन में है जबकि दूसरी ओर पानी के पाउच व बोतल संस्कृति ने पूरी तरह उपने पैर पसार लिए हैं। इन जल स्त्रोंतों के शुद्धिकरणव बनाने आदि के लिए जड़ी-बूटियों व आयुर्वेदिक औषधियों आदि के बारें में भी विस्तृत विवरण वैदिक साहित्य में उपलब्ध है, जो सविस्तार शोध ग्रंथ में पृष्ठ क्र. ५३ से८७ पर बताया गया है, इनका उपयोग किया जाना चाहिए।

जल संरक्षण, जल प्रबंधन की एक प्रमुख कड़ी है। बरसात के रूप में अथाह जल राशि शहरों, कस्बों, गांवो, खेतों आदि से बहकर नदी-नालों के माध्यम से व्यर्थ बह जाता है, इस जल को भू-जल संवर्धन हेतु इन सभी नगरों आदि कि सीमाओं को एक सुआकार में कर उनकी सीमाओं पर खाई खोदकर, स्टाप डैम के माध्यम से ढलान के समकोण दिशा में मेढ बनाकर डबरियाँ आदि सरंचनाओं का निर्माण कर, किया जाना चाहिए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी खाली पड़ी भूमि, उद्यानों, बड़े परिसरों तथा जहाँ भी भू-जल संवर्धन की सम्भावनाएं है, उचित, किफायती व पर्यावरण हितैषी संरचना का उपयोग कर जल संरक्षण को एक आंदोलन के रूप में किया जाना चाहिए।

अत: मालवा की इस माटी से प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है मालव धरती गहन गम्भीर, पग-पग रोटी, डग-डग नीर कहावत को जल प्रबंधन बताए अनुसार करके इसे चरितार्थ कर सकते हैं।

१,२,३/समा.पद्ध कत./१३,०९,१४ एवं ४/समा.पत्र कृत./७,८

७.४ भूमि विकास नियमन का पुर्नगठन :-

महानगर परिक्षेत्र में देश मे प्रचलित विकास नियमन में वर्तमान परिस्थितियों
आवश्यकताओं के अनुरूप समालोचना कर ,सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप इन विकास नियमों
स्थापत्यवेद से पुर्नगठन किया जाना समय की मांग है। स्थापत्यवेद के अनुरूप विकास नियमन में सर्वप्रथम कि
भी शहर, ग्राम, कॉलोनी या अन्य संरचना के आकार चौकोर, आयताकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार या अन्य निय
आकार में बताए अनुसार बनाना चाहिए जिसमें सड़कों का निर्माण दिशाओं के समानान्तर खाने दिशानुरूप रख
चाहिए जिससे निर्मित होने वाली संरचनाएं भी दिशानुरूप बनें व उनमें प्राकृतिक उर्जा बाधित न हो। भवन इस त
बनाने चाहिए कि दिन में प्रकाश तथा वायु के लिए ए.सी. पंखो आदि का उपयोग न करना पड़े। इन भवनों
अभिकल्पन करते समय ही इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। सम्भवत: इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रख
हुए विकास नियमन में खुल क्षेत्र छोड़ने, इनकी उँचाई आदि के लिए बनाए गए होंगे व प्रत्येक नक्षे पर उत्तर दिशा
अंकित करना अनिवार्य किया गया होगा वर्तमान में उत्तर दिशा प्रत्येक नक्षे पर अंकित होती है परंतु इसके बाव
देश प्रदेश की अधिकांश बाह्य व आतंरिक सड़के दिक्मूड़ बनाई गई जिसके परिणाम स्वरूप नगर, ग्राम, कॉलोनि
तथा अन्य सरंचनाएं दिक्मूड़ बन गई। यही कारण है कि एक आम आदमी प्रकृति द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के लि
संघर्षरत हैं। विकास नियमन मे अगर हम भूखण्डो को आयादि निर्णय के अनुसार बनाएं तथा सीमान्त युला
आगे, पीछे और आजू-बाजू के स्थान पर पूर्व में सबसे अधिक तथा उत्तर में उससे कम तथा क्रमश: पश्चिम
दक्षिण मे न्यूनतम छोड़ने का नियम बना दें इसी प्रकार भवनों की उँचाई संबंधी नियमों में ऐसे प्रावधान हों
भूखण्ड के दक्षिण-पश्चिम को छोड़कर उस पर निर्मित भवन से किसी भी दिशा में उँचे भवन न बन सकें जिस
दस भूखण्ड पर उर्जा बाधित हो। भवनों आदि में जल स्त्रोत, रसोईघर, बाथरूम, शौचालय, शयन कक्ष आदि
निश्चित स्थान पर स्थापत्यवेद के नियमों से जल-मल की पाईप लाईन तथा ड्रेनेज आदि की व्यवस्था सुनियोजि
तरीके से की जा सकती है। २४०० वर्ग फुट से बड़े भेखण्डों पर भूजल संवर्धन अनिवार्य रूप से किए जाने का निय
होना चाहिए। सार्वजनिक भवनों जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थान तथा उद्योग आदि के लिए भविष्य में स्थल चय
करते समय स्थापत्यवेद में बताए गए नियमों से परीक्षण करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जाना चाहिए। क्यों
उसके दुष्प्रभाव जनता पर पड़ते हैं।

नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा ईसरो द्वारा बनाई गई विकास योजना २०११ जिसे बाद मे शासन न
कर दिया है, में अध्याय ६ में दिए गए विकास नियमन मे उल्लेखित अवधारधा को जमीनी स्तर पर करने योग्य सी
मे स्थापत्यवेद के सिद्धांतों से पुर्नगठन किया जाना चाहिए। विकास नियमन बनाने व उनका जमीनी स्तर पर पाल
सुनिश्चित करेन के लिए जन सहयोग के बिना सम्भव नहीं हैं। यह मेरा शहर, भावना नागरिकों में तभी उत्पन्न
सकेगी जब उनमें शहर, ग्राम आदि के वास्तु दोषों का निरूपण नहीं होगा। यूँ तो स्थापत्यवेद सनातन से चली
रही अकाट्य विद्या है परंतु समाज में इसका व्यापक चलन वास्तु के नाम पर बढते हुए फेंगशुई तक व्यवसायि
कारणों के साथ अनुभव के कारण समाज में १० वर्षों में ही महत्वपूर्ण स्थान श्रद्धा व विश्वास जनता में बना लिया
। फिर भी इसे आमजन तक पहुँचने मे समय तो लगेगा जैसे ज्योतिष और आयुर्वेद व वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति
की ओर रूझान अढ रहा है। यह स्वयं ही विषय की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। अत: विक्रास नियम के प्रत्ये
खण्ड उपखण्ड व सम्पूर्ण दस्तावेज मे महानगर परिक्षेत्र हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप व्यवहारिक निय
बनाए जाने चाहिए।

स्थापत्यवेद से विकास नियमों में आंशिक उदाहरणार्थ कुछ परिवर्तन निम्नानुसार प्रस्तावित हैं।

आवासीय भूखण्ड विकास नियमन

४-सा-

क्र.	भूखण्ड का आकार क्षेत्र	क्षेत्रफल वर्ग मी.	विकास का प्रकार	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	फर्शीतल (प्रतिशत)	सीमांत खुला अनुपात क्षेत्र (मीटर में)				अधिकतम उँचाई (मीटर में)
						अग्र पूर्व में	पार्श्व उत्तर में	आज पश्चिम में	बाजू दक्षिण में	
	(X)									

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१.	४.० X ८.०	३२	पंक्ति	६०	१.५०	२.०	१.५	०.०	०.०	७.०
२.	६.० X ८.०	४८	पंक्ति	६०	१.५०	२.०	१.५	०.०	०.०	७.०
३.	८.० X १०.०	८०	पंक्ति	६०	१.५०	२.०	१.५	०.०	०.०	१०.०
४.	८.० X १५.०	१२०	पंक्ति	६०	१.५०	२.०	१.५	०.०	०.०	१०.०
५.	९.० X १५.०	१३५	अर्द्धपृथक्कत	५०	१.५०	३.०	२.५०	१.५०	०.०	९.५
६.	१२. X १८.०	२१६	पृथक्कत	४०	१.५०	३.०	२.५	१.५०	१.५	१०.०
७.	१२.० X २४.०	२८८	पृथक्कत	४०	१.२५	४.५	३.०	२.५०	१.५	१२.५
८.	१५.० X २४.०	३६०	पृथक्कत	३५	१.२५	६.०	३.०	२.५०	२.०	१२.५
९.	१५.० X २७.०	४०५	पृथक्कत	३३	१.००	७.५	४.०	३.५	२.०	१२.५
१०.	१८.० X ३०.०	५४०	पृथक्कत	३३	१.००	७.५	३.५०	३.०	२.५०	१२.५
११.	२०.० X ३०.०	६००	पृथक्कत	३३	१.००	८.०	४.०	३.०	२.५०	१२.५
१२.	२५.० X ३०.०	७५०	पृथक्कत	३३	१.००	१०.०	५.५	४.५०	३.५०	१२.५

X भूखण्ड का आकार "आयादि निर्णय" पर आधारित होगें।

टीप :

१. सारणी ४-सा-२ एकल परिवार/संयुक्त परिवार के प्रस्तावित भूखंडीय विकास हेतु है।

२. अगर क्षेत्रीय एफ.ए.आर. घनत्व नियंत्रण के कारण, रिपोर्ट में दिया गया हो तो कालम ६ के प्रावधानों के उपर रहेगा एवं सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम रहेगा। स्थापत्य के नियमों से।

३. उँचाई, भू-आच्छादन, एफ.ए.आर., एम.ओ.एस. आदि भवनों की उँचाई एवं घनत्व आदि को नियंत्रित करने हेतु नियंत्रणकारी उपाय है। स्थापत्यवेद के अनुसार, जो प्रकृति से सामन्स्य, स्थापित करता हैं।

४. क्रमांक ७ से १२ में दर्शाए गए भूखण्ड के आकार के केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में बहुविध इकाई भूखंड विकास के रूप में माना जा सकता है। जिन्हें स्थापत्यवेद के नियमों से परिवर्तित किया जा सकेगा।

५. नियमित या अनियमित आकार के भूखंड, जिनका क्षेत्रफल सारणी में दर्शाए सीमाओं के बीच में आता हो, ऐसे में पूर्व क्षेझी अथवा अनुज्ञा में दर्शाए गए एम.आ.एस., एफ.ए.आर. कव्हरेज आदि स्वीकार्य नहीं होगे। उन्हें दोष सुधार के बाद ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

६. भवन की उँचाई १२ मीटर से अधकि नहीं होगी तथा जो भवन ९ मी. अथवा उससे कम चौड़े मार्ग पर स्थित होंगे उनकी अधिकतम उँचाई १० मी. होगी । अगर स्थापत्यवेद के नियमों से आवश्यक होगा तो, परिवर्तित कियशा जा सकेगा।

७. एकल परिवार/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्ड पर आवासीय इकाई की संख्या ४ आवासीय इकाई प्रति भूखण्ड से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो स्थापत्यवेद के नियमों पर आधारित होगें।

८. २०० वर्गमीटर से बड़े एवं ५०० वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर अधिकतम एक नौकर आवास एवं एक गैरेज तथा ५०० वर्गमीटर से बड़े भूखण्ड पर अधिकतम २ नौकर आवास एवं २ गैरेज निर्धारित एफ.ए.आर के अलावा स्वीकार्य होंगे, स्थापत्यवेद से, साथ ही भू-जल संवर्धन हकी कार्यवाही आवश्यक होगी।

९. प्रत्येक नौकर आवास में एक कमरा, जिसका फर्शी क्षेत्र ११ वर्ग मीटर से कम न हो, स्नानगृह, रसोई एएवं शोचालय के अतिरिक्त होगा। नौकर आवास का अधिकतम आकार २० वर्ग मीटर होगा, स्थापत्यवेद के नियमों में बताये अनुसार ही बनाना होगा।

१०. घनत्व गणना के लिए प्रत्येक आवासीय इकाई में ४.८ व्यक्ति एवं नौकर आवास में ४.० व्यक्ति माने जावेंगे।

११. झुग्गी वासियों के पुर्नबसाहट के संबंध में ३२ वर्गमीटर से कम आकार का भूखण्ड स्वीकार्य होगा। व नगर वसति योजना के अनुरूप शहर में स्थान पर होगा।

१२. भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल ४२.५ वर्गमीटर अथवा अधिक है, पर स्वीकार्य निमार्ण क्षेत्र के भूतल पर, २.४ मी. उँचाई तक आच्छादित पार्किंग का प्रावधनित क्षेत्र निर्माण करने की स्थिति में यह निर्मित क्षेत्र फर्शी तल अनुपात एवं भवन की उँचाई की गणना से मुक्त रखा जायेगा। इस क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण स्वीकार्य नहीं

होगा, निर्माण हाने पर, तोड़ा तो जावेगा ही।

१३. न्यूनतम ४०,०००/- रू. जुर्माना व दण्डनीय अपराध होगा।

समूह आवास

४.२६ समूह आवास योजना निम्न मापदण्डों से नियंत्रित होगी :-

अ. इस तरह के विकास के लिए, भूखण्ड का न्यूनतम आकार ४००० वर्गमीटर होना चाहिए। यह भूखण्ड किसी एक व्यक्ति/संस्था अथवा कई समूहों के स्वामित्व का हो सकता है। व उस पर शास्त्रोक्त (स्थापत्यवेद) से विन्यास स्वीकार होगें।

ब. इस ४००० वर्ग मीटर पर निवेश अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक है जिसमें शहर स्तर की परिभ्रमण संरचना का समन्वय तथा वृत्त खण्ड एवं उप वृत्त खण्ड स्तरीय सुविधायें, सेवायें तथा अनौपचारिक सेक्टर के प्रावधान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की यह बाद में समस्या न बनें।

स. भू-आच्छादन स्थल के क्षेत्रफल का ३३.५ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। वह भी स्थापत्यवेद के नियमों सें निर्दिष्ट दिशा में।

द. भवन की उँचाई मार्ग की चौड़ाई के अनुसार स्थापत्यवेद के नियमानुसार ही होंगी। यदि भूतल पर आच्छादित पार्किंग दी जाती है जो भूतल की अधिकतम उँचाई २.४ मीटर होगी तथा पार्किंग क्षेत्र एवं पार्किंग की उँचाई क्रमश: फर्शी तल अनुपात एवं भवन की उँचाई में सम्मिलित नहीं की जावेंगी। जिसका उपयोग वास्तव में सिर्फ पार्किंग के लिए हो सकेगा, अन्यथा दण्डित होगें।

इ. ऐसे स्थल से लगे मार्ग की चौड़ाई मार्ग की चौड़ाई १८ मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो फूटपाथ व नाली युक्त हों।

फ. भूखण्ड की बाहरी सीमाओं से सीमांत खुले क्षेत्र निम्नानुसार रहेंगे :-

(E) पूर्व में ६.० मीटर न्यूनतम,
(N) उत्तर में ५.० मीटर न्यूनतम,
(W) पश्चिम में ४.५ मीटर न्यूनतम,
(S) दक्षिण में ३.० मीटर न्यूनतम

ज. फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) १.५ से अधिक नहीं होगा। प्रथम व उपरी तल का क्षेत्रफल विस्तारित नहीं किया जा सकेगा।

च. औसत आवासिय इकाई का आकार एवं आवसीय की संख्या की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम १९८४ के नियम ८२ के अनुसार की जावेगी। उसमें भी स्थापत्यवेद से आवश्यक संशोधन की आवश्यकता जनहित में की जा सकती है।

झ. डुपलेक्स भवनों हेतु समूह आवास विकास इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं होंगे, अगर स्थापत्यवेद के नियमों से हुआ तों, सम्मिलित होंगे।

बहुमंजिले बहुविधि इकाई निर्माण

४.२७ ऐसे विकास के मांपदण्ड निम्नानुसार रहेंगे :-

१२ मीब्र से उंचे भवनों को बहुमंजिले भवन की श्रेणी में रखा जावेगा। ऐसे विकास का स्वरूप भिन्न होता है।

१. भूखण्ड का आकार-भूखंड का आकार १५०० वर्गमीटंर से कम नहीं होना चाहिये तथा उसका स्थल मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत होना चाहिये। जो पूर्वत: स्थापत्यवेद के नियम से।

२. मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई निम्नानुसार रहेगी - (स्थापत्यवेद से परिवर्तन संभव)

भवन की उँचाई	मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई
१५ मी. (भूतल + ४)	२४ मी.
१५ मी. से ज्यादा	३० मी.

३. अग्र सीमांत खुला क्षेत्र– प्रस्तावित भवन की ऊँचाई का कम से कम आधा पूर्व व उत्तर में सबसे अधिक ।

४. आजू–बाजू एवं पार्श्व सीमांत खुले क्षेत्र: न्यूनतम ६.० मी. (दिशाओं पर आधारित होगी।)

५. सीमांत खुले क्षेत्र अग्नि शमन वाहनों के संचालन हेतु रूकावट मुक्त रखे जावेंगे, व अग्नि शमन उपकरणों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हमेशा रखना होगी।

औद्योगिक विकास–मानक

४.३५ औद्योगिक क्षेत्रों के अभिव्यास के मानक निम्नानुसार अनुशंसित है:– उद्योग किस प्रकार का है, तदानुसार उसके लिये स्थापत्यवेद के नियम से अंतिम निर्णय स्थल होगा।

१. भूखण्ड का क्षेत्र	अधिकतम	६५ प्रतिशत
२. मार्गों, वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र	न्यूनतम	२५ प्रतिशत
३. दुकानों एवं अन्य सेवा सुविधायें हेतु	न्यूनतम	२५ प्रतिशत

औद्योगिक विकास हेतु भूमि विकास नियम १९८४ के नियम ४८(१)(२) के अनुसार भी आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

औद्योगिक क्षेत्रों विकास नियमन

४–सा–६

क्र.	भूखंड का आकार	निर्मित क्षेत्र (प्रतिशत)	सीमांत खुला क्षेत्र				फर्शी क्षेत्र अनुपात
			अग्र	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	०.०५ हेक्टर तक	६०	४.०	३	२.५	१.५०	१.०
२.	०.०५ से अधिक ०.१ हेक्टर तक	५५	५	४	३.०	२.०	०.८
३.	०.१ हेक्टर से अधिक २.० हेक्टर तक	५०	९	४.५	३.०	२.०	०.७५
४.	०.२ हेक्टर से अधिक १.०० हेक्टर तक	४५	१०	७.०	६.०	४.०	०.७५
५.	१.० हेक्टर से अधिक २.० हेक्टर तक	४५	१२	८.०	६.०	४.०	०.७५
६.	२.०० हेक्टर से अधिक	३३	१५	१०.०	६.०	४.०	०.७५

४.७५ विकास/नियोजन अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया

विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत यदि कोई आवेदनकर्ता को अनुमति प्राप्त करने के हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के प्रावधानानुसार, निम्न दस्तावेज जानकारी संलग्रित की जाना आवश्यक होगा :–

१. अधिनियम की धारा २९ उपधारा (१) के अंतर्गत निर्धारित अनुज्ञा प्रपत्र में अनुज्ञा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।

२. स्वामित्व संबंधी प्रमाण : खसरा पंचसाला, खसरा खतौनी, पंजीयन नामा, प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण।

३. नगर भूमि सीमा अधिनियम १९७६ के अंतर्गत नगरीय भूमि सक्षम प्राधिकारी से प्रशनाधीन भूमि की आवश्यक छूट जहाँ यह अधिनियम प्रभावशील है।

४. म.प्र. विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम १९८२ के प्रावधानों के अनुरूप जानकारी।

५. भूमि का विवरण (स्थान के साथ सड़क/सड़कों के नाम जिस पर या जिसके सामने संपदा स्थित हो भू-सीमायें)। उत्तर दिशा का सही अंकन

६. मूल खसरा मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि के क्रमांक अंकित हों, साथ ही प्रश्नाधीन भूमि की बाह्य सीमा से २०० मीटर के अंतर्गत निहित पास के खसरा क्रमांक दर्शाये हों। प्रश्नाधीन भूमि खसरा मानचित्र पर लाल रंग से चिन्हिति की जावे।

७. विकसित क्षे९ के प्रकरण में भूखंड क्रमांक तथा स्वीकृत अभिन्यास के विस्तृत विवरण सहित स्थापत्यवेद के नियमों से।

८. स्थल मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि चिन्हित हो, साथ ही मुख्य पहूंच मार्ग, भमि के आसपास वर्तमान भू उपयोग एवं महत्वपूर्ण भवन। स्थापत्यवेद के नियमों के विपरित होने पर स्वीकार्य नहीं होगा।

९. १:५००/१०००/२००० की स्केल पर सर्वे प्लान जिसमें प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, प्राकृतिक स्वरूप जैसे नाले, गड्ढे, पहाड़ियाँ, वृक्ष, यदि भूमि समतल न हो तो कन्टूर प्लान, प्रश्नाधीन भूमि में से या २०० मीटर तक की समीपस्थ भूमि से जा रही उच्च दाब विद्युत लाईन, राइट आफ वे दर्शाते वर्तमान मार्ग। विद्युत एवं टैलीफोन के खंभे, वृक्ष एवं अन्य सभी संबंधित स्वरूप जो समीपस्थ क्षेत्रों से समांजस्य करने हेतु आवश्यक हों। ताकि स्थापत्यवेद के नियमों से प्रथम द्दष्टि में ही, देखकर ठीक किये जा सकें।

१०. सामान्य प्रतिवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित विकासीय प्रस्ताव दर्शाता प्लान/ मानचित्र स्थपति का प्रमाण पत्र सहित।

११. प्रस्तावों के यथोचित परीक्षण हेतु भवन के वास्तुविदीय विवरण प्रस्तुत करना होंगे। जिसमें का व्यवसाय के अनुरूप शास्त्रोपक्त प्रस्ताव स्वीकृत कियें जावें।

१२. विकास प्रस्तावों के प्रकार जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि पर एक प्रतिवेदन। स्थापत्यवेद के नियमों से परिवर्तन सम्भवं।

१३. म.प्र. भूमि विकास नियम १९८४ के प्रावधानों के अनुरूप विकास/नियोजन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। अनुज्ञा आवेदन के सोध निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये। स्थापत्यवेद के अनुसार परामर्श निःशुल्क दिया जावेगा।

१४. अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण/जानकारी या अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप प्रमाण / जानकारी एवं प्रश्नाधीन भूमि के विकास प्रस्ताव आवेदन के साथ संलग्नित होना चाहिये।

१५. म.प्र. भूमि विकास नियम १९८४ की धारा ४९(३) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि को विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें।

१६. अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत सामान्य मानचित्रों के अतिरिक्त अपने प्राधिकृत वास्तुविद/यंत्री/नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित यथोचित भू-द्दश्यीकरण प्लान, जहाँ आवश्यक हो, वहाँ की परिवहन प्लान जिसमें वाहन एवं नगरीय रूपांकन योजना दर्शायी गयी हो, को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होंगे।

सिविल इंजीनियर को सुपरविजन हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

टीप:

१. आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव के परीक्षण करते समय राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रसारित निर्देशों एवं मार्ग दर्शन का कड़ाई से पालन किया जावेगा। जिसमें स्थापत्य के नियमों का पालन भी सम्मिलित है।

२. भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधी म.प्र. भूमि विकास नियम १९८४ के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना चाहिये।

विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया (प्रस्तावित भू-उपयोग)

४७६ म.प्र. भूमि विकास नियम १९८४ की धारा ४९(३) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न निम्न की आवश्यकता होगी, जो स्थापत्यवेद के नियमों पर आधारित होगी।

१. परिशिष्ट–२ के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र।

२. प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा २०० मीटर तक के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हों,

३. अद्यतन खसरा पंचसाला एवं खसरा खतौनी

४. आवेदन केवल भू–स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जावेगा।

५. जब आवश्यक हो भूमि का पंजीकरण प्रमाण तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत हो।

६. स्थापत्यवेद के नियमों का पालन करने हेतु शपथ–पत्र, स्वहित में।

सारणी ६.९ जन सुविधाओं/सेवाओं हेतु विकास नियमन

क्र.	प्रकार	अधिकतमआच्छादित क्षेत्र (%)	फर्शी क्षेत्र अनुपात
१	२	३	४
१.	शैक्षणिक भवन		
	अ– पूर्व प्राथमिक शाला	४०	०.७५
	ब– प्राथमिक शाला	३३	१.००
	स– उच्च माध्यमिक शाला	३०	१.००
	द– महाविद्यालय	२५	१.००
२.	स्वास्थ्य		
	अ– स्वास्थ्य केन्द्र/नर्सिंग होम	३०	१.२५
	ब– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	३०	१.२५
	स– अस्पताल		
	द– अन्य	३०	१.२५
३.	जन उपयोगिता एवं सुविधायें		
	अ– आरक्षी चौकी	३५	१.००
	ब– पुलिस स्टेशन	२५	१.००
	स– सामुदायिक कक्ष	३०	१.००
	द– उप अग्निषमन केन्द्र	२५	१.००
	इ– अग्नि षमन केन्द्र	२५	१.००
	फ– डाक व तार	३०	१.००
	ज़– विद्युत सब स्टेशन		
४.	धार्मिक भवन	३०	१.००
५.	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय	२५	१.००

टीप: उपरोक्त सारणी में जो सुविधायें सम्मिलित नहीं हैं, उनका आच्छादित क्षेत्र ३० प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात १.०० से अधिक नहीं होगा।

सारणी ६.१० समुदायिक सेवा/सुविधाओं के मापदंड

सेवा/सुविधायें	जनसख्ंया	प्रति सुविधा के लिए अनुशंसित क्षेत्र (हैक्टर)
१	२	३
शेक्षणिक		
नर्सरी, पूर्व प्राथमिक, क्रेच	२५००–३०००	०.०५
प्राथमिक शाला	३०००–४०००	०.२०
उच्चतर माध्यमिक शाला	७५००–१००००	०.८०

महाविद्यालय	०.८०-१०० लाख	यूजीसी मापदंड़ो के अनुसार
अभियांत्रिकी महाविद्यालय	१० लाख	एआईसीटीमापदंड़ो के अनुसार
चिकित्सा महाविद्यालय	१० लाख	तदैव
तकनीकी शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा	१० लाख	तदैव
विश्वविद्यालय परिसर	१०-१५ लाख	यूजीसी मापदंड़ो के अनुसार
स्वास्थ्य		
डिस्पेन्सरी, क्लीनिक	५०००	०.२
प्रसुतिगृह (१० बिस्तर)	१५०००	०.०८
नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र (३० बिस्तर)	४५०००	०.१५
पोली क्लीनिक	१.५ लाख	०.२०
इंटरमीजिएट अस्पताल	१ लाख	१.०
सामान्य अस्पताल	२.५ लाख	४.०
सामाजिक एवं सांस्कृतिक		
कलावीथिका एवं संग्रहालय	महानगरीय	०.५०
सभागृह	५०,०००	०.२०
केन्द्रीय पुस्तकालय	महानगरीय	०.५०
क्लब	५०,०००	०.१०
सामुदायिक गृह एवं पुस्तकालय	१०,०००	०.०८
धार्मिक भवन	५०००	०,०४
धार्मिक/आद्यात्मिक केन्द्र	१-३ लाख	०.५
सुरक्षा		
आरक्षी चौकी	४०,०००-५०,०००	०.१६
आरक्षी केन्द्र	०.७५-०.०९	१.१५
जिला पुलिस कार्यालय	१० लाख	४.०
पुलिस लाईन	१० लाख	४.०
जिला जेल	१०लाख	१०.०
नगर सेवक परिक्षेत्रीय कार्यालय	१०-२० लाख	२.०
अग्निशमन केन्द्र	१०.०	२.००
अन्य		
दुग्ध वितरण केन्द्र	५,०००	०.००२
दूरभाष केन्द्र	३-५ लाख	०.८०
तार कार्यालय	५-१० लाख	०.२
मुख्य डाकघर	२.५ लाख	०.०५
मुख्य डाकघर(प्रशासकीय)	५-१० लाख	०.२५
तरल पेट्रोलियम गैस गोदाम	४०,०००-५०००	०.५
टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थल	१५०००	०.०५
कब्रिस्तान/श्मशान घाट	१.५-२.० लाख	२.०
विद्युत उपकेन्द्र ६६ कि.वा.	१ लाख	१.०
विद्युत उपकेन्द्र ११ कि.वा.	७,५००-१०,०००	०.०५

टीप: नर्सरी, पूर्व प्राथमिकशाला, क्रेच एवं क्लिनिक को छोड़कर अन्य शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक सुविधाएं उन्ही भूखण्डो पर एकीकृत की जा सकेंगी जिनके सामने न्यूनतम १२.० मी का मार्ग विद्यमान हो ।

सारणी: ६.१४ आवासीय कॉलोनियों में मार्गों की चौड़ाई

क्रमांक	मार्ग की चौड़ाई मीटर में	मार्ग की लंबाई मीटर में
१	७.५	१००
२	९	१५०
३	१२	२५०
४	१८	४००
५	२४	१००० अथवा उससे अधिक

सारणी ६.१५ मार्गों एवं गलियों का मानक

क्र.	मार्ग वर्गीकरण	अनुशंसित मार्ग चौड़ाई (राइट ऑफ वे) मीटर	टिप्पणी
१	२	३	४
१.	मुख्य नगरीय मार्ग	३० से ७५	औसत अंतर ३ कि.मी.
२.	वृत्त खंड मार्ग	१८ से ३०	औसत अंतर १ कि.मी.
३.	उप वृत्त खंड मार्ग	१२ से १८	उच्च सीमा में पष्थक साईकिल मार्ग शामिल है
४.	स्थानीय मार्ग	७.५ से १२	
५.	अन्य पहुँच मार्ग (न्यूनतम चौड़ाई)		
	लूप मार्ग	७	अधिकतम लम्बाई १५० मीटर
	कल्डी सेक मार्ग	९	अधिकतम लम्बाई १५० मीटर घूर्णन वृत्त की त्रिज्या ९ मीटर
	निम्न आय श्रेणी की कॉलोनियों में	४.५	अधिकतम लम्बाई ५० मीटर
	गंदी बस्ती उन्नयन योजना	१.५	अधिकतम लम्बाई ५ से २० मी
६.	साइकल पथ	२ से ५	–
७.	पादचोरी मार्ग	१.५ से ४.५	–

सारणी ६.१६ जन सुविधा सेवा मानक

क्र.	सुविधाऐं/सेवाऐं	अनुशंसित अधकितम पैदल देरी (कि.मी.)
१	२	३
१.	झूलाघर/नर्सरी विद्यालय	०.३०
२.	प्राथमिक शालाऐं	०.८०
३.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	१.५०
४.	टाट लाट	०.३०
५.	खूले क्षेत्र एवं खेल मैदान	०.३०
६.	सेक्टर पार्क एवं खेल मैदान	०.५०
७.	दुकानें एवं खेल मैदान	०.५०
८.	स्वास्थ्यकेन्द्र	०.५०
९.	डाक घर	०.५०
१०.	सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, स्थानीय क्लब इत्यादि	०.७५

टीप: उच्च आय वर्ग समूह आवास क्षेत्र जहॉं कुल घनत्व निम्न होने की संभावना हो तो उपरोक्त मानक प्रभावशील नहीं होंगे।

बारात घर एवं मैरिज होल :

न्यूनतम भूखंड आकार — १००० वर्गमीटर

अधिकतम भू–आच्छादन	२० प्रतिशत
अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	०.८
अन्य नियंतत्र	
१. न्यूनतम राइट ऑफ वे सामने	१८ मीटर
२. भूखंड के कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम	२५ प्रतिशत

भूखण्ड आच्छादन (निर्मित क्षेत्र) तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात (अधिकतम)

१. भूखण्ड का क्षेत्र ९० वर्ग मीटर से अधिक न हो – ७५ % तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात १.५

२. भूखण्ड का क्षेत्रफल ९० वर्गमीटर से अधिक लेकिन १८० वर्ग मीटर से अधिक न हो –६६ % तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात १.२५

३. भूखण्ड का क्षेत्रफल १८० से अधिक हो– ६०% तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात १.२५

४. भवन की अधिकतम उँचाई विद्यमान मार्ग की चौड़ाई के डेढ गुना से अधिक नहीं होगी।

५ तलगर का उपयोग सिर्फ पार्किंग हेतु मान्य होगा

७.५ वित्तीय प्रबंधन :-

महानगरीय निकायों का वित्तीय प्रबंधन मूलत: करों की वसूली से होता है। विभिन्न योजनाओ के लिए के व राज्य शासन से मिलने वाली राशि तथा वित्तीय संस्थाओं से योजनाओं हेतु कर्ज लेकर एवं विकास बाण्ड जारी क अपने कार्य कलापों का निष्पादन करती हैं। इंदौर नगर पालिका निगम भी मँहगी नर्मदा जल परियोजना चरण १ २ का भार उठाते हुए शनै:शनै: अपनी आमदनी को बढाते हुए तथा वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेकर व विकास बा के जरिए इंदौर शहर को बेहतर बनाने के प्रयास कर रही है जो सराहनीय है। हाल ही में केन्द्र व राज्य शासन फिक्की के परस्पर सहयोग से इंदौर में एक अंतर्राष्टीय हवाई अड्डा बनाने का अनुबंध हो चुका है इसके साथ ही ऑ क्लस्टर, ऑटो टेस्टिंग व क्रिस्टल आईटी पार्क जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए भी अनुबंध किया गया है।

महानगर परिक्षेत्र व उसके आस–पास के परिवेश में उपलब्ध जड़ी–बूटियों, दवाओं आदि की पैदावार व बढाकर उनसे प्रामाणिक औषधियाँ अनुसंधान कर बनाने के लिए उद्योग लगाना, क्षेत्र में उपलब्ध मानव संसाधन खनिज, जलराशि का प्रकृति से सामन्जस्य स्थापित करते हुए दोहन करने तथा रतनजोत की पैदावार व डीज बनाने के कारखानों आदि से महानगर परिक्षेत्र की अर्थव्यवस्था में आमाचूल परिवर्तन सम्भव है। वैकल्पिक संसाधन से महानगर परिक्षेत्र मे ही बिजली उत्पादन कर तथा स्थापत्यवेद के अनुरूप तिल्लौर को दुग्ध एवं उससे बनने वा अन्य पदार्थो के लिए सर्वथा उपयुक्त स्थल को दुग्ध शहर के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जा सकता है इ सबसे भी नगरीय व ग्रामीण इंदौर निकायों की आय में वृद्धि होगी। सी.ई.पी.आर.डी. संस्था द्वारा इंदौर महानगर लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंध विषय पर प्रकाशित सारांश व मन्तव्य निम्नानुसार है।

शहरों में न्यूनतम बुनियादि नागरिक सुविधाओं के विकास एवं प्रबन्ध की जिम्मेदारी किसकी है ।इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट तौरकहीं नहीं मिलता है।शहरीय स्थानीय कानूनी बुनियादी नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाने लिये जिम्मेदार तो है ,किन्तु विकास का दायित्व उन पर नहीं रहा ।इस हेतु अलग से विकास प्राधिकरण बनाये ग ।लेकिन नगर व ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ ने विकास की प्राधिकरणों को भी शहरीय विकास के लिय नोडल एजेंसी नही बनाया। इससे स्थिति ऐसी रही है कि, शहरीय स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण,ग्रह निर्मा मंडल,गन्दी बस्ति निर्मूलन मंडल ,म.प्र.राज्य विद्युत मंडल आदि विकास संस्थाओं के बीच कोई कार्यात्म सामन्जस्य व संवाद नहीं रहा।सब अलग अलग काम करते रहे।नतींजा यह हुआ कि शहरीय विकास के लिये बना "मास्टर प्लान"स उस रूप में कार्यान्वित नहीं किये जा सके ,जिस रूप में उन्हें अंगीकार किया गया था।

इंदौर महानगर का भी १९७४ से १९९१ तक की अवधि में स्वीकृत "मास्टर प्लान" के अनुरूप के अनुरूप विकास नहीं हो सका। 'मास्टर प्लान' को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी नोडल एजेन्सी के रूप में किसी को सीधे नहीं सौंपी गई। परिणामत: 'मास्टर प्लान' पर अमल कम, उसका उल्लंघन ज्यादा हुआ। इंदौर महानगर का

सुनियोजित/अनियंत्रित विस्तार ज्यादा हुआ। इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो एक दिन हमारा इंदौर महानगर 'महानर्क' का रूप ले लेगा।

७४ वें संविधान संशोधन ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। नगर-नियोजित और विकास की जिम्मेदारी (संविधान की अनुसूची १२ में वर्णित दायित्वों के अनुसार) शहरीय स्थानिय निकायों अर्थात नगर निगमों की है। इस संवैधानिक व्यवस्था में स्पष्ट है कि अब विकास प्राधिकरण की कोई अलग भूमिका नहीं रही। उन्हें नगर निगमों के आधीन नगर नियोजन एवं विकास विभाग के रूप में कार्य करना चाहिए।

इसी तरह नगर निगमों की सीमा में जो भी शासकीय नजूल भूमि है, वे भी नगर निगमों को अन्तरित की जानी चाहिए, ताकि नगर निगम उन्हें योजनानुसार विकसित कर आय का स्थाई आधार बना सकें। भूमि-आय से जो भी विकास कार्य किये जायेंगे, उनसे भी आय के नये-नये स्त्रोत उत्पन्न होते जायेंगे क्योंकि विकास से भी आय बढती है।

इंदौर के पर्यावरण सरंक्षण, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (Centre for Invironment Protection, Research and Development) ने इंदौर महानगर के सतत् एवं स्थिर विकास हेतु सन् २००१ से २०२५ तक की अवधि के लिये एक सिटिज़न्स मास्टर-प्लान की रचना का काम हाथ में लिया है।

इस रचनात्मक सोच एवं कृत्य के दो मुख्य उद्देश्य हैं: एक, नागरिक बुनियादि न्यूनतम सुविधाओं का गुणवत्ता युक्त विकास। दो, नागरिकों में अपने शहर के प्रति मैत्री भावना और अपनत्प का विकास। उपरोक्त दोनों उद्देश्यों की पूर्ति भी संभव हो सकेगी, जब कि विकास के लियें वित्तीय संसाधनों का गत्यात्मक जुगाड़ (Resoure Mobilisation) होता रहे।

विकास के लिये वित्तीय संसाधनों का गतिशील प्रबंध कैसे/कहाँ से होगा ? यह प्रश्न मुख्य रूप से विचारणीय है। बिना वित्तीय संसाधनो के कोई विकास संभव नहीं हो सकता सैद्धान्तिक रूप से इस प्रश्न का साफ-सुथरा उत्तर यही है कि जो नगरवासी विकास से लाभान्वित होकर गुणवत्तायुक्त जीवन जीने की सुविधाएं प्राप्त करेंगे, किमत उन्हीं को चुकाना होगी। कोई अन्य हमारें विकास की न तो जिम्मेदारी उठायेगा और न वित्तीय भार वहन करेगा। हमारे सतत्/ स्थिर विकास की जिम्मेदारी हम नगरवासिंयो को ही उठानी होगी और वित्तीय भार भी अन्तत: हमीं को वहन करना होगा। यह संभव हो सकता है कि हमें कोई धन उधार दे दे, किन्तु मय ब्याज उस धन राशि के निर्धारित अवधि में पुर्नभुगतान की व्यवस्था हमीं को करना होगी। किस प्रकार यह व्यवस्था हो सकती है, इसी प्रश्न पर हमने इस विचार-पत्र में कुछ चिन्तन किया है।

इंदौर नगर निगम की वार्षिक/आय अभी १०० करोड़ रू. से भी कम है। वित्त वर्ष १९९९-२००० में निगम की सकल आय करीब ९८ करोड़ थी जिसमें निर्माण कार्यो पर मात्र ३३ करोड़ रू. खर्च किये गये। शेष ६५ करोड़ रू. गैर योजना/स्थापना व्यय में गये। आंय एवं व्यय का यह असंतुलन विकासोन्मुख नहीं है। इसमें संतुलन लाने की आवश्यकता है। निगम की कम से कम ५०प्र.श. आय विकास कार्यों एवं संधारण कार्यो पर खर्च हो, ऐसे प्रयास हमें करना होंगे। नगर निगम की आय का मुख्य स्त्रोत है सम्पत्ति कर। अभी बमुश्किल से ३० प्र.श. सम्पति धारक अल्पतम सम्पति-कर का भूगतान कर रहें हैं। गत-वर्ष किये गये प्रयासों से सम्पत्ति-कर की आय में वृद्धि तो अवश्य हुई है, किन्तु उसमें अभी काफी वृद्धि की गुंजाइश है। हमें सम्पत्ति कर के सही आकलन और वसूली पर ध्यान देना होगा यह कार्य ठेके पर भी दिया जा सकता है।नगर निगम द्वारा जारी श्वेत पत्र [1]के अनुसार नर्मदा तृतीय चरण का ६०० करोड़ व जवा.ने.शहरीकरण योजन क्का ३० प्रतिशत अंशदान १६५०करोड का कर्ज लेना पड़ेगा जिसे आने वाले सालों में ९७८ करोड़ का कर्ज होगा। इसी योजना में ३५ करोड की यशवंतसागर के गहरीकरण हेतु निगम का अंशदान १०.५ करोड़ होगा।इस वर्ष केन्द्र सरकार ने **प्रधानमंत्री जल संवर्धन योजना** [2] के नाम से मप्र,राज.,उड़ीसाव कर्नाटक केआदि के लिये स्वीकृत की है।

अभी केवल भवनों पर ही सम्पत्ति-कर वसूला जाता है। खाली भूमियों पर कोई कर नहीं वसूला जाता। भूमियों के मुल्य बढने से भूमि-स्वामी खूब लाभान्वित होते हैं, किन्तु स्थानीय निकायों को उसमें कुछ भी अंश नहीं मिलता। भूमियों पर भी वार्षिक सम्पत्ति कर वसूला जाना चाहिये। जल दर लागत व्यय से बहुत कम है। मात्र २ रूपये प्रतिदिन जल दर नगरवासी बिना मीटर पानी घरेलू का उपयागे कर रहे हैं। बिना कोई उपयोग-मूल्य चुकाये भारी मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है। जल आपूर्ति की व्यवस्था में कई दोष हैं। समान जल-आपूर्ति नहीं

१,२/समा.पत्र कत./२७,८

होती। कहीं ज्यादा/कहीं कम आपूर्ति होती हैं। जल का रिसन और अपव्यय भी बढी मात्रा में होता है इन सब दो को दूर करते हुए, हमें मीटर लगातार जल आपूर्ति करना होगी। जल दरें भी युक्ति-संगत करना होंगी। जल वितरण, मीटर रीडिंग और जल-दर की वसूली का काम भी प्रायोगिक तौर पर ही ठेके पर दिया जा सकता है।

अभी विकास के जो भी कार्य इंदौर नगर निगम अथवा इंदौर विकास प्राधिकरण या कि गृह निर्माण मण्ड करता है, उससे जो लोग लाभान्वित होते हैं, उनसे कोई बेटरमेंट-सेस वसूल किये जाने का प्रावधान है। बेटरमेंट-सेस की वार्षिक वसूली शुरू करना चाहिये।

सड़कों और पुलों के निर्माण संधारण के लिये टोल-टैक्स कहाँ और कितना-कितना वसूल किया ज सकता है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिये।

राज्य सरकार ने चुंगी कर के बदले में प्रवेश कर लगाया, किंन्तु इससे शासकिय स्थानिय निकायों को भारी आय-हानि हो रही है, उस पर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आवश्यकता इस बात की है प्रवेश कर राज्य का कर नहीं मानें और इसे राज्य की संचित निधि का घटक न मानें। इसे पहले की ही तरह एक अलग कोष रूप में जाम किया जावे और शहरीय स्थानीय निकायों को प्रवेश-कर के बंटवारे हेतु कोई युक्त-संगत फार्मूला त किया जाये। प्रवेश कर की वसूली को और व्यापक बनाया जाये। वाणिज्यकर पर अभी शहरीय स्थानीय निका के लिये जो १० प्र.श. सरचार्ज लिया जा रहा है उसे सीधे शहरीय स्थानीय निकायों के खाते में जमा करने प्रणाली लागू की जायें। यदि इससे भी शहरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार न हो तो पुनः चुंगी कर इस ढंग से लागू किया जये जिससे कि व्यवसायीगण परेशान न हों और भ्रष्टाचार नहीं पनपे ।

शहरीय सम्पत्ति केवल भूमि अथवा भवनों को ही नहीं माना जाना चाहिए। अब सम्पत्ति के नये-नये रू सामने आ रहे हैं, जिनमें लोग पूंजी लगातें और अच्छी कमाई करते हैं। सम्पति के इन नये रूपों की पहचान कर उन पर भी सम्पत्ति कर वसूली के प्रावधान विधिक्त किये जायें।

सम्पत्ति का पंजीयन जिस स्थानीय निकाय की सीमा में हो, उसी को पंजीयन शुल्क प्राप्त होना चाहिये दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा हैं। पंजीयन पर कोई शुल्क सीधे-सीधे स्थानीय निकायों को नहीं होता। इस परिपा को बदला जाना चाहिए।

इंदौर नगर निगम ने व्यवसाय के लिये लायसंस शुल्क का वर्गीकरण एवं युक्तियुक्तकरण कर दिया है। इस आय बढी है, लेकिन इस मद में अभी और अधिक आय बढाने की गुंजाईश है।

शहर की सड़कों का उपयोग बढी मात्रा में वाहन स्वामी करते हैं, लेंकिन उनसे सड़कों के रखरखाव के लि कोई शुल्क शहरीय स्थानीय निकायों को प्राप्त नहीं होता। यथाशीघ्र सड़कों का उपयोग शुल्क वाहन मालिकों उगाहने की विधिवत व्यवस्था की जायें।

विज्ञापनों से अभी बहुत कम आय होती है इसमं वृद्धि किये जाने की बहुत गुंजाईश है। केबल नेट-वर्क अब कमाई का अच्छा माध्यम बन गया है। इस माध्यम से होने वाली कमाई में शहरीय स्थानीय निकायों को हिस्सा मिलना चाहिये।

शहरीय स्थानीय निकायों की आय का सबसे बड़ा साधन जमीन होते है। राज्य शासन को चाहिये कि नजूल के अधीन समस्त जमीनें शहरीय स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कर दें जिससे कि वह उनके लिये आ का स्थायी स्त्रोत बन सके।

भूमि का उपयोग बदलने से भी भूमि स्वामी काफी लाभान्वित हो रहे हैं। शहरीय स्थानीय निकायों को भू (Land Use)बदलने से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसी विधिसम्मत व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे कि भू उपयोग बदलने से होने वाले लाभ में स्थानीय निकायों को भी हिस्सा मिल सकें।

शहरीय विकास केवल निवेश-क्षेत्र/(प्लानिंग-दरिया) के भीतर ही सीमित नहीं रह सकता। निवेश क्षे की सीमा के ईद गिर्द जो पेरीफेरल विकास होता है, उससे भी लोग लाभान्वित होते हैं, किन्तु शहरीय स्थानी निकायों को उससे कोई आय नहीं होती। महाराष्ट्र एवं गुजरात में ऐसी कानूनी व्यवस्था कर दी गई है जिससे पेरीफेरल डेवलपमेंट से लाभान्वित होने वालों से बेटरमेंट-सेस वसूला जाता है। हम इसका अनुसरण कर सकते ।

निजी स्वामित्व की जमीनों/भूखण्डो के विकास की अनुमति व्यक्तिगत स्तर पर दी जाती है। इसे सामुहि विकास का माध्यम बनाया जा सकता है -लेन्ड पूल बनाकर। यह भी आय का स्त्रोत होगा।

आय वृद्धि के ऐसे और भी कई स्त्रोतों पर कार्यशाना में विचार किया जा सकेगा। पूंजी तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भी शहरीय आधार संरचना हेतु धणन उधार लिया जा सकता है। इस हेतु नगर निगम को अपने असेट्स का सही-सही मूल्यांकन करवाना होगा तभी सही क्रेडिट रेटिंग हो सकेगा जिसके आधार पर अन्तर्राष्ट्रय वित्त संस्थाओं से धन उधार मिलता है।

महानगर परिक्षेत्र में शहरी प्रशासन के अधीन प्रत्येक मद क विरूद्ध प्राप्त धन राशि के व्यय पर नियंत्रण रहेगा एवं नगर पालिकांए, नगर व ग्राम पंचायत, विकास प्राधिकरण व अन्य विकास संस्थाओं में आपसी समन्वय स्थापित करते हुए स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग की जवाबदेही कानूनी रूप से रहेगी व इन निकायों की सीमा में सभी मदों के विरूद्ध स्वीकृत राशि का विवरण ग्राम-वासियों तक को मालूम होने की व्यवस्था से जागरूकता बढेगी। केन्द्र सरकार की ग्रामीण विकास संबंधी सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीणं आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं संबंधी योजना, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, ग्रामीण सफाई योजना, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, मरू भूमि विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संवर्धन योजना आदि तथा गैर पराम्परागत बंजर में प्रावधान किया है। इसी प्रकार म. प्र. सरकार ने भी बजट में विशेष प्रावधान किए जो इस प्रकार हैं - सड़क निर्माण हेतु ९४१ करोड़ रूपए का प्रावधान, ६०८५ किलोमिटर सड़कों के निर्माण तथा ६५०० कि.मी. सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य, विशेष घटक योजना कि लिए १००८.६१ करोड़ रूपए, सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु १७३५ करोड़ रूपए। डेढ लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता, ८६ हजार हैक्टेयर सिंचाई क्षमता के लिए १९८ नवीन परियोजनाओं का सर्वेक्षण, सर्व शिक्षा अभियान के लिए १२५३ करोड़ रूपए और कस्तूरबा गाँधी ग्राम बालिका विद्यालय हेतु २० करोड़ रू. , २२३ विकासखंडो में उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना हेतु २२.३० करोड़ रूपए, सभी प्राथमिक शालाओं के लिए भवन निर्माण, विद्युत उत्पादन के लिए ३६९ करोड़ रू., पारेषण तथा वितरण सुधार हेतु ६१५ करोड़ रूपए, विद्युत सबसिडी के लिए १५९६ करोड़ रू., गोकुल ग्राम योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष ५ ग्रामों का चयन। इन ग्रामों में अधोसंरचना विकास हेतु ५ करोड़ रू. का प्रावधान, गोदान योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को तीन गाय देने हेतु १५ करोंड़ रू., अयोध्या बस्ती योजना के लिए २० करोड़ का प्रावधान, सभी सामुदायिक स्थापना केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए तीन वर्ष में भवनों का निर्माण, नवीन जिलों में अस्पताल भवनों के लिए १० करोड़ रू. का प्रावधान, वाणिज्यिक कर, परिवहन आबकारी, मंडी आदि की जाँच सभी बैरियरों पर, एक जनवरी २००५ से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए अंशदान पेंशन योजना, विधायक निधि ४० लाख से बढाकर ६० लाख प्रतिवर्ष, ९०० संस्कृत शिक्षकों की भर्ती, विद्युत मंडल के दायित्वों के निराकरण हेतु ३०० करोड़ रू. का प्रावधान सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्संरचनातथा दायित्वों के निराकरण के लिए २५० करोड़ रू. व राज्य कर्मचारियों के महँगाई भत्ते में तीन प्रतिशत तथा पेंशन राहत में ६ प्रतिशत की वृद्धि। ०५ साल चलने वाली यू एन हैबिटेट योजना[1] में २२.५ करोड़ का अनुदान मई २००५ में रूवीकृत हुआ है।राजीव गांधी ग्रामीणा विद्युतीकरण में ५० हजार घरो को बिजली देने के लिये २७.३४ करोड़ की योजना इन्दौर व उज्जैन जिले के लिये केन्द्र ने रूवीकृती दी है।मध्यप्रदेश को योजना आयोग ने ९०२०करोड की वाषिर्कक योजना मंजूर की है।जिसमें स्कूली क्षिक्षा-११०० करोड़,सिंचाई-१८९४ सड़क -९७ करोड़,नगरीय विकास -४२५,उर्जा-१३१६,कृषि-४२७ व स्वास्थय-१७० करोड़ का प्रावधान है।इसी प्रकार वन ग्रामों के विकास हेतु [2]रू.१५.३५ लाख प्रति वन ग्राम के विकास दर से प्रदेश लिये स्वीकृत सरकार ने किये हैं। इन सभी राज्य की स्वीकृत राशी में से महानगरीय परीक्षेत्र मे आने वाले जिले इन्दौर ,घार ,उज्जैन व देवास का अंश इस योजना हेतु सदुपयोग किया जा सकता है।३०करोड़ डालर निवेश का प्रस्ताव स्विटजरलेंड के अप्रवासी भारतीय श्री शेलेश गोविंदिया ने कूड़े से बिजली बनाने हेतु नगर निगम को हाल ही में दिये है। इंदौर नगर पालिका लिगम ने भी अपना ४०६ करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। विकास प्राधिकरण की भी कई योजनाएं जैसे राउ में उपनगर बनाने तथा सैंकड़ो आवास बनाने की योजनाएं विचाराधीन हैं। पीथमपुर को विशेष आर्थिक झोन बनाने, इंदौर अहमदाबाद व मुंबई मार्ग को फोर लेन बनाने की योजना तथा सहारा सिटी एवं इंदौर की बायपास पर निर्माणाधीन योजना के लिए, करोड़ो रूपए की स्वीकृती शासन व निजी कंपनियों द्वारा व्यय की जाने की योजना है। इन सब योजनाओं में समन्वय स्थापित करते हुए वित्तीय प्रबंधन द्वारा महानगर क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से सतत् विकास पर ले जाना चाहिए। लोक स्वास्थ्य

यांत्रिकि विभाग की मल-जल प्रणाली के मास्टर प्लान की योजना, गृह निर्माण मंडल की फार्चुन सिटी व अ योजना। इस प्रकार उक्त व अन्य समय २ पर स्वीकृत धनराशी का उपयोग कर ,इस शोध प्रबंध रूपी" इन्दौर विचाराधीन सिटीजन्स मास्ब्र प्लान २०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन " योजना को अगले १९ सालों में चरण तरीके से क्रियान्वित किया जाना संभव है।

८. निष्कर्ष :-

८.०० विश्लेषणात्मकअध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष :-

इंदौर के विचाराधीन सिटिजन्स मास्टर प्लान -२०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन के लिए शोध प्रबंध विश्लेषणात्मक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो का सार यह है कि, इंदौर महानगर क्षेत्र घोषित करने हेतु म.प्र. तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हाल ही में अगस्त २००५ के अतिंम सप्ताह में नगरीय प्रशासन विकास विभाग के प्रमुख सचिव को इंदौर को महानगरीय क्षेत्र घोषित किए जाने संबंधी मांग के विभिन्न बिंदुओं निराकरण ३० अगस्त तक करने के निर्देश दिये थे। यह शहर के ४८ प्रमुख नागरिकों द्वारा एक ज्ञाप्न देकर इं को महानगरीय क्षेत्र घोषित करने की मांग के साथ प्रस्तुत करने के बाद निर्देश दिए गए हैं। वास्तव में यही सही सम है, जब स्थापत्यवेद की मान्यताओं से नगरीख व ग्रामीण निकायों का नियोजन करने के लिये शासन व ज प्रतिनिधियों को एक विशेष कार्यशाला का आयोजन कर सी.ई.पी.आर.डी. संस्था द्वारा अवगत कराया जाना चाहि ।

सर्वप्रथम तो शोध ग्रंथ में सिटिजन्स मास्टर प्लान २०२५ को स्थापत्यवेद से नियोजन की संक्षिप्त रूपरे में बताए अनुसार इंदौर नगर के मध्य से ६० कि.मी. व दक्षिण दिशा के समानान्तर २५ कि.मी. एवं पूर्व दिशा में कि.मी. तथा पश्चिम दिशा के समानन्तर ६०कि.मी. तक इंदौर महानगर परिक्षेत्र चौकोर आकार में दिशानुरूप कि.मी. X ८५कि.मी. = ७,२२५ कि.मी. क्षेत्रफल युक्त विधि अनुरूप घोषित किया जाना चाहिए। इन परिक्षेत्र ४ नगर पालिका निगम इंदौर, देवास, उज्जैन व धार का क्षेत्र, ७ नगर पंचायत राउ, हातौद, बेटमा, देपालपु गौतमपुरा, सावेंर व महू का क्षेत्र तथा २ औद्योगिक शहर पीथमपुर व मांगलिया का क्षेत्र तथा इस परिधि में स्थि सभी ग्राम पंचायतो इस महानगर परिक्षेत्र में सम्मिलित होंगी। महानगर परिक्षेत्र घोषित हो जानें पर अनिवार्यतः महानगर परियोजना समिति का गठन किया जावें जो महानगर क्षेत्र की इस प्रस्तावित विकास योजना का परीक्ष कर अंतिम प्रारूप तैयार करेगी। इस समिति की संरचना के लिए राज्य विधान सभा अधिनियम बना सकेगी। समि में ग्रामीण व नगरीय निकायों से दों तिहाई सदस्य कम से कम होंगे तथा केन्द्र व राज्य सरकार के मनोनीत सद भी होंगे। यह समिति महानगर क्षेत्र में, सभी नगरपालिकाओं, नगर व ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई विका योजनाओं पर विचार करके स्वीकृति देगी। समिति के दायित्व संविधान में बताए गए हैं। महानगर परिक्षेत्र के लि राज्य सरकार को एक अलग कानून बनाना होगा उसमें महानगर क्षेत्र शासन (शहर शासन) के अधिकारों दायित्वों का निरूपण किया जाएगा। नगर निगम परिषद् के समान ही महानगर क्षेत्र परिक्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि की एक महानगर क्षेत्र परिक्षेत्र (मेट्रोपोलेटिन एरिया) कौंसिल बनेगी। महानगर क्षेत्र शासन कायम होने पर इंदौ शहर एकांगी वरन् सम्पूर्ण एरिया के साथ विकास पर आगे बढेगा व ग्रामों से शहर की और पलायन पर रोक लगेगी संविधान निर्माताओं व उसके बाद उसमें ७३ व ७४ वें संशोधन के तहत नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को सश बनाने की एक नीति का मसौदा तय करने में भारत के ह्रदय प्रवेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर से नगर व ग्रा नियोजन के क्षेत्र में स्थापत्यपेद के ज्ञान को समाहित करते हुए विकसित होने वाली यह देश की पहली शह विकास योजना मील का पत्थर साबित होगी। जिसमें समानांतर अन्य शहरों ग्रामों की विकास योजनाएं इन्ह सिंद्वातों पर बताई जा सकेगी। इस योजना मे प्रत्येक नगर व गाम की भौगोजिक स्थिति संसाधन, जन संखया अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए नगर या ग्रामों को पुर्ननियोजित करने के लिए स्थापत्यवेद में बताए अनुसा राजधानी शहर या ग्रामों के प्रकार दण्डक, सर्वतोभद्र, नन्द्यावर्त, पद्मक, स्वस्तिक, प्रस्तर, कार्मुक आदि में चयनित कर विकास योजना तैयार कर उस पर क्रियान्वयन भी करें। योजना को जमीनी स्तर पर उतारा जा सकें वे पर्यावरण हितैषी होते हुए ,समस्याविहिन समाज का निर्माण करेगी। उदा. के लिए इंदौर नगर पालिका का निवेश

क्षेत्र चौकोर आकार में प्रस्तावित किया हैं जिसे मैदानी स्तर पर परिस्थिती के अनुरूप छोटा या बड़ा किया जा सकता है।

इस प्रकार विचाराधीन इंदौर सिटीजन्स मास्टर प्लान २०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन विषय पर इस शोध प्रबंधन को प्रारूप के रूप में प्रकाशित कर आपत्तियाँ, सुझाव एवं प्रथम चरण में क्रियान्वित की जानें वाली योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा आंमत्रित कर इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

अत: इस शोध में किए गए विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्थापत्यवेद के ज्ञान का उपयोग कर सर्वप्रथम गांवों, शहरीय आदि में कम से कम भविष्य में बननें वाली संरचनाओं को स्थापत्यवेद के अनुसार बनाने का संकल्प लें तथा दोषपूर्ण संरचनाओं को न्यूनतम खर्च में पुनर्नियोजित कर वास्तु अनुरूप बनाएँ। भीषण जल संकट हेतु धरती माता की प्यास जल पुनर्भरण को एक क्रांति के रूप में लेकर प्राचीन जल संरचनाओं को पुर्नजीवित करें एवं वितरण व्यवस्था तथा भीषण विद्युत संकट के समाधान हेतु वातानुकुलित संस्कृति को बढावा न देते हुए ,ऐसे भवनों की रचना करें ताकि दिन में विद्युत उर्जा का प्रयोग प्रकाश व हवा हेतु न करना पड़े व शहरों, गांवो में सौर उर्जा व वैकल्पिक सौर उर्जा संयंत्र स्थापत्य वेद के अनुरूप आग्नेय दिशा में सभी पूँजीपतियों को मिलाकर शासन के साथ सहयोगकर, लगाना चाहिए तथा सौर लालटेन [1] का उपयोग राजस्थान के अजमेर जिले के तिहरी गांव की तर्ज पर इसे व्यापक उपयोग करना चाहीये । वहीं दूसरी और पर्यावरण, प्रदुषण, अनावृष्टि एवं भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए गौ–शालाओं का निर्माण कर गौ माता पर हो रहें अत्याचारों को रोकना चाहिए ,अन्यथा वर्षा कम होती चली जावेगी।गौ पालन को जीवन का लोग जीवन का अंग बना लें,ऐसा वातावरण बनाना होगा ,तथा ग्राम, शहर, प्रमुख सहित घर में **अग्निहोत्र** [2]का आचरण कर देश को सुखी एवं समृद्ध बनानें में अपना योगदान देना चाहिए।

९ .समाधान व सुझाव :-

इस शोध ग्रंथ में प्राप्त निष्कर्षो को दृष्टिगत रखकर विचाराधीन सिटीजन्स मास्टर प्लान २०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन करने हेतु समाधान न सुझाव सादर प्रस्तुत है।

महानगर परिक्षेत्र घोषित होने के बाद शहर शासन व महानगर क्षेत्र परिक्षेत्र बनाने सहित अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण की जानी चाहिए। सर्वप्रथम महानगर परिक्षेत्र का सीमांकन निश्चित किया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात् नीती निर्माता को इस प्राचीन स्थापत्यकला का उपयोग शहर व ग्राम के नियोजन में करना चाहिए।

स्थापत्यवेद की जानकारी महानगर परिक्षेत्र के नागरिकों व नीति निर्माताओं को शोध प्रबंध की प्रति सहज उपलब्ध कराते हुए समय-समय पर प्रशिक्षण व योजना बनानें में सहयोग देकर की जा सकती है। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा [1]हाल ही में ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोलने व टेलीफोन, कम्प्युटर आदि की सुविधा देकर गाँव को ज्ञान केन्द्र बनाने तथा किसानो के लिये उपयोगी सुझाव मांगे सौर उर्ज को लोकप्रिय बनानें एवं लोकतंत्र के तीनो स्तभों में तालमेल का आह्वान किया है। महानगर परिक्षेत्र प्रशासन को दृढ संकल्पित होकर निम्न प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए क्षेत्र की विकास योजनाओं को स्वीकृत करना चाहिए।

१. कम से कम अब नवीन दिक्मूढ़ सड़कों का निर्माण न होनें पाए ,ताकि भविष्य में सरंचनाएं भी दिशानुरूप बनें।

२. बिजली, पानी व उसके भंडारण व वितरण की सुविधाएं विकेन्द्रीत कर उन्हें स्थापत्य के नियमों से बनाई जावे।

३. महानगर क्षेत्र में उपलब्ध खनिज, वनस्पति, भूमी, जल आदि व मानव संसाधन का दोहन शासकीय योजनाओं के तहत ,स्वीकृत राशि से खर्च कर विकास कार्य किये जावें ।

१/समा.पत्र कत./२४

४. शहर में ओवर ब्रिज, फ्लाय ओवर, ग्रेट सेपरेटर आदि योजनाओं की स्थापत्यवेद से व्यापक समी के पश्चात् ही स्वीकृत किया जाना चाहिए।

५. नगर के समान, ग्रामों में भी सभी सुविधाएं सड़क ,पानी ,बिजली ,जैविक खाद आदि उचित मूल्य उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिये।

६. नर्मदा तृतीय चरण जैसी मँहगी योजनाओं पर पुर्नविचार कर क्षैत्रीय विकेन्द्रीकृत जल प्रबंधन व्यवस्था, अपेक्षाकृत सस्ती व कम रख रखाव, खर्च युक्त होती हैं ,अपनाई जानी चाहीये।

७. पूरें महानगर परिक्षेत्र में स्थापत्यवेद के नियमों से जहाँ–जहाँ भी सम्भव हो ,वृक्षारोंपण सर्वों प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।

८. कृषकों को वैज्ञानिक आधार, ज्योतिष व अन्य पारम्परिक ज्ञान आदि के अनुसार प्राकृतिक परिस्थिति के अनुकूल फसल चक्र के अनुरूप की बोनी से लेकर ,उनके कृषि धन के भंडारण व विक्रय संबंधी निःशुल्क पराम दिया जाना चाहिए।

९. वर्तमान समय में स्वास्थ सेवाएं बहुत अधिक मंहगी होती जा रही हैं, इस पर प्रभावी अंकुश के सा आयुर्वेदिक कॉलेज व अनुसंधान केन्द्र तथा औषद्यालयों का निर्माण स्थापत्यवेद से करना चाहिए।इसके लि स्थापत्यवेद के अनुसार स्थान, उत्तर व ईशान के मध्य दिशा में महानगर परि.हेतु उज्जैन के पास आयुर्वेदि कालेज मय अनुसंघान केन्द्र के लिये सर्वथा अनुकूलता युक्त स्थल हो सकता है।सबसे अधिक शहरी व ग्रामीण क्षे में सस्ति स्वास्थय व्यवस्था प्राथमिकता से करना चाहीये।सभी चिकित्सालयों में के वास्तुदोष दूर किया जा चाहीये।

१०. शहरी व ग्रामीण कचरें, व गन्ने की मैली से खाद तैयार करना का उचित प्रबंधन कर प्रदुषण फैलने रोकना व उर्जा प्राप्त करने की व्यवस्था भी प्राथमिकता से की जानी चाहिए।

११. नदी,जल संरक्षण परियोजना व नदियों को जोड़ने की परियोजना पर गहन विचार–विमर्श व अध्यय स्थापत्यवेद के द्दष्टिकोण से भी किया जाना जनहित में होगा।किसी भी स्थिति में जल उदहन को ,अंतिम विकल पर रखना उचित होगा ।

१२. वर्तमान में शासकीय शिक्षा सुविधा वांछित गुणवत्ता युक्त नहीं होने के कारण सस्ती होते हुए भ व्यापक स्तर पर प्रभावी नहीं है। निजी शिक्षण संस्थाएँ दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही हैं व जनता को मंह शिक्षस व्यवस्था प्राप्त हो रही है। शासकीय शिक्षण व्यवस्था को सुधारते हुए इसमें विस्तार करके या नि शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से समुचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

१३. सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रणाली में सर्वप्रथम तथा अन्य विधाओं के साथ भारतीय संस्कृति ए स्थापत्यवेद के ज्ञान के ज्ञान को संमाहित करते हुए ,पाठ्यक्रम में समावेश किया जाना चाहिए।

१४. महानगर क्षेत्र में देपालपुर में रेशम उत्पादन की पुरानी परम्परा को जीवित रखते हुए ४३ वर्ष पुराने व २०११ से बंद पड़े रेशम उद्योग को पुर्न जीवित करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पौने सात करोड़ रु स्वीकृ किए हैं। इन केन्द्रों के लिए क्षेत्र में अरण्डी के पौधे विकसित कर पुनः रेशम उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जान चाहिए। जिससे क्षेत्र वासियों का जीवन स्तर सुधरे।

१५. उज्जैन के विचाराधीन गार्डन की योजना की स्थापत्यवेद से भी समीक्षा कर, क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

१६. कृषि क्षेत्र में भारतीय आयुर्वेद मे वर्णित जड़ी-बूटियों फूलों ज़ैसे मैथा, जामारोज पामारोजा, लेमनग्रास, तुलसी, अश्वगंधा, सफेद मूसली व कौंच आदि की खेती के लिए किसानों को प्रेरित कर निमाड़ के कुछ किसानों की तरह इसे अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।

१७. रतनजोत से ड़ीजल बनाने के लिए रतनजोत उत्पादन तथा डीजल सयंत्र आदि लगाने का कार्य भी व्यापक स्तर किया जाना चाहिए।इस बारें में छत्तीसगढ की तरह मप्र में भी रतन जोत का भारी उत्पादन कर ,रिलायंस व भारत व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम से चर्चा कर ,उनके पेट्रोल पंपों के समीप ही इससे डीजल बनाने के छोटे संयंत्र लगा कर,इन उत्पादों को खाड़ी देशों से लाना कम करना चाहीये।

१८. भारत सरकार की स्वर्णिम चतुर्भुजयोजना एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत प्रदेश व महानगर क्षेत्र में विचाराधीन सड़को की समीक्षा कर, क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

१९. महानगर परिक्षेत्र में कपड़े व कागज की थेलियों को अधिक मात्रा में सस्ति निर्मित कराकर ,जनता को जागरूक करते हुए एक निश्चित समय सीमा देकर प्लास्टिक की थेलियों के निर्माण ,विक्र्य व उपयोग पर प्रतिबंध लगा कर उसका सख्ति से पालन कराना चाहिये।

२०. भारत सरकार की रोजगार गारंटी योजना के तहत जल संरक्षण व संवर्धन हेतु प्राथामिकता से स्थापत्यवेद से कार्य कराना जाना चाहीये। इसे पृदेश के सभी जिलों में लागू करना चाहीये।

२१. हिन्द रक्षक संगठन की शिव गंगा योजना के तहत २४०० से अधिक तालाब वनवासी क्षेत्रों में बनाने की योजना को स्थापत्यवेद के नियमों से परीक्षण कर क्रियान्वित की जानी चाहिए।

२२. सिरपुर तालाब पर पक्षीअभ्यारण बनाने की योजना उसके उन्नयन के साथ ,क्रियान्वित की जानी चाहिए।

२३. गोकुल ग्राम योजना प्रकल्प के अर्न्तगत किए जा रहें सभी विकास कार्यो को स्थापत्यवेद के अनुसार नियोजित कर गोधन से ग्रामीणों की आय बढाई जानी चाहीये।

२४. समस्त सड़को पर दोंनो और पटरी की सतह नीची होना चाहिए व सड़कों पर कहीं जल जमाव न हो , उस हेतु नालियाँ बनाई जानी चाहिये। डामर की सड़कों के किनारें, कर्व स्टोन लगाकर सुरक्षित कियें जानें चाहियें।

२५. जिन कॉलोनियों में बेक लेन है, उन पर किये अतिक्रमण को हटाकर, दोनों सिरों पर जाली/गेट लगाकर, उसमें मोरम डलवाकर फर्शी लगवाने के साथ साफ-सुथरी बनाई जानी चाहिए। गंदगी फैलाने वालों को दंडित किया जाना चाहीये।

२६. सी.ई.पी.आर.डी. संस्था व अन्य विकास से संबद्ध संस्थाओं द्वारा, पूर्व रद्द की गई विकास योजना-२०११ में उठाई गई, आपत्तियों व सुझावों पर विचार कर तथा जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास योजना व नगर निगम का २६ गांवो को सम्मलित कर व शहर सीमा वृद्धि योजना आदी को भी समाहित करके ,योजनाओं को

अंतिम रूप दिया जाना चाहिए

२७.इन्दौर निवेश क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में स्थित ग्राम तिल्लौर ,जो स्थापत्यवेद के नियमों से पूर्व व आ दिशा के मध्य स्थित होकर ,गौ पालन ,संरक्षण व इस व्यवसाय के लिये अनुकूल स्थान है।अत: तिल्लौर ग्राम दुग्ध ग्राम के रूप में पूर्ण क्षमता तक विकसित कपना चाहीये ।

२८. इन चयनित महानगरं परिक्षेत्र के निवेश क्षेत्र में इंदौर तथा विकास की दृष्टि से उज्जैन, देवास व को नगर तथा मांगलिया व पीथमपुर,को ओद्योगिक नगर तथा महू, राउ, बेटमा, हातौद, देपालपुर, गौतमपुरा सांवेर को उपनगर क्षेत्र के रूप में क्रमश: मानचित्र क्रमांक ४१से ४७ मे व तालिका क्र.०४ में बतायेनुस विकसित किया जाना चाहिए। इन नगरों, उपनगरों व औद्योगिक नगंर को पृथक–पृथक विकास की दृष्टि से निवे क्षेत्र दिशाओं के समानान्तर एक निश्चित आकार में आस–पास के गाँव को सम्मिलित करते हुए सुनिश्चित कि जाना चाहिए। इसी तरह हर ग्राम या ग्रामों के समूह को उनकी जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, आकार आदि आधार पर स्थापत्यवेद में बताए गए नन्द्यावर्त, दण्डक, पद्मक, स्वस्तिक, कार्मुम आदि प्रकार के बताए गए ग्रामों से उपयुक्त चयन कर ,तदानुरूप उनकी विकास योजना बनाकर क्रियान्वित की जानी चाहिए।

इस प्रकार इस शोध प्रबंध में वर्णित स्थापत्यवेद के सिद्धांतों का प्रतिपादन योजना बनाने में जहाँ जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करना संभव हो करना चाहिए, तथा बताए उक्त समाधान व सुझावों को जन हि अमल में लाना चाहिए।

तालिका क्र. ०५

इन्दौर सिटीजन्स मास्टर प्लान-२०२५का स्थापत्यवेद से नियोजन महानगर परिक्षेत्र में करने के लिये प्रस्तावित नगरों का,औद्योगिक नगरों व उपनगरों की परियोजना एक नजर में

इन्दौर सिटीजन्स मास्टर प्लान- २०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन महानगर परिक्षेत्र सीमा में करने के लिये

	नगर (नाम) →	४ नगर					२ औद्योगिक नगर		७ उपनगर							योग (TOTAL)
	विवरण ↓	महानगर इन्दौर	इन्दौर	उज्जैन	देवास	धार	अ. [illegible]	ब. पीथमपुर	१-महू	२-राउ	३-[illegible]	४-[illegible]	५-[illegible]	६-[illegible]	७ सांवेर	
	शोध ग्रंथ में मानचित्र क्र. →	१	४१	४२	४३	४४	४५ अ.	४५ ब.	४६(१)	४६(२)	४६(३)	४६(४)	४६(५)	४६(६)	४६(७)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
१	इन्दौर से दूरी	०	०	६०	३६	६०	४०	१६	२४	१५	२०	२८	४०	६०	४०	
२	इन्दौर महानगर परिक्षेत्र में किस दिशा में स्थित है?	ब्रह्म स्थान व वायव्य के मध्य में	ब्रह्म स्थान की दक्षिण सीमा पर	उत्तर दिशा के समीप	पूर्व दिशा के समीप	[illegible]	दक्षिण व नैऋत्य के मध्य	ब्रह्मस्थान व वायव्य के मध्य में	दक्षिण दिशा में	ब्रह्मस्थान से दक्षिण से सटा हुआ	दक्षिण में	ब्रह्मस्थान व नैऋत्य के मध्य	ब्रह्मस्थान व पश्चिम के मध्य	ब्रह्मस्थान व पश्चिम के मध्य	ब्रह्मस्थान व पूर्व के मध्य	
३	योजना का आकार (Shape)	आयताकार	आयताकार	आयताकार	आयताकार	आयताकार	आयताकार	आयताकार	वर्गाकार	आयताकार	आयताकार	आयताकार	आयताकार	आयताकार	आयताकार	
४	योजना का माप (Size in KLM) FOR 100 Years	85 X 85	२२ X २३	०७ X १०	५.५० X ६.००	१२ X १५	१२ X १४.७५	१० X [illegible] २५	०४ X ०४	२.५० X ४.००	२.५० X ४.००	३.५० X ५.००	५.०० X ६.००	२.५० X ४.००	३.०० X ५.००	
५	क्षेत्रफल (विस्तार) वर्ग किमी/sq. km.	7250.00	506.00	70.00	49.50	210.00	177.00	72.50	16.00	10.00	10.00	17.50	30.00	10.00	15.00	1193.50
	क्षेत्रफल हेक्टे. में	725000	50600	7000	[illegible]	21000	17700	7250	1600	1000	1000	1750	3000	1000	1500	119350
	विकास दर प्रति sq km.	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	अनुमानित जनसंख्या २५ वर्ष में	906250	63250	8750	6187.5	26250	22125	9062.5	2000	1250	1250	2187.5	3750	1250	1875	149188
६	नगर में प्रवेश दिशा	चारों दिशाओं में		ईशान,पूर्व,आग्नेय व नैऋत्य	ईशान,आग्नेय व वायव्य	चारों दिशाओं से	ईशान,आग्नेय व दक्षिण में	उत्तर व दक्षिण में	चारों उपदिशाओं से	आग्नेय व वायव्य से	ईशान,आग्नेय व नैऋत्य	पूर्व व पश्चिम से	व दक्षिण व नैऋत्य से	उत्तर व दक्षिण से	उत्तर व दक्षिण में	
७	सन-२०२५ में जनसंख्या प्रस्तावित हेतु लाख में	१००	४०.००	७.००	५.००	२०.००	१.००	1	"१.५०	१.००	०.८०	"१.६०	"१.८०	१.००	"१.३५	
८	यातायात के विद्यमान माध्यम	सड़क,रेल,हवाई	सड़क,रेल,हवाई	सड़क,रेल	सड़क,रेल	सड़क	सड़क व रेल	सड़क,रेल	सड़क,रेल	सड़क,रेल	सड़क,रेल	सड़क	सड़क	सड़क,रेल	सड़क,रेल	
९	सम्मिलित ग्राम मु.	२७०	६०	२५	७७	२५	३४	24	७८	८	५	५	८	५	६	270
१०	वर्तमान में जल की उपलब्धता	कमी है	कमी है	पर्याप्त है	भीषण कमी है	कमी है	भीषण कमी	कमी है	कमी है	कमी है	कमी है	कमी है	पर्याप्त हैं	कमी है	कमी है	
११	प्रस्तावित जल की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव	विकेन्द्रीगत जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था	विकेन्द्रीगत जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था	विकेन्द्रीगत जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था	विकेन्द्रीगत जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था	जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था	जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था	जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था	जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था	जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था	जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था	जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था	जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था	जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था	जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था	
१२	योजना लागू होने पर पर्यावरण की स्थिति	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	
१३	-॥- जल व्यवस्था	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	
१४	स्वास्थ्य व्यवस्था	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	
१५	शिक्षा व्यवस्था	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	
१६	स्थापना (योजना) का औचित्य	सुनियोजित व [illegible]	सुनियोजित व [illegible]	सुनियोजित व [illegible]	सुनियोजित व [illegible]	सुनियोजित व [illegible]	सुनियोजित व [illegible]	सुनियोजित व [illegible]	सुनियोजित व [illegible]	सुनियोजित व [illegible]	सुनियोजित व [illegible]	सुनियोजित व [illegible]	सुनियोजित व [illegible]	सुनियोजित व [illegible]	सुनियोजित व [illegible]	
१७	प्रस्तावित मुख्य व्यवसाय	[illegible]	[illegible]	पवित्र तीर्थ नगर	दादा नगर	[illegible]	औद्योगिक राजधानी	ईंधन राजधानी	सैन्य नगर	रेशम केन्द्र	उद्यमी नगर	रेशम केन्द्र	रेशम केन्द्र	रेशम केन्द्र	औषधी व सूत केन्द्र	
१८	स्थापत्य से स्थित पद पर	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

नोट- [illegible]

मानचित्र खण्ड

(अनु. क्र. १ से ४९ तक)

मानचित्र सूची

१६.स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श "नगर व दुर्ग" मानचित्र क्र.१६

१.खेट२.खर्वट३.कुब्जक नगर ४.द्रेारनका गढी ५.शिविर या पड़ाव ६.जल दुर्ग ७.किले का द्वार)

१७.स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार वास्तु पद विन्यास (LAY OUT PLAN) मानचित्र क्र.१७

अ.सकल(१) पदविन्यास ब.पीचक(४)पदविन्यास स. पीठ (९)पदविन्यास द.महापीठ (१६)पदविन्यास

१८.स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार उपपीठ व उग्रपीठ पदविन्यास मानचित्र क्र.१८

अ.उपपीठ (२५)पदविन्यास ब.उग्रपीठ (३६)पदविन्यास

१९. स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार मानचित्र क्र.१९

अ. स्थंडिल (४९)पदीय विन्यास

ब. छन्दिता(६४) पदीय विन्यास

स.मत्स्यपुराण के अनुसार (६४) पदीय"चौकोर वास्तु पद विन्यास"

२०. स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार छन्दिता (६४) "वृत्तवास्तु पद विन्यास" मानचित्र क्र.२०

२१. अ. स्थापत्यवेद में मानसार से एकाशिति या परमशायिका(८१) वास्तु पद विन्यास मानचित्र क्र.२१

ब.मत्स्यपुराण व विश्वकर्मप्रकाश के अनुसार ८१ पदीय

(चौकोर/आयताकार वास्तु पद विन्यास)

२२. स्थापत्यवेद में मानसार से "एकाशिति या परमशायिका (८१)पद विन्यास मानचित्र क्र.२२

(अ. वृत्त वास्तु पद विन्यास ब.त्रिभुजाकार वास्तु पद विन्यास)

२३. स्थापत्यवेद में मानसार से "आसन (१००)वास्तु पद विन्यास" मानचित्र क्र.२३

२४. अ.स्थापत्यवेद में मानसार से शंकु व खुंटी गाड़ने की विधी (Gnomons & Pegs) मानचित्रक्र.२४

ब.भवन भास्कर पुस्तक के अनुसार दिशानुरूप ,दिशाओं के देवता एवं ग्रह

स. वैदिक वास्तु विद्या व रोग कारक वास्तु दोष पुस्तक के अनुसार

(विभिन्न प्रयोजनों हेतु कक्ष स्थान)

द.भवन भास्कर पुस्तक के अनुसार दिशानुरूप ,मुख्य द्वार का स्थान

इ.भवन भास्कर पुस्तक के अनुसार अतिमर्म स्थान

४२. स्थापत्यवेद से "उज्जैन शहर" विकास योजना-२०२५(निवेश क्षेत्र सीमा उदाहरणार्थ) मानचित्र क्र.४२

४३.स्थापत्यवेद से"देवास शहर" विकास योजना-२०२५(निवेश क्षेत्र सीमा उदाहरणार्थ) मानचित्र क्र.४३

४४.स्थापत्यवेद से"धार शहर" विकास योजना-२०२५ (निवेश क्षेत्र सीमा उदाहरणार्थ) मानचित्र क्र.४४

४५.स्थापत्यवेद से "औद्यौगिक शहरों "की विकास योजना-२०२५ (निवेश क्षेत्र सीमा उदाहरणार्थ)

अ.मांगल्या औद्यौगिक शहर मानचित्र क्र.४५अ.

ब.पीथमपुर औद्यौगिक शहर मानचित्र क्र.४५ब.

४६.स्थापत्यवेद से "उपनगरों " की विकास योजना-२०२५ (निवेश क्षेत्र सीमा उदाहरणार्थ)

(१.महू २.राउ ३.बेटमा ४. हातोद ५. देपालपुर ६. गौतमपुरा ७ . सांवेर)

१.स्थापत्यवेद से "महू उपनगर" की विकास योजना-२०२५(प्र. निवेश क्षेत्र सीमा) मानचित्र क्र.४६(१)

२.स्थापत्यवेद से "राउ उपनगर" की विकास योजना-२०२५(प्र. निवेश क्षेत्र सीमा) मानचित्र क्र.४६(२)

३.स्थापत्यवेद से "बेटमा उपनगर" की विकास योजना-२०२५(प्र.निवेश क्षेत्र सीमा) मानचित्र क्र४६(३)

४.स्थापत्यवेद से "हातौद उपनगर" की विकास योजना-२०२५(प्र.निवेश क्षेत्र सीमा) मानचित्र क्र.४६(४)

५.स्थापत्यवेद से "देपालपुर उपनगर" की विकास योजना-२०२५(प्र.निवेश क्षेत्र सीमा) मानचित्र.४६(५)

६.स्थापत्यवेद से "गौतमपुरा उपनगर" की विकास योजना-२०२५(निवेश क्षेत्र सीमा) मानचित्रक्र.४६(६)

७.स्थापत्यवेद से "सांवेर उपनगर" की विकास योजना-२०२५(प्र.निवेश क्षेत्र सीमा) मानचित्रक्र.४६(७)

४७.स्थापत्यवेद के अनुसार इन्दौर शहर विकास योजना -२०२१ का सीमा क्षेत्र (निवेश क्षेत्र सीमा उदाहरणार्थ) मानचित्रक्र.४७

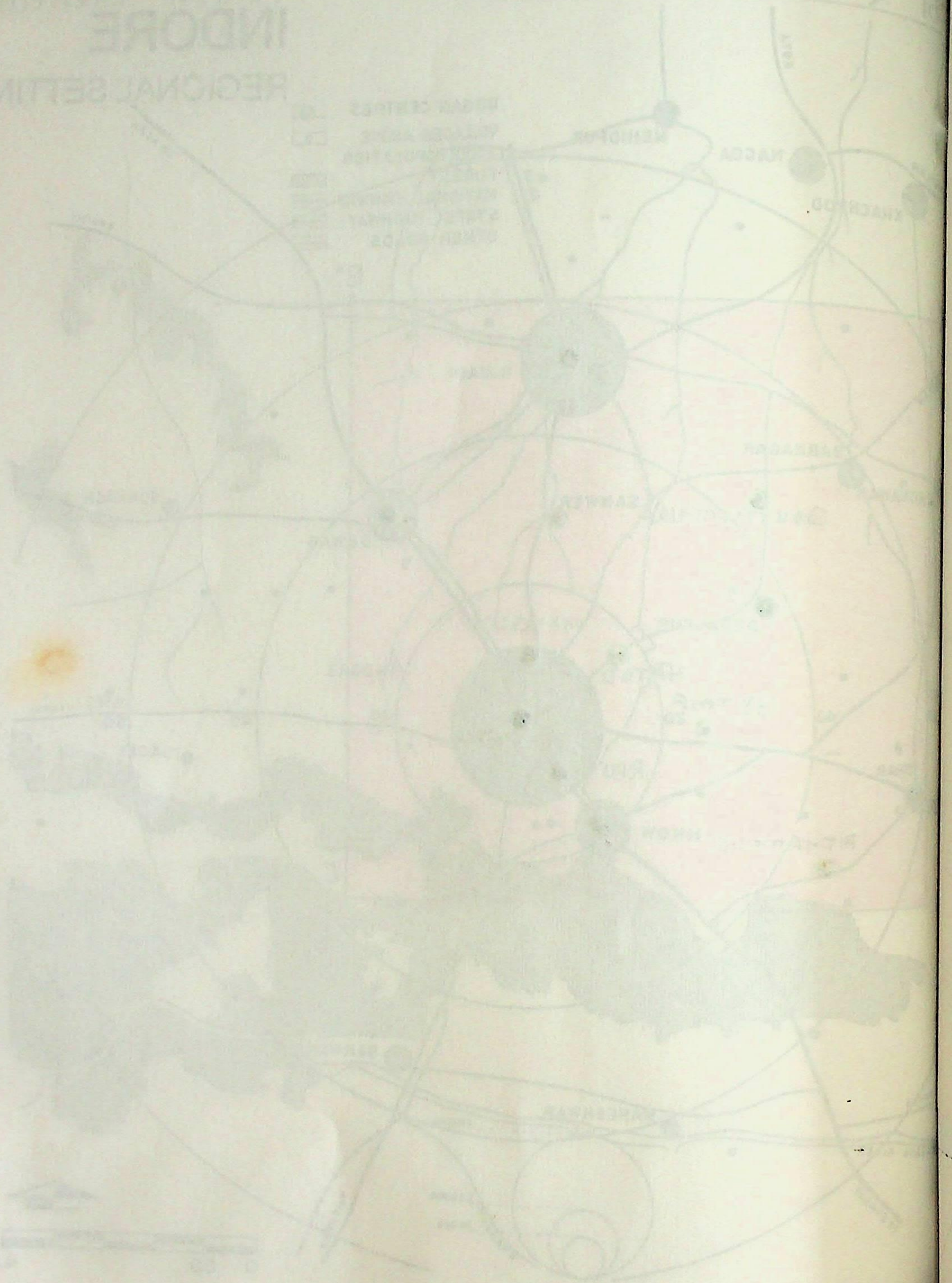
४८.स्थापत्यवेद से"आदर्श नगर विन्यास " की विकास योजना-२०२५(बाज़ार आपणम) मानचित्र क्र.४८

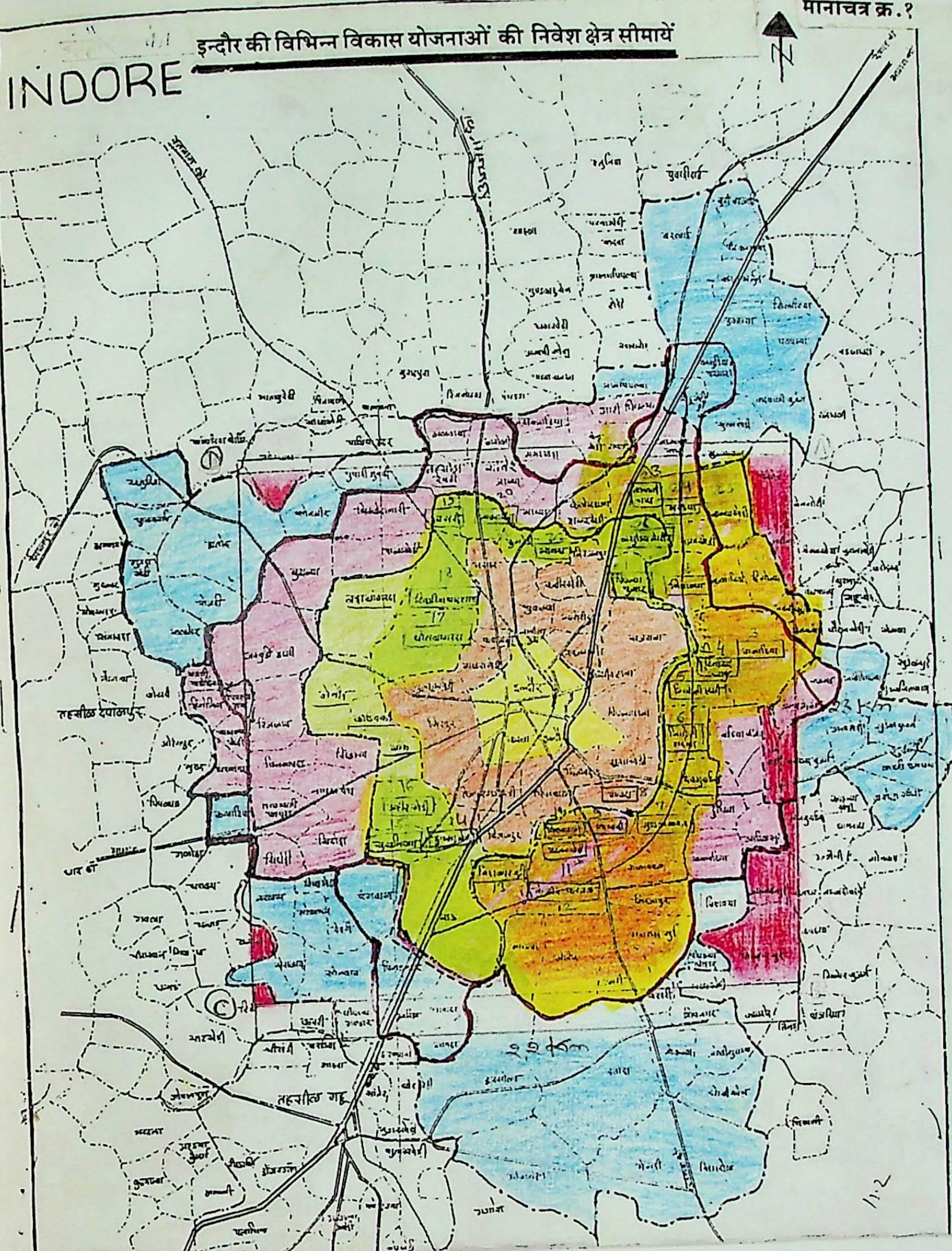
४९.अ.स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार"वास्तु पुरूष विकल्पन " चित्र मानचित्र क्र.४९अ.

(छंदिता (६४) वास्तुपद विन्यास पर)

ब.स्थापत्यवेद में भवन भास्कर पुस्तक के अनुसार"वास्तु पुरूष विकल्पन " चित्र मानचित्र क्र.४९ब.

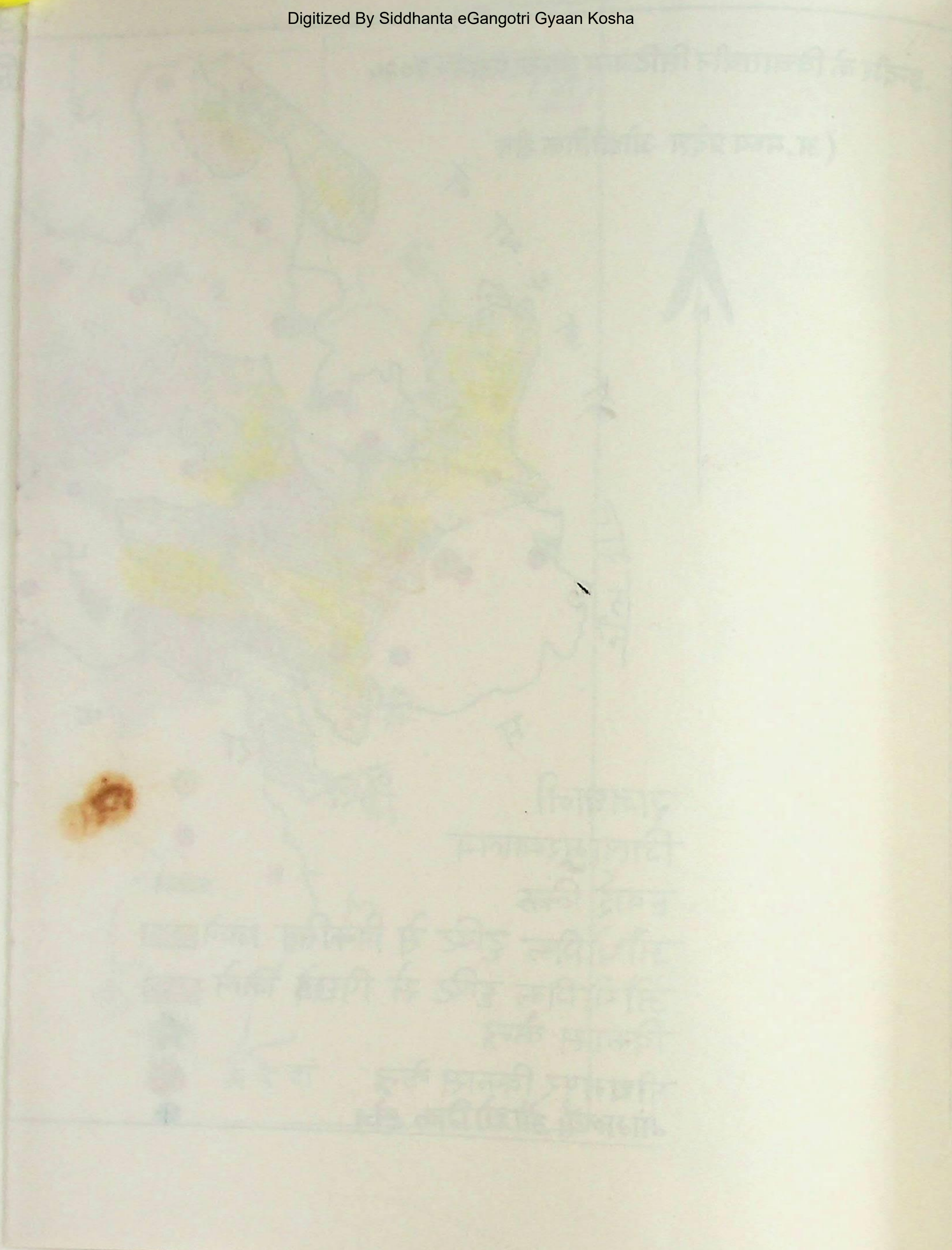
(एकाशिती(८१) वास्तुपद विन्यास पर वास्तु पुरूष व उसके अंगस्थान)

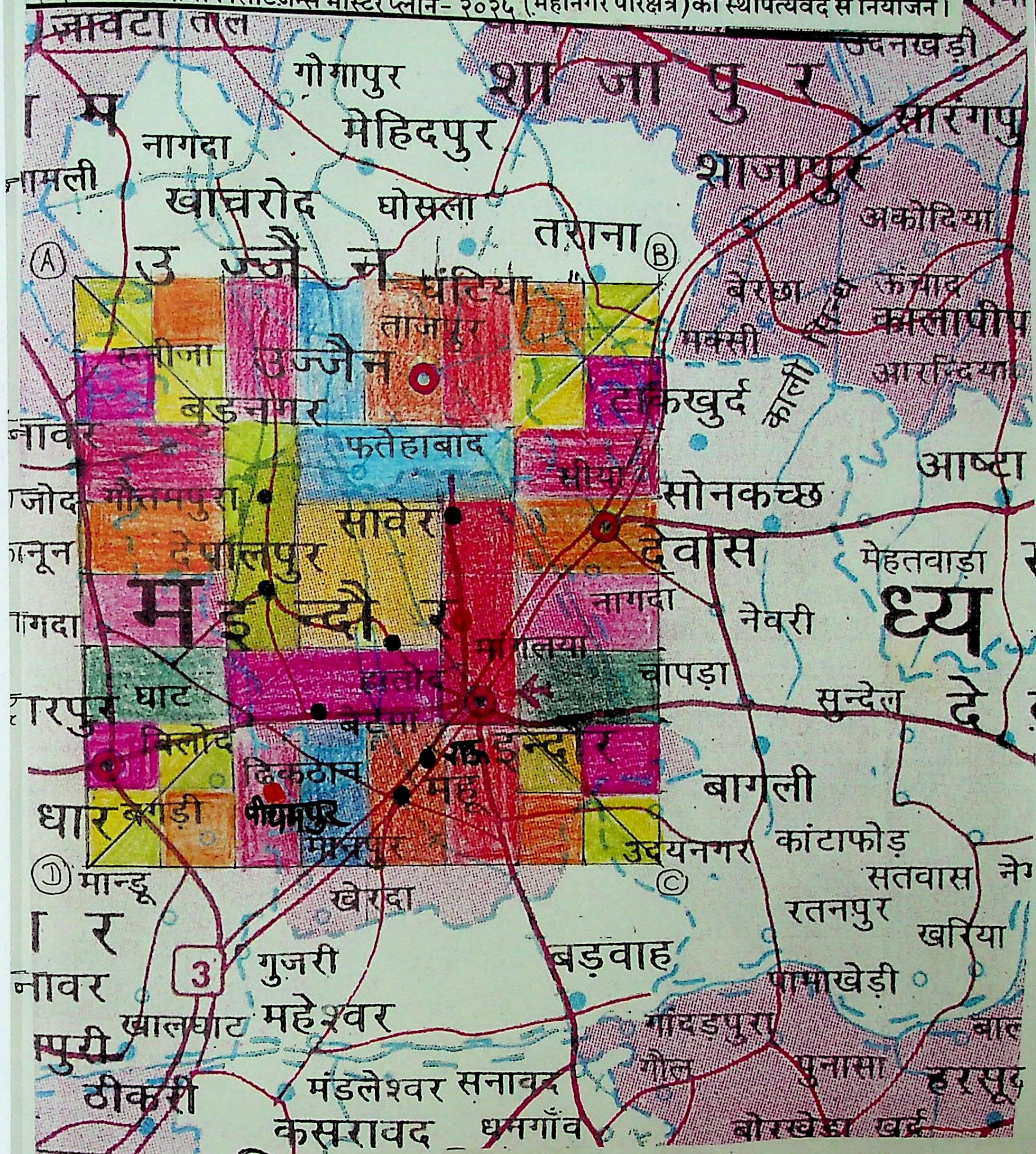




स्वतंत्रता पश्चात इन्दौर की विभिन्न चरणों में विकास योजनाओं का विवरण

विवरण	अवधि	क्षेत्रफल	ग्राम संख्या(शोध बिंदु क्र.)
प्राचीन इन्द्रपुर (इन्द्रेश्वर) सीमा क्षेत्र	= १७२४	=२५ वर्ग किमी.	=२७ ग्राम (बिंदु क्र.४.२३१)
इन्दौर विकास योजना १९७४(प्रारूप)	=१९७४-९१	=२१४वर्ग किमी.	=३७ ग्राम (बिंदु क्र.४.२३१)
इन्दौर विकास योजना१९९१ (प्रारूप)	=१९७५-९१	=२१४वर्ग किमी.	=३७ ग्राम (बिंदु क्र.४.२३२)
इन्दौर विकास योजना२००५(प्रारूप)	=१९९१-०५	=२१४वर्ग किमी.	=३७ग्राम (बिंदु क्र.४.२३३)
वृद्धित निवेश क्षेत्र सीमा२०००	= २०००-११	=८९७वर्ग कि.मी.	=१५२ ग्राम(बिंदु क्र.४.२३४)
इन्दौर विकास योजना २०११(प्रारूप)	=१९९७-११	=५०४वर्ग कि.मी.	=९० ग्राम(बिंदु क्र.४.२३५)
इन्दौर शहर विकास योजना २०२१	= नवम्बर२००५	=६००वर्ग कि.मी.	=९० ग्राम(बिंदु क्र.४.२३६)
स्थापत्यवेद के अनुसार इन्दौर नगर- -विकास योजना -२०२५ निवेश क्षेत्र ABCD	=२००५-२५	=५०६वर्ग कि.मी. (22X23 -)	=९० ग्राम (बिंदु क्र.४.२४)
वर्तमान नगर भूमी निवेश क्षेत्र सीमा	= २००५	=२१४ वर्ग किमी.	=३७ ग्राम (बिंदु क्र.४.२४)
नपानिइ की प्रस्तावित २६ गांवों को सम्मिलित करते हुए इन्दौर शहर सीमा वृद्धि योजनाा	= फर.-२००६=		= ६३ ग्राम (बिंदु क्र.४.)





इन्दौर के विचाराधीन सिटिज़न्स मास्टर प्लान- २०२५ (महानगर परिक्षेत्र) का स्थापत्यवेद से नियोजन।

- .इन्दौर महानगर परिक्षेत्र (INDORE METROPOLITIN AREA) = ABCD = 85 KMX 85 KM
- .नगरीय (शहरीय) क्षेत्र (MUNCIPAL CORPORATION CITY AREA)) = 04 Nos.
  (इन्दौर, उज्जैन, देवास व धार शहरों की स्थापत्यवेद से विकास योजनाओं के निवेश-क्षेत्र सीमा)
- .औद्योगिक उपनगरीय क्षेत्र (INDUSTRIAL SATELLITE TOWN AREA) = 02 Nos.
  (पीथमपुर व मांगल्या)
- .नगर पंचायत उपनगरीय क्षेत्र (SATELLITE TOWNS AREA) = 07 Nos.
  (महू, राऊ, बेटमा, हातोद, देपालपुर, गौतमपुरा व सांवेर)



मानचित्र क्र.-03

दौर के विचाराधीन सिटीज़न्स मास्टर प्लान - 2025 (महानगर परिक्षेत्र)

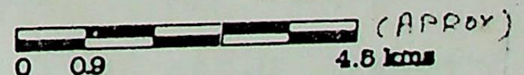
ा स्थापत्यवेद से नियोजन

(क्षेत्रीय निर्धारण)

INDORE
REGIONAL SETTING

URBAN CENTRES
VILLAGES ABOVE 2000 POPULATION
FOREST
NATIONAL HIGHWAY
STATE HIGHWAY
OTHER ROADS

KOTA
TO AGRA
BHOPAL
AGAR
MEHIDPUR
NAGDA
KHACHROD
B
UJJAIN
BARNAGAR
ADNAWAR
GOUTAMPURA
SANWER
DEWAS
SONKACH
BHOPAL
DEPALPUR
MANGLIYA
HATOD
INDORE
BETMA
20
40
20
40
KMS 60
ITARSI
BAGLI
DHAR
RAU
MHOW
PITHAMPUR
C
BARWAHA
MAHESHWAR
4,80,000
1,20,000
30,000
TO BOMBAY
KHANDWA



A 85km B

35 km x 85 km — 85km = इंदौर महानगर परिक्षेत्र (INDORE METROPOLITAN AREA)

C D

DORE, UJJAIN, DHAR, DEWAS = नगर पालिका निगम (नगर क्षेत्र) (MUNICIPAL CORPORTION) (CITY AREA)

THAMPUR; MANGLIYA = नगर पालिका (औद्योगिक क्षेत्र) (उपनगर) (INDUSTRIAL CITY)

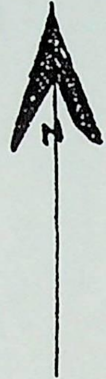
HOW, RAU, BETMA, HATAUD, ALPUR, GAUTAMPURA, SANWAR = नगर पंचायत (उपनगर क्षेत्र) (NAGAR PANCHAYAT)

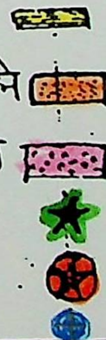


मानचित्र क्र. ४ (अ)

.इन्दौर के विचाराधीन सिटिज़न्स मास्टर प्लान- २०२५

(अ.मध्य प्रदेश ओद्यौगिक क्षेत्र





राजधानी

जिला मुख्यालय

हवाई लिंक

औधोगिक दृष्टि से विकसित जिले

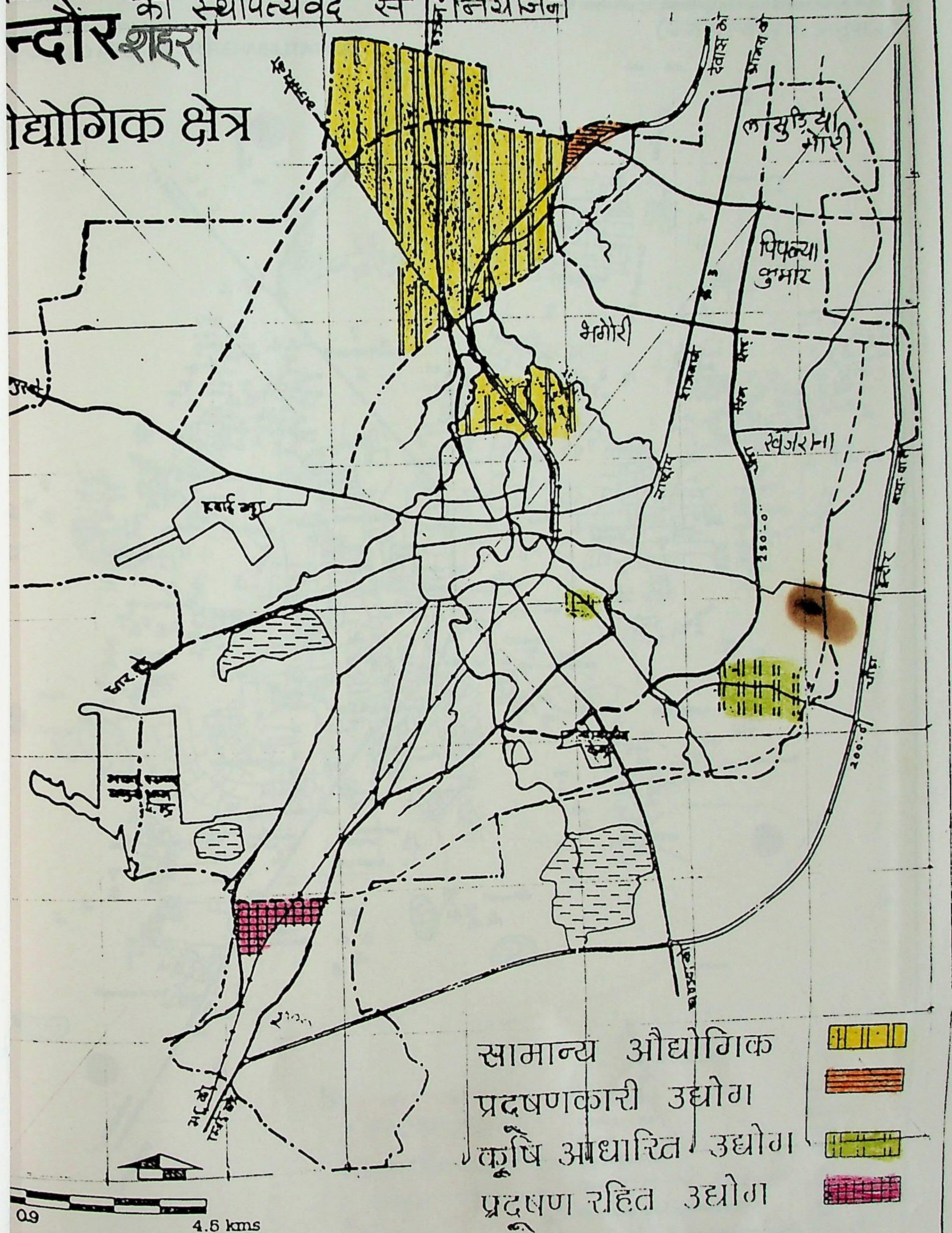
औधोगिक दृष्टि से पिछड़े जिले

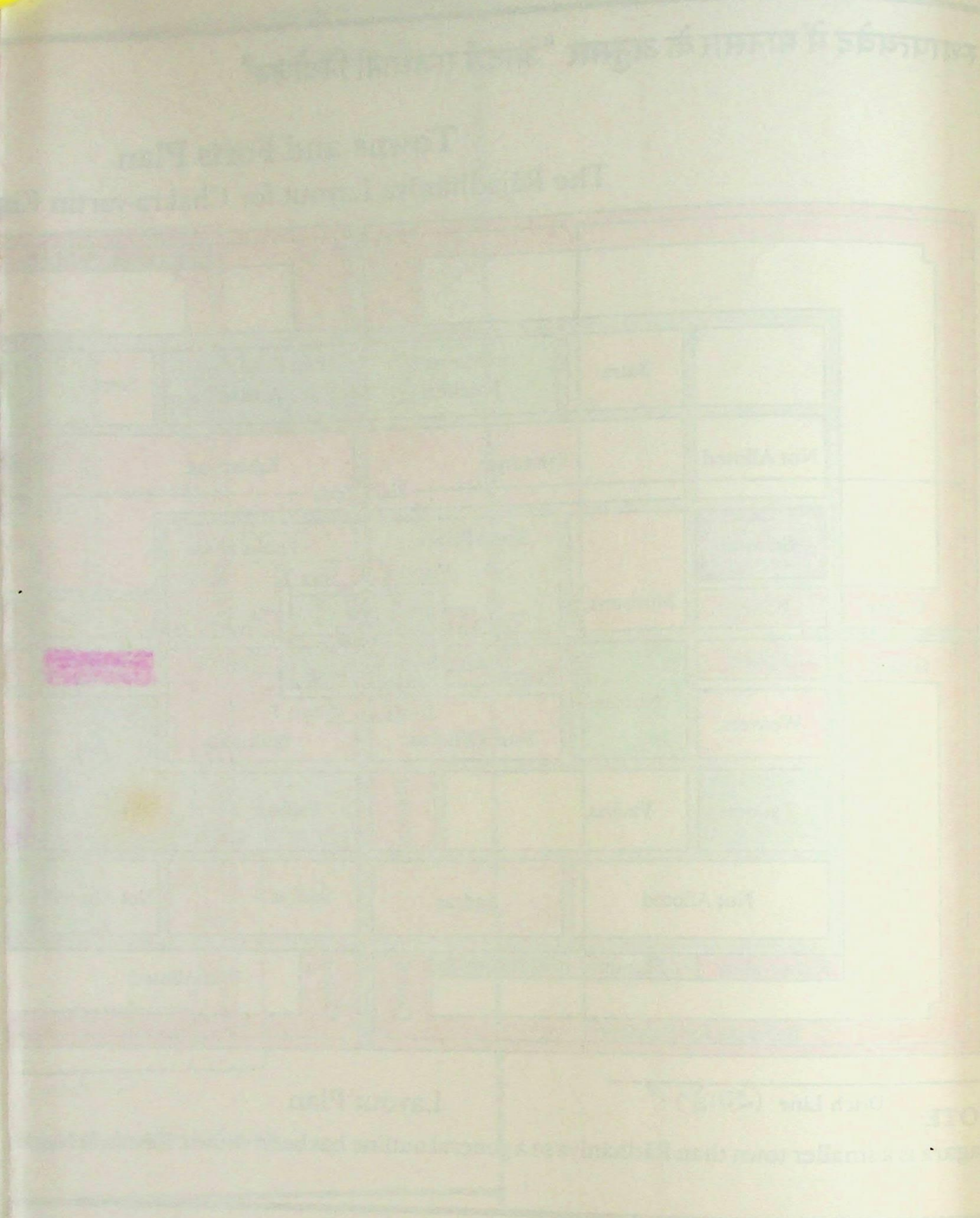
विकास केन्द्र

पीथमपुर विकास केन्द्र

मांगल्या औधोगिक क्षेत्र

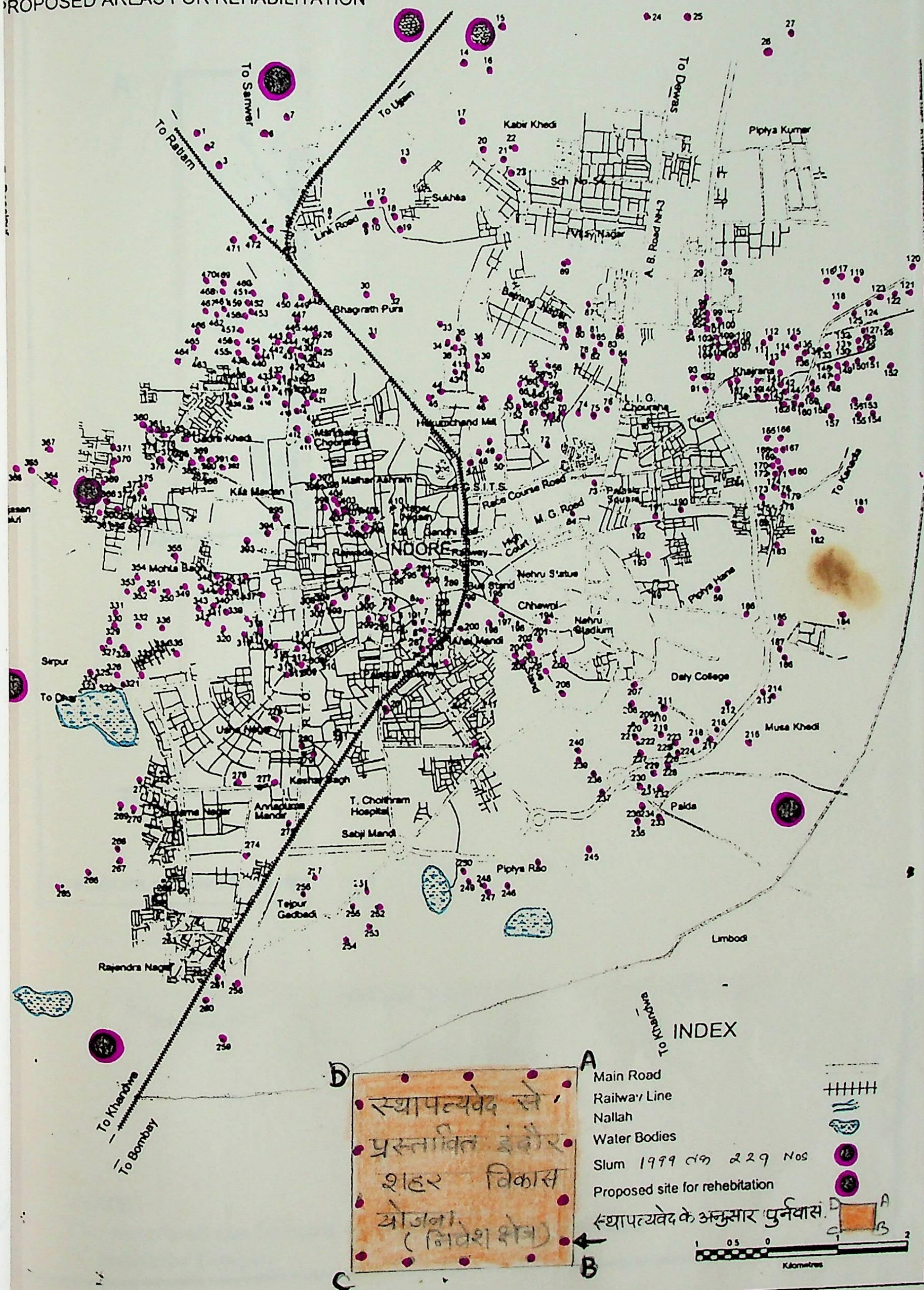


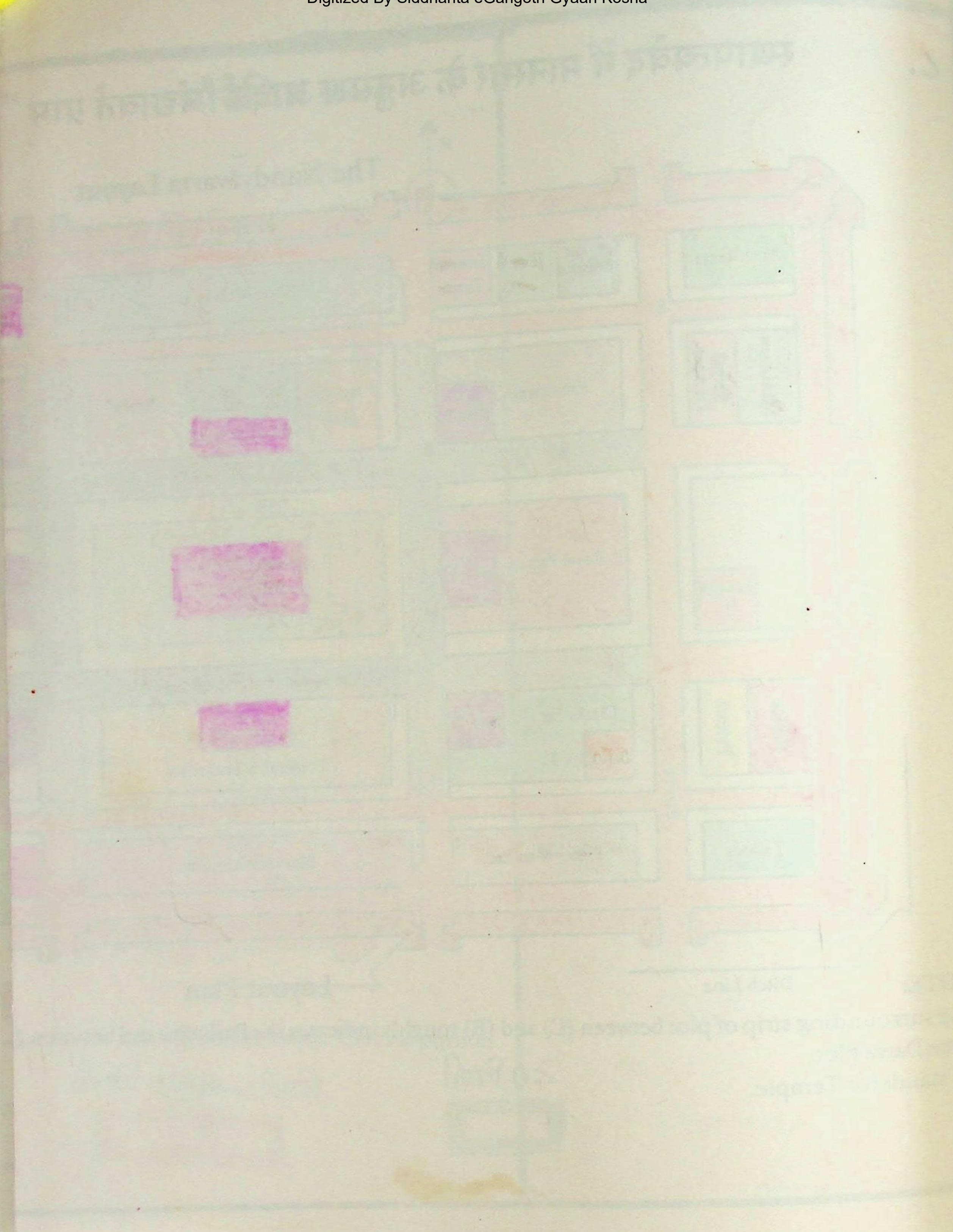

इन्दौर के विचाराधीन सिटीजन्स मास्टर प्लान - 2025
का स्थापत्यवेद से नियोजन
इन्दौर शहर
औद्योगिक क्षेत्र
पिपल्या कुमार
भमोरी
खजराना
सामान्य औद्योगिक
प्रदूषणकारी उद्योग
कृषि आधारित उद्योग
प्रदूषण रहित उद्योग
4.5 kms



मानचित्र क्र. 05

इंदौर के विचाराधीन सिटीज़न्स मास्टर प्लान 2025 का स्थापत्यवेद से नियोजन





Indore Development Plan - 2011 (Draft)
Proposed Road Network

इंदौर विकास योजना.2011 प्रारूप
प्रस्तावित मार्ग संरचना

मानचित्र क्र.६

इन्दौर के विचाराधीन सिटिज़न्स मास्टर प्लान- २०२५

(प्रस्तावित मार्ग संरचना)

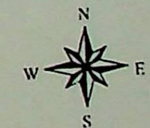
A B C D E F G H

LEGEND

	Existing	Proposed	
TRANSPORTATION			यातायात
Roads			मार्ग
Bus Stand			बस स्टेण्ड
Pick-Up station			पिकअप स्टेशन
Railway station			रेल्वे स्टेशन
Railway line			रेल्वे मार्ग
Airport			विमान तल
Transport nagar			यातायात नगर
RURAL ZONE			ग्रामीण परिक्षेत्र
Village settlement			ग्रामीण आबादी
Village extension			ग्रामीण आबादी विस्तार
WATERBODIES			तालाब/नहरें/नाला/नदी
Green buffer			हरित क्षेत्र
Over Bridges & grade separator			ग्रेड सेपरेटर
Central Area Boundary			मध्य क्षेत्र
PROPOSED Road Network as per Sthapatya Veda			स्थापत्यवेद के अनुसार प्रस्तावित मार्ग संरचना (लगभग दिशा अनुरूप है।)

Fig 4.1 6.

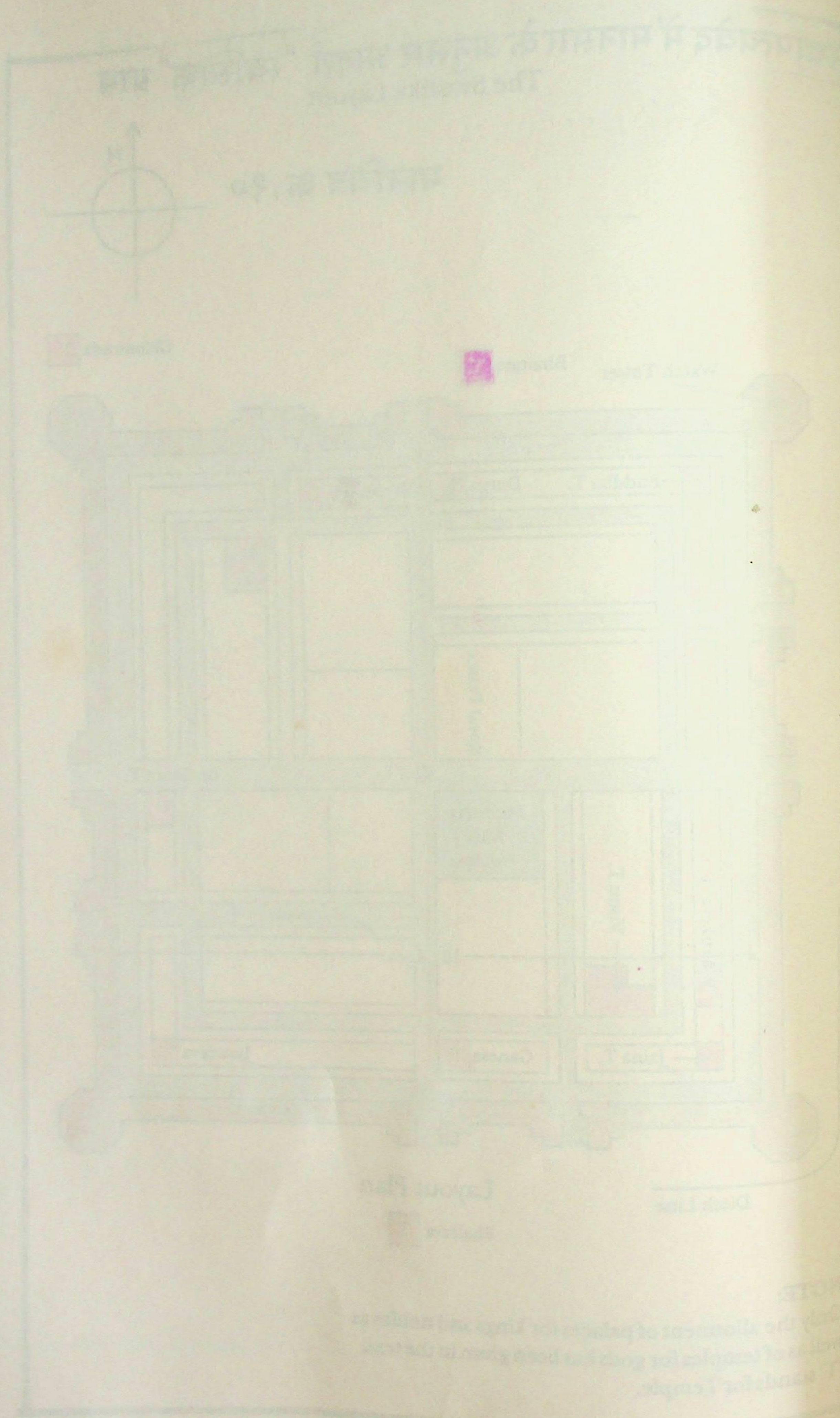
मानचित्र 4.1 6



4 0 4 Kilometers

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

Directorate of Town & Country Planning, Madhya Pradesh

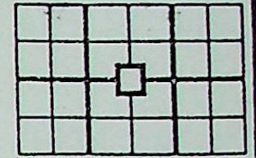


स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार "आदर्श राजधानी नियोजन"

मानचित्र क्र.७

Towns and Forts Plan

The Rājadhānīya Layout for Chakra-vartin Kings



General Outline of Nagara
Not to Scale

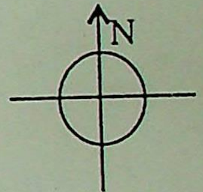
Barracks for Soldiers

Satra
Architects & Jewellers
Main Road
Artisans
Satra
Tank

Not Alloted
Kṣhatriyas
Kṣhatriyas
Recreation Ground

7500 Rods

School
Ministers
Royal Palace
Public Halls
Weapon-Makers
Visṇu T.
Śiva T.
Guard
Police
Visṇu T.
Brahmā
Śiva T.
Physician
Police
5000 Rods
Guard
Police
Śiva T.
Priests
Open
Park
Visṇu T.
Market-Place
Police
Weavers
Nobles
Śiva T.
State Officials
Visṇu T.
Brāhmins
Oil-Men
Tailors
Vaiśyas
Market
Vaiśyas
Milk-Men
Not Alloted
Śūdras
Śūdras
Not Alloted
Washer-Men
Fisher-Men
Hunter
Black-Smith
Guard
Guard
Not-Alloted
Barracks for Soldiers

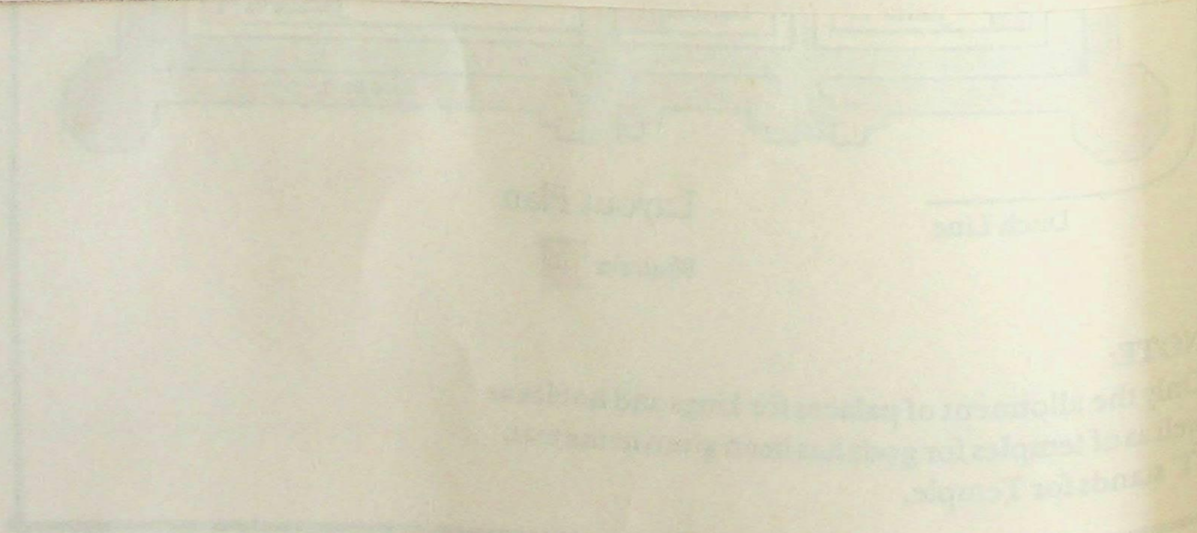


Ditch Line (खाई)

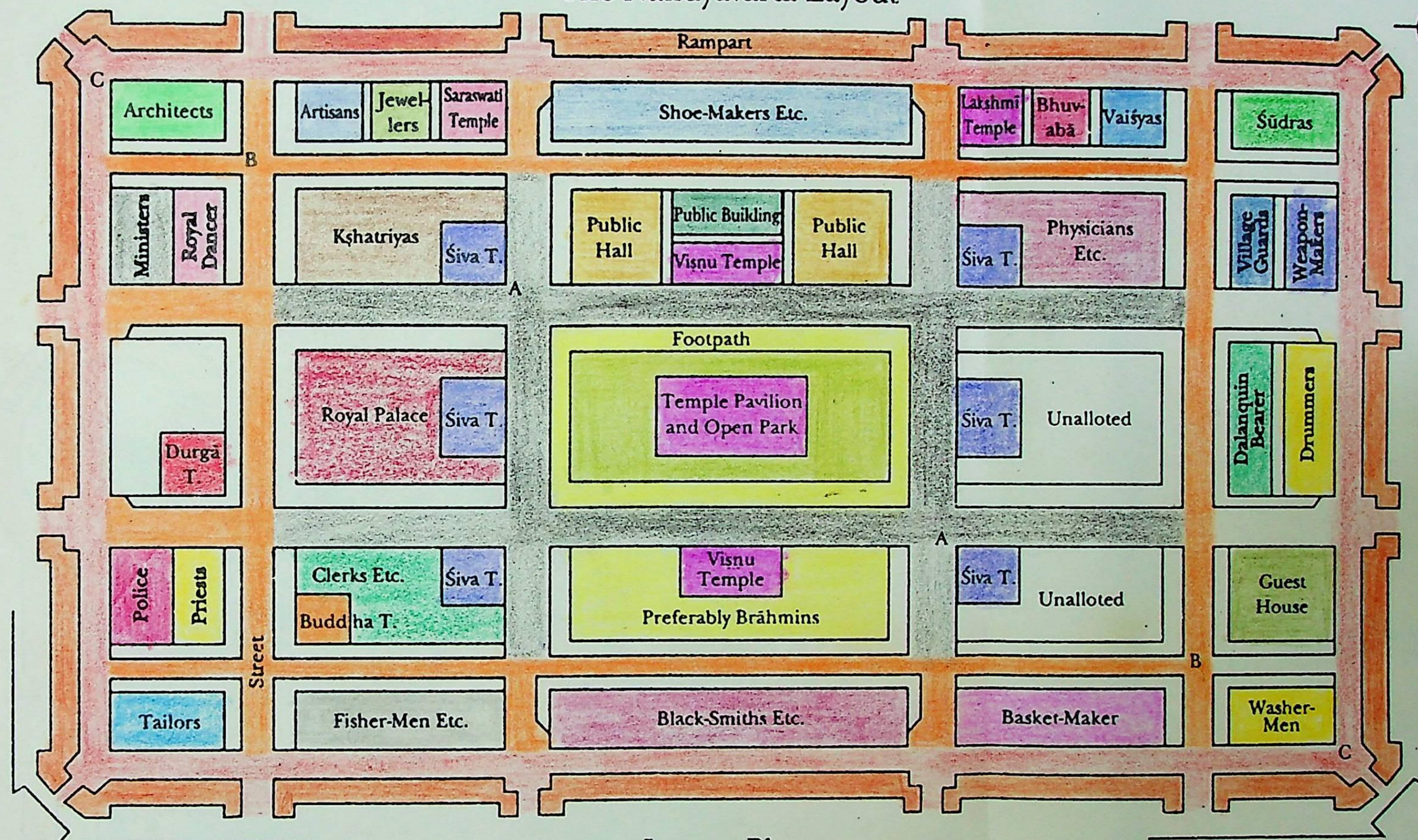
(खाई)

Layout Plan

NOTE:
Nagara is a smaller town than Rādhānīya so a general outline has been shown. Kevala & Nagara vary only in minor details.

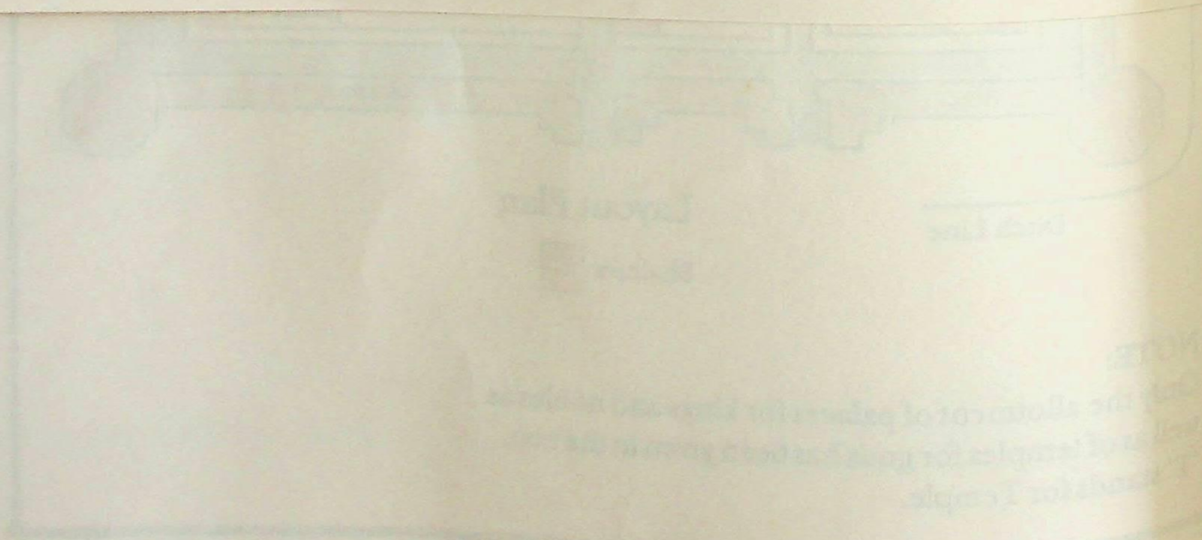


८. स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श "नंद्यावर्त ग्राम" मानचित्र क्र.८



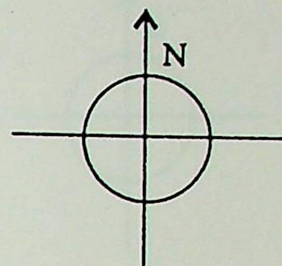
NOTE:
The surrounding strip of plot between (C) and (B) roughly indicates the Paiśācha and between (B) and (A) the Mānusha rounds. Central portion is the Daiva Plot.
'T' stands for Temple.

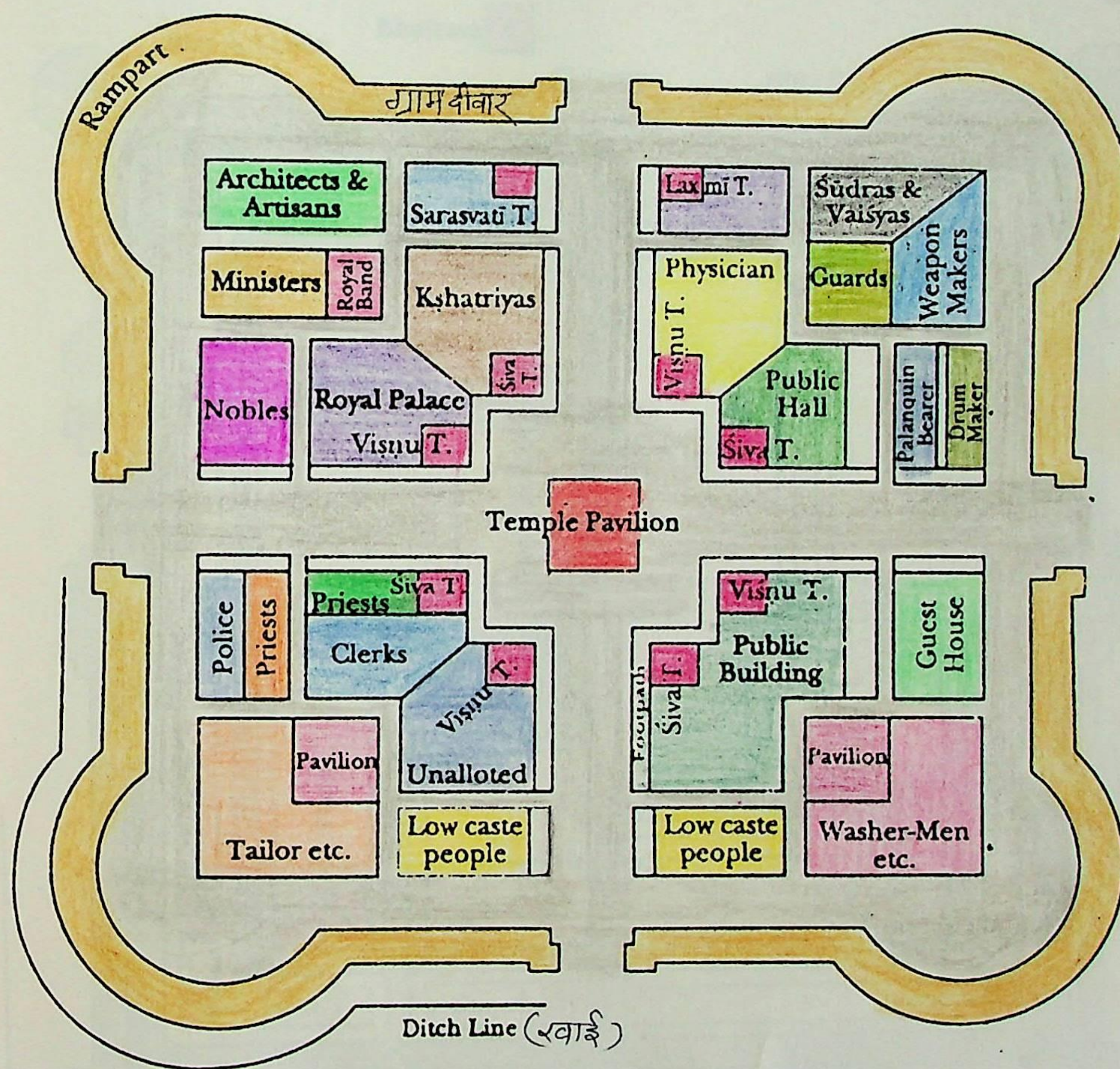
देव विथी — मानुष विथी — पिशाच्च विथी



स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श "पदमक ग्राम"

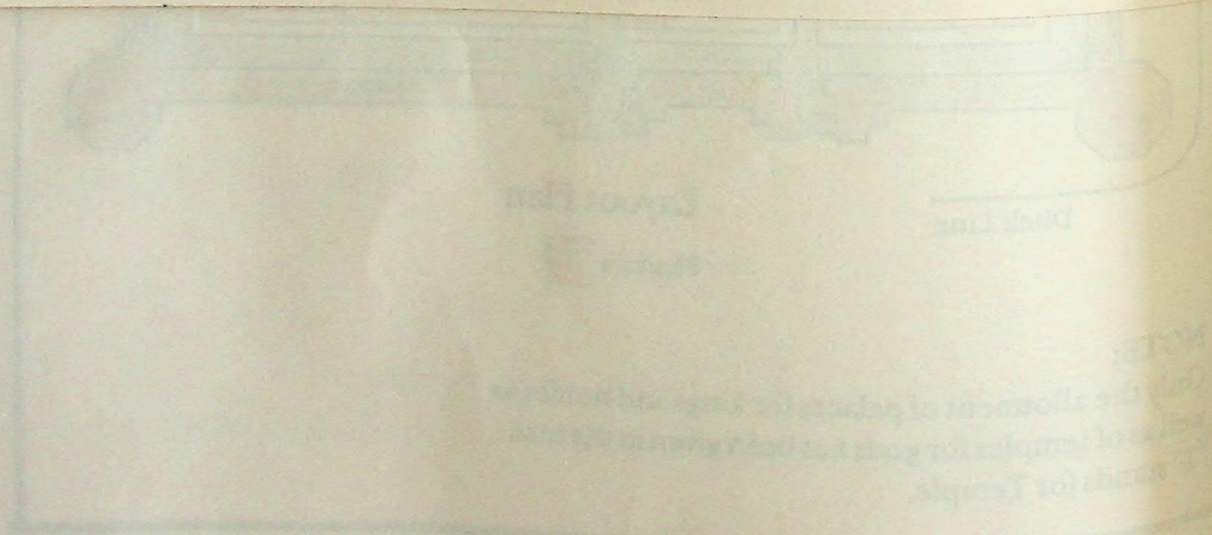
The Padmaka Layout मानचित्र क्र.१





Layout Plan

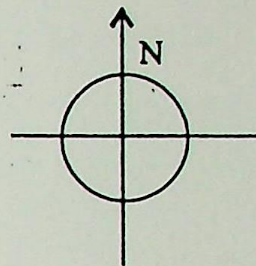
NOTE:
The outer wall can be made circular hexagonal or octagonal.
'T' stands for Temple.



स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श "स्वस्तिक" ग्राम

The Svastika Layout

मानचित्र क्र.१०



Chāmuṇḍā T.

Bhairava T.

Watch Tower

Buddha T.

Durga T.

Bhuvanesa T.

Śiva T.

Royal Palace

Bhāskara T.

Ministers And Nobles

Kārtikeya T.

Viṣṇu T.

Footpath

101 Rods

Jaina T.

Gaṇeśa T.

Jaradeva T.

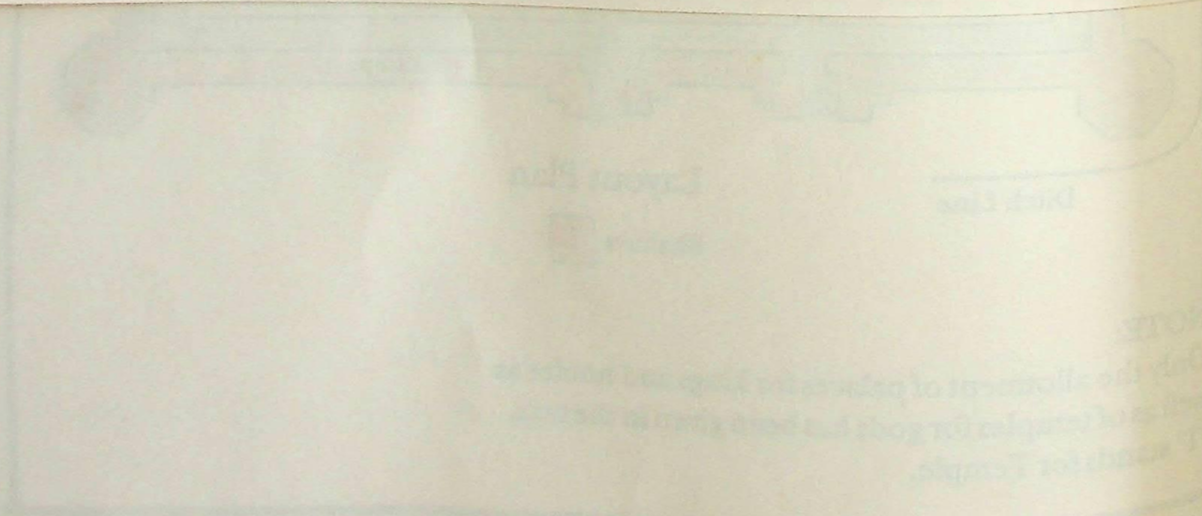
Rampart

Ditch Line

Layout Plan

Bhairava T.

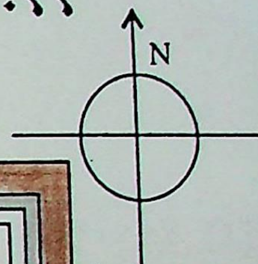
NOTE:
Only the allotment of palaces for kings and nobles as well as of temples for gods has been given in the text. 'T' stands for Ṭemple.



मानचित्र क्र.११

स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श "प्रस्तर" ग्राम

The Prastara Layout

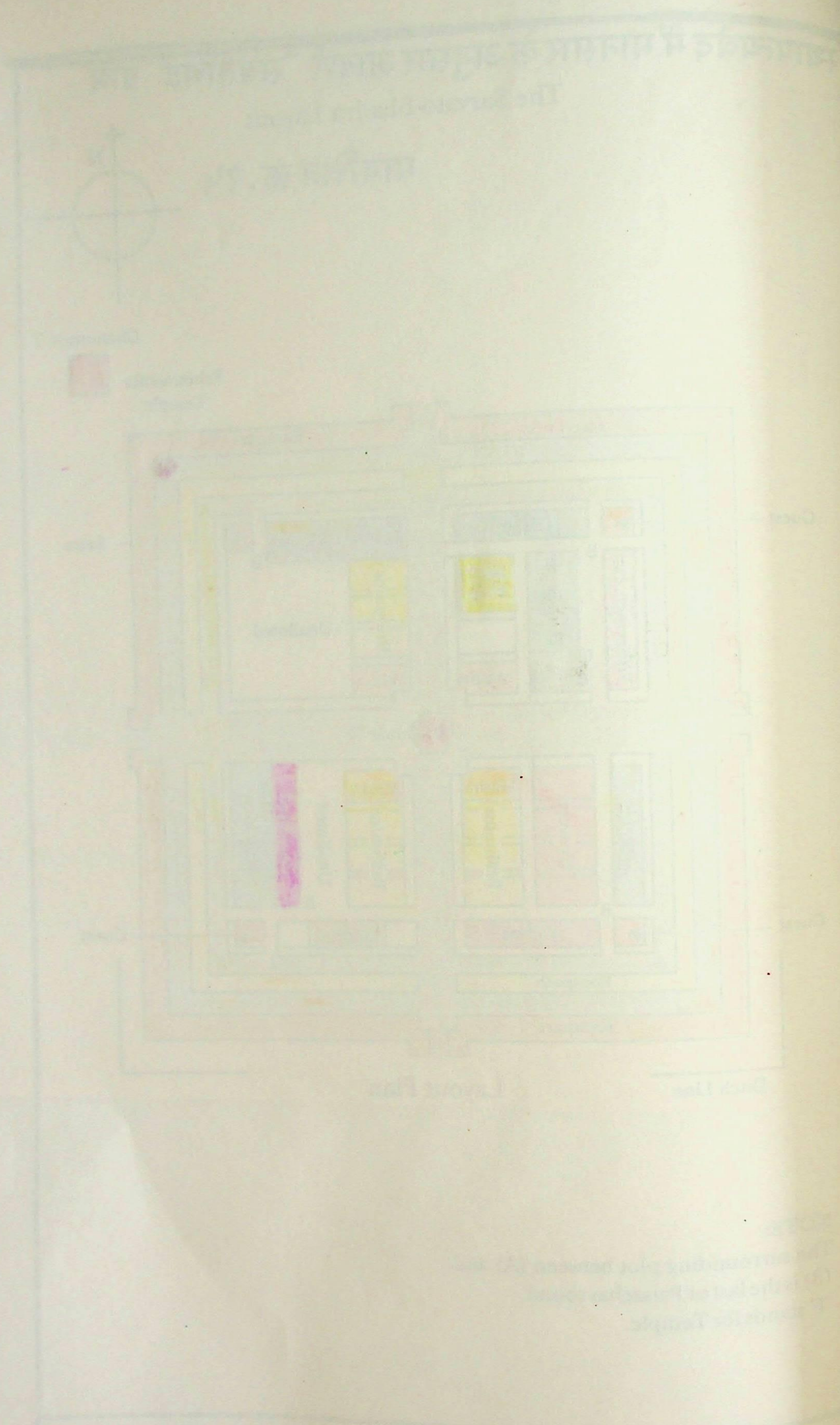


C
Śūdras
Shoe-Makers
Sarasvati T.
Śūdras
B
Architects
Artisans
Lakshmi T.
Vaidyas
Village Guards
Buddha T.
Ministers
Kshatriyas
Royal Based
Unalloted
Vaiśyas
Wepon Dealers
A
Vaiśyas
Stalls
Sāmanta
Royal Palace
Śiva T.
Public Halls
Vaiśyas
Market Stalls
Potter
Palanquin Bearer
Drum Maker
300 Rods
Viṣṇu T.
Stalls
Vaiśyas
Police
Priests
Śiva T.
Clerks
Brāhmins
Market Stalls
Vaiśyas
Oil-Men
Guest
600 Rods.
Milk-Men
Tank
Śiva T.
Washer-Men
Tailor
Fisher-Men
Basket-Maker
Black-Smith

Ditch Line खाई रेखा।

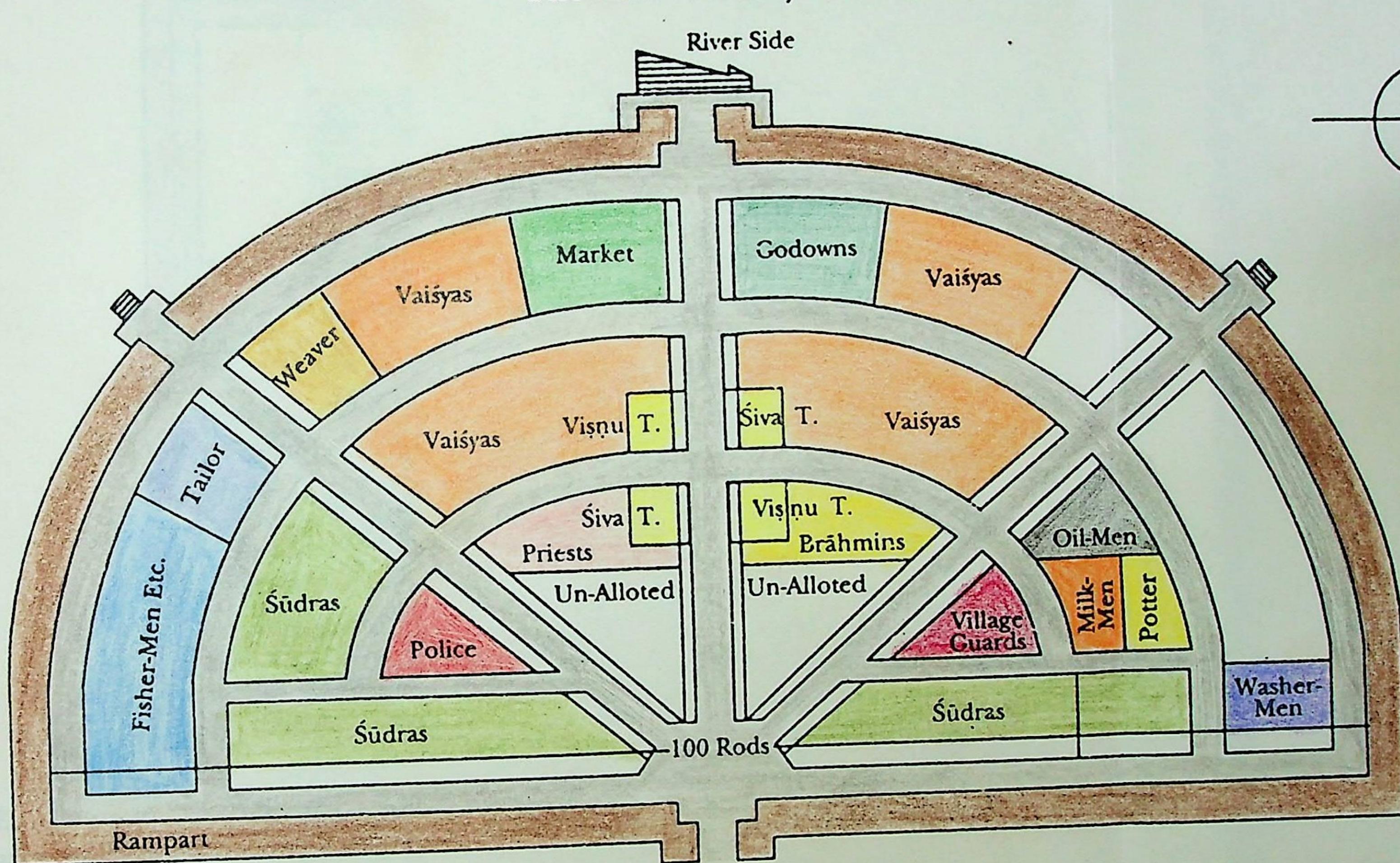
Layout Plan

NOTE:
The surrounding strip of plot between (C) and (B) roughly indicates the Paiśācha and between (B) and (A) the Mānusha rounds. Central portion is the Daiva Plot.
'T' stands for Temple.



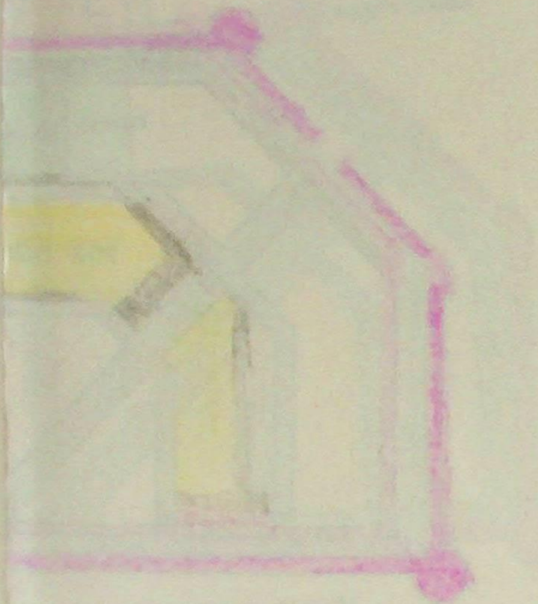
१२. स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श "कार्मुक" ग्राम मानचित्र क्र.१२

The Kārmuka Layout



Layout Plan

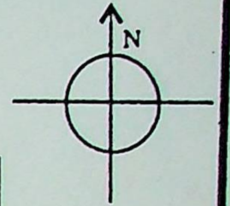
NOTE:
Unallotted spaces are for future development with in the village wall.





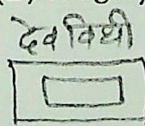
१३. स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श "चतुर्मुख" ग्राम मानचित्र क्र.१३

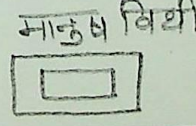
The Chaturmukha Layout

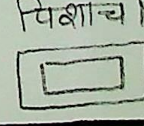


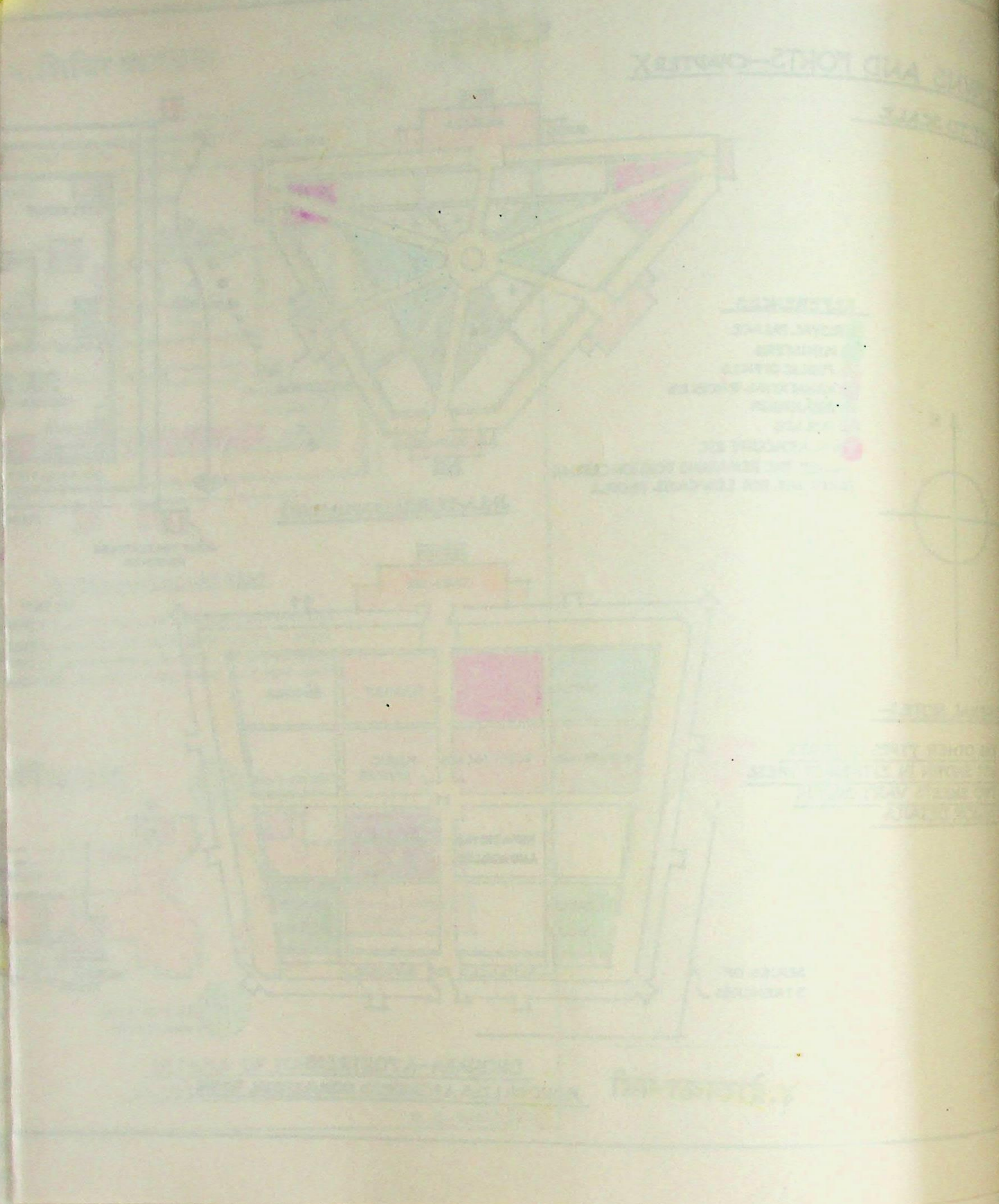
Layout Plan

NOTE:
The surrounding strip of plot between (C) and (B) roughly indicates the Paiśācha and between (B) and (A) the Mānusha rounds. Central portion is the Daiva Plot.
'T' stands for Temple.
This village is for the Vaisyas mainly.





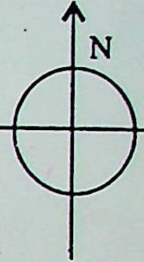




१४. स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श "दण्डक" ग्राम

The Dandaka Layout

मानचित्र क्र.१४



Śiva T.

58
Rods
दण्ड

Main Road

Street

31
Rods

Viṣṇu T.

Brāhmins

Lane

Footpath

Rampart

किले/ग्राम की दीवार

Ditch Line खाई

Layout Plan

NOTE:

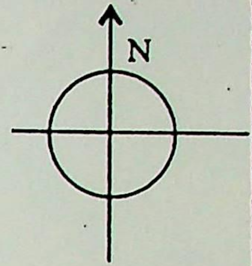
The length has been taken 4 Rods less than double the breadth according to Āya rules.
'T' here stands for Temple.



स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श "सर्वतोभद्र" ग्राम

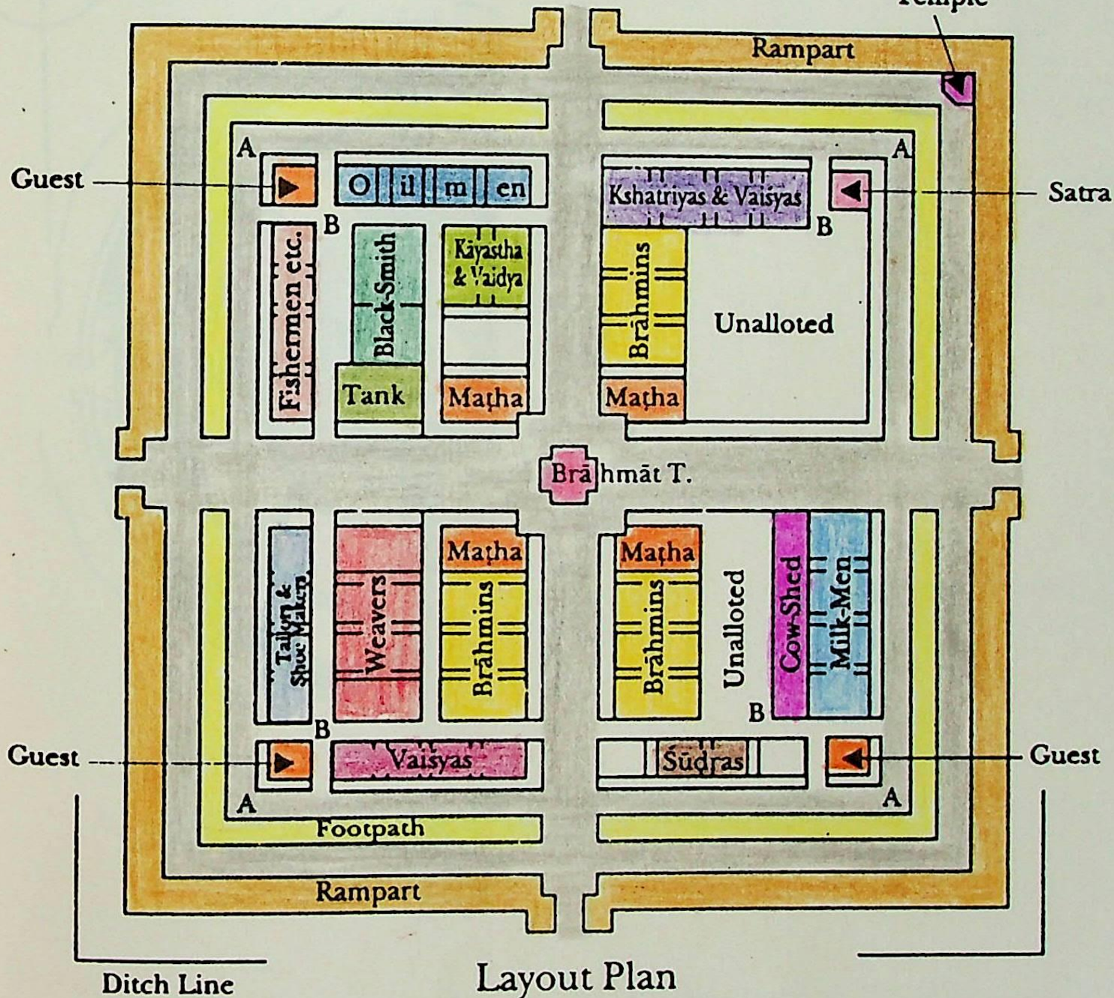
The Sarvato-Bhadra Layout

मानचित्र क्र. १५



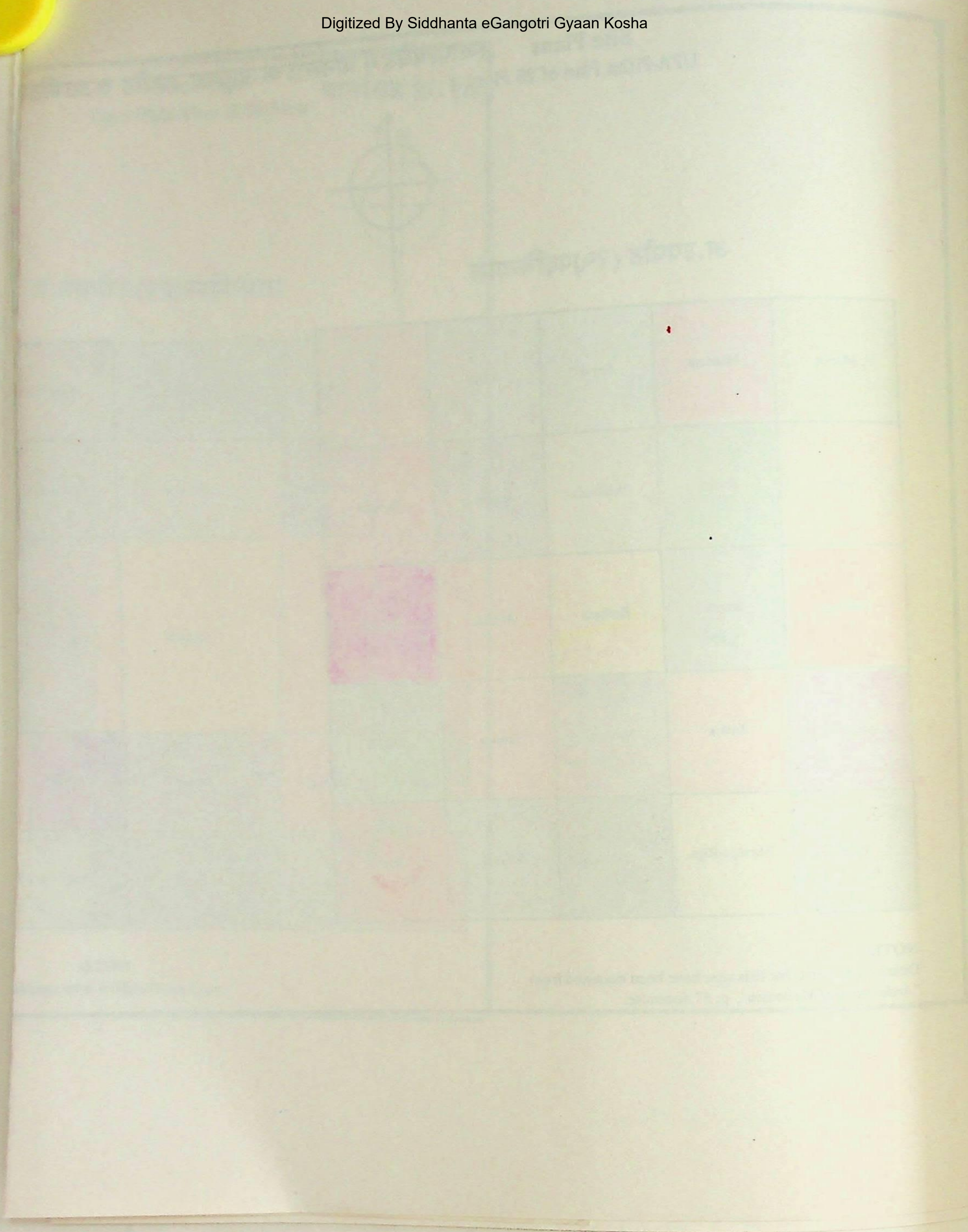
Chāmuṇḍā T.





Layout Plan

NOTE:
The surrounding plot between (A) and (B) is the last or Paisachas round.
'T' stands for Temple.



SHEET NO XXIV

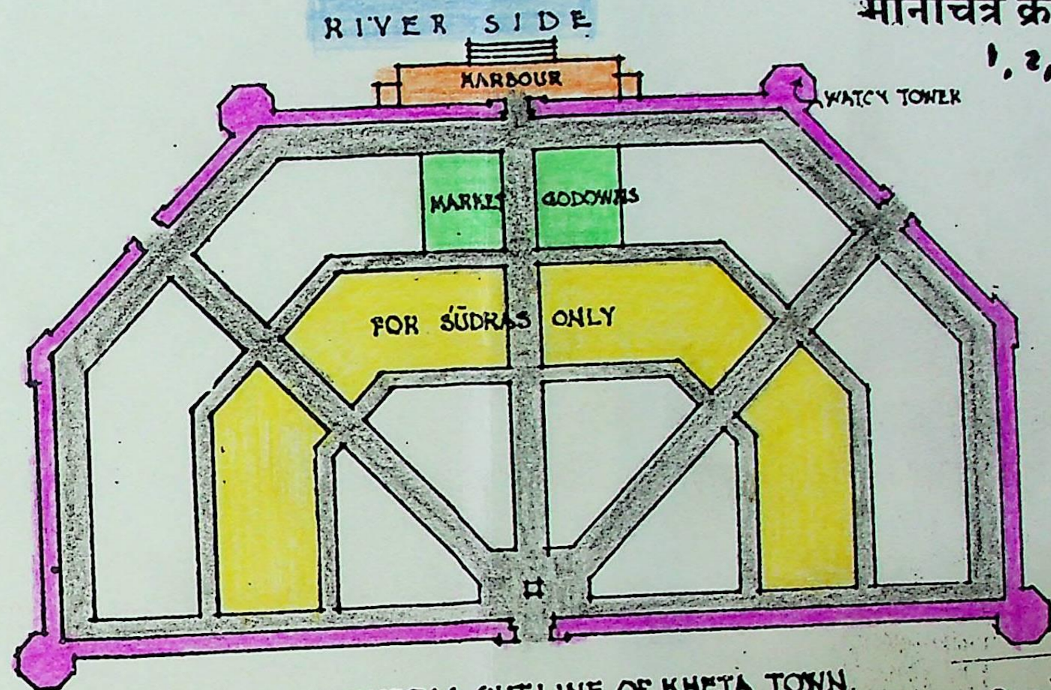
१६.स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श "नगर व दुर्ग"

मानचित्र क्र.१६ 1, 2, 3

TOWNS AND FORTS — CHAPTER X

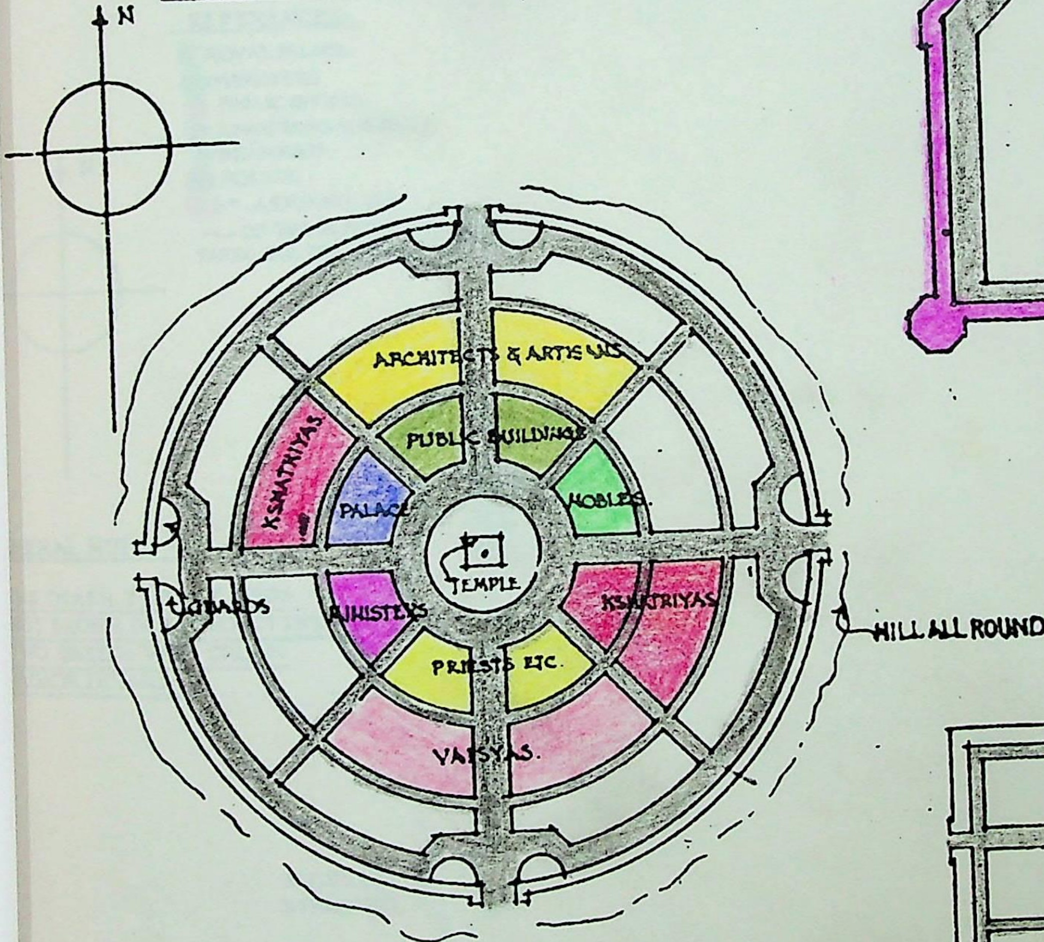
NOT TO SCALE.

NOTE:-
THE DETAILED ALLOTMENTS FOR THESE LAY-OUTS ARE TO BE MADE ON THE SAME PRINCIPLE ON WHICH THE VILLAGES HAVE BEEN DESIGNED.



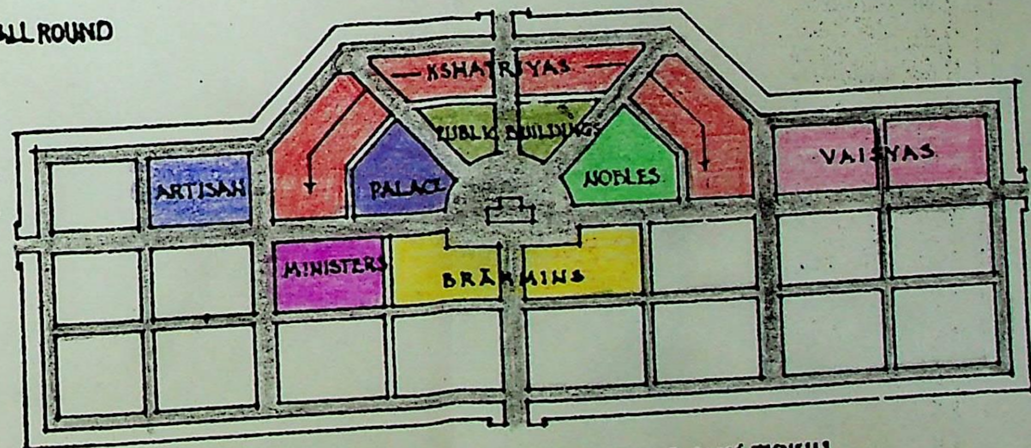
GENERAL OUT-LINE OF KHETA TOWN.
THERE SHOULD BE NO RESIDENCE OF KINGS OR UPPER CASTE PEOPLE IN THIS VILLAGE

(१.खेट

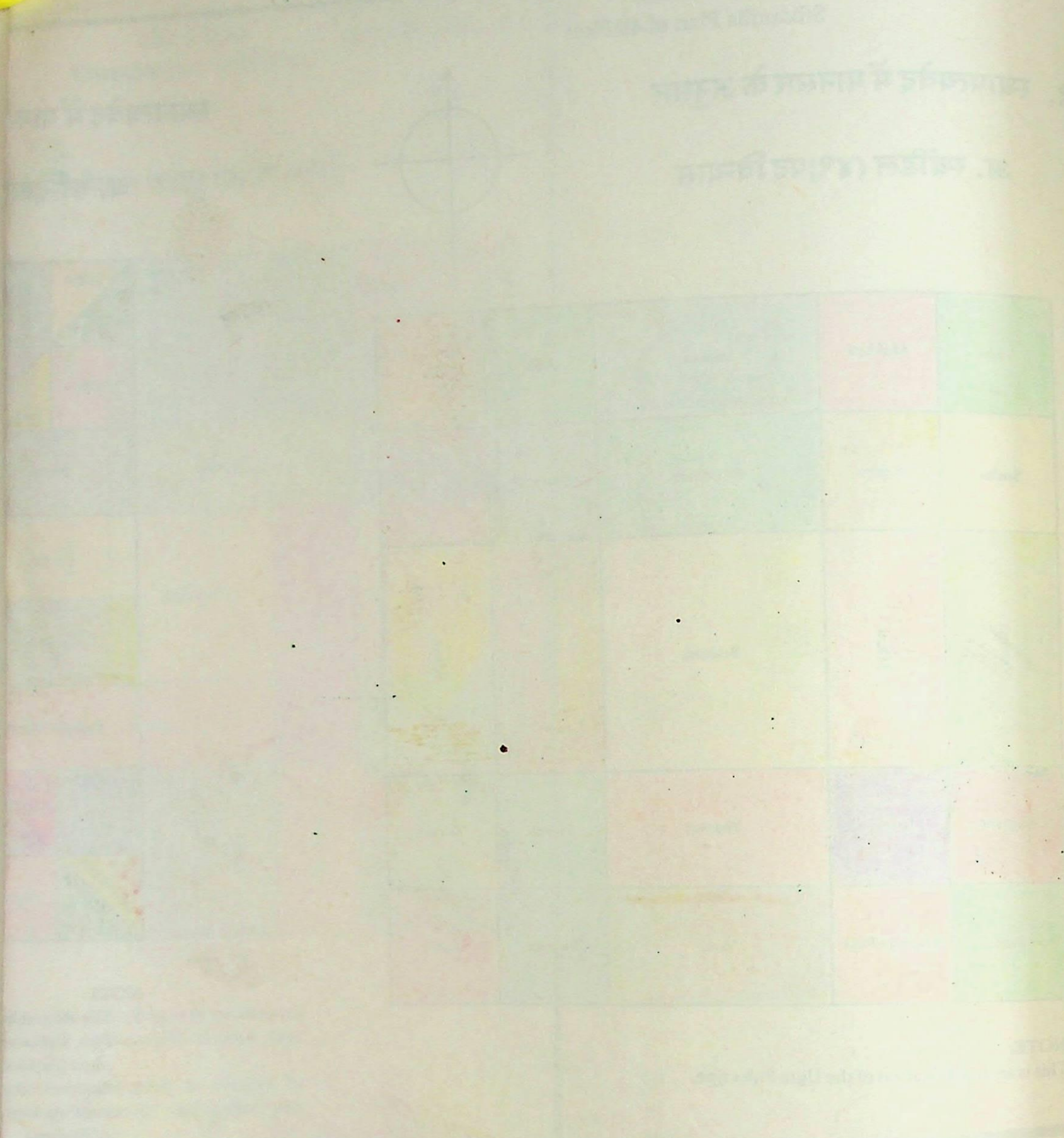


GENERAL OUTLINE OF KHARVATA TOWN.

२.खर्वट



GENERAL OUTLINE OF KUBJAKA TOWN



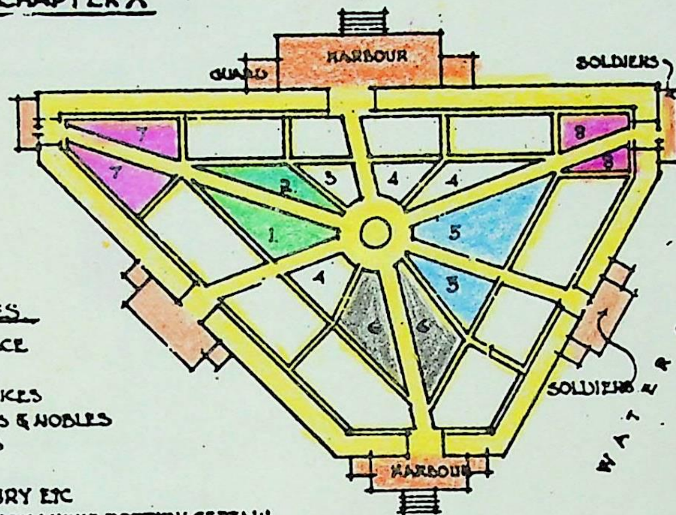
मानचित्र क्र. १६

४,५,६,७

TOWNS AND FORTS — CHAPTER X

NOT TO SCALE

६. जल दुर्ग

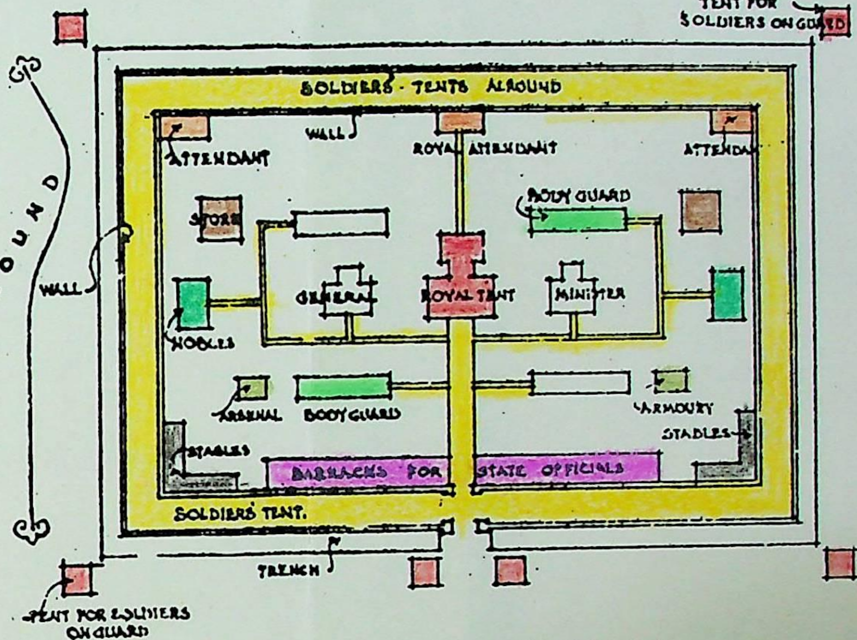


REFERENCES

1. ROYAL PALACE
2. MINISTERS
3. PUBLIC OFFICES
4. KSHATRIYAS & NOBLES
5. BRAHMINS
6. POLICE
7 & 8. ARMOURY ETC
~ OF THE REMAINING PORTION CERTAIN PARTS ARE FOR LOW-CASTE PEOPLE

JALA-DURGA (WATER-FORT)

५. शिविर या पड़ाव

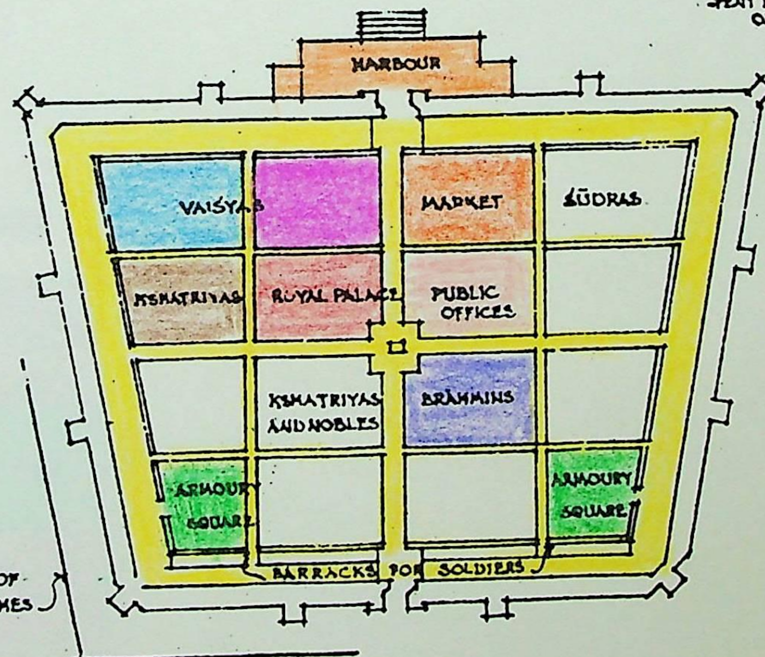


SIVIRA — ENCAMPMENT

NOTE:- THE STRUCTURE SHOULD BE OF A TEMPORARY NATURE
THE 103RD CHAPTER OF BRAHMA-VAIVARTTA PURĀNA MENTIONS 12 GATES FOR A SIVIRA BUT MANASARA IS SILENT ON THE POINT. SO ONLY ONE GATE HAS BEEN SHOWN

GENERAL NOTE:-

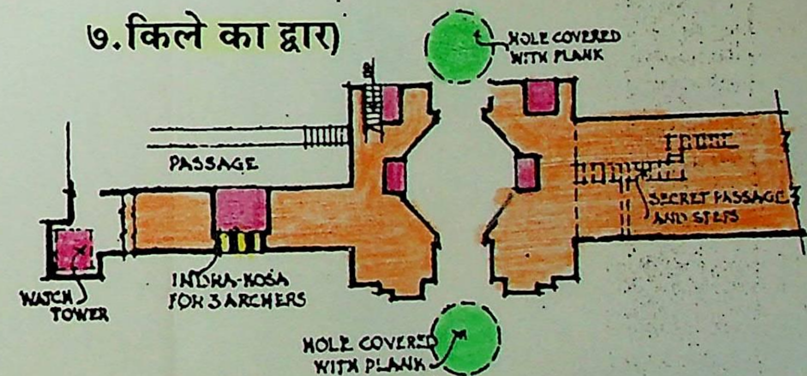
THE OTHER TYPES OF FORTS NOT SHOWN IN EITHER OF THESE TWO SHEETS VARY ONLY IN MINOR DETAILS.



DRONAKA — A FORTRESS
MORE OR LESS A FORTIFIED COMMERCIAL TOWN

४. द्रोरनका गढी

७. किले का द्वार)



DETAILS OF FORT GATES
AS OBTAINED FROM ARTHA-SĀSTRA

S. C. MUKHERJI.

Site Plans

(a) Sakala of 1 Plot, (b) Pechaka of 4 Plots,. स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार वास्तु पद विन्यास (LAY OUT PLAN) मानचित्र क्र. १७
(c) Pīṭha of 9 Plots

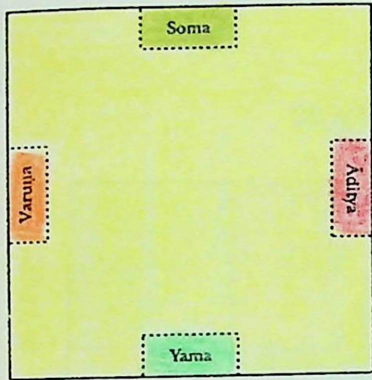
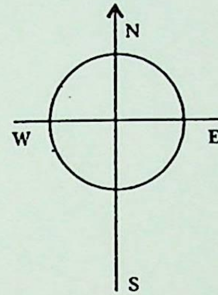


Fig. 1: Sakala of 1 Plot A

अ. सकल (१) पदविन्यास



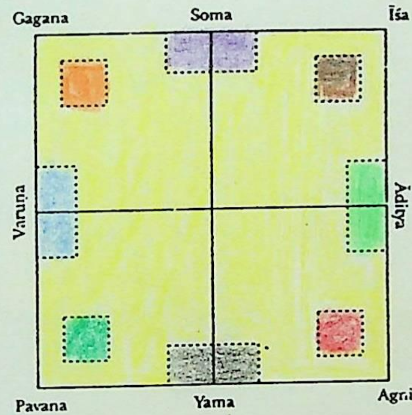


Fig. 2: Pechaka of 4 Plots B

ब. पीचक (४) पदविन्यास

स. पीठ (९) पदविन्यास

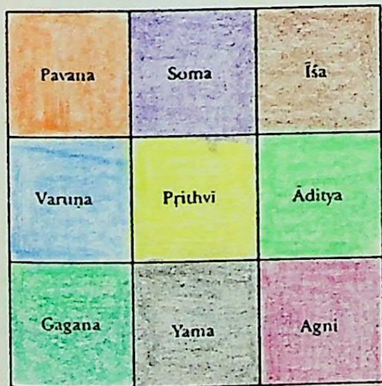


Fig. 3: Pīṭha of 9 Plots C

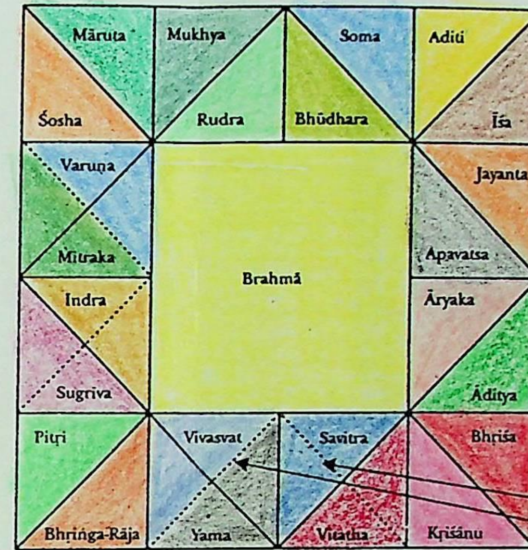


Fig. 1: Mahāpiṭha of 16 Plots

द. महापीठ (१६) पदविन्यास

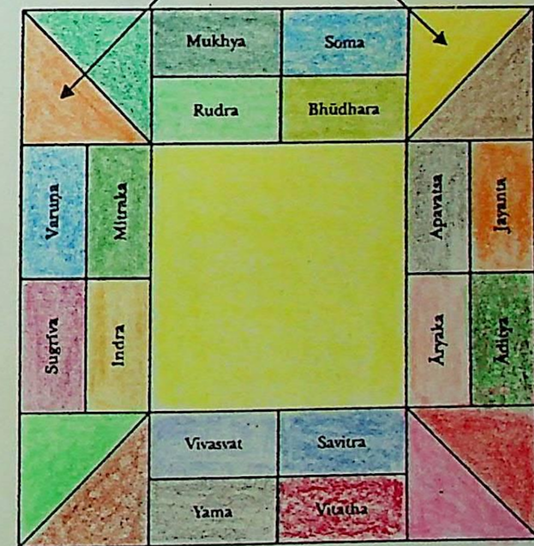


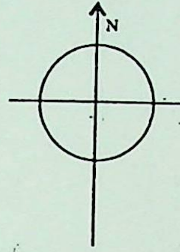
Fig. 1A: Mahāpiṭha of 16 Plots Arranged Differently

स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार उपपीठ व उग्रपीठ पदविन्यास

मानचित्र क्र.१८

Site Plans

UPA-Pīṭha Plan of 25 Plots



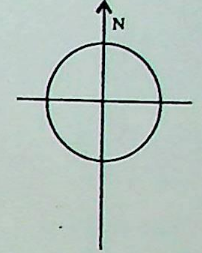
अ.उपपीठ (२५)पदविन्यास

Marut	Mukhya	Soma	Aditi	Īśa
Śosha	Rudra	Bhūdhara	Apavatsa	Jayanta
Varuṇa	Mitra	Brahmā	Āryaka	Āditya
Sugrīva	Indra	Vivasvat	Savitra	Bhṛiśa
Pitṛi	Bhṛiṅga-Rāja	Yama	Vitatha	Agni

NOTE:
Detail allotments for this type have been obtained from *"Architecture of Manasara"*, p. 37, footnote.

Site Plans

Ugra-Pīṭha Plan of 36 Plots



ब.उग्रपीठ (३६)पदविन्यास

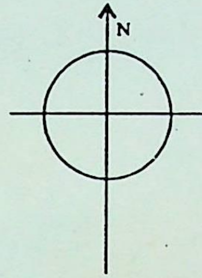
Vāyu	Mukhya	Soma	Aditi	Īśa
Śosha	Rudra	Bhūdhara	Apavatsa	Jayanta
Varuṇa	Mitra	Brahmā	Āryaka	Āditya
Sugrīva	Indra	Vivasvat	Savitra	Bhṛiśa
Pitṛi	Bhṛiṅga-Rāja	Yama	Vitatha	Agni

NOTE:
This is an amplification of the Ugra-Pīṭha Type.

Site Plans
Sthaṇḍila Plan of 49 Plots

१९. स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार

अ. स्थंडिल (४९)पद विन्यास



Vāyu	Mukhya	Soma	Aditi	Īśa
Śosha	Rudra	Bhūdhara	Apavatsa	Jayanta
Varuṇa	Mitra	Brahmā	Āryaka	Āditya
Sugrīva	Indra	Vivasvat	Savitra	Bhṛiśa
Pitṛi	Bhṛiṅga-Rāja	Yama	Vitatha	Agni

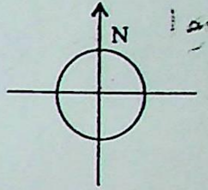
NOTE:
This is an amplification of the Ugra Pīṭha type.

Site Plans
Chaṇḍita Plan of 64 Plots

मानचित्र क्र.१९

स्थापत्यवेद में मानसार से

ब. छन्दिता(६४) "चौकोर वास्तु पद विन्यास"



NOTE:
1. The dotted lines on the four corners of the Brahmā Plot indicate another arrangement of those four plots (Āryaka etc.).
2. Another alternative arrangement is possible by starting with Āryaka from the due northeastern plot of Brahmā.

मानचित्र क्र.१९ स.

मत्स्यपुराण के अनुसार वास्तुपद विन्यास ६४ पदीय

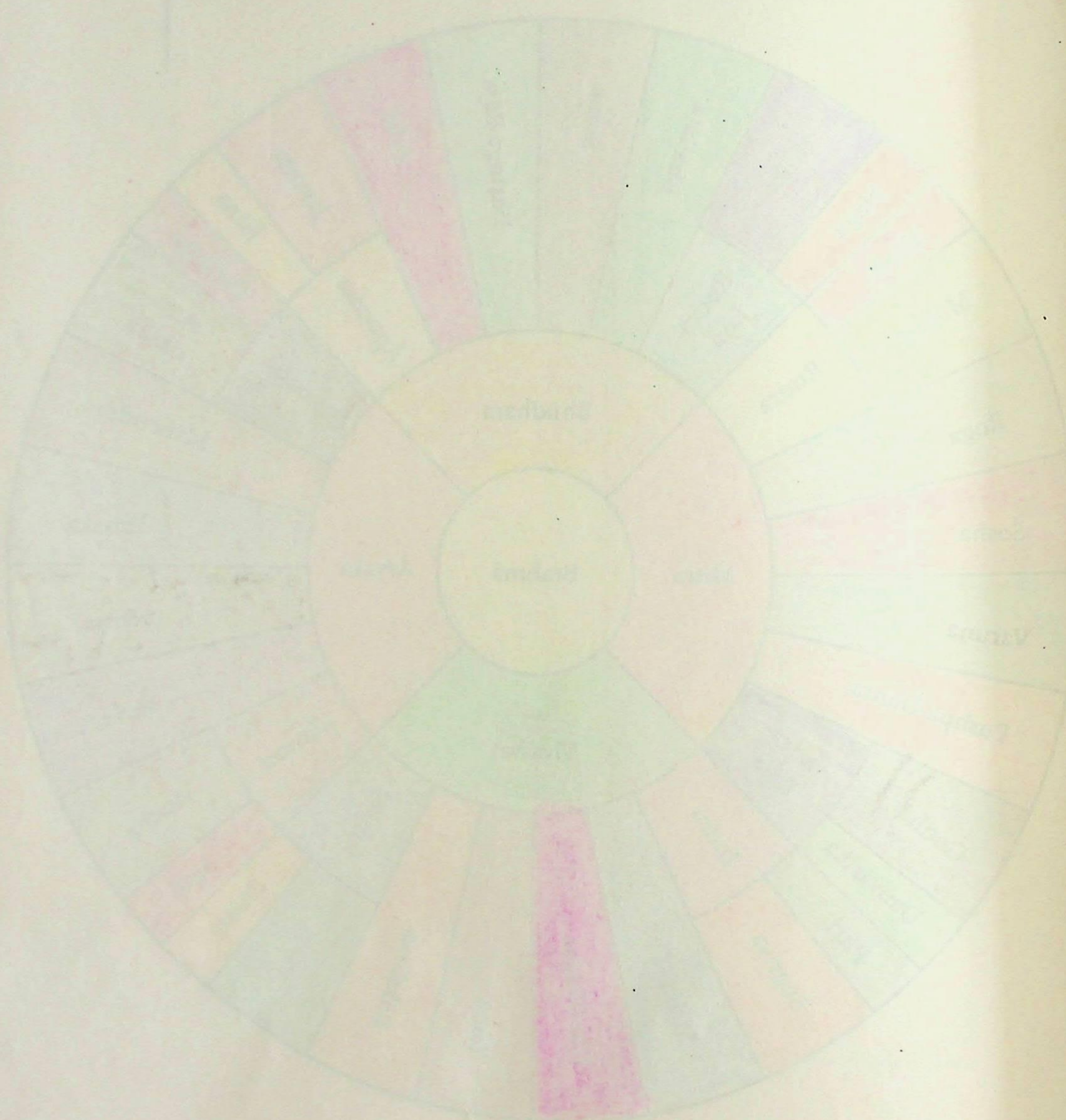
वास्तुचक
(चौंसठ पदोंवाला)

ईशान चरकी — पूर्व स्कन्द — आग्नेय विदारिका

पिलिपिच्छ उत्तर — अर्यमा दक्षिण

शिखी / दिति	पर्जन्य	जयन्त	इन्द्र	सूर्य	सत्य	भृश	अंतरिक्ष / अनिल
अदिति	पर्जन्य / अदिति	जयन्त	इन्द्र	सूर्य	सत्य	भृश / पूषा	पूषा
भुजग	भुजग	आपवत्स / आप	अर्यमा	अर्यमा	सविता / सावित्र	वितथ	वितथ
सोम	सोम	पृथ्वीधर	ब्रह्मा	ब्रह्मा	विवस्वान्	बृहत्क्षत	बृहत्क्षत
भल्लाट	भल्लाट	पृथ्वीधर	ब्रह्मा	ब्रह्मा	विवस्वान्	यम	यम
प्रमुख्य	प्रमुख्य	रुद्र / राजयक्ष्मा	मित्र	मित्र	इन्द्र / जयन्त	गन्धर्व	गन्धर्व
नाग	नाग / शोष	असुर	वरुण	पुष्पदंत	सुग्रीव	भृंगराज / दौवारिक	भृंगराज
रोग / पापयक्ष्मा	शोष	असुर	वरुण	पुष्पदंत	सुग्रीव	दौवारिक	मृग / पिता

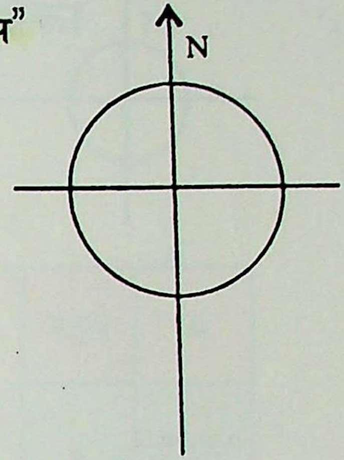
पापराक्षसी वायव्य — जम्बुक पश्चिम — पूतना नैर्ऋत्य



Site Plans

Chaṇḍita Plan of 64 Plots

थापत्यवेद में मानसार के अनुसार छन्दिता(६४) "वृत्तवास्तु पद विन्यास"



Soma
Bhṛinga-Rāja
Aditi
Jayanta
Īśāna
Parjanya
Anta-riksha
Mahendra
Dinaka
Satya
Bhṛisa
Vitatha
Agni
Pūṣān
Mṛka
Rākshasa
Yama
Gandharva
Mṛiśa
Sugrīva
Pitṛi
Dauvārika
Godha
Pushpa-Danta
Varuṇa
Śosha
Roga
Mukhya
Vāyu
Nāga
Udita
Bhallāṭa
Rudra-Jaya
Āpavatsa
Apavatsa
Savitra
Sāvitra
Indra
Indra-Rāja
Rudra
Bhūdhara
Āryaka
Vivasvat
Mitra
Brahmā

NOTE:
The idea of circular plans has been taken from "*Bṛihatsaṁhitā*", pp. 44-45, footnotes.

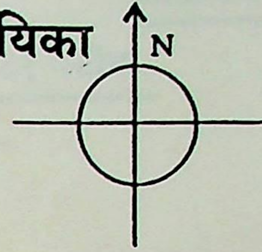
Site Plans

Parama-Śāyika Plan of 81 Plots

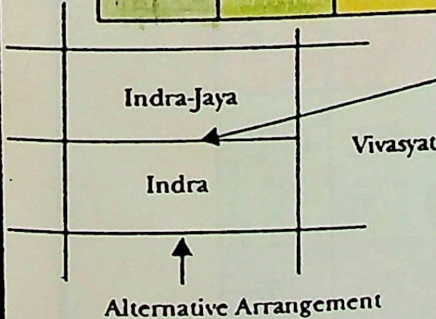
मानचित्र क्र. २१

स्थापत्यवेद में मानसार से एकाशिति या परमशायिका

(चौकोर वास्तु पद विन्यास)



Marut	Nāga	Mukhya	Bhallāṭa	Soma	Mṛiga	Aditi	Udita	Īśa
Roga	Rudra	Rudra-Jaya	Bhūdhara			Apavatsa	Āpavatsya	Parjanya
Śosha								Jayanta
Asura	Mitra		Brahmā			Āryaka		Mahendra
Varuṇa								Bhānu
Pushpa-Danta								Satya
Sugrīva	Indra-Jaya	Indra	Vivasvat			Sāvitra	Savitra	Bhṛiśa
Dauvārika								Anta-rikṣha
Pitṛi	Mṛisa	Bhṛiṅga-Rāja	Gandharva	Yama	Gṛiha-Kṣhata	Vitatha	Pūśān	Agni



The other three corners of Brahmā plot may like-wise be arranged differently

Alternative Arrangement

मानचित्र क्र.२१ ब.

ब.मत्स्यपुराण व विश्वकर्मप्रकाश के अनुसार ८१ पदीय

(चौकोर वास्तु पद विन्यास)

वास्तुचक्र (इक्यासी पदोंवाला)

ईशान चरकी — पूर्व स्कन्द — आग्नेय विदारी

शिखी १	पर्जन्य २	जयन्त ३	इन्द्र ४	सूर्य ५	सत्य ६	भृश ७	अंतरिक्ष ८	अनिल ९
दिति ३२	आप ३३	जयन्त	इन्द्र	सूर्य	सत्य	भृश	सावित्र ३४	पूषा १०
अदिति ३१	अदिति	आपवत्स ४४	अर्यमा	अर्यमा ३७	अर्यमा	सविता ३८	वितथ	वितथ ११
भुजग ३०	भुजग	पृथ्वीधर	ब्रह्मा	ब्रह्मा	ब्रह्मा	वियस्वान्	बृहत्क्षत	बृहत्क्षत १२
सोम २९	सोम	पृथ्वीधर ४३	ब्रह्मा	ब्रह्मा ४५	ब्रह्मा	वियस्वान् ३९	यम	यम १३
भल्लाट २८	भल्लाट	पृथ्वीधर	ब्रह्मा	ब्रह्मा	ब्रह्मा	विवस्वान्	गन्धर्व	गन्धर्व १४
मुख्य २७	मुख्य	राजयक्ष्मा ४२	मित्र	मित्र ४१	मित्र	इन्द्र ४०	भृंगराज	भृंगराज १५
नाग २६	नाग २६	शोष	असुर	वरूण	पुष्पदंत	सुग्रीव	जय	मृग १६
रोग २५	पापयक्ष्मा २४	शोष २३	असुर २२	वरूण २१	पुष्पदंत २०	सुग्रीव १९	दौवारिक १८	पिता १७

पिलिपिच्छ उत्तर — अर्यमा दक्षिण

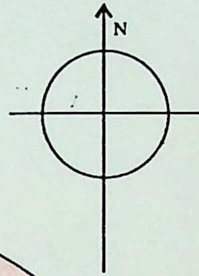
पापराक्षसी वायव्य — जम्बुक पश्चिम — पूतना नैर्ऋत्य

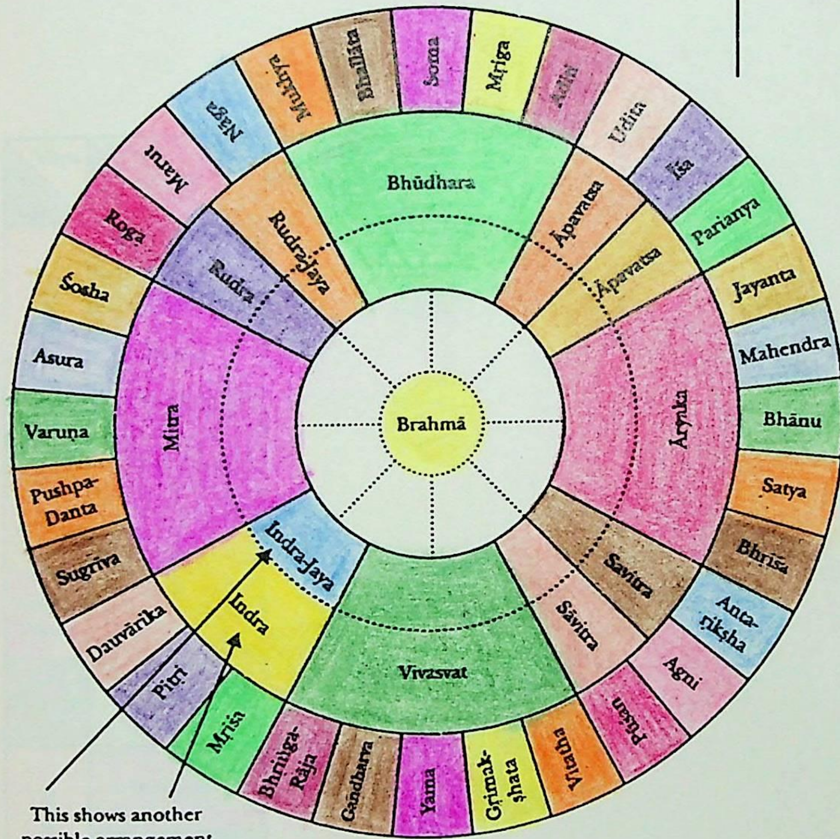
Site Plans स्थापत्यवेद में मानसार से एकाशिति या परमशायिका (८१)पद विन्यास Site Plans मानचित्र क्र.२२

Paṛama-Śāyika Plan of 81 Plots

Parama-Śāyika Plan of 81 Plots

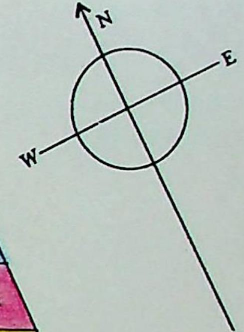
(अ. वृत्त वास्तु पद विन्यास

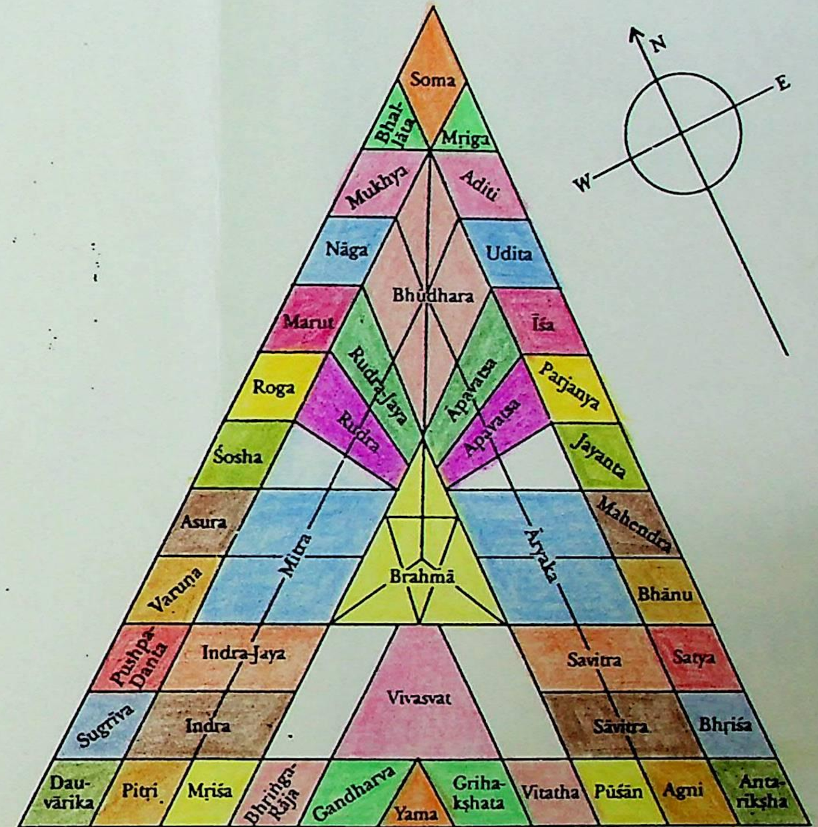




This shows another possible arrangement of those two corner plots Indra etc.

ब.त्रिभुजाकार वास्तु पद विन्यास)





NOTE:
The idea of circular plans has been taken from "*Bṛihatsaṁhitā*", pp. 44-45, footnotes.

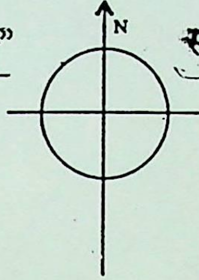
NOTE:
The idea of triangular plan has been obtained from Utpala.

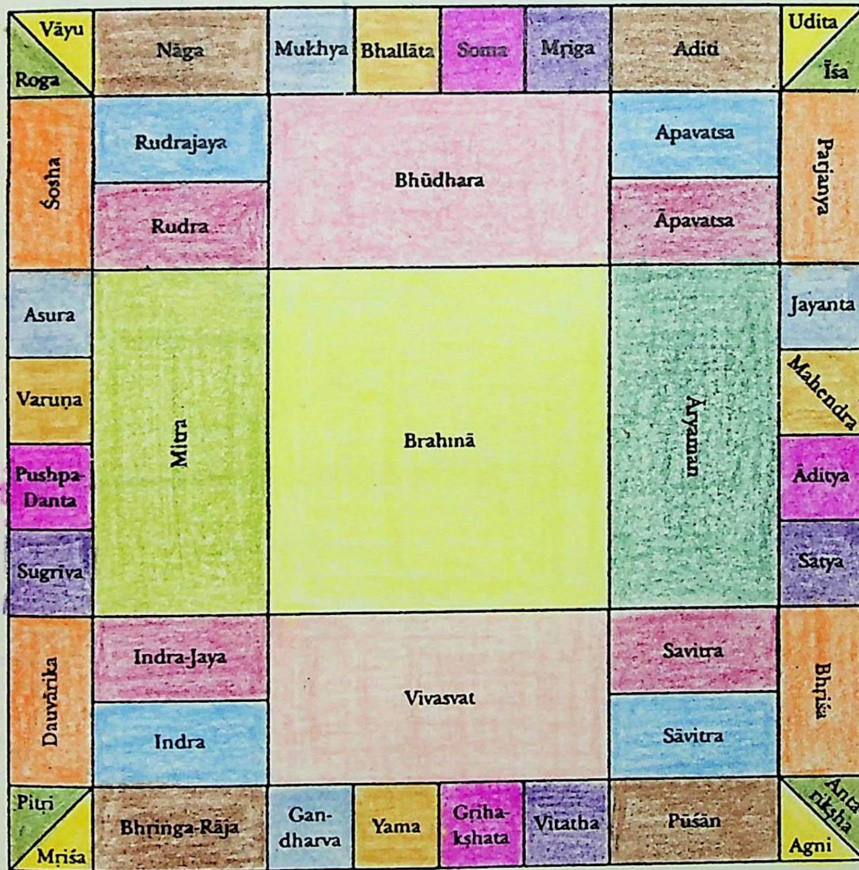


मानचित्र क्र.२३

Site Plans
Āsana Plan of 100 Plots

स्थापत्यवेद मानसार से "आसन वास्तु पद विन्यास"
(चौकोर)

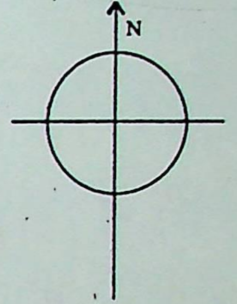


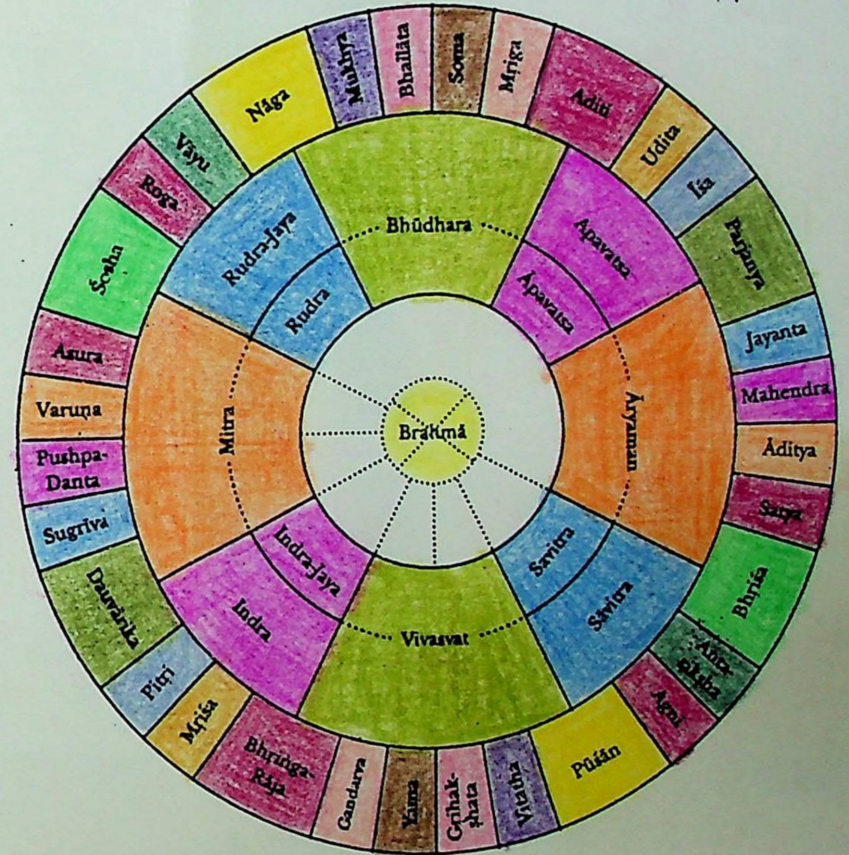


NOTE:
The details of this plan have been obtained from "*Silpa-Ratna*".

Site Plans
Āsana Plan of 100 Plots

स्थापत्यवेद में मानसार से "आसन (१००) वास्तु पद विन्यास"
(वृत्त)





NOTE:
The idea of circular plans has been obtained from "*Brihatsahmitā*" and "*Śilpa-Ratna*".







Erection of Gnomons and Pegs

स्थापत्यवेद में मानसार से शंकु व खुंटी गाड़ने की विधी (Gnomons & Pegs)

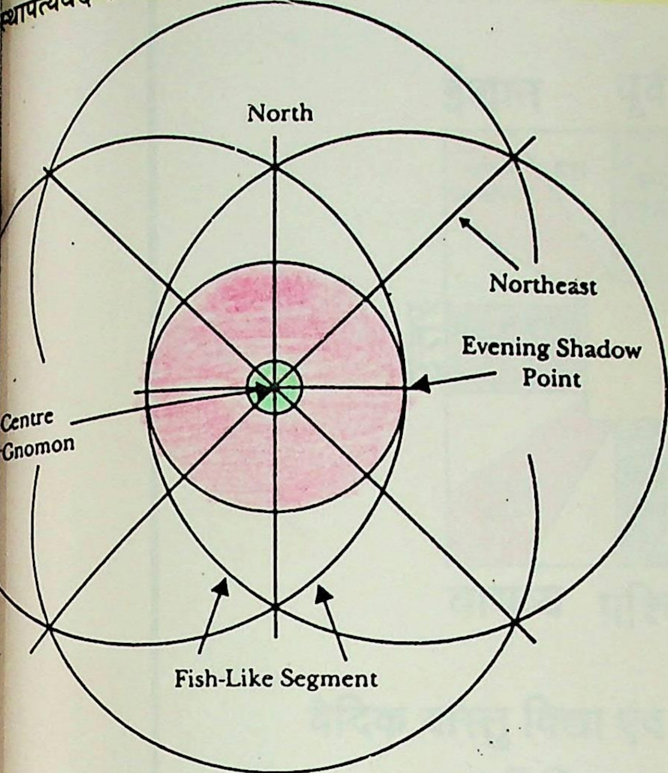
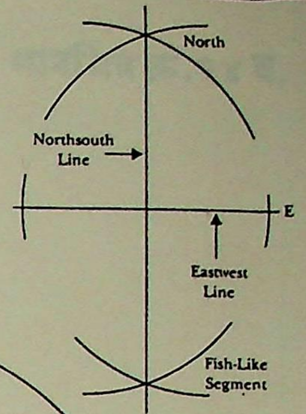
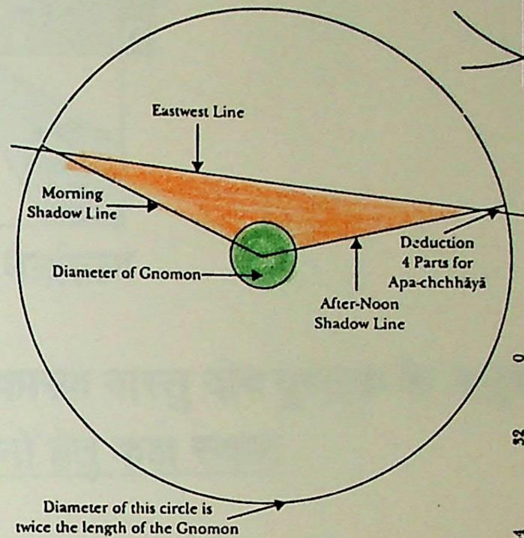
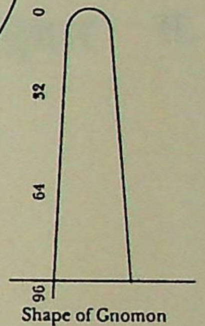


Fig.1: General Method of Finding Cardinal Points







NOTE:
These figures are only applicable to the months of Vriśchika and Āshādha. The month of Mina having Apa-chchhāyā of 4 parts the shadow lines for morning etc., would decline towards the south.

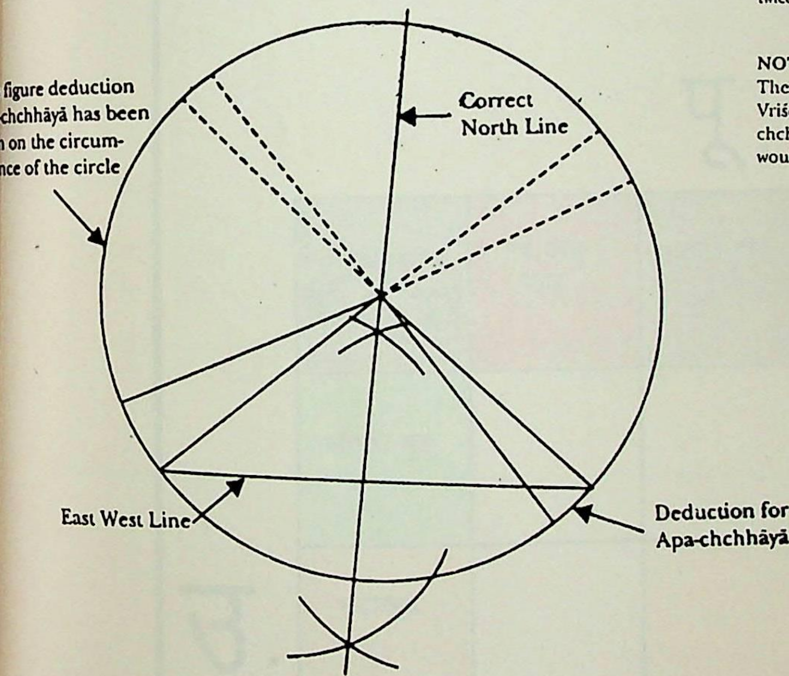


Fig. 2: Alternative Method of Finding Cardinal Points

Erection of Gnomons and Pegs

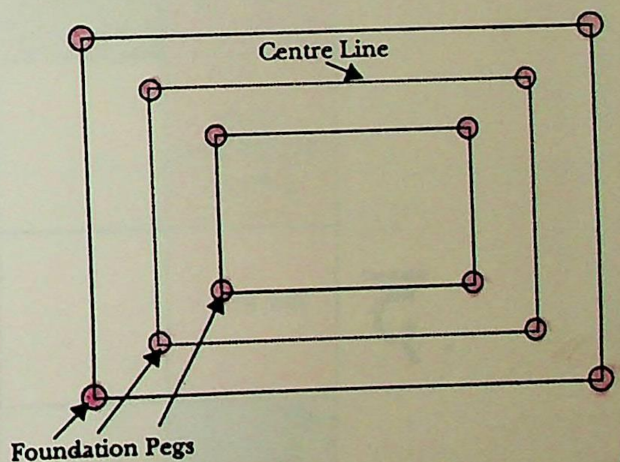
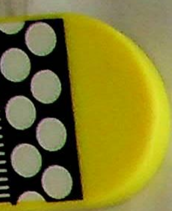
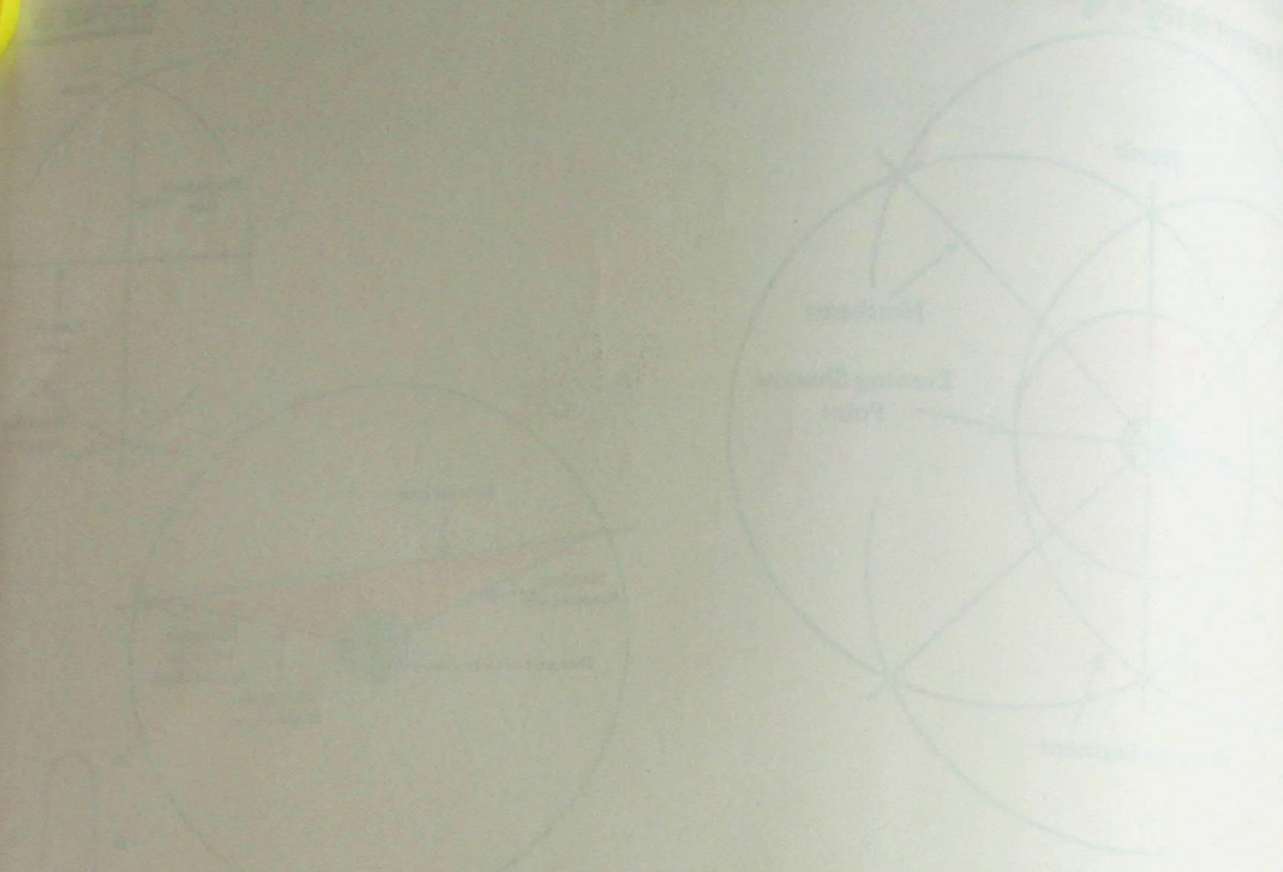
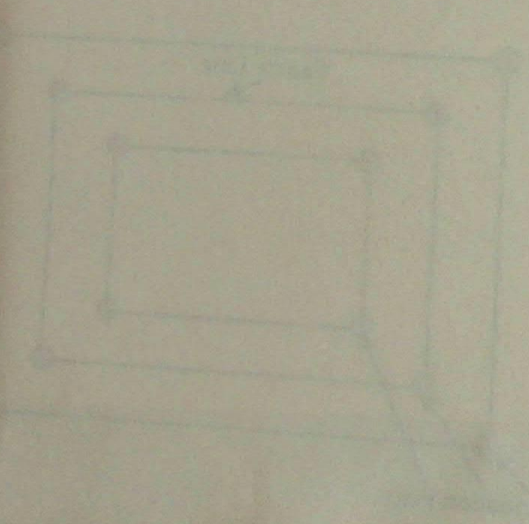
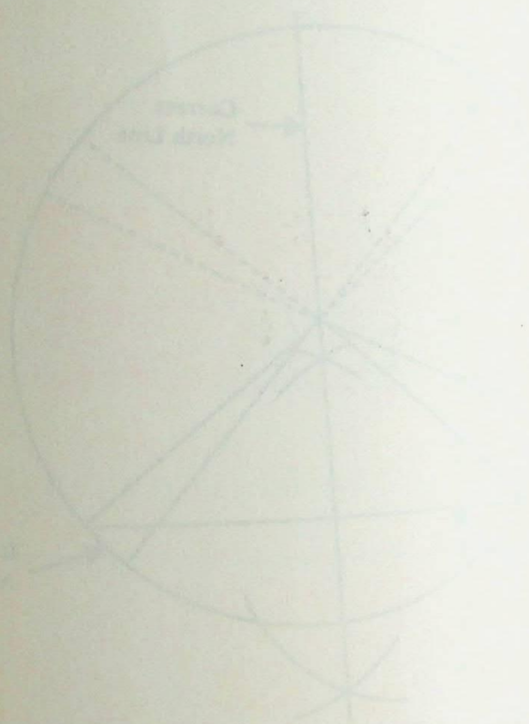


Fig. 3: Method of Fixing Foundation Pegs





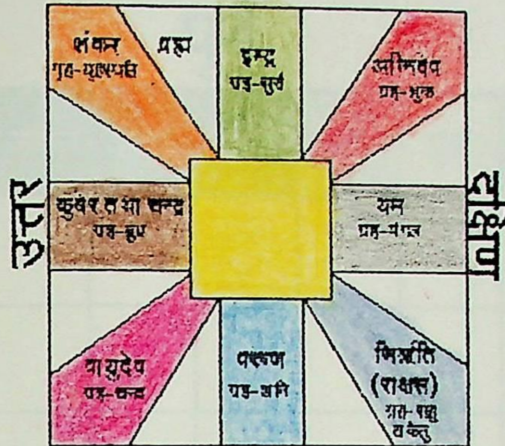




भवन भास्कर पुस्तक के अनुसार दिशानुरूप, मुख्य द्वार का स्थान

मानचित्र क्र.२४ ब.

ईशान पूर्व आग्नेय



वायव्य पश्चिम नैर्ऋतत्य

वैदिक वास्तु विद्या एंव रोगकारक वास्तु दोष पुस्तक के अनुसार स.

विभिन्न प्रयोजनों हेतु कक्ष स्थान

पू.

उ. द.

देवतागृह (पूजा का स्थान)	सर्व वस्तु संग्रह	स्नानागार	दधि मथने का सीन	रसोई (भोजन बनाने का स्थान)
औषधि गृह				घी गृह (आदि रखन का स्थान)
भंडारगृह				शयन कक्ष
शयन स्थान विवाहितों का	कन्याओं के रहने के लिये			शौचालय (शौच के लिये स्थान)
पशु गृह	रोदिन गृह	भोजनगृह	विद्याभ्यास गृह	सूतिकागृह शास्त्रागार

प.

मुख्य द्वार का स्थान

भवन भास्कर पुस्तक के अनुसार दिशानुरूप ,मुख्य द्वार का स्थान

मानचित्र क्र.२४६

ईशान — पूर्व — आग्नेय

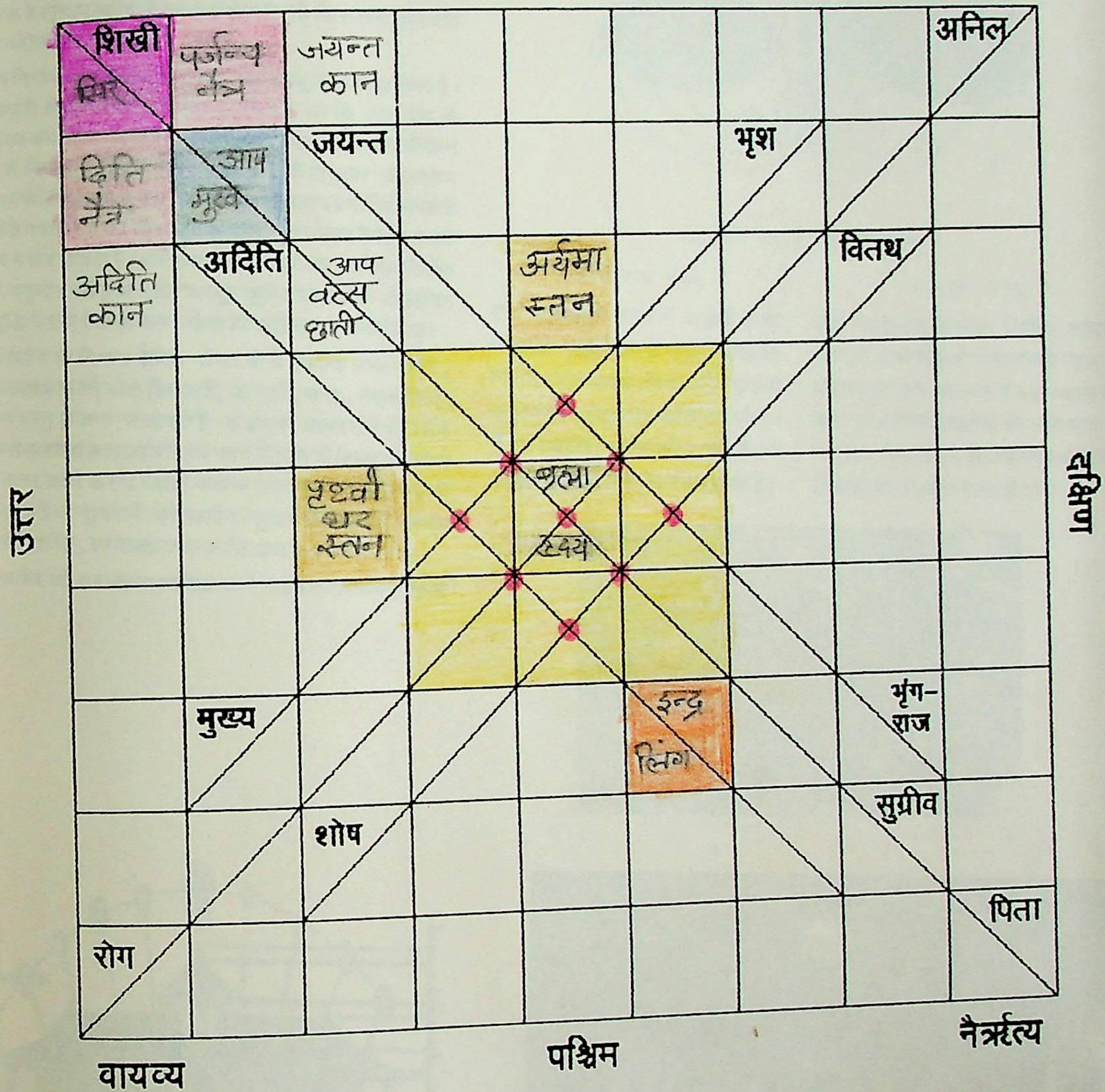
शिखी	पर्जन्य	जयन्त	इन्द्र	सूर्य	सत्य	भृश	अंतरिक्ष	अनिल
दिति								पूषा
अदिति								वितथ
भुजग								बृहत्क्षत
सोम								यम
भल्लाट								गन्धर्व
मुख्य								भृंगराज
नाग								मृग
रोग	पापयक्ष्मा	शोष	असुर	वरुण	पुष्पदंत	सुग्रीव	दौवारिक	पिता

उत्तर (बायाँ) — दक्षिण (दायाँ)

वायव्य — पश्चिम — नैर्ऋत्य

स्थापत्यवेद के अनुसार चारों दिशाओं में द्वार के शुभ स्थान

भवन भास्कर के अनुसार अति मर्म स्थल (८१) वास्तु पद विन्यास पर



अति मर्म स्थान

मर्म स्थान — सिर, मुख, हृदय, स्तन, लिंग

इंदौर के विचाराधीन सिटीज़न्स मास्टर प्लान-२०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन।

महर्षि स्थापत्यवेद (महर्षि वास्तु प्रभाव) अजेय नगर की रचना

मानचित्र क्र.२५ उ.

महर्षि स्थापत्यवेद

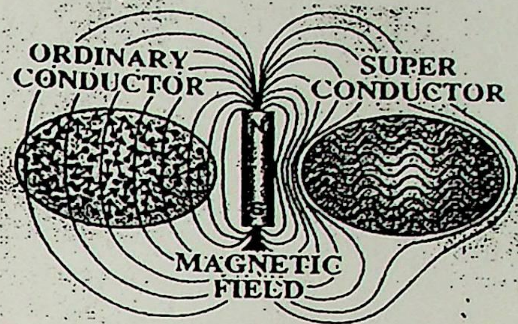
वैदिक वाङ्मय आत्म चेतना के स्पंदन हैं। वैदिक वाङ्मय का प्रत्येक स्पंदन आत्मा का स्पंदन है, चेतना का स्पंदन है, आत्मा की अभिव्यक्ति है। अव्यक्त आत्मा का व्यक्त रूप है। वैदिक वाङ्मय के चालीस चैतन्य स्पंदनों में स्थापत्यवेद एक है। स्थापत्यवेद के स्पन्दनों से शरीर के जिस भाग की रचना हुई है; उसको अंग्रेजी में "एनाटॉमी" कहते हैं।

भवन निर्माण और शिल्प विज्ञान का नाम वास्तुकला या स्थापत्य है। वास्तुशास्त्र हमारी विरासत का प्रतिष्ठित वृत्तचित्र है जो कि अथर्ववेद के प्रायोगिक पक्षों का अवलोकन कराता है। स्थापत्यवेद स्थापना का ज्ञान-विज्ञान है; जो प्रकृति के नियमों में निहित स्थापना के गुणों के अनुसार अनुशासन करता है। मनुष्य के जीवन को अनेक कारण अथवा साधन प्रभावित करते हैं परन्तु वास्तु मीठे वातावरण को और अधिक मीठा बना सकता है तथा कड़वे की कड़वाहट कम कर सकता है। यदि मकानों का, नगरों का, ग्रामों का निर्माण स्थापत्यवेद के अनुसार नहीं हुआ है तो "वास्तु" कुपित रहेगा और जो वहाँ रह रहे हैं, उनकी बुद्धि में एक ऐसा आवरण रहेगा जो उन्हें सफलता नहीं देगा।

स्थापत्यवेद के विधान वैदिक गणित के वे अत्यन्त प्रभावशाली, दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करने वाले विधान हैं, जो सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि का भूतल पर प्रत्येक वस्तु से सम्बन्ध जोड़ते हैं; जो इसको आचरण में लाते हैं वे सुखी रहते हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है कि भवन निर्माण के शिल्पकार तथा स्थपति को मिलकर कार्य करना चाहिए क्योंकि एक शिल्पी भव्य भवन की रचना तो कर सकता है परन्तु उसमें रहने वालों को सुखद जीवन नहीं दे सकता पर स्थपति उनको शान्ति, सम्पन्नता तथा प्रगति प्राप्त करवा सकता है।

स्थापत्यवेद को उसका वास्तविक स्तर महर्षि स्थापत्यवेद प्रदान करता है।

महर्षि वास्तु प्रभाव



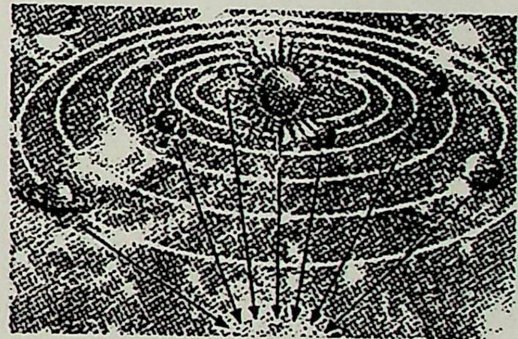
अजेय नगर की रचना

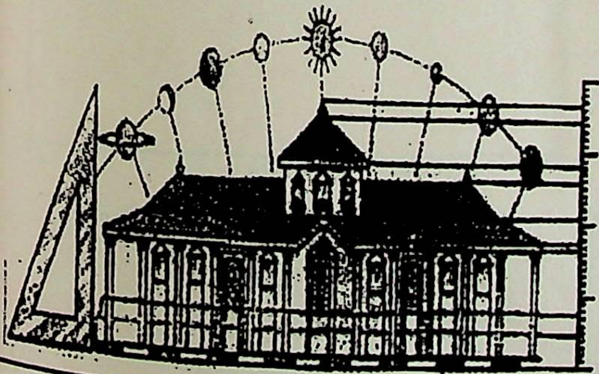
साधारण नगर

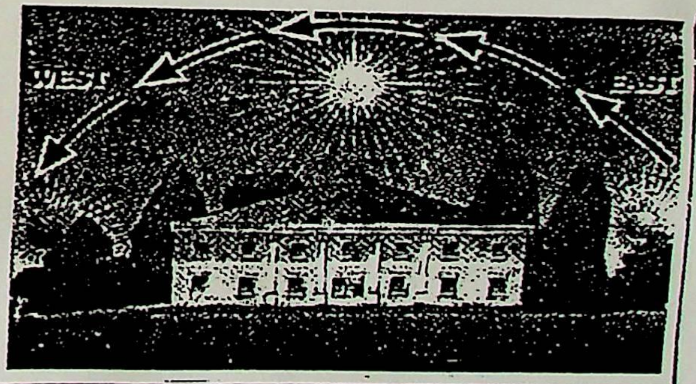
एक साधारण नगर में सड़कें सभी दिशाओं में हैं; जिससे सभी भवनों का दिग्विन्यास अव्यवस्थित है। इसके कारण सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में अस्थिरता, समस्यायें आती हैं एवं प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है।

आदर्श नगर

एक वास्तुशास्त्रानुसार निर्मित आदर्श नगर में सभी सड़कें समानान्तर उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम में ब्रह्म स्थान के चारों ओर निर्मित होते हैं; जिससे नगर में समृद्धि, सुख शान्ति होती है एवं प्रकृति के नियमों का सहयोग प्राप्त होता है।







स्थापत्यवेद वास्तु पुरुष-विकल्पन में सात चक्रों के गुण"

7. पीट्यूटरी केन्द्र
संपूर्ण व्यक्तिव का जीवन के आध्यात्मिक स्तर और मस्तिष्क से समनव्य

7. INTERGRATION OF TOTAL PERSONALITY WITH LIFE AND SPRITUAL ASPESTS OF MANKIND. UPPER BRAIN, RIGHT EYE.

6. A) ललाट केन्द्र
सोच, विचार व निर्णय क्षमता, मस्तिष्क, बॉया चक्षु, नासिका, कान और नाडी तंत्र की प्रक्रिया

6.A FOUR HEAD CENTRE
CAPACITY TO VISULIZE AND UNDERSTAND MENTAL CONCEPTS.
LOWER BRAIN, LEFT EYE, EARS, NOSE NERVOUS SYSTEM.

5. A) ग्रीवा केन्द्र
फेफडे व गले का दृश्य व अन्य नलीकाएं, खाद्य पदार्थ गृहण करना और शरीर के अन्दर भेजना

5.A "THROAT CENTER"
TAKING IN AND ASSIMILATING.
BRONCHIAL AND VOCAL APPARANCE, LUNGS, ALIMENTARY CANAL

4. A) हृदय केन्द्र
पारस्परिक मानवीय संवेदनाएं, प्यार की अनुभूति व जीवन में खुलापन, रक्त संचरण केन्द्र

4.A. "HEART CENTER"
HEART FEELINGS OF LOVE FOR OTHER HUMAN BEINGS, OPENESS TO LIFE.
HEART, BLOOD, VAGUS NERVE, CIRCULATARY SYSTEM.

3. A) सौर तन्तु भाव केन्द्र
असीम आन्नद,आध्यामिक, बौद्धिक जागरूकता और विश्वबंधुत्व का अभ्युदय, ब्रहमांड में आप कहां है, यह अनुभूति, पेट, जिगर, गॉल ब्लेडर, शरीर क्रिया

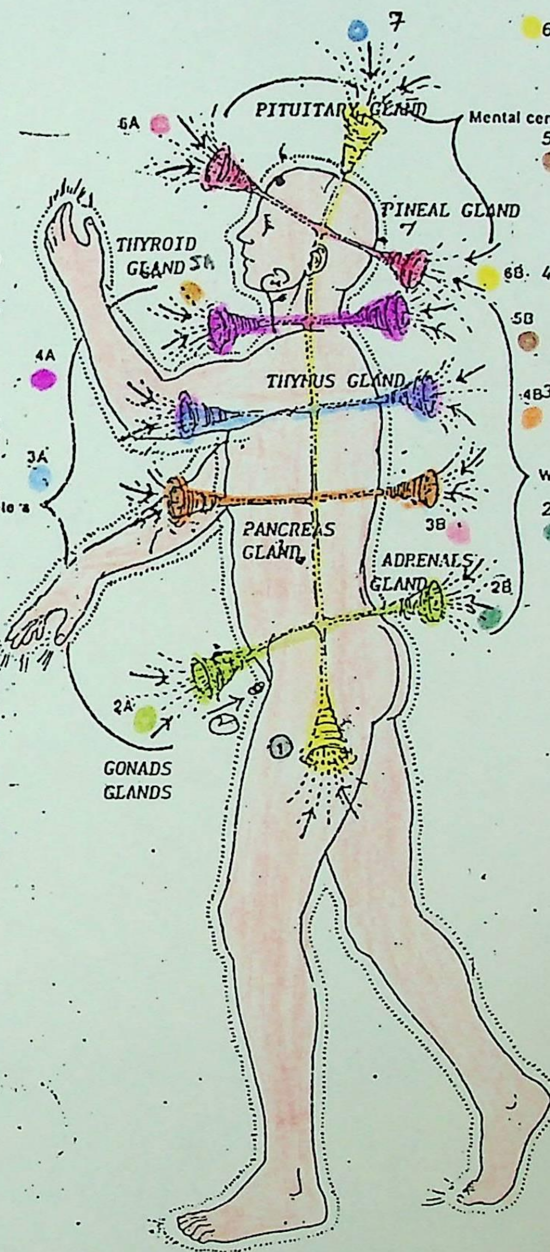
3.A "SOLAR PLEXUS"
GREAT PLEASURE AND EXPANSIVENESS. SPRITUAL AND CONSCIOUSNESS OF UNIVERSITY OF LIFE. WHO YOU ARE IN THE UNIVERSE.
STOMACH, LIVER, GALL BLADDER, NERVOUS SYSTEM.

2. A) तारूपम केन्द्र
विपरित लिंग से स्नेह की गुणवत्ता, आध्यात्मिक शारिरिक एवं मानसिक आन्नद की प्राप्ति और प्रदाय व पूर्ण उत्पादन पद्धति एवं प्रक्रिया

2.A "PUBIC CENTRE"
QUALITY OF LOVE FOR THE OPPSOITE SEX, GIVING AND RECEIVING PHYSICAL, MENTAL AND SPRITUAL PLEASURE.
REPRODUCTIVE SYSTEM.

1. मेरुदंड केन्द्र
शारिरिक उर्जा की मात्रा, जीने की आकांक्षा, रीड़ की हड्डी (मेरुदंड), गुर्दे

1. "COCCYGEAL CENTER"
QUANTITY OF PHYSICAL ENERGY, WILL TO LIVE.
SPINAL COLOMN, KIDEYS.



6B. ABILITY TO CARRY OUT IDEAS IN PRACTICAL WAY.

5B. "METAL EXECUTIVE"
BASE OF NECK, SENCE OF SELF, WITHIN SOCIETY AND ONES PROFESSION

4B. BETWEEN SHOULDER, BLADER EGO WILL, OR WILL TO WARDS THE OUTER WORLD.

3B. DIAPHRAGMATIC CENTER HEALING, INTENSIONLITY TOWARDS ONE HEALTH

2B. "SACRAL CENTER"
QUANTITY OF SEXUAL ENERGY.

6. B) पिनिअल केन्द्र
विचारों को व्यावहारिक पृष्टभूमि पर क्रियान्वयन की क्षमता व बोद्धिक क्रियान्वयन

5. B) मानसिक कार्यपालन
ग्रीवा का आधार, स्वयं की अनुभूति, समाज में व अपने व्यवसाय में योग्यता

4. B) थाईमस केन्द्र
कंधों की वहन क्षमता, आत्मसम्मान शक्ति एवं इच्छाशक्ति या बहारी दुनिया से संबंध

3. B) डायफ्रीगमेटिक केन्द्र
किसी के स्वास्थ के प्रति जान बूझकर भरपाई की कामना सदैव

2. B) सेक्रल केन्द्र
कामवासना रूपी उर्जा की मात्रा

SEVEN MAJOR CHAKRAS, FRONT & BACK VIEW WITH ASSOCIATED PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS ON PARTICULARS POINTS OF THE BODY IN STHAPATYA-VED

स्थापत्यवेद में मानव शरीर के "सातों चक्रो" का सामने व प्रष्ठ भाग का दृश्य एवम् उससे संबंधित शरीर के विभिन्न मर्म बिन्दुओं शारिरिक क्रियाओं का विवरण

मं तदनुसार संरचना पर "वास्तुपुरुष" सिद्धान्त से प्रभाव

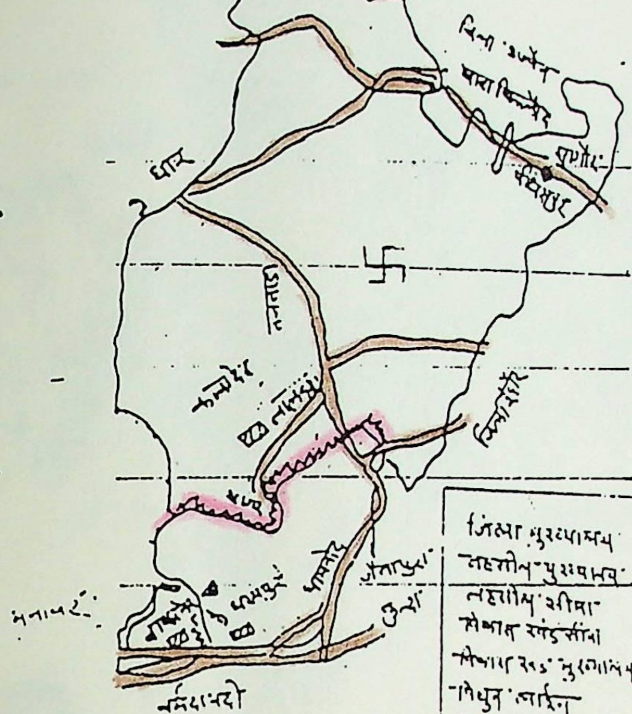
मानचित्र क्र.२६

जिला उद्योग केन्द्र, पीथमपुर

(अ)

अ.कार्य क्षेत्र





जिला मुख्यालय
तहसील मुख्यालय
तहसील सीमा
विकास खंड सीमा
विद्युत लाईन
तालाब

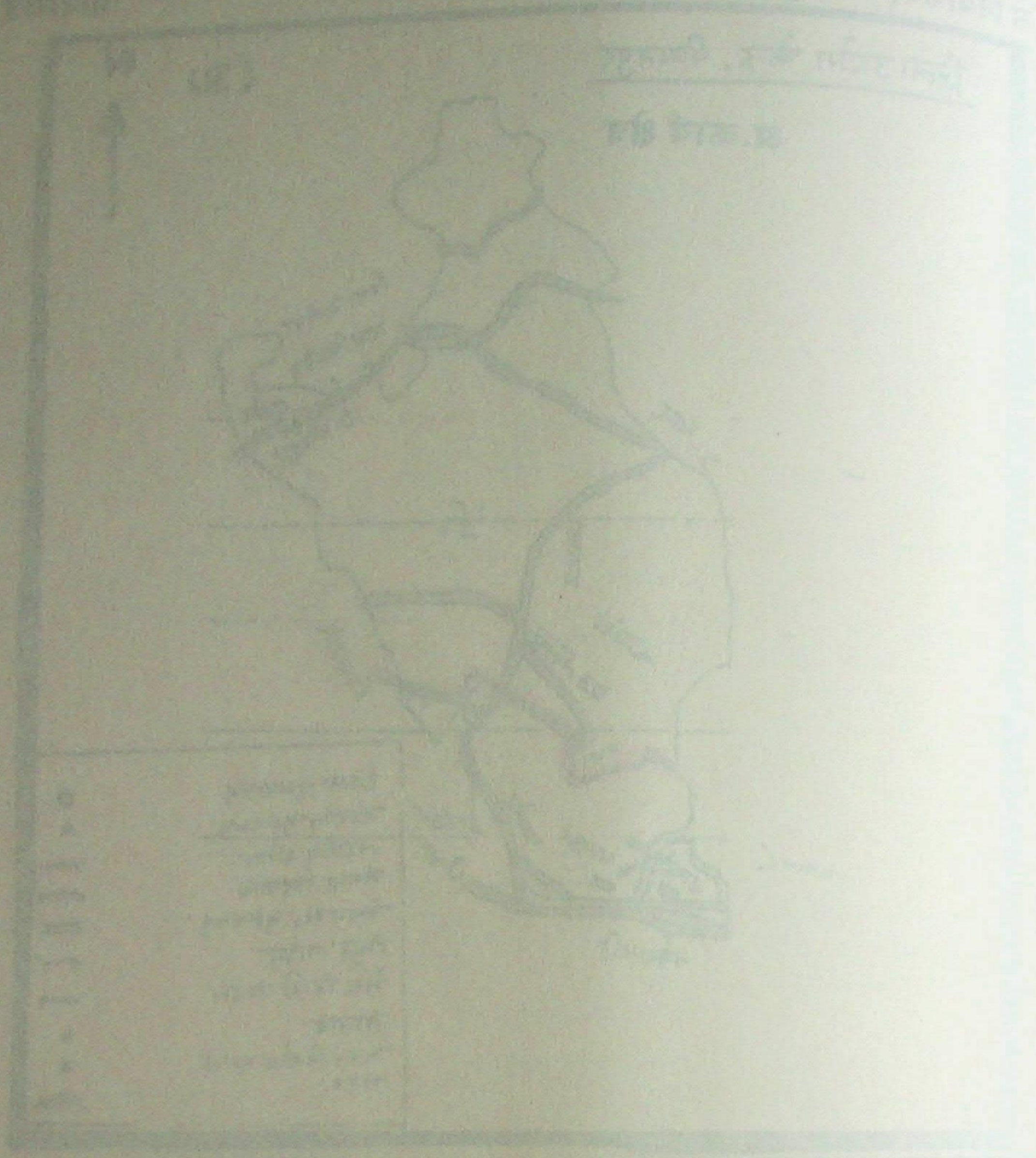
'ब'

ब. खेड़ा ग्रोथ सेक्टर,



Kheda Growth Centre (Pithampur)

सभी सड़कें दिशा से 12° Deviated है।

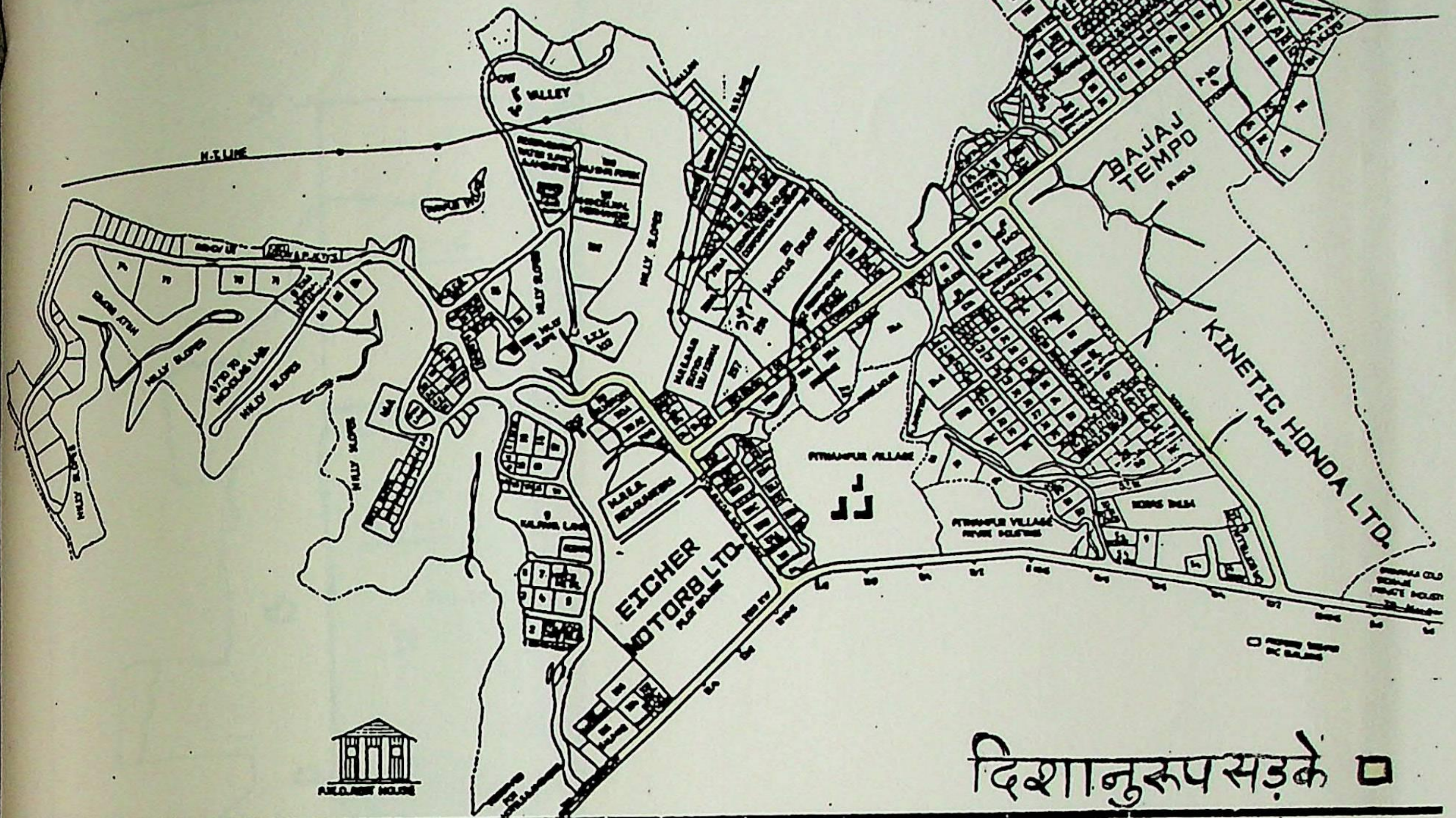




इन्दौर के विचाराधीन सिटिज़न्स मास्टर प्लान-२०२५ का स्थापत्यवेद से नियोजन

LAY-OUT PLAN OF INDUSTRIAL AREA NO. 1, 2

(पीथमपुर औ. क्षेत्र) PITHAMPUR स. औ. क्षेत्र १ व २



P.W.D. REST HOUSE

दिशानुरूप सड़कें ▢

द. औ. क्षेत्र १

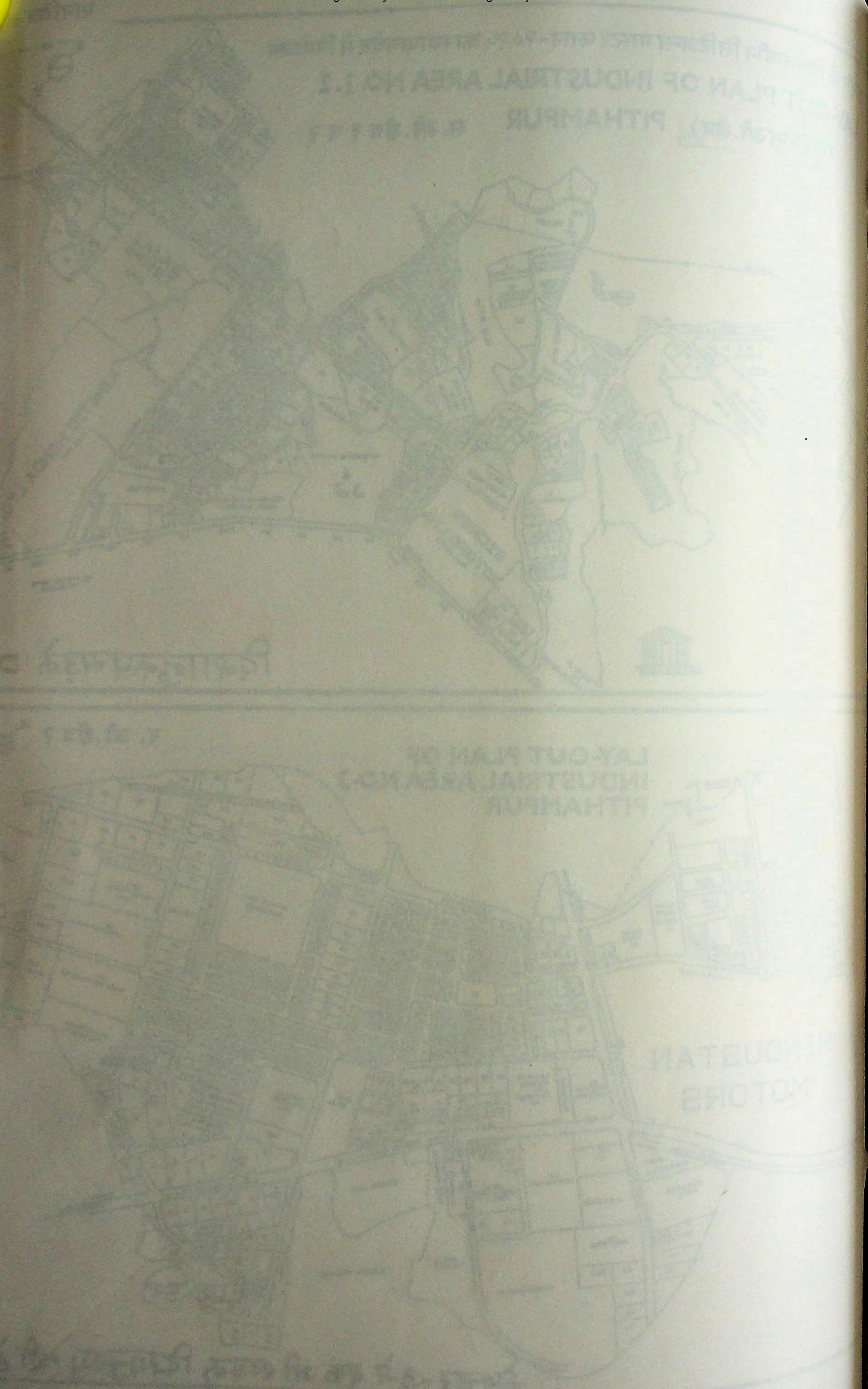
LAY-OUT PLAN OF INDUSTRIAL AREA NO-3 PITHAMPUR

HINDUSTAN MOTORS

BAGDOON VILLAGE

HOUSING COMPLEX

सेक्टर-3 में एक भी सड़क दिशानुरूप नहीं है।



Indore Development Plan - 2011 (Draft)
Planning Units

२७. स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५ (निवेश ईकाईयां)

इंदौर विकास योजना 2011 प्रारूप
निवेश इकाईयां

मानचित्र क्र.२७

D A C B.

PU-6' PU-2' PU-3 PU-03 PU-02 PU-4' PU-04

PU-11' PU-1' PU-01 PU-11 PU-09 PU-06 PU-8' PU-05 PU-07 PU-5' PU-8

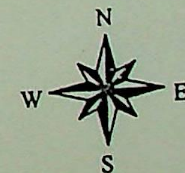
PU-9' PU-10 PU-10' PU-07'

LEGEND

Waterbody		तालाब / नहरें / नाला / नदी
Railway line		रेल्वे मार्ग
Airport		विमान तल
Green Buffer		हरित क्षेत्र
Planning area		निवेश क्षेत्र
Planning Unit Boundary		निवेश इकाई

स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५ (निवेश ईकाईयां) = D A C B

PU-1' to PU-11'

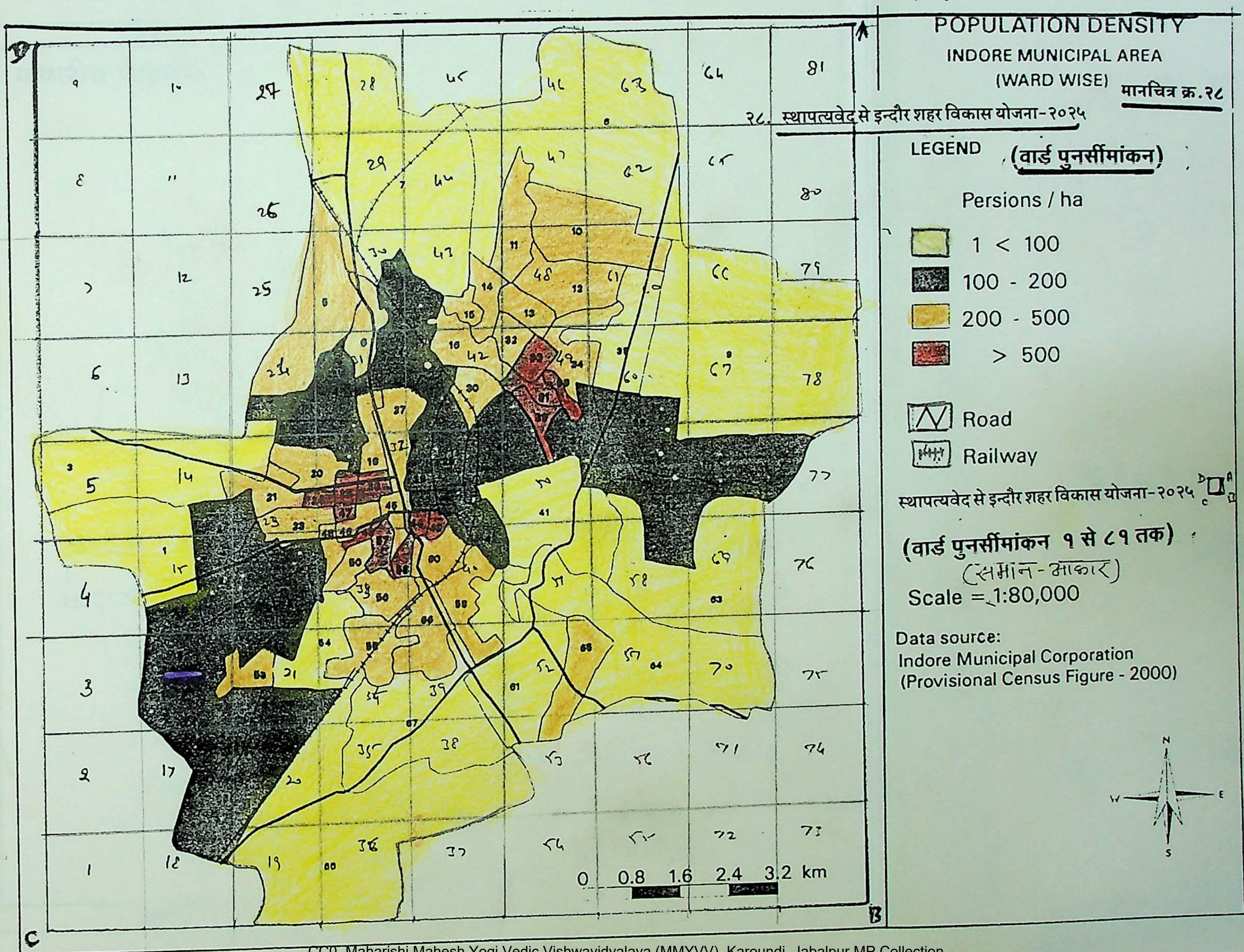


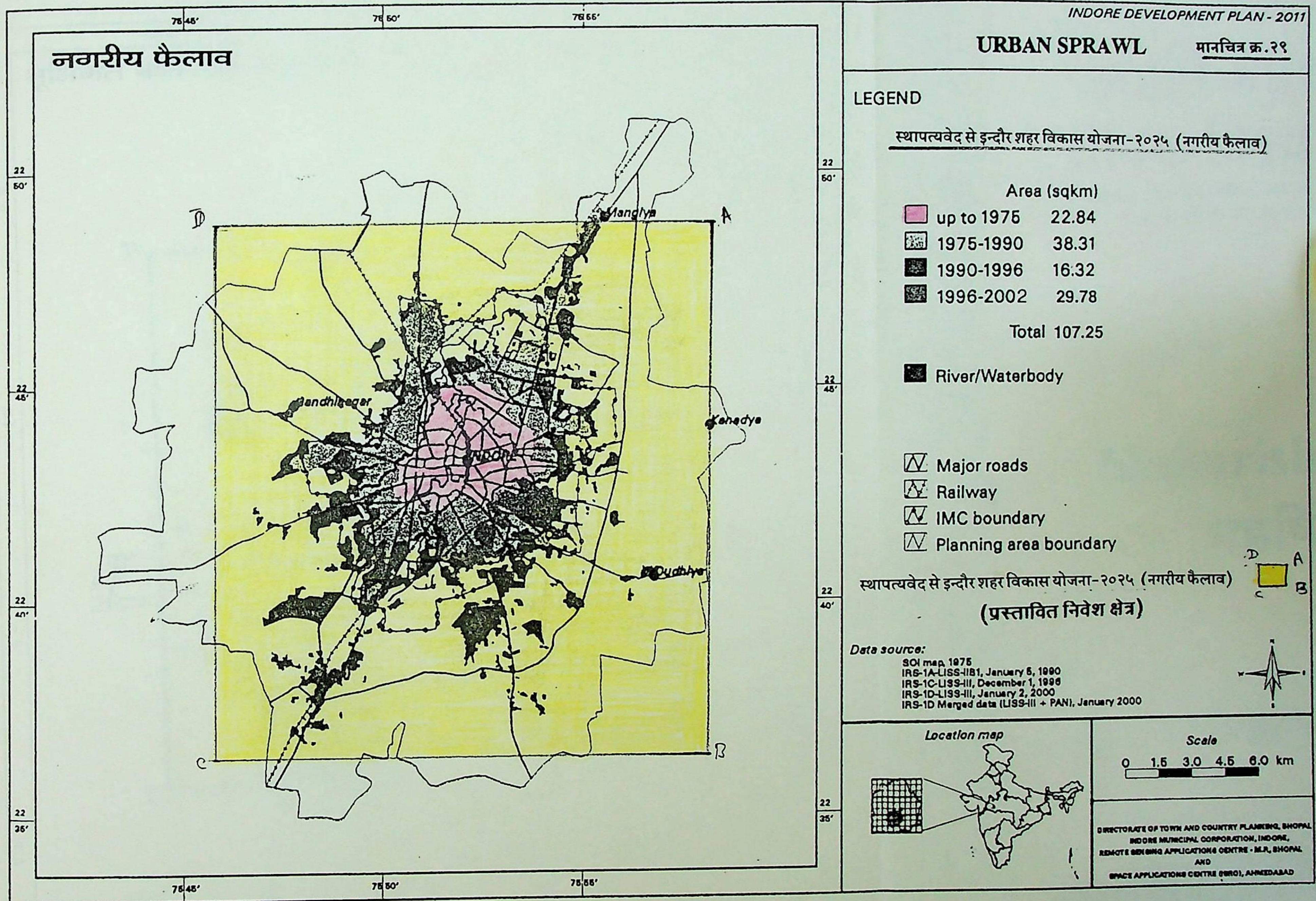
4 0 4 8 Kilometers

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल

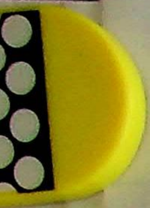
ctorate of Town & Country Planning, Bhopal




POPULATION DENSITY
INDORE MUNICIPAL AREA
(WARD WISE)
मानचित्र क्र.२८
२८. स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५
LEGEND
(वार्ड पुनर्सीमांकन)
Persions / ha
1 < 100
100 - 200
200 - 500
> 500
Road
Railway
स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५
(वार्ड पुनर्सीमांकन १ से ८१ तक)
(समान-आकार)
Scale = 1:80,000
Data source:
Indore Municipal Corporation
(Provisional Census Figure - 2000)
0 0.8 1.6 2.4 3.2 km
N
S
E
W



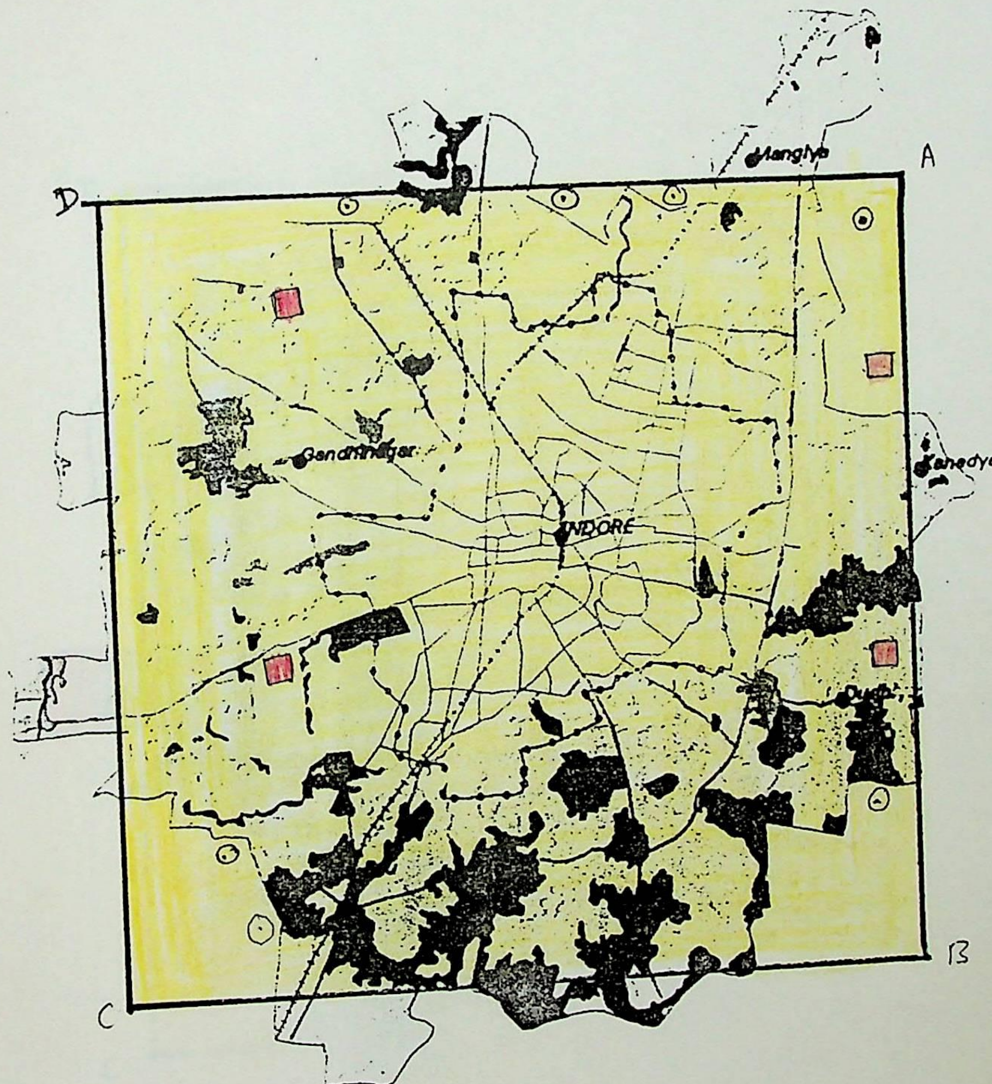
INDORE DEVELOPMENT PLAN - 2011
नगरीय फैलाव
URBAN SPRAWL
मानचित्र क्र.२९
LEGEND
स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५ (नगरीय फैलाव)
Area (sqkm)
up to 1975 22.84
1975-1990 38.31
1990-1996 16:32
1996-2002 29.78
Total 107.25
River/Waterbody
Major roads
Railway
IMC boundary
Planning area boundary
स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५ (नगरीय फैलाव)
(प्रस्तावित निवेश क्षेत्र)
Data source:
SOI map, 1975
IRS-1A-LISS-IIB1, January 5, 1990
IRS-1C-LISS-III, December 1, 1996
IRS-1D-LISS-III, January 2, 2000
IRS-1D Merged data (LISS-III + PAN), January 2000
Location map
Scale
0 1.5 3.0 4.5 6.0 km
DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING, BHOPAL
INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE,
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE - M.P, BHOPAL
AND
SPACE APPLICATIONS CENTRE (ISRO), AHMEDABAD
Mandlya
Nandhisagar
Kanadya
Indore
Dudhiya
A
B
C
D





GROUND WATER PROSPECT मानचित्र क्र. ३०

भूमिगत पानी की उपलब्धता



LEGEND

३०. स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५ (भूमिगत पानी की उपलब्धता)

प्रस्तावित जल स्त्रोत व भू-जल पुनर्भरण स्थल

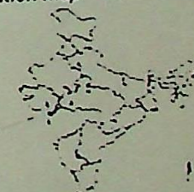
- Very good to good
- Good to moderate
- Moderate
- Moderate to poor
- Poor to nil
- Nil = जल पुनर्भरण स्थल (प्रस्तावित)
- Built-up land
- River/Waterbody
- Major roads
- Railway
- IMC boundary
- Planning area boundary

स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५ (स्थापत्यवेद से निवेश क्षेत्र सीमा) (भूमीगत पानी की उपलब्धता) D A C B

प्रस्तावित जल स्त्रोत व भू-जल पूनर्भरण स्थल



Data source:
Hydrogeomorphological map
IRS-1D LISS-III (January 2000)



Location map

Scale
0 1.5 3.0 4.5 6.0 km

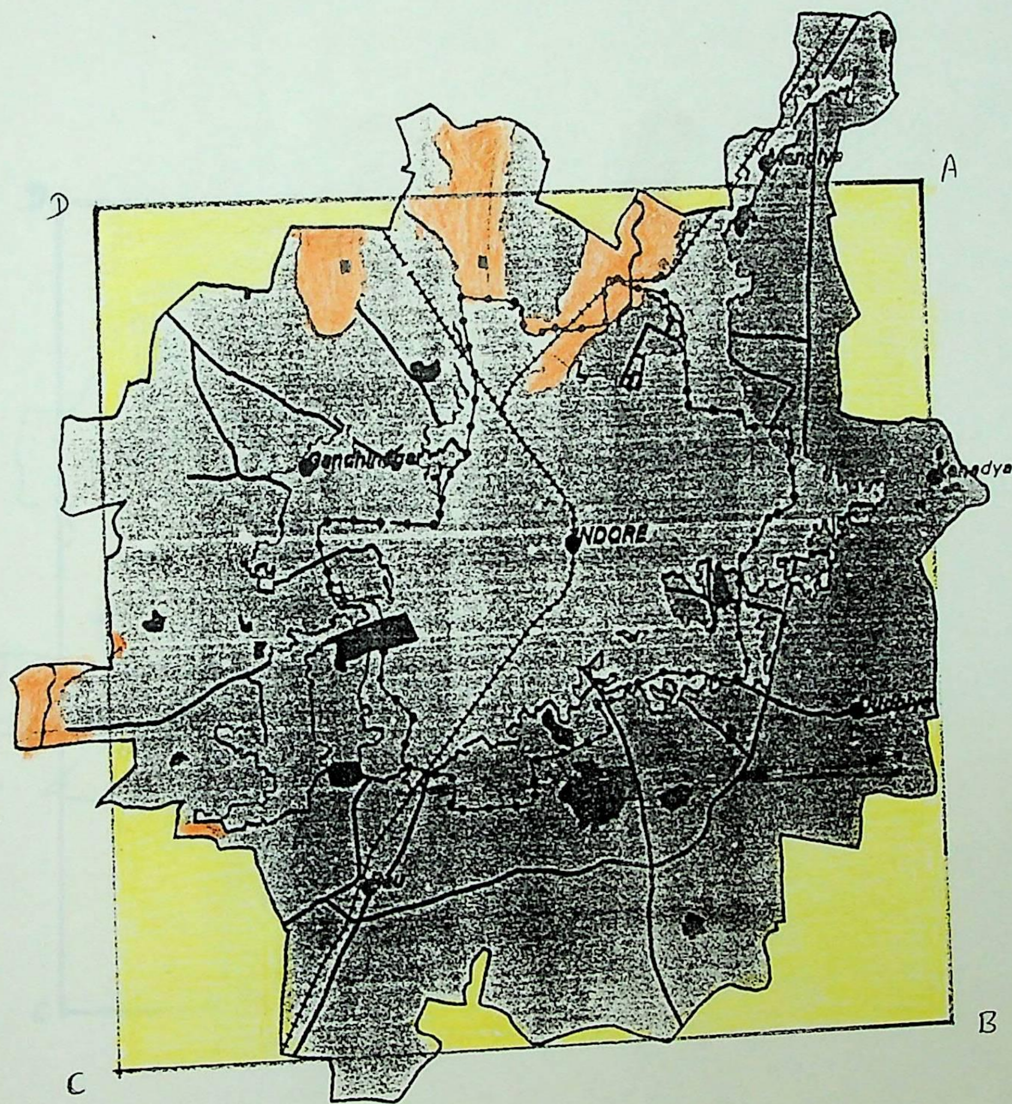
DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING, BHOPAL
INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE,
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE - M.P., BHOPAL
AND
SPACE APPLICATIONS CENTRE (ISRO), AHMEDABAD



SOIL TEXTURE मानचित्र क्र.३१

मिट्टी की सतह

स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५ (मिट्टी की)



LEGEND स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५ (मिट्टी की सतह)

(प्रस्तावित भू जल पुनर्भरण संरचनाओं की गहराई)

- Fine to clayer soils — गहरी
- Clayer soils — कम गहरी
- Loamy soils — न्युनतम गहरी
- Built-up land
- River/Waterbody

स्थापत्यवेद से निवेश क्षेत्र सीमा।

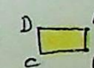


FIG. 2.19

मानचित्र 2.1

- Major roads
- Railway
- IMC boundary
- Planning area boundary

Data source: District soil map from NBSS & LUP IRS-1D LISS-III (January 2000)

Location map



Scale

0 1.5 3.0 4.5 6.0

DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING
INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE - M.P.
AND
SPACE APPLICATIONS CENTRE (ISRO), AHMEDABAD



ढलान का प्रतिशत

PERCENT SLOPE

मानचित्र क्र.३२

76.45' 76.50' 76.55'

22 50' 22 45' 22 40' 22 35'

D A C B

Manglya

Gandhinagar

Kanadya

INDORE

Oudhiya

Rau

LEGEND स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५ (ढलान का प्रतिशत)

(उत्तर व ईशान में ढलान होने का प्रभाव)

Nearly level (0 - 1%)	शुभ
Very gentle sloping (1 - 3%)	शुभ
Gently sloping (3 - 5%)	शुभ
Moderately sloping (5 - 10%)	शुभ
Strongley sloping (10 - 15%)	शुभ
Moderately steep to steep (15 - 35%	शुभ
Very steep (> 35%)	अशुभ

Built-up land

River/Waterbody

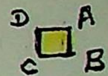
Major roads

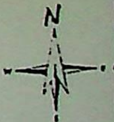
Railway

IMC boundary

Planning area boundary

(स्थापत्यवेद से निवेश क्षेत्र सीमा)





Data source: SOI map and GPS data

Location map

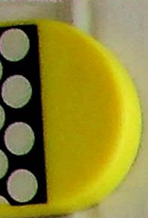


Scale

0 1.5 3.0 4.5 6.0 km

DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING, BHOPAL
INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE,
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE - M.P., BHOPAL
AND
SPACE APPLICATIONS CENTRE (ISRO), AHMEDABAD

2.20





FLOOD HAZARD AREA मानचित्र क्र.३३

बाढ से प्रभावित क्षेत्र

D A

Manglya

Gandhinagar

INDORE

Kanadya

Dudhiya

Rau

C B

75°45' 75°50' 75°55'

22°50' 22°45' 22°40' 22°35'

LEGEND

३३. स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५ (बाढ से प्रभावित क्षेत्र)

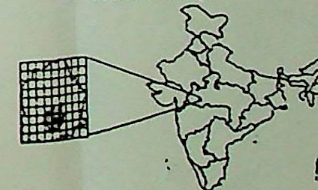
- Flood hazard area
- Non flood hazard area
- River / Waterbody
- Major roads
- Railway
- IMC boundary
- Planning area boundary

D A C B स्थापत्यवेद से निवेश क्षेत्र सीमा

(स्थापत्यवेद से प्रस्तावित जल संरचनाओं, तालाब आदि के स्थल)

टीप:-बाढ से बचाव हेतु तालाबों का पूर्ण क्षमता तक गहरीकरण व सुदृणीकरण करना व जल जमाव वाले क्षेत्रों में भूजल संवर्धन संरचनायें बनाना चाहिये।

Data source: Drainage, slope & hydrogeomorphological maps IRS-1D LISS-III data (January 2006)

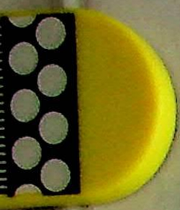

Location map

Scale

0 1.5 3.0 4.5 6.0 km

DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING, BHOPAL
INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE,
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE - M.P., BHOPAL
AND
SPACE APPLICATIONS CENTRE (ISRO), AHMEDABAD

2.34

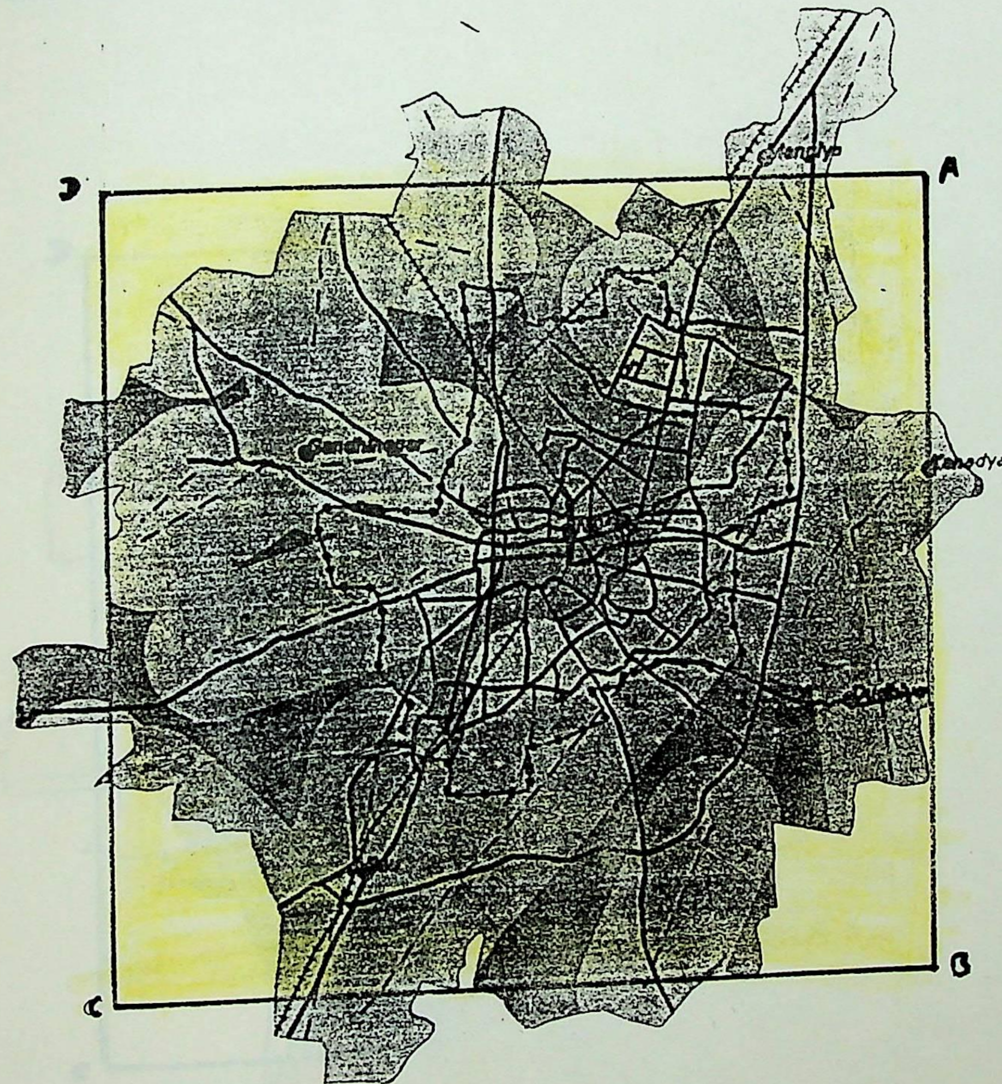




EARTHQUAKE HAZARD ZONES

मानचित्र क्र. ३४

भूकंप प्रभावित क्षेत्र

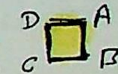


LEGEND

३४. स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५ (भूकंप प्रभावित क्षेत्र)

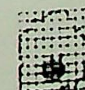
- Moderate risk zone (NIL)
- Low risk zone
- Very low risk zone
- Moderate lineament
- Minor Lineament

- Major roads
- Railway
- IMC boundary
- Planning area boundary
- स्थापत्यवेद से निवेश क्षेत्र सीमा



Data source: IRS-1D LISS-III (January 2000)
Lineament maps from MPRSAC, Bhopal

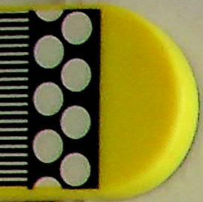
Location map



Scale

0 1.5 3.0 4.5 6.0 km

DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING, BHOPAL
INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE,
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE - M.P., BHOPAL
AND
SPACE APPLICATIONS CENTRE (ISRO), AHMEDABAD

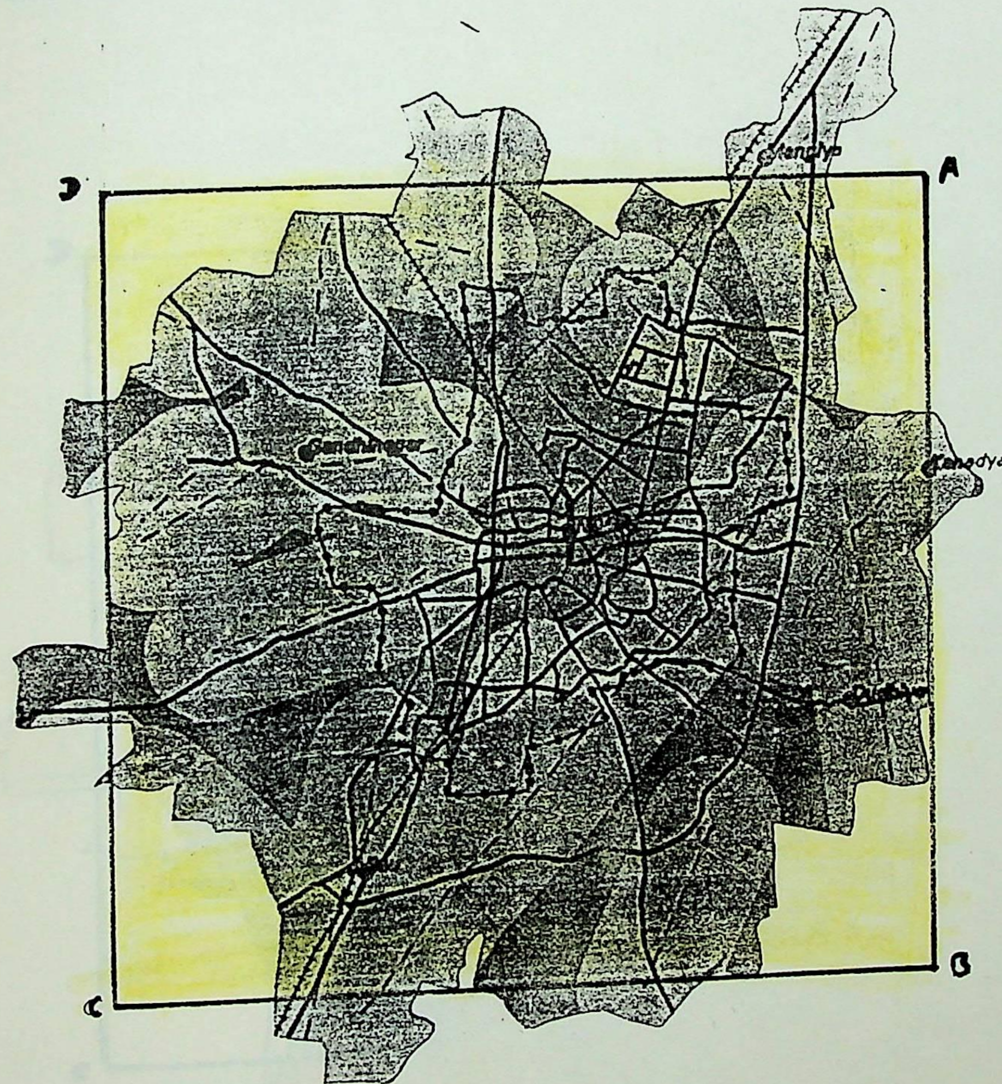




EARTHQUAKE HAZARD ZONES

मानचित्र क्र. ३४

भूकंप प्रभावित क्षेत्र

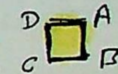


LEGEND

३४. स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५ (भूकंप प्रभावित क्षेत्र)

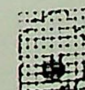
- Moderate risk zone (NIL)
- Low risk zone
- Very low risk zone
- Moderate lineament
- Minor Lineament

- Major roads
- Railway
- IMC boundary
- Planning area boundary
- स्थापत्यवेद से निवेश क्षेत्र सीमा



Data source: IRS-1D LISS-III (January 2000)
Lineament maps from MPRSAC, Bhopal

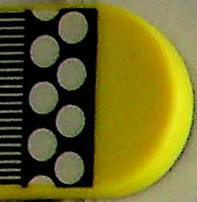
Location map



Scale

0 1.5 3.0 4.5 6.0 km

DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING, BHOPAL
INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE,
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE - M.P., BHOPAL
AND
SPACE APPLICATIONS CENTRE (ISRO), AHMEDABAD



LAND VALUES

मानचित्र क्र. ३५

भूमि की कीमतें

76°45′ 76°50′ 76°55′

22°50′ 22°45′ 22°40′ 22°35′

A B C D

Manglya

Kanadya

LEGEND

. स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५ (भूमी की कीमतें).

URBAN AREA (शहरीय क्षेत्र)

Very high value (Above Rs 8000/sqm)

High value (Rs 4000 - 8000/sqm)

Medium value (Rs 1500 - 4000/sqm)

Low value (Rs 500 - 1500/sqm)

AGRICULTURE AREA (कृषि क्षेत्र)

High value (Rs 120 - 500/sqm)

Medium value (Rs 40 - 120/sqm)

Low value (Below Rs 40/sqm)

Major roads

Railway

IMC boundary

Planning area boundary

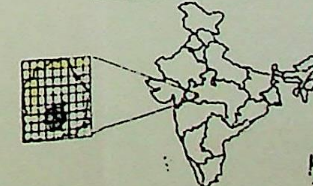
(स्थापत्यवेद से निवेश क्षेत्र सीमा) D A C B

N

Data source:

Maps from Town & Country Planning, Bhopal

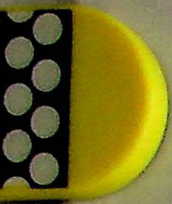
Location map



Scale

0 1.5 3.0 4.5 6.0 km

DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING, BHOPAL
INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE,
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE - M.P., BHOPAL
AND
SPACE APPLICATIONS CENTRE (ISRO), AHMEDABAD





INDORE DEVELOPMENT PLAN - 2011

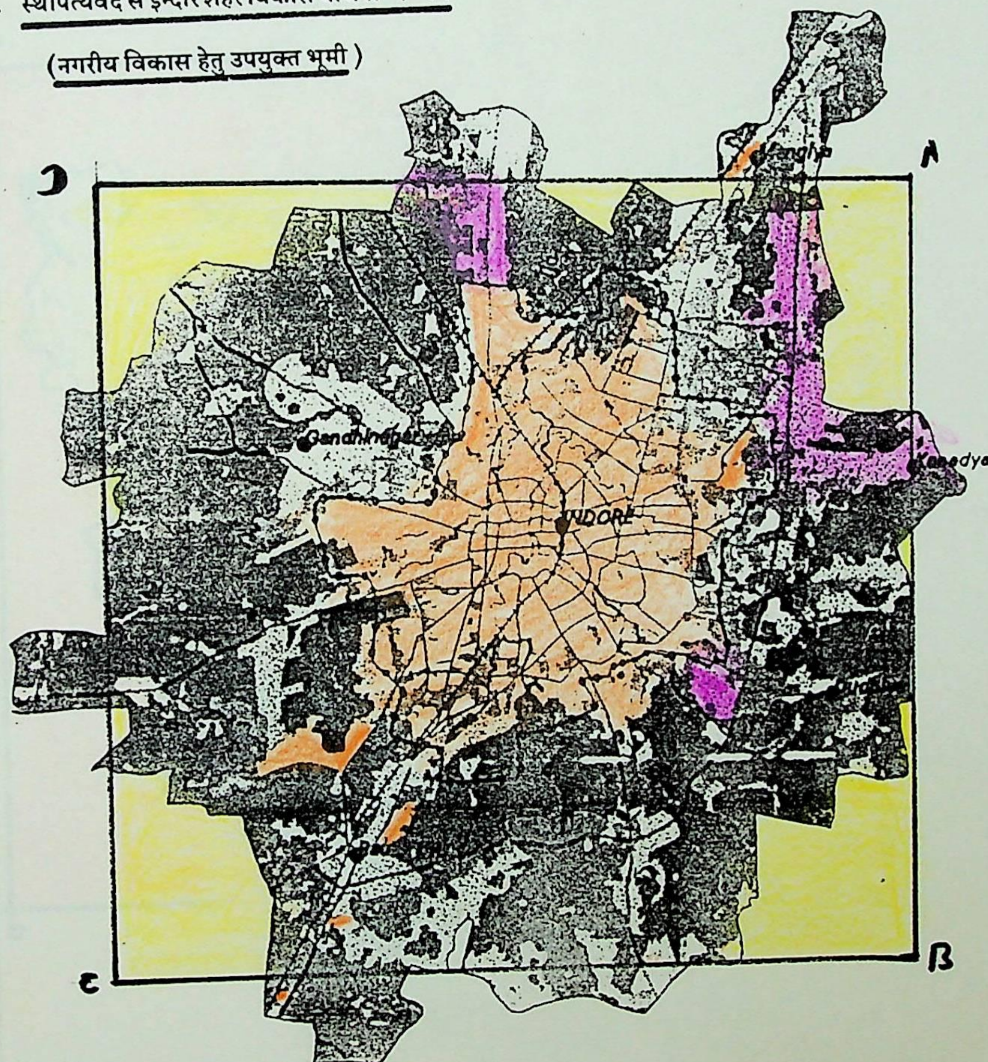
नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि (मोडल-४)

URBAN SUITABILITY (Model-4)

मानचित्र क्र. ३६

३६. स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५

(नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमी)



LEGEND

- नगरीय विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्र
- Highly suitable
- Moderately suitable
- Less suitable
- Not suitable
- Existing built-up
- River /Waterbody
- Forest area
- Major roads
- Railway
- IMC boundary
- Planning area boundary
- स्थापत्यवेद से निवेश क्षेत्र सीमा

Parameters used:

1-Land use
2-Soil depth
3-Soil texture
4-Slope
5-Ground water
6-Flood hazard
7-Earthquake zone
8-Road network
9-Railway station
10-Land value
11-Watershed and waterbodies

Given more importance

Data source:
IRS-1D LISS-III (January 2000)
IRS-1D PAN (January 2000)
IRS-1D Merged data (LISS-III + PAN)
Maps from Town & Country Planning, Bhopal

Location map



Scale
0 1.5 3.0 4.5 6.0 km

DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING, BHOPAL
INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE,
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE - M.P., BHOPAL
AND
SPACE APPLICATIONS CENTRE (ISRO), AHMEDABAD

मानचित्र क्र. ३७

हवा की गुणवत्ता

AIR QUALITY
(Based on integration of RPM, NO2, SO2 and SPM)

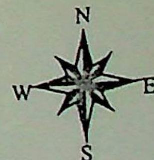
३७. स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५ (हवा की गुणवत्ता)

D A B C

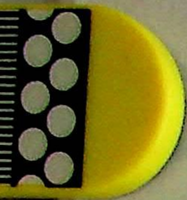
LEGEND

Major roads
Railway
Planning area boundary
IMC boundary
Waterbodies
Air Quality
High
Medium
Low
(स्थापत्यवेद से निवेश क्षेत्र सीमा)

Data source: MPPCB, Bhopal



10 Kilometers
10



सतही जल की गुणवत्ता

३८. स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५(सतही जल की गुणवत्ता)

SURFACE WATER QUALITY
(Based on integration of pH, Coliform, Nitrate, Ammonia, TKN, DC, BOD and TDS)

मानचित्र क्र. ३८

A

B

C

D

LEGEND

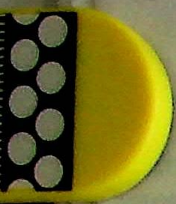
Major roads
Railway
Planning area boundary
IMC boundary
Waterbodies
Surface water Quality
High
Medium
Low

स्थापत्यवेद से निवेश क्षेत्र सीमा

Data source: MPPCB, Bhopal

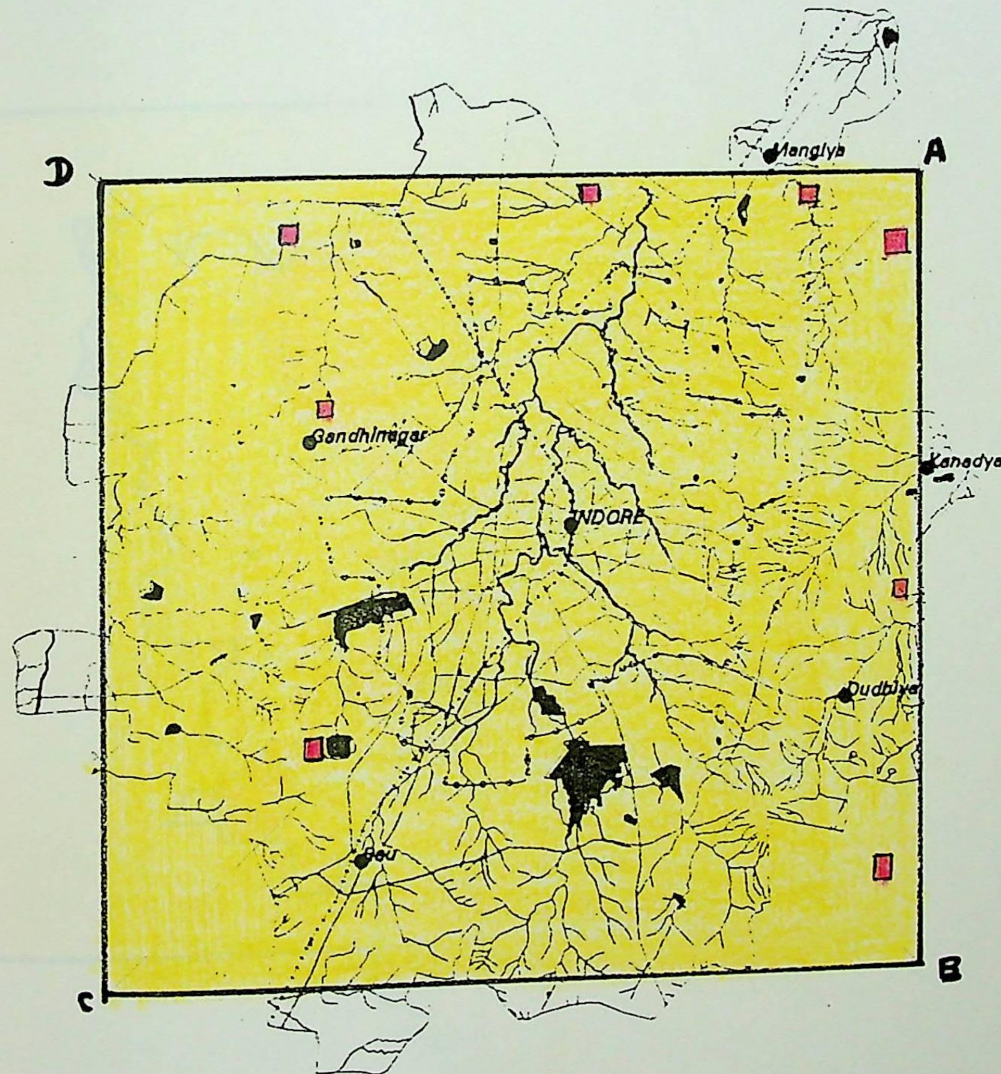


10 0 10 Kilometers



नदी, नाले, जलाशय एवं जल निकास

SURFACE WATERBODIES AND DRAINAGE



LEGEND

मानचित्र क्र. ३९

.स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५.

(विकेन्द्रीगत जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था)

- Drainage
- River/Waterbody
- (स्थापत्यवेद से प्रस्तावित जल संरचनाओं, तालाब आदि के स्थल)
- Major roads
- Railway
- IMC boundary
- Planning area boundary
- स्थापत्यवेद से निवेश क्षेत्र सीमा

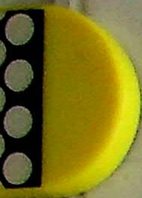
Data source:
IRS-1D LISS-III (January 2000)
IRS-1D Merged data (LISS-III + PAN)
SOI maps

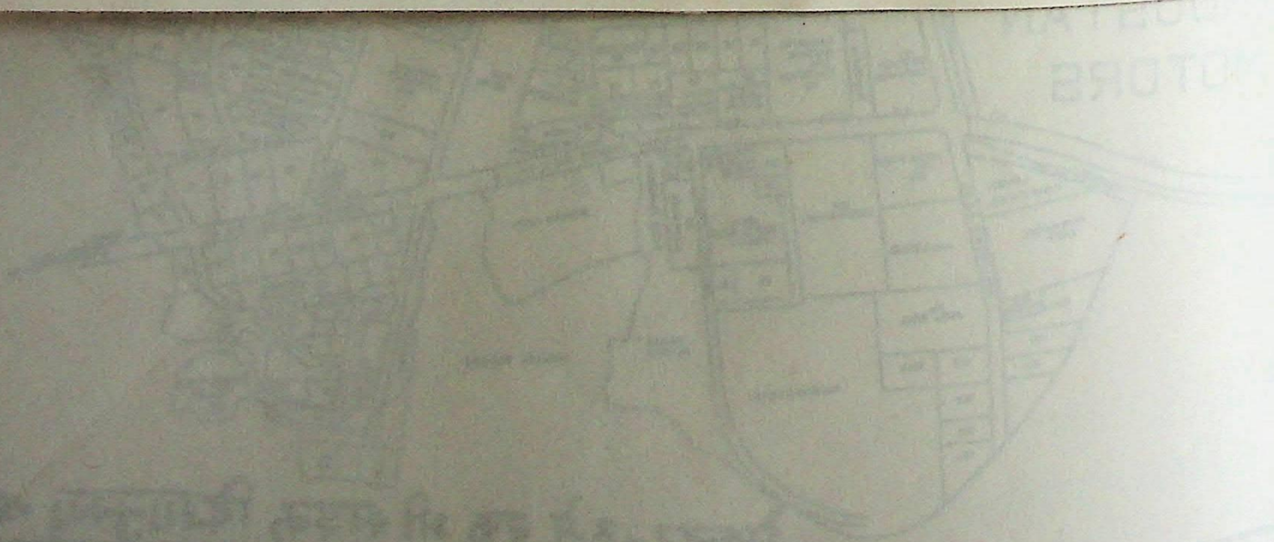
Location map



Scale
0 1.5 3.0 4.5 6.0 km

DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING, BHOPAL
INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE,
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE - M.P., BHOPAL
AND
SPACE AP... TIONS CENTRE (SRC), AHMEDABAD





पर्यावरणीय संवेदनशीलता

मानचित्र क्र.४०

ENVIRONMENT SENSITIVITY
(Based on Air, Surface water and Ground water pollution)

स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५ (पर्यावरणीय संवेदनशीलता)

A

B

C

D

LEGEND

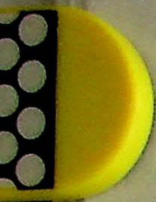
- स्थापत्यवेद से निवेश क्षेत्र सीमा
- Major roads
- Railway
- Planning area boundary
- IMC boundary
- Waterbodies

Environment sensitivity
- Low
- Medium
- High

Data source: MPPCB, Bhopal



10 0 10 Kilometers



PLANNING AREA

प्रस्तावित नगरों का,औद्योगिक नगरों व उपनगरों की परियोजना एक नजर में

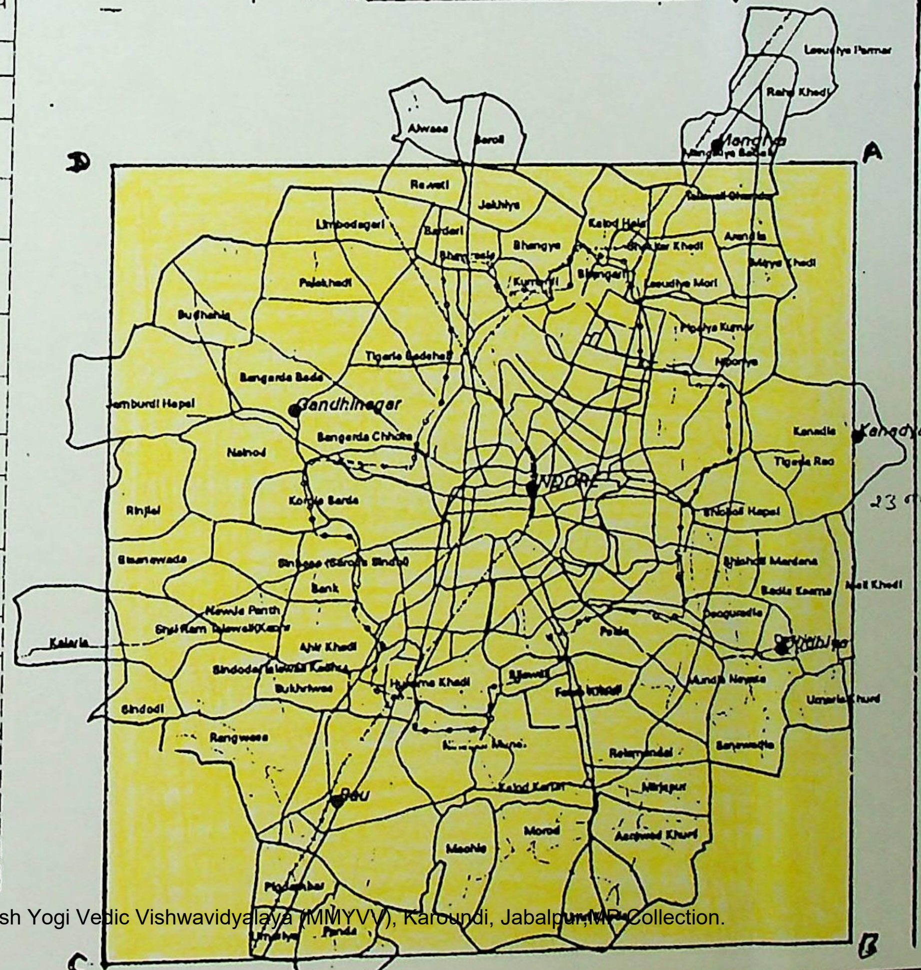
अनु क्र.	प्रकार ⇨ / विकास योजना विवरण ⇩	नगर का नाम: इन्दौर
	शोधग्रंथ में मानचित्र क्र.	४१
१	२	३
१	इन्दौर नगर से दूरी कि.मी. में	०
२	महानगर परिक्षेत्र में किस दिशा मे स्थित है?	ब्रह्मस्थान व वायव्य के मध्य में
३	योजना का आकार (Shape)	आयताकार
४	योजना का माप (Size)	२२ X २३
५	योजना का क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.में(Area)	५०६
६	नगर/ उपनगर में प्रवेश की दिशायें	आठों दिशाओं से
७	सन-२०२५ मे जनसंख्या प्रस्तावित हेतु लाख मे	४०.००
८	यातायात के विद्यमान माध्यम	सडक,रेल,हवाई
९	योजना क्षेत्र में सम्मिलित बडे ग्रामों की लगभग संख्या	६०
१०	वर्तमान में जल की उपलब्धता	कमी है
११	प्रस्तावित जल की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव	विकेन्द्रीकृत जल स्त्रोत्र व वितरण व्यवस्था
१२	योजना लागू होने पर पर्यावरण की स्थिति	उत्तम
१३	रोजगार की स्थानीय उपलब्धता	उत्तम
१४	स्वास्थ्य व्यवस्था	उत्तम
१५	शिक्षा व्यवस्था	उत्तम
१६	स्थापना (योजना) का औचित्य	सुनियोजित व पर्यावरण पोषित विकास
१७	प्रस्तावित मुख्य घटक	म.प्र. की व्यवसायिक राजधानी
१८	स्थापत्यवेद की दृष्टि से किस पद पर	आर्यक पद पर/

LEGEND

मानचित्र क्र.४१

स्थापत्यवेद से इन्दौर शहर विकास योजना-२०२५(निवेश क्षेत्र सीमा उदाहरणार्थ)

- Village boundary
- Major roads
- Rural road
- Railway
- IMC boundary
- Planning area boundary
- स्थापत्यवेद से "इन्दौर शहर" विकास योजना-२०२५



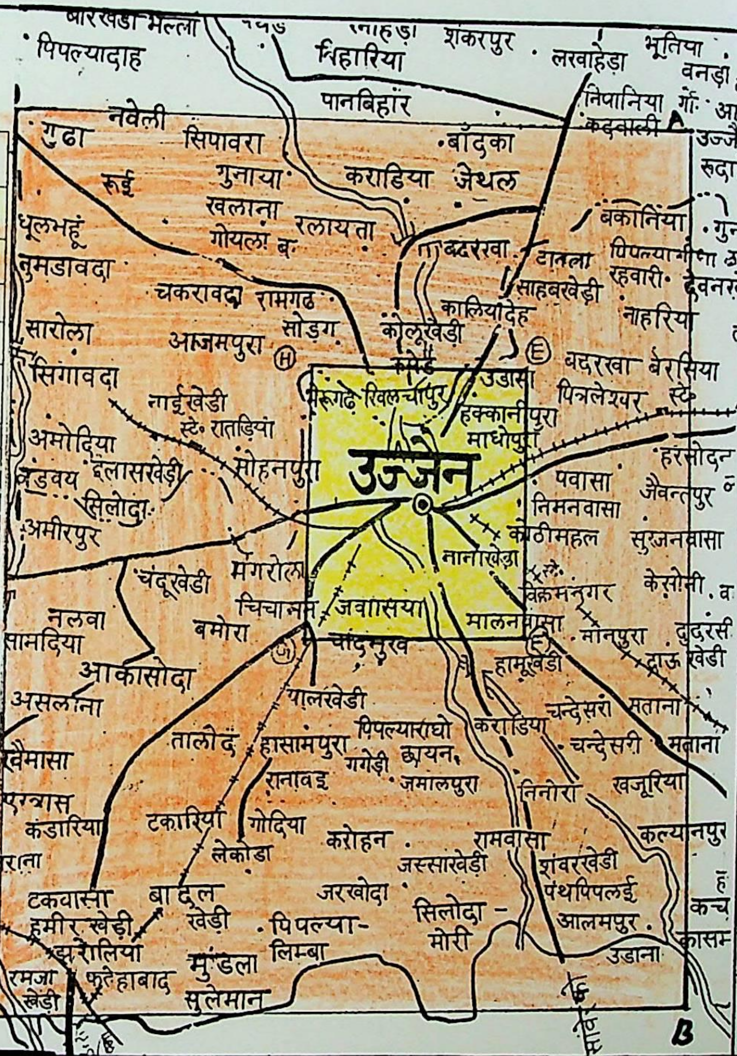




इन्दौर विकास योजना - २०२५ का स्थापत्यवेद के अनुसार नियोजन के लिये

प्रस्तावित नगरों का, औद्योगिक नगरों व उपनगरों की परियोजना एक नजर में

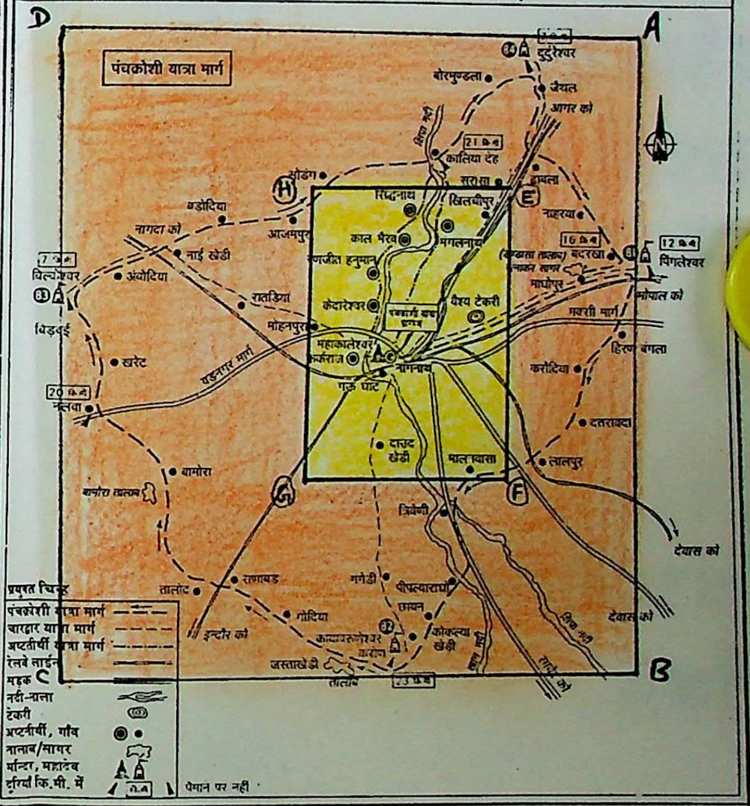
अनु	प्रकार ⇨	नगर का नाम
⇩	विकास योजना विवरण ⇩	उज्जैन
	शोधग्रंथ में मानचित्र क्र.	४२
१	२	४
१	इन्दौर नगर से दूरी कि.मी. में	६०
२	महानगर परिक्षेत्र में किस दिशा में स्थित है?	उत्तर दिशा के समीप
३	योजना का आकार (Shape)	आयताकार
४	योजना का माप (Size) IN Km	०७ X १०
५	योजना का क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.में(Area)	७०
६	नगर/ उपनगर में प्रवेश की दिशायें	ईशान,पूर्व, आग्नेय व नेऋत्य
७	सन-२०२५ मे जनसंख्या प्रस्तावित हेतु लाख मे	७.००
८	यातायात के विद्यमान माध्यम	सडक,रेल
९	योजना क्षेत्र में सम्मलित बडे ग्रामों की लगभग संख्या	२५
१०	वर्तमान में जल की उपलब्धता	पर्याप्त है
११	प्रस्तावित जल की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव	विकेन्द्रीगत जल स्त्रोत्र व वितरण व्यवस्था
१२	योजना लागू होने पर पर्यावरण की स्थिति	उत्तम
१३	रोजगार की स्थानीय उपलब्धता	उत्तम
१४	स्वास्थ्य व्यवस्था	उत्तम
१५	शिक्षा व्यवस्था	उत्तम
१६	स्थापना (योजना) का औचित्य	सुनियोजित व पर्यावरण पोषित विकास
१७	प्रस्तावित मुख्य घटक	पवित्र तीर्थ नगर
१८	स्थापत्यवेद की द्रष्टि से किस पद पर	भ्रिंगराज पद पर

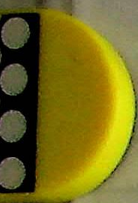


स्थापत्यवेद से "उज्जैन शहर" विकास योजना-२०२५ (निवेश क्षेत्र सीमा उदाहरणार्थ) मानचित्र क्र.४२

HEFG प्रस्तावित उज्जैन शहर सीमा क्षेत्र ०७ x १० किमी.= ७० वर्ग किमी.

ABCD प्रस्तावित पंचकोशी यात्रा मार्गक्षेत्र ३० x ३० किमी. = ९०० वर्ग किमी.







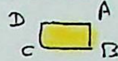
इन्दौर विकास योजना - २०२५ का स्थापत्यवेद के अनुसार नियोजन के लिये प्रस्तावित नगरों का, औद्यौगिक नगरों व उपनगरों की परियोजना एक नजर में

अनु क्र.	प्रकार ⇨	नगर का नाम
⇩	विकास योजना विवरण ⇩	देवास
	शोधग्रंथ में मानचित्र क्र.	४३
१	२	५
१	इन्दौर नगर से दूरी कि.मी. में	३६
२	इन्दौर महानगर परिक्षेत्र में किस दिशा में स्थित है?	पूर्व दिशा के समीप
३	योजना का आकार (Shape)	आयताकार
४	योजना का माप (Size)	५.५० X ६.००
५	योजना का क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.में(Area)	४६.५०
६	नगर/ उपनगर में प्रवेश की दिशायें	ईशान, आग्नेय व वायव्य
७	सन-२०२५ में जनसंख्या प्रस्तावित हेतु लाख मे	५.००
८	यातायात के विद्यमान माध्यम	सडक, रेल
९	योजना क्षेत्र में सम्मलित बड़े ग्रामों की लगभग संख्या	१७
१०	वर्तमान में जल की उपलब्धता	भीषण कमी है
११	प्रस्तावित जल की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव	विकेन्द्रीगत जल स्त्रोत्र व वितरण व्यवस्था
१२	योजना लागू होने पर पर्यावरण की स्थिति	उत्तम
१३	रोजगार की स्थानीय उपलब्धता	उत्तम
१४	स्वास्थ्य व्यवस्था	उत्तम
१५	क्षिक्षा व्यवस्था	उत्तम
१६	स्थापना (योजना) का ओचित्य	सुनियोजित व पर्यावरण पोषित विकास
१७	प्रस्तावित मुख्य धटक	[illegible]
१८	स्थापत्यवेद की द्रष्टि से किस पद पर	दिनकर पद पर/

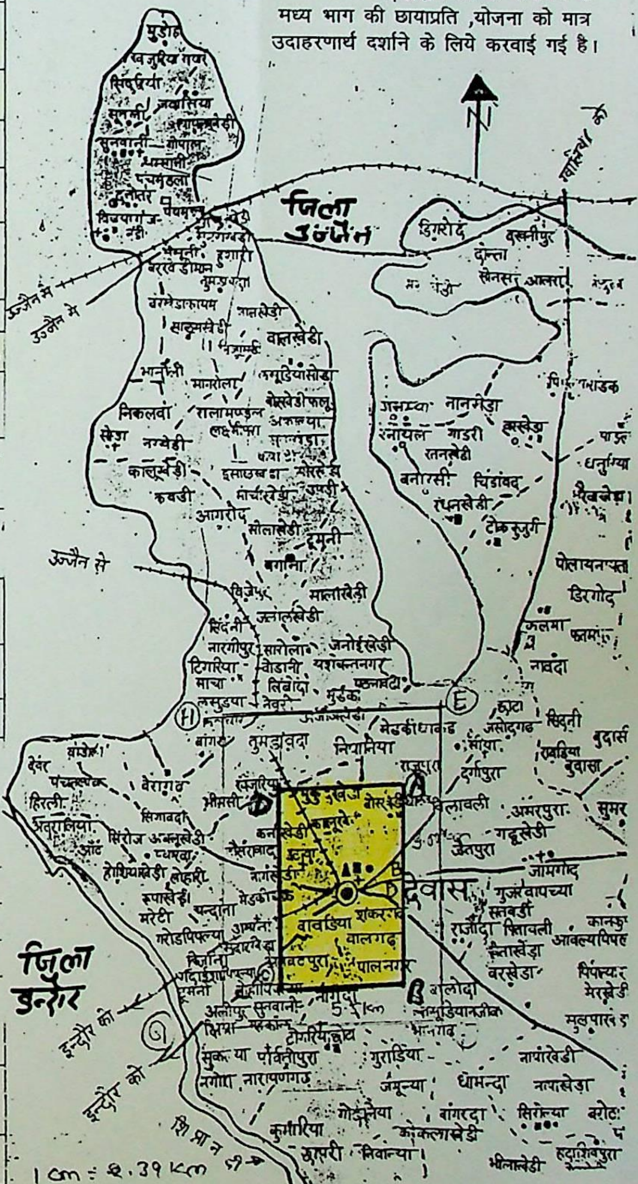
मानचित्र क्र.४३

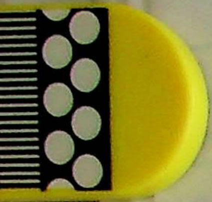
स्थापत्यवेद से "देवास शहर" विकास योजना-२०२५

(निवेश क्षेत्र सीमा उदाहरणार्थ)



टीपः-म.प्र.के देवास जिले के मानचित्र के मध्य भाग की छायाप्रति ,योजना को मात्र उदाहरणार्थ दर्शाने के लिये करवाई गई है।





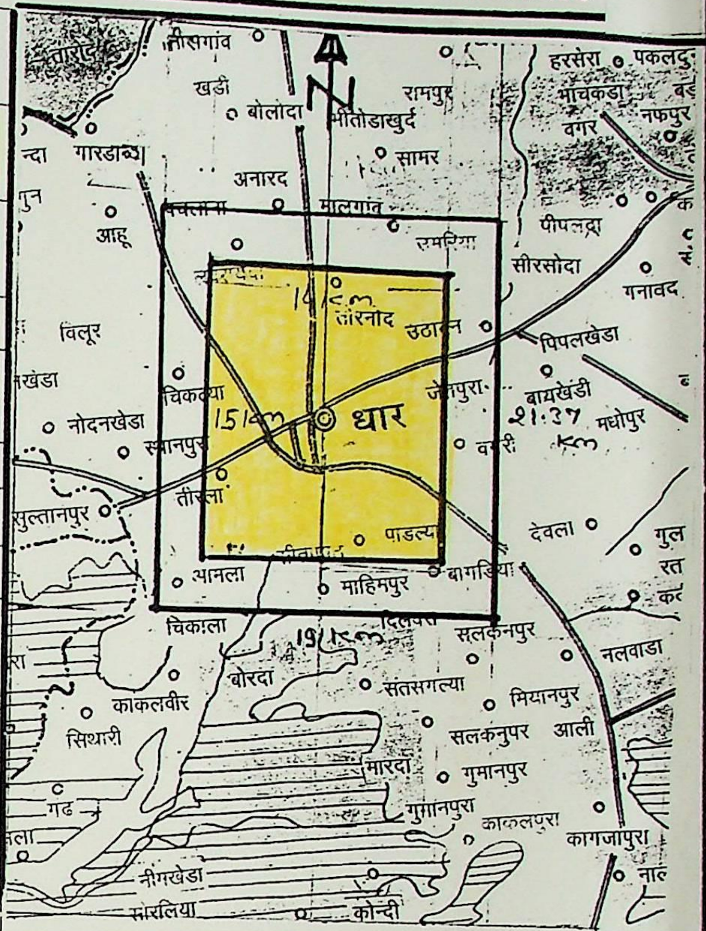
इन्दौर विकास योजना – २०२५ का स्थापत्यवेद के अनुसार नियोजन के लिये

प्रस्तावित नगरों का,औद्योगिक नगरों व उपनगरों की परियोजना एक नजर में

अनु क्र.	प्रकार / विकास योजना विवरण	नगर का नाम
	विकास योजना विवरण	धार
	शोधग्रंथ में मानचित्र क्र.	४४
१	इन्दौर नगर से दूरी कि.मी. में	६०
२	महानगर परिक्षेत्र में किस दिशा में स्थित है?	नेऋत्य की ओर पश्चिम दिशा में
३	योजना का आकार (Shape)	आयताकार
४	योजना का माप (Size)	१४ X 15
५	योजना का क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.में(Area)	२१०.००
६	नगर/ उपनगर में प्रवेश की दिशायें	चारो दिशाओं से
७	प्रस्तावित जनसंख्या-२०२५ हेतु लाख मे	२०.००
८	यातायात के विद्यमान माध्यम	सडक
९	योजना क्षेत्र में सम्मलित बडे ग्रामों की लगभग संख्या	२५
१०	वतेमान में जल की उपलब्धता	कमी है
११	प्रस्तावित जल की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव	विकेन्द्रीकृत जल स्त्रोत्र व वितरण व्यवस्था
१२	योजना लागू होने पर पर्यावरण की स्थिति	उत्तम
१३	रोजगार की स्थानीय उपलब्धता	उत्तम
१४	स्वास्थ्य व्यवस्था	उत्तम
१५	क्षिक्षा व्यवस्था	उत्तम
१६	स्थापना (योजना) का औचित्य	सुनियोजित व पर्यावरण पोषित विकास
१७	प्रस्तावित मुख्य घटक	सीमेंट/ औषधी नगर
१८	स्थापत्यवेद की दृष्टि से किस पद पर	गोधा पद पर,

स्थापत्यवेद से "धार शहर" विकास योजना-२०२५

(निवेश क्षेत्र सीमा उदाहरणार्थ) मानचित्र क्र.४४



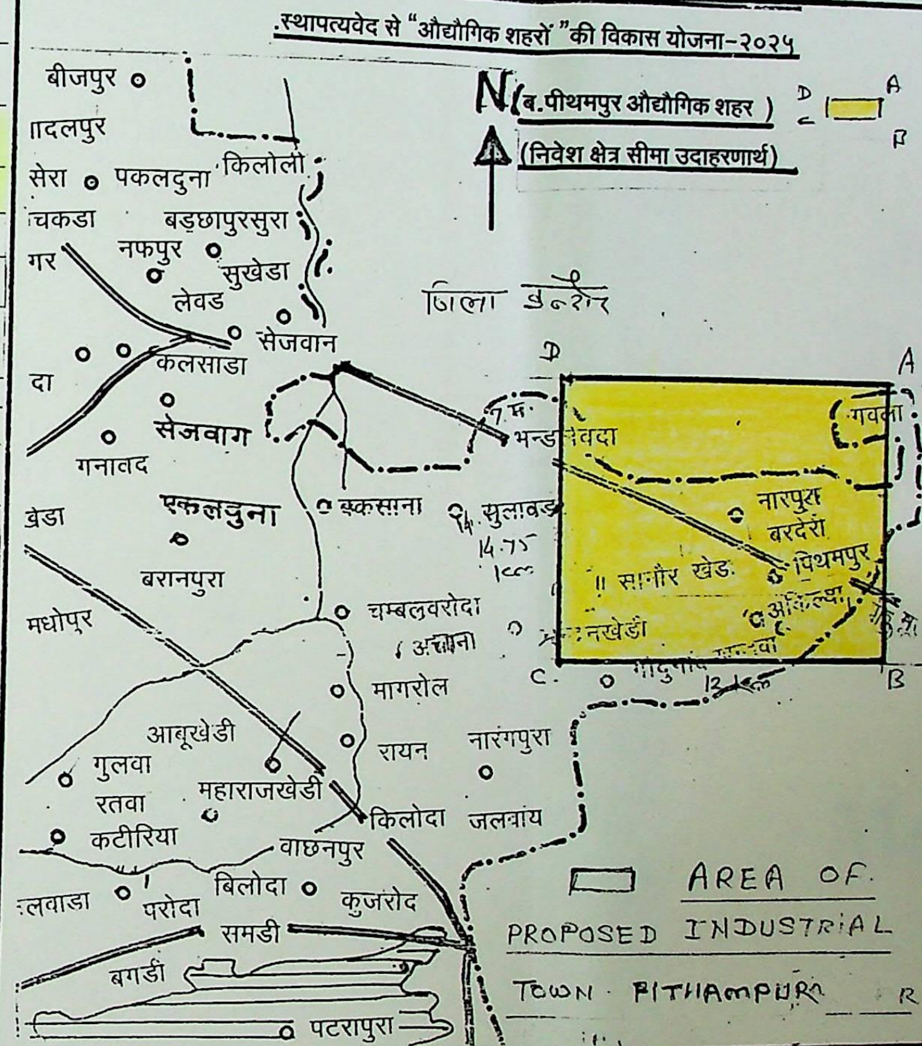
म.प्र.के धार जिले के मानचित्र के मध्य भाग की छायाप्रति योजना को मात्र उदाहरणार्थ दर्शाने के लिये करवाई गई है।

इन्दौर विकास योजना - २०२५ का स्थापत्यवेद के अनुसार नियोजन के लिये

मानचित्र क्र.४५ ब

प्रस्तावित नगरों का,औद्योगिक नगरों व उपनगरों की परियोजना एक नजर में

अनु	प्रकार	नगर का नाम
	विकास योजना विवरण	
		ब.पीथमपुर
	शोधग्रंथ में मानचित्र क्र.	४५ ब.
१	२	८
१	इन्दौर नगर से दूरी कि.मी. में	१६
२	इन्दौर महानगर परिक्षेत्र में किस दिशा में स्थित है?	ब्रह्मस्थान व वायव्य के मध्य में
३	योजना का आकार (Shape)	आयताकार
४	योजना का माप (Size)	१० X ७.२५
५	योजना का क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.में(Area)	७२.५०
६	नगर/ उपनगर में प्रवेश की दिशायें	उत्तर व दक्षिण से
७	सन-२०२५ मे जनसंख्या प्रस्तावित हेतु लाख मे	1
८	यातायात के विद्यमान माध्यम	सडक,रेल
९	योजना क्षेत्र में सम्मलित बडे ग्रामों की लगभग संख्या	२५
१०	वर्तमान में जल की उपलब्धता	कमी है
११	प्रस्तावित जल की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव	विकेन्द्रीगत जल स्त्रोत्र व वितरण व्यवस्था
१२	योजना लागू होने पर पर्यावरण की स्थिति	उत्तम
१३	रोजगार की स्थानीय उपलब्धता	उत्तम
१४	स्वास्थ्य व्यवस्था	उत्तम
१५	शिक्षा व्यवस्था	उत्तम
१६	स्थापना (योजना) का औचित्य	सुनियोजित व पर्यावरण पोषित विकास
१७	प्रस्तावित मुख्य घटक	ईंधन राजधानी
१८	स्थापत्यवेद की दृष्टि से किस पद पर	आर्यक पद पर



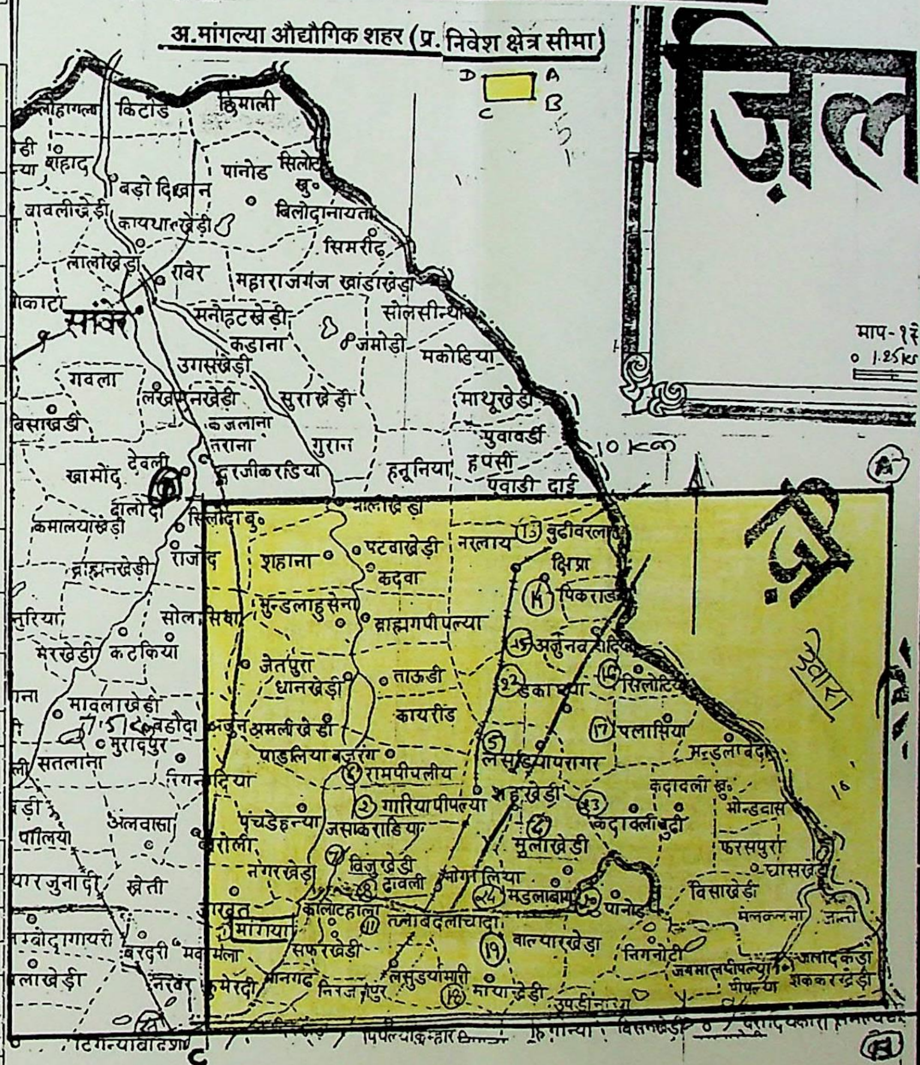
टीपः-म.प्र.के धार जिले के मानचित्र के मध्य भाग की छायाप्रति ,योजना को मात्र उदाहरणार्थ दर्शाने के लिये करवाई गई है।

इन्दौर विकास योजना - २०२५ का स्थापत्यवेद के अनुसार नियोजन के लिये

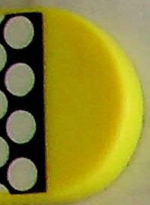
मानचित्र क्र.४५ (अ.)

प्रस्तावित नगरों का,औद्योगिक नगरों व उपनगरों की परियोजना एक नजर में

अनु.	प्रकार →	नगर का नाम
	विकास योजना विवरण	मांगल्या
	शोधग्रंथ में मानचित्र क्र.	४५ अ.
१	२	७
१	इन्दौर नगर से दूरी कि.मी. में	४०
२	महानगर परिक्षेत्र में किस दिशा में स्थित है?	दक्षिण व नेऋत्य के मध्य
३	योजना का आकार (Shape)	आयताकार
४	योजना का माप (Size)	१२ X १४.७५
५	योजना का क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.में(Area)	१७७.००
६	नगर/ उपनगर में प्रवेश की दिशायें	ईशान,आग्नेय व दक्षिण से
७	सन-२०२५ मे जनसंख्या प्रस्तावित हेतु लाख मे	१.००
८	यातायात के विद्यमान माध्यम	सडक व रेल
९	योजना क्षेत्र में सम्मलित बडे ग्रामों की लगभग संख्या	३४
१०	वर्तमान में जल की उपलब्धता	पीक्षण कमी है
११	प्रस्तावित जल की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव	विकेन्द्रीगत जल स्त्रोत्र व वितरण व्यवस्था
१२	योजना लागू होने पर पर्यावरण की स्थिति	उत्तम
१३	रोजगार की स्थानीय उपलब्धता	उत्तम
१४	स्वास्थ्य व्यवस्था	उत्तम
१५	क्षिक्षा व्यवस्था	उत्तम
१६	स्थापना (योजना) का ओचित्य	सुनियोजित व पर्यावरण पोषित विकास
१७	प्रस्तावित मुख्य धटक	औद्योगिक राजधनी
१८	स्थापत्यवेद की द्रष्टि से किस पद पर	मृश पद पर



टीपः-म.प्र.के इन्दौर जिले के मानचित्र के मेध्य भाग की छायाप्रति ,योजना को मात्र उदाहरणार्थ दर्शाने के लिये करवाई गई है।

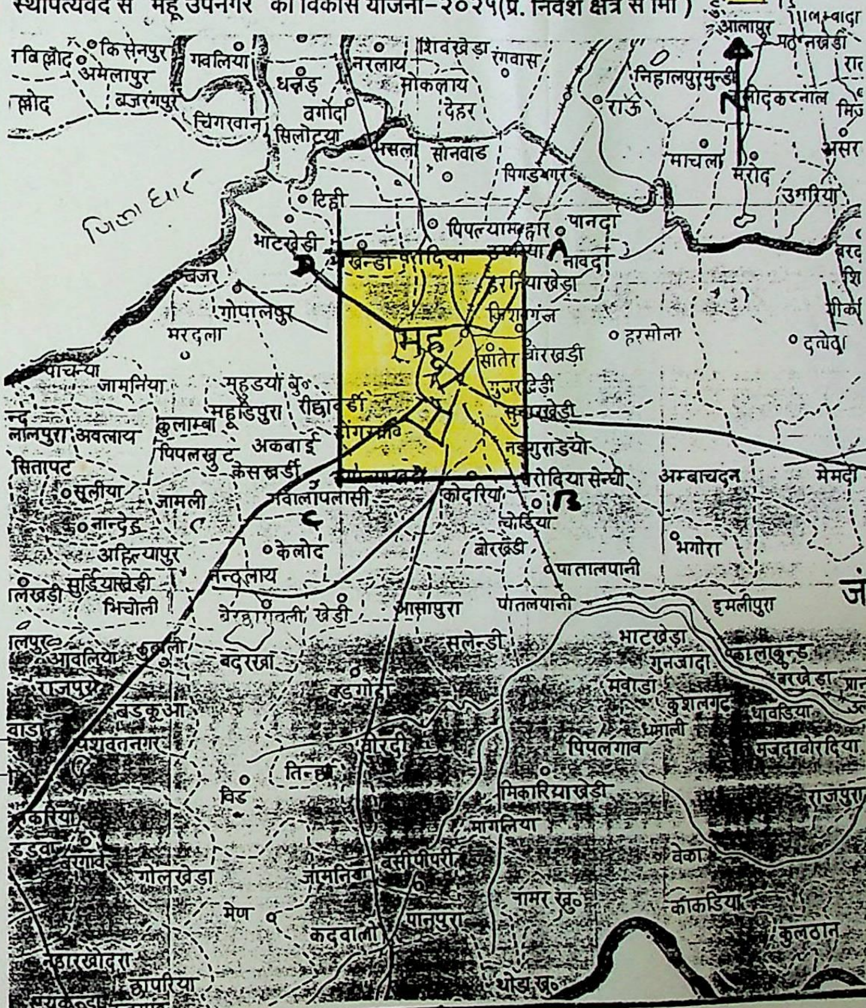


इन्दौर विकास योजना - २०२५ का स्थापत्यवेद के अनुसार नियोजन के लिये

मानचित्र क्र.४६(१)

प्रस्तावित नगरों का,औद्योगिक नगरों व उपनगरों की परियोजना एक नजर में

अनु	प्रकार	नगर का नाम
	विकास योजना विवरण	
		१.महू
	शोधग्रंथ में मानचित्र क्र.	४६अ.
१	२	६
१	इन्दौर नगर से दूरी कि.मी. में	२४
२	इन्दौर महानगर परिक्षेत्र में किस दिशा में स्थित है?	दक्षिण दिशा में
३	योजना का आकार (Shape)	वर्गाकार
४	योजना का माप (Size)	०४ X ०४
५	योजना का क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.में(Area)	१६.००
६	नगर/ उपनगर में प्रवेश की दिशायें	चारों उपदिशाओं से
७	सन-२०२५ मे जनसंख्या प्रस्तावित हेतु लाख मे	''१.५०
८	यातायात के विद्यमान माध्यम	सडक,रेल
९	योजना क्षेत्र में सम्मलित बडे ग्रामों की लगभग संख्या	१८
१०	वर्तमान में जल की उपलब्धता	कमी है
११	प्रस्तावित जल की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव	विकेन्द्रीगत जल स्त्रोत्र व वितरण व्यवस्था
१२	योजना लागू होने पर पर्यावरण की स्थिति	उत्तम
१३	रोजगार की स्थानीय उपलब्धता	उत्तम
१४	स्वास्थ्य व्यवस्था	उत्तम
१५	शिक्षा व्यवस्था	उत्तम
१६	स्थापना (योजना) का औचित्य	सुनियोजित व पर्यावरण पोषित विकास
१७	प्रस्तावित मुख्य धटक	सैन्य नगर
१८	स्थापत्यवेद की द्रष्टि से किस पद पर	यम पद पर



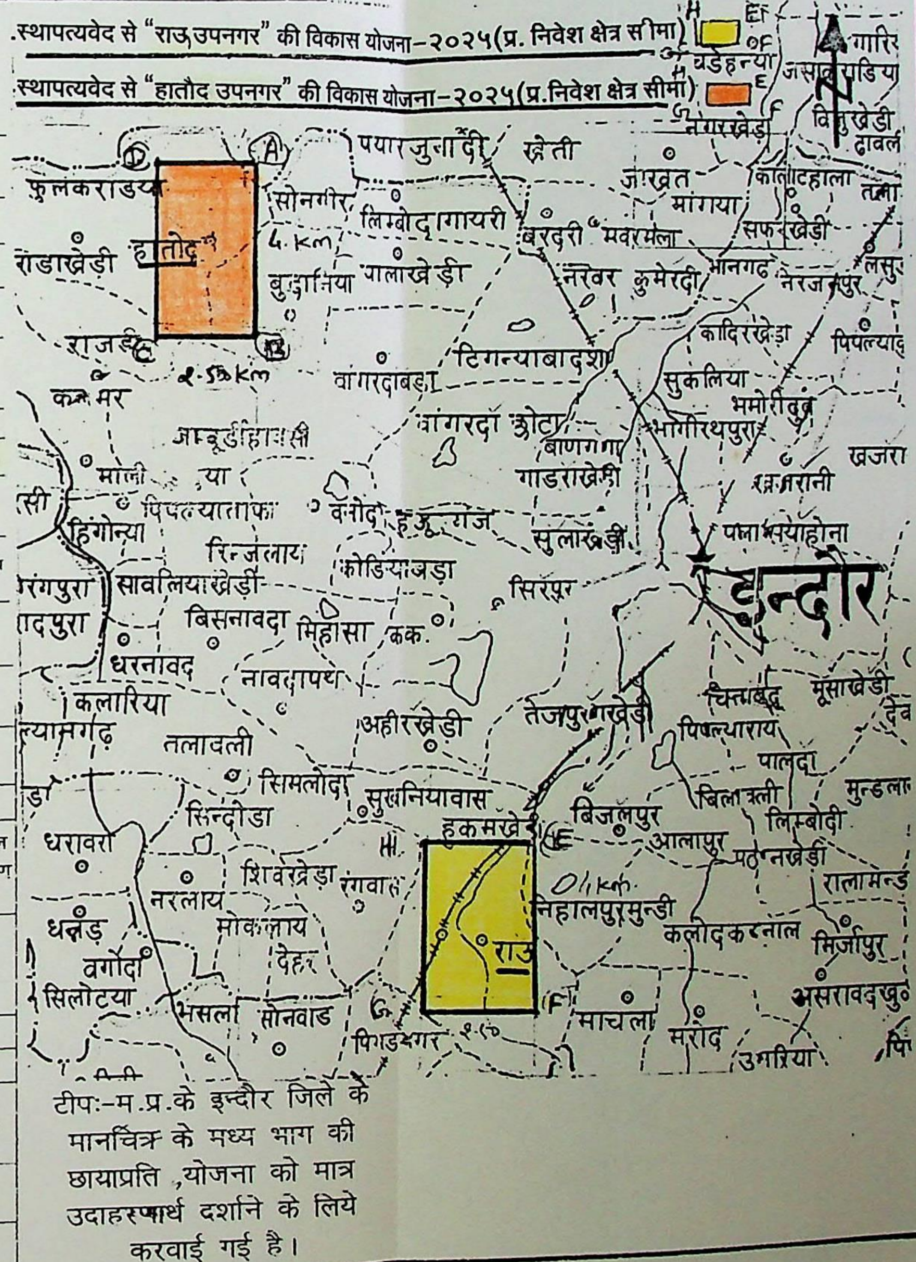
टीप:-म.प्र.के इन्दौर जिले के मानचित्र के मध्य भाग की छायाप्रति ,योजना को मात्र उदाहरणार्थ दर्शाने के लिये करवाई गई है।

इन्दौर विकास योजना - २०२५ का स्थापत्यवेद के अनुसार नियोजन के लिये

मानचित्र क्र.४६(२) व ४६(३)

प्रस्तावित नगरों का,औद्यौगिक नगरों व उपनगरों की परियोजना एक नजर में

अनु	प्रकार ⇨ / विकास योजना विवरण ⇩	उप नगरों के नाम	
		२.राउ	३.हातोद
	शोधग्रंथ में मानचित्र क्र.	४६(२)	४६(३)
१	२	१०	११
१	इन्दौर नगर से दूरी कि.मी. में	१५	२०
२	इन्दौर महानगर परिक्षेत्र में किस दिशा में स्थित है?	ब्रहृमस्थान में दक्षिण से सटा हुआ	दक्षिण में
३	योजना का आकार (Shape)	आयताकार	आयताकार
४	योजना का माप (Size)	२.५० X ४.००	२.५० X ४.००
५	योजना का क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.में(Area)	१०.००	१०.००
६	नगर/ उपनगर में प्रवेश की दिशायें	आग्नेय व वायव्य से	ईशान,आग्नेय व नेऋत्य
७	सन-२०२५ मे जनसंख्या प्रस्तावित हेतु लाख मे	१.००	०.८०
८	यातायात के विद्यमान माध्यम	सडक,रेल	सडक,रेल
९	योजना क्षेत्र में सम्मलित बडे ग्रामों की लगभग संख्या	८	५
१०	वर्तमान में जल की उपलब्धता	कमी है	कमी है
११	प्रस्तावित जल की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव	विकेन्द्रीगत जल स्त्रोत्र व वितरण व्यवस्था	विकेन्द्रीगत जल स्त्रोत्र व वितरण व्यवस्था
१२	योजना लागू होने पर पर्यावरण की स्थिति	उत्तम	उत्तम
१३	रोजगार की स्थानीय उपलब्धता	उत्तम	उत्तम
१४	स्वास्थ्य व्यवस्था	उत्तम	उत्तम
१५	क्षिक्षा व्यवस्था	उत्तम	उत्तम
१६	स्थापना (योजना) का ओचित्य	सुनियोजित व पर्यावरण पोषित विकास	सुनियोजित व पर्यावरण पोषित विकास
१७	प्रस्तावित मुख्य धटक	रेशम केन्द्र	उद्यमि नगर
१८	स्थापत्यवेद की द्रष्टि से किस पद पर	ब्रहृमस्थान	यम पद पर



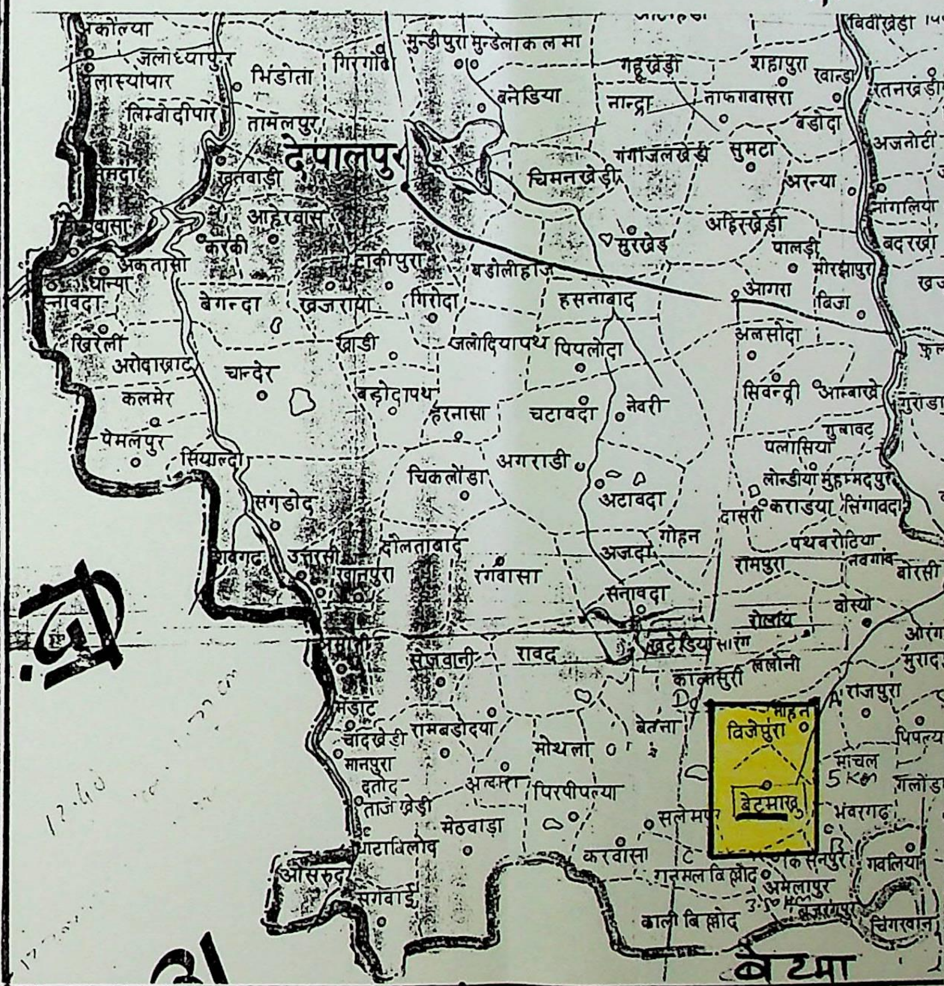
इन्दौर विकास योजना - २०२५ का स्थापत्यवेद के अनुसार नियोजन के लिये

प्रस्तावित नगरों का,औद्योगिक नगरों व उपनगरों की परियोजना एक नजर में

मानचित्रक्र.४६(४)

अनु क.	प्रकार ⇨	नगर का नाम
	विकास योजना विवरण	
		४.बेटमा
	शोधग्रंथ में मानचित्र क.	४६(४)
१	२	१२
१	इन्दौर नगर से दूरी कि.मी. में	२८
२	इन्दौर महानगर परिक्षेत्र में किस दिशा में स्थित है?	ब्रह्मस्थान व नेत्रत्य के मध्य
३	योजना का आकार (Shape)	आयताकार
४	योजना का माप (Size)	३.५० X ५.००
५	योजना का क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.में(Area)	१७.५०
६	नगर/ उपनगर में प्रवेश की दिशायें	पूर्व व पश्चिम से
७	सन-२०२५ मे जनसख्या प्रस्तावित हेतु लाख मे	''१.६०
८	यातायात के विद्यमान माध्यम	सड़क
९	योजना क्षेत्र में सम्मिलित बडे ग्रामों की लगभग संख्या	५
१०	वर्तमान में जल की उपलब्धता	कमी है
११	प्रस्तावित जल की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव	जल स्त्रोत्र व वितरण
१२	योजना लागू होने पर पर्यावरण की स्थिति	उत्तम
१३	रोजगार की स्थानीय उपलब्धता	उत्तम
१४	स्वास्थ्य व्यवस्था	उत्तम
१५	शिक्षा व्यवस्था	उत्तम
१६	स्थापना (योजना) का औचित्य	सुनियोजित व पर्यावरण पोषित विकास
१७	प्रस्तावित मुख्य घटक	रेशम केन्द्र
१८	स्थापत्यवेद की द्रष्टि से किस पद पर	विश्ववृत

.स्थापत्यवेद से "बेटमा उपनगर" की विकास योजना-२०२५(प्र.निवेश क्षेत्र सीमा)



टीपः-म.प्र.के इन्दौर जिले के मानचित्र के मध्य भाग की छायाप्रति ,योजना को मात्र उदाहरणार्थ दर्शाने के लिये करवाई गई है !

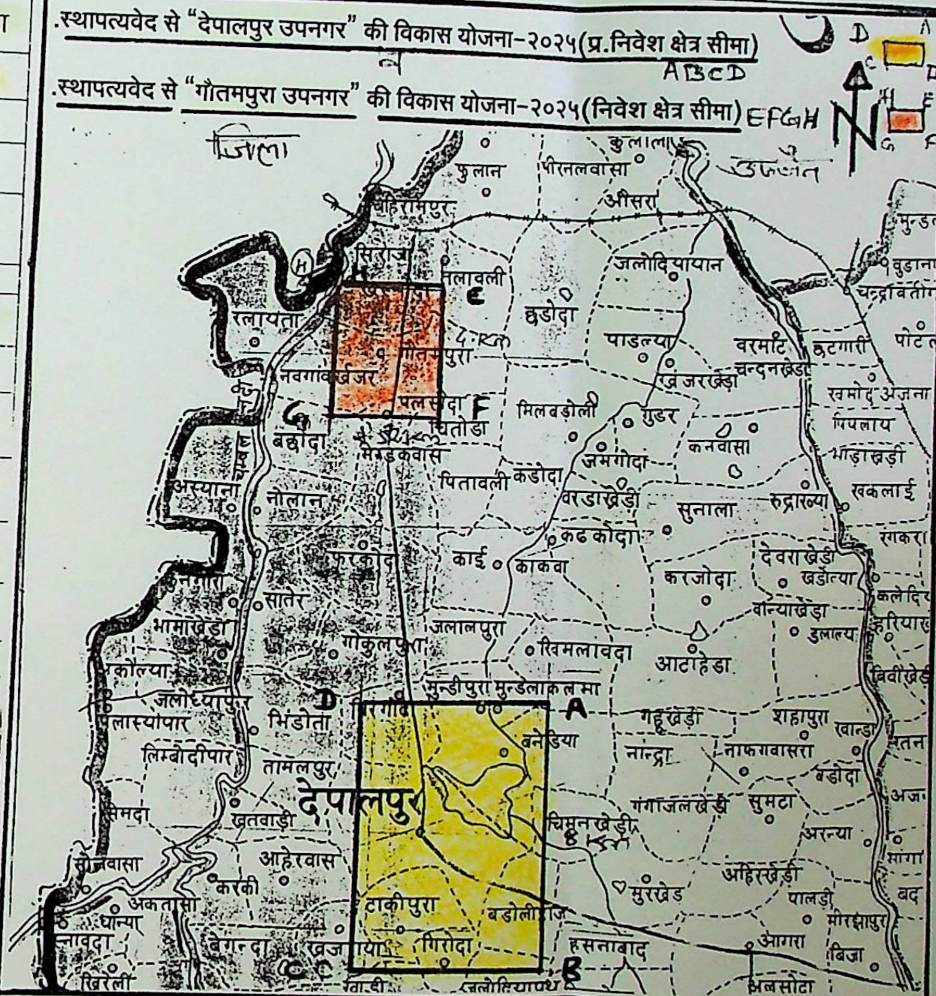
इन्दौर विकास योजना - २०२५ का स्थापत्यवेद के अनुसार नियोजन के लिये प्रस्तावित नगरों का,औद्योगिक नगरों व उपनगरों की परियोजना एक नजर में

मानचित्र.४६(५) व ४६(६)

अनु क्र.	प्रकार ⇒ / विकास योजना विवरण	५.देपालपुर	६.गौतमपुरा
		उप नगर का नाम	
	शोधग्रंथ में मानचित्र क्र.	४६(५)	४६(६)
१	२	१३	१४
१	इन्दौर नगर से दूरी कि.मी. में	४०	६०
२	इन्दौर महानगर परिक्षेत्र में किस दिशा में स्थित है?	ब्रह्मस्थान व पश्चिम के मध्य	ब्रह्मस्थान व पश्चिम के मध्य
३	योजना का आकार (Shape)	आयताकार	आयताकार
४	योजना का माप (Size) IN km	५.०० X ६.००	२.५० X ४.००
५	योजना का क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.में(Area)	३०	१०.००
६	नगर/ उपनगर में प्रवेश की दिशायें	दक्षिण व नैऋत्य से	उत्तर व दक्षिण से
७	सन-२०२५ मे जनसख्या प्रस्तावित हेतु लाख में	१.८०	१.००
८	यातायात के विद्यमान माध्यम	सडक	सडक
९	योजना क्षेत्र में सम्मलित बडे ग्रामों की लगभग संख्या	८	५
१०	वर्तमान में जल की उपलब्धता	पर्याप्त हैं	कमी है
११	प्रस्तावित जल की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव	विकेन्द्रीगत जल स्त्रोत्र व वितरण व्यवस्था	विकेन्द्रीगत जल स्त्रोत्र व वितरण व्यवस्था
१२	योजना लागू होने पर पर्यावरण की स्थिति	उत्तम	उत्तम
१३	रोजगार की स्थानीय उपलब्धता	उत्तम	उत्तम
१४	स्वास्थ्य व्यवस्था	उत्तम	उत्तम
१५	शिक्षा व्यवस्था	उत्तम	उत्तम
१६	स्थापना (योजना) का औचित्य	सुनियोजित व पर्यावरण पोषित विकास	सुनियोजित व पर्यावरण पोषित विकास
१७	प्रस्तावित मुख्य घटक	रेशम केन्द्र	रेशम केन्द्र
१८	स्थापत्यवेद की दृष्टि से किस पद पर	मित्र पद पर	मित्र पद पर

.स्थापत्यवेद से "देपालपुर उपनगर" की विकास योजना-२०२५(प्र.निवेश क्षेत्र सीमा) ABCD

.स्थापत्यवेद से "गौतमपुरा उपनगर" की विकास योजना-२०२५(निवेश क्षेत्र सीमा) EFGH



टीप: म.प्र.के इन्दौर जिले के मानचित्र के मध्य भाग की छायाप्रति ,योजना को मात्र उदाहरणार्थ दर्शाने के लिये करवाई गई है।

इन्दौर विकास योजना - २०२५ का स्थापत्यवेद के अनुसार नियोजन के लिये

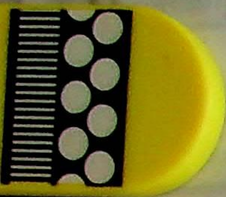
मानचित्रक्र.४६(७)

प्रस्तावित नगरों का,औद्योगिक नगरों व उपनगरों की परियोजना एक नजर में

अनु.	प्रकार	नगर का नाम
	विकास योजना विवरण	
		७.सांवेर
	शोधग्रंथ में मानचित्र क्र.	४६(७)
१	२	१५
१	इन्दौर नगर से दूरी कि.मी. में	४०
२	इन्दौर महानगर परिक्षेत्र में किस दिशा में स्थित है?	ब्रह्मस्थान व पूर्व के मध्य /
३	योजना का आकार (Shape)	आयताकार
४	योजना का माप (Size)	३.०० x ५.००
५	योजना का क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.में(Area)	१५.००
६	नगर/ उपनगर में प्रवेश की दिशायें	उत्तर व दक्षिण से
७	सन-२०२५ मे जनसंख्या प्रस्तावित हेतु लाख मे	''१.२५
८	यातायात के विद्यमान माध्यम	सड़क,रेल
९	योजना क्षेत्र में सम्मलित बडे ग्रामों की लगभग संख्या	६
१०	वर्तमान में जल की उपलब्धता	कमी है
११	प्रस्तावित जल की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव	विकेन्द्रीगत जल स्त्रोत व वितरण व्यवस्था
१२	योजना लागू होने पर पर्यावरण की स्थिति	उत्तम
१३	रोजगार की स्थानीय उपलब्धता	उत्तम
१४	स्वास्थ्य व्यवस्था	उत्तम
१५	क्षिक्षा व्यवस्था	उत्तम
१६	स्थापना (योजना) का औचित्य	सुनियोजित व पर्यावरण पोषित विकास
१७	प्रस्तावित मुख्य धटक	औषधी व फूल केन्द्र
१८	स्थापत्यवेद की द्रष्टि से किस पद पर	आर्यक पद पर

.स्थापत्यवेद से "सांवेर उपनगर" की विकास योजना-२०२५(प्र.निवेश क्षेत्र सीमा)

टीपः-म.प्र.के इन्दौर जिले के मानचित्र के मध्य भाग की छायाप्रति ,योजना को मात्र उदाहरणार्थ दर्शाने के लिये करवाई गई है।



मानचित्र क्र.४७

इन्दौर के विचाराधीन सिटिज़न्स मास्टर प्लान - २०२५ (महानगर परिक्षेत्र) का स्थापत्यवेद से नियोजन।

नगर व ग्राम निवेश विभाग की प्रस्तावित

इन्दौर शहर विकास योजना २०२१

(प्रस्तावित मुख्य बिंदु.)

१.अनुमानित जनसंख्या = ३७ लाख २. सम्मलित ग्रामों की संख्या = ९० ३. निवेश क्षेत्रफल = ६००स्वे.किमी

४.लोक परिवहन के लिये तीन सुपर कारीडोर: पहला = १२.३ किमी लम्बा खजराना से एम.जी. रोड, दूसरा = १५.२५ किमी लम्बा निरंजनपुर से एबी रोड,तीसरा = १७.२० किमी लम्बा निरंजनपुर पश्चिमी रिंग रोड

५.स्थल प्रस्तावित = प्रमुख संस्थानों क्षैक्षणिक,गैर प्रदूषणकारी उच्च श्रेणी के उद्योग ,साफ्टवेअर ,टेक्नालाजी पार्क ,जेम्स आभूषण पार्क ,मेगा कमर्शियल सेंटर ट्रेड सेंटर ,पांच सितारा होटल ,मनोरंजन पार्क ,निर्यात सेवा उद्योग ,सभाग्रह,मेला व प्रदर्शनी स्थल।

६.भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों व उद्योगों के उपयोग के लिये हवा की दिशा,उनकी सघनता व अन्य पेरामीटरस को ध्यान में रखकर हानिकारक व गैरहानिकारक उद्योगों के लिये स्थान बताये गये है।

८.प्रस्तावित फ्लायओवर निर्माण = २५ ९.प्रस्तावित चौराहों का विकास = २५

९. शहर का हरित क्षेत्र यथावत रख ,नदी के किनारे दोनो ओर ३०मीटर स्थान आरक्षित होगा।

१०. ट्रेंचिंग ग्राउंड्स शहरी क्षेत्र से बाहर होगें।तालाबों के आसपास की भूमी सुरक्षित चिन्हित होगी।

११.प्रस्तावित आर्थिक झोन = ५००हैक्टेअर में व शहर के मध्य क्षेत्र के लिये विशेष योजना ,एफ ए आर कम।

१२.विमानतल ,रेल्वे स्टेशन ,बस स्टेण्ड के विस्तार तथा विकास हेतु नियोजन का योजना में समावेश।लैंड स्केपिंग दर्शाने व प्राकृतिक स्थालों के संरक्षण का प्रस्ताव।

१३,सैद्धांतिक तौर पर भूमी उपयोग के संबंध मे प्रस्ताव ,भूमी पर विभिन्न क्षेत्रों का निर्धारण।राष्ट्रीय एवं प्रांतीय राजमार्ग का योजना क्षेत्र व अन्य क्षेत्र मे संयोजन,रिंग रोड ,बायपास व अन्य मुख्य सडकें।

१४.सीएएस दिल्ली द्वारा प्रस्तावित इन्दौर लोक परिवहन प्रणाली में यातायात की द्रष्टि से २७७ किमी सडकों के नेटवर्क पर रहेगा,जहां बसें चलेंगी।४४.७५ किमी रेलवे नेट वर्क होगा।

१५.इस मास्टर प्लान में क्या होना चाहीये,इस बात के बजाय क्या नहीं हो सकता इस पर अधिक जोर दिया गया है।



A B
C D

स्थापत्यवेद के अनुसार इन्दौर शहर विकास योजना -२०२१ का सीमा क्षेत्र

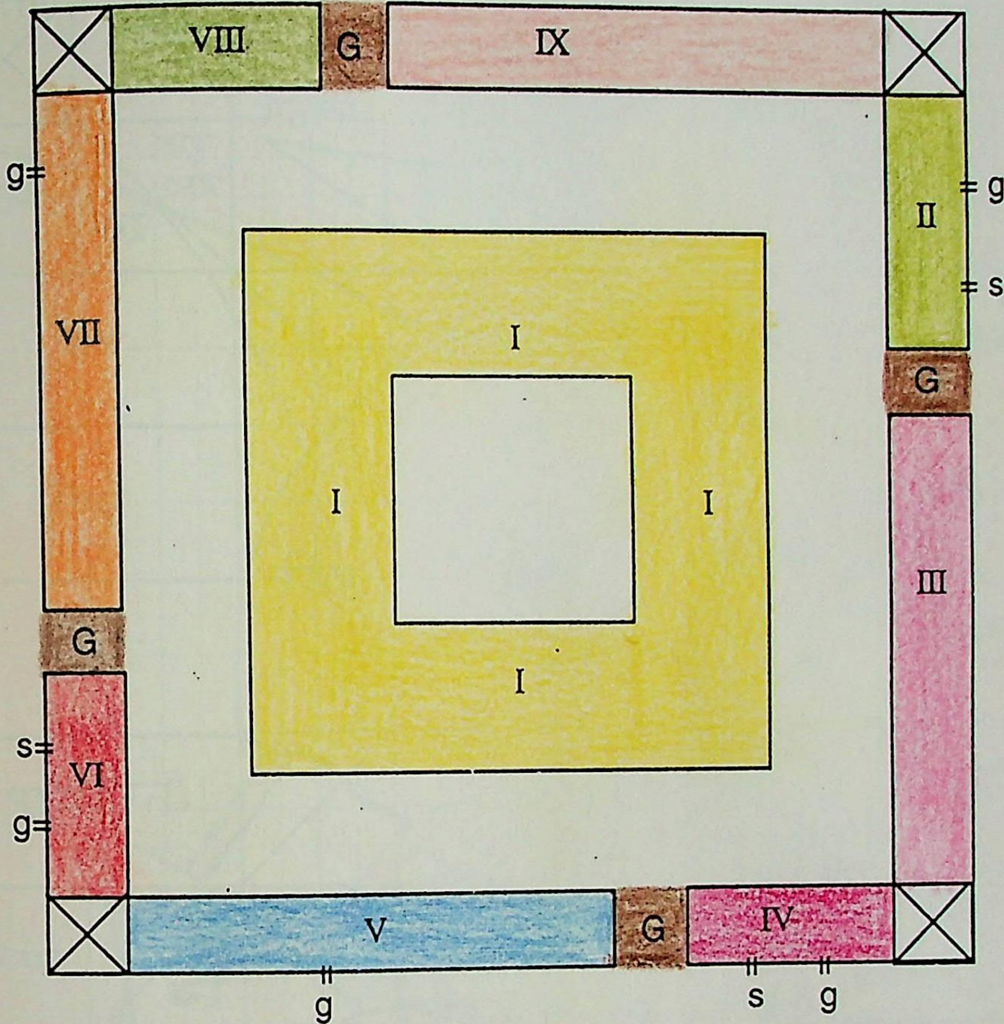


Town Layout

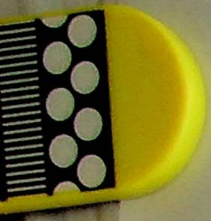
उत्तर (N)

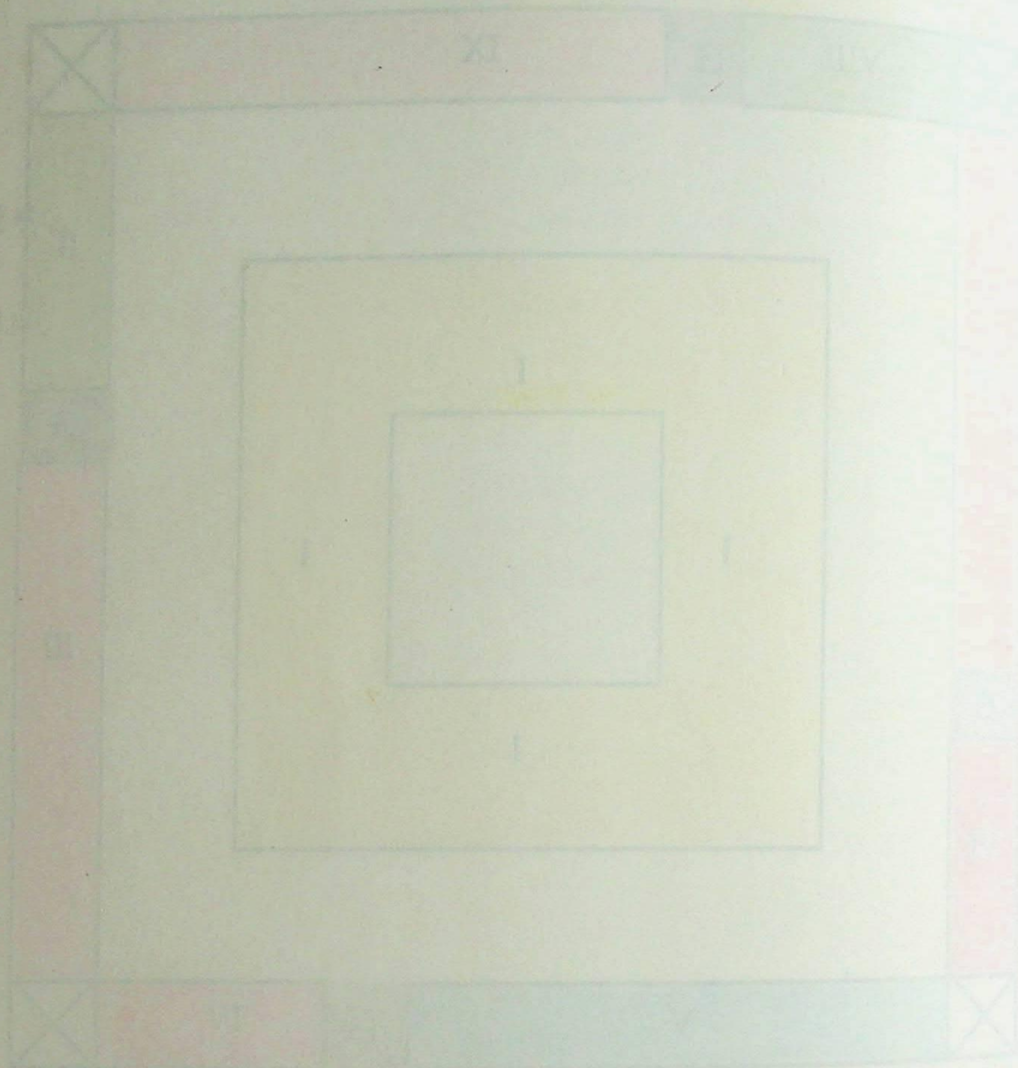


बाजार (आपणम्)

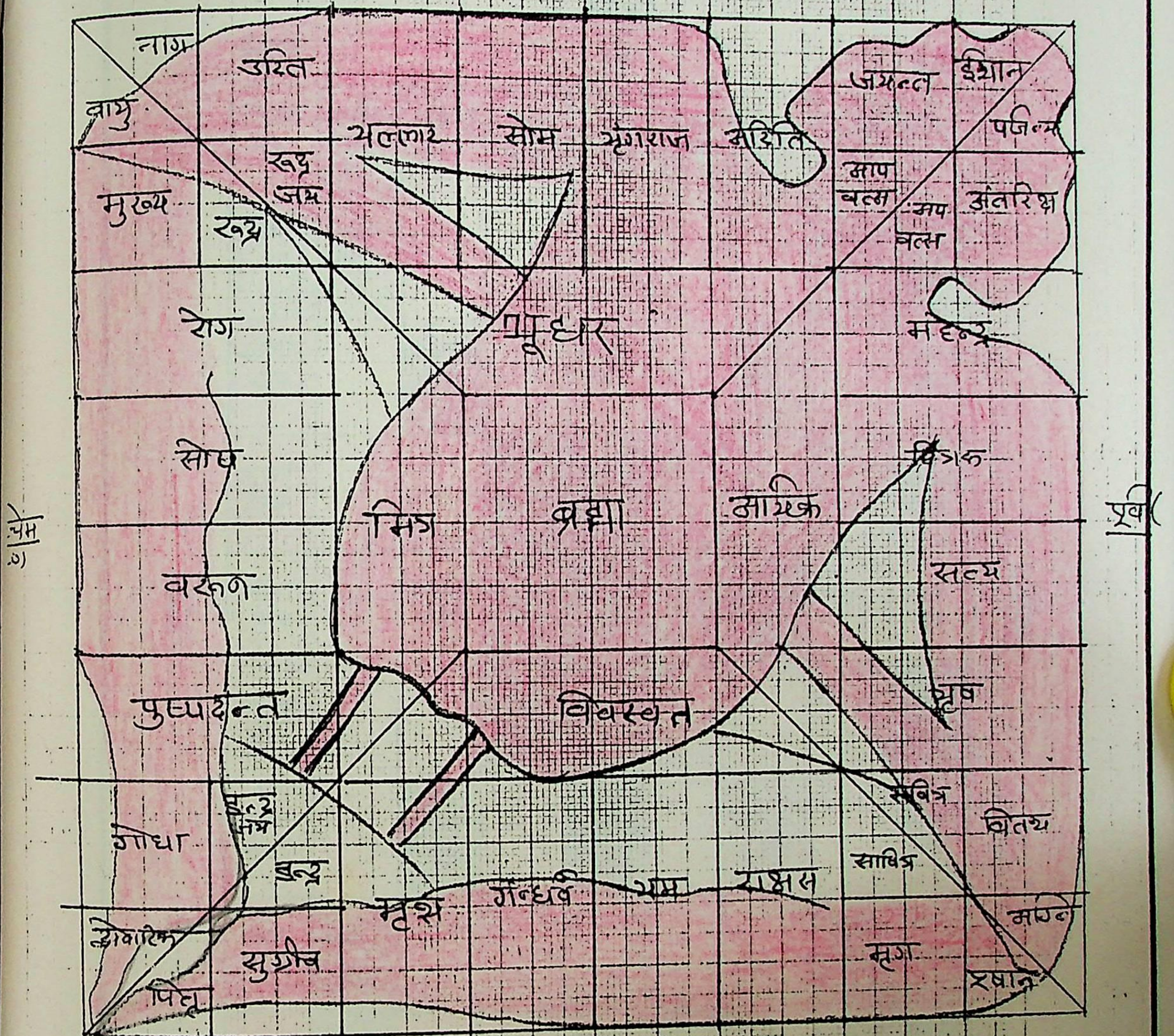


I	Betal, Fruits & Vegitables)		(ताम्बूलादि, फल, सब्जियाँ)
II	Meat, Fish & Vegitables		(मांस, मछली व सबिजयाँ)
III	Solid & Liquid Food Stuff		(ठोस व तरल खाद्य पदार्थ)
IV	Ironmongers Market		(बर्तन बाजार)
V	Copper Smith Market		(कांसादिकों (धातु बाजार))
VI	Clothings Market		(वस्त्र बाजार)
VII	Grain, Rice & Todder		(अनाज , चावल व पशुचारे)
VIII	Fabrics, Salt, Oil.		(वस्त्र, नमक, तेल)
IX	Flowers		(पुष्प/फूल)
G	Gate		(द्वार)
g	Small gate		(लघु द्वार)
s	Sewage out let		(जल-मल निकास)



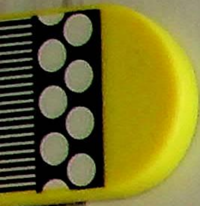


स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार "वास्तु पुरूष विकल्पन" चित्र (छंदिता पद वि. पर) मानचित्र क्र. ४४अ



मानसार अनुसार छंदिता (मण्डूक) - पद - विन्यास) पर

वास्तु पुरूष विकल्पन (8 × 8 = 64 पद) GROUND-PLAN



स्थापत्यवेद में भवन भास्कर पुस्तक के अनुसार "वास्तु पुरूष विकल्पन" चित्र — मानचित्र क्र.४९ब

(एकाशिती (८१) वास्तुपद विन्यास पर वास्तु पुरूष व उसके अंगस्थान)

वास्तुपुरूष

ईशान — पूर्व — आग्नेय

उत्तर (बायें) — दक्षिण (दायें)

शिखी सिर	पर्जन्य नेत्र	जयन्त कान	इन्द्र कंधा	सूर्य भुजा	सत्य भुजा	भृश भुजा	अंतरिक्ष भुजा	अनिल भुजा
दिति नेत्र	आप मुख						सावित्र हाथ	पूषा मणिबंध
अदिति कान		आपवत्स छाती		अर्यमा स्तन		सविता हाथ		वितथ बगल
भुजग कंधा								बृहत्क्षत बगल
सोम भुजा		पृथ्वीधर स्तन		ब्रह्मा हृदय		विवस्वान् पेट		यम उरु
भल्लाट भुजा								गन्धर्व घुटना
मुख्य भुजा		राजयक्ष्मा हाथ		मित्र पेट		इन्द्र लिंग		भृंगराज जंघा
नाग भुजा	रूद्र हाथ						जय लिंग	मृग नितंब
रोग भुजा	पापयक्ष्मा मणिबंध	शोष बगल	असुर बगल	वरूण उरू	पुष्पदंत घुटना	सुग्रीव जंघा	दौवारिक नितंब	पिता पैर

वायव्य — पश्चिम — नैर्ऋत्य

छायाचित्र खण्ड

(अनु. क्र. १ से १९ तक)

छायाचित्र खण्ड

(अनु. क्र. १ से १९ तक)

छायाचित्र

सूची

अ.इन्दौर शहर के विकास व संचनाओं के कुछ विहंगम द्रश्य।

१.इन्दौर के उत्तर पूर्व में नव विकसित बाम्बे हास्पिटल क्षेत्र का विहंगम द्रश्य।

२.यह द्रश्य है इन्दौर के नवनिर्मित बाय पास रोड के शुभारंभ के समय का।

३.इन्दौर के प्राचीन यशवंत सागर में गाद जमा हो जाने से जल भराव क्षमता आधी हो चुकी है।

ब.इन्दौर शहर के विकास व समस्याओं के कुछ विहंगम द्रश्य।

४.मोती तबेला,६.हरसिद्धि में क्षेत्र जल जमाव के द्रश्य दि.१.८.२००५

५.इन्दौर का नवनिर्मित माणिक बाग रेल्वे ओवर ब्रिज।

६.सर्वहारा नगर में ,जल जमाव के द्रश्य दि.१.८.२००५।

७.सुखलिया लवकुश अपार्टमेंट में ,जल जमाव के द्रश्य दि.१.८.२००५

स.ग्राम साका के कुछ चित्र ,जहां सिर्फ गांव के बाहर ही सफल प्रसूति होती है

८.ग्राम साका के उत्तर पूर्व में स्थित किवदंतियों से जुड़ा श्याम जी का मंदिर ,कुंआ ।

९.ग्राम साका के उत्तर पूर्व में स्थित किवदंतियों से जुड़ा स्थापत्य कला का श्याम जी का मंदिर।

१०.ग्राम साका के नैऋति में स्थित वह मवेशियो का कमरा सिर्फजिहां सफल प्रसूति होती है।

११.ग्राम साका के ईशान की ओर पार्वति नदी।

द.कुछ गतिविधियां।

१२.गुरूदेव श्री निकेतन आनंद जी गौड़ के साथ ॐकारेश्वर शैक्षणिक भ्रमणा का एक क्षण मां नर्मदा के जल पर दि.१२.०४.१९९८

१३.मानव संसाधन विभाग म.प्र. शासन व तकनिकी संचालनालय भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में "२१ वीं सदी में तकनिकी शिक्षा (चुनौतियां व तकनिकी व्युह संरचना) "विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रिय संगोष्ठि में गुरूदेव श्री निकेतन आनंद जी गौड़ " Panel Discussion "सत्र में सुझाव प्रस्तुत करते हुए।

१४.सीईपीआरडी संस्था संस्था द्वारा "इन्दौर की विकास योजना पर"आयोजित प्रदर्शनी में माननीय सांसद एवं पूर्व केन्द्रिय मंत्री श्रीमतिसुमित्रा महाजन व श्री कैलाश विजयवर्गी तत्कालीन महापौर इन्दौर व
संस्था के श्री सुधीर मिश्रा व श्री बट्टानी के साथ अवलोकन करते हुए।

१५.इन्दौर शहर के एम.टी.एच. कंपाउंड का लाल अस्पताल,जिसे तोड़कर अब बी.ओ.टी. के आधार पर बहुमंजिला भवन बनाया गया है।

इ.शोध पत्र प्रस्तुति एवं लघु शोध प्रबंध भेंट।

१६.जबलपुर में महर्षि महेश योगी वैदिक वि.वि. म.प्र. द्वारा"Research in Vedic Scince Through The Window Of Morden Scince"विषय पर आयेजित अंतर्राष्ट्रिय संगोष्ठि में ए.के कौशिक(स्वयं) द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र/लेख' दि.०७.०८.१९९७

१७.महर्षि महेश योगी वैदिक वि. वि. म.प्र. के इन्दौर परिसर में "वर्तमान परिवेश में महति आवश्क ता स्थापत्यवेद "विषय पर आयोजित संगोष्ठी में श्री अशोक पटेलजी निर्देशक ,श्री गौड़ ,श्री शशिन्द्र सिंह व अन्य /दि.०७.०१.१९९७।

१८.मानव संसाधन विभाग म.प्र. शासन व तकनिकी संचालनालय भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में "२१ वीं सदी में तकनिकी शिक्षा (चुनौतियां व तकनिकी व्युह संरचना) "विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रिय संगोष्ठि में ए.के कौशिक(स्वयं) शोध पत्र पढते हुए। दि.१०.०१.१९९८

१९.नगर निगम ,हुडको तथा सीईपीआरडी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में "इन्दौर नगरीय समस्यायें व सतत विकास "विषय पर आयेजित अंतर्राष्ट्रिय संगोष्ठि मेंश्री ए.के कौशिक(स्वयं) द्वारा आचार्य पाठ्यक्रम में किये इन्दौर निवेश क्षेत्र का स्थापत्यवेद के सिद्धांतों से विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर किये लघु शोध प्रबंध पत्र की प्रति माननीय श्री जगमोहन तत्कालीन केन्द्रिय नगरीय प्रशासन मंत्री को गुरूदेव के साथ जाकर भेंट करते हुए। दि.०४.११.२०००।

....

इन्दौर शहर के विकास व संरचनाओं कुछ विहंगम दृश्य

स्रोत– नईदुनिया इन्दौर

१ इन्दौर का नव विकसित बाम्बे हास्पिटल क्षेत्र का एक विहंगम दृश्य



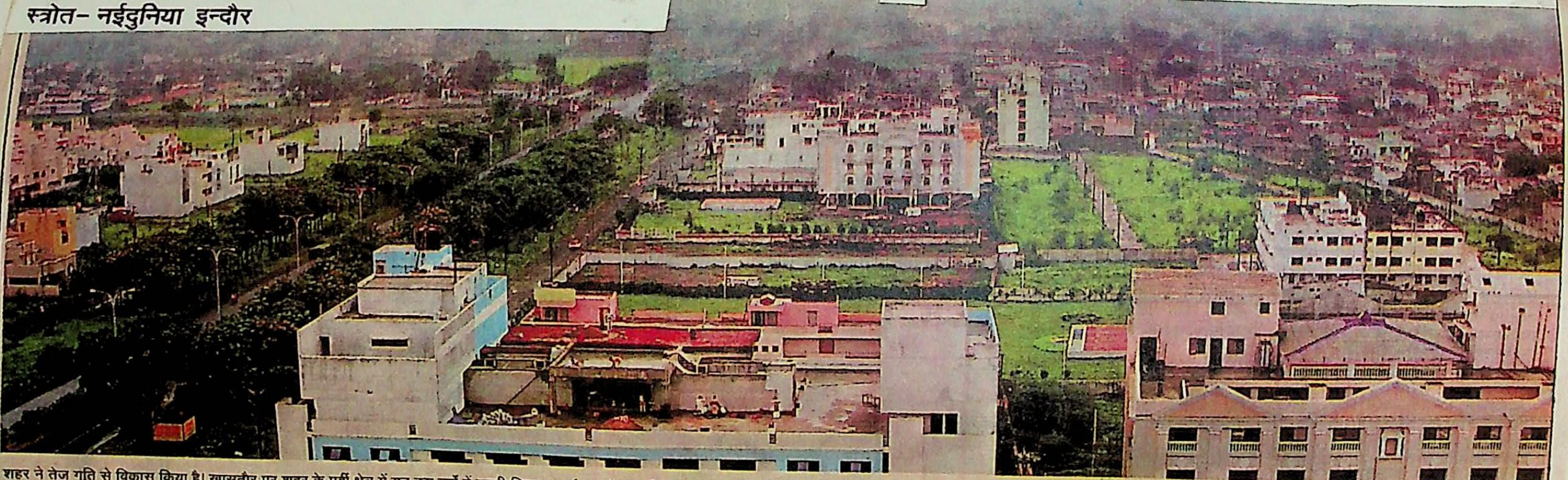
२ यह दृश्य है इन्दौर के नवनिर्मित बाय पास

३ जल भराव क्षमता आधी हो

इन्दौर शहर के विकास व संरचनाओं कुछ विहंगम दृश्य

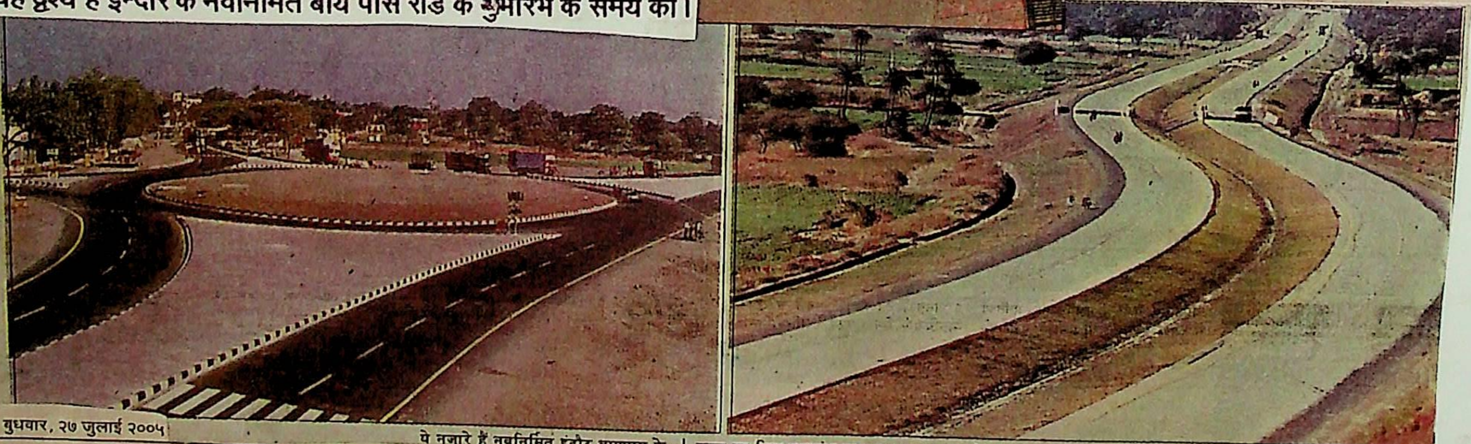
स्त्रोत- नईदुनिया इन्दौर

१ इन्दौर का नव विकसित बाम्बे हास्पिटल क्षेत्र का एक विहंगम दृश्य



शहर ने तेज गति से विकास किया है। खासतौर पर शहर के पूर्वी क्षेत्र में गत दस वर्षों में काफी विकास कार्य हुआ है। यह चित्र बॉम्बे हॉस्पिटल की छत से लिया गया है जिसमें रिंग रोड व आसपास हुए निर्माण कार्यों को साफ देखा जा सकता है। छाया : उमेश आर. त्रिवेदी

२ यह दृश्य है इन्दौर के नवनिर्मित बाय पास रोड के शुभारंभ के समय का।



बुधवार, २७ जुलाई २००५

ये नजारे हैं नवनिर्मित इंदौर बायपास के...! ऊपर का चित्र शुभारंभ स्थल पर बनाए जा रहे मंच का है।

३ इन्दौरके प्राचीन यशवंत सागर में गाद जमा हो जाने से जल भराव क्षमता आधी हो चुकी है।



सावन के महीने में यशवंतसागर की यह स्थिति है।

इंदौर में वर्षा का कहर, ९ मरे

इंदौर १ अगस्त (नगर प्रतिनिधि)। रविवार को देर रात से सोमवार की सुबह तक हुई तेज बारिश ने इंदौर के कई क्षेत्रों में कहर ढाया। १२ हजार से ज्यादा लोगों को ऊंची जगहों पर आकर शरण लेनी पड़ी। पानी के तेज बहाव और नाले की पाल धंसने से शहरी क्षेत्र में ४ और ग्रामीण क्षेत्र में ५ लोगों के मरने की खबर है। खासकर निचली बस्तियों में पानी ने ज्यादा कहर बरपाया और तड़के ३ बजे से सुबह के १० बजे तक कोहराम की स्थिति बनी रही। सैकड़ों मकान नष्ट हुए हैं। कई लोग घायल हुए हैं। इंदौर के पास खुड़ैल के नाले में आई बाढ़ से एक महिला व उसके तीन बच्चे बह गए। कोदरिया गांव में एक मकान की दीवार गिर जाने से एक महिला की मृत्यु हो गई।

स्त्रोत– नईदुनिया इन्दौर

इन्दौर शहर के विकास व समस्याओं के कुछ विहंगम दृश्य

४ मोती तबेला, ६. हरसिद्धि में क्षेत्र जल जमाव के दृश्य दि. १.८.२००५



मोती तबेला, हरसिद्धि, [illegible] नगर, पुखलिया लवकुश अपार्टमेंट क्षेत्र में जल जमाव
[illegible] दि. १.०८.२००५

५ इन्दौर का नवनिर्मित माणिक बाग रेलवे ओवर ब्रिज।



माणिकबाग रेलवे ओवरब्रिज का 14 मार्च को लोकार्पण



७ पुखलिया लवकुश अपार्टमेंट में, जल जमाव के दृश्य दि. १.८.२००५





६ [illegible] नगर में, जल जमाव के दृश्य दि. १.८.२००५

इंदौर में वर्षा का कहर, ९ मरे

इंदौर १ अगस्त (नगर प्रतिनिधि)। रविवार को देर रात से सोमवार की सुबह तक हुई तेज बारिश ने इंदौर के कई क्षेत्रों में कहर ढाया। १२ हजार से ज्यादा लोगों को ऊँची जगहों पर आकर शरण लेनी पड़ी। पानी के तेज बहाव और नाले की पाल धँसने से शहरी क्षेत्र में ४ और ग्रामीण क्षेत्र में ५ लोगों के मरने की खबर है। खासकर निचली बस्तियों में पानी ने ज्यादा कहर बरपाया और तड़के ३ बजे से सुबह के १० बजे तक कोहराम की स्थिति बनी रही। सैकड़ों मकान नष्ट हुए हैं। कई लोग घायल हुए हैं। इंदौर के पास खुड़ैल के नाले में आई बाढ़ से एक महिला व उसके तीन बच्चे बह गए। कोदरिया गाँव में एक मकान की दीवार गिर जाने से एक महिला की मृत्यु हो गई।

स्त्रोत–नईदुनिया इन्दौर

इन्दौर शहर के विकास व समस्याओं के कुछ विहंगम दृश्य

४ मोती तबेला, ६.हरसिद्धि में क्षेत्र जल जमाव के दृश्य दि.१.८.२००५

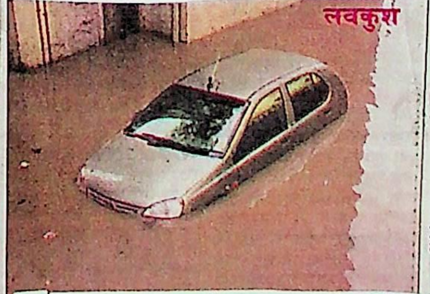


मोती तबेला ,हरसिद्धि, सर्वहारा नगर ,सुखलिया लवकुश अपार्टमेंट क्षेत्र में जल जमाव के दृश्य दि. १.०८.२००५

५ इन्दौर का नवनिर्मित माणिक बाग रेल्वे ओवर ब्रिज।



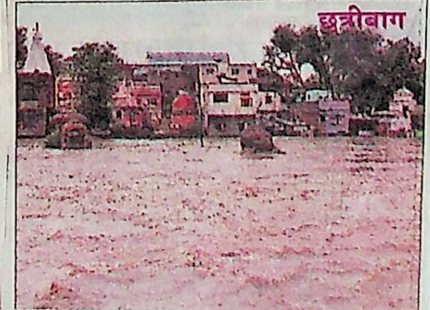
माणिकबाग रेलवे ओवरब्रिज का 14 मार्च को लोकार्पण



७ सुखलिया लवकुश अपार्टमेंट में, जल जमाव के दृश्य दि.१.८.२००५



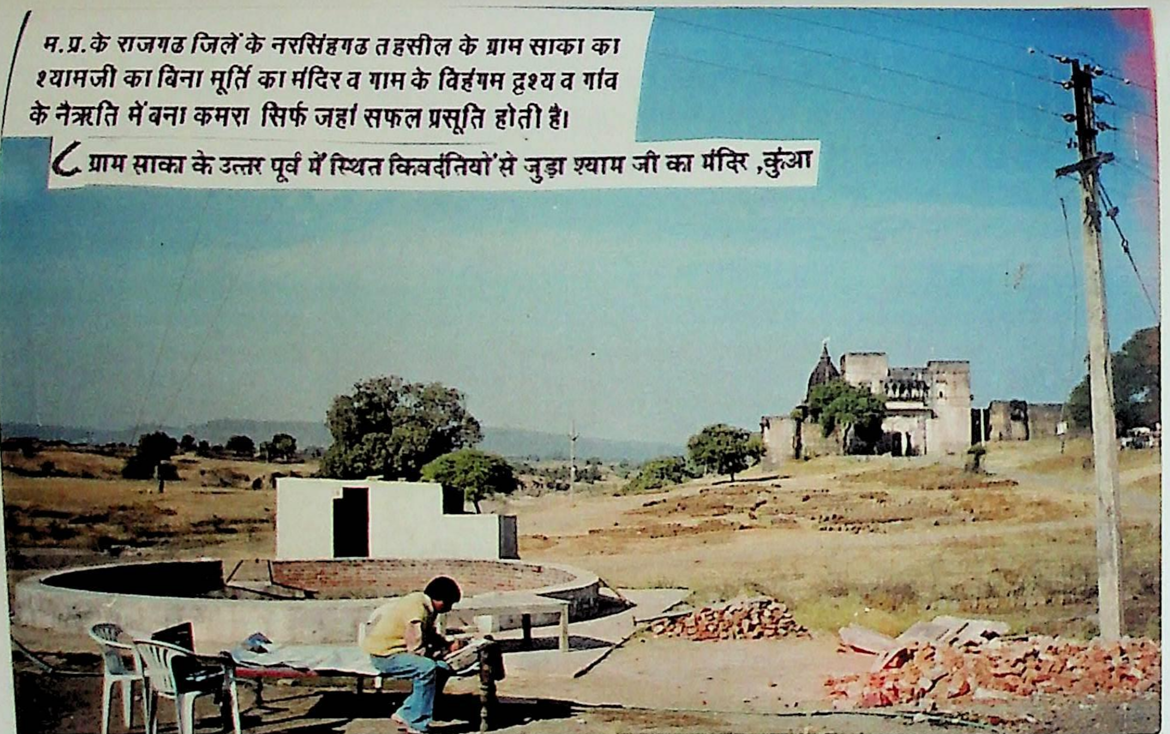
६ सर्वहारा नगर में, जल जमाव के दृश्य दि.१.८.२००५।





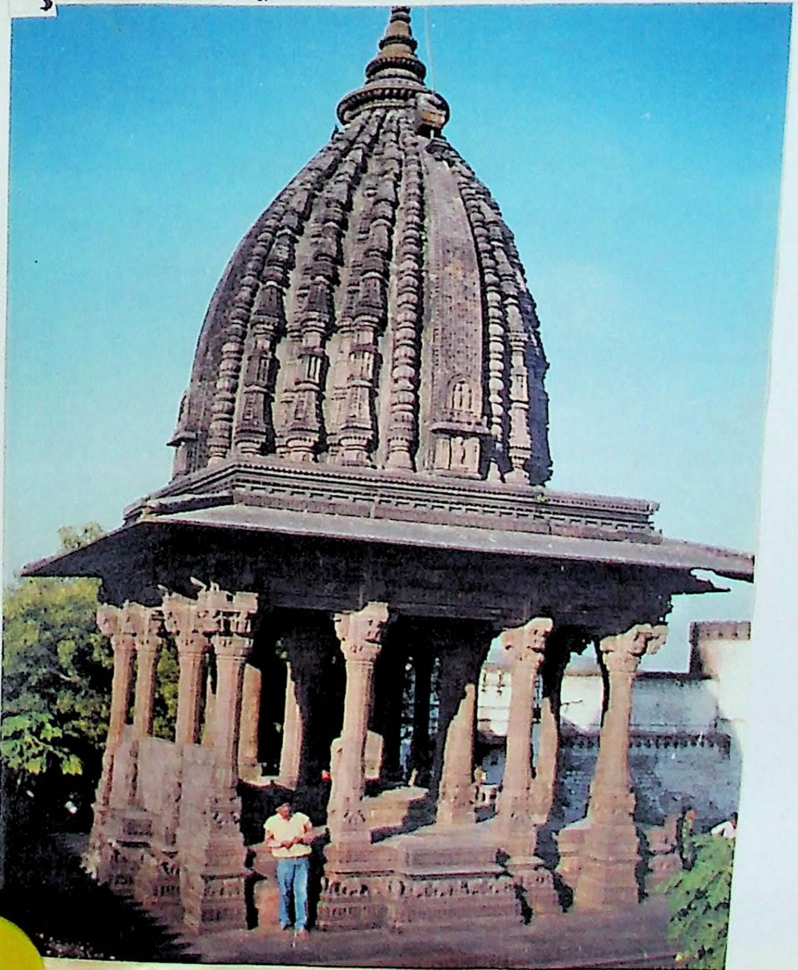


म.प्र.के राजगढ जिलें के नरसिंहगढ तहसील के ग्राम साका का श्यामजी का बिना मूर्ति का मंदिर व गाम के विहंगम दृश्य व गांव के नैऋति में बना कमरा सिर्फ जहां सफल प्रसूति होती है।

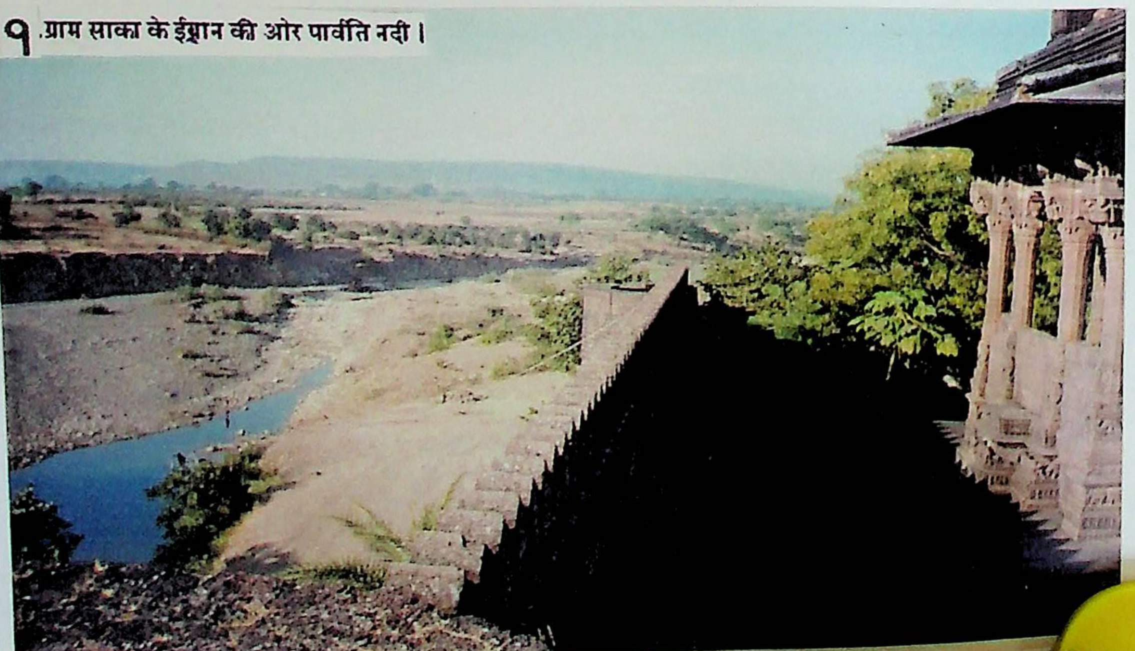


८ ग्राम साका के उत्तर पूर्व में स्थित किवदंतियों से जुड़ा श्याम जी का मंदिर ,कुंआ

१० .ग्राम साका केनैऋति में स्थित वह मवेशियो का कमरा सिर्फजिहां सफल प्रसूति होती



९ .ग्राम साका के उत्तर पूर्व में स्थित किवदंतियों से जुड़ा स्थापत्य कला का श्याम जी का मंदिर



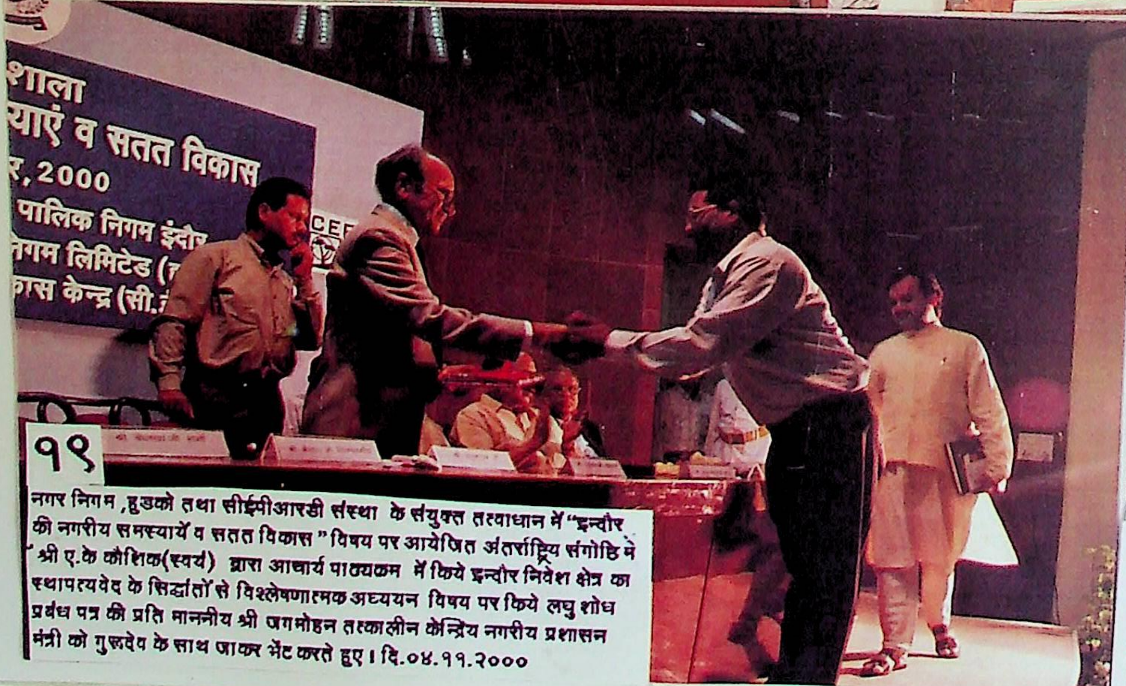
११ .ग्राम साका के ईशान की ओर पार्वति नदी।

१६ महर्षि महेश योगी वैदिक वि. वि. म.प्र. द्वारा "Research in Vedic Scince Through The Window Of Morden Scince" विषय पर आयेजित अंतर्राष्ट्रिय संगोष्ठि में शोध/लेख ए.के कौशिक(स्वयं) पढते हुए। दि.०७.०८१९९

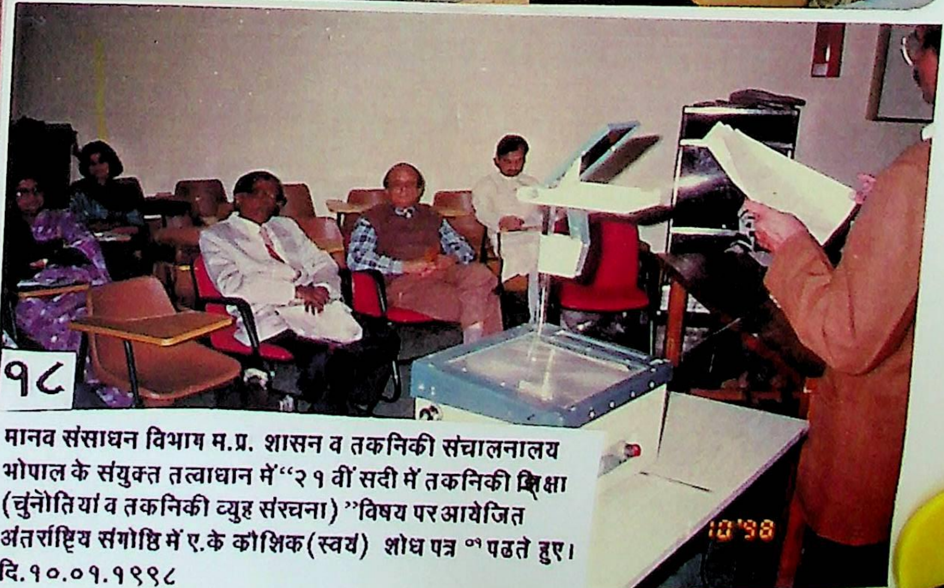


१७ महर्षि महेश योगी वैदिक वि. वि. म.प्र. के इन्दौर परिसर में " वर्तमान परिवेश में महति आवश्क ता स्थापत्यवेद" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में श्री अशोक पटेलजी निर्देशक ,श्री गौड ,श्री शशिन्द्र सिंह व अन्य /दि.०७.०१.१९९७



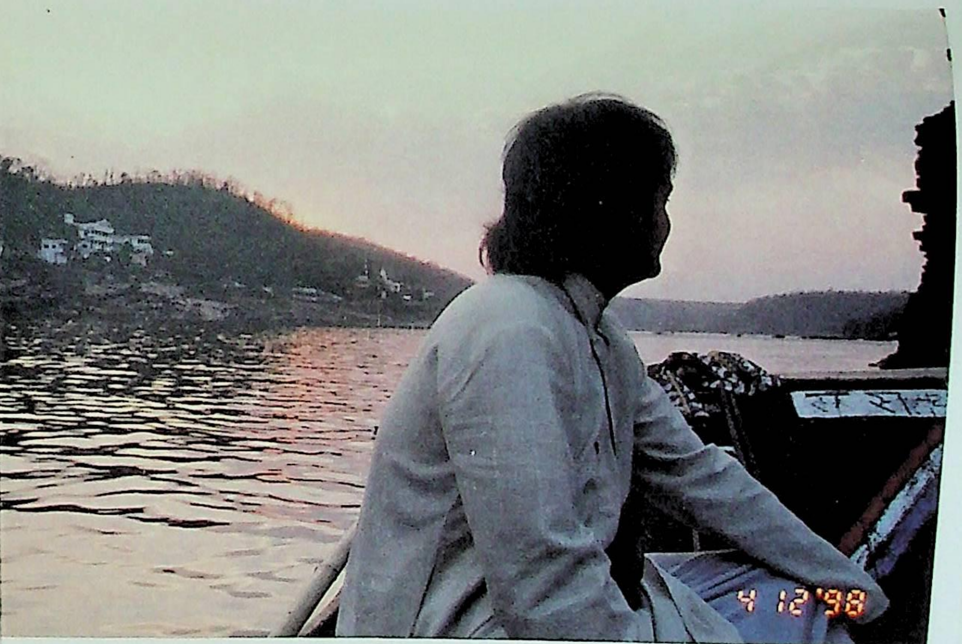


१९ नगर निगम ,हुडको तथा सीईपीआरडी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में "इन्दौर की नगरीय समस्यायें व सतत विकास" विषय पर आयेजित अंतर्राष्ट्रिय संगोष्ठि मे श्री ए.के कौशिक(स्वयं) द्वारा आचार्य पाठ्यक्रम में किये इन्दौर निवेश क्षेत्र का स्थापत्यवेद के सिद्धांतों से विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर किये लघु शोध प्रबंध पत्र की प्रति माननीय श्री जगमोहन तत्कालीन केन्द्रिय नगरीय प्रशासन मंत्री को गुरुदेव के साथ जाकर भेंट करते हुए। दि.०४.११.२०००



१८ मानव संसाधन विभाग म.प्र. शासन व तकनिकी संचालनालय भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में "२१ वीं सदी में तकनिकी शिक्षा (चुनोतियां व तकनिकी व्युह संरचना)" विषय पर आयेजित अंतर्राष्ट्रिय संगोष्ठि में ए.के कौशिक(स्वयं) शोध पत्र [०१] पढते हुए। दि.१०.०१.१९९८

१२ गुरुदेव श्री निकेतन आनंद जी गौड़ के साथ ॐकारेश्वर क्षेक्षणिक भ्रमण का एक क्षण माँ नर्मदा के जल पर/दि.१२.०४.१९९८

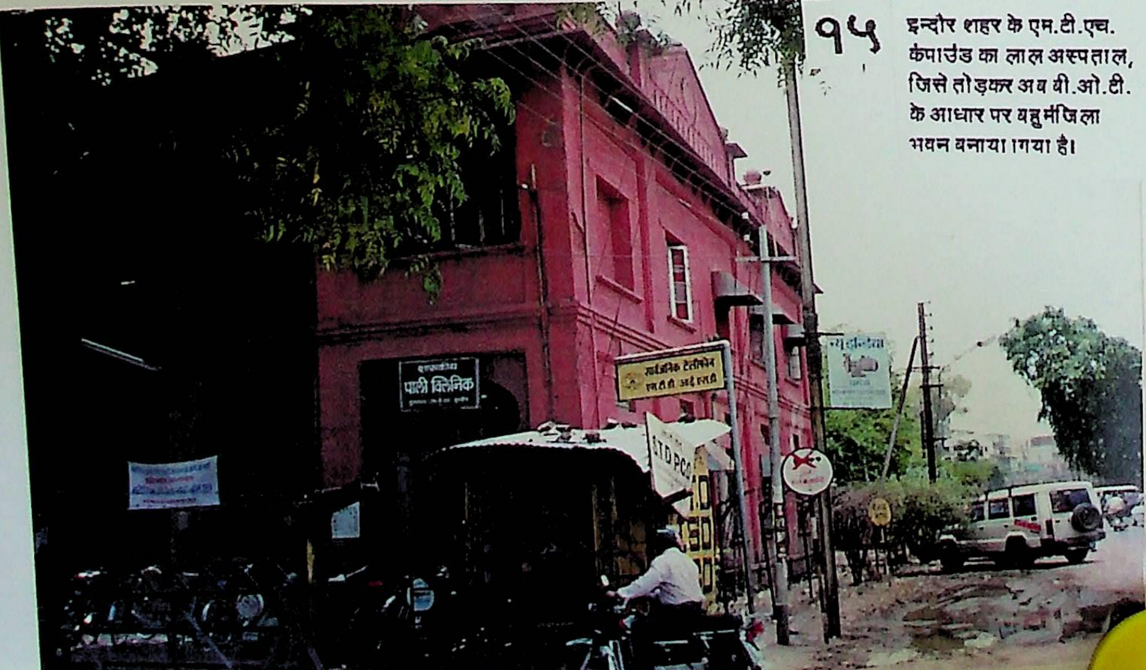




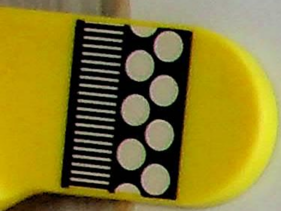
१३ मानव संसाधन विभाग म.प्र. शासन व तकनिकी संचालनालय भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में "२१ वीं सदी में तकनिकी शिक्षा (चुनौतियां व तकनिकी व्युह संरचना)" विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रिय संगोष्ठि में गुरुदेव श्री निकेतन आनंद जी गौड़ "Panel Discussion" सत्र में सुझाव प्रस्तुत करते हुए। भोपाल १०.०१.१९९८



१४ सीईपीआरडी संस्था संस्था द्वारा "इन्दौर की विकास योजना पर" आयोजित प्रदर्शनी में माननीय सांसद एवं पूर्व केन्द्रिय मंत्री श्रीमति सुमित्रा महाजन व श्री कैलाश विजयवर्गी तत्कालीन महापौर इन्दौर व संस्था के श्री सुधीर मिश्रा व श्री गह्वानी के साथ अवलोकन करते हुए।



१५ इन्दौर शहर के एम.टी.एच. कंपाउंड का लाल अस्पताल, जिसे तोड़कर अब बी.ओ.टी. के आधार पर बहुमंजिला भवन बनाया गया है।



शोध पत्र,

समाचार पत्र कतरनें,

लेख व पत्रादि

(खण्ड)

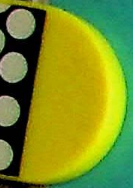


शोधपत्र,

समाचार पत्र कतरनें,

लेख व पत्रादि

(खण्ड)



शोध –पत्र, समाचार पत्र कतरनें, लेख व पत्रादि की सूची

क्र. विवरण / विषय / शीर्षक

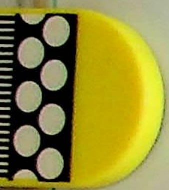
अ. शोध पत्र:–

१.Construction as per Sthapatyaved (Vaastu) in the Field of modern civil Engineering.
२.स्थापत्यवेद (वास्तुशास्त्र) से नगरों /ग्रामों का नियोजन व समस्याओं का समाधान।
३अग्निहोत्र के लाभव उसका वैज्ञानिक द्रष्टिकोण ।

ब. समाचार पत्र कतरनें :–

१.नईदुनिया इन्दौर /दि.३१.०७.०३ / कभी एक नगर या उपनगर तो स्थापत्यवेद के अनुसार बसायें।
२. नईदुनिया इन्दौर /दि.१९.०७.०३ /भूमाफियाओं के हित में बनी योजना !
३. नईदुनिया इन्दौर/दि.१८.०६.०४ / दांगी सेमल्या में ग्रामीणों नें पैंतिस तालाब खुदवाये।
४.नईदुनिया इन्दौर/दि.०१.०६.०३ / कमाल का सरपंच,एक गांव में ६२ तालाब ,लोटिया जुनार्दा (उज्जैन)।
५.नईदुनिया इन्दौर/दि.१३.०७.०५ / तालाब की लहरों पर तैर रहा है एक सपना ,मेलकलमा(सांवेर)।
६.नईदुनिया इन्दौर/दि.१३.०६.०५ / यशवंत सागर में उभर आयें है मिट्टी के टीले !
७.नईदुनिया इन्दौर/दि.१५.०७.०५ / जल संवर्धन व संरक्षण कार्यों पर अब तक ७.३२करोड खर्च।
८.नईदुनिया इन्दौर/दि.११.०७.०५ / वर्षा जल संरक्षण के लिये एक हजार करोड की योजना।
९.नईदुनिया इन्दौर/दि.२३.०६.०३/ पांचो नदियों को पुनर्जीवित करने के लिये जन आंदोलन।
१०.नईदुनिया इन्दौर/दि.१३.०६.०५/ अठारह तालाबों से इन्दौर तक पानी लाने की योजना पर सभी सहमत
११.नईदुनिया इन्दौर/दि.११.०७.०५/ प्रदेश की पहली गौ शाला जिसे चला रही है गामीण महिलायें।
१२.नईदुनिया इन्दौर/दि.११.०७.०५/ एक आदमी ,एक पत्थर नतीज एक स्टाप डेम।
१३.नईदुनिया इन्दौर/दि.११.०७.०५/ भारत की नदी जो योजना पर पुनर्विचार की जरूरत एवं प्रस्तावित अंतर बेसिन जल अंतरण लिंक।
१४.नईदुनिया इन्दौर/दि.११.०७.०५/ नर्मदा से डाला जाय क्षिप्रा में पानी,पुनर्जिवत हो सकती है,क्षिप्रा।
१५.।.नईदुनिया इन्दौर/दि.१४.०२.०६/रतनगढ(जिला नीमच)के किले में थी वर्षा जल संचयन की श्रेष्ठ तकनीक।
१६.नईदुनिया इन्दौर/दि०८.०२.०६/ कोटिया नाला (जिला सीहोर) से कोटिया आंवले तक ।
१७.नईदुनिया इन्दौर/दि.११.०७.०५/नईदुनिया इन्दौर/सौर उर्जा से रोशन गांव नहीं ,जिंदगीयां भी है रोशन।
१८.नईदुनिया इन्दौर/वर्ष २००५–०६/ केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाये व आबंटित राशी/परमाणु उर्जा।
१९.नईदुनिया इन्दौर/दि.११.०७.०५/नईदुनिया इन्दौर/८० करोड लागत की इंडस्ट्रीयल वॉट्र सप्लाय योजना का कार्य शीघ्र शुरू होगा।
२०. नईदुनिया इन्दौर/.दि.११.०७.०५/१४ लाख सिंचाई पंपों को दी जा रही है २८०० मेगावाट बिजली।
२१.नईदुनिया इन्दौर/दि.१४.०२.०६/नईदुनिया इन्दौर/४००० मेघावाट का अल्ट्रा– मेघा पावर स्टेशन बनेगा सासन जिला सीधी में ।
२२. नईदुनिया इन्दौर/वर्ष २००५–०६/ इन्दौर शहर की समस्याये व अन्य गतिविधियां।
२३. नईदुनिया इन्दौर/दि.२३.०२.२००१/पूर्व केन्द्रीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री जगमोहन का इन्दौर आगमन व शोध प्रबंध की प्रति भेंट ।
२४.नईदुनिया इन्दौर/वर्ष २००५–०६/महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्र के विकास हेतु आव्हान ।
२५.नईदुनिया इन्दौर/दि.२३.०२.२००१/वेदों की शून्य आधारित गणना प्रणाली से उर्जा समस्या का हल संभव
२६.नईदुनिया इन्दौर/वर्ष २००५–०६/इन्दौर के लिये स्वीकृत /भावी योजनायें व धनराशी –१।

.....2



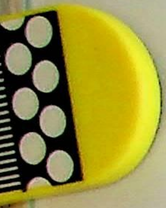
स. लेख:-

१. स्थापत्यवेद (वास्तुशास्त्र)का सामजिक जीवन पर प्रभाव। दि. १९.१२.१९९८
२. समरांगण-सूत्रधार में वर्णित एकाशिती पद वास्तु विन्यास की उपयोगिता व वैज्ञानिक अवधारणा। दि १७.०४.१९९९
३. अग्निहोत्र के लाभ व उसका वैज्ञानिक द्रष्टिकोण। दि. १९.०१.२०००

द. पत्रादि :-

१. संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर का पत्र क्र. ५०७६/१९.१२.०२ जिसके साथ इन्दौर वर्धित निवेश क्षेत्र ग्राम सीमा दर्शाने वाला नक्शा मा.क्र.०१ दिया गया था।
२. संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर एवं विकास समिति के संयोजक व माननीय सभी सदस्यगण को दि. २६.०७.०३ को , उपांतरित इन्दौर विकास योजना २०११ (प्रारूप) में आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने बाबत।
३............. तदैव .... दि. ३०.०९.०३ को . उपांतरित इन्दौर विकास योजना २०११ (प्रारूप) में आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने बाबत।
४. सक्षम अधिकारी शासकीय सर्वे आफ इंडिया नर्मदा भवन टीटी नगर भोपाल को प्रेषित पत्र दि. २६.०४.०५ विद्यावारिधि मे शोध कार्य के लिये , इन्दौर क्षेत्र के मानचित्र देने बाबत।
५. दक्षिण एशियाई देशों के महापोरों के सम्मेलन में डा सतीश चन्द्र राय अध्यक्ष अखिल भारतीय महापौर परिषद व महापौर लखनउ को का दि. २७.०७.०३ को, पूरे देश में नगरीय निकायों के लिये, भारतीय संविधान के ७४ वे संशोधन के तहत एक कानून बनानें के मसौदे में स्थापत्यवेद (वास्तूशास्त्र) के ज्ञान को समाहित कराने हेतु प्रस्ताव , संबंधि दिया गया पत्र।

....



अांख पत्र - 01

TECHNICAL EDUCATION IN THE 21st CENTURY

Challenges and Strategies in the Global Perspective

I C T E-21

Proceedings of the International Conference

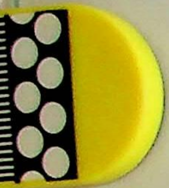
held at

Maulana Azad College of Technology, Bhopal, India

January 8-10, 1998

Organised by

Directorate of Technical Education
Department of Manpower Planning,
Government of Madhya Pradesh, Bhopal - 462004, India



Construction as per Sthapatyaved (Vāstu) in the field of Modern Civil Engineering

Kaushik Ashok Kumar, B.E. (Civil)
AE, MPEB, Indore Student in Sthapatyaved at
Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, Indore.

Guide
Niketan Anand Gaur
Director
Sthapatyaved (Vastu Shastra)
Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, Indore.

Introduction :

Since times immemorial Building Construction in India has played an important role. In ancient India it was deep rooted and the art was popularly known as Sthapatyakala based on the relic Sthapatyaved. Out of the four Vedas or relic one Atharvaved is primarily concerned with Sthapatyaved which in turn become upved. Ved means 'Complete and perfect knowledge' which is Eternal 'Apaurusheya'. Thereafter nothing more is left to be learnt. Besides Atharved, Rikved, Samved and Yajurved are the other Vedas, i.e. the "global knowledge". As stated before through the vedas we get complete knowledge and information of what has happened in the universe, what is happening and what is going to happen in future. The four vedas six Vedang, six Upang, six Upvedas, six Ayurvedas and six Prati Sankhya all these forty regions and books provide us the knowledge of Maharshi Ved Vigyan. All these books and volumes are written in Sanskrit language which is the mother of all languages of the world. We find that most of the languages originate from Sanskrit known as "Deva Bhasha" i.e. pronouncement of God. All the energy is drawn from nature and it ends in Nature. :Nature comprises mainly of five elements viz. Water, Sky, Air, Earth and Fire, i.e. **Panchtatvas**. We get graphic description of movable and immovable things in 'Vedic Vangmaya". Ved is imbibed in our soul. It is in our body. Ved, Rishi and Devta are codes of our pious life.

In the universe th e Sun, the Moon, the planets, the stars, galaxy and the earth all these form the area of Sthapatyaved. In the modern age development in the field of technical subjects and Civil Engineering allow us to go into the experience of past few years but we do not know about the area where the



Sthapyaved. According to vedic system and expert and successful consultant (Sthapati) should possess the four qualities of devotion, sincerit.y activity and knowledge of Shastras (Shastra, Karma, Prajna, Sheel).

A Consultant should have knowledge of eight things viz. Drafting, Artistry, Lekhya Jat, Lekhya Karma, Rajkarm, Carpentry, Colour Scheme, Workmanship, Stone, Carving, Gold and Silver art, and architecture. In any construction a shape of desired kind can be given fromthe above eight consistants. The modern Civil Engineering System tells about the method of construction but it does not take into consideration the results as also, when and how the construction should take place. The absence of this knowledge is evident and the answer to these shortcomings, is provided by 'Maharshi Sthapatyaved'. The people do not know the consequences of living and using the houses built without consideration of natural aspects and as a result problems arise due to natural calamities. The global atmosphere is affected by various aspects of sun, moon, stars and nakshatras likewise each house, building, city, state and the country are also governed to the atmospheric changes of global system. This is the reason that although modern science has developed and discovered several amenities in life yet we do not have the 'satisfaction and peace of mind' which is very essential for happiness of human beings. There is a saying that our soul will be affected by the Food we eat. If we live in a good, natural and auspicious house ourbody and mind will will be likewise. The importance of land and the values of construction can not be.ignored to secure energies of nature.

Sthapatyaved is the essence of the long enduring efects of deep study and experience on the research carried out by Gurudeo Niketanandjee Gaur on the principles enunciated by Maharshijee. The entire subject has been described in many ancient Sanskrit texts as Samarangan Sutradhar (Bhawan Nivesh), Mansara, Vishvakarma Prakash etc.

These texts provide the knowledge of orientation, construction upto 12 storied buildings, internal and external decoration of buildings and construction of the villages, cities, states or the country. In the writing 'Essence of Measurement', detailed description has been provided and scientific approach given on the subject. In the book Samrangana Sutradhar various aspects of construction have been discussed in the form of questions and answers on mountains, rivers, sun, moon, planets, galaxy, island etc. as enunciated by modern science. The Shastras contain varied knowledge about vegetation, qualities of herbal medicines, categories of land, knowledge of advance study of Agriculture. The factual study and research

provide high technical understanding of the natural gifts and merits of systematic construction.

The Western Education has made us **"Jack of all and Master of none"** while our Vedic Educational System teach us expertise knowledge of Shastra. The gurukul education prevelent in ancient times dealt with Astrology. Astronomy, Life Science, Psychology, Phylosophy, Botany, Zoology, Samudric Shastra etc. total knowledge with wholistic approach.

Principles of Modern Civil Engineering

The knowledge of Modern Civil Engineering is also incomplete. It is fortune of the country that our thinkers and vetern educationists evolved the technique of Building Construction and introduced Vastu Shanti Pooja, Chaukhat Pooja and the marriage system in the form of Sixteen Sanskar (Shodash Sanskar). In order to eliminate natural calamities religious Sentiments were invoked and marriage formed one of the important religious sacred duty of a human being. The sacred prayers were offered which saved the humanity from deterioration.

The present day scientists consider Civil Engineering as an education of Commonsense. General Knowledge means a renovation of consciousness. The techniques of construction plinth, conjugation by stone cement & bricks R.C.C. and P.C.C. theory Bridge Construction and other similar systems were shown but it was not indicated **'when & where'** the implementation should be done. The average longivity of R.C.C. construction 15 storied building has been constructed as 100 years but the global consideration of energy and natural calamities were not taken into account for buildings overed 12th story. The system of adjustment and its techniques have not been shown. In our country minerals and vegetation used in medicines are available in abundance. Simply we have to dig out the natural resources and adjust them in modern scientific vedic way to make use of them properly so as to give good results. Solar energy is regarded as a non-customary source while in fact it is the most customary energy source of our times. The entire education system is basically faulty, valueless and obselete. This is throwing a challenge to the fire which broken 15 lac acre of land in Indonasia and the earthquake and fire which broke out and covered a long area of Jabalpur Division of Madhya Pradesh. Thus, this is an open challenge to modern technology by the nature.

Comparative Study

It is rather a difficult task to compare the modern Civil Engineering or technical education with Sthapatyaved in the context of globle situation as the comparison can be made in two similar positions. In modern science first of all the capacity of soil to bear the burden is to be tested and then the classification is to be done while in Sthapatyaved the exist of a person in a good period or time is a starting point and then selection of the soil comes in. The vegitation, examination of colour,smell, taste, physical qualities and use of land are the other factors which are taken into account. In the building techniques of modern age taking an average of hundred years as the survival of the construction new experiments are taken of but it is not indicated as to when the construction should start and where it is to start and what type of orientation should take place. No head is given to the person for whom the construction is being made and whether it will be proper in the natural course with reference to the planning in the city, town, roads,drainage and importance in the scientific manner with **North Pole.** Attention is not given to the natural solar energy and its **Consequentional effects** while in Sthapatyaved all these considerations play a very prominant role. Likewise here we give weight to the profession of the person, the utility of the place, the colour scheme, the norms of internal decoration etc. This is the reason that construction last for more than several hundred years in the form of temples, palaces, forts giving a par excellance value as compared to the modern construction. We find excellent type of fine arts and handicrafts. These things can further be improved with computer graphics and new technical ways from the stage of laying of foundation stone to that of Grih Pravesh and Vastushanti, scientific study is not provided by the modern Architects. While all these are of utmost importance from the point of view of Sthapatyaved. It will be worthwhile for modern architects to go into the details of natural phenomena, solar energy etc. as enunciated the Shastras and Vedas for the better and happy living of human beings in the huge construction taking place for the betterment of societies these considerations must be adhered to. The Psychological efects get proper response to the construction done exactly on the lines envisaged in Sthapatyaved.

Perfection & Importance of Sthapatyaved

The aforesaid study of modern technique as also Sthapatyaved reveal that the later system is by far definitely best and it should receive recognition from the society, for the betterment of life of the citizens. It is more scientific, authentic and

supported by shastras and vedas. From the stage of site selection, soil selection till the stage of occupation at every stage it is benevolent and perfect. The superiority is established because it attaches due importance to the time, place and position of construction.

Scientific Analysis of Perfection

In this context of effects in the universe created by sun, moon, the various planets the galaxy, stars all play a pivotal role in the construction of houses, cities, villages and various buildings. The nature and energy derived from it, the solar system further enlightents our destiny. The nature comprises of solar energy, the rays, light the magnatic power, the 32 Vastupad Vinyas, the 12 Suns (Dwadash Adityas), their various positions, the 49 airs (49 maruts) and its effects, 16 kinds of Agni (fire), the various powers of Goddess Durga, Saraswati, Laxmi and the daitees. All these powers affect the situation and thus the supermacy of Sthapatyaved is fully established. In our Indian Systems the different festivals are also based on perfect scientific systems. In order to abolish the insects generated during rains and in order to clean the atmosphare the festival of Diwali has been introduced. The cleaning white washing and colouring all these have a scientific effect and enrich our belief in vedic study.

Solution

A deep study on the practical aspect of vedic education can be a solution to all these problems which are facing the modern engineering system with small adjustments. The Maharishi Vedic Vishwavidyalaya is prepared to train the modern engineers in the systematic and scientific study of vedic Sthapatya which will add to their skill and competency as also this will give chance to them to cover up the natural calamities. In consequence the life of the citizen, will be happy and the society will prosper due to cultural heritage and vedic education.

Results

Due to the study of Sathapatyaved in Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya & observations in the field, the experience which I gathered, I may submit the following in an humble way -

1. In buildings when toilet has been constructed in north east corner the most of the occupents remain ill for most of the time.

2. When water resources is in South East, the possibilities of sickness of young boys are more.

3. Meals should be taken on Western side facing the mouth in Eastern direction.

4. When marriagable daughters are kept in North West region one gets enormous help as a natural consequence in the marriage. Also touring personal get enormous advantage on the basis of horoscope.

5. We should sleep keeping our head in eastern side and legs towards western direction.

For leading a non problematic life a person practising **'Transcendental meditation'** gets many advantages and desired results. In meeting with the challenges of 21st century it is very necessary to take education in Maharishi Vedic Institutions and improve our life style to cope up with the situation facing in the country. We should whole heartedly support the mission of Maharshi Mahesh Yogijee to rejovinate our culture and stand in a better way in the society of the world. The country should be able to identify itself in the community of nations to provide leadership and that is only possible if we develop faith in the vedic system of life. Our Shastras provide enough material for the betterment of our countrymen and we should not lag behind to establish our identity with the super knowledge we are likely to possess.

Therefore to meet the challenges we are going to face in 21st Century where the knowledge is going to be considered as **'POWER'**. We should make our knowledge complete and wholistic by including knowledge of Sthapatyaved in our modern civil engineering to make it more complete to provide perfect mental and physical health with full of bliss which has already been accepted by European and American countries as they are inviting to establish Institution of 'Vedic Science' in their countries.

-x-

530

स्थापत्यवेद (वास्तुशास्त्र) से नगरों/ग्रामों का नियोजन व समस्याओं का समाधान

✍ इं. अशोक कुमार कौशिक

प्रतिभारत, भारत जैसे विकासशील देश में धोसंरचना विकास व सुरक्षा के मद में अरबों रूपये र्च करने के बाद भी भीषण जलसंकट, प्रदूषण, तंकवाद एवं बढ़ता विदेशी कर्ज आदि समस्यायें रसा के समान बढ़ती जा रही है। जिसका मूल कारण कृति के नियमों अर्थात वेद के नियमों के विरूद्ध योजन हैं।

सम्पूर्ण विश्व ब्रह्मांड के पालकर्ता भगवान विष्णु मानव सहित सभी के कल्याण के लिये वेदों की चना कर ब्रह्माजी से कहा कि ये मेरे आप्त वचन वेद णी (ज्ञानकोष) के रूप में प्राणी मात्र के लिये वरदान एवं चारों वेदों में ऋग्वेद मानव को झुकना सिखायेगा; जुर्वेद मानव को बतायेगा कि मैं यज्ञ में निवास करता , जो परोपकार की शिक्षा देता है, सामवेद संगीत का भंडार, मन को मुग्ध कर देता है एवं अथर्ववेद नव जीवन की कठिनाइयों व परेशानियों का समाधान ने में पथ प्रदर्शक होगा। वेद हमारी आत्मा में समाहित वेद हमारे शरीर में है, वेद की ही हम अभिव्यक्ति वेद ऋषि, देवता व छन्द की संहिता है। ऋषि अर्थात , देवता याने जानने की क्रिया अर्थात माध्यम तथा का अर्थ है, जाना गया तथ्य का ज्ञान।

तिष्ठति इति स्था: तेषाम पति: इति स्थपति।

अर्थात एक स्थपति के लिये, कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि इस त्रि-आयामी जगत (लम्बाई, चौड़ाई व मौटाई युक्त) अर्थात जगत में जो भी वस्तु बैठती या जगह घेरती है वह सब स्थापत्यवेद का क्षेत्र है, चाहे सूई हो या नगर नियोजन। वर्तमान परिवेश में इस स्थापत्यवेद रूपी वृहद एवं अद्‌भुत ज्ञान में बताये गये सिद्धान्तों से, क्रियान्वयन करना दुश्कर हो सकता है असंभव नहीं हैं।

स्थापत्यवेद में सृष्टि निर्माण प्रारंभ सहित भूमि चयन करने के लिये, जाने के मुहूर्त से लेकर भूमि परीक्षा, शिलान्यास विधि, कीलक सूत्रपात, नगर व ग्राम नियोजन, एक से बारह तलों व शालाओं का विवरण, लाखों संज्ञाओं युक्त शहरों, भवनों के नाम, द्वार गुण दोष, गृह द्रव्य प्रमाण, काष्ठ कला, चय विधि (जुड़ाई), गृह दोष एवं उनका निरुपण, गृहशांति, बलि कर्म विधान सहित वास्तु पुरुष विकल्पन व वास्तु पद विन्यास आदि का विवरण मिलता है। इसमें प्रयोजन विशेष व व्यक्ति विशेष हेतु किस, देश-प्रदेश, शहर में उस संरचना को कहां, कब, कैसे प्रतिष्ठित करें व बनाने के बाद क्या परिणाम होगें, बताया गया है। जिसके समकक्ष सिविल इंजिनियरिंग का ज्ञान ३० प्रतिशत से अधिक मेरी राय में नहीं है। प्रकृति (पंच तत्वों) के अनुकूल सृजन की इस विद्या में ऊर्जा के श्रेष्ठ स्रोत सूर्य व उत्तरी ध्रुव के

आधार पर बने सिद्धान्तों में पूर्व दिशा में अधिक खुला स्थान रखना व २६ प्रकार के बताये प्लव में से कुछ ही शुभ क्यों है व दक्षिण पश्चिम में मोटी दीवार ईशान में पूजा, व आग्नेय में रसोई आदि बनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि ब्रह्मांड के परिपेक्ष्य में भू या भवन वास्तु को स्थान विशेष अथवा विभिन्न पद विन्यासों द्वारा समवर्ग टुकड़ों में विभक्त कर "सूर्य रश्मि जाल" की यही "पारिभाषिक संज्ञायें" विभिन्न देवताओं के पद नाम, स्थान व उनके द्वारा पद भोग अर्थात ऊर्जा क्षेत्र का विवरण है, याने कि विभिन्न आवृतियां ही देवताओं के नाम है नांद ब्रह्म की अवधारणा एवं वास्तु पुरूष मंडल एक बड़ा ही वैज्ञानिक सिद्धान्त है, जो दर्शन तथा विज्ञान को एक साथ लाकर प्रतिष्ठित कर पल्लवित करता है ।

जिस प्रकार सूर्य, चन्द्र, गृह, तारे, आकाश गंगा के प्रभाव से प्राणिमात्र प्रभावित रहते है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक ग्राम, नगर, भवन आदि भी ब्राह्मांड के प्रभाव से प्रभावित रहते ही है ।

मनुष्यों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि जिन भवनों, नगरों, ग्रामों में वे निवास करते हैं या उनका उपयोग करते है, उनके उचित मापदण्ड के अभाव से विपत्तियों का जन्म होता है । स्थापत्यवेद का महत्व व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य की चेतना में आध्यात्मिक, आधिदैविक व आदिभौतिक क्रिया की पूर्णता हेतु बहुत अधिक है, क्योंकि यदि नगरों, ग्रामों, भवनों का निर्माण स्थापत्यवेद के नियमानुसार नहीं है, तो वास्तु कुपित रहेगा और जो वहां निवासरत है, उनके जीवन के तीनों क्षेत्रों में पूर्ण सफलता नहीं देगा ।

> येषां त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च ।
> ते सेव्यास्तै समास्या हि शास्त्रेभ्योऽपि गरीयसी ॥
>
> (महाभारत)
>
> अर्थात - जिन लोगों की विद्या, कर्म और कुल तीनों ही शुद्ध व सात्विक हो उन श्रेष्ठ साधुओं की अर्थात सज्जन मनुष्यों की सेवा में या सन्सर्ग में रहना व उनके साथ उठना-बैठना उच्च शास्त्रों के अध्ययन से भी श्रेष्ठ होता है ।

जिस प्रकार जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ठीक उसी प्रकार जैसे भवन होगें वैसी ही प्रवृति होगी ।

व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है, जब वह ही स्वस्थ व सुखी नहीं होगा तो स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे कर सकेगा ? वर्तमान में हम देख रहे है कि विज्ञान की नई तकनीकों का उपयोग कर हमने आर्थिक समपन्नता से भौतिक संसाधंन तो प्राप्त कर लिये है, परन्तु जीवन में शांति व सुकून नहीं है ।

अब प्रश्न उठता है कि वर्तमान परिवेश में स्थापत्यवेद से क्रियान्वयन को समाज में व्यावहारिक रूप में कैसे लाया जावे ? तो किसी भी राष्ट्र का विकास उसकी शिक्षा प्रणाली पर भी निर्भर करता है, प्राथमिक से लेकर चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा प्रणाली अत्यंत निष्क्रीय, निस्तेज, व मिथ्या है, जिसमें ज्ञान व कौशल से भरे प्राचीन वैदिक ज्ञान को समाहित करना, मानव जाति को बचाने के लिये समय की मांग है ।

स्थापत्य वेद के क्रियान्वयन का सीधा संवंध समाज में सबसे अधिक सिविल इंजिनियरिंग से जुड़ा है, इस प्रक्रिया से जुड़े सभी व्यक्तियों को हर स्तर पर (स्थापत्यवेद) से प्रशिक्षित करने हेतु विभिन्न पाठ्यक्रम चलाये जाना चाहिये । क्योंकि विख्यात उपन्यासकार

श्री वृन्दावन लालजी वर्मा के अनुसार शिल्पी और कारीगर निर्माण कला के शब्द और व्याकरण है। वस्तु से ही वास्तु का निर्माण होता है। भारतीय स्थापत्यकला की इसी व्यापकता को दृष्टिगत रखकर, प्राथमिक शिक्षा से ही इस विद्या को समाहित करना होगा। जनपद, पंचायतों, नगर निकायों, जिला प्रमुखों व निजी निर्माताओं को भविष्य में समस्त योजनाओं को स्थापत्यवेद से बनाने का संकल्प पारित कर, पालन भी करना चाहिये, ताकि भविष्य में तो संरचनायें वास्तुदोष युक्त न बनें। अब तक प्राप्त ज्ञान व शोध निष्कर्षों से पता चलता है कि इन्दौर में ही नहीं देश, प्रदेश, शहर व गांव की अधिकांश सड़के दिकमूढ़ बनी है, तथा अधोसंरचना विकास के तहत अधिकांश निर्माण स्थापत्यवेद के विरुद्ध हुआ है जिसका प्रभाव समाज में दृष्टिगोचर हो ही रहा है। इन्दौर निवेश क्षेत्र का स्थापत्यवेद के सिद्धान्तों से विश्लेष्णात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन इन्द्रपुर गांव से इन्दौर नगर का विकास तत्कालीन परिस्थितियों, आवश्यकताओं, प्रचलित तकनीकी व वैदिक ज्ञान, कला कौशल, धन की उपलब्धता के अनुरूप होता रहा है। नगरवासियों को अपने स्वार्थ, आवश्यकता, धनार्जन आदि के लिये जो भी सही गलत करना पड़े किया, जिसके परिणाम स्वरूप अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियाँ, झुग्गियां, नदी, नालों, तालाबों की भूमि पर भी अतिक्रमण हो गया। पुराने जल स्त्रोतों कुऐं, बावड़ीयों का उपयोग नहीं होने से उनमें कचरा डाला जाने लगा व तालाबों में गाद जमती रही। शहर के विकास में मुख्य भूमिका नगर निगम, प्राधिकरण, गृह निर्माण मंडल व विद्युत मंडल की रही। जिन्होने नई कालोनियाँ व्यवसायिक परिसरों, भवनों के नियोजन आदि के नक्शे दिकमूढ़ बनाये व तदानुरूप भवनों का नियोजन होता गया, जिससे न सिर्फ शासन वरन्

काष्ठेष्टि का तुषाङ्गारपाषाणाऽस्थिसरीसृपान्।
हलाग्रेणोद्घृतान्दृष्ढ्वा तत्र विधादिदं फलम्॥
काष्ठेष्वग्निमयं विद्यादिष्टकासू धनागमः।
अंङ्गारेषु तथा रोगं तुषेष्वेव धन क्षयः॥
पाषाणेष्वपि कल्याणं कुलनाशं तथाऽस्थिषु।
सरीसृपेषु सर्वेषु तादृदग्भ्यों भयमदिशेत्॥

उपयुक्त श्लोक में बताया गया है कि गृह आरम्भ के पूर्व जो भूमि शुद्धि की प्रक्रिया करते है उसके लिए हल जोतते समय यदि लकडी (काष्ठ), ईट, भूसी, राख, पत्थर, साँप और हड्डी इत्यादि मिले तो उसका फल इस प्रकार से होता है -

यदि काष्ठ मिले तो अग्नि से भय होगा, यदि जोतने पर ईट मिले तो उस घर में धन की प्राप्ति होगी, यदि भूमि शुद्धि के वक्त कोयला या फिर राख निकले तो धन नाश होता है। पत्थर मिले तो शुभ तथा कल्याणकारी होता है। यदि हड्डी प्राप्त होती है तो कुल का नाश हो जाता है। और अगर कोई जीव जन्तु जैसे साँप, बिच्छू आदि मिले तो उसी जानवर से भय होता है।

नगरवासी भी परेशान है । नक्शों पर मात्र उत्तर अंकित करने की जिम्मेदारी वास्तुविद् की समाज में मानी गई। इन दिकमूढ़ संरचनाओं के परिणाम की जानकारी के अभाव में किसी को दोषी निरुपित करना उचित नहीं है। नियमों व मानक नियमन का पालन सख्ती से नहीं कराये जाना भी समस्या का एक कारण है, वहीं मानक नियमनों का स्थापत्यवेद से पुनर्निधारण भी समस्या निदान करेगा। इन्दौर के पुनर्धन्तवीकरण के तहत शासन, मध्य क्षेत्र से कलेक्टर कार्यालय व जिला जेल को क्रमशः पूर्व में राबर्ट नर्सिंग होम के पास या आर.एन.टी.मार्ग स्थित वि.वि. परिसर में व जेल दक्षिण पूर्व में सिमरोल में बनाने की योजना विचाराधीन है, स्थापत्यवेद के राजा भोज रचित ग्रन्थ समरांगण सूत्रधार भवन निवेश में वर्णित वसति योजना के अनुसार जिलाधीश कार्यालय सहित दंडनाभों व नायकों को उत्तर-पश्चिम में एवं जेल दिशा में बनाये जाना चाहिये । इन्दौर की जल व जल मल निकास समस्या विकट है जबकि प्राकृतिक ढाल (प्लव) वास्तुनुरुप उपलब्ध है नदीं से नाला बनी खान की बहति नदी बनाने हेतु भू जलपुनर्भरण द्वारा धरती माता की प्यास बुझाकर कई समस्याओं का समाधान संभव है

इन्दौर के प्रकाशनाधीन मास्टर प्लान में निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ११५ गाँवों के बाद निवेश क्षेत्र के आकार को ही वास्तु के अनुरूप कर, कई बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है ।

अतः वर्तमान विरोध की राजनीति व गला काट स्पर्धा के घुटन भरे माहौल में इन्दौर सहित प्रत्येक शहर व गाँवों को स्थापत्यवेद के अटूल सिद्धांन्तों के अनुसार पुनर्नियोजन कर, समस्याओं के समाधान हेतु एक विराट दृष्टि से अपने शोध निष्कर्ष निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है।

सर्वप्रथम नीति निर्माताओं का संकल्प के पश्चात विकास नियमों (MOS) में आंशिक परिवर्तन, जैसे भवन निर्माण में आस पास खुली जगह आगे, पीछे, सामने व बाजू में छोड़ने के स्थान पर अनिवार्य रुप से दिशा अनुरुप पूर्व में सबसे अधिक उससे कम उत्तर, पश्चिम व दक्षिण मे क्रमशः छोड़नें हेतु तुरंत करना चाहिये, इसी प्रकार भवन का ऊँचाई, आकार, प्रमाण व योजना आदि भी स्थापत्यवेद के नियमों से बनाने के नियम बनाना व क्रियान्वयन संभव है, तथा आवश्यक भी है, साथ ही वित्त पोषक संस्थाये केवल स्थापत्यवेद के अनुरुप संरचनाओं पर ही वित्तीय ऋण की स्वीकृती देने का निर्णय लें। ताकि जनता की गाढ़ी कमाई व्यर्थ न बहे । ज्योतिष विद्या के ज्ञान का भी उपयोग कर ग्रामों, नगरों आदि के प्रमुखों को जन हित में विकास कराना चाहिये !

भारत की कश्मीर समस्या से लेकर, राज्यों के पुनर्सीमांकन व गठन, भीषण जल संकट, भू तापमान वृद्धि, पर्यावरण, सामाजिक भौतिक व मानसिक विकार, बढ़ता भूमि प्रदूषण (रासायनिक खाद व उद्योगों से) एवं स्वास्थ रक्षा आदि समस्याओं के निदान हेतु स्थापत्यवेद के नियमों का पालन शासन व जनता के करोड़ों रुपये बचा सकता है, यह ध्रुव है । भारत की वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था में ही हमे ईमानदार कोशिश कर रास्ते निकालने होगें ।

अन्य क्षेत्रों में जैसे जल प्रबंधन हेतु सर्वप्रथम उपलब्ध नये व पुराने जल स्त्रोतों का पूर्ण क्षमता तक गहरीकरण करके स्थापत्यवेद के नियमों से जहां शुभ हो, जल वितरण करना तथा भू जल पुनर्भरण हेतु नगर /ग्राम सीमा पर परिखा निर्माण करने, व अन्य स्थलों

शेष पृष्ठ 76 पर..........

स्थापत्यवेद (वास्तुशास्त्र) से ..... पृष्ठ 70 का शेष...

का चयन कर एक आन्दोलन के रूप में तुरंत किया जाना चाहिये । हाल ही इन्दौर नगर पालिका निगम द्वारा समस्त ट्यूबवेल धारको को अनिर्वायत: भू जल पुर्नभरण संरचना अनिर्वाय क़र रू.५,००० दंड का नियम बनाना सराहनीय है ।

इसी प्रकार विद्युत समस्या के स्थाई निदान के लिये सर्वप्रथम बढ़ती अस्वास्थ्यकर मंहगी ए.सी. संस्कृति पर अंकुश, ऐसे भवन बनाकर, जिसमें दिन में विद्युत ऊर्जा से उत्पादित प्रकाश, हवा आदि का उपयोग ही न करना पड़े, याने स्थापत्यवेद से बनायें तथा सभी अनुबंधित विद्युत उत्पादकों को आवश्यकतानुसार, स्थापत्यवेद के अनुरूप उपयुक्त स्थल चुनकर (पर्यावरण के अनुकूल) कुछ ही, नई सौर/अन्य ऊर्जा आधारित उत्पादन योजना में मिलकर पूंजी लगाना चाहिये ।

विगत दिनों विद्युत मंडल ने विद्युत वितरण व्यवस्था में फीड्र अनुसार, बिजली बेचने का दायित्व देकर, अभियन्ताओं की जवाबदेही, सुनिश्चित की है यह सराहनीय है, इसे भी स्थापत्यवेद के अनुसार करना श्रेयस्कर होगा । भूमि प्रदूषण को कारगर ढंग से रोकने हेतु, प्रत्येक गाँव व शहर में पूर्व व आग्नेय दिशा के मध्य परिखा से लगी गौशाला गोसंवर्धन के लिये बनाकर, उससे प्राप्त गोधन से पोष्टिक खाद, औषधि इत्यादि प्राप्त कर गौमाता पर हो रहे अत्याचारों को भी रोका जाना चाहिये तथा शासनाध्यक्षों, ग्रामों व नगरों के प्रमुखों को जनता सहित समय समय पर जन कल्याण में सूक्ष्म प्राचीन यज्ञ "अग्निहोत्र" व अन्य वैदिक यज्ञ व अनुष्ठान कराना चाहिये । जिससे पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम किया जा सके, साथ ही प्रदूषणकारी उद्योगों को दक्षिण पश्चिम की ओर वसति योजना के अनुरूप पुर्नस्थापित करना चाहिये ।

देश, प्रदेश, शहर, गाँव की सीमाओं का पुनर्सीमाकंन उनके आकार व प्रमाण के आधार पर यथा संभव स्थापत्यवेद में बताये, विशिष्ट संज्ञाओं नन्दयावर्त, पदमक व स्वंस्तिक आदि हजारों प्रकारों के ग्रामों में से चुनकर पुनर्नियोजित करना चाहिये । अहिंसक वैदिक खेती के अन्तर्गत क्षेत्रीय जड़ी बूटियों व अन्य वन संम्पदा का संवर्धन, खेती, वैदिक विद्या के आधार पर करने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आमाचूल परिवर्तन संभव है ।

शहरों में बड़ती झुग्गी समस्या के स्थापत्यवेद से स्थाई समाधान हेतु शहर/ग्राम की परिखा पर उनके, कार्यानुरुप व कार्य स्थल को दृष्टिगत रखकर मालिका ग्रह बनाना चाहीये ।

वैदिक विद्या याने कि प्रकृति के नियम, जो पूर्ण ज्ञान है, का पालन व क्रियान्वयन भी प्रकृति स्वयं बाढ़, भूकंप दुर्घटना आदि साधनों से करा लेती है व दंडित भी करती है। अत: अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो स्थापत्यवेद से नगरों /गाँवों का नियोजन कर समस्याओं का समाधन संभव है । यह भावनाओं का अतिरेक नहीं वरन मानव समाज की रक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकता भी है ।

•

दया, श्रद्धा, क्षमा, लज्जा, प्रज्ञा, त्यागः कृतज्ञता।
गुणा यस्य भवन्त्येते गृहस्थो मुख्य एव सः ।।

अर्थात - जिस मनुष्य में दयालुता, श्रद्धा, दूसरों के प्रति क्षमा शीलता, संकोच यानि लज्जा एवं प्रज्ञा, सद्बुद्धि, चेतना त्याग का गुण एवं दूसरों के प्रति कृतज्ञता की भावना होती है वही सच्चा सद्गृहस्थ है ।

नईदुनिया इन्दौर (म.प्र.) 1

३१ जुलाई २००३ ८

कभी एक नगर या उपनगर तो स्थापत्य वेद की मान्यताओं के अनुसार भी बसाएँ!

इंदौर ३० जुलाई (नप्र)। महर्षि स्थापत्य वेद के आचार्य श्री अशोक कुमार कौशिक का कहना है कि मास्टर प्लान में संबंधित नगर की सीमाओं को आयताकार या वर्गाकार ही तय होना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि कम से कम एक नगर या उपनगर स्थापत्य वेद की शास्त्रोक्त मान्यताओं के मुताबिक बसाया जाए।

हाल ही में संपन्न दक्षिण एशिया महापौर सम्मेलन के दौरान अ.भा. महापौर परिषद के अध्यक्ष डॉ. सतीशचंद्र राय को श्री कौशिक ने स्थापत्य के अनुसार ग्रामीण और नगरीय विकास की अवधारणा से अवगत कराया है। इस प्रतिनिधि से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ७४वें संविधान संशोधन के अंतर्गत देश भर में नगरीय निकायों को सशक्त बनाने के साथ स्थापत्य वेद की मान्यताओं से भी उन्हें अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वांगीण विकास का आधार स्थापत्य वेद है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव श्री राय को दिया गया है और यह आग्रह किया गया है कि अगले ऐसे आयोजनों में एक सत्र स्थापत्य वेद पर भी हो, ताकि जनप्रतिनिधियों को यह ज्ञान हो सके कि स्थापत्य वेद का नगरीय विकास के क्रम में क्या योगदान हो सकता है?

उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश, प्रदेश, नगर व गाँव की अधिकांश सड़कें स्थापत्य वेद के अनुसार 'दिकमूढ़' हैं अर्थात वे न तो पूर्व-पश्चिम और न ही उत्तर-दक्षिण दिशाओं के समांतर हैं, जबकि दिकमूढ़ सड़कें नहीं होनी चाहिए। नगरीय निकायों में भविष्य की दृष्टि से यह तय होना चाहिए कि ऐसी सड़कें निर्मित नहीं होंगी। स्थापत्य वेद के अनुसार भवन-निर्माण के लिए विकास नियमों में संशोधन आवश्यक हैं। निवेश क्षेत्र का आकार हमेशा आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में इंदौर का ही मास्टर प्लान उठाकर देखें तो यह स्थापत्य वेद के अनुसार 'छिन्नकर्ण' आकार का है। इसमें बसने वाले लोग विभिन्न व्याधियों से घिरे रहेंगे। 'इसी प्रकार जल प्रबंधन, विद्युत आपूर्ति तथा भूमि प्रदूषण से मुक्ति के उपाय भी स्थापत्य वेद में हैं। श्री कौशिक का कहना है कि गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं से नियमानुसार तीन वर्ष में मकान निर्मित न होने पर भूमि अधिगृहीत करने के कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम स्थापत्य वेद के बगैर अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि यह ज्ञान प्राचीन भारतीय मनीषियों की महान विरासत है, जिसकी घोर अनदेखी नगरीय विकास में हो रही है। आज नगरीय विकास से जुड़ी सभी समस्याओं पर विचार हो रहा है। जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों और वित्तीय संसाधनों की बढ़ोतरी के लिए चिंतित हैं, लेकिन उनसे उसी अनुपात में आदर्श विकास की स्पष्ट सोच अपेक्षित है। इसलिए ऐसे सम्मेलनों में कम से कम एक सत्र इस जरूरी विषय पर भी होना चाहिए, ताकि पता चले कि अगर सभी अधिकार और वित्तीय साधन उन्हें मिल जाएँ तो वे अपने नगर के आदर्श विकास में किन-किन प्राथमिकताओं को स्थान देंगे।

नईदुनिया 18-6-2004

जनभागीदारी का अनूठा उदाहरण

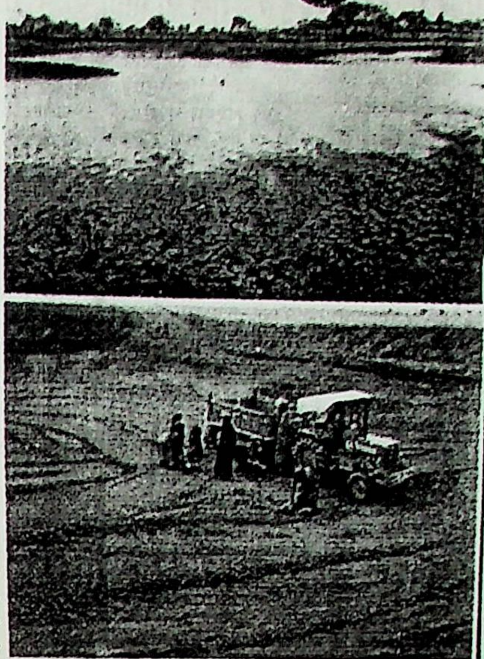
दांगी सेमल्या में ग्रामीणों ने पैंतीस तालाब खुदवाए

डबलचौकी १९ जून। इंदौर जिले में बसा २५०० की आबादी वाला दांगी सेमल्या (रायमल) गाँव पानी रोको अभियान में प्रदेश में जनभागीदारी का एक अनूठा उदाहरण बन गया है। ग्राम के किसानों ने न तो शासकीय योजनाओं का स्वार्थ रखा, न ही अन्य किसी की सहायता का। ग्रामीण साथी कृषक को देखते गए और बनाते गए अपने खेतों में तालाब। यह क्रम चलता ही चला गया और दो वर्ष में गाँव के आसपास ३५ तालाब बनकर तैयार हो गए।

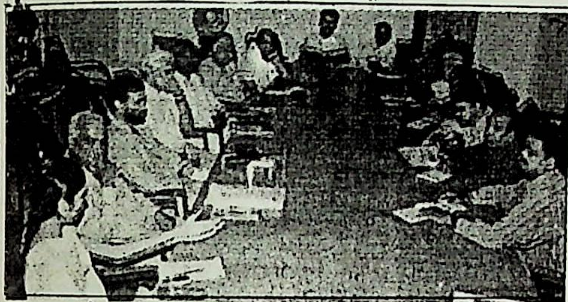
कृषक श्री गोकुलसिंह दांगी बताते हैं कि एक बीघा जमीन में तालाब खोदने में किसानों का ५० हजार रुपए के करीब खर्च हो जाता है। उन्होंने इसी वर्ष अपने खेत में दो बीघा जमीन में २० फुट गहरा तालाब बनाया है। वे आसपास के छोटे-बड़े नालों का मुँह तालाब की ओर मोड़ वर्षा के इंतजार में हैं। ग्राम के ही श्री जीवनसिंह दांगी ने बताया कि पिछले वर्ष ग्राम में २२ तालाब किसानों ने खुदवाए थे। इससे किसानों को गेहूँ की फसल में दो बार पानी देने का मौका मिला। इससे गेहूँ की अच्छी पैदावार हुई। इसी जागृति के चलते १३ अन्य किसानों ने अपने खेतों में इस वर्ष तालाब खुदाई करवाई। किसानों ने १० से २० फुट गहरा व किसी ने आधा बीघा, किसी ने दो बीघा, तीन बीघा तक अपने खेतों में तालाब खुदवाए हैं। ग्राम के श्री हरिसिंह दांगी ने बताया कि तालाब खुदाई से ग्राम व क्षेत्र का जलस्तर भी बढ़ा है। आसपास के ७-८ कि.मी. तक बंद पड़े ट्यूबवेल इस वर्ष पानी का लेवल बढ़ने से बारह माह चलते रहे। ग्राम के ही श्री कमलसिंह दांगी के खेत में आधा बीघा जमीन में तालाब खुदाई का कार्य अभी तक चल रहा है। ग्राम दांगी सेमल्या के किसान अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक बने हुए हैं।

ग्राम में कृषि और पानी रोको अभियान के प्रति आई जागृति ने आज ग्राम की हर दिशा में तालाबों की कतार खड़ी करके रख दी है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राम के किसी भी किसान ने प्रशासन से कोई सहायता नहीं ली। स्वयं के दम पर ही पानी को संग्रहीत कर दिखाया है

• छाया एवं विवरण राजेश शर्मा



दांगी सेमल्या के सरकारी तालाब में अभी भी पानी है। नीचे का चित्र एक अन्य तालाब खुदाई का।



इंदौर विकास योजना पर चर्चा करते हुए गणमान्य नागरिक

भू-माफियाओं के हित में बनी योजना

इंदौर १९ जुलाई। इंदौर के विकास लिए प्रस्तावित इंदौर विकास योजना २०११ का इंदौर के वास्तविक और आवश्यक विकास से कोई सरोकार नहीं है और न ही इसे हकीकतन अमल में लाया जा सकता है। यह नया मास्टर प्लान दरअसल भू-माफिया के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया दस्तावेज है।

महानगर विकास परिषद द्वारा नए मास्टर प्लान को लेकर आयोजित एक गोष्ठी में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने इस आशय के विचार व्यक्त किए। आयोजन आज जाल सभागृह में हुआ। गोष्ठी की शुरुआत करते हुए सी.पी.आर.डी. के प्रबंध संचालक सुधीर मिश्रा ने कहा कि नए मास्टर प्लान के बारे में कहा गया है कि यह रीजनल प्लान है, जबकि रीजनल के नाम पर उसमें केवल कुछ गाँवों का ही जिक्र है। सचाई यह है कि नए मास्टर प्लान को रीजनल प्लान का नाम देकर भ्रमित किया जा रहा है। पद्मश्री कुट्टीमेनन ने कहा कि नए मास्टर प्लान में जलापूर्ति, पर्यावरण, कृषि और वन आदि क्षेत्रों के व्यवस्थापन और विकास को लेकर कोई योजना नहीं है।

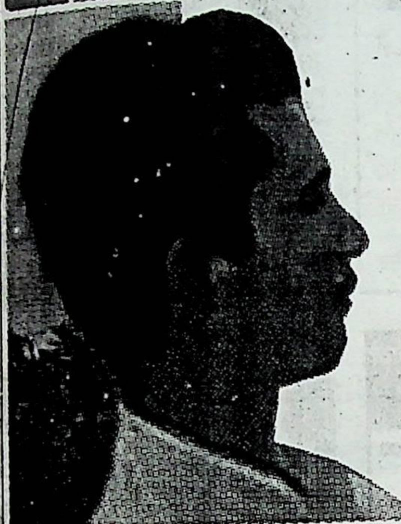
पार्षद समीर चिटनीस ने कहा कि नए मास्टर प्लान में जितने भी ग्रीन बेल्ट बताए गए हैं, वहाँ वर्षों पहले अवैध कॉलोनियाँ बस चुकी हैं। इसके अलावा इसमें प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी कोई जिक्र नहीं है। आर्किटेक्ट सुश्री नेहा गुप्ता, ट्रैफिक वार्डन श्री जगतनारायण जोशी ने कई सवाल उठाए। वरिष्ठ पत्रकार श्री जवाहरलाल राठौड़ ने कहा कि यह महानगर का मास्टर प्लान नहीं है। इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि विकास के लिए जरूरी १९३० करोड़ रुपए कहाँ से जुटाए जाएँगे। श्री राठौड़ ने कहा कि नया मास्टर प्लान भू-माफियाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

श्री राठौड़ ने कहा कि महानगर घोषित करने के आधार का उल्लेख भारतीय कानून की धारा २४३ में दिया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि महानगर होने के लिए १० लाख से अधिक जनसंख्या एवं एक से अधिक जिले की सीमा से संबद्धता होना जरूरी है जबकि इंदौर विकास योजना में २०११ की आबादी २५ लाख अनुमानित की गई है। अपना पक्ष सक्षक्त तरीके से रखे बिना शहर को यह दर्जा कैसे मिलेगा? श्री संपत भँवर ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार 'शहरी विकास योजना मार्गदर्शन' का संदर्भ के रूप में उपयोग नहीं किया गया है। इसके पहले महानगर विकास परिषद के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया। अध्यक्ष श्री अशोक डागा ने कहा कि वक्ताओं के सुझावों को संकलित कर परिषद उन्हें संबंधित फोरम पर रखेगी। संचालन परिषद के सचिव श्री चंद्रकुमार माखीजा ने किया। आभार नगर निगम की जनकार्य समिति प्रभारी पार्षद श्री शंकर लालवानी ने माना।

नई दुनिया   इंदौर सोमवार १६ जून २००३

ये है असली नायक

कमाल का सरपंच, एक गाँव में ६२ तालाब



(प्रवीण शर्मा)

वह चलता है तो गाँव के लोग ही नहीं जैसे जमीं, आसमाँ भी साथ चलते नजर आते हैं। ग्रामीण भारत को बस ऐसे ही कुछ नायकों की तो जरूरत है! २७ साल के कालूसिंह पटेल के काम उसे असली 'नायक' बनाने जा रहे हैं। लोगों को जहाँ एक तालाब बनाने में पसीना आ जाता है, वहीं इस नौजवान ने छोटे-बड़े ६२ ताल-तालाबों की रचना कर दी है! भूल जाइए तोरणी और बालोदा लक्खा को, कालूसिंह के कामों का कमाल तो भारत के जल-पुरुष श्री राजेन्द्रसिंह की आँखें चौंधिया देगा। छोड़िए भी- सरपंचों के भ्रष्ट और नाकारा होने की बातें, इस नौजवान ने दिखा दिया है कि सरपंच होने के क्या मायने होते हैं।

किसकी मजाल है, जो इस काम को छोटा कहे? उज्जैन जिला प्रशासन के डबरी अभियान का अद्भुत अभिनेता तो कालूसिंह है। राजस्थान सीमा से कुछ ही कि.मी. के फासले पर उज्जैन जिले में स्थित महिदपुर तहसील के अपने गाँव लोटिया जुनार्दा में कालूसिंह के कामों ने डबरी अभियान की तमाम विसंगतियों को ढँक लिया है और विशेषताओं को भी! यह संवाददाता उज्जैन से ७० कि.मी. दूर महिदपुर तहसील के इस गाँव में खामियाँ ढूँढने गया था, पर वहाँ तो पानी के लिए पागलपन और दूरदृष्टि का खजाना हाथ लग गया! इस नौजवान ने एक-एक डबरी अलग-अलग बनाने की सरकारी योजना को ठेंगा बताते हुए कई-कई डबरियों को एक साथ खुदवाकर उन्हें तलैयाओं और तालाबों का ही रूप दे दिया। कालूसिंह द्वारा बनवाई गई सबसे छोटी तलैया तीन डबरियों के आकार की है, जिसमें नौ लाख लीटर पानी आ सकता है, वहीं सबसे बड़ा तालाब १४ डबरियों को खोदकर बनाया गया है, जहाँ पाल की ऊँचाई १२ फुट से भी अधिक होने के कारण उसमें डेढ़ करोड़ लीटर पानी समा सकता है। कालूसिंह के नेतृत्व में बने ६२ तलैया-तालाबों में ५०० से ज्यादा डबरियाँ समाई हुई हैं।

कालूसिंह का नायकत्व बस तीन साल में उभरकर आया है। फरवरी-२००० में वह प्रचंड जीत से गाँव का सरपंच बना था। प्रचंड जीत के पीछे भी कारण छुपा था। प्यास से बेहाल लोटिया जुनार्दा की प्यास बुझाने के लिए किराना-गल्ला व्यापारी कालूसिंह ने ६० हजार रुपए खर्च कर नलकूप खुदवाकर तथा मोटर पंप लगाकर लोगों को पानी पिलाया था। लोगों ने इस पवित्र सेवा को याद रखा और चुनाव के वक्त कालूसिंह के पास गए और सरपंच का चुनाव लड़ने का आग्रह किया। पर यह युवक कुछ अक्खड़ किस्म का था। उसने साफ कह दिया– मैं किसी के पास वोट माँगने नहीं जाऊँगा। वाकई में वह वोट माँगने गया भी नहीं। ...और जब परिणाम आया तो कालूसिंह को सवा पाँच सौ में से सवा चार सौ वोट मिले! अक्खड़ कालूसिंह को लोगों की दी हुई जीत ने जिम्मेदार बना दिया। अपनी २५ बीघा जमीन में ७ सालों में ७ लाख रुपए से २६ नलकूप खुदवाकर भी हताशा हासिल करने वाले कालूसिंह को धरती की कोख में दम तोड़ते पानी की परेशानी मालूम थी। सो, पानी पर जीत (शेष पृष्ठ १४ कॉलम १ पर)

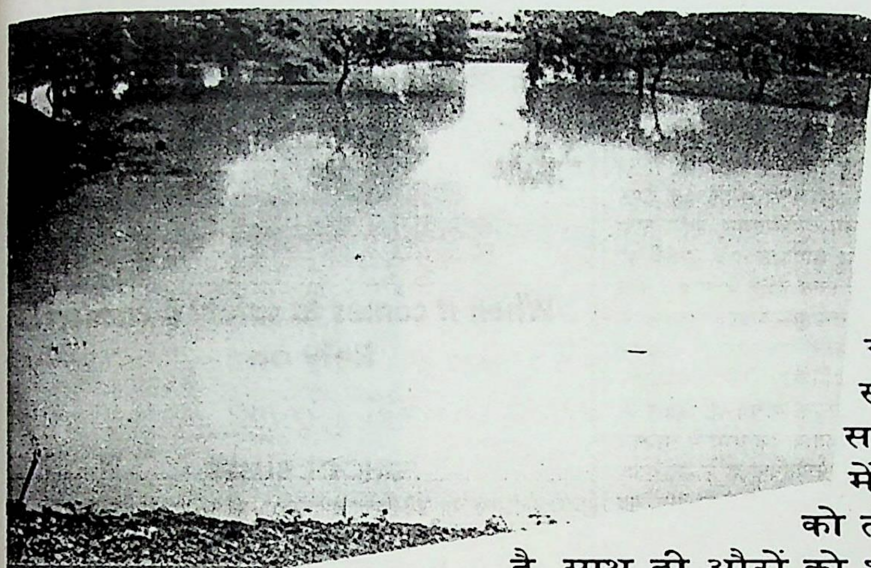
क्या है डबरी

खेत का पानी खेत में रोकने की धारणा को डबरी कहते हैं। इसका गड्ढा ६६ फुट लम्बा, ३३ फुट चौड़ा तथा ५ फुट गहरा होता है। बाद में गड्ढे की पेचिंग मिट्टी व पत्थर से की जाती है। एक डबरी का क्षेत्रफल १० हजार ९०७ घनफुट रहता है।



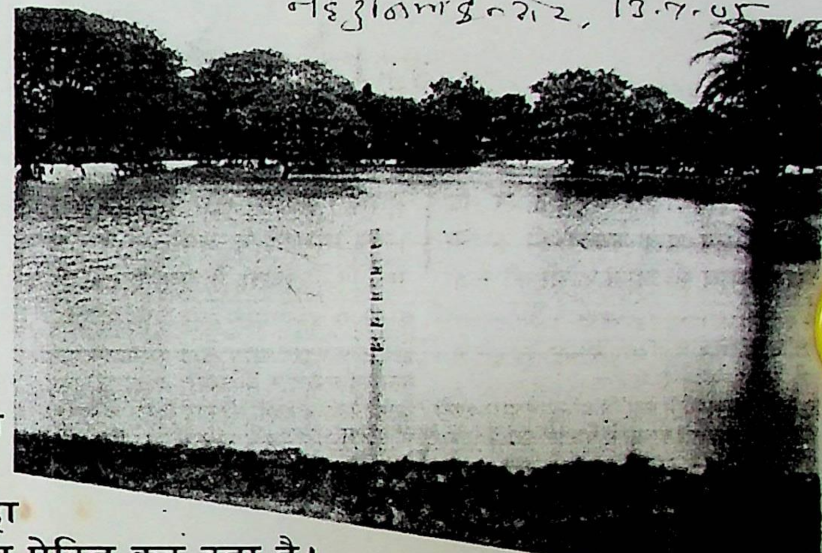
ये हैं २७ साल के श्री कालूसिंह जिन्होंने ऐसे ६२ तालाब बनवा दिए। छाया : कमल सोनेजा

नईदुनिया इंदौर, 13.7.05



वर्ष २००४

कुछ करने की अगर मन में इच्छा हो और उस इच्छा को पूरा करने का पक्का इरादा हो तो मंजिल को पाने के सारे रास्ते स्वमेव खुलते चले जाते हैं। युवा कृषक श्री राकेश पाराशर ने भी एक सपना देखा और आज वह सपना एक तालाब की शक्ल में उन्हें तथा उनके परिवार को तो सुख व आनंद दे ही रहा है, साथ ही औरों को भी ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है।



वर्ष २००३

तालाब की लहरों पर तैर रहा है एक सपना

इंदौर जिले की साँवेर तहसील के ग्राम मेलकलमा में कृषि स्नातक श्री राकेश पाराशर के सपने का साकार रूप देखा जा सकता है। लगभग सवा पाँच सौ की आबादी वाले इस गाँव में कहने को एक सरकारी तालाब भी है, लेकिन लोगों ने तालाब की जमीन को अवैध रूप से फाड़कर उसमें खेती शुरू कर दी है। अब तालाब के नाम पर कोने में एक गड्ढा बारिश में पानी से भर जाता है।

श्री पाराशर फख्र के साथ कहते हैं कि उन्हें तालाब निर्माण की प्रेरणा 'नईदुनिया जन सेवा ट्रस्ट' द्वारा चलाए जा रहे 'वर्षा जल संग्रहण अभियान' में मिली। ट्रस्ट के सहयोग से उन्होंने अगस्त २००० में इंदौर की साँईनाथ कॉलोनी स्थित अपने आवास पर छत के वर्षा जल को रोककर ट्यूबवेल को पुनर्जीवित किया। यह ट्यूबवेल फरवरी-मार्च में सूख जाता था, मगर अब वर्षभर पानी उपलब्ध कराता है। इसी से प्रेरित होकर श्री पाराशर ने मई २००३ में ग्राम मेलकलमा स्थित अपने खेत पर तालाब बनाने का संकल्प लिया। वे बताते हैं कि उन्होंने बिना किसी शासकीय सहायता के ४० हजार रुपए की लागत से लगभग दो एकड़ क्षेत्र में तालाब का निर्माण कर दिया। इस कार्य में उन्हें केवल पंद्रह दिन लगे।

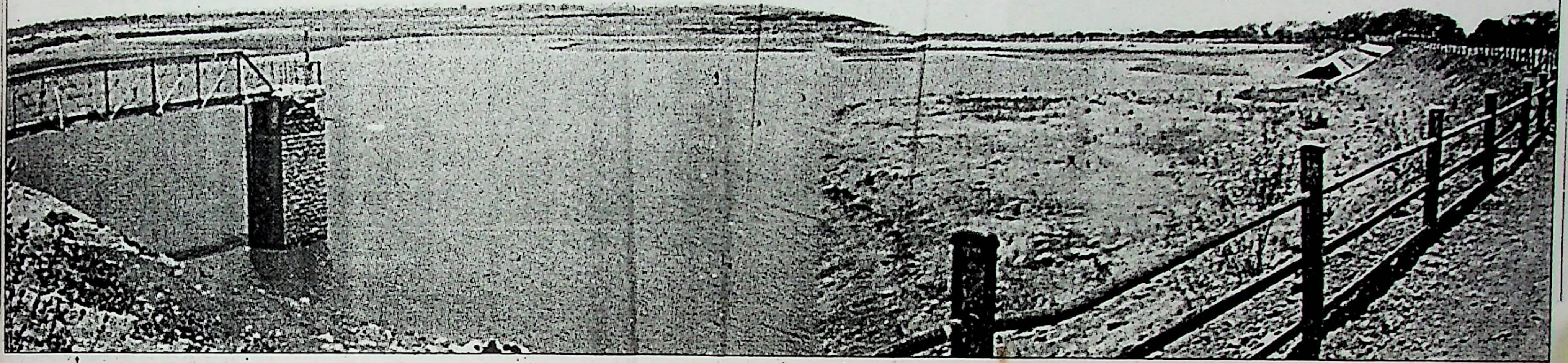


श्री पाराशर

तालाब निर्माण के लिए श्री पाराशर ने बरसाती नाले को रोककर ८० मीटर लंबी और ५ मीटर ऊँची पाल बनाई तथा औसतन ७ फुट गहरी खुदाई की। इस तालाब में लगभग २०० बीघा जमीन से बहकर आने वाले वर्षा जल को रोका गया है। श्री पाराशर ने बताया कि गत वर्ष यह तालाब पूरा भर गया था। अतिरिक्त पानी मोरी से निकल गया था। गत रबी के मौसम में उन्होंने तालाब के जल से २० बीघा जमीन में ३ पानी दिए। तालाब से कुल ६० बीघा जमीन में सिंचाई हो सकती है। गत वर्ष तालाब में प्रायोगिक तौर पर मछली पालन भी किया गया, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए। भविष्य में इसे आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्च में सिंचाई समाप्त होने के उपरांत भी तालाब में ढाई फुट पानी बाकी था, जो वर्षा के आने तक घटकर १ फुट रह गया था। इस वर्ष क्षेत्र में प्रारंभिक वर्षा अच्छी होने से तालाब में औसत ३ फुट पानी आ चुका है। वर्षा की खेंच होने पर भी लगभग २० बीघा जमीन में एक पानी देकर सोयाबीन की फसल को बचाया जा सकता है। इस तालाब के निर्माण में समाजसेवी संस्था ह[...] वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइ[...] इंदौर के युवा इंजीनियर श्री आशीष प[...] एवं श्री राकेश के पिता श्री हरिशंकर पा[...] सहायक यंत्री (सेवानिवृत्त) जल सं[...] विभाग द्वारा पूर्ण तकनीकी सहयोग [...] गया जिसके कारण तालाब से नाममा[...] भी रिसाव नहीं हुआ। तालाब की व[...] आसपास के ट्यूबवेल और कुएँ-बावड़[...] जीवित हो उठे हैं।

• कार्यालय प्रति[...]

नईदुनिया इन्दौर / 13.6.2003



यशवंतसागर तालाब में मिट्टी के टीले साफ दिखाई दे रहे हैं

यशवंतसागर में उभर आए हैं मिट्टी के कई टीले !

इंदौर को सन १९३९ से जल आपूर्ति कर रहा यशवंतसागर प्रशासन की सतत उपेक्षा से उथला होता जा रहा है। गंभीर नदी द्वारा हर वर्ष लाई जा रही मिट्टी के जमाव से तालाब में कई टीले उभर आए हैं। गहरीकरण नियमित कभी नहीं हुआ। बढ़ते अतिक्रमण को भी नहीं रोका गया। स्थिति यह है कि इस तालाब की जलग्रहण क्षमता घटती जा रही है।

यशवंतसागर तालाब में वर्ष-दर-वर्ष वर्षा के मौसम में मिट्टी बहकर आती रही, जिसका परिणाम आज यह रहा कि यशवंतसागर के निर्माण के मूल स्वरूप का आकार ही समाप्त हो गया। तालाब में जगह-जगह मिट्टी के टीले साफ दिखाई देते हैं। आज भी इस तालाब की गहराई का अंदाज मुख्य गेट व सायफन वाले स्थान पर साफ दिखाई देता है। इस तालाब का निगम द्वारा उपयोग सिर्फ पानी लेने तक ही रहा है। इस पर अतिक्रमण की मार के साथ पानी की चोरी की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यशवंतसागर तालाब की स्थिति पानी सूख जाने से साफ दिखाई देती है। इस तालाब में गत ६४ वर्षों में गंभीर नदी से बह-बहकर आई कितनी मिट्टी जमी होगी, जिसका अंदाज लगाना मुश्किल है। सन १९३९ से इंदौर को पानी दे रहे इस तालाब का मूल स्वरूप (जल भंडारण क्षमता) ही नहीं बच पाया है। तालाब के तल में बड़े-बड़े मिट्टी के टीले साफ नजर आते हैं। सायफन और मुख्य गेट के पास भी मिट्टी जम गई है। मिट्टी जमने का सिलसिला ठेठ फूल कराड़िया पंपिंग स्टेशन के आगे से शुरू होता है। इस तालाब से पूर्व पश्चिम के किनारे वाले किसान मौका पाते ही पानी का दोहन कर लेते हैं। इस वर्ष भी पानी चोरी तालाब से होती रही। 'नईदुनिया' में जब पानी चोरी के समाचार प्रकाशित हुए तब नगर निगम ने पहल की और विद्युत पंपों से पानी चोरी करने वाले पकड़े गए। गौरतलब है कि फूल कराड़िया पंपिंग स्टेशन से घरमटेकरी फिल्टर प्लांट तक डली पाइप लाइन से भी पानी की चोरी होती है।

इन दिनों तालाब पर अतिक्रमण करने वाले फिर सक्रिय हैं। उन्होंने अतिक्रमण की भूमि में जुताई शुरू कर दी है। अब तालाब में सायफन वाले स्थान पर बचे-खुचे गंदे पानी में मछली पकड़ने का कार्य दिन-रात चल रहा है। तालाब में शेष बचे पानी से राजस्थानी भेड़ और ऊँट प्यास बुझा रहे हैं। यशवंतसागर तालाब की उपेक्षा के बारे में नईदुनिया में ७ मई १९९९ को सचित्र समाचार प्रकाशित हुआ था। उस समय जिला प्रशासन चौंका व नगर निगम भी जाग उठा। तत्कालीन कलेक्टर श्री मनोज श्रीवास्तव ने स्वयं पूरे तालाब का निरीक्षण किया। नगर निगम के विभिन्न अधिकारियों-नेताओं ने मिट्टी निकालने, बाँध की दीवारों की मरम्मत, रेलिंग की दुरुस्ती आदि की योजना बनाई। इसके अंतर्गत एक ओर की टूटी दीवार की मरम्मत की गई किंतु दूसरी दीवार की मरम्मत व रेलिंग तो आज तक नहीं सुधारी गई। यशवंतसागर से अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई, जिसके तहत लगभग ८० एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाया गया था। स्मरणीय है कि महाराजा यशवंतराव होलकर द्वारा इंदौर से २४ कि.मी. की दूरी पर स्थित गंभीर नदी को रोककर इस पर बाँध बनाया गया था। यशवंतसागर तालाब की समस्त भूमि का होलकर स्टेट के समय का रेवेन्यू रेकॉर्ड बदस्तूर आज भी मौजूद है। कलेक्टर श्री मनोज श्रीवास्तव ने तालाब की भूमि की नपती कर इसका सीमांकन करने के आदेश भी दिए थे लेकिन राजस्व विभाग ने आज तक इस आदेश का पालन नहीं किया। यशवंतसागर वास्तु तालाब तकनीक का एक अच्छा नमूना है। उस समय इस तालाब को देश के ख्यात इंजीनियर स्व. विश्वेश्वरैया की देखरेख में बनवाया गया था। यशवंतसागर तालाब के बाँध की ऊँचाई बढ़ाने से जल भंडारण क्षेत्र बढ़ेगा, ऐसे सुझाव अखबारों में पढ़े हैं लेकिन बाँध की ऊँचाई बढ़ाई गई तो किनारे पर बसे गाँवों में तालाब का पानी घुस जाएगा। इसके बजाए इस तालाब का गहरीकरण ही उचित होगा। नगर निगम की सुस्ती व अनदेखी के कारण १९७३ से मुख्य गेट बंद हो गया था, जिसे गत वर्ष खोला गया। बीते ३० वर्षों में भी भारी मिट्टी का जमाव तालाब में हुआ है। यशवंतसागर का ऐतिहासिक तथ्य यह है कि यह १ करोड़ ४१ लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ था। इस तालाब की वास्तविक जलग्रहण क्षमता ६०० मी. क्यू. फुट थी। अब तो इसमें करीब दो-तिहाई मिट्टी जम चुकी है।

• रघुनंदन जोशी (देपालपुर से)

(७) (८)

इंदौर

जल संवर्धन व संरक्षण कार्यों पर अब तक ७.३२ करोड़ खर्च

इंदौर १५ जून। जिले में राजीव गाँधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के तहत अब तक २० हजार २३७ हैक्टेयर भूमि उपचारित की गई है। यह लक्ष्य का ९८ फीसदी से अधिक है। मिशन के तहत जल संवर्धन और संरक्षण के कार्यों पर ७ करोड़ ३१ लाख ९२ हजार रुपए व्यय किए गए।

मिशन के तहत जिले में भूमि संरक्षण कार्य, जल संग्रहण और संवर्धन कार्य, वृक्षारोपण के साथ-साथ ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से महिला बचत, साख समूह और स्वावलंबी दलों का गठन कर बचत को प्रोत्साहन दिया गया है। विकास कार्यों में भूमि संरक्षण कार्यों के तहत बोल्डर चैक, खेत सुधार, मेड़बंदी, नाला डायवर्शन के कार्य कराए गए। बीते वर्षों के सूखे को ध्यान में रखकर जल संवर्धन संबंधी कार्यों को अधिक महत्व दिया गया। इसके तहत ३५२ परलोकेशन तालाब, ८१५ संकण पौंड, १७५ कुंडियाँ, ७५ डोह, ४० गेबियन, १५ स्टापडेम सुधार, ३० स्टापडेम, ८० वाटर गेबियन संरचनाएँ बनाई गईं। नलकूपों एवं कुँओं में निरंतर पानी की उपलब्धता के लिए, ग्रामीणों को पुनर्भरण व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। ७३६ हैक्टेयर भूमि में आँवला, बेर, खेर इत्यादि पौधे रोपे गए। घास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए २७३ हैक्टेयर भूमि में स्टालों हमाटा घास का रोपण किया गया। वाटरशेड क्षेत्र के तहत आने वाले ग्रामों में जीवन स्तर में सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए १८५ महिला बचत और साख समूह बनाए गए। इन समूहों द्वारा २० लाख २२ हजार रुपए की बचत की गई। १६४ स्वावलंबी दलों का गठन किया गया। १२६ समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए २ लाख ३८ हजार रुपए वितरित किए गए। वाटरशेड के ग्रामों में सिंचित रकबे में वृद्धि के साथ-साथ फसल उत्पादन में भी वृद्धि हुई। कुओं एवं नलकूपों के जल स्तर में भी वृद्धि हुई है। इन कार्यों के परिणामस्वरूप वाटरशेड के ग्रामों में अंतरवर्तीय फसल का रकबा ५७६६ हैक्टेयर से बढ़कर ८२२० हैक्टेयर हो गया है। खरीफ का क्षेत्रफल ११५६९ हैक्टेयर से बढ़कर ११९३७ हैक्टेयर और रबी का क्षेत्र ८२१६ हैक्टेयर से बढ़कर ११७७६२ हैक्टेयर हो गया है। पड़त भूमि १७५२ हैक्टेयर से घटकर १६०२ हैक्टेयर हो गई है। खरीफ का उत्पादन ७.८ मीट्रिक टन से बढ़कर ९.२ मीट्रिक टन तथा रबी का उत्पादन १४ मीट्रिक टन से बढ़कर १७ मीट्रिक टन हो गया। इसके साथ ही इन ग्रामों में १४७७ ट्यूबवेल और ११३१ मीट्रिक टन हो गया। इसके साथ ही इन ग्रामों में १४७७ ट्यूबवेल और ११३१ कुएँ पुनर्जीवित हो गए हैं।

वर्षा जल संरक्षण के लिए एक हजार करोड़ की योजना

(प्रणय उपाध्याय) 2005

नई दिल्ली १० सितंबर। केन्द्र सरकार वर्षाजल के संरक्षण के लिए जल्दी ही एक राष्ट्रव्यापी योजना शुरू करने जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार इस योजना का नाम प्रधानमंत्री जल संवर्धन योजना होगा। लगभग एक हजार करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना में मध्यप्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक सहित देश के सभी सूखा संभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय सूत्रों के अनुसार योजना का शुभारंभ गाँधी जयंती के दिन किया जा सकता है। हालाँकि आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। सरकार के इस कदम को पाँच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। म.प्र., राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सूखा राहत को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस जहाँ केन्द्र सरकार पर इन राज्यों में सूखा राहत राशि में भेदभाव का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार अपनी उदारता दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती।

मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी जाएगी। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन का अधिकार सीधे पंचायतों को दिया जाए। योजनाओं के मद में दी जाने वाली केंद्रीय सहायता भी राज्य सरकारों को देने की बजाए सीधे पंचायतों को दी जाए। वहीं राज्य सरकारें इस बात का विरोध कर रही हैं क्योंकि इन योजनाओं के मद में प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग कई बार अन्य मदों में कर लिया जाता है। राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार धन को एक मद से दूसरे मद में डालती हैं। इससे राज्यों को आर्थिक तंगी का हल निकालने में भी मदद मिलती है।

(९)

२३ जून २००३ 3

पाँचों नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जन आंदोलन

(नगर प्रतिनिधि)

इंदौर २२ जून। सद्भाव शहीद स्मृति संस्था के बैनर तले इंदौर से जुड़ी पाँचों नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जन आंदोलन चलाया जाएगा।

संस्था अध्यक्ष विधायक श्री सत्यनारायण पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि श्रावण मास में शुरू होने वाली कावड़ यात्रा में इस जन आंदोलन की शुरुआत होगी। नर्मदा का पानी लाकर शिप्रा में डाला जाएगा। पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य लेकर निकल रही इस कावड़ यात्रा में सड़क के दोनों ओर नीम, पीपल, तुलसी, बरगद और आम के पौधे लगाए जाएँगे तथा उनकी रक्षा के लिए स्थानीय नागरिकों से अपील की जाएगी। श्री पटेल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री श्री दिग्विजयसिंह एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर माँग की है कि वे शिप्रा, खान, गंभीर, चंबल एवं कनाड सहित अन्य नदियों को पुनर्जीवित करने के मुद्दे को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें ताकि जल, जमीन, जंगल और जानवर संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत हो। श्री पटेल ने दावा किया कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में १५० छोटे-बड़े तालाब बनाए हैं। देवगुराड़िया को शहीद स्मारक के रूप में विकसित करते हुए पौधरोपण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

22.06.2003

नईदुनिया — इंदौर

(10)

अठारह तालाबों से इंदौर तक पानी लाने की योजना पर सभी सहमत

नर्मदा तृतीय चरण के बाद भी इंदौर में पानी की कमी रहेगी

(नगर प्रतिनिधि)

इंदौर २२ जून। इंदौर के आसपास और कुछ दूरी पर स्थित अठारह तालाबों से इंदौर तक पानी लाने की प्रस्तावित योजना पर चर्चा के लिए आज वरिष्ठ नागरिकों की एक बैठक हुई। इस प्रस्तावित योजना को सभी ने सराहा। यह भी कहा गया कि इसके लिए गैर सरकारी स्तर पर प्रयास शुरू होने चाहिए।

इन अठारह तालाबों से इंदौर तक पानी लाने की प्रारंभिक योजना जल संसाधन विभाग के इंदौर स्थित मुख्य अभियंता श्री एके. सोजतिया तथा विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता श्री पी.सी. जैन ने तैयार की है। करीब साढ़े चार सौ करोड़ रुपए खर्च किए जाएँ तो इंदौर को १०० एम.जी.डी पानी मिल सकता है। प्रारंभिक रूप से केवल १५० करोड़ रु. खर्च हों तो भी ५० एमजीडी पानी तो मिलेगा ही। नईदुनिया ने ५ जून को इस प्रस्तावित योजना को प्रकाशित किया था। इंदौर के प्रमुख और वरिष्ठ नागरिकों को नईदुनिया की यह पहल शहर हित में नजर आई और इस पर चर्चा के लिए सीपीईआरडी के तत्वावधान में आज चर्चा का आयोजन किया गया। प्रारंभ में श्री सोजतिया ने योजना प्रस्तुत की और बताया कि इसका फायदा न केवल इंदौर बल्कि उन गाँवों को भी होगा, जहाँ तालाब स्थित होंगे। माही और कारम कुछ दूरी पर हैं लेकिन शेष तालाब तो इंदौर के काफी पास होंगे और इसके बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि नर्मदा तृतीय चरण पूरा होने के बाद भी पानी की कमी बनी रहेगी क्योंकि इंदौर की आबादी बढ़ती जाएगी। उन्होंने बताया कि इंदौर के जल संकट को लेकर नईदुनिया के प्रधान संपादक श्री अभय छजलानी ने अपनी चिंता से प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री सुभाष यादव को अवगत कराया। श्री यादव भी चाहते थे कि इस तरह की योजना बने। अभयजी ने श्री जैन से योजना बनाने का आग्रह किया और यह प्रस्तावित योजना इसी का परिणाम है। श्री सोजतिया ने बताया कि जहाँ तालाब बनेंगे, वहाँ के लोगों को पानी का ४० प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। इंदौर के हिस्से में ६० प्रतिशत पानी आएगा। अभी तो पानी बहकर निकल जाता है इसलिए गाँव के लोग भी चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में तालाब बने। उन्होंने बताया कि १८ तालाबों की इस योजना में से कई का सर्वे हम कर चुके हैं। कुछ का सर्वे करना पड़ेगा।

सीपीईआरडी के सचिव श्री सुधीर मिश्रा ने कहा कि नर्मदा तृतीय चरण हमारी आवश्यकता है लेकिन वैकल्पिक स्रोत भी हमें तलाशने होंगे। नईदुनिया ने जो पहल की है उस पर चिंतन होना चाहिए और इस दिशा में कदम भी बढ़ाए जाने चाहिए। उन्होंने जल-मल बोर्ड के गठन की जरूरत पर भी बल दिया। पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र धारकर ने प्रस्तावित योजना के संबंध में लेख प्रकाशित करने के लिए नईदुनिया की तारीफ की और कहा कि इस योजना में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर पहल करनी चाहिए। यह इंदौर के हित की बात है। उन्होंने नर्मदा तृतीय चरण से असहमति जताते हुए कहा कि सवाल यह है कि इसे कौन पूरा करेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि यशवंत सागर और बिलावली तक पानी पहुँचाने वाले तालाबों की योजना पर पहले काम होना चाहिए। सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष श्री ललित जैन ने प्रस्तावित योजना को बेहतर विकल्प बताया और कहा कि इससे गाँवों को भी काफी फायदा होगा। यह आकलन किया जाना चाहिए कि उन गाँवों में अभी कितने क्षेत्र में सिंचाई हो रही है और बाद में कितने क्षेत्रों में होगी। इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि धनराशि कहाँ से आएगी।

श्री हीरजी ने कहा कि पानी अब कॉमोडिटी की श्रेणी में शामिल हो चुका है। इसकी लागत और बिक्री मूल्य तय होना चाहिए। यह देखना चाहिए कि इस योजना पर कितना खर्च हो रहा है और कितना पानी हमें मिल रहा है। क्या सूखे की स्थिति में भी यह योजना इंदौर को पानी दे पाएगी? जल मामलों के जानकार श्री श्रीवास्तव ने कहा कि यह बेहतर योजना है और हमें अपनी प्राथमिकताएँ तय करनी चाहिए। पूर्व महाधिवक्ता श्री आनंद मोहन माथुर का कहना था कि इस योजना के संचालन और संधारण पर कम खर्च होगा। इस योजना पर ध्यान देना जरूरी है। श्री बक्षी ने तीसरे चरण के बाद चौथे चरण में माही योजना को शामिल करने की जरूरत बताई। श्री जाजू ने आर्थिक पक्ष के बारे में शासन से चर्चा का सुझाव दिया। श्री समीर चिटनिस ने कहा कि नर्मदा तृतीय चरण जरूरी है, पर महँगा है। हम आज से ही वैकल्पिक योजना पर विचार करें। पंचायत के मातहत हुए तालाबों की स्थिति बिगड़ रही है। उसे सुधारना जरूरी है। अभियंता श्री जैन ने कहा कि पठार पर जल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। माही योजना ज्यादा बेहतर है, उसे प्राथमिकता दें। पानी के पास ही सेटेलाइट टाउनशिप स्थापित होने चाहिए। दूसरी प्राथमिकता कारम की है। श्री नारंग तथा श्री प्रीतमलाल दुआ ने भी कुछ सुझाव दिए। श्री महेंद्र महाजन, श्री नरेंद्र सुराना तथा श्री बिल्लौरे ने योजना को बेहतर बताया। श्री ललित पोरवाल ने पानी की बर्बादी रोकने की बात कही।

चर्चा का समापन करते हुए श्री अभय छजलानी ने कहा कि नर्मदा पर किसी को शंका नहीं है, लेकिन पहले दिन से अभी तक के अनुभव को याद नहीं रखना भी ठीक नहीं होगा। कहा गया था कि चौबीस घंटे पानी मिलेगा और तीसरी मंजिल तक पानी चढ़ेगा, लेकिन स्थिति क्या है, यह सभी जानते हैं। बिजली की दर का मामला तो अटका ही है। प्रारंभ में केवल महू को पानी देने की बात हुई थी लेकिन आज मुख्य पाइप लाइन से कई गाँवों को पानी दिया जा रहा है। देवास को भी पानी मिल रहा है। नर्मदा योजना की उम्र पूरी हो गई है। यह प्रस्तावित योजना निश्चय ही इंदौर के फायदे की है। आज सभी का ध्यान तालाबों के निर्माण पर लगा है। इंदौर में पिछले सौ सालों में एक साल ऐसा भी आया, जब केवल ८ इंच बारिश हुई थी लेकिन इंदौर को जल संकट का सामना तब नहीं करना पड़ा, क्योंकि तब सात तालाब आसपास में थे। आज वास्तव में एक भी तालाब जिंदा नहीं है। हम संकल्प करें कि तालाबों को नहीं सूखने दें। दरअसल हमें प्रकृति का सरल तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। हम तालाब के उद्धार की दिशा में आगे बढ़ें। इस योजना पर अमल करें। यदि सरकार के भरोसे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। योजना कभी पूरी नहीं होगी। हमें आर्थिक विकल्प तलाशने होंगे और आज इतनी सारी योजनाएँ हैं कि तालाबों के लिए राशि मिलने में कठिनाई नहीं आएगी। शुरुआत तो करें! हम टैंकरों से जलप्रदाय पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं तो एक तालाब बनाने पर दो-तीन करोड़ रुपए खर्च क्यों नहीं कर सकते? पहल करें तो योजना आगे बढ़ेगी और संकल्प के रास्ते पर चलकर इस योजना को पूरी कर सकते हैं। आभार श्री श्रीवास्तव ने माना।



प्रदेश की पहली गौशाला जिसे चला रही हैं ग्रामीण महिलाएँ



ग्राम जावली में गायों के साथ महिला समूह की सदस्याएँ...

मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने गौवंश के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। ...इसी दिशा में होशंगाबाद जिले के ग्राम जावली की उद्यमशील महिलाओं ने गौशाला चलाने का बीड़ा उठाया है। इस काम में ग्राम पंचायत ने भी दिल खोलकर सहयोग दिया है। प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित यह पहली गौशाला है।

प्रदेश के तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त श्री जे.एल. बोस हाल ही में होशंगाबाद जिले के दौरे पर गए थे। यहाँ उपलब्ध प्रचुर पशुधन एवं उनकी देखभाल के प्रति महिलाओं की सक्रियता को देखकर उन्होंने तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती सूरज डामोर से कहा कि 'इन महिलाओं को जिलेभर में गौशालाएँ संचालित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि ये गौवंश का संरक्षण करें और गौशालाओं के जरिए आर्थिक रूप से लाभान्वित भी हों।' इस विचार को श्रीमती डामोर ने क्रियान्वित किया ग्राम जावली से। यहाँ उन्होंने महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों को गौशाला चलाने हेतु प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा को कार्यरूप में परिवर्तित करने का जिम्मा लिया गाँव के 'आरती स्व-सहायता' समूह ने। जावली एक आदिवासी बहुल ग्राम है। महिलाओं के उत्साह को देखते हुए ग्रामसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि वह गौशाला निर्माण हेतु समूह को १० एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी। पंचायत ने तत्काल गाँव का एक खाली पड़ा सरकारी भवन समूह को दे दिया ताकि गौशाला प्रारंभ की जा सके। समूह ने १४ गायों तथा ६ बछियाओं को पालना शुरू कर दिया है। गौशाला का नाम 'श्रीकृष्ण भारती आदर्श गौशाला' रखा गया है। समूह की अध्यक्ष श्रीमती जानकीबाई व अन्य महिलाएँ बेहद प्रसन्न हैं। वे कहती हैं- हम सभी के लिए गौसेवा पहले नंबर पर है, पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है।' इन महिलाओं की इच्छा २०० तक गाएँ पालने की है। ये महिलाएँ क्रमानुसार सुबह ७ से लेकर शाम ६ बजे तक तन्मयता से गौसेवा में लगी रहती हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दी गई १० एकड़ भूमि की साफ-सफाई भी वे खुद ही करती हैं। वे जोर देकर एक बात और कहती हैं कि हमें अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच श्री रहमान खाँ का जो उदार सहयोग गौशाला संचालन में मिल रहा है, उसे भुलाया नहीं जा सकता।

आरती स्व-सहायता समूह ने ली जिम्मेदारी

महिलाओं की इच्छा २०० गायें पालने की

पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, गौसेवा ही लक्ष्य

जिले की 'एकता' सामाजिक संस्था भी इस गौशाला संचालन में मददगार बनकर सामने आई है। इस संस्था ने अपने आर्थिक सहयोग से गौशाला हेतु एक बड़ी नाँद का निर्माण पशुओं की पेयजल आपूर्ति हेतु कराया है। संस्था की अध्यक्ष श्रीमती जयश्री तिवारी कहती हैं कि उनकी संस्था ग्राम जावली की उद्यमशील महिलाओं तथा नवयुवकों को जोड़कर उसे एक आदर्श ग्राम बनाने हेतु प्रयासरत है। संस्था के सदस्यगण सर्वश्री हरीश नामदेव, विनीत तिवारी, प्रमोद नामदेव आदि गौवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रति समर्पित सेवा भावना से जुड़े हैं। जावली की गौशाला से उत्साहित होकर जिला प्रशासन अब अन्य गाँवों में भी ग्रामीणों को गौशाला के संचालन व प्रबंधन के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें शासकीय प्रयासों एवं सुविधाओं की जानकारी दे रहा है। महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के लिए विशेष कार्यशालाओं का आयोजन कर उन्हें बताया जा रहा है कि वे किस तरह गौशाला को चलाते हुए गोबर, गौमूत्र तथा दूध से आय प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती हैं।

■ ललित भाटी, रतलाम

एक आदमी, एक पत्थर नतीजा एक स्टॉपडेम

भोपाल 1 जनवरी (अनिल यादव)

आज सर्वधर्म कॉलोनी के निवासियों ने नए वर्ष का स्वागत एक निराले अंदाज में किया। सैकड़ों नागरिक कालियासोत नदी तट पर एकत्रित हुए और अपने श्रमदान से मिट्टी के ऐसे अस्थायी बाँध को अंतिम रूप दिया, जिसने वहाँ करीब तीस लाख गैलन पानी को रोक लिया है। इस जल यज्ञ में आहुति देने विदिशा के वे श्रमदानी भी आए जो पिछले तीन बरसों से बेतवा नदी की सेवा में जुटे हुए थे।

सर्वधर्म कॉलोनीवासियों ने निराले अंदाज में किया नए वर्ष का स्वागत

इस 'जलयज्ञ' का आयोजन ग्राम दामखेड़ा के सरपंच श्री पी. गणेश तथा कालियासोत नदी के किनारे ही बस गए विदिशा के पर्यावरण प्रेमी साहित्यकार श्री अनिल गोयल ने किया था। सर्वधर्म कॉलोनी ग्राम दामखेड़ा के अंतर्गत ही आती है। कॉलोनाइजर इस गाँव में कालोनियाँ तो बना गए, लेकिन उन्होंने जनसुविधाएँ कोई भी उपलब्ध नहीं कराईं। इस पूरे इलाके में पेयजल का गंभीर संकट है। भूमि में सैकड़ों फुट तक पानी नहीं है और कलियासोत नदी गंदे नाले में बदल गई है। पिछले दिनों कॉलोनी निवासियों ने अपनी नदी को स्वयं साफ करने और उसमें पानी रोकने के लिए अस्थायी स्टॉपडेम बनाने का फैसला लिया और नदी पर कच्चा बाँध बनाने में जुट गए। इसमें जहाँ ग्राम सरपंच श्री पी. गणेश ने अपनी निजी मशीनें लगा दी, वहीं कई नागरिकों ने भी आर्थिक एवं श्रम सहयोग किया। उन्हीं के साथ नदी में उतरीं 'जल सत्याग्रह' और 'जल संग्रह' जैसी स्वयंसेवी संस्थाएँ। धीरे-धीरे अस्थायी स्टॉपडेम आकार लेने लगा। गत दिवस श्री अनिल गोयल ने अपने गृहनगर में बेतवा की सेवा में जुटे नागरिकों को भी बेतवा की सहायक नदी कालियासोत नदी पर 1 जनवरी 06 को श्रमदान करने के लिए आमंत्रित किया। 1 जनवरी को कालियासोत पर एक जनवरी, एक आदमी, एक पत्थर अभियान का आयोजन किया गया था। यह एक सांकेतिक आयोजन था, जिसमें श्रमदानियों को स्टॉपडेम पर पत्थर डालकर इस कार्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जतानी थी। नए वर्ष का नया सूरज आज कालियासोत नदी पर नूतन प्रकाश लेकर आया। सर्वधर्म कॉलोनी के सैकड़ों निवासियों के साथ ही विदिशा से आए श्रमदानी भी नदी तट पर श्रमदान करने उपस्थित थे।

नई - दुनिया इंदौर

२७ अगस्त २००३

प्रांतों से

प्रस्तावित अंतर बेसिन जल अंतरण लिंक।

हिमालय घटक लिंकों के नाम

(१) ब्रह्मपुत्र-गंगा (मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा)
(२) कोसी-घाघरा
(३) गंडक-गंगा
(४) घाघरा-यमुना
(५) शारदा-यमुना
(६) यमुना-राजस्थान
(७) राजस्थान-साबरमती
(८) चुनार-सोन बैराज
(९) सोन बाँध-गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ
(१०) गंगा-दामोदर-सुवर्णरेखा
(११) सुवर्णरेखा-महानदी
(१२) कोसी-मेची
(१३) फरक्का-सुंदरवन
(१४) ब्रह्मपुत्र-गंगा (जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का) (विकल्प)



प्रायद्वीपीय घटक लिंकों के नाम

(१५) महानदी (मणिभद्रा)-गोदावरी (दौलेश्वरम)
(१६) गोदावरी (इंचमपल्ली निम्न बाँध)-कृष्णा (नागार्जुन सागर पुच्छ तालाब)
(१७) गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)
(१८) गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा)
(१९) कृष्णा (अलमट्टी)-पेन्नार
(२०) कृष्णा (श्रीशैलम)-पेन्नार
(२१) कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला)
(२२) पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रांड अनीकट)
(२३) कावेरी (कट्टलाई)-वैगाई-गुंडार
(२४) केन-बेतवा
(२५) पार्वती-कालीसिंध-चंबल
(२६) पार-तापी-नर्मदा
(२७) दमनगंगा-पिंजाल
(२८) बेदती-वरदा
(२९) नेत्रावती-हेमावती
(३०) पम्बा-अच्चेनकोविल-वैप्पार

'नदी जोड़ योजना' पर पुनर्विचार की जरूरत

(दिल्ली कार्यालय)

नई दिल्ली ४ दिसंबर। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और सरकार 'नदी जोड़ योजना' के संबंध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। 'नदी जोड़ परियोजना की व्यवहार्यता और वैज्ञानिकता' पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन इस प्रस्ताव के साथ कल समाप्त हो गया।

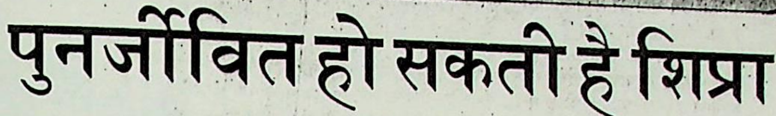
सम्मेलन में आए वक्ताओं ने एकमत से कहा कि नदी जोड़ परियोजना न तो बाढ़-सूखा नियंत्रण के दृष्टिकोण से उपयोगी है और न ही पर्यावरणीय-भूगर्भीय दृष्टि से वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से व्यावहारिक। वक्ताओं ने कहा कि 'राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी' ने देश की ३७ प्रमुख नदियों को जोड़ने की योजना पर जो भी अध्ययन किए हैं और जो भी सूचनाएँ जुटाई हैं उन्हें तुरंत सार्वजनिक किया जाए।

पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री सोमपाल, श्री राजेंद्रसिंह, श्री कुलदीप नैयर, श्री बी.डी. शर्मा, सुश्री मेधा पाटकर, सुश्री अरुणा राय सम्मेलन के प्रमुख वक्ता रहे। देशभर से आए पर्यावरणविद, शोधकर्ता तथा बाँध योजनाओं से विस्थापित लोगों ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

श्री सोमपाल ने कहा कि जिन नदियों को जोड़ने की योजना है उनमें से ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा और किसी नदी में अतिरिक्त पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव सिर्फ भारत में नहीं, वरन वह बांग्लादेश और चीन में भी बहती है इसलिए उसे जोड़ने का कोई एकपक्षीय निर्णय नहीं हो सकता।

सुश्री मेधा पाटकर ने कहा कि वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉ. कलाम एक पूरी तरह अवैज्ञानिक योजना का समर्थन कर समाज और शासन के एक बड़े तबके को अनावश्यक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान किसी बात को अध्ययन और प्रमाण के बिना स्वीकार नहीं करता। सुश्री पाटकर ने कहा राष्ट्रपति बताएँ कि उनके पास नदी जोड़ योजना के समर्थन में कौन-से वैज्ञानिक अध्ययन हैं।

सुश्री अरुणा राय ने कहा कि अगर सरकार के पास ५ लाख ६० हजार करोड़ रु. जितनी बड़ी धनराशि है तो वह इससे बहुत कम पैसों में स्थानीय स्रोतों को पुनर्जीवित कर कहीं अधिक जलस्रोतों की स्थायी और लोकतांत्रिक व्यवस्था कर सकती है।



पुनर्जीवित हो सकती है शिप्रा

शिप्रा नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है। इसका महत्व हर 12 वर्ष में इसके तट पर होने वाले सिंहस्थ पर्व के कारण और भी बढ़ जाता है। अब यह नदी प्रदूषित नाले में तब्दील हो गई है। बरसात के बाद इस नदी में अत्यंत कम प्रवाह और वह भी गंदे पानी का ही रहता है। शिप्रा की यह हालत किसने की है? कारण सभी को स्पष्ट है। इसके जलग्रहण क्षेत्र में बसे औद्योगिक शहर इंदौर, उज्जैन, देवास की जनसंख्या के बढ़ने और औद्योगिकीकरण के कारण प्रदूषित और अनुपचारित जल के शिप्रा में मिलने, कृषि के लिए उपलब्ध प्रवाह एवं भू-जल के अंधाधुँध दोहन से भूजल स्तर के खतरनाक स्तर तक गिर जाने, ज्यादा पानी लेने वाली फसलों वाले फसल चक्र को अपनाए जाने एवं जलग्रहण क्षेत्र में लगभग सभी जंगलों को पूरी तरह साफ कर देने के कारण शिप्रा नदी की वर्तमान दुर्दशा हुई है।

• मुकेश कुमार चौहान

शिप्रा में खान एवं गंभीर को छोड़कर करीब 9800 एम.सी.एफ.टी. (767 एम.एल.डी.) है। उज्जैन तक खान एवं शिप्रा में कुल पानी की उपलब्धता 8750 एम.सी.एफ.टी. (685 एम.एल.डी.) है। शिप्रा के इस पानी पर उज्जैन एवं देवास शहर तथा इनके आसपास 2000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले गाँवों की जनसंख्या अपनी पेयजल एवं सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए निर्भर करती है।

शिप्रा को पुनर्जीवित करने के विकल्प

(अ) लघुकालीन विकल्प : शिप्रा के कछार में प्रस्तावित वर्तमान के बाँध जलाशय लघु आकार के हैं और उनसे शिप्रा में उचित मात्रा में पानी ले जाना संभव नहीं है। शिप्रा के पास की नदी छोटी कालीसिंध में भेंसाखेड़ी (दूरी 25 कि.मी., क्षमता 175 एम.सी.एफ.टी.), शिप्रा के सहायक नाले पर साहिबखेड़ी (दूरी 12 कि.मी. क्षमता 350 एम.सी.एफ.टी. तथा खान लिफ्ट स्कीम (दूरी 23 कि.मी., क्षमता 77 एम.सी.एफ.टी.) सभी सिंचाई तालाब हैं और इनकी क्षमताएँ कम हैं। खान नदी पर बने स्टॉपडेमों की भंडारण क्षमताएँ 20 से 30 एम.सी.एफ.टी. हैं और यह भी प्रयोज्य नहीं है।

गंभीर नदी पर गत सिंहस्थ के अवसर पर बनाए गए गंभीर बाँध की भंडारण क्षमता 2250 एम.सी.एफ.टी. (175 एम.एल.डी.) है। सामान्य वर्ष में उज्जैन की पानी की आवश्यकता 90 एम.एल.डी. है। अतः 85 एम.एल.डी. पानी शिप्रा के पुनर्जीवीकरण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

इंदौर एवं आसपास के औद्योगिक नगरों के लिए नर्मदा तृतीय चरण की योजना का कार्यान्वयन सन 2009 में पूरा होगा। इसके तहत वर्तमान में नर्मदा के प्रथम एवं द्वितीय चरण से दिए जा रहे 190 एम.एल.डी. (2427 एम.सी.एफ.टी.) पानी को बढ़ाकर 600 एम.एल.डी. (7665 एम.सी.एफ.टी.) किया जाएगा (30 एम.एल.डी. यशवंत सागर की अतिरिक्त क्षमता मिलाकर) 150 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से जल की आवश्यकता निकालकर तथा महू, देवास एवं उद्योग की आवश्यकता जोड़कर 2005 से 2030 तक के वर्षों में उपलब्ध अतिरिक्त शेष जल की मात्रा निकाले तो हम पाते हैं कि सन् 2021 तक कम से कम 100 से 150 एम.एल.डी. पानी नर्मदा फेज-3 में अतिशेष रहेगा।

अतः (गंभीर बाँध के अतिशेष जल को मिलाकर) तकरीबन 225 एम.एल.डी. (2875 एम.सी.एफ.टी.) पानी शिप्रा में गऊ घाट, रामघाट एवं कर्कराज स्टॉपडेम के पानी को एक सुरक्षित अंतराल के बाद (50 बार अधिकतम) बदलने के काम में प्रयुक्त किया जा सकता है। गऊ घाट, रामघाट एवं कर्कराज स्टॉपडेम में पानी भंडारण की क्षमता करीब 60 एम.सी.एफ.टी. है। इस तरह करीब (मानसून के जुलाई, अगस्त के महीनों को छोड़कर) हर सप्ताह उपरोक्त पानी को बदला जा सकता है। किसी पर्व के समय ज्यादा बार भी बदला जा सकता है।

(ब) उपचारित जल को खान नदी के प्रवाह द्वारा शिप्रा में मिलाना : इंदौर में वर्तमान में 240 एम.एल.डी. पानी का विभिन्न स्रोतों से उपयोग हो रहा है। परंतु यह पानी दूषित जल के रूप में खान नदी में मिलता है, जो शिप्रा में जाकर मिलता है। खान नदी पर बने स्टॉपडेम्स की मदद से साँवेर में किसान इस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए कर लेते हैं। कबीटखेड़ी में हाल में 90 एम.एल.डी. का ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जो खान नदी शुद्धिकरण योजना का अंग है। इसके अतिरिक्त, नर्मदा फेज-3 में 62 करोड़ का प्रावधान जलमल योजना के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त डेनिडा प्रोजेक्ट के तहत 590 करोड़ रुपए की योजना इंदौर ड्रेनेज तंत्र के आमूल-चूल निर्माण के लिए प्रस्तावित है। अगर सभी योजनाएँ 2009 तक बनकर तैयार हो जाएँ तो कम से कम 300 एम.एल.डी. पानी ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध होगा जिसे उपचारित कर खान-शिप्रा में डाला जा सकेगा। इससे करीब 4000 एम.सी.एफ.टी. पानी या प्रतिदिन 126 क्यूसेक पानी का प्रवाह शिप्रा नदी में रहेगा। इस पानी का उपयोग उज्जैन तक शिप्रा के आसपास के गाँवों में गैर पेयजल उपयोग, बागवानी एवं मवेशियों के लिए किया जा सकता है। आसपास के गाँवों में पेयजल परंपरागत कुओं से ही लेना होगा क्योंकि जल के उपचार के बाद भी मान्यताओं में परिवर्तन लाना मुश्किल होगा।

उपरोक्त दो विकल्पों से उज्जैन के घाटों पर हर सप्ताह शुद्ध जल बदला जा सकेगा एवं इंदौर से उज्जैन तक शिप्रा में पानी का प्रवाह सुनिश्चित कर नदी को जीवित रखा जा सकेगा। खर्च सिर्फ पानी को शिप्रा में पहुँचाने पर ही होगा क्योंकि स्रोतों का निर्माण को किन्हीं दूसरे कारणों से हो ही रहा है।

(लेखक सचिव, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण हैं)

...रा के पुनर्जीवीकरण के लिए ...आवश्यक है कि उसमें वैज्ञानिक ...आकलित आवश्यक जल का ...बना रहे। देवास से उज्जैन तक ...के गाँवों की पेयजल एवं ...की पानी की आवश्यकता पूरी ...तथा उज्जैन के महत्वपूर्ण घाटों ...स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया ...।

...के पानी का उपयोग गैर ...में कृषि कार्यों के लिए प्रतिबंधित ...भूजल के अंधाधुँध दोहन पर रोक ...वैज्ञानिक आधार पर ही नए ...लगाने की अनुमति देना, उद्योग ...निगमों द्वारा प्रदूषित जल को ...उपचार के बाद ही शिप्रा/ खान में ...ऐसे जल जीवों को छोड़ना जो ...शुद्धि का कार्य करते हों, आसपास ...को नदी में गंदगी न करने की ...और नदी को स्वच्छ रखने में ...भागीदारी को बढ़ावा देना कुछ ...उपाय हैं जिन पर कार्ययोजना ...जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ...शिप्रा में सतही जल के प्रवाह को ...।

...की जल वैज्ञानिक स्थिति

...देवास में चापड़ा के पास की ...पहाड़ी से निकलती है। शिप्रा ग्राम ...से होकर यह नवग्रह मंदिर के ...बहती हुई उज्जैन में प्रवेश करती ...दो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ ...जो इंदौर का ड्रेनेज का पानी ...शिप्रा से त्रिवेणी संगम पर मिलती ...गंभीर, जो उज्जैन शहर के बाद ...के पहले शिप्रा से मिलती है। ...का पानी एकदम स्वच्छ है क्योंकि ...शहर का गंदा पानी इसमें नहीं ...है। शिप्रा के उद्गम से दक्षिण में ...कि.मी. दूर नर्मदा नदी बहती है, ...प्रवाह जल बहता रहता है पर ...जल-स्तर उज्जैन के भूमि स्तर ...250-350 मीटर नीचा है।

...की कुल उपलब्धता पूरी गंभीर ...20 एम.सी.एफ.टी. (472 ...डी.), खान नदी में 3465 ...एफ.टी. (270 एम.एल.डी.) एवं

नर्मदा से डाला जाए शिप्रा में पानी

शिप्रा को पुनर्जीवित करने का दीर्घकालीन एवं पुख्ता उपाय इसमें नर्मदा का जल नर्मदा-मालवा लिंक के द्वारा लाना ही है।

देवास जिले की बागली तहसील में छापरा नामक एक छोटा कस्बा है। इस कस्बे के पास में प्रस्तावित छापरा तालाब नर्मदा-मालवा लिंक की कुंजी है। मालवा की कई महत्वपूर्ण नदियाँ यथा कालीसिंध (10 कि.मी. दूर), शिप्रा (10 कि.मी. दूर) तथा छोटी कालीसिंध (0.5 कि.मी. दूर) इसके पास से ही निकलकर उत्तर दिशा में चंबल नदी की ओर प्रवाहित होती हैं। चंबल नदी की निकटस्थ दूरी इस स्थान से 60 कि.मी. है। नर्मदा-मालवा लिफ्ट के प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार इसके प्रथम चरण में कुल 1233 मिलियन घनमीटर में से 200 मिलियन घनमीटर (547 एम.एल.डी.) पानी शिप्रा में डाला जाना प्रस्तावित है। शेष 1033 मिलियन घनमीटर पानी कालीसिंध, छोटी कालीसिंध और चंबल में डाला जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना से शिप्रा नदी के पुनर्जीवीकरण के अलावा और भी लाभ होंगे। जैसे-

(1) मालवा के इन शहरों को पेयजल आपूर्ति :
- इंदौर- 400 एम.एल.डी.
- महू- 110 एम.एल.डी.
- पीथमपुर- 110 एम.एल.डी.
- देवास- 150 एम.एल.डी.
- उज्जैन- 300 एम.एल.डी.
- नागदा- 75 एम.एल.डी.
- रतलाम- 155 एम.एल.डी.
- जावरा- 51 एम.एल.डी.
- मक्सी- 20 एम.एल.डी.
- शाजापुर- 89 एम.एल.डी.
- ब्यावरा- 30 एम.एल.डी.
- सोनकच्छ- 15 एम.एल.डी.

(2) खान, शिप्रा, चंबल, छोटी कालीसिंध, कालीसिंध नदियों में सूखे के दिनों में पानी बहता रहेगा, जिससे इन सभी नदियों का पुनर्जीवीकरण हो सकेगा।

(3) उपरोक्त नदियों पर करीब 500 स्टॉपडेम बनाकर आसपास के गाँवों को पेयजल तथा बागवानी एवं प्लांटेशन के लिए स्प्रिंकलर तथा ड्रीप पद्धति से पानी पहुँचाया जाएगा।

उपरोक्त परियोजना का संपूर्ण व्यय 1873 करोड़ रुपए आएगा और इसमें 102 करोड़ यूनिट विद्युत लगेगी। इसका वार्षिक संधारण व्यय 390 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आएगा। इससे वार्षिक आय 537 करोड़ रुपए की होगी। अगर सिर्फ शिप्रा नदी के लिए उपरोक्त योजना को बनाया जाता है तो उपरोक्त योजना की लागत करीब 300-350 करोड़ रु. होगी और विद्युत की आवश्यकता 17 करोड़ यूनिट होगी। सालाना खर्च करीब 60 करोड़ रुपए होगा।

नईदुनिया सोमवार, 30 जनवरी 2006

पाँच सदस्यीय समिति गठित

नर्मदा का पानी मालवा में लाने के लिए सर्वे

उज्जैन 29 जनवरी (निप्र)

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा का पानी मालवा और उज्जैन लाने के लिए सर्वे किया जाएगा। इस हेतु पाँच सदस्यीय समिति बनाई गई है। श्री सिंथेटिक्स उद्योग के मामले में सरकार का रुख सकारात्मक है।

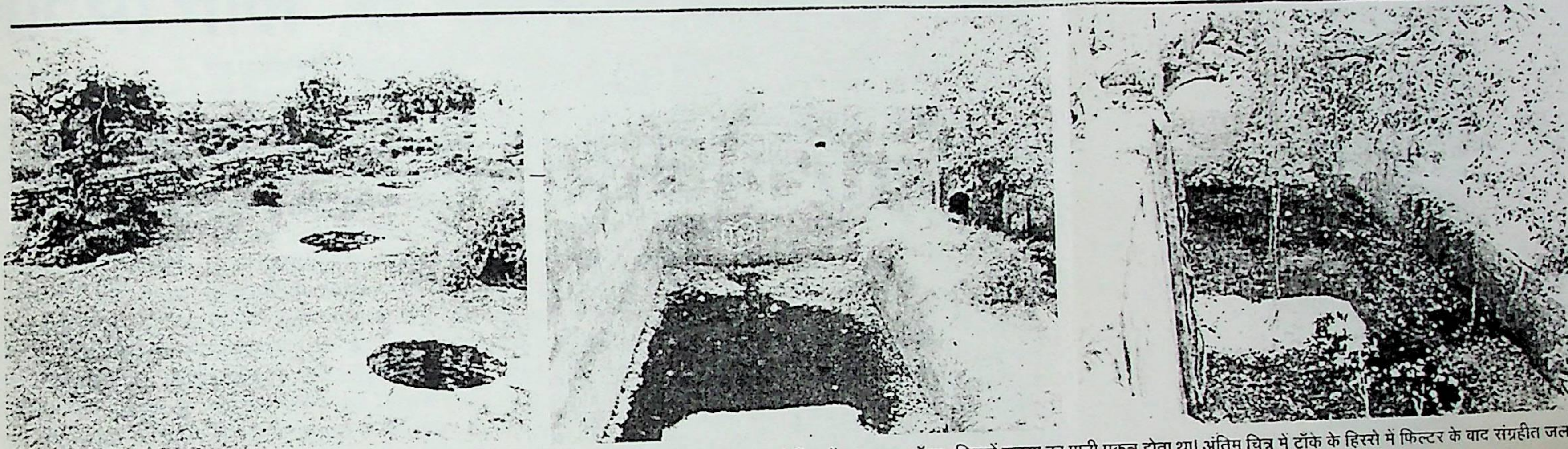
पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा को मालवा में लाने और उसकी प्यास बुझाने के लिए भोपाल में चर्चा हुई थी, उस समय उन्होंने नर्मदा का पानी लाने के लिए पाँच सदस्यीय समिति बनाने की बात कही थी। श्री चौहान ने कहा कि गठित समिति यह पता करेगी कि इस योजना की राशि, व्यावहारिकता क्या है। इस समिति में भारत सरकार के जल संसाधन विभाग, के. सेवानिवृत्त सचिव श्री जे.आर. मल्होत्रा को अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अभियांत्रिकी सदस्य श्री वी.के. पारिख, वित्त सदस्य श्री निर्मलकुमार चंद्रा एवं ऊर्जा सदस्य श्री आर.सी. जैन को लिया गया है। इसके साथ ही राज्य के जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता श्री ए.के. सजोतिया को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। श्री सजोतिया वर्तमान में जल संसाधन विभाग में इंजीनियर इन चीफ हैं। यह समिति सभी स्थितियों का सर्वे कर शासन को शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह समिति कितनी अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसका समय निर्धारण नहीं बताया गया है।

श्री सिंथेटिक्स के लिए सरकार का रुख सकारात्मक : मुख्यमंत्री

श्री सिंथेटिक्स उद्योग बंद होने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी हमने यथासंभव प्रयास किए थे। हम आज भी इस उद्योग को लेकर गंभीर हैं। हमारी सोच सकारात्मक है और प्रभारी मंत्री ने श्री मैनेजमेंट से चर्चा भी की है। औद्योगिक विकास निगम में हुए घोटाले पर उन्होंने कहा कि 'मुझे जो एक्शन लेना था, मैंने लिया है।' अनियमितता एवं गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएँगे। कानून अपना काम करेगा। सारे मामले की जाँच के बाद ही कौन अधिकारी दोषी है या नहीं, कहा जा सकता है। नागदा के एसडीएम के मामले में कहा कि उनका स्थानांतरण नहीं किया गया है। उन्हें नर्मदा घाटी परियोजना में भेजा गया है। इस प्रकार अधिकारियों को भेजे जाने की प्रक्रिया चलती रहती है। अब यह कहना कि एसडीएम का किसी कारण से स्थानांतरण किया गया है, गलत है। प्रदूषण के मामले में एसडीएम ने किन परिस्थितियों के चलते फैसला दिया है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

अधिकारियों को

14·02·06 नईदुनिया इंदौर (15)



नीमच जिले के रतनगढ़ महल परिसर में बनी छोटी-छोटी कुइयाँ, जिनके माध्यम से वर्षा का जल संग्रहीत होता था। दूसरे चित्र में बड़ा खुला टाँका, जिसमें कुइया का पानी एकत्र होता था। अंतिम चित्र में टाँके के हिस्से में फिल्टर के बाद संग्रहीत जल।

रतनगढ़ के किले में थी वर्षा जल संचयन की श्रेष्ठ तकनीक

नीमच 13 फरवरी (आलोक शर्मा)

वर्तमान में इतने साधन होने के बाद भी वैज्ञानिक शुद्ध पानी का संचय होने की विधि नहीं बना पा रहे हैं, वहीं पहाड़ी पर बने रतनगढ़ के महल में 16वीं शताब्दी में बनी वर्षा जल संचयन की तकनीक आज की विकसित तकनीकों को मात कर रही है। महल परिसर में बनी छोटी-छोटी कुइयों के माध्यम से टाँके में एकत्र होता पानी काफी लंबे समय तक काम में आता था। आंज भी महल के अवशेषों के बीच बनी कुइया व टैंक लोगों को आकर्षित करते हैं।

जिले की जावद तहसील के रतनगढ़ में पहाड़ पर स्थित भग्नावशेष महल की सीमा क्षेत्र में 16 शताब्दी में निर्मित प्राचीन किले के अवशेषों में विश्व की प्राचीन एवं अनूठी शृंखलाबद्ध जल तकनीकी प्रबंधन व्यवस्था उस समय भी जल संरचनाओं के निर्माण एवं उनकी संचालन प्रक्रियाओं के प्रति शासकों की रुचि दर्शा रहे हैं। हालाँकि पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते इस तकनीक के कुछ ही अवशेष शेष हैं।

वर्ल्ड वाटर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एसोसिएशन के श्री प्रभात भट्ट इतिहास के कई प्रामाणिक दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि पहाड़ों, पठारों, टीलों और खाइयों को सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल कर वहाँ किलों-महलों का निर्माण कर आबादी को भी बसाया गया था। उस समय वर्षा जल के संचयन की जो तकनीक अपनाई जाती थी, वह आज से कहीं बेहतर थी। महल परिसर में स्थित छोटी-छोटी कुइयों में वर्षा जल का संग्रहण होता था। जो सीधे एक बड़े टैंक में एकत्र होता था। इसी के पास बना एक और टैंक था। पहले टैंक से फिल्टर होकर पानी दूसरे टैंक में एकत्र हो जाता था। श्री भट्ट का मानना है कि उस समय अपनाई गई तकनीक को आज भी रुफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक में उपयोग में किया जा सकता है।

ग्रीन बेल्ट की तरह ब्ल्यू बेल्ट का भी आरक्षण हो

श्री भट्ट ने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय जल संचयन की प्राचीन शृंखलाबद्ध तकनीक को प्राथमिकता देकर भूजल को प्रदूषित होने से बचा सकता है। शहरों एवं नगरों के मास्टर प्लान में जहाँ शासन एवं प्रशासन बाग-बगीचों के साथ ग्रीन बेल्ट के लिए जमीन आरक्षित करता है, उसी तर्ज पर तयशुदा मापदंडों पर वर्षा जल संचयन की प्राचीन शृंखलाबद्ध तकनीक को क्रियान्वित करने के लिए कुछ भूक्षेत्र ब्ल्यू बेल्ट के लिए अनिवार्यतः आरक्षित रखना चाहिए। इससे प्रदूषण रहित वर्षा जल भू-जल संग्रहण क्षेत्र में समाहित हो सके। आवश्यकता पड़ने पर इस संग्रहीत जल को उद्यान या अन्य वनीकरण क्षेत्र को विकसित करने में किया जा सकता है। नई कॉलोनियों के निर्माण में कॉलोनाइजरों को प्राचीन तकनीक का कठोरता से अनिवार्यतः पालन करने के लिए निर्देश देना चाहिए।

16

8/2/06

एक गाँव की यात्रा

'कोटिया नाले' से 'कोटिया आँवला' तक

● राजेन्द्र बंधु

सरकार से विकास की गुहार लगाने वाले गाँवों के लिए 'कोटिया नाला' गाँव ने एक अनूठी मिसाल कायम की है। यहाँ ग्रामवासियों ने मिलकर विकास के ऐसे कई काम किए जो उसकी सरकार पर निर्भरता को तो कम करते ही हैं, साथ ही उसे एक नई पहचान भी देते हैं। यहाँ हर घर में जैविक खाद बनाई जा रही है, चौके में धुएँरहित चूल्हे मौजूद हैं और कई घरों में गोबर गैस प्लांट लगे हुए हैं। इसके अलावा गाँव से जुड़े जंगल में लगे 30 हजार से ज्यादा आँवले के पौधों के कारण इसे अब कोटिया नाला के बजाय 'कोटिया आँवला' कहा जाने लगा है।

'कोटिया नाला' गाँव की कहानी एक गाँव के उजड़कर बसने की कहानी है। सन् 1976 में सरकार द्वारा आवंटित पट्टे की जमीन पर बसा यह दलित बहुल गाँव शुरू से ही रोजगार, चिकित्सा, पानी और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। सन् 1994 में यहाँ हुए भीषण अग्निकांड ने लोगों के सिर पर से छत का सहारा भी छीन लिया था। महीनों तक ग्रामवासियों ने खुले आसमान में नीचे दिन गुजारे। फिर वन विभाग और आसपास के गाँवों की मदद से मकान बनाने का सामान इकट्ठा किया। इस प्रकार मकान तो बन गए पर रोटी-कपड़े का अभाव फिर भी बना रहा। मध्यप्रदेश के सीहोर जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसे इस गाँव में पहुँचने के लिए कच्चे रास्ते पर नालों और जंगलों को पार करना पड़ता है, आवागमन का कोई साधन यहाँ उपलब्ध नहीं है। सन् 1976 में राज्य सरकार ने जंगलों के आसपास की खाली जमीन दलित समुदाय को आवंटित करने की घोषणा की थी। इस तरह क्षेत्र के 80 परिवारों को पाँच-पाँच एकड़ जमीन पट्टे पर मिली, जिन्होंने क्षेत्र में एक नाले के समीप अपना गाँव बसाया। चूँकि नाले के किनारे 'कवटिया' नामक एक पेड़ था, इसलिए इस गाँव को 'कोटिया नाला' कहा जाने लगा।

तीस साल पहले यहाँ लोगों को पट्टे की जमीन तो मिल गई थी, लेकिन इससे लोगों की आजीविका की समस्या हल नहीं हो पाई। ज्यादातर जमीन पथरीली और अनुपजाऊ थी, सिंचाई का कोई साधन उपलब्ध नहीं था और बीज-खाद खरीदने की क्रयशक्ति लोगों में नहीं थी। लिहाजा जमीन मिलने और गाँव बस जाने के बाद भी आजीविका की समस्या कायम रही और पेट पालने के लिए लोग पलायन करते रहे। इसी बीच आग लगने से पूरा गाँव ही जल गया। गाँव के एक किसान जगन्नाथ बताते हैं-'आग से एक भी घर नहीं बच पाया। घरों में रखा अनाज और कपड़े सभी जल गए। कई लोगों के पास तो शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कोई कपड़ा ही नहीं बचा था।'

गाँव की इस सूरत को बदलने की पहल क्षेत्र में सक्रिय एक स्वयंसेवी संस्था 'पुष्प कल्याण केन्द्र' ने की, जिसमें वन विभाग के संवेदनशील अधिकारियों ने भी अपना खूब योगदान दिया। संस्था ने सन् 2001 में क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह बनाने की प्रक्रिया शुरू की। आज यहाँ 8 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें से 3 सिर्फ महिलाओं के हैं। समूह में हर महीने थोड़ी बचत तो की ही जाती थी, साथ ही लगातार मीटिंग से लोग गाँव की दशा और दिशा पर गंभीरता से सोचने लगे। इस दौरान समूह के सदस्यों को विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जाने लगा। संस्था द्वारा ग्रामसभा को मजबूत करने और विकास में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए ग्रामवासियों के बीच लगातार चर्चाएँ की जातीं। विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी गाँव में किया जाता था। इससे लोग गाँव के विकास के नए-नए तरीकों पर विचार करने लगे। इसी बीच वन विभाग द्वारा गाँव में वन सुरक्षा समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे लोग पूरे उत्साह के साथ जुड़े और गाँव की कायापलट करने के लिए सोचने लगे। ग्रामवासी गोविन्दसिंह कहते हैं कि 'हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि किस तरह आजीविका के अवसर बढ़ाए जाएँ, ताकि लोगों को पलायन नहीं करना पड़े। इसके लिए सबके पास जमीन तो थी, पर फसल उगाने के लिए सिंचाई व खाद-बीज नहीं था। इस दशा में जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए केंचुआ खाद का तरीका सामने आया। आज पूरे गाँव में एक भी परिवार ऐसा नहीं है, जिसके घर या खेत पर केंचुआ खाद बनाने के होद नहीं हैं।' पिछले एक साल में इस गाँव से कुल मिलाकर 500 क्विंटल जैविक खाद बेची जा चुकी है। इसी बीच गाँव के दोनों ओर सटे जंगल में वन सुरक्षा समिति के माध्यम से आँवले के 30 हजार पौधे लगाए गए हैं।

इस गाँव की एक और खासियत यह है कि अब यहाँ महिलाओं को चूल्हे पर खाना पकाते समय धुएँ का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके लिए घर-घर में धुएँरहित चूल्हे लगाए गए हैं। इसके लिए वन विभाग द्वारा गाँव के दो युवकों को धुएँरहित चूल्हे बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये युवक अब तक 40 घरों में इस तरह के चूल्हे लगा चुके हैं और शेष घरों की शीघ्र ही ये चूल्हे लगाने की तैयारी है।

इस तरह 'कोटिया नाला' के लोगों ने गाँव के विकास में भागीदारी करते हुए उसे 'कोटिया आँवला' में बदलने में सफलता हासिल की है। गाँव के युवकों का उत्साह देखकर इस गाँव का भविष्य आसानी से देखा जा सकता है।



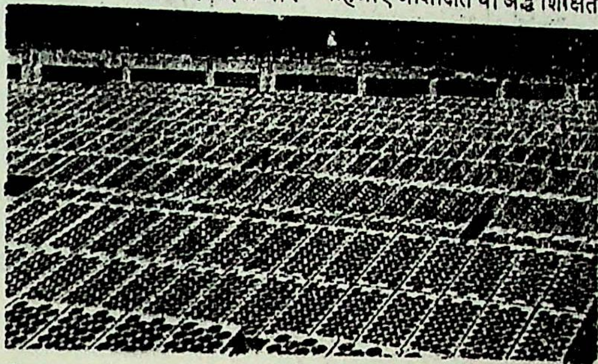
केंचुआ खाद के हौद

सौर ऊर्जा से रोशन गाँव ही नहीं, जिंदगियाँ भी

राजस्थान के अजमेर जिले के तिहारी गाँव की कमलादेवी दिखने में किसी भी आम देहाती महिला से भिन्न नहीं हैं। सिर पर पल्लू, नाक में बड़ी-सी नथ और हाथ-पाँव में चाँदी के चमकते गहने। लेकिन जब उनसे बात करेंगे तो वे साधारण महिलाओं की तरह खाना बनाने, सिलाई-बुनाई की बातों के बजाए आपको बताएँगी कि वे किस प्रकार तारों के सर्किट, चार्ज कंट्रोलर और पैनलों को जोड़कर सौर लालटेन बनाती हैं। उनके द्वारा बनाए सौर लालटेन राजस्थान के गाँवों के कई अँधेरे घरों और स्कूलों को रोशन कर रहे हैं।

कमला राजस्थान की पहली महिला सौर इंजीनियर हैं। कमला की तरह देश के आठ राज्यों सिक्किम, असम, बिहार, राजस्थान, केरल, उत्तरांचल, हिमाचलप्रदेश और आंध्रप्रदेश की लगभग ४० महिलाएँ तिलोनिया गाँव के सोशल वर्क्स रिसर्च सेंटर (एसडब्ल्यूआरसी) के 'बेयरफुट कॉलेज' में प्रशिक्षण ले रही हैं। छः महीने के प्रशिक्षण के बाद ये महिलाएँ सौर लैंप बनाने और उनकी मरम्मत करने में दक्ष हो जाती हैं। उसके बाद अधिकतर महिलाएँ अपने क्षेत्र के गाँवों में, जहाँ बिजली की कमी है या बिजली बिलकुल नहीं होती, इन लैंपों का इस्तेमाल करती हैं।

तिलोनिया के इस सौर ऊर्जा प्रणाली कॉलेज में महिलाओं को सोलर इंजीनियर का प्रशिक्षण देने का काम १९९५ में शुरू किया गया था। आज ७५ ग्रामीण महिलाएँ सोलर फोटो वोल्टिक इकाइयों और सोलर लालटेन बनाने, लगाने तथा उसकी मरम्मत व देखभाल करने में प्रशिक्षित हो चुकी हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक और सोलर इंजीनियर की तकनीकी सहायता के बिना



अनु आनंद

कमला और उनकी साथियों ने दस सोलर पॉवर प्लांट, पाँच हजार स्थिर घरेलू बिजली प्रणाली, तीन सोलर पंप और सैंतीस सौर पानी के हीटर लगाने और बनाने का कार्य किया है। इनमें से अधिकतर महिलाएँ अशिक्षित या अर्द्ध शिक्षित हैं, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया है कि केवल खेतों में काम करने या घरेलू ढर्रे की भूमिका के अलावा वे किस प्रकार परिष्कृत तकनीक से भी काम कर सकती हैं।

तेईस वर्षीय कमला जब बारह वर्ष की आयु में अपने ससुराल आईं तो उन्होंने कभी स्कूल का मुँह भी नहीं देखा था। उनके घर में स्कूल जाने का अवसर केवल उनके भाइयों को ही मिला। उनका काम अपनी बहनों की देखभाल करना, खाना बनाना, पानी ढोना और पशु चराना था। ससुराल में उन्होंने समाज कार्य अनुसंधान केंद्र के विजनवाड़ा के रात के स्कूल के बारे में सुना तो उनके मन में भी पढ़ने की इच्छा हुई। उनके ससुर ने उनका साथ दिया और कमला ने रात के स्कूल में पाँचवीं कक्षा तक पढ़ाई की। स्कूल में पढ़ते हुए वे रात के अँधेरे में जलने वाले सौर लैंप से बेहद प्रभावित हुईं, क्योंकि गैर बिजली के क्षेत्र में इन लैंपों का अच्छा इस्तेमाल हो सकता था। यहीं से उनके मन में ऐसे लैंप बनाने का विचार आया। यही सोचकर वे केंद्र के सोलर लाइट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिल हो गईं। इससे पहले गाँव की किसी भी महिला ने सौर इंजीनियर का प्रशिक्षण नहीं लिया था।

अपने प्रशिक्षण के बाद उन्होंने वर्ष १९९७ में विजनवाड़ा की छः महिलाओं को भी सौर ऊर्जा लैंप बनाने में प्रशिक्षित किया। इसके पश्चात कमला के पदचिह्नों पर चलते हुए कई महिलाओं ने 'बेयरफुट' सोलर इंजीनियर बनने का रास्ता अपनाया। कमला के मुताबिक, 'अगर मेरे ससुर ने मुझे प्रोत्साहित न किया होता तो मैं खेतों और घर के कामों से कभी बाहर नहीं निकल पाती। बाद में मेरे पति और सास भी सहमत हो गए। अब मुझे इस काम में बेहद मजा आता है। इसने मेरे जीवन में भी उजाला भर दिया है।'

राजस्थान में रात के करीब १५० स्कूल चलते हैं। जो बच्चे घर के काम-काज के कारण दिन में स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए समाज कार्य अनुसंधान केंद्र ने ये स्कूल खोले हैं। इन स्कूलों में रात को सौर लालटेन से ही रोशनी होती है। तीन हजार से अधिक चरवाहे लड़के और लड़कियाँ इन स्कूलों में जाते हैं। सौर लालटेन मिट्टी के तेल की लालटेनों से अधिक उपयुक्त हैं। समाज अनुसंधान केंद्र अभी तक सौर विद्युतीकरण की प्रक्रिया को आठ राज्यों के कई गैर बिजलीकृत गाँवों में लागू कर चुका है। केंद्र ने यूरोपीय संघ और यूएनडीपी द्वारा मिलने वाले धन से कुछ बेहद पिछड़े राज्यों के दूरदराज गाँवों को चिह्नित किया है। केंद्र के अध्यक्ष बंकरराय के मुताबिक, 'इस विचार का उद्देश्य यह है कि यदि बेहद साधारण और अशिक्षित ग्रामीण लोग सौर इकाइयों की परिष्कृत तकनीक को बनाने, लगाने, मरम्मत करने और उनके रख-रखाव का कार्य करने में प्रशिक्षित किए जा सकते हैं तो सौर ऊर्जा की प्रक्रिया समूचे विश्व में अपनाई जा सकती है।' क्या इसे सफल प्रयास कहा जा सकता है? केंद्र के एक कार्यकर्ता का जवाब था, 'उससे भी बढ़कर, यह तो शुरुआत है। जहाँ भी ग्रामीण महिलाएँ इस काम को करती हैं, वहाँ उनकी कीर्ति के चर्चे होते हैं। परिवार और समाज में वे अपनी पहचान बना पा रही हैं।'

(प्रातकट)

सौर उर्जा /सौर लालटेन/

खेतों को लहलहा रही है परमाणु ऊर्जा!

मनीष उपाध्याय

आ[illegible] परमाणु ऊर्जा [illegible] परमाणु [illegible] परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) [illegible] कर रहा है। इस समय परमाणु ऊर्जा विभाग अपने इन कार्यों के अलावा कृषि में उत्पादित रेडियो समस्थानिक (आइसोटोप) का [illegible] लिए नए अनुसंधान में व्यापक उपयोग कर रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग नाभिकीय कृषि कार्यक्रम (न्यूक्लियर एग्रीकल्चर प्रोग्राम) चला रहा है, जिसमें रेडियो आइसोटोप के अनुप्रयोगों के जरिए अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा डीएई द्वारा नाभिकीय दवा और स्वास्थ्य कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है।

परमाणु ऊर्जा विभाग नाभिकीय कृषि कार्यक्रम में रेडिएशन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। इस प्रौद्योगिकी के माध्यम अधिक पैदावार देने वाली फसलों के बीजों, साथ ही उर्वरक और कीटनाशक संबंधी अध्ययन तथा अनुसंधान किए जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि रेडिएशन प्रौद्योगिकी भारतीय किसानों और व्यापारियों के लिए फायदेमंद भी साबित हो रही है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) दशकों से कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर फसल सुधार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य में संलग्न है। देश के कम ही लोगों को जानकारी होगी कि बार्क अभी तक व्यावसायिक फसलों की उच्च पैदावार देने वाली 24 किस्मों का सफलतापूर्वक विकास कर उन्हें व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने के लिए जारी कर चुका है। पैदावार के लिहाज से उन्नत 24 किस्मों में से 10 किस्में मूंगफली, 10 दालों, 2 सरसों की और एक-एक जूट व चावल की है। बार्क ने 1995 में गुजरात और महाराष्ट्र के साथ मध्यप्रदेश के लिए मूंगफली की टीजी-26 किस्म जारी की। इस किस्म की विशेषता है कि यह 110 से 120 दिन में पक जाती है जिसकी प्रति हैक्टेयर पैदावार 2500 किलो है जो सामान्य से 23 से 39 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह वर्ष 1992 में महाराष्ट्र के साथ मध्यप्रदेश के लिए उड़द की टीएयू-4 किस्म जारी की गई जो 70 से 75 दिन में पक जाती है। इसकी उपज 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर बैठती है जो सामान्य किस्म से 22 प्रतिशत अधिक उपज है।

> भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) दशकों से कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर फसल सुधार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य में संलग्न है।

वर्ष 2003-04 के दौरान ट्रांबे मूंगफली किस्म के बीजों का राष्ट्रीय प्रजनक बीज मांग में 28 फीसदी योगदान रहा। इसी तरह इस मांग में उड़द के बीजों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत रही। वर्ष 1973 में मूंगफली पर किस्म सुधार कार्यक्रम शुरू करने वाले बार्क ने पिछले वर्ष राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश के लिए मूंगफली की टीजी-37ए किस्म जारी की जो 114 दिन में पक जाती है और सामान्य फसल की तुलना में इसमें 26 प्रतिशत ज्यादा पैदावार मिलती है। इसके अलावा बार्क ने हरी खाद की फसल ढेंचा या सनई (सेसबेनिया रोस्ट्रेटा) का सफलतापूर्वक विकास किया है। यह किस्म छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसकी उत्पादन लागत बहुत कम बैठती है। इसका मुख्य उपयोग जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि महंगे रासायनिक उर्वरक पर छोटे किसानों की निर्भरता घट सके। इंदौर के आसपास कुछ किसान आलू की फसल लेने के पूर्व इसका इस्तेमाल करते हैं। बंगाल में भी कुछ किसान चावल की फसल बोने के पूर्व इसका प्रयोग करते हैं।

उत्तरी राज्यों के लिए जारी मूंगफली की नई टी जी 37ए किस्म

ऊतक संवर्धन में ऊतकों को एक विशेष अनुपजाऊ संवर्धन माध्यम में कृत्रिम तरीके से उगाया जाता है। बार्क ने व्यावसायिक केला उत्पादक किसानों की समस्या दूर करने के लिए ऊतक संवर्धन आधारित एक तकनीक विकसित की है। यह तकनीक अब महाराष्ट्र राज्य बीज निगम को हस्तांतरित कर दी गई है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने सूक्ष्म प्रजनन (माइक्रोप्रोपेगेशन) प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए पाइनेपल का अधिक उत्पादन देने वाली किस्म विकसित की है। यही नहीं इसी प्रौद्योगिकी का गन्ने की तीन किस्मों के सुधार में भी इस्तेमाल किया गया है। बार्क ने मरुस्थलीय भूमि पर सफलतापूर्वक उगने वाली कुछ किस्मों का भी विकास किया है। इसमें सर्वोपरि है बबूल की एक किस्म एकासिया विक्टोरी। इसके अलावा जमीन में पोषक तत्वों की मात्रा का पता लगाने के लिए भी तकनीक विकसित की गई है। परमाणु ऊर्जा विभाग अपने यहां कृषि कार्यों के लिए ईजाद की गई तकनीकों की सत्यता की जांच केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से कराता रहता है।

इतनी आबादी का पेट कैसे भरेगा?

नई दिल्ली 21 नवंबर (प्र)

देश में गेहूं का उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है। अगर यही रवैया जारी रहा तो [illegible] अधिक आबादी का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। गेहूं अनुसंधान के [illegible] कृषि वैज्ञानिक श्री एस. नागराजन के अनुसार पिछले पांच वर्ष से गेहूं का उत्पादन नीचे चल रहा है। यह 7 करोड़ 63 लाख टन से गिरकर 6 करोड़ 51 लाख टन रह गया है। इतनी गिरावट पहले कभी नहीं देखी गई। 1965 के बाद हरित क्रांति के चलते भारत को अनाज का कटोरा लेकर विदेशों के आगे हाथ फैलाने की अब तक की नौबत नहीं आई। 1965 में हम केवल 1 करोड़ 20 लाख टन गेहूं का उत्पादन करते थे। हरित क्रांति ने इसे बढ़ाकर वर्ष 2000 में 7 करोड़ 63 लाख टन से ऊपर पहुंचा दिया था। उसके बाद से आबादी की रफ्तार तो बढ़ती रही लेकिन गेहूं उत्पादन में गिरावट का दौर शुरू हो गया। आबादी अगर इसी तरह बढ़ती रही तो 2020 तक भारत को अपनी 1.4 अरब जनता का पेट भरने के लिए 10 करोड़ 90 लाख टन गेहूं चाहिए। श्री नागराजन ने कहा कि अगर 2005 को आधार वर्ष माना जाए तो हर वर्ष 25 लाख टन उत्पादन वृद्धि करनी पड़ेगी। लेकिन गिरावट का वर्तमान दौर इसी तरह चलता रहा तो यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। गिरावट के आपने अनेक कारण गिनाए जिनमें प्रमुख हैं- उर्वरकों के इस्तेमाल में कमी, मूल्य नीति में परिवर्तन, पौध प्रजनन तथा किस्म विकास के प्रयत्नों में शिथिलता। श्री नागराजन के अनुसार इन कठिनाइयों को तुरंत दूर किया जाना चाहिए वरना कटोरा लेकर मांगने की नौबत पुनः आ सकती है। उत्पादन में गिरावट की एक वजह मानसूनकाल में वर्षा की कमी भी है। इस वजह से नदी-तालाबों में पानी कम रहता है और रबी में गेहूं की फसल को पर्याप्त सिंचाई नहीं मिल पाती।

गेहूँ के उत्पादन में लगातार कमी

वार्षिक योजना में वृद्धि पर खुशी भी, गम भी

भोपाल 8 फरवरी (निप्र)। योजना आयोग ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत वार्षिक योजना में सर्वाधिक लगभग 19 सौ करोड़ रुपए की राशि सिंचाई हेतु मंजूर की है। इसके बाद ग्रामीण विकास, ऊर्जा तथा स्कूल शिक्षा विभाग को भी बड़ी राशि मिली है। यद्यपि म.प्र. द्वारा कोयला रायॅल्टी बढ़ाने, वन संरक्षण हेतु धनराशि की मांगों को मंजूर नहीं किया गया है।

यह जानकारी आज वित्तमंत्री श्री राघवजी ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोयला रॉयल्टी में वृद्धि की मांग को फिर नामंजूर कर दिया है। इसी प्रकार 23.6 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फैले जंगलों का संरक्षण-संवर्द्धन हेतु राशि की मांग भी अधूरी रह गई है। सड़क परिवहन निगम को बंद करने के लिए दो सौ करोड़ की मांग के विरुद्ध सिर्फ 45 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। इसके अलावा बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों को मिलने वाली एकमुश्त केंद्रीय सहायता (प्रोत्साहन) में म.प्र. को 293 करोड़ रुपए और मिल सकते हैं। श्री राघवजी ने कहा कि केंद्र के इंसेंटिव फंड से म.प्र. को इस राशि की उम्मीद है। इसी प्रकार डेट रिलीफ (ऋण राहत) फंड के तहत भी प्रदेश को 360 करोड़ रुपए की राशि मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिल सकी। वित्तमंत्री ने बताया कि योजना आयोग से विस्तृत चर्चा के बाद म.प्र. के योजना प्रस्तावों पर योजना सीमा 8950 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 9020 करोड़ रखने की मंजूरी मिली है। राज्य की वार्षिक योजना की प्रस्तावित आयोजना सीमा में से जिला योजना के लिए 3095 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

वार्षिक योजना में मंजूर राशि	
विभाग का नाम	राशि (करोड़)
स्कूल शिक्षा	1100
सिंचाई	1894
सड़क	897
ग्रामीण विकास	1496
नगरीय विकास	425
ऊर्जा	1316
कृषि	427
स्वास्थ्य	170

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास के अंतर्गत 138.60 करोड़ तथा जनभागीदारी के लिए 56.35 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। निर्माण योजना के अंतर्गत प्रत्येक गाँव को विद्युतीकृत करना, प्रत्येक गाँव में पीने का स्वच्छ पानी, शेष ग्रामीण स्कूलों में जलापूर्ति, सिंचाई क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि एवं ग्रामीण गरीबों के लिए मकानों के निर्माण आदि को महत्व दिया गया है। इसके अलावा कृषि उत्पादन में वृद्धि, अधोसंरचना का विकास, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल एवं पोषण आहार जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। 12वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य को प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता वर्ष 2006-07 में 507.55 करोड़ रु. निर्धारित है।

सम्राट यंत्र से मध्यम वर्षा योग का संकेत मिला

जयपुर २ जुलाई (वार्ता)। वास्तु विशेषज्ञों ने यहाँ ऐतिहासिक जंतर-मंतर स्थित सम्राट यंत्र पर पवन धारणा का आयोजन कर राजस्थान में वर्षा योग का पता लगाया।

जंतर-मंतर के अधीक्षक श्री ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि ९० फुट ऊँचे सम्राट यंत्र पर १५ फुट ऊँचे बाँस पर पूजा-अर्चना के बाद सफेद पताका फहराकर पवन धारणा का अनुमान लगाया। इस अवसर पर उपस्थित विद्वतजनों के अनुसार वायु परीक्षण में नैऋत्य कोण में ईशान कोण में वायु की दिशा देखी गई जो मध्यम वर्षा की द्योतक है। चंद्रमा का बादलों में छिपना और नहीं दिखना भी मध्यम वर्षा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि गत नवंबर (कार्तिक शुक्ल पंचमी) से आज तक वर्षा के २५ अच्छे तथा १३ बुरे योग बने हैं। विद्वतजनों ने इस कहावत 'आगे मगन पीछे भान (सूर्य), वर्षा जानो ओस समान' का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें भी मध्यम वर्षा के योग बनते हैं।

(18)

केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाये

व आबंटित राशी/परमाणु उर्जा।

वन ग्रामों के विकास के लिए 82.73 करोड़ की योजना

भोपाल 11 फरवरी (निप्र)

मध्यप्रदेश के 539 वन ग्रामों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 82.73 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इस वित्तीय वर्ष में योजना के तहत 56.07 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के लागू होने से वन ग्रामों में सामुदायिक तथा अधोसंरचना विकास से संबंधित सर्वांगीण विकास के काम किए जाएँगे।

> 15.35 लाख रुपए के विकास कार्य होंगे

योजना के तहत तीन वर्ष की अवधि में प्रत्येक वन ग्राम में लगभग 15.35 लाख रुपए के विकास कार्य होंगे। वन ग्रामों के विकास की इस योजना के तहत होशंगाबाद, दक्षिण छिंदवाड़ा, गुना, दक्षिण तथा उत्तर सिवनी, पश्चिम सीधी, सीहोर, पूर्व तथा पश्चिम मंडला, उत्तर-दक्षिण तथा पश्चिम बैतूल, बड़वानी, रायसेन, खरगोन, दक्षिण सागर, विदिशा, हरदा, इंदौर, जबलपुर, डिंडौरी तथा कटनी वन मंडल के वन ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। प्रदेश के शेष वन ग्रामों में वन विकास अभिकरण के माध्यम से विकास की योजना तैयार की जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन वन विकास अभिकरणों द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के 22 वन विकास अभिकरणों, जो 18 जिलों के अंतर्गत आते हैं, के 539 वन ग्रामों के विकास के लिए 82.73 करोड़ रुपए की यह स्वीकृति मिली है। योजना के तहत प्रथम किस्त के रूप में 41.36 करोड़ रुपए मिलेंगे। योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत राशि केंद्र शासन द्वारा आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।

आदिवासियों को वन भूमि पर हक मिलेगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी

नई दिल्ली 1 दिसंबर (प्रेवा)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज विद्युत, अत्यावश्यक वस्तु, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियमों में संशोधन संबंधी विधेयकों के प्रारूपों को मंजूरी प्रदान कर दी। साथ ही नए मल्टीमीडिया मोबाइल उपग्रह प्रणाली 'इंसेट-4ई' को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 269 करोड़ रुपए है। सरकार ने आदिवासियों को वन भूमि पर अधिकार देने संबंधी विधेयक भी मंजूर किया है।

यह जानकारी सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने पत्रकारों से चर्चा में दी। आपने बताया कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह की अध्यक्षता में आज रात केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के फैसले किए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद संबंधित कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक [illegible]

जाएँगे। उपग्रह आधारित डिजीटल मल्टीमीडिया प्रसारण सुविधा उपलब्ध कराने वाली अत्याधुनिक प्रणाली पर आने वाली 269 करोड़ रुपए लागत में विदेशी मुद्रा का अंश 102 करोड़ रुपए होगा। श्री दासमुंशी ने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन परियोजना के तहत अत्याधुनिक राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली 'जी सेट-6' 'इनसेट-4' ई. तैयार करेगा जो मोबाइल फोन और मोबाइल वीडियो-आडियो रिसीवरों के जरिए सैटेलाइट डिजीटल मल्टीमीडिया प्रसारण सेवा उपलब्ध कराएगी। उपग्रह क्षमता का इस्तेमाल सामरिक और सामाजिक कार्यों के लिए भी किया जा सकेगा।

श्री मुंशी ने बताया कि अनुसूचित जनजाति 'वनाधिकार मान्यता विधेयक 2005' को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह विधेयक संसद के इसी सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक से कई पीढ़ियों से वनों में रह रहे [illegible] अधिकार मिल सकेगा। बहुप्रतीक्षित आवश्यक उपभोक्ता वस्तु (संशोधन) विधेयक के प्रारूप द्वारा 1955 में बने आवश्यक उपभोक्ता कानून में फेरबदल प्रस्तावित है। इसके जरिए उपभोक्ता वस्तुओं पर लगे अनावश्यक प्रतिबंधों और नियंत्रणों को समाप्त किया जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज की अच्छी कीमत मिलने में मदद मिलेगी। अंतरराज्यीय आवाजाही की रुकावटें समाप्त होने के बाद आवाजाही की लागत घटने से घरेलू निर्माताओं को भी प्रतिस्पर्धा में फायदा होगा।

मंत्रिमंडल ने बहुप्रतीक्षित विद्युत संशोधन विधेयक-2005 के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके जरिए ग्रामीण विद्युतीकरण में केंद्र की जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी और उचित सरकारी अथवा प्राधिकृत आयोग के कहने पर संज्ञेय अपराधों की जांच में पुलिस भूमिका को स्पष्ट का प्रावधान किया जाएगा।

19, 20, 21

4000 मेगावाट का अल्ट्रा-मेगा पावर स्टेशन बनेगा

इंदौर 14 फरवरी (जवाहरलाल राठौड़)

भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय देश में पहली बार कोयला आधारित चार-चार हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता के पाँच पावर प्रोजेक्ट्स निजी क्षेत्र के पूँजी-निवेश एवं प्रबंध-कौशल से कार्यान्वित करवाने की पहल कर रहा है। उनमें से एक प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश में भी मूर्तरूप लेगा। इस बाबद प्रारंभिक कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट पर 16 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

केंद्रीय सरकार का वर्ष 2012 तक देश में पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य है। इस हेतु देश में एक लाख मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। लक्ष्य पूर्ति की दिशा में कोयला ईंधन आधारित ऐसे पाँच वृहद विद्युत उत्पादन केंद्र कायम करने की परियोजनाएँ बनाई गई हैं, जिनमें न्यूनतम 4000 मेगावाट उत्पादन हो और इस क्षमता का 10,000 मेगावाट तक विस्तार हो सके। इन्हें 'अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट्स' नाम दिया गया है। पाँचों प्रोजेक्ट्स पर 80,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके लिए 'पावर फायनेंस कार्पोरेशन' को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

म.प्र. को मिला प्रोजेक्ट 16 हजार करोड़ खर्च होंगे

ये प्रोजेक्ट हैं गुजरात में मुंदरा, महाराष्ट्र में रत्नागिरि, कर्नाटक में कारवाड़, छत्तीसगढ़ में अकलतरा और मध्यप्रदेश में सासन (जिला सीधी)। मुंदरा, रत्नागिरि और कारवाड़ अल्ट्रा-मेगा पावर स्टेशन को आयातित कोयले से चलाया जाएगा जबकि अकलतरा और सासन पावर स्टेशन को कोयला आपूर्ति स्थानीय समीपवर्ती कोयला खदानों से की जाएगी। सासन (मध्यप्रदेश) तथा मुंदरा (गुजरात) के प्रस्तावित अल्ट्रा-मेगा प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन, प्रबंधन एवं संचालन में रुचि लेने वाले निजी क्षेत्रों से 28 फरवरी तक आवेदन माँगे गए हैं। सासन प्रचुर खनिज कोयला भंडार वाला क्षेत्र सीधी जिले में है। क्षेत्र में नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन सुपर ताप विद्युत गृह पहले से ही है।

८० करोड़ लागत की इंडस्ट्रीयल वॉटर सप्लाय योजना का कार्य शीघ्र शुरू होगा

देवास २९ सितंबर (निप्र)। देवास के उद्योगों के लिए ८० करोड़ रुपए लागत की इंडस्ट्रीयल वॉटर सप्लाय योजना का कार्य शीघ्र आरंभ होने जा रहा है। इसके लिए निविदा जारी की जा चुकी है। योजना जून २००६ तक पूरी होने की संभावना है।

कलेक्टर श्री आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि म.प्र. अधोसंरचना राज्य विकास निगम (एमपीएसआईडीसी) भोपाल द्वारा देवास जिले के लिए प्रस्तावित ८० करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीयल वाटर सप्लाय योजना का शीघ्र ही कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके टेंडर जारी किए जा चुके हैं। यह योजना जून २००६ तक पूरी हो जाए, ऐसे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। कलेक्टर श्री आशीष श्रीवास्तव ने देवास की बुनियादी जरूरतों को चिह्नित किया। इनमें देवास के उद्योगों के लिए पानी की योजना लंबे समय से विचाराधीन थी। इस योजना द्वारा नेमावर से नर्मदा का पानी देवास तक पहुँचाकर उद्योगों को दिया जाए, यही मूल उद्देश्य बनाकर कार्रवाई आरंभ की गई। देवास के उद्योगों के लिए १२ एमएलडी पानी की जरूरत आँकी गई है। ११ एमएलडी पानी के लिए उद्योगों ने अनुबंध भी कर लिए हैं। परियोजना की कुल क्षमता २३ एमएलडी की है। शेष पानी पेयजल के लिए नागरिकों को भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। श्री पवार ने बताया कि देवास तथा रास्ते में आने वाले अन्य प्रमुख नगरों को भी इस परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन जैसे नगर निगम, नगर पालिकाओं को भुगतान करना पड़ेगा। श्री पवार ने मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर को इसके लिए धन्यवाद दिया है कि उन्होंने बीओटी आधारित इस योजना को प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर आगे बढ़ाया। इससे आने वाले दिनों में उद्योगों को नया जीवन मिलेगा। नए उद्योग भी आएँगे, जो अभी तक पानी की समस्या के कारण देवास आने से मुँह मोड़ने लगे थे। देवास नगर निगम द्वारा भुगतान देने पर नागरिकों को पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। इससे नगर के नागरिकों की वर्षों से चली आ रही जल समस्या के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा।

5.12.2005

14 लाख सिंचाई पंपों को दी जा रही है 2800 मेगावॉट बिजली



इंदौर 5 दिसंबर (जवाहरलाल राठौड़)

म.प्र. में इन दिनों व्यापक एवं गहन विद्युत संकट छाया हुआ है। गत 11 नवंबर से तहसील/विकासखंड स्तर पर तथा 27 नवंबर से जिला एवं संभागीय मुख्यालयों तक घोषित/अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। विद्युत मंडल के अधिकारी मौजूदा संकट का मुख्य कारण रबी फसलों को सींचने के लिए 14 लाख पंपों को बिजली देना बताते हैं। लगभग 2800 मेगावॉट अतिरिक्त विद्युत इनमें खप रही है, जो करीब 35 प्रतिशत है।

लगभग एक हजार मेगावॉट विद्युत बाहरी उत्पादन-स्रोतों से प्रतिदिन खरीदने के बावजूद घोषित/अघोषित कटौती करना पड़ रही है। मध्यप्रदेश में कृषि सिंचाई हेतु किसानों के यहाँ 9 लाख 95 हजार स्थायी और 4 लाख अस्थायी विद्युत पंप हैं। इन्हें दो अलग-अलग समय समूह में विभाजित कर के ऊर्जस्वित किया जा रहा है। उससे 2800 मेगावॉट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति करना पड़ रही है। सबसे ज्यादा 3 लाख सिंचाई पंप उज्जैन संभाग के 6 जिलों में ऊर्जस्वित किए जा रहे हैं, जिससे 400 मेगावॉट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति करना पड रही है। इंदौर संभाग के 7 जिलों में 1 लाख 90 हजार स्थायी और 72 हजार 500 अस्थायी विद्युत संयोजन सिंचाई पंपों को ऊर्जस्वित करने हेतु लगे हैं, जिससे 250 मेगावॉट अतिरिक्त विद्युत खपत बढ़ी है। सिंचाई पंपों को चलाने के लिए प्रदेश में कुल मिलाकर करीब 2800 मेगावॉट अतिरिक्त खपत बढ़ी है, जो कि कुल विद्युत उत्पादन के 35 प्रतिशत के बराबर है।

भारी घाटे का सौदा

उल्लेखनीय है कि कृषि पंपों को विद्युत आपूर्ति करने में मंडल को भारी हानि उठाना पड़ती है, कारण दरें काफी कम हैं। राज्य शासन प्रति यूनिट 55 पैसे सबसिडी देता है, इसके बावजूद भारी घाटा होता है। बिजली बिलों का भुगतान भी मात्र 30 प्रतिशत होता है। 70 प्रतिशत बिलों का भुगतान हीं नहीं होता। इस दृष्टि से सिंचाई पंपों को चलाने में जो 35 प्रतिशत विद्युत खपत हो रही है, वह भारी घाटे का सौदा है। इस घाटे को कम करने के लिए सामान्य घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं से वसूली की जाती है। चोरी से उपयोग में लाई जा रही 30 से 35 प्रतिशत विद्युत की कीमत भी सामान्य विद्युत उपभोक्ताओं से ही आंशिक रूप से वसूली जाती है। 84 हजार औद्योगिक विद्युत कनेक्शनों पर भी चोरी गई विद्युत की भरपाई का आंशिक भार पड़ रहा है। इन तमाम कारणों से विद्युत मंडल को भारी विद्युत घाटा होता है। यहाँ तक कि महँगी दरों पर विद्युत खरीदकर कम दरों पर सिचाई पंपो को विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

इस समय पॉवर ट्रेडिंग कार्पोरेशन, टाटा एनर्जी, नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन, अडाणी ऊर्जा कंपनी आदि से मध्यप्रदेश विद्युत मंडल विद्युत खरीद रहा है। केंद्रीय विद्युतगृहों से मध्यप्रदेश को 1311 मेगावॉट तक आपूर्ति अलग की जाती है। इंदिरा सागर जल विद्युतगृह से 120 मेगावॉट तथा सरदार सरोवर जल विद्युतगृह से मात्र 19 मेगावॉट विद्युत मध्यप्रदेश को मिल रही है। इसके बावजूद माँग की पूर्ति नहीं हो पा रही है। किसी भी राज्य विद्युत मंडल के पास सरप्लस विद्युत नहीं है। सब घाटे में चल रहे हैं। सब जगह कटौती हो रही है। इस संकट से निजात पाने का एकमात्र रास्ता है अपने यहाँ विद्युत उत्पादन बढ़ाना या कम दरों पर आपूर्ति रोकना तथा चोरी पर अंकुश लगाना है।

इंदौर में लोक परिवहन की नई शुरुआत

सड़कों पर 6 सिटी बसें दौड़ने लगी

INDORE CITY BUS

इन आकर्षक सिटी बसों में कौन सफर नहीं करना चाहेगा....

(22)

सुहानी बसों में आरामदायक सफर

इंदौर 13 फरवरी (नगर प्रतिनिधि)

सिटी बस सेवा सोमवार से प्रारंभ हुई। फिलहाल तीन मार्गों पर छः बसें प्रारंभ की गई हैं। सुबह इन बसों में यात्री काफी कम थे लेकिन शाम होते-होते बसें न केवल पूरी भरी दिखाई दीं बल्कि कई लोगों को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी। सभी स्थानों पर बस स्टैंड तैयार नहीं होने के कारण यात्री परेशान दिखाई दिए। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि कहाँ खड़े होकर बस का इंतजार करें।

इन बसों ने पिछले चार दिनों से लोगों को मुफ्त यात्रा कराई जा रही थी। आज बसों में किराया लेने की शुरुआत की गई। तीन मार्गों पर बसें चलाई जा रही हैं- बॉम्बे हॉस्पिटल से नगर निगम तक, देवास नाका से केंट और बड़ा गणपति चौराहे से खंडवा रोड तक। सिटी बसों में कितनी सवारियां हैं इस पर नगर सेवा चालकों ने विशेष ध्यान रखा। सुबह के दौर में यात्रियों की संख्या काफी कम नजर आई लेकिन दोपहर बाद से रात्रि तक बसें भरी दिखाई दीं। शाम से बसों में यात्रियों की संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि कई लोगों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। यात्रियों ने बसों में किराया सूची नहीं दिखने पर परिचालक से पूछा कि फलां जगह जाने के लिए कितना किराया लगेगा, उन्हें कहाँ पर उतारा जाएगा आदि-आदि। एसडीएम श्री चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि अगले सोमवार से 10 और बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। बसों में किराया सूची भी लगा दी जाएगी।

आदत से मजबूर

सिटी बसें निर्धारित स्थानों पर ही रुक रही हैं। बस स्टैंडों से यात्रियों को बैठाया जा रहा है और निर्धारित स्थानों पर ही उन्हें उतारा जा रहा है। बीच में कहीं भी बस को रोका नहीं जाता। आदत के मुताबिक आज यात्रियों ने सिटी बसों को भी नगर सेवा व टेम्पो के समान जगह-जगह हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश की लेकिन बसें नहीं रुकीं।

पहले दिन की समस्याएँ और आय

सिटी बसों के संचालन के प्रथम दिन छः बसों में से प्रत्येक ने 250 से 300 किलोमीटर का सफर तय किया। हर बस में औसतन 400 से 425 यात्रियों ने सफर किया। प्रत्येक बस ने 15 से 20 ट्रिप लगाई। एसडीएम श्री चंद्रमौली शुक्ला के अनुसार प्रति बस करीब 2200 रुपए की आय हुई। बसें रात्रि में जैसे ही मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित मुख्य कार्यालय परिसर में पहुँचीं वैसे ही उनकी धुलाई व सफाई की प्रक्रिया शुरू हो गई। श्री शुक्ला ने चालकों और परिचालकों से चर्चा कर उन्हें प्रथम दिन आई समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अनेक स्थानों पर बस स्टैंड नहीं बन पाने के कारण यात्री यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ खड़े रहें। श्री शुक्ला ने उन्हें निर्देश दिए कि जहाँ बस स्टैंड नहीं हैं वहाँ आसपास लगे बस के बोर्ड के समीप बसें रोकी जाएँ। बस स्टैंडों का निर्माण होने तक यही प्रक्रिया जारी रखें। श्री शुक्ला के अनुसार चालकों ने बताया कि सुबह के दौर में कई स्थानों पर नगर सेवा चालकों ने बसों के अंदर आकर यात्रियों को ले जाने की कोशिश की तथा सिटी बस की व्यवस्थाएँ भी देखीं। चालकों का कहना था कि हर स्टॉप पर 20 सेकंड के निर्धारित समय की बजाय आधा से 1 मिनट तक बस रोकी जा रही है ताकि यात्रीगण बस तक पहुँच सकें

इंदौर जिले के लिए ४९.०२ करोड़ की योजना मंजूर

इंदौर २७ सितंबर। राज्य योजना मंडल ने इंदौर जिले के लिए आगामी वित्तीय वर्ष की जिला योजना ४९ करोड़ २ लाख ४९ हजार रुपए की मंजूर की है। जारी वित्तीय वर्ष की जिला योजना ४४ करोड़ १३ लाख रुपए की है। इस प्रकार अगले वित्तीय वर्ष की योजना के लिए करीब ४ करोड़ ८९ लाख रुपए की वृद्धि की गई है।

कल भोपाल में राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष श्री भेरूलाल पाटीदार और योजना मंडल द्वारा गठित दलों के समक्ष कलेक्टर डॉ. राजेश राजौरा ने जिला योजना प्रस्तुत की थी। जिला योजना अधिकारी श्री आर.सी. सोमरवार ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष की जिला योजना में शिक्षा, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण और वन विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस जिला योजना में कृषि विभाग को ९३ लाख ६१ हजार रुपए, उद्यानिकी को ३८ लाख ६२ हजार, पशुपालन विभाग को १७ लाख ४२ हजार, मत्स्योद्योग को ९ लाख ५७ हजार, वन विभाग को एक करोड़ २५ लाख, खाद्य विभाग को २४ लाख ६० हजार, सहकारिता विभाग को ७ लाख ५२ हजार, ग्रामीण विकास विभाग को २ करोड़ ६८ लाख, भू-सुधारों के लिए ५ लाख, जल संसाधन विभाग के लिए ८ करोड़ २० लाख ८६ हजार, ऊर्जा विभाग को ३१ लाख ५० हजार, उद्योग विभाग को ३१ लाख २५ हजार, हथकरघा विभाग को ५ लाख ६९ हजार, खादी एवं ग्रामोद्योग को ३ लाख ३६ हजार, रेशम विभाग के लिए एक लाख, लोक निर्माण विभाग के लिए ३ करोड़ ९६ लाख २२ हजार, जिला योजना विभाग के लिए ८ करोड़ २० लाख, स्कूल शिक्षा विभाग को १२ करोड़ ५० लाख ७७ हजार, खेल एवं युवक कल्याण के लिए २ लाख ५ हजार, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक करोड़ ६७ लाख, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए ८ करोड़ ९२ लाख, नगरीय विकास एवं कल्याण विभाग के लिए ३१ लाख ३६ हजार, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को ३ करोड़ ११ लाख हजार, आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए एक करोड़ २५ लाख ४० हजार, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए ३ करोड़ ६२ लाख ५३ हजार, पंचायत एवं समाजसेवा के लिए ८ लाख १२ हजार, जिला पंचायत के लिए २ करोड़ ७३ लाख ८५ हजार रुपए तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए २ करोड़ ३८ लाख ३८ हजार रुपए का प्रावधान किया गया है।

(22)

पत्रकार कॉलोनी की स्थिति।

5 तहसील कार्यालयों व प्रशासनिक भवन का निर्माण शीघ्र शुरू होगा

इंदौर 2 जनवरी (नप्र)

नए वर्ष में इंदौर में पाँच तहसील कार्यालय और नए प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू होने की पूर्ण संभावना है। कलेक्टर द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पूर्व में भोपाल भेजा जा चुका है। हाल ही में उसमें कुछ नए बिंदु भी जोड़े गए। निर्माण कार्य के लिए धनराशि की व्यवस्था भी स्थानीय स्तर पर ही करने की कोशिश की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि इंदौर तहसील का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। इसमें इंदौर शहर के साथ ही कई गाँव भी शामिल हैं। वर्तमान में नागरिकों को किसी भी कार्य के लिए कलेक्टर कार्यालय आना पड़ता है। इस कारण प्रतिदिन कलेक्टोरेट में भीड़ लगी रहती है। कलेक्टर श्री विवेक अग्रवाल ने इंदौर विधानसभा क्षेत्रवार पाँच तहसील कार्यालय खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। जिसमें तहसीलदारों के अलावा संबंधित क्षेत्र के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के कार्यालय भी रहेंगे। इन कार्यालयों के लिए स्थान व्यवस्था प्रशासन करेगा।

कलेक्टर श्री अग्रवाल ने इस संबंध में बताया कि प्रस्ताव में कई विकल्प दिए गए हैं। जैसे स्थान की व्यवस्था शासकीय भूमि पर नया भवन बनाकर की जा सकती है। इसके लिए राशि की व्यवस्था विकास प्राधिकरण करे। शासकीय भूमि को प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में शामिल किया गया है। इसके एवज में प्राधिकरण से उक्त कार्य के लिए कुछ राशि ली जा सकती है। दूसरा विकल्प यह है कि शहर में स्थित शासकीय भवनों का उपयोग इसके लिए किया जाए।

पाँचों कार्यालयों को सभी अधिकार दिए जाएँगे ताकि आम लोगों को कलेक्टर कार्यालय तक नहीं आना पड़े। इन कार्यालयों में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के कार्यालय भी रहेंगे। इससे वे क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर ठीक से नजर रख सकेंगे और तुरंत किसी भी घटनास्थल तक पहुँच सकें। कलेक्टर श्री विवेक अग्रवाल ने बताया कि प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना को भी नए वर्ष में प्रारंभ करने का प्रयास है। पूर्व में कृषि महाविद्यालय मार्ग पर रॉबर्ट नर्सिंग होम के समीप स्थित शासकीय भूमि पर प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था लेकिन अब वर्तमान कलेक्टोरेट भवन के स्थान पर इसके निर्माण का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। कलेक्टोरेट के सामने का मार्ग चौड़ा हो चुका है। माणिकबाग ओवरब्रिज लगभग पूर्ण हो चुका है और जूनी इंदौर ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होने वाला है। इससे कलेक्टोरेट तक पहुँचने के लिए मार्गों और परिवहन साधनों की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी।

रतनजोत से जैविक डीजल उत्पादन के लिए १८०० करोड़ रु. की योजना मंजूर

(जवाहरलाल राठौड़)

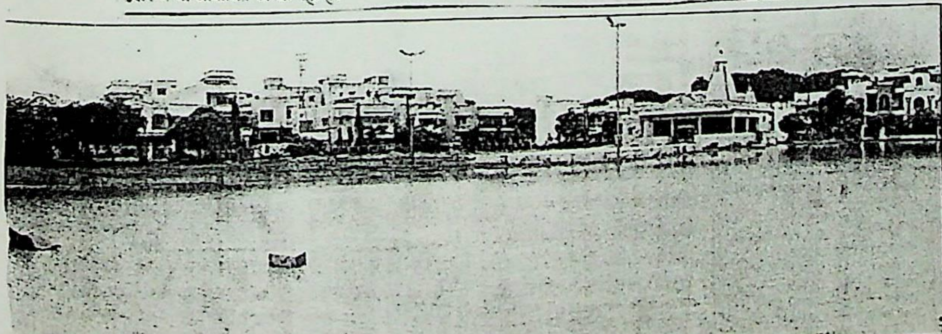
इंदौर १८ अगस्त। 'रतनजोत' नामक औषधियुक्त एवं ऊर्जावान पौधे के बीजों से जैविक डीजल (बायो-डीजल) के व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए योजना आयोग ने प्रथम चरण में १८०० करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी दी है। देश के चार राज्यों के १५ जिलों में रतनजोत की बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए ग्रामीणों को इस योजना के अंतर्गत प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाएगा। इस हेतु २० अगस्त को एक कार्यशाला इंदौर में भी आयोजित की जा रही है।

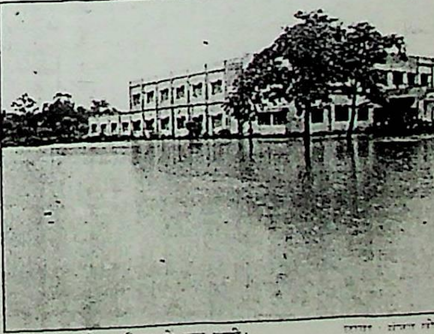
उक्त योजना इंडियन ऑइल कार्पोरेशन और रेलवे बोर्ड ने संयुक्त रूप से प्रस्तावित की थी। डीजल के दामों में लगातार वृद्धि के कारण वैज्ञानिक उसका विकल्प खोजते रहे हैं। इस खोज में वनस्पति शास्त्र में वर्णित 'जेट्रोफा करकस' जिसे उत्तर भारत में 'रतनजोत' के नाम से जाना जाता है, को वैज्ञानिकों ने उपयोगी पाया। रतनजोत के फल में से निकलने वाले बीजों में ३५ से ४० प्रतिशत तक अखाद्य तेल पाया जाता है। यह तेल औषधीय गुणों से युक्त होने के साथ ही ऊर्जावान भी होता है। उससे जैविक डीजल तैयार किया जा सकता है।

वैज्ञानिकों ने बतलाया है कि रतनजोत के बीजों में १८.२ प्रतिशत प्रोटीन, ३८ प्रतिशत वसा, १८ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेड, १५ प्रतिशत फाइबर, ६.६२ प्रतिशत मोइस्चर तथा ५ प्रतिशत तक राख होती है। उसमें ३५ से ४० प्रतिशत तक जो गाढ़ा तेल होता है, उसका उपयोग डीजल उत्पादन के अलावा प्लास्टिक एवं सिंथेटिक फाइबर के उत्पादन, डाई के निर्माण, वार्निश में कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। उसमें जेट्रोफिन एसिड (अम्ल) भी मिलता है। तेल निकालने के बाद जो अवशेष खली के रूप में बचता है, वह पौष्टिक पशु आहार होता है।

विश्व में ब्राजील पहला ऐसा देश है जहाँ ३० से ४० प्रतिशत डीजल का उत्पादन रतनजोत से किया जा रहा है। भारत में रतनजोत को औषधीय गुणों से युक्त तो माना जाता रहा है, किंतु उससे डीजल का व्यावसायिक उत्पादन व्यापक स्तर पर नहीं किया गया है क्योंकि वह महँगा पड़ता है। अब डीजल के दाम

(शेष पृष्ठ ७ कॉलम ७ पर)





महानगरीय क्षेत्र घोषित करने की माँगों के संबंध में निर्देश

इंदौर २७ अगस्त। मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर ने प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव [illegible] को आदेशित किया है कि इंदौर को महानगरीय क्षेत्र घोषित किए जाने संबंधी माँग के विभिन्न बिंदुओं का निराकरण समय सीमा में करें। समय सीमा ३० अगस्त निश्चित की गई है। यह जानकारी देते हुए श्री [illegible] ने बताया कि शहर के ८८ प्रमुख नागरिकों ने इस संबंध में एक पूरक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है, जिसमें इंदौर को अतिशीघ्र महानगरीय क्षेत्र घोषित करने की माँग की गई है।

महापौर व निगमायुक्त विदेश दौरे पर

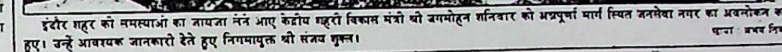
इंदौर २७ अगस्त। महापौर डॉ. उमाशशि शर्मा, निगमायुक्त श्री पी. नरहरि तथा [illegible] एवं नागरिक आपूर्ति समिति प्रभारी श्री अनिल [illegible] ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड दौरे पर रवाना हो गए। [illegible] में हो रही [illegible] ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व सिंगापुर जाएँगे।

नागरिक शहरों में अनुशासन विकसित करें व भू-भवन माफिया से डटकर लड़ें

इंदौर की समस्याओं व विकास पर कार्यशाला में श्री जगमोहन

इंदौर ४ नवम्बर (नगर प्रतिनिधि)। केंद्रीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री जगमोहन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शहरों में अनुशासन विकसित करें तथा भू एवं भवन माफिया से डटकर मुकाबला करें। श्री जगमोहन, इंदौर में शनिवार शाम, जाल सभागृह में 'इंदौर की नगरीय समस्याएँ तथा सतत विकास' पर आयोजित कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

इंदौर शहर की समस्याओं का जायजा लेने आए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री जगमोहन शनिवार को अन्नपूर्णा मार्ग स्थित जनसेवा नगर का अवलोकन करते हुए। उन्हें आवश्यक जानकारी देते हुए निगमायुक्त श्री संजय शुक्ल। फोटो : अभय तिवारी



व्यक्तित्व निर्माण भी बुनियादी ढाँचे का एक हिस्सा है

शोध प्रबंध की प्रति भेंट



म.प्र. विद्युत मंडल के अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री सिविल व वास्तु विशेषज्ञ कौशिक अशोककुमार ने इन्दौर निवेश क्षेत्र का स्थापत्य वेद के सिद्धान्तों से विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर शोध प्रबन्ध की प्रति जगमोहन को भेंट की. इस शोध प्रबन्ध से प्राप्त निष्कर्षों के बारे में बताया कि आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान, स्थापत्य के समकक्ष 30 प्रतिशत से अधिक नहीं है, जिसमें निर्माण कब, क्यों और कहां करना चाहिए व बनाने के बाद क्या परिणाम होंगे, यह नहीं बताया जाता. इस से इन्दौर विकास ... में नगरवासियों ने अपने स्वार्थ, आवश्यकता, धनार्जन के लिये जो भी सही-गलत निर्माण करना पड़ा, वह किया. स्थापत्य के ज्ञान के अभाव में अधिकांश कॉलोनी के नक्शे दिशाविहीन बनाये गये, जिससे न सिर्फ शासन, वरन् नगरवासी भी परेशान हैं.

नवभारत/४.११.२०००

इंदौर के बिगड़ते स्वरूप को सबके सहयोग से सँवारेंगे

हुडको का कार्यालय इंदौर में खुलेगा

तकनीकी सत्र

(२३) पूर्व केंद्रीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री जगमोहन का इन्दौर आगमन

भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरा किया आइस्टीन का सपना

मुंबई 7 फरवरी (प्रेट्र)

भारतीय वैज्ञानिकों ने उस चीज की खोज कर ली है, जो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और भौतिकविदों की कई पीढ़ियों के लिए महज एक ख्वाब था। भारतीय वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी की क्वांटम थ्योरी को खोजा। इन्होंने अब इस थ्योरी के प्रायोगिक परीक्षण का प्रस्ताव किया है।

ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले प्राकृतिक बलों को एक कर देने की दिशा में पहला कदम है। क्वांटम बल ही परमाणवीय दुनिया को निर्देशित करते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) के डॉ. पंकज जोशी ने आज यहाँ बताया कि इन प्रभावों को देखा भी जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि क्वांटम ग्रेविटी की वैधता प्रकृति के बलों के एकीकरण की थ्योरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन समेत भौतिकविदों की कई पीढ़ियों का अधूरा सपना था। डॉ. जोशी 'फिजिकल रिव्यू लेटर्स' के 27 जनवरी को प्रकाशित अंक के एक वरिष्ठ लेखक हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम अब विशाल ब्रह्मांड अंतरिक्ष वेधशाला (ईयूएसओ) जैसे आगामी प्रयोगों पर काम कर रही है। ईयूएसओ को योरपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2010 में प्रक्षेपित करेगी जिससे भविष्यवाणियाँ करने में मदद मिलेगी। खोजें सही साबित होने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों के पास ग्रेविटी की पूरी क्वांटम थ्योरी (प्रकृति के सभी बलों के एकीकरण) को समझने के लिए वास्तविक सुराग मिल सकेगा।

ग्रेविटी की क्वांटम थ्योरी को खोजा

खोज में यह भी निहित है कि ब्रह्मांड में कोई अनावृत एकात्मकता या विलक्षणता (नेकेड सिग्युलारिटी- अनंत घनत्व का एक क्षेत्र, जहाँ एक चम्मच पदार्थ का वजन भी अतुलित भारी होता है) होती है, जब कोई सितारा मरता है या गिरता है या जब तारों का ईंधन (स्टेलर फ्यूल) उड़ जाता है।

यह भी कहा जाता है कि ब्लैक होल्स तब नहीं बनेंगे, जब तारे गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण ध्वस्त हो जाते हैं। अंक के सह लेखक हैं डॉ. जोशी के मार्गदर्शन में शोध करने वाले टीआईएफआर की ऋतुपर्णा गोस्वामी और पेन्सिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के परमप्रीत सिंह। उक्त वैज्ञानिकों के दल का काम दर्शाता है कि गिरते सितारे ब्लैक होल या अनावृत एकात्मकता में परिवर्तित नहीं होते हैं। बहरहाल इसके बदले ये गिरते सितारे एक फूटे विस्फोटक के रूप में अपना समस्त पदार्थ फेंक देते हैं। जो प्रेक्षकों द्वारा देखे जाने पर आकाश में मांस के एक लाल टुकड़े या जलते गोले के रूप में दिखाई देते हैं। आइंस्टीन के सापेक्षतावाद की जनरल थ्योरी के समीकरणों के गणितीय समाधान ब्लैक होल्स और अनावृत एकात्मकता की मौजूदगी की भविष्यवाणी करते

(शेष पृष्ठ 7 पर)

राष्ट्रपतिजी ने भारतीय किसानों के लिए उपयोगी सुझाव माँगे

मनीला 5 फरवरी (प्रेवा)

फिलीपींस की यात्रा पर आए राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने यहाँ अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान के वैज्ञानिकों को भारतीय किसानों की समस्याओं की जानकारी दी और इस बारे में उनसे उपयोगी सुझाव माँगे।

इस संस्थान में डॉ. कलाम ने वैज्ञानिकों से पूछा कि निरंतर घटते कृषि क्षेत्र को देखते हुए चावल के उत्पादन को दोगुना करने की चुनौती का सामना किस तरह से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में इस समय लगभग 17 करोड़ 60 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि है, जो वर्ष 2020 तक घटकर 10 करोड़ हैक्टेयर रह जाएगी। यही नहीं कृषक समुदाय की अगली पीढ़ी की खेती में रुचि भी घटती जा रही है। डॉ. कलाम ने कहा कि घटते कृषि क्षेत्र के बावजूद भारतीयों को चावल का उत्पादन दोगुना करने के तरीके ढूँढ़ने होंगे, साथ ही भारत को उन्नत किस्म के बीजों की भी तलाश है। डॉ. कलाम ने स्वीकार किया कि भारत में किसान खुश नहीं हैं। भारत में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है। अधिकतर किसानों को मिट्टी की किस्म, बेहतर जल प्रबंधन और खाद के सही उपयोग के बारे में जानकारी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में किसानों की फसल प्रतिकूल मौसम के कारण बर्बाद हो जाती है।

डॉ. कलाम ने इस संस्थान के महानिदेशक श्री राबर्ट [illegible]घर और उनके सहयोगी वैज्ञानि[illegible] के साथ संस्थान से लगे धान के खेत का दौरा भी किया। इस समय उनके बिल्कुल सधे हुए सवालों से वैज्ञानिक आश्चर्यच[illegible]त थे।



कृषि विशेषज्ञ चकित

राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की कृषि संबंधी जानकारियों से आज फिलीपींस के कृषि विशेषज्ञ चकित रह गए। उन्होंने यहाँ पहुँचते ही वैज्ञानिकों से कृषि से जुड़े कई सवाल कर डाले। उनकी इस जानकारी से कृषि विशेषज्ञ भी हतप्रभ थे। इस अवसर पर एक वैज्ञानिक के तौर पर डॉ. कलाम ने जानना चाहा कि फिलीपींस के कृषि वैज्ञानिक भारत के बिहार जैसे राज्य को बाढ़ और सूखे की समस्या से निजात दिलाने के लिए किस तरह सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सूखा और बाढ़ दोनों गंभीर समस्या है, जिससे हर साल सैकड़ों एकड़ धान की फसल नष्ट हो जाती है। ऐसे में राज्य के लिए धान के विशेष किस्म के बीजों की जरूरत है। उन्होंने वैज्ञानिकों से यह भी जानना चाहा कि पंजाब और हरियाणा में, जहाँ किसान गेहूँ और धान की बारी-बारी से खेती करते हैं, क्या कोई और फसल का विकल्प भी संभव है।

अमेरिका के राष्ट्रपति ने माना

अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में भारत से है मुकाबला

वाशिंगटन 1 फरवरी (रायटर)

अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने प्रौद्योगिकी और अनुसंधान विकास के क्षेत्र में चीन और भारत की तुलना में अमेरिकी वर्चस्व बनाए रखने के लिए 136 अरब डॉलर की दस वर्षीय 'अमेरिकी प्रतिस्पर्धी योजना' की घोषणा की है। श्री बुश ने विदेशों में लोकतांत्रिक मूल्यों तथा देश में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

136 अरब डॉलर की 10 वर्षीय योजना घोषित

श्री बुश ने कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका को भारत व चीन जैसे देशों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा से [illegible] के लिए स्कूलों में गणित और विज्ञान के पाठ्यक्रमों को और [illegible]ीय बनाए जाने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा- 'हम अपने मेहनती, [illegible]र महत्वाकांक्षी लोगों की बदौलत ही दुनिया में सबसे आगे हैं [illegible] चाहता हूँ कि हमारी यह विशिष्टता हर हाल में कायम रहे।

तेल का आदी अमेरिका

श्री बुश इस मौके पर देशवासियों से यह कहने से भी नहीं चूके कि वे अपनी तेल जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया से तेल आयात पर अपनी निर्भरता कम करें। उन्होंने कहा- 'अमेरिका तेल का आदी हो चुका है, जिसका आयात हमें दुनिया के सर्वाधिक अशांत हिस्सों से करना पड़ता है। इसका मुकाबला करने का बेहतर तरीका प्रौद्योगिकी में सुधार है।' उन्होंने छः वर्षीय लक्ष्य रखा, जिसके तहत वैकल्पिक ईंधन के तौर पर इथेनॉल को इस्तेमाल में लाने का आह्वान किया।

राष्ट्रपति का संदेश

राजनीति को विकास केंद्रित बनाएँ



नई दिल्ली 25 जनवरी (वार्ता)। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने चुनाव खत्म होते ही राजनीति को विकास केन्द्रित बनाने पर बल दिया है।

- राजनीति को केवल चुनाव तक सीमित न रखें
- चुनाव खत्म होते ही देश में विकास की राजनीति शुरू हो जानी चाहिए।
- राजनीति दो प्रकार की होती है 'राजनीतिक' 'राजनीति' और 'विकासात्मक राजनीति'।
- चुनाव के तत्काल बाद सभी दल एक साझे मिशन वाली विकासात्मक राजनीति अपना लेना चाहिए।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा

राष्ट्र के विकास हेतु आव्हान

(२५)

राष्ट्रपति द्वारा सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने का आह्वान

सागरद्वीप 17 जनवरी (प्रे)

राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम ने सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे ताप, जल और परमाणु बिजली की स्पर्धा में खड़ा करने का आह्वान किया।

राष्ट्रपति इस लघु द्वीप पर कायलपारा स्थित भारत के सबसे बड़े (120 किलोवॉट) सौर ऊर्जा संयंत्र का अवलोकन करने आए थे। राष्ट्रपति ने कहा कि इस द्वीप पर सौर ऊर्जा के दोहन की विपुल संभावना है। इसका समुचित इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने इन संयंत्रों में प्रयुक्त सिलीकॉन सेल की कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि इससे मिलने वाली ऊर्जा सस्ती हो सके। प्रोटोकोल को तोड़ते हुए उन्होंने संयंत्र के निकट पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बंगाल सरकार की रिनिवेबल ऊर्जा विकास एजेंसी ने 135 करोड़ रु. की सौर ऊर्जा योजना बनाई है। इससे सुंदरवन क्षेत्र के 131 गाँवों को सौर ऊर्जा प्रदान की जा सकेगी।

कायलपारा ग्राम के बच्चों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मैं भी आपकी तरह एक द्वीप रामेश्वरम में रहता था। आप सौभाग्यशाली हो जो आपको सौर ऊर्जा के प्रकाश में पढ़ने को मिल रहा है। मैंने घासलेट की ढिबरी की रोशनी में अपनी पढ़ाई की।

लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में तालमेल जरूरी : महामहिम कलाम

नई दिल्ली 10 नवंबर (वा)

राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने लोकतंत्र के तीनों स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका में अच्छे तालमेल की जरूरत पर बल दिया। उनका कहना है कि न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग अपनी मर्यादा के उल्लंघन की कीमत पर नहीं करना चाहिए।

डॉ. कलाम कल यहाँ 'कानूनी सशक्तीकरण' विषय पर संबंधित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वाय.के. सब्बरवाल, लोकसभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी तथा कानून एवं न्याय मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज भी उपस्थित थे। डॉ. कलाम ने कहा कि लोकतंत्र के स्तंभों को सही और समुचित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन[illegible] [illegible] जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इन तीनों स्तंभों को जितनी जल्दी यह अहसास होगा कि उनके बीच पारस्परिक संबंध हैं, सशक्त प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए यह उतना ही बेहतर होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि तीनों को एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप न करके अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों की मर्यादा का पालन करना चाहिए तथा रचनात्मक कार्यों को मूर्तरूप देना चाहिए।



रजिस्टर्ड नं. आयडीसी/एमपी/०९

फोन नं. २७६३१११
फैक्स नं. २७६३११८-२०

नईदुनिया

इंटरनेट संस्करण http://www.naidunia.com

इंदौर शुक्रवार ३० मई २००३

जबलपुर के गणितज्ञ का दावा

वेदों की शून्य आधारित गणना प्रणाली से ऊर्जा समस्या का हल संभव

भोपाल २९ मई (निप्र)। कहा जाता है कि हमारे वेदों में ज्ञान का अथाह भंडार है। वेदों पर विश्वभर में शोध कार्य जारी हैं, लेकिन इसे भारत में ही मान्यता दिलाना आसान नहीं है। वेदों से प्राप्त ज्ञान और शून्य आधारित गणना प्रणाली को मान्यता दिलाने के लिए जबलपुर निवासी श्री श्यामसिंह ठाकुर चार वर्षों से संघर्षरत हैं। उनका दावा है कि यदि इस गणना प्रणाली का उपयोग किया जाए तो ऊर्जा की समस्या का हल हो जाएगा और कोलंबिया जैसी दुर्घटनाएँ भी नहीं होंगी।

वेद प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित है और विज्ञान भी प्रकृति के सिद्धांत को मानता है। यदि वेद और आधुनिक विज्ञान मिल जाएँ तो विश्व में नई क्रांति आ सकती है। वेद और विज्ञान के एक हो जाने पर वेदों में उपलब्ध ज्ञान का प्रमाणीकरण हो जाएगा। वेदों के ज्ञान को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए श्री ठाकुर पिछले चार वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। लालफीताशाही और कागजी कार्रवाई की पेचीदगी में उलझे श्री ठाकुर अब हताश होने लगे हैं। उन्हें आशंका है कि अब अमेरिका उनकी पद्धति का पेटेंट करा लेगा।

बुधवार को लघु उद्योग सेवा संस्थान इंदौर द्वारा राजधानी में बौद्धिक संपदा अधिकार पर आयोजित एक कार्यक्रम में वे अपना पर्चा प्रस्तुत करने आए थे। उन्होंने इस प्रतिनिधि से चर्चा में बताया कि १९९९ में शून्य पर आधारित एक गणना प्रणाली उन्होंने विकसित की है। शून्य के आधार पर बिना शून्य का उपयोग किए होने वाली इस गणना प्रणाली को उन्होंने 'वाय-२-के संक्रांति' नाम दिया है। इस गणना प्रणाली से अनंत संख्या के कोण बनाए जा सकते हैं, जिससे क्वांटम कम्प्यूटरों के लिए क्वांटम चिप्स बनाए जा सकते हैं। इस पद्धति को इंटरनेट की सुरक्षा के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। श्री ठाकुर ने बताया कि शून्य पर आधारित गणना का कॉपीराइट अधिकार १९९९ में भारत शासन द्वारा उनके नाम जारी किया जा चुका है। शून्य को अंतरराष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हो जाता है तो विश्व में ऊर्जा की समस्या स्वस्तिक गणित द्वारा हल की जा सकती है। (शेष पृष्ठ १५ कॉलम १ पर)

वेदों की शून्य...

लोग घरों में इन्वर्टर के स्थान पर स्वस्तिक रखेंगे

(पृष्ठ ३ से जारी)

स्वस्तिक का अर्थ है स्वयं अस्तित्व में हो जाना। इसमें मुख्यतः चार बलों का प्रयोग किया जाता है- पेंडुलम, चुंबकीय, विद्युत उच्च दाब और विद्युत निम्न दाब। अब लोग घरों में इन्वर्टर के स्थान पर स्वस्तिक रखेंगे, जो अपने आप विद्युत उत्पादन करेगा। यदि ऐसा हो गया तो विश्व से ऊर्जा की समस्या हल हो जाएगी।

श्री ठाकुर का तो यह भी दावा है कि इस पद्धति से अनिश्चितता के सिद्धांत की गणना की जा सकती है। अनिश्चितता के सिद्धांत की गणना हो जाए तो कोलंबिया जैसी दुर्घटनाएँ रोकी जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि कोलंबिया यान में सवार भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुश्री कल्पना चावला सहित अन्य यात्री दुर्घटना के शिकार हो गए थे। किसी भी यात्री को बचाना संभव नहीं हो सका था। श्री ठाकुर का मानना है कि दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों आधार पर शून्य पर केवल भारत का अधिकार है। आज दुनिया में कम्प्यूटर से जुड़े उद्योगपति चरम पर हैं, जो कि शून्य पर आधारित हैं। जिस प्रकार भगवद्गीता का महत्व हमारे जीवन में है, वही महत्व गणित गीता का वैज्ञानिक जीवन में है। इसे सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को प्रथम उपदेश सांख्य योग का ही दिया था। इसी योग ने वैदिक गणित दिया, जिससे स्वस्तिक गणित की उत्पत्ति हुई। स्वस्तिक गणित शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंदजी सरस्वती ने प्रस्तुत किया है। श्री ठाकुर का दावा है कि भारत में इस गणित के बारे में केवल तीन लोग जानते हैं। उनके और स्वामी निश्चलानंदजी सरस्वती के अलावा इलाहाबाद वि.वि. के पूर्व कुलपति श्री त्रिविकुमपति शर्मा ही इस पद्धति के बारे में जानते हैं।

श्री ठाकुर १९९९ से इस पद्धति का अपने नाम पेटेंट कराने का प्रयास कर रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने इस पद्धति को १९९९ में खोजा जबकि स्वामी निश्चलानंदजी की पुस्तक सन २००० में प्रकाशित हुई। स्वामीजी की पुस्तक की प्रस्तावना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री त्रिविकुमपति शर्मा ने लिखी है। श्री ठाकुर ने बताया कि मुंबई स्थित पेटेंट कार्यालय से उनका पत्राचार सतत जारी है, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। बार-बार की पूछताछ और हर बार वही जानकारियाँ मँगवाने से अब वे तंग आ चुके हैं। निराशा और हताशा के भाव उनके चेहरे पर पढ़े जा सकते हैं। उन्हें आशंका है कि नासा अमेरिका में इस पद्धति पर शोध कार्य जारी है और यदि हमने देर कर दी तो अमेरिका इसका पेटेंट करा लेगा। भारत का शून्य फिर भारत का नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि नासा की एक पत्रिका नेशनल ज्यॉग्राफी में ब्रह्मांड का एक चित्र प्रकाशित हुआ है। यह चित्र प्रदर्शित करता है कि नासा के वैज्ञानिक उनकी गणना प्रणाली के आसपास पहुँच चुके हैं। यदि इस पद्धति का पेटेंट हो जाए तो भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता।

सूर्यग्रहण पर कुरुक्षेत्र में लाखों श्रद्धालु आएँगे

कुरुक्षेत्र २९ मई (वार्ता)। हरियाणा की पौराणिक नगरी कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के अवसर पर ३१ मई को करीब १५ लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस सदी का यह पहला सूर्यग्रहण ३१ मई को सुबह ७ बजकर ३५ मिनट से ८ बजकर ३९ मिनट तक रहेगा।

ट्रेंचिंग ग्राउंड में बनेगा स्लॉटर हाउस

इंदौर, 10 फरवरी

शहर में स्थित तीन स्लॉटर हाउस (सदर बाजार, जूनी इंदौर तथा खजराना-निपानिया रोड) म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों के बाद बंद हो जाएँगे। इन्हें बंद करके एकीकृत स्लॉटर हाउस (वधशाला) की व्यवस्था की जा रही है। खबर है कि नगर निगम ने इसके लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड को चुना है।

- मशीनों के माध्यम से होगा स्लॉटरिंग कार्य
- प्रदूषित जल के उपचार के लिए बनेगा प्लांट
- एक वर्ष में होगा योजना का क्रियान्वयन

सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे 2003 के एक मामले (लक्ष्मीनारायण बनाम भारत संघ) की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने भारत की वधशाला को नवीनीकृत करने का आदेश दिया था। इस आदेश के पालन के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिकृत किया गया था। इसके तहत म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इंदौर में संचालित सभी वधशालाओं को नोटिस दिए गए। शहर के बीचोंबीच स्थित ये वधशालाएँ परंपरागत तौर से चलाई जा रही थीं। अब इन्हें अत्याधुनिक रंग दिया जाएगा। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ. डी.के. वाघेला का कहना है कि नगर निगम द्वारा नई जगह देखने का कार्य चल रहा है। उन्हें जगह बदलने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया है। वे बताते हैं कि नई एकीकृत वधशाला में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले जानवरों का वध करने के लिए मजदूर रखे जाते थे। इस व्यवस्था के चलते संक्रमण फैलने की आशंका रहती थी। मगर नई व्यवस्था के अंतर्गत मशीनों के माध्यम से स्लॉटरिंग का कार्य किया जाएगा। साथ ही इससे निकलने वाले प्रदूषित जल के लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा। प्लांट से निकले जल को पेड़ों में डाला जा सकेगा। इस बीच बुरहानपुर तथा खंडवा में चल रही वधशालाएँ बंद कर दी गई थीं, लेकिन वहाँ के नगर निगम आयुक्त ने म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इंदौर इकाई को शपथपत्र पेश किया है। इसमें उन्होंने वधशाला को अत्याधुनिक स्वरूप देने तथा प्रदूषण नियंत्रित करने की बात कही है। 16 माह में यह बदलाव आ जाएगा, लेकिन बोर्ड का कहना है कि उसने सिर्फ 12 माह ही दिए हैं।

इंदौर में स्थित स्लॉटर हाउस
- सदर बाजार स्थित हलाल वधशाला
- जूनी इंदौर स्थित झटका वधशाला
- खजराना-निपानिया रोड स्थित पाड़ा वधशाला

नर्मदा घाटी में तीन और जल विद्युतगृह बनाने की पहल

इंदौर 9 फरवरी (जवाहरलाल राठौड़)

मध्यप्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग के अधीन कार्यरत 'नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण' ने नर्मदा नदी के जलबहाव मार्ग में तीन स्थलों पर जल विद्युत उत्पादन गृह बनवाने की नई पहल शुरू की है। अभी इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर तथा महेश्वर इन तीन स्थलों पर जल विद्युतगृहों का निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है। अब बरगी, बौरास तथा हंडिया इन तीन नए स्थलों का चयन जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया है।

इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर जल विद्युतगृह का निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और मध्यप्रदेश सरकार दोनों संयुक्त भागीदारी से कर रहे हैं। इस हेतु नर्मदा जल विद्युत निगम की स्थापना की गई है। अब जो तीन नए जल विद्युतगृह बनाने की पहल शुरू की गई है यह भी नर्मदा जल विद्युत निगम के माध्यम से ही की जा रही है। फर्क इतना होगा कि नए तीन जल विद्युतगृहों के निर्माण की योजना निजी पूँजी निवेशकों की भागीदारी में कार्यान्वित की जाएगी। तीन नए जल विद्युतगृहों के निर्माण की इस योजना पर राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने अपनी सहमति दे दी है। उसने नर्मदा जल विद्युत निगम को 'विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन' तैयार करवाने का लिखित निर्देश दे दिया है। दिसंबर 2006 तक प्रतिवेदन तैयार करवा लेने का निर्देश दिया गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी है कि नए तीन जल विद्युतगृहों की स्थापित उत्पादन क्षमता 60/60 मेगावॉट की होगी अर्थात ये लघु जल विद्युतगृह होंगे

(शेष पृष्ठ 7 कॉलम 2 पर)

नर्मदा घाटी... (पृष्ठ 1 से जारी)

जिनके निर्माण पर 550 करोड़ रु. व्यय होने का अनुमान है। समस्त आरंभिक कार्रवाइयाँ पूरी कर लेने के बाद अगले वर्ष (2007) में इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जो वर्ष 2010 तक पूर्ण कर लेने के प्रयास किए जाएँगे। इससे पहले निजी पूँजी निवेशकों को भागीदार बनाने की पहल की जाएगी।

परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु केंद्रीय सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र हासिल करना होगा, जिसमें काफी समय लगता है। लगभग दो हजार परियोजना प्रभावितों (प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल) के परिवारों का विस्थापन एवं पुनर्वास भी करना पड़ेगा। भूमि अर्जन की कार्रवाई भी करना होगी। परियोजना स्थल बरगी जबलपुर के पास, बौरास होशंगाबाद के निकट तथा हंडिया हरदा जिले में (नेमावर पार) है।

इन्दौर के लिये स्वीकृत/भावी योजनायें व धनराशी - १ (26)

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

इंदौर जिले के पचास हजार से अधिक घरों में रोशनी पहुँचेगी

इंदौर 26 फरवरी

भारत सरकार ने राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत इंदौर तथा उज्जैन जिले की योजना को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के अंतर्गत इंदौर जिले में 27 करोड़ 34 लाख रु. व्यय किए जाएँगे तथा 50 हजार 234 परिवार लाभान्वित होंगे। इसी तरह उज्जैन जिले में योजना के तहत 42 करोड़ रु. खर्च किए जाएँगे।

यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं म.प्र. ऊर्जा विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष श्री तुलसी सिलावट ने दी। गाँवों को विद्युत रोशनी से जगमगाने की इस महत्वपूर्ण योजना की सौगात इंदौर तथा उज्जैन जिले को देने के लिए श्री सिलावट ने यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह एवं केंद्रीय ऊर्जामंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने श्री शिंदे से अनुरोध किया है कि इंदौर तथा उज्जैन संभाग के अन्य जिलों के लिए भी प्रस्तावित योजना को शीघ्र मंजूरी प्रदान करें ताकि बिजली संकट से जूझ रहे मालवा-निमाड़ अंचल को अँधेरे की समस्या से निजात मिल सके। श्री सिलावट ने आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी है कि जनवरी 06 में इंदौर जिले के लिए स्वीकृत 27.34 करोड़ की योजना का क्रियान्वयन दो वर्षों में किया जाना है। जिले के चारों विकासखंडों इंदौर, साँवेर, देपालपुर और महू के अविद्युतीकृत ग्रामों तथा घरों में बिजली पहुँचाई जाएगी। इंदौर जिले में लाभान्वित होने वाले 50234 बिजली विहीन घरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 19154 परिवार हैं, जबकि गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवारों की संख्या 37803 है। श्री सिलावट ने बताया कि योजना के अंतर्गत 877 नए वितरण ट्रांसफार्मर, 786 कि.मी. 11 केवी लाइन तथा 312.5 कि.मी. निम्नदाब लाइन डाली जाएगी।

इंदौर जिले में 27.34 करोड़ तथा उज्जैन जिले में 42 करोड़ रुपए खर्च होंगे

कांग्रेस नेता ने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से 90 प्र.श. सबसिडी मिलेगी, जबकि शेष 10 प्र.श. राज्य सरकार को ऋण के रूप में व्यय करना पड़ेगा। योजना के लाभों के संबंध में श्री सिलावट ने बताया कि प्रत्येक गाँव में कम से कम एक नया ट्रांसफार्मर लगने से वोल्टेज तथा लोड संबंधी समस्या से ग्रामीणों को मुक्ति मिलेगी। दूसरे विद्युत का नेटवर्क भी मजबूत रहेगा। बहुत से गाँवों में फिलहाल ट्रांसफार्मर गाँव से दूर किसी खेत में लगे हैं, किंतु इस योजना के तहत गाँव के अंदर ही ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। यदि गाँव में अथवा आसपास कोई उद्योग, कारखाने आदि लगते हैं तो उनके लिए भी पृथक से ट्रांसफार्मर लगाने का प्रावधान किया गया है। श्री सिलावट ने बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इस योजना में विशेष लाभ मिलेगा। उनके घरों के पास एक विद्युतलाइन डाली जाएगी। विद्युत खंबे से उनके घरों तक सर्विस लाइन भी सरकार निःशुल्क डालेगी। योजना के तहत गरीबी रेखा से ऊपर वाले बिजली विहीन सामान्य परिवारों के घरों तक भी विद्युत लाइन इस योजना के तहत डाली जाएगी। गरीब परिवारों को राज्य शासन विद्युत दरों में सबसिडी देगा। वर्तमान में अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को मीटर रीडिंग के आधार पर प्रतिमाह 25 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। योजना के तहत फ्रेंचाइजी का भी प्रावधान है, जिससे कोई भी ग्राम पंचायत, सोसायटी व अन्य संस्था विद्युत क्षेत्र में पदार्पण कर सकती है।

नईदुनिया रविवार, 12 फरवरी 2006

बातों ही बातों में 30 करोड़ डॉलर के निवेश का प्रस्ताव

इंदौर 11 फरवरी (नगर प्रतिनिधि)

वे इस्कॉन के भक्त हैं और स्विट्जरलैंड में रहते हैं। वे कुछ घंटे के लिए इंदौर में रुके और कलेक्टर श्री विवेक अग्रवाल को एक प्रस्ताव दे गए कि वे यहाँ 30 करोड़ डॉलर के निवेश के लिए उत्साहित हैं। यह निवेश कूड़े से बिजली और पानी बनाने के प्रकल्प में होगा। इंदौर के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति के यहाँ इस चर्चा में स्विट्जरलैंड निवासी श्री शैलेश गोवंदिया ने प्रस्ताव दिया कि उनका निजी प्रतिष्ठान इमरजिंग मार्केट ग्रुप होल्डिंग कंपनी लि. योरप और यूएसए के देशों में सात हजार टन कूड़े को प्रोसेस कर 75 मेगावाट बिजली और पानी बना रहा है। यह तकनीक भाप से संचालित होती है। जिस वजह से बिजली के साथ पानी भी मिलता है। श्री अलेक्जेंडर फोर्ड के साथ इंदौर आए श्री गोवंदिया ने कलेक्टर श्री विवेक अग्रवाल से आग्रह किया है कि शासन के स्तर पर उनका प्रस्ताव बने ताकि वे इंदौर में 30 करोड़ डॉलर के निवेश को साकार रूप दे सकें।

स्विट्जरलैंड की कंपनी ने इंदौर में कूड़े से बिजली बनाने की योजना में रुचि दिखाई

इस चर्चा से उत्साहित श्री अग्रवाल ने बताया कि शहर के कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसे लेकर वे शीघ्र ही शासन के स्तर पर पहल करने जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश को उम्मीद से ज्यादा मिला

9020 करोड़ रु. की वार्षिक योजना मंजूर

नई दिल्ली 6 फरवरी (निप्र)

योजना आयोग ने आज मध्यप्रदेश सरकार के लिए 9020 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के साथ आयोग की बैठक में प्रदेश को एक मुश्त केंद्रीय सहायता के रूप में 80 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया। इसमें से 20 करोड़ रु. भोपाल गैस त्रासदी स्मारक के निर्माण पर खर्च किए जाएँगे।

वित्तीय अनुशासन का इनाम : श्री चौहान ने बताया कि राज्य सरकार ने 8050 करोड़ रु. का योजना प्रस्ताव पेश किया था परंतु आयोग की बैठक में योजना का आकार बढ़ा दिया गया। गत वर्ष की तुलना मे राज्य की वार्षिक योजना में 21 प्र.श. वृद्धि हुई है। पहली बार हुई इतनी बड़ी वृद्धि का श्रेय श्री चौहान ने राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन, राजकोषीय घाटा कम करने और आर्थिक सुधार के प्रयासों को दिया।

कुछ जिलों के लिए अतिरिक्त मदद

मुख्यमंत्री ने बताया कि 9020 करोड़ रु. के अलावा बैतूल, खंडवा, झाबुआ, टीकमगढ़, धार सहित प्रदेश के सात पिछड़े जिलो के विकास के लिए 100 करोड़ रु. अतिरिक्त दिए जाएँगे। श्री चौहान ने बताया कि राज्य की वार्षिक योजना में बिजली, सिंचाई तथा सड़क पर विशेष जोर दिया गया है। इस अवसर पर वित्तमंत्री श्री राघवजी भाई ने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए वार्षिक योजना में 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सामान्य नियमों के परे राज्य सरकार ने परिवहन के मद में योजना का 10 प्र.श. खर्च करने का लक्ष्य रखा है। वित्तमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के तहत हमें 114 करोड़ रु. दिए जाएँगे। उन्होंने योजना व्यय में लगभग 100 प्रतिशत सफलता प्राप्त करने का भी दावा किया। (शेष पृष्ठ 7 कॉलम 1 पर)

इंदौर, ग्वालियर एवं भोपाल (राज्य की नईदुनिया) से एकसाथ प्रकाशित

9020 करोड़... पृष्ठ 1 से ज

बिजली मोर्चे पर चिंता

दूसरी ओर योजना आयोग के सदस्यों ने बैठक में मध्यप्रदेश में बिजली वितरण व पारेषण हानियों के आँकड़ों पर चिंता जताई। हालाँकि इस स[...] में राज्य के वित्तमंत्री श्री राघवजी भाई ने भी माना कि प्रदेश में वितरण हा[...] काफी अधिक है। परंतु उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसे रोकने के लि[...] लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिजली, सिंचाई और सड़क निर्माण के काम को उच्च प्राथमिकता देगी। सरकार का प्रयास [...] कि म.प्र. को बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालकर अगले तीन वर्षों में विकसि[...] राज्यों की कतार में खड़ा कर दिया जाए। श्री चौहान ने योजना आयोग उपाध्यक्ष व सदस्यों के साथ निर्माणाधीन बिजली परियोजनाओं को समय पूरा करने तथा नई परियोजनाओं की संभावनाओं पर चर्चा की।

ऊँचाई कम कर लागत में 68 करोड़ रु. कम किए, तीन सुरंगों के बीच से आएगा पानी

नर्मदा तृतीय चरण की योजना के लिए इस बार नर्मदा के स्तर से पानी को चढ़ाने के लिए ऊँचाई को 20 मीटर कम कर दिया गया है। वर्तमान में 680 मीटर पर जाकर पानी चढ़ाया जाता था अब तृतीय चरण में यह ऊँचाई 660 कर दी गई। इस ऊँचाई पर जाकर पानी ढलान पर आएगा। ऊँचाई कम करने से पानी का ढलान बरकरार रहे इसलिए रास्ते में आने वाले तीन पहाड़ों को काटकर बीच में से ढाई-ढाई कि.मी. की तीन सुरंगें बनाई जाएँगी। ऊँचाई कम होने से बिजली की बचत होगी और 68 करोड़ रु. लागत कम हो जाएगी।

विश्व के आधुनिकतम ऑटोमोबाइल टेस्टिंग ट्रैक की रूपरेखा जून तक



कुछ इस तरह का होगा पीथमपुर का ऑटोमोबाइल टेस्टिंग ट्रैक

इंदौर 28 फरवरी (नगर प्रतिनिधि)

पीथमपुर में बनने वाले विश्व के आधुनिकतम ऑटोमोबाइल टेस्टिंग ट्रैक की रूपरेखा जून तक तैयार हो जाएगी। इसके निर्माण में तकनीकी सहयोग करने वाले स्पेन की कंपनी के इंजीनियरों ने आज प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। स्पेन की कंपनी इस वर्ष जून माह तक पूरी योजना तैयार कर देगी। इसके बाद काम शुरू हो जाएगा।

यह जानकारी म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री राघव चंद्रा ने दी। उन्होंने बताया कि दो चरणों में पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट 600 करोड़ का होगा। इसके लिए स्थान आदि का चयन हो गया है। इसमें खेड़ा, माधवपुरा, सागौर, बोधगांव, खड़्या गाँव, कल्याणखेड़ी आदि कई गाँवों की लगभग 4 हजार एकड़ जमीन खरीदने का काम भी प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि इसके निर्माण में स्पेन की आईडीआईएडीए कंपनी का सहयोग लिया जा रहा है। आज इसके इंजीनियरों ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। वे इसी वर्ष जून माह तक डीपीआर (डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट) तैयार कर दे देंगे, इसके बाद काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (एनएटीआरआईपी) विश्व का अत्याधुनिकतम ट्रैक होगा। इस ट्रैक में न केवल टेस्टिंग होगी बल्कि डिजाइन एवं मैन्युफेक्चरिंग में भी मदद की जाएगी।

इसके कारण पीथमपुर क्षेत्र में बसी ऑटोमोबाइल पार्ट्स कंपनियों को भी काफी फायदा होगा। श्री चंद्रा ने बताया कि चूंकि डिजाइन आदि में भी यहाँ मदद की जाएगी, इस कारण बाहर की ऑटोमोबाइल कंपनियाँ भी यहाँ कार्यालय खोलना चाहेंगी। इससे उन्हें अपनी गाड़ियों के पार्ट्स आदि बदलने में सुविधा होगी। श्री चंद्रा ने बताया कि यह पहला ऐसा टेस्टिंग ट्रैक होगा जहाँ टेस्टिंग के अलावा

(शेष पेज 5 पर)

स्पेन के तकनीकी दल ने किया निरीक्षण

स्पेन में चलती है एडवांस बुकिंग

स्पेन से आए आईडीआईएडीए के इंजीनियर एवेल कारडोमडिल ने बताया कि स्पेन के ट्रैक एक-एक वर्ष तक एडवांस में बुक रहते हैं। उन्होंने बताया कि यह विश्व का अत्याधुनिकतम ट्रैक होगा। उनकी कंपनी आर्किटेक्चर, डिजाइन आदि पर अपना काम जून तक कर लेगी। श्री कारडोमडिल के अनुसार जिस तरह की योजना तैयार की जा रही है वैसी अभी कहीं नहीं है। यहाँ कंपनियों का तकनीकी सहयोग के अलावा सर्विस कंसल्टेंसी तथा डिजाइन एवं मैन्युफेक्चरिंग में भी सहयोग किया जाएगा।

यूएन हैबिटेट योजना में इंदौर का चयन
ढाई करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत

(नगर प्रतिनिधि)

इंदौर ५ मई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी हैबिटेट योजना में इंदौर को शामिल किया है। योजना के तहत ढाई करोड़ रुपए का प्रारंभिक अनुदान स्वीकृत भी हो चुका है। योजना पाँच साल तक चलेगी।

दरअसल पिछले वर्ष जोहान्सबर्ग में 'पृथ्वी सम्मेलन' का आयोजन किया गया था। उसी सम्मेलन में यह महसूस किया गया था कि विकासशील देशों के बीच नेटवर्किंग जरूरी है, खासकर बुनियादी जरूरतों के संदर्भ में। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने हैबिटेट योजना के तहत एशिया के पाँच देशों का चयन किया जिसमें भारत, चीन, इंडोनेशिया और दो अन्य देश शामिल हैं। इन पाँचों देशों में से एक-एक शहर के चयन का निर्णय लिया गया। भारत में इंदौर का चयन हुआ। दरअसल इंदौर के चयन का महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहाँ एशियन विकास बैंक विभिन्न कार्यों के लिए ऋण देने जा रहा है और एडीबी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच यह करार है कि जहाँ बैंक पूँजी निवेश करेगा वहाँ सुधार के दूसरे कदम संयुक्त राष्ट्र संघ उठाएगा। यही कारण है कि इंदौर का चयन यूएन हैबिटेट योजना में किया गया है।

इस संदर्भ में पूछे जाने पर इंदौर नगर निगम के आयुक्त श्री नितेश व्यास ने कहा कि इस योजना के तहत कई ऐसे कार्य होंगे जिनकी ओर आमतौर पर ध्यान नहीं जाता है। मसलन बड़ी योजनाओं के लिए इच्छाशक्ति को गति देने, निवेश के लिए भूमिका तैयार करने, जल संरक्षण, जल गुणवत्ता वृद्धि सहित कई क्षेत्रों में यूएन हैबिटेट के अधिकारी कार्य करेंगे। इंदौर में योजना का एक कार्यालय खुलेगा और अभी इसका कार्यकाल पाँच वर्षों के लिए होगा। श्री व्यास ने बताया कि एशिया के जिन पाँच शहरों का चयन इस योजना के तहत हुआ है उनमें आपसी समन्वय स्थापित करने का काम भी यह कार्यालय करेगा। मसलन इंदौर में यदि कार्य होता है तो उसे जानने-समझने के लिए एशिया के अन्य चार शहरों के भी प्रतिनिधि इंदौर आएँगे। इसी तरह इंदौर नगर निगम के प्रतिनिधि को भी दूसरे शहरों में जाकर स्थिति के आकलन का मौका मिलेगा। कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विशेषज्ञ एक-दूसरे को सलाह भी देंगे।

इंदौर नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र

कर्ज लेकर बनेगा धन कुबेर

इंदौर 9 फरवरी (नगर प्रतिनिधि)

आचार्य चार्वाक का दर्शन कहता है कि कर्जा लो और बेफिक्री से घी पियो। आधुनिक वित्तीय तंत्र भी इसी नक्शे कदम पर है। कर्ज लेकर हुए मालदार को यह तंत्र कुबेर मानता है। पिछली कई पुश्तों से पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी को ढो रहा इंदौर नगर निगम अब जल्दी ही इस लिहाज से धनकुबेरों की जमात में शामिल होने जा रहा है। आने वाले वर्षों में इंदौर नगर निगम पर 978 करोड़ का कर्जा होगा।

यह चौंकाने वाला आँकड़ा नगर निगम आयुक्त श्री पी. नरहरि ने महापौर परिषद की बैठक में बुधवार को नगर निगम की वित्तीय स्थिति को लेकर एक श्वेत पत्र में प्रस्तुत किया है। इसमें वर्ष 2030 तक की निगम की वित्तीय स्थिति का आकलन किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स तथा उसका वित्तीय संतुलन इस श्वेत-पत्र में मुख्य चिंता का विषय है। इस श्वेत-पत्र में निगम ने अपने स्थापना व्यय तथा नियमित विकास कार्य भुगतान को स्थान नहीं दिया है। आने वाले वर्षों में जो बड़े प्रोजेक्ट शहर के विकास के लिए आ रहे हैं और उसमें नगर निगम की जो आर्थिक सहभागिता है, उस पर श्वेत पत्र केंद्रित किया गया है। दरअसल यह पहली बार हुआ है जब नगर निगम प्रशासन ने यह जानने की कोशिश की है कि हमारी वास्तविकता आर्थिक तौर पर कहा है? और कमजोर आर्थिक स्थिति से कैसे उबरा जा सकता है। इस श्वेत-पत्र में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं, जिन पर जनप्रतिनिधियों को पहल करना है ताकि शासन इंदौर के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सके। और करीब एक हजार करोड़ के कर्जे से निपटने के लिए इंदौर नगर निगम को बना सके।

महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रदेशों के आगे इंदौर समेत प्रदेश के अन्य नगरीय निकाय पिछड़ रहे हैं। इसका कारण मात्र ऑक्ट्राय है। मुंबई महानगर पालिका आठ सौ करोड़ का ऑक्ट्राय प्रतिवर्ष इकट्ठा करता है। अहमदाबाद पाँच सौ करोड़ तो इंदौर से आधी आबादी वाला राजकोट शहर साढ़े तीन सौ करोड़ का ऑक्ट्राय अपनी जेब में रखता है। इंदौर नगर निगम की वर्ष 2005 की आय का आँकड़ा 75 करोड़ है। विधायक-सांसद निधि, गरीबी शहरी उन्मूलन, गंदी बस्ती विकास योजना, सामाजिक सुरक्षा निधि को जोड़ तो मात्र 185 करोड़ तक आँकड़ा जाता है। 75 करोड़ की आय वाले इंदौर नगर निगम को अब तीन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में धन की व्यापक आवश्यकता है। बॉन्ड सड़कों के लिए लिया गया हुडको का 45 करोड़ का ऋण

(शेष पृष्ठ 3 पर)

आय बढ़ाने के सुझाव

- श्वेत पत्र में जो सुझाव दिए गए हैं, उसमें निगम की आय बढ़ाने के तरीके सुझाए गए हैं।
- शराब लायसेंस एफएल 2 एफएल 3 का अधिकार मिले
- कमर्शियल टैक्स में 18 सौ करोड़ का योगदान देने वाले इंदौर को 3 प्रतिशत का सरचार्ज मिले।
- वाहन कर में भागीदारी
- वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क में निगम को योगदान मिले
- श्वेत-पत्र मानता है कि कर्जा चुकाने के लिए शहर की जनता पर कोई कर लादना उचित नहीं होगा वरन् पानी का शुल्क जरूर बढ़ाया जाएगा।
- इस पूरे श्वेत-पत्र में नर्मदा के चार सौ करोड़ के बिजली बिल का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रति माह के स्थापना खर्च और ठेकेदारों के भुगतान को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है।

पृष्ठ 1 से आगे

कर्ज लेकर...

400 बगीचों के लिए 40 करोड़

एशियन डेवलपमेंट बैंक का 680 करोड़ का कर्जा तथा जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना में दिया जाने वाला अपना 30 प्रतिशत का अंशदान, जो लगभग 165 करोड़ के लगभग होगा।

इस पूरे कर्जे को वर्ष 2030 तक चुकाना है। एडीबी योजना में 680 करोड का ऋण होगा, जिसमें नर्मदा का तृतीय चरण प्रस्तावित है।

एडीबी प्रोजेक्ट्स के 32 पैकेज बने हैं, जिसके तहत यह राशि लगाना है। इसे वर्ष 2030 तक चुकाना है।

जवाहरलाल शहरी नवीनीकरण योजना

325 करोड़ सीवरेज सिस्टम के लिए, जिसमें निगम का अंशदान 97.5 करोड़ होगा

यशवंत सागर गहरीकरण योजना 35 करोड़, जिसमें निगम का अंशदान 10.5 करोड़ होगा।

165 करोड बॉण्ड सड़क योजना, जिसमें निगम का चार सौ बगीचों की योजना 40 करोड़, जिसमें निगम का अंशदान 7 करोड़ से अधिक होगा।

इसके अलावा हुडको का सड़कों का कर्जा 55 करोड़ रु., नंदानगर विकास योजना का कर्जा साढ़े दस करोड़ के लगभग, माणिकबाग रेलवे ओव्हरब्रिज 2 करोड़ से अधिक एवं अन्य कर्जे इसमें शामिल हैं।

चुकाने की स्थिति

वर्ष 2030 तक 978 करोड़

वर्ष 2006 वर्ष 2007 से प्रतिवर्ष 50 करोड़ रु.

वर्ष 2007-2008 से 60 करोड़ रु. प्रतिवर्ष

कर्जे की तलाश

नगर निगम विकास कार्यों में अपनी तीस प्रतिशत राशि के भुगतान के लिए कुछ ऐसे वित्तीय स्रोतों को तलाश रहा है, जो कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाएँ।

संगोष्ठी दिनांक : 19.12.98

"जय गुरूदेव"

"स्थापत्यवेद (वास्तु) का सामाजिक जीवन पर प्रभाव"

स्थापत्य वेद के अनुसार वास्तु विनियोजन समस्त भूमण्डल को ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड को लेकर चलती है । 'वस्तु' से ही वास्तु का निर्माण होता है, जिसमें प्रकृति से प्राप्त पाँच महाभूतों का सहयोग लेकर जीवन को सौ प्रतिशत जीने की विद्या निहित है, जिस प्रकार सूर्य, चन्द्र, गृह, तारे, आकाशगंगा के प्रभाव से प्राणिमात्र प्रभावित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रामों, नगरों व भवन भी ब्रह्माण्ड के प्रभाव से प्रभावित रहते हैं। मनुष्यों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि जिन भवनों, नगरों, ग्रामों में वे निवास करते हैं उनके उचित मापदण्ड के अभाव से विपत्तियों का जन्म होता है ।

स्थापत्यवेद का महत्व व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य की चेतना में आध्यात्मिक, आधिदैविक, व आदिभौतिक क्रिया की पूर्णता हेतु बहुत अधिक है, क्योकि यदि नगरो, ग्रामों, भवनों का निर्माण स्थापत्य वेद के नियमानुसार नहीं है तो वास्तु कुपित रहेगा और जो वहाँ निवास कर रहे हैं उनके जीवन के तीनों क्षेत्रों में पूर्ण सफलता नहीं देगा, जिस प्रकार "जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन" ठीक उसी प्रकार जैसे घरों में निवास होगा वैसी ही प्रवृत्ति होगी । व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है जब वह स्वस्थ, सुखी नहीं होगा तो स्वस्थ व समस्याविहीन समाज का निर्माण कैसे कर सकेगा । वर्तमान में हम देख रहे हैं कि विज्ञान की नई तकनीकियों का उपयोग कर हमने आर्थिक सम्पन्नता से भौतिक संसाधन तो जुटा लिये है, परन्तु जीवन में शान्ति व सुकुन नहीं है।

अब प्रश्न उठता है कि स्थापत्यवेद को समाज में व्यावहारिक रूप में कैसे लाया जाए ? तो किसी भी राष्ट्र का विकास उसकी शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली बुनियादी रूप से निष्क्रिय, मिथ्या व निस्तेज है, जिसमें ज्ञान और कौशल से भरे प्राचीन वैदिक ज्ञान को समाहित करना समय की सबसे बड़ी मांग है। अगर हम आधुनिक सिविल इन्जीनियरिंग को ही ले तो इसमें हमें यह तो बताया जाता है कि निर्माण कैसे करें, परन्तु यह नहीं बताया जाता कि निर्माण कहां और कब करें और उस निर्माण के क्या परिणाम होंगे ।

अविरत--2 पर

अतः सर्वप्रथम सिविल इन्जीनियरिंग के पाट्यक्रमों में डिप्लोमा व डिग्री के स्तरपर स्थापत्यवेद के नियमों को समाविष्ट कर शिक्षा दी जानी चाहिए एवं कार्यरत समस्त सिविल इन्जीनियरिंग से जुड़े व्यक्तियों को विशेष पाठ्यक्रम बनाकर उन्हें प्रशिक्षिण देकर पंचायत, नगर पालिका व प्राधिकरण स्तर पर निर्माण स्वीकृति स्थापत्य के नियमानुसार देकर निर्माण किया जाना चाहिये । पूर्व निर्मित दोषपूर्ण वास्तु संरचनाओं को विभिन्न चरणों में ठीक करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना समय की मांग है।

आत्माप्रधान वैदिक वांग्डमय रूपी भारतीय ज्ञान सम्पदा को लोकहित व देशहित में विस्तारित व प्रचारित करने का काम तो केवल एक नई चेतना और एक ऐसी नई संस्था ही सृजीत कर सकती है, जिसका राष्ट्र के हृद्यस्थल से हुआ हो और जो पुनर्जीवन आशा से भरपूर हो जो महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय द्वारा म.प्र. के बह्मस्थान जबलपुर में विश्वप्रशासकों के विश्व के सबसे ऊँचे भवन का निर्माण प्रारंभ कर एवं महर्षि वैदाविजन चैनल के माध्यम से किया जा रहा है।

महर्षिजी के भूतल पर स्वर्ग बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्याविहीन समाज, संघर्षविहीन राजनीति, वैदिक शिक्षा, वैदिक कृषि व सब कुछ वैदिक पद्धति से करने हेतु आधुनिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा जीवन परख सकारात्मक भावों की पुष्टि कर हम नये समाज के निर्माण हेतु दृढ़ संकल्पित हों । यही समय की मांग है।

''जय गुरूदेव''

कौशिक अशोक कुमार
विद्यार्थी स्थापत्यवेद आचार्य,
इन्दौर परिसर

महर्षि महेश योगी वैदिक वि.वि. म.प्र. द्वारा "Research in Vedic Scince Through The Window Of Morden Scince" विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रिय संगोष्ठि में ए.के कौशिक(स्वयं) द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र/लेख: दि.०७.०८.१९९७ 2

जय गुरूदेव दि. 7.8.97

व्याख्यान - शोध पत्र

समरांगण सूत्रधार में वर्णित 'एकाशित पद वास्तु विन्यास' की उपयोगिता व वैज्ञानिक अवधारणा

स्थापत्य वेद : अव्यक्त को व्यक्त कर उसमें चेतना की स्थापना करने का ही दूसरा नाम है । स्थापत्य वेद अथर्व वेद का उपवेद है । भारतीय स्थापत्य एक विशुद्ध विज्ञान है प्राचीन काल में इसे स्थापत्य वेद के नाम से पुकारा जाता था । शास्त्रों के अनुसार जैसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी यही माना है कि वर्तमान सृष्टि की रचना ब्रम्हा जी ने 1 अरब 95 करोड़, 58 लाख 35 हजार 98 वर्ष पूर्व की थी । कलियुग का यह 5098 वाँ वर्ष शुरू हुआ है। इस अभिशप्त युग के संपूर्ण काल, 6 लाख, 32 हजार वर्ष में से सिर्फ अभी 5097 वर्ष समाप्त हुए हैं । (संदर्भ - नईदुनिया इन्दौर - 8.4.97) स्थापत्य वेद तभी का ज्ञान - विज्ञान है जो समय के चक्र में विलोपित हो गया । प्रथम सृष्टि के युगल मनु - शतरूपा हैं । समरांगण सूत्रधार वास्तुशास्त्र भवन निवेश, महाराजाधिराज धार के राजा भोज द्वारा 11 वी शताब्दी की अधिकृत कृति है । इसमें वास्तुशास्त्रीय सभी प्रमुख विषयों का प्रतिपादन है । यह भारतीय वास्तुशास्त्र का मूर्धक ग्रंथ रत्न है । इस ग्रंथ में वास्तुत्रय विभाग नामक अध्याय में वर्णित 'एकाशित पद वास्तु विन्यास' में भवन का कौन सा भाग किस देव विशेष के पद / स्थान पर होना चाहिये । यह सब ज्ञान वास्तु पद विन्यास के बोध से सम्पन्न होता है । वास्तुं पद विन्यास में वास्तु पुरूष विकल्पना अनिवार्य रचना है जिसमें वास्तु पुरूष को ऐशान्य में सिर, किये औंधा लेटे हुए बताया गया है । शास्त्रों में 32 प्रकार के वास्तुपद विन्यास का विभिन्न, प्रयोजनों हेतु वर्णन मिलता है जिसमें एक प्रकार, ' एकाशित पद वास्तु विन्यास' भवन निर्माण हेतु भी निहित है । वास्तु पुरूष मंडल एक बड़ा ही वैज्ञानिक शास्त्र है जो दर्शन तथा विज्ञान को एक स्तर पर लाकर पल्लवित करता है । यही भारत की अनुपम विभूति है । हर एक वस्तु या वास्तु का निर्माण पंच महाभूतों - जल, अग्नि, वायु, भूमि, आकाश द्वारा ही संभव है और इन पंच तत्वों का संचालन प्रकृति में एक अदृश्य शक्ति के द्वारा संचालित हो रहा है जिसे 'देवता' हम कहते हैं । देवता देव धातु से बना है, देव याने 'प्रकाश' प्रकाश याने 'उर्जा' । उर्जा का एक प्रमुख स्त्रोत सूर्य भी है । सूर्य को आधार मानकर 'एकाशित पद वास्तु विन्यास' में भवन वास्तु को 81 समवर्ग टुकड़ों में विभक्त कर 'सूर्य रश्मि जाल' की इन्ही पारिभाषिक संज्ञाओं को विभिन्न देव के स्थान व उनके द्वारा पदभोग करने का विवरण विहित है, याने प्रकाश की विभिन्न आवृत्तियों (Frequency) ही देवताओं के नाम है ।

देवों के मध्य में कमल-भू ब्रम्हा-शक्ति स्थित है । वे हजार मुख वाले ब्रम्हा अचिंतय विभव है । वे सारे जगतों के मालिक है । ये केन्द्राधिपति 9पदों का भोग करते हैं । किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति शून्य से हुई है जो अव्यक्त तत्व है व जहां से सृजन प्रारंभ होता है व ब्रम्ह देवता जो सृष्टिकारक है , अव्यक्त शक्ति है जिनमें ब्रम्हांड का रहस्य छिपा है । ब्रम्ह स्थान शास्त्रों के अनुसार रिक्त रखा जाना चाहिये । यह स्थान पीडित होने पर गृहस्वामी विनाश की ओर अग्रसर होते हुए भयंकर अस्थिरता पैदा करता है जो मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति में बाधक तो है, ही परिवार में अशांति / असहयोग लाता है । विश्व के परिपेक्ष्य में अगर देखें तो भारत करीब- करीब ब्रम्ह स्थान पर है , भारत सदैव जगतगुरू रहा है व रहेगा। अगर भारत पीडित होगा तो विश्व पर उसका प्रभाव होगा ही । जब भारत विश्व प्रशासक होगा तक विश्व में रामराज्य की परिकल्पना चरितार्थ होगी । भारत का ब्रम्ह स्थान मध्यप्रदेश है । और मध्यप्रदेश का ब्रम्ह स्थान 'जबलपुर ' है जहां महर्षि जी ने वेदों को जगाने हेतु एवं वैदिक ज्ञान जन -जन तक पहूंचाने के लिये भारत में सर्वप्रथम महर्षि महेश योगी वैदिक वि.वि. का मुख्यालय स्थापित कर हम भारतवासियों हेतु 'स्तुति' योग्य कार्य कियाहै । ईश्वर इसे गॉव- गॉव तक शीघ्र पहूंचाने में हमारा सहयोग कर ही रहे हैं ।समय सीमा के बंधन से परे हमें सतत् प्रयत्नशील रहकर अपने कर्त्तव्य पर ध्यान देना है ।

वास्तु पद विन्यास में मध्य देवों में 6-6 पद के लिये मित्र, विवस्वान, अर्यमा व पृथ्वीधर कमशः पश्चिम, दक्षिण, पूर्व एवं उत्तर दिशा में स्थापित हैं। समरांगण में वर्णित निघन्टु के अनुसार दिनकर विवस्वान को ही आदित्य कहते हैं । देवों के मालिक श्रीमान यम वैवस्वत हैं । विवस्वान से शरीर को हरण करने वाला मृत्यु कहा गया है । मित्र से माली हलधर अर्यमा से आदित्य और क्षितिध्न पृथ्वी धर 'भगवान अनन्त शेष नाग कहे गये हैं ।

इसी प्रकार मध्य कोणों के देव दो दो पद के लिये सविता, सावित्र, जय, इन्द्र, राज-यक्ष्मा, रूद्र, आप व आपवस्त देवताओं के स्थान विहित है । विद्वानों के द्वारा सविता गंगा देवी प्रख्यात हैं व सावित्र से वेदमाता गायत्री, जय नामक देव वज्र धारण करने वाले भगवान 'हरिइन्द्र' कहे गये हैं । राज यक्ष्मा स्वामी कार्तिकेय और रूद्र तो महेश्वर कहे गये हैं । आप से अर्थ हिमालय और आपवत्स से उमा स्मृत की गई है । रूद्र देव के पद पर, अपने अनुभव के आधार पर मेरा यह निजी मत है कि भवन में इस स्थान पर 'विवाह योग्य लड़कियॉ को रखने पर उनके विवाह संस्कार हेतु उनके परिजनों को इस कार्य

में असानी प्रतीत होती है । इसी प्रकार रूद्र पद में व्यसायियों हेतु यह स्थान उपयुक्त व लाभकारी है जिनका व्यापार भ्रमण (Tours) पर आधारित है ।

अब ब्राह्य देवताओं मे एक एक पद भोग लिये, 32 देवता, पूर्व दिशा में चरकी अग्नि, पर्जन्य, जयन्त, इन्द्र, रवि, सत्य, भृश, नभ, अनिल बिदारी के स्थन विहित है। चरकी अग्नि का उल्लेख यहां है, वह सर्वभू हर भगवान शंकर है जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। यह स्थान भवन में ''पूजा '' हेतु श्रेष्ठ है । ईश स्थल पश्चिम मुखी होना चाहिये । पर्जन्य नाम वाले देव से अर्थ वृष्टिमान अम्बूधाधिप है । ये एक प्रकार के बादल है याने जल के स्त्रोत । भवन में जल स्त्रोत ट्युबवेल, कुआँ, जमीन के अन्दर पानी की टंकी हेतु यह स्थान सर्वश्रेष्ठ है । द्वि नाम वाले जयन्त वे भगवान कश्यप ऋषि है । इन्द्र जो देवपति हैं । और राक्षसों के संहारक कहे गये है । रवि, सूर्य भगवान है । सत्य से अभिप्राय प्राणियों के हितैषी धर्म से है । और भृश के अर्थ में है, भगवान कामदेव, जो आंतरिक्ष देव है । वे नभोदेव कहे जाते हैं । नभ से अर्थ आकाश से है अनिल बिदारी, अग्नि देवता का रूप है । यह स्थान भवन में रसोई घर व अग्नि तत्व संबंधी कार्यो हेतु, कतिपय अन्य विषयों से सामांजस्य स्थापित करने के साथ उपयुक्त है ।

दक्षिण में पूषा, वितथ, गृहक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग के स्थान विहित हैं पूषा से मातृगण का तात्पर्य है । वितथ नाम के जो देव हैं वह कलयुग के अप्रतिम सूत अधर्म हैं । गृहक्षत नाम के जिस देव के नाम का बखान किया गया है वे चंद्रमा के पुत्र बुद्ध हैं । प्रेतों के मालिक श्रीमान यम वैवस्वृत है । भगवान गंधर्व, देव नारद परकीर्तित है। यहां भृंगराज जो कह गये है, उनसे तात्पर्य निऋति के देंवता के लड़के राक्षस से है, व मृग कहे गये हैं । उनसे स्वयं भू-ब्रम्हा और धर्म का मतलब है ।

पश्चिम के बाहरी देव में पितृगण द्वोवारिक,सुग्रीव, पुष्प दंत, वरूण, असुर, शोष, पाप, यक्ष्मा, पाप राक्षसी (रोग) के स्थान विहित हैं । यहां पितृगणों से पितृलोक के निवासी देव वर्णित हैं और द्वोवारिक से प्रथमों के अधिश्वर 'नंदि ' का अभिप्राय है । सुग्रीव से आदीप्रजापति सृष्टिकर्ता मनु व्यपदिष्टं हैं । पुष्प दंत वितना के लड़के महाबलशाली वायु हैं । वरूण जो है, वह समुद्रों, जलों के मालिक और लोकपाल भी कहे गये हैं । वरूण पद के स्थान पर भोजन करने हेतु उपयुक्त स्थान माना गया है। असुर से अभिप्रयाय सूर्य व चंद्र के ग्रासक सिंहिका राक्षसी के लडके ''राहु'' से है।

शोष से सूर्य पुत्र भगवान श्नीश्चर का अभिप्राय है । पाप यक्षमा से क्षय का बोध होता है और रोग से ज्वर प्रतिपादित है ।

शेष उत्तर की ओर बाहरी देवताओं में नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, चरक, दीति, अदीति के स्थान निहित हैं । नाग से सर्वो के मालिक श्रीमान वासूकि शेषनाग कहे गये हैं । मुख्य की संज्ञा वाले देव से विश्वकर्मा और से है। भल्लाट को चन्द्र कहा गया है और सोम संज्ञा वाले देव से कुबेर का ज्ञान होता है जो भवन में धन स्थान हेतु उपयुक्त है । व्यवसाय नाम वाले चरक कहे गये हैं । और आदिति नाम से लक्ष्मी जी का अभिप्राय है और दिति से त्रिशुल धारण करने वाले वृषभध्वज शंकर कहे गये हैं ।

इस प्रकार यह पैंतालीस देवता या वैज्ञानिक भाषा में कहें कि ऊर्जा के स्थानों पर चाहे राष्ट्र, राज्य, शहर, गॉव, घर कुछ भी बनाना हो इस हेतु 32 प्रकार के वास्तु पद विन्यास शास्त्रों में निहित है । नैऋत्य में मृग पद पर टायलेट बनाना सर्वोत्तम क्यों है, इन सबका उत्तर इन ऊर्जा स्त्रोत पर, देवताओं के आभूषण, भोज्य पदार्थ, शस्त्र, श्रृंगार, गुण-धर्म में छिपे गूढ रहस्य में निहित है । वास्तु पुरूष विकल्पना में पुरूषांग देवता के किस देव का कौनसा अंग कहॉ होगा, इसका विवरण मिलता है ।

इस सबके पीछे वैज्ञानिक अवधारण क्या है, व इसके पीछे क्या रहस्य सूत्र है, क्या बीज मंत्र है हम चाहे बहुत साधारण सी बात ले लें, कई स्थानों पर हमें बहुत अच्छा, बुरा, बहुत बुरा भी लगता है । सुबह उठते हैं तो ऊर्जावान होते हैं, सूर्यास्त होते ही थकावट महसूस करते हैं । इसी के वैज्ञानिक पहलू पर विचार करेंगे तो द्वादश सूर्य के विभिन्न प्रकार, जो सूर्योदय से सूयास्त तक विभिन्न स्थिति में विभिन्न देवताओं के ऊपर अलग-अलग समय, अलग-अलग प्रभाव डालते हैं । 27 नक्षत्रों और 12 राशियों आदि के आधार पर वेद के नेत्र **ज्योतिष से जातक की कुंडली** के आधार पर ही निश्चित होगा कि, किचन, पूजा स्थल आदि शयन कक्ष आदि कहॉ बनेंगे । आयुर्वेद का ज्ञान भी इसके लिये आवश्यक है एवं मानव की शारीरिक रचना से लेकर पर्यावरण की जानकारी होना नितान्त आंवश्यक है । इसके अलावा रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, दकारगल शास्त्र एवं अन्य गूढ विद्याओं का पूर्ण ज्ञान होना एक स्थपति के लिये नितान्त आवश्यक है । पूर्व दिशा से निर्दिष्ट स्थान समकोणों से थोडा सा भी परिवर्तन होने पर सूर्य किरणों की विरलता के अनुरूप कमरों के मान, जातक की

कुंडली व हस्त के आधार पर एवं रंग, आंतरिक सज्जा आदि का सम-वितरण कर वास्तु विन्यास एक कुशल स्थपति द्वारा किया जाना चाहिये । हम भूमि पूजन, शिलान्यास, चौखट पूजा कर सब रहे हैं पर शास्त्रोक्त तरीके से नहीं । आडम्बर भर रह गया है । आर्किटेक्ट के नाम पर हम तथाकथित इंजीनियरों को इस बहुमुखी ज्ञान का अभाव रहा अगर पूर्व में ही यह पूर्ण विद्या दी जावे तो हम स्वयं भी सुखी रहेंगे और को भी शास्त्रोक्त निर्माण करवाकर उन्हें खुश रखने हेतु प्रयत्न कर सकते हैं ।

शिव-पुराण धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रति रविवार प्रसारित होता है, उसमें शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने शिव सती विवाह करवाया व दक्षिणा में शिव सती से मांगा कि आप दोनों लग्न वेदी पर हमेशा विराजमान रहेंगे । यह भी स्थापत्य वेद का ही एक अंग है ।

इन वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, पौराणिक गाथाओं, इतिहास हमें अनुभव, याने पीछे घटा हुआ, सत्य एक सांकेतिक भाषा से प्राणीमात्र हेतु समस्या विहीन समाज की संरचना से लेकर, सृष्टि निर्माण के वे बीज मंत्र हैं जिनमें हमारी समस्त जिज्ञासाओं के निवारण हेतु ''रहस्य सूत्र'' दिये गये हैं । पर आवश्यकता है दृढ विश्वास के साथ इसे समझकर अपनाने की । भौतिक वाद ने सब बर्बाद किया है ।

अत: एकाशीत पद वास्तु विन्यास एक पूर्ण विज्ञान है जो हर निर्माण या वास्तु से जुड़े सिविल इंजीनियर से लेकर प्रत्येक संबंधित व्यक्ति के लिये परम आवश्यक है जो अभी तक हमें कहीं नहीं सिखाया गया है । इसमें इस बात का भी वर्णन मिलता है कि इस कार्य को वास्तु के विपरीत कराने वाले आर्किटेक्ट आदि को इस पाप कृत्य का भागीदार बनना ही होता है ।

विश्व शांति के महर्षि जी के इस पुनीत पावन लक्ष्य को दृष्टिगत रखकर केन्द्र, राज्य शासन, नगर पालिका, पंचायत एवं हर संबंधित द्वारा स्थापत्य वेद के अनुरूप भविष्य में निर्माण करना अनिवार्य कर दे एवं हमारी संस्कृति के अनुरूप अपने - अपने धर्म के अनुसार ध्यान, धारणा व समाधि द्वारा मानव मात्र में इस अलौकिक शक्ति को जगाने हेतु महर्षि जी

के भावातीत ध्यान व **सिद्धी** कार्यक्रम को मानव मात्र की इच्छा के अनुसार पालन करवाकर समस्या विहीन समाज के निर्माण को हम दिशा तो दे ही सकते हैं । आवश्यकता है हमारे दृढ संकल्प की ।

जय गुरूदेव ।

कौशिक अशोक कुमार
- सहायक अभियंता, म.प्र.वि.मं.
- आजीवन विद्यार्थी, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय म.प्र.

जय-गुरुदेव

इन्दौर दि.27.07.2003

प्रति,

डा.श्री सतीश चन्द्र राय "अध्यक्ष"

अखिल भारतीय महापौर परिषद व महापौर लखनऊ

कैम्पः-इन्दौर दक्षिण एशियाई देशो के महापौरों के सम्मेलन में।

विषयः-पूरे देश में नगरीय निकायों के लिये,भारतीय संविधान के 74 वें संशोधन के तहत एक कानून बनाने के मसोदे में स्थापत्यवेद (वास्तुशास्त्र) के ज्ञान को समाहित कराने हेतु प्रस्ताव।

संदर्भः-नईदुनिया इन्दौर दि.25.07.2003में प्रकाशित संवादाता से बातचीत का समाचार।

मालवा की धरती पर आपका स्वागत है। परमात्मा आपको दीर्घायु दें व आपका हर लक्ष्य पूर्ण करें। आपके विचारों से प्रेरणा लेकर ,पूरे देश में नगरीय निकायों के लिये ,भारतीय संविधान के 74 वें संशोधन के तहत एक कानून बनाने के मसोदे के लक्ष्य मे, स्थापत्यवेद **(वास्तुशास्त्र)**के ज्ञान को समाहित कराने हेतु *प्रस्ताव बिंदु* व वैदिक वास्तु संदेश त्रैमासिक पत्रिका में प्रकाशित कुछ *शोधपत्र/लेख की छायाप्रति* अवलोकनार्थ संलग्न है। स्थापत्यवेद"के ज्ञान पुंज की ,बीज रुपी अवधारणा के साथ,ज्योतिष, वास्तु व चेतना आदि के समावेश युक्त विद्या को'पहला विद्यार्थी' 'रहकर महर्षि महेश योगी वैदिक वि.वि.म.प्र.केवि.वि.अनुदान आयोग में'सूचीबद्ध'होने के पश्चात देश का प्रथम **'स्थापत्यवेद आचार्य'** होने का गौरव गुरु कृपा से प्राप्त किया है।

'भारतीय स्थापत्यकला' की इसी व्यापकता को दृष्टिगत रखकर,आचार्य अतिंम वर्ष के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अन्तर्गत" इन्दौर निवेश क्षेत्र का महर्षि स्थापत्यवेद के सिद्धान्तों से विश्लेषणात्मक अध्ययन "विषय पर लघु शोध प्रबंध मे 85 % अंक अर्जित कर ,इसकी एक प्रति माननीय श्री जगमोहनजी केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री 'व श्री मुरली मनोहर जोशी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को उनके इन्दौर प्रवास पर महापौर श्री **कैलाश विजयवर्गीजी** के सहयोग से भेंट की गई है ।

अब CEPRD"के सहयोग से इन्दौर के विचाराधीन सिटीजन्स मास्टर प्लान -2025 का महर्षि स्थापत्यवेद से नियोजन "विषय पर विद्यावारिधि (Ph.D)में शोधरत हुं । सिविल इंजिनियरिंग स्नातक होकर, म. प्र. राज्य विद्युत मंडल में 25 वर्षो में कई निर्माण योजनाओ के क्रियान्वयन में अनुभव मे आयी, व **सिविल इंजिनियरिंग** मे पढ़ी गई विद्या में, पायी खामियों का **समाधान महर्षि स्थापत्य वेद मे पाकर कृतज्ञ हूं** *" तिष्ठति इति स्थाः तेषाम पतिः इति स्थपति ।" अर्थात एक स्थपति के लिये कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि इस त्रि-आयामी जगत (लम्बाई, चौडाई व मौटाई युक्त)अर्थात जगत में जो भी वस्तु बैठती या जगह घेरती है वह सब स्थापत्यवेद का क्षेत्र है,चाहे सूई हो या नगर नियोजन ।*

*वर्तमान परिवेश में ,इस **महर्षि स्थापत्यवेद** रुपी वृहद एवं अदभुत ज्ञान मे बताये गये सिद्धान्तों से, क्रियान्वयन करना "दुष्कर" हो सकता है असंभव नहीं है।* वैदिक विद्या याने कि प्रकृति के नियम, का पालन, जो पूर्ण ज्ञान है, का पालन व क्रियान्वयन भी प्रकृति स्वयं बाढ़, भूकंप दुर्घटना आदि साधनों से करा लेती है व दंडित भी करती है। किसी भी नियोजित शहर/ ग्राम को स्थापत्यवेद से ही नहीं सामान्य रुप से भी पुर्ननियोजित करना इस *राजनिति प्रधान समय* में दुष्कर कार्य है। अतः अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो'वर्तमान परिवेश में महर्षि स्थापत्यवेद से क्रियान्वयन' संभव है **यह भावनाओं का अतिरेक नहीं वरन'मानव समाज की रक्षा"हेतु एक महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकता भी है। वैदिक विद्या को जन-जन तक पहुंचाकर 'सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु-निरामयः'को चरितार्थ करने में पहला कदम बढ़ाये।**

अतःगुरुदेव की 'आज्ञा' से "शोध निष्कर्ष" से प्राप्त सुझाव सादर प्रस्तुत कर, **आपसे प्रार्थना है कि** पूरे देश में नगरीय निकायों के लिये ,भारतीय संविधान के 74 वें संशोधन के तहत एक कानून बनाने के मसौदो में ,"स्थापत्यवेद के ज्ञान" को समाहित कराने हेतु प्रस्ताव **का समावेश करें। हम हर संभव सहयोग हेतु दृढ़-संकल्पित है। शुभ कामनाओं सहित ।जय गुरुदेव ।**

संलग्नः-प्रस्लाव बिंदुं, 4 लेख/शोध पत्र व Ph D पंजीयन-पत्र प्रति व एक नक्क्षा।

श्रीमति भारती कौशिक

[कौशिक अशोक कुमार]

प्रतिलिपिः-सभी समाचार पत्र व सभी सम्बंधित को।

भारतीय संविधान के 74 वें संशोधन के तहत एक कानून बनाने के मसोदे में पूरे देश में नगरीय निकायों के लिये ,स्थापत्यवेद(वास्तु)के ज्ञान को समाहित कराने हेतु प्रस्ताव बिंदु।

1)देश, प्रदेश, शहर व गांव की **'अधिकांश सडके' दिकमूढ़ बनी है,** अर्थात न तो पूर्व-पश्चिम ही उत्तर-दक्षिण दिशाओं के समानान्तर बनी है।जिसका प्रभाव समाज में दृष्टिगोचर हो ही रहा है।नगरीय निकायों के एक कानून लागू होने के दिनांक से कोई प्रमुख सडक भविष्य में तो दिकमूढ़ नहीं बनें, **यह कानून बनें व उसका पालन भी हो।**

2)विकास नियमों (MOS) में आंशिक परिवर्तन, जैसे भवन निर्माण मे आस पास खुली जगह आगे, पीछे, सामने व बाजू में छोड़नें के स्थान पर अनिवार्य रुप से 'दिशा अनुरुप' पूर्व में सबसे अधिक उससे कम उत्तर, पश्चिम व दक्षिण में क्रमशः छोड़नें हेतु तुरंत करना चाहीये, इसी प्रकार भवन का ऊंचाई, आकार, प्रमाण,व योजना आदि भी स्थापत्यवेद के नियमों से बनाने के नियम बनाना व क्रियान्वयन संभव है, तथा आवश्यक भी है, साथ ही वित्त पोषक संस्थायें केवल 'महर्षि स्थापत्यवेद' के अनुरुप संरचनाओं पर ही 'वित्तीय ऋण की स्वीकृती देनें' का निर्णय लें ।ताकि जनता की गाढ़ी कमाई व्यर्थ न बहे। **ज्योतिष विद्या** के ज्ञान का भी उपयोग कर ग्रामों, नगरों आदि के प्रमुखों को जन हित मे विकास कराना चाहीये।

3)देश के पुर्ननिमाण का मास्टर प्लान बनाने में एक बार प्रदेश, शहर, गांव की सीमाओं का पुर्नसीमांकन उनके आकार व प्रमाण के आधार पर यथा संभव स्थापत्यवेद में बताये, विशिष्ट संज्ञाओं **नन्दयावर्त, पदमक व स्वस्तिक** (उपनगरों के लिये)आदि हजारों प्रकारो के ग्रामों मे से निवेशक्षेत्र का आकार एक ही बार में "चोकोर या आयताकार"तय करना होगा क्योके वर्तमान छिन्नकर्ण आकार का परिणाम "इसमें बसने वाले लोगों को चोरों, व्याधियों,तथा प्रतिद्वन्दियो से भय व त्रास"बताया है।**सबसे अच्छा तो यही होगा एक गांव/उपनगर स्थापत्यवेद में बतायेनुसार बसा के तो देखा जावें।** भारत की "कश्मीर समस्या" से लेकर, नये जिलों,विधानसभा क्षेत्रों,लोकसभा क्षेत्रों,निवेशक्षेत्रों,वार्डो या राज्यों के पुनर्सीमांकन व गठन, भीषण जल संकट, भू तापमान वृद्धि,पर्यावरण, सामाजिक भौतिक व मानसिक विकार, बढ़ता भूमी प्रदूषण(रासायनिक खाद व उद्योगों से) एवं स्वास्थ रक्षा आदि समस्याओं के निदान हेतु स्थापत्यवेद के नियमों का पालन शासन व जनता के करोड़ों रुपये बचा सकता है,यह ध्रुव है।प्रतिभारत,भारत का प्रत्येक गांव शास्त्रोक्त होसकता है।

4)अन्य क्षेत्रों में जैसे **जल प्रबंधन** हेतु सर्वप्रथम उपलब्ध नये व पुराने 'जल स्त्रोंतो नदीयो झीलों ,तालाबो,कुओ,बावडियों को वास्तुनुरुप आकार में कर , का पूर्ण क्षमता' तक गहरीकरण करके ,स्थापत्यवेद के नियमो से जहां शुभ हो उन्हीं क्षेत्रों में, जल वितरण करना तथा भारत में प्रमुख नदीयों सहित अध्ययनक्षेत्र की सभी नदीयों को जोडनें का कार्य तथा 'भू जल पूनर्भरण' हेतु नगर/ग्राम सीमा पर "परिखा" निर्माण करने, व अन्य स्थलों का चयन कर उन्हें स्थापत्यवेद के नियमो से एक आन्दोलन के रुप में लेकर तुरंत किया जाना चाहीये।क्योंकी धरती माता का पेट जल से भरा होगा,तो नदीयां बहने लगेंगी।

5)इसी प्रकार **विद्युत समस्या** के स्थाई निदान के लिये सर्वप्रथम बढ़ती अस्वास्थयकर मंहगी ए. सी. (A.C.)संस्कृति पर अंकुश,ऐसे भवन बनाकर, जिसमें दिन मे विद्युत ऊर्जा से उत्पादित प्रकाश ,हवा आदि का उपयोग ही न करना पड़े,याने स्थापत्यवेद के नियमों से से बनायें तथा सभी अनुबंधित विद्युत उत्पादकों को आवश्यकतानुसार, स्थापत्यवेद के अनुरुप उपयुक्त स्थल चुनकर,कुछ ही नई सौर,जल विद्युत *या* "अन्य न्युनतम दर पर उपलब्ध"ऊर्जा आधारित उत्पादन योजना में मिलकर पूंजी लगाना चाहीये तथा विद्युत वितरण व्यवस्था मे फीड्र अनुसार,बिजली बेचने का दायित्व देकर,अभियन्ताओं की जवाबदेही सुनिश्चित की जाना श्रेयस्कर होगा।

6)भूमी प्रदूषण को कारगर ढंग से रोकने हेतु, प्रत्येक गांव व शहर में ,पूर्व व आग्नेय दिशा के मध्य परिखा से लगी गौशाला "गोसंवर्धन" के लिये बनाकर, उससे प्राप्त *गोधन* से पोष्टिक खाद, ओषधि इत्यादि प्राप्त कर **,गौमाता पर हो रहे अत्याचारों को भी रोका जाना चाहीये अन्यथा वांछित बरसात नहीं होगी ।**

निरंतर..2

7)शहरों मे बड़ती **झुग्गी समस्या** के स्थापत्यवेद से स्थाई समाधान हेतु शहर/ग्राम की 'परिखा' पर उनके, कार्यानुरुप **व** कार्य स्थल को दृष्टिगत रखकर उसके समीप ही, मालिका ग्रह (Row House) बनाना चाहीयें व बाद में पट्टे देकर नियमितिरण तुरंत बंद होना चाहीयें।

8)**पर्यावरण प्रदूषण** के बढ़ते स्तर को कम करने के लिये शासनाध्यक्षों, ग्रामों व नगरों के प्रमख समय समय पर जन कल्याण में **शासकीय खर्च पर वैदिक यज्ञ (अग्निहोत्र आदि)व अनुष्ठान** कराना चाहीयें,जैसे पहले राजा करते थे, साथ ही **प्रदूषणकारी उद्योगों को दक्षिण पश्चिम की ओर** तथा विभिन्न नये पुराने भू-उपयोग *की योजनाओं को 'वसति योजना'* के अनुरुप चुनकर पुनर्नियोजित करना चाहीये। **"अहिसंक वैदिक खेती"के** अन्तर्गत *क्षेत्रीय जड़ी बूटियों* व अन्य वन संम्पदा का संवर्धन, खेती, वैदिक विद्या के आधार पर करने से **क्षेत्रीय "अर्थव्यवस्था" मे आमाचूल परिवर्तन संभव है अतः कानून में इसका समावेश होना चाहीये।जिस देश की प्रत्येक वनस्पति में ओषधीय गुण हो,वहां धन की कमी?**

9)पूरे देश में नगरीय निकायों के लिये, एक कानून बनाने के मसोदे में सभी "ग्रह निमार्ण सहकारी संस्थाओ से ,नियमानुसार 3 वर्ष मे मकान निर्मित नहीं होनें पर भूमी अधिग्रहित करने के लागू कानून का सख्ति से पालन करवाने से भूमी दरें कम होगीं व केन्द्र सरकार का एक लाख मकान बनाने की घोषणा साकार रुप ले सकती है।

10)देश,नगरों व ग्रामों में मंदिर व अन्य धार्मिक स्थलों के नव निर्माण व जीर्णोधार में अब तो स्थापत्यवेद के नियमों का पालन कर बनाने का कानून बनें ,ताकि इनसे विवाद ,अतिक्रमण,दुरुपयोग नही उपजे।।

11)वैदिक ज्ञान को क्षिक्षा प्रणाली में समाहित करना,मानव जाति को बचाने के लिये समय की मांग है । इस हेतु जून-98 में मानव संसाधन विभाग म.प्र.शासन व तकनिकी संचालनालय के संयुक्त तत्वाधान मे आयोजित अन्तराष्ट्रीय्य संगोष्ठी " 21 वीं सदी में तकनिकी शिक्षा "(चुनोंतियां व तकनिकी व्यूह संरचना)' में *आधुनिक सिविल इंजिनियरिंग के क्षेत्र में स्थापत्यवेद के अनुरुप निर्माण विषय'* पर मेरे द्वारा वि. वि. की ओर से अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर "योजनागत सत्र में 'तकनिकी शिक्षा में वैदिक शिक्षा का समावेश' करने हेतु प्रस्ताव पंजीकृत करवाया गया है ।

गुरुदेव की 'आज्ञा' का पालन करते हुये शोध निष्कर्ष से प्राप्त सुझाव सादर प्रस्तुत है।

{कौशिक अशोक कुमार}
"स्नातक सिविल इंजिनियरिंग एवं आचार्य महर्षि स्थापत्यवेद "
'विद्यार्थी विद्यावारिधि महर्षि महेश योगी वैदिक वि. वि इन्दौर परिसर
'एवं 'अति.कार्य.यंत्री व तहसीलदार (वसूली) म.प्र.राज्य विद्युत मंडल इन्दौर,दूरभाष 0731-2555882{R}

दि.27.7.2003

1

कार्यालय संयुक्तसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, इंदौर

क्रमांक/ 5076 /एसईएच/2002/नग्रानि/इंदौर, दिनांक 19/12/02

प्रति,

श्री कौशिक अशोक कुमार
ई.के. 385 स्कीम नं. 54
इंदौर ।

विषय: विकास योजना के प्रस्तावित प्लानिंग क्षेत्र की सीमा का नक्शा प्रदाय करने बाबत् ।

संदर्भ: आपका आवेदन दिनांक 10.10.2002.

xxxxx

उपरोक्त विषयान्तर्गत इंदौर वर्धित निवेश क्षेत्र ग्राम सीमा दर्शाने वाला मानचित्र आवश्यक कार्यवाहीहुत संलग्न सम्प्रेषित है ।

संलग्न: एक नक्शा,

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, इंदौर ।

|| वास्तुमंथन ||
(A Group of Technocrats)

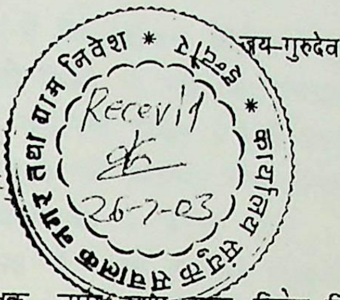
भारती कौशिक
वास्तु विशेषज्ञ

कौशिक अशोक कुमार
B.E. (Civil) M.A. (Vastu)
Addl. E.E. & Recovery Tehsildar
M.P.S.E.B., Indore

विद्यार्थी विद्यावारिधि (PhD. Scholar), स्थापत्यवेद (वास्तु)
महर्षि महेश योगी वैदिक वि.वि., म.प्र.

ई.के.-585, स्कीम नं. 54, इन्दौर-10 फोन : (0731) 555882
e-mail : sthapati2000@yahoo.com

जय-गुरुदेव



प्रति,

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल

द्वारा:- संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इन्दौर

विषय:-उपांतरित इन्दौर विकास योजना 2011 (प्रारुप) में आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भ:-श्रीमान वी.पी. कुलश्रेष्ठ,संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इन्दौर से भेंट कर विषय पर सप्रमाण चर्चा दि.10.10.2002 तथा उनका पत्र क्र.5076/एसइएच/2002/नग्रनि/इन्दौर दि.19.12.2002।

बहुप्रतिक्षित इन्दौर विकास योजना 2011 (प्रारुप) को तैयार कर प्रकाशित करने हेतु हार्दिक बधाई।इस योजना को बनानें में ,सनातन से चले आ रहे स्थापत्यवेद (वास्तुशास्त्र) नियमों को नहीं लिया गया है। सम्पूर्ण विश्व ब्रह्मांड के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने मानव सहित सभी के कल्याण के लिये वेदों की रचना कर ब्रह्माजी से कहा कि "ये मेरे आप्त वचन 'वेद वाणी' (ज्ञानकोष) के रुप मे प्राणीं मात्र के लिये वरदान है एवं चारों वेदो मे **"ऋग्वेद"** मानव को झुकना सिखायेगा, *"यजुर्वेद"* मानव को बतायेगा कि मैं यज्ञ मे निवास करता हूं, जो परोपकार की शिक्षा देता है, *"सामवेद"* संगीत का ज्ञान भंडार, मन को मुग्ध कर देता है एवं *"अथर्ववेद"* मानव जीवन की कठिनाइयो व परेशानियों का समाधान करने मे पथ प्रदर्शक होगा ।" *वेद हमारी आत्मा में समाहित है, वेद हमारे शरीर में है, वेद की ही हम अभिव्यक्ति है, वेद 'ऋषि', 'देवता' व 'छन्द' की संहिता है ।'ऋषि' अर्थात दृष्टा , 'देवता' याने जानने की क्रिया अर्थात माध्यम तथा 'छंद' का अर्थ है, जाना गया तथ्य या ज्ञान "।* "महर्षि स्थापत्यवेद" मे ज्ञान पुंज की इस बीज रुपी अवधारणा के साथ, ज्योतिष, वास्तु व चेतना आदि के समावेश युक्त विद्या को 'पहला विद्यार्थी' रहकर महर्षि महेश योगी वैदिक वि.वि.के वि.वि. अनुदान आयोग मे 'सूचीबद्ध' होने के पश्चात देश का प्रथम **'स्थापत्यवेद आचार्य'** होने का गौरव गुरु कृपा से प्राप्त किया. है।

'भारतीय स्थापत्यकला' की इसी व्यापकता को दृष्टिगत रखकर, जनपद ,पंचायतों, नगर निकायों, जिला प्रमुखों व निर्ती निर्माताओं को भविष्य मे समस्त योजनाओं को स्थापत्यवेद (वास्तु) से बनाने का संकल्प पारित कर, पालन भी करना चाहिये, ताकि भविष्य में तो संरचनायें वास्तुदोष युक्त न बनें ।इसी उद्देश्य से गुरुदेव श्री निकेंतन आनंद गौड़ के निर्देशन में ,आचार्य अतिंम वर्ष के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अन्तर्गत" इन्दौर निवेश क्षेत्र का महर्षि स्थापत्यवेद के सिद्धान्तों से विश्लेषणात्मक अध्ययन " विषय पर लघु शोध प्रबंध मे 85 % अंक अर्जित कर , इसकी एक प्रति माननीय श्री जगमोहनजी केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री 'व श्री मुरली मनोहर जोशी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को उनके इन्दौर प्रवास पर महापौरजी के सहयोग से भेंट की गई है ।अब प्रोफेसर श्री ए.एन.पटेल,गो.से.इ.आफ टेक्ना.एण्ड साईस इन्दौर म.प्र.{Shri G.S.Inst.Of Tech.& Scince के निर्देशन में"इन्दौर के विचाराधीन सिटीजन्स मास्टर प्लान -2025 का महर्षि स्थापत्यवेद से नियोजन " विषय पर विद्यावारिधि (Ph.D)में शोधरत हूं । सिविल इंजिनियरिंग स्नातक होकर, म. प्र. राज्य विद्युत मंडल में 25 वर्षो में कई निर्माण योजनाओ के क्रियान्वयन में अनुभव मे आयी, व **सिविल इंजिनियरिंग** मे पढ़ी गई विद्या मे, पायी खामियों का **समाधान महर्षि स्थापत्य वेद मे पाकर कृतज्ञ हूं** ।

" विष्ठति इति स्थाहः तेषाम पतिः इति स्थपति ।" **अर्थात** *एक स्थपति के लिये , कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि इस त्रि-आयामी जगत (लम्बाई, चौडाई व मौटाई युक्त)अर्थात जगत में जो भी वस्तु बैठती या जगह घेरती है वह सब स्थापत्यवेद का क्षेत्र है,चाहे सुई हो या नगर नियोजन ।वर्तमान परिवेश में ,इस* ***महर्षि स्थापत्यवेद*** *रुपी वृहद एवं अदभुत ज्ञान मे बताये गये सिद्धान्तों से, क्रियान्वयन करना "दुष्कर" हो सकता है असंभव नहीं है।इसी भावना के साथ,महर्षिजी द्वारा निर्धारित लक्ष्य व निर्देशों के अनुरुप गुरुदेव की 'आज्ञा' का पालन करते हुये यह शोध निष्कर्ष अपनी आपत्ति सहित सुझाव सादर प्रस्तुत है।*

निरंतर..2

अब प्रश्न उठता है कि वर्तमान परिवेश में स्थापत्यवेद से क्रियान्वयन को समाज में व्यावहारिक रुप में कैसे लाया जावे ? तो किसी भी राष्ट्र का विकास उसकी "शिक्षा प्रणाली" पर भी निर्भर करता है, प्राथमिक से लेकर चिकित्सा, तकनिकि शिक्षा प्रणाली अत्यंत निष्क्रीय, निस्तेज, व मिथ्या है, जिसमे ज्ञान व कौशल से भरे प्राचीन वैदिक ज्ञान को समाहित करना,मानव जाति को बचाने के लिये समय की मांग है।साथ ही विकास योजनाओं कौ स्थापत्यवेद से बनाना होगा।

इस हेतु जून-98 में मानव संसाधन विभाग म.प्र.शासन व तकनिकी संचालनालय के संयुक्त तत्वाधान मे आयोजित अन्तराष्ट्रीय्य संगोष्ठी " 21 वीं सदी में तकनिकी शिक्षा "(चुनौतियां व तकनिकी व्यूह संरचना)' में आधुनिक सिविल इंजिनियरिंग के क्षेत्र में महर्षि के अनुरुप निर्माण विषय' पर मेरे द्वारा वि. वि. की ओर से अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर "योजनागत सत्र में" 'तकनिकी शिक्षा में वैदिक शिक्षा का समावेश' करने हेतु प्रस्ताव पंजीकृत करवाया गया है ।वैदिक ज्ञान को समाहित करना,मानव जाति को बचाने के लिये समय की मांग है ।

स्थापत्यवेद मे सृष्टि निर्माण प्रारंभ सहित भूमी चयन करने के लिये ,जाने के मुहूर्त से लेकर भूमि परीक्षा, शिलान्यास विधि,कीलक सूत्रपात, नगर व ग्राम नियोजन, एक से बारह तलों व शालाओं का विवरण, लाखों संज्ञाओं युक्त शहरों ,भवनों के नाम ,द्वार गुण दोष, गृह द्रव्य प्रमाण, काIठ कला, चय विधि (जुड़ाई), गृह दोष एवं उनका निरुपण, गृहशांति, बलि कर्म विधान सहित "वास्तु पुरुष विकल्पन" व "वास्तु पद विन्यास" आदि का विवरण मिलता है।इसमे प्रयोजन विशेष व व्यक्ति विशेष हेतु किस, देस-प्रदेस, सहर मे उस संरचना को कहां,कब,कैसे प्रतिष्ठित करें व बनाने के बाद क्या परिणाम होगें, बताया गया है । जिसके समकक्ष सिविल इंजिनियरिंग का ज्ञान 30 प्रतिशत से अधिक मेरी राय में नहीं है ।प्रकृति (पंच तत्वों) के अनुकूल सृजन की इस विद्या मे उर्जा के श्रेष्ठ स्त्रोत **सूर्य व उत्तरी धुव** (NORTH) के आधार पर बने सिद्धान्तों मे पूर्व दिशा में अधिक खुला स्थान रखना व 26 प्रकार के बताये प्लव में से कुछ ही शुभ क्यों है व दक्षिण पश्चिम में मोटी दीवार ईशान में पूजा, व आग्नेय में रसोई आदि बनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि" ब्रह्मांड के परिपेक्ष्य " में 'भू या भवन वास्तु' को स्थान विशेष अथवा विभिन्न पद विन्यासों द्वारा समवर्ग टुकड़ों मे विभक्त कर"सूर्य रश्मि जाल" की यही 'पारिभाषिक संज्ञायें' विभिन्न देवताओं के पद नाम,स्थान व उनके द्वारा पद भोग "अर्थात" उर्जा क्षेत्र का विवरण है, याने कि **'विभिन्न आवृत्तियां'** (Frequancy) ही देवताओं के नाम है नांद ब्रह्म की अवधारणा एवं वास्तु पुरुष मंडल एक बड़ा ही वैज्ञानिक सिद्धान्त है,जो दर्शन तथा विज्ञान को एक साथ लाकर प्रतिष्ठित कर पल्लवित करता है । जिस प्रकार सूर्य, चन्द्र, गृह, तारे, आकाश गंगा के प्रभाव से प्राणिमात्र प्रभावित रहते है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक ग्राम, नगर, भवन आदि भी ब्रह्मांड के प्रभाव से प्रभावित है।

मनुष्यों को इस बात का ज्ञान नही है कि जिन भवनों, नगरों, ग्रामों मे वे निवास या उपयोग करते है, उनके उचित मापदण्ड के अभाव से विपत्तियों का जन्म होता है ।स्थापत्यवेद का महत्व व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन मे प्रत्येक मनुष्य की चेतना मे आध्यात्मिक, आधिदैविक व आदिभौतिक क्रिया की पूर्णता हेतु बहुत अधिक है,क्योंकि यदि नगरों, ग्रामों, भवनों का निर्माण स्थापत्यवेद के नियमानुसार नही है, तो वास्तु कुपित रहेगा और जो वहां निवासरत है, उनके जीवन के तीनों क्षेत्रों में पूर्ण सफलता नहीं देगा स्थापत्यवेद के क्रियान्वयन का सीधा संबंध समाज में सबसे अधिक सिविल इंजिनियरिंग से जुड़ा है,इस प्रक्रिया से जुड़े सभी व्यक्तियों को हर स्तर पर महर्षि स्थापत्यवेद से प्रशिक्षित करने हेतु विभिन्न पाठ्यक्रम चलाये जाना चाहीये ।क्योंकि विख्यात उपन्यासकार श्री वृन्दावन लालजी वर्मा के अनुसार *"शिल्पी और कारीगर निर्माण कला के शब्द और व्याकरण है"*। वस्तु से ही वास्तु का निर्माण होता है । 'भारतीय स्थापत्यकला' की इसी व्यापकता को दृष्टिगत रखकर, प्राथमिक शिक्षा से ही इस विद्या को समाहित करना होगा ।।

निरंतर..3

भारत की वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था मे ही हमे इमानदार कोशिश कर रास्ते निकालने होगें, अतःअब तक प्राप्त स्थापत्यवेद के ज्ञान व शोध निष्कर्षो को नीति निर्माता, संकल्प के पश्चात निम्नानुसार सुझावों को चरणबद्व तरीके से वास्तव में क्रियान्वित करें।विकास योजना के प्रारुप में शोध हेतु कई जरुरी जानकारी मिली।इस कार्य हेतु हर सहयोग को तत्पर हुं।

1)देश, प्रदेश, शहर व गांव की 'अधिकांश सड़कें' दिकमूड़ बनी है, जिसका प्रभाव समाज में दृष्टिगोचर हो ही रहा है अर्थात न तो **पूर्व-पश्चिम** ही उत्तर-दक्षिण दिशाओं के समानान्तर बनी है। विकास योजना लागू दिनांक से कोई सडक दिकमूड़ भविष्य में नहीं बनें।

2)विकास नियमों (MOS) में नये निर्माण हेतु आंशिक परिवर्तन, जैसे भवन निर्माण मे आस पास खुली जगह आगे, पीछे, सामने व बाजू में छोड़ने के स्थान पर अनिवार्य रुप से 'दिशा अनुरुप' पूर्व में सबसे अधिक उससे कम उत्तर, पश्चिम व दक्षिण में क्रमशः छोड़ने हेतु तुरंत करना चाहीये, इसी प्रकार भवन का उंचाई, आकार, प्रमाण,व योजना आदि भी महर्षि स्थापत्यवेद के नियमो से बनाने के नियम बनाना व क्रियान्वयन संभव है, तथा आवश्यक भी है, साथ ही वित्त पोषक संस्थायें केवल 'महर्षि स्थापत्यवेद' के अनुरुप संरचनाओं पर ही 'वित्तीय ऋण की स्वीकृती देने' का निर्णय लें ।ताकि जनता की गाढ़ी कमाई व्यर्थ न बहे। **ज्योतिष विद्या** के ज्ञान का भी उपयोग कर ग्रामों, नगरों आदि के प्रमुखों को जन हित मे विकास कराना चाहीये।

3)**प्रदेश, शहर, गांव की सीमाओं का पुनर्सीमाकंन** उनके आकार व प्रमाण के आधार पर यथा संभव स्थापत्यवेद में बताये, विशिष्ट संज्ञाओं **नन्दयावर्त, पदमक व स्वस्तिक** आदि हजारों प्रकारो के ग्रामों मे से निवेशक्षेत्र का आकार एक ही बार में "चोकोर या आयताकार"तय करना होगा (उदाहरणार्थ नक्क्षा संलग्न है।)क्योके वर्तमान छिन्नकर्ण आकार का परिणाम "इसमें बसने वाले लोगो को चोरों, व्याधियों,तथा प्रतिद्वन्द्वियो से भय व त्रास बताया है। **सबसे अच्छा तो यही होगा एक गांव/उपनगर स्थापत्यवेद में बतायनुसार बसा के देखा जावें**, भारत की "कश्मीर समस्या" से लेकर, नये जिलों,विधानसभा क्षेत्रों,लोकसभा क्षेत्रों,निवेशक्षेत्रों,वार्डो या राज्यों के पुनर्सीमांकन व गठन, भीषण जल संकट, भू तापमान वृद्धि,पर्यावरण, सामाजिक भौतिक व मानसिक विकार, बढ़ता भूमी प्रदूषण(रासायनिक खाद व उद्योगों से) एवं स्वास्थ रक्षा आदि समस्याओं के निदान हेतु स्थापत्यवेद के नियमों का पालन शासन व जनता के करोड़ों रुपये बचा सकता है, यह ध्रुव है।**भारतीय संविधान के 74 वें संशोधन के तहत एक कानून बनाने के मसोदे में स्थापत्यवेद के ज्ञान को समाहित कराना चाहीयें।**

4)अन्य क्षेत्रों में जैसे **जल प्रबंधन** हेतु सर्वप्रथम उपलब्ध नये व पुराने 'जल स्त्रोंतो नदीयो ,झीलों ,तालाबो,कुओ,बावडियों को वास्तुनुरुप आकार में कर , का पूर्ण क्षमता' तक गहरीकरण करके ,स्थापत्यवेद के नियमो से जहां शुभ हो उन्हीं क्षेत्रों में, जल वितरण करना तथा अध्ययनक्षेत्र की सभी नदीयों को जो जोडने तथा उत्तरपूर्वीक्षेत्र तलावली चोंदा में एक विशाल तालाब बनान चाहीये।'भू जल पूनर्भरण' हेतु नगर/ग्राम सीमा पर "परिखा" निर्माण करने, व अन्य स्थलों का चयन कर एक आन्दोलन के रुप में लेकर तुरंत किया जाना चाहीये।क्योंकी धरती माता का पेट जल से भरा होगा,तो नदीयां बहने लगेंगी।

5)इसी प्रकार **विद्युत समस्या** के स्थाई निदान के लिये सर्वप्रथम बढ़ती अस्वास्थयकर मंहगी ए. सी. (A.C.)संस्कृति पर अंकुश,ऐसे भवन बनाकर, जिसमें दिन मे विद्युत ऊर्जा से उत्पादित प्रकाश ,हवा आदि का उपयोग ही न करना पड़े,याने स्थापत्यवेद के नियमों से ही बनायें तथा सभी अनुबंधित विद्युत उत्पादकों को आवश्यकतानुसार, स्थापत्यवेद के अनुरुप उपयुक्त स्थल चुनकर,कुछ ही नई सौर *या* "अन्य न्युनतम दर पर उपलब्ध" ऊर्जा आधारित उत्पादन योजना में मिलकर पूंजी लगाना चाहीये तथा विद्युत वितरण व्यवस्था मे फीडर अनुसार, बिजली बेचने का दायित्व देकर, अभियन्ताओं की जवाबदेही सुनिश्चित की जाना श्रेयस्कर होगा

6)**भूमी प्रदूषण** को कारगर ढंग से रोकने हेतु, प्रत्येक गांव व शहर में ,पूर्व व आग्नेय दिशा के मध्य परिखा से लगी गौशाला "गोसंवर्धन" के लिये बनाकर, उससे प्राप्त *गोधन* से पोष्टिक खाद, औषधि इत्यादि प्राप्त कर

निरंतर..4

,गौमाता पर हो रहे अत्याचारों को भी रोका जाना चाहीये अन्यथा वांछित बरसात नहीं होगी ।
7)शहरों मे बढ़ती **झुग्गी समस्या** के स्थापत्यवेद से ,स्थाई समाधान हेतु शहर/ग्राम की 'परिखा' पर उनके, कार्यानुरुप व कार्य स्थल को दृष्टिगत रखकर उसके समीप ही, मालिका ग्रह (Row House) बनाना चाहीये व पट्टे देकर नियमितिरण बंद होना चाहीयें।
8)**पर्यावरण प्रदूषण** के बढ़ते स्तर को कम करने के लिये शासनाध्यक्षों, ग्रामों व नगरों के प्रमख समय समय पर जन कल्याण में **शासकीय खर्च पर वैदिक यज्ञ** व अनुष्ठान कराना चाहीये,जैसे पहले राजा करते थे, साथ ही प्रदूषणकारी उद्योगों को दक्षिण पश्चिम की ओर तथा विभिन्न नये पुराने भुउपयोग *की योजनाओं को* द*'वसति योजना'* के अनुरुप चुनकर पुनर्नियोजित करना चाहीये । **भूमी प्रदूषण** को कारगर ढंग से रोकने हेतु, प्रत्येक गांव व शहर में ,पूर्व व आग्नेय दिशा के मध्य परिखा से लगी गौशाला "गोसंवर्धन" के लिये बनाकर, उससे प्राप्त *गोधन* से पोष्टिक खाद, ओषधि इत्यादि प्राप्त कर ,गौमाता पर हो रहे अत्याचारों को भी रोका जाना चाहीयें अन्यथा वांछित बरसात नहीं होगी ।
9)विकास योजना के अधिकार एक ही संस्था के पास हो तथा उपलब्ध धनराशी से विकास योजना में पहले से तय वरियता से खर्च किया जाने का कानून बनाया जावे ।
10)**"अहिंसक वैदिक खेती"के** अन्तर्गत *क्षेत्रीय जड़ी बूटियों* व अन्य वन संम्पदा का संवर्धन, खेती, वैदिक विद्या के आधार पर करने से **क्षेत्रीय "अर्थव्यवस्था" मे आमाचूल परिवर्तन संभव है ।**

वैदिक विद्या याने कि प्रकृति के नियम, का पालन, जो पूर्ण ज्ञान है, का पालन व क्रियान्वयन भी प्रकृति स्वयं बाढ़, भूकंप दुर्घटना आदि साधनों से करा लेती है व दंडित भी करती है ।किसी भी नियोजित शहर/ ग्राम को स्थापत्यवेद से ही नहीं सामान्य रुप से भी पुर्ननियोजित करना इस राजनैतिक प्रधान समय में दुष्कर कार्य है। अतः अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो 'वर्तमान परिवेश मे महर्षि स्थापत्यवेद से क्रियान्वयन' संभव है **यह भावनाओं का अतिरेक नहीं वरन "मानव समाज की रक्षा"हेतु एक महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकता भी है ।अतएव अपने अहं को भुला कर महर्षिजी के मार्गदर्शन मे वैदिक विद्या को जन-जन तक पहुंचाकर 'सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः' को चरितार्थ करने में पहला कदम बढ़ाये ।**

अतः आपसे प्रार्थना है कि स्थापत्यवेद के नियमों का इसमें समावेस करें।हम हर संभव सहयोग हेतु दृढसंकल्पित है।शुभ कामनाओं सहित ।जय गुरुदेव ।

संलग्नः-मानचित्र व Phd [illegible] ।

{कौशिक अशोक कुमार}

दि.26.7.2003 **"स्नातक सिविल इंजिनियरिंग एवं आचार्य महर्षि स्थापत्यवेद "**

'विद्यार्थी विद्यावारिधि महर्षि महेश योगी वैदिक वि. वि इन्दौर परिसर

जय-गुरुदेव

प्रति,

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्या.इन्दौर,
एवं विकास समिति के संयोजक व माननीय सभी सदस्यगण,
कैम्पः-कलेक्टर कार्यालय सभाग्रह इन्दौर ।

दि.30/08/03

विषयः-**उपांतरित इन्दौर विकास योजना 2011 (प्रारुप)** में आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने बाबत ।
संदर्भः-01)आपका कार्या.पत्र क्र.3329/नग्रनि/2003/इन्दौर दि.14.08.02 02)नईदुनिया इन्दौर कि दि.31.07.03में पृक्र.05प्रकाशित समाचार।3)श्रीमान वी.पी. कुलश्रेष्ठ,संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इन्दौर से भेंट कर विषय पर सप्रमाण चर्चा दि.10.10.2002 तथा उनका पत्र क्र.5076/एसइएच/2002/नग्रनि/इन्दौर दि.19.12.202।

सादर धन्यवाद कि,मालवा के अध्ययन क्षेत्र -2025हेतु इसरो व संचा.नगनि.के संयुक्त प्रयासों से मुझे अपने देश का प्रथम **'महर्षि स्थापत्यवेद आचार्य'** होने के पश्चात Ph.D शोध कार्य हेतु दुर्लभ आंकड़े उपलब्ध कराये।चुंकी इस योजना को बनानें में ,सनातन से चले आ रहे स्थापत्यवेद (वास्तुशास्त्र) के पूर्णतः वैज्ञानिक नियमों को नहीं लिया गया है। अतःवास्तुमंथन (A GROUP OF TECHNOCRATS)से प्राप्त शोध निष्कर्षो पर आधारित सप्रमाण एक "संकल्प"समिति द्वारा पारित करने हेतु संलग्न सादर प्रस्तुत है।

" विष्ठवि इति स्थाहः तेषाम पतिः इति स्थपति ।" अर्थात *एक स्थपति के लिये , कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि इस त्रि-आयामी जगत (लम्बाई, चौडाई व मौटाई युक्त)अर्थात जगत में जो भी वस्तु बैठती या जगह घेरती है वह सब स्थापत्यवेद का क्षेत्र है,चाहे सूई हो या नगर नियोजन* **'भारतीय स्थापत्यकला'** की इसी व्यापकता को दृष्टिगत रखकर, जनपद ,पंचायतों, नगर निकायों, जिला प्रमुखों व निती निर्माताओं को भविष्य मे समस्त योजनाओं को स्थापत्यवेद (वास्तु) से बनाने का संकल्प पारित कर, पालन भी करना चाहिये, ताकि भविष्य में तो संरचनायें वास्तुदोष युक्त न बनें ।महापौरजी , सीईपीआरडी संस्था व के सहयोग तथा प्रोफेसर श्री ए.एन.पटेल,**गो.से.इ.आफ टेक्ना.एण्ड साईस इन्दौर म.प्र.{Shri G.S.Inst.Of Tech.& Scince** के निर्देशन में"इन्दौर के विचाराधीन सिटीजन्स मास्टर प्लान -2025 का महर्षि स्थापत्यवेद से नियोजन " विषय पर विद्यावारिधि (Ph.D) **महर्षि महेश योगी वैदिक वि. वि या अन्य विवि. से कर राष्ट्रहित में समिति को प्रस्तुत किया जावेगा।इस पर विस्तृत चर्चा दि.02.09.03 को** सीईपीआरडी संस्था के साथ या प्रथक से 'सत्र' आयोजित कर की जा सकती है।धन्यवाद।

जय गुरुदेव।

संलग्नः-प्रस्ताव मय सुसंगत दस्तावेज।
(पेजनं. 1 से 33 तक)

30/08/03
(कौशिक अशोक कुमार)

दि.30.08.2003

"स्नातक सिविल इंजिनियरिंग एवं आचार्य महर्षि स्थापत्यवेद "
'विद्यार्थी विद्यावारिधि महर्षि महेश योगी वैदिक वि. वि .
'एवं 'अति.कार्य.यंत्री व तहसीलदार (वसूली) म.प्र.राज्य विद्युत मंडल इन्दौर.दूरभाष 0731-2555882{R}

प्रतिलिपिः-नईदुनिया इन्दौर व सभी समाचार पत्र व सभी सम्बंधित को।

30.08.03
(कौशिक अशोक कुमार)

।। वास्तुमंथन ।।
(A Group of Technocrats)

भारती कौशिक
वास्तु विशेषज्ञ

कौशिक अशोक कुमार
B.E. (Civil), M.A. (Vastu)
Addl. E.E. & Recovery Tehsildar
M.P.S.E.B., Indore

विद्यार्थी विधावारिधि (PhD. Scholar), स्थापत्यवेद (वास्तु)
महर्षि महेश योगी वैदिक वि.वि., म.प्र.

ई.के.-585, स्कीम नं. 54, इन्दौर-10 फोन : (0731) 555882
e-mail : sthapati2000@yahoo.com

॥ वास्तु मंथन ॥

(A GROUP OF TECNOCRATS)

जय गुरूदेव

समिति द्वारा पारित किये जाने वाला प्रस्तावित "संकल्प"

1. <u>राजधानी :</u> इन्दौर निवेश क्षेत्र के मध्य में 125.41 किमी. क्षेत्रफल में 100% अधिकार एकमात्र संस्था "नगर पालिका निगम इन्दौर" के पास होंगे तथा शेष निवेश क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल को "चौकोर या आयताकार" कर विभिन्न संस्थाओं को अलग-अलग क्षेत्र आवन्टित किये जावेगें तथा अध्ययन क्षेत्र - 2025 को भी मालवा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु गांवो, शहरों, कस्बों को स्थापत्यवेद के अनुसार आकार व माप के आधार पर सर्वातोभद्र, दंडक, नन्द्यावर्त, पद्मक , स्वस्तिक , पस्तर, कार्मुक, चर्तुमुख, खरवट व खेट आदि प्रकार के ग्रामों में से चयनित कर तदानुरुप उन्हे बसाने हेतु , क्षेत्रीय नियंत्रकों से चर्चा कर केन्द्र सरकार को भेजें जावेगें।

इस 125.41 स्क्वेयर किमी. क्षेत्र को स्थापत्यवेद के अनुसार राष्ट्र के मध्य में , चौकोर तथा आयताकार कर "राजधानी" के रूप में विकसित करना तथा जन सहमति से "संविधान के अन्तर्गत" 74 वे संशोधन में अध्ययन क्षेत्र को स्थापत्यवेद के अनुरूप नगरीय निकायो एवं ग्रामों आदि को बनाने हेतु सौ बिन्दुओं का एक विस्तृत, ग्रंथों के संदर्भ सहित सप्रमाण प्रस्ताव केन्द्र सरकार को समिति की ओर से शीघ्र भेजा जावेगा। नगर निगम के अध्ययन क्षेत्र में कोई भी अब निर्माण कार्य करने से पूर्व क्रियान्वन योग्य, स्थापत्यवेद के सिद्धांतो से पुर्नअवलोकन कर ही प्रत्येक निर्माण किया जावेगा। विकास योजना 2011 प्रारूप में अध्ययन क्षेत्र 2025 को केन्द्र सरकार की प्रस्तावित "पार्वती कालीसिंध-चम्बल नदी" की योजना में क्षेत्रीय खान, सरस्वती व गंभीर नदी इन्दौर के छोटे बड़े नालों सहित जल सयंत्र, स्त्रोत एवं "खान नदी पर्यावरण अवडमेंट स्कीम इन्दौर" (लागत 36.06 करोड़) एवं खान नदी हेतु सन् 1955 में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा (44.38 करोड़) "राष्ट्रीय सफाई नदी योजना)" में तथा विश्व बैंक तथा जर्मनी द्वारा तीन करोड़ रूपये की राशि, मास्टर प्लान हेतु स्वीकृत है तथा केन्द्र सरकार की 340 अरब की ग्रामीण सड़क योजना सहित निर्माणाधीन योजनाओं हेतुआवन्टित राशि व भविष्य में स्वीकृत होने वाली राशि या पुर्नसमीक्षा कर सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव समय-समय पर केन्द्र सरकार समिति द्वारा भेजा जावेगा।

2. अब कोई भी नई बस्ती, विस्थापित कॉलोनी, स्थापत्य वेद की मान्यताओं से बनाई जावेगी। भीषण जल संकट हेतु धरती माता की प्यास जल-पुर्नभरण को एक क्रांति के रूप में लेकर प्राचीन जल-संरचनाओं को पुर्नजीवित करें तथा भीषण विद्युत संकट के समाधान हेतु वातानुकुलित (ए.सी) संस्कृति को बढ़ावा न देते हुए ऐसे भवनों की रचना करें ताकि दिन में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश व हवा हेतु न करना पड़े व अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न गांवो के दक्षिण-पूर्व (आग्नेय में) उनके आकार के अनुपात में "विद्युत उत्पादन हेतु , सौर ऊर्जा आधारित ऊर्जा संयंत्र" सभी पूंजीपतियों को मिलकर शासन के साथ सहयोग कर, लगाना चाहिये व स्थापत्यवेद के अनुसार विद्युत संधारण कार्य अभियन्ताओं की जवाबदारी सुनिश्चित कर फीडर अनुसार उसका दायित्व दिया जाना चाहिये, तथा स्थापत्यवेद के नियमों से ही अग्नि तत्व से संबंधित उद्योग या अन्य कार्य हेतु खाली पड़ी भूमि पर सी.एल.ए. के अन्तर्गत भूमि आरक्षित करने का प्रावधान निवेश योजना में सम्मिलित रहेगा।

3. वहीं दूसरी ओर पर्यावरण, प्रदूषण, अनावृष्टि एवं भूमि प्रदूषण को रोकने के लिये गौ संवर्द्धन हेतु गांवो, शहरों, मोहल्लों, कस्बों में आग्नेय व दक्षिण दिशा के मध्य परिखा के बाहर "गौ शालाओं" का निर्माण कर गौ माता पर हो रहे अत्याचारों को रोकना चाहिये तथा ग्राम शहर के प्रमुखों को जन कल्याण हेतु शासकीय खर्च पर यज्ञ, वास्तुशांति करवाना तथा ज्योतिषिय फलित जानकार बादलों के रहने पर राग मल्हार का पाठ व यज्ञ अनुष्ठान करवाकर , जिससे बादलों का मार्ग बदलकर इच्छित स्थल पर बरसाया जा सकें, तथा प्रत्येक घर में सर्वधर्म सद्भावना का प्रतीक पर्यावरण के सुधार व वास्तुदोष निरूपण हेतु **"अग्निहोत्र"** किया जाना आवश्यक है इसमें किसी के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नही है। प्रकृति के अनुरूप प्रत्येक कार्य ही स्थापत्य वेद का प्रमुख आधार है जो पंच तत्वों के संतुलन को बनाये रखने का सशक्त माध्यम है। "सर्वे भवन्तु सुखिना" के सिद्धांत पर देश को सुखी एव समृद्ध बनाने में अपना योगदान देने में समिति को प्रकृति भी सहयोग करेगी। इसी अवधारणा को लेकर इसका पालन भी यथासंभव किया जावेगा।

4. अध्ययन क्षेत्र में देश काल व परिस्थिति के अनुरूप ज्योतिष शास्त्र का भी प्रयोग कर, क्षेत्रीय बहुमूल्य जड़ी-बूटियों, खनिजों आदि का सदुपयोग कर तथा क्षेत्रीय आवश्यकता जैसे तकनीक, रोजगार, अर्थ व्यवस्था, सिंहस्थ हेतु फल-सब्जी का विशेष उत्पादन, अहिंसक जैविक खेती, औषधीय एवं सुगंधित फूलों की खेती पर विश्व स्तरीय मानको के अनुरूप स्थापत्यवेद के नियमों से करने का प्रावधान योजना में सम्मिलित रहेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आमाचूल परिवर्तन निश्चित संभव है।

5. नोडल एजेन्सी के रूप में ग्राम एवं नगर निवेश विभाग इस संकल्प के अनुसार क्रियान्वन हेतु जिम्मेदार व सर्वअधिकार युक्त होंगे ।

कौशिक अशोक कुमार
बी.ई. सिविल, एम.ए. स्थापत्यवेद एवं पी.एच.डी. स्कॉलर -"एवं अति. कार्य. यंत्री व तहसीलदार (वसूली) म.प्र. राज्य विद्युत मंडल इन्दौर, दूरभाष 0731-2555882(नि.)

भारती कौशिक
एम.ए., पी.एच.डी. स्कॉलर

4

जय-गुरुदेव

प्रति,
श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय,
शासकीय सर्वे आफ इंडिया, नर्मदा भवन,
बस स्टाप नं.02 टी.टी नगर भोपाल

ध्यानार्थ (श्री बी.वी. सक्सेना)

विषय:-विद्यावारिधि (Ph.D) में शोध कार्य के लिये, इन्दौर क्षेत्र के मानचित्र देने बाबात।
संदर्भ:-शासकीय सर्वे आफ इंडिया,सीजीओ काम्पलेक्स इन्दौर कार्यालय से चर्चा दि.25.04.05।

विषयान्तर्गत संदर्भित चर्चा के तारतम्य में सूचित करने में आता है कि ,मेरे द्वारा "इन्दौर के विचाराधीन सिटीजन्स मास्टर प्लान -2025 का महर्षि स्थापत्यवेद से नियोजन " विषय पर विद्यावारिधि (Ph.D) हेतु शोध कार्य किया जा रहा है,इसके लिये इन्दौर क्षेत्र के संलग्न विवरण के अनुसार मानचित्रों की अवश्यकता है,जो संदर्भित चर्चा के अनुसार आपके इन्दौर कार्यालय में उपलब्ध नही है,आपके कार्या से लेने हेतु बताया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि ,संलग्न विवरण के अनुसार मानचित्र जो **Heights & contours(interval 5 m)** की जानकारी युक्त 1987 के या ओर नवीनतम उपलब्ध हो तो वह, तथा इन्दौर शहर के आसपास 100 कि.मी.की परिधि का ऐसा मानचित्र तैयार हो तो जिसमें जिला,नगर,ग्राम की सीमाओं के साथ कंटूर आदि भी हो तो,वह भी भेजने का कष्ट करें।

(Ph.D) के पंजीयन की छाया प्रति व रु. 250/- का रेखांकित चेक,मानचित्र के मूल्य हेतु संलग्न है।अगर चेक स्वीकार्य न हो तो **VPP** द्वारा शीघ्र भेजने का की कृपा करें। धन्यवाद।
जय गुरुदेव।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार
(चेक नं. 578966/SBI)

दि.26.04.05

(अशोक कुमार कौशिक)
"स्नातक सिविल इंजिनियरिंग एवं आचार्य महर्षि स्थापत्यवेद "
'विद्यार्थी विद्यावारिधि महर्षि महेश योगी वैदिक वि. वि.
पताः-ईके 585 स्कीम नं 54 इन्दौर पिन 452010 दूरभाष 0731-2555882(R)

Phone : 2706807, 5099942, 2700449 574750
Madhur Courier Services
ROOM NO. 1 MEGHDOOT HOTEL, 82, NASIYA ROAD,
(NEAR BUS STAND), INDORE - 452 001

Date 26/4/05
C/N 90065852
To Bhopal
From INDORE
Consignor A.K. Kashik JI INDORE

No. of Pkgs.	Method of Packing	Parcel - Value	Weight

Consignee Govt. Survey of India

10.2% Service Tax & E.C. Including Service Charge	Rs.	10 Rs.

Note : ● Owner's Own risk ● We are not responsible for bearer cheque/cash D.D./L.R./R.R./Rukka etc. ● No claim be entertained after expiry of 15 days to booking Maximum liability of the expiry is Rs. 15/- only per article if loss & Rs. 100/- for 1 Kg. if not insured ● Subject to Indore Jurisdiction ● Gold silver, Diamonds Cash-Currency not Accepted.

Sign.

Consignor's Sign.

मानचित्रों का विवरण   Indore District (Height's + contour युक्त)
(Prepared in 1984-85) map. 1987
'यह' latest

मानचित्र क्रमांक

(1)	(2)	(3)	(4)
46/N/9/ SE	46/N/13/ SW	46/N/ 13/SE	55/B/ 1/SW
46/N/10/ NE (5)	✓	✓	55/B/2 NW (6)
46/N/ 10/SE (7)	46/N/ 14/SW (8)	46/N/ 14/SE (9)	55/B/ 2/SW (10)

मानचित्र चाहिये :-
क्र. 01 से 10 तक 10 मानचित्र के रु. 20 × प्रति मानचित्र = 200/-
डाक खर्च रु. 50/- = 50/-
250/-

28.4.01
(र. कि. कौशिक)

दिनांक : 19.1.2000

''अग्निहोत्र'' के लाभ व उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण

''अग्निहोत्र'' एक यज्ञ की वह सुक्ष्म विधि है जिसे हमारे ऋषि अत्रि व उनकी पत्नी अनुसुईया नित्य सुबह शाम करते थे ''अग्निहोत्र'' करने के लिए सर्वप्रथम गाय के गोबर से निर्मित विशेष कंड्डे एवं गाय का घी एवं एक विशेष पात्र व चुटकी भर चावल की आवश्यकता होती है प्रातः काल एवं संध्या काल सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय मंत्र सहित दो-दो आहूतियां दी जाती है।

पाँच हजार वर्ष पहले महाभारत काल में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने सृष्टि की सुरक्षा के लिए यज्ञ (कर्तव्य कर्म) करने की आवश्यकता परअधिक बल दिया है।

अन्नाद भविन्त भूतानि, पर्जन्या दन्न संभव।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव :।।

श्रीमद् भगवतगीता 3 अ श्लोक - 99

अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है यज्ञ कर्मों से निष्पान्न होता है इस लिए कहा गया है कि भारतीय ज्योतिष विज्ञान के विकास क्रम की दिशा में ऋषियों ने (उस समय के वैज्ञानिकों द्वारा) जनकल्याण स्वास्थ्य, शिक्षा संस्कार समृद्धता के उपायों के लिए पुष्ट वर्षा, पुष्ट धान्य, पुष्ट रस, पर्यावरण की शुद्धता व सुरक्षा हरे भरे वृक्ष लताएं बगीचे निर्मल जल इसके लिए मेघ बादलों से गहन वर्षा और वर्षा के लिए पुष्टिप्रद यज्ञ करने की योजना क्रियान्वित की।

यज्ञ ही वह विधि है जिसके द्वारा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है। यज्ञ से पर्यावरण की शुद्धता सुरक्षा वायुमंडल की पवित्रता विधि रोगों का नाश, शारीरिक व मानसिक उन्नति तथा रोग निवारण के कारण दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। यज्ञ के द्वारा भूमि जल वायु और ध्वनि के प्रदुषण को दूर किया जा सकता है। क्योंकि यज्ञ वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वायुमंडल में आक्सीजन और कार्बन-डाईअक्साईड का संतुलन बना रहता है। इसलिए की प्राकृतिक में एक चक्र व्यवस्था है, जिसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ अपने मूल स्थान पहुंचता है। इसी अधार पर ऋतु चक्र, वर्ष चक्र अहोरत्र चक्र, सौर चक्र, चान्द्र चक्र आदि प्रवर्तित होते हैं। इस प्राकृतिक चक्र को ही यज्ञ कहते हैं। यह प्रक्रिया अणु परमाणु से लेकर सूर्य चंद्र आदि तक सभी जगह चल रही है। सृष्टि के प्रत्येक कण कण में नित्य परिवर्तन हो रहा है और सृष्टि चक्र चल रहा है। अतः सृष्टि चक्र का आधार केन्द्र यज्ञ ही है।

सनातन से चले आ रहे अह्निहोत्र में एक प्रयुक्त एक विशिष्ट आकार का पात्र जिसकी लंबाई 10

अंगुल व ऊंचाई 7 अंगुल होती है। पात्र का आकार ऊपर 14.5 X14.5 सेंटीं. तथा 525 X5.25 सेटीं. मीटर तथा ऊंचाई 6.5 सेंटी. होती है। ऊंचाई तक तरफ समपरिमाण में तीन सोपान होते हैं प्रत्येक सोपान की तरफ ऊंचे होते अग्निहोत्र पात्र की लंबाई व चौडाई बढती जाती है। यह पात्र तांबे का होताहै जो उत्तम विद्युत वाहक होता है। विशेष कारणवश तांबे का पात्र न मिल सके, तो इसी प्रकार के मिट्टी के पात्र में अग्निहोत्र किया जा सकता है। अपनी स्वयं अतंरस्थ शक्तियों द्वारा उस अग्निहोत्र का चंद्र की विभिन्न कलाओं एवंउदय व अस्त होते सूर्य से आने वाली शक्तियों के साथ गहरा संबंध होता है। दिन हो या रात आकाशरस्थ ग्रहों से आने वाली तमाम शक्तियों का इस अग्निहोत्र पात्र से संपर्क होता है। यह अग्निहोत्र इन शक्तियों का रिसीव्हर माना जा सकता है। इसी कारण यह अनुभव किया गया है कि रह-रहकर कुछ काल केअतरांल से इस पात्र से शक्ति स्फोट होता रहता है। इसकी शक्तियां अंतरिक्ष से पोषक तत्वों को खींचकर उस स्थल को प्रदूषण जनित विषों से स्वच्छ कर वातावरण को शुद्ध व पोषक बनाती है। पात्र को सीधे जमीन पर न रखते हुये लकड़ी के गत्ते पर रखने से शक्तियां भूमिगत (Earthing) नहीं होती।

गो-घृत में मिश्रित चांवलों से एक समय की अग्निहोत्र में प्रयुक्त समंत्र दी गई आहुतियों से पूना के फर्ग्युसन कालेज की जीवाणु शस्त्रियों ने एक प्रयोग मेंपाया कि 36X 32 X10 फुट के क्षेत्र में वायु प्रदूषण खत्म होताहै। 90% हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। वेदो में गोघृत को '' आयुवैघृतम्'' रूप में वर्णन किया है। गोघृत में मूल रुप से 11 एसिड 12 धातुएं 2 लेक्टोज चार गैस होती है। गाय के घी का चांवल में मिश्रित कर जब '' समंत्र आहूति दी जाती है तब इस आहुति के जलने से उत्पन्न 4 गैस अभी तक पहचानी जा चुकी है। जिसमें जो एथलिन अक्साइड, प्रापिलीन अक्साइड, फार्मल डिहाईट तथा बीटा प्रापियों लेक्टोन है। आहूति देने के पश्चात् एसिटिलीन का निर्माण होता है। यह एसिटिलीन प्रखर उष्णता की ऊर्जा है, जो दूषित वायु को अपनी ओर खींचकर उसे शुद्ध करती है। गोघृत से उत्पन्न इन गैसों में कई रोगों को मन के तनाव को दूरकरने तथा पर्यावरण शुद्धि करने की अद्भुत क्षमता है। आहुति में प्रयुक्त दूसरा पदार्थ साबुत चांवल है जिसमें 12% नमी तथा शेष स्टार्च रहता है ।चांवल के कवच का द्रव कठोर एवं तैलीय रहता है।उसमें काफी मात्रा में ओलिन (Olien) तथा अल्बुमिनस होता है। यही एक ऐसा अनाज है जो विश्व भर में सर्वत्र पाया जाता है हृदय रोग, रक्तचाप, दमा,अलसर, आदि अनेक रोग मानसिक तनाव तथा अस्थिरता के कारण उत्पन्न होते हैं। अग्निहोत्र के बाद कुछ समय वहीं शांत बैठे रहने से मानसिक थकान व तनाव से पैदा Anxiety Neurasis दूर होती है। इस अभ्यास के समय पचअपच की प्रक्रिया (Metabolic System) गति कम होने से प्राण वायु ग्रहण क्षमता 20% कम होती है। सिम्पेथेटिक नर्बसस्सिटम'' पुनः संतुलन होने से मन स्वस्थ होता है एवं रक्त में Blood Lactate के निर्माण की गति कम होती है शायद गोघृत की आहुति से उत्पन्न Propranolal नामक तत्व केकारण Blood Lactate की मात्रा कम होती है। इस ध्यान, चिंतन काल में मानसिक तनाव कम

होने से शरीर का त्वचा प्रतिरोध बढ़ जाता है। हृदय के कार्य भार में कमी आकर उसे विश्राम मिलता है हृदय रोगियों के लिए यह अत्यंत लाभ दायक है । नाड़ी संस्थान सबल होकर अधिक स्थाई रूप से कार्य करने लगता है। अग्निहोत्र एक सर्वांगीण स्वास्थ्य चिकित्सा (Wholistic Healing) का गुण रखती है। अग्निहोत्र औषधि निर्माण तथा चिकित्सा नामक पुस्तक में प्रातः काल स्नानादि करके शुद्ध मन से संध्याकाल में किए अग्निहोत्र से प्राप्त भस्म से औषधि निर्माण की विधि बताई गई है। औषधियां बनाने के लिए भस्म को खरल मैं पीसकर उसे तांबे या अन्य धातु के बर्तन में रखने का विधान है। इस पाउडर से अग्निहोत्र केपसूल, मलह्म, ड्राफ्स इनहेलेशन रुप में औषधियां स्वयं ही बनाई जा सकती हैं। अग्निहोत्र पाउडर बनाने हेतु '' जिसका जर्मन नाम अग्निहोत्र उस्टा'' है। सूती धूले वस्त्र में भस्म डालकर दाहिने हाथ की अंगुलियों से उस वस्त्र पर धीरे-धीरे रगड़कर उस भस्म को नीचे रखे बर्तन में एकत्र करें उसे कांच शीशी में भर लें। कपड़े के ऊपर शेष पाउडर को पेड़ पौधे में डाल दें। यह अग्निहोत्र पाऊडर विभिन्न रोगों जैसे गले की खराश में शहद या काढ़े केसाथ लेने से खत्म होती है वह दाद वाले स्थान पर अग्निहोत्र भस्म भरने से दो ही दिन घाव भरना प्रारम्भ हो जाता है। मांसपेशियो के दर्द में प्रभावित स्थान पर इस पाउडर को मलने से व दिन में दो बार एक-एक चम्मच पानी से लेने से आराम मिलता है। दस्त व डिसेम्ट्री में एक -एक चम्मच दिन में दो बार लेने से दस्त बंद होते हैं टॉसिल्स बढ़ने पर आधा चम्मच यह पाउडर शहद के साथ सेवन करने से इस रोग में फायदा होता है। वमन या उल्टी होने पर एक चम्मच पाउडर गर्म या ठंडे पानी से तीन बार लेने से उल्टी बंद हो जाती है। दंत रोगों में भी पाउडर से दांत साफ करने व सोते समय गर्म पानी से लेने पर दंत रोग उत्पन्न नहीं होते। किडनी की तकलीफ में भी इसे दिन में तीन बार पानी केसाथ सेवन से लाभ होता है। वहीं गैस की तकलीफ होने पर उसपाउडर को दिन में तीन बार मुट्ठे (मही) के साथसेवन करने से ''मलशुद्धि'' के साथ लाभ प्राप्त होता है। माग्रिन , आधा सीसी व तीव्र सिर दर्द होने पर प्रतिदिन सूर्योदय व सूर्यास्त के अग्निहोत्र के बाद एक चम्मच पाउडर को पानी के साथ सेवन करने से रोग व रोग के दौरों के बीच का अंतराल बढ़ता है व रोग धीरे-धीरे ठीक होता है। अणुविकिरणें (Neuclear Rediation) के विष से उत्पन्न रोगों में आस्ट्रेलिया के श्रेष्ठ चिकित्सों के द्वारा किए गए प्रयोगों के उपरांत यह पाया कि यह भस्म आणविक विकिरण के दुष्प्रभावों को खत्म करती है। तथा अग्निहोत्र से उत्पन्न धुंआ वायुमंडल में मौजूद हानिकारक रेडिएशन के कणों को एकत्रित करउन्हें निष्क्रिय कर देता है।

यह पाउडर एलर्जी चर्म रोग, बच्चों की तकलीफें, पेटदर्द, चोट खांसी, चेचक और रक्ता अल्पता सोरायसिस व आंशिक पक्षाघात रोगों में भी बहुत लाभ देता है '' जो लोग पाउडर का सेवन सीधे करने की प्राण शक्ति नहीं रखते वे इसे खाली कैपसूल में भरकर सेवन कर सकते हैं। जिसे विदेशो में मेजिक कैपसूल के नाम से जाना जाता है। गाय के शुद्ध घी 1:9 के अनुपात में अग्निहोत्र पाउडर व गाय की शुध्द

घी तांबे की प्याली में लेकर फेंटने के बाद तैयार मलहम को कांच की शीशी में भरकर रख लें। यह मलहम सूखी खाज–खुजली में दिन में दो बार प्रभावित स्थान पर लगाने से तुरंत लाभ होता है। इस मलहम को अँदरूनी चोट, जलने पर कुष्ठरोग में व सीने में दर्द अथवा सर्दी जुकाम होने पर ''विधि अनुरुप'' उपयोग से निश्चित लाभ होता है।

इस प्रकार अग्निहोत्र पाउडर में अग्निहोत्र ड्राप्स, आंख , कान व नाक में डालने की दवा के रुप में बनाई जा सकती है। 2–3 दिसम्बर 1985 को यूनियन कार्बाइड भोपाल से निकली मिथाइल आइसोसाईनाइड गैस ने हजारोंं लोगों की जीवनलीला समाप्त की थी। भोपाल में माधव आश्रम द्वारा प्रणीत जिन घरो में अग्निहोत्र होता था, वे दुष्प्रभावों से बचे रहे व पूर्ण स्वस्थ्य हैं। जिन गैस पीडितों ने गैस कांड के बाद अग्निहोत्र आचरण शुरु किया वे फेफड़े पेट, रक्त व मस्तिष्क संवंधी तकलीफों से मुक्त हो चुके हैं। गैस पीड़ित महिलाओं से हुई संतानों में विकलांगता, दुर्बलता आदि में कमी अग्निहोत्रसे देखीगई। व्यसन मुक्ति हेतु लेफ्टीटेन्ट कर्नल जी.आर. गोलछा एम.डी. सायकियाट्रिस्ट ले.कर्नल, मदन पांडे अन्य डाक्टरों ने स्मेक एडिक्ट व्यक्तियों पर अग्निहोत्र के प्रभाव के बारे अपने 9 माह के लंबे अध्ययन के निष्कर्ष 10 जनवरी 1987 को इण्डियन सायकियाट्री के कलकत्ता में हुए वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किये थे। उनके द्वारा प्रस्तुत पेपर का शीर्षक था। 'Agnihotra, a use ful adjunct in recovery of a resistant demotivated smake addict."

अग्निहोत्र के युग प्रवर्तक श्री माधवजी द्वारा स्थापित माधवाश्रम सीहोर रोड़ बैरागढ़ भोपाल (म.प्र.) स्थित परिसर में पत्रिवर्ष 26–27 जनवरी को सम्मेलन आयोजित होता है जिसमें अग्निहोत्र के पालनकर्त्ता अपने–अपने अनुभव व शोध निषकर्षों को प्रस्तुत करते हैं।

अब तक किए गए शोध निषकर्षों के आधार पर माधवाश्रम द्वारा उपलब्ध साहित्य अग्निहोत्र, अग्निहोत्र औषधि निर्माण तथा चिक्त्सिा, अग्निहोत्र कृषि क्रन्ति आदि में विवरण सप्रमाण दिया गयाहै। संस्थान की संचालिका सुश्री नालिनीजी द्वारा अग्निहोत्र के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास निश्चित ही हर द्दष्टि से लाभादायक सिद्ध होकर राष्ट्र की उन्नती में सहायक होंगे।

अतः आज शाम से ही अग्निहोत्र प्रारंभ करें इसमें अब संदेह नहीं कि सुयोग्य स्थपति (वास्तु आचार्य) के परामर्श के अनुसार बताये स्थल पर किया जावे, आवश्यकता है सिर्फ इसे '' जीवन पर्यन्त '' करने के, संकल्प लेने की ।

अतः वायुमंडल शुद्धि सुखमय जीवन के लिये नित्य अग्निहोत्र करें।

अशोक कुमार कौशिक

शोध प्रबंध में प्रयुक्त मूल ग्रन्थों व पुस्तकों की सूची

1. समराग्डण सूत्रधार (भवन निवेश)
2. आर्किटेक्चर ऑफ मानसार
3. मयमत
4. वास्तु सौख्यम
5. मत्यपुराण
6. अग्नि पुराण
7. विश्वकर्मा प्रकाश
8. मनुष्यालय चंद्रिका
9. वृहत्संहिता
10. वैदिक वास्तु विद्या एवं रोग कारक वास्तु
11. भवन भास्कर
12. भोज देव

इसके अतिरिक्त पर्यावरण विकास व अन्य पत्र-पत्रिकाओं तथा दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया, दैनिक भास्कर आदि से संदर्भ लिये गये हैं ।


महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय
क्र. 17356
करौंदी, कटनी (म.प्र.)


महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय ग्रंथालय
क्र. 17356
करौंदी, कटनी (म.प्र.)